बिहार
पेंशन नियमावली, 1950

केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के निर्णयों, समीक्षा तथा निर्णयज विधि सहित यथा संशोधित

भाग–I नियमावली
भाग–II परिशिष्ट तथा उदारीकृत पेंशन नियमावली

अनिल कुमार सिन्हा

ईस्टर्न बुक एजेन्सी
विभागीय तथा कानूनी पुस्तक प्रकाशक एवं विक्रेता
305, बुद्धा प्लाजा (तीसरी मंजिल) बुद्ध मार्ग, पटना–1

प्राक्कथन

अपने द्वारा प्रकाशित हिन्दी में विभागीय पुस्तकों के प्रति पाठकों के झुकाव को देखते हुये हमने "बिहार पेंशन नियमावली" पुस्तक का प्रकाशित किया है जो आप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

पुस्तक में समीक्षाएँ, राज्य सरकार द्वारा निर्गत सारे राज्यादेशों एवं शुद्धि-पत्रों को उनके स्थान पर समाविष्ट किया गया है । साथ ही इसमें दो नये परिशिष्ट परिशिष्ट 9 (महत्वपूर्ण राज्यादेश) तथा परिशिष्ट 10 (निर्णयज विधि) को इस पुस्तक के अन्त में जोड़ा गया है । कुछ अद्यतन संशोधित राज्यादेश जो अंग्रेजी में थे उनका हिन्दी में अनुवाद करके उपयुक्त स्थान पर अपने पाठकों को सुविधा हेतु दे दिया है । एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना काफी कठिन कार्य है । यह कार्य तब और भी कठिन हो जाता है जब अनुवाद विधि सम्बन्धी हो ।

प्रयास किया गया है कि अनुवाद युक्तिसंगत, नियमानुकूल एवं त्रुटिरहित हो। फिर भी, कहीं कोई अनुवाद नियमानुकूल नहीं लगे, तो उसे अंग्रेजी संस्करण से मिलान कर लें ।

यह भी प्रयास किया गया है कि प्रकाशन त्रुटिरहित एवं साफ-सुथरी हो, फिर भी यदि कोई त्रुटि पायी जाये तो कृपया प्रकाशक को उससे अवगत कराने की कृपा करें । इसके लिए प्रकाशक आपका सदैव आभारी रहेगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये प्रकाशक, मुद्रक तथा विक्रेता का कोई दायित्व नहीं होगा।

आशा है हमारे अन्य हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों की भाँति इस पुस्तक को भी पाठकों का स्नेह प्राप्त होगा।

पटना 800 001 — ईस्टर्न बुक एजेन्सी

बिहार पेंशन नियमावली

भाग-I

विषय-सूची

	नियम	पृष्ठ
अध्याय 1 – सामान्य दायरा और लागू होने की सीमा	1-5	1
अध्याय 2 – परिभाषाएँ	6-41	2-7
अध्याय 3 – पेंशन-प्रदान-संबंधी सामान्य उपबन्ध –		
प्रकरण 1 – सामान्य	42-43	7
प्रकरण 2 – मामले, जिनमें दावे अनुमान्य नहीं हैं	44-45	8
प्रकरण 3 – कदाचार, दिवाला या अदक्षता	46-46क	10
प्रकरण 4 – विधवाओं और उत्तराधिकारियों के दावे	47-48	10
प्रकरण 5 – परिसीमन	49	10
अध्याय 4 – पेंशन-प्रदायी-सेवा –		
प्रकरण 1 – सामान्य–		
उप-प्रकरण (1) पेंशन-प्रदायी सेवा का वर्गीकरण – उत्कृष्ट और निचली	50-53	11
(2) अंशत: निचली और अंशत: उत्कृष्ट सेवा	54-55	12
(3) सेवा का आरंभ	56-57	12
प्रकरण 2 – पेंशन-प्रदायी सेवा की शर्तें –		
उप-प्रकरण (1) सामान्य	58-59	12-13
(2) पहली शर्त – सरकार के अधीन-सेवा	60	13
(3) दूसरी शर्त – मौलिक और स्थायी योजना –		
(i) सामान्य	61-64	13-16
(ii) शिशिक्षु और परीक्ष्यमान	65-68	16-17
(iii) अस्थायी पद पर काम करने के लिये स्थायी सरकारी सेवक का नियोजन	69-70	17
(iv) विशेष कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्ति और स्थायी पद का तोड़ा जाना	71	17
(v) उजरती काम	72	17
(vi) परिमाप बन्दोबस्त	73	17
(4) तीसरी शर्त्त – सेवा, जिसके लिये सरकार भुगतान करती हो –		
(i) पारिश्रमिक के स्रोत	74	18
(ii) सेवा, जिसके लिये आम राजस्व से भुगतान किया जाए	75	19

	नियम	पृष्ठ
(iii) सेवा, जिसके लिये न्यास-निधि से भुगतान किया जाए	76	19
(iv) सेवा, जिसके लिये फीस या कमीशन से भुगतान किया जाए	77	19
(v) सेवा, जिसके लिये भू-धृति आदि के प्रदान पर भुगतान किया जाए	78	19
(vi) सेवा, जिसके लिए स्थानीय निधि से भुगतान किया जाए	79-83	19-20
(vii) स्थानीय निधि – पेंशन-निधि	84	20
अध्याय 5 – पेंशन के लिये सेवा की गणना –		
प्रकरण 1 – प्रास्ताविक	85	20
प्रकरण 2 – बुढ़ापा-पेंशन-प्रदायी-सेवा में विशेष योग	86	20
प्रकरण 3 – असैनिक-पेंशन के लिये सैनिक सेवा की गिनती	87-88	21-22
प्रकरण 4 – छुट्टी तथा कर्त्तव्य से अन्य प्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधियाँ –		
उप-प्रकरण (1) छुट्टी की अवधि –		
(i) उत्कृष्ट सेवा	89-94	22-24
(ii) निचली सेवा	95	24
(2) प्रशिक्षण की अवधि	96	24
(3) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति	97-98	24
प्रकरण 5 – मुअत्तली, पदत्याग, सेवा में भंग और अपूर्णता –		
उप-प्रकरण (1) मुअत्तली की अवधि	99-100	24
(2) त्याग और बर्खास्तगी	101-102	25
(3) क्रम-भंग के कारण अतीत सेवा का न गिना जाना	103-104	25
(4) क्रम-भंग और अपूर्णता की क्षान्ति (माफी)	105-106	25-26
अध्याय 6 – पेंशन-प्रदान की शर्तें –		
प्रकरण 1 – पेंशनों का वर्गीकरण	107	26
प्रकरण 2 – क्षतिपूर्ति पेंशन –		
उप-प्रकरण (1) प्रदान की शर्तें	108-111	26-27
(2) प्रक्रिया –		
(i) उन्मुक्ति के लिये चुनाव	112-113	27
(ii) उन्मुक्ति की सूचना	114-115	27-28
प्रकरण 3 – असमर्थता पेंशन –		
उप-प्रकरण (1) प्रदान की शर्तें	116-121	28
(2) प्रक्रिया	122	29

	नियम	पृष्ठ
(3) स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र संबंधी नियम –		
(i) सामान्य	123–127	29–30
(ii) स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र का फारम	128	30
प्रकरण 4 – बुढ़ापा-पेंशन –		
उप-प्रकरण (1) प्रदान की शर्तें	129–131	30
(2) प्रक्रिया	132–133	31–35
प्रकरण 5 – निवृत्ति-पेंशन	134–135	38–41
अध्याय 7 – पेंशन की रकम –		
प्रकरण 1 – सामान्य	136–143	41–43
प्रकरण 2 – उत्कृष्ट पेंशन –		
उप-प्रकरण (1) उपदान	144	43
(2) पेंशन	145–146	43
प्रकरण 3 – विशेष अतिरिक्त पेंशन	147	43
प्रकरण 4 – निचली पेंशन –		
उप-प्रकरण (1) सामान्य	148	45
(2) उपदान	149	45
(3) पेंशन	150	45
प्रकरण 5 – उपलब्धियाँ और औसत उपलब्धियाँ –		
उप-प्रकरण (1) पेंशन के लिये गिनी जाने वाली उपलब्धियाँ	151–153	45–47
(2) पेंशन के लिये न गिनी जाने वाली उपलब्धियाँ	154–155	47
(3) औसत उपलब्धियाँ	156	48
अध्याय 8 – पेंशनभोगियों का पुनर्नियोजन –		
प्रकरण 1 – सामान्य	157–163	53–56
प्रकरण 2 – असैनिक पेंशनभोगी	164–168	56
प्रकरण 3 – सैनिक पेंशनभोगी	169–171	56–57
प्रकरण 4 – नयी सेवा के लिये पेंशन	172–175	57
प्रकरण 5 – निवृत्ति के बाद वाणिज्यिक नियोजन	175–अ	57
प्रकरण 6 – निवृत्ति के बाद भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन नियोजन	175–ब	58
अध्याय 9 – क्षत और अन्य असाधारण पेंशन –		
प्रकरण 1 – लागू होने की सीमा	176	59
प्रकरण 2 – परिभाषा	177	59
प्रकरण 3 – सामान्य नियम	178–181	60–61
प्रकरण 4 – आघातों के प्रकार	182	61
प्रकरण 5 – क्षत एवं आघात-पेंशन-परिदान	183–186	61–66
प्रकरण 6 – प्रक्रिया	187	66

	नियम	पृष्ठ
अध्याय 10 – पेंशन के लिए आवेदन और उसकी मंजूरी –		
प्रकरण 1 – सामान्य	188–192	70–72
प्रकरण 2 – आवेदन –		
उप-प्रकरण (1) राजपत्रित सरकारी सेवक	193–195	72
(2) अराजपत्रित सरकारी सेवक	196–199	73–75
प्रकरण 3 – मंजूरी	200–203	75–80
प्रकरण 4 – प्रत्याशा-पेंशन	204–208	84–95
अध्याय 11 – पेंशन का भुगतान –		
प्रकरण 1 – सामान्य नियम –		
उप-प्रकरण (1) पेंशन के आरंभ की तारीख	209–211	95–96
(2) भुगतान का स्थान	212–218	96–97
(3) इंगलैंड और भारत के बीच अन्तरण	219–220	97
प्रकरण 2 – भारत में भुगतान	221–227	97–99
प्रकरण 3 – इंगलैंड में भुगतान	228–229	99–100
प्रकरण 4 – उपनिवेश में भुगतान –		
उप-प्रकरण (1) सामान्य	230–231	100
(2) वारंट का निकलना	232–233	100
(3) भुगतान का अन्तरण	234–235	100–101
अध्याय 12 – पेंशन का रूपान्तरण –		
प्रकरण 1 – सामान्य	236–242	101–103
प्रकरण 2 – आवेदन-पत्रों का उपस्थापन	243–246	103–104
प्रकरण 3 – महालेखाकार की रिपोर्ट	247–248	104
प्रकरण 4 – प्रशासनिक मंजूरी और स्वास्थ्य-परीक्षा	249–254	104–106
प्रकरण 5 – रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	255–259	106–107
* **बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु- सह-निवृत्ति उपदान पुनरीक्षण (विधिमान्यकरण एवं प्रवर्त्तन) अधिनियम, 2001**		109–110

●

केन्द्रीय एवं राज्य सरकार का निर्णय

भाग-I

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
1.	सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि। [ज्ञाप संख्या पी०सी० 2226, दिनांक 19-2-1976]	...	3
2.	बाह्य सेवा की अवधि में देय पेंशन-अंशदान। [ज्ञाप सं० 22210,दिनांक 31-7-1961]	...	4
3.	निलंबनाधीन सरकारी सेवक के अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि पर पहुँचने के फलस्वरूप वार्धक्य-निवृत्ति। [ज्ञापांक 12753, दिनांक 26-11-1970]	...	8
4.	उन सरकारी सेवकों की पेंशन-अदायगी जो निलंबन पर है या जिनके विरुद्ध विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही या जाँच अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तिथि को पूरी नहीं हुई है। [ज्ञापांक 9144, दिनांक 22-8-1974]	...	8
5.	सरकारी सेवक जो निलम्बन पर हैं या जिनके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाही या जाँच अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि को समाप्त नहीं हुई है, को पेंशन की अदायगी। [ज्ञापांक 11260, दिनांक 31-10-1974]	...	9
6.	असंपुष्ट सरकारी सेवक की अस्थायी सेवा को पेंशन प्रदायी सेवा घोषित करना। [ज्ञापांक 11779, दिनांक 12-8-1969]	...	13
7.	पेंशन के लिए अस्थायी सेवा की गणना। [अधिसूचना संख्या 12928, दिनांक 4-9-1962]	...	14
8.	भारत सरकार के अधीन की गई अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में पेंशन विषयक दायित्व का आवंटन। [ज्ञापांक 1341, दिनांक 21-1-1969]	...	14
9.	भारत सरकार के अधीन की गई अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में पेंशन विषयक् दायित्व का आवंटन। [ज्ञापांक 87, दिनांक 6-8-1969]	...	15
10.	तथैव (3) (20) (P) 79, दिनांक 31-3-1982।	...	15
11.	परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा की पेंशन हेतु गणना। [ज्ञाप संख्या 29, दिनांक 14-1-1964]	...	16
12.	बिहार पेंशन नियमावली के नियम 73 के अन्तर्गत सर्वे एण्ड सेट्लमेंट कर्मचारियों की अस्थायी सेवा को पेंशन प्रदायी घोषित करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या 401, दिनांक 13-1-1975]	...	18
13.	बिहार पेंशन नियमावली के नियम 73 के अन्तर्गत सर्वे एण्ड सेट्लमेंट कर्मचारियों की अस्थायी सेवा को पेंशन प्रदायी घोषित करने के सम्बन्ध में — पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता। [ज्ञाप संख्या 13238, दिनांक 27-10-1978]	...	18
14.	चिकित्सा पदाधिकारी की युद्ध सेवा की असैनिक पेंशन गणना। [ज्ञाप संख्या 330, दिनांक 8-1-1972]	...	22
15.	पेंशन मामलों के अशुद्ध और अपूर्ण प्रस्तुतिकरण के कारण पेंशन-मामलों के निष्पादन में विलम्ब। [ज्ञापांक 23434, दिनांक 8-12-1959]	...	31
16.	पेंशन मामलों के अशुद्ध और/या अपूर्ण प्रस्तुतिकरण की वजह से पेंशन-मामलों के निष्पादन में विलम्ब। [ज्ञापांक 1562, दिनांक 5 दिसम्बर, 1953]	...	32

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
17.	आयु की माफी और सेवा में कमी । [ज्ञापांक 1418, दिनांक 12-12-1968]	...	35
18.	अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष के बाद सेवा में रहने पर रोक । [ज्ञापांक 5749, दिनांक 14-4-1979]	...	36
19.	सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष के बाद सेवा में बने रहने पर रोक । [ज्ञाप संख्या 6287 वि० (2), दिनांक 17-9-1988]	...	37
20.	सरकारी सेवक का सरकारी कम्पनी/निगम में स्थायी स्थानान्तरण-सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति । [ज्ञापांक 15445, दिनांक 5-12-1962]	...	38
21.	सरकारी सेवकों का सरकारी कंपनियों/निगमों में स्थायी स्थानान्तरण—निवृत्ति-लाभों की स्वीकृति । [ज्ञापांक 1950, दिनांक 18-2-1974]	...	38
22.	सरकारी सेवक का सरकारी कंपनी/निगम में स्थायी स्थानान्तरण – सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति । [ज्ञापांक 5190, दिनांक 30-4-1976]	...	40
23.	पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया का सरलीकरण – अन्तिम पूर्ण रुपये तक पेंशन राशि को करने के सम्बन्ध में । [ज्ञाप सं० 15982, दिनांक 28-11-1969]	...	41
24.	पेंशन-राशि में कमी । [ज्ञापांक 975, दिनांक 19-1-1976]	...	42
25.	पेंशन-स्वीकृति विषयक प्रक्रिया का सरलीकरण । [ज्ञापांक 5300, दिनांक 12-8-1969]	...	46
26.	वित्त विभाग ज्ञाप सं० 629 वि०, दिनांक 14-1-1964 ।	...	49
27.	राज्य सरकार के पेंशनरों के पेंशन एवं उपदान के प्रावधानों में फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर सरकार के निर्णय के आलोक में पुनरीक्षण। [संकल्प सं० 1853, दिनांक 19 अप्रील, 1990]	...	49
28.	राज्य चिकित्सा संवर्ग के चिकित्सा-पदाधिकारियों को पेंशन की अनुमान्यता । [ज्ञापांक पी०आर०जी० 2-05/70/3034 वि०, दिनांक 17-3-1973]	...	52
29.	चिकित्सकों के पेंशन एवं ग्रैच्यूटी के निर्धारण की प्रक्रिया में परिवर्त्तन । [ज्ञाप संख्या 7082, दिनांक 9-6-1976]	...	52
30.	चिकित्सकों के पेंशन एवं उपदान के निर्धारण की प्रक्रिया में परिवर्त्तन । [पत्र सं० 1252 वि०, दिनांक 10-5-1980]	...	53
31.	पुनर्नियुक्त सरकारी सेवक का वेतन और पेंशन का निर्धारण । [ज्ञापांक 13866, दिनांक 14-11-1969]	...	55
32.	कर्त्तव्य के दौरान हिंसक गतिविधियों में मारे गये पुलिसकर्मियों तथा अन्य सरकारी सेवकों को अनुग्रह-अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में। [संकल्प सं० 5508, दिनांक 5-5-1997]	...	63
33.	पारिवारिक पेंशन योजना के लागू होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अन्तर्विष्ट क्षत और अन्य असाधारण पेंशन की दरों का पुनरीक्षण । [ज्ञापांक 1302, दिनांक 15-2-1968]	...	64
34.	पारिवारिक पेंशन योजना के लागू होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट क्षत और अन्य असाधारण पेंशनों की दरों का पुनरीक्षण । [ज्ञाप सं० 10097, दिनांक 11-12-1969]	...	64

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
35.	पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के लागू होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट क्षत और अन्य असाधारण पेंशन की दरों का पुनरीक्षण। [ज्ञापांक 3484, दिनांक 28-4-1970]	...	65
36.	"क्षत और अन्य असाधारण पेंशन अध्याय 9" के तहत वैसे मृत सरकारी सेवक के माता और पिता या मातृहीन बच्चों को उपदान की स्वीकृति, जो कार्यालयस्थ विशेष जोखिम के फलस्वरूप कालकवलित हो जाते हैं। [ज्ञापांक 9271, दिनांक 28-9-1970]	...	65
37.	बिहार पेंशन नियमावली के अनुच्छेद 9 (नौ) में निहित क्षत एवं असाधारण पेंशन नियमों का संशोधन। [ज्ञाप संख्या 6127, दिनांक 14-6-1974]	...	66
38.	केन्द्र सरकार में राज्य सरकार के सेवकों को प्रतिनियोजन। [पत्रांक एफ 19 (23) S.V. (A) 64, दिनांक 2-8-1965]	...	69
39.	जी०ओ०न० 1030/61-12928 वि०, दिनांक 4-9-1962।	...	70
40.	सेवानिवृत्ति के 12 महीने (अब 18 महीने) पहले पेंशन-मामले का उपस्थापन। [ज्ञापांक पेन-1021/68/463 वि०, दिनांक 16-1-1969]	...	71
41.	पेंशन/ग्रेच्यूटी हेतु सेवा का सत्यापन। [ज्ञाप संख्या 1690, दिनांक 9-2-1978]	...	71
42.	अग्रिम पेंशन, अग्रिम उपदान और अग्रिम पेंशन पर आधारित रूपांतरित मूल्य के मामले में अंतिम-वेतन-प्रमाण-पत्र जारी करना। [ज्ञापांक 4164 वि० (2), दिनांक 5-5-1964]	...	73
43.	पेंशन मामला का त्वरित निष्पादन। [ज्ञापांक 3561, दिनांक 30-4-1965]	...	75
44.	पेंशन की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करना। [पत्र सं० 6665, दिनांक 30-5-1951]	...	76
45.	राज्यादेश सं० पेन-1030/61-19928 वि०, दिनांक 4-9-1962।	...	77
46.	वित्त विभाग, ज्ञापांक 642, दिनांक 14-1-1964।	...	77
47.	बिहार पेंशन नियमावली के नियम 203 (क) के अन्तर्गत राजस्व (निबंधन) विभाग के अधीन विभिन्न निबंधन कार्यालयों के नियमित स्थापना में लाये गये अतिरिक्त लिपिकों को पेंशन, उपदान एवं पारिवारिक पेंशन देने की सुविधा। [ज्ञाप सं० P.C. 2-9-45/78-79-2 वि०, दिनांक 16-1-1979]	...	81
48.	कार्यभारित कर्मचारीगण, जिन्हें तिथि 1-4-1971 अथवा उसके बाद नियमित स्थापना में ले लिया गया, को पेंशन/उपदान एवं पारिवारिक पेंशन की देयता के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या 505, दिनांक 6-3-1978]	...	81
49.	दस वर्षों से अधिक लगातार सेवा वाले कार्यभारित कर्मचारीगण, जिन्हें तिथि 1-4-1971 एवं उसके बाद नियमित स्थापना में ले लिया गया, को पेंशन की स्वीकृति। [संख्या पी०सी०-1-118/ 76/3425 वि०, दिनांक 31-3-1976]	...	82
50.	कार्यभारित कर्मचारियों को राज्य सरकार की नियमित स्थापना में लिया जाना तथा पेंशन में अतिरिक्त लाभ। [ज्ञाप संख्या 3058, दिनांक 22-10-1984]	...	82
51.	कार्यभारित कर्मचारियों को 'पेंशन' प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति की सुविधा देने के लिए कार्यभारित स्थापना में बितायी गई अवधि को क्वालिफाईंग पीरियड की गणना करने के सम्बन्ध में। [संकल्प संख्या 3 पी०ए०आर० 01/86 खण्ड 1503 वि०, दिनांक 27-3-1987]	...	83

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
52.	पेंशन-स्वीकृति के लिए बिहार पेंशन नियमों और प्रक्रिया का सरलीकरण। [ज्ञापांक 8739, दिनांक 13-7-1967]	...	85
53.	बिहार पेंशन नियमावली और पेंशन-स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण और सेवा-पुस्तिका और अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृति-राशि का अंकन। [ज्ञापांक 2636, दिनांक 26-2-1970]	...	87
54.	बिहार पेंशन नियमावली एवं प्रक्रिया का सरलीकरण--औपबंधिक पेंशन एवं औपबन्धिक ग्रेच्युटी का भुगतान। [ज्ञाप सं० 4565, दिनांक 21-5-1973]	...	87
55.	बिहार पेंशन नियम एवं पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण। [ज्ञाप सं० PC-107-73-500 वि०, दिनांक 1-2-1973]	...	88
56.	बिहार पेंशन नियमावली के पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण। [ज्ञाप सं० 5659, दिनांक 28-6-1973]	...	89
57.	औपबन्धिक रूप में पारिवारिक पेंशन का भुगतान। [ज्ञाप संख्या 1436, दिनांक 16-2-1974]	...	89
58.	औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान। [ज्ञाप संख्या 3349, दिनांक 2-4-1974]	...	90
59.	औपबन्धिक रूप में पारिवारिक पेंशन का भुगतान। [ज्ञाप संख्या 4516, दिनांक 13-5-1974]	...	94
60.	औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान। [संख्या 11641, दिनांक 7-11-1974]	...	94
61.	वाह्य सेवा (फोरन सर्विस) में प्रतिनियुक्त सरकारी सेवक की निवृत्ति के पश्चात् 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन की ग्रेच्युटी का भुगतान। [ज्ञाप संख्या 12204, दिनांक 30-9-1972]	...	94
62.	उन सरकारी सेवकों को पेंशन की स्वीकृति जिनकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के बाद किन्तु पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन करने के पहले हो जाती है। [ज्ञापांक 15668, दिनांक 11 नवम्बर, 1957]	...	95
63.	पेंशन का स्थानान्तरण। [ज्ञाप सं० 5484, दिनांक 1-5-1978]	...	98
64.	पाकिस्तान में रहनेवाले व्यक्तियों को भारत में पेंशन की अदायगी। [ज्ञापांक 18618, दिनांक 18-9-1959]	...	99
65.	बिहार पेंशन नियमावली के तहत् पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति हेतु सरकार के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 1554, दिनांक 23-2-1991]	...	101
66.	वार्धक्य-निवृत्ति पर पेंशन का रूपान्तरण – चिकित्सीय जाँच आवश्यक नहीं। [ज्ञापांक 4019, दिनांक 14-3-1978]	...	104
67.	पेंशन के रूपान्तरित राशि की पुनर्स्थापन (Restoration)। [संकल्प सं० 646, दिनांक 8-3-1983]	...	107
68.	पेंशन की रूपान्तरित राशि का प्रत्यास्थापना (Restoration)। [वित्त विभाग, संकल्प संख्या 1851, दिनांक 19-4-1990]	...	108

भाग–II

विषय-सूची

	पृष्ठ
परिशिष्ट 1 – सौंपी गई शक्तियों की सूची – इन शक्तियों का प्रयोग अन्य सरकारी विभाग, वित्त विभाग से परामर्श किए बिना ही कर सकते हैं।	1
परिशिष्ट 2 – बिहार अनुकम्पा-निधि से अनुदान के संबंध में हिदायतें	1–5
परिशिष्ट 3 – रूपान्तरण तालिका	5
परिशिष्ट 4 – पेंशन पर महँगाई राहत की स्वीकृति	6–42
परिशिष्ट 5 – बिहार उदार-पेंशन योजना, 1950	43–170
फारम	
1. आघात पेंशन या उपदान के लिए आवेदन-पत्र	153
2. परिवार-पेंशन के लिए आवेदन-पत्र	154
3. आघात पर रिपोर्ट करने में चिकित्सक बोर्ड के व्यवहार के लिए फारम	155–156
4. पेंशन या उपदान और मृत्यु-सह-निवृत्ति-"उपदान" के लिए आवेदन-पत्र	156–160
5. पेंशन-भुगतान-आदेश	161–162
6. औपनिवेशिक (पेंशन भुगतान) वारंट	163
7. असैनिक पेंशनों का रूपान्तरण – आवेदन-पत्र	163–166
8. असैनिक पेंशनों का रूपान्तरण – प्रशासनिक मंजूरी का फारम	166–168
9. असैनिक पेंशनों का रूपान्तरण – स्वास्थ्य परीक्षा	168–170
10. असैनिक पेंशनों का रूपान्तरण – बिना स्वास्थ्य परीक्षा का	170
परिशिष्ट 6 – पेंशन एवं उपदान स्वीकृति हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण और उसका शीघ्र भुगतान	171–204
परिशिष्ट 7 – सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के परिवार के आश्रितों को दी जाने वाली तात्कालिक राहत की स्वीकृति संबंधी योजना	205–208
परिशिष्ट 8 – राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों को पेंशन की स्वीकृति	209–217
परिशिष्ट 9 – महत्वपूर्ण राज्यादेश	218–274
परिशिष्ट 10 – निर्णयज विधि	275–293

केन्द्रीय एवं राज्य सरकार का निर्णय

भाग–II

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
1.	राज्य सरकार के पैंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों एवं असाधारण पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित/समेकित पेंशन पर महँगाई राहत की स्वीकृति । [संकल्प सं० 2425, दिनांक 25 मई, 1990]	...	6
2.	बिहार पेंशन नियमावली के नियमों के अधीन पेंशन पानेवाले पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों एवं असाधारण पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की स्वीकृति । [संकल्प सं० 4050, दिनांक 14 सितम्बर, 1990]	...	7
3.	राज्य के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों एवं असाधारण पेंशन-भोगियों को महँगाई राहत की स्वीकृति । [संकल्प संख्या 6006, दिनांक 28-12-1990]	...	9
4.	राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की स्वीकृति । [संकल्प संख्या 6493, दिनांक 30-8-1991]	...	10
5.	राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत के अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति । [सं० 4548, दिनांक 23-6-1992]	...	11
6.	राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति । [ज्ञापांक 4259, दिनांक 13-4-1994]	...	13
7.	राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति । [ज्ञापांक सं० 6952, दिनांक 27-6-1994]	...	14
8.	राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति । [संकल्प संख्या 9774, दिनांक 3 सितम्बर, 1994]	...	15
9.	राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति । [संख्या 3835, दिनांक 30-5-1995]	...	16
10.	राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति । [संकल्प सं० 260, दिनांक 12 जनवरी, 1996]	...	17
11.	राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति । [संकल्प सं० 2999, दिनांक 15 मार्च, 1996]	...	18
12.	राज्य के पेंशनभोगियों को औपबन्धिक पेंशन पर महँगाई राहत की स्वीकृति । [ज्ञापांक 9548, दिनांक 12-10-1995]	...	19
13.	राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति । [ज्ञाप सं० 9745, दिनांक 28-8-1996]	...	19
14.	राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति । [ज्ञाप सं० 13139, दिनांक 6-11-1996]	...	21
15.	राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति । [संख्या 6850, दिनांक 30 मई, 1997]	...	22
16.	राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति । [संख्या 950, दिनांक 22-1-1998]	...	23

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
17.	राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [संख्या 4184, दिनांक 16-6-1998]	...	23
18.	राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [ज्ञाप सं० 5556, दिनांक 16-11-1998]	...	24
19.	राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [ज्ञाप सं० 5196, दिनांक 12-6-1999]	...	26
20.	राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [ज्ञाप सं० 9823, दिनांक 28 अक्टूबर, 1999]	...	27
21.	राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [संकल्प संख्या 6635, दिनांक 31 जुलाई, 2000]	...	28
22.	राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [संकल्प संख्या 1687, दिनांक 22-2-2001]	...	29
23.	दिनांक 1 जनवरी, 2001 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [संकल्प संख्या पी०सी० 57/01-6706, दिनांक 24 सितम्बर, 2001]	...	31
24.	दिनांक 1-7-2001 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [संकल्प सं० 2610, दिनांक 8-6-2002]	...	32
25.	दिनांक 1-1-2002 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [संकल्प सं० 253, दिनांक 29-1-2003]	...	33
26.	दिनांक 1-7-2002 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 1881, दिनांक 11-6-2003]	...	34
27.	दिनांक 1-1-2003 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 978, दिनांक 4 मार्च, 2003]	...	35
28.	दिनांक 1-7-2003 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 3600, दिनांक 5-10-2004]	...	35
29.	दिनांक 1-1-2004 एवं 1-7-2004 के प्रभाव से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 776, दिनांक 11-4-2005]	...	36
30.	दिनांक 1-1-2005 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 478, दिनांक 1-7-2006]	...	37
31.	दिनांक 1-7-2005 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 57/01/04, दिनांक 7-1-2006]	...	38
32.	दिनांक 1-1-2006 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 902, दिनांक 9-5-2006]	...	39
33.	दिनांक 1-7-2006 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 1921, दिनांक 30-10-2006]	...	40
34.	दिनांक 1-1-2007 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 709, दिनांक 12-6-2007]	...	40

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
35.	दिनांक 1-7-2007 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 1252, दिनांक 9-11-2007]	...	41
36.	संकल्प सं० एफ०-वी०पी०ए०आर०-12/50-12548-एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950।	...	43
37.	संकल्प सं० पेन-1053/ 60-26380 वि०, दिनांक 16-11-1960।	...	43
38.	बिहार उदार पेंशन योजना, 1950। [संकल्प सं० 12548, दिनांक 23 अगस्त, 1950]	...	44
39.	पेंशन गणना के सूत्र (फॉर्मूला) का उदारीकरण स्लैब-पद्धति को लागू करना। [संकल्प संख्या 7112, दिनांक 4-9-1979]	...	47
40.	राज्य के पेंशनरों के पेंशन एवं उपदान के प्रावधानों में फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर सरकार के निर्णय के आलोक में पुनरीक्षण। [पत्र सं० 1853, दिनांक 19-4-1990]	...	47
41.	सेवानिवृत्ति की सूचना वापस लेने के सम्बन्ध में। [वित्त विभाग ज्ञापांक पी०-1012/53/ 459 एफ०, दिनांक 14 अगस्त, 1953]	...	50
42.	ज्ञापांक 11800, दिनांक 5 अक्तूबर, 1956।	...	50
43.	मृत्यु, उपदान एवं सेवानिवृत्ति उपदान के प्रयोजनार्थ महँगाई भत्ते के एक भाग को महँगाई वेतन के रूप में गिना जाना। [संकल्प सं० 2318 वि० (2), दिनांक 16-5-1995]	...	50
44.	पेंशन प्रदायी सेवा में 5 वर्षों से अनाधिक वास्तविक कालावधि जोड़ने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 3311, दिनांक 27 मार्च, 1952]	...	52
45.	ज्ञाप सं० 11187 वि०, दिनांक 14-9-1953।	...	52
46.	मृत सेवक के मनोनीत व्यक्ति वैध उत्तराधिकारी को देय अवशिष्ट उपदान की गणना के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 9812, दिनांक 7 सितम्बर, 1954]	...	53
47.	उपदान का भुगतान मृत सरकारी सेवकों के वैध अधिकारियों को करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 17830, दिनांक 18 दिसम्बर, 1957]	...	53
48.	उपदान के भुगतान के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 8320, दिनांक 24 मई, 1958]	...	54
49.	ज्ञापांक पी० 1-1010/57-/7830 एफ०, दिनांक 18 दिसम्बर, 1957 में विहित मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की अदायगी के लिए पुनरीक्षित प्रक्रिया के मद्देनजर मृत सरकारी सेवक के परिवार को मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता सम्बन्धी सूचना भेजने के लिए निम्नांकित चार पुनरीक्षित और पृथक फारमों का पुनरीक्षण।	...	54
50.	वैसी स्थिति में सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान अदायगी जिसमें उसने किसी व्यक्ति को मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान प्राप्त करने को नामांकित नहीं किया हो। [ज्ञापांक 21896, दिनांक 28-7-1961]	...	56
51.	बिल्कुल अस्थायी कर्मचारियों के लिए उनकी सेवाकाल में मृत्यु या सेवानिवृत्ति या छँटनी या अशक्तता की दशा में मृत्यु/निवृत्ति/आवधिक लाभ-स्वीकृति के सम्बन्ध में है। [ज्ञापांक 12929, दिनांक 4-9-1962]	...	56

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
52.	बिल्कुल अस्थायी कर्मचारियों के लिए उनकी सेवाकाल में मृत्यु या सेवा-निवृत्ति या छँटनी या अशक्तता की दशा में मृत्यु/निवृत्ति/आवधिक लाभ-स्वीकृति के सम्बन्ध में। [ज्ञापांक 694, दिनांक 15-1-1964]	...	57
53.	वार्द्धक्य पेंशन तथा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की स्वीकृति में विलंब – उसके चलते हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट में सरकार के विरुद्ध केस। [पत्र सं० 3665, दिनांक 5-10-1993]	...	58
54.	सरकारी सेवकों द्वारा मनोनयन करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० पी० 1-106-54–2905, दिनांक 15 मार्च, 1955]	...	60
55.	उदारीकृत पेंशन नियमावली के अधीन मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिए नामांकन। [ज्ञाप सं० 28619 वि०, दिनांक 3-12-1960]	...	61
56.	शुद्धि पत्र सं० 79, दिनांक 12-7-1961 का मूलांश।	...	62
57.	मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में अनिवार्य नामांकन। [ज्ञाप सं० 21288, दिनांक 20-9-1960]	...	62
58.	जिस सरकारी सेवक को कोई परिवार नहीं है उसका मनोनयन करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 8788, दिनांक 1 सितम्बर, 1955]	...	62
59.	मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान में अवयस्क के अंश की अदायगी। [शुद्धि पत्र सं० 62, दिनांक 28-5-1959 द्वारा अन्तःस्थापित।]	...	63
60.	अवयस्क को मृत्यु-सह-निवृत्ति अदायगी। [ज्ञाप सं० 3798 वि०, दिनांक 17-4-1965]	...	64
61.	उदारीकृत पेंशन नियमावली के अधीन अराजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में किया गया नामांकन। [ज्ञाप सं० 28610 वि०, दिनांक 3-12-1960]	...	64
62.	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964। [ज्ञापांक 9505, दिनांक 3-9-1964]	...	65
63.	राज्य सरकार के कर्मचारी, जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है, के परिजनों के सम्बन्ध में पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के प्रावधानों का उदारीकरण। [ज्ञापांक 9251, दिनांक 5-12-1966]	...	67
64.	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 – वेतन की परिभाषा। [ज्ञापांक पेन०–10/17/70/8113, दिनांक 31-8-1970]	...	68
65.	जो सरकारी कर्मचारी 1-4-1964 के पहले सेवानिवृत्त या कालकवलित हो गये अथवा पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 से अन्यथा आच्छादित नहीं है, उनके परिवारों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति। [संकल्प सं० 1918, दिनांक 4-6-1986]	...	68
66.	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना, 1964 – एक वर्ष की सेवा शर्त को हटाया जाना। [ज्ञाप संख्या पी०सी० 2-9-4/83-300 वि०, दिनांक 29-7-1980]	...	70
67.	सरकारी कर्मचारियों के अविवाहित पुत्रियों के लिए 21 वर्ष की आयु से ऊपर परिवार पेंशन को जारी रखना। [ज्ञाप संख्या पी०सी० 2-9-18-78–6167 वि०, दिनांक 6-6-1978]	...	71
68.	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964। [ज्ञापांक 1884, दिनांक 19-3-1975]	...	71

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
69.	परिवार-पेंशन ज्येष्ठ पुत्र को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 8321, दिनांक 24 मई, 1958]	...	72
70.	निवर्तमान सरकारी सेवकों द्वारा पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 में अंशदान स्वरूप देय मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान से दो महीने की उपलब्धियों की कटौती का समापन। [ज्ञापांक 4000, दिनांक 13-3-1978]	...	72
71.	मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान में से दो महीने की उपलब्धियों की कटौती को समाप्त करने के फलस्वरूप परिवार के पेंशन योजना, 1964 में आने के लिए विकल्प देना। [ज्ञाप सं० 10034, दिनांक 19-7-1978]	...	72
72.	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना-पर्दानशीं महिलाओं के मामले में संयुक्त फोटो देने से छूट। [ज्ञापांक 11034, दिनांक 16-8-1967]	...	73
73.	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना 1964 – दावों के निपटारे के सम्बन्ध में प्रक्रिया। [ज्ञापांक 1451, दिनांक 19 फरवरी, 1965]	...	73
74.	फौजदारी मुकदमा (Criminal case) के दौरान निलम्बित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशन/मृत्यु-सह- सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान। [ज्ञाप सं० 11166, दिनांक 6-9-1975]	...	74
75.	सरकारी कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964। [ज्ञापांक 13662, दिनांक 28-12-1964]	...	74
76.	उदारीकृत पेंशन नियमावली के अधीन वित्त विभाग के ज्ञापांक पी० 1-108/60-1852 एफ०, दिनांक 12-2-1960 की कंडिका 6 (1) की शर्तों के अनुसार पारिवारिक पेंशन का पुन: समंजन। [ज्ञापांक 11923, दिनांक 26-4-1961]	...	75
77.	पेंशन प्रदायी सेवा की गणना में प्रयोजनार्थ आधे दिन का अगला पूरा दिन माना जाय या नहीं। [ज्ञाप सं० 794, दिनांक 19 जनवरी, 1954]	...	76
78.	अंशदायी भविष्य निधि अंशदाता जो पेंशनी सेवा का चयन करते हैं और स्थायी रूप से उसमें अंतरित होते हैं, के सम्बन्ध में पेंशन के लिए सेवावधि की गणना। [ज्ञापांक पेन०—1011/63/5358-एफ०, दिनांक 7-5-1963]	...	76
79.	पेंशन एवं उपदान के निर्धारण हेतु अर्हक सेवा की गणना करने की नवीन पद्धति। [संकल्प संख्या 1852, दिनांक 19 अप्रील, 1990]	...	76
80.	अनुकम्पा निधि चालू करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या 6375, दिनांक 22 मई, 1951]	...	77
81.	ज्ञाप सं० 415, दिनांक 28 जून, 1954।	...	79
82.	ज्ञाप सं० 6714, दिनांक 31 मई, 1951।	...	80
83.	ज्ञाप सं० 3623, दिनांक 23 मार्च, 1954।	...	81
84.	ज्ञाप सं० 11140, दिनांक 7 सितम्बर, 1951।	...	83
85.	ज्ञाप सं० 7276, दिनांक 2 जुलाई, 1952।	...	84
86.	ज्ञाप सं० 12947, दिनांक 27 अक्टूबर, 1953।	...	85
87.	ज्ञाप सं० 334, दिनांक 20 जून, 1955।	...	85
88.	पुलिस सहायक महानिरीक्षक को वित्त विभाग का पत्र सं० पी०-1-106/54-6412 वि०, दिनांक 2-6-1954।	...	86

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
89.	मृत्यु-सह-निवृत्ति लाभ के प्रावधानों का उदारीकरण। [संकल्प सं० 6796 एफ०, दिनांक 15-7-1975।	...	86
90.	राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम राशि में वृद्धि। [ज्ञाप संख्या 3254, दिनांक 21-4-1982]	...	88
91.	राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम राशि में वृद्धि। [ज्ञापांक 2-1-14/85-1 वि०, दिनांक 2-1-1986]	...	88
92.	31 मार्च, 1979 के पहले के राज्य सरकारी पेंशन-लाभियों पर उदारीकृत पेंशन सूत्र लागू होना। [संकल्प सं० 1618, दिनांक 6-5-1986]	...	88
93.	31-3-1979 – पूर्व राज्य सरकारी पेंशनलाभियों को उदारीकृत पेंशन सूत्र का लागू होना। [संकल्प सं० 4709, दिनांक 30-8-1988]	...	92
94.	पारिवारिक पेंशन के स्तर तक अशक्तता-पेंशन को बढ़ाने की स्वीकृति – बढ़ी हुई पेंशन पर राहत की अनुमान्यता-सीमा जिस हद तक बढ़ी हुई पेंशन का अल्पीकरण हो सकेगा। [ज्ञापांक 1831, दिनांक 10-2-1978]	...	93
95.	चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में पेंशनरी लाभ। [संकल्प संख्या 1374, दिनांक 17-2-1983]	...	93
96.	दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के पेंशन के ढाँचे का योक्तिकीकरण। [संकल्प संख्या 1854 वि०, दिनांक 19-4-1990]	...	94
97.	राज्य सरकार के सेवीवर्ग के पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा उपदान के प्रावधानों में फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से पुनरीक्षण। संकल्प सं० 11556, दिनांक 22-12-1999]	...	98
98.	दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन- भोगियों का वैचारिक रूप से वेतन का निर्धारण करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन। [संख्या पी०सी० 01/99-11557 वि०पें०, दिनांक 22-12-1999]	...	103
99.	1 जनवरी, 1996 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनभोगी/ पारिवारिक पेंशनभोगी के पेंशन का समेकन/पुंनरीक्षण । [संकल्प संख्या 11558, दिनांक 22-12-1999]	...	111
100.	बिहार पेंशन नियमावली के नियमों के अधीन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों एवं असाधारण पेंशनभोगियों को राहत की मंजूरी। [संकल्प संख्या 4746, दिनांक 29-12-1986]	...	131
101.	पेंशन के पुनरीक्षण/समेकन के फलस्वरूप उत्पन्न विसंगति का निराकरण। [संकल्प संख्या 6230, दिनांक 23-8-1991]	...	133
102.	वित्त विभाग संकल्प संख्या 1854 वि०, दिनांक 19-4-1990 के तहत् पेंशन के पुनरीक्षण/समेकन हेतु वांछित सूचनाएँ महालेखापाल को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। [सं०सं० 4858 वि०, दिनांक 14-11-1990]	...	134
103.	पहली जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को पेंशन के ढाँचे का योक्तिकीकरण। [पत्र संख्या 7638, दिनांक 15 जुलाई, 1993]	...	134

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
104.	राज्य के पेंशनभोगियों के पेंशन का पुनरीक्षण/समेकन के फलस्वरूप आदेय बकाये के भुगतान की किस्त प्रणाली का संशोधन। [संख्या 6672, दिनांक 6-9-1991] ...	134
105.	फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के पेंशनभोगियों को पेंशन के पुनरीक्षण समेकन विषयक् आदेशों से सम्बन्धित स्पष्टीकरण। [संख्या 3467, दिनांक 7-8-1990] ...	135
106.	फिटमेन्ट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को पेंशन का समेकन। [संकल्प संख्या पी०सी० 1-9-16/87-3465 वि०, दिनांक 7-8-1990] ...	135
107.	वार्धक्य पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण। [संकल्प सं० 3014, दिनांक 31-7-1980] ...	171
108.	औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण। [पत्र सं० 532, दिनांक 13-2-1995] ...	177
109.	सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 943, दिनांक 6 अप्रैल, 1996] ...	178
110.	माननीय उच्च न्यायालय, पटना का निर्णय। [मो० रुक्मिनी देवी बनाम राज्य सरकार] ...	178
111.	पेंशन मामलों का त्वरित निष्पादन। [ज्ञापांक 228, दिनांक 5-8-1958] ...	183
112.	पेंशन मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब को भ्रष्टाचार मानकर कड़ी-से-कड़ी सजा देने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या 10804, दिनांक 9-10-1973] ...	183
113.	सभी तरह की पेंशन (पारिवारिक पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान समेत) की विलम्ब से अदायगी पर ब्याज की अदायगी। [ज्ञापांक 3155, दिनांक 7-11-1981] ...	184
114.	पेंशन मामलों का त्वरित निष्पादन – सेवा-पुस्तिका में प्रविष्टियाँ दर्ज करना – सेवा का सत्यापन। [ज्ञापांक 6885, दिनांक 18-6-1964] ...	185
115.	सरकारी आवासीय आवास के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवक से किराये और अन्य बकाये की वसूली – लेखा-निबटारे के लिए प्रतिभू-बंधपत्र का प्रावधान। [ज्ञापांक 10290 एफ० 1, दिनांक 22-9-1961] ...	185
116.	पेंशन और उपदान के लम्बित मामले। [ज्ञापांक एम०टी०जी० 120/53-ए०सी०एस०-1145, दिनांक 25-2-1954] ...	187
117.	पेंशन मामलों के त्वरित निष्पादन के लिये बेबाकी (नो डिमाण्ड) प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतिकरण। [ज्ञापांक 13313, दिनांक 4-12-1968] ...	187
118.	सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवकों से सरकारी आवसीय निवास के सम्बन्ध में किराया, अन्य बकाए की वसूली। [ज्ञापांक 10291 एफ० (1), दिनांक 22-9-1964] ...	188
119.	पेंशन मामलों के निस्तार हेतु मकान किराया सम्बन्धी बकाए चुकती प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) का दाखिल करना। [ज्ञाप सं० 1037-1393 वि०, दिनांक 9-2-1973] ...	188
120.	पेंशन मामलों के निस्तार हेतु मकान किराया सम्बन्धी बकाया चुकती प्रमाण पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) को दाखिल करना। [ज्ञाप सं० 207, दिनांक 1-4-1975] ...	189
121.	पेंशन मामले के निस्तार हेतु मकान किराये सम्बन्धी बकाए प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) को दाखिल करना। [ज्ञाप सं० 8871, दिनांक 5-9-1975] ...	189

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
122.	पेंशन स्वीकृति के आवेदन-पत्र के निष्पादन में विलम्ब। [ज्ञापांक 2566, दिनांक 27 फरवरी, 1956]	...	190
123.	पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपदान से सम्बन्धित प्रपत्रों को सभी विभागों/कार्यालयों में उपलब्ध रखने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या 11865, दिनांक 12-11-1974]	...	191
124.	पेंशन के लिए आवेदन-पत्र का निष्पादन और स्वीकृति में विलम्ब। [ज्ञापांक 3169, दिनांक 12 मार्च, 1953]	...	192
125.	पेंशन मामलों का त्वरित निष्पादन। [ज्ञापांक लेख/पी० 2-1028/55-8321, दिनांक 21-9-1956]	...	193
126.	पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण। [ज्ञापांक 5060, दिनांक 6-1-1969]	...	195
127.	पेंशन मामलों के शीघ्र निष्पादन में विलम्ब के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई। [ज्ञाप संख्या 5232, दिनांक 23-5-1974]	...	196
128.	पेंशन/उपदान मामलों के निष्पादन में विलम्ब। [ज्ञापांक 4728, दिनांक 2-8-1955]	...	197
129.	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ ससमय भुगतान करने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 1922, दिनांक 31-3-1992]	...	198
130.	बिहार पेंशन नियमावली के तहत् पेंशन एवं उपदान की स्वीकृति हेतु सरकार के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 1554, दिनांक 23-2-1991]	...	199
131.	पेंशन सम्बन्धी विषयों का त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 10361, दिनांक 12-9-1996]	...	199
132.	पेंशन के पुनरीक्षण समेकन के फलस्वरूप उत्पन्न विसंगति का निराकरण। [संकल्प संख्या 6230, दिनांक 23-8-1991]	...	200
133.	सेवानिवृत्ति के बाद के पति/पत्नी (Post-retiral Spouses) को पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या 9961, दिनांक 3-9-1996]	...	200
134.	31-3-1979 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों की उदारीकृत पेंशन फार्मूला का लाभ दिया जाना। [पत्र संख्या 421, दिनांक 6-3-1987]	...	201
135.	चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में पेंशनरी लाभ। [संकल्प संख्या 1976 वि०, दिनांक 17-2-1983]	...	202
136.	केन्द्र/अन्य राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा हेतु पेंशन एवं उपदान के भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण। [पत्र संख्या 1399, दिनांक 19-3-1990]	...	202
137.	वित्त विभागीय संख्या 6796/वि०, दिनांक 15-7-1975 में निहित उदारीकृत पेंशन का फार्मूला का लाभ दिनांक 1-1-1973 के पूर्व सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सुलभ कराने के सम्बन्ध में। [सं० 10731, दिनांक 18-9-1996]	...	203
138.	तिथि 31-3-1979 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों की स्लैब पद्धति से पेंशन गणना की सुविधा। [ज्ञाप सं० 392 वि०, दिनांक 4-3-1987]	...	203
139.	लापता सरकारी सेवक/पेंशनर के आश्रितों को सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति की नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण। [पत्र संख्या 1083, दिनांक 24-2-1990]	...	204
140.	सेवावधि में मृत अराजपत्रित सरकारी सेवकों के परिवारों को तुरंत राहत देने की योजना। [ज्ञापांक 14265, दिनांक 5-12-1966]	...	205

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
141.	सेवाकाल में कालकवलित होने वाले राजपत्रित सरकारी सेवकों के परिवारों को तत्काल राहत देने का प्रश्न। [ज्ञापांक 12603, दिनांक 4-9-1969]	...	206
142.	सेवाकाल में मृत्यु होने पर चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवकों के परिवारों को सहायता देने का प्रावधान। [ज्ञापांक सं० 10268, दिनांक 17-8-1976]	...	207
143.	सेवाकाल में मृत्यु होने पर चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवकों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान। [ज्ञापांक 4380, दिनांक 20-4-1977]	...	208
144.	सेवाकाल में मृत्यु होने पर चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवकों के परिवार को तीन हजार रुपये अनुग्रह अनुदान देने की सुविधा पुन: चालू करने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 10852, दिनांक 22 सितम्बर, 1981]	...	208
145.	राजकीयकृत प्राथमिक तथा मध्य विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों के पेंशन के सम्बन्ध में। [पत्रांक शि० 2348, दिनांक 26-12-1977]	...	209
146.	राजकीयकरण के फलस्वरूप सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन मामलों के सम्बन्ध में। [पत्रांक शि० 1069, दिनांक 23-6-1977]	...	211
147.	सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान के सम्बन्ध में। [पत्रांक शि० 1899, दिनांक 12-9-1978]	...	212
148.	अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भाँति भविष्य निधि, पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) एवं ग्रेच्यूटी की सुविधा देने के सम्बन्ध में। [पत्रांक शि० 4018, दिनांक 29-11-1978]	...	212
149.	अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भाँति भविष्य निधि, पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) एवं उपदान की सुविधा देने के सम्बन्ध में। [संकल्प संख्या 1775, दिनांक 30-8-1980]	...	213
150.	अराजकीय उच्च विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की भाँति पेंशन देने के सम्बन्ध में। [पत्रांक शि० 1732, दिनांक 5-8-1981]	...	215
151.	पेंशन/उपदान एवं पेंशन कम्युटेशन से सम्बन्धित निर्णय। [सं० 233, दिनांक 17-6-1996 महालेखाकार कार्यालय]	...	216
152.	शिक्षकों के सेवानिवृत्त के पश्चात् इनका पेंशन के मामले के निष्पादन के लिए पेंशन अदालतों की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार का पत्र एवं पेंशन अदालत की स्थापना। [सं० 2032 वि०, दिनांक 14-9-1996]	...	217
153.	Permanent Transfer of Government servant to Government Companies/Corporations—grant of retirement benefits. [Vide F.D. Memo No. 15445-F, dated 5-12-1962]	...	218
154.	Permanent transfer of Government servants to Government Companies/Corporation—Grant of retirement benefits. [Vide Memo No. 1950-F, dated 18-2-1974]	...	218
155.	Permanent transfer of Government servant to Government Companies/Corporations-Grant of retirement benefits. [Vide F.D. Memo No. 5190 F, dated 30-4-1976]	...	220

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
156.	सरकारी सेवकों की दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन की आदेयता के संबंध में। [ज्ञाप संख्या 10,059, दिनांक 6-9-1996]	...	221
157.	मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के प्रयोजनार्थ महँगाई भत्ते की एक भाग को महँगाई वेतन के रूप में गणना करने तथा उपादान की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने के सम्बन्ध में। [संकल्प ज्ञापांक 4159, दिनांक 5-5-1998]	...	221
158.	पेंशन सम्बन्धी विषयों का त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 8042, दिनांक 30-8-1999]	...	222
159.	चिकित्सकों के पेंशन एवं उपादान के निर्धारण की प्रक्रिया में परिवर्तन। [पत्र सं० 1252, दिनांक 10-5-1980]	...	225
160.	31-3-1979 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों को उदारीकृत पेंशन फार्मूला का लाभ दिया जाना। [पत्र संख्या 421, दिनांक 6-3-1987]	...	225
161.	फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में पेंशन/पारिवारिक पेंशन या दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से पुनरीक्षण/समेकन के फलस्वरूप दिनांक 1-4-1997 से बकाये राशि के भुगतान के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 3863, दिनांक 23-5-2000]	...	226
162.	फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से पुनरीक्षण/समेकन के फलस्वरूप दिनांक 1-4-1997 से देय बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 4547, दिनांक 8 जून, 2000]	...	226
163.	1-1-1996 के प्रभाव से पेंशन का पुनरीक्षण – बकाया भुगतान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण। [पत्र संख्या 6469, दिनांक 26 जुलाई, 2000]	...	226
164.	वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11557, दिनांक 22-12-1999 एवं संकल्प संख्या 11558, दिनांक 22-12-1999 में अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन हेतु आवेदन-पत्र दाखिल करने की समय-सीमा के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 8960, दिनांक 28-9-2000]	...	228
165.	पेंशन के दायित्वों के बँटवारा के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 806 वि० (2), दिनांक 9-2-2001]	...	228
166.	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आलोक में पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति एवं भुगतान के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 2689 वि० (2), दिनांक 25-4-2001]	...	229
167.	एल०पी०ए० 396/2000 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम देवेन्द्र कुमार मिश्रा में पारित माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश की प्रमाणित प्रति का परिचालन।	...	231
168.	पेंशन कागजातों के साथ बकाया रहित प्रमाण-पत्र संलग्न करने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 1278, दिनांक 3-3-2000]	...	234
169.	औपबन्धिक पेंशन हेतु कोडिंग प्रणाली के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 1009, दिनांक 21-2-2000]	...	235
170.	दो वर्षों से अधिक की अवधि से प्राप्त करने वाले औपबन्धिक पेंशन पर लगी रोक के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 4311, दिनांक 6-8-1998]	...	235
171.	सेवानिवृत्ति लाभों का त्वरित स्वीकृति के सम्बन्ध में। [पत्र सं० 1678, दिनांक 21 मार्च, 2001]	...	235

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
172.	अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान के निमित्त सम्बन्धित शीर्ष के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 1275, दिनांक 2 मार्च, 2001]	...	236
173.	सेवाकाल में आरम्भ की गयी विभागीय कार्रवाई को सरकारी सेवक के सेवानिवृत्त होने के बाद चालू रखने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या का०–20233, दिनांक 8-11-1978]	...	237
174.	सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रथम द्रष्टया आरोपों के सही पाने के उपरान्त उनकी सेवा सम्पुष्टि, प्रोन्नति, पेंशन इत्यादि के अवरुद्ध रहने की समय-सीमा का निर्धारण। [संकल्प संख्या का०–14933, दिनांक 7-12-1985]	...	237
175.	सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रथम द्रष्टया आरोपों के सही पाये जाने के उपरान्त उनकी सेवा सम्पुष्टि, दक्षतावरोध, प्रोन्नति, पेंशन इत्यादि के अवरुद्ध रहने की समय-सीमा का निर्धारण। [ज्ञाप संख्या का०–9146, दिनांक 12-7-1991]	...	238
176.	राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अन्तरिम राहत की स्वीकृति। [संकल्प संख्या 213, दिनांक 9-1-1998]	...	240
177.	1-1-1996 के प्रभाव से पेंशन का पुनरीक्षण-बकाया भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण। [पत्र संख्या 6469, दिनांक 26-7-2000]	...	240
178.	वर्ष, 2001 में सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या न०प्र० (ल०सिं०) अरा० स्था०–10/2001/295, दिनांक 16-2-2001]	...	241
179.	वित्त विभाग के संकल्प सं० 11557, दिनांक 22-12-1999 के अनुसार आनुपातिक पेंशन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 4209, दिनांक 21-6-2001]	...	242
180.	कर्त्तव्य के दौरान उग्रवादी हिंसा में मारे गये राज्य सरकार के सभी स्तर के पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह-अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में। [संकल्प सं० पी०सी०-7976, दिनांक 23-11-2001]	...	243
181.	पेंशनभोगियों को 100 रुपये चिकित्सा भत्ता स्वरूप देय होने के सम्बन्ध में। [ज्ञापांक 14/एम०-6-03/96 5308 (4), दिनांक 24-7-2001]	...	243
182.	राज्य सरकार के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त अनुग्रह अनुदान की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में। [पत्रांक 6761, दिनांक 27-9-2001]	...	244
183.	बिहार सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 100 (एक सौ) रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता स्वीकृति के सम्बन्ध में। [पत्रांक 912, दिनांक 16-2-2002]	...	244
184.	सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति एवं अनुश्रवण की पुनरीक्षित व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में। [सं०सं० 2426, दिनांक 22-5-2002]	...	245
185.	दिनांक 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में। [पत्रांक 297, दिनांक 31-1-2003]	...	247
186.	वित्त विभाग के संकल्प सं० 11557, दिनांक 22-12-1999 के अनुसार आनुपातिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में। [पत्र संख्या 4209, दिनांक 21-6-2001]	...	248
187.	पेंशन कागजात महालेखाकार को अग्रसारित करते समय बिना स्वास्थ्य परीक्षा के पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में। [पत्रांक 3378, दिनांक 29 जुलाई, 2002]	...	248

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
188.	पेंशन कागजात महालेखाकार को अग्रसारित करते समय बिना स्वास्थ्य परीक्षा के पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में। [पत्रांक 4483, दिनांक 25 नवम्बर, 2002]	...	250
189.	स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन का नियमित भुगतान करने के संबंध में। [संचिका संख्या 9457, दिनांक 23-11-2002]	...	250
190.	सरकारी सेवकों द्वारा बिना हिन्दी टिप्पणी प्रारूपण की परीक्षा उत्तीर्ण किए वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने तथा पेंशनादि लाभ प्राप्त करने के संबंध में। [पत्रांक 4048, दिनांक 3-6-2003]	...	251
191.	सरकारी सेवक की सेवा-निवृत्ति/मृत्यु के बाद पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों की त्वरित स्वीकृति के संबंध में। [पत्र संख्या 5411, दिनांक 19-7-2003]	...	252
192.	पब्लिक सेक्टर बैंक के माध्यम से पेंशन का भुगतान अन्य राज्यों के पेंशनरों को तथा राज्य के पेंशनरों जो उन राज्यों में निवास करते हैं उन्हें द्विपक्षीय आधार पर करने के सम्बन्ध में। [संकल्प ज्ञापांक 2710, दिनांक 15-5-1991]	...	253
193.	सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन कागजात उनकी सेवानिवृत्ति के छः माह पहले महालेखाकार को उपलब्ध कराने के संबंध में। [पत्र संख्या 4968, दिनांक 3-12-2003]	...	254
194.	कार्यभारित कर्मचारीगण को नियमितिकरण के पश्चात् उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में। [पत्रांक 1393, दिनांक 31-3-2004]	...	255
195.	पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों के त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के संबंध में। [पत्र संख्या 3089, दिनांक 23 अगस्त, 2004]	...	256
196.	पेंशन एवं अन्य-सेवान्त लाभों के त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के संबंध में। [पत्र संख्या 7267, दिनांक 6-10-2004]	...	257
197.	Copy of Government of India Ministry of Personal, P.G. and Pensions, Department of Personal and Training, No. 28/43/2004-SRS 29-3-05, dated the March, 2005	...	258
198.	पूर्व सेवा की परिगणना पेंशन प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन दिये जाने हेतु समय-सीमा का निर्धारण। [पत्र संख्या 1191, दिनांक 1-6-2005]	...	258
199.	पेंशन एवं भविष्य निधि राशि के त्वरित भुगतान हेतु दिनांक 19-2-2005 को मेगा स्पेशल लोक अदालत के आयोजन के संबंध में। [पत्र संख्या 8764, दिनांक 21-12-2004]	...	259
200.	Copy of Bihar State Legal Services Authority, Letter No. 581, dated 13th December, 2004. From, Member Secretary. To, The Commissioner, Department of Personnel, Government of Bihar, Patna/The Commissioner, Department of Finance, Government of Bihar, Patna/The Director, State Provident Fund, Bihar, Patna/ The District Provident Fund Officer, Patna/The District & Sessions Judge, Patna.	...	259
201.	राज्य के पेंशनभोगियों को दिनांक 1-1-2005 से पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई राहत का विलय मूल पेंशन में करने के संबंध में। [संकल्प संख्या 775, दिनांक 11-4-2005]	...	259

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
202.	दिनांक 1-9-2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए नयी अंशदायी पेंशन योजना। [संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31-8-2005]	...	260
203.	दिनांक 1-9-2005 या उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों पर प्रभावी नई अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में। [संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16-11-2005]	...	261
204.	पेंशन संबंधी विषयों का त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के संबंध में। [पत्र संख्या 8042, दिनांक 30-8-1999]	...	267
205.	सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के संबंध में। [संकल्प सं० 1500, दिनांक 24-3-2005]	...	268
206.	अवकाश के नकदीकरण की सीमा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन करने के संबंध में। [संकल्प सं० 1829, दिनांक 7-4-2005]	...	269
	झारखंड सरकार द्वारा निर्गत राज्यादेश		
1.	सेवा निवृत्ति के उपरान्त पेंशन प्रपत्रों के अग्रसारण के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 39, दिनांक 24-1-2003]	...	271
2.	पेंशन दायित्वों के निर्वहन एवं विभाजन हेतु वांछित सूचना के संबंध में। [पत्र संख्या 458, दिनांक 16-2-2003]	...	271
3.	सेवा निवृत्त कर्मियों के पेंशन संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के संबंध में। [पत्र संख्या 11, दिनांक 24-02-2003]	...	272
4.	पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए सरकारी निर्णयों का कार्यान्वयन 1986 से पूर्व और बाद के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशन भोगियों इत्यादि की पेंशन का संशोधन-पेंशन/कुटुम्ब पेंशन में संशोधन हेतु आवेदन जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाना। [सं० 45/86/97-पी और पी डब्ल्यू (ए) भाग-III, दिनांक 15 मार्च, 2003]	...	272
5.	झारखंड राज्य के सेवा निवृत्त कर्मियों के पेंशन संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के संबंध में। [पत्र संख्या 434, दिनांक 8-12-2003]	...	273
6.	महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त माह जनवरी एवं फरवरी, 2004 अन्तर्गत निर्गत पी०पी०ओ० सूची के सत्यापन के संबंध में। [पत्र संख्या 237, दिनांक 3-6-2004]	...	273
7.	राज्य के पेंशनभोगियों को दिनांक 1-4-2004 में मौजूदा पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई राहत का विलय मूल पेंशन में करने के संबंध में। [ज्ञापांक 280, दिनांक 14-7-2004]	...	274

अनुक्रमणिका

इस अनुक्रमणी का संकलन सिर्फ निर्देश के लिए दिया गया है । यह न समझना चाहिए कि इसमें प्रयुक्त कोई पद नियमों का किसी रूप में निर्वचन करता है ।

विषय	नियम	पृष्ठ
अ		
अंतरण —		
पेंशनी से गैर-पेंशनी स्थापना में —	109	27
सरकार के अधीन गैर-पेंशन प्रदायी सेवा में —— से अतीत सेवा न गिनी जाती है	103	25
अंतिम वेतन-प्रमाण —		
इंगलैंड में निवृत्ति पर —	228-229	99-100
अतिरिक्त पेंशन —		
पदाधिकारी, जिन्हें — दी जा सकेगी	147	43
अदक्षता —		
पचपन वर्ष से कम उम्र के पदाधिकारी के मामले में वृद्धावस्था — का कारण नहीं मानी जाएगी	126	29
—— के कारण बर्खास्त किए गए पदाधिकारी को पेंशन अनुमान्य नहीं है ।	46	10
अनिवार्य निवृत्ति —		
—— संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के अर्थ में बर्खास्तगी या सेवा से हटाया जाना नहीं है	135	41
—— के लिए औपचारिक कार्यवाहियाँ आवश्यक नहीं	135	141
अनुकम्पा-भत्ता —		
कदाचार या अदक्षता के कारण हटाए गए पदाधिकारियों को ——	46	10
अनुपात नियम —		
"——" पद की परिभाषा	36	6
अनुमोदित सेवा —		
पूरी पेंशन पाने के लिए —— आवश्यक	139	42
अनुसचिवीय (लिपिक) सेवक —		
"——" पद की परिभाषा	22	4
अनेक पदधारण —		
"——" करनेवाले पदाधिकारी की पेंशन	142-143	42-43
अपूर्णता —		
—— मंजूर करने के सिद्धान्त	106 (टिप्पणी)	26
अवर-पुलिस कर्मचारी —		
—— द्वारा प्रशिक्षण पर बिताई अवधि पेंशन के लिए गिनी जायेगी	96	24

विषय	नियम	पृष्ठ
असंयत आदत (तों) —		
—— के कारण हुई असमर्थता के कारण कोई पेंशन नहीं दी जायेगी	120	28
असमर्थता —		
आंशिक —— की दशा में पूरी पेंशन नहीं दी जाएगी	117	28
—— के लिए चिकित्सक-साक्ष्य पेश करने से यह आवश्यक नहीं कि असमर्थता-पेंशन दे दी जाए	119	28
अनियमित या संयत आदतों के कारण हुई — के लिए कोई पेंशन नहीं दी जाएगी	120	28
पदाधिकारी को, जिसने और सेवा करने के सम्बन्ध में —— प्रमाणपत्र पेश किया हो, आगे भी सेवा में रखना	122	29
असमर्थता पेंशन —		
—— प्रदान की शर्तें	116	28
पुनर्नियोजन के बाद —— चालू रहने पर बाद की पेंशन पर प्रभाव	173	57
—— के लिए स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र	125 और 128	29-30
असमर्थता के लिए चिकित्सक-साक्ष्य पेश करने से —— का दावा नहीं किया जा सकेगा	119	28
पुलिस-पदाधिकारियों की दशा में —— देने में विशेष सतर्कता रखी जायेगी	121 और 127	28-30
—— पर निवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन	161	54
छुट्टी की समाप्ति के बाद —— पर निवृत्ति	122	29
—— के लिए आवेदक की अभिलिखित उम्र चिकित्सा-पदाधिकारी को सूचित की जाएगी	124	29
—— का स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र बिना कार्यालय प्रधान या कार्याध्यक्ष के निवेदन किए नहीं पेश किया जाएगा	124	29
अस्थायी कर्त्तव्य —		
—— पर प्रतिनियुक्त स्थायी सरकारी सेवक की सेवा पेंशनप्रदायी होती है	69	17
अस्थायी पद —		
—— पर नियुक्त स्थायी सरकारी सेवक की सेवा गिनी जाती है	69	17
"——" की परिभाषा	40	7
जब —— पर की गई सेवा पेंशन के लिए गिनी जाती है	63 और 70	14-17

विषय	नियम	पृष्ठ
अस्थायी नियुक्ति —		
प्रयोगात्मक रूप से सृजित ——, जो बाद में स्थायी कर दी गई हो, पर की गई सेवा	63	14
—— पर की गई सेवा पेंशनप्रदायी नहीं है	45	10
अस्थायी सेवा —		
ऐसी स्थापना में की गई ——, जिस स्थापना का कर्त्तव्य प्रतिवर्ष किसी नियत कालावधि तक सीमित हो	62	14
—— को पेंशन के लिए गिनने की अनुमति देने की शक्ति	69	17
जब —— पेंशन के लिए गिनी जाती हो	63	14
जब परिमाप और बन्दोबस्त विभाग की —— पेंशन प्रदायी नहीं है	71	17
आ		
आघात पेंशन —		
—— की रकम	183	61
—— की अवधि	185	65
—— मंजूर करने की शक्ति	178	60
आजीवन वार्षिकी —		
—— की रकम कैसे निर्धारित की जाएगी	224	99
उपदान का —— में परिवर्तन	224-225	99
आम राजस्व —		
—— से भुगतान की जानेवाली पेंशन-प्रदायी है, यद्यपि सरकार की ओर से समूचे खर्च या उसके किसी अंश की वसूली की जाती हो	75	19
"——" पद की परिभाषा	16	4
उ		
उजरती काम —		
—— की सेवा पेंशन के लिए किसी प्रकार गिनी जाएगी	72	17
उत्तराधिकारी —		
सरकारी सेवक के —— का पेंशन के लिए दावा	47	10
भारतीय सैनिक पदाधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ के — की पेंशन वेतन में मिला दी जाएगी	171	57
उत्कृष्ट सेवा —		
दो या अधिक निचला पद-धारण करनेवाला सरकारी सेवक —— में नहीं है	51	11

विषय	नियम	पृष्ठ
अंशत: —— वाले सरकारी सेवक की पेंशन की गणना	54	11
—— और निचली सेवा के लिए पेंशन के वर्ग	167	56
निचली और —— में भेद	19 और 29	4 और 6
निचले पदनाम पर नियुक्त, पर —— में रखे गए सरकारी सेवक	52	11
निचली सेवा से —— में प्रोन्नत सरकारी सेवक	53	11
वे सरकारी सेवक, जो 35 रु० से अधिक वेतन पाने पर भी —— में नहीं हैं	52	11
"——" पद की परिभाषा	39	7
उन्मुक्ति —		
संविदा के अधीन सेवा करने वाले पदाधिकारी की ——	115	28
कर्त्तव्यों में परिवर्तन के कारण राज्य सरकार को —— की रिपोर्ट	110	27
—— या बर्खास्तगी के पहले की सेवा	102	24
उपदान —		
उन्मुक्ति की सूचना के बदले ——	114	27
पद सम्बन्धी जोखिम के कारण आहत या मारे गए पदाधिकारियों के परिवार को ——	183-185	62
—— की रकम	144 और 149	44
—— की आजीवन-वार्षिकी में परिवर्तन	224 और 225	101
पुनर्नियोजन पर —— न लौटने पर बाद की पेंशन या —— पर प्रभाव	174	57
पेंशन के बदले —— नहीं ले सकता	141	44
—— किस्तों में भुगतान योग्य नहीं है	223	101
मंजूरी की प्रत्याशा में —— का भुगतान	205	97
उन्मुक्ति की सूचना के बदले दिए गए —— की वापसी	166	56
उपदान —		
पेंशन पद के अन्तर्गत —— भी है	27	6
"——" पद की परिभाषा	27	6
जब औसत उपलब्धियों के आधार पर — दिया जा सकेगा	144	44
जब —— का भारत में भुगतान किया जाए	213	99
उपनिवेश-वारंट —		
—— किसके द्वारा निकाला जाता है	232	100

विषय	नियम	पृष्ठ
—— का तीन प्रतियों में निकाला जाना	233	100
भारत लौटने पर —— का अर्पण	235	101
एक उपनिवेश से दूसरे उपनिवेश में पेंशन के भुगतान के अंतरण के लिए ——	234 (ख)	101
उपलब्धियाँ —		
अस्थायी पद सम्बन्धी —— पेंशन के लिए गिनी जायेंगी	70	17
पेंशन के लिए गिनी जानेवाली ——		
उप-समाहर्त्ता (डिप्टी कलक्टर) और अवर-उप-समाहर्त्ता (सब-डिप्टी कलक्टर)——	151-153	45-47
—— अपनी कुल परीक्ष्यमाण, अस्थायी, स्थानापन्न और मौलिक औपबंधिक अस्थायी (सब-प्रोटेम) सेवा की गिनती पेंशन के लिए कर सकते हैं	68	17
उम्र —		
——, जब पेंशन-प्रदायी सेवा आरम्भ होगी	56 और 57	12
"——" की परिभाषा	8	3
क		
कदाचार —		
—— के कारण हटाए गए पदाधिकारी को पेंशन नदी दी जा सकेगी	46	10
—— के मामले में पेंशन रोक रखी या वापस ले ली जा सकती है	43	7
कर्त्तव्य पर वापस बुलाया जाना —		
अनिवार्य रूप से —— भारत-यात्रा पर बिताई गई अवधि गिनी जाएगी	98	24
कमीशन —		
सेवा, जिसके लिए —— से भुगतान किया जाए, पेंशन-प्रदायी न होगी	77	19
क्रमभंग —		
—— जिससे अतीत सेवा गिनी जाती है	103	25
पेंशन के लिए सेवा में —— का क्षान्त किया जाना	105	25
कार्यवाहियाँ —		
अनिवार्यत: निवृत्त करने के लिए औपचारिक —— आवश्यक नहीं	135	41
कार्याध्यक्ष या अध्यक्षालय —		
"——" पद की परिभाषा	17	4

विषय	नियम	पृष्ठ
ख		
खंड लेखक (कों) —		
—— की पेंशन के लिए उपलब्धियाँ	151, 153 और 156	45-47
पुनर्नियोजित —— की नियुक्ति पर वेतन	167	56
ग		
गहन —		
"——" पद की परिभाषा	20	4
गृह-भत्ते —		
—— से भुगतान पानेवाली सेवा	60	13
घ		
घटौती —		
स्थापना में —— होने पर उन्मुक्त किए जाने — वाले सरकारी सेवकों का चुनाव इस प्रकार हो कि क्षतिपूर्ति-पेंशन पर कम-से-कम खर्च हो	112	27
छ		
छुट्टी —		
पेंशन मंजूर करनेवाला प्राधिकारी बिना इजाजत —— को भत्ता-रहित —— में रूपान्तरित कर सकता है	104	25
निचले सरकारी सेवक की —— किसी सीमा तक पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जाएगी	95	24
भत्तों-सहित —— किसी सीमा तक पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जाएगी	90	23
छुट्टी से अधिक ठहर जाना —		
—— पेंशन के लिए सेवा में क्रमभंग नहीं	103	25
—— पेंशन के लिए नहीं गिना जाएगा	94	24
ज		
जिला उद्यान-स्थापना —		
—— की सेवा पेंशन-प्रदायी न होगी	44	8
जीवन-यापन-भत्ता —		
—— पेंशन के लिए नहीं गिना जाता	154	47
ड		
डाक बंगला-स्थापना —		
—— की सेवा पेंशन-प्रदायी नहीं है	44	8
द		
दिन —		
"——" पद की परिभाषा	11	3

विषय	नियम	पृष्ठ
दिवाला —		
—— के कारण बर्खास्त किया या हटाया जाना	46	10
दुर्घटना —		
"——" पद की परिभाषा	177	59
देहरादून कॉलेज —		
—— में वन-पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की अवधि गिनी जाएगी	96	24
द्वैध नियुक्ति —		
—— में पेंशन के लिए सेवा	45	8
दो पेंशनें —		
कोई सरकारी सेवक एक ही पद पर एक ही समय —— उपार्जित नहीं कर सकता	49	10
दो सरकारी सेवक —		
—— एक ही पद के सम्बन्ध में एक ही साथ सेवा की गणना नहीं कर सकते	49	10
न		
नगरपालिका —		
—— की सेवा पेंशन प्रदायी न होंगी	60	13
न गिना जाना —		
क्रमभंग होने की दशा में अतीत सेवा का ——	103	25
निचली सेवा के सरकारी सेवक (ों) —		
—— को सभी वर्ग की पेंशन अनुमान्य है	149 और 150	45
—— की पेंशन की रकम	148	45
दो या अधिक निचले पद धारण करनेवाला —	51	11
लगभग 30 वर्ष की सेवा कर चुकने पर — को पेंशन अमान्य नहीं होगी	148	45
35 रु० वेतन पानेवाला ——, जिसका कर्त्तव्य निचला हो	52	11
निचली सेवा के सरकारी सेवक (ों) —		
निचले पदनाम पर किसी — की नियुक्ति, किन्तु जिसका कर्त्तव्य उत्कृष्ट हो	52	11
सराहनीय सेवा करने के कारण उत्कृष्ट सेवा में प्रोन्नत —— की पेंशन	53	11
चिकित्सक द्वारा सेवा के अयोग्य प्रमाणित —— को सेवा में रखा जाना	122	29
—— की सेवा 16 वर्ष की उम्र से गिनी जाएगी	57	12
जब —— की पेंशन औसत वेतन पर जोड़ी जाए	150	45

विषय	नियम	पृष्ठ
निचली सेवा —		
"——" पद की परिभाषा	19	4
उत्कृष्ट और —— में भेद	53	11
सैनिक सेवा का —— के रूप में गिना जाना	53	11
वैसे सरकारी सेवक की पेंशन, जिसने अंशतः —— की हो	54	12
वैसे पदाधिकारी की वार्धक्य-पेंशन, जिसने अंशतः —— की हो	131	30
सीमा, जहाँ तक छुट्टी पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जाए	95	24
नियत भत्ता —		
सेवा, जिसके लिए —— से भुगतान किया जाए, पेंशन-प्रदायी नहीं होती	60	13
नियमों के निर्वचन —		
—— का अधिकार सुरक्षित	203	80
नियोजन —		
निवृत्ति के बाद वाणिज्यिक ——	175 अ	57
निवृत्ति —		
55 वर्ष की उम्र में वैकल्पिक ——	130	30
पुनर्नियोजन के अभिप्राय से —— अनुमत नहीं	157	53
—— के बाद वाणिज्यिक नियोजन	175 अ	57
—— के समय लागू नियमों द्वारा पेंशन विनियमित	4	1
निवृत्ति पेंशन —		
—— के सामान्य नियम	134	38
—— पर निवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन	161	54
प		
पचपन वर्ष की उम्र —		
लेखा-परीक्षक-पदाधिकारी —— होने की रिपोर्ट करेगा	133	35
—— से कम उम्र के पदाधिकारी का रुग्णता —— प्रमाणपत्र	126	29
—— होने पर अपनी पसन्द से निवृत्ति	130	30
पटवारी —		
पेंशन के लिए —— की सेवा	44	8
पद का उठाया जाना —		
—— (ने) से भी अतीत सेवा गिनी जाएगी	103 (घ)	25
—— (ने) पर क्षतिपूर्ति पेंशन के बदले पुनर्नियोजन स्वीकार करने वाले पदाधिकारी की पेंशन की रकम	140	42

विषय	नियम	पृष्ठ
किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति के लिए किसी पदाधिकारी की उन्मुक्ति का अर्थ —— नहीं है	108 (टिप्पणी)	26
पद का उठाया जाना —		
छुट्टी पर गए पदाधिकारी के मामले में —— छुट्टी की समाप्ति के बाद लागू होगा	144	43
—— (ने) पर उन्मुक्ति की सूचना दी जाएगी	114	27
—— (ने) पर सूचना के बदले दिए गए उपदान की वापसी	166	56
पद सम्बन्धी जोखिम —		
"——" पद की परिभाषा	177	59
पदत्याग —		
दूसरा पद-ग्रहण करने के लिए एक का ——	101	25
जब —— के कारण अतीत सेवा नहीं गिनी जाती	101	25
परिदान —		
जिन्हें क्षत और असाधारण पेंशन नियमावली के अधीन —— किए जा सकते हैं	184-185	62-66
क्षति और आघात —— की रकम	183	61
असाधारण पेंशन के अधीन —— मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	180	61
परिमाप —		
—— विभाग के निचले सेवकों की विश्रान्ति	91	23
जब —— विभाग की सेवा पेंशन-प्रदायी होती है	73	18
परिवार-पेंशन —		
क्षत और असाधारण पेंशन नियमावली के अधीन —— के प्रभावी होने की तारीख	186	66
—— की अवधि	186	66
परिकल्पित वेतन —		
"——" पद की परिभाषा	33	6
परीक्ष्यमाण —		
"——" पद की परिभाषा	34	6
परीक्षा-छुट्टी —		
—— कब पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जायेगी	92	23
पेंशन —		
—— की रकम भारतीय रुपयों में नियत होती हैं	138	42
अनियमित या असंयत आदतों के कारण हुई असमर्थता के लिए ——	120	28

विषय	नियम	पृष्ठ
नियम के अधीन अनुमान्य रकम से अधिक ——	203	80
—— संबंधी दावा सेवा से उन्मुक्त आनिवृत्त होने के समय लागू नियम द्वारा विनियमित होगा।	4	1
काम करते हुए घायल हुए सरकारी सेवकों या मारे गए पदाधिकारी के परिवारों को ——	176-187	59-66
कोई सरकारी सेवक एक ही पद पर एक ही समय दो —— उपार्जित नहीं कर सकता	49	10
किस उम्र —— प्रदायी सेवा आरम्भ होती है	56-57	12
सरकार द्वारा नियुक्ति —— प्रदायी सेवा की आवश्यक शर्त है।	60	13
—— की रकम किस प्रकार नियत होती है	136	41
कोई पदाधिकारी छुट्टी पर अनुपस्थित रहने की अवधि का —— पा सकेगा	188	70
—— किसी दीवानी न्यायालय द्वारा कुर्क नहीं की जा सकती	226	99
—— के लिए औसत उपलब्धियों का जोड़ा जाना	156	48
निकटतम आना तक —— का जोड़ा जाना	137	41
किन दशाओं में —— अनुमान्य नहीं है	45, 46, 90 और 180	8-10-23-61
—— का दावा सेवा से उन्मुक्त या निवृत्त होने के समय लागू नियम द्वारा विनियमित होगा	4	1
—— का वर्गीकरण	107	26
—— के लिए क्रमभंगों और अपूर्णताओं की शान्ति	105 और 106	25-26
—— की तारीख का प्रारम्भ	209	95
—— के लिए उप-समाहर्त्ताओं की सेवा किस तारीख से गिनी जाए	68	17
भारत के बाहर कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्ति —— के लिए गिनी जाएगी	97	24
निचले सरकारी सेवकों की छुट्टी —— प्रदायी - सेवा के रूप में किस सीमा तक गिनी जाएगी	95	24
—— के लिए उपलब्धियाँ और औसत उप-लब्धियाँ	151, 153 और 156	45, 47 और 48
उपलब्धियाँ, जो —— के लिए नहीं गिनी जातीं	154 और 156	47-48
छुट्टी —— प्रदायी-सेवा के रूप में किसी सीमा तक गिनी जाएगी	89 और 90	22-23
—— की गणना में वर्ष का भिन्नांक नहीं जोड़ा जाता	136	41

विषय	नियम	पृष्ठ
आंशिक असमर्थता के लिए पूरी —— नहीं दी जाएगी	117	28
—— के लिए सरकार के विशेष अनुग्रह की सिफारिश की सूचना सरकारी सेवक को न दी जाएगी	203	80
सरकारी सेवक, जिन्हें विशेष अतिरिक्त —— दी जा सकेगी	147	43
—— के बदले उपदान नहीं लिया जा सकता	141	42
निचली सेवा में से —— 16 वर्ष की उम्र से गिनी जाएगी	57	12
सेवा में क्रमभंग होने से —— के लिए अतीत सेवा नहीं गिनी जाती	103	25
भारतीय उच्चायुक्त को, होम ट्रेजरी से भुगताई गई —— के पुनरीक्षण की सूचना	230	100
क्षतिपूरक-भत्ते की हानि के लिए —— अनुमान्य नहीं	111	27
सैनिक सेवा का असैनिक —— के लिए गिना जाना	53	11
नई सेवा अलग —— के लिए नहीं गिनी जाती	172	57
मौलिक नियुक्ति के बिना किसी सरकारी सेवक की स्थानापन्न सेवा का —के लिए गिना जाना	64	16
किसी सरकारी सेवक की पुनःस्थापित अतीत सेवा —— के लिए गिनी जा सकेगी	102	25
राज्य सरकार नियम बना सकती है कि कौन सी सेवा —— प्रदायी न होगी	44	8
अनुमान्य रकम से अधिक —— मंजूर करने की राज्य-सरकार की शक्ति	203	80
राज्य सरकार और अन्य प्राधिकारियों की —— मंजूर करने की शक्ति	201	76
अस्थायी सेवा को —— के लिए गिनने की अनुमति देने की शक्ति	59	13
—— सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार-विमर्श	191	72
नियमों के निर्वचन और —के लिए प्रस्तावित रियायत के प्रश्न, जिनका उपबन्ध इस नियमावली में नहीं है, राज्य सरकार के पास भेज दिये जायेंगे	203	80
जब विभागीय छुट्टी —— के लिए गिनी जाएगी	91	23
—— से वसूली	43	7
असंतोषजनक सेवा की दशा में —— में कटौती	139	42

विषय	नियम	पृष्ठ
—— भोगियों का पुनर्नियोजन	153	47
पुनर्नियोजन पर उपदान या —— का लौटाया जाना ।	174	57
—— की मंजूरी का पुनरीक्षण	202	79
—— नियमावली के रूपभेदन और निर्वचन की शक्ति रक्षित होगी	203	80
नियम 5 में वर्णित सरकारी सेवकों का —— मान	144-146	43
स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र देने की तारीख के बाद —— के लिए सेवा	122	29
शिशिक्षु के रूप में सेवा —— प्रदायी नहीं है	65	16
प्रयोगात्मक रूप से सृजित किसी पद पर, जो बाद में स्थायी हो गई हो, की गई सेवा —— के लिए गिनी जाएगी	63	14
जब परीक्ष्यमान रूप में की गई सेवा —— के लिए गिनी जाएगी	66	16
स्थानीय-निधि और न्यास-निधि से भुगताई जाने वाली सेवा —— प्रदायी नहीं है	79	19
गृह भत्ते से भुगतान पानेवाली सेवा —— प्रदायी नहीं है	60	13
नियत-स्थापना-भत्ते से भुगतान पानेवाली सेवा —— प्रदायी नहीं है	60	13
सैनिक नियमावली के अधीन —— प्रदायी सेवा	87	21
स्थानीय निधि की शोध क्षमता और उसके अंश दाताओं के —— की व्यवस्था की सरकार गारंटी नहीं देती	84	20
सेवा का —— प्रदायी होना या न होना, भुगतान के स्रोत पर निर्भर करता है	74	18
मौलिक रूप से स्थायी स्थापना को कोई पद-धारण करना —— प्रदायी सेवा के लिए आवश्यक	61	13
अस्थायी सेवा का —— के लिए गिना जाना	63	14
"——" पद की परिभाषा	27	5
मुअत्तली के अधीन बिताई अवधि की ——	99-100	24
कर्तव्य पर वापस बुलाने पर यात्रा में बिताई अवधि — के लिए गिनी जाएगी	98	24
विद्यालय, महाविद्यालय आदि में प्रशिक्षण के रूप बिताई अवधि का —— के लिए गिना जाना	96	24
—— का अंतरण	219-223	97-99

विषय	नियम	पृष्ठ
दो सरकारी सेवक एक ही पद के सम्बन्ध में एक ही साथ —— के लिए सेवा की गणना नहीं कर सकते	49	11
—— के लिए सेवा का सत्यापन	196-199	73-75
जब परीक्षा छुट्टी —— के लिए गिनी जाएगी	92	23
कदाचार के लिए —— का वापस ले लिया जाना	43	7
पेंशन का भुगतान —		
मृत पेंशनभोगी के उत्तराधिकारियों को ——	47	10
मंजूरी की प्रत्याशा में ——	207-208	95
इंगलैंड में ——	228-230	99-100
उपनिवेश में ——	231-235	100-101
एक दूसरे उपनिवेश में अंतरण पर ——	234	100
—— के लिए उपनिवेश वारंट का निकाला जाना आवश्यक	232	100
—— करने के लिए प्राधिकार	232	100
—— आरम्भ होने की तारीख	209-211	95-96
इंगलैंड और भारत के बीच — का अंतरण	219-220	97
—— के परिवर्तन की दर	213	96
उपनिवेश से भारत लौटने पर —	235	100
—— की मंजूरी	221	97
पेंशन की गणना —		
—— में वर्ष का भिन्नांक नहीं जोड़ा जाता	139	42
पेंशन के लिए बकाया अंशानुदान —		
—— स्वीकार नहीं किया जा सकता	80	19
पेंशन के लिए आवेदन —		
—— के साथ उपस्थापित किए जानेवाले ब्योरे	199 (ख)	75
कालावधि, जिसके भीतर —— उपस्थापित करना चाहिए	189	70
अराजपत्रित-पदाधिकारी के —— की तैयारी	199	75
जिन अराजपत्रित-सरकारी सेवकों के लिए सेवा —— पुस्त रखी जाती है, उनके —— के निपटाव की प्रक्रिया	199 (ख)	75
औपचारिक —— का उपस्थापन	189	70
—— के पहले सेवा का सत्यापन	197	73
पेंशन नियमावली —		
कतिपय राजपत्रित सेवकों के लिए ——	5, 85, 135, 146 और 147	1, 20, 41 और 43
—— का दायरा और लागू होने की सीमा	1	1

विषय	नियम	पृष्ठ
पेंशन प्रदायी सेवा —		
—— में विशेष योग	86	20
पेंशन प्रदायी सेवा का आरम्भ —		
—— को तारीख	56-57	12
पेंशन-भुगतान-आदेश —		
—— का फारम	222	99
पुनर्नियोजन —		
क्षतिपूर्ति उपदान के बाद ——	164-165	56
क्षतिपूर्ति पेंशन के बाद ——	165	56
असमर्थता पेंशन के बाद ——	161	54
बुढ़ापा और निवृत्ति-पेंशन के बाद	161	54
वाणिज्यिक फर्म आदि में ——	175 (अ)	57
हरेक पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों का ध्यान, अध्याय 8 के उपबन्धों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए	159	54
पुनर्नियोजन –		
क्षत और असाधारण पेंशन पर —— की दशा में वेतन नियत करने में विचार न किया जाएगा	179	61
—— पर सैनिक पदाधिकारियों के असैनिक वेतन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा	170	56
—— पर क्षतिपूर्ति पेंशन लेते रहने की दशा में उसका प्रभाव	164	56
—— पर क्षतिपूर्ति या असमर्थता पेंशन पाते रहने की दशा में पेंशन पर उसका प्रभाव	173	57
—— पर उपदान का न लौटाया जाना — पर बाद को पेंशन पर प्रभाव	174	57
—— पर नई सेवा की अलग पेंशन नहीं गिनी जाती	172	57
—— पर ब्योरे का महालेखाकार के पास भेजा जाना ।	158	53
—— पर वेतन	161	54
उन्मुक्ति की सूचना के बदले मंजूर उपदान का —— के बाद लौटाया जाना	166	56
—— के विचार से निवृत्ति	157	53
ऐसे पदाधिकारी को दूसरी पेंशन, जो क्षतिपूर्ति पेंशन के बदले —— स्वीकार करें	140	42

विषय	नियम	पृष्ठ
क्षत पेंशनभोगियों का — नहीं होगा	176-187	59-66
पुनःस्थापन –		
बर्खास्तगी के बाद — का पेंशन-प्रदायी सेवा पर प्रभाव ।	102	25
—— के बाद बर्खास्त पदाधिकारी की अतीत सेवा गिनी जाएगी	101-102	25
पुलिस —		
—— जिला अधीक्षक के अनुरोध के बिना पेंशन के लिए स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा पुलिस उपाधीक्षक (डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट)—	127	30
परीक्ष्यमान —— की सेवा पेंशन के लिए गिनी जाएगी	67	17
पोद्दार —		
—— निचली सेवा के अन्तर्गत हैं	60 टिप्पणी 2	13
प्रत्याशा पेंशन	204-208	84-95
प्रथम नियुक्ति —		
"——" पद की परिभाषा	13	3
प्रशिक्षण —		
—— की अवधि को पेंशन के लिए गिनने की अनुमति देने की शक्ति	69	17
किन मामलों में अवर पुलिस कर्मचारी, शिक्षा-पदाधिकारी और वन-पदाधिकारियों के — की अवधि गिनी जायगी	96	24
प्रेस-कर्मचारी —		
—— की पेंशन के लिए औसत उपलब्धियाँ	156	48
—— की दशा में पेंशन के लिए उपलब्धियाँ किस प्रकार गिनी जाएँ	151	45
उजरती काम द्वारा भुगतान पाने वाले —— की पेंशन के लिए सेवा	72	17
फ		
फीस —		
"——" पद की परिभाषा	12	3
जिसकी सेवा के लिये —— से भुगतान किया जाय, वह पेंशन-प्रदायी नहीं होगी	77	19
ब		
बर्खास्तगी —		
—— के फलस्वरूप अतीत सेवा का न गिना जाना	101	25
—— का आदेश उलटने वाला पदाधिकारी घोषित		

विषय	नियम	पृष्ठ
कर सकता है कि अतीत सेवा गिनी जायगी	102	25
बन्दोबस्त —		
जब —— और परिमाप विभाग की सेवा में पेंशन-प्रदायी होती है	73	17
बल प्रयोग —		
"——" पद की परिभाषा	177	59
बिना इजाजत अनुपस्थिति —		
—— का भत्ता-रहित छुट्टी में रूपान्तर	104	25
बुढ़ापा-पेंशन —		
उस पदाधिकारी की —— जिसकी सेवा अंशतः निचली रही हो	54	12
बुढ़ापा-पेंशन —		
लेखा-पदाधिकारी यह सूचित करेगा कि किन पदाधिकारियों की — के लिए 55 वर्ष की उम्र हो गई है	133	35
—— पर वैकल्पिक निवृत्ति	130	30
—— पर निवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन	161	54
"——" पद की परिभाषा	129	30
भ		
भत्ता-रहित छुट्टी —		
—— पर बितायी गई अवधि पेंशन के लिये न गिनी जायेगी	93	23
भविष्य-सदाचार —		
—— पेंशन के लिये मानी हुई शर्त्त है	43	7
भारत यात्रा —		
अनिवार्य रूप से कर्त्तव्य पर वापस जाने की —— पर व्यतीत अवधि गिनी जायेगी	98	24
भू-धृति —		
—— से भुगतान पानेवाली सेवा पेंशन-प्रदायी नहीं है	78	19
म		
मार्ग में बिताई अवधि —		
—— सेवा में क्रमभंग नहीं	103	25
मास –		
—— किस प्रकार जोड़ा जायगा	23	5
"——" पद की परिभाषा	23	5
मानदेय —		
"——" पद की परिभाषा	18	4

विषय	नियम	पृष्ठ
मौलिक वेतन —		
"——" पद की परिभाषा	38	6
य		
यात्रा-भत्ता —		
—— पेंशन के लिये नहीं गिना जाता	155	47
र		
राजकीय अभिहस्तांकित —		
—— के रूप में की गई सेवा पेंशन-प्रदायी न होगी	77	19
राजपत्रित सरकारी लेखक —		
कतिपय —— के लिये पेंशन नियमावली	5, 85, 134, 146 और 147	1, 20, 38, और 43
"——" पद की परिभाषा	15	4
राजस्व परिमाण —		
—— की सेवा कब पेंशन-प्रदायी होती है	73	17
राज्य सरकार —		
—— पेंशन मंजूर कर सकेगी	201	76
"——" की परिभाषा	35	6
आघात और परिवार पेंशन के सम्बन्ध में —— की शक्ति ।	178	60
रूपान्तरण —		
पेंशन का ——	236-259	101-107
बिना इजाजत छुट्टी का भत्ता-रहित छुट्टी में —	104	25
पेंशन के —— के बाद पुनर्नियोजन पर वेतन	162-163	55-56
रोग —		
"——" पद की परिभाषा	107	26
ल		
लोक-सेवा आयोग —		
क्षत और असाधारण पेंशन नियमावली के अधीन पेंशन मंजूर करने के पहले —— के परामर्श कर लेना चाहिये	178	60
व		
वर्गीकरण —		
पेंशनों का ——	107	26
वन-पदाधिकारी —		
देहरादून कॉलेज में —— के प्रशिक्षण की अवधि पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जायेगी	96	24

विषय	नियम	पृष्ठ
वर्ष का भिन्नांक —		
पेंशन की गणना में —— नहीं जोड़ा जाता	136	41
वसू —		
पेंशन से ——	43	7
वाणिज्यिक नियोजन —		
निवृत्ति के बाद ——	171 (क)	57
वापस —		
क्षति-पूर्ति उपदान का —— किया जाना	164-166	56
क्षति-पूर्ति पेंशन का —— किया जाना	161	54
वाह्य सेवा —		
"——" पद की परिभाषा	14	4
विदेश-वेतन —		
"——" पद की परिभाषा	25	5
विविध —		
पेंशन के लिए —— का कोई दावा मान्य न होगा	48	10
विधवाओं के दावे —		
पेंशन के लिए सरकार के ——	48	10
विधि-पदाधिकारी —		
—— की सेवा, जो निजी व्यवसाय करने से वंचित नहीं होते, पेंशन-प्रदायी नहीं होगी	45	8
विशेष अतिरिक्त पेंशन —		
कतिपय नियुक्तियों में सेवा के लिए ——	147	43
सेवा, जो —— के लिए गिनी जाय	157	53
विशेष कर्त्तव्य —		
—— के आधार पर क्षतिपूर्ति पेंशन अनुमान्य नहीं है	111	27
—— पर की सेवा पेंशन-प्रदायी होती है	71	17
विशेष जोखिम —		
"——" पद की परिभाषा	177	59
विशेष योग —		
पेंशन-प्रदायी सेवा में ——	86	20
"——" पद की परिभाषा	37	6
वेतन —		
पेंशन के बाद निवृत्त व्यक्ति के पुनर्नियोजन पर ——	161	54
पुनर्नियोजन पर ——, जब पेंशन का कोई अंश रूपान्तरित करा लिया जाय	162-163	55-56
"——" पद की परिभाषा	26	5

विषय	नियम	पृष्ठ
वैयक्तिक वेतन —		
"——" पद की परिभाषा	32	6
जब —— अनुमत हो	32	6
श		
शिशिक्षु —		
—— के रूप में सेवा पेंशन-प्रदायी नहीं है	65	16
शिक्षक (ों) —		
नगरपालिका स्कूलों के —— की ओर से पेंशन के लिए अंशदान	82	20
शिक्षा-पदाधिकारी ——		
पटना ट्रेनिंग कॉलेज में — द्वारा बितायी गयी अवधि पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जायगी	96	24
शिक्षा-विभाग —		
स्थानीय बोर्डों में बदले गए — के पदाधिकारी	82	20
स		
संवर्ग —		
"——" की परिभाषा	9	3
सदाचार —		
भविष्य —— पेंशन की मानी हुई शर्त है	43	7
सरकारी वकील —		
—— की सेवा पेंशन-प्रदायी नहीं होगी	45	8
सरकारी सेवकों के परिवार —		
—— को पेंशन	48	10
सराहनीय सेवा —		
—— के कारण निचली कोटि से उत्कृष्ट कोटि में प्रोन्नत किसी पदाधिकारी का पेंशन के लिए दावा	55	12
सावधिक पद —		
"——" की परिभाषा	41	7
सेवा —		
दो सरकारी सेवक एक ही पद के सम्बन्ध में एक ही साथ —— की गणना नहीं कर सकते	49	10
सेवा पुस्त —		
जिस अराजपत्रित पदाधिकारी की —— रखी जाती हो, उसके पेंशन-आवेदन पत्र को निबटाने की प्रक्रिया	197	73

विषय	नियम	पृष्ठ
स्थानापन्न सेवा —		
जब मौलिक नियुक्ति रहित किसी पदाधिकारी की —— पेंशन के लिए गिनी जायगी	64	16
जब —— पेंशन के लिये गिनी जायगी	64	16
स्थानापन्न रूप से काम करना —		
"——" पद की परिभाषा	24	5
स्थानीय निधि —		
—— के नियोजितों की पेंशन के लिये अंशानुदान	80	19
स्थानीय निधि —		
—— से भुगतान पानेवाली सेवा-पेंशन प्रदायी न होंगे	79	19
सरकार —— को शोध-क्षमता की गारंटी नहीं देती	84	20
"——" पद की परिभाषा	21	4
किसी — को पेंशनी स्थापना का दूसरे में बदला जाना	83	20
सरकार के अधीन पेंशन-प्रदायी सेवा वाले किसी पदाधिकारी की — में बदली	81	20
—— के अधीन सेवा और सरकारी स्थापना के अधीन सेवा के बीच परस्पर बदली हो सकती है	83	20
स्थायी पद —		
"——" की परिभाषा	31	6
स्थायी सरकारी सेवक —		
"——" पद की परिभाषा	30	6
स्वास्थ्य-प्रमाण पत्र —		
यदि असमर्थता-पेंशन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 60 वर्ष हो, तो —— की जरूरत न होगी	118	28
सेवा सम्बन्धी असमर्थता — तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक आवेदक के कार्यालय का प्रधान इसके लिये पत्र न दे	124	29
असमर्थता-पेंशन के — का अभिप्रमाणित किया जाना	126	29
भारत में पेंशन के लिए आवेदन करने के — का फारम	128	30
असमर्थता के — के लिए आवेदक की उम्र चिकित्सा-पदाधिकारी को सूचित की जायगी	124	29
—— पेश करने की तारीख के बाद की सेवा पेंशन के लिये न गिनी जायगी ।	122	29

विषय	नियम	पृष्ठ
रोग सम्बन्धी मामले के विवरण के साथ असमर्थता-पेंशन के लिए — का रहना अपेक्षित है	125	29
साहाय्यित स्कूल —		
—— में बदली से अतीत सेवा न गिनी जायगी	103 (ङ)	25
—— या संस्था के पदाधिकारियों की सेवा पेंशन-प्रदायी नहीं होगी	60	13
सैनिक पदाधिकारी —		
पुनर्नियोजन पर —— के असैनिक वेतन पर सैनिक पेंशन का प्रभाव	170	56
सैनिक पेंशन —		
—— भोगी का पुनर्नियोजन	169	56
—— पाने वाले व्यक्ति का असैनिक विभाग का	169	56
सैनिक सेवा —		
असैनिक नियमावली के अधीन पेंशन के प्रयोजनार्थ —— किस प्रकार गिनी जाय	87	21
असैनिक नियमावली के अधीन सरकार —— को पेंशन के लिए गिनने की अनुमति दे सकेगी	53	11
क्ष		
क्षत और अन्य असाधारण पेंशन —		
—— के लिये आवेदन	187	66
—— मंजूर करने के समय लोक-सेवा आयोग से परामर्श ली जायगी	178	60
—— के लिये नियम	176-187	59-66
"——" नियम के पदों की परिभाषा	177	59
—— के नियम किन पर लागू होते हैं	176	59
क्षतपूर्ति उपदान —		
पदाधिकारी —— प्राप्त कर चुका हो, उसका पुनर्नियोजन	164	56
पुनर्नियोजन के बाद — की वापसी	164-165	56
क्षतिपूर्त्ति-पेंशन —		
जिस पदाधिकारी ने पुनर्नियोजन के बाद —— रख ली हो, उसकी पेंशन की गणना	173	57
—— प्रदान की शर्त्त	108-111	26-27
"——" की परिभाषा	108	26
कर्त्तव्य में परिवर्तन के कारण —— पर किसी पदाधिकारी की उन्मुक्ति	110	27
अपेक्षाकृत अधिक योग्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए —— पर किसी पदाधिकारी की उन्मुक्ति	108 (टिप्पणी)	26

विषय	नियम	पृष्ठ
क्षतिपूर्ति पेंशन-जारी —		
—— पर उन्मुक्ति इस प्रकार विनियमित की जायँ, जिससे पेंशन पर कम से कम खर्च हो	112	27
सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी हो जाने के बाद —— पर उन्मुक्ति	111	27
—— पर उन्मुक्ति के बाद पुनर्नियोजित खंड-लेखकों और मुद्रणालय कर्मचारियों के उठाये गये पदों का वेतन	167	56
जो पदाधिकारी —— के बदले पुनर्नियोजन स्वीकार करे, उसकी पेंशन	140	42
भूतपूर्व पुलिस कर्मचारियों के मामले को छोड़कर, जिनको पेंशन दस रुपये प्रतिमास से अधिक न हो, रोक रखी गई —— के बाद पुनर्नियोजन	161	54
—— के मामले में उन्मुक्ति की सूचना के बदले प्रदत्त उपदान की वापसी	166	56
पुनर्नियोजन पर —— का त्याग	168	56
—— पर उन्मुक्ति के बाद पुनर्नियोजित पदाधिकारी की सेवा जब पेंशन-प्रदायी हो जाय	168	56
क्षतिपूरक भत्ता —		
—— पेंशन के लिए नहीं गिना जाता	154	47
—— (से) की हानि के लिए पेंशन अनुमान्य नहीं है	111	27
सेवा, जिसके लिए —— दिया गया हो,पेंशन-प्रदायी नहीं होती	45	8
"——" की परिभाषा	10	3
क्षान्ति —		
पेंशन के लिये सेवा में अपूर्णता की ——	106	26
पेंशन के लिये सेवा में क्रमभंग की ——	105	25
अपूर्णता को —— मंजूर करने के सिद्धान्त	106 (टिप्पणी)	26

बिहार पेंशन नियमावली

भाग–I

अध्याय–1

सामान्य दायरा और लागू होने की सीमा

1. (क) यह नियमावली बिहार पेन्शन नियमावली कहलाएगी। इसमें बिहार सरकार के अधीन सेवा द्वारा पेंशन उपार्जित करने की शर्तें एवं उसकी गणना तथा भुगतान की रीति बतलाई गई है।

(ख) जहाँ कोई दूसरा उपबन्ध हो, वहाँ छोड़कर, यह नियमावली 20 जनवरी, 1950 से लागू होगी।

2. जहाँ कोई दूसरा उपबंध हो, वहाँ छोड़कर, यह नियमावली उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी जिन पर [1][बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता के नियम लागू हैं।]

[2][**2 (क)**–इस राज्य में निवास कर रहे अन्य राज्यों के सिविल पेंशनरों को द्विपक्षीय आधार पर इस राज्य के लिए चयनित सरकारी क्षेत्र के बैंकों से पेंशन का भुगतान निम्नांकित शर्तों के साथ प्रभावी होगा –

(क) उन्हीं सरकारी क्षेत्र के बैंकों से पेंशन का भुगतान किया जायेगा जो इस राज्य के लिये चयन किये गये हैं।

(ख) कोषागार से सरकारी क्षेत्र के बैंकों से पेंशन प्राप्त करने हेतु स्थानान्तरण की वही प्रक्रिया होगी जो इस राज्य की स्कीम में व्यवस्था है।

(ग) दूसरे राज्य के पेंशनरों को किये गये पेंशन भुगतान उसी राज्य के नाम के समक्ष दर्शाया जायेगा। परन्तु आरंभिक रूप से राशि इस राज्य के नकद अवशेष में ही डेबिट होगा।

(घ) दूसरे राज्यों के पेंशनरों को किये गये भुगतान का संकलन जिला कोषागारों से प्राप्त पेमेन्ट स्क्रौल के आधार पर महालेखाकार बिहार द्वारा किया जायगा। महालेखाकार, बिहार को इस तरह किये गये भुगतान की राशि को सम्बन्धित राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस सम्बन्ध में एक दूसरे राज्यों के बीच समंजन की वर्त्तमान प्रक्रिया लागू होगी।]

3. जब तक प्रसंग से प्रतिकूल प्रतीत न हो, बिहार, उड़ीसा सेवा-संहिता के 3, 5, 6 और 7 नियमों के उपबंध इस नियमावली पर भी आवश्यक परिवर्त्तन के साथ लागू होंगे।

[परिशिष्ट I में सौंपी गई शक्तियों और उन शक्तियों की सूची है जिनका प्रयोग अन्य सरकारी विभाग, वित्त-विभाग की सलाह लिए बिना कर सकते हैं।]

4. इस नियमावली में जहाँ कोई दूसरा उपबंध हो, वहाँ छोड़कर और बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता के नियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सरकारी सेवक का पेंशन संबंधी दावा उसके सरकारी सेवा छोड़ने, पदत्याग करने या उस (सेवा) से उन्मुक्त होने के समय लागू नियमों द्वारा विनियमित होगा।

5. (1) 86, 135, 146 और 147 नियमों के उपबंध निम्न अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं में या पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त (सैनिक पदाधिकारियों से भिन्न) केवल उन्हीं सरकारी सेवकों पर लागू होंगे, जिन्होंने –

(क) 29 अगस्त, 1919 के बाद पद-ग्रहण किये, या

(ख) जो 29 अगस्त, 1919 को सेवा में थे, किन्तु जिन्होंने सरकार की अनुमति से, लिखकर निश्चित रूप से पसन्द किया है, कि वे उन नियमों के अधीन रखे जाएँ।

टिप्पणी : 1919 में इंगलैण्ड में नियुक्त सरकारी सेवक इस नियम के प्रयोजनार्थ 29 अगस्त, 1919 को सेवा में समझे जाएँगे, यद्यपि उन्होंने उस तारीख के बाद पद-ग्रहण किया हो।

(2) राज्य सरकार अनुसूची में दी गई सूची के अन्तर्गत किसी ऐसी राजपत्रित सेवा या पद को रख सकती है जिसका काम इतना महत्वपूर्ण हो कि उसे अवर नहीं माना जा सकता।

टिप्पणी : जो सरकारी सेवक निम्न अनुसूची में उल्लिखित कोई पद मौलिक रूप से धारण न करता हो, किन्तु जो नियम 147 से संलग्न अनुसूची में के किसी पद पर कारगर सेवा के रूप में गिनी जाने वाली स्थानापन्न

---

1. अब बिहार सेवा संहिता, 1952 देखें।
2. बिहार सरकार वित्त विभाग "संकल्प" ज्ञापांक 2710 वि० (2), दिनांक 15-5-1991 द्वारा अन्तः स्थापित।

सेवा करने के कारण अतिरिक्त पेंशन का पात्र हो गया हो, वह इस नियम के फायदों का हकदार होगा, बशर्ते कि 29 अगस्त, 1919 को सेवा में स्थित सरकारी सेवकों के मामले में, उन्होंने उपर्युक्त खण्ड (1) में निर्दिष्ट नियम को निश्चित रूप से पसन्द कर लिया हो।

अनुसूची

1.	कृषि विभाग	...	बिहार कृषि सेवा। पेंशनरी सेवा में स्थित कृषि-अभियंता (इंजिनियर)।
2.	बिहार असैनिक सेवा	...	कार्यपालिका और न्यायपालिका।
3.	शिक्षा विभाग	...	बिहार शिक्षा सेवा।
4.	आबकारी विभाग	...	आबकारी अधीक्षक की पंक्ति के और उससे ऊपर के सरकारी सेवक।
5.	कारखाना विभाग	...	कारखाना-निरीक्षक, वाष्पित्र (बॉयलर्स) – निरीक्षक।
6.	वन विभाग	...	सहायक वन-संरक्षक (कंजरवेटर) पंक्ति के और उससे ऊपर के सरकारी सेवक।
7.	उद्योग विभाग	...	प्राचार्य, बिहार, इंजिनियरिंग कॉलेज।
8.	कारा विभाग	...	अधीक्षक की पंक्ति के और उससे ऊपर के सरकारी सेवक।
9.	चिकित्सा विभाग	...	असैनिक शल्य चिकित्सक, असैनिक सहायक शल्य-चिकित्सक, मेडिकल कॉलेजों के प्राध्यापक और रसायन-परीक्षक।
10.	लोक-स्वास्थ्य विभाग	...	बिहार लोक-स्वास्थ्य सेवा।
11.	पुलिस विभाग	...	उपाधीक्षक।
12.	मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग	...	अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय।
13.	लोक-निर्माण विभाग	...	बिहार अभियंत्रण (इंजिनियरिंग) सेवा।
14.	पशु-चिकित्सा विभाग	...	बिहार-पशु चिकित्सा सेवा।
15.	निबंधन विभाग	...	जिला-निबंधक की पंक्ति के और उससे ऊपर के सरकारी सेवक।

16. सचिव, बिहार लोक-सेवा आयोग।
17. उप-सचिव और अपर उप-सचिव।
18. अवर-सचिव और अपर अवर-सचिव।
19. बजट-पदाधिकारी।
20. मुख्य सचिव का निजी सहायक।
21. सचिवालय के निबंधक और अपर निबंधक।
22. उप-अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय।

[1][23. नियम 147 के अधीन अतिरिक्त पेंशन के पात्र अन्य सरकारी सेवक।

[2][24. सरकारी विमान चालक (पायलट)।

अध्याय–2

परिभाषाएँ

6. जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो, इस अध्याय में परिभाषित पद इस नियमावली में, यहाँ बताए गए अर्थ में, प्रयुक्त हुए हैं।

---

1. मद 23 मद (17) के लिए पुनः संख्यांकित और नये मद (17) से (22) तक वित्त विभागीय अधिसूचना सं० पी० 1-1014/53–12320 वि०, दिनांक 6 अक्तूबर, 1953 और शुद्धि-पत्र सं० 21, दिनांक 18 जनवरी, 1955 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं० सी०डी०आर० पृष्ठ 1058/61-16, दिनांक 3-1-1968 द्वारा अन्तःस्थापित।

7. "महालेखापाल" से तात्पर्य है भारत के महालेखा परीक्षक के अधीन लेखा-परीक्षा और लेखा-कार्यालय का प्रधान, जो राज्य का लेखा रखता है और भारत के महालेखापरीक्षक की ओर से, उन लेखाओं की परीक्षा करता है ।

[**समीक्षा :** अब ऑडिटर जेनरल का पदनाम भारत संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार बदलकर "कम्पट्रौलर और ऑडिटर जेनरल ऑफ इंडिया" कर दिया गया है ।]

टिप्पणी : इस परिभाषा के अन्तर्गत "लेखा-परीक्षा पदाधिकारी" भी है ।

8. "उम्र" जब किसी सरकारी सेवक से यह अपेक्षित हो कि कोई खास उम्र हो पर वह सेवा-निवृत्त हो जाएगा, तब जिस दिन उसकी वह उम्र हो जाए, वह दिन, दिन न माना जाएगा और वह सरकारी सेवक उस दिन से ही अवश्य निवृत्त हो जाएगा ।

राज्य सरकार के निर्णय –

1.

***विषय : सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि ।**

बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में दिए गये प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट करना है जिसके अनुसार सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की वह तिथि है जिस तिथि को सरकारी सेवक की उम्र 58 वर्ष की हो जाती है ।

2. XXXX। तद्नुसार दिनांक पहली फरवरी, 1976 से सभी सरकारी कर्मचारीगण उस माह के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवा से निवृत्त होंगे जिस माह में उनकी निवृत्ति की तिथि पड़ती है जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है ।

जन्म तिथि		58 वर्ष की आयु अथवा निवृत्ति की विहित आयु प्राप्त करने पर निवृत्ति की तिथि
(ए) माह का प्रथम दिन	...	पूर्ववर्ती माह के अन्तिम दिन का अपराह्न ।
(बी) माह की कोई अन्य तिथि	...	उस माह के अन्तिम दिन का अपराह्न ।

3. X X X X.

*[ज्ञाप संख्या पी०सी० 2-11-1-76-2226, दिनांक 19-2-1976 का उद्धरण ।]

2.

***विषय : निलम्बित सरकारी सेवकों की सेवा-निवृत्ति ।**

[देखें नियम 43 के नीचे राज्य सरकार का निर्णय संख्या 1 ।]

9. "संवर्ग" से तात्पर्य है पृथक् इकाई के रूप में मंजूर सेवा या सेवा के किसी भाग का कर्मचारी वर्ग ।

10. "क्षतिपूरक भत्ते" से तात्पर्य है व्यक्तिगत खर्च अथवा सुख-सुविधा या निजी वृत्ति की हानि, जो कर्त्तव्य- संपादन की खास परिस्थितियों के कारण हुई हो, के विचार से दिया जाने वाला भत्ता ।

इसके अन्तर्गत यात्रा-भत्ता भी है । इसके अन्तर्गत भारत से बाहर किसी स्थान को या से समुद्र द्वारा मुफ्त यात्रा की अनुज्ञा नहीं है ।

11. "दिन" से तात्पर्य है मध्य-रात्रि में आरम्भ और समाप्त होने वाला पंचांग-दिन ।

[1][**12.** "फीस" से तात्पर्य है राज्य की संचित निधि से भिन्न स्रोत से सरकारी सेवक को आवर्त्तक या अनावर्त्तक भुगतान, चाहे वह सरकारी सेवक को सीधे किया जाये या सरकार के मध्यवर्ती के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्न आय नहीं हैं –

(क) सम्पत्ति, लाभांश और प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय; तथा

(ख) साहित्यिक, सांस्कृतिक या कलात्मक कार्यों से आय, यदि ऐसे कार्यों में सरकारी सेवक द्वारा अपनी सेवा के दौरान में अर्जित ज्ञान से सहायता न मिली हो ।

13. "प्रथम नियुक्ति" के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति भी है जो उस समय सरकार के अधीन कोई पद धारण न करता हो, चाहे वह पहले ऐसा पद धारण कर चुका हो ।

1. शुद्धि पत्र सं० 47, दिनांक 13-11-1957 द्वारा प्रतिस्थापित ।

14. "बाह्य सेवा" से तात्पर्य है वह सेवा जिसमें सरकारी सेवक सरकार की मंजूरी से अपना मौलिक वेतन (क) भारत सरकार के अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्वों से भिन्न किसी स्रोत से या (ख) राज्य-रेल चलाने वाली किसी कम्पनी से पाता हो।

राज्य सरकार का निर्णय –

***विषय : बाह्य सेवा की अवधि में देय पेंशन-अंशदान।**

वित्त विभाग के संकल्प सं० 6074-एफ, दिनांक 30 अप्रैल, 1960 जिसमें पेंशन समेत कतिपय प्रयोजनों के लिए जीवन-यापन भत्ता को वेतन जैसा गणना किये जाने का राज्य सरकार का निर्णय संसूचित किया गया है, के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि क्या बाह्य सेवा स्थित सरकारी सेवक के सम्बन्ध में प्रतिलभ्य पेंशन-अंशदान के प्रयोजन के लिए जीवन-यापन भत्ता की गणना की जाए, अथवा नहीं। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि बाह्य सेवावधि में देय पेंशन-अंशदान की मासिक दर की गणना करने में जीवन-यापन भत्ता के तत्व को भी सम्मिलित किया जाए जहाँ कतिपय प्रयोजनों के लिए इसकी गणना वेतन के रूप में की जाती है। बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 16 के भाग-। में दी गई अंशदान-दर की तालिका के पुनरीक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुनरीक्षित दरें उन सरकारी सेवकों को लागू नहीं होंगी जिन्हें इस आदेश के जारी होने से पहले बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त किया गया था।

***[ज्ञाप सं० पेंशन-903/61/22210 वि०,दिनांक 31-7-1961।]**

15. "राजपत्रित सरकारी सेवक" से

(1) किसी भी राज्य-सेवा का सदस्य,

(2) कोई ऐसा पद धारण करने वाले दूसरा सरकारी सेवक जिसे राज्य-सरकार ने खास तौर से राजपत्रित पद घोषित किया हो।

16. "आम राजस्वों" के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संगृहित या प्राप्त सभी राजस्व और सार्वजनिक धन है, स्थानीय निधियों के राजस्व उनके बाहर है।

17. "कार्याध्यक्ष या अध्यक्षालय" से तात्पर्य है बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित सरकारी सेवक या कार्यालय।

18. "मानदेय" से तात्पर्य है कोई आवर्त्तक या अनावर्त्तक भुगतान जो सरकारी सेवक को आम राजस्व से कभी-कभी होने वाले विशेष कार्य के लिये पारिश्रमिक के रूप में किया जाये।

19. "निचली सेवा" से तात्पर्य है किसी तरह की सेवा जो सरकार द्वारा इस रूप में खास तौर से वर्गित हो और कोई दूसरी तरह की सेवा जिसका अधिकतम वेतन आमतौर से 35 रु० मासिक से अधिक न हो।

20. "गहन" से तात्पर्य है तुरन्त या किसी अनुपस्थिति काल या किन्हीं अनुपस्थिति कालों की समाप्ति के बाद, सावधिक पद सहित किसी स्थायी पद को, जिस पर सरकारी सेवक मौलिक रूप से नियुक्त हुआ हो, मौलिक रूप से धारण करने का सरकारी सेवक का हक।

21. "स्थानीय निधि" से तात्पर्य है–

(क) ऐसे निकायों द्वारा प्रशासित राजस्व जो विधि (कानून) या विधि सम प्रभावी नियम द्वारा सरकार के नियंत्रण के अधीन हैं, चाहे वह नियंत्रण आम तौर से कार्यवाहियों के संबंध में हो या खास विषयों के संबंध में, जैसे उनके बजट की मंजूरी, खास पद बनाने या भरने की मंजूरी अथवा छुट्टी या पेंशन संबंधी या वैसे ही अन्य नियम बनाना; तथा

(ख) किसी निकाय का राजस्व जो यथा प्रसंग भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा इन रूप में खास तौर से अधिसूचित किया जाये।

22. "अनुसचिवीय (लिपिक) सेवक" से तात्पर्य है अवर सेवा का सरकारी सेवक जिसके कर्त्तव्य पूर्णतः लिपिक हैं तथा किसी अन्य वर्ग का सेवक जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस रूप में खास तौर से परिभाषित है।

23. "मास" से तात्पर्य है पंचांग मास/मास और दिन के रूप में व्यक्त कालावधि की गणना करने में पहले पूरे पंचांग मास, हर मास की दिन संख्या पर विचार किए बिना ही, गिने जाने चाहिए और तब फुटकर दिनों की संख्या।

उदाहरण : इस प्रकार 25 जनवरी से 3 महीने 20 दिन की कालावधि की गणना करने में 3 महीना 24 अप्रैल को समाप्त समझना चाहिए और 20 दिन 14 मई को। इस तरह 30 जनवरी से 2 मार्च तक की कालावधि 1 महीना 2 दिन गिननी चाहिए। क्योंकि 30 जनवरी से (या 31 जनवरी या 1 फरवरी से) एक महीना फरवरी के अन्तिम दिन समाप्त होता है।

24. स्थानापन्न रूप से काम करना : सरकारी सेवक किसी पद पर स्थानापन्न रूप से काम करता है, जबकि वह ऐसे पद के कर्त्तव्यों का सम्पादन करता है, जिस पर किसी दूसरे व्यक्ति का गहन है। जिस रिक्त स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का गहन नहीं है, उस पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति, उस रिक्त स्थान पर मौलिक नियुक्ति करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है।

सरकारी सेवकों की नियुक्ति किसी पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए हो सकती है,यद्यपि वह वस्तुत: उसके कर्त्तव्यों का सम्पादन नहीं कर रहा हो, जैसे कि निम्नलिखित दशाओं में –

(1) जबकि वह प्रशिक्षण में रखा गया हो या किसी शिक्षा-चर्या (कोर्स) में सम्मिलित हो;

(2) जबकि उसकी बदली बाह्य सेवा में हुई हो।

25. "विदेश वेतन" से तात्पर्य है वह वेतन जो किसी सरकारी सेवक को इस विचार से दिया जाए कि वह अपने अधिवास के देश से भिन्न किसी देश में सेवा कर रहा है।

26. (क) "वेतन" से तात्पर्य है वह राशि जो सरकारी सेवक प्रतिमास निम्न रूप में पाए –

(1) विशेष वेतन या अपनी वैयक्तिक योग्यताओं के कारण दिए जाने वाले वेतन से भिन्न वह वेतन, जो उसके द्वारा मौलिक रूप से या स्थानापन्न रूप से धारित पद के लिए मंजूर किया गया है अथवा जिसका हकदार वह किसी संवर्ग में अपनी स्थिति के कारण है; तथा

(2) विदेश वेतन, विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन; तथा

(3) कोई अन्य आवर्त्तक उपलब्धि जिसे राज्य सरकार खास तौर से वेतन माने।

(ख) 1ली जुलाई, 1924 को लागू दरों से वेतन पाने वाले सैनिक पदाधिकारी की दशा में, वेतन के अन्तर्गत वह राशि भी है जो वह प्रतिमास निम्न नामों से पाता है –

(1) नियुक्ति का वेतन, निवास-भत्ता और विवाह-भत्ता; तथा

(2) पंक्ति-वेतन, कमान-वेतन, अपर वेतन, भारतीय सेना-भत्ता, निवास-भत्ता और विवाह-भत्ता।

1ली जुलाई, 1924 के पहले लागू दरों से वेतन पाने वाले सैनिक पदाधिकारी की दशा में, वेतन के अन्तर्गत वह राशि भी है, जो वह प्रतिमास निम्न नामों से पाता है –

(1) सैनिक वेतन और भत्ते, तथा स्टाफ वेतन;

(2) भारतीय सेना-वेतन और स्टाफ-वेतन; तथा

(3) समेकित (इकट्ठा) वेतन।

टिप्पणी : यदि सरकारी मुद्रणालयों का कोई उजरती कर्मचारी (पीस वर्कर) कालमान वाले किसी पद पर नियुक्त किया जाये, तो उसका "वेतन" उसकी प्रति घंटे वर्ग-दर के डेढ़ सौ गुने के बराबर समझा जायेगा।

[**समीक्षा** : बिहार पेंशन नियमावली के नियम 26 (ख) (2) के उपनियम (1), (2) और (3) के प्रख्यापन के फलस्वरूप सैनिक पदाधिकारियों के वेतनमान और भत्ता में कई महत्वपूर्ण संशोधन तथा परिवर्तन हुआ है।]

27. पेंशन के अन्तर्गत उपदान भी है।

28.[1]**विखंडित।**

---

1. विखंडित, देखें, वित्त विभागीय अधिसूचना सं० पी 1-1048/55-1106 एफ०, दिनांक 16 अगस्त, 1956; शुद्धि-पत्र सं० 32, दिनांक 19 जुलाई, 1957।

29. "पेंशनी सेवा" से तात्पर्य है वह सेवा जो उसे करने वाले सरकारी सेवक को लोक राजस्व से पेंशन पाने की योग्यता प्रदान करे ।

30. "स्थायी सरकारी सेवक" से तात्पर्य है वह सरकारी सेवक जो किसी स्थायी पद पर गहन रखता है या ऐसे पद पर गहन रखता, यदि उसका गहन निलंबित न कर दिया जाता ।

31. "स्थायी पद" से तात्पर्य है वह पद जिसमें कि एक नियत वेतन दर हो और जो बिना काल-सीमा के मंजूर हो ।

32. "वैयक्तिक वेतन" से तात्पर्य है वह वेतन जो सरकारी सेवक को –

(क) वेतन के पुनरीक्षण के कारण या अनुशासनात्मक कार्रवाई से अन्यथा मौलिक वेतन में हुई कमी के कारण सावधिक पद से भिन्न स्थायी पद के संबंध में मौलिक वेतन की हानि से बचाने के लिए, अथवा

(ख) विशेष परिस्थितियों में, अन्य वैयक्तिक विचारों से दिया जाये ।

33. "परिकल्पित वेतन" किसी खास सरकारी सेवक के प्रसंग में प्रयुक्त होने पर "किसी पद के परिकल्पित वेतन" से तात्पर्य है वह वेतन जिसका वह हकदार होता, यदि वह उस पद को मौलिक रूप से धारण करता और उसके कर्त्तव्यों का संपादन करता होता, किन्तु इसके अन्तर्गत विशेष वेतन नहीं है, जब तक कि वह सरकारी सेवक उस कार्य का सम्पादन नहीं करता हो या उस उत्तरदायित्व को नहीं निभाता हो अथवा उन अस्वास्थ्यकर स्थितियों में नहीं हो जिनके विचार से विशेष वेतन मंजूर किया गया था ।

34. "परीक्ष्यमाण" से तात्पर्य है वह सरकारी सेवक जो किसी विभाग के संवर्ग की किसी मौलिक रिक्ति में या उसके सम्मुख परीक्ष्यमाण रूप से नियोजित हो ।

टिप्पणी : इस पद में वह सरकारी सेवक सम्मिलित नहीं है जो मौलिक रूप से कोई स्थायी पद धारण करता है और केवल किसी अन्य पद पर परीक्ष्यमाण रूप से नियुक्त किया गया हो ।

35. "राज्य सरकार" से तात्पर्य है बिहार राज्य की सरकार ।

36. "अनुपात नियम" – पेंशन "अनुपात नियम" के अनुसार भारितव्य कहलाता है, जबकि भार कई लेखाओं में उस अनुपात में विकलनीय हो जिस अनुपात में सरकारी सेवक द्वारा समूचे योग्यता-प्रदायी सेवा-काल में लिए गए कुल वेतन का भुगतान उन लेखाओं से किया गया हो ।

टिप्पणी 1 : इस नियम के प्रयोजनार्थ विशेष वेतन को वेतन में ही शामिल करना चाहिए ।

टिप्पणी 2 : यदि अनुपात-नियम के अनुसार लेखे पर भारितव्य पेंशन का अंश एक रुपये से अधिक न हो, तो इस लेखे पर कोई भार न रखा जायेगा और वह अंश उस लेखे द्वारा वहन किया जाएगा जिस पर अधिकतम अंश भारितव्य हो ।

37. "विशेष वेतन" से तात्पर्य है किसी पद की या किसी सरकारी सेवक की उपलब्धियों में वेतन के ढंग का योग जो निम्न कारणों से किया जाये –

(क) कर्त्तव्यों का खास तौर से कठिन होना; अथवा

(ख) काम या उत्तरदायित्व में खास वृद्धि; अथवा

(ग) कार्य-सम्पादन के स्थान की अस्वास्थ्यकरता ।

38. "मौलिक वेतन" से तात्पर्य है विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या नियम 26 (क) (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा वेतन के रूप में वर्गित उपलब्धियों से भिन्न वेतन, जिसका कोई सरकारी सेवक, उस पद के कारण जिस पर वह मौलिक रूप से नियुक्त हुआ है या किसी संवर्ग में अपनी मौलिक स्थिति के कारण, हकदार है ।

टिप्पणी : यदि बिहार के सरकारी मुद्रणालयों का कोई उजरती कर्मचारी (पीस वर्कर) कालमान वाले किसी पद पर नियुक्त किया जाये, तो उसका "मौलिक वेतन" उसकी प्रतिघंटे वर्ग-दर के डेढ़ सौ गुने के बराबर समझा जायेगा ।

39. "उत्कृष्ट सेवा" से तात्पर्य है किसी प्रकार की सेवा जो निचली न हो ।

40. "अस्थायी पद" से तात्पर्य है वह पद जिसकी नियत वेतन दर हो और जो सीमित समय के लिए मंजूर हो।

41. "सावधिक पद" से तात्पर्य है वह स्थायी पद जो कोई सरकारी सेवक किसी सीमित कालावधि से अधिक धारण नहीं कर सकता। शंका होने पर राज्य सरकार निश्चय करेगी कि अमुक पद सावधिक है या नहीं।

अध्याय–3

पेंशन-प्रदान सम्बन्धी सामान्य उपबन्ध

प्रकरण 1 : सामान्य

42. हरेक पेंशन, अध्याय 8 में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदत्त मानी जायेगी।

[1]**43. (क) भविष्य सदाचार,** हर पेंशन-प्रदान की मानी हुई शर्त है। राज्य सरकार को पेंशन या उसके किसी अंश को रोक रखने या वापस ले लेने का अधिकार होगा, यदि पेंशन-भोगी गंभीर अपराध के लिये दोषी ठहराया जाए या घोर कदाचार का दोषी हो। इस नियम के अधीन समूची पेंशन या उसका कोई अंश रोक रखने या वापस ले लेने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम और निर्णायक होगा।

[1][**(ख) राज्य सरकार को पेंशन** या उसके किसी अंश को रोक रखने या वापस लेने का अधिकार है चाहे स्थायी रूप में या विशिष्ट अवधि के लिए। **यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से पता चले कि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा या धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक** हानि पहुँची है, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है;

परन्तु –

(क) ऐसी विभागीय कार्यवाही, यदि उस समय न चलायी गई हो जबकि सरकारी सेवक निवृत्तिपूर्व या पुनर्नियुक्ति की अवधि में कर्त्तव्यस्थ था –
   - (i) राज्य सरकार की मंजूरी के बिना न चलाई जायेगी;
   - (ii) उस घटना के सम्बन्ध में चलायी जायेगी जो विभागीय कार्यवाही चलाये जाने की तिथि से चार वर्ष से अधिक पहले घटित नहीं हुआ;
   - (iii) राज्य सरकार द्वारा निर्देशित प्राधिकार द्वारा एवं निर्धारित स्थान पर ऐसी सभी विभागीय कार्यवाहियाँ, जिनमें सेवा के बर्खास्तगी का आदेश भी दिया जा सकता है, लागू होने वाली प्रक्रिया के अनुसार चलाई जाएगी।

(ख) ऐसी न्यायिक कार्यवाहियाँ यदि सरकारी सेवक पर निवृत्तिपूर्व या पुनर्नियुक्ति के अवधि में कर्त्तव्यस्थ रहने पर नहीं चलाई गई हो तो खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) के अनुसार चलाई जायेगी।

(ग) अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की जायेगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम हेतु –

(क) विभागीय कार्यवाही उस समय चलाई गई समझी जायेगी जब पेंशनभोगी सेवक के विरुद्ध आरोपित आरोपों की प्रति उसे निर्गत कर दी गई हो या उसे पूर्व की तिथि से उस तिथि को निलम्बित कर दिया गया हो; और

(ख) न्यायिक कार्यवाही उस समय चलायी गई समझी जायेगी जब –
   - (i) आपराधिक मामलों में उस तिथि को जब परिवाद पत्र दाखिल किया गया या आरोप पत्र फौजदारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया; और
   - (ii) सिविल कार्यवाही में, उस तिथि को जब परिवाद प्रस्तुत किया गया या जैसा भी मामला हो, सिविल न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया है।

---

1. शुद्धि पत्र संख्या 73, दिनांक 10-6-1960 द्वारा प्रतिस्थापित।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

***विषय : निलंबनाधीन सरकारी सेवक के अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि पर पहुँचने के फलस्वरूप वार्धक्य-निवृत्ति ।**

बिहार सेवा संहिता के नियम 73 (एफ) में अंतर्विष्ट प्रावधानों को देखें जिनके अनुसार कदाचार के आरोप पर निलंबित सरकारी सेवकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर तब तक सेवानिवृत्त होने को आवश्यक या अनुमत नहीं किया जायेगा जब तक आरोप संबंधी जाँच पूरी नहीं हो जाती और सक्षम प्राधिकारी अन्तिम आदेश नहीं पारित कर देता; फलस्वरूप सम्बद्ध सरकारी सेवकों को वार्धक्य-निवृत्ति की आयु के बाद भी सेवा-विस्तार देकर सेवा में तब तक बनाए रखना आवश्यक है जब तक उनके विरुद्ध आरोपों की जाँच पूरी नहीं हो जाती ।

2. इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि उक्त नियम के लागू होने से सरकारी सेवकों के पेंशन दावों के निबटारे में बहुधा विलम्ब होता है और बिना समुचित औचित्य के लम्बी अवधि तक मौलिक अनुदान की अनावश्यक अदायगी भी करनी पड़ती है । इसके अतिरिक्त, यह प्रक्रिया सरकारी सेवकों को जाँच या कार्यवाहियों की समाप्ति पर यथासमय पूर्णतः दोषमुक्त हो जाने पर स्वतः सेवा विस्तार का लाभ भी प्रदान करती है ।

राज्य सरकार ने इस बात पर भली भाँति विचार कर अब निर्णय लिया है कि निलंबन पर रहने वाले सरकारी सेवक, उनके विरुद्ध आरोपों की जाँच या विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही पूरी हुई हो या नहीं के प्रश्न पर विचार किए बिना, वार्धक्य-निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त हो जायेंगे । यह भी निर्णय लिया गया है कि यह पुनरीक्षित प्रक्रिया 1ली नवम्बर, 1970 से प्रभावी होगी ।

3. सरकारी सेवक के विरुद्ध अब तक आरंभित अथवा भविष्य में आरंभ की जाने वाली जाँच या कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) में सन्निविष्ट प्रक्रिया के अनुसार सरकारी सेवा से निवृत्ति के बाद भी चला करेगी । पूर्वोक्त कंडिका 2 में लिए गए निर्णय के अनुसार सरकारी सेवा से निवृत्ति के उपरान्त ऐसे सरकारी सेवकों को पेंशन अदायगी किस प्रकार की जाएगी, इस सम्बन्ध में अनुदेश अलग से निर्गत किए जायेंगे ।

4. पूर्वोक्त कंडिका 2 में उल्लिखित निर्णय के आलोक में आवश्यक शुद्धि पत्र निर्गत करके बिहार सेवा संहिता के नियम 73 (एफ) को विलुप्त करने की कार्रवाई की जा रही है । इस बीच उक्त नियम 1ली नवम्बर, 1970 के प्रभाव से अप्रवृत्त माना जाए । ***[वित्त विभाग, ज्ञापांक 3/एफ 1-50/70-12753 वि०, दिनांक 26-11-1970 ।]**

2.

***विषय : उन सरकारी सेवकों की पेंशन-अदायगी जो निलंबन पर है या जिनके विरुद्ध विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही या जाँच अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तिथि को पूरी नहीं हुई है ।**

सरकारी सेवक जो निलंबन पर हैं या जिनके विरुद्ध विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही या जाँच अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि को पूरी नहीं हुई हो, को पेंशन स्वीकृत करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है ।

2. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि (1) जहाँ बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अधीन कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही संस्थित की गई हो वहाँ सरकारी सेवक या जहाँ पदाधिकारी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त हो गया हो, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, या अन्यथा कुछ हो, उसे उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से प्रारंभ करके उस तिथि तक जिस तिथि को वैसी कार्यवाहियों की समाप्ति पर अंतिम आदेश पारित किया गया है, उस पेंशन का, जो उसे सेवानिवृत्ति की तिथि तक अर्हता प्रदायी सेवा के आधार पर अनुमान्य हुई होती, 75% औपबन्धिक पेंशन दी जायेगी, अथवा यदि वह सेवानिवृत्ति की तिथि को निलम्बन पर था तो निलंबित किए जाने की तिथि के तुरंत पूर्ववर्ती तिथि तक (की सेवा के आधार पर) लेकिन वैसी कार्यवाही की समाप्ति और तदुपरान्त अंतिम आदेश निर्गत किए जाने तक उसे कोई उपदान (ग्रैच्युटी) या मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान नहीं दिया जायेगा ।

(2) पूर्वोक्त प्रावधान के अधीन औपबन्धिक पेंशन की अदायगी उस पदाधिकारी को, उपर्युक्त कार्यवाही की समाप्ति पर, स्वीकृत अंतिम निवृत्ति लाभों के प्रति समायोजित की जायेगी, किंतु यदि अंतिम रूप से स्वीकृत

पेंशन औपबन्धिक पेंशन से कम हो अथवा पेंशन स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कम कर दी गई हो या रोक रखी गई हो तो कोई वसूली नहीं की जायेगी।

3. जहाँ कार्यवाहियों की समाप्ति पर अंतिम पेंशन स्वीकृत की जायगी वहाँ पूर्वोक्त प्रावधान के अधीन पेंशन की स्वीकृति का बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के प्रवर्त्तन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4. ये आदेश 1ली नवम्बर, 1970 से प्रभावी होंगे सभी लम्बित मामले एतद्नुसार निबटाए जायेंगे। ***[वित्त विभागीय ज्ञापांक पी०सी० 11-40-28/74/9144 वि०, दिनांक 22-8-1974।]**

3.

***विषय : सरकारी सेवक जो निलम्बन पर हैं या जिनके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाही या जाँच अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि को समाप्त नहीं हुई है, को पेंशन की अदायगी।**

वित्त विभागीय पत्रांक पी०सी० 11-40-28/74-9144 एफ०, दिनांक 22-8-1974 जो यह उपबंधित करता है कि सरकारी सेवक को जो सेवानिवृत्त हो गया है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही संस्थित है या चल रही है, अनुमान्य पेंशन का 75% तक औपबन्धिक पेंशन दी जायेगी, में उपर्युक्त आदेशों के तहत औपबन्धिक पेंशन देना आज्ञापक है। किन्तु, कुछ प्रशासी प्राधिकारियों का यह विचार प्रतीत होता है कि वैसे मामलों में जिनमें सरकारी सेवक के विरुद्ध भारी दंड के लिए विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई हो और जिनमें कार्यवाही की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के उपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के अधीन अन्तत: उसे कोई पेंशन देय नहीं होती हो, औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृति भी नहीं दी जानी चाहिए। यह विचार उक्त नियमों के अर्थ और भाव के विपरीत है। अतएव सभी विभागाध्यक्षों, आदि से अनुरोध है कि वे अपने अधीन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों को नियमों की सही स्थिति तथा राज्य सरकार की मंशा से अवगत करा दें, ताकि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को 75% औपबन्धिक पेंशन की अदायगी से वंचित नहीं होना पड़े। ***[वित्त विभाग ज्ञापांक पी०सी०-11-40-98/ 74-11260 वि०, दिनांक 31-10-1974।]**

प्रकरण 2 : मामले, जिनमें दावे अनुमान्य नहीं हैं।

44. राज्य सरकार नियम बना सकती है कि किस श्रेणी के सरकारी सेवकों की सेवा पेंशन प्रदायी नहीं है --

(1) डाक बंगला और जिला उद्यान स्थापना की सेवा पेंशन-प्रदायी नहीं है।

(2) पटवारी या ग्राम-पदाधिकारी उपकरों (सेसों) एवं निधियों के उन्मूलन के पहले या बाद नियुक्त पटवारी की सेवा किसी ऐसे मामले में पेंशन-प्रदायी नहीं है जिसमें वह अनेक उन्मूलन के पहले पेंशन-प्रदायी नहीं थी।

45. निम्न मामलों में पेंशन के दावे अनुमान्य नहीं हैं –

(क) जबकि सरकारी सेवक किसी सीमित काल के लिए या किसी खास काम के लिये नियुक्त किया जाये, जिसकी समाप्ति के बाद वह उन्मुक्त कर दिया जायेगा।

(ख) जबकि कोई व्यक्ति विशिष्ट काल-सीमा या कर्त्तव्य के बिना अस्थायी रूप से मासिक मंजूरी पर नियोजित किया जाये।

(ग) जबकि सेवक पूरे समय के लिये लोक सेवा में न रखा जाये, बल्कि उसे केवल किये गये कार्य के लिये ही भुगतान किया जाये, जैसे सरकारी वकील और विधि-पदाधिकारी जो निजी व्यवसाय करने से वंचित नहीं होते।

(घ) जबकि कोई सरकारी सेवक कोई अन्य पेंशनी पद धारण करता हो तब वह खंड (ग) में वर्णित पद के सम्बन्ध में या वैसे कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में जिनके लिये क्षतिपूरक भत्ता मिलता है, पेंशन उपार्जित नहीं करता।

(ङ) जबकि कोई सरकारी सेवक ऐसे करार के अधीन काम करता हो जिसमें पेंशन सम्बन्धी अभिसंविदा न हो, जब तक कि राज्य सरकार उसे ऐसी सेवा को पेंशन के निमित्त गिनने के लिए खास तौर से प्राधिकृत न करे।

टिप्पणी : करार की भाषा ऐसी होनी चाहिये कि अपने विवेक से समय-समय पर नियमों को रूपभेदित करने का राज्य सरकार का आहार्य अधिकार अक्षुण्ण रक्षित रहे, ताकि करार की तारीख को यथा वर्त्तमान नियमों के लाभों का कोई दावा न किया जा सके।

प्रकरण 3 : कदाचार, दिवाला या अदक्षता ।

46. जिन सरकारी सेवकों को कदाचार, दिवाला या अदक्षता के कारण बर्खास्त कर या हटा दिया गया हो, उन्हें पेंशन न दी जा सकेगी; किन्तु यदि वे विशेष विचार के पात्र हों, तो उन्हें अनुकंपा-भत्ता दिया जा सकता है, परन्तु ऐसे सरकारी सेवक को दिया गया भत्ता, उस पेंशन की दो-तिहाई से अधिक न होगा जो स्वास्थ्य-प्रमाण पत्र पर उसके निवृत्त होने पर उसे अनुमान्य होती। (यह नियम 18 जून, 1935 से लागू हुआ।)

दण्डस्वरूप अनिवार्य निवृत्ति

[1][**46. क** : वैसे सरकारी सेवक जिन्हें दण्डस्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति करा दिया गया है को, वैसे पदाधिकारी द्वारा, जो ऐसे दण्ड अधिरोपण के हेतु सक्षम हो, दो-तिहाई पेंशन स्वीकृत किया जा सकता है जो पूर्ण अशक्तता पेंशन और विशेष अतिरिक्त पेंशन, यदि कोई हो, जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि को देय हो, से अधिक नहीं होगा;

परन्तु नियम में वर्णित वैसे सरकारी सेवक जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व 25 साल या अधिक अर्हक सेवा किये हों, उसे अशक्तता पेंशन का दो-तिहाई से कम और पूर्ण निवृत्ति पेंशन और विशेष अतिरिक्त पेंशन, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार होता यदि वह उस तिथि को सेवानिवृत्त होता, से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणी 1 : यह नियम वैसे सरकारी सेवकों पर भी लागू होता है जो नवीन पेंशन नियमावली, जिसे वित्त विभाग के संकल्प सं० पी०एफ० पी०ए०आर०-12/50' -12548 वि०, दिनांक 23-8-1950 तथा समय-समय यथासंशोधित के द्वारा निर्गत किया गया था।

टिप्पणी 2 : जब कोई सरकारी सेवक अनिवार्यत: सेवानिवृत्त कराया जाता है, लेकिन दण्डस्वरूप नहीं तो वैसे सेवक का मामला बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के साथ पठित बिहार पेंशन नियमावली के नियम 134 (ख) के अनुसार शासित होगा।

प्रकरण 4 : विधवाओं या उत्तराधिकारियों के दावे ।

47. यदि कोई सरकारी सेवक वस्तुत: निवृत्त या उन्मुक्त होने के पहले मर जाय, तो उसके उत्तराधिकारियों को उसकी पेंशन के सम्बन्ध में किसी बात का दावा न होगा।

[**समीक्षा** : विधवाओं या उत्तराधिकारियों के दावे हेतु परिशिष्ट 5 में दी गई "परिवार पेंशन एवं मृत्यु-सह-पेंशन उपदान हेतु उदार पेंशन नियमावली के सम्बन्धित उपबन्धों को देखें।]

48. (क) चूंकि हर सरकारी सेवक का कर्त्तव्य है कि वह स्वयं अपने परिवार के भरण-पोषण का प्रबंध करें, इसलिये सरकार किसी विधवा के ऐसे दावे को, जो पति की सेवाओं पर आधारित हो, मान्यता नहीं देती। फलत: सरकार को इस नियम के विरुद्ध की गई सिफारिशों को प्राय: बराबर खेद के साथ अस्वीकृत करना पड़ता है।

(ख) बहुत ही असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ऐसी सिफारिशें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनसे ऐसी आशाएँ बंधती हैं जो पूरी नहीं की जा सकती।

टिप्पणी 1 : कुछ खास मामलों को छोड़कर जिनमें असाधारण अनुग्रह न्यायसंगत हो और जो बहुत कम होते हैं; मृत सरकारी सेवक के परिवार या परिवार के किसी व्यक्ति को पेंशन-प्रदान वैसे मामलों तक सीमित है जहाँ सरकारी सेवक अपने कर्त्तव्य के संपादन में मारा जाए या उसमें लगी चोट या हुई दुर्घटना के कारण मर जाए।

टिप्पणी 2 : विशेष विचार योग्य मामलों में, दयनीय स्थिति में पड़े सरकारी सेवकों के परिवारों को अनुकंपा-निधि में से, उस निधि से उपदान का विनियमन करने वाले नियमों के अधीन, सहाय्य दिया जा सकता है (देखें परिशिष्ट 2)।

प्रकरण 5 : परिसीमन ।

49. (क) कोई सरकारी सेवक एक ही पद पर एक ही समय में या एक ही निरन्तर सेवा द्वारा दो पेंशनें उपार्जित नहीं कर सकता।

(ख) दो सरकारी सेवक एक ही पद के सम्बन्ध में एक ही साथ सेवा की गणना नहीं कर सकते।

1. ज्ञाप सं० सी०डी०आर० पेन 1034/64/9092 वि०, दिनांक 11-9-1965 द्वारा दिनांक 27-10-1957 से अन्त: स्थापित।

अध्याय–4

पेंशन-प्रदायी सेवा

प्रकरण 1 : सामान्य ।

उप-प्रकरण (1) : पेंशन-प्रदायी सेवा का वर्गीकरण – उत्कृष्ट और निचली ।

50. पेंशन-प्रदायी सेवा निचली तथा उत्कृष्ट सेवाओं में विभाजित है ।

[1][**50. क.** बिहार-उड़ीसा सेवा संहिता के परिशिष्ट 4 में उन पदों की सूचियाँ हैं जिनका वर्गीकरण खास तौर से उत्कृष्ट तथा निचले पदों के रूप में किया गया है ।

टिप्पणी : राज्य सरकार किसी पद या पद-वर्ग को, वेतन का विचार किये बिना निचली से उत्कृष्ट कोटि में बदल सकती है ।

आपवादिक मामले

51. यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे दो या अधिक पद धारण करता हो या किया हो जिनमें से हरेक पद [2][35] रु० से अधिक वेतन न होने के कारण निचला हो तो वह इस आधार पर कि उसका सम्पूर्ण वेतन[2] [35] रु० से अधिक है, अपनी सेवा की गणना उत्कृष्ट सेवा के रूप में नहीं कर सकता, जब तक कि इस अभिप्राय से वे पद व्यवस्थित और उनके वेतन निर्धारित न किये गये हों कि उन पदों को एक ही व्यक्ति धारण करेगा ।

52. (क) जब [2][35] रु० से अधिक वेतन पानेवाले किसी सरकारी सेवक के, जिसका पदनाम निचला हो, निरमित कर्त्तव्य वस्तुत: वैसे ही हो, जैसे कि साधारणत: उत्कृष्ट सरकारी सेवक के, तब उनका पेंशन का दावा खास तौर से राज्य सरकार के पास भेजा जाना चाहिए ।

टिप्पणी : इस नियम का अभिप्राय यह नहीं है कि कोई निचला सरकारी सेवक, उत्कृष्ट कार्य में स्वेच्छा से दिये गये अपने सहयोग के आधार पर अपनी सेवा की गिनती उत्कृष्ट के रूप में करें । इसमें ऐसे व्यक्ति के विषय में उपलब्ध है, जो उचित प्राधिकार के अधीन उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नियोजित हो, यद्यपि उसका पदनाम निचला हो ।

(ख) इसी तरह, ऐसा सरकारी सेवक जिसके वास्तविक कर्त्तव्य निचले सरकारी सेवक के से हों, यद्यपि वेतन [2][35] रु० से अधिक हो, केवल इस आधार पर उत्कृष्ट मान में पेंशन का हक नहीं है कि यह उत्कृष्ट पदनाम से वेतन पाता है ।

53. सेना में प्राइवेट के रूप में या किसी उच्चतर लड़ाकू-पंक्ति में की गई सेवा, जो 87 और 88 नियमों के अधीन असैनिक-पेंशन के लिए गिनी जाती हो, उत्कृष्ट सेवा मानी जायेगी, यदि उसके बाद असैनिक नियमों के अधीन पेंशनी पद पर उत्कृष्ट सेवा की गई हो दूसरे मामलों में, सैनिक सेवा, जिस पद पर सेवा की गई हो, उसके स्वरूप और असैनिक नियमों के अधीन पेंशनी पद के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती नियमों में विहित कसौटी के अनुसार उत्कृष्ट या निचली समझी जायेगी । संदिग्ध मामले राज्य सरकार के पास आदेश के लिए भेजे जाने चाहिये ।

टिप्पणी : इस नियम के आरम्भिक वाक्य में बतायी सीमित मात्रा तक छोड़, असैनिक पेंशन के लिए गिनी जा सकने वाली सैनिक सेवा का वर्गीकरण अनुवर्ती असैनिक नियोजन पर नहीं, बल्कि सैनिक-पद, जिस पर सेवा की गई थी, के स्वरूप पर निर्भर करता है । इसलिए असैनिक नियोजन के पहले की गई सैनिक सेवा का वर्गीकरण, उत्कृष्ट या निचली सेवा के रूप में, इस दृष्टिकोण से किया जायगा कि यदि असैनिक नियमों के अधीन इसी प्रकार के पेंशन पद पर सेवा की गई होती, तो वह उत्कृष्ट होती या निचली ।

असैनिक पेंशन के लिए गिनी जानेवाली सैनिक सेवा के "उत्कृष्ट" या "निचली" रूप में वर्गीकरण के निम्न सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए –

(क) सिपाही के रूप में सेवा अथवा किसी समान या उच्चतर लड़ाकू-पंक्ति में की गई सेवा 'उत्कृष्ट' समझी जानी चाहिए और अनुगामी के रूप में की गयी सेवा 'निचली' चाहे ऐसी सेवा के बाद 'उत्कृष्ट' असैनिक सेवा की गई हो या "निचली" असैनिक सेवा;

(ख) प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन किसी पद पर किसी दूसरी हैसियत से की गई सेवा, समान कर्त्तव्यों वाले किसी असैनिक पद के वर्गीकरण के अनुसार, "उत्कृष्ट" या "निचली" समझी जानी चाहिए;

---

1. शुद्धि पत्र संख्या 2, दिनांक 7-2-1951 द्वारा अन्त:स्थापित ।
2. अब 425 रुपये ।

उप-प्रकरण (2) : अंशतः निचली और अंशतः उत्कृष्ट सेवा

54. सरकारी सेवक, जिसकी सेवा कुछ समय के लिए निचली और कुछ समय के लिए उत्कृष्ट रही हो, चाहे तो –

(क) निचले मान पर पेंशन अथवा उपदान के लिए, समूची सेवा को निचली सेवा के रूप में या,

(ख) उत्कृष्ट मान पर उपदान के लिए उत्कृष्ट अंश को और निचले मान पर उपदान के लिए निचले अंश को गिन सकता है ।

(क) के अधीन पेंशन या उपदान की गणना वेतन (चाहे उत्कृष्ट सेवा में या निचली में) के आधार पर, जिसे सरकारी सेवक ने अपनी निवृत्ति के ठीक पहले प्राप्त किया हो, की जायगी ।

(ख) के अधीन उत्कृष्ट मान पर पेंशन या उपदान की गणना, क्रमशः औसत उपलब्धि या उपलब्धियों के आधार पर, जिन्हें सरकारी सेवक ने अपनी अन्तिम उत्कृष्ट सेवा में प्राप्त की हो, की जायगी और निचले मान पर पेंशन या उपदान की गणना, वेतन के आधार पर, जिसे उसने अंतिम निचली सेवा में प्राप्त किया हो, की जायगी;

परन्तु खण्ड (क) के अधीन स्वीकृत निचले मान पर पेंशन या उपदान अथवा खण्ड (ख) के अधीन स्वीकृत उत्कृष्ट मान पर पेंशन या उपदान तथा निचली मान पर उपदान उस राशि से अधिक न होगा जो, यदि कुल सेवा उत्कृष्ट रहती तो, अनुमान्य होती ।

[1] [यदि सरकारी सेवक कदाचार के कारण उत्कृष्ट श्रेणी से निचली में विच्युत कर दिया गया हो, तो वह राज्य सरकार की विशेष अनुमति के बिना इस नियम के (क) और (ख) खण्ड में अनुमान्य नामों में से बड़ा लाभ नहीं पा सकता ।]

टिप्पणी : जब किसी नियुक्ति की पेंशनी स्थिति 'निचली' से 'उत्कृष्ट' में परिवर्तित कर दी जाए, तब यह समझना चाहिए कि ऐसे परिवर्त्तन का प्रभाव भूतलक्षी होगा जबतक कि इसके प्रतिकूल कोई विशेष आदेश न हो ।

55. सराहनीय सेवा के पुरस्कार स्वरूप यदि किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति निचली कोटि से उत्कृष्ट कोटि में कर दी जाय, तो उसके दावे के सम्बन्ध में राज्य सरकार विशेष रूप से विचार करेगी इस नियम का निर्वचन कड़ाई के साथ किया जायगा और इसके अधीन दावा सामान्य क्रम के बाहर हुए असाधारण प्रोन्नति पर ही आधारित होगा ।

[**समीक्षा** : नियम 50 से 55 अब अप्रासंगिक हो गये हैं ।]

उप-प्रकरण (3) : सेवा का आरंभ ।

पेंशन-प्रदायी सेवा ।

56. जब तक विशेष नियम या संविदा द्वारा अन्यथा उपबन्धित न हो, हरेक सरकारी सेवक की सेवा, जिस पद पर वह प्रथम नियुक्त हो, उसके प्रभार-ग्रहण की तारीख से पेंशन प्रदायी होगी ।

57. निचली सेवा में नियोजित सरकारी सेवक के मामले में, पेंशन-प्रदायी सेवा तब तक आरंभ न होगी जब तक कि सम्बद्ध सरकारी सेवक 16 वर्ष (की उम्र) का न हो जाए ।

[**टिप्पणी** : परिशिष्ट 5 में उदार पेंशन नियमावली के नियम 5 देखें जिसमें इस नियम में वर्णित 16 साल के न्यूनतम उम्र को 18 साल तक बढ़ाया गया है ।]

प्रकरण 2 : पेंशन-प्रदायी सेवा की शर्त्तें ।

उप-प्रकरण (1) : सामान्य ।

58. सरकारी सेवक की सेवा तबतक पेंशन-प्रदायी नहीं होती, जबतक कि वह निम्न तीन शर्त्तें पूरी नहीं करती –

पहली – सेवा सरकार के अधीन हो ।

दूसरी – नियोजन मौलिक और स्थायी अवश्य हो ।

तीसरी – सेवा के लिये सरकार भुगतान करती हो ।

इन तीनों शर्त्तों का पूर्ण स्पष्टीकरण अनुवर्त्ती उप-प्रकरणों में किया गया है ।

1. शुद्धि पत्र संख्या 48, दिनांक 13-11-1957 ।

59. आम राजस्व से भुगतान पाने वाली सेवा के मामले में, यद्यपि (1) और (2) शर्तों में से कोई या दोनों पूरी न हों, तो भी राज्य सरकार –

(1) घोषणा कर सकती है कि अराजपत्रित हैसियत से की गई कोई विशिष्ट प्रकार की सेवा पेंशन-प्रदायी होगी;

(2) खास मामलों में, और ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें हर मामले में वह लगाना उचित समझे, निदेश दे सकती है कि सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा पेंशन-प्रदायी होगी ।

[**समीक्षा** : अस्थायी सेवा की गिनती अर्हक सेवा के रूप में करना है ।]

राज्य सरकार का निर्णय –

***विषय : असंपुष्ट सरकारी सेवक की अस्थायी सेवा को पेंशन प्रदायी सेवा घोषित करना ।**

विद्यमान पेंशन नियमावली के तहत अस्थायी सरकारी सेवक, यदि वह किसी पद पर संपुष्ट नहीं हुआ हो, तबतक पेंशन का हकदार नहीं होगा जबतक बिहार पेंशन नियमावली के नियम 59 के अधीन उसकी सेवा पेंशन प्रदायी नहीं घोषित कर दी जाए ।

2. अस्थायी सरकारी सेवकों की एक बहुत बड़ी संख्या उन विभिन्न योजनाओं में नियुक्त है जो पिछले 15-20 वर्षों से चल रही हैं, और यदि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी तो उन्हें कठिनाई होगी ।

3.अत:भली-भाँति सोच विचार के उपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि अस्थायी या स्थानापन्न सरकारी सेवक, जो किसी पद पर संपुष्ट नहीं है, की सेवा निरंतर है और 15 वर्षों से अधिक है तो वह सेवा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 59 के अधीन पेंशन प्रदायी मानी जायेगी ।

4. ये आदेश 12 अगस्त, 1969 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों पर प्रभावी होंगे ।

***[ज्ञापांक पेंशन 1024/69/11779 वि०,दिनांक 12-8-1969 ।]**

उप-प्रकरण (2) : पहली शर्त्त – सरकार के अधीन सेवा ।

60. सरकारी सेवक की सेवा तब तक पेंशन-प्रदायी नहीं होती, जब तक वह नियुक्त नहीं हो जाता और उसके कर्त्तव्य और वेतन सरकार द्वारा या सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन विनियमित नहीं होते । इस नियम के कारण, उदाहरणार्थ, निम्न सरकारी सेवक पेंशन नहीं पा सकते –

(1) नगरपालिका-कर्मचारी,

(2) सहाय्य-अनुदान पाने वाले स्कूलों और संस्थाओं के कर्मचारी-वृन्द,

(3) राज्यपाल के गृह-भत्ते या उनके नियत स्थापना-भत्ते से भुगतान पाने वाली स्थापना में सेवा ।

टिप्पणी 1 : यदि किसी सरकारी सेवक ने अंशत: (ऐसी हैसियत में जिससे पेंशन के लिए उसका दावा हो जाता यदि उस सेवा के लिए आम राजस्व से भुगतान होता) राज्यपाल की गृह-स्थापना में और अंशत: आम राजस्व से भुगतान पाने वाली स्थापना में सेवा की हो, तो वह उस पेंशन का जिसका वह हकदार होता यदि उसकी समूची सेवा के लिए आम राजस्व से भुगतान हुआ होता, उतना अंश आमराजस्व से पाने का हकदार है, जितना आम राजस्व से भुगतान सेवाकाल का अनुपाती हो ।

उदाहरण : 'क' नामक एक संदेशवाहक ने 8 रुपया प्रतिमास के वेतन पर कुल 32वर्षों तक सेवा की है, जिसमें से उसने 16 वर्ष राज्यपाल की गृह-स्थापना में सेवा की है । यदि 'क' की समूची सेवा के लिये आम राजस्व से भुगतान किया गया होता तो वह अधिक-से-अधिक 4 रुपये प्रतिमास पेंशन का हकदार होता । उसे आम राजस्व से अधिकतम 2 रुपया प्रतिमास पेंशन मिलेगी ।

टिप्पणी 2 : पोद्धारों को बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता में उनके वर्तमान वर्गीकरण के अनुसार निचले मान पर पेंशन मिलती है ।

उप-प्रकरण (3) : दूसरी शर्त्त – मौलिक और स्थायी नियोजन ।

(i) सामान्य

61. सेवा पेंशन-प्रदायी तबतक नहीं होती जबतक कि सरकारी सेवक स्थायी स्थापना का कोई पद मौलिक रूप से धारण नहीं करता ।

राज्य सरकार का निर्णय –

***विषय : पेंशन के लिए अस्थायी सेवा की गणना ।**

अब यह निर्णय लिया गया है कि निम्नांकित को छोड़कर राज्य सरकार के अधीन अस्थायी या स्थानापन्न सेवा, जिसकी परिणति (सेवक को) उसी पद या किसी अन्य पद पर स्थायी करती हो, पूरी-की-पूरी पेंशन के लिए गणित की जायेगी –

(1) गैर-पेंशन प्रदायी प्रतिष्ठान में अस्थायी सेवा की अवधि, और

(2) आकस्मिकताओं से संदत्त सेवा की अवधि ।

पेंशन के लिए पूरी-की-पूरी स्थानापन्न या अस्थायी सेवा की गणना करने की रियायत उन सरकारी सेवकों को उपलभ्य होगी जो प्राचीन पेंशन नियमावली या उदारीकृत पेंशन नियमावली से शासित होते हैं ।

***[अधिसूचना संख्या 12928 वि०, दिनांक 4-9-1962 । यह 1-8-1962 से प्रभावी है ।]**

62. जिस स्थापना के कर्त्तव्य निरन्तर नहीं हो, बल्कि प्रतिवर्ष किसी नियत कालावधि तक सीमित हो, वह अस्थायी स्थापना नहीं है । ऐसी स्थापना में की गयी सेवा, जिसमें वह कालावधि भी सम्मिलित है जबकि कर्मचारी-वर्ग नियोजित नहीं रहता, पेंशन-प्रदायी है; किन्तु उस कालावधि को, जबकि कर्मचारी-वर्ग नियोजित नहीं रहता, पेंशन-प्रदायी है; किन्तु उस कालावधि को, जबकि कर्मचारी-वर्ग नियोजित नहीं रहता, सेवा के रूप में गिनने की रियायत उस सरकारी सेवक पर लागू नहीं होती, जो काम पूरा हो जाने के बाद जब कर्मचारी वर्ग को उन्मुक्त किया गया था, वास्तविक कर्त्तव्य पर नहीं था और न उस सरकारी सेवक पर लागू होती है, जो कर्मचारीवर्ग के पुनर्नियोजन के प्रथम दिन वास्तविक कर्त्तव्य पर नहीं था ।

63. अस्थायी से स्थायी पद पर बदला गया सरकारी सेवक अस्थायी पद पर की गयी सेवा को गिन सकता है, यदि पहले प्रयोगात्मक या अस्थायी रूप से सृजित होने पर भी वह पद बाद में स्थायी हो जाए ।

टिप्पणी : इस नियम से यह ध्वनित होता है कि जब किसी संवर्ग से असम्बद्ध कोई पृथक पद जो पहले अस्थायी या प्रयोगात्मक रूप से मंजूर हुआ हो, बाद में स्थायी कर दिया जाये, तब उस पद पर सरकारी सेवक या सेवकों की समूची अस्थायी सेवा पेंशन के लिए गिनी जायेगी । बशर्ते कि ऐसा सरकारी सेवक या सेवकगण बाद में मौलिक रूप से स्थायी पद पर नियुक्त कर लिये जायें । यह रियायत केवल उन्हीं सरकारी सेवकों को अनुमान्य है जो स्थायी पद पर गहन रखे बिना, मौलिक या स्थानापन्न रूप से अस्थायी सेवा करते हों और उस सरकारी सेवक के लिए भी अनुमान्य है जो अस्थायी पद को, उस (पद) के स्थायी बना दिये जाने पर, धारण नहीं करता ।

किसी खास वर्ग के मामलों में इस नियम को अक्षरश: लागू करने से जो असंगति उत्पन्न हो सकती है, उसे दूर करने के लिए ऐसे मामलों में इस नियम को लागू करने में निम्न सिद्धान्त का पालन करना चाहिये –

(1) एक ही तरह के पदों के स्थायी संवर्ग को अनुपूरित करने वाले और समान कर्त्तव्य वाले अस्थायी पद के धारी के बारे में यह मानना चाहिये कि उसने अस्थायी पद पर सेवा की है यद्यपि वह वस्तुत: ऐसे काम पर नियोजित था जो उचित रूप से उस संवर्ग में स्थायी पद से सम्बन्धित था ।

(2) ऊपर (1) यथा उल्लिखित स्थायी संवर्ग को अनुपूरित करने वाले अनेक अस्थायी पदों में से कुछ पद जब स्थायी बना दिये जायें और इन पदों पर स्थायी प्रोन्नति वरीयता के अनुसार या चुनाव से की जाये, तो वस्तुत: इस प्रकार प्रोन्नत सरकारी सेवक उन अस्थायी पदों के धारी समझे जाएँ जो स्थायी कर दिये गये हैं और वे उन पदों पर की गई अपनी अस्थायी सेवा को पेंशन के लिये गिन सकते हैं ।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

***विषय : भारत सरकार के अधीन की गई अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में पेंशन विषयक दायित्व का आवंटन ।**

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय ज्ञापांक पेंशन 1018/64-970 वि०, दिनांक 24 सितम्बर, 1965 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिए हैं –

2. इस राज्य को प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले अस्थायी केन्द्रीय सरकारी सेवकों को, राज्य सरकार के अधीन अंतर्लीन कर लिए जाने पर, राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमान्य पेंशन-लाभों के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन निरंतर अस्थायी सेवा की अवधि की गणना करने की अनुमति दी जायेगी। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच पेंशन विषयक दायित्व का बँटवारा प्रत्येक सरकार के अधीन की गई अर्हता प्रदायी सेवा की अवधि के आधार पर किया जायेगा । यह लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जो स्वेच्छा से विज्ञापनों या परिपत्रों, जिनमें बिहार राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन और परिपत्र भी सम्मिलित हैं, के अनुपालन में राज्य में नौकरी प्राप्त करेंगे ।

3. भारत सरकार ने राज्य सरकार के उन अस्थायी कर्मचारियों को भी पारस्परिक आधार पर समान लाभ प्रदान करने की अनुमति प्रदान की है जो केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं और अंततोगत्वा उसमें अन्तर्लिप्त हो जाते हैं ।

4. सभी लम्बित मामले एवं एतद्पश्चात् उद्भूत मामले एतद्नुसार निष्पादित किए जा सकेंगे । ***[ज्ञापांक पेंशन–1055/68/1341 वि०, दिनांक 21-1-1969 ।]**

2.

***विषय : भारत सरकार के अधीन की गई अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में पेंशन विषयक् दायित्व का आवंटन ।**

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग में ज्ञापांक पेंशन – 1055/68/1341 एफ०, दिनांक 21 जनवरी, 1969 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उसकी कंडिका 2 के प्रावधान के अनुसार राज्य के पास प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले केन्द्रीय सरकार के अस्थायी सेवकों को राज्य सरकार के अधीन अंतर्लीन हो जाने पर राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमान्य पेंशन विषयक लाभों के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार के अधीन निरंतर अस्थायी सेवा की अवधि की गणना करने की अनुमति प्रदान की जायेगी । यह लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जो स्वेच्छा से राज्य सरकार के अधीन नौकरी प्राप्त कर लेंगे; इसलिए सम्बद्ध सरकारी सेवक की सेवा को राज्य सरकार के अधीन सेवा में विलय के समय इस आशय की स्पष्ट प्रविष्टि सम्बद्ध सरकारी सेवक के सेवा-पत्रक/सेवा-पुस्तिका में अनिवार्यतः करनी होगी कि राज्य सरकार के अधीन सेवा में विलय लोकहित में है या नहीं और राज्य सरकार के अधीन सेवा में विलय के पूर्व की उनकी केन्द्र सरकार के अधीन निरंतर सेवा पेंशन प्रदायी है या नहीं, ताकि सेवानिवृत्ति के समय ऐसी सूचना के अभाव में उसकी पेंशन के अंतिम निबटारे में विलम्ब न हो ।

***[ज्ञापांक पेंशन 1025/69/5-87 वि०, दिनांक 6-8-1969 ।]**

3.

सं० 3 (2) पेंशन (ए)/79

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1982

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के सचिव,

वित्त विभाग ।

(जम्मू-कश्मीर तथा नागालैंड सरकारों को छोड़कर)

विषय : भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधीन अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में पेंशन विषयक दायित्व का आवंटन ।

निदेशानुसार मुझे कहना है कि भारत सरकार, राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके, उन अस्थायी कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेंशन विषयक आनुपातिक दायित्व का पारस्परिक आधार पर अंशप्राप्ति के सम्बन्ध में विचार करती रही है जो स्वेच्छा से विज्ञापनों या परिपत्रों, जिनमें राज्य/संघ लोक सेवा आयोगों के विज्ञापन और परिपत्र भी हैं, के अनुपालन में विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार के अधीन नौकरी प्राप्त करने के पूर्व केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के अधीन अस्थायी सेवा करते रहे थे और जो अन्ततोगत्वा अपने नये पदों पर सम्पुष्ट कर

लिए गए। राज्य सरकारों के परामर्श से अब निर्णय लिया गया है कि चूँकि सम्बन्धित सरकार के नियमों के अधीन केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अधीन की गई अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में वैसी सेवावधि के लिए पेंशन विषयक आनुपातिक दायित्व का आवंटन सम्बद्ध सरकारों का बनता है जहाँ कर्मचारी पेंशन प्रदायी अर्हता प्राप्त किया होता, इसलिए कर्मचारी के लिए उस सरकार द्वारा पेंशन की स्वीकृति प्रदान करने में, जहाँ से वह अन्ततः सेवानिवृत्त होगा, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन की गई अर्हता प्रदायी सेवा की गणना पेंशन के लिए की जायेगी। तथापि, सरकारी कर्मचारी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन की गई अस्थायी सेवा के लिए लिया गया उपदान (ग्रैच्युटी) सम्बन्धित सरकार को लौटा देना होगा।

2. उपर्युक्त निर्णय की शर्तों के तहत संयुक्त सेवा के लाभ का दावा करने वाले सरकारी सेवक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आयेंगे –

(1) जिन्होंने केन्द्र/राज्य सरकार की सेवा से छंटनीग्रस्त होकर स्वेच्छा से राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन नियोजन प्राप्त किया है। छंटनी की तिथि और नया नियोजन की तिथि के बीच व्यवधान-सहित या व्यवधान रहित।

(2) जिन्होंने केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अस्थायी पद धारण करते हुए उचित माध्यम से/सम्बद्ध प्रशासी प्राधिकारी की समुचित अनुमति से राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन पद के लिए आवेदन किया है;

(3) जिन्होंने केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अस्थायी पद धारण करते हुए बिना सम्बद्ध प्रशासी प्राधिकारी की अनुमति के राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन पद के लिए सीधे आवेदन किया है और राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन नया नियोजन पर योगदान करने के लिए अपना पूर्ववर्ती पद त्याग दिया है।

ऊपर की श्रेणी (1) और (2) के सरकारी सेवकों को लाभ दिया जा सकेगा। जहाँ श्रेणी (2) के कर्मचारी के लिए प्रशासी कारणवश तकनीकी अपेक्षा के समाधानार्थ नया नियोजन पर योगदान करने से पहले उसके द्वारा धारित अस्थायी पद का त्याग कर देना आवश्यक होगा वहाँ उसके पदत्याग को स्वीकार करने वाला प्राधिकारी इस आशय का प्रमाणपत्र निर्गत करेंगे कि प्रशासनिक कारणवश और/या तकनीकी अपेक्षा से समाधानार्थ नया पद पर योगदान करने के लिए त्यागपत्र दिया गया है। कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में उचित अभिप्रमाणन सहित उस प्रमाणपत्र का एक अभिलेख भी रखा जा सकेगा, ताकि सेवानिवृत्ति के समय उसे इसका लाभ देने में वह सहायक हो। स्पष्ट है श्रेणी (3) के सरकारी सेवक पेंशन के लिए अपनी पूर्ववर्ती सेवा की गणना करने के हकदार नहीं होंगे।

3. उपर्युक्त व्यवस्था भारत सरकार के कर्मचारियों, जम्मू-काश्मीर और नागालैंड को लागू नहीं होगी।

4. ये आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे और उस तिथि को तथा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सभी सरकारी सेवकों के मामले तद्नुसार विनियमित किये जायेंगे।

5. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये अनुदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के परामर्श से निर्गत किये गए हैं।]

64. मौलिक नियुक्ति रहित सरकारी सेवक जो किसी ऐसे पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहा हो जो रिक्त हो या जिसका स्थायी धारी वेतन का कोई अंश न पाता हो या सेवा न गिनता हो, यदि अपनी सेवा में भंग के बिना संपुष्ट हो जाए तो, अपनी स्थानापन्न सेवा पेंशन के लिए गिन सकता है।

(ii) शिशिक्षु और परीक्ष्यमाण।

65. शिशिक्षु के रूप में सेवा पेंशन-प्रदायी नहीं है।

66. जो परीक्ष्यमाण स्थायी पद धारण करता हो और मौलिक वेतन पाता हो, उसकी सेवा पेंशन-प्रदायी है। इसी तरह उस सरकारी सेवक की सेवा भी पेंशन-प्रदायी है जो किसी स्थायी पद पर परीक्ष्यमाण हों, यदि वह परीक्षण-काल तक अपने लिये रक्षित किसी रिक्त पद पर जिस पर कोई अन्य सरकारी सेवक साथ ही अपनी सेवा की गिनती न करता हो, नियोजित हो।

राज्य सरकार का निर्णय –

***विषय : परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा की पेंशन हेतु गणना।**

परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा या सरकारी सेवक जो परिवीक्षा पर हो पूरी सेवा की गिनती पेंशन हेतु की

जायेगी यदि वह स्थायी पद पर संपुष्ट हो जाता है । *[वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पेन—103/63/29 वि०, दिनांक 14-1-1964 ।]

67. पुलिस उपाधीक्षक (डिप्टी सुपरिनटेंडेंट) द्वारा परीक्ष्यमाण रूप से बिताई अवधि पेंशन सेवा के रूप में गिनी जायेगी ।

68. उप-समाहर्त्ता (डिप्टी कलक्टर) और अवर-उप-समाहर्त्ता (सब-डिप्टी कलक्टर) अपनी कुल परीक्ष्यमाण अस्थायी, स्थानापन्न और मौलिक औपबंधिक अस्थायी (सब-प्रोटेम) सेवा की गिनती पेंशन के लिये कर सकते हैं ।

(iii) अस्थायी पद पर काम करने के लिये स्थायी सरकारी सेवक का नियोजन ।

69. यदि स्थायी स्थापना का सरकारी सेवक अस्थायी पद पर काम करने के लिये इस शर्त्त पर नियोजित हो कि अस्थायी काम समाप्त हो जाने पर वह स्थायी स्थापना में लौट आयेगा, तो उसकी नियोजित सेवा पेंशन के लिये गिनी जायेगी ।

टिप्पणी : इस नियम द्वारा पेंशन-प्रदायी सेवा की दूसरी शर्त्त का अस्थायी निलंबन अनुमत है; यह (नियम 58 का) पहली शर्त्त या तीसरी शर्त्त का शैथिल्य प्राधिकृत नहीं करता और खासकर यह कभी न समझना चाहिये कि यह बाह्य-सेवा युक्त सरकारी सेवकों पर लागू होने वाले नियमों में कोई परिवर्त्तन लाता है ।

70. जब कोई अस्थायी पद प्रथमत: या खण्डश: कम-से-कम तीन वर्ष के लिये सृजित किया जाए और उस पद को स्थायी स्थापना का कोई सरकारी सेवक धारण करे, तब राज्य सरकार, यदि न्यायोचित समझे तो किसी भी समय घोषित कर सकती है कि अस्थायी पद से संबद्ध सेवा और उपलब्धियों की गिनती पेंशन के लिए की जाएगी ।

[1][**टिप्पणी 1 :** स्थायी स्थापना के सरकारी सेवक द्वारा धारित अस्थायी पद से सम्बद्ध छुट्टी की अवधि की उपलब्धियाँ पेंशन के लिए गिनी जाएँगी, यदि स्थायी स्थापना का सरकारी सेवक मौलिक रूप से अस्थायी पद धारण करता हो, और उसके पक्ष में नियम 70 के अधीन राज्य सरकार ने घोषणा की हो ।]

टिप्पणी : 2 यदि स्थायी स्थापना का कोई सरकारी सेवक कोई ऐसा पद धारण करता हो, जिसे बाद में स्थायी कर दिया जाए, तो उसकी अस्थायी पद की उपलब्धियाँ पेंशन के लिए गिनी जायेंगी, बशर्त्ते कि सरकार नियम 70 के अधीन उसके पक्ष में इस आशय की घोषणा कर दे ।]

(iv) विशेष कर्त्तव्य से प्रतिनियुक्ति और स्थायी पद का तोड़ा जाना ।

71. यदि मौलिक रूप से सरकारी सेवक द्वारा धारित किसी स्थायी पद को नियम 108 के अर्थ में तोड़ दिया जाये, किन्तु यदि सरकारी सेवक उस समय विशेष कर्त्तव्य पर हो या अपने पद के तोड़े जाने के बाद विशेष कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाए, तो विशेष कर्त्तव्य पर की उसकी सेवा पेंशन-प्रदायी होगी, किन्तु कर्त्तव्य विशेष अवश्य हो; केवल स्थायी नियोजन के क्रम में उस समय रिक्त किसी अस्थायी पद पर नियोजन ही से पेंशन का हक न होगा ।

(v) उजरती काम ।

72. कोई प्रेस कर्मचारी, जो अपने उजरती काम के लिये भुगतान पाता हो, स्थायी-पद का धारी समझा जायेगा, यदि --

(1) वह आकस्मिक रूप से नहीं, बल्कि नियत स्थापना के सदस्य के रूप में नियोजित हो; और

(2) वह अपने वास्तविक नियोजन के पिछले 72 महीनों की कालावधि में एक पद से 24 महीनों तक अविच्छिन्न रूप में संलग्न रहा हो या इस प्रकार संलग्न न रखे जाने का कारण उसकी अपनी इच्छा या कदाचार न हो ।

(vi) परिमाप और बन्दोबस्त ।

73. परिमाप और बन्दोबस्त-विभाग में सेवा की गिनती तबतक की जायेगी, जबतक इसके बाद बिना विच्छेद के पेंशन-प्रदायी सेवा जारी न रही हो ।

1. वित्त विभाग अधिसूचना सं० सी०डी०आर०-506/51-666 एफ०आर०, दिनांक 7 अगस्त, 1959; शुद्धि-पत्र सं० 70, दिनांक 27 मई, 1950 ।

टिप्पणी : उप-समाहर्त्ता और इसी प्रकार के अन्य राजपत्रित सरकारी सेवक, जब अस्थायी काम के लिये खास तौर से नियोजित न हों, इस नियम से प्रभावित न होंगे, क्योंकि तत्काल जिस विभाग विशेष से वे संलग्न रहते हैं, उस पर विचार न कर स्वतंत्र रूप से उनकी सेवा की गिनती की जाती है ।

भारत सरकार का निर्णय –

1.

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के नियम 73 के अन्तर्गत सर्वे एण्ड सेट्लमेंट कर्मचारियों की अस्थायी सेवा को पेंशन प्रदायी घोषित करने के सम्बन्ध में ।**

सर्वे एण्ड सेट्लमेंट के कर्मचारी 15 वर्षों से अधिक सेवा करने के पश्चात् अस्थायी रूप में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, परन्तु बिहार पेंशन नियमावली के नियम 73 के वर्त्तमान उपबन्धों के अनुसार उन्हें पेंशन ग्रेच्युटी की सुविधा नहीं मिलती है । फलस्वरूप जीवन के अन्तिम अवधि में कर्मचारियों को काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है ।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सर्वे एण्ड सेट्लमेंट के जो अस्थायी कर्मचारी 15 वर्षों से अधिक सेवा की अवधि के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन 1024/69-11779 वि०, दिनांक 12-8-1969 के अनुसार पेंशन/ग्रेच्यूटी के हकदार होंगे बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों –

(i) उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत पद पर हुई है और सेवा नियमित एवं लगातार हो ।

(ii) सेवानिवृत्ति के समय तक उनके वेतन का भुगतान नियमित स्थापना वेतन विपत्र के द्वारा किया गया हो ।

उनकी सेवा आकस्मिक एवं मौसमी (Casual and seasonal) नहीं हो ।

3. यह आदेश 1-1-1973 से प्रभावकारी होगा । सर्वे एण्ड सेट्लमेंट कार्यालय के जो अस्थायी कर्मचारी 1-1-1973 या उसके बाद की तिथि को 15 वर्ष से अधिक अवधि को लगातार एवं नियमित सेवा करने के उपरान्त निवृत्त हैं या होंगे उन्हें उपरोक्त सुविधा प्राप्त होगी ।

4. सम्बन्धित नियम का संशोधन बाद में किया जायेगा । ***[ज्ञाप संख्या P.C. 11-46/74-401 वि०, दिनांक 13-1-1975 ।]**

2.

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के नियम 73 के अन्तर्गत सर्वे एण्ड सेट्लमेंट कर्मचारियों की अस्थायी सेवा को पेंशन प्रदायी घोषित करने के सम्बन्ध में – पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता ।**

वित्त विभाग की परिपत्र संख्या पी०सी० 11-46-74.401 वि०, दिनांक 13-1-1975 के द्वारा सर्वे के कर्मचारियों की अस्थायी सेवा तिथि 1-1-1973 से पेंशन प्रदायी घोषित की गयी है । अब एक प्रश्न यह उठाया है कि इस कोटि के कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन देय होगा या नहीं ।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सर्वे एण्ड सेटेलमेंट के अस्थायी कर्मचारी जो नियमित सेवा में है, उनकी मृत्यु होने पर उनके परिवार को अन्य अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की भाँति नियमानुसार पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्यूटी आदि की सुविधा उपलब्ध होगी । यह आदेश 1-1-1973 से लागू होगा । **[*ज्ञाप संख्या P. C.–11-46-75-13238 वि०, दिनांक 27-10-1978]**

उप-प्रकरण (4) – तीसरी शर्त – सेवा, जिसके लिये सरकार भुगतान करती हो

(i) पारिश्रमिक के स्रोत ।

74. उप-प्रकरण 2 और 3 में विहित शर्तें पूरी करने ~~वाली सेवा का पेंशनप्रदायी होना या न होना उस~~ स्रोत पर निर्भर करता है जिससे उसके लिये भुगतान किया जाता है । इस नियम के प्रसंग में, सेवा निम्न वर्गों में विभाजित है :–

(क) जिसके लिये आम राजस्व से भुगतान किया जाये।

(ख) जिसके लिये स्थानीय निधि से भुगतान किया जाये।

(ग) जिसके लिये उस निधि से भुगतान किया जाये जिसकी न्यासी सरकार हो।

(घ) जिसके लिये विधि द्वारा या सरकार के प्राधिकार के अधीन उगाही गयी फीस से अथवा कमीशन से भुगतान किया जाये।

(ङ) जिसके लिये, विधि और रूढ़ि के अनुसार, भू-घृति या कोई आय स्रोत या धन-तहसीलने का अधिकार प्रदान कर भुगतान किया जाये।

(ii) सेवा, जिसके लिये आम राजस्व से भुगतान किया जाये।

75. आम राजस्व से भुगतान पानेवाली सेवा पेंशन-प्रदायी है। इस बात से कि सरकार की ओर से स्थापना या सरकारी सेवक के समूचे खर्च या उसके किसी अंश की वसूली के लिये व्यवस्था की जाती है, इस सिद्धान्त के प्रवर्त्तन पर असर नहीं पड़ता, बशर्ते कि स्थापना या सरकारी सेवक का नियुक्ति, नियन्त्रण और भुगतान सरकार करती हो; जैसे कि खास व्यक्तियों और निगम निकायों के खर्च पर रखी गई पुलिस।

टिप्पणी : स्थापना खर्च की वसूली की व्यवस्था करने में यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार को केवल तात्कालिक खर्च ही नहीं, बल्कि छुट्टी-भत्ते और पेंशन का खर्च भी उठाना पड़ता है।

(iii) सेवा, जिसके लिये न्यास-निधि से भुगतान किया जाए।

76. वैसी सेवा पेंशन-प्रदायी होगी, जिसके लिए ऐसी निधि से भुगतान किया जाए जिसे सरकार न्यासी के रूप में रखती हो, जैसे कि किसी प्रतिपालक-अधिकरण के अधीन या किसी कुर्क संपदा (इस्टेट) में।

(iv) सेवा, जिसके लिये फीस या कमीशन से भुगतान किया जाए।

77. जहाँ फीस या कमीशन वेतन के अतिरिक्त आम राजस्व से लिया जाये, वहाँ छोड़कर ऐसे पद पर की गई सेवा, जिसके लिये भुगतान केवल फीस से, चाहे वह विधि द्वारा या सरकार के प्राधिकार के अधीन उगाही गयी हो, अथवा कमीशन से किया जाए, पेंशन-प्रदायी होगी।

राजकीय अभिहस्तांकिती के रूप में की गई सेवा पेंशन-प्रदायी न होगी।

(v) सेवा, जिसके लिये भू-घृति आदि प्रदान कर भुगतान किया जाए।

78. वैसी सेवा पेंशन-प्रदायी न होगी, जिसके लिये विधि और रूढ़ि के अनुसार, भू-घृति या कोई अन्य आय स्रोत या धन तहसीलने का अधिकार प्रदान कर भुगतान किया जाए।

(vi) सेवा, जिसके लिये स्थानीय निधि से भुगतान किया जाए।

79. निम्न नियमों के अधीन किये गये विशेष उपबंधों को छोड़कर, स्थायी निधि से भुगतान पाने वाली सेवा पेंशन-प्रदायी न होगी।

80. स्थानीय निधि के प्रशासक, राज्य सरकार की अनुमति से, अपने स्थायी कर्मचारियों या उनके किसी विशेष वर्ग को आम-राजस्व से पेंशन देने के लिए विहित दर से सरकार को अंशानुदान करने की स्थायी व्यवस्था कर सकते हैं; परन्तु--

(क) अंशानुदान की पूरी रकम का भुगतान हर महीने के आरंभ में नकद या चेक के जरिए निकटतम सरकारी कोषागार में करना होगा। अंशानुदान के भुगतान में किसी तरह की चूक होने से सरकार के विरुद्ध दावा सोख्त हो जाएगा;

(ख) स्थापना-भार के बिलों की लेखा-परीक्षा सरकार करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नये प्रवेष्टाओं से स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र प्राप्त किये जा चुके हैं, समूची मंजूर स्थापना सम्बन्धी अंशानुदान वसूले जाते हैं, और कोई भी कर्मचारी किसी महीने में अपने पद के लिये मंजूर राशि से अधिक नहीं पाता।

किसी खास कर्मचारी या किसी खास वर्ग के कर्मचारियों की विगत सेवा को पेंशन-प्रदायी बनाने के विचार से दिये जाने वाले बकाये अंशानुदान स्वीकार नहीं किये जा सकते।

81. जो सरकारी सेवक सरकार के अधीन पेंशन-प्रदायी सेवा में है, उसकी बदली राज्य सरकार, उन्हीं परिसीमाओं और शर्तों के अधीन जो बाह्य-सेवा में बदली पर लागू होती हैं, किसी स्थानीय निधि के अधीन सेवा में कर सकती है।

82. सरकारी स्कूलों के जो पेंशनी शिक्षक और अन्य कर्मचारी अपने स्कूलों के साथ स्थानीय बोर्डों के अधीन सेवा में बदले जाएँगे, उनकी सेवा आम राजस्व से पेंशन-योग्य बनी रहेगी और यद्यपि वे जिस स्कूल के साथ बदले गये हों, उस स्कूल से दूसरे स्कूल में जो पहले सरकारी प्रबन्ध में रहा हो, भेज दिए जाएँ, फिर भी रियायत के हकदार होंगे।

स्थानीय बोर्ड के प्रबन्ध में अन्तरित स्कूलों में नियुक्त शिक्षक आम राजस्व से पेंशन के हकदार होंगे, यदि राज्य सरकार स्कूल को मुफ्त पेंशन के रूप में अपना कुल अंशानुदान देती हो।

[**समीक्षा :** राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों को मिलने वाली पेंशनीय लाभ हेतु सम्बन्धित राज्यादेशों को देखें जो परिशिष्ट VIII में दी गई है।]

83. यदि कोई सरकारी सेवक, जिसकी सेवा नियम 80 के उपबंधों के अधीन पेंशनी मानी जाती हो, अन्य स्थानीय बोर्ड के समान पेंशनी स्थापना में बदला जाये, तो ऐसी बदली से पेंशन के लिये उसकी सेवा में क्रम भंग न होगा। स्थानीय निधि के अधीन ऐसे सेवा तथा सरकारी स्थापना में सेवा के बीच भी परस्पर बदली हो सकती है।

(vii) स्थानीय निधि—पेंशन निधि।

~~**84.** सरकार, स्थानीय निधि-पदाधिकारियों के अंशदानों से गठित [illegible] की दशा उसके अंशदाताओं के लिये पेंशन की व्यवस्था करने की गारंटी नहीं देती।~~

अध्याय—5

पेंशन के लिये सेवा की गणना।

प्रकरण 1 : प्रस्ताविक।

85. जिन शर्तों और सीमाओं के अधीन किसी पद पर की सेवा पेंशन-प्रदायी होती है, उनका उल्लेख अध्याय 4 में किया गया है।

बुढ़ापा-पेंशन-प्रदायी सेवा में विशेष योग सम्बन्धी नियम और पेंशन के लिये सैनिक सेवा, छुट्टी, मुअत्तली, पदत्याग आदि की कालावधियों की गिनती से सम्बन्धित तथा सेवा में भंग और अपूर्णता की क्षान्ति (माफी) से संबंधित नियम इस अध्याय के अनुवर्ती प्रकरणों में दिए गए हैं।

प्रकरण 2 : बुढ़ापा पेंशन-प्रदायी सेवा में विशेष योग।

86. जो सरकारी सेवक नियम 5 के उपबन्धों के अधीन हों और जो निम्न अनुसूची में उल्लिखित किसी सेवा में या पद पर बने हों तथा जो 25 वर्ष से अधिक उम्र में 31 मार्च, 1938 को या के पहले भर्त्ती किये गये हों, वे बुढ़ापा-पेंशन-प्रदायी सेवा में (किन्तु किसी अन्य प्रकार की पेंशन के लिये नहीं) उतनी वास्तविक अवधि, जितनी भर्त्ती के समय 25 वर्ष की उम्र से अधिक थी, जोड़ सकते हैं पर इस प्रकार जोड़ी जानेवाली अवधि 5 वर्ष से अधिक न होगी। यह रियायत उन सरकारी सेवकों को न दी जायेगी जो 25 वर्ष से अधिक उम्र में निम्न अनुसूची में उल्लिखित विभागों या पदों से भिन्न विभागों में या पदों पर नियुक्त हों। कोई भी सरकारी सेवक इस नियम के फायदे का दावा नहीं कर सकता जब तक कि सरकारी सेवा छोड़ने के समय उसकी वास्तविक पेंशन-प्रदायी सेवा 10 वर्ष से कम न हो।

टिप्पणी : इस नियम में स्वीकृत अतिरिक्त वर्षों की गिनती नियम 147 में विहित 28 वर्ष की पेंशन- प्रदायी सेवा की सीमा में की जायेगी।

अनुसूची।

(1) बिहार शिक्षा-सेवा
(2) मुख्य कारखाना-निरीक्षक तथा कारखाना-निरीक्षक

(3) मुख्य वाणिज्य-निरीक्षक तथा वाणिज्य-निरीक्षक

(4) बिहार असैनिक सेवा (न्याय-शाखा)

(5) अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, बिहार

[**समीक्षा :** इस नियम का प्रावधान अब अप्रासंगिक हो गया है ।]

[1][(2) (क) यदि कोई विमान चालक बिहार सरकार की सेवा में हो, तो उसके अर्हक सेवा में 5 साल की अवधि जोड़ दी जायेगी, यदि वह पाँच साल लेकिन 10 साल से अधिक अवधि तक सरकारी सेवा की हो और सरकारी कार्य के सम्पादन में आशक्त हो जाये ।

(ख) यदि 10 वर्ष लेकिन 15 वर्ष से अनधिक सेवा के पश्चात् आशक्त हो जाता है तो उसे अर्हक सेवा अवधि में सात साल का लाभ मिलेगा ।

(ग) यदि वह 15 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक सरकारी सेवा पूरा करने के पश्चात् सरकारी कार्य के सम्पादन के दौरान आशक्त हो जाता है तो उसके पेंशन प्रदायी सेवा में 10 वर्ष की और अवधि जोड़ दी जायेगी बशर्ते कि कुल पेंशन प्रदायी सेवा अवधि [2][33] वर्ष से अधिक न हो ।

प्रकरण 3 : असैनिक पेंशन के लिये सैनिक सेवा की गिनती ।

[3][**87.** सरकारी सेवक जो सेवानिवृत्ति उम्र के पहले असैनिक सेवा में या पद पर नियुक्त किया जाता है, तथा ऐसी पुनर्नियुक्ति के पहले 18 वर्ष की उम्र हो जाने के पश्चात् नियमित सैनिक सेवा की हो, असैनिक सेवा या पद पर सम्पुष्ट हो जाने पर, निम्नलिखित में से कोई विकल्प दे सकता है–

(1) (क) यदि वह सैनिक पेंशन प्राप्त करता रहेगा या सैनिक सेवा से हटने के पश्चात् प्राप्त उपदान को अपने पास रखेगा तो पूर्व में की गई सैनिक सेवा की गिनती अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जायेगी; या

(ख) पेंशन या उपदान लौटा देने पर पूर्व की सैनिक सेवा को अर्हक सेवा के रूप में गिनती की जायेगी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार गिनती की जाने वाली सेवा, भारत में या अन्यत्र, कर्मचारी की इकाई या विभाग के भीतर या बाहर, उस सेवा अवधि तक प्रतिबन्धित रहेगी जिसके लिए भारतीय संचित निधि से भुगतान की गई हो या जिसके लिए सरकार द्वारा पेंशनरी अंशदान प्राप्त किया गया हो ।

(2) (क) असैनिक सेवा या पद पर मौलिक पुनर्नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति हेतु आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर उपनियम (1) में दिए गए विकल्प का उपयोग किया जायेगा, अथवा यदि सरकारी सेवक उस दिन अवकाश में हैं तो अवकाश से लौटने पर तीन माह के अन्दर जो भी बाद में पड़े ।

(ख) यदि खण्ड (क) में दी गई अवधि के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि सरकारी सेवक ने उपनियम (1) के खण्ड (क) को विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया है ।

(3) (क) सरकारी सेवक जो उप नियम (1) के खण्ड (ख) के लिए विकल्प देता है, तो सैनिक सेवा से उन्मुक्ति के समय प्राप्त पेंशन या उपदान मासिक किस्तों में जो 36 से अधिक नहीं होगी, लौटा देगा, पहली किस्त उसके विकल्प देने के बाद वाले माह से प्रारम्भ होगी ।

(ख) जब तक पूरी राशि वापस नहीं कर दी जाती है, पूर्व में की गई सेवा की गिनती अर्हक सेवा के रूप में करने हेतु कोई दावा मान्य नहीं है ।

(4) सरकारी सेवक जो पेंशन और उपदान की राशि वापस करने का विकल्प दिया हो और पूरी राशि वापस करने के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो पेंशन और उपदान की शेष राशि जिसे वापस नहीं की गई है, को उक्त सरकारी सेवक के मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि के विरुद्ध समंजित कर दी जायेगी, जो उनके परिवार को भुगतेय हो सकता है ।

(5) जब इस नियम के अधीन ऐसा कोई आदेश, जो पूर्व में की गई नियमित सैनिक सेवा को असैनिक सेवा के अंश के रूप में गिनने से सम्बन्धित हो, पारित किया जाता है, तो उक्त आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत अस्थायी अनियमित सैनिक सेवा और असैनिक सेवा के बीच टूट की अवधि को क्षान्त समझा जायेगा ।

1. अधिसूचना सं० पेन-सी०डी०आर०-पेन 1058/67–16, दिनांक 3-1-1968 यह दिनांक 25-4-1968 से प्रभावी है ।
2. "30" के लिए जी०एस०आर० 7106, दिनांक 31-6-1977 द्वारा प्रतिस्थापित । दिनांक 1-1-1973 से प्रभावी ।
3. जी०एस०आर० 3035, दिनांक 21-3-1977 द्वारा प्रतिस्थापित ।

टिप्पणी : इस उपनियम के उपबन्ध उस सेवक पर भी लागू होगा जो सिर्फ लगातार अस्थायी रूप से अनियमित सैनिक सेवा में रहा हो या महायुद्ध में वैतनिक सैनिक सेवा की हो तो अस्थायी अनियमित सैनिक सेवा और असैनिक सेवा के बीच सेवा में टूट की अवधि को भी इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार क्षान्त किया जा सकता है ।

[1][**88.** जो असैनिक कर्मचारी अपने असैनिक नियोजन के पहले किसी स्थायी पद पर नियुक्ति हेतु जो पहली जनवरी, 1948 के पूर्व रिक्त हुआ हो भारतीय स्थल सेना या राष्ट्रमंडल देश के स्थल सेना में ऐसी सन्तोषजनक वैतनिक (पूर्णकालिक) सेवा दिनांक 3 सितम्बर, 1939 से 1 अप्रैल, 1946 के बीच कर चुके हों। जिसके द्वारा सैनिक नियमावली के अधीन सेवा पेंशन अर्जित नहीं हुई हो, उन्हें निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसी सैनिक सेवा को जिसमें ऐसे सेवाकाल में पूर्ण वेतन पर ली गई छुट्टी जिसमें बीमारी छुट्टी भी शामिल है, असैनिक पेंशन के लिए गिनने की अनुमति दी जायेगी –

(क) जिन सेवाओं में भर्ती के लिए निम्नतम उम्र नियत हो, उनमें उससे कम उम्र में की गई सैनिक सेवा की गिनती पेंशन के लिए नहीं की जायेगी;

(ख) राष्ट्रमंडल देश के अंशदान या हिस्सा के लिए कोई दावा उस देश के सरकार से नहीं की जायेगी ।

(ग) कर्मचारियों से युद्ध सेवा से सम्बन्धित लाभांश (बोनस) या उपदान की वापसी हेतु कोई माँग की जायेगी ।

(2) सरकारी सेवक द्वारा की गई युद्ध सेवा जिसे 31 दिसम्बर, 1947 के बाद असैनिक सेवा में सृजित सेवा या पद पर नियुक्त किया गया, द्वारा की गई युद्ध सेवा को उपनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार सैनिक सेवा के रूप में मानी जायेगी जैसा कि नियम 87 में प्रावधान है ।]

[**समीक्षा** : इस नियम के कई प्रावधान अब अप्रासंगिक हो गये हैं ।]

राज्य सरकार का निर्णय –

***विषय : चिकित्सा पदाधिकारी की युद्ध सेवा की असैनिक पेंशन की गणना ।**

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित पत्रांक पी०आर०–1 एस०टी०–1106, दिनांक 24-11-1970 के प्रसंग में कहना है कि सरकार के अधीन यह प्रश्न विचाराधीन था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के असैनिक सेवा में आने के पूर्व युद्ध में की गयी सेवा हेतु प्राप्त उपदान को असैनिक पेंशन लाभ देते समय वापस करा दिया जाये या नहीं । इन प्रश्न पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सी०एस०आर० भाग I अनुच्छेद 357 डी० के नीचे निर्णय संख्या 12 के अनुसार वैसा बोनस या ग्रेच्युटी जो युद्ध सेवा के लिए इनाम के रूप में प्राप्त हुआ हो उसे वापस नहीं किया जाएगा । परन्तु अगर उपदान सेवा (Service Gratuity) के रूप में मिला हो तो उसे वापस करा लिया जायेगा । [***ज्ञाप संख्या 330 वि०, दिनांक 8-1-1972 ।**]

प्रकरण 4 : छुट्टी तथा कर्त्तव्य से अन्य प्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधियाँ

उप-प्रकरण (1) : छुट्टी की अवधि ।

(i) उत्कृष्ट सेवा ।

89. नियम 90 में उपबन्धित स्थिति को छोड़कर, सुविधा-छुट्टी से भिन्न छुट्टी पर बितायी अवधि, या 29वीं जुलाई, 1920 के पहले लागू नियमावली के अधीन ली गई पूरक छुट्टी उत्कृष्ट सेवा के रूप में न गिनी जायगी [2][किन्तु हर मामले में राज्य सरकार के विशेष आदेश के अधीन, अपनी व्यवसायिक योग्यता और ज्ञान के सम्वर्धन के लिए सरकारी सेवक द्वारा ली गयी असाधारण छुट्टी सेवा के रूप में इस शर्त पर गिनी जायगी कि सरकारी सेवक छुट्टी से लौटने पर उपाधि (डिग्री), उपाधिपत्र (डिप्लोमा) या अन्य योग्यता-पत्र के रूप में अथवा जिस संस्था में पाठ्य-क्रम चालू रहा हो, उसके प्रधान से प्राप्त प्रमाणपत्र के रूप में, यह सिद्ध करने के लिए सन्तोषजनक साक्ष्य पेश करेगा कि वह उस पाठ्य-क्रम से लाभान्वित हुआ है; यदि

1. जी०एस०आर० 3035, दिनांक 21-3-1977 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. शुद्ध-पत्र सं० 3, दिनांक 7 फरवरी, 1951 द्वारा अन्तःस्थापित ।

सरकारी सेवक ऐसा साक्ष्य पेश न करेगा, तो राज्य सरकार असाधारण छुट्टी की अवधि के सेवा के रूप में गिने जाने के विशेष आदेश को रद्द कर सकती है ।

स्पष्टीकरण : (i) चार महीने से अनाधिक औसत वेतन पर छुट्टी की कोई अवधि, चार महीनों से अधिक औसत वेतन पर ली गई छुट्टी की किसी अवधि के प्रथम चार महीने अथवा किसी लम्बी अवधि की छुट्टी, जिसका हकदार सरकारी सेवक एफ०आर० 81 (बी०) की टिप्पणी (वर्तमान टिप्पणी : 1) के अधीन हो, पेंशन या अनुपाती पेंशन और अतिरिक्त पेंशन की गणना में, सुविधा छुट्टी के रूप में गिनी जायगी ।

(ii) छुट्टी की कोई अन्य अवधि जिसमें छुट्टी-वेतन मिलता हो, भत्ता सहित छुट्टी के रूप में गिनी जायगी ।

(iii) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति काल में खंडश: में औसत वेतन पर ली गई छुट्टी विभिन्न अवधियों में खंडित न की जायगी बल्कि एक लगातार छुट्टी मानी जायगी और कुल मिला कर चार महीनों से अनाधिक अवधि पेंशन के लिए गिनी जायगी ।

[1][**स्पष्टीकरण 2 :** (i) एक ही क्रम में 120 दिनों से अधिक उपार्जित छुट्टी की अवधि, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन के लिए सेवा की गणना में, 'सुविधा छुट्टी' के रूप में गिनी जाएगी ।

(ii) छुट्टी की कोई अन्य अवधि, (एक ही क्रम में 120 दिनों से अधिक उपार्जित छुट्टी सहित) जिसमें छुट्टी वेतन लिया जाय, भत्ता सहित छुट्टी के रूप में गिनी जाएगी ।

(iii) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति के ठीक आगे-पीछे ली गयी उपार्जित छुट्टी प्रति नियुक्ति द्वारा पृथक्कृत विभिन्न अवधियों में खंडित न की जायगी बल्कि एक लगातार छुट्टी-अवधि मानी जायगी और उपर्युक्त (1) तथा (2) के अनुसार पेंशन के लिए गिनी जायगी ।]

[2][**90.** भत्तों सहित छुट्टी पर बिताई अवधि सेवा के रूप में निम्न प्रकार से गिनी जायगी --

1	2
यदि सरकारी सेवक की कुल सेवा --	वह अधिक से अधिक निम्नलिखित छुट्टी अवधि को सेवा में गिन सकता है ।
15 वर्ष और अधिक किन्तु 30 वर्ष से कम हो ।	1 वर्ष
30 वर्ष और उससे अधिक हो	2 वर्ष

टिप्पणी 1 : [3][X X X]

टिप्पणी 2 : नियम में उल्लिखित कुल सेवा से तात्पर्य है कुल सेवा जो पेंशन-प्रदायी सेवा के आरम्भ की तारीख से गिनी जाएगी जिसमें छुट्टी की अवधि भी शामिल रहेगी ।

टिप्पणी 3 : इस नियम के प्रयोजनार्थ, लंका, बर्मा, पाकिस्तान और मलयक [स्टेट्स सेटलमेंट] को भारत के बाहर नहीं समझा जायगा ।

91. बिहार परिमाप विभाग (बिहार सर्वे डिपार्टमेन्ट) के अवर कर्मचारियों द्वारा विभागीय छुट्टी पर बिताई अवधि गिनी जायेगी, बशर्त्ते कि जब उनके उपरिस्थ पदाधिकारी आदेश दें, तब वे अपने कर्त्तव्य पर लौट आएँ ।

टिप्पणी : बिहार परिमाप विभाग के निचले सेवकों को, जो बिलकुल क्षेत्रीय कार्य के लिये नियोजित हों, दी गई विभागीय छुट्टी पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जायेगी ।

92. राज्य सरकार घोषित कर सकती है कि किसी प्राच्यभाषा में परीक्षा की तैयारी करने में सरकारी सेवक द्वारा बिताई गई अवधि, पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जायेगी ।

93. बिना भत्ता छुट्टी पर बिताई अवधि पेंशन के लिये न गिनी जायेगी ।

राज्य सरकार का निर्णय --

*यह निर्णित किया गया है कि असाधारण छुट्टी सहित सभी प्रकार की छुट्टी बिना किसी रुकावट के पेंशन हेतु कलित की जायेगी । (यह 1-8-1962 से प्रभावी है ।) [***ज्ञाप सं० 12928 वि०, दिनांक 4-9-1962 में दिए गये सरकारी आदेशानुसार ।]**

1. मेमो नं० 12928 एफ०, दिनांक 4-9-1962 द्वारा पुनः निर्मित ।
2. शुद्धि-पत्र सं० 49, दिनांक 13 नवम्बर, 1957 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. Notification No. 12928, दिनांक 4-9-1962 द्वारा लुप्त किया गया ।

94. छुट्टी से अधिक ठहरने की अवधि पेंशन के लिये न गिनी जायेगी ।

(ii) निचली सेवा ।

[1][**95.** छुट्टी, पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में, निम्नलिखित सीमा तक गिनी जायगी –

(क) नयी छुट्टी नियमावली के अधीन सरकारी सेवकों के मामले में –

(1) सेवा-काल में ली गई कुल उपार्जित छुट्टी,

(2) 31वीं मई, 1949 तक स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र पर ली गयी छुट्टी, असाधारण छुट्टी पर बिताई अवधि को छोड़ उस तारीख तक की गई सेवा के 1/30 वे अंश तक; और

(3) 31वीं मई, 1949 के बाद ली गई आधे वेतन पर छुट्टी और रूपान्तरित छुट्टी असाधारण छुट्टी पर बिताई अवधि को छोड़ उस तारीख से की गई सेवा के 1/25 वें अंश तक ।

(ख) साधारण छुट्टी नियमावली के अधीन सरकारी सेवकों के मामले में पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिने जाने वाले कर्त्तव्य के हर पूरे वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 20 दिन के बराबर अवधि तक ।

उप-प्रकरण (2) : प्रशिक्षण की अवधि ।

96. जो सरकारी सेवक (इसमें वह व्यक्ति भी है जो सरकारी सेवा के लिये प्रशिक्षण पा रहा हो, किन्तु सरकारी सेवा में नियुक्त न हो) प्रशिक्षण पाने के लिए चुना गया हो, उसके मामले में राज्य सरकार अपने विवेक से निश्चित करेगी कि प्रशिक्षण में बिताई अवधि पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जायेगी या नहीं ।

टिप्पणी : प्रशिक्षण की अवधि को इस नियम के अधीन सेवा के रूप में गिनने के लिये सामान्य आदेश निम्न के संबंध में निकाले जा चुके हैं –

(1) अवर पुलिस कर्मचारी और अवर पुलिस सेवा में सीधी भर्त्ती के उम्मीदवार, जब वे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल या कॉलेज में प्रशिक्षण पर रहे हों ।

(2) पहले से ही सरकारी सेवा में स्थित वन-विभाग के अवर कर्मचारी जब वे उत्कृष्ट वन-सेवा-चर्या (कोर्स) या वनपाल-चर्या (रेन्जर कोर्स) या किसी वन-स्कूल में जहाँ वे प्रतिनियुक्त किये जायें, हों ।

(3) शिक्षा-पदाधिकारी, जब वे एम०एड० और डिप्लोमा परीक्षाओं के लिये पटना ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण पर रहे हों ।

उप-प्रकरण (3) : भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति ।

97. जब सरकारी सेवक कर्त्तव्य पर भारत के बाहर प्रतिनियुक्त किया जाए तब भारत से बाहर उसकी अनुपस्थिति की समूची अवधि गिनी जायेगी । भारत के बाहर छुट्टी पर स्थित सरकारी सेवक जब कर्त्तव्य पर नियोजित किया जाये या छुट्टी की समाप्ति के बाद कर्त्तव्य पर रोक रखा जाये तब नियोजन या रोक रखे जाने की ऐसी अवधि गिनी जायेगी ।

प्रकरण 4 : कर्त्तव्य पर वापस बुलाया जाना ।

98. जो सरकारी सेवक भारत के बाहर किसी अभिज्ञात छुट्टी की समाप्ति के पहले कर्त्तव्य पर वापस बुला लिया जाए, उसके द्वारा भारत यात्रा पर बिताई अवधि गिनी जायेगी, बशर्ते कि कर्त्तव्य पर उसका लौट आना अनिवार्य हो ।

प्रकरण 5 : मुअत्तली, पदत्याग, सेवा में भंग और अपूर्णता ।

उप-प्रकरण (1) : मुअत्तली की अवधि ।

99. मुअत्तली के अधीन बिताई अवधि जिसके भीतर आचार के संबंध में जाँच चल रहा हो, गिनी जाएगी, यदि उसके बाद पुन: स्थापन हो जाये । किन्तु जो मुअत्तली विशेष दंड के रूप में न्यायनिर्णीत हो, उसके अधीन बिताई अवधि न गिनी जायेगी ।

100. यदि कोई सरकारी सेवक, जो अपने आचार के संबंध में जाँच होने तक मुअत्तल किया गया हो, पुन: स्थापित कर लिया जाये, किन्तु उसकी मुअत्तली की अवधि के भत्ते का कोई अंश जब्त कर लिया जाये, तो

1. शुद्धि-पत्र संख्या 16, दिनांक 1-7-1953 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(कार्याध्यक्ष की खास मंजूरी के बिना) वह अवधि न गिनी जायेगी, जब तक कि सरकारी सेवक को पुन: स्थापित करने वाला प्राधिकारी पुन: स्थापित करते समय स्पष्ट रूप से घोषित न करें कि वह अवधि गिनी जाएगी ।

उप-प्रकरण (2) : त्याग और बर्खास्तगी ।

101. (क) लोक-सेवा का त्याग करने से अथवा कदाचार, दिवाला, या अदक्षता जो उम्र की वजह से न हो, या विहित परीक्षा में असफलता के कारण, सेवा से हटाये जाने या बर्खास्तगी से अतीत सेवा नहीं गिनी जाती ।

(ख) [1][नियुक्ति-प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी दूसरे पद के ग्रहण के लिये, जिसके अंतर्गत सेवा गिनी जाती हो, किसी पद का त्याग लोक-सेवा का त्याग नहीं है ।]

102. कोई प्राधिकारी जो पुनरीक्षण या अपील के फलस्वरूप सरकारी सेवक की बर्खास्तगी या उसके हटाये जाने संबंधी आदेश को उलट दें, घोषित कर सकता है कि उसकी अतीत सेवा गिनी जायेगी ।

उप-प्रकरण (3) : क्रम भंग के कारण अतीत सेवा का न गिना जाना ।

103. निम्न मामलों को छोड़, सरकारी सेवक की सेवा में क्रम भंग होने से उसकी अतीत सेवा नहीं गिनी जाती –

(क) प्राधिकृत छुट्टी पर अनुपस्थिति ।

(ख) प्राधिकृत छुट्टी पर अनुपस्थिति के क्रम में उस समय तक अप्राधिकृत अनुपस्थिति जब तक कि अनुपस्थित सेवक के पद को मौलिक रूप से पूर्त्ति न हो जाये, यदि उसके पद पर मौलिक रूप से पूर्त्ति हो जाये, तो अनुपस्थिति सेवक की अतीत सेवा न गिनी जायेगी ।

[2][(ग) मुअत्तली, जबकि इसके तुरत बाद उसी या किसी दूसरे पद पर उसका पुन:स्थापन हो जाए अथवा जबकि सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाए या मुअत्तल रहने की अवधि में ही उसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे दी जाये या सेवानिवृत्त करा दिया जाये ।

(घ) स्थापना में घटौती के कारण पद का उठाया जाना या नौकरी छूटना ।

(ङ) सरकारी नियंत्रण के अधीन स्थापना के अन्तर्गत गैर-पेंशन-प्रदायी सेवा में बदली । बदली सक्षम-प्राधिकारी द्वारा होनी चाहिए, जो सरकारी सेवक स्वेच्छा से पेंशन-प्रदायी सेवा का त्याग कर दे, वह इस अपवाद के फायदों का दावा नहीं कर सकता । साहाय्यित स्कूल में बदली से सेवा न गिनी जायेगी ।

(च) एक नियुक्ति से दूसरी नियुक्ति के ग्रहण के लिये मार्ग में बिताई अवधि, बशर्त्ते कि सरकारी सेवक की बदली सक्षम प्राधिकारी के आदेश से हुई हो अथवा यदि वह अराजपत्रित सरकारी सेवक हो तो, उसके पुराने कार्यालय के प्रधान की सम्मति ले ली गई हो ।

104. पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी बिना इजाजत अनुपस्थिति की अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से भत्ता रहित छुट्टी में रूपान्तरित कर सकता है ।

उप-प्रकरण (4) : क्रम भंग और अपूर्णता की क्षांति (माफी) ।

105. सरकारी सेवक की सेवा के सभी क्रम भंगों को, यदि वह पद छोड़े, तो क्षांति के लिये आवेदन के समय उसके द्वारा धारित पद की पूर्त्ति करने में सक्षम प्राधिकारी, राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अधीन रहते हुए और हर मामले में अपने द्वारा लगाई गई शर्त्तों पर, क्षान्त कर सकेगा ।

राज्य सरकार का निर्णय –

*बिहार पेंशन नियमावली के नियम 105 की ओर ध्यानाकृष्ट करते हुए कहना है कि सरकार ने सेवा-टूट की माफी के लिए निम्नांकित व्यापक मापदंड निर्धारित किये हैं –

(क) सम्बद्ध सरकारी सेवक के नियंत्रण के परे व्यवधान कारित हुआ हो; दूसरे शब्दों में व्यवधान-स्वेच्छया पदत्याग अथवा बर्खास्तगी इत्यादि के परिणामस्वरूप नहीं हुआ हो ।

---

1. शुद्धि पत्र संख्या 5, दिनांक 27-3-1952 द्वारा अन्त:स्थापित ।
2. प्रतिस्थापित, देखें वित्त विभाग अधिसूचना सं० सी०डी०आर० 5011/60-12888-वि०, दिनांक 7 जुलाई, 1990 शुद्धि-पत्र सं० 72, दिनांक 29 जुलाई, 1960 ।

(ख) टूट से पहले की सेवावधि दो वर्ष से कम नहीं हो ।

(ग) टूट की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो । यदि दो या उससे अधिक व्यवधान हों तो टूटों की सकल अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं हो । तथापि, ऐसे मामलों में टूट के पहले की गई सेवा की अवधि की गणना की जायेगी यदि उपर्युक्त (बी) की शर्त्त पूरी होती हो ।

[*ज्ञापांक पेंशन–1040/69/8990, दिनांक 13-11-1969 ।]

106. सरकारी सेवक को पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी अपने द्वारा लगायी गयी शर्त्तों पर सरकारी सेवक की पेंशन-प्रदायी सेवा में तीन महीने की अपूर्णता को क्षान्त कर सकता है । तीन महीने से अधिक की अपूर्णता की क्षान्ति के लिये राज्य सरकार से आदेश लेना होगा;

परन्तु, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना निम्न मामलों में क्षान्ति नहीं दी जायेगी –

(1) जब पेंशन, बिना ऐसी क्षान्ति के 50 रु० या उससे अधिक हो, और

(2) जब सरकारी सेवक 55 वर्ष से अधिक उम्र होने पर सेवा में रखे जाने के बाद निवृत्त हो रहा हो ।

तीन महीने से अधिक अपूर्णता की क्षान्ति के लिये सभी मामलों में राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी ।

टिप्पणी : इस नियम के अधीन सेवा में अपूर्णता की क्षान्ति सम्बन्धी मामलों में निम्न सिद्धान्तों का पालन करना चाहिये –

(क) अल्प अवधि के लिये क्षान्ति साधारणत: वहाँ दी जायेगी जहाँ सरकारी सेवक को असमर्थता-पेंशन पर निवृत्त होने के लिए बाध्य किया जाये अथवा जब अल्प अपूर्णता की क्षान्ति इसलिये आवश्यक हो कि सरकारी सेवक उपदान के बदले पेंशन पा सकें ।

(ख) अल्प अवधि की क्षान्ति साधारणत: वहाँ भी दी जायेगी जहाँ पर्याप्त लम्बी अवधि या लगातार अस्थायी या अन्य सेवा रही हो (जैसे कि जिला बोर्ड आदि में सेवा जो पेंशन-प्रदायी नहीं है) ।

अध्याय-6

पेंशन-प्रदान की शर्त्तें

प्रकरण 1 : पेंशनों का वर्गीकरण

107. पेंशन को चार वर्गों में बाँटा गया है, जिनके नियम इस अध्याय के निम्न प्रकरणों में विहित हैं –

(क) क्षतिपूर्त्ति-पेंशन (देखें प्रकरण 2),

(ख) असमर्थता-पेंशन (देखें प्रकरण 3),

(ग) बुढ़ापा-पेंशन (देखें प्रकरण (4) व

(घ) निवृत्ति-पेंशन (देखें प्रकरण 5) ।

टिप्पणी : ऊपर वर्णित पेंशन-वर्गों के अलावा, विशेष परिस्थितियों में कुछ वर्गों के सरकारी सेवकों को विशेष अतिरिक्त पेंशन भी दी जाती है (नियम 147) ।

[**समीक्षा :** इस सम्बन्ध में उदार पेंशन नियमावली जो परिशिष्ट-5 पर है की कण्डिका 1 (4) और 9 देखें जो पूर्व 1939 प्रविष्टियों (Pre 1939 Entrants) से सम्बन्धित है ।]

प्रकरण 2 : क्षतिपूर्त्ति-पेंशन

उप-प्रकरण (1) : प्रदान की शर्त्तें

108. यदि स्थायी पद उठाये जाने के कारण कोई सरकारी सेवक उन्मुक्ति के लिये चुना जाये, तो जब तक वह किसी दूसरे पद पर नियुक्त न हो जाये जिसकी शर्त्तें उसे उन्मुक्त करने में सक्षम पदाधिकारी कम से कम उसके पहले पद की शर्त्तों के बराबर समझे, उसे निम्न में से किसी को भी पसन्द करना होगा –

(क) क्षतिपूर्त्ति-पेंशन या उपदान जिसे पाने का हकदार वह अपनी पूर्व सेवा के आधार पर हो, अथवा

(ख) यदि दिया जाये तो कम वेतन पर भी दूसरा पद या दूसरी स्थापना में बदली स्वीकार करना और पेंशन के लिये अपनी पूर्व सेवा को गिनते जाना ।

टिप्पणी : अपेक्षाकृत अधिक योग्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिये किसी सरकारी सेवक की उन्मुक्ति, इस नियम के अर्थ में, पद का उठाया जाना नहीं है; पद के उठाये जाने से सरकार को वास्तविक बचत होनी चाहिये ।

109. जब कोई सरकारी सेवक पेंशनी सरकारी सेवा से गैर-पेंशनी स्थापना में बदला जाये, तब उसे उसकी सेवा के पेंशन-प्रदायी अंश के लिये अनुमान्य कोई पेंशन या उपदान तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक वह गैर-पेंशनी स्थापना से, जिसमें वह बदला गया हो, वस्तुत: निवृत्त न हो जाये ।

राज्य सरकार का निर्णय –

देखें नियम 134 के नीचे राज्य सरकार का निर्णय ।

खास मामले

110. यदि किसी सरकारी सेवकों को, उसके पद के कर्त्तव्यों के स्वरूप परिवर्त्तन होने के फलस्वरूप, उन्मुक्त करना आवश्यक हो, तो मामले को राज्य सरकार के पास भेजना चाहिए जो उन्मुक्ति की सूचना और क्षतिपूर्ति-पेंशन या उपदान के विषय में इस प्रकरण में विनिहित नियमों के अनुसार उस पर कार्रवाई करेगी ।

प्रतिबंध

111. क्षतिपूर्ति पेंशन निम्न मामलों में अनुमान्य नहीं है –

(क) जो सरकारी सेवक लोक-सेवा का सदस्य हो और उसके अतिरिक्त किसी खास स्थानीय पद का प्रभार धारण करता हो, उसे खास स्थानीय पद के उठा दिये जाने पर ।

(ख) सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी हो जाने के बाद उन्मुक्ति के फलस्वरूप नौकरी छूटने के लिये ।

(ग) विशेष वेतन या क्षतिपूरक-भत्ते की हानि के लिये ।

(घ) जो स्कूल शिक्षक या अन्य सरकारी सेवक अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त डाक विभाग में किसी हैसियत से नियोजित हों, उसे ऐसे कर्त्तव्यों से मुक्त होने पर ।

उप-प्रकरण (2) : प्रक्रिया

(i) उन्मुक्ति के लिये चुनाव

112. स्थापना में घटौती होने पर उन्मुक्त किये जाने वाले सरकारी सेवकों का चुनाव प्रत्यक्षत: इस प्रकार होना चाहिये कि क्षतिपूर्त्ति-पेंशन पर कम से कम खर्च हो ।

113. उन्मुक्ति से होने वाले बचत के ब्योरे क्षतिपूर्त्ति-पेंशन संबंधी हर आवेदन में दिये जाने चाहिये । बचत की राशि पेंशन की राशि से सदा अधिक होनी चाहिये, अन्यथा स्थापना घटाने या पद उठाने की कार्रवाई स्थगित कर देना ही अधिक अच्छा होगा ।

टिप्पणी : जब स्थापना के पुनर्गठन की कोई योजना हो, तब पेंशन संबंधी दावे, जो पुनर्गठन के फलस्वरूप उठ सकता हो, के संबंध में विचार बराबर परिवर्त्तन के पहले ही कर लेना चाहिए और, नितान्त आवश्यक मामले को छोड़, स्थापना में ऐसा परिवर्त्तन नहीं करना चाहिये जिससे क्षतिपूर्त्ति भत्ते के दावे अधिक हों और उनके खर्च की पूर्त्ति परिवर्त्तन से होने वाली बचत से न हो सके ।

(ii) उन्मुक्ति की सूचना

114. (क) स्थायी सरकारी सेवक को, उसके पद के उठाये जाने पर सेवा-मुक्त करने के पहले युक्तिसंगत सूचना देनी चाहिये । यदि, किसी मामले में कम से कम तीन महीने की सूचना न दी जाये और जिस तारीख को वह सेवा-मुक्त किया जाये, उस तारीख को उसे कोई दूसरी नौकरी न दी जाए, तो उसे सेवा-मुक्त करने में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अध्याय 7 के नियमों के अधीन वह जितनी पेंशन का हकदार हो उसके अतिरिक्त वस्तुत: दी गई सूचना की अवधि तीन महीने से जितना कम हो, उतनी अवधि की उपलब्धियों से अनधिक उपदान दिया जायेगा किन्तु उस अवधि के लिये कोई पेंशन देय न होगी, जिसके लिये सूचना के बदले उसे उपदान मिला हो ।

(ख) जब अस्थायी पद धारण करने वाले व्यक्ति को नियुक्ति की कालावधि समाप्त होने के पहले या ऐसे व्यक्ति को, जो अवधि या कर्त्तव्य के सीमा-निर्देश के बिना मासिक मंजूरी पर अस्थायी रूप से नियोजित हो,

उन्मुक्त करने का विचार हो, तब ऐसे व्यक्ति को उन्मुक्ति के सम्बन्ध में एक महीने की सूचना देनी चाहिये और उसे उतनी अवधि के लिये, वेतन या मंजूरी अवश्य देनी चाहिये जितनी सूचना की अवधि एक महीने से कम हो ।

1. इस नियम में विहित उपदान नौकरी छूट जाने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि केवल उन्मुक्ति की सूचना के बदले दिया जाता है, ताकि अकस्मात नौकरी छूट जाने के कारण सरकारी सेवक को जो कष्ट हुआ हो, उसे दूर किया जा सके । इसलिये यदि बिना सूचना के उन्मुक्त किसी सरकारी सेवक को उसी तारीख को, जिस तारीख को वह सेवा-मुक्त किया जाए, दूसरी नौकरी दे दी जाए, चाहे वह नौकरी पेंशन-प्रदायी हो या नहीं हो उसे उपदान पाने का हक न होगा ।

2. जब तक आदेश में इसके प्रतिकूल कोई स्पष्ट कथन न हो, किसी पद या नियुक्ति के उत्सादन (उठाये जाने) का आदेश, ऐसे उत्सादन पर सेवा-मुक्त किये जाने वाले सरकारी सेवक को सूचना देने के बाद तीन महीने की समाप्ति तक कार्यान्वित न किया जायेगा । विभान्तर कार्यालय-प्रधान या कार्याध्यक्ष इसके जिम्मेवार होंगे कि ऐसी सूचना देने में अनावश्यक विलम्ब न हो । छुट्टी पर गये सरकारी सेवक के मामले में, ऐसा आदेश छुट्टी की समाप्ति होने तक कार्यान्वित न किया जायेगा ।

टिप्पणी 1 : यह नियम उन मामलों में लागू न होगा जहाँ नियुक्ति की शर्त्तों में उन्मुक्ति की सूचना के लिये विशिष्ट उपबन्ध हो ।

टिप्पणी 2 : इस नियम में "उपलब्धि" से तात्पर्य है वह उपलब्धि या छुट्टी-भत्ता (या अंशतः उपलब्धि और अंशतः छुट्टी-भत्ता) जो सरकारी सेवक को, यदि उसे सूचना न दी गई होती तो, सम्बद्ध अवधि में प्राप्त होता ।

115. संविदा के अधीन सेवा करने वाले सरकारी सेवक की सेवा जब करार-अवधि के भीतर समाप्त करना आवश्यक समझा जाये, तब करार को समाप्ति की तथा जिन आधारों पर इसे समाप्त किया गया हो, उनकी विशेष सूचना सरकारी सेवक को लिखित रूप में दी जायेगी ।

प्रकरण 3 : असमर्थता-पेंशन

उप-प्रकरण (1) : प्रदान की शर्त्तें

116. लोक सेवा से निवृत्त होने पर उस सरकारी सेवक को असमर्थता पेंशन दी जाती है जो शारीरिक या मानसिक निर्बलता के कारण लोक-सेवा या उसकी जिस खास शाखा से, वह सम्बद्ध हो, उसके कार्यों के सम्पादन में स्थायी रूप से असमर्थ हो जाये ।

117. आंशिक असमर्थता की दशा में (नियम 128 में वैकल्पिक प्रमाण-पत्र देखें), सरकारी सेवक को यदि संभव हो तो, कम वेतन पर भी नियोजित कर लेना चाहिए, ताकि उसे पेंशन देने में खर्च न हो । यदि उसे कम वेतन पर भी नियोजित करने की कोई गुंजाइश न हो, तो उसे पेंशन दी जा सकती है; किन्तु इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि उसके आंशिक रूप से जीविकोपार्जन सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसे नियम के अधीन अनुमान्य पूरी पेंशन देना आवश्यक है या नहीं ।

[1][**118.** यदि असमर्थता-पेंशन हेतु आवेदन करने वाले सरकारी सेवक को नियम 128 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार असमर्थता सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना होगा ।]

119. उपर्युक्त कारणों से भिन्न कारणों के आधार पर उन्मुक्त सरकारी सेवक नियम 116 के अधीन पेंशन का दावा नहीं कर सकता, यद्यपि वह सेवा संबंधी असमर्थता के लिये चिकित्सक-साक्ष्य पेश कर सकता हो ।

120. यदि असमर्थता प्रत्यक्षतः अनियमित या असंयत आदतों के कारण हुई हो, तो कोई पेंशन नहीं दी जा सकती । यदि असमर्थता प्रत्यक्ष रूप से ऐसी आदतों के कारण न हुई हो, किन्तु उन्हीं के कारण शीघ्र हो गई हो या बढ़ गई हो, तो पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी को निर्णय करना होगा कि इस मद्दे कितनी कटौती की जाए ।

पुलिस के संबंध में विशेष सतर्कता

121. पुलिस विभाग में पुलिस अधीक्षक इस बात के लिये सतर्क रहेंगे कि सरकारी सेवक, जो और सेवा करने योग्य हों, असमर्थता-पेंशन पर निवृत्त होने की चेष्टा न करें (नियम 127 भी देखें) ।

1. ज्ञाप संख्या पेन-1020/65/7898 वि०, दिनांक 28-8-1965 द्वारा प्रतिस्थापित ।

उप-प्रकरण (2) : प्रक्रिया

[1][**122.** जो सरकारी सेवक नियम 118 के अधीन आगे सेवा लग्न रहने के सम्बन्ध में असमर्थता स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें, उसे यदि वह कर्त्तव्यस्थ हो तो, अपने कर्त्तव्यों से मुक्त होने की तारीख से, अथवा यदि उसे बिहार सेवा-संहिता के परिशिष्ट 9 के नियम 20 के अधीन छुट्टी दी जाये, तो ऐसी छुट्टी बीतने के बाद सेवा-असमर्थ करार दिया जाएगा। स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाने पर उसे अपने कर्त्तव्यों से मुक्त करने की व्यवस्था अविलम्ब की जानी चाहिए। यदि स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के समय वह छुट्टी पर हो, तो उक्त संहिता के परिशिष्ट 9 के नियम 20 के अधीन दी गई या बढ़ाई गई छुट्टी बीतने के बाद वह सेवा-असमर्थ करार दिया जाएगा।

उप-प्रकरण (3) : स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र संबंधी नियम

(i) सामान्य

[2][**123.** (क) यदि ऐसा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाला सरकारी सेवक भारत से बाहर अन्यत्र अवकाश पर हो तो, उसके स्वास्थ्य परीक्षा का आयोजन बाहर रह रहे भारत मिशन के मारफत गठित चिकित्सा परिषद् द्वारा की जायेगी। चिकित्सा परिषद् में एक कार्य चिकित्सक, एक शल्य चिकित्सक और एक नेत्र चिकित्सक रहेंगे, प्रत्येक चिकित्सक का पद परामर्शदाता का होगा। सम्बन्धित मिशन के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्वीकृत चिकित्सकों की सेवाएँ उक्त प्रयोजन के लिए ली जायेगी यदि वे उपर्युक्त शर्त्तों को पूरा करते हों। जब कभी किसी महिला उम्मीदवार की जाँच परीक्षा करनी हो तो, उस प्रयोजन हेतु एक स्त्री चिकित्सक को सदस्य के रूप में चिकित्सा परिषद् में शामिल किया जाएगा।

(ख) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाला सरकारी सेवक यदि भारत में हो तो उसके जाँच पदाधिकारी –

(1) सभी राजपत्रित सरकारी सेवक एवं वैसे अराजपत्रित सरकारी सेवक जिनका वेतन बिहार सेवा संहिता के नियम 34 के अनुसार रु० 500 प्रतिमाह से अधिक न हो, के मामले में चिकित्सा परिषद्;

(2) अन्य मामले में शल्य चिकित्सक या जिला चिकित्सा पदाधिकारी या समतुल्य पद के चिकित्सा पदाधिकारी।

[2][**124.** उन मामलों को छोड़कर जिसमें सरकारी सेवक भारत में ही कहीं अन्यत्र छुट्टी पर हो, सेवा-संबंधी असमर्थता का स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र तबतक न दिया जायेगा, जब तक कि आवेदक इस आशय का पत्र न पेश करें कि उसके कार्यालय-प्रधान या कार्याध्यक्ष को विदित है कि वह चिकित्सा-पदाधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना चाहता है। जिस कार्यालय में आवेदक नियोजित हो, उसका प्रधान या अध्यक्ष चिकित्सा पदाधिकारी को एक विवरण भेजेगा कि सरकारी अभिलेखों के अनुसार आवेदक की उम्र क्या है ? जहाँ आवेदक की सेवा-पुस्त हो, वहाँ उसमें अभिलिखित उम्र सूचित की जायेगी।

125. (क) रोग और किये गये उपचार का संक्षिप्त विवरण, यदि संभव हो, अनुलग्न कर देना चाहिये।

(ख) यदि जाँच करने वाला चिकित्सा पदाधिकारी, सरकारी सेवक में कोई खास रोग पाने में असमर्थ होते हुए भी उसे 55 वर्ष की उम्र के पहले सामान्य दुर्बलता के कारण आगे सेवा करने से, असमर्थ समझे तो उसे अपनी राय के लिये विस्तृत कारण देने चाहिये और यदि संभव हो, तो ऐसे मामले में बराबर एक दूसरे चिकित्सक की राय ले लेनी चाहिये।

(ग) इस तरह के मामले में, कार्यालय प्रधान या कार्याध्यक्ष से उन आधारों के संबंध में, जिन पर सरकारी सेवक को असमर्थ ठहराने का विचार हो, विशेष स्पष्टीकरण की आशा की जायेगी।

126. जिन सरकारी सेवक की अभिलिखित उम्र 55 वर्ष से कम हो उसके मामले में इस आशय का साधारण प्रमाण-पत्र पर्याप्त न होगा कि उसकी अयोग्यता, वृद्धावस्था या ढलती उम्र के फलस्वरूप स्वाभाविक क्षीणता के कारण है, किन्तु चिकित्सा-पदाधिकारी यह प्रमाणित करते समय कि सरकारी सेवक अपनी सामान्य दुर्बलता के कारण आगे सेवा करने से असमर्थ है, उन कारणों का उल्लेख कर सकता है जिनके आधार पर उसे विश्वास हो कि उम्र कम बताई गई है।

---

1. शुद्धि पत्र सं० 67, दिनांक 26-5-1960 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. ज्ञाप सं० 7898 वि०, दिनांक 28-8-1965 द्वारा प्रतिस्थापित।

127. (क) चिकित्सा-पदाधिकारी उन पुलिस-कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन्हें अस्पताल में और ठहरने से फायदा न हो सकता हो, केवल छुट्टी के लिये ही सिफारिश करेंगे । जब तक चिकित्सा-पदाधिकारियों से अधिकारिक रूप से पुलिस-कर्मचारी की आगे सेवा-सम्बन्धी असमर्थता के विषय में रिपोर्ट देने के लिये अनुरोध न किया जाये, तब तक वे यह प्रमाणित न करेंगे कि पुलिस-कर्मचारी आगे सेवा करने में असमर्थ हो गया है ।

(ख) चिकित्सा-पदाधिकारी, पेन्शन के लिये आवेदन करनेवाले हर कर्मचारी की शारीरिक-अयोग्यता की जाँच में खास तौर से छानबीन करेंगे, और जब भी पेंशन संबंधी आवेदकों की संख्या अधिक हो, तब जाँच यदि संभव हो तो, दो चिकित्सा-पदाधिकारियों द्वारा की जायेगी ।

(ii) स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र का फारम

128. भारत में पेंशन के लिये आवेदन करनेवाले सरकारी सेवक को दिये जानेवाले प्रमाण-पत्र का फारम निम्न है :-

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने (हमने) क, पिता का नाम ख की, जो ... विभाग में ... हैं, सावधानी से जाँच की है । उनकी उम्र उनके कथनानुसार ... वर्ष है और देखने से लगभग ... वर्ष लगती है । मैं (हमलोग) समझता हूँ (समझते हैं) कि ... के कारण (यहाँ रोग या कारण लिखें) क आगे किसी तरह की सेवा (या अपने विभाग में सेवा) करने में पूर्ण और स्थायी रूप से असमर्थ हैं । मुझे (हमें) उनकी असमर्थता उनकी अनियमित या असंयत आदतों के कारण उत्पन्न प्रतीत नहीं होती ।

टिप्पणी : यदि असमर्थता प्रत्यक्षत: असंयत आदतों के फलस्वरूप हो, तो अन्तिम वाक्य के स्थान में निम्न वाक्य लिखें – "मेरी (हमारी) राय में उनकी असमर्थता अनियमित या असंगत आदतों के फलस्वरूप हुई हैं" ।

यदि असमर्थता पूरी और स्थायी प्रतीत न हो, तो प्रमाण-पत्र को तद्नुसार रूपभेदित करना चाहिये और उसमें निम्न वाक्य जोड़ देना चाहिये – "मेरी (हमारी) राय में क, जैसी सेवा वे करते हैं, उससे कम परिश्रम वाली सेवा करने योग्य हैं अथवा ... महीने विश्राम करने के बाद, जैसी सेवा वे करते रहे हैं, उससे कम परिश्रम वाली सेवा करने योग्य हो सकेंगे ।"

प्रकरण 4 : बुढ़ापा पेंशन

उप-प्रकरण (1) : प्रदान की शर्त्तें

129. बुढ़ापा पेंशन उस सरकारी सेवक को दी जाती है जो नियम द्वारा किसी खास उम्र में सेवानिवृत्त होने के लिए हकदार या बाध्य हो । (देखें नीचे नियम 131 और बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता का नियम 75) ।

[समीक्षा : इस सम्बन्ध में दिनांक 1-12-1952 से प्रवृत्त बिहार सेवा संहिता के नियम 73 स्वत: स्पष्ट हो, जिसमें सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई है ।]

[1]**[नियम 73 : किसी सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख वह है जिस तारीख को उसकी** उम्र 58 वर्ष की हो जाती है । अनिवार्य-सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद वह राज्य सरकार की मंजूरी मिलने पर सार्वजनिक कारणों से जो लिख रखे जायेंगे सेवा में रखा जा सकता है ।

[इस नियम के अधीन सौंपी गई शक्तियों के लिए परिशिष्ट 1 देखें ।]

जिस सरकारी सेवक को नियमों के अधीन किसी खास उम्र में निवृत्त होना है, उसकी ओर से क्षतिपूर्त्ति का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

55 वर्ष की उम्र में वैकल्पिक निवृत्ति

130. उत्कृष्ट सेवा में स्थित सरकारी सेवक, जिसकी उम्र 55 वर्ष हो चुकी हो, अपनी पसन्द से बुढ़ापा-पेंशन पर निवृत्त हो सकता है ।

131. जो सरकारी सेवक इस नियमावली के अधीन निवृत्त होने के लिये बाध्य किया जाए अथवा जो नियम 130 के अधीन स्वेच्छा से निवृत्त हो और जिसकी सेवा का कुछ अंश निचला रहा हो, वह नियम 54 द्वारा अनुमत विकल्प का हकदार है ।

1. जी०एस०आर० 152, दिनांक 28-9-1973 द्वारा प्रतिस्थापित ।

उप-प्रकरण (2) : प्रक्रिया

132. (क) हर सरकारी सेवक का मामला, जब वह बुढ़ापा-पेन्शन की उम्र को पहुँच रहा हो तथा हर सेवा काल-वृद्धि की समाप्ति के पहले, हाथ में लिया जाएगा।

(ख) जो सरकारी सेवक बुढ़ापा-पेन्शन, की उम्र को प्राप्त करने वाले हों या प्राप्त कर चुके हों, वे सेवा-काल बढ़ाने के लिये आवेदन, मौलिक या बढ़ाई गई सेवा की समाप्ति के छः महीने पहले करेंगे।

[**समीक्षा** : देखें नियम 133 के नीचे दी गई राज्य सरकार का निर्णय तथा परिशिष्ट 6 ।]

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

***विषय : पेंशन मामलों के अशुद्ध और अपूर्ण प्रस्तुतिकरण के कारण पेंशन-मामलों के निष्पादन में विलम्ब।**

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के ज्ञापांक 15462 वि०, दिनांक 15 दिसम्बर, 1953 की ओर ध्यान दिया जाए जिसके साथ एक प्रश्नावली प्रसारित की गई थी ताकि स्वीकृति प्राधिकारी सभी तरह से परिपूरित पेंशन-मामले महालेखाकार कार्यालय को भेजने में समर्थ हों। राज्य सरकार को जानकारी मिली है कि प्रश्नावली के अनेक मदों के उत्तर या तो जैसे-तैसे दिये जाते हैं या खानापूरी मात्र, जिसके लिये प्रश्नों में निहित कार्य का सभी स्तरों पर निष्पादन अपेक्षित था। प्रतीत होता है कि सम्बद्ध प्राधिकारी प्रश्नावलियों को सावधानी से नहीं पढ़ते हैं और अपूर्ण ही नहीं, बल्कि अशुद्ध उत्तरों के साथ पेंशन-मामले महालेखाकार कार्यालय को भेज देते हैं। परिणाम यह होता है कि त्रुटि-सुधार के लिए, महालेखाकार द्वारा मामलों को लौटा दिया जाता है और फलतः पेंशन-मामलों के अन्तिमीकरण में काफी विलम्ब होता है। महालेखाकार द्वारा मामलों को लौटा दिया जाता है और फलतः पेंशन-मामलों के अन्तिमीकरण में काफी विलम्ब होता है। महालेखाकार द्वारा रिपोर्ट की गई कुछ बड़ी त्रुटियाँ जिनके कारण महालेखाकार कार्यालय द्वारा पेंशन-मामले के निष्पादन में विलम्ब होता है निम्नांकित हैं –

(क) इस आशय का स्पष्ट प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है कि आरंभ में अस्थायी, स्थानापन्न और परिवीक्षाधीन की गई सेवाओं के सम्बन्ध में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 63, 64 और 66 की शर्तों का पालन किया गया या नहीं, और न उसमें रिक्तियों कीशृंखला बताई जाती है। सेवा-पुस्तिका में ऐसे प्रमाण दर्ज नहीं रहते जो ऐसी सेवाओं को अर्हताप्रदायी सेवा की गणना के लिए आवश्यक हैं।

(ख) निलम्बन की स्थिति में, पुनःस्थापना के आदेश प्रायः दर्ज नहीं रहते। यह भी स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं रहता है कि निलम्बनावधि को किस तरह से पेंशनार्थ गणना की जाए।

(ग) बहुत सारे मामले में वित्त विभाग द्वारा विधिवत् जाँचोपरान्त वेतन निर्धारण के विवरण की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ समुचित रूप में संशोधित नहीं की जातीं, और यह प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता कि अधिक निकासियों को यदि हों, फिर से समंजित कर दिया गया है। यह भी पाया जाता है कि यद्यपि महालेखाकार कार्यालय/वित्त विभाग इस बात को प्रश्नावली के उत्तर में उल्लेख कर देता है, फिर भी वह जाँच विवरण सेवा-पुस्तिका में नहीं चिपकाया जाता है।

(घ) जब मौलिक रूप से स्थायी पद धारण करनेवाला कोई सरकारी सेवक किसी अन्य पद पर स्थानापन्न रहता है तब उसका मूल वेतन सेवा-पुस्तिका के स्तंभ 4 में दर्शित किया जाता है और स्थानापन्न नियुक्ति के फलस्वरूप वेतन में हुई किसी वृद्धि को सेवा-पुस्तिका के स्तंभों में दर्शित करना होता है। लेकिन ऐसा यदा-कदा ही किया जाता है। चूँकि सामान्यतः केवल मूल वेतन ही उपलब्धियाँ गिना जाता है, इसलिए उस वेतन का विनिश्चय करना कठिन होता है जो बिहार पेंशन नियमावली के नियम 151 के तहत पेंशन के लिए उपलब्धि गिना जाए।

(ङ) यद्यपि कुछ मामलों में प्रश्नावली के उत्तर में यह कह दिया जाता है कि सरकारी सेवक द्वारा लिया गया स्थानापन्न वेतन में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 151 (एफ०) की शर्तों का अनुपालन हुआ है, तथापि सेवा-पुस्तिका में अपेक्षित प्रमाण दर्ज नहीं रहता और न रिक्तियों कीशृंखला दर्ज रहती है।

(च) यदि सरकारी सेवक के वेतन कम करने की सजा दी गई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं रहता कि उससे भविष्यत् वृद्धियाँ स्थगित रखने का भी प्रभाव पड़ेगा या नहीं। कम करने का मूल आदेश

और उसका पश्चात्वर्ती रूपान्तरण भी नत्थी नहीं रहते, फलस्वरूप समय-समय पर वेतन-स्थितियों को समझ पाना संभव नहीं होता ।

(छ) कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि प्रश्नावली के उत्तर में यह कहा गया है कि सरकारी सेवक ने वित्त विभाग के ज्ञापांक 5282 वि०, दिनांक 26-4-1951 के अधीन अपना विकल्प प्रयोग किया है, किन्तु सेवा-पुस्तिका में वह मूल-विकल्प चिपकाया नहीं रहता है जिसपर विकल्प देने की तिथि अंकित हो और प्रतिहस्ताक्षर हों । इन परिस्थितियों में पेंशन की अनुमान्यता सम्बन्धी रिपोर्ट नहीं दी जा सकती ।

(ज) अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में एल०डब्लू०पी० की स्वीकृति से वृद्धियाँ स्थगित नहीं की जातीं । फलत: महालेखाकार कार्यालय को कागजात वापस करना आवश्यक हो जाता है ताकि वेतन का सही-सही नियमन किया जा सके और अधिभुगतान की राशि का पता किया जा सके ।

2. पेंशन-स्वीकृति में विलम्ब कम करने और महालेखाकार कार्यालय और पेंशन--स्वीकृति प्राधिकारी के बीच सुदीर्घ पत्राचार से बचने के लिये अनुरोध है कि प्रश्नावली में अंकित मदों को भरते समय अधिक ध्यान दिया जाए । यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी बिन्दुओं का विधिवत् परिहार किया गया है ताकि वे यथासाध्य आपत्तिमुक्त हों ।

3. राज्य सरकार को यह भी जानकारी मिली है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 189 में अंतर्विष्ट प्रावधानों का दृढ़ता से पालन नहीं किया जाता है । उक्त नियम का उद्देश्य पहले ही इस विभाग के ज्ञापांक पी० 1-1013/55-2090 वि०, दिनांक 15-2-1956 में स्पष्ट किया जा चुका है ।

अत: अनुरोध है कि प्रत्येक पेंशन-मामला सरकारी सेवक की वास्तविक निवृत्ति की तिथि से कम-से-कम एक वर्ष (अब पन्द्रह माह)) पहले हाथ में लिया जाए ।

4. पेंशन-मामलों के त्वरित निष्पादन की एक मुख्य बात यह है कि महालेखाकार बिहार द्वारा आपत्ति सहित लौटाये गए मामलों को उनमें की गई आपत्तियों को दूर करके उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पुन:प्रेषित कर दिया जाए । अत: सरकारी विभागों से आग्रह है कि वे वैसे मामलों को अनुपालनोपरान्त बहुत जल्द महालेखाकार कार्यालय को वापस कर दें । जिन मामलों में महालेखाकार, बिहार द्वारा पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की अनुमान्यता संबंधी रिपोर्ट ऐसी कतिपय शर्तों के अध्यधीन की जाती है जो लघु प्रकृति की आपत्तियाँ होती हैं या जिसमें उन्हें स्पष्टीकरण देना होता है, उन मामलों में कोई वजह नहीं दिखती कि आपत्तियाँ दूर करने और पेंशन तथा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की स्वीकृति प्रदान करने में अधिक विलम्ब क्यों होता है ।

पेंशन-मामलों के निष्पादन में विलम्ब से बचने के लिए इन निर्देशों से अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाए । [***ज्ञापांक पेन-1049/59/पी० 1-3-23434 वि०, दिनांक 8-12-1959**]

2.

***विषय : पेंशन मामलों के अशुद्ध और/या अपूर्ण प्रस्तुतिकरण की वजह से पेंशन-मामलों के निष्पादन में विलम्ब ।**

सरकार को जानकारी दी गई है कि महालेखाकार के कार्यालयों को भेजे गए बहुत सारे पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान मामले अपूर्ण और अशुद्ध हैं और फलस्वरूप पेंशन-मामलों के अंतिमीकरण के पहले सुदीर्घ पत्राचार करने की आवश्यकता है । इससे पेंशन की स्वीकृति में विलम्ब होगा और परिणाम स्वरूप पेंशनभोगी को कठिनाई होगी ।

2. पेंशन-स्वीकृति में विलम्ब और महालेखाकार-कार्यालय और पेंशन-स्वीकृति प्राधिकारी के बीच पत्राचार को कम करने की दृष्टिबिन्दु से, महालेखाकार, बिहार के परामर्श से एक प्रश्नावली (प्रति संलग्न) तैयार की गई है जो उत्तरित कर दिये जाने पर पेंशन-मामला को करीब-करीब पूर्ण कर देगी ।

3. अनुरोध है कि प्रश्नावली में बताई गई रूपरेखा के आधार पर हर पेंशन-मामला को पूर्णता दी जाये, और पेंशन-कागजात के साथ विधिवत् उत्तरित और अग्रसारण पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति महालेखाकार को भेजी जाए ।

4. 24 फरवरी, 1954 के बाद महालेखाकार को बिना प्रश्नावली और उत्तर के भेजे गए सभी पेंशन- मामले महालेखाकार द्वारा फिर से उन सबके साथ भेजे जाने के लिए वापस कर दिये जाएँ।

5. मापदण्ड के अनुसार प्रश्नावली बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं और इस बीच हस्तलिखित प्रतियों का प्रयोग किया जाए।

6. ऊपरांकित निर्देश उन सभी प्राधिकारियों को, जो पेंशन स्वीकृत करने को सक्षम हैं या पेंशन-कागजात को तैयार करने से सम्बन्ध रखते हैं, संसूचित कर दिये जाएँ। [*ज्ञापांक 1562-वि०, दिनांक 5 दिसम्बर, 1953]

प्रश्नावली

प्रश्न	उत्तर (प्रत्येक मद के सामने हाँ या न में उत्तर दें।)
1. क्या पेंशन मामला के साथ निम्न प्रत्येक विवरण संलग्न किए जाते हैं –	
(1) बिहार पेंशन नियमावली के प्रपत्र 4 में पेंशन हेतु आवेदन पत्र	
(2) निवृत्ति की तिथि तक अद्यतन सेवा पुस्त और छुट्टी लेखा – क्या सेवा पुस्त का प्रथम पन्ना जाँचोपरान्त पुन: अभिप्रमाणित 5 वर्ष के अन्तराल में की गई है।	
(3) अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र जिसमें किस तिथि तक और किस दर से भुगतान किया गया दर्शाते हुए –	
(4) पेंशन आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ठ की एक प्रति विधिवत् भरा हुआ और अभिप्रमाणित	
(5) दो हस्ताक्षर का अभिप्रमाणित नमूना	
(6) दो चिह्न जिस पर बाएँ अँगूठा और अँगुलियों का निशान हो (पासपोर्ट साइज फोटो जहाँ जरूरत हो) विधिवत् अभिप्रमाणित।	
2. क्या सम्पूर्ण अराजपत्रित सेवा (राजपत्रित सरकारी सेवक के मामले में, अराजपत्रित सेवा का अंश, यदि कोई हो) को स्थानीय अभिलेख से मिलान प्रत्येक वर्ष किया गया है और प्रत्येक वर्ष सेवा पुस्त में अंकित किया गया है।	
क्या बिहार पेंशन नियमावली के प्रपत्र 4 में इस प्रकार के सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र सेवा इतिहास में अंकित किया गया है।	
3. क्या आपने बिहार पेंशन नियमावली के प्रपत्र 4 के पेज 2 में सेवा के इतिहास में दिए गये तिथि का मिलान सेवापुस्त में दी गई तिथि से किया है ताकि दोनों तिथियों में भिन्नता न हो।	
4. क्या बिहार पेंशन नियमावली के नियम 63 में दी गई शर्तों का अनुपालन किया गया है। सम्पूर्ण सेवावधि या अस्थायी सेवा के किसी अवधि जो शुरू से प्रारम्भ हुई हो।	
(अगर उपर्युक्त का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या इस आशय का प्रविष्टि सेवा-पुस्त में कर दी गई है)	
5. क्या प्रशिक्षु सेवकों के सम्बन्ध में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 64 में दी गई शर्तों को पूरी कर दी गई है।	
6. (यदि उपर्युक्त का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इस आशय की प्रविष्टि अभिप्रमाण के तहत सेवा-पुस्त में कर दी गई है)	
7. क्या बिहार पेंशन नियमावली के नियम 66 में दी गई शर्तों को पूरी कर दी गई है।	
क्या सेवा-पुस्त में स्थायी पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि और मौलिक वेतन की दर अंकित की गई है ?	

8. क्या असमर्थता के मामले में असमर्थता का प्रमाण-पत्र सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में प्राप्त कर ली गई है और पेंशन मामलों के साथ संलग्न है ।

9. क्या सेवा-पुस्त में निलम्बन के पश्चात् हुई पुनर्अभिषेक को सेवा-पुस्त में अंकित कर दी गई है ?

10. क्या बिहार पेंशन नियमावली के नियम 110 में दी गई शर्तों एवं घोषणा की पूर्ति कर दी गई है ?

11. क्या निर्धारित वेतनमान में उनके वेतन की जाँच ऑडिट कार्यालय द्वारा कर ली गई है यदि हाँ तो जाँच प्रतिवेदन पेंशन मामला के साथ संलग्न है । (अगर वेतन निर्धारण विवरणी संलग्न नहीं किया गया है तो उसकी दूसरी प्रति संलग्न की जाये ।)

12. क्या पदाधिकारी ने वित्त विभाग के ज्ञाप सं० 5285 वि०, दिनांक 25-4-1951 की कंडिका 2 (ख) और 2 (ग) के लिए अपना विकल्प दिया है, यदि हाँ तो क्या आवेदनकर्त्ता का लिखित घोषणा प्राप्त कर प्रति हस्ताक्षरित करा कर सेवापुस्त में चिपका दी गई है ।

13. क्या सेवा-पुस्त के सभी कालमों को उचित अभिप्रमाणन के तहत भर दिया गया है ।

14. (क) क्या सेवा के विगत 8 वर्षों में कोई विशेष वेतन की निकासी की गई है ?

(ख) विशेष वेतन की स्वीकृति हेतु कारणों का उल्लेख करें ।

(ग) क्या यह कर्त्तव्य भत्ता के रूप में था ?

15. क्या विगत तीन वर्षों के अन्दर आवेदक ने विशेष वेतन अवकाश के दौरान प्राप्त किया ?

16. क्या सेवा के तीन वर्षों के अन्दर निकासी की गई विशेष वेतन से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 15 (F) के शर्त्तों की पूर्त्ति होती है ।

17. क्या सरकारी सेवक द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 193 की टिप्पणी में पेंशन एवं उपदान नहीं प्राप्त करने सम्बन्धी घोषणा को प्रेषित किया गया है ?

18. (क) क्या विगत तीन वर्षों के बीच पड़ने वाली वेतन बढ़ोत्तरी, लेकिन औसत वेतन पर चार माह की छुट्टी को रोक दिया गया है ?

(ख) यदि रोकी नहीं गई है तो क्या औसत वेतन की गणना में इसे सम्मेलित किया गया है ।

19. अगर कोई राशि (जो वेतन की अधिक निकासी, भत्ता या वेतन अग्रिम की नहीं वापस की गई राशि, यात्रा पर यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता, मोटरकार या साईकिल अग्रिम, मकान निर्माण या किसी प्रकार का कोई देन-पावना) जो पेंशनर से अदायगी के लिए लम्बित हो । यदि हाँ तो, इस राशि की कटौती के लिए पेंशनर से सहमति पत्र प्राप्त किया जा सकता है, बिना कटौती किए वित्त विभाग के पत्र संख्या 6654 वि०, दिनांक 30-5-1951 के अनुसार अंतिम पेंशन मंजूर नहीं किया जाये, बल्कि प्रत्याशा पेंशन या घटायी गई पेंशन स्वीकृत की जा सकती है ।

20. (क) क्या छुट्टी, औसत प्राप्ति, मृत्यु-सह-सेवा उपदान का विवरण सेवा-पुस्त से जाँच कर ली गई है और पेंशन कागजात के साथ संलग्न कर दिया गया है ?

21. चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवक के मामले में पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की स्वीकृति पेंशन कागजात के साथ संलग्न है ?

22. (क) पेंशनर की मृत्यु के मामले में क्या परिवार पेंशन/और या मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान वास्ते मनोनयन पेंशन कागजात के साथ संलग्न है ।

(ख) मनोनयन नहीं होने की अवस्था में क्या उपदान के लिए पेंशनर के उचित उत्तराधिकारी द्वारा दावा वित्त विभाग के पत्र सं० 11140 वि०, दिनांक 7-9-1951 की कण्डिका 2 (ख) के अनुसार वैधिक उत्तराधिकार के साथ पेश किया गया है।

(ग) क्या विवरणात्मक रौल, हस्ताक्षर का नमूना, अँगूठा/अँगुलियों के निशान (उत्तराधिकारी का) प्राप्त कर संलग्न कर दिया गया है।

23. (क) औपबन्धिक पेंशन/उपदान हेतु आपके द्वारा अनुशंसा की गई है ?

(ख) क्या मनोनयन के अभाव में पेंशनर के वैध उत्तराधिकारी द्वारा उपदान हेतु द्वारा उचित प्राधिकार के साथ वित्त विभाग के पत्रांक V/सी०डी०आर०- 506/51-11140 वि०, दिनांक 7-9-1951 के अनुसार दाखिल किया गया है ?

24. सरकारी सेवक के सेवा से पदच्युति या बर्खास्तगी के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में सक्षम पदाधिकारी से घोषणा प्राप्त की गई है कि सेवक की पूर्व की सेवा की गिनती पेंशन हेतु की जायेगी अथवा नहीं।

25. क्या बिहार सरकार वित्त विभाग के आदेश सं० 1369 वि०, दिनांक 22-3-1953 के अनुसार पेंशन का दावा प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को स्पष्ट किया गया है ?

26. यदि सरकारी सेवक की सेवा एक से अधिक सरकार के अन्दर हो, तो क्या पेंशन आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ठ पर इसका उल्लेख किया गया है ?

27. यदि आवेदक किसी सहकारी संस्था या पक्षकार के तहत विदेश सेवा में हो तो उसके विदेश सेवा के वर्षों की तथा पेंशन अनुदान जो दिया गया है तथा महालेखाकार को परामर्शित हो उसका विवरण दें।

28. राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में जिनके वेतन और भत्ता की निकासी ऑडिट ऑफिसर के अंकेक्षण के तहत की गई हो तो क्या उक्त ऑडिट ऑफिसर के पदनाम सहित ऐसी निकासी का विवरण सेवा की वर्षों के साथ संलग्न किया गया है ताकि महालेखाकार द्वारा इसे सत्यापित किया जा सके।

अग्रसारण पदाधिकारी का हस्ताक्षर

133. अनुसचिवीय (लिपिक) और गैर-अनुसचिवीय (लिपिक) सरकारी सेवक को, जो बुढ़ापा-पेंशन की उम्र को पहुँच रहे हों, सेवा में बनाये रखने या न बनाये रखने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश निकालने की दृष्टि से, महालेखाकार प्रति वर्ष 1ली सितम्बर को या उसके लगभग पद (यदि रिक्त हों) भरने में सक्षम प्राधिकारी के पास उन सरकारी सेवकों की सूची प्रस्तुत करेगा जो अगले सरकारी वर्ष में बुढ़ापा-पेंशन की उम्र को प्राप्त कर लेंगे या बढ़ाई गई सेवा-अवधि पूरी कर लेंगे।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

***विषय : आयु की माफी और सेवा में कमी।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन 1013/68/8426 एफ०, दिनांक 30 जुलाई, 1963 का निर्देश करें जिसके तहत उपसचिव, प्रभारी पेंशन, वित्त विभाग को पेंशन-मामले के निबटारे में बाधक होनेवाले विभिन्न कारणों से संव्यवहार करने की उपर्युक्त शक्तियाँ प्रदान की गई है।

2. विभिन्न सरकारी कार्यालयों में बकाया पड़े पेंशन-मामलों की समीक्षा की गई और पाया गया कि पेंशन-मामले अधिकतर निम्नांकित कारणों से रुके पड़े हैं :–

(ए) पेंशनलाभी और उसके पारिवारिक सदस्यों छायाचित्र और हस्ताक्षर नमूने का अभाव;

(बी) आयु की माफी, सेवा में कमी, पेंशन के लिए अस्थायी सेवा की गणना और अन्य सेवा-शर्तों में शिथिलता।

3. जबकि पेंशनलाभियों से छाया-चित्र और हस्ताक्षर-नमूने प्राप्त करने हैं और जब तक वे प्राप्त नहीं हो जाते तब तक पेंशन-कागजात का निबटारा नहीं हो सकता; आयु की माफी और सेवाकमी, आदि प्रश्न पेंशनप्रभारी उपसचिव द्वारा निर्णीत किये जा सकते हैं बशर्ते कि उन्हें आवश्यक सामग्रियाँ उपलब्ध करा दी जायें।

4. अतः अनुरोध है कि सभी पेंशन-मामले जो आयु की माफी और सेवा-शर्तों में शिथिलता, आदि के लिये रूके पड़े हैं पेंशन प्रभारी उप-सचिव को भेज दिये जायें जिससे वे इन पेंशन-मामलों का निष्पादन शीघ्रातिशीघ्र कर सकें।

5. सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों या उन सेवकों, जो एक वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्त होनेवाले हैं, के वेतन-निर्धारण मामले उनके पास उनके नाम से भेज दिये जायें। [***ज्ञापांक पेन–104/68/1418 वि०, दिनांक 12-12-1968**]

2.

***विषय : अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष के बाद सेवा में रहने पर रोक।**

लम्बित पेंशन मामलों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष के बाद में भी सरकारी सेवक वर्षों तक सेवा में रख लिये जाते हैं और उन्हें आम राजस्व से भुगतान किया जाता है, जो अनियमित है। इसका दुष्प्रभाव उनके पेंशन/ग्रैच्युटी के मामले के शीघ्र निष्पादन पर पड़ता है और उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक कठिनाइयों का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार की अनियमितता के निम्नांकित मुख्य कारण हैं :–

(1) पेंशन स्वीकृत प्राधिकारी/कार्यालय प्रधान द्वारा आगामी 18 माहों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की अग्रिम सूची नहीं तैयार की जाती है और उस सूची के अनुसार समय पर कार्रवाई नहीं की जाती है;

(2) उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर नियमों एवं निर्गत राज्यादेश का सही रूप में अनुपालन नहीं किया जाता है।

2. प्रचलित नियमों के अधीन अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में औपबन्धिक पेंशन/ग्रैच्युटी की स्वीकृति की शक्ति कार्यालय प्रधान को प्रदत्त है। अराजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन को तैयार करने की सारी जिम्मेदारी कार्यालय प्रधान की ही है। कर्मचारियों की सेवा-पुस्ति कार्यालय प्रधान के पास ही रहती है। अतः सेवा अभिलेखों के आधार पर ही सेवानिवृत्ति के 18 माह पूर्व सूची तैयार करने का उत्तरदायित्व उन्हीं का है। परन्तु पेंशन स्वीकृत पदाधिकारी को नियुक्ति पदाधिकारी होने के नाते उन्हें इस बात की पूर्ण जानकारी रखना चाहिए कि उनके अधीन कौन कर्मचारी कब सेवानिवृत्ति की अनिवार्य आयु अर्थात् 58 वर्ष प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने वाले हैं और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही उन्हें सेवानिवृत्त करा देने की पूर्ण जिम्मेवारी है।

राजपत्रित पदाधिकारी

राजपत्रित पदाधिकारियों का सेवा अभिलेख महालेखाकार, बिहार के कार्यालय में रहता है। तिथि 1-4-1967 के बाद राजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन कागजात को तैयार करने की जिम्मेवारी महालेखाकार, बिहार की है। अतः उन्हें अगले 18 माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूचना पेंशन स्वीकृति पदाधिकारियों के पास तैयार कर भेज देना चाहिए। जिससे वे सम्बद्ध राजपत्रित कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष के बाद सेवा में नहीं रख सके। साथ ही पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी भी अपने स्तर से इस तथ्य की सदैव जाँच करते रहें कि किस राजपत्रित कर्मचारी को किसी अमुक तिथि को सेवानिवृत्त होना है और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करते ही उन्हें एक दिन भी सेवा में बने रहने देना नहीं चाहिए।

साथ ही सेवानिवृत्त होने वाले राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों की यह पूर्ण जिम्मेवारी है कि वे अपना पेंशन सम्बन्धी कागजात 18 माह पूर्व ही दाखिल कर दें। ऐसे राजपत्रित कर्मचारी जिनका वेतन पुर्जा महालेखाकार द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है, उनके मामले में अराजपत्रित कर्मचारियों की तरह ही आवश्यक कार्रवाई की जाये। अगर कोई राजपत्रित कर्मचारी राज्य सरकार की बिना पूर्व लिखित अनुमति के स्वेच्छा से 58 वर्ष की आयु के बाद भी सेवा में बने रहते तो वे उस अवधि के लिए वेतन भत्ता आदि से वंचित रहेंगे तथा कदाचित उस अवधि के लिए उन्हें पेंशन/उपदान आदि की सुविधा नहीं मिलेगी।

3. इस प्रसंग में वित्त विभाग के ज्ञापांक–3/पी०ए०आर०–01/77–9989/वि०, दिनांक 4 अक्तूबर, 1977 भी द्रष्टव्य है । किसी हालत में किसी कोटि के कर्मचारी को 58 वर्ष के बाद सेवा में बने रहना सरकारी आदेश की स्पष्ट अवहेलना है और अनाधिकृत है । अगर इस प्रकार के मामले सरकार की नजर में आवें तो दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और गलत ढंग से वेतन आदि के रूप में भुगतान की गई राशि की वसूली करने की कार्रवाई की जायेगी ।

4. इस परिपत्र में विहित आदेश का पूर्णत: पालन किया जाये । इसकी सूचना अपने सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी दे दी जाये । [***ज्ञापांक सं०–2-20-78–5749 वि०, दिनांक 14-4-1979**]

3.

***विषय : सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष के बाद सेवा में बने रहने पर रोक ।**

राज्य सरकार ने समय-समय पर वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 9989/वि०, दिनांक 4-10-1977, संख्या–5749 वि०, दिनांक 14-4-1978 एवं संख्या 591/वि०, दिनांक 29-1-1986 के जरिये सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की 58 वर्ष की आयु के बाद किसी भी स्थिति में सेवा में बनाये रखने पर रोक लगा रखी है तथा उक्त परिपत्रों में निहित नीति-निर्णय को शिथिल नहीं करने के निदेश भी हैं ।

2. फिर भी कुछ ऐसे मामले सामने आये जिनमें पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त कराने की वास्तविक रूप में आवश्यकता महसूस की गई । उसी उद्देश्य से मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति से मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा परिपत्र संख्या–460, दिनांक 1-3-1988 निर्गत किया गया है ।

3. मंत्रिमंडल सचिवालय के उक्त–परिपत्र में अपवाद स्वरूप जनहित में, एक महीने पहले से सरकारी निर्णय प्राप्त कर अधिकतम तीन महीने के सेवा-विस्तार की स्वीकृति का प्रावधान है ।

4. पूर्ण पेंशन एवं उपदान का लाभ प्राप्त कराने के उद्देश्य से अधिकतम तीन महीने की सेवा–वृद्धि स्वीकृत करने का भी प्रावधान उक्त परिपत्र में है । किन्तु पाया जा रहा है कि पूर्ण पेंशन एवं उपदान की प्राप्ति के लिए तीन महीने की सेवा–वृद्धि के अनेक ऐसे दावे भी पेश किए जा रहे हैं जिनमें मात्र कुछ दिनों का सेवा-विस्तार स्वीकृत करने से पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त हो जा सकता है । वर्णित परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 1 मार्च, 1988 के उक्त परिपत्र में निहित प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्तों के निरूपण की आवश्यकता महसूस की गई है ।

5. अत: सरकार ने गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि पूर्ण पेंशन एवं उपदान का लाभ स्वीकृत कराने के वैसे ही उद्देश्य से भी वैसे ही पदाधिकारियों/कर्मचारियों के मामले विचार के लिए प्रस्तुत किये जायें –

(क) जिनकी चारित्रिक अभ्युक्तियाँ उत्तम अथवा उच्च कोटि की हो, न कि मात्र साधारण, औसत अथवा संतोषजनक श्रेणी की, और

(ख) जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक अथवा विभागीय कार्यवाही या कोई फौजदारी मुकदमा लम्बित या विचाराधीन नहीं हो ।

साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि पूर्ण पेंशन एवं उपदान का लाभ प्राप्त हो जाने के लिए तैंतीस वर्षों की निर्धारित समय-सीमा पूरी होने में वास्तविक रूप में जितने दिन की कमी हो, मात्र उतने ही दिनों के लिए सेवा–विस्तार की स्वीकृति केवल उपर्युक्त शर्तों को पूरा करनेवाले मामलों में ही दी जा सकती है, किन्तु किसी भी दशा में सेवा–वृद्धि की यह अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी ।

6. इस प्रसंग में यह महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि नियमों के अन्तर्गत विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए वित्त विभगा के माध्यम से सरकार के पूर्व सक्षमादेश के बिना, किसी भी सरकारी सेवक को 58 वर्ष की अनिवार्य सेवा–निवृत्ति की आयु पूरी करने के बाद एक दिन के लिए भी सेवा में नहीं रहने दिया जाये और नहीं कोई सरकारी सेवक स्वयं भी रहें । ऐसा करने की जिम्मेदारी तत्सम्बन्धी आदेश निर्गत करने वाले पदाधिकारी एवं सम्बन्धित सरकारी सेवक की होगी । बिना सक्षमादेश के सम्बन्धित सरकारी सेवक स्वत: सेवानिवृत्त माना जायेगा

और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसे एक दिन के लिये भी किसी वेतनादि या किसी अन्य किस्म के भुगतान अनुमान्य नहीं होगा । इसका सर्वथा दृढ़ता से पालन किया जाये। [***ज्ञाप संख्या 3/एफ 3-02/88/6287 वि० (2), दिनांक 17-9-1988]**

प्रकरण 5 : निवृत्ति-पेंशन

134. (क) निवृत्ति-पेंशन उस सरकारी सेवक को दी जाती है जिसे तीस वर्षों या ऐसी कम अवधि, जो किसी खास वर्ग के सरकारी सेवक के लिये विहित हो, की पेन्शन-प्रदायी सेवा पूरी कर लेने के बाद निवृत्त होने की अनुमति प्रदान की जाए ।

(ख) निवृत्ति-पेंशन उस सरकारी सेवक को भी दी जाती है जिसे 25 वर्षों या उससे अधिक अथवा सेवा की किसी अन्य विहित अवधि की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी करने के बाद निवृत्त होना पड़ता है ।

(देखें : बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता का नियम 75 (घ), नियम 135, और नीचे टिप्पणी 1) । [अब बिहार सेवा संहिता का नियम 74 देखें ।]

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

***विषय : सरकारी सेवक का सरकारी कम्पनी/निगम में स्थायी स्थानान्तरण-सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति ।**

राज्य सरकार के पास यह प्रश्न विचाराधीन रहा था कि यदि किसी सरकारी सेवक को जिन्हें सरकार द्वारा स्वामित्व वाले या नियंत्रित निगम-निकाय की सेवा में प्रतिनियुक्त या स्थानान्तरित कर दिया गया है या जिनकी सेवाएँ वैसे निकाय को उधार दी गई हैं, उस निकाय की सेवा में स्थायी रूप से विलीन कर दिये जाने की स्थिति में सरकार के अधीन उनके द्वारा की गई पेंशनप्रदायी सेवा के लिए कोई सेवानिवृत्ति लाभ मंजूर किया जा सकेगा अथवा नहीं, और यदि हाँ तो किस सीमा तक और किस रूप में । सावधानी से विचार करने के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वैसे मामले में, नीचे दी गई कंडिका 2 की अंतर्वस्तु में अध्यधीन उस राशि के बराबर राशि जो सरकारी पदाधिकारी द्वारा सरकार के अधीन अंशदायी भविष्य निधि शर्तों पर सेवा के दौरान अंशदान की होती है साथ-साथ सरकार के अधीन उसकी पेंशनप्रदायी सेवावधि के लिए दो प्रतिशत साधारण ब्याज, स्थायी रूप से विलीन होने की तारीख को आरंभिक अतिशेष स्वरूप स्वशासी निकाय के पास उसके अंशदायी भविष्य निधि लेखा के नाम डाल दी जायेगी, और इस अदायगी के फलस्वरूप सरकार के अधीन उक्त पदाधिकारी का पेंशनप्रदायी सेवा के सम्बन्ध में सरकार का दायित्व समाप्त समझा जायेगा । सरकारी अंशदान की दर सम्बद्ध सरकारी सेवक की उपलब्धियों की 6½% (साढ़े छह प्रतिशत) होगी ।

2. उपर्युक्त निर्णय केवल उसी मामले में लागू होगा जिसमें सरकारी सेवा से स्वशासी निकाय में स्थानान्तरण लोकहित में किया गया हो और स्थानान्तरण सरकारी या अर्धसरकारी निकाय में न कि निजी संस्थान में किया गया हो । अन्य किसी मामले में पदाधिकारी के स्थानान्तरण के पहले उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के लिये सेवानिवृत्ति लाभ देने का दायित्व सरकार पर नहीं होगा ।

3. रियायत का दावा पेश करने का अधिकार होगा, लेकिन इसे मंजूर करना मामला-दर-मामला सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा और मामला विशेष के औचित्य पर निर्भर करेगा । [***वित्त विभाग ज्ञापांक पेन०–1050/62/15445–एफ०, दिनांक 5-12-1962]**

2.

***विषय : सरकारी सेवकों का सरकारी कंपनियों/निगमों में स्थायी स्थानान्तरण–निवृत्ति-लाभों की स्वीकृति ।**

भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से अन्तर्लीन सरकारी सेवकों को स्वीकृत किये जाने वाले निवृत्ति-लाभों को राज्य सरकार ने और समीक्षा की है और सभी पौर्विक आदेशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नांकित निर्णय लिये हैं :–

(क) परिस्थितियाँ जिनमें स्थायी अन्तर्लीनता की अनुमति दी जा सकेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियोजन पर होने वाले सरकारी सेवकों को लोकहित में स्थायी आधार पर अन्तर्लीन किया जा सकता है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में सरकारी सेवा से स्थानान्तरण की अनुमति दी जायेगी। अन्य किसी मामले में सरकारी पदाधिकारी द्वारा स्थानान्तरण से पहले सरकार के अधीन की गई सेवा की अवधि के लिए सेवानिवृत्ति-लाभ देने का दायित्व नहीं स्वीकार करेगी। सरकारी सेवक, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अंतर्लीन होने की अनुमति दी जायेगी, सार्वजनिक उपक्रम में स्थायी अंतर्लीनता की तारीख से सरकारी सेवा से निवृत्त समझा जायेगा।

(ख) पेंशनी लाभ

(1) **स्थायी सरकारी सेवक, सार्वजनिक उपक्रम में अंतर्लीन होने पर, अंतर्लीन होने की तारीख तक सरकार के अधीन उसकी अर्हता प्रदायी सेवा की लम्बाई पर आधारित आनुपातिक पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान पाने के उपयुक्त होंगे।** पेंशन की गणना अंतर्लीनता की तिथि से पूर्व की एक वर्ष की औसत उपलब्धियों के आधार पर की जायेगी और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की गणना अंतर्लीनता के तुरंत पहले निकाली गई उपलब्धियों के आधार पर की जायेगी। **जिन मामलों में अंतर्लीनता के समय सरकारी सेवक की 10 वर्ष से कम सेवा होगी और पेंशन का हकदार नहीं होगा, उनमें आनुपातिक पेंशन का प्रश्न नहीं उठेगा; वह केवल पेंशन के बदले आनुपातिक सेवा-उपदान और सेवा की लम्बाई पर आधारित मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान उपयुक्त होंगे।**

(2) पेंशन/उपदान और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि सम्बद्ध सरकारी सेवक के स्थायी अंतर्लीनता के समय प्रवृत्त नियमों के आधार पर गणित की जायेगी, और सार्वजनिक उपक्रम में अंतर्लीनता पर तुरंत उसे उसकी पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान दे दिये जायेंगे। तथापि, वैसे सरकारी सेवक को वचनबद्धता देनी होगी कि यदि सरकारी सेवा से निवृत्ति और सार्वजनिक उपक्रम में स्थायी अंतर्लीनता की तारीख दो वर्ष के अन्दर नियोजक अथवा कर्मचारी की प्रेरणा पर सार्वजनिक उपक्रम में उसकी सेवा समाप्त हो जायेगी तो वह किसी प्राइवेट नियोजन ग्रहण करने से पहले राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

(3) जो कुछ पेंशनी लाभ सरकारी सेवक अपनी अन्तर्लीनता के पहले अर्जित करेगा वह सब उसे सार्वजनिक उपक्रम के अधीन वेतन के अतिरिक्त मिला करेगा।

(4) वैसे सरकारी सेवक के लिए विकल्प होगा कि या तो

(क) वह सामान्य सरकारी व्यवस्था के तहत पूर्व में गणित मासिक पेंशन, और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान लें, अथवा

(ख) वह उपदान और उस तारीख को, जबसे आनुपातिक पेंशन, उपदान, आदि भुगतेय हैं, प्रचलित रूपान्तरण तालिका के अनुसार गणित पेंशन के बदले एकमुस्त रकम लें।

ऊपर बताये गये विकल्प का प्रयोग लिखित रूप में स्थायी अंतर्लीनता की तिथि से छह महीने की अवधि के अन्दर करना होगा और सम्बद्ध सरकारी सेवक द्वारा इसका संप्रेषण उपक्रम को तथा महालेखाकार बिहार को और सम्बद्ध मूल कार्यालय को किया जायेगा जो सरकारी सेवक ऊपरांकित (क) के लिए विकल्प देंगे वे राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पेंशन के रूपांतरण के लाभ के भी हकदार होंगे। जिन मामलों में विहित समय के अन्दर कोई विकल्प नहीं दिया जायेगा उनमें सम्बद्ध सरकारी सेवक ऊपरांकित (ख) द्वारा शासित होंगे।

(5) सार्वजनिक उपक्रमों में स्थायी रूप से अंतर्लीन होनेवाले सरकारी सेवकों के मामले में सरकार पारिवारिक पेंशन का कोई दायित्व नहीं लेगी।

(6) सरकारी सेवक के सार्वजनिक उपक्रम में स्थायी रूप से अन्तर्लीन हो जाने के बाद सरकार द्वारा पेंशन नियमों को अधिक उदार बनाने के निर्णय का लाभ उस सेवक को नहीं मिलेगा।

(ग) भविष्य निधि

उपक्रम के अधीन सेवा के लिये विकल्प देनेवाले सरकारी सेवक के भविष्य निधि खाता में जमा अंशदान-राशि और उसका ब्याज, यदि सेवक चाहे, उस उपक्रम के अधीन उसके नये भविष्य निधि खाता में अन्तरित कर दिया जायेगा बशर्त्ते सम्बद्ध उपक्रम भी वैसा अन्तरण के लिए सहमत हो। तथापि, यदि सम्बद्ध उपक्रम भविष्य निधि नहीं चलाता हो तो प्रश्नाधीन राशि अंशदाता को वापस कर दी जायेगी। सरकारी अंशदायी भविष्य निधि द्वारा आच्छादित सरकारी सेवक को, यदि वह चाहें, उपक्रम में अपने नये भविष्य निधि लेखा के सरकारी अंशदान समेत समग्र राशि अग्रनीत करने की भी अनुमति दी जायेगी। भविष्य निधि अतिशेष का एक बार इस तरह से अन्तरण हो जाने के बाद सम्बद्ध सरकारी सेवक सम्बद्ध उपक्रम के भविष्य निधि नियमों से शासित होंगे, न कि राज्य सरकार के भविष्य निधि नियमों से।

(घ) अर्जित छुट्टी

1. प्रतिनियुक्त व्यक्ति को अंतर्लीन करने की स्थिति में सम्बद्ध सार्वजनिक उपक्रम सरकारी सेवक को उपक्रम में अंतर्लीन करने वास्ते अंतिम आदेश जारी करते समय उस औसत-वेतन पर छुट्टी/अर्जित छुट्टी को, जो सम्बद्ध सरकारी सेवक का सरकारी सेवा छोड़ते समय उसके खाते में जमा है, अपने दायित्व में ले लेगा और बदले में इसके लिए राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम में उसके स्थायी अंतर्लय की तिथि को उसकी बाकी औसत-वेतन पर छुट्टी/अर्जित छुट्टी के लिए छुट्टी-वेतन के बराबर एकमुस्त रकम उपक्रम को अदा करेगी। सार्वजनिक उपक्रम द्वारा हर तरह का नहीं अदा किया गया छुट्टी-वेतन-अंशदान सम्बद्ध सरकारी सेवक की औसत-वेतन पर छुट्टी/अर्जित छुट्टी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा देय एकमुस्त रकम के प्रति समंजित किया जायेगा।
2. उपर्युक्त आदेश निर्गम की तिथि से प्रभावी होंगे और उन सरकारी सेवकों के मामलों को आच्छादित करेंगे जो उक्त तिथि को सार्वजनिक उपक्रम में सेवारत हैं।
3. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय, बिहार विधान सभा सचिवालय और बिहार विधान परिषद् सचिवालय में सेवारत व्यक्तियों का सम्बन्ध है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद् के सभापति से सहमति प्राप्त करने के बाद अलग से आदेश निर्गत किये जाएँगे।
4. सार्वजनिक उपक्रम में सरकारी सेवक के स्थायी (अंतर्लय से सम्बन्धित सभी मामलों का निष्पादन उपर्युक्त संप्रेषित निर्णयों के आलोक में किया जायेगा। **[ज्ञापांक पेन-1044/70/1950 वि०, दिनांक 18-2-1974]**

3.

***विषय : सरकारी सेवक का सरकारी कंपनी/निगम में स्थायी स्थानान्तरण — सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति।**

वित्त विभाग के उपर्युक्त विषयक ज्ञापांक पी०सी०-पेन-1044/70/1950 वि०, दिनांक 18-2-1974 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है और निम्नांकित प्रकार से स्पष्टीकृत किया जाता है —

(1) सरकारी कंपनियों/निगमों में सरकारी सेवकों के स्थायी स्थानान्तरण और उन्हें सेवानिवृत्ति-लाभों की स्वीकृति से सम्बन्धित सभी आदेश वित्त विभाग के परामर्श से प्रशासी विभाग द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(2) वैसी कंपनी/निगम में आदित : प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से अंतर्लीन नहीं किया जायेगा क्योंकि ऐसा करने से छुट्टी/पेंशन-अंशदान की वापसी या गैर अदायगी का दावा उद्भूत होगा जिसे वर्तमान नियमों के तहत न तो रोका जा सकता है और न वापस किया जा सकता है।

(3) जैसा कि ऊपर में निर्देशित वित्त विभाग के ज्ञापांक 1950 एफ०, दिनांक 18 फरवरी, 1974 में बताया गया है, सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सेवकों के स्थायी रूप से अंतर्लीन होनेवाले सभी मामलों की जाँच उनमें अन्तर्निहित लोकहित के दृष्टिकोण से की जाये। जिस मामले में सरकारी सेवक को स्वशासी निकाय (सार्वजनिक उपक्रम समेत) में नियुक्ति के लिये चयन उसके स्वयं के आवेदन पत्र

के आधार पर किया जायेगा, उसमें उनका स्थानान्तरण लोकहित में नहीं समझा जाये और सरकार अपने अधीन की गई सेवा की अवधि के लिए किसी निवृत्ति-लाभ या छुट्टी का अग्रनयन के सम्बन्ध में कोई दायित्व नहीं स्वीकार करे । [***वित्त विभाग ज्ञापांक पी०सी० 11-40-55/75-5190 एफ०, दिनांक 30-4-1976]**

135. नियम 5 में वर्णित सरकारी सेवक, अपने त्यागपत्र स्वीकृत हो जाने पर निवृत्ति-पेन्शन पाने के हकदार तभी होंगे, जबकि वे कम से कम 25 वर्षों की पेन्शनप्रदायी सेवा पूरी कर चुके हों ।

टिप्पणी 1 : सरकार को पूर्ण अधिकार होगा कि वह 25 वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी कर लेने के बाद ऐसे किसी सरकारी सेवक को बिना कारण बताये निवृत्त कर दे और इस मद्दे विशेष क्षतिपूर्ति का कोई दावा स्वीकार न किया जायेगा । इस अधिकार का प्रयोग तभी किया जायेगा, जबकि सरकारी सेवक को आगे सेवा में न रखना लोकहित में हो ।

[1] [इस टिप्पणी के अनुसार की गई अनिवार्य निवृत्ति संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के अर्थ में बर्खास्तगी या सेवा से हटाया जाना नहीं है और इस प्रकार निवृत्त किया गया सरकारी सेवक साधिकार यह दावा नहीं कर सकता कि उसके सम्बन्ध में की जानेवाली कार्रवाई के खिलाफ उसे सफाई देने के लिये उचित अवसर मिलना चाहिये । ऐसे मामलों में, किसी सरकारी सेवक को सरकारी सेवा से अनिवार्यत: निवृत्त करने के पहले उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने के लिए विनिहित प्रक्रिया का अनुसरण करना भी आवश्यक न होगा ।

टिप्पणी 2 : जो सरकारी सेवक 15वीं नवम्बर, 1919 को या के पहले सेवा में था, उसके त्यागपत्र की स्वीकृति किसी भी दशा में उसके त्यागपत्र की तारीख से 6 महीने से अधिक स्थगित न रखी जायेगी ।

टिप्पणी 3 : देखें नियम 157 भी ।

अध्याय–7

पेंशन की रकम

प्रकरण 1 : सामान्य

136. दी जा सकनेवाली पेंशन की रकम सेवा काल के आधार पर नियत होती है, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती प्रकरणों में उल्लिखित है । पेंशन की गणना में वर्ष का भिन्नांक नहीं जोड़ा जाता;

परन्तु नियम 147 के अधीन विशेष अतिरिक्त पेंशन की रकम सेवा के पूरे महीनों के आधार पर नियत होती है, जैसे पेंशन-प्रदायी सेवा के 2 वर्ष 6 महीने का 30 महीना गिना जायेगा और अतिरिक्त पेंशन की गणना तद्नुसार की जायेगी । महीने का भिन्नांक न जोड़ा जायेगा ।

राज्य सरकार का निर्णय –

*जब सरकारी सेवक की अर्हक सेवा की अवधि पूर्ण वर्ष से 6 माह अधिक हो जाये तो उक्त सेवक को अतिरिक्त 6 माह का लाभ देकर पेंशन और उपदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है । [***जी०ओ०न० 12928, दिनांक 4-9-1962 जो दिनांक 1-8-1962 से प्रभावी होगा ।]**

[2][**137.** रुपये में नियत पेंशन की गणना, पाँच नये पैसे के निकटतम घात में की जायेगी (यह पहली अप्रैल, 1957 से लागू होगी) ।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

***विषय : पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया का सरलीकरण – अन्तिम पूर्ण रुपये तक पेंशन राशि को करने के सम्बन्ध में ।**

समय-समय पर राज्य सरकार का ध्यान पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु आकृष्ट किया जाता रहा है, तद्नुसार राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पेंशन की अन्तिम निर्धारित राशि को पूर्ण रुपये में ही पूर्णांकित किया जाये ।

---

1. पुरानी उप-कंडिका और व्याख्या के लिए प्रतिस्थापित, देखें, वित्त विभाग अधिसूचना सं० एफ०-1-1068/52-1217-वि०, दिनांक 30 जनवरी, 1953; शुद्धि पत्र सं० 17, दिनांक 1 जुलाई, 1953 ।
2. शुद्धि पत्र सं० 59, दिनांक 28-5-1959 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 1-4-1957 से प्रभावी) ।

सम्बन्धित नियम का संशोधन कालान्तर में निर्गत की जायेगी । [*ज्ञाप सं० 15982 वि०, दिनांक 28-11-1969]

138. पेंशन की रकम भारतीय रुपयों में नियत होती है, यद्यपि यह भारत के बाहर देय हो ।

139. (क) इस नियमावली के अधीन अनुमान्य पूरी पेंशन मामूली तौर से न दी जाएगी, अथवा तबतक न दी जाएगी जब तक कि की गई सेवा वस्तुतः अनुमोदित न हो गयी हो ।

(ख) यदि सेवा पूर्णतः सन्तोषजनक न रही हो, तो पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी पेंशन की रकम में यथोचित कटौती कर सकता है ।

[1][(ग) अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन पारित पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी आदेश को पुनरीक्षण करने की शक्ति राज्य सरकार को है यदि सरकार का यह समाधान हो जाये कि सम्बद्ध सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्यरत अवधि में घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत है तथा उसका कार्य पूर्ण असन्तोषप्रद रहा है । लेकिन इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ सम्बन्धित पेंशनर को उचित जवाब देने का अवसर प्रदान करने और उससे जवाब प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाना चाहिए, पर इस शक्ति का प्रयोग प्रथम पेंशन स्वीकृति की तिथि से तीन साल के बाद नहीं की जायेगी ।

राज्य सरकार का निर्णय –

***विषय : पेंशन-राशि में कमी ।**

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (क) और (ख) का निर्देश किया जाए जो निम्नोद्धृत हैं–

"(क) नियमानुसार अनुमान्य पेंशन सहज ही नहीं दी जानी है और न तो जबतक की गई सेवा का वास्तविक अनुमोदन हुआ हो ।

(ख) यदि भलीभाँति संतोषप्रद सेवा नहीं रही हो तो पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी उतनी कमी कर दें जितनी वह उचित समझें ।"

यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन था कि क्या पेंशन या उपदान में कमी करने के पहले सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस दी जाए ।

2. सावधानीपूर्वक विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी पेंशन या उपदान या दोनों में कमी करने सम्बन्धी अंतिम आदेश पारित करने के पहले उस राशि में प्रस्तावित कमी और उसके कारण को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस सम्बन्धित व्यक्ति को दें और उस व्यक्ति से नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह दिन के अन्दर या वैसा अधिक समय, जो प्राधिकारी अनुमत करें, के अन्दर वैसे अभिवेदन की माँग करें जैसा वह व्यक्ति प्रस्तावित कमी के विरुद्ध करना चाहता हो, और अंतिम आदेश पारित करने के पहले उस अभिवेदन पर, यदि दिया गया हो, विचार करें ।

3. बिहार पेंशन नियमावली को उपर्युक्त आधार पर संशोधित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई यथासमय की जायेगी । [*वित्त विभाग ज्ञापांक पी०सी०-11-40-72/75-975 वि०, दिनांक 19-1-1976]

140. यदि कोई सरकारी सेवक जो क्षतिपूर्ति-पेंशन पाने का हकदार हो, उसके बदले, लोक-सेवा में कोई दूसरी नियुक्ति स्वीकार कर ले और बाद में किसी श्रेणी की पेंशन पाने का फिर हकदार हो जाये, तो ऐसी पेंशन की रकम उस रकम से कम न होगी जिसका दावा, नियुक्ति स्वीकार न करने पर वह कर सकता ।

परिसीमाएँ

141. पेंशन का हकदार सरकारी सेवक, पेंशन के बदले उपदान नहीं ले सकता ।

142. यदि किसी सरकारी सेवक ने अनेक पद धारण किये हों, जिनमें से हरेक के सम्बन्ध में उसे पेंशन अनुमान्य होती, यदि उसने उसे अलग-अलग और अकेले धारण किया होता, तो उसे अनुमान्य पेंशन की रकम उन अनेक पेंशनों की कुल रकम के बराबर होगी जो उसे अनुमान्य होती, यदि उसने हरेक पद को अलग-अलग और अकेले धारण किया होता । इस प्रकार अनुमान्य समेकित (इकट्ठी) पेंशन, इस अध्याय के 2 से 4 तक प्रकरणों में उल्लिखित परिसीमाओं के अधीन रहेगी ।

1. शुद्धि पत्र सं० 89, दिनांक 7-12-1961 द्वारा प्रतिस्थापित ।

143. कोई सरकारी सेवक, किसी पद पर की गई सेवा के लिये जो किसी दूसरे पद के साथ संयुक्त रूप से की गई हो, किसी ऐसे पेंशन का हकदार न होगा जो उसे अनुमान्य न होती, यदि उसने उस पद को अलग-अलग और अकेले धारण किया होता।

प्रकरण 2 : उत्कृष्ट पेंशन

उप-प्रकरण (1) : उपदान

144. 10 वर्ष से कम की सेवा करने पर सरकारी सेवक को उपदान दिया जा सकता है जिसकी राशि सेवा के हरेक पूरे वर्ष के लिए एक महीने की उपलब्धि से अधिक न होगी। यदि सरकारी सेवक की उपलब्धियाँ, दंड से अन्यथा, उसकी सेवा के पिछले तीन वर्षों के भीतर, घटा दी गई हों, तो उपदान मंजूर करने वाले प्राधिकारी के विवेकानुसार उपलब्धियों के स्थान में औसत उपलब्धियाँ दी जा सकेंगी।

[**समीक्षा** : उदार पेंशन नियमावली द्वारा शासित सरकारी सेवकों हेतु अद्यतन आदेश, परिशिष्ट-5 की कंडिका 1 में मुद्रित है।]

उप-प्रकरण (2) : पेंशन

145. (क) कम से कम 10 वर्ष सेवा करने पर पेंशन दी जा सकती है जो निम्न रकमों से अधिक न होगी –

(क) निवृत्ति-पेंशन के लिये

अमुद्रित

(ख) अन्य पेंशनों के लिये

अमुद्रित

[1][**146.** नियम 5 में वर्णित सरकारी सेवकों के लिये पेंशन का मान निम्न है –

(क) निवृत्ति-पेंशन के लिये

अमुद्रित

[**समीक्षा** : देखें परिशिष्ट-5 में उदार पेंशन नियमावली।]

प्रकरण 3 : विशेष अतिरिक्त पेंशन

147. नियम 5 में वर्णित सरकारी सेवकों को विशेष अतिरिक्त पेंशन-प्रदान करने के लिये निम्नलिखित नियम हैं –

(1) जिस सरकारी सेवक के नीचे अनुसूची में निम्नतर कोटि में उल्लिखित कोई पद धारण किया हो उसे राज्य सरकार उसी कोटि में सम्मिलित किसी पद पर की गई कारगर सेवा के हरेक पूरे महीने के लिए $16\frac{2}{3}$ रु० की दर से वार्षिक अतिरिक्त पेंशन दे सकती है, परन्तु कोई भी सरकारी सेवक उक्त कोटि में वर्णित सेवा के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष 1,000 रुपये से अधिक अतिरिक्त पेंशन न पायेगा।

(2) जिस सरकारी सेवक ने नीचे अनुसूची में उच्चतर कोटि में उल्लिखित कोई पद धारण किया हो, उसे राज्य सरकार उस कोटि में सम्मिलित किसी पद पर की गई कारगर सेवा के हरेक पूरे महीने के लिए 25 रु० की दर से वार्षिक अतिरिक्त पेंशन दे सकती है; परन्तु कोई भी सरकारी सेवक उच्चतर और निम्नतर कोटियों में संयुक्त रूप से या केवल उच्चतर कोटि में की गई सेवा के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष 1,500 रु० से अधिक अतिरिक्त पेंशन न पायगा। जिस सरकारी सेवक ने उच्चतर और निम्नतर दोनों कोटियों में अतिरिक्त पेंशन अर्जित की हो, उसके मामले से, महीने की किसी खण्डित अवधि के लिये उच्चतर कोटि में की गई सेवा निम्नतर कोटि में की गई सेवा के रूप में गिनी जा सकेगी। यदि सरकारी सेवक की पेंशन उसके द्वारा बढ़ जाती हो।

(3) जिस सरकारी सेवक ने कोई ऐसा अस्थायी पद धारण किया हो जिसके सम्बन्ध में उस पद को सृजित करने में सक्षम प्राधिकारी ने घोषित किया हो कि उसके कर्तव्य और जिम्मेवारियाँ वैसी ही हैं तथा वेतन दरें वही

1. अधिसूचना सं० 12928 वि०, दिनांक 4-9-1956 द्वारा प्रतिस्थापित।

हैं, जैसी जिम्मेवारियाँ और कर्त्तव्य तथा जो वेतन दरें नीचे अनुसूची में उल्लिखित पद की हैं, उसे राज्य-सरकार उक्त पद के सम्बन्ध में यथास्थिति, इस नियम के खण्ड (1) या (2) में विहित दर पर और शर्तों के अधीन अतिरिक्त पेंशन दे सकती है ।

(4) इस नियम के (1), (2) और (3) खंडों के प्रयोजनार्थ, "कारगार सेवा" के अन्तर्गत इन खण्डों में निर्दिष्ट पद पर कर्त्तव्य की अवधियों के अलावा निम्न भी है –

(i) कर्त्तव्य, जो निम्नलिखित पदों पर सम्पादित किया गया हो –

(क) बाह्य-सेवा में अनुसारी पंक्ति और जिम्मेवारी वाले पद पर, अथवा

(ख) विशेष कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्ति में,

(ग) अस्थायी पद पर, अथवा

(घ) स्थानापन्न रूप से स्थायी पद पर सरकारी सेवक खण्ड (1), (2) या (3) में वर्णित पद धारण करते हुए बदली या नियुक्त किया जाय । यदि, वैसे सरकारी सेवक के मामले में जिसने खण्ड (1) या (2) में वर्णित पद स्थानापन्न रूप से धारण किया हो, अथवा वैसे सरकारी सेवक के मामले में जिसने खण्ड (3) में वर्णित पद धारण किया हो, राज्य सरकार यह प्रमाणित करें कि यदि वह (सरकारी सेवक) इस तरह बदला या नियुक्त न किया गया होता, तो सम्बद्ध पद पर स्थानापन्न रूप से काम करता रहता या उसे धारण किये रहता ।

(ii) खण्ड (1), (2) या (3) में वर्णित किसी पद पर की गई सेवा की अवधि में या इस खण्ड के उप-खण्ड (i) के अन्तर्गत किये गये कर्त्तव्य की अवधि में सरकारी सेवक द्वारा बिहार-उड़ीसा सेवा संहिता के अधीन औसत वेतन पर ली गई उपार्जित छुट्टी की किसी अवधि के प्रथम चार महीने, यदि ऐसे सरकारी सेवक के मामले में, जिसने खण्ड (1) या (2) में वर्णित पद स्थानापन्न रूप से धारण किया हो, या जिसने खण्ड (3) में वर्णित पद धारण किया हो, राज्य सरकार यह प्रमाणित करें कि, यदि वह (सरकारी सेवक) छुट्टी पर न गया होता, तो वह खण्ड (1) या (2) में वर्णित पद पर स्थानापन्न रूप से काम करता रहता या खण्ड (3) में वर्णित पद धारण किये रहता ।

(5) जिस सरकारी सेवक को बिहार-उड़ीसा सेवा संहिता के नियम 352 (1) के अधीन नीचे अनुसूची में उल्लिखित पदों में से किसी पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति मिली हो, या जिसके मामले में राज्य सरकार यह प्रमाणित करे कि यदि वह विशेष कर्त्तव्य पर न रहा होता या अस्थायी पद धारण न किए होता, तो उसे ऐसी प्रोन्नति मिली होती, उसे राज्य-सरकार, यथास्थिति, इस नियम के खण्ड (1) या (2) में विहित दरों पर और शर्तों के अधीन अतिरिक्त पेंशन दे सकती है, मानो जिस अवधि में उसने स्थानापन्न रूप से काम किया या किया होता, उसमें उसने अनुसूची में उल्लिखित कोई पद धारण किया था ।

टिप्पणी : इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, स्थानापन्न प्रोन्नति की अवधि में, उस अवधि में बिहार-उड़ीसा सेवा संहिता के अधीन औसत वेतन पर ली गई उपार्जित छुट्टी की किसी अवधि के प्रथम चार महीने भी शामिल हैं, यदि राज्य सरकार यह प्रमाणित कर दे कि यदि सरकारी सेवक छुट्टी पर न गया होता, तो वह उसी पद पर बना रहता, किन्तु उसमें कोई अन्य छुट्टी शामिल नहीं है ।

(6) पूरी विशेष अतिरिक्त-पेंशन नियम 172 में उल्लिखित शर्तों के अधीन दी जायगी ।

टिप्पणी : जो सरकारी सेवक किसी दूसरी सरकार के अधीन अंशतः विशेष अतिरिक्त पेंशन-प्रदायी सेवा करने के बाद निवृत्त हो रहा हो, उसे अनुमान्य साधारण पेंशन अविलम्ब दी जानी चाहिए । विशेष अतिरिक्त पेंशन-प्रदान में अनावश्यक विलम्ब न हो, उसके लिए प्रशासी विभाग को चाहिए कि जैसे ही सरकारी सेवक राज्य सरकार के अधीन सेवा में वापस आये, वैसे ही वह यह सुनिश्चित करे कि दूसरी सरकार के अधीन की गई सेवा अतिरिक्त पेंशन-प्रदायी सेवा के पद में स्वीकृत की गई हैं या नहीं ।

(7) अतिरिक्त पेंशन-प्रदान की शर्त यह है कि स्वैच्छिक निवृत्ति की दशा में सरकारी सेवक 28 वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा अवश्य पूरी कर चुका हो । इस नियम के प्रयोजनार्थ स्वैच्छिक निवृत्ति नियम 130 और नियम 135 के अधीन निवृत्ति मानी जायगी ।

अतिरिक्त पेंशन वाले पदों की अनुसूची

(क) उच्च कोटि

मुख्य अभियन्ता (इन्जीनियर, लोक-निर्माण-विभाग) ।

लोक-शिक्षा निदेशक ।

(ख) निम्न कोटि

वन-संरक्षक ।

निदेशक, पशु-चिकित्सा-सेवा ।

कृषि-निदेशक ।

लोक स्वास्थ्य निदेशक ।

निबन्धन-महानिरीक्षक ।

कारा-महानिरीक्षक ।

सरकार के सचिव ।

पहले से वर्तमान ऐसे उत्कृष्ट आई०सी०एस० पद धारण करने वाले सभी सरकारी सेवक जो प्रवर कोटि में प्रमंडल-आयुक्त या जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे हों ।

[**समीक्षा** : देखें परिशिष्ट 5 में उदार पेंशन नियमावली की कंडिका (4) और (9) ।]

प्रकरण 4 : निचली पेंशन

उप-प्रकरण (1) : सामान्य

148. अमुद्रित ।

[**समीक्षा** : यह नियम अब अप्रासंगिक हो गया है ।]

उप-प्रकरण (2) : उपादान

149. अमुद्रित ।

[**समीक्षा** : यह नियम अब अप्रासंगिक हो गया है ।]

उप-प्रकरण (3) : पेंशन

150. अमुद्रित ।

[**समीक्षा** : यह नियम अब अप्रासंगिक हो गया है ।]

प्रकरण 5 : उपलब्धियाँ और औसत उपलब्धियाँ

उप-प्रकरण (1) : पेंशन के लिये गिनी जानेवाली उपलब्धियाँ

151. साधारण पेंशनों के सम्बन्ध में यथा प्रयुक्त "उपलब्धि" पद से तात्पर्य है वह उपलब्धि जो सरकारी सेवक अपनी निवृत्ति के ठीक पहले पा रहा था और जिसमें निम्न भी शामिल हैं –

[**समीक्षा** : उपलब्धियाँ और औसत उपलब्धियाँ की परिभाषा दिनांक 1-1-1986 (वैचारिक) से और वास्तविक भुगतान दि० 1-3-1989 हेतु वित्त विभाग संकल्प सं० पी०सी० 1-9-161/7-1853 वि०, दिनांक 19-4-1990 देखें जो नियम 156 के नीचे राज्य सरकार का निर्णय में मुद्रित है ।]

(क) मौलिक रूप से धारित स्थायी पद का मौलिक वेतन;

(ख) विदेश-वेतन;

[1][(ग) वैयक्तिक वेतन, जो (i) किसी स्थायी पद के सम्बन्ध में मौलिक वेतन की हानि के बदले या (ii) किसी अन्य वैयक्तिक विचार से राज्य सरकार की विशेष मंजूरी से दिया जाता है;

1. शुद्धि पत्र सं० 27, दिनांक 27-12-1953 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) विशेष वेतन;

(ङ) मौलिक-नियुक्ति-रहित सरकारी सेवक का स्थानापन्न वेतन, यदि नियम 64 के अधीन स्थानापन्न सेवा गिनी जाती हो;

(च) औपबन्धिक मौलिक वेतन अथवा मौलिक रूप से स्थायी पद धारण करने वाले वैसे सरकारी सेवक के मौलिक वेतन और स्थानापन्न वेतन का अन्तर जो बिहार-उड़ीसा-सेवा-संहिता के नियम 74 (घ)]* के अधीन औपबन्धिक रूप से या बिहार-उड़ीसा सेवा संहिता के अध्याय 4 के प्रकरण 2 के नियमों के अधीन स्थानापन्न रूप से ऐसे पद पर नियुक्ति हो जो मौलिक रूप से रिक्त हो और जिस पर किसी सरकारी सेवक का गहन न हो अथवा ऐसे पद पर नियुक्त हो जो स्थायी पदधारी के वेतन-रहित असाधारण छुट्टी पर चले जाने या बाह्य-सेवा में बदले जाने के कारण अस्थायी रूप से रिक्त हो; [*अब बिहार सेवा संहिता के नियम 69 देखें ।]

(छ) किसी सरकारी संस्था में प्राध्यापक या व्याख्याता के पद से संलग्न भत्ता;

(ज) फीस या कमीशन, यदि वह किसी पद की प्राधिकृत उपलब्धि हो तथा वेतन के अलावा हो, ऐसी "फीस और कमीशन" की गणना जब उपलब्धि के रूप में की जाये, तब उनसे तात्पर्य होगा सेवा के अन्तिम छः महीनों का औसत उपार्जन;

(झ) किसी अस्थायी पद पर सरकारी सेवक का वेतन जिसके बारे में नियम 70 के अधीन घोषणा की गई हो तथा बिहार-उड़ीसा-सेवा-संहिता के नियम 74 (घ) के (बिहार सेवा संहिता के नियम 69) के अधीन उक्त शृंखला में औपबन्धिक मौलिक रूप से नियुक्त सरकारी सेवक का वेतन ।

टिप्पणी : खंड-लेखकों के मामले में जिनकी सेवा विशेष आदेशों के अधीन पेंशन के लिये गिनी जा सकती है तथा मुद्रणालय कर्मचारियों के मामले में जिनकी सेवा नियम 72 के अधीन पेंशन प्रदायी है, "उपलब्धि", से तात्पर्य है सेवा के अन्तिम छः महीनों का औसत उपार्जन । उत्कृष्ट मान पर उपदान की गणना के लिये "उपलब्धि" से तात्पर्य है उत्कृष्ट सेवा में अन्तिम छः महीनों का औसत उपार्जन और निचले मान पर पेंशन की गणना के लिये "वेतन" से तात्पर्य है निचली सेवा की अवधि के लिये नियम 149 के अधीन यथा कलित औसत उपार्जन ।

राज्य सरकार का निर्णय –

***विषय : पेंशन-स्वीकृति विषयक प्रक्रिया का सरलीकरण ।**

पेंशन के लिए उपलब्धियों की गणना के सम्बन्ध में नियमों के सरलीकरण का प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है । भलीभाँति सोच-विचार कर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पेंशन, सेवा, उपदान और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के प्रयोजन के लिए उपलब्धियाँ शब्द का अभिप्राय बिहार पेंशन नियमावली के नियम 26 में परिभाषित "वेतन" है जो पदाधिकारी निवृत्ति के तुरंत पहले प्राप्त करता था ।

(1) यदि पदाधिकारी अपनी निवृत्ति या मृत्यु के तुरंत पहले भत्ते सहित छुट्टी पर होने के कारण अपने कार्य पर अनुपस्थित था तो सेवा-उपदान और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की गणना के लिए उसकी उपलब्धियाँ वहीं समझी जायेंगी जो उसकी हुई होतीं यदि वह कार्य पर अनुपस्थित नहीं होता । किन्तु उपदान की राशि वस्तुतः नहीं निकाली गयी वेतन-वृद्धि के आधार पर नहीं बढ़ाई जायेगी, और उच्चतर स्थानापन्न या अस्थायी वेतन का लाभ तभी मिलेगा जब यह प्रमाणित किया जायेगा कि यदि वह छुट्टी पर न गया होता तो वह उच्चतर स्थानापन्न या अस्थायी नियोजन को धारित करता होता ।

(2) आवधिक नियोजन में लिया गया वेतन की गणना होगी बशर्ते कि आवधिक नियोजन में सेवा-विशेष अतिरिक्त पेंशन के लिए अर्हता प्रदान नहीं करती हो ।

2. ये आदेश 12 अगस्त, 1969 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों पर लागू होंगे ।

[*ज्ञापांक पेन०–1029/69/5300 वि०, दिनांक 12-8-1969]

152. (क) जब अस्थायी कर्त्तव्य पर की गयी सेवा, नियम 69 के अधीन, पेंशन के लिये गिनी जाती है, तब पेंशन की रकम निर्धारित करने में सरकारी सेवक द्वारा धारित स्थायी पद के वेतन पर, न कि अस्थायी कर्त्तव्य

के सम्बन्ध में प्राप्त वेतन पर, विचार किया जायेगा, जबतक कि सरकारी सेवक अस्थायी पद के सम्बन्ध में कोई विशेष वेतन न पाता हो; किन्तु नियम 70 भी देखें।

यह न तो उस सरकारी सेवक पर लागू होता है जो अपने पद के उठाये जाने पर विशेष कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त हो और न उस सरकारी सेवक पर जो अपने पद के उठाये जाने के समय विशेष कर्त्तव्य पर था। इन मामलों में पूरी उपलब्धियाँ गिनी जाती हैं।

(ख) जब कोई स्थायी सरकारी सेवक अपनी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में किसी ऐसे पद पर प्रतिनियुक्त हो, जो यद्यपि पहले-पहल प्रयोग के तौर पर या अस्थायी रूप से सृजित किया गया हो पर बाद में स्थायी बना दिया जाये, तब [1][यदि नियम 70 के अधीन घोषणा न की गई हो तो; उसकी उपलब्धियाँ उसके द्वारा धारित स्थायी पद के वेतन पर न कि अस्थायी कर्त्तव्य के सम्बन्ध में प्राप्त वेतन पर गिनी जायेगी।

153. जो सरकारी सेवक मौलिक पद धारण करते हुए किसी दूसरे पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता हो या कोई अस्थायी पद धारण करता हो, उसके मामले में "उपलब्धि" से तात्पर्य है –

(क) वह उपलब्धि जिस पर, यथास्थिति, उसके स्थानापन्न पद या अस्थायी पद के सम्बन्ध में 151 और 152 नियमों के अधीन विचार किया जायेगा; अथवा

(ख) वह उपलब्धि जिस पर, यदि वह मौलिक पद पर बना रहता तो, 151 या 152 नियमों के अधीन विचार किया जाता;

इन दोनों में से जो भी उसके लिये अधिक अनुकूल हो।

टिप्पणी 1 : इस नियम का अभिप्राय यह है कि सरकारी सेवक की नियुक्ति किसी उच्चतर पद पर हो जाने के कारण उसकी पेंशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पावे। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उच्चतर पद धारण करने वाले की उच्चतर पद की किन्हीं ऐसी उपलब्धियों की पेंशन के लिये गिनने दिया जाये जिन्हें वह पहले नहीं गिन सकता था। अत: मौलिक पद धारण करने वाला सरकारी सेवक जो निवृत्ति के पहले किसी उच्चतर नियुक्ति पर स्थानापन्न रूप से काम करें या उच्चतर अस्थायी पद धारण करें, निम्न उपलब्धियों में से किसी को भी जो उसके अधिक अनुकूल हो, पेंशन के लिये गिन सकता है – उन उपलब्धियों को जिनपर नियम 151 के अधीन उच्चतर पद के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा अथवा उन उपलब्धियों को, जिन पर विचार किया जाता, यदि सरकारी सेवक अपने मौलिक पद पर बना रहता।

टिप्पणी 2 : जहाँ संवर्ग-पद (जिनमें कुछ से विशेष वेतन संलग्न हो) अंतर्ग्रस्त हों, वहाँ यह प्रश्न कि किस पद को मौलिक पद माना जाये, जिस पर सरकारी सेवक बना रहता, यदि वह अन्यत्र स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त न किया गया होता, ऐसा है जिसका निर्णय सक्षम नियुक्ति-प्राधिकारी ही वास्तविक तथ्यों के आधार पर, कर सकता है, चाहे सरकारी सेवक स्थानापन्न नियुक्ति के ठीक पहले वस्तुत: कोई भी मौलिक पद धारण करता हो और चाहे सरकारी सेवक को किसी खास पद पर या उस संवर्ग में किसी पद पर वस्तुत: ग्रहन दिया गया हो या नहीं। इस नियम के खंड (ख) के प्रयोजनार्थ, सक्षम नियुक्ति- प्राधिकारी की ओर से यह घोषणा कि यदि सरकारी सेवक स्थानापन्न रूप से अन्यत्र नियुक्त न होता, तो वह अमुक मौलिक पद पर बना रहता, लेखा-परीक्षा में स्वीकार की जायेगी।

उप-प्रकरण (2) : पेंशन के लिये गिने जाने वाली उपलब्धियाँ

154. सरकारी सेवक किसी भी तरह के क्षतिपूरक भत्ता को पेंशन के लिए उपलब्धि के रूप में नहीं गिन सकता।

टिप्पणी : इस नियम के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्न आते हैं – मकान भाड़ा भत्ता, बिना किराया क्वार्टरों का अनुमानित मूल्य, सरकार के साथ आने-जाने वाले सरकारी सेवकों के दौरा तथा अन्य भत्ते और महँगाई भत्ता।

155. सरकारी सेवक के वेतन या उपलब्धि का कोई अंश, जो उसके कर्त्तव्य के प्रासंगिक खर्चों के लिये खास तौर से उपबन्धित किया गया हो, शामिल न किया जायेगा। इस नियम के निम्न उदाहरण हैं –

1. यह 7 अगस्त, 1959 से लागू है। जोड़ा गया, देखें, वित्त विभाग अधिसूचना सं० 506/59–666-एफ०आर०, दिनांक 7 अगस्त, 1959; शुद्धि पत्र सं० 71, दिनांक 27 मई, 1960।

(1) जब सरकारी सेवक का वेतन अंशत: उसके घोड़ा रखने या के लिये घोड़े की व्यवस्था सम्बन्धी खर्च की पूर्ति करने के लिए अभिप्रेत हो, तब उसका वेतन उतना ही माना जाना चाहिये जितना कि ऐसे खर्च की पूर्ति के लिए अभिप्रेत न होने पर होता। जब जलवाहक के वेतन में बैल के लिए उपबन्ध भी शामिल हो तब उसका वेतन उतना ही माना जाना चाहिये जितना कि वेतन होता, यदि उसे बैल न रखना पड़ता।

(2) जब समेकित (इकट्ठे) वेतन में खास तौर से तंबू-भत्ता, यात्रा-भत्ता या मकान-भत्ता हो तो इन्हें अवश्य घटा देना चाहिये।

(3) जब सरकारी सेवक का वेतन दो दरों पर नियत हो, स्थिर-कर्म के समय नीची दर और दौरे या यात्रा में बितायी अवधि के लिये ऊँची दर, तब पहली दर के आधार पर ही गणना होनी चाहिये।

उप-प्रकरण (3) : औसत उपलब्धियाँ

156. (1) "औसत उपलब्धि" से तात्पर्य है वह औसत जो सेवा के अन्तिम [1](एक) वर्षों के आधार पर निकाला गया हो।

(2) यदि सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में सरकारी सेवक छुट्टी-वेतन सहित छुट्टी पर कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहा हो, या मुअत्तल होने पर सेवा खोये बिना पुन:स्थापित कर लिया गया हो, तो औसत निश्चित करने के लिये, उसकी उपलब्धि उतनी ही समझी जायेगी जितनी कि छुट्टी पर न जाने या मुअत्तल न होने पर होती; परन्तु बराबर (क) [खंड (2अ) में उपबंधित स्थितियों को छोड़कर] उसकी पेंशन, वेतन-वृद्धि के कारण, जो वस्तुत: प्राप्त न की गयी हो, न बढ़ाई जायेगी और (ख) सरकारी सेवक छुट्टी की अवधि में, यदि उस छुट्टी की अवधि में उसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये दूसरा सरकारी सेवक नियुक्त कर लिया गया हो तो, स्थानापन्न कार्य के लिये प्राप्त अतिरिक्त वेतन को, जिसे वह, यदि वह कर्त्तव्य पर रहता तो, उपलब्धि के रूप में नियम 151 (च) के अधीन गिन सकता था, उपलब्धि के रूप में न गिन सकेगा। किन्तु, यदि विभागीय छुट्टी पर उसकी अनुपस्थिति नियम 91 के अधीन सेवा के रूप में गिनी जाये, तो ऐसी छुट्टी में वस्तुत: प्राप्त भत्ता ही केवल गिना जायेगा।

[2][(2अ) जो सरकारी सेवक निवृत्ति-पूर्व-छुट्टी के उपभोग की अवधि में किसी ऐसे उच्चतर पद पर संपुष्ट हो जाए, जिस पर वह ऐसी छुट्टी पर जाने के पहले स्थानापन्न का अस्थायी रूप से काम करता था, उसकी उक्त उच्चतर पद की मौलिक उपलब्धियाँ, जो वह कर्त्तव्यस्थ पर पाता, औसत उपलब्धियों की गणना में शामिल की जाएँगी।

[3][**टिप्पणी :** परन्तुक (क) ऐसे सरकारी सेवक के मामले में लागू नहीं होता, जो अपनी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में छुट्टी ले और जो चार महीने से अनधिक औसत वेतन पर छुट्टी में या चार महीने से अधिक औसत वेतन पर छुट्टी की अवधि के प्रथम चार महीनों में ऐसी वेतन-वृद्धि उपार्जित करे, जो रोक न रखी जाये। ऐसे मामलों में सरकारी सेवक, अपनी छुट्टी की अवधि के सम्बन्ध में उस वेतन को, जिसे वह, यदि कर्त्तव्य पर रहता, तो ले सकता, "उपलब्धि" के रूप में गिनने का हकदार है, यद्यपि वेतन-वृद्धि के कारण होनेवाली वेतन की बढ़ोत्तरी वस्तुत: छुट्टी में नहीं ली गयी।

स्पष्टीकरण : यह ऐसी वेतन-वृद्धि के मामले में भी लागू होगा, जो उपार्जित छुट्टी के 120 दिनों के भीतर पड़ती हो।

(3) यदि सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में सरकारी सेवक वेतन-रहित छुट्टी][4] (जो पेंशन के लिये न गिनी जाती हो अथवा राज्य सरकार के विशेष आदेश से नियम 89 के अधीन गिनी जा सकती हो) पर कर्त्तव्य से अनुपस्थित

1. शुद्धि पत्र सं० 66, दिनांक 27-5-1960 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. यह 23 अगस्त, 1928 से लागू है। सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग अधिसूचना सं० सी०डी०आर०-50 10/59-17013-वित्त, दिनांक 9 सितम्बर, 1959; शुद्धि पत्र सं० 66, दिनांक 27 मई, 1960।
3. सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग अधिसूचना सं० पी०-1-1048/55-1106-एफ०आर०, दिनांक 16 अगस्त, 1956; शुद्धि पत्र सं० 33, दिनांक 19 जुलाई, 1957।
4. "पेंशन के लिए न गिनी जाती हो", प्रकोष्ठ शब्दों के लिए प्रतिस्थापित देखें, वित्त विभाग, अधिसूचना सं० 16400 वि०, दिनांक 6 दिसम्बर, 1950; शुद्धि पत्र सं० 4, दिनांक 7 फरवरी, 1951।

हुआ हो, या निचली सेवा में रहा हो, अथवा ऐसी स्थिति में मुअत्तल किया गया हो कि मुअत्तली की अवधि सेवा के रूप में न गिनी जाती हो, तो इस तरह बितायी गयी अवधि औसत उपलब्धि की गणना में शामिल न की जायेगी और इन तीन वर्षों के पहले की उतनी ही अवधि शामिल की जायेगी।

(4) पदग्रहण काल की अवधियाँ जो सरकारी सेवक की सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में पड़ती हों, "औसत उपलब्धि" के प्रयोजनार्थ उन तीन वर्षों का ही अंश समझी जायेंगी।

बिहार-उड़ीसा-सेवा-संहिता के *[नियम 346 के (क) और (ग) खंडों के अधीन पड़ने वाले पदग्रहण-काल के मामले में, जहाँ किसी खास पद का वेतन मिलता हो, वस्तुतः प्राप्त "उपलब्धि" (न कि वास्तविक पदग्रहण-काल-भत्ता) औसत उपलब्धि के प्रयोजनार्थ ली जायेगी। उक्त नियम के खंड (ख) (i) के अधीन पड़नेवाले पदग्रहण काल के मामले में, जिसमें छुट्टी-वेतन मिलता हो, और उक्त नियम के खंड (ख) (i) और टिप्पणी 2 के अधीन पड़ने वाले मामले में जिसमें वेतन या छुट्टी-वेतन न मिलता हो, वेतन (अर्थात् उपलब्धि), जो (इसे अनुमत न करने वाले नियम या आदेश के न रहने पर) सरकारी सेवक प्राप्त करता, यदि वह पद ग्रहण-काल पर न रहता "औसत उपलब्धि" की गणना में शामिल किया जायेगा। [अब बिहार सेवा संहिता का नियम 264 देखें।]

(5) ऊपर खंड 2 से 4 तक में उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त, केवल वस्तुतः प्राप्त उपलब्धि ही गणना में शामिल की जायेगी। उदाहरणार्थ, जब सरकारी सेवक को, वेतन-वृद्धि के लिये भूतलक्षी प्रभाव से समय के गिनने की अनुमति दी जाये, किन्तु उसे भूतलक्षी प्रभाव से अन्तर्वर्ती आवधिक वृद्धियाँ न मिलें, तब इन अन्तर्वर्त्ती वृद्धियाँ को गणना में शामिल न किया जायेगा।

(6) खंड-लेखकों के मामले में जिनकी सेवा पेंशन के लिये गिनी जा सकती हो, और मुद्रणालय कर्मचारी के मामले में जिसकी सेवा नियम 72 के अधीन पेंशन-प्रदायी हो, "औसत उपलब्धि" से तात्पर्य है उत्कृष्ट सेवा में अन्तिम 72 महीनों का औसत उपार्जन।

टिप्पणी 1 : यह खंड उस मुद्रणालय कर्मचारी पर लागू होता है जो नियत दर पर वेतन पाता हो, यदि उसका वेतन उजरती काम के अनुदान से मिलता हो।

टिप्पणी 2 : उजरती कर्मियों का अधिकाल-भत्ता, चाहे वह उजरत-दर पर हो या नियत वेतन पर, इस खंड के अधीन "औसत उपलब्धि" की गणना में शामिल न किया जायेगा।

टिप्पणी 4 : उजरती कर्मियों की पेंशन के प्रयोजनार्थ औसत उपलब्धि की गणना करते समय, निम्न भत्तों पर भी विचार किया जायेगा –

(1) अवकाश-बन्दी के दिन संपादित काम के लिये किये गये भुगतान।

(2) अस्थायी तृतीय श्रेणी तथा कुल चतुर्थ श्रेणी के उजरती कर्मियों को दी गई 16 दिनों की छुट्टी के लिये वर्ग-दर पर किये गये भुगतान।

(3) 10वीं नवम्बर, 1940 को सेवा में बने उजरती कर्मियों के मामले में, 10वीं नवम्बर, 1940 तक अधिकाल-कार्य अथवा अवकाश-बन्दी के दिन या रविवार को किये गये कार्य के लिये उपार्जित अतिरिक्त भत्ता।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

*असाधारण छुट्टी सहित छुट्टी की अवधि के सम्बन्ध में, यदि वह सेवा में तीन साल के अन्दर पड़ता है, तो जो उपलब्धि सरकारी सेवक प्राप्त किया होता, लेकिन वह अवकाश में प्रस्थान करने के कारण लेखा में समायोजित की जायेगी। [***वित्त विभाग ज्ञाप सं० 629 वि०, दिनांक 14-1-1964**]

2.

***विषय : राज्य सरकार के पेंशनरों के पेंशन एवं उपदान के प्रावधानों में फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर सरकार के निर्णय के आलोक में पुनरीक्षण।**

राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन, पारिवारिक पेंशन, उपदान आदि से संबंधित मामलों पर फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा

अपने पेंशनभोगी कर्मचारियों के पेंशन एवं उपदान के प्रावधानों में परवर्ती कंडिकाओं के अनुसार पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है ।

(1) (i) प्रभाव की तिथि : इस संकल्प में निहित पेंशन एवं उपदान के पुनरीक्षित प्रावधान वैसे सरकारी सेवक के मामलों में लागू होंगे, जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं, अथवा जिनकी मृत्यु दिनांक 1 जनवरी, 1986 को अथवा उसके बाद सेवाकाल में हुई हो । दिनांक 1 जनवरी, 1986 के प्रभाव से पेंशन का पुनरीक्षण केवल वैचारिक (Notionally) रूप से किया जायेगा एवं पेंशन पुनरीक्षण का आर्थिक लाभ-दिनांक 1 मार्च, 1989 के प्रभाव से ही अनुमान्य होगा । इसका अर्थ यह है कि दिनांक 1 जनवरी, 1986, से दिनांक 28 फरवरी, 1989 की अवधि के लिये किसी तरह का बकाया देय नहीं होगा ।

(ii) उक्त कोटि के जिन मामलों में इस आदेश के निर्गत होने के पहले ही औपबंधिक पेंशन स्वीकृत हुआ हो, उसका पुनरीक्षण इस संकल्प में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा । जिन मामलों में प्रचलित नियमों के अनुसार इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व ही पेंशन की अन्तिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई हो, उनका भी पुनरीक्षण वर्तमान आदेश के अनुसार किया जायेगा । बशर्त्ते कि इस तरह का पुनरीक्षण पेंशनभोगी के लिए लाभकारी हो ।

(2) परिलब्धियाँ : पेंशन एवं उपदान की गणना हेतु "परिलब्धियों" में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 26 (a) (1) में उल्लिखित "मूल वेतन" अभिप्रेत है जिसका भुगतान सेवक को सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को किया गया है । इस तरह से "औसत परिलब्धियों" का निर्धारण किसी भी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व दस माह की अवधि में प्राप्त परिलब्धियों के आधार पर किया जायेगा ।

(3) (i) पेंशन : वित्त विभाग के संकल्प संख्या–पी०सी० 2.9.12/78–7112 वि०, दिनांक 4 सितम्बर, 1979 में अंगीकृत स्लैब पद्धति के बदले में अब पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से की जाएगी जिसकी न्यूनतम राशि रुपये 375 प्रति माह होगी, परतु इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

(ii) पारिवारिक पेंशन : इस विन्दु पर पूर्व में निर्गत राज्यादेशों का आंशिक सुधार करते हुए पारिवारिक पेंशन की गणना अब निम्नलिखित रीति से करने का निर्णय लिया गया है –

क्र०सं०	मूल वेतन		प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन की दर (औसत मूल्य सूचकांक 608 बिन्दु पर देय महँगाई राहत सहित)
1.	रु० 1,500 प्रतिमाह तक	–	मूल वेतन का 30 प्रतिशत (न्यूनतम रु० 375 प्रतिमाह) ।
2.	रु० 1,501 प्रतिमाह से रु० 3,000 तक	–	मूल वेतन का 20 प्रतिशत (न्यूनतम रु० 450 प्रतिमाह) ।
3.	रु० 3,000 प्रतिमाह से अधिक	–	मूल वेतन का 15 प्रतिशत (न्यूनतम रु० 600 प्रतिमाह एवं अधिकतम 1,250 रु० प्रतिमाह) ।

पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति की वर्तमान प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी ।

(iii) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान : सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति उपदान की गणना करने वर्तमान सिद्धांत एवं दर इस आदेश के निर्गत होने के बाद भी बरकरार रहेंगे, जिसके अनुसार सेवानिवृत्ति उपदान पेंशन प्रदायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की परिलब्धियों के अधिकतम 16.5 गुणा अनुमान्य होगा तथा इसकी अधिकतम राशि [1][एक लाख रुपया होगी । सरकारी सेवक के सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृत्यु उपदान की गणना निम्नांकित रीति से करने का निर्णय लिया गया है –

क्र०सं०	सेवा अवधि		उपदान की राशि
1.	एक वर्ष से कम	–	उपलब्धियों का दो गुणा
2.	एक वर्ष या अधिक पर 5 वर्ष से कम	–	उपलब्धियों का छः गुणा
3.	पाँच वर्ष या अधिक पर 20 वर्ष से कम	–	उपलब्धियों का 12 गुणा

1. अब 2.50 लाख रुपये ।

4.	बीस वर्ष या अधिक	—	पेंशन प्रदायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए उपलब्धियों का आधा जो उपलब्धियों के 33 गुणा से अधिक नहीं हो और जिसकी अधिकतम सीमा [1] [एक लाख रुपये होगी ।

इस आदेश के प्रावधानों के आधार पर वैसे सरकारी सेवकों की मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि का न तो पुनरीक्षण किया जायेगा और न ही इसके चलते किसी प्रकार का बकाया देय होगा जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 से दिनांक 28 फरवरी, 1989 तक सेवानिवृत्त हुए हों अथवा जिनकी मृत्यु सेवाकाल में ही उक्त अवधि में हुई हो ।

(4) महँगाई राहत : वर्तमान में राज्य सरकार के पेंशनरों को उस सिद्धांत एवं दर पर महँगाई राहत स्वीकृत की जाती है जो भारत सरकार में दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व प्रचलित थी । फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब राज्य सरकार के पेंशनरों को भी भारत सरकार के फार्मूले एवं दर से प्रति वर्ष पहली जनवरी एवं पहली जुलाई को उसकी पूर्ववर्ती 31 दिसम्बर और 30 जून के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर महँगाई राहत स्वीकृत की जायेगी, परन्तु नये फार्मूले एवं दर पर महँगाई राहत दिनांक 1 जुलाई, 1989 के प्रभाव से स्वीकृत की जायेगी । तद्नुसार महँगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे ।

(5) पेंशन का रूपान्तरण : फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा और भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति को गौर करते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 जनवरी, 1986 के बाद सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के मामले में पूर्व में प्रचलित स्लैब पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित पेंशन और इस आदेश के जरिये अपनायी गई 50 प्रतिशत की दर से निर्धारित पेंशन के अन्तर की राशि के एक-तिहाई के रूपान्तरण की अनुमति पेंशनभोगी कर्मचारियों को दी जाये । इसके लिए पेंशनभोगी कर्मचारियों को स्वास्थ्य परीक्षा कराना जरूरी नहीं होगा, चाहे पूर्व में उनके पेंशन का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षा के बाद हुआ हो अथवा बिना स्वास्थ्य परीक्षा कराये ही हुआ हो । ऐसे प्रत्येक मामले में पुनरीक्षित पेंशन भुगतान आदेश के साथ ही महालेखाकार, बिहार, पटना अन्तर पेंशन की एक-तिहाई के रूपान्तरित मूल्य का प्राधिकार पत्र भी निर्गत कर देंगे और पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान उक्त एक-तिहाई राशि की कटौती के बाद किया जायेगा । उक्त प्रक्रिया उन मामलों में लागू नहीं होगी, जिसमें इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक पेंशन का लघुकरण स्वीकृत नहीं किया गया है । ऐसे पेंशनर को प्रचलित प्रणाली के अनुसार वित्त विभाग में आवेदन-पत्र देना होगा ।

(6) वैसे सरकारी सेवकों के मामले में जिन्होंने पुनरीक्षित वेतनमान को स्वीकार किया है और जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने के 10 माह के भीतर सेवानिवृत्त हो गए हों, सेवानिवृत्ति के दस माह पूर्व की औसत उपलब्धियों की गणना निम्नांकित ढंग से की जाये –

(i) दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पूर्व की अवधि में पुराने वेतनमान का मूल वेतन, महँगाई भत्ता, अतिरिक्त महँगाई भत्ता एवं तदर्थ महँगाई भत्ता यदि देय हो ।

(ii) दिनांक 2 जनवरी, 1986 के बाद की अवधि में पुनरीक्षित वेतनमान का नोशनल वेतन ।

6.1. दिनांक 1 जनवरी, 1986 से दिनांक 30 जून, 1990 तक सेवानिवृत्त हुए/होनेवाले कर्मचारियों को यह विकल्प (ऑप्शन) देने की सुविधा प्राप्त होगी कि इस आदेश के निर्गत होने के प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत अपना पेंशन एवं उपदान ले सकते हैं ।

(7) महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि इस संकल्प में निहित प्रावधानों के आधार पर पेंशनभोगी कर्मचारियों के मामले में पेंशन/पुनरीक्षित पेंशन तथा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र यथाशीघ्र निर्गत करें । अन्य राज्यों में रहने वाले तथा अपने पेंशन का भुगतान लेने वाले इस राज्य के पेंशन धारकों को भी इस आदेश के अनुसार पेंशन का भुगतान करने हेतु अन्य राज्यों के महालेखाकार को प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाये और उसकी सूचना इस विभाग को भी दी जाये । कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारियों से अनुरोध है कि पेंशन का भुगतान इस आदेश के अनुसार करने के लिए सम्बन्धित बैंक को इस निर्णय से अवगत करा दें ।

1. अब 2.50 लाख रुपये ।

(8) जहाँ तक इस आदेश को उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान-सभा/परिषद् के कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/ अध्यक्ष, बिहार विधान सभा एवं सभापति, बिहार विधान परिषद् की सहमति/परामर्श प्राप्त कर आदेश बाद में निर्गत किया जायेगा। [***संकल्प सं० पी०सी०–1-9-16/97–1853 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990**]

3.

***विषय : राज्य चिकित्सा संवर्ग के चिकित्सा-पदाधिकारियों को पेंशन की अनुमान्यता।**

राज्य चिकित्सा संवर्ग में चिकित्सा पदाधिकारियों को 'प्रतिस्थापन वेतनमान' वेतन में पेंशन-लाभ देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन रहा था। सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिए हैं –

(क) चिकित्सा पदाधिकारी, जिसे निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति प्राप्त हो, की पेंशन की गणना वस्तुतः निष्कासित शुद्ध वेतन पर, यानि नन प्रैक्टिसिंग वेतनमान में सकल वेतन पर – वेतन की 20% के बराबर राशि कम करके, न्यूनतम 115 रु० और अधिकतम 350 रु० कम करके – की जायेगी।

(ख) चिकित्सा पदाधिकारी, जिसे निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी गई हो और ननप्रैक्टिसिंग वेतन मिल रहा हो, की पेंशन की गणना सैद्धांतिक तौर पर उपर्युक्त मद (क) में सुझाए गये शुद्ध वेतन के आधार पर की जायेगी, तथापि, उनके मामले में उस प्रकार कम की गई राशि नन-प्रैक्टिसिंग (प्रतिकारात्मक) भत्ता जैसी मानी जायेगी और स्वास्थ्य विभाग पत्रांक 6338 एच०, दिनांक 2-5-1959 और पेन०–1–1021/ 66–192 (2), दिनांक 12-1-1967 में विहित सिद्धांतों की शर्त्तों के अधीन अतिरिक्त पेंशन मानी जायेगी। तद्नुसार वे स्वयं द्वारा निष्कासित नन-प्रैक्टिसिंग वेतन से सैद्धांतिक तौर पर कमी की गई राशि के आधार पर अतिरिक्त पेंशन के हकदार होंगे।

2. पुनः स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव को भेजे गए सहायक महालेखाकार श्री बी०के० नारायण के अर्धसरकारी पत्रांक पी०आर०–1–15 स्ट-961, दिनांक 21-8–1969 की ओर ध्यानाकृष्ट किया जाता है। उसमें उठायी गई विन्दुओं को नीचे स्पष्ट किया जाता है –

मद सं० (1) – नन-प्रैक्टिसिंग भत्ता के तत्व को सैद्धांतिक आधार पर नन–प्रैक्टिसिंग वेतन के पृथक किया जाना चाहिए, जैसा कि पूर्वोक्त मद (ख) में व्याख्यायित किया गया है।

मद सं० (2) (क) – स्वास्थ्य विभाग पत्रांक 6338, दिनांक 2-5-1959 की टिप्पणी 'क' में अन्तर्विष्ट निर्देश के आलोक में अंतिम तीन वर्षों के दौरान निकाला गया नन-प्रैक्टिसिंग प्रतिपूरक भत्ता की औसत पर गणना की जायेगी। इसका अर्थ यह है कि सेवा के आरंभ में और सेवा के अंत में नन-प्रैक्टिसिंग पदों के प्रति की गई अवधि को उस सकल अवधि के लिए गणना की जायेगी जिसके लिए क्षतिपूरक भत्ता निकाला गया है और पेंशन की गणना पूरी की गई सेवा के उस अंतिम तीन वर्षों के दौरान निकाली गई औसत राशि के आधार पर की जायगी जिस दौरान नन-प्रैक्टिसिंग भत्ता निकाला गया है।

(ख) नन-प्रैक्टिसिंग भत्ता पर अतिरिक्त पेंशन की गणना प्रतिस्थापन वेतनमान या पुराना वेतनमान में या मिश्रित दोनों में अनुमान्य राशि के आधार पर की जायेगी, बशर्त्ते कि पदाधिकारी नन-प्रैक्टिसिंग पद धारण करता हो या अपनी सेवा की सम्पूर्ण अवधि में तीन पूरे वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए नन-प्रैक्टिसिंग वेतनमान में वेतन निकालता हो।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में चिकित्सा पदाधिकारियों के पेंशन मामले निष्पादित किये जायें। [***ज्ञापांक पी०आर०जी० 2-05/70/3034 वि०, दिनांक 17-3-1973**]

4.

***विषय : चिकित्सकों के पेंशन एवं ग्रेच्यूटी के निर्धारण की प्रक्रिया में परिवर्त्तन।**

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3034/वि०, दिनांक 17-3-1973 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये यह कहना है कि सामान्य नियमों के अनुसार सेवकों को पेंशन की गणना वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर की जाती है। परन्तु चिकित्सकों के मामले में उन्हें प्राप्त ग्रौस-पे (Gross-Pay) में से 20 प्रतिशत की कटौती कर (न्यूनतम) सीमा रुपये 115/– एवं अधिकतम रुपये 350/– नेट (Net) वेतन पर पेंशन की गणना की जाती

है। जहाँ तक नन-प्रैक्टिसिंग पद पर कार्यरत् चिकित्सक हैं, उनकी पेंशन के अलावे नन-प्रैक्टिसिंग पद पर की गयी सेवा के आधार पर अतिरिक्त पेंशन दिया जाता है। परन्तु, वैसी सुविधा प्रैक्टिसिंग पद पर कार्यरत् चिकित्सकों को उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप प्रैक्टिसिंग पर कार्यरत् चिकित्सकों को नन-प्रैक्टिसिंग पद पर कार्यरत् चिकित्सकों से कम पेंशन मिलता है।

2. सावधानीपूर्वक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने बिहार पेंशन नियमावली के नियम 156 (5) को शिथिल करते हुए अब यह निर्णय लिया है कि प्रैक्टिसिंग एवं नन-प्रैक्टिसिंग चिकित्सकों को उनके ग्रौस-पे (Gross-Pay) अर्थात् 20 प्रतिशत कटौती बिना किये हुये जो उपलब्धियों के रूप में वेतन प्राप्त होता है उस आधार पर पेंशन एवं ग्रैच्युटी की गणना की जाये एवं वर्तमान में नन-प्रैक्टिसिंग चिकित्सकों को नन-प्रैक्टिसिंग सेवा के आधार पर जो अतिरिक्त पेंशन देने की व्यवस्था है उसे समाप्त किया जाये। इस निर्णय के फलस्वरूप अब से प्रैक्टिसिंग एवं नन-प्रैक्टिसिंग इन दोनों कोटि के चिकित्सकों को उनके द्वारा पाये गये ग्रौस-पे (Gross-Pay) के आधार पर ही पेंशन आदि की गणना की जायेगी।

3. यह आदेश तिथि 1 जनवरी, 1976 से प्रभावकारी होगा। उक्त तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–3034, दिनांक 17-3-1973 को रद्द समझा जाये। [*ज्ञाप संख्या 7082, दिनांक 9-6-1976]

5.

*विषय : चिकित्सकों के पेंशन एवं उपदान के निर्धारण की प्रक्रिया में परिवर्त्तन।

वित्त विभाग द्वारा निर्गत राज्यादेश सं० 7082, दिनांक 7-9-1976 के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि तिथि 1 जनवरी, 1976 से प्रैक्टिसिंग एवं नन-प्रैक्टिसिंग दोनों कोटि के चिकित्सकों को उनके द्वारा प्राप्त ग्रास-पे (Gross-Pay) के आधार पर ही पेंशन आदि की गणना की जाये पर इस आदेश के चलते दिनांक 1 अप्रैल, 1964 से दिनांक 31-12-1975 की अवधि में सेवानिवृत्ति प्रैक्टिसिंग चिकित्सक उपयुक्त लाभ से वंचित हो गये। एकरूपता की दृष्टि से इस विषमता को दूर करना उचित जँचता है, क्योंकि वैधानिक अड़चनों की संभावना है।

अत: सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने उक्त परिपत्र को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया है कि ग्रास-पे (Gross-Pay) पर सभी चिकित्सकों को प्रैक्टिसिंग एवं नन-प्रैक्टिसिंग पेंशन आदि की गणना करने की सुविधा दिनांक 1-4-1964 से दी जाये।

इस निर्णय के फलस्वरूप वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3034, दिनांक 1-7-1973 स्वत: रद्द समझा जाये।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में दिनांक 1-4-1964 से दिनांक 31-12-1975 की अवधि में सेवानिवृत्ति/मृत प्रैक्टिसिंग चिकित्सकों के पेंशन/उपदान के मामलों को पुनरीक्षित करें। [*पत्र सं० 1252 वि०, दिनांक 10-5-1980]

अध्याय–8

पेंशनभोगियों का पुनर्नियोजन

प्रकरण 1 : सामान्य

157. कोई भी सरकारी सेवक सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित होने और वेतन के अतिरिक्त पेंशन पाने के अभिप्राय से निवृत्त हो सकता है।

158. जब कोई व्यक्ति, जो पहले सरकारी सेवा में रहा हो, सरकारी सेवा में अस्थायी या स्थायी रूप से पुनर्नियोजित किया जाये, तब उसे नियुक्ति-प्राधिकारी के सामने अपने पूर्व नियोजन के सम्बन्ध में प्रदत्त उपदान, लाभांश, या पेंशन की रकम घोषित करनी होगी। पुनर्नियोजन-प्राधिकारी पुनर्नियुक्ति के आदेश में विशेष रूप से उल्लिखित करेगी कि पेंशन या वेतन में से, इस अध्याय के नियमों की अपेक्षानुसार, कोई रकम घटायी जायेगी या नहीं, और इस आदेश की एक प्रति महालेखापाल के पास संसूचित करेगा।

टिप्पणी : इस नियम का सिद्धान्त सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर लगातार नियोजन के मामले में लागू है। घोषित की जानेवाली पेंशन की रकम वह रकम होगी जो मूलत: मंजूर की गयी हो, अर्थात् इसमें वह रकम भी शामिल रहेंगी जो रूपान्तरित की गयी हो (देखें नियम 162 और 163)।

159. पुनर्नियोजित किये जानेवाले हरेक सरकारी सेवक का ध्यान उन्हें पुनर्नियोजित करने वाले प्राधिकारी द्वारा तथा जब महालेखापाल ऐसी नियुक्ति से अवगत हो जाये, तब महालेखापाल द्वारा इस अध्याय के उपबन्धों की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाएगा, किन्तु ये प्राधिकारी ऐसा न करें तो यह चूँकि इस अध्याय में अन्तर्विष्ट विनियमों के भंग की क्षान्ति का आधार न मानी जायेगी ।

160. इस अध्याय के नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इस नियमावली के अध्याय 9 के अधीन मंजूर क्षत या अन्य असाधारण पेंशन सैनिक नियमावली के अधीन प्रदत्त क्षत या आघात या अशक्तता पेंशन या पेंशन में अशक्तता के लिए जोड़ी जाने वाली रकम निवृत्त सैनिक या असैनिक सरकारी सेवक को उसके पुनर्नियोजन या लगातार नियोजन की अवधि में मिलती रहेगी और केवल उसके प्रदान की शर्त्तों के अधीन रहेगी । पुनर्नियोजन या लगातार नियोजन काल का वेतन नियत करते समय ऐसी पेंशन या पेंशन में जोड़ी रकम पर विचार न किया जायेगा ।

टिप्पणी : जहाँ सैनिक पेंशन समेकित हो और सेवा तथा अशक्तता अंशों को स्पष्टतः अलग-अलग न दिखाया गया हो, वहाँ कुल पेंशन को निम्न रीति से विभाजित किया जायेगा । पेंशन के सेवा-अंश का प्रतीक उपार्जित सेवा-पेंशन होगा अथवा, यदि सेवा-पेंशन उपार्जित न की गई हो, तो सेवा जिस पंक्ति में और वस्तुतः जिस अवधि तक की गयी हो, उसके लिये अनुमान्य निम्नतम साधारण पेंशन के आधार पर कलित आनुपातिक सेवा-पेंशन होगा । इस सेवा-अंश की गणना में, [1][पचास नये पैसे या उससे अधिक को पूरा रुपया माना जायेगा और [1][पचास नये पैसे कम को छोड़ दिया जायेगा । शेष रकम पेंशन का अशक्तता अंश होगी ।

161. (क) निवृत्त सरकारी सेवक के पुनर्नियोजन या सेवा-काल बढ़ाने में कोई रुकावट नहीं है, बशर्त्ते कि (i) असमर्थता-पेंशन पर निवृत्त व्यक्ति के मामले में, यदि वह स्वास्थ्य-लाभ कर चुका हो अथवा सेवा की उस शाखा से जिसके लिये वह असमर्थ करार किया गया था, भिन्न शाखा में कार्य करने योग्य पाया जाये और (ii) बुढ़ापा-पेंशन या निवृत्ति-पेंशन पर निवृत्त व्यक्ति के मामले में, उसका पुनर्नियोजन लोकहित में किया गया हो और उसकी मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी हो ।

[इस उप नियम के अधीन सौंपी गई शक्तियों के लिए, देखें परिशिष्ट I]

(ख) पुनर्नियोजित सरकारी सेवक को, जबतक सरकार उसे बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता के *[नियम 83 के अधीन अग्रिम वृद्धियाँ मंजूर न करें, पद का आरम्भिक वेतन मिलेगा, परन्तु वेतन और पेंशन की कुल रकम कभी भी उस रकम से अधिक न होगी जो उसे उन्मुक्ति से पहले अन्तिम मौलिक वेतन के रूप में मिली हो । जहाँ कुल रकम अन्तिम मौलिक वेतन से अधिक हो जाये, वहाँ केवल उतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी मिलने से पेंशन और पद के आरम्भिक वेतन का कुल योग अन्तिम मौलिक वेतन से अधिक न हो सके । *[अब बिहार सेवा संहिता का नियम 86 देखें ।]

टिप्पणी 1 : उन पेंशनभोगियों के पुनर्नियोजन के मामले में जिनकी पेंशन का कुछ अंश किसी अन्य सरकार से, चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्रीय सरकार, वसूलना हो, यदि वेतन और पेंशन की कुल रकम उन्मुक्ति के समय प्राप्त मौलिक वेतन से अधिक हो जाये तो पेंशन को अंशतः या पूर्णतः रोक रख कर पुनर्नियोजन के बाद मिलनेवाला वेतन नियत न किया जायेगा, अर्थात्, ऐसे मामलों में पेंशन रोक रखने के बदले वेतन को ही कम कर देना चाहिये ।

टिप्पणी 2 : ये प्रतिबन्ध भूतपूर्व पुलिस कर्मचारियों पर, जिनकी पेंशन 10 रु० प्रतिमास से अधिक न हो, लागू नहीं होते ।

(ग) खास मामलों में, जहाँ सरकारी सेवक ऐसे पदों पर पुनर्नियोजित किया जाये जिनसे सम्बद्ध कर्त्तव्य या उत्तरदायित्व, उसके द्वारा निवृत्ति की तारीख को धारित मौलिक पद से सम्बद्ध कर्त्तव्यों या उत्तरदायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण हों, पुनर्नियोजन पर वेतन और पेंशन की कुल रकम, राज्य-सरकार के आदेश से, उसके अन्तिम मौलिक वेतन से अधिक हो सकेगी ।

(घ) यदि एक बार उपर्युक्त शर्तों के अनुसार पेंशन की रकम नियत हो जाये, तो सरकारी सेवक अपने नये वेतनमान में वृद्धियाँ पाने या अन्य वेतनमान या पद प्रोन्नति पाने के फायदों का हकदार हो जायेगा और ऐसी स्थिति

1. यह पहली अप्रील, 1957 से लागू है । "8 आने" अंक एवं शब्द के लिए प्रतिस्थापित, देखें, वित्त विभाग, अधिसूचना सं० पी०-1-1023/57-15242-वि०, दिनांक 6 अक्टूबर, 1958; शुद्धि पत्र सं० 60, दिनांक 28 मई, 1959 ।

में न तो उसकी पेंशन में आगे अनुक्रमिक कटौती की जायेगी और न इस प्रकार नियत पेंशन की रकम में छुट्टी की अवधि में कोई हेरफेर किया जायेगा।

(ङ) उस पेंशनभोगी के पुनर्नियोजन के मामले में जो क्षतिपूर्ति पेंशन या असमर्थता पेंशन प्राप्त कर चुका हो, यदि उसका पुनर्नियोजन पेंशन-प्रदायी सेवा में हुआ हो, तो उपर्युक्त खंड (ख) में वर्णित शर्तों पर वह या तो अपनी पेंशन कायम रख सकता है जिस दशा में उसकी पूर्व सेवा भावी पेंशन के लिये न गिनी जायेगी, अथवा अपनी पेंशन का कोई अंश पाना बन्द कर सकता है और अपनी पूर्व सेवा को गिन सकता है। बीच में प्राप्त पेंशन को वापस करने की जरूरत नहीं है।

टिप्पणी : सरकारी सेवक खंड (क) के अधीन अपनी पूर्व सेवा को गिन सकता है, यदि पुनर्नियुक्ति के बाद उपर्युक्त खंड (ख) में वर्णित शर्तों के अधीन उसकी समूची पेंशन रोक रखी जाये।

(च) जहाँ पुनर्नियोजन, बुढ़ापा-निवृत्ति से पहले की सेवा के क्रम में हो, वहाँ छोड़कर, सभी मामलों में पुनर्नियोजन सक्षम चिकित्सा-प्राधिकारी से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र पेश करने पर किया जायेगा।

(छ) अनुकम्पा-भत्ता सर्वथा पेंशन ही है, इसलिये पेंशनभोगियों के पुनर्नियोजन के नियम अनुकम्पा-भत्ता पानेवाले व्यक्ति के मामले में भी समान रूप से लागू होंगे; यह भत्ता असमर्थता या क्षतिपूर्ति पेंशन माना जायेगा।

(ज) किसी भी पेंशनभोगी को 60 वर्ष की उम्र के बाद पुनर्नियोजित न किया जायेगा या नियोजन में बना रहने न दिया जायेगा; ऐसा केवल अति विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है और वह भी राज्य सरकार की मंजूरी से।

राज्य सरकार का निर्णय –

***विषय : पुनर्नियुक्त सरकारी सेवक का वेतन और पेंशन का निर्धारण।**

बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट नियमों के तहत पुनर्नियोजन पर सरकारी सेवक का वेतन और पेंशन इस तरह निर्धारित किये जायें कि वेतन और पेंशन (मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के समान पेंशन समेत) का कुल योग उसके द्वारा निवृत्ति से पूर्व अन्तिम प्राप्त "मूल वेतन" से अधिक नहीं हो।

राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है कि अन्तिम "मूल वेतन" के बदले वेतन और पेंशन (मृत्यु-सह- निवृत्ति उपदान के समान पेंशन समेत) इस तरह निर्धारित किये जायें कि उनका कुल योग सेवक द्वारा निवृत्ति से पूर्व अन्तिमतः प्राप्त वेतन (बिहार पेंशन नियमावली के नियम 26 में यथा-परिभाषित) से अधिक न हो। संक्षेप में पुनर्नियोजन पर वेतन और पेंशन के निर्धारण का आधार अन्तिम वेतन होगा, न कि अंतिम "मूल वेतन"। अंतिम वेतन में विशेष वेतन भी सन्निविष्ट समझा जायेगा, यदि निवृत्ति से पूर्व विशेष वेतन मिला हो। तद्नुसार नियमों को संशोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। इस बीच पुनर्नियोजन के सभी नए मामलों में वेतन और पेंशन-निर्धारण में उपर्युक्त प्रक्रिया अपनायी जाये। [*ज्ञापांक पेन०– 1029/69/13866, दिनांक 14-11-1969]

162. ऐसे पेंशनभोगियों के मामले में जो सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित कर लिया जाये और ऐसे पुनर्नियोजन के बाद अपनी पेंशन का कोई अंश रूपान्तरित करा ले, इस अध्याय के नियमों के अधीन वह उतनी रकम पेंशन के रूप में पाने का हकदार होगा, जितनी रकम का हकदार वह होता, यदि रूपान्तरण न हुआ होता; किन्तु उस रकम में से रूपान्तरित रकम घटा दी जायेगी।

[1][ऐसे पेंशनभोगियों के मामले में जिसकी समूची पेंशन ऐसे पुनर्नियोजन काल में रोक रखी गयी हो, और जो इस अवधि में अपनी पेंशन का कोई अंश रूपान्तरित करा ले, पुनर्नियोजन काल के उसके वेतन से रूपान्तरित पेंशन की रकम, रूपान्तरण के पक्के होने की तारीख से घटा दी जायेगी। वैसे पेंशनभोगी के मामले में जिसकी पेंशन ऐसे पुनर्नियोजन-काल में अंशतः रोक रखी गयी हो और जो इस अवधि में अपनी पेंशन का कोई अंश रूपान्तरित करा ले जो उसे वस्तुतः प्राप्त पेंशन के अंश से अधिक हो, ऐसे पुनर्नियोजन काल में उसके वेतन से,

[ ] सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग, अधिसूचना सं० पी०-1-106/56-3408-वि०, दिनांक 15 मार्च, 1956; शुद्धि पत्र सं० 82, दिनांक 10 अगस्त, 1957।

1. सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग की अधिसूचना सं० सी०डी०आर०-5011/52-1265-वि०, दिनांक 31 जनवरी, 1953; शुद्धि पत्र सं० 18, दिनांक 1 जुलाई, 1953।

रूपान्तरण के पक्के होने की तारीख से, उतनी रकम घटा दी जायेगी जितनी रकम का रूपान्तरित पेंशन के अंश और रूपान्तरण एक प्राप्त पेंशन के अंश के बीच अन्तर हो ।]

163. ऐसे पेंशनभोगी के मामले में जिसकी पेंशन का कोई अंश पुनर्नियोजन के पूर्व रूपान्तरित हो गया हो, पुनर्नियोजन या लगातार नियोजन काल में प्राप्त होने वाली कुल रकम नियत करने में न केवल अरूपान्तरित पेंशन, बल्कि पेंशन की मूल रकम पर विचार किया जाएगा ।

प्रकरण 2 : असैनिक पेंशनभोगी

164. कोई सरकारी सेवक, जो क्षतिपूर्ति-उपदान प्राप्त कर चुका हो, यदि पेंशन-प्रदायी सेवा में पुनर्नियोजित किया जाये तो, या तो अपना उपदान रख सकता है जिस दशा में उसकी पूर्व सेवा भावी पेंशन के लिये गिनी जायेगी या उसे वापस कर अपनी पूर्व सेवा को गिन सकता है ।

165. पुनर्नियोजन के बाद तुरन्त ही उपदान वापस करने की इच्छा प्रकट कर देनी चाहिये; किन्तु उपदान की वापसी सरकारी सेवक के वेतन की तिहाई से कम की मासिक किस्तों में न होगी तथा जिस सेवा के लिए उपदान किया गया था, उसके समाप्त होने के बाद जितने महीने बीत गये हों, उनकी संख्या से समूचे उपदान को विभाजित करने से जो रकम निकलेगी, उससे भी कम न होगी । पूर्व सेवा गिनने का अधिकार तब तक उज्जीवित नहीं हो सकता जब तक कि समूची रकम लौटा न दी जाये ।

टिप्पणी : इस नियम का औचित्य इस बात पर आधारित है कि जब तक उपदान की वापसी स्थगित रहती है, सरकारी सेवक जोखिम नहीं उठाता और राज्य को इसकी संभावना नहीं रहती कि सरकारी सेवक की मृत्यु या बर्खास्तगी से उसका उपदान लोक-कोषागार में पूर्णतः व्यपगत हो जायेगा । बाद में उपदान की चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भी लौटाने से इस बीच ऐसी संभावना के न रहने के कारण राज्य की होनेवाली क्षति की पूर्ति नहीं होती ।

166. यदि सरकारी सेवक सूचना की तारीख से तीन महीनों के भीतर स्थायी रूप से पुनर्नियोजित कर लिया जाये, तो नियम 164 और 165, जिनके द्वारा पुनर्नियोजन के बाद क्षतिपूर्ति-उपदान की वापसी अपेक्षित है उस उपदान पर भी लागू होंगे जो नियम 114 (क) के अधीन दिया गया हो । किन्तु, सरकारी सेवक को इस नियम के अधीन उपदान के उस अनुपात को लौटाने की जरूरत नहीं है जो अनुपात उस व्यक्ति के नियोजित न रहने की अवधि और समूचि अवधि जिसके लिये उपदान दिया गया हो, के बीच हो । यदि सरकारी सेवक केवल अस्थायी रूप से पुनर्नियोजित किया जाये, तो उसे अपने उपदान के किसी अंश को वापस करने की जरूरत नहीं है; किन्तु यदि ऐसे अस्थायी नियोजन के संभावना पहले से भाँप ली जाये, तो उपदान अनुपाततः घटा दिया जाना चाहिये ।

167. पुनर्नियोजित मुद्रणालय कर्मचारी के मामले में (देखें नियम 72), उन्मुक्ति के समय का मौलिक वेतन, नियोजन के अन्तिम छः महीनों का औसत उपार्जन माना जायेगा ।

168. यदि सरकारी सेवक अपने पुनर्नियोजन की तारीख से तीन महीनों के भीतर नियम 161 द्वारा अनुमत पेंशन पाना बन्द कर अपनी पूर्व सेवा की गिनती करने के विकल्प का प्रयोग न करें, तो उसके बाद राज्य सरकार की अनुमति के बिना वह ऐसा नहीं कर सकता ।

प्रकरण 3 : सैनिक पेन्शनभोगी

169. जहाँ स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित हो, वहाँ छोड़कर, इस अध्याय के प्रकरण 2 के नियम उन सैनिक पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों, वारंट या अनायुक्त पदाधिकारियों या सैनिकों पर लागू न होंगे जो सैनिक नियमावली के अधीन पेंशन-प्रदान के बाद असैनिक नियोजन के लिये जाएँ या बने रहने दिये जाएँ । असैनिक विभाग में ऐसे सरकारी सेवकों के वेतन के दावे इस प्रकरण में उल्लिखित नियमों द्वारा शासित होंगे । असैनिक विभाग में सेवा के लिये अनुमत उसकी पेंशन पर उसकी सैनिक पेंशन का कोई प्रभाव न पड़ेगा ।

170. (क) जब कोई व्यक्ति, जो पहले सैनिक सेवा में रहा हो, सैनिक पेंशन-प्रदान के बाद असैनिक विभाग में नियोजित किया जाये, तब वह अपनी सैनिक पेंशन पाता रहेगा, किन्तु जिस पद पर वह पुनर्नियोजित किया गया हो, उस पद के वेतन और भत्ते नियत करने में सक्षम प्राधिकारी को, जिस पद पर वह पुनर्नियोजित किया गया हो, उस पद के वेतन और भत्ते नियत करने में पेंशन की रकम, जिसमें पेंशन का वह अंश भी शामिल है जो रूपान्तरित किया गया हो, पर भी विचार करने की शक्ति होगी ।

(ख) असैनिक नियोजन में रहते हुए जब किसी सैनिक पदाधिकारी, विभागीय पदाधिकारी, वारंट या अनायुक्त पदाधिकारी या सैनिक को सैनिक नियमावली के अधीन पेंशन प्रदान की जाए, तब वह असैनिक नियोजन में रहते हुए ऐसी पेंशन लेगा, किन्तु असैनिक नियोजन के पद का वेतन और भत्ता नियत करने में सक्षम प्राधिकारी, पेंशन-प्रदान की तारीख से, ऐसे पदाधिकारी या सैनिक के वेतन या भत्ते से वह रकम घटा सकता है, जो पदाधिकारी या सैनिक के उस पेंशन की रकम से अधिक न हो।

टिप्पणी : बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता के नियम 296 के अधीन छुट्टी प्राप्त असैनिक नियोजन में स्थित सभी सैनिक पदाधिकारियों के मामले में सैनिक पेंशन का भुगतान तबतक रोक रखा जायेगा, जबतक कि पदाधिकारी असैनिक नियोजन से, उनको अंतिम रूप से निवृत्त नहीं कर दिया जाता। [अब बिहार सेवा संहिता के नियम 183 और परिशिष्ट-12 देखें।]

171. किसी भारतीय सैनिक पदाधिकारी या अनायुक्त पदाधिकारी या सैनिक के उत्तराधिकारी अथवा चिकित्सीय अधीनस्थ के उत्तराधिकारी की पेंशन, किसी असैनिक विभाग के अन्तर्गत नियोजन-काल में, उसके वेतन में मिला दी जायेगी।

प्रकरण 4 : नयी सेवा के लिये पेंशन

172. इस अध्याय के प्रकरण 3 में उपबंधित स्थिति के अतिरिक्त, कोई सरकारी सेवक, जो पेंशन के साथ उन्मुक्त हो जाने पर बाद में पुनर्नियोजित कर लिया जाये, अपना नई सेवा की गिनती अलग पेंशन के लिये नहीं कर सकता। पेंशन पुरानी सेवा के साथ मिलाकर नई सेवा के लिये अनुमान्य है और दोनों सेवाओं को मिलाकर समूची एक सेवा के रूप में गिनती की जाती है।

173. यदि कोई सरकारी सेवक, जिसे क्षतिपूर्ति या असमर्थता-पेंशन मिल चुकी हो, पेंशनी-सेवा में पुनर्नियोजित कर लिया जाये और पेंशन पाता रहे (देखें नियम 161), तो बाद की सेवा के लिये अनुमान्य पेंशन या उपदान निम्न परिसीमाओं के अधीन रहेगा, अर्थात् उपदान या पेंशन का पूँजी-मूल्य, उसकी अंतिम निवृत्ति के समय अनुमान्य पेंशन के मूल्य, यदि सेवा की दोनों अवधियाँ संयुक्त कर ली गई हों, और पूर्व सेवा के लिये प्रदत्त पेंशन के मूल्य के बीच के अंतर से अधिक न होगा।

174. (क) यदि पूर्व सेवा के लिये प्राप्त उपदान न लौटाया गया हो, तो (यथास्थित) उपदान या पेंशन बाद की सेवा के लिये इस शर्त्त पर दी जा सकती है कि ऐसे उपदान की राशि या ऐसी पेंशन का वर्त्तमान मूल्य और पूर्व उपदान की राशि, कुल मिलाकर, पूर्व सेवा के लिये प्राप्त उपदान लौटा देने पर अनुमान्य पेंशन के वर्त्तमान मूल्य से या उपदान की राशि से अधिक न होगी।

(ख) यदि ऐसे उपदान की राशि या ऐसी पेंशन का वर्त्तमान मूल्य और पूर्व उपदान की राशि, कुल मिलाकर, पूर्व सेवा के लिये प्राप्त उपदान के लौटाने पर अनुमान्य पेंशन के मूल्य या उपदान की राशि से अधिक हो जाये, तो अधिकाई अवश्य ही अस्वीकृत कर देनी चाहिये।

175. नियम 173 और नियम 174 के प्रयोजनार्थ, पेंशन की पूँजी या वर्तमान मूल्य की गणना असैनिक पेंशन (रूपान्तरण) नियमावली सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) रूल्स] परिशिष्ट 3) के अधीन सरकार द्वारा विहित तालिका के अनुसार की जाएगी।

प्रकरण 5 : निवृत्ति के बाद वाणिज्यिक नियोजन

175. अ. (क) यदि कोई पेंशनभोगी जिस पर यह नियम लागू हो, अपनी निवृत्ति की तारीख से दो वर्ष समाप्त होने के पहले कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करना चाहे, तो उसे स्वीकार करने के बारे में राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी प्राप्त कर लेनी चाहिये। वैसे पेंशन-भोगी को, जो ऐसी मंजूरी के बिना वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार कर लें, ऐसी अवधि के संबंध में, जिसमें वह नियोजित रहा हो, या और अधिक अवधि के संबंध में, जो राज्य सरकार निदेशित करे, कोई भी पेंशन देय न होगी, परन्तु जिस सरकारी सेवक को निवृत्ति-पूर्व छुट्टी की अवधि में, खास तरह का वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी ने दे दी हो उसे निवृत्ति के बाद ऐसे नियोजन में बने रहने के लिये बाद में अनुमति न लेनी होगी।

(ख) यह नियम ऐसे प्रत्येक पेंशनभोगी पर लागू होगा जो निवृत्ति के ठीक पहले निम्न अनुसूची में वर्णित राज्य सरकार के नियम विधायी नियंत्रण के अधीन सेवाओं का सदस्य रहा हो।

(ग) इस नियम में "वाणिज्यिक नियोजन" से तात्पर्य है किसी कंपनी या फर्म के अधीन अथवा व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, वित्तीय कारोबार या व्यवसाय में लगे किसी व्यक्ति के अधीन किसी भी हैसियत से, जिसमें एजेंट भी है, नियोजक और इसके अन्तर्गत ऐसी कंपनी की संचालनकर्त्ता तथा ऐसी कंपनी और फर्म की साझीदारी भी है । [1][किन्तु इसमें सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित निगम-निकाय के अधीन नियोजित शामिल नहीं है ।]

अनुसूची

1. बिहार प्रान्तीय सेवा (कार्यपालिका शाखा) ।
2. बिहार वन-सेवा, वरीय शाखा ।
3. आबकारी-उपायुक्त और आबकारी-अधीक्षक ।
4. उत्कृष्ट न्याय-सेवा और बिहार असैनिक सेवा (न्याय-शाखा) ।
5. बिहार पुलिस-सेवा ।
6. बिहार अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) सेवा (श्रेणी 1), जिसके अन्तर्गत प्रवर-कोटि के पद भी हैं ।
7. बिहार कृषि सेवा, श्रेणी-1 ।
8. ईख विभाग के उत्कृष्ट राजपत्रित पद, जिनके अन्तर्गत ईख-आयुक्त और विशेष ईख-निरीक्षक के पद भी हैं ।
9. सहयोग विभाग – सहायक निबन्धक से ऊपर के सभी उत्कृष्ट पद और मुख्य लेखा परीक्षक का पद ।
10. उद्योग-निदेशक, उद्योग-उप-निदेशक और वस्त्र विशेषज्ञ के पद; बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, सिन्दरी कॉलेज, टेक्निकल इंस्टिच्यूट में श्रेणी-1 के पद ।
11. बिहार वित्त सेवा, वरीय शाखा और प्रवर-पद ।
12. सरकारी मुद्रणालय का अधीक्षक ।
13. श्रम-विभाग – सभी उत्कृष्ट पद, जिनके अन्तर्गत सहायक श्रम-आयुक्त के पद भी हैं ।
14. वाष्पित्र के मुख्य-निरीक्षक और निरीक्षक के पद ।
15. कारखानों के मुख्य-निरीक्षक और निरीक्षक के पद ।
16. परिवहन विभाग – सभी उत्कृष्ट राजपत्रित पद, जिनके अन्तर्गत प्रादेशिक परिवहन-प्राधिकारों के सचिवों के पद भी हैं ।

[2][प्रकरण 6 : निवृत्ति के बाद भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन नियोजन]

175. ब (क) – यदि कोई पेंशनभोगी जिस पर यह नियम लागू हो, भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन कोई नियोजन स्वीकार करना चाहे, तो उसे ऐसे स्वीकार के लिए राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी प्राप्त कर लेनी चाहिए । उचित अनुमति के बिना ऐसा नियोजन स्वीकार करने वाले पेंशनभोगी को ऐसे नियोजन की अवधि के लिए या राज्य सरकार द्वारा निर्दिशित और अधिक अवधि के लिए कोई पेंशन देय न होगी ।

परन्तु, जिस सरकारी सेवक को निवृत्ति-पूर्व-छुट्टी की अवधि में भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन किसी खास तरह का नियोजन ग्रहण करने की अनुमति समुचित प्राधिकारी ने दे दी हो, उसे निवृत्ति के बाद ऐसे नियोजन में बने रहने के लिए बाद में अनुमति न लेनी होगी ।

(ख) यह नियम ऐसे हरेक पेंशनभोगी पर लागू होगा जो, निवृत्ति के ठीक पहले, राज्य सरकार के नियम-विधायी-नियंत्रण के अधीन निम्न अनुसूची में यथावर्णित सेवाओं का सदस्य रहा हो, किन्तु उपर्युक्त खंड (क) में निर्दिष्ट किसी ऐसे नियोजन के संबंध में लागू न होगा, जिसे ऐसे पेंशनभोगी ने 15 जून, 1954 के पहले स्वीकार किया हो ।

1. [सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग, अधिसूचना सं० सी०डी०आर०-5015/59-20987-वि०, दिनांक 9 नवम्बर, 1959; शुद्धि पत्र सं० 68, दिनांक 27 मई, 1960 ।]
2. [प्रकरण और नियम 175 ब-सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग, अधिसूचना सं० पी०-1-1018/54-297-एफ०आर०, दिनांक 15 जून, 1954; शुद्धि पत्र सं० 22, दिनांक 18 जनवरी, 1955 ।]

(ग) इस नियम के प्रयोजनार्थ, "भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन नियोजन" के अन्तर्गत किसी ऐसी स्थानीय प्राधिकार या निगम अथवा कोई दूसरी ऐसी संस्था या संघटन, जो भारत के बाहर किसी सरकार के पर्यवेक्षण या नियंत्रण के अधीन काम करता हो, के अधीन नियोजन भी होगा।

अनुसूची

1. बिहार प्रान्तीय सेवा (कार्यपालिका शाखा)।
2. बिहार वन-सेवा, वरीय शाखा।
3. आबकारी-उपायुक्त और आबकारी-अधीक्षक।
4. उत्कृष्ट न्याय-सेवा और बिहार असैनिक सेवा (न्याय-शाखा)।
5. बिहार पुलिस-सेवा।
6. बिहार अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) सेवा (श्रेणी 1), जिसके अन्तर्गत प्रवर-कोटि के पद भी हैं।
7. बिहार कृषि सेवा, श्रेणी-1।
8. ईख विभाग के उत्कृष्ट राजपत्रित पद, जिनके अन्तर्गत ईख-आयुक्त और विशेष ईख-निरीक्षक के पद भी हैं।
9. सहयोग विभाग – सहायक निबन्धक से ऊपर के सभी उत्कृष्ट पद और मुख्य लेखा परीक्षक का पद।
10. उद्योग-निदेशक, उद्योग-उप-निदेशक और वस्त्र विशेषज्ञ के पद; बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, सिन्दरी कॉलेज, टेक्निकल इंस्टिच्यूट में श्रेणी-1 के पद।
11. बिहार वित्त सेवा, वरीय शाखा और प्रवर-पद।
12. सरकारी मुद्रणालय का अधीक्षक।
13. श्रम-विभाग – सभी उत्कृष्ट पद, जिनके अन्तर्गत सहायक श्रम-आयुक्त के पद भी हैं।
14. वाष्पित्र के मुख्य-निरीक्षक और निरीक्षक के पद।
15. कारखानों के मुख्य-निरीक्षक और निरीक्षक के पद।
16. परिवहन विभाग – सभी उत्कृष्ट राजपत्रित पद, जिनके अन्तर्गत प्रादेशिक परिवहन-प्राधिकारों के सचिवों के पद भी हैं।

अध्याय-9

क्षत और अन्य असाधारण पेंशनें

प्रकरण 1 : लागू होने की सीमा

176. जिन व्यक्तियों पर कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम (वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट), 1923 (ऐक्ट 8, 1923) लागू होता है, उनसे भिन्न, असैनिक बजट से भुगतान पानेवाले सभी व्यक्तियों पर जो राज्य सरकार के नियम विधायी नियंत्रण के अधीन हों, इस अध्याय के नियम लागू होंगे, चाहे उनकी नियुक्ति स्थायी हो या अस्थायी, कालमान-वेतन पर हो या नियत वेतन पर उजरत-दर पर।

प्रकरण 2 : परिभाषा

177. जबतक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो, इस अध्याय के प्रयोजनार्थ –

(1) "दुर्घटना" से तात्पर्य है –

(i) आकस्मिक और अपरिहार्य विपत्ति, अथवा

(ii) सेवा के संबंध में या सिलसिले में बल-प्रयोग से अन्यथा उत्पन्न संकट काल में कर्त्तव्य परायणता के कारण आनेवाली कोई विपत्ति;

(2) "आघात की तारीख" से तात्पर्य है –

(i) दुर्घटना या बल-प्रयोग की दशा में, वह वास्तविक तारीख, जिस तारीख को आघात पहुँचा हो या वह तारीख जो राज्य सरकार नियत करे और जो चिकित्सक-बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के बाद न हो; तथा

(ii) रोग की दशा में, वह तारीख जिस तारीख को चिकित्सक बोर्ड रिपोर्ट दे या इससे पहले की वह तारीख जो राज्य सरकार चिकित्सक-बोर्ड की राय पर उचित ध्यान देते हुए नियत करें;

(3) (i) यौन रोग या रोगाणुरक्तता (सेप्टिसीमिया) जहाँ ऐसा रोग या रोगाणु-रक्तता किसी चिकित्सक को अपने पदीय कर्त्तव्य के सिलसिले में संक्रामक रोग से पीड़ित रोगी का उपचार करने या उक्त कर्त्तव्य के सिलसिले में शव-परीक्षा करने के कारण हो जाये, या

(ii) ऐसा रोग जो एकमात्र और सीधे दुर्घटना से ही हुआ हो;

(iii) कोई महामारी जो आदेशानुसार सरकारी सेवक के महामारी-क्षेत्र में कर्त्तव्यस्थ रहने के फलस्वरूप या उस क्षेत्र में, जहाँ वह कर्त्तव्य संपादन के सिलसिले में हो, ऐसे रोग से ग्रस्त किसी रोगी का उपचार, मानवता के नाते स्वेच्छा से करने के फलस्वरूप उसे हो जाये;

(4) "आघात" से तात्पर्य है शारीरिक आघात, जो बल-प्रयोग, दुर्घटना या रोग से जिसे चिकित्सक बोर्ड कठिन से कम न घोषित करे, पहुँचा हो।

टिप्पणी : इस अध्याय की अनुसूची 1 में कुछ कोटियों के आघातों के उदाहरण दिये गये हैं।

(5) "वेतन" से तात्पर्य है बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता के *[नियम 38 में परिभाषित वेतन, जो कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु या आघात की तारीख को पा रहा था; परन्तु उजरत-दर पर भुगतान पानेवाले व्यक्ति के मामले में, वेतन से तात्पर्य है उसकी मृत्यु या आघात की तारीख को समाप्त होनेवाले पिछले छः महीने का औसत उपार्जन। [*अब बिहार सेवा संहिता का नियम 34 देखें।]

(6) "पद संबंधी जोखिम" से तात्पर्य है, खास जोखिम से भिन्न दुर्घटना या रोग की जोखिम जो सरकारी सेवक को अपने कर्त्तव्य के सिलसिले में या उसके फलस्वरूप बनी रहती हो, किन्तु वैसी कोई जोखिम पद संबंधी जोखिम न समझी जायेगी जो भारत के अन्तर्गत वर्तमान स्थितियों में मानव-जीवन के लिये आम जोखिम है, जबतक कि सरकारी सेवा के स्वरूप, स्थितियों, दायित्वों या अनुषंगों के चलते ऐसी जोखिम, प्रकार और मात्रा में निश्चित रूप से न बढ़ जाये;

(7) "खास जोखिम" से तात्पर्य है –

(i) बल-प्रयोग द्वारा आघात की जोखिम;

(ii) दुर्घटना या आघात की जोखिम जो किसी ऐसे खास कर्त्तव्य का पालन करते समय या उसके फलस्वरूप सरकारी सेवक की हो, जिससे उसके पद की मामूली जोखिम की अपेक्षा वस्तुतः अधिक आघात पहुँचने की संभावना बढ़ जाए;

(iii) ऐसा रोग होने की जोखिम जो चिकित्सा पदाधिकारी को, अपने पदीय कर्त्तव्य के सिलसिले में यौनरोग या रोगाणुरक्कता से पीड़ित किसी रोगी का उपचार करने या उक्त कर्त्तव्य के संपादन में शव-परीक्षा करने के फलस्वरूप हो; और

(8) "बल प्रयोग" से तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति का कार्य जो सरकारी सेवक को –

(i) उसके कर्त्तव्यों के सम्पादन में उस पर हमला करके या उसका प्रतिरोध करके अथवा उसे अपने कर्त्तव्यों के सम्पादन में अपभीत करने या उससे रोकने के लिए; अथवा

(ii) ऐसे सरकारी सेवक या किसी दूसरे लोक सेवक द्वारा अपने कर्त्तव्य के विधिसंगत संपादन में किये गये किसी काम या काम की चेष्टा के कारण; अथवा

(iii) उसकी आधिकारिक स्थिति के कारण – कोई आघात पहुँचाए।

प्रकरण 3 : सामान्य नियम

178. राज्य सरकार की मंजूरी के बिना इस अध्याय के अधीन कोई परिदान न किया जायेगा। परिदान करने में राज्य सरकार उस सरकारी सेवक की, जिसे आघात पहुँचा हो या जो आघात के फलस्वरूप मर गया हो या जो मार दिया गया हो, चूक या सहायक उपेक्षा की मात्रा पर भी विचार करेगी।

टिप्पणी : इस अध्याय के अधीन पेंशन-परिदान के दावों के संबंध में, ऐसी पेंशन मंजूर कने के पहले, बिहार-लोक-सेवा-आयोग से परामर्श कर लेना चाहिए ।

179. इस अध्याय में जहाँ कोई दूसरा उपबंध हो, वहाँ छोड़कर, इस अध्याय के अधीन किये गये परिदान से किसी दूसरी पेंशन या उपदान पर जिसका पात्र सम्बद्ध सरकारी सेवक या उसका परिवार उस समय लागू किन्हीं अन्य नियमों के अधीन हो सकता हो, कोई प्रभाव न पड़ेगा; और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रदत्त पेंशन पर, पेंशनभोगी के सरकारी सेवा में लगातार नियोजन या पुनर्नियोजन की दशा में उसका वेतन नियत करने में, विचार न किया जायेगा ।

180. निम्न के लिये कोई परिदान न किया जाएगा –

(i) आवेदन की तारीख से 5 वर्ष से अधिक पहले पहुँचे आघात के लिये; अथवा

(ii) वैसी मृत्यु के लिये, जो (क) बल-प्रयोग या दुर्घटना द्वारा आघात पहुँचने के अथवा (ख) सरकारी सेवा जिस रोग से मरा हो उसके कारण उसके चिकित्सक द्वारा काम के अयोग्य करार दिये जाने के सात वर्ष बाद हुई हो ।

181. इस अध्याय के अधीन सभी परिदान भारत में रुपये में किये जायेंगे । जब तक कि भुगतान पाने वाला व्यक्ति स्थायी रूप से उस देश में न रहता हो, और उस देश में भुगतान पाना न चाहता हो, जहाँ रुपया विधि-मान्य मुद्रा नहीं है । पिछली दशा में, परिदान की रकम पौंड में, एक रुपये के लिए 1 शिलिंग 6 पेन्स की विनिमय दर पर, चुकाई जायेगी ।

प्रकरण 4 : आघातों के प्रकार

182. इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, आघातों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

वर्ग (क) – पद संबंधी खास जोखिम के फलस्वरूप पहुँचा आघात, जिससे कोई आँख या कोई अंग स्थायी रूप से खराब हो गया हो या जो आघात और अधिक गहरा हो;

वर्ग (ख) – पद संबंधी खास जोखिम के फलस्वरूप पहुँचा आघात और अशक्तता की मात्रा के विचार से, अंग-भंग के बराबर आघात या और अधिक गहरा आघात, अथवा पद संबंधी जोखिम के फलस्वरूप पहुँचा आघात, से कोई आँख या कोई अंग स्थायी रूप से खराब हो गया हो या जो आघात और अधिक गहरा हो;

वर्ग (ग) – पद संबंधी खास जोखिम के फलस्वरूप पहुँचा आघात, जो गहरा तो हो, किन्तु बहुत गहरा न हो और जिसके स्थायी होने की संभावना हो; अथवा पद संबंधी जोखिम के फलस्वरूप पहुँचा आघात जो अशक्तता की मात्रा के विचार से, अंग-भंग के बराबर हो या बहुत गहरा हो तथा जिसके स्थायी हो जाने की संभावना हो ।

प्रकरण 5 : क्षत एवं आघात पेंशन परिदान

183. (1) यदि किसी सरकारी सेवक को ऐसा आघात पहुँचे, जो वर्ग (क) में पड़ता हो तो उसे निम्न परिदान किया जायेगा –

(क) इस अध्याय की अनुसूची 2 में उल्लिखित राशि का उपदान, और

(ख) आघात की तारीख से जिस तारीख को एक वर्ष समाप्त हो, उस तारीख से –

(i) यदि आघात के कारण एक से अधिक अंग या आँखें स्थायी रूप से खराब हो गयी हों, तो इस अध्याय की अनुसूची 2 में उच्च मान-पेंशन के लिये उल्लेखित अनुमान्य रकम की स्थायी पेंशन; और

(ii) दूसरे मामलों में, स्थायी पेंशन जिसकी रकम इस अध्याय की अनुसूची 2 में उच्च मान पेंशन के लिये उल्लिखित अनुमान्य रकम से अधिक और उस रकम की आधी से कम न होगी ।

(2) यदि किसी सरकारी सेवक को, ऐसा आघात पहुँचे, जो वर्ग (ख) में पड़ता हो, तो उसे निम्न परिदान किया जायेगा –

(i) यदि आघात के फलस्वरूप एक से अधिक अंग या आँखें स्थायी रूप से खराब हो गयीं हों अथवा आघात अधिक गहरा हो, तो आघात की तारीख से स्थायी पेंशन जिसकी रकम इस अध्याय की अनुसूची 2 में निम्न मान पेंशन के लिए उल्लिखित अनुमान्य रकम से अधिक और उस रकम की आधी से कम न होगी;

(ii) दूसरे मामलों में –

(क) आघात की तारीख से एक वर्ष के लिये अस्थायी पेंशन जिसकी रकम इस अध्याय की अनुसूची 2 में निम्नमान पेंशन के लिए उल्लिखित अनुमान्य रकम से अधिक और उस रकम की आधी से कम न होगी और उसके बाद;

(ख) उपखंड (क) में उल्लिखित सीमा के भीतर पेंशन, यदि चिकित्सक-बोर्ड प्रतिवर्ष यह प्रमाणित करे कि आघात बहुत गहरा बना हुआ है ।

(3) यदि किसी सरकारी सेवक को ऐसा आघात पहुँचे, जो वर्ग (ग) में पड़ता हो, तो उसे इस अध्याय की अनुसूची 2 में उल्लिखित अनुमान्य राशि का उपदान दिया जायेगा, अगर चिकित्सक-बोर्ड यह प्रमाणित कर दें कि सरकारी सेवक के एक वर्ष तक सेवा के अयोग्य हो जाने की संभावना है, अथवा अगर आनुपातिक राशि, जो ऐसी उल्लिखित राशि की एक–चौथाई से कम न होगी, चिकित्सक–बोर्ड यह प्रमाणित कर दे कि उसके एक वर्ष से कम के लिये सेवा के अयोग्य हो जाने की संभावना ।

परन्तु, जहाँ आघात अशक्तता की मात्रा के विचार से अंग–अंग के बराबर हो वहाँ राज्य सरकार, यदि उचित समझे, उपदान के बदले पेंशन दे सकेगी जो उपर्युक्त खंड (2) के उपखंड (ii) के अधीन अनुमान्य रकम से अधिक न होगी ।

(4) इस नियम के अधीन दी गई अस्थायी पेंशन निम्न दशाओं में स्थायी–आघात पेंशन में रूपान्तरित की जा सकती है –

(i) जब सरकारी सेवक को उस आघात के कारण, जिसके संबंध में उसे अस्थायी पेंशन दी गयी थी, सेवा से असमर्थ घोषित कर दिया जाये; अथवा

(ii) जब अस्थायी पेंशन कम से कम 5 वर्षों तक प्राप्त की जा चुकी हो; अथवा

(iii) किसी भी समय, यदि चिकित्सक–बोर्ड यह प्रमाणित कर दे कि ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता कि असमर्थता की मात्रा में कभी कोई खास कमी होगी ।

[1][**184.** [नियम 184 एवं 185 के टिप्पणी में दिए गये प्रावधानों के अनुसार] सरकारी सेवक की विधवा पत्नी तथा संतान को, निम्न परिदान किये जायेंगे –

(i) यदि सरकारी सेवक पद संबंधी खास जोखिम के फलस्वरूप पहुँचे आघात के कारण मारा जाये या मर जाये; तो –

(क) इस अध्याय की अनुसूची 3 में उल्लिखित अनुमान्य राशि का उपदान और

(ख) पेंशन, जिसकी रकम इस अध्याय की अनुसूची 3 में उल्लिखित अनुमान्य रकम से अधिक न होगी ।

(ii) यदि सरकारी सेवक पद संबंधी जोखिम के फलस्वरूप पहुँचे आघात के कारण मारा जाये या मर जाये, तो पेंशन, जिसकी रकम इस अध्याय की अनुसूची 3 में उल्लिखित अनुमान्य रकम से अधिक न होगी ।

***टिप्पणी 1 :** जब कोई सरकारी सेवक दो या अधिक वैध विधवा पत्नियों को छोड़कर मरे, तब इस नियम के अधीन अनुमान्य पेंशन या उपदान सभी विधवा पत्नियों में बराबर–बराबर बाँट दिया जाएगा ।

टिप्पणी 2 : यदि कोई सरकारी सेवक का सरकारी कार्य के निष्पादन में विशेष जोखिम के कारण मृत्यु हो जाती है और वह अपने पेंशन वास्ते हकदार कोई विधवा को छोड़ नहीं जाता है तो उसके बच्चे को उसके उपदान की राशि स्वीकृत की जायेगी जो सबको समान रूप में विभाजित होगी, जैसा कि अगर विधवा जीवित होती तो उसके भुगतेय होता ।

1. सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग, ज्ञाप सं० सी०डी०आर०-503/59–10650–वित्त, दिनांक 28 मई, 1959; शुद्धि पत्र सं० 65, दिनांक 30 मई, 1950 ।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

***विषय : कर्तव्य के दौरान हिंसक गतिविधियों में मारे गये पुलिसकर्मियों तथा अन्य सरकारी सेवकों को अनुग्रह-अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।**

गृह [आरक्षी] विभाग के संकल्प संख्या–1135, दिनांक 2 दिसम्बर, 1986 में इस बात का प्रावधान है कि कर्तव्य के दौरान घायल तथा मृत पुलिस बल के कर्मियों तथा पदाधिकारियों को विशेष सहायता योजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपया तक की राशि स्वीकृत की जा सकेगी। पिछले कुछ समय से पुलिसकर्मियों द्वारा इस बात की लगातार माँग की जा रही है कि लगभग 11 वर्ष पूर्व उपर्युक्त प्रकार से निर्धारित अनुग्रह-अनुदान की राशि में यथोचित वृद्धि की जाये।

2. इस समस्या से संबंधित सभी पहलुओं पर भली-भाँति विचार का राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि आज से लगभग 11 वर्ष पूर्व अनुग्रह-अनुदान की जो सीमा निर्धारित की गयी थी, उसे उसी अवधि में हुये मुद्रा-स्फीति को देखते हुये, यथोचित रूप से वृद्धि करने का औचित्य है। राज्य सरकार के समक्ष यह तथ्य भी आया है कि पुलिसकर्मियों की भाँति कई बार राज्य सरकार के अन्य सरकारी सेवकों को भी कर्तव्य के दौरान हिंसक गतिविधियों का शिकार होना पड़ता है। अत: उन्हें भी पुलिसकर्मियों की भाँति समुचित अनुग्रह-अनुदान स्वीकृत करने का पूर्ण औचित्य बनता है। अत: सम्पूर्ण मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि हिंसक गतिविधियों में मारे जाने वाले अथवा गंभीर रूप से घायल होने वाले सभी सरकारी सेवकों के संबंध में समान नीति का अनुसरण किया जाये और तद्नुसार कर्तव्य के दौरान हिंसक गतिविधियों के शिकार सभी सरकारी सेवकों को समान रूप से अनुग्रह-अनुदान की राशि स्वीकृत की जाये। तद्नुसार, इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी अनुदेशों/परिपत्रों इत्यादि को अवक्रमित करते हुये राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि –

(क) उग्रवादी अथवा ऐसे ही किसी अन्य हिंसक गतिविधियों में कर्त्तव्य के दौरान मारे जाने वाले प्रत्येक सरकारी सेवक को 2.50 लाख रुपयों की दर से अनुग्रह-अनुदान स्वीकृत किया जाये,

(ख) मृत सरकारी सेवकों को उपर्युक्त अनुग्रह-अनुदान की राशि स्वीकृत करने की शक्ति भी विभागीय सचिवों/विभागाध्यक्षों/क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों में विकेन्द्रित रहेगी। राज्य सरकार यह अपेक्षा करती है कि विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप मृत सरकारी सेवकों के उत्तराधिकारियों को घटना की तिथि से अधिक से अधिक एक माह की अवधि के अंतर्गत अनुग्रह-अनुदान की राशि स्वीकृत हो जायेगा और उन्हें उसका भुगतान प्राप्त हो जायेगा। यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुग्रह-अनुदान समिति की अनुशंसा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और संबंधित विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक द्वारा ऐसे मामलों का निष्पादन अपने स्तर पर ही किया जायेगा।

(ग) जहाँ-कहीं, सम्बन्धित विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय आरक्षी-महानिरीक्षक द्वारा यह महसूस किया जायेगा कि सम्बन्धित मामले में 2.50 लाख रुपयों का अनुग्रह-अनुदान यथोचित नहीं होगा और मामले की प्रकृति को देखते हुए उससे अधिक अनुदान स्वीकृत करने को आवश्यकता है तो ऐसे मामलों में अपनी अनुशंसा के साथ, सम्बन्धित मामले के औचित्य पर पूर्ण प्रकाश डालते हुए सम्बन्धित विभाग द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुग्रह अनुदान समिति के विचारार्थ प्रस्ताव लायी जाएगी। सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार कर अनुग्रह- अनुदान समिति अपनी यथोचित अनुशंसा करेगी जिसमें राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी, परन्तु तबतक 2.50 लाख रुपयों की राशि स्वीकृति की जा सकेगी; एवं

(घ) हिंसक गतिविधियों : में कर्तव्य के दौरान घायल सरकारी सेवकों को भी उपर्युक्त 2.50 लाख रुपयों की अधिसीमा तक अनुग्रह-अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा; परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में गुण एवं दोष के आधार पर, विचार कर यह निर्णय लेना होगा कि संबंधित सरकारी सेवक को हुई शारीरिक क्षति को देखते हुए, उसे कितनी राशि स्वीकृत की जाए। स्पष्टतया, ऐसे प्रत्येक घायल सरकारी सेवक का मामला दूसरे सेवक से भिन्न होगा। अत: ऐसे सभी मामलों में समुचित प्रस्ताव मुख्य सचिव की

अध्यक्षता में गठित अनुग्रह-अनुदान समिति के विचारार्थ लाया जायेगा जिसमें प्रत्येक मामले के गुण एवं दोष पर विचार कर अनुग्रह-अनुदान समिति द्वारा अपनी अनुशंसा दी जायेगी; जिसमें राज्य सरकार का आदेश प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

3. इस संकल्प में देय सुविधाएँ मृत सरकारी सेवकों को देय अन्य सभी सुविधाओं के अतिरिक्त होगी।

4. यह संकल्प दिनांक 1-5-1997 से प्रभावी होगा। [*संकल्प सं० 5508, दिनांक 5-5-1997]

2.

***विषय : पारिवारिक पेंशन योजना के लागू होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अन्तर्विष्ट क्षत और अन्य असाधारण पेंशन की दरों का पुनरीक्षण।**

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना से सम्बन्धित वित्त विभागीय ज्ञापांक पेन–103/64-9505-एफ०, दिनांक 3 सितम्बर, 1964 का निर्देश करते हुए कहना है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि योजना को आंशिक रूप उपांतरित करके "कार्यालयी जोखिम" या "कार्यालयी विशेष जोखिम" के फलस्वरूप मृत सरकारी सेवकों के परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत नहीं प्रत्युत बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट क्षत और अन्य असाधारण पेंशन नियमावली के तहत पारिवारिक पेंशन दी जायेगी।

2. (क) पूर्वोक्त कंडिका 2 में अन्तर्विष्ट निर्णय के आलोक में राज्य सरकार ने निम्नांकित तरह से क्षत और अन्य असाधारण पेंशन की दरों को पुनरीक्षित कर दिया है ताकि ये योजनाधीन अनुमान्य लाभों से अधिक हितकर हों –

(1) विधवा-पेंशन		**मासिक पेंशन**
सरकारी सेवक का वेतन रु० 800 और उससे अधिक	–	वेतन का 20%, अधिकतम 275 रु०।
रु० 200 और अधिक, किन्तु 800 रु० से कम	–	वेतन का 25%, अधिकतम 150 रु० और न्यूनतम 75 रु०।
200 रु० से कम	–	वेतन का 45%, अधिकतम 75 रु०, न्यूनतम 60 रु०।
(2) मातृहीन बच्चों को पेंशन		
सरकारी सेवक का वेतन		**प्रति बच्चा मासिक पेंशन**
800 रु० और उससे अधिक	–	60 रु०।
250 रु० और उससे अधिक, किन्तु 800 रु० से कम	–	37 रु० 50 पैसे।
250 रु० से कम	–	वेतन का 15%

(ये दरें इस शर्त के अध्यधीन होंगी कि किसी भी हालत में बच्चा/बच्चों को देय पेंशन उस पेंशन-राशि से कम नहीं होगी जो उसे/उन्हें मिली होती यदि पारिवारिक पेंशन योजना 1964 के प्रावधान लागू हुए होते।)

(ख) पूर्वोक्त दरों पर पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त, यदि क्षत और अन्य उपदान असाधारण पेंशन नियमावली के तहत उपदान भी अनुमान्य है तो वह तद्धीन निर्धारित विद्यमान दरों पर देय होगा।

3. ये आदेश 1-4-1967 से प्रभावी होंगे। [*ज्ञापांक पेन–105/68-1302 वि०, दिनांक 15-2-1968]

3.

***विषय : पारिवारिक पेंशन योजना के लागू होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट क्षत और अन्य असाधारण पेंशनों की दरों का पुनरीक्षण।**

पूर्वोक्त विषय पर इस विभाग के ज्ञापांक पेन–105/68-1302 वि०, दिनांक 15-2-1968 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें पारिवारिक पेंशन योजना 1964 द्वारा शासित सरकारी सेवकों को प्रवर्तय बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट नियमों के तहत क्षत और अन्य असाधारण पेंशनों के अधीन विधवा

की पेंशन और मातृहीन बच्चों की पेंशन की पुनरीक्षित दरें तय की गई हैं । इस सम्बन्ध में उस सरकारी सेवक, जो एक वर्ष की सेवा पूरा करने से पहले सेवारत् हालत में कालकवलित हो जाते हैं, के मामले में पूर्वोक्त दरों की अनुमान्यता विषयक शंकाएँ प्रकट की गई हैं । बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट क्षत और अन्य असाधारण पेंशनों की शर्तों के तहत लाभ बिना सरकारी सेवक की मृत्यु के समय उसकी सेवावधि का लिहाज किये मिल सकेगा, जबकि पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के अधीन लाभ सेवा के दौरान मृत सरकारी सेवक को केवल तभी मिल सकेगा जब सेवक ने एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो । अत: इस विभाग के पूर्वोक्त ज्ञापन दिनांक 15-2-1968 में विहित दर पर विधवा-पेंशन और मातृहीन बच्चों को पेंशन उस सरकारी सेवक के सम्बन्ध में अनुमान्य नहीं होगी जो एक वर्ष की सेवा पूरा करने के क्रम में सेवारत् अवस्था में कालकवलित होंगे । ऐसे मामलों में, असाधारण पेंशन-अवार्ड के हक का विनियमन बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अन्तर्विष्ट "क्षत और अन्य असाधारण पेंशन" सम्बन्धी नियम 184 की अनुसूची 3 के अनुसार होगा । [***ज्ञाप सं० पेन–1042/69/10097 वि०, दिनांक 11-12-1969**]

[**समीक्षा** : देखें परिशिष्ट 5 में उदार पेंशन नियमावली की कण्डिका 4 के नीचे राज्य सरकार का निर्णय सं० 5 ।]

4.

***विषय : पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के लागू होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट क्षत और अन्य असाधारण पेंशन की दरों का पुनरीक्षण ।**

वित्त विभागीय ज्ञापांक पेन–105/68–1302 वि०, दिनांक 15 फरवरी, 1968 में अन्तर्विष्ट आदेशों को अंशत: उपांतरित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि ऐसे मामलों को वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन–101/66–951 वि०, दिनांक 5 दिसम्बर, 1966 और 101/66–750 वि०, दिनांक 22 जून, 1960 भी लागू होंगे ।

2. ये आदेश 1-4-1967 से लागू होंगे । [***ज्ञापांक पेन–1042/69/3484, दिनांक 28-4-1970**]

5.

***विषय : "क्षत और अन्य असाधारण पेंशन अध्याय 9" के तहत वैसे मृत सरकारी सेवक के माता और पिता या मातृहीन बच्चों को उपदान की स्वीकृति, जो कार्यालयस्थ विशेष जोखिम के फलस्वरूप कालकवलित हो जाते हैं ।**

अभी बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट "क्षत और असाधारण पेंशन" के तहत उन सरकारी सेवकों की विधवायें मात्र ही उपदान के हकदार होती हैं, जो "कार्यालयस्थ विशेष जोखिम" के फलस्वरूप कालकवलित होते हैं । पिछले कुछ समय से उन सरकारी सेवकों के मातृहीन बच्चों और माता-पिता को उपदान स्वीकृत करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था ।

2. राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है कि जो सरकारी सेवक "कार्यालयस्थ विशेष जोखिम" के फलस्वरूप कालकवलित होंगे,उनके मातृहीन बच्चों को भी समान अंश में उस उपदान का 1/2 दिया जायेगा जो बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 के "क्षत और असाधारण पेंशन" के तहत अन्यथा उनकी विधवाओं को अनुमान्य होता और इस संदर्भ में "मातृहीन बच्चों" का वही अर्थ होगा जो बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 के "क्षत और अन्य असाधारण पेंशन" में दिया गया है । विधवा और बच्चों के नहीं रहने पर उक्त नियमावली के अधीन विधवा को अन्यथा अनुमान्य उपदान का 1/2 मृत सरकारी सेवक के माता-पिता को अलग-अलग या सामूहिक रूप से दिया जायेगा और मृत सरकारी सेवक पर निर्भरता या आर्थिक आवश्यकता का लिहाज नहीं किया जायेगा ।

इन आदेशों का प्रभाव 5-8-1965 से होगा । [***ज्ञापांक पेन–1055/70/9271 वि०, दिनांक 28-9-1970**]

185. (1) यदि मृत सरकारी सेवक की न तो विधवा पत्नी जीवित हो और न ही कोई संतान, तो उसकी माता और उसके पिता की संयुक्त रूप से या अलग-अलग, और माता-पिता के जीवित न रहने पर अवयस्क (नाबालिग भाइयों और बहनों को सामूहिक रूप से या अलग-अलग परिदान किया जा सकेगा, यदि वे अपने निर्वाह के लिये सरकारी सेवक पर अधिकतर निर्भर थे और उन्हें आर्थिक आवश्यकता हो;

परन्तु परिदान की कुल रकम उस पेंशन की आधी रकम से अधिक न होगी जो नियम 184 के अधीन विधवा को अनुमान्य होती ।

परन्तु यह और भी कि प्रत्येक अवयस्क भाई और बहन का हिस्सा, जो संतान मातृ-विहीन न हो, उसे लिए अनुमान्य अनुसूची 3 में उल्लिखित पेंशन की रकम से अधिक न होगा ।

(2) इस नियम के खंड (1) के अधीन किये गये परिदान का पुनर्विलोकन, पेंशनभोगी की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर राज्य सरकार द्वारा आदिष्ट रीति से किया जायेगा ।

[1][**टिप्पणी** : यदि मृतक की विधवा, बच्चे, पिता, माता या नाबालिग भाई या बहनें सरकारी सेवक की सम्पत्ति में हिस्सा से वंचित कर दिए जाते हैं, तो इन नियमों में कोई एवार्ड किसी दूसरे अन्य व्यक्ति (योग्य) को मिलेगा ।]

186. (1) परिवार-पेंशन सरकारी सेवक की मृत्यु के ठीक अनुवर्ती दिन से या ऐसी दूसरी तारीख से, जो राज्य सरकार नियत करे, प्रभावी होगी ।

(2) परिवार-पेंशन साधारणत: निम्न समय तक मिलती रहेगी –

(i) विधवा पत्नी या माता को – मृत्यु या पुनर्विवाह तक, जो भी पहले हो;

(ii) अवयस्क (नाबालिक) पुत्र या अवयस्क भाई को – जब तक उसकी उम्र 18 वर्ष न हो जाये;

(iii) अविवाहित पुत्री या अवयस्क बहन को – जबतक विवाह न हो जाये या उसकी उम्र 21 वर्ष न हो जाये, जो भी पहले हो;

(iv) पिता को – आजीवन ।

[2][**टिप्पणी** : किसी विधवा की परिवार पेंशन उस हालत में बन्द हो जायेगा, जब वह दूसरी शादी कर लेगी, लेकिन जब ऐसी शादी, तलाक आदि कारणों से भंग हो जाती है, तो उक्त विधवा को इस आधार पर की विधवा दयनीय स्थिति में है तथा अन्य प्रकार से पेंशन पाने की अधिकारी है, पेंशन पुन: स्वीकृत की जा सकती है ।]

राज्य सरकार का निर्णय –

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के अनुच्छेद 9 (नौ) में निहित क्षत एवं असाधारण पेंशन नियमों का संशोधन ।**

विधवा जो अपने मृत पति के भाई से पुन: विवाह कर लेती है और एक साम्प्रदायिक जीवन (Communal life) साथ में रहकर व्यतीत करती हो या मृत सरकारी सेवक के अन्य आश्रितों को पालन- पोषण में योगदान देती हो को, असाधारण पेंशन देने का प्रश्न राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन था ।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 186 के उप-नियम (2) के स्तम्भ (1) के शर्त्त सामान्य होने पर सरकारी सेवक की विधवा जो अपने मृत पति के भाई से पुन: विवाह कर लें तथा एक साम्प्रदायिक जीवन (Communal life) साथ में रहकर व्यतीत करती हो, या मृत सरकारी सेवक के अन्य आश्रितों के पालन-पोषण में योगदान देती हो, को असाधारण पेंशन, अगर बिहार पेंशन नियमावली के अनुच्छेद 9 (नौ) में निहित क्षत एवं असाधारण पेंशन के शर्त्तों के अनुसार अन्य प्रकारेण अनुमान्य हों, स्वीकृत करने से वंचित नहीं रखा जाये ।

3. यह आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू हो । [***ज्ञाप संख्या पी०सी० 11-40-19/74/6127 एफ०, दिनांक 14-6-1974]**

प्रकरण 6 : प्रक्रिया

187. (1) प्रक्रिया के विषय में, इस अध्याय के अधीन सभी परिदान उस समय प्रवृत्त साधारण पेंशन संबंधी प्रक्रिया-नियमों के अधीन उस हद तक रहेंगे जिस हद तक वे प्रक्रिया-नियम लागू हो सकें और इस अध्याय से असंगत न हों ।

1. ज्ञाप सं० 9091 वि०, दिनांक 11-9-1965 द्वारा अन्त:स्थापित ।
2. जी०एस०आर० 129, दिनांक 28-3-1967 द्वारा अन्त:स्थापित ।

(2) जब आघात-पेंशन या उपदान अथवा परिवार-पेंशन संबंधी कोई दावा उठे, तब जिस कार्यालय में आहत या मृत सरकारी सेवक नियोजित था, उसका प्रधान या अध्यक्ष प्रायिक माध्यम द्वारा और महालेखापाल की मार्फत दावे को निम्न लेख्यों के साथ राज्य सरकार के पास अग्रसारित करेगा --

(i) उन परिस्थितियों का पूरा विवरण, जिनमें आघात पहुँचा, रोग हुआ या मृत्यु हुई;

(ii) पेंशन-फारम 1 में आघात पेंशन या उपदान के लिये आवेदन या पेंशन फारम 2 में परिवार-पेंशन के लिये आवेदन;

(iii) आहत सरकारी सेवक या रुग्न सरकारी सेवक की दशा में, पेंशन-फारम 3 में चिकित्सक की रिपोर्ट । मृत सरकारी सेवक की दशा में, मृत्यु के संबंध में चिकित्सक की रिपोर्ट अथवा यदि सरकारी सेवक ऐसी परिस्थिति में मरा हो कि चिकित्सक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकती थी, तो वास्तविक मृत्यु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य ।

(3) महालेखापाल इस संबंध में रिपोर्ट देगा कि परिदान नियमानुसार अनुमान्य है या नहीं और यदि है, तो कितनी रकम का ?

[1][(4) जब सरकार का यह समाधान प्रेषित साक्ष्य के आधार पर हो जाये कि सरकारी सेवक के असमर्थता या अन्य असाधारण पेंशन के स्वीकृतार्थ मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई जाँच में कोई गड़बड़ी हुई है तो सरकार दूसरा मेडिकल बोर्ड गठित कर सकती है जिसमें प्रथम मेडिकल के सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्य शामिल किए जायेंगे तथा इसी बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी सेवक को पेंशन स्वीकृत की जायेगी ।]

अनुसूची 1

[देखें नियम 177 (4) के खंड (4) की टिप्पणी]

आघातों का वर्गीकरण

अंग-भंग के बराबर –

वाणीरोध रहित पक्षाघात;

श्वासनली छेदन – नलिका का स्थायी प्रयोग;

कृत्रिम गुदा;

दोनों कानों का वज्र बहरापन ।

बहुत गहरा –

पूरा एक पक्षी वदन-पक्षाघात जिसके स्थायी होने की संभावना हो – गुर्दे, वृक्क-प्रणाली या वस्ति का अपविकार;

व्रण सहित अस्थिभंग (अंगूली-पोरों को छोड़कर);

कोमल अंगों का बुरी तरह नाश जिससे स्थायी अशक्तता या शारीरिक-क्रिया हानि हो जाये ।

कठिन और जिसके स्थायी हो जाने की संभावना हो –

निम्न जोड़ों में से किसी एक के संचालन में काठिन्य या अत्यधिक रुकावट –

घुटना, केहुनी, कंधा, नितंब, घुट्टी, शंखक एवं ऊपरी जबड़ा, अथवा मेरूदंड के पृष्ठकटि या ग्रीवा संबंधी प्रभागों का काठिन्य ।

एक आँख की आंशिक दृष्टिहीनता;

एक अंडकोष का नाश या हानि ।

विजातीय पदार्थों का भीतर रह जाना, जिससे स्थायी या गंभीर लक्षण उत्पन्न न हों ।

1. जी०एस०आर० 129, दिनांक 28-3-1967 द्वारा अन्तःस्थापित ।

अनुसूची 2

[देखें नियम 183]

आघात-उपदान और पेंशन

आघात की तारीख को सरकारी सेवक का वेतन	उपदान	मासिक पेंशन	
		उच्च-मान	निम्न-मान
(1)	(2)	(3)	(4)
		रु०	रु०
1. 2,000 रुपये और उससे ऊपर।	तीन महीने का वेतन, किन्तु 800 रुपये से कम नहीं।	300	225
2. 1,500 रु० और उससे ऊपर किन्तु 2,000 रु० से नीचे।	"	275	200
3. 1,000 रु० और उससे ऊपर किन्तु 1,500 रु० से नीचे।	"	200	150
4. 900 रु० और उससे ऊपर किन्तु 1,000 रु० से नीचे।	"	150	125
5. 400 रु० और उससे ऊपर किन्तु 900 रु० से नीचे।	"	100	84
6. 350 रु० और उससे ऊपर किन्तु 400 रु० से नीचे।	"	85	70
7. 200 रु० और उससे ऊपर किन्तु 350 रु० से नीचे।	"	67	50
8. 200 रु० के नीचे।	चार महीने का वेतन।	वेतन की तिहाई हिस्सा जो 8 रु० प्रतिमास या आघात की तारीख को प्राप्त वेतन के बराबर रकम, जो भी कम हो, से कम न होगा।	वेतन का पाँचवाँ हिस्सा, जो प्रतिमास 4 रु० या आघात की तारीख को प्राप्त वेतन के बराबर रकम, जो भी कम हो, से कम न होगा।

अनुसूची 3

[देखें नियम 184]

परिवार-उपदान और पेंशन

[**टिप्पणी :** इस अनुसूची के अधीन अनुमान्य पेंशन इस शर्त के अधीन है कि एक साथ मृत सरकारी सेवक की विधवा पत्नी और संतान को देय कुल पेंशन मृत सरकारी सेवक को उसकी मृत्यु की तारीख को प्राप्त वेतन से अधिक होगी जहाँ विधवा पत्नी और संतान को अनुमान्य पेंशन की कुल रकम मृत सरकारी सेवक के वेतन से अधिक हो, वहाँ विहित न्यूनतम राशि के होते हुए भी, हरेक को देय पेंशन अनुपाततः कम कर दी जायेगी।

क. – विधवा पत्नी

मृत्यु की तारीख को सरकारी सेवक का वेतन	उपदान	मासिक पेंशन
1. 800 रु० और उससे ऊपर।	तीन महीने का वेतन।	वेतन का आठवाँ हिस्सा जो 200 रु० से अधिक न होगा।
2. 200 रु० और उससे ऊपर किन्तु 800 रुपये से नीचे।	तीन महीने का वेतन, किन्तु 800 रु० से कम नहीं।	वेतन का छठा हिस्सा, जो 100 रु० से अधिक और 50 रु० से कम न होगा।
3. 200 रु० से नीचे।	4 महीने का वेतन।	वेतन का तिहाई हिस्सा, जो 50 रु० से अधिक और 8 रु० से कम न होगा।

ख. – संतान

मृत्यु की तारीख को सरकारी सेवक का वेतन	प्रत्येक संतान की मासिक पेंशन	
	यदि संतान मातृहीन हो	यदि संतान मातृहीन न हो
1. 800 रु० और उससे ऊपर।	40 रु०	25 रु०
2. 250 रु० और उससे ऊपर किन्तु 800 रु० से नीचे।	25 रु०	13 रु०
3. 250 रु० से नीचे।	वेतन का दसवाँ हिस्सा, जो 400 रु० से कम न होगा।	वेतन का बीसवाँ हिस्सा, जो 300 रु० से कम न होगा।

राज्य सरकार का निर्णय –

*भारत सरकार (वित्त विभाग, व्यय मंत्रालय) ने अपने पत्रांक एफ० 19 (23) एस०व्ही० (ए) 64, दिनांक 2 अगस्त, 1965 में "केन्द्र सरकार में राज्य सरकार के सेवकों का प्रतिनियोजन और विलोमत: के सम्बन्ध में असाधारण पेंशन मंजूर करने की प्रक्रिया" अपनायी है।

केन्द्र सरकार में राज्य सरकार के सेवकों का प्रतिनियोजन और विलोमत: के सम्बन्ध में असाधारण पेंशन मंजूर करने सम्बन्धी प्रक्रिया अब तक एक समान नहीं रही है। अत: इस सम्बन्ध में स्थिति का पुनरीक्षण किया गया है और निर्णय लिया गया है कि इस सम्बन्ध में भविष्य में निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जाये –

(1) प्रतिनियोजन की अवधि में क्षति-प्राप्त सरकारी सेवक को असाधारण पेंशन/उपदान देने सम्बन्धी मामले को उधार लेनेवाली सरकार के नियमों के अनुसार विनियमित किया जाये।

(2) इस तरह का प्रदान (अवार्ड) का दायित्व उधार लेनेवाली सरकार का होगा।

(3) यदि उधार लेनेवाली सरकार जम्मू और कश्मीर सरकार हो तो उसे छोड़कर, उधार लेनेवाली केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विषय में क्रमश: संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाये। जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रतिनियुक्त केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों के असाधारण पेंशन-मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) इस तरह की प्रदान (अवार्ड) की मंजूरी अंकेक्षण पदाधिकारी से सामान्य परामर्श करने के पश्चात् उधार लेनेवाली सरकार द्वारा निर्गत की जाये।

2. जिन मामलों में उधार लेने वाली सरकार के असाधारण पेंशन नियम कम लाभप्रद पाये जायें उनमें ऊपर की उपकंडिका (1) में विहित प्रक्रिया शिथिलीकृत समझी जाये। ऐसे मामले उधार लेनेवाली सरकार के नियम के शिथिलीकरण के अन्दर आयेंगे ताकि सम्बद्ध सरकारी सेवकों या उनके परिवार के सदस्यों को उधार देनेवाली सरकार के नियमों के अनुसार लाभ मिल सके। ऐसे मामलों में उधार लेनेवाली सरकार उधार देनेवाली सरकार को सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ आकस्मिक प्रतिवेदन और मामलों की विवरणी भेजेगी जो सम्बद्ध अंकेक्षण पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करेगी। अंकेक्षण-प्रतिवेदन की प्राप्ति पर उधार देनेवाली सरकार उसे तथा अन्य

सुसंगत दस्तावेजों को उधार लेनेवाली सरकार के पास अपने लोक सेवा आयोग से परामर्श के लिए, यदि आवश्यक हो, और आवश्यक स्वीकृति देने के लिए भेजेगी । इन दस्तावेजों को भेजते समय उधार देनेवाली सरकार को यह भी बताना होगा कि वह अंकेक्षण पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत हैं या नहीं, और यदि नहीं तो उसे अवार्ड की अनुमान्यता और परिमाण के सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करते हुए कारण बताना होगा ।

3. ऊपर की कंडिका में अंतर्विष्ट निर्णय केन्द्र सरकार के अन्य विभागों में प्रतिनियोजन पर गये डाक-तार, रेल और रक्षा विभागों के सरकारी सेवकों तथा विलोमत: को भी आवश्यक परिवर्त्तनों के साथ लागू होगा और इन आदेशों के लिए ये तीनों विभाग अलग-अलग सरकार समझे जायेंगे ।

4. ये आदेश 1-1-1962 को या उसके बाद प्रोद्‌भूत मामलों को लागू होंगे । जो मामले पहले ही अन्यथा निष्पादित कर दिये गये हों उन्हें फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है ।

5. ये आदेश यू०पी० राज्य से केन्द्र सरकार में प्रतिनियोजन पर रहने वाले राज्य सरकारी सेवकों और विलोमत: को लागू नहीं होंगे । ये आदेश अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों को लागू नहीं होंगे ।

6. जहाँ तक भारतीय अंकेक्षण और लेखा विभागों में सेवारत् व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श के बाद निर्गत किये गये हैं ।

अध्याय-10

पेंशन के लिये आवेदन और उसकी मंजूरी

प्रकरण 1 : सामान्य

188. इस नियमावली के अधीन पेंशन संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करने वाले सभी प्राधिकारी यह बात ध्यान में रखेंगे कि पेंशन के भुगतान में विलम्ब होने से विशेष प्रकार की कठिनाई होती है । अत: यह सुनिश्चित कर लेना अत्यावश्यक है कि सरकारी सेवक को पेंशन, देय होने की तारीख से ही, पेंशन मिलने लगे ।

189. हरेक सरकारी सेवक पेंशन के लिये औपचारिक आवेदन करेगा । सरकारी सेवक को, अपने ही हित में, अपनी वास्तविक या प्रत्याशित निवृत्ति की तारीख से *18 माह पहले, यथास्थिति, नियम 193 या 196 में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पेंशन के लिये औपचारिक आवेदन कर देना चाहिये –

परन्तु –

(i) जहाँ *[18 माह] पहले निवृत्ति की तारीख मालूम न हो सके, वहाँ आवेदन निवृत्ति की तारीख निर्धारित हो जाने पर तुरंत किया जायेगा; और

(ii) जो सरकारी सेवक *[18 माह] से अधिक की निवृत्ति-पूर्व छुट्टी पर जा रहा हो, वह ऐसी छुट्टी पर जाने के समय आवेदन कर देगा ।

टिप्पणी : इस नियम का उद्देश्य यह है कि पेंशन संबंधी दावों के निबटाने में विलम्ब न हो तथा कोई सरकारी सेवक इस गलत धारणा के साथ निवृत्त न हो कि उसने पेंशन उपार्जित की है, और वह बाद में अनुमान्य न पायी जावे । निवृत्ति के बाद अवधि के संबंध में वस्तुत: कोई ऐसी सीमा नहीं है जिसके भीतर पेंशन या उपदान के लिये आवेदन अवश्य ही कर दिया जाना चाहिये, किन्तु विशेष आदेश न रहने पर जिस पेंशन के लिए आवेदन सरकारी सेवक की निवृत्ति के बाद किया जायेगा, वह पेंशन आवेदन की तारीख से ही देय होगी (देखें नियम 209 भी) ।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

*यह निर्णीत किया गया है कि सरकारी सेवक को अपने सेवा-निवृत्ति की तिथि से 18 माह पूर्व ही पेंशन हेतु आवेदन करना चाहिए और सम्बन्धित विभाग को पेंशन कागजात सेवक की निवृत्ति की तिथि के 18 माह पूर्व तैयार करना चाहिए । [*जी०ओ०न० 1030/61-12928 वि०, दिनांक 4-9-1962]

2.

***विषय : सेवानिवृत्ति के 12 महीने (अब 18 महीने) पहले पेंशन-मामले का उपस्थापन।**

महालेखाकार, बिहार के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारियों द्वारा अंकेक्षण-प्राधिकारियों को सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के बहुत बाद पेंशन-मामले सौंपे जाते हैं, फलस्वरूप पेंशन-मामला के निष्पादन में काफी विलम्ब होता है।

2. इस सम्बन्ध में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 189 साथ-साथ पठित वित्त विभाग ज्ञापांक पेन-1030/61-12928 एफ०, दिनांक 4 सितम्बर, 1962 की कंडिका 5 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें प्रावधान है कि सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के 12 महीने पहले अंकेक्षण कार्यालय को पेंशन-मामला सौंप दिया जाये। निस्संदेह, सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी सेवकों को 75% पेंशन और उपदान देने का आवश्यक प्रावधान वित्त विभाग पत्रांक पेन-1032/67/8739 वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 में किया गया है। किन्तु उक्त प्रावधान केवल उन्हीं मामलों के लिए हैं जिनमें पेंशन मामलों का अन्तिम निष्पादन नहीं हुआ है। सामान्यतः सभी पेंशन-मामले 12 महीने पहले संसाधित करके अंकेक्षण कार्यालय को सुपुर्द किए जाने हैं, जिससे सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी सेवक को उसकी पूरी पेंशन और उपदान दिया जा सके।

3. अतः अनुरोध है कि अपने अधीन सभी पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारियों को आवश्यक निदेश भेज दें कि वे सम्बद्ध सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के 12 महीने पहले उनके पेंशन-मामले महालेखाकार, बिहार को भेज दें तथा सभी लम्बित पेंशन-मामलों का स्थानिक पुनर्विलोकन करें ताकि लम्बित पेंशन मामलों का निष्पादन अगले छह महीनों के भीतर किया जा सके। (अब 12 महीने के बदले 18 महीने पढ़ा जाए)

[*ज्ञापांक पेन-1021/68/463 वि०, दिनांक 16-1-1969]

3.

***विषय : पेंशन/ग्रेच्यूटी हेतु सेवा का सत्यापन।**

लम्बित पेंशन मामलों में निष्पादन हेतु दौरा के क्रम में समीक्षा के समय यह पाया गया है कि सेवानिवृत्त/ मृत सरकारी कर्मचारियों की सेवा-पुस्त विभिन्न कार्यालयों में Acquittance Roll के आधार पर सेवा सत्यापन के लिए भेजी जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया के चलते पेंशन मामलों के निष्पादन में काफी समय लग जाता है और फलस्वरूप पेंशनरों तथा उनके परिवार के सदस्यों को समय पर पेंशन नहीं मिलने से आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

2. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन-1032/67-8739 वि०, दिनांक 13-7-1967 के निम्नांकित प्रावधान के अनुसार अब सेवा-सत्यापन के लिए सेवा-पुस्त विभिन्न कार्यालयों में भेजना आवश्यक नहीं है –

"यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे मामलों में सेवा की प्रथम तिथि जो पेंशन हेतु अर्हक है, निवृत्ति तिथि और सेवा के बीच की अवधि जो पेंशन के लिए अर्हक नहीं है का ही सिर्फ सत्यापन होना चाहिए तथा अनर्हक सेवा की अवधि को घटा कर अर्हक सेवा का निर्धारण होना चाहिए।"

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को उपर्युक्त निर्णय के अनुसार सेवा पुस्त में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही सेवा का सत्यापन करना है। सत्यापन करने हेतु प्रमाण-पत्र का एक नमूना दिया जा रहा है –

"प्रमाणित किया जाता है कि श्री – सम्बद्ध सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम सरकारी सेवा में निवृत्त हुए/मर गये। उपर्युक्त अवधि में उनके द्वारा की गई सेवा लगातार एवं पेंशन प्रदायी है।"

(हस्ताक्षर पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी पदनाम सहित)

[*वित्त विभाग ज्ञाप संख्या पी०सी० 2-701/78/1690 वि०, दिनांक 9-2-1978]

190. महालेखापाल, हरेक, राजपत्रित सरकारी सेवक के पास, जिस तारीख को वह बुढ़ापा-निवृत्ति की उम्र का हो जाये, उस तारीख के [अठारह महीने] पूर्व, अथवा जिस तारीख से उसने निवृत्त होने के लिये, औपचारिक रूप से अनुमति माँगी हो, यदि वह पहले हो तो, उस तारीख के पूर्व यथाशीघ्र 189 से 193 तक नियमों की एक प्रतिलिपि इस अभ्युक्ति के साथ भेजेगा कि यदि वह नियमानुसार औपचारिक आवेदन-पत्र नहीं देगा, तो उसकी पेंशन के आरंभ होने में विलंब की संभावना रहेगी।

[**समीक्षा** : देखें नियम 204 के नीचे राज्य सरकार के निर्णय सं० 1 की कण्डिका (3), जो अराजपत्रित सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के बाद वाले माह के प्रथम दिन ही 75% ग्रेच्युटी और पेंशन भुगतान से सम्बन्धित है ।]

191. सरकारी सेवक की पेंशन या पेंशनी सेवा को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर, जिनका निर्णय तत्काल ज्ञात परिस्थितियों पर निर्भर हो, ज्यों ही वे उत्पन्न हों, त्योंही विचार किया जायेगा ।

कोई प्रश्न, जिसका निर्णय भविष्य में हो सकने वाली संभावित परिस्थितियों पर या उपकल्पित दशाओं पर निर्भर हो, नियम 189 के अधीन पेंशन संबंधी औपचारिक आवेदन के लिए अनुमान्य अवधि के आरंभ होते ही उठाया जा सकता है या उसपर विचार-विमर्श किया जा सकता है ।

192. नियम 191 के प्रथम वाक्य के भीतर आनेवाले मामलों या राज्य सरकार के विशेष आदेश के अधीन खास मामलों को छोड़कर, महालेखापाल, सरकारी सेवक के पेंशन पर दावे से संबंधित किसी प्रश्न पर तबतक सलाह न देगा जबतक कि पेंशन संबंधी औपचारिक आवेदन के लिए नियम 189 में विहित अनुमान्य अवधि आरंभ न हो जाये ।

प्रकरण 2 – आवेदन

उप-प्रकरण (1) : राजपत्रित-सरकारी सेवक

193. राजपत्रित सरकारी सेवक कार्याध्यक्ष के पास पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन पत्र देगा । यदि सरकारी सेवक स्वयं कार्याध्यक्ष हो, तो वह सीधे राज्य सरकार को पेंशन-फारम 4 में आवेदन करेगा; उसे औपचारिक आवेदन-पत्र देने की जरूरत नहीं है ।

टिप्पणी : आवेदक आवेदन-पत्र पर निम्न प्रमाण-पत्र अभिलिखित करेगा –

"मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि अपनी सेवा के किसी अंश के संबंध में जो इस आवेदन पत्र में उल्लिखित है तथा जिसके संबंध में पेंशन या उपदान का दावा इसमें किया गया है, मैंने किसी पेंशन या उपदान के लिये न तो आवेदन किया है और न पाया है और न इस आवेदन पत्र तथा इसपर दिये गये आदेश का हवाला दिए बिना इसके बाद आवेदन ही करूँगा ।"

194. (i) औपचारिक आवेदन पत्र प्राप्त करने वाला प्राधिकारी उस आवेदन-पत्र को तुरंत पेंशन फारम 4 में तैयार करेगा और उसे आवेदक के पास उसके हस्ताक्षर के लिये तथा फिर से उपस्थापित करने के लिये भेज देगा ।

(ii) तब वह फारम के पृष्ठ 3 में यह प्रमाणित करेगा कि आवेदक का चरित्र, आचार और अतीत सेवाएँ इस योग्य हैं या नहीं कि सरकार उसके संबंध में अनुकूल विचार करे । वह इस बारे में अपनी राय भी लिखेगा कि जिस सेवा का दावा किया गया है, वह सिद्ध हो गई है या नहीं तथा उसे स्वीकृत किया जाए या नहीं ।

(iii) छुट्टी, मुअत्तली आदि की सभी अवधियाँ, जिनकी गणना सेवा के रूप में न की जाती हो, फारम पर सावधानी से लिखी जाएँ ।

(iv) यदि आवेदनपत्र असमर्थता पेंशन के लिये हो, तो आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र संलग्न कर देना चाहिये ।

टिप्पणी : यदि आवेदक की स्वास्थ्य-परीक्षा उस तारीख को न की गयी हो जिस तारीख से उसने काम करना बन्द किया था, तो पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी बाद की तारीख का स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र स्वीकार कर सकता है ।

195. (क) पूर्ववर्त्ती नियम में विहित रीति से आवेदन-पत्र पूरा भरने के बाद, उसे आवश्यक लेख्यों के साथ पेंशन मंजूर करने की शक्ति वाले प्राधिकारी की मार्फत महालेखापाल के पास भेजा जायेगा ।

(ख) यदि पेंशन(उपदान नहीं) के लिये आवेदन करने वाला व्यक्ति सक्रिय सेवा में न हो, तो अन्तिम-वेतन-प्रमाणपत्र, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया जायेगा । हाँ, ऐसा उस स्थिति में न किया जायेगा जबकि वह विदेश में छुट्टी पर रहते हुये सेवा से निवृत्त हो और अपना छुट्टी-वेतन होम ट्रेजरी में या उसकी मार्फत प्राप्त करें और उसे स्रोत से अपनी पेंशन भी पाना चाहे ।

(ग) पेंशन मंजूर करने में सक्षम पदाधिकारी मामले के तथ्यों पर यथावत् विचार करने के बाद आवेदन- पत्र पर अपनी अन्तिम सिफारिश लिखेगा कि जिस पेंशन का दावा किया गया है, उसे मंजूर किया जाए या नहीं ।

(घ) जिस सरकारी सेवक की सेवाएँ अंशत: राजपत्रित पदों पर रही हों, उसका सेवा-पुस्त तथा पेंशन-फारम 4 के पृष्ठ 2 में अराजपत्रित सेवा का विवरण जो नियम 197 के उपबंधों के अधीन महालेखापाल द्वारा यथावत् सत्यापित रहेगा, महालेखापाल के पास भेजे जाने वाले कागज-पत्रों के साथ संलग्न रहेंगे ।

राज्य सरकार का निर्णय –

***विषय : अग्रिम पेंशन, अग्रिम उपदान और अग्रिम पेंशन पर आधारित रूपांतरित मूल्य के मामले में अंतिम-वेतन-प्रमाण-पत्र जारी करना ।**

जब अंकेक्षण पदाधिकारी को पेंशन-फारम सं० 4, बी०पी०आर० में पेंशन-आवेदन-पत्र अग्रसारित किया जाता है तो उसके साथ, यदि पेंशनार्थी आवेदक सक्रिय सेवा में न हो, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र दिया जात है [देखें बी०पी०आर० का 194 (बी)] । अन्य मामलों में अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र बाद में अलग से अंकेक्षण पदाधिकारी को दिया जाता है ताकि वह अंकेक्षण संहिता के अनुच्छेद 184 के अनुसार पेंशन की अदायगी या निर्मुक्ति कर सकें । व्यवहार में अंकेक्षण पदाधिकारी अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की माँग पर और न केवल अंतिम पेंशन की अदायगी के पहले बल्कि अग्रिम पेंशन, अग्रिम उपदान और अग्रिम पेंशन पर आधारित रूपांतरित मूल्य के पहले भी देते हैं । अग्रिम अदायगियों के पहले अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की माँग पर जो बहुधा इन अदायगियों में विलम्ब का कारण बनता है और इस तरह वह उद्देश्य ही विफल हो जाता है जिसके लिए ऐसी अग्रिम अदायगियों का प्रावधान किया गया है, अर्थात् सेवानिवृत्त होते ही अंतिम रूप से पेंशन निर्धारित होने के पहले पेंशनर को तुरंत तात्कालिक सहायता नहीं मिल पाती है । ऐसे विलम्ब के फलस्वरूप होनेवाली कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब से अंकेक्षण पदाधिकारी अग्रिम पेंशन, अग्रिम अनुदान (मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान समेत) और अग्रिम पेंशन पर आधारित रूपांतरित मूल्य की अदायगी या प्राधिकृत करने के पहले अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की माँग नहीं करेंगे ।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम अदायगी बिना अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाएँगे और ठीक तिथि से अदायगी शुरू हो जायेगी, यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवक के वस्तुत: सेवानिवृत्त होने के बाद उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर एक गजट अधिसूचना (यदि राजपत्रित पदाधिकारी हों) या औपचारिक आदेश (यदि अराजपत्रित पदाधिकारी हों) जारी की जाए जिसमें उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि सम्बन्धी तथ्य अधिसूचित या सूचित किया जाए । आदेश निर्गत होने के तुरंत बाद सम्बद्ध अंकेक्षण पदाधिकारी को उस आदेश की एक प्रति दे दी जाए ।

3. उपरोक्त कंडिका 2 में अंतर्विष्ट पुनरीक्षित प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से लागू होगी । यह प्रक्रिया उन लम्बित मामलों को भी लागू होगी जिनमें इस आदेश के बाद अग्रिम पेंशन, अग्रिम मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान या अग्रिम पेंशन पर आधारित रूपांतरित मूल्य की अदायगी के प्रस्ताव किए गये हैं ।

4. यदि अग्रिम पेंशन अग्रिम उपदान, अग्रिम पेंशन का रूपांतरण या अंश की स्वीकृति के समय किसी पेंशनर से वसूलनीय सरकारी बकाया आकलित या गैरभरपायी रहे तो वित्त विभाग का ज्ञापांक 10290 वि०, दिनांक 22-9-1964 में अंतर्विष्ट निदेश, आवश्यक परिवर्त्तनों के साथ लागू होंगे । **[ज्ञापांक पेन–1037/64/4164 वि० 2, दिनांक 5-5-1964]**

उप-प्रकरण (2) : अराजपत्रित सरकारी सेवक

सेवा का सत्यापन

196. राजपत्रित सरकारी सेवक पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन कार्यालय-प्रधान को करेगा ।

[**समीक्षा** : देखें नियम 189, 204 और परिशिष्ट 6 में राज्य सरकार के निर्णय ।]

197. औपचारिक आवेदन-पत्र मिलने पर कार्यालय-प्रधान, पेंशन-फारम 4 के पृष्ठ 2 में आवेदक की सेवाओं का विवरण तुरंत-तैयार करेगा और निम्न प्रक्रियानुसार उनके सत्यापन की व्यवस्था करेगा –

(क) (i) ऐसे सरकारी सेवक के मामले में जिसके लिए सेवा-पुस्त रखा जाता है, यदि सेवा अंशत: निचली रही हो (जिस सेवा के बारे में लेखा परीक्षा-कार्यालयों के अभिलेख कभी-कभी अपूर्ण रहते हैं) तो सभी प्राप्त जानकार सर्वप्रथम सरकारी-अभिलेखों से इकट्ठी की जाएगी । उत्कृष्ट सेवा के संबंध में, पहले केवल सहज प्राप्त जानकारी ही इकट्ठी करना पर्याप्त होगा ।

इस प्रकार प्राप्त जानकारी तब विवरण के साथ महालेखापाल के पास भेज दी जाएगी। महालेखापाल अपने कार्यालय-अभिलेखों से मिलाकर विवरण की जाँच करेगा और सत्यापन का आवश्यक प्रमाण-पत्र देगा।

(ii) यदि कोई भिन्नता हो, तो महालेखापाल ऐसी भिन्नता का पूरा ब्योरा देगा, जैसे कि जिस पद पर किसी अवधि में आवेदक को आसीन बताया गया है, उस पद पर लेखा-परीक्षा-कार्यालय के अभिलेखों में किसी अन्य व्यक्तियों को आसीन दिखाया गया हो। विवरण उपस्थापित करनेवाला प्राधिकारी विवादास्पद सेवा को पेंशन के लिये गिनने की अनुमति देने के पहले महालेखापाल के समाधान के अनुरूप ऐसी भिन्नता को ठीक कर देगा।

(iii) यदि वह सेवा, जिसका दावा किया गया है, लेखा-परीक्षा-कार्यालय के अभिलेखों से पूरी तरह सत्यापित न हो सके, तो जिस कार्यालय में सन्देहास्पद अवधि में आवेदक ने काम किया हो, उसके प्रधान से उसके बारे में पृच्छा की जायेगी, जबतक कि वह सेवा पहले ही सत्यापित न हो चुकी हो और सेवा-पुस्त में सत्यापन प्रमाण-पत्र अभिलिखित हो चुका हो।

(iv) यदि सेवा को अन्यथा तरह सत्यापित करना असंभव प्रतीत हो, तो सादे कागज पर आवेदक का लिखित बयान लिया जायेगा। [देखें इंडियन स्टाम्प ऐक्ट 2, 1889, अनुसूची 1, सं० 4 (सी)] और अन्य प्राप्त प्रतिपोषक साक्ष्यों का संग्रह किया जायेगा, उदाहरणार्थ पद (या कार्यालय) छोड़ने के समय किसी सरकारी सेवक द्वारा अपने अधीनस्थ को दिये गये प्रमाण-पत्र और समकालीन सरकारी सेवकों के अभिसाक्ष्य।

टिप्पणी : इस खंड के अधीन सत्यापित सेवा को स्वीकृत करने की शक्ति का प्रयोग सभी अधीनस्थ प्राधिकारी, जिन्हें इस नियमावली के अधीन पेंशन मंजूर करने की शक्ति प्राप्त है, करेंगे।

(ख) जिस सरकारी सेवक के संबंध में सेवा-पुस्ती रखी जाती है, उसकी सेवाएँ जबतक कि वे सत्यापित न हो चुकी हों और सेवा-पुस्ती में सत्यापन-प्रमाण-पत्र अभिलिखित न हो चुका हो, वेतन-बिल, भरपाई वही या अन्य सुसंगत अभिलेखों के आधार पर सत्यापित की जायेगी और इस संबंध में जहाँ आवश्यक हो, खंड (क) के उपखंड (iv) में विहित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

टिप्पणी : वैसे पुलिस-पदाधिकारी के मामले में जो [1] [असैनिक पुलिस में सहायक अवर-निरीक्षक और हवलदारों तथा सैनिक पुलिस में समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारियों] की* पंक्ति से ऊपर का न हो, पुलिस महानिरीक्षक, [2] [और कारा-विभाग के मुख्य कक्षपाल और कक्षपालों के मामले में कारा-महानिरीक्षक] आवेदन के समय जिस बल (फोर्स) में पुलिस पदाधिकारी काम कर रहा हो उसमें उसने जितनी अवधि तक लगातार और सत्यापित सेवा की हो, केवल उतनी अवधि के लिये पेंशन संबंधी दावा महालेखापाल को पहले निर्देश किये बिना, स्वीकृत कर सकता है, यदि ठीक-ठीक नियमानुसार पेंशन अनुमान्य हो। पहचान के आवश्यक विवरण के साथ एक रिपोर्ट महालेखापाल के पास भेजी जायेगी। अन्य सभी दावों के संबंध में कार्रवाई साधारण नियमों के अधीन की जायेगी।

[**समीक्षा** : विभागीय प्रधान द्वारा अपने व्यवस्थापना की वार्षिक विवरणी महालेखाकार को प्रेषित करने का प्रथा की समाप्ति के कारण अब विभागीय प्रधान के द्वारा ही सेवक की सेवा-पुस्त में सभी पूर्ण, सत्य एवं अद्यतन प्रविष्टियाँ की जाती है। उदाहरणार्थ सभी महत्वपूर्ण विषय जैसे प्रथम नियुक्ति की तिथि वेतनवृद्धि, प्रोन्नति, निलम्बन, सेवा में टूट आदि से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र को भी विभागीय प्रधान द्वारा ही हस्ताक्षरित होना है।]

198. ज्योंही यह मालूम हो जाए कि कोई सरकारी सेवक 6 महीनों के भीतर निवृत्त होगा या निवृत्ति- पूर्व छुट्टी पर चला गया है त्योंही कार्यालय-प्रधान पूर्ववर्ती नियम में बतायी गयी रीति से सेवा-विवरण की तैयारी और सेवा के सत्यापन का काम हाथ में लेगा। यह काम सरकारी सेवक के पेंशन-संबंधी औपचारिक आवेदन-पत्र वस्तुतः उपस्थापित कर देने तक कभी रुका न रहेगा।

1. प्रधान सिपाही शब्दों के लिए प्रतिस्थापित।
2. सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी० 1-1034/51-1441-वित्त, दिनांक 10 नवम्बर, 1953 और पी० 1-1020/54 वित्त, दिनांक 8 अप्रील 1954 और शुद्धि पत्र सं० 23, दिनांक 18 जनवरी, 1955।

199. (क) (i) नियम 197 में बतायी रीति से सत्यापन पूरा कर लेने के बाद कार्यालय-प्रधान आवेदन-पत्र को पेंशन फारम 4 में तैयार करेगा।

(ii) वह नियम 194 के (i) से (iv) तक खंडों में दिए निर्देशों का भी पालन करेगा और एक अलग कागज पर सरकारी सेवक से नियम 193 के नीचे दी गई टिप्पणी में उल्लिखित प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा जिसे आवेदन के साथ संलग्न कर दिया जायेगा।

(iii) जहाँ नियम 197 के खंड (क) के उपखंड (iv) में विहित प्रक्रिया का सहारा लेना आवश्यक हो जाये, वहाँ वह आवेदन-पत्र में यह ठीक-ठीक अभिलिखित करेगा कि वस्तुतः किस तरह की जाँच-पड़ताल की गई और किस निष्कर्ष पर पहुँचा गया।

(ख) इसके बाद वह, आवेदन-पत्र के साथ, सेवा के सत्यापन के लिए विश्वसत सभी लेख्यों को इस तरह संजो देगा कि उनको सुविधापूर्वक देखा जा सके और तब उन्हें, यथास्थिति, सरकारी सेवक की सेवा-पुस्त या सेवा-पुस्ती और पेंशन फारम 4 के पृष्ठ 2 में यथावत् अद्यतन तैयार किए गए विवरण [तथा यदि आवश्यक हो तो, अन्तिम-वेतन-प्रमाणपत्र, देखें नियम 195 (द)] के साथ पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी की मार्फत महालेखापाल के पास भेजेगा।

(ग) पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी नियम 195 के खंड (ग) में दी गई प्रक्रिया का पालन करेगा।

प्रकरण 3 : मंजूरी

200. (1) नियम 195 या 199 के उपबंधों के अधीन पेंशन कागज-पत्र प्राप्त होने पर महालेखापाल उनकी यथोचित जाँच करेगा। जहाँ पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी ने नियम 195 या 199 के खंड (ग) के अधीन अपनी अन्तिम सिफारिश लिख दी हो, वहाँ यदि महालेखापाल दावा ठीक पाए तो वह तुरन्त भुगतान-आदेश तैयार करेगा, किन्तु जिस तारीख को सरकारी सेवक निवृत्त होनेवाला हो, उसके एक पक्ष के पहले उसे न निकालेगा, वह ऐसा आदेश निकालने की सूचना उस प्राधिकारी को भी दे देगा। दूसरे मामलों में, वह सेवा और पेंशन की गणना के सही होने के संबंध में प्रमाण पत्र देगा और पेंशन के दावे के संबंध में अपनी रिपोर्ट और उस मामले में लागू होने वाले नियमों के उल्लेख के साथ पेंशन संबंधी कागज-पत्रों को पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी के पास लौटा देगा। वह अन्तिम-वेतन प्रमाण-पत्र अपने पास रख लेगा (देखें नियम 195 और 199) जबतक कि पेंशन का भुगतान लेखा परीक्षा के अन्य अंचल में न किया जानेवाला हो, और वैसी दशा में वह उस प्रमाण-पत्र को पेंशन की मंजूरी संबंधी आदेश की एक प्रति के साथ उस अंचल के महालेखापाल के पास भेज देगा।

टिप्पणी : यदि पेंशन संबंधी कागजात स्पष्टतः अशुद्ध या अपूर्ण हो, तो महालेखापाल उन्हें अविलम्ब संशोधन और स्पष्टीकरण के लिये लौटा देगा।

पेंशन-फारम 4 में पृष्ठ 2 के स्तंभ में, जो महालेखापाल की अभ्युक्ति के लिये अभिप्रेत है, अथवा उस फारम के पृष्ठ 3 में अपने प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट में, महालेखापाल किसी सेवा को अस्वीकृत करने के कारण संक्षेप में उल्लिखित करेगा तथा किसी स्पष्ट भिन्नता आदि के बारे में अपना स्पष्टीकरण देगा।

(2) अनुमान्य पेंशन की रकम संबंधी अपनी रिपोर्ट में महालेखापाल बराबर नियम 139 और नियम 202 (1) की ओर विशेष ध्यान आकृष्ट करेगा।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

*विषय : पेंशन मामला का त्वरित निष्पादन।

निर्णय लिया गया है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 200 के वाक्यखंड (1) में प्रावधानों के तहत महालेखाकार, बिहार किसी पदाधिकारी के सेवानिवृत्ति की तिथि से अधिकतम एक पखवारा के अन्दर पेंशन और औपबन्धिक उपदान की अदायगी के लिए प्राधिकार निर्गत कर सकेंगे।

2. अब एक प्रश्न उठाया गया है कि यदि मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान अदाय कर दिया गया हो तो ऐसे मामले में अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र जो पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होगा, की जाँच के समय पायी गई अधिक-अदायगी किस प्रकार वसूल की जायेगी।

3. निर्णय लिया गया है कि ऐसी संभाव्यताओं के बचाव के लिए महालेखाकार, बिहार उपदान में से उपदान की 10 प्रतिशत राशि या 1,000 रु० जो कम हो, रोक रखेंगे/पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी उन पदाधिकारियों से जो उपदान के हकदार नहीं हैं, उन्हें औपबन्धिक पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के पहले 1,000 रु० (एक हजार रुपए) से अनधिक की नगद राशि जमा करवायेंगे। [*ज्ञापांक पेन–1810/63/3561 वि०, दिनांक 30-4-1965]

2.

***विषय : पेंशन की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करना।**

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 200 और 201 की ओर ध्यान दिया जाए जिनमें पेंशन-स्वीकृति के लिए प्रक्रिया विधायित है। नियम 200 उपबंधित करता है कि स्पष्ट मामलों में सेवा और पेंशन की गणना सम्बन्धी शुद्धता के लिए महालेखाकार को स्वीकृति पदाधिकारी के पास प्रमाण-पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है, जबकि अन्य मामले में वैसा करना है। नियम 201 बोलता है कि जो पेंशन महालेखाकार द्वारा नियमों के अधीन स्पष्टत: और दृढ़त: अनुमान्य प्रमाणीकृत की जायेगी वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी। इसका गलत अर्थ लगाया जा रहा है कि उस मामला में औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है जिसमें महालेखाकार स्वीकृति प्राधिकारी को प्रमाण-पत्र नहीं भेजकर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 200 (1) में यथाविहित केवल पेंशन भुगतान आदेश जारी कर देते हैं। इस नियम में विहित प्रक्रिया अंतर्विष्ट करने का मूल उद्देश्य सभी आवश्यक औपचारिकताओं के अनुपालन और पेंशन भुगतान आदेश जारी किये जाने में विलम्ब के कारण पेंशनलाभी को होने वाली कठिनाई से बचाना था। यह प्रक्रिया बिहार पेंशन नियमावली के नियम 201 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है। महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत अदायगी केवल औपबन्धिक है और प्रत्येक मामला में सक्षम प्राधिकारी को पेंशन की औपचारिक स्वीकृति निर्गत करनी होगी।

2. यह भी ध्यान दिलाया गया है कि अंतिम रूप से पेंशन स्वीकृत किए जाने के पहले सक्षम प्राधिकारी को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 और 201 (1) के प्रावधानों पर गौर करना चाहिए।

3. ऐसे मामले भी हैं जिनमें सेवा-निवृत्ति के समय सरकारी सेवक के जिम्मे सरकार की कतिपय राशियाँ बाकी पड़ी हैं, उदाहरणार्थ वेतन, भत्ते या छुट्टी-वेतन की अधिक निकासी या सम्मत या प्रत्यक्ष बकाए जैसे मकान-किराया, पोस्टल बीमा प्रीमियम, विभिन्न अग्रिमों आदि के बाकी पड़े अतिशेष। ये राशियाँ सरकारी सेवक की पेंशन से वसूल नहीं की जा सकतीं। अत: पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि यथासंभव अविलम्ब इन बाकी पड़ी राशियों की ओर सम्बद्ध सरकारी सेवक का ध्यान आकृष्ट किया गया है और उसे अंतिम पेंशन की औपचारिक रूप से स्वीकृति मिलने के पहले उन राशियों को अदा करने का अनुरोध किया गया है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि एक ओर जहाँ इन राशियों की वसूली अंतिम रूप से पेंशन-स्वीकृति के पहले कर ली जानी चाहिए वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सम्बद्ध सरकारी सेवक के जिम्मे सरकार को बाकी पड़ी कुल राशि के सम्बन्ध में जानकारी देने में या उस राशि की वसूली के बाद अंतिम पेंशन की स्वीकृति करने में परिहार्य विलम्ब न हो। [*पत्र सं० 6665-वि०, दिनांक 30-5-1951]

[देखें परिशिष्ट 6 में राज्य सरकार का निर्णय सं० 1 तथा वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या 3014 वि०, दिनांक 31-7-1980 की कण्डिका 6।]

201. (1) जिस पेंशन के बारे में महालेखापाल प्रमाणित कर दें कि नियमों के अधीन साफ-साफ और ठीक-ठीक अनुमान्य है, उसे –

(क) किसी भी मामले में, राज्य सरकार मंजूर करेगी;

(ख) अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में वह सरकारी सेवक मंजूर करेगा जिसे निवृत्त सरकारी सेवक द्वारा रिक्त किये गए पद को भरने का प्राधिकार हो।

[1][टिप्पणी 1 : अराजपत्रित सरकारी सेवक जो राजपत्रित पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते हुए सेवा निवृत्त हो जाते हैं उनके पेंशन की स्वीकृति उप-खण्ड (क) में दिए गये प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।]

1. विद्यमान टिप्पणी को टिप्पणी 2 बनाया गया और टिप्पणी-1, शुद्धि पत्र सं० 88, दिनांक 9-9-1961 द्वारा अन्त:स्थापित।

टिप्पणी 2 : राज्य सरकार इस नियम के अधीन अपनी शक्तियाँ कार्याध्यक्षों या अन्य अधीनस्थ सरकारी सेवकों को, जिन्हें निवृत्त सरकारी सेवक द्वारा रिक्त किये गए पद को भरने का प्राधिकार हो, सौंप सकती है।

[ऊपर उप-खंड (क) के अधीन सौंपी गयी शक्तियों के लिए परिशिष्ट 1 देखें।]

(2) मंजूरी प्राधिकारी की यह खास जिम्मेवारी है कि पेंशन मंजूरी का आदेश महालेखापाल के पास ठीक समय पर भेज दिया जाये, ताकि महालेखापाल को सरकारी सेवक की निवृत्ति की तारीख तक पेंशन भुगतान आदेश निकालने के लिये काफी समय मिल सके। पेंशन मंजूरी आदेश निवृत्ति की नियत तारीख के 1 महीने से अधिक पहले न निकाला जाएगा, और महालेखापाल उसके एक पखवारे से अधिक पहले पेंशन भुगतान-आदेश न निकालेगा।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

*निर्णय लिया गया है कि पेंशन/उपदान/पारिवारिक पेंशन को औपचारिक रूप से स्वीकृति जारी करने के बदले, महालेखाकार की रिपोर्ट प्राप्ति के बाद पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी आवेदन-पत्र को अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ महालेखाकार के पास सत्यापनार्थ भेजने के पहले आवेदन-पत्र पर सामान्य रूप से अपना अंतिम आदेश लिखेंगे। पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात् और बिहार पेंशन नियमावली के नियम 239 के प्रावधानों का सम्यक् रूपेण ध्यान करते हुए आवेदन-पत्र पर अपना आदेश अंकित करेंगे कि सेवा संतोषप्रद रही है और नियमों के अधीन अनुमान्य पूरी पेंशन देने के लिए अनुमोदित की जाती है या कि सेवा भली-भाँति संतोषप्रद नहीं रही है और ऐसी हालत में इसके लिए नियमों के तहत अनुमान्य पूरी पेंशन या/और उपदान से क्या कटौती की जाये। पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी महालेखाकार को आवेदन-पत्र अग्रसारित करने के पहले उसकी एक प्रति अपने पास रखेंगे। पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी द्वारा अंकित आदेशों के प्राधिकार पर उचित सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार पेंशन-राशि निश्चित करेंगे और आवश्यक भुगतान आदेश जारी करेंगे। ये आदेश 1ली अगस्त, 1962 से प्रभावी होंगे।

[*राज्यादेश सं० पेन–1030/61–19928 वि०, दिनांक 4-9-1962]

2.

*वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन–1031/61–19928 वि०, दिनांक 4 सितम्बर, 1962 की कंडिका 7 का निर्देश किया जाए जिसमें कहा गया है कि महालेखाकार की रिपोर्ट प्राप्ति के बाद पेंशन/उपदान/पारिवारिक पेंशन की औपचारिक स्वीकृति निर्गत करने के बदले पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी आवेदन-पत्र को अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ महालेखाकार के पास उनके सत्यापनार्थ भेजने के पहले आवेदन-पत्र पर सामान्य रूप में अपना अंतिम आदेश अंकित करेंगे।

2. संलग्न नमूना-फारमों में से किसी एक में, जो मामला में उपयुक्त हो, सामान्य रूप में अंतिम आदेश अंकित किये जा सकेंगे।

3. उन मामलों में जो उपर्युक्त वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 4-9-1962 की कंडिका 7 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंकित औपचारिक स्वीकृति के महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं, महालेखाकार, बिहार औपचारिक स्वीकृति के पूर्व ही पेंशन-अदायगी आदेश (पी०पी०ओ०) निर्गत करने को प्राधिकृत किये जाते हैं, बशर्ते पेंशन-आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित भेजे गए हों –

(1) इस आशय का प्रमाण-पत्र की सेवा भली-भाँति संतोषप्रद रही है।

(2) इस आशय का आदेय-प्रमाण-पत्र कि निवर्त्तमान सरकारी सेवक से वसूल करने की कोई बकाया नहीं है। **[*वित्त विभाग ज्ञापांक 642, दिनांक 14-1-1964]**

नमूना-फारम

(पेंशन के लिए)

अपना समाधान करने के बाद कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....
की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद रही है, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा पूरी पेंशन और/या उपदान देने का आदेश करता है

और इसे महालेखाकार द्वारा स्वीकृत किया जाये क्योंकि ऐसा करना नियमों के अनुसार अनुमान्य है इस पेंशन और/या उपदान की स्वीकृति त. .... से शुरू होगी ।

या

अपना समाधान करने के बाद कि श्री/श्रीमती कुमारी .... की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद नहीं रही है, अद्योहस्ताक्षरी पूरी पेंशन और/या उपदान देने का आदेश करता है और इसे महालेखाकार द्वारा स्वीकृत किया जाये, क्योंकि ऐसा करना नियमों के अनुसार अनुमान्य है, (किन्तु) निम्नांकित विनिर्दिष्ट राशि या प्रतिशत कम कर दिये जायें –

राशि या प्रतिशत जो पेंशन में कम होगा ....

राशि या प्रतिशत जो उपदान में कम होगा ....

इस पेंशन और/या उपदान की मंजूरी ता० .... से प्रभावी होगी ।

पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान .... कोषागार से देय हैं और .... पर संभार्य है ।

वर्तमान आदेश इस शर्त्त के अध्यधीन है कि यदि महालेखाकार द्वारा यथाप्राधिकृत पेंशन और/या उपदान की राशि बाद में पेंशनर के नियमानुकूल हकदारी से अधिक पायी जायेगी तो आधिक्य को लौटाना होगा ।

इस शर्त्त की स्वीकृति सम्बन्धी घोषणा पदाधिकारी से प्राप्त कर ली गई है और संलग्न है । इस शर्त्त की स्वीकृति सम्बन्धी घोषणा प्राप्त कर ली जायेगी और अलग से भेज दी जायेगी ।

....

पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और पदनाम

(मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिए)

(क) अपना समाधान करने के बाद कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद रही है, अद्योहस्ताक्षरी एतद् द्वारा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्टीय उपदान मंजूर करता है जो महालेखाकार द्वारा स्वीकारा जा सकता है जैसा नीचे खण्ड (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों से सम्बन्धित नियमों में अनुमान्य ।

या

(क) अपना समाधान करने के बाद कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद नहीं रही है, अद्योहस्ताक्षरी एतद् द्वारा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान मंजूर करता है जो महालेखाकार द्वारा स्वीकारा जा सकता है जैसा नीचे खण्ड (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों से सम्बन्धित नियमों में अनुमान्य है, (परन्तु) नीचे अंकित मिश्रित राशि या प्रतिशत कम कर दी जायेगी ।

उपदान में कम की जानेवाली राशि या प्रतिशत ....

(ख) व्यक्ति का नाम	पता	मृत पदाधिकारी से सम्बन्ध	मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान में अंशगत राशि

2. वर्तमान आदेश इस शर्त्त के अध्यधीन है कि यदि महालेखाकार द्वारा यथाप्राधिकृत उपदान-राशि बाद में सम्बद्ध व्यक्ति के नियमानुकूल हकदारी से अधिक पाई जायेगी तो आधिक्य को लौटाना होगा ।

इस शर्त्त को स्वीकार करने की घोषणा व्यक्ति से प्राप्त कर ली गई है और संलग्न है । इस शर्त्त को स्वीकार करने की घोषणा प्राप्त कर ली जायेगी और अलग से भेज दी जायेगी ।

मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्टीय उपदान .... कोषागार से देय है और ....पर संभार्य है ।

....

स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और पदनाम ।

तिथि ....

टिप्पणी : अवशिष्टीय उपदान के मामला में मृत पदाधिकारी की सेवा पहले ही सत्यापित कर ली जानी चाहिए, और उपर्युक्त खण्ड (ख) में अपना समाधान .... भलीभाँति संतोषप्रद रही/नहीं रही है" का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(पारिवारिक पेंशन के लिए)

अपना समाधान करने के बाद कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी .... की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद रही है, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी .... को जो उक्त स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी .... के (यहाँ सम्बन्ध लिखें) हैं, ता० .... से .... तक. .... रुपए प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन मंजूर करता है जो महालेखाकार द्वारा स्वीकृत किया जाये, जैसा नियमों के अन्तर्गत अनुमान्य है।

या

अपना समाधान करने के बाद कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी .... की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद नहीं रही है, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा आदेश करता है कि उक्त स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी . ... के .... (यहाँ सम्बन्ध लिखें) श्री/श्रीमती/कुमारी .... ता० .... से .... तक रु० .... प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति नियमानुकूल महालेखाकार द्वारा दी जाये, (परन्तु) निम्नांकित मिश्रित राशि या प्रतिशत कम कर दिया जाये –

पारिवारिक पेंशन की राशि या प्रतिशत में कमी –

यह आदेश इस शर्त्त के अध्यधीन है कि यदि सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा प्राप्त महालेखाकार से यथा प्राधिकृत पारिवारिक पेंशन नियमाधीन उसकी हकदारी-राशि से अधिक होगी तो उसे आधिक्य लौटा देना होगा। इस शर्त्त के स्वीकारने की घोषणा व्यक्ति से ले ली गई है और संलग्न है। व्यक्ति द्वारा इस शर्त्त के स्वीकारने की घोषणा प्राप्त करके अलग से भेज दी जायेगी।

पारिवारिक पेंशन .... कोषागार से देय है और .... पर संभार्य है।

....

स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी

तिथि .... के हस्ताक्षर और पदनाम।

टिप्पणी : सेवानिवृत्ति पश्चात् मृत्यु की दशा में, मृत पदाधिकारी की सेवा का पूर्वमेव सत्यापित हो जाने के फलस्वरूप "अपना समाधान .... भलीभाँति संतोषप्रद रही है। नहीं रही हैं" शब्दसमूह का प्रयोग नहीं होगा।

202. (1) यदि सरकारी सेवक को मंजूर पेंशन की रकम बाद में उस रकम से अधिक पायी जाये जिसका हकदार वह नियमों के अधीन हो, तो उसे अधिक रकम को वापस करने का आदेश दिया जायेगा। [1][इसके प्रयोजनार्थ पेंशन स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी के द्वारा सम्बन्धित सरकारी सेवक को इस आशय की सूचना निर्गत की जायेगी कि पेंशन के रूप में निर्धारित पेंशन से अधिक प्राप्त राशि को इस सूचना प्राप्ति की तिथि से दो माह के अन्दर वापस कर दे। सूचना के अनुपालन में असफल होने पर पेंशन स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी इस आशय का आदेश पारित करेंगे कि ऐसी अधिकाई की राशि का समायोजन सरकारी सेवक के पेंशन राशि में से एक या अधिक किस्तों में जैसा प्राधिकारी आदेशित करे कटौती करके ही भविष्य में पेंशन का भुगतान करें।

(2) महालेखापाल द्वारा पेंशन-रिपोर्ट दी जाने के बाद यदि कोई ऐसी घटना घटे जिससे पेंशन राशि की पुनः गणना आवश्यक हो जाये, तो यथास्थिति, कार्याध्यक्ष या कार्यालय-प्रधान महालेखापाल को इसकी सूचना अविलम्ब देगा। यदि ऐसी कोई घटना न भी हो, तो भी सरकारी सेवक की निवृत्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर महालेखापाल को इस बात की रिपोर्ट दी जायेगी।

[2][**टिप्पणी :** इस नियम के प्रयोजनार्थ पेंशन/पारिवारिक पेंशन/सेवा उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/बकाया पेंशन या उपदान मंजूर करने वाला प्राधिकारी, यथास्थिति निवृत्त होनेवाले सरकारी सेवक से अनुबन्ध (क) में

1. ज्ञाप सं० पेन-1021/65-7294 वि०, दिनांक 22-7-1965 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं० 10629 वि०, दिनांक 16-9-1964 द्वारा प्रतिस्थापित।

एक घोषणा पत्र पेंशन स्वीकृत करने के पहले प्राप्त करेगा । उसी प्रकार वह प्राधिकारी परिवार पेंशन या मृतक सरकारी सेवक पेंशनर के विधिक वारिस से अनुबन्ध (ख) में एक घोषणापत्र इस आशय का प्राप्त करेगा ।

[1][अनुबन्ध "क"

(निवृत्त होनेवाले सरकारी सेवक द्वारा हस्ताक्षरणीय)

यहाँ कि .... (यहाँ उक्त पदाधिकारी का पदनाम लिखें जो पेंशन/सेवा उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृत करते हैं) ने मुझे दिनांक .... के प्रभाव से रुपया .... प्रतिमास पेंशन या रुपया .... उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृत करने हेतु अनुशंसित किया है । मैं यह अवधारित करता हूँ कि उक्त राशि जो पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के रूप में प्राप्त करूँगा वह पुनरीक्षण योग्य है तथा यदि किसी कारण यह पाया जाये कि मेरे द्वारा प्राप्त राशि नियमतः प्रावधानित राशि से अधिक है तो मैं वादा करता हूँ कि अधिकाई की राशि को मैं लौटा दूँगा ।

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

1. साक्षी का हस्ताक्षर
   पेशा और पता
2. साक्षी का हस्ताक्षर
   पेशा और पता

यह घोषणा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा साक्ष्यरित होना चाहिए जो उस शहर, ग्राम या परगना का हो जहाँ आवेदक रहता है ।

[1][अनुबन्ध "ख"

(मृतक सरकारी सेवक के वैध उत्तराधिकारी या परिवार के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरणीय)

यह कि .... (परिवार पेंशन/मृत्यु-सह-उपदान/पेंशन की बकाया राशि/या उपदान स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम यहाँ दें) ने मुझे दिनांक .... से रुपया .... परिवार पेंशन की राशि के रूप में या .... रुपया मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/बकाया पेंशन या उपदान की राशि जो श्री/श्रीमती .... (सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम) स्वीकृत करने हेतु अनुशंसित किया है । ऐसी स्वीकृत राशि पुनरीक्षणीय है तथा यदि पुनरीक्षण के दौरान यह पाया जाये कि स्वीकृत राशि, नियमतः प्रावधानित राशि से अधिक है, तो मैं उक्त अधिकाई की राशि को वापस करने की प्रतीज्ञा करता हूँ/करती हूँ ।

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर
   साक्षी का पेशा और पता
2. हस्ताक्षर
   साक्षी का पेशा और पता

203. (क) राज्य सरकार को नियमों के निर्वचन तथा ऐसा अनुग्रह करने की, जिसका उपबंध इस नियमावली में नहीं है, तथा शक्ति रहेगी ।

यदि नियमों के निर्वचन करना हो या ऐसा अनुग्रह जिसका उपबंध इस नियमावली में नहीं है, करने का प्रस्ताव हो, तो कार्याध्यक्ष या कार्यालय-प्रधान मामले को, अपनी राय और सिफारिश के साथ राज्य सरकार के संबद्ध प्रशासी विभाग के पास भेज देगा ।

(ख) जबतक सरकार का आदेश प्राप्त न हो जाये, तबतक किसी विशेष अनुग्रह की सिफारिश संबद्ध सरकारी सेवक को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कभी न सूचित की जायेगी ।

(ग) इस नियम के अधीन की गई हरेक खास सिफारिश के साथ पेंशन फारम 4 में आवेदन और यथास्थिति, उस फारम के पृष्ठ 2 में या अध्याय 9 में विहित फारमों में सेवा-विवरण संलग्न रहेंगे ।

---

1. (i) प्रत्येक लाभभोगी द्वारा अलग-अलग घोषणा-पत्र देना है ।
   (ii) यह घोषणा उस क्षेत्र शहर/गाँव/परगना के निवासी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो जहाँ आवेदक रहता है ।

राज्य सरकार के निर्णय –

1.

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के नियम 203 (क) के अन्तर्गत राजस्व (निबंधन) विभाग के अधीन विभिन्न निबंधन कार्यालयों के नियमित स्थापना में लाये गये अतिरिक्त लिपिकों को पेंशन, उपदान एवं पारिवारिक पेंशन देने की सुविधा ।**

राजस्व (निबन्धन) विभाग द्वारा विभिन्न निबन्धन कार्यालयों में कार्यरत अतिरिक्त लिपिकों को तिथि 1-4-1971 को या बाद में नियमित स्थापना में लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया है । उक्त कोटि के कर्मचारियों ने नियमित स्थापना में आने के पूर्व काफी अवधि तक अतिरिक्त लिपिक के पद पर कार्य किया है, परन्तु नियमित स्थापना में आने के बाद न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा (10 वर्षों की लगातार स्थायी सेवा एवं 15 वर्षों की लगातार अस्थायी सेवा) बिना पूरी किये ही वे सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये । फलस्वरूप वे तथा उनके परिवार पेंशन/उपदान एवं पारिवारिक पेंशन के नियमत: भागी नहीं हो सके, क्योंकि उनके द्वारा अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा पेंशन हेतु परिगणित नहीं की जाती है । इस प्रकार, इस कोटि के लिपिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को काफी आर्थिक कठिनाई उठानी पड़ती है ।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने तिथि 1-4-1971 को या बाद में नियमित स्थापना में लाये गये अतिरिक्त लिपिकों को राहत प्रदान करने हेतु बिहार पेंशन नियमावली के नियम 203 (क) के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन पेंशनरी लाभ जैसे पेंशन/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त उपदान/उपदान तथा पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया है –

(1) यह पेंशनरी लाभ दिनांक 1-4-1971 को या बाद में स्थायी/अस्थायी रूप से नियमित स्थापना में नियुक्त किये गये निबंधन कार्यालय के अतिरिक्त लिपिकों को जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होने वाले हैं और जिनकी कुल नियमित सेवा न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा अर्थात् 10 वर्षों की लगातार स्थायी या 15 वर्षों की लगातार अस्थायी सेवा से कम हो, देय होगा ।

(2) न्यूनतम 10 वर्षों की लगातार स्थायी या 15 वर्षों की लगातार अस्थायी पेंशन प्रदायी सेवा अवधि की कमी को उतनी अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा के साथ जोड़कर पूरी कर ली जाये । इसके निमित्त लिपिक के पद पर समय-समय की गई सेवा अवधि को भी आवश्यकतानुसार जोड़ा जाये और सेवा में भंगों को स्वत: क्षान्त समझा जाये ।

(3) पारिवारिक पेंशन सामान्य प्रचलित नियमों के अनुसार देय होगा ।

3. इस कोटि के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति/मृत्यु तिथि को अनुवर्त्ती तिथि 30-6-1979 तक अनुमान्य पेंशन उपदान एवं पारिवारिक पेंशन के 75 प्रतिशत औपबंधिक रूप में विहित प्रपत्र में स्वीकृत किया जाये । औपबंधिक पेंशन की राशि निर्धारित न्यूनतम पेंशन रु० 40/- (चालीस रुपये) प्रतिमाह से कम नहीं होना चाहिए । इसकी प्रविष्टि सेवा-पुस्त/अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र में भी कर दी जाये । औपबन्धिक पेंशन आदि की स्वीकृति एवं भुगतान जहाँ से पेंशनर सेवानिवृत/मृत हुए हैं, उसके कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाये और औपबंधिक पेंशन का अविलम्ब भुगतान किया जाये । इसकी सूचना वित्त विभाग (पेंशन शाखा) को दी जाये ।

4. अपने अधीनस्थ सभी निबंधन पदाधिकारी को अविलम्ब औपबंधिक पेंशन आदि स्वीकृति एवं भुगतान करने का निर्देश देने की कृपा की जाये । साथ ही अंतिम स्वीकृति देकर महालेखाकार, बिहार के पास मामले तिथि 30-6-1979 के पूर्व भेज दिए जाएँ और इसकी सूचना वित्त (पेंशन शाखा) विभाग को दी जाये ।[***ज्ञाप सं० P.C. 2-9-45/78-79-2 वि०, दिनांक 16-1-1979]**

2.

***विषय : कार्यभारित कर्मचारीगण, जिन्हें तिथि 1-4-1971 अथवा उसके बाद नियमित स्थापना में ले लिया गया, को पेंशन/उपदान एवं पारिवारिक पेंशन की देयता के सम्बन्ध में ।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक 425 वि०, दिनांक 31-3-1976 (प्रतिलिपि संलग्न) को संशोधित करते हुए राज्य सरकार ने पेंशन नियमावली के नियम 203 के अन्तर्गत वैसे कर्मचारियों, जो दस वर्षों से कम कार्यभारित सेवा में रहकर भी तिथि 1-4-1978 अथवा उसके बाद नियमित स्थापना में आये हों तथा नियमित स्थापना में सेवानिवृत्ति के समय न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा (स्थायी सेवा होने पर 10 वर्ष तथा अस्थायी होने पर 15 वर्ष)

पूरी नहीं कर पाये हों, को भी पेंशन प्रदायी सेवा में कमी के तुल्य कार्यभारित सेवा जोड़कर पेंशन प्रदायी सेवा पूरी करने की सुविधा प्रदान की जाती है जिसमें उन्हें पेंशन तथा उपदान देय हो सके । यह भी निर्णय किया गया है कि यदि नियमित स्थापना में आने के बाद न्यूनतम पारिवारिक पेंशन प्रदायी सेवा (एक वर्ष) पूरी करने के पूर्व ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो एक वर्ष पूरी करने में जो कमी रह जाती है उससे उनकी कार्यभारित सेवा को उसमें जोड़कर उन्हें पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति भी दे दी जायेगी ।

2. यह सुविधा वित्त विभाग के उपर्युक्त आदेश की कंडिका-2 (ख) पर उल्लिखित शर्त्त के अन्तर्गत ही दी जायेगी यदि कार्यभारित कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि की सुविधा प्राप्त थी ।

3. यह आदेश तिथि 1-4-1971 एवं उसके बाद नियमित स्थापना में लिए गए कर्मचारियों के मामले में लागू होगा । [***ज्ञाप संख्या पेन–P.C.-1-1-02/79–505–वि०, दिनांक 6-3-1978**]

3.

***विषय : दस वर्षों से अधिक लगातार सेवा वाले कार्यभारित कर्मचारीगण, जिन्हें तिथि 1-4-1971 एवं उसके बाद नियमित स्थापना में ले लिया गया, को पेंशन की स्वीकृति ।**

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत सरकारी आदेश संख्या–13327, दिनांक 29-6-1971 में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि तिथि 1-4-1971 से वैसे सभी कार्यभारित कर्मचारीगण को सम्बन्धित विभाग की नियमित स्थापना में स्थायी रूप से ले लिया जाये जिनकी लगातार सेवा उक्त तिथि को दस वर्षों से अधिक की हो । सरकार के उपरोक्त निर्णय के अनुसार उन्हें नियमित स्थापना की सभी सुविधाएँ जिनमें पेंशन की सुविधा भी सम्मिलित है देय है । परन्तु पेंशन के वर्तमान नियमों के अनुसार 10 वर्षों की न्यूनतम स्थायी सेवा पर ही पेंशन अनुमान्य है तथा कार्यभारित सेवा की गणना पेंशन के लिए नहीं की जाती है । अत: उपरोक्त निर्णय के बावजूद भी पेंशन के वर्त्तमान नियमों के अनुसार उपरोक्त कोटि के वैसे व्यक्तियों को, जो तिथि 1-4-1971 के पूर्व सेवानिवृत्त होंगे, पेंशन अनुमान्य नहीं हो सकेगा । फलस्वरूप उपरोक्त आदेश में निहित उद्देश्यों की पूर्त्ति भी सम्भव नहीं हो सकेगी ।

2. ऊपर में बतायी गयी परिस्थिति में सरकार ने इस विषय पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् बिहार पेंशन नियमावली के नियम 203 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया है कि तिथि 1-3-1971 एवं बाद से नियमित स्थापना में स्थायी रूप से लिये गये उपरोक्त कोटि के सभी कार्यभारित कर्मचारीगण को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन आदि की अनुमान्यता निम्नलिखित शर्त्तों के अनुसार होगी –

(क) वैसे कार्यभारित कर्मचारीगण, जो तिथि 1-4-1971 एवं बाद में नियमित स्थापना में लिए गए हों तथा जिनकी कुल नियमित सेवा 10 वर्षों से कम होती हो, को न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी करने के लिए जितनी अवधि की कमी हो उतनी अवधि की तिथि 1-4-1971 के पूर्व की कार्यभारित सेवा की गणना पेंशन की राशि निर्धारित करने के लिए की जायेगी । इस अवधि की गणना मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि निर्धारित करने के लिए भी की जायेगी । पारिवारिक पेंशन में भी यदि कुल नियमित सेवा 1 वर्ष से कम होती हो तो उस कमी को कार्यभारित सेवा के उतने अंश को लेकर पूरा कर लिया जायेगा ।

(ख) पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन के निमित्त विशेष रूप से गणना की गई अवधि में नियोजक द्वारा अंशदायी भविष्य निधि में प्रदत्त अंशदान की राशि सरकार को लौटा दी जायेगी अथवा सम्बन्धित कार्यभारित कर्मचारी को देय पेंशन और उपदान अथवा पारिवारिक पेंशन की राशि से इसका सामंजन कर दिया जायेगा ।

3. यह आदेश तिथि 1-4-1971 एवं इसके बाद नियमित स्थापना में स्थायी रूप से लिए गए राज्य के सारे कार्यभारित कर्मचारीगण के मामलों में लागू होगा । [***वित्त विभाग संख्या पी०सी०–1-118/ 76/3425 वि०, दिनांक 31-3-1976**]

4.

***विषय : कार्यभारित कर्मचारियों को राज्य सरकार की नियमित स्थापना में लिया जाना तथा पेंशन में अतिरिक्त लाभ ।**

सम्प्रति 10 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने वाले कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में लेने का प्रावधान है । परन्तु सिंचाई विभाग एवं पथ-निर्माण विभाग के अधीन कार्यभारित स्थापना में कार्यरत् कार्यभारित

कर्मचारियों को 5 वर्षों की लगातार संतोषजनक सेवा पूरी करनेवाले भ्रष्टाचार एवं कदाचार मुक्त सेवकों को नियमित स्थापना में लिये जाने का निर्णय सम्बद्ध विभागों द्वारा लिया गया है । अन्य विभागों में सम्प्रति यह व्यवस्था लागू नहीं रहने की वर्षों में 10 वर्षों की लगातार सेवा करनेवाले कार्यभारित सेवकों को नियमित स्थापना में लेने की व्यवस्था है जिसकी एकरूपता नहीं रह गयी है । इस स्थिति के परिहार के लिए पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी कार्य विभागों के अधीन कार्यरत् सभी कार्यभारित सेवक जिन्होंने एक ही पद पर 5 वर्षों की संतोषजनक लगातार सेवा पूरी कर ली है, को निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत, वित्त विभाग के परामर्श से आदेश निर्गत कर नियमित स्थापना में ले लिया जाये –

(क) कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में परिणत करने पर कार्यभारित स्थापना के सम्बन्धित पद ही नियमित स्थापना में समपरिवर्तित हो जायेंगे;

(ख) जिन कार्यभारित सेवकों के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर किया गया हो या जिनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित हो अथवा जिनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित भ्रष्टाचार के आरोप लम्बित हों, उनको वर्तमान आदेश के अन्तर्गत नियमित स्थापना में नहीं लिया जायेगा;

(ग) कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में लेने पर उनके वेतन–भत्ते पर व्यय हेतु संधारण इकाई में उपबन्धित राशि नियमित स्थापना के सम्बन्धित बजट शीर्ष में हस्तानान्तरित कर दी जायेगी ।

(घ) वित्त विभाग के पत्र संख्या 8954, दिनांक 23 जुलाई, 1975 के जरिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में कार्यभारित स्थापना में न तो कोई नया पद सृजित किया जाए और न ही रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाये । इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से किया जाए । यदि किसी सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाए तो उस सम्बन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाए ।

(ङ) इस सम्बन्ध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत सभी आदेश एवं नियम इस अंश तक संशोधित समझा जाये ।

2. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3425 वि०, दिनांक 31 मार्च, 1976 तथा 505 वि०, दिनांक 6 मार्च, 1980 के द्वारा ऐसे कर्मचारियों को निियमित स्थापना में किये जाने पर उनकी न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा में कमी के बराबर के कार्यभारित स्थापना में की गयी सेवा जोड़कर पेंशन स्वीकृत करने की सुविधा प्रदान की गयी है । इस पर सावधानीपूर्वक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने उन्हें पेंशन के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुविधाएँ देने का निर्णय लिया है –

(क) नियमित स्थापना में लिए गए कर्मचारियों को सामान्य पेंशन प्रदायी सेवा में 5 वर्ष या कार्यभारित स्थापना में बितायी गयी सेवावधि दोनों में से जो कम हो, जोड़ दी जाये । ऐसा करते समय कार्यभारित सेवा से जितनी अवधि पेंशन योग्य सेवाएँ जोड़ी जायेंगी, उतनी अवधि में अंशदायी भविष्य निधि में प्रदत्त सरकारी अंशदान, अगर कोई हो तो राशि सरकार को लौटा देनी होगी तथा राज्यकोष में जमा कर देनी होगी ।

(ख) उक्त कोटि के कर्मचारियों को उपर्युक्त आधार पर निर्धारित मासिक पेंशन की राशि में 30 रु० जोड़कर पेंशन की राशि निश्चित की जायेगी, बशर्ते वह अधिकतम पेंशन प्रदायी सेवा के आधार पर परिगणित होने वाली पेंशन की राशि से अधिक नहीं हो ।

(ग) उपर्युक्त उप–कंडिका–3 में उल्लिखित 30 रु० की राशि पेंशन लघुकरण की गणना में नहीं की जाएगी । [*ज्ञाप संख्या पी०सी० 2-29-02/84-3058 वि०, दिनांक 22-10-1984]

5.

***विषय : कार्यभारित कर्मचारियों को 'पेंशन' प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति की सुविधा देने के लिए कार्यभारित स्थापना में बितायी गई अवधि को क्वालिफाईंग पीरियड की गणना करने के सम्बन्ध में ।**

वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या पी०सी० 02-29-02/84-3058, दिनांक 22-10-1984 के द्वारा कार्यभारित कर्मचारियों के पेंशनादि के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया था कि –

(क) नियमित स्थापना में लिए गए कर्मचारियों को सामान्य पेंशन प्रदायी सेवा में 5 वर्ष या कार्यभारित स्थापना में बितायी गयी सेवावधि दोनों में से जो कम हो जोड़ दी जाये। ऐसा करते समय कार्यभारित सेवा से जितनी अवधि पेंशन योग्य सेवाएँ जोड़ी जाएँगी, उतनी अवधि में अंशदायी भविष्य निधि में प्रदत्त सरकारी अंशदान अगर कोई हो, की राशि सरकार को लौटा देनी होगी तथा राज्यकोष में जमा कर देनी होगी।

(ख) उक्त कोटि के कर्मचारियों को उपर्युक्त आधार पर निर्धारित मासिक पेंशन की राशि में 30 रु० जोड़कर पेंशन की राशि निश्चित की जायेगी, बशर्त्ते कि वह अधिकतम पेंशन प्रदायी सेवा के आधार पर परिगणित होने वाली पेंशन की राशि से अधिक नहीं हो।

(ग) उपर्युक्त उप-कंडिका में उल्लिखित 30 रु० की राशि पेंशन लघुकरण की गणना में नहीं की जायेगी।

2. वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 3 पी०आर०सी० 45-83-1560, दिनांक 27-2-1974 के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि सरकारी सेवक के द्वारा कार्यभारित स्थापना में की गई सेवा कालबद्ध प्रोन्नति के लिए परिगणित नहीं की जायेगी।

3. कार्यभारित कर्मचारियों को पेंशन, प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति की सुविधा देने के लिए कार्यभारित स्थापना में बितायी गयी अवधि को क्वालिफाईंग पीरियड की गणना का विषय सरकार के विचाराधीन था। अतः पूर्ण विचारोपरान्त पूर्व में लिए गए निर्णय को संशोधित करते हुए राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है –

(ए) ऐसे कार्यभारित कर्मचारी जिनको वर्त्तमान अनुदेशों के अधीन पेंशन एवं उपदान अनुमान्य होता है उनके द्वारा कार्यभारित स्थापना में बितायी गई पूरी सेवावधि को शामिल करते हुए पेंशन एवं उपदान के लिए क्वालिफाईंग पीरियड की गणना की जायेगी, बशर्त्ते ऐसा करते समय कार्यभारित सेवा से जितनी अवधि पेंशन योग्य सेवाएँ जोड़ी जाएँगी उतनी अवधि में अंशदायी भविष्य निधि में प्रदत्त सरकारी अंशदान अगर कोई हो, की राशि सरकार को लौटा देनी होगी तथा राज्य कोष में जमा कर देनी होगी।

(बी) नियमित स्थापना में आने के पश्चात् कार्यभारित सेवा वृद्धि को जोड़ते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों को प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति की सुविधा उपलब्ध करायी जाये, बशर्त्ते कि उससे किसी भी नियमित कर्मचारी की वरीयता का अवक्रमण नहीं होता हो। वरीय प्रवर कोटि या कालबद्ध प्रोन्नति के सम्बन्ध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के पूर्व का कोई भी बकाया अनुमान्य नहीं होगा। इस प्रसंग में पूर्व में निर्गत सभी आदेश एवं अनुदेश इस अंश तक संशोधित समझे जायेंगे।

4. इस आदेश का प्रभाव आदेश निर्गत होने की तिथि से होगा। [***वित्त विभाग, संकल्प संख्या 3 पी०ए०आर० 01/86 खण्ड 1503 वि०, दिनांक 27-3-1987**]

प्रकरण 4 : प्रत्याशा-पेंशन

204. (क) जब कोई सरकारी सेवक, जिसकी पेंशन भारत में देय हो, इस अध्याय के पूर्ववर्त्ती प्रकरण के उपबंधों के अनुसार अपनी पेंशन अन्तिम रूप से निर्धारित और तय होने के पहले ही निवृत्त होनेवाला हो तब महालेखापाल उतनी पेंशन का भुगतान मंजूर करेगा, जितनी कि पूरी सावधानी के साथ अविलम्ब संक्षिप्त जाँच-पड़ताल के बाद वह समझे कि सरकारी सेवक पाने का हकदार है, परन्तु ऐसी पेंशन का भुगतान तभी किया जाएगा जबतक कि निवृत्त होनेवाला सरकारी सेवक निम्नलिखित घोषणा पर हस्ताक्षर कर दे –

> "चूँकि (यहाँ अग्रिम मंजूर करनेवाले सरकारी सेवक का पदनाम लिखें), ने मेरी पेंशन की रकम नियत करने के लिए आवश्यक जाँच पूरी होने की प्रत्याशी में, मुझे कच्चे तौर पर प्रतिमास .... रु० अग्रिम देने की सम्मति दी है, इसलिए मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरी पेंशन आवश्यक औपचारिक जाँच पूरी होने पर पुनरीक्षित हो सकती है, और प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे पुनरीक्षण पर मैं इस आधार पर कोई आपत्ति न करूँगा कि मुझे अभी दी जाने वाली कच्ची पेंशन की रकम उस पेंशन से अधिक है जिसका हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस पेंशन का हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ उससे अधिक दी गई रकम लौटा दूँगा।"

(ख) जब कोई सरकारी सेवक, जिसकी पेंशन इंगलैंड में देय हो, अपनी पेंशन के अन्तिम रूप से निर्धारित और तय होने के पहले ही निवृत्त होनेवाला हो, तब महालेखापाल, अविलम्ब पूरी सावधानी के साथ संक्षिप्त जाँच-पड़ताल करने के बाद, पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी एवं राज्य सरकार की मार्फत भारतीय उच्च-आयुक्त को निम्नतम रकम जिसका हकदार वह सरकारी सेवक को समझता हो, प्रतिवेदित करेगा। सरकारी सेवक से उपर्युक्त खंड (क) में निर्दिष्ट घोषणा-जैसे घोषणा प्राप्त होने पर उच्च आयुक्त अपने विवेकानुसार प्रतिवेदित रकम या यथोचित रकम तुरन्त भुगताने की मंजूरी देगा।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

***विषय : पेंशन-स्वीकृति के लिए बिहार पेंशन नियमों और प्रक्रिया का सरलीकरण।**

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने पेंशन नियमों और प्रक्रिया के सरलीकरण के सुझाव दिये हैं ताकि पेंशन-मामले के समापन में विलम्ब न हो। राज्य सरकार ने उन सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये हैं –

(1) विद्यमान पेंशन नियमों के तहत प्रत्येक सरकारी सेवक को औपचारिक आवेदन पत्र देना होता है।

अब यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन के लिए राजपत्रित या अराजपत्रित सरकारी सेवक को कोई औपचारिक आवेदन-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु, अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में कार्यालय-प्रधान सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद बिहार पेंशन नियमावली के फारम 4 में एक आवेदन पत्र तैयार करेंगे और उसे सभी आवश्यक कागजात के साथ महालेखाकार को सुपुर्द करेंगे, ताकि अंकेक्षण कार्यालय फारम के तीसरे पृष्ठ पर रिपोर्ट कर सके।

(2) विद्यमान नियमों के तहत, राजपत्रित सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को कागजात तैयार करने होते हैं।

अब यह निर्णय लिया गया है कि राजपत्रित सेवक के पेंशन-कागजात महालेखाकार द्वारा प्रथमत: तैयार किया जायेगा। इन्हें समय पर तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्ध किया जायेगा, किन्तु जबतक अन्यथा न ज्ञात हो तबतक उनको रिपोर्ट करने की तिथि या सेवानिवृत्ति की तिथि, जो पहले हो, से तीन महीना बीत जाने के बाद पेंशन के विषय में प्रशासी पदाधिकारी की स्वीकृति मान ली जायेगी।

(3) विद्यमान नियमों के तहत स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दिये जाने और महालेखाकार द्वारा पेंशन अदायगी आदेश निर्गत कर दिये जाने के बाद पेंशन दी जाती है।

अब यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालय प्रधान जिनके अधीन सेवानिवृत्त अराजपत्रित सरकारी सेवक सेवारत था, एक अलग बिल फारम 4 (प्रति संलग्न) के आधार पर उप कोषागार से, जिससे वेतन और भत्ते की निकासी होती थी, 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत उपदान, मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान निकालकर सरकारी सेवक को जिस महीना में सेवानिवृत्त होगा उसके उत्तरवर्ती महीना की पहली तारीख को भुगतान करेगा और इस आशय की सूचना अंकेक्षण कार्यालय को देगा। यदि पेंशनर अपने निवास स्थान पर मनीआर्डर या बैंक-ड्राफ्ट से अदायगी लेना चाहेंगे तो पेंशन मनीआर्डर/बैंक-ड्राफ्ट से भेजी जायेगी और विभाग कमीशन-शुल्क को आकस्मिक-शुल्क के रूप में वहन करेगा, पेंशन की ऐसी अदायगी सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से छह महीने तक जारी रहेगी और ऐसा करते हुए महालेखाकार कार्यालय में पेंशन-मामले के अंतिम निष्पादन पर लगनेवाला समय का लिहाज नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त रीति से भुगतान की गई पेंशन और उपदान औपबन्धिक और अंकेक्षण कार्यालय द्वारा समंजेय होंगे।

राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में महालेखाकार आवश्यक कार्रवाई करेंगे ताकि सेवानिवृत्त राजपत्रित सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति के महीने के अनुवर्ती महीने की पहली तारीख को 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि निकाल सकें।

कदाचित् ऐसे भी हों जहाँ सेवानिवृत्ति के छह महीने के अन्दर पेंशन का अंतिम रूप से निबटारा नहीं हो सके, उनमें केवल महालेखाकार के विशेष प्राधिकार पर औपबन्धिक अदायगी जारी रहेगी, जिसके लिए

प्राधिकार कार्यालय-प्रधान के अनुरोध पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कार्यालय-प्रधान को सूचना देकर कोषागार पदाधिकारी को निर्गत किया जायेगा । पेंशन-कागजात, अग्रसारित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त करने के बाद उनपर अंकेक्षण पदाधिकारी उन पर आवश्यक जाँच शुरू करेंगे और फारम के तीसरे पृष्ठ पर अपना अंकेक्षण-मुखांकन अंकित करेंगे जिसमें कुल अर्हता प्रदायी सेवावधि दर्शित की जाएगी जो सत्यापित और स्वीकृत की गयी हो, तथा राशि और तिथि इत्यादि जब से अनुमान्य होगी, दर्शित की जायेंगी । यदि पेंशन उसकी अंकेक्षण-सर्किल में देय होगी तो अंकेक्षण कार्यालय उचित जाँचोपरान्त पेंशन अदायगी आदेश तैयार करेगा और पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से छह महीने के बाद से अथवा उस अवधि की तिथि के बाद से जिस अवधि को महालेखाकार ने विशेष रूप से औपबन्धिक अदायगी जारी रखने के लिए बढ़ाया है, दोनों में जो बाद की हो, अदायगी की व्यवस्था करेगा । वह सरकारी बकायों, यदि हो, का समंजन करके उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की शेष रकम के लिए भी प्राधिकृत करेगा । यदि पदाधिकारी ने कार्यालय- प्रधान के द्वारा उपदान-निकासी का विकल्प दिया है तो अंकेक्षण-पदाधिकारी उस कार्यालय को वैसी अदायगी करने को प्राधिकृत करेगा । इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित कार्यालय को भी भेजी जायेगी । महालेखाकार कार्यालय-प्रधान से भी उसके द्वारा अदाय की गई औपबन्धिक पेंशन का विवरण प्राप्त करेंगे और पेंशनर को उसको बाकी रकम की अदायगी (अथवा) फाजिल अदायगी की वसूली के लिए प्राधिकार निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे । पेंशन अदायगी आदेश (पी०पी०ओ०) निर्गत किये जाने की सूचना तत्परतापूर्वक पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकार को दी जायेगी और पेंशन कागज उनको लौटा दिया जायेगा ।

यदि अंकेक्षण की अन्य सर्किल में पेंशन अदा की जानी है तो अंकेक्षण पदाधिकारी पेंशन स्वीकृति करने वाले प्राधिकारी के आदेश और अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र यदि प्राप्त हो, सहित उसका अंकेक्षण-मुखांकन, पेंशन आवेदन-पत्र की प्रति उस सर्किल के अंकेक्षण पदाधिकारी को भेजकर निदेश देंगे कि वह सेवानिवृत्ति के छह महीने के बाद के दिन से आवश्यक पी०पी०ओ० निर्गत कर दें ।

छह महीने या विनिर्दिष्ट विस्तृत अवधि तक के लिए अदा की गई औपबन्धिक पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान का समंजन उस अंकेक्षण पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसकी सर्किल में औपबन्धिक अदायगियाँ की गई थीं ।

टिप्पणी : उपदान (ग्रेच्युटी)/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के बकाया को छह महीने या विस्तारित अवधि जबतक कार्यालय-प्रधान द्वारा पेंशन की औपबन्धिक अदायगी की जाती है, के बाद तक अनावश्यक तरह से नहीं रोक रखा जाना चाहिए बशर्ते कि उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान को प्राधिकृत करनेवाली सभी अन्य अपेक्षायें पूरी हो गई हों और पेंशनर से कोई रकम बाकी नहीं हो । ज्योंहि औपचारिकतायें पूरी हो जायें और महालेखाकार द्वारा अनुमान्य उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि निश्चित कर दी जाए महालेखाकार उसे प्राधिकृत कर देंगे ।

विद्यमान नियम के अनुसार पेंशन की गणना सेवा की अंतिम तीन वर्षों की उपलब्धियों की औसत पर की जाती है ।

अब यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन की गणना 12 महीनों की औसत उपलब्धियों के आधार पर की जाये ।

विद्यमान नियम के अनुसार यदि स्थायी सरकारी सेवक विभिन्न कार्यालयों में सेवा करता है तो जहाँ-जहाँ उसने सेवा की वहाँ-वहाँ के प्राधिकारियों से सेवा-सत्यापन का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है । यद्यपि उक्त आशय की प्रविष्टियाँ सेवा-पुस्तिका में दर्ज रहती हैं । पेंशन-मामले के अंतिम निबटारे का विलम्ब का यह मुख्य कारण होता है ।

अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में केवल सेवा की पहली तिथि जो पेंशन की अर्हता देती है, सेवावृत्ति की तिथि और बीच की वह अवधि, जो पेंशन की अर्हता नहीं देती है, के सत्यापन किये जायें और पेंशन के लिए अनर्ह करने वाली सेवा को छाँटकर अर्हताप्रदायी सेवा विनिश्चित कर ली जाए ।

ये आदेश 1ली अप्रैल, 1967 से प्रभावी होंगे । [*ज्ञापांक पेन-1032/67-8739 वि०, दिनांक 13-7-1967]

***फारम टी०आर०**

अराजपत्रित पदाधिकारियों (उन राजपत्रित पदाधिकारियों समेत जिनका वेतन और भत्ते स्थापना-विपत्र पर निकाले जाते हैं) के औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी/मृत्यु-सह-निवृत्ति ग्रेच्युटी की निकासी का बिल-फारम/

जिला लेखा-शीर्ष भाउचर सं० .... लिस्ट ....
वास्ते ....

रु० पै०

मास .... 19 .... के लिए
श्री/श्रीमती/कुमारी ....
को देय औपबन्धिक पेंशन/और ग्रैच्युटी/मृत्यु-
सह-निवृत्ति ग्रैच्युटी की राशि प्राप्त की

आयकर घटायें –

शुद्ध राशि ....

(शब्दों में) ....

पेंशनर का गैर-नियोजन-प्रमाण-पत्र संलग्न है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

तिथि .... 19 .... निकासी पदाधिकारी का पदनाम ....

जाँचा और दर्ज किया। अदा करें रु० .... रु० ....

मामले में .... रु०

कोषागार लेखापाल आय पर 4 – कर रु० ....

तिथि .... 19 .... कोषागार पदाधिकारी ....

महालेखाकार कार्यालय में प्रयोगार्थ

स्वीकार किया रु० ....

आपत्ति की रु० ....

अंकेक्षक .... अधीक्षक .... राजपत्रित पदा० ....

[*फारम टी०आर०, ज्ञापांक पेन–1032/67/8739 एफ०, दिनांक 13-7-1967]

2.*

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली और पेंशन-स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण और सेवा-पुस्तिका और अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृति-राशि का अंकन।**

बिहार पेंशन नियमावली और पेंशन-स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण पर वित्त विभाग का ज्ञापांक पेन–1032/67-8739, दिनांक 13 जुलाई, 1967 का निर्देश करें। महालेखाकार, बिहार का ध्यान इस ओर गया है कि पेंशनर की सेवा-पुस्तिका और अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में छह महीने की अवधि के लिए 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की औपबन्धिक अदायगी अंकित नहीं रहती है। फलत: पेंशनर को अंतिम रूप से पेंशन और उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृत करने में देरी होती है।

अत: अनुरोध है कि जहाँ 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृत किये गये हैं वहाँ महालेखाकार, बिहार के पास सेवा-पुस्तिका भेजने के पहले इन स्वीकृतियों के सम्बन्ध में उसमें अवश्यमेव प्रविष्टि कर दी जाये। पेंशनर के अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में भी समान प्रविष्टि की जाये। **[*ज्ञापांक पेन–1040/69-2636 एफ०, दिनांक 26-2-1970]**

3.

***विषय : बिहार पेंशम नियमावली एवं प्रक्रिया का सरलीकरण—औपबंधिक पेंशन एवं औपबन्धिक ग्रेच्युटी का भुगतान।**

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन–1040/49–2336, दिनांक 26 फरवरी, 1970 (प्रतिलिपि संलग्न) के परिपत्र में यह निर्देश दिया गया था कि 75 प्रतिशत औपबन्धिक डी०सी०आर० ग्रेच्युटी का भुगतान जब सेवा निवृत्त अराजपत्रित सरकारी सेवक को कर दिया जाये तो इनकी प्रविष्टि उनकी सेवा–पुस्त में एवं अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र से भी कर देना जरूरी है। ऐसा नहीं करने से महालेखाकार के कार्यालय में पेंशन मामले के निष्पादन में विलम्ब हो जाता है, क्योंकि सम्बन्धित पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी से महालेखाकार को यह सूचना प्राप्त करनी पड़ती है कि औपबन्धिक भुगतान किया गया है या नहीं। सूचना प्राप्त होने पर ही महालेखाकार के कार्यालय से पी०पी०ओ० एवं जी०पी०ओ० (पेंशन भुगतान आदेश एवं ग्रेच्युटी भुगतान आदेश) निर्गत किया जाता है।

(2) इस निदेश के बावजूद यह देखा गया है कि अधिकांश सेवानिवृत्त अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की सेवा–पुस्ति एवं अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र में औपबन्धिक पेंशन एवं औपबन्धिक डी०सी०आर० ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि नहीं रहती है जिससे पेंशन के मामले के अन्तिम निष्पादन में विलम्ब हो जाता है।

(3) अत: आपसे अनुरोध है कि अपने कार्यालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों को यह निदेश दिया जाये कि जब भी महालेखाकार को अराजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन मामले भेजे जायें तो यह प्रविष्टि सेवा–पुस्ति एवं अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र में अवश्य कर दी जाये कि औपबन्धिक पेंशन एवं औपबन्धिक डी०सी०आर० ग्रेच्युटी का भुगतान हो गया है या नहीं।

(4) इसके साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि अधिकांश सेवानिवृत्त अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में औपबन्धिक पेंशन एवं औपबन्धिक डी०सी०आर० ग्रेच्युटी का भुगतान कार्यालय प्रधान द्वारा नहीं किया जाता है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए ही सरकार ने औपबन्धिक पेंशन एवं औपबन्धिक ग्रेच्युटी देने का निर्णय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1032/67-8739, दिनांक 13 जुलाई, 1967 में किया है इसके नहीं प्राप्त होने से पेंशनरों को काफी कठिनाइयाँ होती हैं। अत: जिन मामलों में (Superannuation or retiring) पेंशन एवं डी०सी०आर० ग्रेच्युटी अनुमान्य हो उन सभी मामलों में 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन एवं 75 प्रतिशत औपबन्धिक डी०सी०आर० ग्रेच्युटी अवश्य स्वीकृत करके भुगतान किया जाये और पेंशन कागजात महालेखाकार को भेजने के पहले इसकी प्रविष्टि सेवा-पुस्त एवं अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र में कर दी जाये।

(5) असमर्थता पेंशन (Invalid Pension) एवं (Wound एवं Injury) के असाधारण पेंशन के मामलों में औपबन्धिक पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान कार्यालय प्रधान द्वारा नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र पर ही पेंशनर को औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। **[*ज्ञाप सं० पेन–101/72-4565 वि०, दिनांक 21-5-1973]**

4.

***विषय : बिहार पेंशन नियम एवं पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण।**

वित्त विभाग के आदेश संख्या पेन–1032/67/8739–वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 में यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन एवं ग्रेच्युटी के अन्तिम निष्पादन के प्रत्याशा में सरकारी सेवकों को औपबन्धिक रूप से 75 प्रतिशत पेंशन एवं 75 प्रतिशत ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाये। औपबन्धिक पेंशन 6 माह तक के लिए देय है। अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में कार्यालय प्रधान भुगतान करने के लिए प्राधिकृत हैं और राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में महालेखाकार भुगतान के लिए प्राधिकार–पत्र निर्गत करते हैं।

2. उपर्युक्त निर्देशित वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13 जुलाई, 1967 का आंशिक संशोधन करते हुए सरकार ने अब निम्नलिखित निर्णय लिया है –

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन एवं 75 प्रतिशत औपबन्धिक ग्रेच्युटी का भुगतान पहले जैसा कार्यालय प्रधान (Head of Office) ही करेंगे।

(2) वर्तमान नियम के अनुसार महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार–पत्र पर राजपत्रित कर्मचारियों को 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी/डी०सी०आर० ग्रेच्युटी का भुगतान होता था।

अब यह निर्णय किया गया है कि राजपत्रित कर्मचारियों को 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन सम्बन्धी आदेश पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी (Pension Sanctioning Authority) निर्गत करेंगे जिसके आधार पर कोषागार द्वारा भुगतान होगा। इसके लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

परन्तु 75 प्रतिशत औपबन्धिक ग्रेच्युटी/डी०सी०आर० ग्रेच्युटी का भुगतान महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र पर ही पहले जैसा होगा ।

राजपत्रित कर्मचारियों के औपबन्धिक पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अलग से सूचना दी जायेगी ।

(3) राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी/डी०सी०आर० ग्रेच्युटी राशि, 1 जनवरी, 1971 से लागू नये वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित वेतन के आधार पर आँकी जायेगी, चाहे वह वेतन औपबन्धिक रूप से निर्धारित हो या अन्तिम रूप से ।

(4) वर्तमान आदेश के अनुसार औपबन्धिक पेंशन का भुगतान सिर्फ 6 माह के लिए होता है । अब यह निर्णय लिया गया है कि राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों को औपबन्धिक पेंशन का भुगतान दो वर्षों के लिए होगा । परन्तु इस अवधि में वृद्धि के कारण पेंशन मामलों के अन्तिम निष्पादन में विलम्ब न होना चाहिए । **[*ज्ञाप सं० PC–107–73–500 वि०, दिनांक 1-2-1973]**

5.

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण ।**

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पी०सी० 107/73-500-एफ०, दिनांक 1 फरवरी, 1973 की कंडिका 4 के अनुसार औपबन्धिक पेंशन का भुगतान करने की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 2 (दो) वर्ष कर दी गई है । यह आदेश तिथि 1 फरवरी, 1973 को निर्गत किया गया था अत: इसका लाभ तिथि 1 फरवरी, 1973 को या इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को ही प्राप्त होगा ।

2. जो अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी तिथि 1 फरवरी, 1973 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गये हैं उनके मामलों में पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी दो वर्ष के लिए पेंशन स्वीकृत करने के लिए सक्षम नहीं हैं । अत: ऐसे कर्मचारियों को 6 माह से अधिक अवधि के लिए औपबंधिक पेंशन भुगतान हेतु वित्त विभाग के परिपत्र सं० पेन–1032/67–8739 वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 के शर्तों के अनुसार – महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होगी जिसके लिये उनसे अनुरोध करना चाहिये । इसके प्राप्त होने पर ही कोषागार द्वारा 6 माह से अधिक अवधि के लिए औपबन्धिक पेंशन का भुगतान होगा ।

3. जैसा कि वित्त विभाग के आदेश संख्या पी०सी० 107/73-3506, दिनांक 1 मई, 1973 में निर्णय हो चुका है राजपत्रित पदाधिकारियों को औपबन्धिक पेंशन का भुगतान किसी भी अवधि के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र पर ही होगा । **[*वित्त विभाग ज्ञाप सं० पी०सी०–107/74-5659 वि०, दिनांक 28-6-1973]**

6.

***विषय : औपबन्धिक रूप में पारिवारिक पेंशन का भुगतान ।**

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन–1032/67-8739 एफ०, दिनांक 13-7-1967, पी०सी० 107/73-500 वि०, दिनांक 1-2-1973 एवं पी०सी० 107/73-3506 वि०, दिनांक 1-5-1973 के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को औपबन्धिक रूप में पेंशन/ग्रेच्युटी देने की व्यवस्था की गई । इधर मृत सरकारी कर्मचारियों को समय पर पारिवारिक पेंशन नहीं भुगतान होने से काफी कठिनाई पैदा हो गई है । मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवार को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अनेक स्रोतों से मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को राहत प्रदान करने की माँग की जा रही है । भारत सरकार ने इस प्रकार के मामले में औपबन्धिक पेंशन देने का उपबन्ध किया है । महालेखाकार, बिहार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए अनुशंसा किया है ।

2. उपर्युक्त तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की भाँति मृत अराजपत्रित सरकारी सेवक के परिवार को 75% पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी दो वर्ष के लिए भुगतान किया जाये । इस भुगतान के लिए महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार- पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

3. मृत अराजपत्रित कर्मचारियों के परिवार को औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृत एवं भुगतान की प्रक्रिया वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन–1032/67-8739 एफ०, दिनांक 13-7-1967 में दिए गए शर्तों के अनुसार

होगी । परन्तु, औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति एवं भुगतान की राशि एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख सम्बन्धित मृत अराजपत्रित कर्मचारी की सेवा-पुस्त में कर देना अनिवार्य है, जिससे दुहरा भुगतान की सम्भावना दूर हो जाये । सेवापुस्त में बिना प्रविष्टि के किसी को औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाये ।

4. सभी लम्बित पारिवारिक पेंशन के मामले का निष्पादन इस आदेश के अनुसार किया जाये । यदि औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान के फलस्वरूप किसी मामले में ओवर पेमेंट (Over payment) हो जाये तो उसकी वसूली बची हुई पेंशन/ग्रेच्युटी या भविष्य से मिलनेवाली पेंशन की राशि से की जायेगी ।

[*वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या पेन–11-40-6/74–1436 वि०, दिनांक 16-2-1974]

7.

***विषय : औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान ।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन–1032/67-8739 एफ०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 के द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई से बचाने के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र के बिना पूरे पेंशन/ग्रेच्युटी के 75 प्रतिशत पेंशन/ग्रेच्युटी औपबन्धिक रूप में स्वीकृत करने एवं भुगतान करने की सुविधा दी गई हैं । पहले यह सुविधा तिथि 1 अप्रील, 1967 से सिर्फ 6 माह के लिए दी गई थी । परन्तु, तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिश द्वारा उक्त सुविधा को और उदार कर दिया है और औपबन्धिक पेंशन के भुगतान की अवधि छः माह से बढ़ाकर दो वर्ष के लिए कर दी गयी । यह सुविधा वित्त विभाग के ज्ञापांक पी०सी० 107-73-500 के द्वारा तिथि 1 फरवरी, 1973 से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को दी गई है । फिर भी समाचार पत्रों एवं अभिवेदनों के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि पेंशन मामलों के अन्तिम रूप से निष्पादन में काफी विलम्ब होता है जिससे पेंशनरों की आर्थिक कठिनाई बढ़ती जा रही है । औपबन्धिक पेंशन भुगतान की अवधि समाप्त होने पर भी अनेक मामलों का अन्तिम निष्पादन नहीं हो पाता है । इस समस्या को सुलझाने के लिए तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति ने सुझाव दिया था कि दो वर्ष औपबन्धिक पेंशन भुगतान की अवधि की समाप्ति के बाद अगर पेंशन मामलों का निष्पादन अन्तिम रूप में नहीं हो जाता है तो पूरा पेंशन स्वतः इस अवधि के बाद पेंशनर को मिलने लगेगा ।

(2) सरकार ने तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति के उक्त सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है –

(क) तिथि 1 फरवरी, 1973 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन का भुगतान दो वर्षों के लिए किया जाता है ।

अब यह निर्णय लिया गया है कि अगर दो वर्षों की औपबंधिक पेंशन के भुगतान की अवधि समाप्त होने तक, महालेखाकार का पेंशन भुगतान प्राधिकार-पत्र निर्गत नहीं हो सके तो उक्त दो वर्षों की अवधि के बाद पूरे पेंशन (अर्थात् शत-प्रतिशत) को औपबंधिक रूप में स्वीकृत कर पूर्ववत् महालेखाकार के प्राधिकार पत्र के बिना भुगतान किया जाये । यह भुगतान महालेखाकार के अन्तिम पेंशन भुगतान प्राधिकार पत्र निर्गत होने तक कायम रहेगा । इसके लिए विशेष आदेश विहित प्रपत्र (प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट-1) में निर्गत किया जाये जो महालेखाकार को सम्बोधित रहे एवं उसे निबंधित डाक (Registered Post) के माध्यम से भेजा जाये ।

(ख) पूरे पेंशन को औपबंधिक रूप में स्वीकृत करते समय पेंशनर से एक घोषणा पत्र विहित प्रपत्र (प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट-2) में प्राप्त कर लिया जाये जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित रहे कि पूरे पेंशन भुगतान करने के फलस्वरूप यदि अधिक भुगतान हो जाये तो उसका सामंजन शेष 25 प्रतिशत पेंशन/ग्रेच्युटी या भविष्य में प्राप्त पेंशन से कर लिया जाएगा ।

(ग) जैसे ही कोषागार में महालेखाकार द्वारा निर्गत पेंशन भुगतान प्राधिकार पत्र प्राप्त हो जाये और उस आधार पर पेंशनर, पेंशन प्राप्त करने के लिए कोषागार में विपत्र दाखिल करें तो उप-कोषागार पदाधिकारी को चाहिए कि वे पेंशन के अधिक भुगतान की अधिकाई का सामंजन पेंशन तथा शेष 25 प्रतिशत ग्रेच्युटी से कर लें । तद्नुसार कोषागार पदाधिकारी औपबंधिक पेंशन भुगतान करने वाले प्राधिकारी से औपबंधिक पेंशन भुगतान की राशि एवं अवधि सम्बन्धी सूचना विहित प्रपत्र (प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट-3) में प्राप्त कर ले जिससे पेंशन/ग्रेच्युटी के भुगतान की राशि का सामंजन हो सके ।

(घ) महालेखाकार प्राधिकार पत्र निर्गत करते समय स्पष्ट रूप से प्राधिकार पत्र में अंकित कर दें कि औपबंधिक पेंशन/ग्रेच्युटी की भुगतान की राशि का सामंजन कर भुगतान किया जाये ।

(ङ) महालेखाकार प्राधिकार पत्र निर्गत करते समय इसकी सूचना पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को अवश्य निबंधित डाक से दें जिससे पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी औपबंधिक रूप में भुगतान की गई राशि की जाँच कर ले और इसकी सूचना सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी को दे दें । ऐसा करने से औपबंधिक पेंशन का भी सामंजन हो जायेगा और पेंशन भुगतान में विलम्ब नहीं होगा । भुगतान करते समय पेंशनर से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि वे महालेखाकार के प्राधिकार पत्र पर पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं ।

(3) (i) उपयुक्त पद्धति के लागू होने से पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेवारी अधिक बढ़ जाती है । उन्हें चाहिए कि पेंशन कागजात को महालेखाकार के पास समय भेजकर दो वर्ष की औपबंधिक पेंशन की समाप्ति होने के पहले ही अन्तिम पेंशन के लिए प्राधिकार पत्र महालेखाकार से निर्गत करा लें । महालेखाकार भी यह सुनिश्चित कर लें कि दो वर्ष की औपबन्धिक पेंशन भुगतान की अवधि समाप्त होने के बहुत पहले ही पेंशन मामलों में प्राधिकार पत्र अन्तिम रूप से निर्गत हो जाये ।

(ii) सरकार की यह घोषित नीति है कि निवृत्ति प्राप्त सरकारी सेवकों को निवृत्ति के एक माह के अन्दर ही पेंशन/ग्रेच्युटी का प्राधिकार पत्र मिल जाये । फिर भी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दो साल के लिए औपबन्धिक पेंशन देने की व्यवस्था की है । सरकार आशा करती है कि उक्त अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही निवृत्ति प्राप्त सरकारी सेवकों के पेंशन मामले का अन्तिम निस्तार हो जायेगा एवं वास्तव में बहुत कम ही मामले में दो साल के बाद भी औपबन्धिक तौर पर शत-प्रतिशत पेंशन देना आवश्यक होगा । जहाँ दो साल के अन्दर पेंशन मामले का अन्तिम निष्पादन नहीं हो सके ऐसी स्थिति में पेंशन की स्वीकृति में दो साल से अधिक विलम्ब होने के कारण की जाँच की जाये और इसके लिए जिम्मेवारी निर्धारित की जाये एवं जिम्मेवारी यदि प्रमाणित हो तो सम्बन्धित सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाये ।

(4) ग्रेच्युटी के औपबन्धिक भुगतान पूर्ववत् 75 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे । पूरे औपबंधिक पेंशन की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन–1032/8739 वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 के साथ संलग्न प्रपत्र में किया जायेगा ।

(5) राजपत्रित कर्मचारियों के मामले में भी महालेखाकार द्वारा उपर्युक्त पद्धति के अनुसार औपबन्धिक पेंशन भुगतान करने की कार्यवाही की जाये । प्रथम दो वर्षों तक औपबंधिक पेंशन भुगतान करते समय उसके बाद पूर्ण पेंशन प्राप्त करने की राशि को अंकित कर दिया जाये जिससे भविष्य में भुगतान में कठिनाई नहीं हो ।

(6) यह सुविधा पारिवारिक पेंशन में लागू नहीं होगी ।

परिशिष्ट 1

शत-प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन स्वीकृत करने का प्रपत्र

(देखें कंडिका 2 क)

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार ।

विषय : श्री .... को औपबन्धिक रूप में पेंशन की स्वीकृति ।

2. पदाधिकारी से सम्बन्धित ब्योरा –

(क) पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं विभाग
(ख) सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि
(ग) सेवानिवृत्ति की तिथि
(घ) कुल पेंशन प्रदायी सेवा अवधि
(ङ) सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त वेतन, विशेष वेतन आदि
(च) अनुमानित पेंशन की राशि
(छ) 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन की माहवारी राशि एवं अवधि जिसकी स्वीकृति पहले दी जा चुकी है ।

आदेश : (i) श्री .... को रु० ....
(शब्दों में ....) प्रतिमाह की दर से दिनांक .... से शत-प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन वित्त विभाग के आदेश संख्या 3349 दिनांक 2 अप्रील, 1974 के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार इसका भुगतान महालेखाकार, बिहार द्वारा भुगतान प्राधिकार-पत्र निर्गत करने तक होगा।

(ii) औपबंधिक पूरे पेंशन का भुगतान .... कोषागार से किया जायेगा।

(iii) महालेखाकार, बिहार द्वारा जैसे ही पूर्ण पेंशन की राशि के लिए पेंशन भुगतान आदेश निर्गत होगा इस आदेश द्वारा स्वीकृत औपबन्धिक पेंशन का भुगतान समाप्त हो जायेगा।

(iv) यदि बाद में यह पाया जाये कि स्वीकृत औपबन्धिक पेंशन की राशि महालेखाकार, बिहार द्वारा नियमत: निर्धारित अनुमान्य पेंशन की राशि से अधिक है तो इस अधिकाई का सामंजन शेष 25 प्रतिशत पेंशन/ग्रेच्युटी तथा भविष्य में मिलने वाले पेंशन से कर लिया जायेगा।

(v) यह खर्च बजट शीर्षक 277-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ अधिवार्षिकी सेवानिवृत्त भत्ते में 19 . ... 19 विकलनीय है।

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं पदनाम।
दिनांक

ज्ञाप संख्या

प्रतिलिपि कोषागार, पदाधिकारी, कोषागार .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार से जैसे ही भुगतान प्राधिकार प्राप्त हो, इस आदेश के आधार पर भुगतान बन्द कर दिया जाये कि औपबन्धिक स्वीकृति प्राधिकारी से भुगतान सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर भुगतान की राशि एवं अधिक भुगतान की राशि का सामंजन कर लिया जाये। सामंजन के पश्चात् ही भुगतान प्रारम्भ किया जायेगा।

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं पदनाम।
दिनांक

ज्ञाप संख्या

प्रतिलिपि ....
(सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी का नाम एवं पता)
को सूचनार्थ अग्रसारित।

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी का
हस्ताक्षर एवं पदनाम।

परिशिष्ट 2

पूरे पेंशन औपबन्धिक रूप में प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का घोषणा-पत्र

(देखें कंडिका 2 ख)

मैं ....
(सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम)

मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूरे पेंशन की राशि रु० .... (अक्षर में) औपबन्धिक रूप में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र निर्गत होने तक जो स्वीकृत एवं भुगतान किया जाये, अगर बाद में औपबन्धिक रूप में स्वीकृत पेंशन की उक्त राशि महालेखाकार द्वारा नियमत: निर्धारित अनुमान्य पेंशन की राशि जिनका मैं हकदार रहूँगा, से अधिक पायी जाये, तो औपबन्धिक रूप में स्वीकृत एवं भुगतान की राशि एवं अधिक राशि का समांजन मेरे शेष 25 प्रतिशत पेंशन/ग्रेच्युटी एवं भविष्य में मिलने वाले पेंशन से कर लिया जाये। मैं इसके लिए

किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करूँगा । साथ ही महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र पर प्रथम भुगतान लेने के पूर्व में सूचना पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को दे दूँगा ।

अभिप्रमाणित

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित पदाधिकारी एवं पदनाम

सेवानिवृत्ति सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम

टिप्पणी : घोषणा-पत्र राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए ।

परिशिष्ट 3

कोषागार पदाधिकारी को पूरे औपबन्धिक भुगतान की गई राशि सम्बन्धी सूचना प्रपत्र

(देखें कंडिका 2 ग)

सेवा में,

कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी,

....

विषय : श्री ....

(नाम एवं पदनाम)

पूरे पेंशन औपबन्धिक रूप में स्वीकृत एवं भुगतान की गई राशि की सूचना ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे यह सूचित करना है कि श्री .... (नाम एवं पदनाम) सरकारी सेवा से तिथि .... को सेवानिवृत्त हुए । उन्हें औपबन्धिक रूप में पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है :-

1. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी का नाम एवं पदनाम
2. पेंशन की राशि
3. कुल डी०सी०आर० ग्रेच्युटी की राशि
4. 75 प्रतिशत पेंशन की दर एवं भुगतान की अवधि
5. 75 प्रतिशत डी०सी०आर० ग्रेच्युटी की राशि
6. (क) शत-प्रतिशत पेंशन की राशि जिसे औपबन्धिक पेंशन के रूप में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र के रूप में निर्गत करने तक स्वीकृत किया गया है ।

   (ख) शत-प्रतिशत पेंशन के भुगतान की अवधि कब से कब तक ।
7. भुगतान की गई कुल राशि जिसका सामंजन (स्तम्भ 4, 5 एवं 6 का योग के आधार पर)

2. यह अनुरोध किया जाता है कि भुगतान की राशि का सामंजन शेष 25 प्रतिशत पेंशन/ग्रेच्युटी एवं भविष्य में मिलने वाले पेंशन से कर लिया जाये ।

विश्वासभाजन,

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी का

हस्ताक्षर एवं पदनाम

दिनांक

ज्ञाप संख्या

प्रतिलिपि श्री .... (सेवानिवृत्त सेवक का नाम एवं पता) को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी का
हस्ताक्षर एवं पदनाम

[*ज्ञाप संख्या P.C.–11-40 1/74-3349 वि०, दिनांक 2-4-1974]

8.

***विषय : औपबन्धिक रूप में पारिवारिक पेंशन का भुगतान ।**

वित्त विभाग ज्ञाप पेन–11-40-6/74-1436, दिनांक 15 फरवरी, 1974 की कंडिका (2) में मृत अराजपत्रित सरकारी सेवकों के परिवारों को 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन/उपदान दो वर्षों तक भुगतान करने का जो प्रावधान है वह ऐसे सभी पारिवारिक पेंशन/उपदान सम्बन्धी मामलों में लागू होगा जो 15 फरवरी, 1974 के पूर्व या उसके पश्चात् विभागों/कार्यालयों में स्वीकृति हेतु लम्बित है । परन्तु, औपबन्धिक पेंशन/ ग्रेच्युटी की स्वीकृति की एक मुख्य शर्त्त यह है कि भुगतान की राशि एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख कार्यालय प्रधान द्वारा सम्बन्धित मृत अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवा-पुस्ती में कर देना होगा जिससे दोबारा भुगतान की संभावना दूर हो जाये । अत: सेवा-पुस्ति में बिना प्रविष्टि के किसी को औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाये एवं जब तक सेवा-पुस्ती उपलब्ध नहीं होती है तब तक इस औपबंधिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी की स्वीकृति रोक रखी जाये । इस प्रकार के मामलों में पेंशन कागजात महालेखाकार को भेजने के पहले ही औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी की स्वीकृति दी जाये एवं उसकी प्रविष्टि सेवा-पुस्ती में कर देनी होगी । **[*ज्ञाप संख्या 11-40-6/74-4516 वि०, दिनांक 13-5-1974]**

9.

***विषय : औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान ।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक पी०सी० 11-40-1/74/3349 वि० दिनांक 2-4-1974 में निहित आदेश उन अराजपत्रित कर्मचारियों पर ही लागू है जो तिथि 1-2-1973 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं । पूरे पेंशन औपबन्धिक रूप में कार्यालय प्रधान द्वारा ही विहित प्रपत्र में स्वीकृत किया जायेगा । **[*वित्त विभाग, संख्या पी०सी० 11-40-1/74/11641, दिनांक 7-11-1974]**

10.

***विषय : बाह्य सेवा (फोरन सर्विस) में प्रतिनियुक्त सरकारी सेवक की निवृत्ति के पश्चात् 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन की ग्रेच्युटी का भुगतान ।**

एक प्रश्न उपस्थित हुआ है कि प्रतिनियुक्त सरकारी सेवक को बाह्य सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाने पर उनके मामले में वित्त विभाग ज्ञापांक पेन-1032/67-8739 एफ०, दिनांक 17 जुलाई, 1967 के अनुसार 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी देय है या नहीं । यदि है तो इसके भुगतान करने के लिए सक्षम कौन होगा ।

2. वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन–1032/67-8731 एफ०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 में उच्च कोटि के सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्णय नहीं है । इस प्रश्न पर विचार करने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो राजपत्रित या अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति रहते हुए सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 13 जुलाई, 1967 के अनुसार औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी देय है । उनके मामले में लेखा परीक्षा पदाधिकारी (ऑडिट ऑफिसर) पैतृक कार्यालय/विभाग (पैरेन्ट ऑफिस डिपार्टमेंट) के कार्यालयाध्यक्ष (हेड ऑफ ऑफिस) द्वारा औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी । **[*वित्त विभाग ज्ञाप संख्या पेन–101-72- 12204 वि०, दिनांक 30-9-1972]**

205. पूर्ववर्ती नियम के खंड (क) या (ख) के मामले में यदि महालेखापाल यह समझे कि सरकारी सेवक केवल उपदान का ही हकदार होगा तो ऐसे संभावित उपदान का छठा हिस्सा, समान घोषणा के बाद उसे प्रतिमास भुगताया जाएगा, जबतक कि रकम अन्तिम रूप से तय न हो जायें ।

206. प्रत्याशा-पेंशन के भुगतान की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिये कि जिस महीने में सरकारी सेवक निवृत्त होने वाला हो उस महीने के अनुवर्ती महीने की पहली तारीख तक भुगतान अवश्य हो जाये।

207. यदि नियमित जाँच-पड़ताल पूरी हो जाने पर यह पाया जाये कि इस प्रकार संक्षिप्त रूप से दी गई पेंशन और अन्तिम रूप से तय की गई पेंशन में अन्तर पड़ता है, तो बाद के प्रथम भुगतान में अन्तर को अवश्य समंजित कर दिया जायेगा;

परन्तु, यदि नियम 205 के अधीन संक्षिप्त रूप से दिया गया उपदान, जाँच पूरी होने के बाद वस्तुतः देय पाई गई रकम से अधिक सिद्ध हो, तो सरकारी सेवक को, जो अधिक रकम उसे वस्तुतः चुकाई गई हो, वह अध्याय 8 के उपबंधों की अनुकुलता से अन्यथा लौटाना न होगा।

208. नियम 204 के अधीन सौंपे गये क्षेत्राधिकार का प्रयोग महालेखापाल कर सके, इसके लिये वह प्राधिकारी, जिसका कर्त्तव्य पेंशन मंजूर करना हो, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़े कि सरकारी सेवक की निवृत्ति की तारीख तक पेंशन संभवतः मंजूर न हो सकेगी तो, अविलम्ब महालेखापाल को सरकारी सेवक की सेवा, पेंशन की संभावित राशि आदि के संबंध में पूरी जानकारी देगा, जब तक कि ऐसी जानकारी वाले पेंशन कागजपत्र महालेखापाल के पास पहले से ही न हों।

अध्याय–11

पेंशन का भुगतान

प्रकरण 1 : सामान्य नियम

उप-प्रकरण (1) : पेंशन के आरंभ की तारीख

209. विशेष आदेश को छोड़कर, क्षत या असाधारण पेंशन से भिन्न पेंशन, उस तारीख से देय होगी जिस तारीख को पेंशनभोगी स्थापना से हट गया हो या जिस तारीख को उसने आवेदन किया जो, जो भी बाद में हो। इस पिछले विकल्प का उद्देश्य आवेदनों के उपस्थापन में अनावश्यक विलंब को रोकना है। विलंब के लिये संतोषप्रद स्पष्टीकरण होने पर इस संबंध में पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी इस नियम को शिथिल कर सकता है।

टिप्पणी : जो सरकारी सेवक नियम 114 (क) के अधीन सूचना के बदले उपदान प्राप्त कर चुका हो, उसे उस अवधि के लिये, पेंशन देय न होगी जिस अवधि के लिये उसे उपदान दिया जा चुका है।

[**समीक्षा** : इस नियम के प्रावधानों में संशोधन हेतु नियम 204 के नीचे राज्य सरकार के निर्णयों को देखें।]

राज्य सरकार का निर्णय –

***विषय : उन सरकारी सेवकों को पेंशन की स्वीकृति जिनकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के बाद किन्तु पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन करने के पहले हो जाती है।**

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 189 के साथ पठित उस नियमावली के नियम 193, 199 (ए) (3) और 209 के अनुसार पेंशन की स्वीकृति सम्बन्धित सरकारी सेवक से औपचारिक आवेदन पत्र की प्राप्ति पर ही दी जाती है जिसे बिहार पेंशन नियमावली के नियम 193 की टिप्पणी के अनुसार घोषणा भी देनी होती है। नियमावली के नियम 189 के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद भी, जिसके अनुसार वास्तविक या पूर्वकल्पित निवृत्ति तिथि के काफी पहले पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन पत्र देना आवश्यक है, समय-समय पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिनमें सरकारी सेवकों की मृत्यु सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद या कुछ समय बाद हो गई है और वे पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन पत्र भी नहीं दे पाये हैं। अब प्रश्न है कि ऐसे मामलों में सम्बद्ध सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि तक पेंशन मंजूर की जाये और उनके उत्तराधिकारियों को बकाया दे दिया जाये या नहीं।

2. राज्य सरकार ने पूर्वोक्त प्रश्न पर सावधानी से विचार करके निर्णय लिया है कि वह प्राधिकारी, जो मृत सरकारी सेवक की पेंशन मंजूर किया होता यदि मृत्यु-पूर्व औपचारिक आवेदन-प्राप्त हो जाता, पूर्वोक्त कंडिका-1 में कथित बिहार पेंशन नियमावली के नियमों के प्रावधानों को शिथिल करके सरकारी सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से उसकी मृत्यु की तिथि तक पेंशन और/या उपदान मंजूर कर सकता है मानो सरकारी सेवक ने सेवानिवृत्ति के पहले औपचारिक आवेदन कर दिया था, बशर्ते कि सेवानिवृत्ति और मृत्यु के

बीच समय-पार्थक्य छह महीने से अधिक न हो। फिर भी, छह माह से अधिक समय पार्थक्य के मामले निर्णयार्थ वित्त विभाग को भेजे जायेंगे। इस कंडिका के अनुसार मंजूर की गई पेंशन और/या उपदान नियमों के सामान्य प्रावधानों के अनुसार मृतक के उत्तराधिकारियों को दिया जा सकेगा। [*ज्ञापांक पी 1-1017/ 57/15668 वि०, दिनांक 11 नवम्बर, 1957]

210. पूर्ववर्ती नियम साधारण मामलों में ही लागू होता है, खास मामलों में नहीं। यदि खास परिस्थितियों में, सरकारी सेवक की निवृत्ति के बहुत बाद पेंशन मंजूर की जाये, तो सरकार के विशेष आदेश के बिना पेंशन भूतलक्षी प्रभाव से न दी जायेगी; विशेष आदेश रहने पर ऐसे पेंशन मंजूरी की तारीख से ही देय होगी।

211. जहाँ क्षत या आघात पेंशन के लिये आवेदन करने में काफी विलंब हो गया हो वहाँ ऐसी पेंशन चिकित्सक-बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख से ही मंजूर की जायेगी, और उपदान या पेंशन के लिए कोई भी आवेदन पत्र तबतक न लिया जायेगा जब तक कि वह क्षत या आघात की तारीख से पाँच वर्षों के भीतर ही न दिया गया हो।

उप-प्रकरण (2) : भुगतान का स्थान

212. जब पेंशन पौंड में उल्लिखित हो, तब उसका भुगतान होम ट्रेजरी से अथवा यदि पेंशनभोगी भारत में रहता हो, तो उसकी पसन्द से भारत के किसी भी कोषागार से ऐसी विनिमय-दर पर, जो भारत सरकार आदेश द्वारा विहित करे, रुपये में परिवर्तित करके, किया जायगा।

परन्तु निम्न वर्गों के पेंशनभोगी अपनी पसन्द से अपनी पेंशन को जबतक वे भारत में रहे और वहाँ अपना स्थायी आवास बनाए रखें, प्रति रुपये 1 शिलिंग 4 पेंस की दर से रुपये में परिवर्तित कर सकते हैं।

(i) भारत, पाकिस्तान या बर्मा में निवास करनेवाले पेंशनभोगी जो, 1ली फरवरी, 1921 को उक्त दर से परिवर्तित पेंशन पा रहे थे;

(ii) भारत के अधिवासी पेंशनभोगी, जो 1ली फरवरी, 1921 को अस्थायी तौर पर अपनी पेंशन पौंड में पा रहे थे;

(iii) वैसे पेंशनभोगी जो पहली फरवरी, 1921 को सरकारी सेवा में थे और जो उस तारीख को भारत अधिवासी थे;

परन्तु यह और भी कि खंड (1), (2) या (3) में निर्दिष्ट किसी पेंशनभोगी की पेंशन, जिसने अपनी पेंशन के किसी अंश का रूपान्तरण 10वीं अक्टूबर, 1928 के बाद करा लिया हो, इस नियम में पहले यथा उपबन्धित भारत सरकार द्वारा विहित विनिमय दर पर परिवर्तित की जायगी और फलस्वरूप जो पेंशन निकलेगी उसमें जबतक वह भारत, पाकिस्तान या बर्मा में रहे या वहाँ स्थायी आवास बनाए रखे, क्रमश: उक्त दर और 1 शि० 4 पेंशन की दर से परिवर्तित कुल पौंड पेंशन (11वीं अक्टूबर, 1928 के पश्चात् रूपान्तरित किसी अंश को घटाकर) के मूल्य के बीच का अन्तर जोड़ा जायगा।

213. रुपये में उल्लिखित पेंशन का भुगतान भारत सरकार के किसी भी कोषागार से या पेंशनभोगी के पसन्द से –

(i) होम ट्रेजरी से या उसकी मार्फत; अथवा

(ii) बिहार-उड़ीसा सेवा संहिता के परिशिष्ट 18 में वर्णित किसी भी प्राधिकारी द्वारा किया अन्यत्र जायगा।

उपर्युक्त (1) और (2) स्रोतों के प्राप्त पेंशन पौंड में उस दर से परिवर्तित की जाती है जो भारत सरकार विहित करे।

परन्तु जहाँ पेंशनभोगी भारत में (जिसमें इस नियम तथा 214 से 218 तक नियमों के प्रयोजनार्थ बर्मा, लंका, नेपाल, पाकिस्तान और भारत स्थित फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली बस्तियाँ भी शामिल है) रहा हो वहाँ छोड़कर, परिवर्तन की न्यूनतम दर प्रति रुपया 1 शि० 6 पें० होगी।

214. कोई पेंशनभोगी जो भारत में रह रहा हो और जो भारत के बाहर किसी स्थान के लिए, वहाँ निवास करने के अभिप्राय से; प्रस्थान करे, अपनी पेंशन को न्यूनतम दर से भारत छोड़ने की तारीख ही परिवर्तित कराने का हकदार होगा।

215. कोई पेंशनभोगी, जो अपनी निवृत्ति के छ: महीनों के भीतर अन्यत्र निवास करने के विचार से भारत छोड़ दे, वह भारत में जिस तारीख तक पेंशन पा चुका हो, उस तारीख के बाद से अथवा यदि वहाँ कोई

भुगतान न किया गया हो, तो पेंशन के आरंभ की तारीख से अपनी पेंशन की न्यूनतम दर पर परिवर्तित कराने का हकदार होगा।

216. कोई पेंशनभोगी जिसे न्यूनतम दर पर पेंशन परिवर्तित कराने की अनुमति दी गयी हो और भारत को लौट आये तथा होम ट्रेजरी से या उसकी मार्फत अथवा बिहार-उड़ीसा सेवा संहिता के परिशिष्ट 18 में वर्णित प्राधिकारियों में से किसी से अपनी पेंशन पाता रहे, भारत लौटने की तारीख से छ: महीनों तक न्यूनतम दर का फायदा उठा सकेगा।

217. जो पेंशनभोगी न्यूनतम दर का हकदार हो और जिसने 4थी दिसम्बर, 1928 के बाद अपने पेंशन के किसी अंश का रूपान्तरण कराया हो, उसकी पेंशन भारत सरकार द्वारा विहित विनिमय-दर पर परिवर्तित की जायगी और फलस्वरूप जो पेंशन निकलेगी उसमें, जबतक वह न्यूनतम दर का हकदार रहे क्रमश: उक्त दर एवं भारत सरकार द्वारा विहित विनिमय दर पर परिवर्तित पूरी पेंशन (5वीं दिसम्बर, 1928 के पूर्व रूपान्तरित किसी अंश को घटाकर) के मूल्य के बीच का अन्तर जोड़ा जायगा।

218. न्यूनतम दर भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को दिये गये उपदानों पर लागू होगी, किन्तु जहाँ सरकारी सेवक की सेवा जिसे उपदान मंजूर किया जाए, भारत में ही समाप्त हो जाय, वहाँ उसका उपदान भारत में ही भुगताया जायगा।

टिप्पणी : 213 से 218 तक नियमों में निर्दिष्ट प्रति रुपया 1 शि० 6 पें० की न्यूनतम रूपान्तरण दर पर भुगतान की रियायत उन सरकारी सेवकों को अनुमान्य नहीं है जिन्होंने 25वीं नवम्बर, 1949 के बाद सेवा में प्रवेश किया हो।

उप-प्रकरण 3 : इंगलैंड और भारत के बीच अन्तरण

219. भारतीय कोषागार से होम ट्रेजरी में तथा स्वराष्ट्र होम ट्रेजरी से भारतीय कोषागार में पेंशन के रूपान्तरण की अनुमति जब भी वांछित हो, युक्तियुक्त सीमाओं के भीतर दी जायगी।

टिप्पणी : एक स्थान से दूसरे स्थान में इस प्रकार का बार-बार अन्तरण अनुमान्य नहीं है और महालेखापाल उन मामलों को, जहाँ ऐसा प्रतीत हो कि नियम का अनुचित फायदा उठाया जा रहा है, विशेष आदेश के लिए राज्य सरकार के पास भेजेगा।

220. भारत से होम ट्रेजरी में भुगतान के अन्तरण का आवेदन उस महालेखापाल के पास किया जायगा जिसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर भुगतान का कोषागार हो। महालेखापाल अन्तिम वेतन-प्रमाण-पत्र देगा और उसकी दूसरी प्रति, जिस आवेदन-पत्र पर पेंशन मूलत: मंजूर की गई थी, उसके प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि के साथ, भारतीय उच्चायुक्त के पास भेज देगा।

प्रकरण 2 : भारत में भुगतान

221. (क) पेंशन-मंजूरी-आदेश, पेंशन फारम 4 में आवेदनपत्र के प्रथम पृष्ठ की एक प्रतिलिपि के साथ महालेखापाल के पास भेजा जायेगा। वह अपनी रिपोर्ट से उस आदेश को मिलायेगा और यदि भुगतान किसी अन्य लेखापरीक्षा अंचल में किया जाना हो, तो उसकी एक प्रतिलिपि लेखा-परीक्षा पदाधिकारी को भेज देगा।

(ख) जिस व्यक्ति के लिए खंड (क) में निर्दिष्ट फारम का व्यवहार न होता हो, उसके मामले में, पेंशन-भुगतान-आदेश के लिए अपेक्षित जानकारी उस राज्य के महालेखापाल के पास जहाँ भुगतान किया जाना हो, एक अलग पत्र में भेजी जानी चाहिए।

(ग) प्रधान सिपाही के अनुच्च पंक्ति का पुलिस अधीनस्थ पुलिस अवर-कर्मचारी की पेंशन के मामले में, जिसके संबंध में महालेखापाल का अनुमान्यता-प्रमाणपत्र अपेक्षित न हो, पेंशन मंजूरी आदेश महालेखापाल के पास भेजा जाएगा जो उपर्युक्त खंड (क) को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जाँच करेगा और उसमें यथाविहित रीति से उसे पृष्ठांकित करेगा।

टिप्पणी : यदि पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी आवेदनपत्र पर, या आवेदन अग्रसारण पत्र पर अपनी सिफारिश लिखे कि माँगी गई पेंशन स्वीकृत की जाये, तो महालेखापाल दावा सही पाने पर, अविलंब आवश्यक पेंशन भुगतान आदेश निकालेगा और अपनी यह कार्रवाई संबद्ध प्राधिकारी को सूचित करेगा।

राज्य सरकार के निर्णय –

1.

***विषय : पेंशन का स्थानान्तरण ।**

समाचार पत्रों एवं आवेदन पत्रों के माध्यम से पेंशनरों द्वारा पेंशन भुगतान आदेश के स्थानान्तरण में अत्यधिक विलम्ब होने की ओर सरकार का ध्यान समय-समय पर आकृष्ट किया जाता है । कई मामलों में समय पर स्थानान्तरण नहीं होने के कारण महालेखाकार तथा वित्त विभाग के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए नोटिस भी मिला है । यह तो निर्विवाद है कि समय पर पेंशन भुगतान आदेशों (पी०पी०ओ०) का स्थानान्तरण नहीं होने से पेंशनरों की आर्थिक कठिनाई काफी बढ़ जाती है ।

2. बिहार कोषागार संहिता में पेंशन भुगतान आदेशों (पी०पी०ओ०) का स्थानान्तरण का समुचित प्रावधान है, यथा –

(i) भारत के अन्दर एक राज्य से दूसरे राज्य में पेंशन का स्थानान्तरण –

बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 340 एवं 341 में इस प्रकार के पी०पी०ओ० स्थानान्तरण का स्पष्ट प्रावधान है । इन नियमों के अनुसार सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारियों का यह दायित्व है कि पेंशन स्थानान्तरण के आवेदन पत्र प्राप्त होते ही पेंशन भुगतान आदेश (पी०पी०ओ०) के दोनों अर्द्ध भागों को अद्यतन भुगतान प्रमाण पत्र के सहित महालेखाकार बिहार, पटना को भेज दें । इसकी प्राप्ति के पश्चात् महालेखाकार, बिहार, पी०पी०ओ० का स्थानान्तरण वांछित स्थान पर अपने स्तर से कर दें ।

(ii) राज्य के अन्तर्गत पेंशन का स्थानान्तरण –

बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 342 एवं 343 इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट है । सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि अपने स्तर से ही वे पी०पी०ओ० को आवेदित कोषागार/ उप-कोषागार से भुगतान प्राप्त करने हेतु स्थानान्तरण कर दें । यथासमय उन्हें महालेखाकार को सूचित भी कर देना है ।

"राज्य सरकार के पेंशन पानेवाले असैनिक कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान करने की योजना अन्तर्गत स्थानान्तरण का प्रावधान नियम 15 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है । इसके अतिरिक्त पेंशन स्थानान्तरण का प्रावधान बिहार पेंशन नियमावली के नियमों में भी उपलब्ध है ।"

3. पेंशन स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार पी०पी०ओ० स्थानान्तरण करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व सम्बद्ध कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारियों का है । कोषागार पदाधिकारियों द्वारा विलम्ब के फलस्वरूप ही पी०पी०ओ० के स्थानान्तरण में विलम्ब होता है । विलम्ब का यह भी कारण है कि कोषागारों में पी०पी०ओ० के अर्द्धकटी सही रूप में नहीं रखे जाते हैं । फलस्वरूप पेंशनरों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है । सरकार पेंशनरों को समय पर पेंशन भुगतान करवाने के लिए कृत संकल्प है और इसी उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए पेंशन नियमों को काफी सरल किया गया है । ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लेने की कृपा किया है –

(i) कोषागार/उप-कोषागारों में पी०पी०ओ० के अर्द्धभाग को संभाल कर रखा जाये ।

(ii) जैसे ही पेंशनर पी०पी०ओ० का स्थानान्तरण करने का आवेदन देता है, उसे अविलम्ब स्थानान्तरण सम्बन्धी नियमानुसार निष्पादित किया जाये । अगर भुगतान राज्य के बाहर प्राप्त करने का आवेदन हो तो अविलम्ब पी०पी०ओ० के दोनों भाग महालेखाकार, बिहार के पास निबन्धित डाक द्वारा भेज दिया जाये ।

4. भविष्य में पी०पी०ओ० के स्थानान्तरण में विलम्ब होने की शिकायत मिलने पर कृपया तुरन्त जाँचकर आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी एवं सम्बद्ध कोषागार के कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाये ।

5. यह अनुरोध है कि अपने सभी अधीनस्थ कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारियों को इन आदेशों से अवगत करा दिया जाये । इसे सरकार का स्थायी आदेश समझा जाये । महालेखाकार, बिहार, पटना/राँची को भी इस आदेश से अवगत करा दिया गया । **[*वित्त विभाग, ज्ञाप सं० 2-9-20/78-5484 वि०, दिनांक 1-5-1978]**

2.

***विषय : पाकिस्तान में रहनेवाले व्यक्तियों को भारत में पेंशन की अदायगी ।**

सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है कि कुछ पेंशनर जो पाकिस्तान के अनिवासी हैं स्वयं या अपने अभिकर्त्ताओं के द्वारा भारत के कोषागारों से अपनी पेंशन की निकासी करते हैं । राज्य सरकार का अनुमान है कि ऐसी बातें बिहार राज्य में भी हो सकती हैं । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947– यथासंशोधित, की धारा 5 के अनुसार बिना भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को कोई अदयगी या पावना की स्वीकृति नहीं दी जाती है । अत: बिना भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के अनिवासियों या उनके अभिकर्त्ताओं के पेंशन अदाय करना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है ।

2. बिना भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के अनिवासी या उसके अभिकर्त्ताओं को पेंशन–अदायगी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि कोषागार पदाधिकारी और अन्य पेंशन व्ययन पदाधिकारी किसी व्यक्ति को पेंशन देते समय अपना समाधान कर लें कि वह व्यक्ति भारत का निवासी है और संदेह होने पर पेंशनर से निवास–प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए जोर डालें । साधारण तौर पर भारत में रहनेवाला पेंशनर भारत का निवासी माना जाए । यदि यह पता लगे कि पेंशनर पाकिस्तान का निवासी है तो जबतक वह स्वयं या अपने अभिकर्त्ता द्वारा पेंशन प्राप्त करने वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष अनुमति न प्राप्त कर ले तब तक पेंशन न दी जाए ।

3. बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 359 में उल्लिखित किसी प्राधिकारी से प्राप्त पूर्वोक्त कंडिका 2 (1) में यथापेक्षित निवास–प्रमाणपत्र को इस प्रयोजन के लिए विधिसंगत माना जाए । [***ज्ञापांक पी 1-1023/59-18618 वि०, दिनांक 18-9-1959]**

222. यदि पेंशन का भुगतान इस राज्य में किया जाना हो, तो महालेखापाल जिस जिले में पेंशन का भुगतान किया जाना हो, उस जिले के कोषागार–पदाधिकारी के पास विहित फारम (पेंशन फारम 5) में पेंशन–भुगतान 5 आदेश भेजेगा ।

टिप्पणी : हरेक पेंशन–भुगतान–आदेश के साथ एक वैलेट रहेगा जिसे वितरण पदाधिकारी संबद्ध पेंशनभोगी को दे देगा, ताकि पेंशन–भुगतान आदेश के पेंशनभोगी संबंधी अद्धांश के लिए उसका उपयोग हो ।

223. महालेखापाल से प्राधिकार–पत्र प्राप्त होने पर उपदान का भुगतान एकमुश्त किया जाता है, किस्तों में नहीं । (बिहार कोषागार–संहिता का नियम 384 भी देखें ।)

224. राज्य सरकार के विवेक से या पाने वाले के आवेदन पर राज्य सरकार की मंजूरी से उपदान आजीवन–वार्षिकी में या अस्थायी आजीवन वार्षिकी में या ऐसे वार्षिकी में जो नियत वर्षों तक देय होगी और वार्षिकी–ग्राही की मृत्यु हो जाने पर शेष राशि उसके उत्तराधिकारियों को देय होगी, परिवर्तित किया जा सकता है । आजीवन वार्षिकी की राशि "असैनिक पेंशन (रूपान्तरण) नियमावली" के अधीन विहित तालिका के आधार पर नियत की जायेगी तथा अस्थायी आजीवन–वार्षिकी की राशि, हर मामले में, भारत सरकार के जीवनांकित के परामर्श से उसी ब्याज–दर और मरण–अनुपात को मानकर नियत की जाएगी, पर, जिस पर "असैनिक पेंशन (रूपान्तरण) नियमावली" के अधीन विहित तालिका आधारित हो (देखें परिशिष्ट 3) ।

225. राज्य सरकार उपदान को वार्षिकी में परिवर्तित करने के लिये कभी आग्रह न करेगी जबतक कि सक्षम चिकित्सा–प्राधिकारी ऐसी रिपोर्ट न दे कि सरकारी सेवक के जीवन की आशा औसत के बराबर है ।

226. पेंशन किसी दीवानी न्यायालय द्वारा कुर्क नहीं की जा सकती; देखें अधिनियम 23, सं० 1871 का प्रकरण 2 जो नीचे उद्धृत है –

"धारा 11 – राजनीतिक विचारों से अथवा अतीत सेवा या वर्त्तमान दुर्बलता के कारण या अनुकम्पा भत्ते के रूप में सरकार द्वारा प्रदत्त या जारी रखी गई कोई पेंशन और ऐसी पेंशन या भत्ते के मद्दे देय या देय होने वाली कोई भी रकम, ऋणदाता की प्रेरणा से, भारत के किसी न्यायालय की आदेशिका द्वारा पेंशनभोगी के विरुद्ध किसी माँग के लिये अथवा ऐसी किसी न्यायालय की डिग्री के भुगतान या आदेश के निष्पादन में जब्त, कुर्क या समपहृत न की जायेगी ।"

227. पेंशन-भुगतान संबंधी विस्तृत प्रक्रिया बिहार कोषागार संहिता के अध्याय 5, प्रकरण 6 में दी गई है ।

प्रकरण 3 : इंगलैंड में भुगतान

228. जब किसी ऐसे सरकारी सेवक को पेंशन प्रदान की जाय जो अपनी पेंशन का भुगतान उसके आरंभ की तारीख से होम ट्रेजरी से होने की इच्छा प्रकट करे तब महालेखापाल को पेंशन–प्रदान की मंजूरी प्राप्त होने पर,

अन्तिम वेतन-प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए और उनकी दूसरी प्रति, पेंशन-सम्बन्धी आवेदनपत्र के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि और राज्य सरकार या पेंशन-प्रदान करने वाले अन्य पदाधिकारी के आदेश की प्रतिलिपि के साथ, भारतीय उच्चायुक्त के पास अग्रसारित करना चाहिए। अग्रसारणपत्र में बराबर यह अनुरोध किया जाना चाहिए कि भुगतान किसी खास तारीख से किया जाय और तारीख अन्तिम वेतन प्रमाणपत्र से निश्चित की जाए।

229. यदि पेंशन पूर्णतः आम राजस्व पर भारितव्य न हो तो प्रमाणपत्र में सावधानीपूर्वक यह लिख दिया जायगा कि यह किसी पर कैसे भारित होगी।

230. होम ट्रेजरी से भुगताई गई पेंशन के किसी पुनरीक्षण की सूचना भारतीय उच्चायुक्त को इस तरह दी जानी चाहिए कि पेंशनभोगी को सूचना मिलने के पहले उसके पास सूचना पहुँच जाय।

प्रकरण 4 : उपनिवेश में भुगतान

उप-प्रकरण (1) : सामान्य

231. इस प्रकरण के नियम इस नियमावली के किसी भी अध्याय के नियमों के अधीन मन्जूर पेंशनों पर लागू होंगे। बिहार-उड़ीसा सेवा संहिता के परिशिष्ट 18 में नामित किसी उप-निवेश में रहने वाले पेंशनभोगी की पेंशन का भुगतान वहाँ किया जा सकता है।

टिप्पणी : किसी उपनिवेश में पेंशन का भुगतान विदेशी विनिमय के विषय में उन प्रतिबन्धों के अधीन रहेगा जो भारत सरकार समय-समय पर आरोपित करे।

स्पष्टीकरण : (क) यदि सरकारी सेवक पौंड-क्षेत्र का राष्ट्रीय हो, किन्तु भारतीय न हो तो वह किसी भी पौंड-क्षेत्र देश में अपने लिए पेंशन भेज सकता है।

(ख) यदि सरकारी सेवक सुलभ-मुद्रा-देश का राष्ट्रीय हो तो वह केवल अपने ही देश में अपने लिए पेंशन भेज सकता है।

(ग) कोई सरकारी सेवक, चाहे उसकी राष्ट्रीयता जो भी हो, किसी भी पौंड-क्षेत्र देश या सुलभ-मुद्रा-देश में अपने लिये पेंशन भेज सकता है, यदि वह उस देश में स्थायी रूप से निवास करने के लिये प्रस्थान कर रहा हो।

(घ) दुर्लभ-मुद्रा देशों के मामले में पेंशन-विप्रेषण सम्बन्धी विनिमय सुविधायें केवल तभी दी जा सकती हैं जबकि जिस देश में सरकारी सेवक निवृत्त होकर रहने के लिए जा रहा हो। वह देश उसके जन्म तथा स्थायी अधिवास का भी देश हो।

उप-प्रकरण (2) : वारंट का निकालना

232. किसी उपनिवेश में पेंशन-भुगतान का अधिकार पेंशन फारम 6 में वारन्ट होगा जिसे महालेखापाल निकालेगा।

233. हरेक वारंट की प्रतियाँ निकाली जायगी। मूल प्रति, जिस पर पाने वाले का हस्ताक्षर रहेगा, सम्बद्ध औपनिवेशिक प्राधिकारी के पास भेजी जायगी, दूसरी प्रति भारतीय उपायुक्त के पास भेजी जायगी और तीसरी प्रति पाने वाले को सौंप दी जायगी। हरेक भुगतान वारंट की मूल तथा तीसरी प्रति, दोनों की पीठ पर पृष्ठांकित होगा; पाने वाला प्राप्त रकम के लिए पावती देगा। यदि प्रविष्टियों के लिए स्थान न रह जाय, अथवा यदि वारंट खो या नष्ट हो जाय, तो औपनिवेशिक वितरण-पदाधिकारी दूसरा वारंट निकालेगा। उच्चायुक्त के पास वारंट की दूसरी प्रति अग्रसारित करने वाले पत्र में बराबर निम्न जानकारी दी जाए –

(1) क्या पेंशनभोगी उपनिवेश में छुट्टी पर पहले से ही है ?

(2) निवृत्ति की तारीख।

(3) भारत छोड़ने की तारीख।

(4) जन्म की तारीख।

उप-प्रकरण (3) : भुगतान का अन्तरण

234. (क) भारतीय कोषागार से किसी उपनिवेश में, जहाँ भुगतान होम ट्रेजरी के लेखे में समंजित होते हैं, पेंशन के अन्तरण की अनुमति केवल एक बार दी जाती है; किन्तु कोई पेंशनभोगी किसी समय भी भुगतान होम ट्रेजरी के लेखे में समंजित होते हैं, इंगलैंड में भुगतान का अन्तरण करा सकता है, ताकि उसे होम ट्रेजरी से सीधे भुगतान किया जा सके।

(ख) यदि पेंशनभोगी अपनी पेंशन के भुगतान का अन्तरण एक उपनिवेश से दूसरे उपनिवेश में कराना चाहे, तो सरकार, ऐसे अन्तरण को मंजूर करने वाले औपनिवेशिक प्राधिकारियों की कार्यवाहियों की मान्यता देगी जिन्हें पेंशनभोगी अलग से सरकार तथा भारत के उच्चायुक्त को प्रतिवेदन करेगा ।

टिप्पणी : पेंशनों का अन्तरण केवल उन्हीं उपनिवेशों के लिए अनुमान्य है जो बिहार-उड़ीसा सेवा संहिता के परिशिष्ट 18 में उल्लिखित हैं ।

235. भारत में लौटने पर सरकारी सेवक वारन्ट को अपनी प्रति अर्पित कर देगा जो अन्तिम वेतन-प्रमाण-पत्र का काम करेगी ।

राज्य सरकार का निर्णय–

1.

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के तहत् पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति हेतु सरकार के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने के सम्बन्ध में ।**

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में अधोहस्ताक्षरी को इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद पेंशन एवं उपादान स्वीकृत नहीं होने तथा कतिपय अन्य कारणों से इसकी अन्तिम स्वीकृति में विलम्ब होने पर न्यायालय में मुकदमा दायर करते हैं । यह एक ठोस यथर्थ है कि ऐसे मामलों में प्रासंगिक नियमों के पक्ष में होने के बावजूद राज्य सरकार की हार इसलिए हो जाती है कि मुकदमों में प्रशासी विभाग द्वारा या तो ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया जाता है अथवा प्रतिशपथ पत्र बिना वित्त विभाग को दिखाये हुए ही दायर कर दिया जाता है, जिसमें नियम की सही वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है । अपील दायर करने की कार्यवाई भी त्वरित गति से नहीं की जाती है । उक्त सभी स्थितियाँ अवांछित हैं, क्योंकि हर हालत में इसका फलाफल होता है कि राज्य सरकार को पेंशन एवं उपादान की राशि के अलावे ब्याज का भुगतान करने को विवश होना पड़ता है ।

2. अतः अनुरोध है कि राज्य सरकार के विरुद्ध दायर किये गए पेंशन सम्बन्धी सभी मामलों में वांछित कार्रवाई सही समय पर करने, ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने एवं दायर करने के पूर्व उसे वित्त विभाग से अनिवार्यतः दिखा लेने की व्यवस्था कृपया अपने स्तर पर सुनिश्चित की जाय । इसे कारगर एवं अचूक बनाने के लिए प्रत्येक विभाग अपने यहाँ संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के एक पदाधिकारी को उनके सामान्य कार्यों के अतिरिक्त ऐसे मुकदमों में कार्रवाई करने के लिये भी उत्तरदायी बनाया जाय और ऐसे पदाधिकारी के नाम एवं पदनाम की सूचना कृपया वित्त विभाग को अवश्य दी जाय । इसे कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय । [***ज्ञाप सं० पी०सी० 1-2-25/90 1554, दिनांक 23-2-1991]**

अध्याय–12

पेंशन का रूपान्तरण

प्रकरण 1 : सामान्य

236. इस अध्याय के नियम बिहार असैनिक पेंशन (रूपान्तरण) नियम कहलायेंगे । ये राज्य सरकार के नियम विधायी नियंत्रण के अधीन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होंगे ।

237. इन नियमों के उपबन्धों तथा ऐसी शर्तों जिन्हें राज्य सरकार लगाना उचित समझे, के अधीन रहते हुए राज्य सरकार अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी सरकारी सेवक के आवेदन पर उसे एक मुश्त भुगतान के लिए इस नियमावली के अधीन प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली पेंशन के आधे से अनधिक अंश के रूपान्तरण को मंजूरी दे सकती है ।

टिप्पणी : इस नियम के प्रयोजनार्थ यदि असैनिक लेखा-संहिता (सिविल एकाउन्ट कोड), खंड 1 के अनुच्छेद 33(क) के अर्थ में दो विभिन्न सरकारें संबद्ध हों, तो सरकारी सेवक उस सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में समझा जायेगा जिस (सरकार) पर उसकी पेंशन के रूपान्तरित मूल्य का भुगतान भारित होगा, न कि उस सरकार के अधीन जिसने उसकी पेंशन मूलतः मंजूर की थी । किन्तु, जिस तारीख को पेंशन मंजूर की जाए उसके पहले ही यदि रूपान्तरण के लिये आवेदन कर दिया गया हो, तो वह सरकार, जिसके अधीन आवेदक अन्तिम बार स्थायी रूप से नियोजित था, उसके आवेदन को निबटाने में सक्षम होगी ।

[**समीक्षा** : उदार पेंशन नियमावली (परिशिष्ट 5) में निहित नियम के अनुसार स्वीकृत पेंशन की राशि का अधिकतम एक-तिहाई भाग का ही रूपान्तरण किया जा सकता है ।

उदार पेंशन नियमावली जो दिनांक 20-6-1950 से प्रभावी है और पूर्व 1939 प्रविष्टियों को छोड़कर जिन्होंने इस योजना में नहीं रहने का विकल्प दिया है, सभी सरकारी सेवक पर लागू है ।]

238. जिन सरकारी सेवकों पर ये नियम लागू होते हैं उन्हें इस आधार पर कि वे अपनी पेंशन भारत के बाहर या भारत के भीतर पाते हैं, दो वर्गों में विभक्त किया गया है । सुविधा के लिये उन दो वर्गों का नामांकण निम्न प्रकार से किया गया है, (क) इंगलैंड-निवासी पेंशनभोगी, और (ख) भारत-निवासी पेंशनभोगी ।

239. इन नियमों में प्रतिपादित सामान्य सिद्धान्तों के अधीन रहते हुए, इंगलैंड-निवासी पेंशनभोगी की पेंशन के आधे से अधिक अंश के रूपान्तरण की मन्जूरी देने की शक्ति राज्य सरकार ने भारत के उच्चायुक्त को सौंप दी है ।

240. भारत या इंगलैंड-निवासी पेंशनभोगियों की पेंशन के रूपान्तरण की अनुमति दी जाये या नहीं, इसका निर्णय करने में निम्न सिद्धान्तों का अनुसरण किया जायेगा –

(क) बजट-उपबन्ध सबसे पहली बात है जिसे ऐसी रियायत के आवेदन पर विचार करते समय अवश्य ध्यान में रखना चाहिए । जब कुल माँग प्राप्त निधि से अधिक हों, तो आवेदन आवश्यकता-क्रम में सूचीबद्ध किए जाएँगे और जिन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति प्राप्त सबूतों के अनुसार अच्छी हो, उनके अनुरोध दूसरे वर्ष के लिये स्थगित कर दिये जाएँगे और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो, उनके अनुरोध पूर्णत: या अंशत: अस्वीकृत कर दिये जाएँगे । फिर भी, यह कोई निरपेक्ष नियम नहीं है कि जिनकी निजी आर्थिकी स्थिति अच्छी सिद्ध हो, उनके मामले में रूपान्तरण अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

(ख) रूपान्तरण, पेंशनभोगी तथा उसके परिवार के स्पष्ट एवं स्थायी लाभ के लिये होना चाहिये और पेंशन का शेषांश इतना पर्याप्त होना चाहिये कि पेंशनभोगी अपने उचित स्तर पर जीवन-निर्वाह कर सके । उदाहरणार्थ, यदि पेंशनभोगी की एकमात्र आश्रित उसकी पत्नी हो जिसे कोई अपना साधन न हो और जो अपना निर्वाह करने में असमर्थ हो तथा पति की मृत्यु के बाद जिसके पुनर्विवाह की आशा न हो, तो रूपान्तरण के लिए आवेदन इस कारण से न्यायोचित होगा कि पेंशनभोगी एक मकान बना सके जिसमें, उसकी मृत्यु के बाद, उसकी पत्नी रह सके या जो उसकी मृत्यु के बाद उसके लिए आमदनी का जरिया बन सके ।

(ग) भारत निवासी पेंशनभोगियों के मामले में, रूपान्तरण के बाद पेंशन का शेषांश किसी भी मामले में प्रतिमास 20 रु० से कम न होगा ।

(घ) सट्टेबाजी या किसी बड़े कारबार के लिये रूपान्तरण की अनुमति न दी जायेगी । साधारणत: निम्न उद्देश्यों से रूपान्तरण की अनुमति दी जाती है –

(1) ऋण-शोधन ।

(2) निवास-गृहों के निर्माण, खरीद या बड़ी मरम्मत ।

(3) सन्तान-शिक्षा ।

(4) सन्तान का विवाह जिस पर खर्च करना सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार अनिवार्य हो ।

ऋण-शोधन के लिये रूपान्तरण की मंजूरी का उद्देश्य पेंशनभोगी को रूपान्तरित की जाने वाली पेंशन की रकम के बराबर या उससे अधिक ब्याज की बड़ी रकम के भुगतान से तथा मुकदमेबाजी के भय से छुटकारा दिलाना है । ऋण सम्बन्धी संदिग्ध प्रमाणों की अवहेलना की जायेगी, और केवल उन्हीं दायित्वों पर विचार किया जायेगा जिनकी पुष्टि लेख्यात्मक साक्ष्य, जैसे बन्धपत्र आदि, से हो । किसी आवेदन-पत्र पर सिफारिश करने के समय स्थानीय पदाधिकारी लेख्यात्मक साक्ष्य की जाँच करेंगे । इसी प्रकार वे निवासगृह के निर्माण या मरम्मत की आवश्यकता के सम्बन्ध में जाँच करेंगे और विचार करेंगे कि इस काम पर जो रकम खर्च की जाने वाली है, वह उचित है या नहीं । सन्तान की शिक्षा के लिये रूपान्तरण की अनुमति केवल खास-खास परिस्थितियों में ही दी जायेगी, जैसे कि, जब पेंशनभोगी का पुत्र किसी ऐसी शिक्षाचर्या में पूरी तरह प्रविष्ट हो गया हो जिसका खर्च उसका पिता उठा नहीं सकता । भतीजों या अन्य आश्रितों की शिक्षा, रूपान्तरण के लिये वैध कारण न मानी जायेगी । सन्तान के विवाह के लिये रूपान्तरण की अनुमति केवल तभी दी जायेगी जबकि माँगी गई राशि उचित हो और बहुत बड़े पैमाने पर न हो और प्रतीत हो कि रूपान्तरण की अनुमति न देने से पेंशनभोगी ऋणग्रस्त हुए बिना खर्च न उठा सकेगा ।

टिप्पणी : भारत सरकार, वित्त विभाग, संकल्प सं० 55 सी०एस०आर०, तारीख 14 जनवरी, 1921 (परिशिष्ट 4 के रूप में उद्धृत) के अनुसार छोटी पेंशन पाने वालों को दी गई वृद्धियाँ, जिनकी अवधि राज्य सरकार के आदेश के अधीन समय-समय पर बढ़ा दी गई हो, पेंशन के रूपान्तरण के प्रयोजनार्थ सम्मिलित न की जाएगी ।

241. आवेदनपत्र उपस्थापित करते समय आवेदक अपनी आर्थिक स्थिति, रूपान्तरण की आवश्यकता और प्रत्याशित लाभ के बारे में पूरी जानकारी देगा । मंजूरी पदाधिकारी को किसी भी मामले में यथोचित जाँच करने का अधिकार है ।

242. प्रत्याशा-पेंशन के रूपान्तरण के मामले में आवेदक रूपान्तरण के लिये अपने आवेदनपत्र के साथ निम्न फारम में एक घोषणा संलग्न करेगा –

घोषणा-पत्र

चूँकि .... (यहाँ रूपान्तरण मंजूर करने वाले पदाधिकारी का पदनाम लिखें) ने मेरी पेंशन की रकम और फलत: रूपान्तरित किये जाने वाले पेंशन-अंश सरकार द्वारा नियत किये जाने के उद्देश्य से आवश्यक जाँच-पड़ताल पूरी होने की प्रत्याशा में कच्चे तौर पर मुझे प्रत्याशा-पेंशन के अंश के रूपान्तरित मूल्य के रूप में .... रु० देने की सम्मति दी है, इसलिए मैं इसके द्वारा अभिस्वीकार करता हूँ कि इस रकम को लेते हुए मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि अभी दिया जाने वाला रूपान्तरित मूल्य, आवश्यक औपचारिक जाँच पूरी होने के बाद पुनरीक्षित हो सकता है, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे पुनरीक्षण के बारे में मैं इस आधार पर कोई आपत्ति न करूँगा कि प्रत्याशा पेंशन के अंश के रूपान्तरित मूल्य के रूप में मुझे अभी दी जाने वाली कच्ची रकम उस रकम से अधिक है जिसका हकदार मैं अन्तत: पाया जाऊँ । मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उस रकम से, जिसका हकदार मैं अन्तत: पाया जाऊँ, अधिक दी गई रकम, नकद भुगतान कर या बाद में मिलने वाली पेंशन से कटवा कर, लौटा दूँगा ।

प्रकरण 2 : आवेदन पत्रों का उपस्थापन

243. पेंशन के रूपान्तरण का आवेदनपत्र पेंशन फारम 7 के भाग 1 में दिया और निम्न को सम्बोधित किया जाना चाहिए –

(1) यदि आवेदक सेवा में बना हो, अथवा निवृत्त हो गया हो, किन्तु उसकी पेंशन अभी मंजूर न हुई हो, तो जिस कार्यालय में वह हो या नियोजित था, उसके प्रधान और सम्बद्ध कार्याध्यक्ष की मार्फत अथवा यदि आवेदक स्वयं कार्यालय-प्रधान हो या था, तो अपने कार्याध्यक्ष की मार्फत राज्य सरकार को; और

(2) जब आवेदक की पेंशन मंजूर की जा चुकी हो, तब –

(क) यदि वह भारत के किसी कोषागार से पेंशन पाता हो अथवा यदि ऐसे किसी उपनिवेश का, जिसका लेखा केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल के साथ चलता हो, निवासी होते हुए स्थानीय कोषागार से पेंशन पाता हो, तो जिस कार्यालय में वह अपनी निवृत्ति के समय नियोजित था, उसके प्रधान और सम्बद्ध कार्याध्यक्ष अथवा यदि आवेदक स्वयं कार्यालय-प्रधान था, तो अपने कार्याध्यक्ष की मार्फत राज्य सरकार को अथवा

(ख) यदि वह उपखंड (क) में उल्लिखित से अन्यथा अपनी पेंशन पाता हो, तो भारत के उच्चायुक्त को; परन्तु उपखंड (क) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी डोमीनियन या उपनिवेश में रहनेवाले पेंशनभोगी के मामले में आवेदनपत्र, उस पदाधिकारी की मार्फत जिससे पेंशन मिलती हो, उच्चायुक्त को सम्बोधित किया जायेगा ।

[**समीक्षा** : इंगलैंड, डोमिनियन और पहले के उपनिवेशों में पेंशन-भुगतान सम्बन्धी प्रावधान और इंगलैंड में भारत के लिए उच्च आयुक्त के यहाँ आवेदन समर्पित करना अब अप्रचलित हो गया है ।]

244. इंगलैंड निवासी पेंशनभोगियों के बारे में, भारतीय उच्चायुक्त उस चिकित्सा प्राधिकारी को विहित करेगा जिससे शारीरिक स्वास्थ्य और प्रत्याशित जीवन कालावधि के विषय में आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा तथा रूपान्तरण की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में ऐसे अन्य अनुदेशों को, जिन्हें वह आवश्यक समझें, विहित करेगा ।

245. भारत निवासी पेंशनभोगियों के बारे में –

(क) आवेदनपत्र पाने वाला प्राधिकारी, आवेदक द्वारा दिये गये विवरणों का नियम 240 के अनुसार आवश्यक सत्यापन करने के बाद, आवेदनपत्र कार्याध्यक्ष के समक्ष उपस्थापित करेगा;

(ख) कार्याध्यक्ष अपनी सिफारिश लिखेगा और यदि आवेदक को असमर्थता पेंशन प्रदान की गई थी, तो उसके स्वास्थ्य विवरण की एक प्रति संलग्न करेगा या उसकी असमर्थता के कारण बतायेगा;

(ग) आवेदनपत्र को इस तरह पूरा कर राज्य सरकार के वित्त विभाग में भेज दिया जायेगा।

246. राज्य सरकार नियम 240 में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार आवेदनपत्र की जाँच करेगी। यदि आवेदनपत्र में किसी तरह की त्रुटि पायी जाये या यदि उसे किसी आधार पर अस्वीकृत करने का विचार हो, तो यह बात उस प्राधिकारी को तुरंत सूचित की जाएगी जिसने अन्तिम बार सरकार के पास आवेदनपत्र अग्रसारित किया था। किन्तु, यदि आवेदित राशि को पूर्णतः या अंशतः रूपान्तरित करने का निर्णय किया जाए, तो सरकार अपना अन्तिम निर्णय महालेखापाल को सूचित करेगी और आवेदनपत्र उसके पास रिपोर्ट के लिए भेजेगी।

प्रकरण 3 : महालेखापाल की रिपोर्ट

247. महालेखापाल अविलंब पेंशन फारम 7 के भाग 2 को भरेगा और उसे नियम 250 (3) के अन्तिम भाग में वर्णित स्वास्थ्य-रिपोर्ट की प्रतियों के साथ, यदि वे उसके कार्यालय के रेकर्ड में हो, राज्य सरकार के पास भेज देगा।

टिप्पणी : यदि पेंशन का भुगतान बिहार के बाहर किसी कोषागार से किया जाता हो तो बिहार का महालेखाकार, राज्य सरकार को रिपोर्ट देने के पहले जहाँ पेंशन का भुगतान किया जाता हो, उस राज्य के लेखापदाधिकारी से आवश्यक विवरण प्राप्त करेगा।

248. रूपान्तरण के बाद देय एक मुश्तराशि की गणना समय-समय पर सरकार द्वारा विहित वर्तमान मूल्य तालिका के अनुसार की जायेगी। (अभी लागू तालिका के लिये देखें परिशिष्ट 3 ।]

टिप्पणी : ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनका अधिवास, प्रथम नियुक्ति के समय गैर-एशियाई था और जो 8वीं मार्च, 1926 को सरकारी सेवा में थे, रूपान्तरण के बाद देय राशि की गणना भूतपूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेवाओं के पेंशनभोगियों के लिये विहित तालिका के अनुसार की जायेगी।

प्रकरण 4 : प्रशासनिक मंजूरी और स्वास्थ्य-परीक्षा

249. इसके बाद राज्य सरकार पेंशन फारम 7 के भाग 3 में अपनी प्रशासनिक मंजूरी देगी और आवेदक की स्वास्थ्य-परीक्षा की व्यवस्था करेगी।

टिप्पणी : यदि महालेखापाल के भाग 2 वाले प्रमाणपत्र से पता चले कि रूपान्तरण-भार अंशतः अन्य राज्य सरकार पर पड़ता है जिसकी शर्त के अनुसार विधि की प्राप्यता के बारे में उसकी सलाह ली जानी चाहिए, तो मंजूरी प्राधिकारी को प्रशासनिक मंजूरी देने के पहले उस सरकार की सहमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये। ये मद्रास, बम्बई, बंगाल और उत्तर प्रदेश की सरकारें हैं।

250 इसके बाद मंजूरी प्राधिकारी –

(i) यदि नियम 251 में विहित चिकित्सा-प्राधिकारी रिपोर्ट करे कि आवेदक रूपान्तरण पाने योग्य है तो, पेंशन फारम 8 में रूपान्तरण के मद्दे देय एकमुश्त राशि के बारे में पेंशन-फारम 7 के भाग 2 में अन्तर्विष्ट महालेखापाल के प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रति और पेंशन फारम 9 की एक प्रति (जिसका भाग 1 आवेदक अपनी स्वास्थ्य-परीक्षा के पहले भरेगा और चिकित्सा-प्राधिकारी को दे देगा) आवेदक के पास प्रेषित करेगा;

(ii) आवेदक को अनुदेश देगा कि वह आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर अथवा यदि उसने अपनी निवृत्ति की तारीख से पहले ही रूपान्तरण के लिये आवेदन किया हो, तो उस तारीख से तीन महीने के भीतर किन्तु किसी भी दशा में निवृत्ति की वास्तविक तारीख से पहले नहीं, उस चिकित्सा-प्राधिकारी के सम्मुख जाँच के लिए उपस्थित हो;

(iii) पेंशन फारम 9 की एक प्रति और उस फारम के भाग 3 की एक अतिरिक्त प्रति के साथ, भरे हुए पेंशन फारम 7 की मूल प्रति, और यदि आवेदक को असमर्थता प्रदान की गई हो अथवा यदि वह अपनी वास्तविक उम्र में और वर्ष के आधार पर अपनी पेंशन का कोई अंश पहले रूपान्तरित करा चुका हो (या रूपान्तरण स्वीकार करने से इंकार कर चुका हो) या उसे स्वास्थ्य के आधार पर रूपान्तरण की स्वीकृति न दी गई हो, तो उसकी पूर्व स्वास्थ्य-रिपोर्टों या उसके मामले के विवरणों की प्रतिलिपियाँ चिकित्सा- प्राधिकारी के पास भेजेगा।

राज्य सरकार का निर्णय –

*** विषय : वार्धक्य-निवृत्ति पर पेंशन का रूपान्तरण – चिकित्सीय जाँच आवश्यक नहीं।**

सरकार ने राज्य के सरकारी सेवकों को निवृत्ति लाभों की स्वीकृति और अदायगी त्वरित करने के उद्देश्य से

नियमों और प्रक्रियाओं को सरल और कारगार बनाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं । सरलीकरण के अगला कदम के रूप में सरकार ने निर्णय लिया है कि जो सरकारी सेवक वार्धक्य-निवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर पेंशन के रूपान्तरण के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें रूपान्तरित मूल्य प्राप्त करने के लिए बिहार पेंशन (रूपान्तरण) नियमावली के तहत यथापेक्षित चिकित्सीय जाँच नहीं करवानी होगी, परंतु यह छूट बिहार पेंशन (रूपान्तरण) नियमावली और बिहार सरलीकृत पेंशन नियमावली में विहित सीमा तक ही होगी ।

2. वार्धक्य छोड़कर अन्य प्रकार से निवर्तमान व्यक्तियों को ये आदेश लागू नहीं होंगे । ये आदेश उनको भी लागू नहीं होगे जो वार्धक्य निवृत्ति के एक वर्ष के बाद पेंशन-रूपान्तरण के लिए आवेदन करेंगे ।

3. इन आदेशों के तहत पेंशन के रूपान्तरण के लिए आवेदन निवृत्ति की तिथि के बाद किया जायेगा और रूपान्तरण पूर्ण हो जायेगी, यानि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक उक्त तिथि को रूपान्तरित मूल्य पाने को हकदार हो जायेंगे जिस तिथि को उचित माध्यम से उनका आवेदनपत्र वित्त विभाग में प्राप्त हो जायेगा ।

4. उचित समय पर, औपचारिक संशोधन अधिसूचित किया जायेगा ।

5. ये आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे । यह आदेश उनको भी लागू होंगे जो इस परिपत्र के जारी होने के पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, किन्तु वार्धक्य-निवृत्ति के बाद अगली जन्मदिन-आयु पार नहीं हुए हैं और चिकित्सीय जाँच के लिए चिकित्सा-बोर्ड या चिकित्सा अधिकारी के पास नहीं गए हैं । [***वित्त विभाग, ज्ञापांक 4019/एफ०, दिनांक 14-3-1978**]

251. (i) प्रशासनिक मंजूरी-प्राप्त किसी रूपान्तरण के पक्के होने के पहले आगे विहित चिकित्सा-प्राधिकारी द्वारा आवेदक की जाँच अवश्य हो जानी चाहिये ।

(ii) चिकित्सा-प्राधिकारी निम्न होंगे –

(क) ऐसे आवेदक के मामले में जिसे असमर्थता-पेंशन प्रदान की जा चुकी हो या प्रदान की जाने वाली हो अथवा जिसके मामले में पहले रूपान्तरित रकम या रकमों के साथ रूपान्तरित की जाने वाली पेंशन की कुल रकम 25 रु० से अधिक हो, चिकित्सक-बोर्ड, जिसके सामने आवेदक को स्वयं उपस्थित होना होगा ।

(ख) ऐसे आवेदक के मामले में जिसे असमर्थता-पेंशन प्रदान नहीं की गई हो या नहीं की जाने वाली हो और जो ऐसी रकम के रूपान्तरण के लिये आवेदन करे कि पहले रूपान्तरित रकम या रकमों के साथ, रूपान्तरित की जाने वाली पेंशन की कुल रकम 25 रु० या उससे कम हो, वह चिकित्सा प्राधिकारी, जो उस क्षेत्र के, जहाँ आवेदक साधारणतया रहता हो, असैनिक शल्य-चिकित्सक, जिला चिकित्सा-पदाधिकारी, या प्रेसिडेन्सी शल्य-चिकित्सक की पंक्ति से नीचे न हो ।

(iii) चिकित्सा-प्राधिकारी, पेंशन फारम 9 के भाग 1 में (जिस पर चिकित्सा-प्राधिकारी के सामने आवेदक हस्ताक्षर करेगा) एक विवरण आवेदक से ले लेने के बाद उसकी कड़ी जाँच करेगा, पेंशन फारम 9 के भाग-2 में फल दर्ज करेगा और अपनी राय लिखेगा कि पेंशनभोगी ने अपनी आदतों और अपनी स्वास्थ्य-वृत्त के बारे में भाग 1 में विहित प्रश्नों का किस हद तक ठीक-ठीक और सही उत्तर दिया है । अन्त में वह पेंशन फारम 9 के भाग 3 में दिए प्रमाणपत्र को भरेगा ।

(iv) ऐसे आवेदक के मामले में जिसे असमर्थता-पेंशन प्रदान की जा चुकी हो या की जाने वाली हो, प्रमाण-पत्र देने वाला चिकित्सा-प्राधिकारी, प्रमाण-पत्र (पेंशन फारम 9 के भाग 3) पर हस्ताक्षर करने के पहले असमर्थकारी कारणों या स्वास्थ्य विवरण पर यथावत् विचार कर लेगा ।

(v) यदि स्वास्थ्य परीक्षा बिहार में चिकित्सा बोर्ड करें, तो परीक्षा के पहले आवेदक 16 रु० नकद देगा जिसमें से 4 रु० सरकार के नाम जमा होगा और बाकी 12 रु० बोर्ड के सदस्य आपस में बाँट लेंगे । यदि परीक्षा कहीं अन्यत्र हो या बिहार में असैनिक शल्य-चिकित्सक द्वारा हो, तो आवेदक चिकित्सा-प्राधिकारी को उतनी फीस देगा जितनी उससे अपेक्षा की जाये ।

(vi) कोई पेंशनभोगी किसी सक्षम चिकित्सा-सम्बन्धी प्राधिकारी द्वारा रूपान्तरण के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जाने के बाद उक्त प्राधिकार की सिफारिश पर अपनी वास्तविक उम्र में और वर्ष जोड़े जाने के कारण रूपान्तरण कराने से एक बार इंकार कर चुकने के बाद, अपने खर्च से केवल एक बार फिर से परीक्षा कराने के लिये उपस्थित होने की अनुमति पा सकता है ताकि मूल निर्णय का पुनरीक्षण किया जा सके, परन्तु –

(क) पहली स्वास्थ्य-परीक्षा की तारीख और दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा की तारीख के बीच 1 वर्ष से कम का अन्तर होगा, और

(ख) दूसरी स्वास्थ्य-परीक्षा बराबर चिकित्सक-बोर्ड द्वारा ही होगी ।

पेंशनभोगी परीक्षा करने वाले चिकित्सा-प्राधिकारी को नियम 250 के अन्तिम भाग में वर्णित लेख्य के अलावा, जिस चिकित्सा-प्राधिकारी ने पहले उसकी परीक्षा की थी, उसकी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि भी दी जायेगी ।

(vii) खंड (2) में विहित चिकित्सा प्राधिकारी, अविलंब भरे हुए पेंशन फारम 7 और 9 की मूल प्रतियाँ उस महालेखापाल के पास जिसने पेंशन फारम 7 के भाग 2 में अन्तर्विष्ट प्रमाण-पत्र दिया था, और भरे हुए पेंशन फारम 9 की प्रमाणित प्रतिलिपि राज्य सरकार के पास तथा पेंशन फारम 9 के भाग 3 की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदक के पास लेखा-परीक्षा कार्यालय को देय पावती सहित निबंधित (रजिस्टर्ड) पत्र द्वारा भेजेगा ।

टिप्पणी : यदि खंड 2 में विहित चिकित्सा-प्राधिकारी की राय में ऐसी विशेष परीक्षा आवश्यक हो जिसे वह स्वयं करने की स्थिति में न हो, तो वह आवेदक को अपने खर्च से ऐसी परीक्षा कराने की आज्ञा दे सकता है । परीक्षा का फल चाहे जो भी निकले, ऐसे खर्च को सरकार वापस न करेगी ।

252. नियम 249 के अधीन दी गई प्रशासनिक मंजूरी व्यपगत हो जायेगी, यदि मंजूरी आदेश में विहित अवधि के भीतर स्वास्थ्य-परीक्षा न हो जाए (देखें नियम 250) । यदि आवेदक विहित अवधि के भीतर उक्त चिकित्सा-प्राधिकारी के सम्मुख परीक्षा के लिये उपस्थित न हो, तो मंजूरी-प्राधिकारी अपने विवेक से पेंशन के रूपान्तरण के लिये नया आवेदन-पत्र प्राप्त किये बिना प्रशासनिक मंजूरी की अवधि और तीन महीने के लिये बढ़ा सकता है । आवेदक, स्वास्थ्य-परीक्षा की नियत तारीख के पहले कभी भी लिखित सूचना प्रेषित कर अपना आवेदन-पत्र वापस ले सकता है, किन्तु यह विकल्प चिकित्सा प्राधिकारी के सम्मुख उसके उपस्थित हो जाने पर समाप्त हो जायेगा --

परन्तु, यदि चिकित्सा-प्राधिकारी निदेश दे कि रूपान्तरण के प्रयोजनार्थ उसकी उम्र उसके वास्तविक उम्र से अधिक समझी जायेगी, तो रूपान्तरण होने पर देय पुनरीक्षित राशि की सूचना उसे जिस तारीख को मिले, उस तारीख से दो सप्ताह के भीतर अथवा यदि यह राशि मंजूरी आदेश में ही उल्लिखित हो, तो जिस तारीख को उसे चिकित्सा-प्राधिकार के मन्तव्य की सूचना मिले, उस तारीख से दो सपताह के भीतर महालेखापाल और राज्य सरकार के वित्त-विभाग के लिखित सूचना प्रेषित कर आवेदक अपना आवेदन-पत्र वापस ले सकता है ।

यदि आवेदक ऊपर विहित दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपना आवेदन-पत्र वापस न ले, तो यह समझा जायेगा कि उसने दी गई रीशि को स्वीकार कर लिया है ।

टिप्पणी : जब चिकित्सा-प्राधिकारी निदेश दे कि आवेदक की उम्र उसकी वास्तविक उम्र से अधिक समझी जायेगी, तब उसे अपना आवेदन-पत्र वापस लेने के विकल्प के अतिरिक्त, यह विकल्प भी दिया जायेगा कि वह रूपान्तरण होने पर देय पुनरीक्षित राशि की सूचना प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर अपने आवेदन-पत्र में वर्णित राशि कम कर दे ।

253. इस नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जहाँ जीवन क्षीणता का प्रश्न न हो, वहाँ चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को तथा जहाँ जीवन क्षीणता का प्रश्न हो, वहाँ रूपान्तरण के लिखित स्वीकार की तारीख को या आवेदन-पत्र वापस लेने का विकल्प समाप्त होने की तारीख को, जो भी पहले हो, रूपान्तरण पक्का हो जायेगा, अर्थात् पेंशन का रूपान्तरित अंश पाने का हक समाप्त हो जायेगा और रूपान्तरित मूल्य पाने का हक प्राप्त हो जायेगा ।

254. यदि आवेदक अपनी स्वास्थ्य-परीक्षा के सम्बन्ध में किसी लिखित या मौखिक प्रश्न के उत्तर में कोई ऐसा बयान दे जो उसकी जानकारी में मिथ्या हो या किसी महत्वपूर्ण बात को जानबूझ कर छिपा ले, तो राज्य सरकार, वस्तुत: भुगतान होने के पहले कभी भी मंजूरी रद्द कर सकती है; और नियम 43 (क) के प्रयोजनार्थ ऐसा बयान या ऐसा छिपाना घोर कदाचार समझा जायेगा ।

प्रकरण 5 : रूपान्तरित मूल्य का भुगतान

255. यदि चिकित्सा-प्राधिकारी ने रूपान्तरण की सिफारिश कर दी हो, तो भरे हुए पेंशन फारम 7 और 9 प्राप्त होने पर महालेखापाल समुचित रूपान्तरित मूल्य के भुगतान की और पेंशन के अनुसार कटौती की अविलम्ब व्यवस्था करेगा ।

टिप्पणी 1 : यदि स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र में यह विहित हो कि आवेदक की वास्तविक उम्र में पाँच से अधिक वर्ष जोड़ दिए जाएँ, तो महालेखापाल रूपांतरण होने पर देय पुनरीक्षित राशि आवेदक को अविलम्ब सूचित करेगा ।

टिप्पणी 2 : पेंशन के रूपान्तरित मूल्य के भुगतान के लिए महालेखापाल द्वारा जारी किये गये प्राधिकारी-पत्र की एक प्रतिलिपि जानकारी के लिये राज्य सरकार के वित्त विभाग को भेजी जाएगी ।

256. रूपान्तरित मूल्य का भुगतान यथाशीघ्र किया जायेगा, किन्तु वास्तविक भुगतान की तारीख चाहे जो हो, भुगतान की राशि और पेंशन पर प्रभाव वही होगा जो रूपान्तरण के पक्के होने की तारीख को रूपान्तरित मूल्य के भुगतान होने पर होता । यदि पेंशन का रूपान्तरित अंश, रूपान्तरण के पक्के होने की तारीख के बाद प्राप्त किया गया हो, तो प्राप्त राशि, रूपान्तरण में देय राशि से काट ली जायेगी ।

257. जहाँ रूपान्तरण राज्य सरकार मंजूर करें, वहाँ एक मुश्त राशि भारत में रुपये में देय होगी । जहाँ रूपान्तरण इंगलैंड स्थित भारतीय उच्चायुक्त मंजूर करें, वहाँ भुगतान, होम ट्रेजरी से, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित विनिमय दर पर, किया जायेगा ।

[**समीक्षा** : इस नियम का दूसरा वाक्य अब अप्रचलित है ।]

258. यदि पेंशनभोगी रूपान्तरण के पक्के होने की तारीख को या उसकी अनुवर्त्ती तारीख के बाद, किन्तु रूपान्तरित मूल्य प्राप्त करने के पहले मर जाये तो यह मूल्य उसके उत्तराधिकारियों को दिया जायेगा ।

259. रूपान्तरण, जो एक बार आवेदित, मंजूर और प्रभावी हो जाए, अपखंडित नहीं किया जा सकता है अर्थात् रूपान्तरित पेंशन का अंश, पूँजीकृत मूल्य लौटा देने पर, प्रतयावर्त्तित (फिर चालू) नहीं हो सकता ।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

*** विषय : पेंशन के रूपान्तरित राशि की पुनर्स्थापन (Restoration) ।**

बिहार पेंशन नियमावली में निहित पेंशन के लघुकरण प्रावधानों के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पेंशन के एक-तिहाई हिस्सा तक स्थाई रूप से रूपान्तरित करा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें एक मुश्त रूपान्तरित मूल्य भुगतान किया जाता है । रूपान्तरण मूल्य भुगतान के पश्चात् उनके मौलिक पेंशन की राशि में से रूपान्तरित पेंशन की राशि को घटाकर पेंशन का भुगतान किया जाता है । बिहार पेंशन नियमावली के नियम 259 के प्रावधानों के अधीन स्थायी रूप से रूपान्तरित की गई पेंशन की राशि का पुनर्स्थापना (Restoration) वर्जित है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त रूपान्तरित पेंशन की राशि के पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्णय लिया गया है –

(क) 10 वर्षों की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात् पेंशनरों को स्थायी रूप से रूपान्तरित पेंशन की राशि का पुनर्स्थापन कर दिया जाये ।

(ख) रूपान्तरित राशि के पुनर्स्थापन हेतु 10 वर्षों की अवधि की गणना उस तिथि से की जाये जिस तिथि को पेंशनर के मौलिक पेंशन के रूपान्तरित राशि की कटौती की गयी हो ।

(ग) यह आदेश दिनांक 1-10-1982 से प्रभावकारी होगा । इस तिथि के पूर्व या बाद में जिन पेंशनरों को रूपान्तरण की कटौती के पश्चात् 10 वर्षों की अवधि पूरी हो गई हो या हो जायेंगे उन्हें रूपान्तरित राशि का पुनर्स्थापन का लाभ अनुमान्य होगा ।

(3) रूपान्तरित राशि का पुनर्स्थापन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जाएगी –

[**समीक्षा** : कण्डिका 2 वित्त विभाग की अधिसूचना सं०–पी०सी० 1-9-16/87/1581 वि०, दिनांक 9-4-1990 द्वारा अवक्रमित हो गया है ।]

(i) राज्य के अन्तर्गत कोषागार/उप-कोषागार जहाँ से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पेंशन का भुगतान प्राप्त करते हैं उनके कार्यालय में पेंशन भुगतान सम्बन्धी कोषागार संहिता खण्ड-1 के नियम 345 (2) के प्रावधानों के अधीन स्थायी रूप से अभिलेख रखे जाते हैं और रूपान्तरण के पश्चात् रूपान्तरित मूल्य का भुगतान कर सम्बन्धित पेंशनर के भुगतान पंजी में रूपान्तरित पेंशन की राशि को मौलिक पेंशन से घटाकर अनुमान्य पेंशन की राशि दर्शाये जाते हैं एवं पेंशनर भुगतान आदेश में भी इस हद तक अनुमान्य पेंशन की राशि को अंकित कर दिया जाता है । पेंशनर रूपान्तरित पेंशन की राशि के पुनर्स्थापन हेतु अपने पेंशन भुगतान आदेश सहित आवेदन- पत्र कोषागार पदाधिकारी/उपकोषागार पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पेंशनर द्वारा प्रस्तुत किए गए पेंशन रूपान्तरण की राशि की पुनर्स्थापन की माँग को सत्यापित कर और स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात् अपने अभिलेखों एवं पेंशनर्स के पेंशन भुगतान आदेश में रूपान्तरित

राशि की पुनर्स्थापन की प्रविष्टि अपने हस्ताक्षर के द्वारा कर देंगे तथा इसकी सूचना महालेखाकार एवं वित्त विभाग को देंगे ।

(ii) उप-कंडिका (i) में अंकित प्रक्रिया के अनुसार यदि कोषागार/उप-कोषागार, जहाँ पेंशनर अपने पेंशन की रूपान्तरित राशि की पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में आवेदन करेंगे, वहाँ यदि पेंशन भुगतान आदेश पंजी में मौलिक पेंशन से रूपान्तरित राशि की कटौती सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे मामले में महालेखाकार, बिहार अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात् पुनर्स्थापन सम्बन्धी मौलिक पेंशन भुगतान आदेश संशोधित करते हुए कोषागारों को भेज देंगे । इस हेतु पेंशनरों को अपने पेंशन भुगतान आदेश के साथ सम्बन्धित कोषागारों में आवेदन प्रस्तुत किए जायेंगे और सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी "अभिलेख अनुपलब्ध प्रमाण-पत्र" के साथ महालेखाकार के पास भेज देंगे ।

(iii) विवादग्रस्त मामलों में वित्त विभाग का निर्णय अंतिम होगा ।

(iv) जो पेंशनर बैंकों के माध्यम से अपने पेंशन की राशि का भुगतान प्राप्त करते हैं उनके मामले भी उपरोक्त उप-कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निष्पादित किए जाएँ ।

(v) राज्य के बार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों के रूपान्तरित पेंशन की राशि का पुनर्स्थापन महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र पर किया जायेगा ।

(4) पुनस्थापित पेंशन की राशि पुनः रूपान्तरित नहीं होगी ।

(5) रूपान्तरित पेंशन की राशि के पुनर्स्थापन हेतु अलग से प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(6) बिहार पेंशन नियमावली एवं कोषागार संहिता के सुसंगत नियम इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे । सम्बन्धित शुद्धि पत्र अलग से निर्गत किए जायेंगे ।

(7) जहाँ तक इस आदेश को उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/परिषद् के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/परिषद् की सहमति/परामर्श प्राप्त कर बाद में आदेश निर्गत किए जाएँगे । [***संकल्प सं० पी०सी० 3 विशेष 82-646 वि०, दिनांक 8-3-1983]**

2.

***विषय : पेंशन की रूपान्तरित राशि का प्रत्यास्थापना (Restoration) ।**

पेंशन की रूपान्तरित राशि के प्रत्यास्थापन के प्रावधान वित्त विभाग के संकल्प संख्या पी०सी० 03-स्पेशल/82-646 वि०, दिनांक 8 मार्च, 1983 में निहित है, जिनके अनुसार सम्प्रति पेंशन का रूपान्तरण कराने वाले पेंशन धारकों को दस वर्षों की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात् पेंशन की रूपान्तरित राशि प्रत्यास्थापित कर दी जाती है, और दस वर्षों की अवधि की गणना उस तिथि से की जाती है, जिस तिथि को उनके मूल पेंशन से रूपान्तरित राशि की कटौती की गई हो ।

2. भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनर, कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 34/2/86 पी० एण्ड पी०डब्लू०, दिनांक 5-3-1987 में पेंशन के रूपान्तरित भाग का प्रत्यास्थापन सेवानिवृत्त होने की तिथि से 15 वर्षों की अवधि पूरा होने पर किया जाता है । इस सम्बन्ध में भली-भाँति विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अब वित्त विभाग के संकल्प संख्या 646/वि०, दिनांक 8-3-1983 की कंडिका-2 के प्रावधानों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) पेंशन की रूपान्तरित राशि सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्षों की अवधि पूरी होने पर प्रत्यास्थापित की जाये ।

(ख) यह निर्णय आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावकारी होगा । पूर्व में 10 वर्षों के आधार पर जिन पेंशनरों के पेंशन का प्रत्यास्थापन किया जा चुका है, अथवा देय है उन मामलों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

पेंशनर की रूपान्तरित राशि के प्रत्यास्थापन की प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें वही होगी जो वित्त विभाग के संकल्प संख्या 646/वि०, दिनांक 8-3-1983 में निहित है ।

3. जहाँ तक इस आदेश को उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/परिषद् के कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा एवं सभापति, बिहार विधान परिषद् की सहमति/परामर्श प्राप्त कर आदेश बाद में निर्गत किया जाएगा । [***वित्त विभाग, संकल्प संख्या पी०सी० 1-9-16/87-1851/वि०, दिनांक 19-4-1990]**

बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान पुनरीक्षण (विधिमान्यकरण एवं प्रवर्त्तन) अधिनियम, 2001][1]

[बिहार अधिनियम 3, 2001]

बिहार राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के पुनरीक्षण को विधिमान्य बनाने तथा प्रवर्त्तन कराने हेतु अधिनियम/प्रस्तावना –

और चूँकि, राज्य मंत्रिपरिषद् ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सिद्धान्ततः केन्द्र सरकार के पैटर्न पर वेतन/पेंशन का पुनरीक्षण स्वीकार करते समय अपने पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करने का भी निर्णय लिया था;

और चूँकि, वित्तीय साधन स्रोत को विषम स्थिति और दिसम्बर, 1986 के पंचम वेतन पुनरीक्षण आयोग के प्रवर्त्तन तथा कर्मचारियों के साथ हुए समझौते के कारण अन्तर्वलित करोड़ों रुपये के बोझ को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान तथा पेंशन/उपदान का लाभ वैचारिक रूप से दिनांक 1 जनवरी, 1986 से तथा वास्तविक रूप से 1 मार्च, 1989 से प्रदान करने के लिए वित्त विभाग का संकल्प संख्या 806, दिनांक 13 फरवरी, 1980 द्वारा फिटमेंट-सह--पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन किया था तथा यह अनुबंध किया था कि दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 28 फरवरी, 1989 तक की अवधि के बकाये का भुगतान नहीं किया जायेगा;

और चूँकि, बिहार सरकार ने वेतन पुनरीक्षण के संबंध में दिनांक 18 दिसम्बर, 1989 का संकल्प तथा दिनांक 1 जनवरी, 1986 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों के पेंशन एवं उपदान के लिए संकल्प संख्या 1853 (वि०) तथा 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशनरी लाभ के लिए संकल्प संख्या 1854 (वि०) पारित और निर्गत किया था तथा प्रत्येक मामले में वेतन/पेंशन के पुनरीक्षण का वैचारिक लाभ दिनांक 1 जनवरी, 1986 से तथा वास्तविक लाभ 1 मार्च, 1989 से देने हेतु, किन्तु 1 जनवरी, 1986 से 28 फरवरी, 1989 के बीच के बकाये को छोड़कर स्पष्ट प्रावधान किया गया था;

और चूँकि, वेतन पुनरीक्षण के लिए उपर्युक्त रूप में अंगीकृत किये गये "कट ऑफ" सिद्धान्त को भारत संविधान के संगत होने के कारण पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 511/ 1994 में सही ठहराया गया था;

और चूँकि, पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 2467/1991 को स्वीकार किया तथा पेंशनरी लाभ के लिए आशयित संकल्प संख्या 1853 (वि०) की कंडिका 1.1 एवं संकल्प संख्या 1854 (वि०) की कंडिका सं० 2.1 को अभिखंडित कर दिया तथा मामले पर पुनर्विचार करने का निदेश सरकार को दिया एवं उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका दिनांक 20 जनवरी, 1997 को खारिज कर दी गयी है तथा पुनर्विलोकन याचिका भी खारिज कर दी गयी है;

और चूँकि, एम०जे०सी० सं० 1608/1997 में अवमानना कार्यवाही में पारित आदेशों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर एस०एल०पी० 1672/1999 को असफल होने के नाते उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है;

और चूँकि, एच० कूजूर के मामले में पूर्ण पीठ के निर्णय का अनुसरण करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पेंशन के बकाये से संबंधित सी०डब्लू०जे०सी० सं० 2086/1996 को खारिज कर दिया गया था, किन्तु पूर्व के खंड पीठ के दिनांक 21 अगस्त, 1996 के निर्णय का अनुसरण करते हुए पटना उच्च न्यायालय की राँची खंडपीठ द्वारा उक्त निर्णय को उलट दिया गया और राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दाखिल एस०एल०पी० में उक्त निर्णयों को रिट याचिका वापस लेने हेतु प्रत्याशियों द्वारा किये गये कथन के आलोक में, असंगत अभिधारित कर दिया गया है;

और चूँकि, दिनांक 21 अगस्त, 1996 के अपने निर्णय में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने संप्रेक्षण किया था कि सरकार 'कट ऑफ' तारीख के रूप में 1 मार्च, 1989 या अपेक्षित संकल्प की तारीख यथा 19 अप्रील, 1990 नियत कर सकती थी, किन्तु केन्द्रीय पैटर्न पर 1 जनवरी, 1986 नियत करने के बाद, सरकार को पारिणामिक आर्थिक लाभों को इन्कार करने तथा उसे 1 मार्च, 1989 से ही प्रभावी करने हेतु कोई अधिकारिता नहीं थी तथा मामले पर विधि के अनुसार पुनर्विचार करने की अपेक्षा सरकार से की गई थी;

और चूँकि, राज्य सरकार मामले पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि वित्तीय साधन स्रोतों को गुरुत्तर अपर्याप्तता को देखते हुए पेंशन के बकाये संबंधी अतिरिक्त वित्तीय बोझ वहन करना सम्भव नहीं है तथा

1. बिहार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 7-4-2001 में प्रकाशित।

उपदान से संबंधित उसी "कट ऑफ" सिद्धान्त का प्रश्नगत करने वाली अनेक रिट याचिकाओं के उच्च न्यायालय में लंबित रहने के कारण वित्तीय बोझ में सारभूत रूप से वृद्धि की सम्भावना है;

और चूँकि, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "कट ऑफ" तिथि निश्चित करने में वित्तीय बोझ एक महत्वपूर्ण तथ्य है;

और चूँकि, संकल्प संख्या 1853 (वि०) की कंडिका 1 (1) को पूर्णतः अभिखंडित करने से विसंगति भी उत्पन्न हो गई है, क्योंकि यह कंडिका 1 मार्च, 1989 के बाद सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों से भी संबंधित है;

और चूँकि, पेंशन/पारिवारिक पेंशन उपदान का पुनरीक्षण दिनांक 1 मार्च, 1989 के प्रभाव से ही विधिमान्य एवं प्रवर्तित करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ – (1) यह अधिनियम "बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं उपदान (विधिमान्यकरण एवं प्रवर्त्तन) अधिनियम, 2001" कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 1 मार्च, 1989 के प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. पुनरीक्षण लाभ दिया जाना – दिनांक 19 अप्रील, 1990 को निर्गत राज्य सरकार (वित्त विभाग) के संकल्प संख्या 1853 (वि०) तथा संकल्प संख्या 1854 (वि०), दिनांक 1 मार्च, 1989 के प्रभाव से प्रवृत्त समझे जायेंगे तथा उक्त संकल्पों को ध्यान में रखकर पुनरीक्षण लाभ दिनांक 1 मार्च, 1989 के प्रभाव से दिये जायेंगे।

3. वर्तमान पेंशनधारियों को राहत – (1) राज्य सरकार (वित्त विभाग) के संकल्प संख्या 1854 (वि०), दिनांक 19 अप्रील, 1990 की कंडिका 3.1 के अनुसार वर्तमान पेंशन धारकों के लिये अतिरिक्त राहत तथा उक्त संकल्प की कंडिका 4 के अधीन प्रोद्भूत पेंशन की अतिरिक्त राशि दिनांक 1 मार्च, 1989 के प्रभाव से भुगतेय होगी, तथापि पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन निम्नलिखित को एक साथ जोड़कर 1 जनवरी, 1986 के प्रभाव से किया जायेगा –

(i) वर्तमान पेंशन/वर्तमान पारिवारिक पेंशन,

(ii) वर्तमान महँगाई राहत, और

(iii) उक्त संकल्प की कंडिका 3.1, 3.2 तथा 3.3 से प्रोद्भूत अतिरिक्त राहत तथा कंडिकका 4 से प्रोद्भूत पेंशन की अतिरिक्त राशि।

(2) राशि की गणना से संबंधित उपर्युक्त दोनों संकल्पों के शेष प्रावधान उसी रूप में बने रहेंगे सिवाय इसके कि उपर्युक्त दोनों संकल्पों के सभी प्रावधानों के लिए ऐसा समझा जायेगा कि वे "कट ऑफ" तारीख 1 मार्च, 1989 नियत करने वाले हैं, तथा उन दोनों संकल्पों के सभी प्रतिकूल उपबंध एतद् द्वारा निरसित माने जायेंगे सिवाय इसके कि संकल्प संख्या 1853 (वि०) दिनांक 19 अप्रील, 1990 की कंडिका 6 में तथा उपबंधित पुनरीक्षित दरों पर पेंशन के रूपान्तरण के कारण किये गये भुगतान की वसूली नहीं की जायेगी।

4. पेंशन/उपदान के पुनरीक्षण का विधिमान्यकरण – किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, दिनांक 19 अप्रील, 1990 के सरकारी संकल्प संख्या 1853 (वि०) एवं 1854 (वि०), दिनांक 1 मार्च, 1989 से प्रवृत्त समझे जायेंगे तथा उक्त दोनों संकल्पों के अधीन सरकारी कर्मचारियों को दिया गया पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपदान का लाभ दिनांक 1 मार्च, 1989 के ही प्रभाव से देय समझा जायेगा, तथा उक्त दोनों संकल्पों के लिये उक्त तारीख ही सर्वदा "कट ऑफ" तिथि समझी जायेगी।

5. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव – किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकार द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान अभिभावी एवं प्रभावी होंगे।

6. निरसन एवं व्यावृत्ति – (1) बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (विधिमान्यकरण) एवं प्रवर्त्तन अध्यादेश, 2000 (बिहार अध्यादेश सं०–3, 2000) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी। ●

भाग—II

परिशिष्ट—1

[देखें नियम 3]

सौंपी गयी शक्तियों की सूची – इन शक्तियों का प्रयोग अन्य सरकारी विभाग वित्त विभाग से परामर्श किये बिना ही कर सकते हैं ।

मद सं०	नियम सं०	शक्ति	शक्ति-प्रदत्त प्राधिकारी जिसे शक्ति सौंपी गई	सौंपी गयी शक्ति की मात्रा
1	2	3	4	5
1.	147	विशेष अतिरिक्त पेंशन	सरकारी विभाग	पूरी शक्ति ।
2.	161 (क)	बुढ़ापा या निवृत्ति-पेंशन के बाद पुनर्नियोजन, जहाँ पद के आरंभिक वेतन और पेंशन, दोनों मिलाकर अंतिम प्राप्त वेतन से अधिक नहीं।	वही	वही
3.	201 (1) (क)	साधारण-पेंशन	वही	वही

परिशिष्ट 2

[देखें नियम 48, टिप्पणी 2]

बिहार की अनुकम्पा-निधि से अनुदान के सम्बन्ध में हिदायतें

1. (1) अनुकम्पा निधि का उद्देश्य सरकारी सेवकों के उन परिवारों को सहायता देना है जिनकी आर्थिक स्थिति भरण-पोषण करने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण दयनीय हो गयी हो । 10,000 रु० के वार्षिक अनुदान से यह निधि बनती है । किसी एक वर्ष में 10,000 रु० से अधिक अनुदान मंजूर न किया जाएगा । अवशेष जो खर्च न हुआ हो, वित्त-वर्ष के अंत में व्यपगत हो जायेगा ।

टिप्पणी 1 : असाधारण मामलों में, समिति, कारण लिखकर, पेंशनभोगी के परिवार को भी अनुकम्पा के उपदान मंजूर कर सकती है ।

टिप्पणी 2 : [1][जिन आकस्मिक भृत्यों ने बहुत दिनों तक लगातार और सराहनीय सेवा की हो, उनके मामले भी विचारार्थ अनुकम्पा-निधि-समिति के पास भेजे जा सकते हैं ।]

टिप्पणी 3 : अनुकम्पा-निधि-समिति चाहती है कि निम्न बातें ध्यान में रखी जाएँ –

(क) इस निधि का उद्देश्य उन मामलों में साहाय्य देना है जहाँ बिहार पेंशन नियमावली के अधीन अथवा किसी अन्य स्रोत से, जैसा कि, "अध्याय 9 – क्षत या अन्य असाधारण पेंशनों" के अधीन, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम (वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट) के अधीन कोई साहाय्य न मिल सके ।

(ख) अनुकम्पा निधि से साधारणत: देय उपदान की अधिकतम राशि से भी किसी विधवा या अन्य आश्रितों को उतना फायदा नहीं होता जितना असाधारण पेंशन से । इसलिये यह अनुचित है कि जिस मामले में पेंशन अनुमान्य हो, उसमें विधवा या अन्य आश्रितों के लिये अपेक्षाकृत बहुत थोड़े साहाय्य की सिफारिश की जाये ।

(2) समिति का विश्वास है कि जहाँ किसी अन्य स्रोतों से साहाय्य अनुमान्य हो, वहाँ उसके पास मामले विचारार्थ न भेजे जाएँगे । समिति ऐसे मामलों को लौटा देने के लिए बाध्य हो जाएगी और फलस्वरूप, विधवा या अन्य आश्रितों को दूसरा साहाय्य मिलने में, जिस पर उनको दावा हो, बहुत देर हो सकती है ।

---

1. सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग, अधिसूचना सं० सी०डी०आर० 509/52–14921-वित्त, दिनांक 19 दिसम्बर, 1952; शुद्धि-पत्र सं० 19, दिनांक 1 जुलाई, 1953 ।

2. निधि से अनुदान की शर्तें निम्न हैं :–

(1) केवल खास तरह के मामलों में ही निधि से अनुदान दिये जाएँगे । [1][इस निधि से सरकारी सेवकों के ऐसे परिवारों को कोई अनुदान न दिया जायेगा जो 20 जुलाई, 1950 से लागू नई पेंशन–उदारीकरण–योजना के अधीन उपदान के पात्र हों ।]

(2) मृत सरकारी सेवक सुयोग्य और सराहनीय लोक–सेवक रहा हो । असाधारण सराहनीय सेवा होने से विचार के लिये खास दावा रहता है ।

(3) विशेष कर्त्तव्यपरायणता के कारण मृत्यु विचार के लिये सबल दावा है ।

(4) साधारण मामलों में, जिन सरकारी सेवकों ने कई वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो, किन्तु जो अपनी पेंशन न ले सके हों, उनके आश्रितों को प्रधानता दी जाएगी ।

((5) अन्य बातें समान होने पर प्रधानता उन व्यक्तियों को दी जाएगी जिन्हें कम वेतन मिलता रहा हो ।

(6) नियमत: यदि मृत सरकारी सेवक का वेतन 300 रु० प्रतिमास से अधिक रहा हो, तो अनुदान न दिया जाएगा ।

(7) राजपत्रित सरकारी सेवकों के परिवारों को साधारणत: सहायता न दी जाएगी ।

(8) इस बात की सावधानी बरती जाएगी कि जो सरकारी सेवक राज्य सरकार के मुख्यालय में काम करते रहे हों, उनके परिवार को बहुत से अनुदान न दिये जायें ।

(9) निधि से अनुदान केवल उन्हीं सरकारी सेवकों के परिवारों को तो दिया जाता है जिन्हें बिहार के राज्य–राजस्व से भुगतान किया जाता था, किन्तु जो सरकारी सेवक बाह्य–सेवा में मरे हों और जिनके लिए पेंशन–अंशानुदान बाह्य–नियोजक ने दिया हो, उनके परिवार भी उपदान पाने के पात्र होंगे ।

टिप्पणी : जहाँ 15 वर्षों से अधिक सेवा रही हो, वहाँ निधि–समिति नियम 2 के (1) और (2) उप–खंडों की अपेक्षाओं को छोड़ सकती है ।

3. अनुदान मंजूर करने का नियम निम्न है :–

(1) इस निधि से पेंशन नहीं दी जाती, किन्तु कुछ मामलों में सीमित अवधि तक सन्तान की शिक्षा पर खर्च के लिए वार्षिक अनुदान दिए जाते हैं ।

(2) किसी एक मामले में अधिक–से–अधिक 1,500 रु० का उपदान दिया जा सकता है । सभी मामलों में ठीक–ठीक रकम परिवार के सदस्यों की संख्या तथा आवश्यकताओं के अनुसार नियत की जाती है । जहाँ स्थिति को देखते हुए उदारता की जरूरत हो, वहाँ मृत व्यक्ति के एक वर्ष के वेतन के बराबर रकम उपयुक्त अधिकतम समझी जाती है । किन्तु, बिलकुल साधारण मामलों में छ: महीने का वेतन पर्याप्त माना जाता है ।

टिप्पणी : इस उप–नियम के प्रयोजनार्थ "वेतन" से तात्पर्य है सरकारी सेवक की मृत्यु से पहले के 12 महीनों का मासिक वेतन ।

4. निधि, एक समिति द्वारा प्रशासित होगी जिसमें सभी मंत्री रहेंगे और जिसकी बैठक हर तीन महीने में एक बार होगी ।

5. अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव के तथ्य कार्याध्यक्ष विहित सारांश–फारम में देगा । कार्याध्यक्ष की सिफारिश तथा प्रक्रिया–नियमों में निर्दिष्ट सभी विवरणों के साथ फारम, तब सम्बद्ध प्रशासी विभाग के पास भेज दिया जायेगा जो अपनी सिफारिश के साथ उसकी मूल प्रति वित्त विभाग के पास प्रेषित कर देगा । प्रशासी विभाग अनुदान सम्बन्धी उन आवेदन–पत्रों को रोक ले सकता है जो उसकी राय में विचार के योग्य न हों । वित्त विभाग सारांश को बिना टीका–टिप्पणी के समिति के सामने उपस्थापित करेगा । मामले को वित्त विभाग में भेजने के पहले, प्रशासी विभाग का प्रभारी मंत्री उसे देख लेगा । सारांश में प्रविष्टियाँ टंकित होनी चाहिए ।

6. वित्त विभाग समिति का निर्णय सम्बद्ध प्रशासी विभाग या आवेदन उपस्थापित करने वाले अन्य प्राधिकारी को सूचित करेगा । जहाँ उपदान मंजूर किया जाये, वहाँ वित्त विभाग, बिहार के महालेखापाल को भी सूचित करेगा ।

1. सन्निविष्ट, देखें वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी०ए०आर०-103/51-6375-वित्त, दिनांक 22 मई, 1951; शुद्धि-पत्र सं० 8, दिनांक 27 मार्च, 1952 ।

7. किसी खास मामले में जब एक बार निर्णय हो जाए, तब विभाग के अनुरोध पर या आवेदक से नया आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, किसी भी हालत में वह विषय फिर से न उठाया जायेगा ।

8. विहित सारांश-फारम का स्टाक वित्त विभाग का निबन्धक अपने पास रखेगा तथा माँगने पर सरकारी विभागों और कार्याध्यक्षों को देगा ।

9. भय है कि इस निधि के रहने से इस विषय में सरकारी अभिप्रायों के सम्बन्ध में गलत धारणा बन सकती है । इस निधि का लक्ष्य पेंशन नियमावली में अन्तर्विष्ट पेंशनों और उपदानों के सम्बन्ध में वर्त्तमान उपबन्धों को अनुपूरित करना नहीं है । इस निधि से अनुदान केवल खास तरह के मामलों तक ही सीमित है । इस निधि से उपदान मंजूर करने की सिफारिश करने के पहले ऐसे आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई करने वाला हरेक पदाधिकारी उनकी सावधानी से जाँच करेगा और अपना समाधान कर लेगा कि मामला वस्तुतः उपदान के लायक है । अन्यथा सिफारिश से आवेदक के मन में आशा उत्पन्न होती है जो अक्सर निराशा में परिणत हो जाती है । इसलिए आवेदन-पत्रों को सावधानी से जाँच और उनपर विचार कर लेने के बाद ही सरकार के सामने उपस्थापित करना चाहिए ।

प्रक्रिया नियम

1. **आवेदन किसके पास किये जायेंगे** – अनुकम्पा-निधि से सहायता के लिये सभी आवेदन, जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अन्त में काम कर रहा था, उस कार्यालय के प्रधान के पास किए जायेंगे । कार्यालय-प्रधान उसे अपनी अभ्युक्ति के साथ कार्याध्यक्ष के पास अग्रसारित कर देगा तथा, अनुसचिवीय (लिपिक) पदाधिकारी के मामले में, उसकी सेवा-पुस्त और चरित्र-पुस्ती संलग्न कर देगा और यह उल्लिखित करेगा कि यह भविष्य निधि का अंशदाता था या नहीं और यदि था, तो यथास्थिति, उसके नाम संचित निधि में कितनी रकम जमा है या उसके द्वारा कितनी रकम निकाली गई है ।

2. **आवेदन-पत्र में दिए जाने वाले विवरण** – इस निधि से सहायता के लिए सभी आवेदन-पत्रों में, आवेदकों या अन्य व्यक्तियों के, जिनके लिए उपदान अभिप्रेत हो, पूरे नाम, पते तथा वर्णन-पत्र बराबर दिए जायेंगे और साथ ही उस कोषागार का नाम भी उल्लिखित रहेगा जहाँ सहायता मंजूर हो जाने पर आवेदक भुगतान पाना चाहे ।

3. **कार्याध्यक्ष की सिफारिश** – कार्याध्यक्ष सम्बद्ध प्रशासी विभाग के पास आवेदन पत्रों को अग्रसारित करेगा जो हर आवेदन पत्र पर औचित्य के अनुसार विचार कर उसे अपनी सिफारिश के साथ वित्त विभाग के पास भेज देगा ।

ऐसा सभी आवेदन-पत्रों के साथ –

(i) निम्न के बारे में पूरी जानकारी दी जायेगी –

(क) मृत व्यक्ति का देना-पावना, और

(ख) मृत व्यक्ति की संतान एवं अन्य आश्रितों की संख्या, उनकी उम्र और धंधा (यदि कोई हो) तथा उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति,

(ग) क्या मृत सरकारी सेवक सुयोग्य एवं सराहनीय लोक-सेवक था और क्या उसकी मृत्यु कर्त्तव्यपरायणता के कारण हुई ?

(ii) कार्याध्यक्ष की सिफारिश रहेगी । [1][निधि से अनुदान के लिए सिफारिश करते समय प्रशासी प्राधिकारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस निधि से कोई अनुदान सरकारी सेवकों के उन परिवारों को न दिया जाए जो नई पेंशन योजना के अधीन उपदान पाने के पात्र हों तथा हर मामले में इसका उल्लेख कर देना चाहिए कि नई पेंशन योजना के अधीन उपदान अनुमान्य नहीं है ।]

4. **वर्णन पत्र** – वर्णन निम्न फारम में रहेगा । इसे बराबर किसी जिम्मेवार सरकारी सेवक या किसी सुविदित तथा विश्वासी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सत्यापित करा लिया जाएगा, और सभी मामलों में प्रस्तुत किया जायेगा, चाहे आवेदक सीधे भुगतान पाना चाहता हो या किसी अभिकर्त्ता (एजेन्ट) की मार्फत :–

1. सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग, ज्ञाप सं० 6375-वित्त, दिनांक 22 मई, 1951; शुद्धि पत्र सं० 9, दिनांक 27 मार्च, 1952 ।

वर्णन पत्र

क्रम संख्या 1 से 9 और 14 से 16 अनिवार्य हैं

विवरण

(1) नाम
(2) पिता का नाम
(3) महिला की दशा में, पति का नाम
(4) जाति
(5) ग्राम
(6) थाना और डाकखाना
(7) जिला
(8) उम्र
(9) ऊँचाई
(10) गठन
(11) रंग
(12) आकृति
(13) नाक
(14) पहचान के चिह्न
(15) हस्ताक्षर का नमूना
(16) अंगूठे तथा अंगुलियों के निशान

5. स्वयं उपस्थित होकर या यथावत् प्राधिकृत अभिकर्त्ता (एजेन्ट) की मार्फत भुगतान – भुगतान साधारणत: स्वयं उपस्थित होकर लेना चाहिए, किन्तु यदि भुगतान पानेवाला व्यक्ति बाहर निकलने का आदी न हो, तो भुगतान पानेवाले व्यक्ति की पूरी जिम्मेवारी पर भुगतान यथावत् प्राधिकृत अभिकर्त्ता (एजेन्ट) या व्यक्ति को किया जा सकता है। ऐसे मामले में, बिल पर भुगतान पानेवाले व्यक्ति का हस्ताक्षर या (निरक्षर व्यक्तियों के मामले में) अंगूठे और अंगुलियों के निशान रहने चाहिए, जो किसी जिम्मेदार सरकारी पदाधिकारी अथवा किसी जाने-माने या विश्वसनीय व्यक्ति या व्यक्तियों से यथावत् सत्यापित होंगे।

अनुबन्ध

अनुकम्पा-निधि से अनुदान

प्रस्ताव के समर्थन में तथ्यों का सारांश

1. आवेदक का नाम और मृत सरकारी सेवक के साथ उसका सम्बन्ध
2. आवेदक का पता
3. मृत सरकारी सेवक का नाम और पद
4. आवेदक की स्थिति कैसी है ?
5. आवेदक का भरण-पोषण कौन कर रहा है तथा उसके साधन क्या हैं ?
6. क्या परिवार में कोई पुरुष ऐसी स्थिति में है कि वह आवेदक का भरण पोषण कर सके ?
7. मृत व्यक्ति यदि हों, तो ब्योरा दें। परिवार के सदस्यों की उम्र और धंधे क्या हैं ?
8. मृत व्यक्ति का देना-पावना क्या है ?
9. क्या मृत व्यक्ति सुयोग्य लोक-सेवक था ? यदि हाँ, तो ब्योरा दें।
10. क्या उसकी मृत्यु कर्त्तव्य परायणता के कारण हुई ? यदि हाँ, तो ब्योरा दें।
11. कितने वर्षों की सेवा मृत व्यक्ति ने पूरी की थी ?
12. मृत्यु के समय मृत व्यक्ति का वेतन क्या था ?

टिप्पणी : नियमत: यदि मृत सरकारी सेवक का वेतन 300 रु० से अधिक था तो अनुदान न किया जायेगा।

13. क्या मृत व्यक्ति राजपत्रित सरकारी सेवक था ?
14. किस कोषागार से भुगतान पाने का विचार है और किसकी मार्फत, यदि आवेदक स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता ?
15. क्या मृत व्यक्ति राज्य सरकार के मुख्यालय में अधिष्ठित था ?
16. कार्याध्यक्ष की सिफारिश

टिप्पणी : किसी एक मामले में अधिक से अधिक 1,500 रु० का उपदान दिया जा सकता है। सभी मामलों में ठीक-ठीक रकम परिवार के सदस्यों की संख्या तथा आवश्यकताओं के अनुसार नियत की जाती है।

जहाँ स्थिति को देखते हुए उदारता की जरूरत हो, वहाँ मृत व्यक्ति के एक वर्ष के वेतन के बराबर रकम उपर्युक्त अधिकतम समझी जाती है। किन्तु बिल्कुल साधारण मामलों में छः महीने का वेतन पर्याप्त माना जाता है।

17. प्रशासी विभाग की सिफारिश

कार्याध्यक्ष
अवर/उप-सचिव, ... विभाग
ता० ....

[1]परिशिष्ट–3

दिनांक 1-7-1971 से प्रभावी बिहार पेंशन नियमावली के नियम 248 के अन्तर्गत निर्धारित रूपान्तरण तालिका

एक रुपया प्रतिवर्ष पेंशन हेतु रूपान्तरण मूल्य

अगले जन्मदिन को उम्र	खरीद-वर्ष संख्या के रूप में व्यक्त रूपान्तरण-मूल्य	अगले जन्मदिन को उम्र	खरीद-वर्ष संख्या के रूप में व्यक्त रूपान्तरण-मूल्य
17	19.28	52	12.66
18	19.20	53	12.35
19	19.11	54	12.05
20	19.01	55	11.73
21	18.91	56	11.42
22	18.81	57	11.10
23	18.90	58	10.78
24	18.59	59	10.46
25	18.47	60	10.18
26	18.34	61	9.81
27	18.21	62	9.48
28	18.07	63	9.15
29	17.93	64	8.52
30	17.78	65	8.50
31	17.62	66	8.17
32	17.46	67	7.85
33	17.29	68	7.35
34	17.11	69	7.22
35	16.92	70	6.61
36	16.72	71	6.60
37	16.52	72	6.30
38	16.31	73	6.01
39	16.09	74	5.72
40	15.87	75	5.44
41	15.64	76	5.26
42	15.40	77	4.92
43	15.15	78	4.65
44	14.90	79	4.00
45	14.64	80	4.00
46	14.37	81	3.94
47	14.10	82	3.72
48	13.82	83	3.52
49	13.54	84	3.32
50	13.25	85	3.13
51	12.95		

टिप्पणी : यह रूपान्तरण तालिका 5.50 प्रतिशत ब्याज पर आधारित है तथा 1 जुलाई, 1971 से प्रभावी है।

1. वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या 6577, दिनांक 1-7-1971 द्वारा प्रतिस्थापित।

परिशिष्ट–4

पेंशन में महँगाई राहत की स्वीकृति

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

***विषय : राज्य सरकार के पेंशनभोगियों /पारिवारिक पेंशनभोगियों एवं असाधारण पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित/समेकित पेंशन पर महँगाई राहत की स्वीकृति ।**

राज्य सरकार द्वारा विषयांकित कोटि के अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 4845-वि०, दिनांक 2 अगस्त, 1989 के जरिये दिनांक 1 मार्च, 1989 तक महँगाई राहत स्वीकृत की गई है और उक्त तिथि के बाद कथित कोटि के पेंशनभोगियों को पेंशन में महँगाई राहत स्वीकृत करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था । इस बीच चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा अपने पेंशनों के पेंशनरों के मूल ढाँचे में और पेंशन पर दी जानेवाली महँगाई राहत को सूत्र दर एवं प्रणाली में भी मौलिक परिवर्त्तन किया गया है । इस सम्बन्ध में फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी वित्त विभागीय संकल्प संख्या पी०सी० 1-9-16/87–1853 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 के जरिये दिनांक 1 जनवरी, 1986 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन का पुनरीक्षण तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या पी०सी० 1-9-16/87–1854 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 के जरिये दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन का समेकन करने का निर्णय लिया गया है जिनके अनुसार पेंशन का वैचारिक पुनरीक्षण/समेकन को दिनांक 1 जनवरी, 1986 से ही किया जायेगा, पर इसके फलस्वरूप वर्द्धित दर पर पेंशन/का वास्तविक भुगतान दिनांक 1 मार्च, 1989 से शुरू होगा ।

2. पेंशन के पुनरीक्षण/समेकन के पूर्व की अवधि में राज्य सरकार के पेंशनरों को जिस सिद्धान्त एवं दर पर महँगाई राहत स्वीकृत की जाती रही है, वह भारत सरकार के अधीन 1 जनवरी, 1986 के पूर्व तक ही प्रचलित थी । वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1853-वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 की कंडिका 4 में यह प्रावधान विहित है कि पेंशन के पुनरीक्षण/समेकन के बाद राज्य सरकार के पेंशनरों को भी भारत सरकार के फार्मूले एवं दर से प्रत्येक वर्ष की 1ली जुलाई और 1ली जनवरी को उसके पूर्ववर्ती 30 जून और 31 दिसम्बर को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत में 608 बिन्दु से ऊपर होनेवाली वृद्धि के आधार पर महँगाई राहत स्वीकृत की जायेगी । नई व्यवस्था के अधीन सभी कोटि के पेंशनभोगियों के लिए महँगाई राहत की दर समान होगी । राज्य के पेंशनभोगियों के पुनरीक्षित/समेकित पेंशन के भुगतान के निमित्त दिनांक 1 मार्च, 1989 को ही निर्णायक तिथि माना गया है और यह तिथि महँगाई राहत के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा निर्धारित दूसरी छमाही के बीच में पड़ता है जिस तिथि से केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी महँगाई राहत की कोई नई किस्त आदेय नहीं होती है । इस कारण भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञाप-संख्या 42 (14) पेंशन एवं पेंशन मो०न० 89ई०, दिनांक 21 सितम्बर, 1989 में उल्लिखित दर एवं शर्त्तों के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत दिनांक 1 जुलाई, 1989 के प्रभाव से निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :–

क्र०सं०	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3
1.	1,750 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 34 प्रतिशत
2.	1,750 रु० से अधिक किन्तु 3,000 रु० से अधिक नहीं	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 25 प्रतिशत परन्तु, कम से कम 595 रु०
3.	3,000 रु० से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 22 प्रतिशत परन्तु, कम से कम 750 रु०

3. देय पेंशन में राहत की गणना सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत मूल पेंशन अर्थात् लघुकरण के पूर्व प्राप्त पेंशन पर होगी । परन्तु इस आदेश के आधार पर पेंशन में स्वीकृत महँगाई राहत पूर्व से स्वीकृत सभी राहतों को

सामंजित करने के बाद ही देय होगी। चूँकि पारिवारिक पेंशन के परिमाप में समय-समय पर परिवर्त्तन होता रहता है, इसलिए राहत की अनुमान्यता भी तद्नुसार परिवर्त्तित होती रहेगी।

4. संकल्प संख्या 1375, दिनांक 17 फरवरी, 1983; संकल्प संख्या 4366, दिनांक 10 दिसम्बर, 1983; संकल्प सं० 522, दिनांक 7 मार्च, 1984; संकल्प संख्या 2875, दिनांक 10 अक्टूबर, 1984; संकल्प संख्या 6, दिनांक 8 जनवरी, 1985; संकल्प संख्या 1715, दिनांक 17 मई, 1985; संकल्प संख्या 4033, दिनांक 28 अक्टूबर, 1985; संकल्प संख्या 2961, दिनांक 18 अगस्त, 1985; संकल्प संख्या 3254, दिनांक 11 सितम्बर, 1986; संकल्प संख्या 4746, दिनांक 29 दिसम्बर, 1986; संकल्प संख्या 498, दिनांक 9 अप्रील, 1987 में स्वीकृत राहत की अनुमान्यता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या 3591, दिनांक 15 सितम्बर, 1983 की कंडिका 3 में निहित स्पष्टीकरण यथा वित्त विभागीय पत्र संख्या 489, दिनांक 2 मार्च, 1984 द्वारा संशोधित वर्त्तमान आदेश द्वारा स्वीकृत राहत की अनुमान्यता के लिए भी लागू होगा।

5. प्रतिशत के आधार पर गणना करने के फलस्वरूप यदि महँगाई राहत की राशि पैसों में आती हो, तो वित्त विभाग के पत्र संख्या 15282-वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1989 में निहित प्रावधानों के अनुसार अदायगी के निमित्त पैसों को रुपये में बदल दिया जाएगा।

6. पेंशन में उपर्युक्त राहत पुनर्नियोजन की अवधि को छोड़कर सभी असैनिक पेंशनभोगी कर्मचारियों को देय होगी जिनको क्षतिपूर्त्ति पेंशन, वार्धक्य, पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशनभोगियों को भी राहत की सुविधा मिलेगी।

7. पेंशनभोगियों को राहत भुगतान करने में विलम्ब के कारण बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत राहत, बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है। पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार राहत की राशि का भुगतान करेंगे। सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि ऐसे पेंशनर जो बैंक के माध्यम से पेंशन भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, उनके सम्बन्धित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भुगतान करने हेतु भेज दें। राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनर राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं उनसे सम्बन्धित महालेखाकारों को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना निश्चित रूप से वित्त विभाग को भी दी जाये।

8. दिनांक 1 जुलाई, 1989 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि को संकेतित करने हेतु संगणक (Ready Reckoner) संलग्न है, फिर भी महँगाई राहत का भुगतान करते समय उपर्युक्त कंडिका 4 में निहित प्रावधान का दृढ़ता से अनुपालन करना और इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले प्राधिकारों के लिए अनिवार्य है। **[*वित्त विभाग, संकल्प सं० पी०पी०-1-9-31/87-2425-वि०, दिनांक 25 मई, 1990]**

[तालिका अमुद्रित]

2.

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के नियमों के अधीन पेंशन पानेवाले पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों एवं असाधारण पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की स्वीकृति।**

चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा अपने पेंशनरों की पेंशन के मूल ढाँचे और पेंशन पर दी जानेवाली महँगाई राहत की स्वीकृति सम्बन्धी प्रणाली में मौलिक परिवर्त्तन किया गया है। फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा भी राज्य के पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन एवं महँगाई राहत के प्रसंग में तद्नुरूप अनुशंसा की गई है। उक्त संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा भी वित्त विभाग के संकल्प संख्या पी०सी० 1-9-16/87-1853-वि०, दिनांक 19 अप्रैल, 1990 एवं पी०सी० 1-9-16/87- 1854-वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 के द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन के पुनरीक्षण/समेकन करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पुनरीक्षित/समेकित पेंशन पर महँगाई राहत के प्रसंग के वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1853 वि०,

दिनांक 19 अप्रील, 1990 की कंडिका 4 में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के पेंशनरों को भी भारत सरकार के फार्मूले एवं दर से प्रत्येक वर्ष की 1ली जुलाई और 1ली जनवरी को उसके पूर्ववर्ती 30 जून और 31 दिसम्बर को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत में 608 बिन्दु से ऊपर होनेवाली वृद्धि के आधार पर महँगाई राहत स्वीकृत की जायेगी। उक्त के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या पी०सी० 1-9-31/87-2425-वि०, दिनांक 25 मई, 1990 के जरिये राज्य के पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जुलाई, 1989 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

2. उक्त आदेशों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि राज्य के पेंशनभोगियों को दिनांक 1 मार्च, 1989 से दिनांक 30 जून, 1989 तक की अवधि में किस सिद्धांत एवं दर से महँगाई राहत अनुमान्य होगी। इस बिन्दु पर सम्यक् विचारोपरान्त इस विभाग के संकल्प संख्या 3465-वि०, दिनांक 7 अगस्त, 1990 की कंडिका 4 में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 मार्च, 1989 से दिनांक 30 जून, 1989 तक की अवधि के लिये भी राज्य के पेंशनभोगियों को भारत सरकार की दर पर महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जायेगी, अर्थात् दिनांक 1 मार्च, 1989 से उन्हें उसी दर से महँगाई राहत अनुमान्य होगी, जिस दर से केन्द्र सरकार के पेंशनरों को दिनांक 1 जनवरी, 1989 से महँगाई राहत स्वीकृत की गई है। भारत सरकार के पत्रांक 42 (14) पी० एण्ड पी०डब्लू०/89 ई०, दिनांक 12 मई, 1989 के जरिये उसके पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 1989 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में दिनांक 1 मार्च, 1989 से 30 जून, 1989 तक की अवधि में राज्य के पेंशनभोगियों को अधोलिखित दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है –

क्र०सं०	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3
1.	1,750 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 29 प्रतिशत
2.	1,750 रु० से अधिक किन्तु 3,000 रु० से अधिक नहीं	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 22 प्रतिशत परन्तु, कम से कम 508 रु० प्रतिमाह
3.	3,000 रु० से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 19 प्रतिशत परन्तु, कम से कम 660 रु० प्रतिमाह

3. भारत सरकार (कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) ने अपने पत्रांक 42/3/पे० एवं पें०मो०क०/90-ई०, दिनांक 14 मार्च, 1990 के जरिये पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 1990 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की है। अत: राज्य के पेंशनभोगियों को भी उपर्युक्त पत्र के आलोक में दिनांक 1 जनवरी, 1990 के प्रभाव से अधोलिखित दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3
1.	1,750 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 38 प्रतिशत
2.	1,750 रु० से अधिक किन्तु 3,000 रु० से अधिक नहीं	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 28 प्रतिशत परन्तु, कम से कम 665 रु० प्रतिमाह
3.	3,000 रु० से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 25 प्रतिशत परन्तु, कम से कम 840 रु० प्रतिमाह

4. देय पेंशन में राहत की गणना सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत मूल पेंशन अर्थात् लघुकरण के पूर्व प्राप्त पेंशन पर होगी, परन्तु इस आदेश के आधार पर दिनांक 1 मार्च, 1989 से पेंशन में स्वीकृत महँगाई राहत का भुगतान करने के पूर्व इस विभाग के संकल्प संख्या 4845-वि०, दिनांक 1989 द्वारा दिनांक 1 मार्च 1989 से स्वीकृत महँगाई राहत की किस्त को सामंजित कर लिया जाये। इस आदेश में निहित दरों से महँगाई राहत का भुगतान केवल पुनरीक्षित समेकित पेंशन पर ही किया जाये।

5. महँगाई राहत को स्वीकृत करने की अन्य शर्त्तें पूर्ववत् ज्यों-की-त्यों अपरिवर्तित रहेगी। प्रतिशत के आधार पर गणना करने के फलस्वरूप यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक

15282-वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1989 में निहित प्रावधानों के अनुसार अदायगी के निमित्त पैसे को रुपये में बदल दिया जायेगा ।

पेंशन में उपर्युक्त राहत पुनर्नियोजन की अवधि को छोड़कर शेष असैनिक पेंशनभोगी कर्मचारियों को देय होगी जिनको क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त हो रहे हैं । इसके अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन/असाधारण पेंशनभोगियों को भी राहत की सुविधा मिलेगी ।

7. पेंशनभोगियों को राहत भुगतान करने में विलम्ब के कारण बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत राहत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत किया जाता है । पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार राहत की राशि का भुगतान करेंगे । सभी कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे पेंशनरों, जो बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, उनसे सम्बन्धित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भुगतान करने हेतु भेज दें । राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र के आधार पर ही की जा सकती है । इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं उनके सम्बन्धित महालेखाकारों को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये ।

8. दिनांक 1 मार्च, 1989 से दिनांक 30 जून, 1989 तक एवं 1 जनवरी, 1990 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि को संकेतित करने हेतु सद्य गणक (रेडी रेकनर) संलग्न है । फिर भी महँगाई राहत की स्वीकृति करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाये और इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करनेवाले पदाधिकारी के लिए अनिवार्य है । **[*संकल्प सं० पी०सी० 1-9- 31/87-4050/वि०, दिनांक 14 सितम्बर, 1990]**

(तालिका अमुद्रित)

3.

***विषय : राज्य के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों एवं असाधारण पेंशन-भोगियों को महँगाई राहत की स्वीकृति ।**

पेंशन विषयक नयी नीति एवं प्रणाली के क्रियान्वित किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को भारत सरकार के अधीन दिनांक 1 जनवरी, 1986 से प्रचलित प्रणाली, सूत्र एवं दर के अनुसार महँगाई राहत स्वीकृत करने की परिपाटी अपनायी गयी है । इस व्यवस्था के तहत् राज्य के पेंशनभोगियों को अभी तक वित्त विभाग के संकल्प सं० पी०सी० 1-9-37/87-4050 वि०, दिनांक 14 सितम्बर, 1990 के जरिये दिनांक 1 जनवरी, 1990 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति दी गयी है और औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में उन्हें दिनांक 1 जुलाई, 1990 से राहत प्रदान करने का विषय सरकार के विचाराधीन था । इस बीच भारत सरकार ने अपने पेंशनभोगियों को कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 42 (3) पी० एण्ड पी०डब्लू०/90 (ई०), दिनांक 17 सितम्बर, 1990 द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1990 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति दी है । इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी अपने पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 1990 के प्रभाव से अधोलिखित दर पर महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है ।

क्र०सं०	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3
1.	रु० 1,750 प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 43 प्रतिशत
2.	रु० 1,750 प्रतिमाह से अधिक किन्तु रु० 3,000 प्रतिमाह से अधिक नहीं ।	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 32 प्रतिशत परन्तु, कम से कम 753 रु० प्रतिमाह ।
3.	रु० 3,000 प्रतिमाह से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 28 प्रतिशत परन्तु, कम से कम 960 रु० प्रतिमाह ।

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना इस विभाग के संकल्प सं० 1853 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन/सेवानिवृत्त के समय प्राधिकृत पेंशन और संकल्प सं० 1854 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 के अन्तर्गत समेकित पेंशन पर की जाए । एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/समेकित पेंशन में शामिल रहेगी । इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सार्मजित कर ली जाए ।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से सम्बन्धित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् ज्यों-की-त्यों अपरिवर्तित रहेंगी । प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282 वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जाएगा ।

4. पेंशन में उपर्युक्त राहत पुनर्नियोजन की अवधि को छोड़कर शेष असैनिक पेंशनभोगी कर्मचारियों को देय होगी, जिनकी क्षतिपूर्त्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त हो रहे हैं । इसके अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन/असाधारण पेंशनभोगियों को भी राहत की सुविधा मिलेगी ।

5. पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग-1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है । पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार राहत की राशि का भुगतान करेंगे । सभी कोषागार पदाधिकारी, उप-कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए संबंधित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें । राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र के आधार पर ही की जा सकती है । इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये ।

6. दिनांक 1 जुलाई, 1990 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि को संकेतित करने हेतु सद्यः गणक (रेडी रेकनर) संलग्न है । फिर भी महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाये और इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारी के लिए अनिवार्य है ।[***वित्त विभाग, संकल्प संख्या पी०सी० 1-9-31/87/6006, दिनांक 28-12-1990]**

(तालिका अमुद्रित)

4.

***विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की स्वीकृति ।**

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभागीय संकल्प 6006/वि०, दिनांक 23 दिसम्बर, 1990 के जरिये दिनांक 1 जुलाई, 1990 के प्रभाव से महँगाई राहत स्वीकृत की गई है और औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 के परे हुई मूल्य वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में उन्हें दिनांक 1 जनवरी, 1991 से राहत प्रदान करने का विषय सरकार के विचाराधीन था । इस बीच भारत सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पत्रांक 42 (2) पी० एण्ड पी०डब्लू०/91 (ई०), दिनांक 31 मार्च, 1991 के जरिये अपने पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 1991 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है । अब राज्य सरकार द्वारा भी अपने पेंशनभोगियों को भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र में उपलिखित दर पर दिनांक 1 जनवरी, 1991 के प्रभाव से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत् है –

क्र०सं०	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3
1.	रु० 1,750 प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 51 प्रतिशत
2.	रु० 1,750 प्रतिमाह से अधिक किन्तु रु० 3,000 प्रतिमाह से अधिक नहीं ।	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 38 प्रतिशत परन्तु, कम से कम 893 रु० प्रतिमाह ।

3.	रु० 3,000 प्रतिमाह से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 33 प्रतिशत परन्तु, कम से कम 1,140 रु० प्रतिमाह ।

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये । एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत समेकित पेंशन में शामिल रहेगी । इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जाये ।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण सम्बन्धित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् ज्यों-की-त्यों अपरिवर्त्तित रहेंगी । प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282/वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जायेगा ।

4. पेंशन का आदेय राहत का भुगतान करते समय वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3556 वि०, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट आदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है, उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनको क्षतिपूर्त्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । परिवार पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवालों को भी यह राहत देय होगी ।

5. पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग–1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है । पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का भुगतान करेंगे । सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए सम्बन्धित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें । राज्य के बाहर की निकासी केवल महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र के आधार पर ही की जा सकती है । इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे सम्बन्धित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये ।

6. दिनांक 1 जनवरी, 1991 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि को संकेतित करने हेतु सद्य: गणक (रेडि रेकनर) संलग्न है । फिर भी महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाये और इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारी के लिए अनिवार्य है । **[*संकल्प संख्या 6493 वि०, दिनांक 30-8-1991]**

(तालिका अमुद्रित)

5.

*विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत के अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति ।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के संकल्प संख्या पी०सी० 1-5-1/91–6493-वि०, दिनांक 30 अगस्त, 1991 का निर्देश करना है, जिसके जरिए राज्य के पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 1991 के प्रभाव से आदेय महँगाई राहत की किस्त विमुक्त की गयी थी और यह कहना है कि दिनांक 1 जुलाई, 1991 और दिनांक 1 जनवरी, 1992 से आदेय महँगाई राहत की किस्तों को विमुक्त करने का विषय कुछ दिन पूर्व से सरकार के विचाराधीन था । इस बीच भारत सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 42 (3) पी० एण्ड पी०डब्लू०/91 (ई०), दिनांक 11 अक्तूबर, 1991 और संख्या 42/2/92-पी० एण्ड पी०डब्लू०(जी०) दिनांक 8 अप्रील, 1992 के जरिये अपने पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जुलाई, 1991 और दिनांक 1 जनवरी, 1992 के प्रभाव से महँगाई राहत की किस्त स्वीकृत की गई है । इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी अपने पेंशनभोगियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 बिंदु से परे का वृद्धि से परित्राण दिलाने हेतु दिनांक 1 जुलाई, 1991 और दिनांक 1 जनवरी, 1992 के प्रभाव से अधोलिखित दर के अनुसार महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है –

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1-7-1991	(क)	1,750 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 60 प्रतिशत
	(ख)	1,750 रु० से अधिक किन्तु 3,000 से अधिक नहीं।	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 45 प्रतिशत (न्यूनतम 1,050 रु० प्रतिमाह)
	(ग)	3,000 से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 39 प्रतिशत (न्यूनतम 1,350 रु० प्रतिमाह)
1-1-1992	(क)	1,750 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 71 प्रतिशत
	(ख)	1,750 रु० से अधिक किन्तु 3,000 से अधिक नहीं।	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 53 प्रतिशत (न्यूनतम 1,243 रु० प्रतिमाह)
	(ग)	3,000 से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 46 प्रतिशत (न्यूनतम 1,590 रु० प्रतिमाह)

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा, सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये। एतदर्थ पेंशन की रूपांतरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/ समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जाये।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से सम्बन्धित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् ज्यों-की-त्यों अपरिवर्तित रहेंगी। प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282-वि०, दिनांक 28 नवम्बर 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जायेगा।

4. पेंशन पर आदेय राहत का भुगतान करते समय वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3556 वि०, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। उक्त स्थितियों को छोड़कर, महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनकी क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। परिवार पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवालों को भी यह राहत देय होगी।

5. पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 344 (1) के अंतर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अंतर्गत दिया जाता है। पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का भुगतान करेंगे। सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए सम्बन्धित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें। राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार- पत्र के आधार पर ही की जा सकती है इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे सम्बन्धित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये।

6. दिनांक 1 जुलाई, 1991 और 1 जनवरी, 1992 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि को संकेतित करने हेतु सद्यः गणक (रेडी रेकनर) संलग्न है। फिर भी महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों को दृढ़ता से पालन किया जाये और इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करनेवाले पदाधिकारी के लिये अनिवार्य है। [***सं० सी 1-5-1/91-4548-वि०, दिनांक 23-6-1992**]

(तालिका अमुद्रित)

6.

***विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति।**

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० पी०सी०-1-5-1191-4548, दिनांक 25 जून, 1992 के द्वारा क्रमशः दिनांक 1 जुलाई, 1991 एवं दिनांक 1 जनवरी, 1992 के प्रभाव से महँगाई राहत स्वीकृत की गयी है। दिनांक 1 जुलाई, 1992 से महँगाई राहत की किस्त को विमुक्त करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था। इस बीच भारत सरकार सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के पत्रांक 42/2/92-पी० एण्ड पी०डब्लू०जी० दिनांक 30 सितम्बर, 1992 द्वारा अपने पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जुलाई, 1992 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी अपने पेंशनभोगियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 बिन्दु से परे की वृद्धि के आलोक में दिनांक 1 जुलाई, 1992 से निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1-7-1992	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 83 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 62 प्रतिशत न्यूनतम 1,453 रु० प्रतिमाह
	(ग)	3,000 से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 54 प्रतिशत न्यूनतम 1,860 रु० प्रतिमाह

उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये। एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि समेकित कर ली जाये।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् ज्यों-की-त्यों अपरिवर्तित रहेगी। प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282 वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जायेगा।

4. पेंशन पर आदेश राहत का भुगतान करते समय वित्त विभाग परिपत्र संख्या 3556 वि०, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनको क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। परिवार पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवालों को भी यह राहत देय होगी।

5. पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान के विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग 1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है। पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का भुगतान करेंगे। सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिये संबंधित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें। राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार-पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं उनसे संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये।

6. दिनांक 1 जुलाई, 1992 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि को संकेतिक करते हुए संगणक (रेडी-रेकनर) संलग्न है। फिर भी महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों

का दृढ़ता से पालन किया जाये और इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करनेवाले पदाधिकारी के लिये अनिवार्य है। [*ज्ञापांक 4259, दिनांक 13-4-1994]

(तालिका अमुद्रित)

7.

विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति।

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० पी०सी०-1-5-1191-4259, दिनांक 13 अप्रील, 1994 के द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1992 के प्रभाव से महँगाई राहत स्वीकृत की गयी है। दिनांक 1 जनवरी, 1993 से महँगाई राहत की किस्त को विमुक्त करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था। इस बीच भारत सरकार द्वारा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण) के पत्रांक 42/2/93 पी० एण्ड पी०डब्लू०जी०, दिनांक 26-4-1993 द्वारा अपने पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 1993 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी अपने पेंशनभोगियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 बिन्दु से परे की वृद्धि के आलोक में दिनांक 1 जनवरी, 1993 से निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1-1-1993	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 92 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 69 प्रतिशत न्यूनतम 1,610 रु० प्रतिमाह
	(ग)	3,000 से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 59 प्रतिशत न्यूनतम 2,070 रु० प्रतिमाह

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये। एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि समेकित कर ली जाये।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् ज्यों-की-त्यों अपरिवर्तित रहेगी। प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282 वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जायेगा।

4. पेंशन पर आदेय राहत का भुगतान करते समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 3556 वि०, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनको क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। परिवार पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवालों को भी राहत देय होगी।

5. पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग 1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है। पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का भुगतान करेंगे। सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिये संबंधित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें। राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार-पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं उनसे संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये। [*ज्ञापांक सं० 6952 वि०, दिनांक 27-6-1994]

(तालिका अमुद्रित)

8.

*विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति।

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० पी०सी० मिस-151/93–6952 वि०, दिनांक 27 जून, 1994 के द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1993 के प्रभाव से महँगाई राहत स्वीकृत की गई है। दिनांक 1 जुलाई, 1993 एवं 1 जनवरी, 1994 से महँगाई राहत की किस्तों को स्वीकृत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था। इस बीच भारत सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के पत्रांक 42/2/93 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 29 सितम्बर, 1993 एवं नं० 42/5/94 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 4 अप्रील, 1994 द्वारा अपने पेंशनभोगियों को क्रमशः दिनांक 1 जुलाई, 1993 एवं 1 जनवरी, 1994 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी अपने पेंशनभोगियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 बिन्दु से परे की वृद्धि के आलोक में दिनांक 1 जुलाई, 1993 एवं 1 जनवरी, 1994 से निम्नलिखित दर पर महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है –

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1 जुलाई, 1993	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 97 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 73 प्रतिशत न्यूनतम 1,698 रु० प्रतिमाह।
	(ग)	3,000 से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 63 प्रतिशत न्यूनतम 2,190 रु० प्रतिमाह।
1 जनवरी, 1994	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 104 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 78 प्रतिशत न्यूनतम 1,820 रु० प्रतिमाह।
	(ग)	3,000 से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 67 प्रतिशत न्यूनतम 2,340 रु० प्रतिमाह।

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये। एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/ समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि समेकित कर ली जाये।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् ज्यों–की–त्यों अपरिवर्त्तित रहेगी। प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282/वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जायेगा।

4. पेंशन पर राहत का भुगतान करते समय पुनर्नियुक्त पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3556 वि०, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनकी क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। परिवार पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वालों को भी यह राहत देय होगी।

5. पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है। पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का भुगतान करेंगे। सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि बैंक के माध्यम

से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान करानें के लिये संबंधित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें । राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार- पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिये महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये ।

6. दिनांक 1 जुलाई, 1993 एवं 1 जनवरी, 1994 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि की गणना हेतु संगणक (रेडी-रेकनर) संलग्न है । फिर भी महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाये और इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारी के लिये अनिवार्य है । [***संकल्प वित्त विभाग संख्या पी०सी० 1-मिस० 151/93-9774 वि०, दिनांक 3 सितम्बर, 1994**]

(तालिका अमुद्रित)

9.

***विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति ।**

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं०–पी०सी० 1 मिस०-151/93-9774 वि०, दिनांक 3 सितम्बर, 1994 के द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1993 एवं 1 जनवरी, 1994 के प्रभाव से महँगाई राहत स्वीकृत की गई है । दिनांक 1 जुलाई, 1994 से महँगाई राहत की किस्तों को स्वीकृत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । इस बीच भारत सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के पत्रांक 42/5/94 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 22 सितम्बर, 1994 द्वारा अपने पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जुलाई, 1994 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी अपने पेंशनभोगियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 बिन्दु से परे की वृद्धि के आलोक में दिनांक 1 जुलाई, 1994 से निम्नलिखित दर पर महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :–

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1 जुलाई, 1994	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 114 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 85 प्रतिशत न्यूनतम 1,995 रु० प्रतिमाह
	(ग)	3,000 से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 74 प्रतिशत न्यूनतम 2,550 रु० प्रतिमाह

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये । एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/समेकित पेंशन में शामिल रहेगी । इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि समेकित कर ली जाये ।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से संबंधित अन्य सभी शर्त्तें पूर्ववत् ज्यों-की-त्यों अपरिवर्त्तित रहेगी । प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282/वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जायेगा ।

4. पेंशन पर राहत का भुगतान करते समय पुनर्नियुक्त पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3556 वि०, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है । उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी,

जिनको क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । परिवार पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वालों को भी यह राहत देय होगी ।

5. पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग-1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है । पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का भुगतान करेंगे । सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए संबंधित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें । राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है ।

इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये ।

[*संख्या पी०सी०-1 मिस० 151/93/3835-वि०, दिनांक 30-5-1995]

(तालिका अमुद्रित)

10.

***विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति ।**

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० पी०सी०-1 मिस० 151/93-3835-वि०, दिनांक 30 मई, 1995 के द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1994 के प्रभाव से महँगाई राहत स्वीकृत की गई है । दिनांक 1 जनवरी, 1995 से महँगाई राहत की किस्तों को स्वीकृत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । इस बीच भारत सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी), कल्याण विभाग के पत्रांक 42/2/95-पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 28 मार्च, 1995 द्वारा अपने पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 1995 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है । इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी अपने पेंशनभोगियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 बिन्दु से परे की वृद्धि के आलोक में दिनांक 1 जनवरी, 1995 से निम्नलिखित दर पर महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है ।

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1 जनवरी, 1995	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 125 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 94 प्रतिशत न्यूनतम 2,188 रु० प्रतिमाह
	(ग)	3,000 से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 81 प्रतिशत न्यूनतम 2,820 रु० प्रतिमाह

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्त के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये । एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/ समेकित पेंशन में शामिल रहेगी । इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जाये ।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् ज्यों-की-त्यों अपरिवर्त्तित रहेगी । प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282/वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जायेगा ।

4. पेंशन पर राहत का भुगतान करते समय पुनर्नियुक्त पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3556-वि०, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया

जाना अनिवार्य है । उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनको क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वालों को भी यह राहत देय होगी ।

5. पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग-1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है । पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का भुगतान करेंगे । सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें । राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिये महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये ।

6. दिनांक 1 जनवरी, 1995 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि की गणना हेतु संद्य: गणक (रेडी-रेकनर) संलग्न है । फिर भी महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाये और इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारी के लिये अनिवार्य है । **[*संकल्प सं० पी०सी० 1-मिस-151/93/260 वि०, दिनांक 12 जनवरी, 1996]**

(तालिका अमुद्रित)

11.

***विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति ।**

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशन-भोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० पी०सी०-1-मिस०-151/93-260-वि०, दिनांक 12 जनवरी, 1996 के द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1995 के प्रभाव से महँगाई राहत स्वीकृत की गई है । दिनांक 1 जुलाई, 1995 से महँगाई राहत की किस्त को स्वीकृत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । इस बीच भारत सरकार द्वारा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के पत्रांक 42/2/95-पी० एण्ड पी०डब्लू०(जी०), दिनांक 25 सितम्बर, 1995 द्वारा अपने पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जुलाई, 1995 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है । इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी अपने पेंशनभोगियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 बिन्दु से परे की वृद्धि के आलोक में दिनांक 1 जुलाई, 1995 से निम्नलिखित दर पर महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है –

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1 जुलाई, 1995	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 136 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 102 प्रतिशत न्यूनतम 2,380 रु० प्रतिमाह ।
	(ग)	3,000 से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 88 प्रतिशत न्यूनतम 3,060 रु० प्रतिमाह ।

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये । एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/ समेकित पेंशन में शामिल रहेगी । इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जाये ।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् ज्यों-की-त्यों अपरिवर्तित रहेगी । प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282/वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जायेगा ।

4. पेंशन पर राहत का भुगतान करते समय पुनर्नियुक्त पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3556-वि०, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है । उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनको क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन वालों को भी यह राहत देय होगी ।

5. पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग-1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है । पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का भुगतान करेंगे । सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिये संबंधित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें । राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिये महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये ।

6. दिनांक 1 जुलाई, 1995 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि की गणना हेतु संघ: गणक (रेडी-रेकनर) संलग्न है । फिर भी महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाये और इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारी के लिये अनिवार्य है । [***संकल्प सं० 2999-वि०, दिनांक 15 मार्च, 1996**]

(तालिका अमुद्रित)

12.

*विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को औपबन्धिक पेंशन पर महँगाई राहत की स्वीकृति ।

सम्प्रति राज्य के पेंशनभोगियों को औपबन्धिक पेंशन पर महँगाई राहत देय नहीं है पर केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को औपबन्धिक पेंशन पर महँगाई राहत देय है । राज्य के पेंशनभोगियों को इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार एवं शिक्षण पदाधिकारी कर्मचारी संयुक्त/संयुक्त समन्वय समिति के बीच दिनांक 9-2-1992 को एक समझौता हुआ था ।

2. राज्य सरकार ने इस विषय पर पूर्ण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि राज्य के पेंशनभोगियों को औपबंधिक पेंशन पर भी पूर्ण महँगाई राहत देय होगा । यह व्यवस्था औपबंधिक रूप से स्वीकृत पारिवारिक पेंशन के लिए लागू नहीं होगी ।

3. यह आदेश दिनांक 1-10-1995 से प्रभावी होगा ।

4. जिन मामलों में विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालय-प्रधान, औपबन्धिक पेंशन की निकासी के लिए प्राधिकृत है, उन मामलों में महँगाई राहत की निकासी के लिए वे ही सक्षम होंगे । जिन मामलों में महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पर औपबन्धिक पेंशन की निकासी की जाती है, उन मामलों में संबंधित कोषागार/उप-कोषागार द्वारा ही महँगाई राहत की अनुमान्यता की गणना कर भुगतान किया जायेगा । यदि औपबंधिक पेंशन का भुगतान राज्य के लिए चयनित पब्लिक सेक्टर बैंक के माध्यम से किया जा रहा है तो बैंक के संबंधित शाखा द्वारा अनुमान्यता की गणना की जायेगी तथा संबंधित पेंशन खाते में आकलित किया जायेगा जहाँ से पेंशनर अपनी सुविधानुसार राशि की निकासी करेंगे । [***संकल्प ज्ञापांक पी०सी० 1-मिस०-36-90/9548 वि०, दिनांक 12-10-1995**]

13.

*विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति ।

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० पी०सी०-1 मिस०-151/93-2999-वि०, दिनांक 15 मार्च, 1996 के द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1995 के प्रभाव से महँगाई राहत स्वीकृत की गई है ।

दिनांक 1 जनवरी, 1996 से महँगाई राहत की किस्त को स्वीकृत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । इस बीच भारत सरकार द्वारा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पत्रांक 42/8/96 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 20 मार्च, 1996 द्वारा अपने पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 1996 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है । इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी अपने पेंशनभोगियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 बिन्दु से परे की वृद्धि के आलोक में दिनांक 1 जनवरी, 1996 से निम्नलिखित दर पर महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है –

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1 जनवरी, 1996	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 148 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 111 प्रतिशत न्यूनतम 2,590 रु० प्रतिमाह ।
	(ग)	3,000 से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 96 प्रतिशत न्यूनतम 3,330 रु० प्रतिमाह ।

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये । एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/ समेकित पेंशन में शामिल रहेगी । इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जाये ।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् ज्यों–की–त्यों अपरिवर्त्तित रहेगी । प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282/वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जायेगा ।

4. पेंशन पर राहत का भुगतान करते समय पुनर्नियुक्त पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3556 वि०, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है । उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनको क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वालों को भी यह राहत देय होगी ।

5. पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग-1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है । पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का भुगतान करेंगे । सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए संबंधित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें । राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिये महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये ।

6. दिनांक 1 जनवरी, 1996 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि की गणना हेतु संद्यः गणक (रेडी–रेकनर) संलग्न है । फिर भी महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाये और इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारी के लिये अनिवार्य है । [***ज्ञाप सं० पी०सी० 1-मिस०–151/93– 9745 वि०, दिनांक 28-8-1996**]

(तालिका अमुद्रित)

14.

*विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति ।

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० पी०सी०-1-मिस०-151/93--9745-वि०, दिनांक 28 अगस्त, 1996 के द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1996 के प्रभाव से महँगाई राहत स्वीकृत की गई है। दिनांक 1 जुलाई, 1996 से महँगाई राहत की किस्त को स्वीकृत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । इस बीच भारत सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के पत्रांक 42/2/96 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 12 सितम्बर, 1996 द्वारा अपने पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जुलाई, 1996 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है । इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी अपने पेंशनभोगियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 बिन्दु से परे की वृद्धि के आलोक में दिनांक 1 जुलाई, 1996 से निम्नलिखित दर पर महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है —

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1 जुलाई, 1996	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 159 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 119 प्रतिशत न्यूनतम 2,783 रु० प्रतिमाह ।
	(ग)	3,000 से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 103 प्रतिशत न्यूनतम 3,570 रु० प्रतिमाह ।

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये । एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/ समेकित पेंशन में शामिल रहेगी । इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जाये ।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् ज्यों-की-त्यों अपरिवर्तित रहेगी । प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282/वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जायेगा ।

4. पेंशन पर राहत का भुगतान करते समय पुनर्नियुक्त पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3556 वि०, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है । उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनको क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वालों को भी यह राहत देय होगी ।

5. पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग-1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है । पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का भुगतान करेंगे । सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए संबंधित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें । राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिये महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये ।

6. दिनांक 1 जुलाई, 1996 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि की गणना हेतु सद्यः गणक (रेडी-रेकनर) संलग्न है । फिर भी महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों

का दृढ़ता से पालन किया जाये और इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारी के लिये अनिवार्य है। [*ज्ञाप सं० पी०सी० 1-मिस-151/93- 13139 वि०, दिनांक 6-11-1996]

(तालिका अमुद्रित)

15.

***विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति।**

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० पी०सी०/मिस-151/93-13139 वि०, दिनांक 6 नवम्बर, 1996 के द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1996 के प्रभाव से महँगाई राहत स्वीकृत की गयी है। दिनांक 1 जनवरी, 1997 से महँगाई राहत की किस्त को स्वीकृत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था। इस बीच भारत सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी) कल्याण विभाग के पत्रांक 42/2/197 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 3 अप्रैल, 1997 द्वारा अपने पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 1997 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी अपने पेंशनभोगियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 बिन्दु से परे की वृद्धि के आलोक में दिनांक 1 जनवरी, 1997 से निम्नलिखित दर पर महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है –

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1 जनवरी, 1997	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 170 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 128 प्रतिशत न्यूनतम 2,975 रु० प्रतिमाह।
	(ग)	3,000 रु० से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 110 प्रतिशत न्यूनतम 3,840 रु० प्रतिमाह।

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये। एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जाये।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् ज्यों-की-त्यों अपरिवर्तित रहेगी। प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282/वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जायेगा।

4. पेंशन पर राहत का भुगतान करते समय पुनर्नियुक्त पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3556 वि०, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनको क्षतिपूर्त्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वालों को भी यह राहत देय होगी।

5. पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग-1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है। पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का भुगतान करेंगे। सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए संबंधित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें। राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिये महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर

पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये ।

6. दिनांक 1 जनवरी, 1996 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि की गणना हेतु संद्यः गणक (रेडी-रेकनर) संलग्न है । फिर भी महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाये और इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारी के लिये अनिवार्य है । [***संख्या पी०सी० /मिस-151/93--6850 वि०, दिनांक 30 मई, 1997]**

(तालिका अमुद्रित)

16.

*विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति ।

राज्य सरकार के द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-पी०सी०-1-मिस-151/93-6850, दिनांक 30 मई, 1997 के द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1997 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति दी गई है । दिनांक 1 जुलाई, 1997 से पेंशनभोगियों को महँगाई राहत स्वीकृत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । इस बीच भारत सरकार के कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय पेंशन एवं पेंशनभोगियों (कल्याण विभाग, के पत्रांक 42/2/97 पी० एण्ड पी०जी०, दिनांक 27-10-1997 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को पंचम वेतन पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 1-7-1997 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है । तदनुसार जबतक फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर वेतन पुनरीक्षण का निर्णय नहीं हो जाता है, तबतक के लिए पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्व के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को ए०आई०सी०पी०आई०-1718.58 के आधार पर वर्ष 1960 के लिए न्यूट्रालाइजेशन की प्रतिशत पूर्व की भाँति रखते हुए निम्नलिखित दर पर महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है –

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1 जुलाई, 1997	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 182 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 136 प्रतिशत न्यूनतम 3,185 रु० प्रतिमाह ।
	(ग)	3,000 से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 118 प्रतिशत न्यूनतम 4,080 रु० प्रतिमाह ।

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये । एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/ समेकित पेंशन में शामिल रहेगी । इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जाये । [***संख्या पी०सी० /मिस०-151/93-950-वि०, दिनांक 22-1-1998]**

(शेष पूर्ववत्)

(तालिका अमुद्रित)

17.

*विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति ।

राज्य सरकार के द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-पी०सी०-1-मिस-151/93-950, दिनांक 22 जनवरी, 1998 के द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1997 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति दी गई है । दिनांक 1 जनवरी, 1998 से पेंशनभोगियों को महँगाई राहत स्वीकृत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । इस बीच भारत सरकार के कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय पेंशन एवं पेंशनभोगियों (कल्याण विभाग, के पत्रांक 42/3/98 पी० एण्ड पी०जी०, दिनांक 15 अप्रील, 1998 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को पंचम वेतन पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 1998 के प्रभाव से

महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है । तद्नुसार जबतक फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर वेतन पुनरीक्षण का निर्णय नहीं हो जाता है, तबतक के लिए पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्व के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को ए०आई०सी०पी०आई०–1765.34 के आधार पर वर्ष 1960 के लिए न्यूट्रालाइजेशन की प्रतिशत पूर्व की भाँति रखते हुए निम्नलिखित दर पर महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है –

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1 जनवरी, 1998	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 190 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 142 प्रतिशत न्यूनतम 3,325 रु० प्रतिमाह ।
	(ग)	3,000 से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 123 प्रतिशत न्यूनतम 4,260 रु० प्रतिमाह ।

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये । एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/ समेकित पेंशन में शामिल रहेगी । इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जाये ।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् ज्यों–की–त्यों अपरिवर्त्तित रहेगी । प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282/वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जायेगा ।

4. पेंशन पर राहत का भुगतान करते समय पुनर्नियुक्त पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3556 वि०, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है । उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनको क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वालों को भी यह राहत देय होगी ।

5. पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग–1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है । पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का भुगतान करेंगे । सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए संबंधित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें । राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिये महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

6. दिनांक 1 जनवरी, 1996 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि की गणना हेतु संघः गणक (रेडी–रेकनर) संलग्न है । फिर भी महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाये और इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारी के लिये अनिवार्य है । [***संख्या पी०सी०–1–मिस०–151/93– 4184 वि०, दिनांक 16–6–1998**]

(तालिका अमुद्रित)

18.

*विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति ।

राज्य सरकार के द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-पी०सी०-1-मिस०-151/93/4184, दिनांक 16 जून, 1998 के द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1998 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति की गई है। दिनांक 1 जुलाई, 1998 से पेंशनभोगियों को महँगाई राहत स्वीकृति करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था। इस बीच भारत सरकार के कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगियों) कल्याण विभाग, के पत्रांक 42/3/98 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 15 सितम्बर, 1998 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को पंचम वेतन पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 1 जुलाई, 1998 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है। तद्नुसार जबतक फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर वेतन पुनरीक्षण का निर्णय नहीं हो जाता है, तबतक के लिये पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्व के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को ए०आई०सी०पी०आई०-1847.64 के आधार पर वर्ष 1960 के लिये न्यूट्रलाईजेशन की प्रतिशत पूर्व की भाँति रखते हुए निम्नलिखित दर पर महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है –

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1 जुलाई, 1998	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 203 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 152 प्रतिशत न्यूनतम 3,553 रु० प्रतिमाह।
	(ग)	3,000 से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 123 प्रतिशत न्यूनतम 4,560 रु० प्रतिमाह।

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये। एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/ समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जाये।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् ज्यों–की–त्यों अपरिवर्तित रहेगी। प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282/वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जायेगा।

4. पेंशन पर राहत का भुगतान करते समय पुनर्नियुक्त पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3556 वि०, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनको क्षतिपूर्त्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वालों को भी यह राहत देय होगी।

5. पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग-1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है। पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का भुगतान करेंगे। सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए संबंधित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें। राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिये महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये।

6. दिनांक 1 जुलाई, 1998 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाये और इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की

शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारी के लिये अनिवार्य है ।[*ज्ञाप सं०–पी०सी०/मिस-151/93/5556 वि०, दिनांक 16-11-1998]

(तालिका अमुद्रित)

19.

***विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति ।**

राज्य सरकार के द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० पी०सी० 1-मिस०-151/93/5556 वि०, दिनांक 16 नवम्बर, 1998 के द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1998 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति की गई है । दिनांक 1 जनवरी, 1999 से पेंशनभोगियों को महँगाई राहत स्वीकृत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । इस बीच भारत सरकार के कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशन भोगियों) कल्याण विभाग के पत्रांक 42/2/99 पी० एण्ड पी०डब्लू०यू०जी०, दिनांक 23 अप्रील, 1999 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को पंचम वेतन पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 1999 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है । तद्नुसार जबतक फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर वेतन पुनरीक्षण का निर्णय नहीं हो जाता है तबतक के लिये पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्व के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को ए०आई०सी०पी०आई० 1996-82 के आधार पर वर्ष 1960 के लिये न्यूट्रलाईजेशन की प्रतिशत पूर्व की भाँति रखते हुए निम्नलिखित दर पर महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है –

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1 जनवरी, 1999	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 228 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 171 प्रतिशत न्यूनतम 3,990 रु० प्रतिमाह ।
	(ग)	3,000 से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 148 प्रतिशत न्यूनतम 5,130 रु० प्रतिमाह ।

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये । एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/ समेकित पेंशन में शामिल रहेगी । इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत को पूरी राशि सामंजित कर ली जाये ।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् ज्यों–की–त्यों अपरिवर्तित रहेगी । प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282/वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जायेगा ।

4. पेंशन पर राहत का भुगतान करते समय पुनर्नियुक्त पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3556 वि०, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है । उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनकी क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वालों को भी यह राहत देय होगी ।

5. पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग-1 के नियम 344 (-1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है । पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का भुगतान करेंगे । सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए संबंधित सभी बैंकों को

इस संकल्प की प्रति भेज दें । राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिये महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये ।

6. दिनांक 1 जनवरी, 1999 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाये और इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारी के लिये अनिवार्य है ।[*ज्ञाप सं०–पी०सी०-1-मि०-151/93/5196 वि०, दिनांक 12-6-1999]

(तालिका अमुद्रित)

20.

***विषय : राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति ।**

राज्य सरकार के द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० पी०सी० 1-मिस-151/93-5196 वि०, दिनांक 12 जून, 1999 के द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1999 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति की गई है । दिनांक 1 जुलाई, 1999 से पेंशनभोगियों को महँगाई राहत स्वीकृत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । इस बीच भारत सरकार के कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगियों) कल्याण विभाग के पत्रांक-एफ सं० 1(8)99, संख्या 11(ख) 1050-42/3/98 पी० एण्ड पी०डब्लू० दिनांक 14 सितम्बर, 1999 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को पंचम वेतन पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 1 जुलाई, 1999 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है । तद्नुसार जबतक फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर वेतन पुनरीक्षण का निर्णय नहीं हो जाता है तबतक के लिये पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्व के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशन- भोगियों को ए०आई०सी०पी०आई० 2073.23 के आधार पर वर्ष 1960 के लिये न्यूट्रालाईजेशन की प्रतिशत पूर्व की भाँति रखते हुए निम्नलिखित दर पर महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है –

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1 जुलाई, 1999	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 240 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 180 प्रतिशत न्यूनतम 4,200 रु० प्रतिमाह ।
	(ग)	3,000 से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 156 प्रतिशत न्यूनतम 5,400 रु० प्रतिमाह ।

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये । एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/ समेकित पेंशन में शामिल रहेगी । इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जाये ।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् ज्यों-की-त्यों अपरिवर्तित रहेगी । प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282/वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जायेगा ।

4. पेंशन पर राहत का भुगतान करते समय पुनर्नियुक्त पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3556 वि०, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है । उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनको क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वालों को भी यह राहत देय होगी ।

5. पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग-1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है । पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का भुगतान करेंगे । सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए संबंधित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें । राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिये महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये ।

6. दिनांक 1 जुलाई, 1999 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि की गणना हेतु संद्यः गणक (रेडी-रेकनर) संलग्न है । फिर भी महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाये और इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारी के लिये अनिवार्य है । **[*ज्ञाप सं०–पी०सी०-1-मि०-151/93– 9823 वि०, दिनांक 28 अक्टूबर, 1999]**

(तालिका अमुद्रित)

21.

***विषय : राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति ।**

राज्य सरकार के द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 9823, दिनांक 28-10-1999 के द्वारा 1 जुलाई, 1999 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति दी गई है । दिनांक 1 जनवरी, 2000 से पेंशनभोगियों को महँगाई राहत स्वीकृत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । इसी बीच भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगियों कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या 42/3/2000 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 6-4-2000 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 2000 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

तद्नुसार राज्य सरकार के द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है –

(1) राज्य सरकार के वैसे पेंशनधारकों को जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22-12-1999 के आलोक में किया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 38 प्रतिशत राशि दिनांक 1 जनवरी, 2000 के प्रभाव से महँगाई राहत अनुमान्य होगी ।

(2) राज्य के वैसे पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगी, जिनके पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558, दिनांक 22-12-1999 के आलोक में नहीं हो सका है, को महँगाई राहत का भुगतान दिनांक 31-12-1999 के ए०आई०सी०पी०आई० 2089.99 (आधार वर्ष 1960) के आधार पर न्यूट्रलाईजेशन के प्रतिशत पूर्व के भाँति 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत के अनुसार गणना निम्न प्रकार की जाएगी –

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1 जनवरी, 2000	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 243 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 182 प्रतिशत न्यूनतम 4,253 रु० प्रतिमाह ।
	(ग)	3,001 रु० एवं अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 158 प्रतिशत न्यूनतम 5,460 रु० प्रतिमाह ।

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति, पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाए। एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/ समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जाएगी।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से सम्बन्धित अन्य सभी वर्तमान शर्त्त पूर्ववत् लागू एवं अपरिवर्तित रहेगी। प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282 वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जाएगा।

4. पेंशन पर राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के सम्बन्ध में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 3556, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। उक्त स्थिति को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी सैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनको क्षतिपूर्त्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वालों को भी यह राहत देय होगी।

5. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग-1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है। पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर उक्त भुगतान का आदेश कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है। साथ ही उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करनेवाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी अधिकृत पब्लिक सेक्टर बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार-पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे सम्बन्धित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाए तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाए।

6. दिनांक 1 जनवरी, 2000 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाए तथा इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच हर हालत में प्रत्येक मामले में भुगतान के समय कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारी के लिए अनिवार्य होगा। [***संकल्प संख्या पी०सी० मिस-151/93/6635-वि०, दिनांक 31 जुलाई, 2000**]

(तालिका अमुद्रित)

22.

***विषय : राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति।**

राज्य सरकार के द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6635, दिनांक 31 जुलाई 2000 के द्वारा 1 जनवरी, 2000 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति दी गई है। दिनांक 1 जुलाई, 2000 से पेंशनभोगियों को महँगाई राहत स्वीकृत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था। इसी बीच भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगियों कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या 42(3)2000 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 28 सितम्बर, 2000 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जुलाई, 2000 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार राज्य सरकार के द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है –

(1) राज्य सरकार के वैसे पेंशनधारकों को जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22-12-1999 के आलोक में किया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 41 प्रतिशत राशि दिनांक 1 जुलाई, 2000 के प्रभाव से महँगाई राहत अनुमान्य होगी।

(2) राज्य के वैसे पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगी, जिनके पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558, दिनांक 22-12-1999 के आलोक में नहीं हो सका है, को महँगाई राहत का भुगतान दिनांक 31-12-1999 के ए०आई०सी०पी०आई० 2136.05 (आधार वर्ष 1960) के आधार पर न्यूट्रलाईजेशन के प्रतिशत पूर्व के भाँति 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत के अनुसार गणना निम्न प्रकार की जाएगी –

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1 जुलाई, 2000	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 251 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 188 प्रतिशत न्यूनतम 4,393 रु० प्रतिमाह ।
	(ग)	3,001 रु० एवं अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 163 प्रतिशत न्यूनतम 5,640 रु० प्रतिमाह ।

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति, पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाए। एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/ समेकित पेंशन में शामिल रहेगी । इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जाएगी ।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से सम्बन्धित अन्य सभी वर्तमान शर्त्त पूर्ववत् लागू एवं अपरिवर्तित रहेंगी । प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282 वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जाएगा ।

4. पेंशन पर राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के सम्बन्ध में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 3556, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है । उक्त स्थिति को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी सैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनको क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वालों को भी यह राहत देय होगी ।

5. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग-1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है । पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर उक्त भुगतान का आदेश कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है । साथ ही उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करनेवाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी अधिकृत पब्लिक सेक्टर बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार-पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे सम्बन्धित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाए तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाए ।

6. पेंशनभोगियों को इस अतिरिक्त राहत वृद्धि की राशि का भुगतान 1-2-2001 से नगद रूप में किया जायेगा एवं बकाये का भुगतान एक मुस्त जुलाई, 2001 में होगा ।

7. दिनांक 1 जुलाई, 2000 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाए तथा इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच हर हालत में प्रत्येक मामले में भुगतान के समय कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारी के लिए अनिवार्य होगा । [*संख्या पी०सी० मिस-15/93/1687 वि०, दिनांक 22-2-2001]

(तालिका अमुद्रित)

23.

***विषय : दिनांक 1 जनवरी, 2001 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति ।**

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० 1687, दिनांक 22 फरवरी, 2001 द्वारा 1 जुलाई, 2000 के प्रभाव से महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त प्रदान की गई थी । भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापांक–42/2/2000 पी० एण्ड पी०डब्लू०(जी०), दिनांक 11 अप्रैल, 2001 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 2001 के प्रभाव से 43 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. तद्नुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2001 के प्रभाव से निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है –

(1) राज्य सरकार के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या–11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 सितम्बर, 1999 के आलोक में किया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर 43 प्रतिशत महँगाई राहत अनुमान्य होगी ।

(2) राज्य के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग से संकल्प संख्या–11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 सितम्बर, 1999 के आलोक में नहीं हो सका है, को महँगाई राहत का भुगतान दिनांक 31 दिसम्बर, 2000 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2173.796 (आधार वर्ष 1960-100) के आधार पर न्यूट्रलाइजेशन के प्रतिशत की (पूर्व की भाँति 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत के अनुसार) गणना करते हुए निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी –

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1 जनवरी, 2001	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 257 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 193 प्रतिशत न्यूनतम 4,498 रु० प्रतिमाह ।
	(ग)	3,001 रु० से अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 167 प्रतिशत न्यूनतम 5,790 रु० प्रतिमाह ।

(3) उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये । एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/ समेकित पेंशन में शामिल रहेगी । इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जाये ।

(4) महँगाई राहत के नियमितीकरण से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् ज्यों–की–त्यों अपरिवर्तित रहेगी । प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है, तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282/वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जायेगा ।

(5) पेंशन पर राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3556 वि०, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है । उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनको क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वालों को भी यह राहत देय होगी ।

(6) पेंशनभोगियों को राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग–1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है । पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का

भुगतान करेंगे । सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए संबंधित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें । राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिये महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाये तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये ।

(7) दिनांक 1 जनवरी, 2001 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाये तथा इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच हर हालत में प्रत्येक भुगतान के समय पर कर लेना, भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी । [*संकल्प संख्या पी०सी० 57/01-6706, दिनांक 24 सितम्बर, 2001]

24.

***विषय : दिनांक 1-7-2001 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति ।**

राज्य सरकार के द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6706, दिनांक 24 सितम्बर 2001 के द्वारा 1 जनवरी, 2001 के प्रभाव से महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति प्रदान की गई थी । भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगियों कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या 42-2-2001 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 25 सितम्बर, 2001 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जुलाई, 2001 के प्रभाव से 45 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

तदनुसार राज्य सरकार के द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2001 के प्रभाव से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है –

(1) राज्य सरकार के वैसे पेंशनधारकों को 1 जुलाई, 2001 के प्रभाव से जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22-12-1999 के आलोक में किया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 45 प्रतिशत राशि दिनांक 1 जुलाई, 2001 के प्रभाव से महँगाई राहत अनुमान्य होगी ।

(2) राज्य के वैसे पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगी, जिनके पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558, दिनांक 22-12-1999 के आलोक में नहीं हो सका है, को महँगाई राहत का भुगतान दिनांक 30 जून, 2001 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2204.98 (आधार वर्ष 1960 = 100) के आधार पर न्यूट्रलाईजेशन के प्रतिशत पूर्व के भाँति 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत के अनुसार गणना निम्न प्रकार की जाएगी –

प्रभाव की तिथि	क्रमांक	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3	4
1 जुलाई, 2001	(क)	1,750 रु० प्रतिमाह तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 262 प्रतिशत
	(ख)	1,751 रु० से 3,000 रु० तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 196 प्रतिशत न्यूनतम 4,585 रु० प्रतिमाह ।
	(ग)	3,001 रु० एवं अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 170 प्रतिशत न्यूनतम 5,580 रु० प्रतिमाह ।

2. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति, पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाए । एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/ समेकित पेंशन में शामिल रहेगी । इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जाएगी ।

3. महँगाई राहत के नियमितीकरण से सम्बन्धित अन्य सभी वर्तमान शर्तें पूर्ववत् लागू एवं अपरिवर्तित रहेगी। प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है तो वित्त विभाग के पत्रांक 15282 वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में बदल दिया जाएगा।

4. पेंशन पर राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के सम्बन्ध में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 3556, दिनांक 9 मई, 1991 में समाविष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। जिसमें पुनर्नियोजित पेंशनरों को महँगाई राहत नहीं देने का प्रावधान किया गया है। उक्त स्थिति को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी सैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी, जिनको क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वालों को भी यह राहत देय होगी।

5. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग–1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है। पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर उक्त भुगतान का आदेश कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है। साथ ही उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करनेवाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी अधिकृत पब्लिक सेक्टर बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार-पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनभोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे सम्बन्धित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाए तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाए।

6. पेंशनभोगियों को इस अतिरिक्त राहत वृद्धि की राशि का भुगतान 1–7–2001 से नगद रूप में किया जायेगा एवं बकाये का भुगतान एक मुश्त जुलाई, 2001 में होगा।

7. दिनांक 1 जुलाई, 2001 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाए तथा इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच हर हालत में प्रत्येक मामले में भुगतान के समय कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारी के लिए अनिवार्य होगा। **[*संख्या पी०सी० मिस०/57/01/2610 वि०, दिनांक 8-6-2002]**

(तालिका अमुद्रित)

25.

***विषय : दिनांक 1-1-2002 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति।**

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० 2610, दिनांक 8 जून, 2002 द्वारा 1 जुलाई, 2001 के प्रभाव से महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापांक सं० 42-2-2002 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी), दिनांक 22 मार्च, 2002 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 2002 के प्रभाव से 49 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2002 के प्रभाव से निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है –

(1) राज्य सरकार के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में किया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर 49 प्रतिशत महँगाई राहत अनुमान्य होगी।

(2) राज्य के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में नहीं हो सका है, को महँगाई

राहत का भुगतान दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2255.94 (आधार वर्ष 1960 = 100) के आधार पर न्यूट्रलाइजेशन के प्रतिशत की (पूर्व की भाँति 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत के अनुसार) गणना करते हुए निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी।

प्रभाव की तिथि	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3
1 जनवरी, 2002	(क) Rs. 1,750 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 271 प्रतिशत
	(ख) Rs. 1,751 से Rs. 3,000 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 203 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 4,743
	(ग) Rs. 3,001 एवं अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 176 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 6,090

3. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति, पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाये। एतदर्थ पेंशन की रूपांतरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जायेगी। **[*संकल्प संख्या–पी०सी०-57/ 01-253, दिनांक 29-1-2003]**

(शेष भाग पूर्ववत्)

(तालिका अमुद्रित)

26.

***विषय : दिनांक 1-7-2002 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति।**

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० 253, दिनांक 29 जनवरी, 2003 द्वारा 1 जनवरी, 2002 के प्रभाव से महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापांक सं० 42/2/2002 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 31-10-2002 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जुलाई, 2002 के प्रभाव से 52 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तद्नुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2002 के प्रभाव से निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है—

(1) राज्य सरकार के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में किया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर 52 प्रतिशत महँगाई राहत अनुमान्य होगी।

(2) राज्य के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में नहीं हो सका है, को महँगाई राहत का भुगतान दिनांक 31 दिसम्बर, 2001; 30 जून, 2002 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचनांक 2308.94 (आधार वर्ष 1960=100) के आधार पर न्यूट्रलाइजेशन के प्रतिशत की (पूर्व की भाँति 100 प्रतिशत, 75 एवं 65 प्रतिशत के अनुसार) गणना करते हुए निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी—

प्रभाव की तिथि	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3
1 जुलाई, 2002	(क) Rs. 1,750 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 279 प्रतिशत
	(ख) Rs. 1,751 से Rs. 3,000 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 209 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 4,883

	(ग) Rs. 3,001 एवं अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 181 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 6,270

3. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति, पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाय। एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि समंजित कर ली जायेगी। [***संकल्प संख्या पी०सी० 1881, दिनांक 19 जून, 2003]**

(तालिका अमुद्रित)

27.

***विषय : दिनांक 1-1-2003 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति।**

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० 1881, दिनांक 16 जून, 2003 द्वारा 1 जुलाई, 2002 के प्रभाव से महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापांक सं० 42/2/2003 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 10-4-2003 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 2003 के प्रभाव से 55 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2003 के प्रभाव से निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है—

(1) राज्य सरकार के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में किया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर 55 प्रतिशत महँगाई राहत अनुमान्य होगी।

(2) राज्य के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में नहीं हो सका है, को महँगाई राहत का भुगतान न्यूट्रलाइजेशन के प्रतिशत (पूर्व की भाँति 100 प्रतिशत, 75 एवं 65 प्रतिशत के अनुसार) गणना करते हुए निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी—

प्रभाव की तिथि	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3
1 जनवरी, 2003	(क) Rs. 1,750 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 287 प्रतिशत
	(ख) Rs. 1,751 से Rs. 3,000 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 215 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 5,023
	(ग) Rs. 3,001 एवं अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 186 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 6,450

3. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति, पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाय। एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि समंजित कर ली जायेगी। [***संकल्प संख्या 978 पें, दिनांक 4 मार्च, 2003 की प्रतिलिपि।]**

(तालिका अमुद्रित)

28.

***विषय : दिनांक 1-7-2003 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति।**

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० 978, दिनांक 4 मार्च, 2004 द्वारा 1 जनवरी, 2003 के प्रभाव से महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति प्रदान की गई थी । भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापांक सं० 42/2/2003 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 10 सितम्बर, 2003 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जुलाई, 2003 के प्रभाव से 59 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. तद्नुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2003 के प्रभाव से निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है—

(1) राज्य सरकार के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में किया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर 59 प्रतिशत महँगाई राहत अनुमान्य होगी ।

(2) राज्य के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में नहीं हो सका है, को महँगाई राहत का भुगतान न्यूट्रलाइजेशन के प्रतिशत (पूर्व की भाँति 100 प्रतिशत, 75 एवं 65 प्रतिशत के अनुसार) गणना करते हुए निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी—

प्रभाव की तिथि	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3
1 जुलाई, 2003	(क) Rs. 1,750 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 295 प्रतिशत
	(ख) Rs. 1,751 से Rs. 3,000 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 221 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 5,163
	(ग) Rs. 3,001 एवं अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 191 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 6,630

3. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति, पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाय । एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/समेकित पेंशन में शामिल रहेगी । इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि समंजित कर ली जायेगी [*पी०सी०—57/01-3600 पें०, दिनांक 5-10-2004]

(तालिका अमुद्रित)

29.

***विषय : दिनांक 1-1-2004 एवं दिनांक 1-7-2004 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति ।**

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० 3600, दिनांक 5-10-2004 द्वारा 1-7-2003 के प्रभाव से महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति प्रदान की गई थी । भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापांक सं० 42/2/2004 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 15-3-2004 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक - 1-1-2004 के प्रभाव से 61 प्रतिशत एवं कार्यालय ज्ञापांक सं० 42/2/2004 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 24-9-2004 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक -1-7-2004 के प्रभाव से 64 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. तद्नुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को 1-1-2004 एवं 1-7-2004 के प्रभाव से निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है—

(1) राज्य सरकार के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में किया जा चुका

है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर 1-1-2004 के प्रभाव से 2 प्रतिशत अतिरिक्त (कुल 61 प्रतिशत) एवं 1-7-2004 के प्रभाव से 3 प्रतिशत अतिरिक्त (कुल 64 प्रतिशत) महँगाई राहत अनुमान्य होगी। दिनांक 1-1-2005 से महँगाई राहत के 50 प्रतिशत राशि के महँगाई पेंशन घोषित कर दिए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1-1-2005 के प्रभाव से महँगाई राहत की दर 14 (चौदह) प्रतिशत होगी।

(2) राज्य के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में नहीं हो सका है, को महँगाई राहत का भुगतान न्यूट्रलाइजेशन के प्रतिशत (पूर्व की भाँति 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत के अनुसार) गणना करते हुए निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी—

प्रभाव की तिथि	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3
1 जनवरी, 2004	(क) Rs. 1,750 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 301 प्रतिशत
	(ख) Rs. 1,751 से Rs. 3,000 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 226 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 5,268/-
	(ग) Rs. 3,001 एवं अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 196 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 6,780/-
1 जुलाई, 2004	(क) Rs. 1,750 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 308 प्रतिशत
	(ख) Rs. 1,751 से Rs. 3,000 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 231 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 5,390/-
	(ग) Rs. 3,001 एवं अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 200 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 6,930/-

3. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति, पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाय। एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि समंजित कर ली जायेगी। [***संकल्प संख्या 776 पें०, दिनांक 11-4-2005**]

(तालिका अमुद्रित)

30.

***विषय : दिनांक 1-1-2005 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति।**

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 776, दिनांक 11-4-2005 द्वारा 1 जनवरी, 2004 एवं 1 जुलाई, 2004 के प्रभाव से महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापांक 42/2/2005 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 4 अप्रील, 2005 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 2005 के प्रभाव से 3 प्रतिशत अतिरिक्त कुल 17 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2005 के प्रभाव से निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है—

(1) राज्य सरकार के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में किया जा चुका है तथा दिनांक 1-1-2005 के प्रभाव से मूल पेंशन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई राहत की राशि को महँगाई पेंशन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 1 जनवरी, 2005 के प्रभाव से 3 प्रतिशत अतिरिक्त कुल 17 प्रतिशत महँगाई राहत देय होगी।

(2) राज्य के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में नहीं हो सकी है, को महँगाई राहत का भुगतान न्यूट्रलाईजेशन के प्रतिशत (पूर्व की भाँति 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत के अनुसार) गणना करते हुए निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा—

प्रभाव की तिथि	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3
1 जनवरी, 2005	(क) Rs. 1,750 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 314 प्रतिशत
	(ख) Rs. 1,751 से Rs. 3,000 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 235 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 5,495/-
	(ग) Rs. 3,001 एवं अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 204 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 7,050/-

3. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति, पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाय। पेंशन रूपान्तरण के फलस्वरूप पेंशन से कटौती का प्रभाव महँगाई राहत पर नहीं पड़ेगा। अर्थात् पेंशन रूपन्तरण के बावजूद पूर्ण पेंशन पर महँगाई राहत अनुमान्य होगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि समंजित कर ली जायेगी। [*संकल्प ज्ञापांक 478/पें०, दिनांक 1-7-2005]

(तालिका अमुद्रित)

31.

***विषय : दिनांक 1-7-2005 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति।**

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1478, दिनांक 14-10-2005 द्वारा 1 जनवरी, 2005 के प्रभाव से महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापांक 42/2/2005 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जुलाई, 2005 के प्रभाव से 4 प्रतिशत अतिरिक्त कुल 21 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तद्नुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2005 के प्रभाव से निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है—

(1) राज्य सरकार के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में किया जा चुका है तथा दिनांक 1-1-2005 के प्रभाव से मूल पेंशन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई राहत की राशि को महँगाई पेंशन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 1 जुलाई, 2005 के प्रभाव से 4 प्रतिशत अतिरिक्त कुल 21 प्रतिशत महँगाई राहत देय होगी।

(2) राज्य के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में नहीं हो सकी है, को महँगाई राहत का भुगतान न्यूट्रलाईजेशन के प्रतिशत (पूर्व की भाँति 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत के अनुसार) गणना करते हुए निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा—

प्रभाव की तिथि	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3
1 जुलाई, 2005	(क) Rs. 1,750 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 325 प्रतिशत
	(ख) Rs. 1,751 से Rs. 3,000 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 243 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 5,688/-

(ग) Rs. 3,001 एवं अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 211 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 7,290/-

3. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति, पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाय। पेंशन रूपान्तरण के फलस्वरूप पेंशन से कटौती का प्रभाव महँगाई राहत पर नहीं पड़ेगा। अर्थात् पेंशन रूपान्तरण के बावजूद पूर्ण पेंशन पर महँगाई राहत अनुमान्य होगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि समंजित कर ली जायेगी। [*संकल्प ज्ञापांक 57/01/04/वि०, दिनांक 7-1-2006]

(तालिका अमुद्रित)

32.

***विषय : दिनांक 1-1-2006 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति।**

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 04, दिनांक 7-1-2006 द्वारा 1 जुलाई, 2005 के प्रभाव से महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापांक 42/2/2006 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 5 अप्रील, 2006 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 के प्रभाव से 3 प्रतिशत अतिरिक्त कुल 24 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तद्नुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2006 के प्रभाव से निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है—

(1) राज्य सरकार के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में किया जा चुका है तथा दिनांक 1-1-2005 के प्रभाव से मूल पेंशन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई राहत की राशि को महँगाई पेंशन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 1 जनवरी, 2006 के प्रभाव से 3 प्रतिशत अतिरिक्त कुल 24 प्रतिशत महँगाई राहत देय होगी।

(2) राज्य के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में नहीं हो सकी है, को महँगाई राहत का भुगतान न्यूट्रलाईजेशन के प्रतिशत (पूर्व की भाँति 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत के अनुसार) गणना करते हुए निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा—

प्रभाव की तिथि	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3
1 जनवरी, 2006	(क) Rs. 1,750 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 335 प्रतिशत
	(ख) Rs. 1,751 से Rs. 3,000 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 251 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 5,863/-
	(ग) Rs. 3,001 एवं अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 217 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 7,530/-

3. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति, पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाय। पेंशन रूपान्तरण के फलस्वरूप पेंशन से कटौती का प्रभाव महँगाई राहत पर नहीं पड़ेगा। अर्थात् पेंशन रूपान्तरण के बावजूद पूर्ण पेंशन पर महँगाई राहत अनुमान्य होगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि समंजित कर ली जायेगी। [*संकल्प ज्ञापांक 902/पें०, दिनांक 9-5-2006]

(तालिका अमुद्रित)

33.

*विषय : दिनांक 1-7-2006 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति।

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 902, दिनांक 9-5-2006 द्वारा 1 जनवरी, 2006 के प्रभाव से महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापांक फ०स० 01(13)2006 संस्था II (ख)/523, दिनांक 11 सितम्बर, 2006 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जुलाई, 2006 के प्रभाव से 5 प्रतिशत अतिरिक्त कुल 29 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तद्नुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2006 के प्रभाव से निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है—

(1) राज्य सरकार के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में किया जा चुका है तथा दिनांक 1-1-2005 के प्रभाव से मूल पेंशन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई राहत की राशि को महँगाई पेंशन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 1 जुलाई, 2006 के प्रभाव से 5 प्रतिशत अतिरिक्त कुल 29 प्रतिशत महँगाई राहत देय होगी।

(2) राज्य के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में नहीं हो सकी है, को महँगाई राहत का भुगतान न्यूट्रलाईजेशन के प्रतिशत (पूर्व की भाँति 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत के अनुसार) गणना करते हुए निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा—

प्रभाव की तिथि	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3
1 जुलाई, 2006	(क) Rs. 1,750 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 346 प्रतिशत
	(ख) Rs. 1,751 से Rs. 3,000 तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 259 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 6,055/-
	(ग) Rs. 3,001 एवं अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 224 प्रतिशत न्यूनतम Rs. 7,770/-

3. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति, पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाय। एतदर्थ पेंशन की रूपान्तरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि समंजित कर ली जायेगी। [*संकल्प ज्ञापांक 1921 वि०, दिनांक 30-10-2006]

(तालिका अमुद्रित)

34.

*विषय : दिनांक 1-1-2007 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति।

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० 1921, दिनांक 30-10-2006 द्वारा 1 जुलाई, 2006 के प्रभाव से महँगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापांक 24/12/007 पी० एण्ड पी०डब्लू०, दिनांक 29-3-2007 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी, 2007 के प्रभाव से 6 प्रतिशत अतिरिक्त कुल 35 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तद्नुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2007 के प्रभाव से निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है—

(1) राज्य सरकार के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में किया जा चुका है तथा दिनांक 1-1-2005 के प्रभाव से मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के समतुल्य महँगाई राहत की राशि को महँगाई पेंशन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 1 जनवरी, 2007 के प्रभाव से 6 प्रतिशत अतिरिक्त कुल 35 प्रतिशत महँगाई राहत देय होगी ।

(2) राज्य के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में नहीं हो सकी है, को महँगाई राहत का भुगतान न्यूट्रलाइजेशन के प्रतिशत (पूर्व की भाँति 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत के अनुसार) गणना करते हुए निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा—

प्रभाव की तिथि	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3
1 जनवरी, 2007	(क) 1,750 रुपये तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 361 प्रतिशत
	(ख) 1,751 से 3,000 रुपये तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 270 प्रतिशत, न्यूनतम 6,318 रुपये
	(ग) 3,001 रुपये एवं अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 234 प्रतिशत, न्यूनतम 8,100 रुपये

3. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति, पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाय । पेंशन रूपान्तरण के फलस्वरूप पेंशन से कटौती का प्रभाव महँगाई राहत पर नहीं पड़ेगा । अर्थात् पेंशन रूपान्तरण के बावजूद पूर्ण पेंशन पर महँगाई राहत अनुमान्य होगी । इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि समंजित कर ली जायेगी । [***संकल्प ज्ञापांक 709 (पें०ले०), दिनांक 12-6-2007**]

(तालिका अमुद्रित)

35.

***विषय : दिनांक 1 जुलाई, 2007 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति।**

राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० 709, दिनांक 12 जून, 2007 द्वारा 1 जनवरी, 2007 के प्रभाव से महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापांक 42/2/2007 पी० एण्ड पी०डब्लू० (जी०), दिनांक 18 सितम्बर, 2007 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जुलाई, 2007 के प्रभाव से 6 प्रतिशत अतिरिक्त कुल 41 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तद्नुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2007 के प्रभाव से निम्नलिखित दर से महंगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है—

(1) राज्य सरकार के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में किया जा चुका है तथा दिनांक 1 जनवरी, 2005 के प्रभाव से मूल पेंशन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई राहत की राशि को महंगाई पेंशन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 1 जुलाई, 2007 के प्रभाव से 6 प्रतिशत अतिरिक्त कुल 41 प्रतिशत महंगाई राहत देय होगी।

(2) राज्य के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में नहीं हो सकी है, को महंगाई राहत का भुगतान न्यूट्रलाइजेशन के प्रतिशत (पूर्व की भाँति 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत के अनुसार) गणना करते हुए निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा—

प्रभाव की तिथि	प्रतिमाह पेंशन/पारिवारिक पेंशन	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1	2	3
1 जुलाई, 2007	(क) 1,750 रुपये तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 375 प्रतिशत
	(ख) 1,751 से 3,000 रुपये तक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 281 प्रतिशत, न्यूनतम 6,563 रुपये
	(ग) 3,001 रुपये एवं अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 243 प्रतिशत, न्यूनतम 8,430 रुपये

3. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति, पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाय। पेंशन रूपान्तरण के फलस्वरूप पेंशन से कटौती का प्रभाव महँगाई राहत पर नहीं पड़ेगा। अर्थात् पेंशन रूपान्तरण के बावजूद पूर्ण पेंशन पर महँगाई राहत अनुमान्य होगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि समंजित कर ली जायेगी। [*संकल्प ज्ञापांक 1252/वि०, दिनांक 9 अक्टूबर, 2007]

●

परिशिष्ट 5

बिहार वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिश पर निकाली गयी उदार पेंशन नियमावली

राज्य सरकार का निर्णय :–

1.

*पेंशन सेवा में स्थित सरकारी सेवकों के लिए निवृत्ति सम्बन्धी लाभों के बारे में अनेक सेवा-संस्थाओं द्वारा की गयी माँगें और बिहार वेतन–पुनरीक्षण–समिति की सिफारिशें, राज्य सरकार के विचाराधीन थीं । अब इन पर निर्णय हो गया है और बिहार राज्यपाल निदेश देते हैं कि राजकीय सम्बन्धी सेवाओं में और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होने की दशा में, बिहार पेंशन नियमावली के वर्तमान पेंशन विषयक उपबंध, निम्नांकित हद तक परिवर्तित होंगे । जहाँ तक बिहार विधान-सभा और बिहार विधान-परिषद् विभागों में तथा पटना उच्च–न्यायालय के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, में परिवर्तन सभा के अध्यक्ष, परिषद् के सभापति और पटना उच्च–न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श के बाद किए गए हैं ।

2. ये आदेश 20 जून, 1950 से लागू होंगे । फिर भी, इस योजना के अधीन अनुमान्य उपदान का लाभ उन सरकारी सेवकों के आश्रितों को भी मिलेगा, जो पाँच वर्षों से अधिक की पेंशन–प्रदायी सेवा पूरी कर चुके थे और 1 सितम्बर, 1947 और 19 जून, 1950 के बीच सेवा करते हुए मर गए । ऐसे मामलों में, केवल योजना के प्रकरण 2 की कंडिका 2 की उप-कंडिका (3) के अधीन अनुमान्य उपदान मिल सकेगा, न कि प्रकरण 3 के अधीन परिवार-पेंशन । अनुकम्पा-निधि या किसी अन्य स्रोत से मंजूर उपदान की रकम, अब अनुमान्य उपदान की रकम से काट ली जाएगी । [***संकल्प सं० एफ०-वी०पी०ए०आर०- 12/50–12548-एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950]**

2.

वित्त विभाग ज्ञापांक पी० 1-108/60/1852-एफ, दिनांक 11-2-1960 ।

पुनश्च पढ़ें : अखिल भारतीय सेवा (मृ०स०नि० लाभ) नियमावली, 1958 ।

*राज्य के कामकाज से सम्बन्धित सेवा और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को बिहार पेंशन नियमावली में अंतर्विष्ट पेंशन–प्रावधान लागू करने के लिए उसे वित्त विभाग की संकल्प सं० एफ० 5/पी०ए०आर०-12/50-12548 एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 में अंकित सीमा तक उपांतरित कर दिया गया है । उक्त संकल्प में अंतर्विष्ट उदारीकृत पेंशन योजना के तहत अनुमान्य पेंशनी और पारिवारिक लाभों को और उदारीकृत किया गया है और मूल योजना के उदारीकरण की सीमा को वित्त विभाग के ज्ञापांक पी० 1-108/60/ 1852-एफ०, दिनांक 11 फरवरी, 1960 में समझाया गया है ।

बिहार उत्कृष्ट न्यायिक सेवा के सदस्यों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय सेवा (मृ० सह नि० लाभ) नियमावली 1958 के तर्ज पर पेंशन नियमावली बनाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन था । अब जबकि उपर्युक्त कंडिका 1 में उल्लिखित नयी पेंशन योजना के अधीन अनुमान्य पेंशनी और पारिवारिक लाभ अखिल भारतीय सेवा (मृ० सह नि० लाभ) नियमावली, 1958 के तत्समानी प्रावधानिक लाभों के समान हो गए हैं तो बिहार ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के संकल्प दिनांक 23 अगस्त, 1950 द्वारा यथासंशोधित बिहार पेंशन नियमावली में अंतर्विष्ट विद्यमान पेंशन प्रावधान, अनुवर्ती संशोधन समेत, उत्कृष्ट न्यायिक सेवा के सदस्यों के सिवा निम्नांकित पदाधिकारियों के लागू होंगे –

(ए) पदाधिकारी जिनके मामले संविधान के अनुच्छेद 314 से आच्छादित हैं;

(बी) वे जिनको 21 अक्तूबर, 1946 के पहले सूचीकृत पदों पर संपुष्ट किया गया;

(सी) वे, जो 21 अक्तूबर, 1946 के पहले सूचीकृत पदों के प्रति स्पष्ट रिक्तियों में संपुष्ट किये गये होते किन्तु संपुष्टीकरण पर लगाई गई रोक के कारण वैसा नहीं हो सका ।

उपर्युक्त 3 श्रेणियों के पदाधिकारियों से सम्बन्धित पेंशन और अन्य पारिवारिक लाभ उन्हें इन आदेशों के निर्गम के बाद भी नियमित करेगी ।

2. यद्यपि नयी पेंशन योजना 20 जून, 1950 से प्रभावी हुई और वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 11 फरवरी, 1960 में सन्निविष्ट बेहतर उदारीकरण 1ली अप्रैल, 1959 से प्रभावी हुआ, तथापि उत्कृष्ट न्यायिक सेवा के

पदाधिकारियों को मासिवा ऊपर में उल्लिखित पदाधिकारियों के, पेंशन, निवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन वित्त विभाग के संकल्प दिनांक 23 अगस्त, 1950 वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 11 फरवरी, 1960 द्वारा यथासंशोधित, के अनुसार गणना करके स्वीकृत की जायेगी, और उत्कृष्ट न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को नयी पेंशन योजना लागू करने के विषय में उक्त योजना 21 अक्तूबर, 1954 से प्रभावी मानी जायेगी ।

3. पेंशन, मृत्यु–सह–निवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन जो बिहार उत्कृष्ट न्यायिक सेवा के सदस्यों को औपबन्धिक रूप में, पृथक पेंशन नियमावली समुच्चय के लम्बित रहने तक, मंजूर की गई होती को अब उस समंजन के अध्यधीन अंतिम रूप दिया जायेगा जो इन आदेशों के अनुसार आवश्यक होगा ।

4. न्यायिक सिविल सेवा के सदस्य को जिसने संपूर्णतः या अंशतः पुरानी पेंशन नियमावली के अधीन रहने का चुनाव किया था, ऊपर में निर्देशित निर्णय के द्वारा यथोपांतरित नयी पेंशन योजना के पक्ष में नये सिरे से विकल्प देने की अनुमति दी जायेगी । इन आदेशों के निर्गम की तारीख से छह मास के अन्दर विकल्प का प्रयोग किया जायेगा और एक बार प्रयुक्त विकल्प अंतिम माना जायेगा । निर्धारित समय के अन्दर नये सिरे से विकल्प देने से चूकने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आरंभिक विकल्प, यदि हो, जारी रहेगा । विकल्प का प्रयोग लिखित में किया जायेगा और सम्बद्ध पेंशनलाभियों द्वारा महालेखाकार, बिहार को भेजा जायेगा ।

ऐसे कुछ मामलों की भी संभावना है जिनमें पदाधिकारियों की, जो उपर्युक्त विकल्प प्रयोग करने के हकदार होते, मृत्यु हो गई हो । ऐसे मामलों में पदाधिकारी नियमों के उस समुच्चय के लिए कृतविकल्प समझे जायेंगे जो उनके परिवार के लिए अधिक लाभकर होगा ।

5. ये आदेश पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से निर्गत किये गये हैं । **[संकल्प सं० पेन–1053/60–26380 वि०, दिनांक 16–11–1960]**

बिहार उदार पेंशन योजना, 1950

[वित्त विभाग, संकल्प सं० एफ०भी०पी०ए०आर०–12–50–12548–एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 के साथ प्रकाशित ।]

प्रकरण 1 : पेंशन

1. (1) बुढ़ापा, असमर्थता और क्षतिपूर्ति–उपदान तथा पेंशन की रकम अनुबंध में दी गयी समुचित रकम होगी ।

(2) (क) सरकारी सेवक 30 वर्षों की पेंशन–प्रदायी सेवा पूरी कर लेने के बाद किसी भी समय सेवा से निवृत्त हो सकता है, परन्तु उसे जिस तारीख को वह निवृत्त होना चाहता हो, उसके कम से कम तीन महीना पहले, इसके लिए, समुचित प्राधिकारी को, लिखित सूचना देनी होगी । सरकार भी किसी सरकारी सेवक को उसके 30 वर्षों की पेंशन–प्रदायी सेवा पूरी कर लेने के बाद किसी भी समय निवृत्त होने का आदेश दे सकती है, परन्तु समुचित प्राधिकारी, इसके लिए सरकारी सेवक को, जिस तारीख से उसे निवृत्त करना हो उसके कम से कम तीन महीना पहले लिखित सूचना देगा ।

[1][× × × × × ×]

(ख) [2][बिहार–उड़ीसा सेवा संहिता के नियम 75 (ङ) बिहार सेवा–संहिता के नियम 74 या बिहार पेंशन–नियमावली के नियम 135 में विनिहित रीति से और शर्तों पर भी सरकारी सेवक को, निवृत्त होने का, यथास्थिति आदेश या अनुमति दी जा सकती है ।

(3) [3][जो सरकारी सेवक केवल कंडिका 1 (2) के (क) और (ख) खंडों में निर्दिष्ट रीति से निवृत्त हों या निवृत्त किया जाये, उसे निवृत्ति पेंशन दी जा सकती है, जिसकी रकम अनुबन्ध में वर्णित समुचित रकम होगी ।]

(4) कोई अतिरिक्त या विशेष अतिरिक्त पेंशन न दी जायेगी ।]

1. लुप्त, देखें, वित्त विभाग सं० वी०सी०डी०आर० 502–52–8712–एफ०, दिनांक 31 जुलाई, 1952 ।
2. सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग, ज्ञाप सं० वी०सी०डी० आर 502–52–8712–एफ०, दिनांक 31 जुलाई 1952 ।
3. संशोधित देखें, वित्त विभाग, ज्ञाप सं० वी०सी०डी० आर 502–52–8712–एफ०, दिनांक 31 जुलाई, 1952 ।

[समीक्षा : वित्त विभाग के संकल्प सं० 7112 वि०, दिनांक 4-9-1979 द्वारा अधिसूचित उदार पेंशन फार्मूला स्लैब-पद्धति दिनांक 1-3-1979 से प्रतिस्थापित किया गया । उक्त संकल्प की कण्डिका (1) के अनुसार पेंशन की अधिकतम राशि 33 वर्ष या अधिक की अर्हक सेवा पर निर्धारित है ।]

अनुबन्ध

दिनांक 1-8-1962 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के मामले में उदार पेंशन योजना लागू (जी०सी० नं० 12928 वि०, दिनांक 4-9-1962 द्वारा प्रतिस्थापित) ।

सेवानिवृत्ति, अशक्त तथा क्षतिपूर्ति उपदान एवं पेंशन की राशि निम्न के अनुसार निर्धारित होगी –

	अर्हक सेवा के पूर्ण छमाही अवधि	उपदान या पेंशन का मान	अधिकतम पेंशन (प्रतिवर्ष रुपये में)
		(क) उपदान	
1.	1/2	"	मासिक परिलब्धि
2.	1	"	"
3.	1 1/2	"	"
4.	2	"	"
5.	2 1/2	"	"
6.	3	"	"
7.	3 1/2	"	"
8.	4	"	"
9.	4 3/8	"	"
10.	4 3/4	"	"
11.	5 1/8	"	"
12.	5 1/2	"	"
13.	5 7/8	"	"
14.	6 1/4	"	"
15.	6 5/8	"	"
16.	7	"	"
17.	7 3/8	"	"
18.	7 3/4	"	"
19.	8 1/8	"	"
		(ख) पेंशन	
20.	10/80ths	औसतन परिलब्धि के	3,750.00
21.	10 1/2 /80ths	"	3,937.50
22.	11/80ths	"	4,125.00
23.	11 8/2 /80ths	"	4,312.50
24.	12/80ths	"	4,500.00
25.	12 1/2 /80ths	"	4,687.50
26.	13/80ths	"	4,875.00
27.	13 1/2 /80ths	"	5,062.50
28.	14/80ths	"	2,250.00

29.	14 1/2 /80ths	"	2,457.50
30.	15/80ths	"	5,625.00
31.	15 1/2 /80ths	"	5,982.50
32.	16/80ths	"	6,000.00
33.	16 1/2 /80ths	"	6,187.50
34.	17/80ths	"	6,375.00
35.	17 1/2 /80ths	"	6,562.50
36.	18 1/2/80ths	"	6,750.00
37.	18 1/2 80ths	"	6,937.50
38.	19 1/2 /80ths	"	7,125.00
39.	19 1/2 /80ths	"	7,312.50
40.	20 1/2 /80ths	"	7,500.00
41.	20 1/2 /80ths	"	7,687.50
42.	21 1/2/80ths	"	7,875.00
43.	21 1/2 /80ths	"	8,062.50
44.	22 1/2 /80ths	"	8,250.00
45.	22 1/2 /80ths	"	8,437.50
46.	23 1/2 /80ths	"	8,625.00
47.	23 1/2 /80ths	"	8,812.50
48.	24 1/2 /80ths	"	9,000.00
49.	24 1/2 /80ths	"	9,187.50
50.	25 1/2 /80ths	"	9,375.00
51.	25 1/2 /80ths	"	9,562.50
52.	26 1/2 /80ths	"	9,750.00
53.	26 1/2 /80ths	"	9,937.50
54.	27 1/2 /80ths	"	10,125.00
55.	27 1/2 /80ths	"	10,312.50
56.	28 1/2 /80ths	"	10,500.00
57.	28 1/2 /80ths	"	10,687.50
58.	29 /80ths	"	10,875.00
59.	29 1/2 /80ths	"	11,062.50
60.	30 /80ths	"	11,250.00
61.	30 1/2 /80ths	"	11,437.50
62.	31 /80ths	"	11,625.00
63.	31 1/2 /80ths	"	11,812.50
64.	32 /80ths	"	12,000.00
65.	32 1/2 /80ths	"	12,000.00
66.	33 /80ths	"	12,000.00

[**समीक्षा** : इस अनुबन्ध का समय-समय पर संशोधन हुआ है उसे पुन: उदार पेंशन फार्मूला-स्लैब पद्धति सं० 7112 वि०, दिनांक 4-9-1979 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ।]

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

***विषय : पेंशन गणना के सूत्र (फॉर्मूला) का उदारीकरण स्लैब-पद्धति को लागू करना ।**

वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 6796 वि०, दिनांक 15-7-1976 के अनुसार वर्तमान में पेंशन की गणना सेवानिवृत्त सेवक द्वारा प्राप्त औसत उपलब्धि का अधिक से अधिक 53/10 की दर से की जाती है एवं पेंशन की अधिकतम सीमा 1000 रु० प्रतिमाह तक ही प्रतिबन्धित है ।

केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में उपर्युक्त पेंशन गणना की पद्धति को परिवर्तित कर स्लैब के आधार पर पेंशन गणना की प्रक्रिया रखी गयी है । राज्य सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के अनुरूप पेंशन गणना की पद्धति को राज्य सरकार के सेवकों के मामले में अपनाने के लिए निर्णय लिया गया है । उस निर्णय के अनुसार दिनांक 31-3-1979 को या इस तिथि के बाद में होने वाले सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सेवकों को उनकी पेंशन की राशि का निर्धारण निम्नलिखित स्लैबों के अनुसार किया जायेगा –

	मासिक पेंशन की राशि
1. (i) पेंशन के लिए गणना योग्य औसत उपलब्धियों के प्रथम 1,000 रु० तक	औसत उपलब्धियों का 50 प्रतिशत
(ii) पेंशन के लिए गणना योग्य औसत उपलब्धियों के उससे अगले 500 रु० तक	औसत उपलब्धियों का 45 प्रतिशत
(iii) पेंशन के लिए गणना योग्य औसत उपलब्धियों की शेष रकम ।	उपलब्धियों का 40 प्रतिशत किन्तु किसी भी हालत में सम्पूर्ण अधिकतम (अस्थायी वृद्धि सहित) सीमा 1,500 रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं ।

2. उपर्युक्त स्लैबों के आधार पर गणना की गई पेंशन की राशि 33 वर्ष की अधिकतम पेंशन प्रदायी सेवा से सम्बन्धित होगी । ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए जिन्होंने सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष (स्थायी पेंशन प्रदायी सेवा) या 15 वर्ष (अस्थायी पेंशन प्रदायी सेवा) की पेंशन प्रदायी सेवा पूरी कर ली है लेकिन 33 वर्ष से कम की हो तो उनकी पेंशन की राशि अधिकतम अनुमान्य पेंशन उस अनुपात में होगी, जितना अनुपात उनके द्वारा की गयी पेंशन प्रदायी सेवा का और 33 वर्ष की अधिकतम पेंशन प्रदायी सेवा का होता है । इस आदेश के साथ पेंशन की गणना परिवर्तित पद्धति का विवरण संलग्न है ।

3. पेंशन की अधिकतम सीमा रु० 1,500 (पेंशन में अस्थायी वृद्धि सहित) प्रतिमाह तक ही सीमित रहेगी ।

4. सेवा उपदान, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान, परिवार पेंशन और औसत उपलब्धियों के निर्धारण पेंशन प्रदायी सेवा रूप में सेवा की सम्पूर्ण 6 माह की अवधि को मानने सम्बन्धी प्रचलित प्रावधान सहित पेंशन के लिये पेंशन-प्रदायी सेवा और 3 रुपये के अंश को अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित करने सम्बन्धी नियमावली के प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे ।

5. पेंशन नियमावली के नियम इस हद तक संशोधित समझे जायें । [***संकल्प संख्या पी०सी० 2-9-12/79-7112 वि०, दिनांक 4-9-1979**]

अनुबंध

[सरकारी कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के बारे में स्लैब पद्धति के अनुसार पेंशन की गणना]

(अमुद्रित)

2.

***विषय : राज्य के पेंशनरों के पेंशन एवं उपदान के प्रावधानों में फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर सरकार के निर्णय के आलोक में पुनरीक्षण ।**

राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान, आदि से संबंधित मामलों पर फिटमेंट-सह-वेतन-पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगी कर्मचारियों के पेंशन एवं उपदान के प्रावधानों में परवर्त्ती कण्डिकाओं के अनुसार पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है।

(1) (i) **प्रभाव की तिथि :**

इस संकल्प में निहित पेंशन एवं उपदान के पुनरीक्षित प्रावधान वैसे सरकारी सेवक के मामले में लागू होंगे, जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं, अथवा जिनकी मृत्यु दिनांक 1 जनवरी, 1986 को अथवा उसके बाद सेवाकाल में हुई है। दिनांक 1 जनवरी, 1986 के प्रभाव से पेंशन का पुनरीक्षण केवल वैचारिक (Notionally) रूप से किया जायेगा एवं पेंशन पुनरीक्षण का आर्थिक लाभ दिनांक 1 मार्च, 1989 के प्रभाव से ही अनुमान्य होगा। इसका अर्थ यह है कि दिनांक 1 जनवरी, 1986 से दिनांक 28 फरवरी, 1989 की अवधि के लिए किसी तरह का बकाया देय नहीं होगा।

(ii) उक्त कोटि के जिन मामलों में इस आदेश के निर्गत होने के पहले औपबन्धिक पेंशन स्वीकृत हुआ हो, उसका पुनरीक्षण इस संकल्प में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। जिन मामलों में प्रचलित नियमों के अनुसार इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व ही पेंशन की अन्तिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई हो, उनका भी पुनरीक्षण वेतनमान आदेश के अनुसार किया जायेगा, बशर्ते कि इस तरह का पुनरीक्षण पेंशनभोगी के लिए लाभकारी हों।

(2) **परिलब्धियाँ :** पेंशन एवं उपदान की गणना हेतु "परिलब्धियों" से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 26 (ए) (1) में उल्लिखित "मूलवेतन" से अभिप्रेत है, जिसका भुगतान सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को किया गया है। इस तरह से "औसत परिलब्धियों" का निर्धारण किसी भी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व दस माह की अवधि में प्राप्त परिलब्धियों के आधार पर किया जायेगा।

(3) (i) **पेंशन :** वित्त विभाग के संकल्प संख्या पी०सी० 2-19-12/79-7112-वि०, दिनांक 4 सितम्बर, 1979 में अंगीभूत स्लैब पद्धति के बदले में अब पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से की जायेगी जिसकी न्यूनतम राशि 375 रुपये प्रतिमाह होगी, परन्तु इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

(ii) **पारिवारिक पेंशन :** इस बिन्दु पर पूर्व में निर्गत राज्यादेशों का आंशिक सुधार करते हुए पारिवारिक पेंशन की गणना अब निम्नलिखित रीति से करने का निर्णय लिया गया है –

क्र०सं०	मूल वेतन	प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन की दर (औसत मूल्य सूचकांक 608 बिन्दु पर देय महँगाई राहत सहित)
1.	रु० 1,500 प्रतिमाह तक	मूल वेतन का 30 प्रतिशत (न्यूनतम रु० 375 प्रतिमाह)
2.	रु० 1,501 प्रतिमाह से रु० 3,000 तक	मूल वेतन का 20 प्रतिशत (न्यूनतम रु० 450 प्रतिमाह)
3.	रु० 3,001 प्रतिमाह से अधिक	मूल वेतन का 15 प्रतिशत (न्यूनतम रु० 600 प्रतिमाह एवं अधिकतम रु० 1,250 प्रतिमाह)

पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति की वर्तमान प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

(iii) **मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान :** सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति उपदान की गणना करने में वर्तमान सिद्धांत एवं दर इस आदेश के निर्गत होने के बाद भी बरकरार रहेंगे जिसके अनुसार सेवानिवृत्ति उपदान पेंशन प्रदायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की परिलब्धियों के अधिकतम 16.5 गुणा अनुमान्य होगा। तथा इसकी अधिकतम राशि [एक लाख रुपया होगी। सरकारी सेवक के सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृत्यु उपदान की गणना निम्नांकित रीति से करने का निर्णय लिया गया है।]

क्रमांक	सेवा अवधि	उपदान की राशि
1.	एक वर्ष से कम	– उपलब्धियों का दो गुणा
2.	एक वर्ष या अधिक पर 5 वर्ष से कम	– उपलब्धियों का छः गुणा
3.	पाँच वर्ष या अधिक पर 20 वर्ष से कम	– उपलब्धियों का 12 गुणा
4.	बीस वर्ष या अधिक	– पेंशन प्रदायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए उपलब्धियों का आधा जो उपलब्धियों के 33 गुणा से अधिक नहीं हो और जिसकी अधिकतम सीमा [1][एक लाख रुपये होगी ।]

इस आदेश के प्रावधानों के आधार पर वैसे सरकारी सेवकों की मृत्यु-सहनिवृत्ति उपदान जो राशि का न तो पुनरीक्षित किया जायेगा और न ही इसके चलते किसी प्रकार का बकाया देय होगा जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 से दिनांक 28 फरवरी, 1989 तक सेवानिवृत्त हुए हों अथवा जिनकी मृत्यु सेवाकाल में ही उक्त अवधि में हुई हो ।

(4) **महँगाई राहत :** वर्तमान में राज्य सरकार के पेंशनरों को उस सिद्धान्त एवं दर पर महँगाई राहत स्वीकृत की जाती है जो भारत सरकार में दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व प्रचलित थी । फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति के अनुशंसा पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब राज्य सरकार के पेंशनरों को भी भारत सरकार के फार्मूले एवं दर से प्रतिवर्ष पहली जनवरी एवं पहली जुलाई को उसके पूर्ववर्ती 31 दिसम्बर और 30 जून के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर महँगाई राहत स्वीकृत की जायेगी, परन्तु नये फार्मूले एवं दर पर महँगाई राहत दिनांक 1 जुलाई, 1989 के प्रभाव से स्वीकृत की जायेगी । तद्नुसार महँगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किए जायेंगे ।

(5) **पेंशन का रूपान्तरण :** फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा और भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति को गौर करते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 जनवरी, 1986 के बाद सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के मामलों में पूर्व में प्रचलित स्लैब पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित पेंशन और इस आदेश के जरिये अपनायी गई 50 प्रतिशत की दर से निर्धारित पेंशन के अन्तर की राशि के एक तिहाई के स्थानान्तरण की अनुमति पेंशनभोगी कर्मचारियों को दी जाये । इसके लिए पेंशनभोगी कर्मचारियों को स्वास्थ्य परीक्षा करना जरूरी नहीं होगा, चाहे पूर्व में उनके पेंशन का रूपान्तरण स्वास्थ्य परीक्षा के बाद हुआ हो अथवा बिना स्वास्थ्य परीक्षा कराये ही हुआ हो । ऐसे प्रत्येक मामले में पुनरीक्षित पेंशन भुगतान आदेश के साथ ही महालेखाकार, बिहार, पटना अन्तर पेंशन की एक-तिहाई के रूपान्तरित मूल्य का प्राधिकार-पत्र भी निर्गत कर देंगे और पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान उक्त एक-तिहाई राशि की कटौती के बाद किया जायेगा । उक्त प्रक्रिया उन मामलों में लागू नहीं होगी, जिसमें इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक पेंशन का लघुकरण स्वीकृत नहीं किया गया है । ऐसे, पेंशनर को प्रचलित प्रणाली के अनुसार वित्त विभाग में आवेदन-पत्र देना होगा ।

(6) वैसे सरकारी सेवकों के मामले में जिन्होंने पुनरीक्षित वेतनमान को स्वीकार किया है और जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने के 10 माह के भीतर सेवानिवृत्त हो गये हों, सेवानिवृत्ति के दस माह पूर्व की औसत उपलब्धियों की गणना निम्नांकित ढंग से की जाये –

(i) दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पूर्व की अवधि में पुरानी वेतनमान का मूल वेतन, महँगाई भत्ता, अतिरिक्त महँगाई भत्ता एवं तदर्थ महँगाई भत्ता यदि देय हो ।

1. वर्तमान में 2 लाख 50 हजार रुपये (केन्द्रीय अध्यादेश सं० 18/1997 के द्वारा प्रतिस्थापित) ।

(ii) दिनांक 1 जनवरी, 1986 के बाद की अवधि में पुनरीक्षित वेतनमान का नोशनल वेतन ।

6.1. दिनांक 1 जनवरी, 1986 से दिनांक 30 जून, 1990 तक सेवानिवृत्त हुए/होने वाले कर्मचारियों को यह विकल्प (option) देने की सुविधा प्राप्त होगी कि इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत अपना पेंशन एवं उपदान ले सकते हैं ।

(7) महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि इस संकल्प में निहित प्रावधानों के आधार पर पेंशनभोगी कर्मचारियों के मामले में पेंशन/पुनरीक्षित पेंशन तथा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र यथाशीघ्र निर्गत करें । अन्य राज्यों में रहने वाले तथा अपने पेंशन का भुगतान लेने वाले इस राज्य के पेंशन धारकों को भी इस आदेश के अनुसार पेंशन का भुगतान करने हेतु अन्य राज्यों के महालेखाकार को प्राधिकार-पत्र निर्गत किया जाये और उसकी सूचना इस विभाग को भी दी जाये । कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारियों से अनुरोध है कि पेंशन का भुगतान इस आदेश के अनुसार करने के लिए संबंधित बैंक को इस निर्णय से अवगत करा दें । [***पत्र सं० 1853 वि०, दिनांक 19-4-1990]**

3.

***विषय : सेवानिवृत्ति की सूचना वापस लेने के सम्बन्ध में ।**

प्रश्न है कि सरकारी सेवक, जिसने वित्त विभाग संकल्प सं० एफ०-5 पी०ए०आर०-12/50-12548 एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 में संलग्न नियमों की कंडिका 1 (2) के अनुसार निवृत्ति की सूचना उपर्युक्त प्राधिकारी को दे दिया है, को बाद में [किन्तु सूचना के प्रचलन के दौरान) सूचना वापस लेकर कार्य पर लौट आने का अधिकार है । इस प्रश्न पर सावधानी से विचार किया गया और निष्कर्ष निकाला गया है कि सरकारी सेवक को ऐसा अधिकार नहीं है । तथापि उनके मामले की परिस्थितियों पर विचार करके ऐसे सरकारी सेवक को उनकी दी हुई सूचना को वापस लेने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं होगी; किन्तु साधारणत: ऐसी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । जबतक वह यह न प्रदर्शित करें कि उन परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन हो गये हैं । जिनमें आदित: ऐसी सूचना दी गई थी ।

2. यदि सरकार द्वारा सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति की सूचना दी गई है तो वह वापस ली जा सकेगी यदि उपर्युक्त कारणवश वैसा करना वांछित हो और सम्बद्ध सरकारी सेवक को स्वीकार्य हो ।

3. जहाँ तक उच्च न्यायालय में, बिहार विधान सभा सचिवालय में और बिहार विधान परिषद् सचिवालय में काम करनेवाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है ये आदेश मुख्य न्यायाधीश की सहमति और अध्यक्ष तथा सभापति के परामर्श से ही जारी किये गए हैं । [***वित्त विभाग ज्ञापांक पी०-1012/53/459 एफ०, दिनांक 14 अगस्त, 1953]**

4.

*इस विभाग के संकल्प सं० एफ-5-पी०ए०आर० 12/50-12548 एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 की कंडिका 1 की उपकंडिका (2) के संदर्भ में (1) उसके तहत निवृत्ति की सूचना देने को सक्षम प्राधिकारी और (2) ऐसी निवृत्ति को कार्यरूप देने वाली परिस्थितियों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गये हैं ।

सरकार ने निर्णय लिया है कि उक्त कंडिका में, सरकारी सेवक को निवृत्त करनेवाला सक्षम प्राधिकारी वह होगा जिसे पद या सेवा विशेष पर, जिसपर से सरकारी सेवक को सेवानिवृत्त किया जाना है, मौलिक नियुक्ति करने का अधिकार है । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि साधारणत: ऐसी सेवानिवृत्ति तभी की जाये जब ऐसा करना लोकहित में आवश्यक हो । सरकारी सेवक को सेवानिवृत्त करानेवाले सक्षम प्राधिकारी ऐसा करते समय औपचारिक रूप से ऐसी सेवानिवृत्ति के कारण लिखेंगे ।

2. इससे बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके तहत सरकारी सेवक को सेवानिवृत्त करने का अधिकार सरकार में निहित है । [***वित्त विभाग ज्ञापांक पी० 1-1016/55-11800 एफ०, दिनांक 5 अक्तूबर, 1956]**

5.

***विषय : मृत्यु, उपदान एवं सेवानिवृत्ति उपदान के प्रयोजनार्थ महँगाई भत्ते के एक भाग को महँगाई वेतन के रूप में गिना जाना ।**

भारत सरकार अपने कार्यालय ज्ञापांक 7/2/93 में तथा पें०क०वि० (एफ०) दिनांक 19-10-1993 के जरिये यह निर्णय लिया है कि दिनांक 16-9-93 अथवा इस तिथि के बाद जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, अथवा जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हें मिलने वाले महँगाई भत्ते जैसा कि दिनांक 1-3-1988 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 729.91 के औसत से जोड़ा गया था के एक भाग को अर्थात् मूल वेतन के 20 प्रतिशत को महँगाई वेतन के रूप में गिना जाएगा। यह महँगाई वेतन केवल सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों की गणना के लिए ही गिने जाने का निर्णय है। राज्यकर्मी के द्वारा भी उपर्युक्त आशय की सुविधा प्रदान करने की माँग की जाती रही है। राज्य सरकार एवं कर्मचारियों (शिक्षकों) के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्शोपरान्त राज्यकर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप वांछित लाभ स्वीकृत करने पर सैद्धांतिक सहमति हुई थी और आलोच्य विषय पर चुनाव आयोग से सहमति की अपेक्षा की गयी थी।

2. अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 16-9-1993 या उसके बाद सेवानिवृत्त अथवा मृत कर्मचारियों को मूल वेतन के 20 प्रतिशत को सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान के प्रयोजनार्थ महँगाई वेतन के रूप में गिना जाये। सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमान्य मूल वेतन के 20 प्रतिशत को महँगाई वेतन माना जायेगा, परन्तु इससे उपदान की मौजूदा अधिकतम (परिलब्धियों का 161/2 गुणा अथवा एक लाख रुपया, जो कम हो) में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए इसकी गणना नहीं की जायेगी।

3. उपर्युक्त महँगाई वेतन को पारिवारिक पेंशन के लिए वेतन नहीं माना जायेगा।

4. ठेके पर नियुक्त या ऐसे नियत वेतन पानेवाले कर्मचारी जिन्हें महँगाई भत्ता देय नहीं है, उन्हें यह लाभ अनुमान्य नहीं होगा। [***संकल्प सं० ए-2-1/95/2318 वि० (2), दिनांक 16-5-1995**]

[**समीक्षा** : दिनांक 1-1-1986 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान के कारण महँगाई भत्ता के एक अंश को पेंशनीय लाभ हेतु वेतन मानने से सम्बन्धित राज्य सरकार के निम्नलिखित आदेश के अप्रचलित हो जाने से इसे मुद्रित नहीं किया गया है।

1. संख्या 3437 वि०, दिनांक 17-4-1980
2. संख्या 5112 वि० (2), दिनांक 14-8-1985
3. संख्या 7548 वि० (2), दिनांक 5-12-1985
4. संख्या 7765 वि०, दिनांक 27-10-1986]

प्रकरण 2 : मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान

[**समीक्षा** : जो सरकारी सेवक 1-1-1980 को या उस तिथि के पश्चात् सेवानिवृत्त होते हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके सम्बन्ध में वित्त विभाग संकल्प सं० 1853 वि०, दिनांक 19-4-1990 की प्रतिलिपि देखें।]

2. (1) 5 वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी कर लेने वाले सरकारी सेवक को, जब वह सेवा से निवृत्त हो जाये और प्रकरण 1 के अधीन उपदान या पेंशन का पात्र हो, तब उप-कंडिका (3) में उल्लिखित राशि से अनधिक अतिरिक्त उपदान दिया जा सकेगा।

(2) यदि कोई सरकारी सेवक, जिसने 5 वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी कर ली हो, सेवा करते हुए मर जाए, तो उप-कंडिका (3) में उल्लिखित राशि से अनधिक उपदान का भुगतान, जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों को कंडिका 3 के अधीन उपदान पाने का अधिकार दिया गया हो, उसे या उन्हें अथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति न हो, तो निम्न रीति से किया जा सकेगा –

(i) यदि कंडिका 3 की उप-कंडिका (1) की मद (क), (ख), (ग) और (घ) के अनुसार परिवार के एक या कई जीवित सदस्य हों, तो उपदान का भुगतान विधवा पुत्री से भिन्न सभी सदस्यों में बराबर-बराबर किया जा सकेगा।

(ii) यदि उपर्युक्त (i) के अनुसार कोई जीवित सदस्य न हों, किन्तु एक या कई जीवित विधवा पुत्रियाँ हों और/या कंडिका 3 की उप-कंडिका (1) की मद (ङ), (च) और (छ) के अनुसार परिवार के एक या कई जीवित सदस्य हों, तो उपदान का भुगतान ऐसे सभी सदस्यों में बराबर-बराबर किया जा

सकेगा। (यह दिनांक 18 दिसम्बर, 1957 से लागू होगा।) **[वित्त विभाग ज्ञाप सं० पी० 1-1017-7-1783-एफ०, दिनांक 18 दिसम्बर, 1957 ।]**

(3) उपदान की राशि पेंशन-प्रदायी सेवा के हरेक पूरे वर्ष के लिए सरकारी सेवक की "उपलब्धि" के 10/20 वें भाग के बराबर होगी, किन्तु "उपलब्धि के 16½ गुने लेकिन [1][2.50 लाख से अधिक नहीं होगी। सरकारी सेवक को सेवा-काल में मृत्यु हो जाने पर, उपदान की राशि मृत्यु के समय सरकारी सेवक की "उपलब्धि" के 12 गुणे से कम न होगी।

(4) यदि कोई सरकारी सेवक जो प्रकरण 1 के अधीन पेंशन या उपदान का पात्र हो गया हो, सेवा से निवृत्त होने के बाद मर जाए और उप-कंडिका (1) के अधीन मंजूर उपदान के साथ उक्त उपदान या पेंशन के मद्दे अपनी मृत्यु के समय वस्तुत: जो रकम उसने पायी हो, वह उसकी "उपलब्धि" के 12 गुने से कम हो, तो उप-कंडिका (2) में उल्लिखित व्यक्ति या व्यक्तियों को कमी के बराबर उपदान मंजूर किया जा सकेगा। यदि सरकारी सेवक ने मृत्यु के पहले अपनी पेंशन का कोई अंश रूपान्तरित करा लिया हो, तो यह लाभ अनुमान्य न होगा।

(5) इस प्रकरण के प्रयोजनार्थ "उपलब्धि" से अधिक-से-अधिक प्रतिमास 2,500 रु० तक की होगी। उत्कृष्ट सेवा के सरकारी सेवक के मामले में, "उपलब्धि" बिहार पेंशन नियमावली के नियम 151 और 153 के अनुसार गिनी जाएगी, परन्तु यदि सेवा के पिछले तीन वर्षों में, दंड से अन्यथा सरकारी सेवक की उपलब्धि में घटौती की गई हों, तो बिहार पेंशन-नियमावली के नियम 156 के यथापरिभाषित "औसत उपलब्धि" इस प्रकरण के अधीन जिस प्राधिकारी को उपदान मंजूर करने की शक्ति हो, उसके विवेक से "उपलब्धि" मानी जा सकेगी।

राज्य सरकार के निर्णय –

1.

***विषय : पेंशन प्रदायी सेवा में 5 वर्षों से अनाधिक वास्तविक कालावधि जोड़ने के सम्बन्ध में।**

(I) बिहार पेंशन-नियमावली के नियम 86 में वर्णित कुछ श्रेणियों के पदाधिकारियों को, जो 25 वर्ष में अधिक उम्र में 31वीं मार्च, 1938 को या उसके पहले भरती हुए हों, बुढ़ापा-पेंशन के लिए अपनी पेंशन-प्रदायी सेवा में 5 वर्षों से अनधिक उतनी वास्तविक कालावधि जोड़ने की अनुमति दी जाती है, जितनी भरती के समय 25 वर्षों से अधिक थी। प्रश्न उठाया गया है कि उदार-पेंशन नियमावली के अधीन मृत्यु-सह-उपदान के लिए पेंशन-प्रदायी सेवा निर्धारित करने में, 5 वर्षों तक की इस अतिरिक्त कालावधि को भी जोड़ा जाएगा या नहीं। वित्त विभाग संकल्प सं० एफ०-वी०पी०ए०आर० 12-50-12548-एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 में निकाली गयी उदार-पेंशन नियमावली के प्रकरण 4 के 5 और 6 नियमों में इस रियायत का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, राज्य-सरकार ने निर्णय किया है कि चूँकि इस-नियमावली में पेंशन-प्रदायी और मृत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान-प्रदायी सेवा में कोई प्रभेद नहीं किया गया है, इसलिए बिहार पेंशन-नियमावली के नियम 86 के अधीन अनुमत योग उदार-पेंशन-नियमावली के 2 और 3 प्रकरणों के अधीन पेंशन पर मृत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान-प्रदायी सेवा में भी शामिल की जाए। इस तरह, यदि किसी सरकारी सेवक, जो बिहार पेंशन-नियमावली के नियम 86 के अधीन बुढ़ापा-पेंशन के प्रयोजनार्थ अपनी पेंशन-प्रदायी सेवा में कुछ अवधि जोड़ने का पात्र हो चुका है, नयी पेंशन योजना के अधीन आना पसंद किया हो, तो वह नई योजना के अधीन बुढ़ापा-पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान दोनों के लिए इसका पात्र बना रहेगा।

2. किन्तु बिहार पेंशन-नियमावली के नियम 86 के अधीन सूचीबद्ध पदों पर 31वीं मार्च, 1938 के बाद भरती किए गए पदाधिकारी, बिहार पेंशन-नियमावली के वर्तमान पेंशन-नियमों या नई पेंशन-योजना के अधीन उक्त अनुच्छेद के लाभ के पात्र न होंगे। **[*वित्त विभाग ज्ञाप सं० पी०ए०आर०-101-51-3311 एफ०, दिनांक 27 मार्च, 1952]**

2.

*(II) वित्त-विभाग संकल्प सं० एफ०बी०-पी०ए०आर०-12-50-12548-एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 से संलग्न नियमावली के 2 (3) और 4 (1) नियमों उपबंधित है कि नई पेंशन-योजना के अधीन

1. अध्यादेश सं० 18/1997।

अनुमान्य मृत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान की राशि, अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी सेवक को पेंशन प्रदायी सेवा की अवधि से संबंधित रहेगी और उक्त योजना के अधीन देय परिवार-पेंशन, 25 वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी कर लेने के बाद उसकी मृत्यु हो जाने पर,परिवार को दी जा सकेगी । इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है कि जो सरकारी सेवक बिहार पेंशन-नियमावली के नियम 86 में दी गई रियायत का पात्र हो और जो वित्त- विभाग ज्ञाप सं० वी०पी०ए०आर० 101–51–5285–एफ०, तारीख 26 अप्रैल, 1951 की कंडिका 2 (ग) के अधीन अपनी पसंद का प्रयोग कर चुका हो, उसके मामले में मृत्यु-सह- निवृत्ति-उपदान और परिवार-पेंशन के लिये उसकी पात्रता तथा रकम, उसकी वास्तविक पेंशन-प्रदायी सेवा के आधार पर निर्धारित की जाएगी या बिहार पेंशन-नियमावली के नियम 86 के अधीन बुढ़ापा-पेंशन-प्रदायी सेवा के अतिरिक्त उसकी कुल पेंशन-प्रदायी सेवा के आधार पर । इस विषय पर सावधानी से विचार किया गया है और निर्णय नीचे दिये जाते हैं ।

2. नई पेंशन योजना द्वारा बिहार पेंशन-नियमावली का परिवर्तन केवल उसी हद तक हुआ है, जो वित्त-विभाग संकल्प सं० एफ०वी०पी०ए०आर० 12–50–12548 एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 में निर्दिष्ट है और आदेश पूर्ववत् बने हैं जो सरकारी सेवक बिहार पेंशन-नियमावली के नियम 86 की रियायत के पात्र हैं, उनकी पेंशन-प्रदायी सेवा में कुछ वर्ष जोड़े जाने का लाभ केवल तभी अनुमान्य होगा, जब वे बुढ़ापा पेंशन की उम्र हो जाने पर निवृत्त होंगे, न कि अन्य स्थितियों में । इसलिए, जहाँ सरकारी सेवक सेवा करते हुए मर जाए, वहाँ मृत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान या परिवार-पेंशन के लिए उसकी पात्रता और रकम, बिहार पेंशन-नियमावली के नियम 86 के अधीन जोड़ी जाने वाली अवधि के सहित कुल पेंशन- प्रदायी सेवा के आधार पर निर्धारित करना अनुमान्य न होगा । किन्तु, जहाँ सरकारी सेवक बुढ़ापा-पेंशन की उम्र हो जाने पर निवृत्त हो, वहाँ मृत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान, बिहार पेंशन-नियमावली के नियम 86 के अधीन जोड़ी जाने वाली अवधि के सहित कुछ सेवा पर गिना जाएगा, जैसा कि वित्त विभाग ज्ञाप सं० पी०ए०आर०–101–51–3311 एफ०, दिनांक 27 मार्च, 1952 में बताया गया है । इसी तरह, जब बुढ़ापा-पेंशन पर निवृत्ति के पाँच वर्षों के भीतर मृत्यु हो जाए, तब परिवार पेंशन, आम शर्तों के अधीन रहते हुए, जोड़ी जाने वाली अवधि सहित कुल पेंशन-प्रदायी सेवा के आधार पर अनुमान्य होगी ।

3. नयी पेंशन-योजना के अधीन लाभ प्रदान करने की दृष्टि से बिहार पेंशन-नियमावली के नियम 86 के लाभ को, कुल पेंशन-प्रदायी सेवा की गणना के प्रयोजनार्थ, सभी प्रकार की निवृत्तियों पर (बुढ़ापा- निवृत्ति से भिन्न निवृत्तियों पर भी) लागू करने के प्रश्न की भी जाँच की गयी है । यह निर्णय हुआ है कि बिहार पेंशन नियमावली के संगत नियमों में, जो इस सम्बन्ध में परिवर्तित नहीं हुए हैं । विहित आधार से भिन्न आधार पर, इस योजना के अधीन पेंशन-प्रदायी सेवा का निर्धारण समुचित न होगी । **[*वित्त विभाग ज्ञाप सं० 11187 वि०, दिनांक 14-9-1953]**

3.

***विषय : मृत सेवक के मनोनीत व्यक्ति वैध उत्तराधिकारी को देय अवशिष्ट उपदान की गणना के सम्बन्ध में ।**

(III) प्रश्न उठाया गया है कि मृत सरकारी सेवक के मनोनीत व्यक्ति/वैध उत्तराधिकारियों को देय अवशिष्ट उपदान की गणना के प्रयोजनार्थ, वित्त विभाग, संकल्प सं० एफ०-वी०पी०ए०आर०-12/50– 12548-एफ०, तारीख 23 अगस्त, 1950 से संलग्न नियमावली की कंडिका 2 (4) के "पेंशन" पद के अन्तर्गत, सरकारी आदेश सं० 3536-एफ० तारीख 19 मार्च, 1948 के अधीन अनुमान्य पेंशन में अस्थायी वृद्धि की रकम भी है या नहीं । उक्त नियमावली की कंडिका 3 (4) में "वस्तुतः प्राप्त राशि" शब्दों का प्रयोग यह बताता है कि मृत सरकारी सेवक को पेंशन या उपदान के तौर पर प्राप्त सभी रकम शामिल होनी चाहिए । इसलिए निर्णय हुआ है कि उदार पेंशन-नियमावली के अधीन देय अवशिष्ट उपदान की रकम निर्धारित करने के लिए मृत सरकारी सेवक को प्राप्त पेंशन और उपदान के अतिरिक्त पेंशन में उपर्युक्त अस्थायी वृद्धि पर भी विचार किया जाए । **[*वित्त विभाग ज्ञाप सं० पी 1-106-54-9812-एफ०, दिनांक 7 सितम्बर, 1954]**

4.

***विषय : उपदान का भुगतान मृत सरकारी सेवकों के वैध अधिकारियों को करने के सम्बन्ध में ।**

(IV) जो सरकारी सेवक इस परिशिष्ट की कंडिका 2 की उप-कंडिका (1) के अधीन, निवृत्त हो जाने पर, उपदान पाने का पात्र हो गया हो, किन्तु उपदान वस्तुतः पानी के पहले ही मर गया हो, उसके मामले में अबतक

यही निर्णय था कि उपदान का भुगतान मृत सरकारी सेवक के केवल वैध उत्तराधिकारियों को ही किया जाए और सेवा में रहते हुए पदाधिकारी द्वारा इस परिशिष्ट की कंडिका 3 के अधीन दिए गए किसी मनोनयन को लागू न माना जाए। अन्य सभी उपदानों की तरह, उदार-पेंशन-नियमावली के अधीन देय मृत्यु- सह-निवृत्ति-उपदान भी सरकार द्वारा मंजूर "दान" के समान है, न कि "ऋण" के समान; इसलिए जब कोई सरकारी सेवक मनोनयन छोड़े बिना ही मर जाए या जब मनोनयन रहे ही नहीं तब, यदि ऐसे उपदान के संबंध में उत्तराधिकार-प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया जाए, तो विधि-न्यायालय ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर सकता है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त स्थिति में उत्तराधिकार-प्रमाण-पत्र नहीं भी मिल सकता है, इसीलिए उपर्युक्त निर्णय अब उचित नहीं जँचता। फलत: यह निर्णय किया गया है कि ऐसे किसी मामले में, उपदान का भुगतान निम्न रीति से किया जाए;

(i) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिसे या जिन्हें वित्त विभाग संकल्प सं० एफ०पी०ए०आर० 12-50-12548, दिनांक 23 अगस्त, 1950 की कंडिका 3 के अधीन, उपदान पाने का अधिकार दिया जाए; या

(ii) यदि कोई ऐसे व्यक्ति न हों, तो उपर्युक्त कंडिका 1 में बतायी रीति से। [***वित्त-विभाग ज्ञाप सं० पी०-1-10 10-57-57 17830-एफ०, दिनांक 18 दिसम्बर, 1957]**

5.

***विषय : उपदान के भुगतान के सम्बन्ध में।**

(V) वित्त विभाग ज्ञाप सं० पी० 10-1057-17830 एफ० ता० 18 दिसम्बर, 1947 में दिया गया आदेश, निर्गम की तारीख, अर्थात 18 दिसम्बर, 1957 से लागू होता है। तद्नुसार, इस विभाग के ज्ञाप सं० सी०डी०आर० 503-52-10174-एफ०, दिनांक 30 दिसम्बर, 1952 और पी-1-106-54-61 एफ० आर०, दिनांक 18 मई, 1954 में, जिसका बाद में इस विभाग के ज्ञाप सं० पी०-1-106-54-11225-एफ०, दिनांक 19 अक्तूबर, 1954 द्वारा संशोधन किया गया, दिए गए आदेश को उक्त तारीख से अवक्रान्त समझा जाये।

2. जिन मामलों में उपदान तो मंजूर हो गया हो, किन्तु वस्तुत: उसका भुगतान दिनांक 18 दिसम्बर, 1957 के पहले न हुआ हो, वे सभी मामले उक्त दिनांक इस विभाग के ज्ञाप में दिए गए आदेश द्वारा विनियमित होंगे, भले ही दावेदार (रों) ने, जो मृत सरकारी सेवक के परिवार का/के सदस्य हो/हों अथवा नहीं, उत्तराधिकार-प्रमाण-पत्र या क्षतिपूरक-बंध पेश किया हो। किन्तु, जिन मामलों में, 18वीं दिसम्बर, 1957 के आदेश के निर्गम और इस आदेश की प्राप्ति के बीच की अवधि में 18वीं दिसम्बर, 1957 के पहले लागू आदेश के अनुसार उपदान का भुगतान हो गया हो, उन मामलों पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है।

3. 18वीं दिसम्बर, 1957 के आदेश के उपदान के भुगतान की मंजूरी देने में, मंजूरी-प्राधिकारी अपने विवेक से यह निर्णय कर सकेंगे कि उपदान का दावा करने वाले व्यक्ति मृत सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य हैं या नहीं और किसी खास मामले में, दावेदारों को प्रतिभू (जामिन) और/या अन्य सुरक्षा के सहित या रहित क्षतिपूरक-बंध लिखने को कहा जाए या नहीं। [***वित्त विभाग ज्ञाप सं० पी०-1-1015- 58-8320- एफ०, दिनांक 24 मई, 1958]**

6.

*[1] [इस विभाग के ज्ञापांक पी० 1-1010/57-/7830 एफ०, दिनांक 18 दिसम्बर, 1957 में विहित मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की अदायगी के लिए पुनरीक्षित प्रक्रिया के मद्देनजर मृत सरकारी सेवक के परिवार को मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता सम्बन्धी सूचना भेजने के लिए निम्नांकित चार पुनरीक्षित और पृथक फारमों को अब पुनरीक्षित कर दिया गया है –

(1) विधिक नामांकन विद्यमान रहने वाले मामलों में मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्टीय अनुदान के लिए (अनुलग्नक-1);

(2) विधिक नामांकन अविद्यमान रहने वाले मामलों में मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्टीय अनुदान के लिए (अनुलग्नक-2);

(3) विधिक नामांकन विद्यमान रहने वाले मामलों में पारिवारिक पेंशन के लिए (अनुलग्नक-3); और

(4) विधिक नामांकन अविद्यमान रहने वाले मामलों में पारिवारिक पेंशन के लिए (अनुलग्नक-4)।

1. शुद्धि पत्र सं० 77, दिनांक 12-7-1961 द्वारा अन्तःस्थापित।

अनुरोध है कि भविष्य में इन फारमों में सूचना भेजी जाये।

2. जिन मामलों में नामांकन नहीं हो उनमें पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी सूचना नियमतः अनुलग्नक 4 में दिये गए कोटिक्रम में दर्शित सम्बन्धी के ज्ञात (व्यक्ति) को भेजा जाना चाहिए और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान से सम्बन्धित सूचना परिवार के उन सभी वयस्क सदस्यों को भेजा जाना चाहिए जिनके बारे में प्रशासी प्राधिकारी के पास जानकारी उपलब्ध हो। परिवार के अवयस्क सदस्यों के हिस्से की अदायगी प्राकृतिक संरक्षक को भी जायेगी जो हिन्दु, बौद्ध, जैन और इसाइयों के मामले में पिता होंगे और उसके बाद माता; मुसलमान के मामले में पिता होंगे। अवयस्कों की ओर से प्राकृतिक संरक्षकों को पत्र भेजा जायेगा और अवयस्कों की ओर से कोई अलग दावा नहीं माँगा जायेगा। जहाँ प्राकृतिक संरक्षक नहीं होंगे वहाँ विधिक संरक्षक को अदायगी की जायेगी जो स्वयमेव एतदर्थ दावा प्रस्तुत करने को स्वतंत्र होंगे।

3. यह भी निर्णय लिया गया है कि एक नया फारम "एच" लाया जाये जिसमें मृत सरकारी सेवक/ पेंशनर के लाभार्थी मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्टीय उपदान की अदायगी के लिए आवेदन करेंगे। पारिवारिक पेंशन के लिए समान आवेदन-फारम पहले ही से विद्यमान है – देखें फारम-एफ/पूर्वोक्तानुसार, मृत सरकारी सेवकों/पेंशनरों के परिवार के सदस्यों को पत्र भेजते समय सूचना-ज्ञापों के साथ ये फारम अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें।

अनुबंध-I

जिन मामलों में वैध नामांकन विद्यमान है उनमें मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/ अवशिष्टीय अनुदान के लिए फारम

संख्या –

बिहार सरकार

विभाग .... **दिनांक ....**

विषय : स्वर्गीय श्री/श्रीमती .... के सम्बन्ध में मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्टीय उपदान की अदायगी।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती .... कार्यालय/ विभाग .... द्वारा किये गए नामांकन की शर्तों के अनुसार मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/ अवशिष्टीय उपदान उनके नामांकित (नामांकितों) को देय है। उक्त नामांकन की एक प्रति संलग्न है।

2. अनुरोध है कि मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्टीय उपदान की मंजूरी के लिए संलग्न फारम "एच" में औपचारिक दावा यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

3. यदि नामांकन की तिथि के बाद कोई ऐसी आकस्मिकता घटित हुई हो जिससे नामांकन सम्पूर्णतः या अंशतः अवैध हो गया हो तो कृपया आकस्मिकता का ठीक-ठीक विवरण दें।

सेवा में,

श्री .... विश्वासभाजन,

....

अनुबन्ध-II

जिन मामलों में वैध नामांकन विद्यमान नहीं है उनमें मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/ अवशिष्टीय उपदान के लिए फारम

संख्या –

बिहार सरकार

विभाग .... **दिनांक ....**

विषय : स्वर्गीय श्री/श्रीमती .... के सम्बन्ध में मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/ अवशिष्टीय उपदान की अदायगी।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभाग के ज्ञापांक पी० 1-1010/57-17830, दिनांक 18 दिसम्बर, 1957 की शर्तों के अनुसार कार्यालय/विभाग .... के स्वर्गीय श्री/श्रीमती के परिवार के निम्नांकित सदस्यों को समान अंशों में मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्टीय उपदान देय है –

(1) पत्नी/पति

(2) पुत्र

(3) अविवाहित पुत्री-सौतेली संतान समेत ।

2. ऊपर बताए गये अनुसार परिवार के किसी सदस्य के जीवित नहीं रहने की स्थिति में, मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्टीय उपदान परिवार के निम्नलिखित सदस्यों को समान अंश में देय होगा–

(1) विधवा पुत्री

(2) 18 वर्ष से कम आयु के भाई और अविवाहित या विधवा बहन

(3) पिता और

(4) माता

3. अनुरोध है कि मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्टीय उपदान की अदायगी के लिए संलग्न फारम "एच" में औपचारिक दावा यथाशीघ्र प्रस्तुत करें ।

विश्वासभाजन,

....

अनुबन्ध–III

अमुद्रित । परिवार पेंशन योजना 1964 देखें ।

अनुबन्ध–IV

अमुद्रित । परिवार पेंशन योजना 1964 देखें ।

7.

***विषय : वैसी स्थिति में सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान अदायगी जिसमें उसने किसी व्यक्ति को मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान प्राप्त करने को नामांकित नहीं किया हो ।**

किसी व्यक्ति के मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान राशि या उसका अंश प्राप्त करने की उपयुक्तता उन तथ्यों के संदर्भ में आँकी जानी चाहिए जो सरकारी सेवक की मृत्यु के सममय वर्तमान थे, और कोई उत्तरवर्ती घटना (यथा विधवा का पुनर्विवाह, अविवाहित पुत्री, बहन का विवाह आदि) उस हकदारी को दुष्प्रभावित नहीं करेगी । तथापि, यदि अदायगी लेने के पहले उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि को मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान पाने का हकदार था तो उपदान-राशि या उसके अंश को निम्नांकित रीति से पुनर्वितरित किया जायेगा –

(ए) नामांकन नहीं रहने की दशा में, सम्बद्ध व्यक्ति को अनुमान्य उपदान-राशि या उसके अंश को मृत सरकारी सेवक को परिवार के जीवित उपयुक्त सदस्यों में बराबर-बराबर वितरित किया जायेगा ।

(बी) यदि सम्बद्ध व्यक्ति नामांकित था तो मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान-राशि या उसका अंश आनुकल्पिक नामांकित या सह-नामांकितियों को चला जायेगा । यदि आनुकाल्पिक नामांकित न हो तो उपदान-राशि या उसका अंश सम्बद्ध व्यक्ति के सहनामांकितियों को, यदि हों बराबर-बराबर दिया जायेगा, और यदि न हो तो, जैसा ऊपर (ए) में कहा गया है, उसे मृत सरकारी सेवक के परिवार के जीवित उपयुक्त सदस्यों में बराबर-बराबर बाँट दिया जायेगा । **[*ज्ञापांक पेन 1021/61-21896 एफ०, दिनांक 28-7-1961]**

8.

[समीक्षा : वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 12929 एफ०, दिनांक 4-9-1962 के द्वारा अस्थायी कर्मचारियों की मृत्यु, निवृत्ति आदि हो जाने पर कुछ पेंशन लाभ देने का प्रावधान है ।]

***विषय : बिल्कुल अस्थायी कर्मचारियों के लिए उनकी सेवाकाल में मृत्यु या सेवानिवृत्ति या छँटनी या अशक्तता की दशा में मृत्यु/निवृत्ति/आवधिक लाभ-स्वीकृति के सम्बन्ध में है ।**

सेवा के दौरान मृत्यु, सेवानिवृत्ति, छँटनी या अशक्तता की दशा में बिल्कुल अस्थायी कर्मचारियों को मृत्यु/निवृत्ति/आवधिक लाभ देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है । राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि नीचे दिए गये शर्त्तों के तहत अस्थायी कर्मचारियों को निम्नांकित लाभ दिये जाएँ –

2. (ए) आवधिक उपदान : जो अस्थायी कर्मचारी वार्धक्य के फलस्वरूप सेवानिवृत्त होंगे या छँटनी के फलस्वरूप कार्यमुक्त कर दिये जायेंगे या और आगे सेवा के लिए अशक्त घोषित कर दिये जायेंगे, वे सेवा के प्रत्येक परिपूरित वर्ष के लिए मासिक वेतन के 1/3 की दर पर उपदान के हकदार होंगे, बशर्ते उन्होंने निवृत्ति/सेवामुक्ति/अशक्तता के समय न्यूनतम 5 वर्षों की सेवा पूरी की है ।

(बी) मृत्यु–उपदान : जो स्थायी सरकारी सेवक सेवा के दौरान कालकवलित हो जायेंगे, उनका परिवार निम्नांकित शर्त्तों के अध्यधीन और मान के अनुसार उपदान का हकदार होगा –

(ए) एक वर्ष सेवा की समाप्ति के बाद किन्तु तीन वर्ष सेवा पूर्ण होने से पहले मृत्यु की दशा में एक महीना के वेतन के बराबर उपदान ।

(बी) तीन वर्ष सेवा की समाप्ति के बाद किन्तु पाँच वर्ष सेवा पूर्ण होने से पहले मृत्यु की दशा में दो महीने के वेतन के बराबर उपदान ।

(सी) पाँच वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरा करने के बाद मृत्यु होने पर तीन महीने के वेतन के बराबर उपदान या इस कंडिका के भाग (ए) में उल्लिखित आवधिक उपदान राशि, जो अधिक हो ।

3. (1) इन आदेशों के तहत उपदान सम्बद्ध कर्मचारी की नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी से ली गई सेवा के अनुमोदन और संतोषप्रद होने पर निर्भर करेगा ।

(2) उपदान अनुमान्य नहीं होगा –

(ए) यदि सम्बद्ध कर्मचारी पदत्याग करेगा या सरकारी सेवा से हटा दिया जायेगा या बर्खास्त कर दिया जायेगा;

(बी) परीक्ष्यमान या अन्य सरकारी सेवक विहित जाँच या परीक्षा में असफल होने के कारण कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ।

ये आदेश 1ली अगस्त, 1952 से प्रभावी होंगे । [***ज्ञापांक पेन–10-30-61/12929 एफ०, दिनांक 4-9-1962**]

9.

***विषय : बिल्कुल अस्थायी कर्मचारियों के लिए उनकी सेवाकाल में मृत्यु या सेवा-निवृत्ति या छँटनी या अशक्तता की दशा में मृत्यु/निवृत्ति/आवधिक लाभ-स्वीकृति के सम्बन्ध में ।**

1. राज्यादेश सं० पेन–1030/61/12929 एफ०, दिनांक 4 सितम्बर, 1962 की शर्त्तों के अनुसार आवधिक उपदान और मृत्यु-उपदान के निर्धारण के लिए "वेतन" के अन्तर्गत बिहार पेंशन नियमावली के नियम 26 (ए) में अंकित सभी प्रकार के वेतन होंगे, साथ-साथ जीवन यापन भत्ता भी । उपदान की गणना उस वेतन और जीवन यापन भत्ता पर की जायेगी जो सरकारी सेवक मृत्यु के समय या सेवा छोड़ते समय यथास्थिति अपने पद पर प्राप्त किया होता ।

2. उपदान स्वीकृत करने के लिए अंकेक्षण-प्रतिवेदन आवश्यक नहीं होगा/राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि महालेखाकार, बिहार उस प्राधिकारी से जो अस्थायी सरकारी सेवक द्वारा खाली किया गया पद पर नियोजन करने को सक्षम हो, निम्नांकित विवरण के साथ आवश्यक स्वीकृति मिलने पर अदायगी के लिए प्राधिकार निर्गत करेंगे –

(क) आवेदक का नाम

(ख) पिता का नाम

(ग) वर्तमान पता

(घ) वर्तमान या विगत नियोजन, प्रतिष्ठान के नाम के साथ

(ङ) सेवा-पुस्तिका

(च) सेवारंभ की तिथि

(छ) सेवांत की तिथि

(ज) निरंतर और अनुमोदित संतोषप्रद सेवा की कुल अवधि

(झ) सेवा छोड़ते समय वेतन और जीवन यापन भत्ता

(ञ) प्रस्तावित उपदान

(ट) अदा करने का स्थान (सरकारी कोषागार या उपकोषागार)

(ठ) आयु

(ड) ऊँचाई

(ढ) चिह्न

(ण) दो फर्द में, अंगूठा और अँगुली-निशान

(त) दो फर्द में, हस्ताक्षर-नमूना

(थ) निम्नलिखित आशय की घोषणा –

"मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र में अंतर्विष्ट सेवा के किसी भाग के सम्बन्ध में कोई उपदान, जिसके लिए इसमें दावा किया गया है, नहीं प्राप्त किया और न इसके लिए आवेदन ही किया है, और न तो मैं इसके बाद बिना इस आवेदन-पत्र और इस पर पारित आदेशों की चर्चा किये कोई आवेदन-पत्र समर्पित करूँगा/करूँगी।"

(द) इस आशय का प्रमाण पत्र कि स्थानिक अभिलेखों से दिनांक .... से दिनांक .... तक की सेवा का सत्यापन किया गया है और निरंतर और संतोषप्रद सेवा कुल .... वर्ष होती है।

3. (क) नामांकन के अभाव में, इस योजना के अंतर्गत मृत्यु-उपदान, पुरुष सरकारी सेवक की स्थिति में, सबसे बड़ी जीवित विधवा को मंजूर किया जायेगा। यदि जीवित विधवा/पति न हो तो उपदान निम्नांकित रीति से परिवार के सभी जीवित सदस्यों को बराबर-बराबर दिया जायेगा –

(1) पुत्र

(2) अविवाहित पुत्री

(ख) यदि ऊपर (क) में अंकित परिवार का कोई सदस्य जीवित न हो, किन्तु निम्नांकित एक या एकाधिक जीवित सदस्य हों, तो मृत्यु-उपदान सभी ऐसे सदस्यों को बराबर-बराबर दिया जा सकेगा।

(1) विधवा पुत्री

(2) 18 वर्ष से कम आयु के भाई, और अविववाहित या विधवा बहन

(3) पिता और

(4) माता

[*ज्ञापांक पेन–103/63-पी०एफ०-694, दिनांक 15-1-1964]

10.

***विषय : वार्द्धक्य पेंशन तथा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की स्वीकृति में विलंब – उसके चलते हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट में सरकार के विरुद्ध केस।**

उपर्युक्त विषय पर आपका निजी ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि वर्तमान में हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में सरकार के विरुद्ध पेंशन संबंधी (avoidable litigation) निरर्थक केस हो रहे हैं। अधिकांश न्यायादेशों में सरकार को पेनल इन्ट्रेस्ट (Penal interest) के साथ पेंशन/उपदान अथवा भविष्य निधि का भुगतान करना पड़ रहा है।

2. ऐसी संचिकाओं की जाँच करने के बाद मैं इस साधारण निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि पेंशन/उपदान की स्वीकृति में विलंब का मुख्य कारण यह है कि वित्त विभाग के संकल्प सं० 3014 वि०, दिनांक 31-7-1980 (जिसके द्वारा प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है) का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।

उपर्युक्त संकल्प में सरकार ऐसे मामलों के निष्पादन में बल देकर निर्देश दिया है कि सक्षम पदाधिकारी पेंशन, उपदान, भविष्य निधि की स्वीकृति (with reasonableness and accommodation) करें ।

3. अब जो दृष्टांत मेरे पास आ रहे हैं, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ –

(1) संकल्प सं० 3014, दिनांक 31-7-1980 की कंडिका- 3 "क" पर निलम्बन के संबंध में उदार निर्देश है । उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है ।

(2) कंडिका-6 में कार्यालय प्रधान को पेंशन नियमावली के नियम-139 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का जो मार्गदर्शन है, उसका अनुपालन नहीं होता है ।

(3) पेंशन को रोक रखने या वापस लेने का अधिकार बहुत सीमित किया गया है । उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-7 पर सक्षम पदाधिकारी ध्यान नहीं देते ।

(4) उपर्युक्त संकल्प के अन्तर्गत औपबंधिक भुगतान के पूर्व अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है और सरकारी आवास के बकाये के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र ही संकल्प की कंडिका-10 के अन्तर्गत पर्याप्त है । फिर पेंशन लागू करने के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-240 डी के अन्तर्गत सभी शर्त्तों को विलोपित किया गया है ।

4. कृपया पेंशन, उपदान एवं भविष्य निधि के मामलों का त्वरित निष्पादन हेतु नियमित समीक्षा अपने स्तर से अवश्य किया करें । वित्त विभाग के संकल्प सं० 3014, दिनांक 31-7-1980 का गहन अध्ययन एवं अनुपालन होना चाहिए, ताकि सरकार को केवल अनावश्यक केस से ही मुक्ति नहीं मिले, बल्कि बकायों के भुगतान में पेनल इन्ट्रेस्ट (penal interest) नहीं देना पड़े ।

विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि पेंशन मामलों की गहन समीक्षा प्रत्येक दो माह के अंतिम शनिवार को गहन रूप से करें ।

5. विभागीय सचिवों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त विषय पर त्रैमासिक (जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्तूबर) प्रतिवेदन मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजें । [*पत्र सं० 3/सी० एस०/एम०-304/91-3665, दिनांक 5-10-1993]

मनोनयन

3. (1) इस कंडिका के प्रयोजनार्थ –

(क) **"परिवार"** के अन्तर्गत सरकारी सेवक के निम्न सम्बन्धी होंगे –

(i) सरकारी सेवक के मामले में, पत्नी, (ii) सरकारी सेविका के मामले में, पति, (iii) पुत्र, (iv) अविवाहित और विधवा पुत्रियाँ, (v) 18 वर्ष से कम उम्र के भाई और अविवाहित या विधवा बहनें, (vi) पिता, और (vii) माता ।

टिप्पणी : (iii) और (iv) के अन्तर्गत सौतेली सन्तान भी होगी ।

(ख) इस कंडिका के प्रयोजनार्थ **"व्यक्ति"** के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संस्था अथवा व्यक्ति विशेष निकाय भी होगा, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं ।

(2) ज्योंही सरकारी सेवक 5 वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी कर ले, त्योंही वह एक मनोनयन करेगा जिसमें वह एक या अनेक व्यक्तियों को, कंडिका 2 की (2) और (4) उप-कंडिकाओं के अधीन मंजूर होनेवाला उपदान [1][और कोई भी उपदान, जो उस कंडिका की उप-कंडिका 1 तथा कंडिका 1 की उप-कंडिका 1 के अधीन देय हो जाने पर मृत्यु के पूर्व नहीं दिया गया है] प्राप्त करने का अधिकार देगा ।

परन्तु यदि मनोनयन के समय, सरकारी सेवक को परिवार हो, तो मनोनयन, उसे परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में न किया जायेगा ।

(3) यदि कोई सरकारी सेवक, उप-कंडिका (2) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को मनोनीत करें, तो वह, हरेक मनोनीत व्यक्ति को देय रकम या हिस्सा का उल्लेख मनोनयन में इस रीति से करेगा कि उपदान की सारी रकम उसमें आ जाए ।

1. लुप्त, देखें, वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी०सी०डी० आर०-506/51-11140-वित्त, दिनांक 7 दिसम्बर, 1951 और पुनः यथास्थापित, देखें, वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी०-1710/57-17830-वित्त, दिनांक 18 दिसम्बर, 1957 (शुद्धि-पत्र सं० 54, दिनांक 21 अगस्त, 1958) ।

(4) सरकारी सेवक मनोनयन-पत्र में निम्न बातों का उपबंध कर सकेगा –

(क) [1][यदि किसी उल्लिखित मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु सरकारी सेवक की मृत्यु के पहले हो जाए, तो उस मनोनीत व्यक्ति को दिया गया अधिकार किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति को मिल जायेगा, जिसका मनोनयन-पत्र में उल्लेख हो, बशर्ते कि मनोनयन करते समय यदि सरकारी सेवक के परिवार में एक से अधिक सदस्य हो, तो इस प्रकार, उल्लिखित व्यक्ति, उसके परिवार के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति न होगा;]

(ख) यदि मनोनयन पत्र में उल्लिखित कोई आकस्मिक घटना घट जाए, तो वह मनोनयन-पत्र अमान्य हो जायेगा ।

(5) [1][मनोनयन करते समय जिस सरकारी सेवक के परिवार न हो, उसके द्वारा किया गया मनोनयन, अथवा मनोनयन करने के दिन जिस सरकारी सेवक के परिवार में एक ही सदस्य हो, उसके द्वारा उप-कंडिका (4) के खंड (क) के अधीन किए गए किसी मनोनयन का कोई उपबंध, यथास्थिति, बाद में सरकारी सेवक को परिवार हो जाने पर या उसके परिवार में किसी सदस्य के बढ़ जाने पर, अमान्य हो जायेगा ।

(6) (क) हरेक मनोनयन-पत्र, क से घ तक फारमों (अनुलग्न) में से किसी ऐसे फारम में होगा, जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हो ।

(ख) सरकारी सेवक किसी भी समय समुचित प्राधिकारी को लिखित सूचना भेजकर मनोनयन-पत्र रद्द कर सकेगा; परन्तु सरकारी सेवक, ऐसी सूचना के साथ-साथ इस कंडिका के अनुसार किया गया एक नया मनोनयन भेजेगा ।

(7) जिस मनोनीत व्यक्ति के बारे में मनोनयन-पत्र में उप-कंडिका (4) के खंड (क) के अधीन कोई खास उपबंध न किया गया हो, उसकी मृत्यु हो जाने पर अथवा कोई ऐसी घटना घट जाने पर, जिसके कारण उक्त उप-कंडिका के खंड (ख) या उपकंडिका (5) के अनुसार मनोनयन-पत्र अमान्य हो जाए, सरकारी सेवक समुचित प्राधिकारी को, अविलम्ब एक लिखित सूचना भेजकर मनोनयन-पत्र को औपचारिक रूप से रद्द कर देगा और साथ ही इस कंडिका के अनुसार किया गया एक नया मनोनयन भेजेगा ।

(8) इस कंडिका के अधीन सरकारी सेवक द्वारा किया गया हरेक मनोनयन और रद्दगी के लिए दी गयी हरेक सूचना को, उक्त सरकारी सेवक यदि वह राजपत्रित हो, तो महालेखापाल के पास, और यदि वह अराजपत्रित हो, तो कार्यालय-प्रधान के पास भेजेगा । किसी अराजपत्रित सरकारी सेवक से मनोनयन-पत्र प्राप्त होने पर कार्यालय-प्रधान अविलम्ब उस पर प्राप्ति की तारीख देते हुए, प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रख लेगा ।

(9) किसी सरकारी सेवक द्वारा किया गया हरेक मनोनयन और रद्दगी के लिए दी गयी हरेक सूचना, जिस हद तक वह मान्य हो उस हद तक, उस तारीख से लागू होगी, जिस तारीख को वह उप-कंडिका (8) में उल्लिखित प्राधिकारी को मिले ।

राज्य सरकार के निर्णय –

1.

***विषय : सरकारी सेवकों द्वारा मनोनयन करने के सम्बन्ध में ।**

[2][1 वित्त-विभाग संकल्प सं० एफ०-वी०-पी०ए०आर०-12-50/12548-एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 से संलग्न नियमावली की कंडिका 3 (3) में उपबंधित है कि कोई सरकारी सेवक ज्योंही पाँच वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी कर लें त्योंही वह एक मनोनयन करेगा, जिसमें वह, उदार-पेंशन नियमावली के अधीन देय उपदान, एक या अधिक व्यक्तियों को प्राप्त करने का अधिकार सौंपेगा । इस संबंध में प्रश्न उठाया गया है कि पाँच वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी कर लेने के पहले किया गया मनोनयन मान्य समझा जाना चाहिए या नहीं । पाँच वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी कर लेने के बाद मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिए मनोनयन करने का उपबंध नियमावली में किया गया था, क्योंकि नई पेंशन-योजना के अधीन उक्त अवधि के पहले उपदान देय नहीं होता । फिर भी, अभिप्राय यह नहीं था कि उपदान के लिए पाँच वर्षों की अपेक्षित अवधि के पहले किया गया

1. [संशोधित, देखें, वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी०-1015/58–8323-वित्त, दिनांक 24 मई, 1958 और शुद्धि पत्र सं० 55, दिनांक 21 अगस्त, 1958 ।
2. सन्निविष्ट, देखें, शुद्धि पत्र सं० 28, दिनांक 30 दिसम्बर, 1956 ।

मनोनयन अमान्य समझा जाए । तद्नुसार, इसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि पाँच वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी करने के पहले भी किया गया मनोनयन लागू समझा जाए, बशर्ते कि वह मान्य रूप से किया गया हो और अन्यथा यथावत् हो ।

2. इस संबंध में सरकार ने इस विभाग के उपर्युक्त संकल्प से संलग्न नियमावली की कंडिका 3 (2) में आंशिक परिवर्तन करते हुए यह भी निर्णय किया है कि सरकारी सेवक संपुष्टि के बाद किसी समय मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिए मनोनयन कर सकता है, न कि आवश्यक रूप से पाँच वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी कर लेने के बाद ही, जैसा कि अभी है ।

3. उपर्युक्त नियमावली की कंडिका 4 (6) में उपबंधित है कि कोई सरकारी सेवक, जिसने 25 वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी कर ली है, पारिवारिक पेंशन के लिए अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम मनोनयन कर सकता है । जहाँ तक इस उपबंध के अनुसार परिवार-पेंशन के लिए मनोनयन का संबंध है, यह देखा गया है कि अधिकतर सरकारी सेवक यह नहीं जानते कि वस्तुत: वे कब 25 वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी करते हैं । तद्नुसार, सरकार ने, उपर्युक्त नियम में आंशिक परिवर्तन करते हुए यह निर्णय किया है कि कोई सरकारी सेवक कुल 25 वर्षों की सेवा (न कि आवश्यक रूप से पेंशन-प्रदायी सेवा) पूरी कर लेने के बाद परिवार-पेंशन के संबंध में मनोनयन कर सकता है ।

4. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय और बिहार विधान-सभा सचिवालय तथा विधान-परिषद् सचिवालय में काम करने वाले व्यक्तियों का संबंध है, यह आदेश पटना उच्च-न्यायालय के मुख्य-न्यायाधिपति की सहमति से और बिहार विधान सभा के अध्यक्ष तथा बिहार विधान-परिषद् के सभापति के परामर्श के बाद निकाला गया है ।

[*वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी० 1-106-54-2905, दिनांक 15 मार्च, 1955]

2.

***विषय : उदारीकृत पेंशन नियमावली के अधीन मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिए नामांकन ।**

विगत कुछ समय से मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान-राशि में सरकारी सेवक के पूर्वमृत पुत्र की विवाहित पुत्रियों और संतान को अंश-हकदार बनाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है । विद्यमान नियमों में सरकारी सेवक के ऊपरनामित सम्बन्धियों के पक्ष में नामांकन करने का प्रावधान नहीं है ।

1. सावधानी से विचार करने के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी सेवक के पूर्वमृत पुत्र की विवाहित पुत्रियों और संतान को भी मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान में अंश प्राप्त करने की निम्नलिखित अनुसार अर्हता प्राप्त होगी;

2. मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के सम्बन्ध में नामांकन करने के लिए सरकारी सेवक के परिवार में अब निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित किये जायेंगे –

(1) पत्नी, यदि सरकारी सेवक पुरुष है;
(2) पति, यदि सरकारी सेवक महिला है;
(3) पुत्र (सौतेली संतान और दत्तक संतान समेत);
(4) अविवाहित और विधवा पुत्रियाँ;
(5) 18 वर्ष से कम आयु के भाई और अविवाहित और विधवा बहनें;
(6) पिता;
(7) माता;
(8) विवाहित पुत्रियाँ; और
(9) पूर्वमृत पुत्र की संतान

3. यदि सरकारी सेवक की मृत्यु बिना ऊपरनामित सम्बन्धियों में एक या एकाधिक को मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदायी नामांकन के हो जाता है तो उपदान, मासिवा विधवा पुत्रियों के ऊपर (1) से (4) वर्गों में आनेवाले सरकारी सेवक के ऊपर-वर्णित जीवित पारिवारिक सदस्यों को बराबर-बराबर दिया जायेगा । यदि कोई सदस्य जीवित न हो, किन्तु सरकारी सेवक के जीवित विधवा पुत्रियाँ और/या एक या

एकाधिक वैसे सदस्य हों जो वर्ग (5) से (9) में परिभाषित किये गये हैं तो उन सभी व्यक्तियों को समान अंश में उपदान दिया जायेगा ।

4. तथापि, उपर्युक्त निर्णय पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में नामांकन करने की विद्यमान स्थिति में कोई रद्दोबदल नहीं करेगा । उपर्युक्त मद (1) से (7) मात्र में उल्लिखित सम्बन्धियों में किसी या सभी के पक्ष में पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकन करने का (प्रावधान) जारी रहेगा । [***ज्ञाप सं० 28619 वि०, दिनांक 3-12-1960**]

3.

*मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के भुगतान के प्रयोजनार्थ जीवित सौतेली माँ अवयस्क बच्चा/बच्ची की प्राकृतिक संरक्षिका नहीं है और इस कारण वह "जीवित पिता-माता" शब्द के अन्दर नहीं आती है । [***शुद्धि पत्र सं० 79, दिनांक 12-7-1961 का मूलांश**]

4.

***विषय : मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में अनिवार्य नामांकन ।**

वित्त विभाग के आदेश सं० एफ०-5-पी०ए०आर०-12/50-12548 एफ०, दिनांक 23-8-1950 और पी०-1-106/54-2905, दिनांक 15-3-1955 में प्रावधान है कि सरकारी सेवक उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं जिन्हें उनकी मृत्यु हो जाने पर मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन लेने का अधिकार होगा । संक्षेप में, स्थिति यह है कि प्रत्येक स्थायी सरकारी सेवक अंशदान करने के बाद भी मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकन नहीं भेजते हैं । इस विभाग के ज्ञापांक पी० 1-1015/58-2304 एफ०, दिनांक 6 फरवरी, 1959 के द्वारा भेजे गए अनुदेश में मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के सम्बन्ध में समय से नामांकन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया था, और विभागों को तद्नुसार अनुरोध किया गया था कि वे स्थायी पेंशनी सरकारी सेवकों को इस तथ्य से अवश्यमेव अवगत करा दें ।

2. अनुभव बताता है कि जहाँ नामांकन नहीं है वहाँ काफी विलम्ब होता है और परिवार के सदस्यों को पेंशन स्वीकृत करने के पहले उलझन पैदा होती है, विलम्ब इस कारण कि स्वीकृति-प्राधिकारियों द्वारा परिवार की जीवित सदस्यों, आदि के बारे में पड़ताल करना आवश्यक होता है और उलंझन इस कारण कि अनेक मामलों में विधि सम्मत नामांकन के अभाव में दावा विषयक (संदेह) उत्पन्न होता है और उन्हें सुलझाना होता है । मालूम होता है कि नामांकन विषयक विद्यमान प्रावधानों का पूरा लाभ नहीं लिया जा रहा है ।

3. सरकार ने तद्नुसार निर्णय लिया है कि स्थायी सरकारी सेवकों के लिए मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन दोनों के सम्बन्ध में नामांकन करना अब से अनिवार्य कर दिया जाये । अतः विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सम्यक् नामांकन किया गया है –

(ए) अपने नियंत्रणाधीन उन स्थायी सरकारी सेवकों द्वारा जिन्होंने अबतक नामांकन नहीं किया है, और

(बी) उन सरकारी सेवकों द्वारा जो संपुष्टि के समय अन्ततः स्थायी किये जाते हैं । [***ज्ञाप सं० 21288 वि०, दिनांक 20-9-1960**]

5.

***विषय : जिस सरकारी सेवक को कोई परिवार नहीं है उसका मनोनयन करने के सम्बन्ध में ।**

प्रश्न उठाया गया है कि किसी ऐसे पदाधिकारी के मामले में, जिसे वित्त विभागीय ज्ञाप सं० एफ०वी०-पी०ए०आर०-12-50-12548-एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 की कंडिका 3 के खंड (1) में यथापरिभाषित कोई परिवार नहीं है, उक्त कंडिका में निर्दिष्ट मनोनयन, जिसके द्वारा मृत्यु-उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, किसी व्यक्ति-निकाय के पक्ष में, जो चाहे निगम हो या अनिगम, किया जा सकता है या नहीं । इस संबंध में एक और प्रश्न उठाया गया है कि किसी पदाधिकारी के मामले में, जिसके परिवार में केवल एक ही सदस्य हो जिसके पक्ष में मृत्यु-उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने वाला मूल मनोनयन किया जाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अन्यतर मनोनयन किया जा सकता है या नहीं, जो उसके परिवार का सदस्य न हो ।

2. इन प्रश्नों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त परिस्थितियों में, जहाँ पदाधिकारी का कोई परिवार न हो, मनोनयन किसी व्यक्ति-निकाय के पक्ष में किया जा

सकता है, चाहे वह निगम हो या अनिगम । इसी प्रकार, जहाँ पदाधिकारी के परिवार में केवल एक ही सदस्य हो जिसके पक्ष में मूल-मनोनयन किया जाना चाहिए, वहाँ अन्यतर मनोनयन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो उसके परिवार का सदस्य न हो, अथवा किसी व्यक्ति-निकाय के पक्ष में चाहे वह निगम हो या अनिगम, किया जा सकता है । **[*वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी० 1-1016-55-8788-एफ०, दिनांक 1 सितम्बर, 1955]**

6.

***विषय : मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान में अवयस्क के अंश की अदायगी ।**

(1) राज्य सरकार के निर्णय पूर्वोक्त 4 के रूप में सन्निहित वित्त विभाग के ज्ञापांक 2304 एफ०, दिनांक 6 फरवरी, 1959 में कहा गया है कि मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान में अवयस्क के अंश की अदायगी उसके प्राकृतिक संरक्षक को की जायेगी, और प्राकृतिक संरक्षक नहीं होने पर अदायगी उस व्यक्ति को की जायेगी जो संरक्षकता-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे ।

(2) उस मामला में जिसमें मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान में अवयस्क का अंश प्राकृतिक/विधिक संरक्षक को दिया जाना है, उनके नाम में आवश्यक अदायगी प्राधिकार जारी करने के मद्देनजर महालेखाकार, बिहार को या यह बात तथा प्राकृतिक/विधिक संरक्षक का नाम जानना अनिवार्य है । यदि स्वीकृति-पत्र में उक्त जानकारी नहीं दी जायेगी तो महालेखाकार, बिहार को स्वीकृति-प्राधिकारी से इस बारे में पूछताछ करनी होगी, जिससे मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की अदायगी में अनिवार्य विलम्ब होगा । इस विलम्ब से बचने के लिए सरकारी विभागादि से आग्रह है कि भविष्य में इस तरह के सभी मामलों में स्वीकृति-पत्र में ही उपर्युक्त विवरण दे दिये जायें ।

(3) अवयस्क के प्राकृतिक/विधिक संरक्षक की हैसियत में अवयस्क का अंश किसे दिया जाये—इस बारे में विधिसम्मत स्थिति नीचे स्पष्ट की जाती है –

(1) जब वैध नामांकन विद्यमान नहीं हो –

(ए) यदि अंश अवयस्क पुत्र या अवयस्क अविवाहित पुत्री को देय है तो जीवित पिता/माता को दिया जाये, परंतु जीवित माता मुसलमान महिला हो, तो नहीं दिया जाये । संरक्षकता-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले को अदायगी की जाएगी ।

(बी) यदि विधवा अवयस्क पुत्री को अंश देना है तो संरक्षकता-प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति आवश्यक होगी ।

(सी) यदि ऐसा बिरल मामला हो जिसमें पत्नी ही अवयस्क हो तो उसे देय मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान उस व्यक्ति को दिया जाये जो संरक्षकता-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें ।

(डी) यदि इस विभाग के संकल्प सं० एफ०-5-पी०ए०आर०-12/50-12548, दिनांक 23 अगस्त, 1950 की कंडिका 3 की उपकंडिका (1) के मद (ए), (बी), (सी) और (डी)) में उल्लिखित पारिवारिक सदस्य जीवित न हों, और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान अवयस्क भाई या अवयस्क अविवाहित बहन को देय हो, तो अदायगी, मासिवा कि माता मुस्लिम महिला न हो, पिता को और पिता के अभाव में माता को की जानी चाहिए । इस मामले में भी, यदि पिता-माता जीवित न हों, या जीवित माता मुस्लिम महिला हो तो अदायगी संरक्षकता-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करनेवाले को ही की जायेगी । यदि कोई अंश विधवा अवयस्क बहन को देय है तो संरक्षकता-प्रमाण-पत्र पेश करना आवश्यक होगा ।

(2) जब वैध नामांकन विद्यमान हो –

(ए) जब नामांकन परिवार के सदस्यों में से एक या एक से अधिक के सम्बन्ध में हो तो कंडिका 3 (1) में दी गई स्थिति लागू होगी ।

(बी) जब परिवार ही नहीं हो, तो अवैध संतान, विवाहित पुत्री या विवाहित बहन के पक्ष में किया गया नामांकन भी जायज होगा, और स्थिति इस तरह की होगी ।

(1) यदि नामांकिती अवैध संतान हो तो अंश माता को देय होगा और माता के नहीं रहने पर संरक्षकता-प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा ।

(2) यदि विवाहित अवयस्क लड़की को अंश देय हो तो अंश पति को देय होगा । **[*शुद्धि पत्र सं० 62, दिनांक 28-5-1959 द्वारा अन्तःस्थापित ।]**

7.

***विषय : अवयस्क को मृत्यु-सह-निवृत्ति अदायगी।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन–1022/60 पी०टी०–12242, दिनांक 28 जून, 1960 के अनुसार मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के अवयस्क का अंश, यदि पिता-माता जीवित न हों या जीवित माता मुस्लिम महिला हो, तो उसको दिया जायेगा जो संरक्षकता-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। अभ्यावेदन किया गया है कि बहुत सारे मामलों में संरक्षकता-प्रमाण-पत्र देने में बहुत असुविधा होती है और इसके चलते दावों के निबटारे में विलम्ब होता है।

2. अतः उपर्युक्त ज्ञाप को रूपान्तरित करके यह निर्णय लिया गया है कि अवयस्क के पक्ष में 5,000 रु० तक (या प्रथम 5,000 रु० देय राशि 5,000 रु० से अधिक हो) मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान का अंश प्राकृतिक संरक्षक के अभाव में, उसके संरक्षक को बिना औपचारिक संरक्षकता-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए किन्तु स्वीकृति प्राधिकारी के समाधान-पर्यंत उपयुक्त प्रतिभूओं के साथ प्रतिपूर्ति बन्धपत्र की प्रस्तुति के अध्यधीन दिया जा सकेगा। 5,000 रु० से अधिक की बाकी रकम, यदि हो, संरक्षकता-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

3. यह आवश्यक है कि दावा करने वाला व्यक्ति के पास ऊपर की कंडिका 2 में यथाकथित अदायगी किए जाने को प्रथम दृष्ट्या समुचित आधार उपलब्ध हों। ऐसे आधार केवल तभी हो सकते हैं जब वह शपथपूर्वक घोषणा के द्वारा यह दर्शित करें कि वह वस्तुतः संरक्षक है और उसकी यह असलियत विनिश्चित कर ली गई हो। यदि उस समय तक किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त नहीं भी किया गया हो और यदि अवयस्क और उसकी सम्पत्ति व्यक्ति विशेष की अभिरक्षा में हो तो वह व्यक्ति कानून वास्तविक संरक्षक है। अतः अदायगी मंजूर करनेवाले प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित होगा कि जो व्यक्ति अवयस्क की ओर से अदायगी का दावा करने को आगे आयें उसको शपथ पत्र दाखिल करके उनका यह समाधान करने को कहें कि वह अवयस्क की सम्पत्ति का प्रभारी है और उसकी देखभाल कर रहा है, अथवा यदि अवयस्क को उपदान के अतिरिक्त कोई सम्पत्ति नहीं हो तो (शपथ पत्र द्वारा समाधान करे कि) अवयस्क उसके अभिरक्षा और देखभाल में है। इस तरह का दिया जाने वाला शपथ-पत्र उपयुक्त प्रतिभूओं सहित प्रतिपूर्ति बन्ध-पत्र के अतिरिक्त होगा। [*ज्ञाप सं० 3798 वि०, दिनांक 17-4-1965]

8.

***विषय : उदारीकृत पेंशन नियमावली के अधीन अराजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में किया गया नामांकन।**

विभाग का संकल्पांक एफ०-5-पी०ए०आर०-12-50–12548, दिनांक 23 अगस्त, 1950 की कंडिका 3 (8) और 4 (6) को निर्देशित किया जाये जिनमें प्रावधान है कि मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान या पारिवारिक पेंशन की अदायगी के लिए अराजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और अराजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा इस तरह के नामांकन को रद्द करने के लिये प्रत्येक सूचना उसके कार्यालय-प्रधान को भेज दिये जायेंगे जो इनकी प्राप्ति के तुरंत बाद प्राप्ति की तारीख का उल्लेख करते हुए इसको प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और अपनी अभिरक्षा में रखेंगे।

2. मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकन और सम्बद्ध सूचनाएँ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनके आधार पर लाभार्थियों के दावों को स्थापित और विनिश्चित करना होता है। ऐसे उदाहरण सामने आये हैं जिनमें मृत अराजपत्रित सरकारी सेवकों द्वारा किये गये नामांकन और सम्बद्ध दस्तावेज कार्यालय-प्रधान के कार्यालयी अभिलेख में उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें गुम समझा गया है। इससे नामांकन का जो उद्देश्य है वही विफल हो जाता है और सब तरह की असुविधा और विलम्ब कारित होता है। भविष्य में इस तरह की हानि की संभावना से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अराजपत्रित सरकारी सेवक के मामला में ऊपर कहे अनुसार, आदेश दिनांक 23 अगस्त, 1950 में यथापेक्षित कार्यालय-प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के बाद नामांकन पत्रों को पृथक् गोपनीय संचिका में रखा जाये जो सुरक्षित रखे जाने की दृष्टि से कार्यालय-प्रधान के पास या उनके द्वारा इस प्रयोजनार्थ नामांकित अन्य उत्तरदायी पदाधिकारी के पास रहेगी; और सरकारी सेवक की सेवा-पुस्तिका में स्पष्ट रूप से नोट कर दिया जाये कि कौन-सा नामांकन-पत्र और सम्बन्धित सूचना प्राप्त हुए हैं और सुरक्षित अभिरक्षा में उन्हें कहाँ रखा गया है, ताकि निर्देशित करने के अवसर आने पर उन दस्तावेजों को खोजने में कोई कठिनाई न हो। [*ज्ञाप सं० 28610 वि०, दिनांक 3-12-1960]

प्रकरण 3 : परिवार-पेंशन

अमुद्रित

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

***विषय : राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 ।**

भारत सरकार के अनुरोध पर राज्य सरकार विगत कुछ समय से अपने कर्मचारियों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिये उपाय करने को सोच रही थी ।

2. वर्तमान आदेश (उदारीकरण पेंशन नियमावली, 1950) के अधीन पारिवारिक पेंशन लाभ के लिये अर्हता प्राप्त करने वास्ते पदाधिकारी को सामान्यत: 20 वर्ष सेवा पूरी करनी होती है और पेंशन-देयता की अधिकतम अवधि भी वार्धक्य-निवृत्ति की तारीख के बाद 10 वर्ष तक सीमित है, जो पहले घटित हो (?) ।

3. वर्तमान प्रावधान पर्याप्त नहीं पाये गये, अत: स्थिति पर पुनर्विचार किया गया और एक नयी योजना बनाई गई जो भविष्य में मृत सरकारी सेवक की विधवा को विभिन्न दर पर जीवनपर्यंत पेंशन उपलब्ध करेगी ।

4. अमुद्रित ।

5. अमुद्रित ।

[वित्त विभाग का पत्र संख्या 1853 वि०, दिनांक 19-4-1990 देखें जिसे कण्डिका 1 के नीचे राज्यादेश संख्या 2 के रूप में दिया गया है जो स्वत: स्पष्ट है ।]

6. उक्त योजना 1 अप्रैल, 1964 के प्रभाव से लागू होगी और पेंशनी प्रतिष्ठान में उन सभी अस्थायी या स्थायी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगी जो 1ली अप्रैल, 1964 को सेवा में हैं या उसके बाद नियुक्त हुए हों ।

7. योजना का प्रशासन निम्नांकित रूप में होगा –

(i) सेवा के दौरान या सेवा-निवृत्ति के बाद 1ली अप्रैल, 1964 को या उसके बाद, मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन अनुमान्य होगी यदि मृत्यु के समय सेवानिवृत्त पदाधिकारी क्षतिपूर्ति, अशक्तता, निवृत्ति या वार्धक्य-पेंशन प्राप्त करता था । यदि सेवा के दौरान मृत्यु हुई हो तो सरकारी सेवक न्यूनतम एक वर्ष सेवा पूरी कर चुका हो ।

(ii) योजना के प्रयोजन के लिए पदाधिकारी के निम्नलिखित सम्बन्धी उसके परिवार के अंतर्गत होंगे –

(क) पत्नी, यदि पदाधिकारी पुरुष हो;

(ख) पति, यदि पदाधिकारी महिला हो;

(ग) अवयस्क पुत्र; और

(घ) अविवाहित अवयस्क पुत्री

टिप्पणी 1 : (ग) और (घ) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पहले विधिक रूप में गोद ली गई संतान भी होगी ।

टिप्पणी 2 : इस योजना के प्रयोजन के लिए सेवानिवृत्ति के बाद किया गया विवाह को मान्यता नहीं दी जायेगी ।

(iii) पेंशन अनुमान्य होगी –

(क) विधवा/विधुर के मामले में मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, जो पहले हो ।

(ख) अवयस्क पुत्र के मामला में उस समय तक जब उसकी आयु 18 वर्ष की हो जाती है ।

(ग) अविवाहित पुत्री के मामला में उस समय तक जब उसकी आयु 21 वर्ष की हो जाती है या उसका विवाह हो जाता है, जो पहले हो ।

[1][**टिप्पणी (i) :** यदि पदाधिकारी की एक से अधिक विधवायें जीवित हों तो उनको बराबर-बराबर पेंशन दी जायेगी । विधवा की मृत्यु पर उसकी पेंशन का अंश उसकी उपयुक्त अवयस्क संतान को देय होगा । यदि मृत्यु के समय विधवा की कोई उपयुक्त अवयस्क संतान जीवित न हो तो उसका पेंशन का अंश समाप्त हो जायेगा ।

1. अधिसूचना सं० 9425 वि०, दिनांक 27-7-1967 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][टिप्पणी (ii) : यदि किसी पदाधिकारी की विधवा उत्तरजीवित हो और उसकी दूसरी पत्नी से उपयुक्त अवयस्क संतान भी हो तो उपयुक्त अवयस्क संतान को पेंशन का वह अंश देय होगा जो उसकी माँ को मिला होता, यदि वह पदाधिकारी की मृत्यु के समय जीवित होती ।

[1][(iv) इस कंडिका की उपकंडिका (3) के नीचे दी गई टिप्पणी में यथोपबंधित को छोड़कर इस योजना के अंतर्गत दी जानेवाली पेंशन एक ही समय किसी पदाधिकारी के परिवार के एक से अधिक सदस्य को देय नहीं होगी । यह पहले विधवा/विधुर को अनुमान्य होगी और तदनन्तर उपयुक्त अवयस्क संतान को ।

जो मामले पहले निबटा लिये गये हैं उन्हें फिर से नहीं खोला जायेगा । जो मामले आदेश निर्गत होने की तारीख को अनिष्पादित हैं उन्हें इन आदेशों की शर्तों के अनुसार निबटाया जायेगा ।

जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय, बिहार विधान सभा सचिवालय और बिहार विधान परिषद् सचिवालय में काम करनेवाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, यह आदेश पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से और विधान सभा के अध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति के परामर्श से निर्गत किया जाता है ।

(v) विधवा/विधुर के पुनर्विवाह या मृत्यु होने पर पेंशन अवयस्क संतानों को उनके प्राकृतिक संरक्षक द्वारा तबतक मिलेगी जब तक सबसे छोटी संतान वयस्क हो जाये । फिर भी, विवादित मामलों में अदायगी विधिक संरक्षक के द्वारा की जायेगी ।

(vi) इस योजना के अन्दर स्वीकृत पारिवारिक पेंशन पर अस्थायी वृद्धि अनुमान्य नहीं होगी ।

8. उक्त योजना का लाभार्थी प्रत्येक कर्मचारी को दो महीने की उपलब्धियों के बराबर उपदान, जहाँ अनुमान्य है, का अंशदान करना होगा जो अधिकतम [1][5,000 रु०] होगा । जब इस योजना द्वारा शासिक कोई पदाधिकारी अविवाहित सेवानिवृत्त हो और उसने कोई संतान गोद न ली हो तब उसके उपदान से कोई कटौती नहीं होगी । जिस मामला में अनुमान्य उपदान दो महीने के वेतन से कम हो उसमें सरकार इस योजना के अन्दर अनुमान्य पारिवारिक पेंशन-लाभों से इसे पुनः प्राप्त करेगी ।

टिप्पणी : उपलब्धियाँ शब्द का वही अर्थ होगा जो बिहार पेंशन नियमावली के नियम 151 में परिभाषित है ।

9. 31 मार्च, 1964 को सेवारत् सरकारी कर्मचारी, जो पूर्णतः या अंशतः उदारीकृत पेंशन नियमावली से शासित हैं, को विकल्प दिया जाता है कि वे या तो उदारीकृत पेंशन नियमावली के तहत अनुमान्य विद्यमान पारिवारिक पेंशन लाभ के स्थान पर इस योजना का चयन करें या अपना विद्यमान लाभ को जारी रखें । इस आदेश के निर्गम की तिथि से छह महीने के अन्दर संलग्न फारम (फारम ए) में विकल्प देना होगा । जो व्यक्ति निर्धारित समय के अन्दर विकल्प नहीं देंगे, उन्हें पारिवारिक पेंशन की नयी योजना का चयनकृत मान लिया जायेगा । एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा । जिन व्यक्तियों की मृत्यु बिना विकल्प का प्रयोग किए 1-4-1964 और विकल्प देने के लिए अनुमति समय के बीच हो जायेगी उन्हें पारिवारिक पेंशन की नयी योजना का चयनकृत समझा जायेगा यदि उनके लिए योजना लाभदायक हो ।

10. जो पुरानी पेंशन नियमावली से पूर्णतः शासित हैं वे तबतक योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे जबतक वे पूर्णतः या अंशतः उदारीकृत पेंशन नियम के पक्ष में अपना विकल्प नहीं देंगे (जैसा कि वित्त विभाग के ज्ञापांक 5-पी०ए०आर०—101/5-5285-एफ०, दिनांक 26 अप्रैल, 1951 की कंडिका 2 के तहत अनुमान्य है) । अतः उन्हें इस योजना के लाभ उठाने के लिए नए सिरे से विकल्प देने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है । यह विकल्प भी संलग्न फारम (फारम बी) में इस आदेश के निर्गम की तिथि से अधिकतम छह महीने के अन्दर करना होगा । जो पदाधिकारी पेंशनी स्थापना पर हैं, किन्तु अंशप्रदायी भविष्य निधि आधार पर हैं उनके लिए भी समान विकल्प देने की अनुज्ञा सम्बन्धी आदेश अलग से निर्गमाधीन हैं ।

11. पूर्वांकित कंडिका 8 और 9 के आलोक में विकल्प का प्रयोग लिखित रूप में किया जायेगा और सम्बद्ध पदाधिकारी द्वारा कार्यालय-प्रधान को संसूचित किया जायेगा, यदि वह अराजपत्रित पदाधिकारी है, और लेखा

1. अधिसूचना सं० 9425 वि०, दिनांक 27-7-1967 द्वारा प्रतिस्थापित ।

पदाधिकारी को यदि वह राजपत्रित पदाधिकारी है । अराजपत्रित पदाधिकारी से प्राप्त विकल्प कार्यालय-प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा और सम्बद्ध पदाधिकारी की सेवा पुस्तिका में चिपकाया जायेगा ।

12. 1ली अप्रैल, 1964 को या उसके बाद सेवा में प्रवेश करनेवाले व्यक्ति स्वत: इस योजना से शासित होंगे ।

13. जो सरकारी सेवक इस योजना से शासित हैं उनके विधवा/विधुर किसी अन्य विभाग के अधीन पारिवारिक पेंशन के हकदार नहीं होंगे ।

14. यह योजना लागू नहीं होगी –

(ए) उनको जो 1ली अप्रैल, 1964 के पहले सेवानिवृत्त हो गये हैं किन्तु उक्त तिथि को या उसके बाद पुनर्नियोजन पर हैं;

(बी) आकस्मिकता से अदाय किये जानेवाले पेंशनभोगियों को;

(सी) कार्यभारित कर्मचारीवर्ग को;

(डी) आकस्मिक श्रमिकों को; और

(ई) संविदाधीन पदाधिकारियों को ।

15. प्रशासी प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नियुक्त सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को – छुट्टी या बाह्य सेवा पर रहनेवाले समेत – इस आदेश की बातों से अवगत कराने के लिए अत्यावश्यक कार्रवाई करें । **[*वित्त विभाग का ज्ञापांक पेन०–103/64-9505 एफ०, दिनांक 3-9-1964]**

2.

***विषय : राज्य सरकार के कर्मचारी, जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है, के परिजनों के सम्बन्ध में पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के प्रावधानों का उदारीकरण ।**

हाल में अनेक सरकारी सेवकों की मृत्यु सेवावधि में हो गई जिसमें उनके आश्रितों की दशा कदाचित् दयनीय हो गई । अत: सरकार से सेवावधि में मृत सरकारी सेवक के मृत्युपरांत के प्रथम कुछेक वर्षों के दौरान अधिक सहायता की अपेक्षा रखनेवाले परिवारों के कष्ट कम करने के लिए समुचित प्रावधान करने के प्रश्न पर विचार किया और इस विभाग के ज्ञापांक पेन०–103/64-9505 एफ०, दिनांक 3-9-1964 के तहत जारी आदेशों को आंशिक रूप से रूपान्तरित करते हुए निम्नांकित निर्णय लिये हैं –

(i) मृत्यु-तिथि से 7 वर्षों तक या उस तिथि तक जिसको सरकारी सेवक, यदि जीवित होता, वार्धक्य की औसत आयु को पहुँच गया होता, दोनों में जो तिथि उत्तरवर्ती हो, पूर्वोक्त आदेशों के तहत् देय पेंशन ऊपर उल्लिखित ज्ञापांक दिनांक 3-9-1964 की कंडिका 4 के तहत अनुमान्य पेंशन के अधिकतम दुगना के अध्यधीन अंतिम बार प्राप्त मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी;

(ii) उसके बाद दी जानेवाली पेंशन पूर्वोक्त ज्ञात में अंकित दरों पर होगी;

(iii) यदि सरकारी सेवक मृत्यु के पहले 7 वर्षों की अनवरत् सेवा नहीं कर चुके होंगे, तो ये आदेश लागू नहीं होंगे;

(iv) विद्यमान आदेशों के अन्य प्रावधान यथावत् लागू होंगे ।

टिप्पणी : सेवा-विस्तार के दौरान कालकवलित होनेवालों की पेंशन के मामले में तिथि, जिस अवधि तक मृत्यु से पहले सेवा-विस्तार मंजूर किया गया था, वार्धक्य-निवृत्ति की प्रायिक तिथि मानी जायेगी ।

2. इन आदेशों का प्रभाव 1-4-1966 से होगा ।

3. सरकारी सेवक को, जो 31-3-1964 को सेवा में थे और जिन्होंने पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 द्वारा शासित नहीं होने का विकल्प दिया था, किन्तु जो अब वर्तमान रियायत का लाभ लेना चाहते हैं, इस आदेश के निर्गम से छह महीने के अन्दर इस विभाग के ज्ञापांक पेन०–103/64-9505-एफ०, दिनांक 3-9-1964 की कंडिका 8 की शर्तों के अनुसार नये सिरे से विकल्प देने की अनुमति दी जायेगी । निर्धारित अवधि में नये सिरे से विकल्प नहीं देने की स्थिति में पूर्ववर्ती विकल्प, यदि हो, जारी समझा जायेगा । विकल्प लिखित होगा और

सरकारी सेवक द्वारा संसूचित किया जायेगा, यदि राजपत्रित सरकारी सेवक हों तो महालेखाकार, बिहार को, तथा कार्यालय-प्रधान द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा और सम्बद्ध सरकारी सेवक की सेवा-पुस्तिका में चिपकाया जायेगा। कार्यालय-प्रधान/महालेखाकार, बिहार को विकल्प पहुँच गया यह सुनिश्चित करना सम्बद्ध व्यक्ति का उत्तरदायित्व होगा।

4. प्रशासी प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपनी प्रशासी नियंत्रण के अन्दर नियुक्त सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को चाहे वे छुट्टी पर हों या बाह्य सेवा पर, इस आदेश की बातों से अवगत करा दें।

5. ये आदेश उन मामलों को लागू नहीं होंगे जिनमें सरकारी सेवक वित्त विभाग के पूर्वोक्त ज्ञापांक दिनांक 3-9-1964 में यथांतर्विष्ट राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना द्वारा शासित नहीं हैं। ये आदेश उन सरकारी सेवकों को भी लागू नहीं होंगे जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम द्वारा शासित हैं। [*ज्ञापांक पेन०–101/66-9251 एफ०, दिनांक 5-12-1966]

3.

***विषय : राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 – वेतन की परिभाषा।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन०–103/64-9505 एफ०, दिनांक 3-9-1964 का निर्देश करते हुए कहना है कि उसकी कंडिका 4 में पारिवारिक पेंशन के लिए यथाकथित 'वेतन' से अभिप्राय उस वेतन से है जो बिहार पेंशन नियमावली के नियम 26 (ए) में परिभाषित है तथापि, यदि सेवा के दौरान मृत्यु की तारीख या सेवा-निवृत्ति के तुरंत पहले व्यक्ति छुट्टी (असाधारण छुट्टी समेत) पर या निलंबन के कारण सेवा पर अनुपस्थित था तो 'वेतन' का अभिप्राय वह वेतन है जो उसे छुट्टी या निलंबन पर होने के तुरंत पहले मिला था।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि सेवा के दौरान मृत्यु की तारीख को या सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले यदि व्यक्ति छुट्टी पर रहने के कारण सेवा में अनुपस्थित रहा हो तो भत्ता सहित उसका वेतन वह राशि समझी जायेगी जो उसे मिली होती यदि वह सेवा में अनुपस्थित नहीं हुआ होता; परंतु यह कि वास्तविक रूप में नहीं प्राप्त की गई वेतन-वृद्धि के चलते पारिवारिक पेंशन में बढ़ोत्तरी नहीं होगी, और भी कि उच्चतर स्थानापन्न या अस्थायी वेतन का लाभ तभी दिया जायेगा जब प्रमाणित किया जायेगा कि यदि वह छुट्टी पर न गया होता तो वह उच्चतर स्थानापन्न या अस्थायी पद पर बना रहता। तथापि, यदि कोई सरकारी सेवक औसत वेतन पर चार महीने से अनधिक की या किसी अवधि के प्रथम चार महीने की छुट्टी के दौरान वृद्धि अर्जित करता है जो नहीं रोक रखी जाती है तो वह उस वेतन की गणना करने का हकदार होगा जो वह प्राप्त किया होता यदि कार्यरत् होता।

यदि सेवा के दौरान मृत्यु की तारीख को या सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले व्यक्ति असाधारण छुट्टी या निलंबन के चलते कार्य पर अनुपस्थित था तो 'वेतन' से अभिप्रेत वही वेतन होगा जो उसने वैसी छुट्टी पर जाने या निलंबित होने के तुरंत पहले प्राप्त किया था।

3. ये आदेश निर्गम की तिथि से प्रभावी होंगे। [*ज्ञापांक पेन०–10/17/70/8113, दिनांक 31-8-1970]

4.

***विषय : जो सरकारी कर्मचारी 1-4-1964 के पहले सेवानिवृत्त या कालकवलित हो गये अथवा पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 से अन्यथा आच्छादित नहीं है, उनके परिवारों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति।**

राज्य सरकार की पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के आरंभ के पहले ही पारिवारिक पेंशन योजना, 1950 सीमित प्रकृति की थी और पेंशन की अवधि पाँच वर्ष थी जो बाद में बढ़ाकर दस वर्ष कर दी गई थी। इसे यथेष्ट नहीं समझा गया। अत: मृत सरकारी सेवकों की विधवाओं को सन् 1964 में आजीवन पारिवारिक पेंशन देने की योजना स्वीकृत की गई। यह योजना 1-4-1964 के प्रभाव से लागू हुई और पेंशनदायी स्थापना के उन सभी अस्थायी या स्थायी नियमित कर्मचारियों को लागू की गई जो 1-1-1964 को सेवा में थे या उसे बाद नियुक्त किये गये थे। यह योजना भारत सरकार के निर्णय पर आधारित थी।

भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में निर्णय लिया है कि पारिवारिक पेंशन योजना 1964 के लाभ उन सरकारी सेवकों के परिवार के सभी उपयुक्त सदस्यों को सुसंगत नियमों के अनुसार दिये

जायें, जो 31-12-1963 के पहले सेवानिवृत्त या कालकवलित हुए और जो 31-12-1963 को जीवित थे और 1964 योजना के परे विकल्प दिये थे ।

राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को भारत सरकार की रूपरेखा पर पेंशन-लाभ देने का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन था । सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद राज्य सरकार ने अब निम्नलिखित निर्णय लिये हैं –

1. पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के लाभ उन सरकारी सेवकों के परिवार के सभी उपयुक्त सदस्यों को राज्य सरकार के नियमानुसार दिये जा सकेंगे जो 31-3-1964 के पहले सेवानिवृत्त या कालकवलित हुए और जो 31-3-1964 को जीवित थे और जो 1964 योजना के परे विकल्प दिये थे ।
2. सभी उपयुक्त पेंशनभोगियों को 1-1-1973 से आरंभित बढ़ी हुई पेंशन-दरें मंजूर की जायेंगी ।
3. 22-9-1977 के प्रभाव से जिस तिथि को पेंशनलाभियों द्वारा दो महीने की उपलब्धियों का अंशदान लेना छोड़ दी गई या उसके बाद की तिथि के प्रभाव से जब पेंशनलाभी पारिवारिक पेंशन के हकदार हुए, जो तिथि बाद की हो, पारिवारिक पेंशन के बकाये की मंजूरी दी जा सकेगी । लाभ उन मामलों में भी उपलब्ध होगा जिनमें एतद्परान्त पेंशनलाभ की मृत्यु हो जायेगी ।
4. व्यक्तियों को, जिन्हें अब पारिवारिक पेंशन के लाभ मिलेंगे, दो महीने की उपलब्धियों का अंशदान नहीं करना होगा । उसी प्रकार, पेंशनलाभियों द्वारा पूर्व में किया गया अंशदान को वापस किये जाने की माँग पर सरकार विचार नहीं करेगी ।
5. 22-9-1977 से मृत्यु-तिथि तक आजीवन पारिवारिक पेंशन बकाये मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवार के उन विधवाओं/उपयुक्त सदस्यों को देय होगा जो 22-9-1977 को जीवित थे और आज से पहले कालकवलित हो गये ।
6. पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त, पारिवारिक पेंशन पर समय-समय में स्वीकृत राहत भी 1-3-1979 से अनुमान्य होगी जो पारिवारिक पेंशन पर राहत स्वीकृत करने की प्रथम तिथि है ।
7. पारिवारिक पेंशन बकाया इस तरह मुक्त किया जायेगा –
   (1) 500 रु० तक बकाया दो त्रैमासिक किस्तों में मुक्त किया जायेगा ।
   (2) 500 रु० से 2,000 तक बकाया चार त्रैमासिक किस्तों में मुक्त किया जायेगा ।
   (3) 2,000 रु० से अधिक बकाया आठ त्रैमासिक किस्तों में मुक्त किया जायेगा ।
8. कार्यालय-प्रधान/विभागाध्यक्ष, जो पारिवारिक पेंशन मंजूर करने को सक्षम हैं, इस संकल्प के प्रावधानों के तहत 22-9-1977 या बाद की तिथि से, जब पारिवारिक पेंशन अनुमान्य हुई, पारिवारिक पेंशन की गणना करके अदायगी स्वीकृत कर सकेंगे ।
9. परिवार के उपयुक्त सदस्यों को उस कार्यालय के प्रधान के पास पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन करना होगा जहाँ से सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हुआ था । यदि विभाग समाप्त कर दिया गया है या अन्य विभाग में विलीन हो गया है तो उस कार्यालय को पारिवारिक पेंशन तैयार और मंजूर करनी होगी, जिसमें सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का मूल विभाग विलीन हो गया है या जिसके पास समाप्त कार्यालय के अभिलेख हैं । पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन संलग्न फारम में किया जायेगा । कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष ब्योरे का सत्यापन करेंगे, महँगाई-राहत समेत पारिवारिक पेंशन की गणना करेंगे, जैसा पूर्ववर्ती कंडिका में विहित है, और आवेदन-पत्र उस महालेखाकार को भेज देंगे जिसने शुरू में पेंशन भुगतान आदेश निर्गत किया था ।
10. आवेदक के लिए कार्यालय-प्रधान का समाधान करना होगा कि वह सम्बद्ध सरकारी सेवक के विधवा/विधुर का उपयुक्त संतान है और उसे सुसंगत दस्तावेज – पें०भु०आ० यदि संभव है, प्रस्तुत करके अपनी पहचान सुनिश्चित करनी होगी । जिस कार्यालय/विभाग से सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हुआ था उसके प्रधान/अध्यक्ष से कागजात की प्राप्ति पर पूर्ववर्ती कंडिका में यथापरिभाषित, पारिवारिक पेंशन/पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन भुगतानार्थ महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत की जायेगी और भी, चूँकि इस संकल्प के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक पेंशन की हकदारी का समाधान

आदित: उस कार्यालय/विभाग के प्रधान/अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा जहाँ पेंशनी सेवा-निवृत्ति या मृत्यु के समय अंत में सेवारत् था, इसलिए कार्यालय-प्रधान/ विभागाध्यक्ष का भी यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इस संकल्प की कंडिका 5 में अंकित जीवनकालावधि बकाया पाने के हकदार लाभार्थी का सुनिश्चय करें ।

11. सम्बन्धित पारिवारिक पेंशनी द्वारा यथेच्छित सम्बद्ध कोषागार से पारिवारिक पेंशन दी जायेगी ।

12. सम्बन्धित विभाग/अध्यक्ष/कार्यालय में पेंशन-अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसे मामलों को अंतिम रूप देने के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।

(i) पारिवारिक पेंशन के लिए उपलब्धियाँ

पारिवारिक पेंशन मंजूरी के लिए विधवा/उत्तराधिकारी से आवेदन-फारम की प्राप्ति पर पेंशन स्वीकृति-प्राधिकारी तुरंत पुराना अभिलेख ढूँढना शुरू कर देंगे । यदि पुराने अभिलेखों के ढूँढने के निष्ठापूर्ण और सघन प्रयास विफल हो जायें तो संचिका में एक संक्षिप्त नोट दर्ज किया जाये जिसमें विभाग/अध्यक्षालय/कार्यालय में अथवा महालेखाकार, बिहार के कार्यालय में अंतिम अदायगी की अनुलब्धता सम्बन्धी सारी बातों का उल्लेख हो । उसके बाद सम्बन्धित आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर पारिवारिक पेंशन विषयक निर्णय लिये जायेंगे । यदि आवेदक कोई दस्तावेजी प्रमाण न दे सके तो सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा सेवा-निवृत्ति/मृत्यु के समय पानेवाले वेतनमान की मध्य बिन्दु को पारिवारिक पेंशन की गणना के लिये विचारगत किया जाये अर्थात् 50–90 रु० के वेतनमान में पदस्थापित 1958 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की मध्य बिन्दु 70 रु० होगी ।

(ii) पारिवारिक पेंशन का निर्धारण और प्राधिकरण

(ए) पारिवारिक पेंशन के निर्धारण और उसकी अदायगी के प्राधिकरण के लिए फारम 'बी' संलग्न है । यदि पारिवारिक पेंशन पहले स्वीकृत की जा चुकी है तो फिर से कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी ।

(iii) पारिवारिक पेंशन का असली हकदार का निर्धारण

आवेदक की पूरी जवाबदेही है कि वह विभागाध्यक्ष/कार्यालय-प्रधान का समाधान करे कि वह सम्बद्ध सरकारी सेवक के विधवा/विधुर या उपयुक्त संतान है और सुसंगत अभिलेखों जैसे मृत सरकारी सेवक का पेंशन भुगतान आदेश या कोई अन्य उपलब्ध अभिलेख प्रस्तुत करके अपनी पहचान साबित करें । जहाँ कोई अभिलेख उपलब्ध न हो वहाँ दावेदार को निम्नलिखित दस्तावेजों में किसी एक प्रस्तुत करने को कहा जायेगा –

(i) न्यायालय से उत्तराधिकारिता–प्रमाण–पत्र या

(ii) दंडाधिकारी के समक्ष दाखिल किया गया शपथ–पत्र सहित घोषणा या

(iii) दावा करनेवाला व्यक्ति द्वारा सादा कागज पर शपथ–पत्र, साथ–साथ दो दस्तावेज जो पेंशन–स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को स्वीकार्य हो ।

13. पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 उन सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों को भी लागू है जो पेंशनप्रदायी स्थापना में सेवा करते हुए 15–8–1947 के पहले निवृत्त या कालकवलित हुए अथवा जिन्होंने पारिवारिक पेंशन योजना के पक्ष में विकल्प नहीं दिया ।

14. पटना उच्च न्यायालय और बिहार विधान सभा/परिषद् के सेवानिवृत्त पेंशनलाभियों के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना, अध्यक्ष विधान सभा/सभापति विधान परिषद् की सहमति प्राप्त करने के बाद निर्गत किया जायेगा ।

15. पारिवारिक पेंशन योजना 1964 इस सीमा तक संशोधित समझी जाये । **[*वित्त विभाग, संकल्प सं० 1918, दिनांक 4–6–1986]**

प्रपत्र अमुद्रित ।

5.

***विषय : राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना, 1964 — एक वर्ष की सेवा शर्त्त को हटाया जाना ।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन०–103/64–9505 वि०, दिनांक 3–9–1964 के प्रावधानों के अधीन परिवार पेंशन योजना 1964 ऐसे सरकारी सेवकों पर लागू होती है, जिनकी मृत्यु कम-से-कम एक वर्ष की लगातार सेवा

पूरी करने के पश्चात् हुई हो। सावधानी पूर्वक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक वर्ष की उपर्युक्त सेवा शर्त्त लागू नहीं होगी, बशर्त्ते कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की डॉक्टरी जाँच हो चुकी हो और वह सरकार के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए योग्य पाया गया है। पेंशन नियमावली के संगत उपबन्ध तद्नुसार संशोधित समझे जायेंगे। सुसंगत नियमों के लिए आवश्यक संशोधन कालान्तर में जारी कर दिये जायेंगे।

2. यह आदेश दिनांक 1-4-1980 से प्रभावकारी होगा।

3. जैसे ही सम्बन्धित कर्मचारी डॉक्टरी जाँच प्रमाण-पत्र दाखिल करें उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में निश्चित रूप से कर लिया जाये। इसकी पूरी जिम्मेदारी सेवा अभिलेख रखने वाले प्राधिकारी पर होगी। [***ज्ञाप संख्या पी०सी० 2-9-4/83-300 वि०, दिनांक 29-7-1980**]

6.

***विषय : सरकारी कर्मचारियों के अविवाहित पुत्रियों के लिए 21 वर्ष की आयु से ऊपर परिवार पेंशन को जारी रखना।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन०–103/64-9505 वि०, दिनांक 3-9-1964 की कंडिका 7 (iii) में निहित शर्त्तों के अनुसार 21 वर्ष से ऊपर की विवाहित पुत्रियों को परिवार पेंशन अनुमान्य नहीं है। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित पुत्रियों तथा अविवाहित पुत्रों की वर्तमान 21 वर्ष और 18 वर्ष तक की आयु सीमा की तुलना में अविवाहित पुत्रियों की 24 वर्ष की आयु तक तथा अविवाहित पुत्रों को 21 वर्ष की आयु तक परिवार पेंशन मिलती रहेगी।

2. ये आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावकारी होंगे। आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के पास मार्गदर्शन हेतु भेज दिया जाये। [***ज्ञाप संख्या पी०सी० 2-9-18-78–6167 वि०, दिनांक 6-6-1978**]

7.

***विषय : राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964।**

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन–103/64-9505 एफ०, दिनांक 3-9-1964 की कंडिका 6 (3) में अंतर्विष्ट प्रावधान की ओर निर्देश करते हुए कहना है कि राज्य सरकार ने मृत सरकारी सेवकों के मानसिक रूप से विकलांग या अशक्त या आजीविका अर्जन को शारीरिक रूप से अशक्त या अपंग पुत्र या पुत्री के सम्बन्ध में पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के प्रावधानों को और अधिक उदार बनाने का निर्णय लिया है।

2. निर्णय लिया गया है कि यदि मृत सरकारी सेवक का पुत्र या पुत्री मस्तिष्क की किसी खराबी या अशक्तता से पीड़ित है या शरीर से अपंग या अशक्त है और पुत्र की स्थिति में 18 वर्ष तथा पुत्री की स्थिति में 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी आजीविका अर्जन को असमर्थ है तो वैसे पुत्र या पुत्री को निम्नांकित शर्त्तों के अध्यधीन जीवन भर पारिवारिक पेंशन देय होगी।

(i) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री मृत सरकारी सेवक के दो या दो से अधिक संतान में एक हो तो पारिवारिक पेंशन आरंभ में इस नियम की कंडिका (6) के उप-वाक्यखंड (3) में अंकित क्रमानुसार अवयस्क संतानों को तबतक देय होगी, जबतक कि अंतिम अवयस्क संतान यथास्थिति 18 या 21 वर्ष की आयु की हो जायेगी और उसके बाद पारिवारिक पेंशन मानसिक खराबी या अशक्तता से पीड़ित या शारीरिक रूप से अपंग या अशक्त पुत्र या पुत्री के पक्ष में पुनः प्राप्त हो जायेगी और उसको जीवन भर मिलती रहेगी।

यदि दो या दो से अधिक वैसे पुत्र या पुत्री हों जो मानसिक खराबी या अशक्तता से पीड़ित या शारीरिक रूप से अपंग या अशक्त हों तो पारिवारिक पेंशन निम्नांकित क्रम में दी जायेगी, यथा –

(ए) प्रथमतः पुत्र को, और यदि एक से अधिक पुत्र हो तो ज्येष्ठ के जीवनकाल के बाद ही कनिष्ठ को पारिवारिक पेंशन मिलेगी;

(बी) तद्नुसार पुत्री को, और यदि एक से अधिक पुत्री हों तो ज्येष्ठा के जीवनकाल के बाद ही कनिष्ठा को पारिवारिक पेंशन मिलेगी;

(सी) वैसे पुत्र या पुत्री को पारिवारिक पेंशन संरक्षक के द्वारा दी जायेगी, मानो वह अवयस्क है;

(डी) वैसे पुत्र या पुत्री को आजन्म पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के पहले स्वीकृति-प्राधिकारी अपना समाधान करेंगे कि अक्षमता ऐसी है कि व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन नहीं कर सकता जो सिविल सर्जन से अन्यून संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र से समर्थित होगी जिसमें यथासंभव संतान की सही मानसिक या शारीरिक अवस्था अंकित रहेगी;

(इ) वैसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक की हैसियत से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रत्येक तीसरा साल सिविल सर्जन से अन्यून संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह अभी भी मानसिक खराबी या अशक्तता से पीड़ित है या शरीर से अपंग या अशक्त है ।

3. ये आदेश 1-1-1975 से प्रभावी होंगे । [***ज्ञापांक पी०पी०–11-1025/75/1884 एफ०, दिनांक 19-3-1975]**

8.

***विषय : परिवार-पेंशन ज्येष्ठ पुत्र को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।**

इस परिशिष्ट के प्रकरण 3 की कंडिका 4 की उप-कंडिका (5) में उपबन्ध है कि यथास्थिति, विधवा पत्नी या पति के न होने पर, परिवार-पेंशन ज्येष्ठ पुत्र को मंजूर की जा सकती है । इस संबंध में यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि ज्येष्ठ जीवित पुत्र अपने छोटे भाई या बहन के पक्ष में, लिखकर, अपने दावे से बाज आ जाए, तो मृत सरकारी सेवक के द्वितीय पुत्र या सबसे बड़ी जीवित अविवाहित पुत्री को पेंशन का भुगतान प्राधिकृत किया जा सकता है या नहीं, और सरकारी सेवक के परिवार के किसी सदस्य को अनुमान्य मृत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान का हिस्सा, किसी ऐसे दूसरे सदस्य या सदस्यों को प्राधिकृत किया जा सकता है या नहीं, जिसके या जिनके पक्ष में उपर्युक्त सदस्य या सदस्या अपने दावे से बाज आ जाए । इस बात पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और यह निर्णय हुआ है **कि चूँकि पेंशन पर प्रथमतः ज्येष्ठ पुत्र या परिवार के दूसरे सदस्य का दावा होता है और सरकार उससे उन्मुक्त नहीं हो सकती, इसलिए निरापद और समुचित तरीका यही होगा कि नियमों के अधीन पेंशन के हकदार सदस्य को ही पेंशन की मंजूरी दी जाए । इसी तरह उपदान का भुगतान भी परिवार के सभी सदस्यों में बराबर-बराबर किया जाए, जैसा कि कंडिका 2 की उप-कंडिका (2) में उपबंधित है, भले ही कोई सदस्य या सदस्या, परिवार के किसी दूसरे सदस्य (यों) को अपना हिस्सा देने की इच्छा प्रकट करे । [*वित्त-विभाग ज्ञाप सं० पी०–1-1015-58-8321-एफ०, दिनांक 24 मई, 1958]**

9.

***विषय : निवर्तमान सरकारी सेवकों द्वारा पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 में अंशदान स्वरूप देय मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान से दो महीने की उपलब्धियों की कटौती का समापन ।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन० 103/64-9505 एफ०, दिनांक 3-9-1964 में अंतर्विष्ट प्रावधानों और समय-समय पर विभिन्न परिपत्रों द्वारा संशोधनों के अनुसार उस सरकारी सेवक को, जिनकी पारिवारिक पेंशन लागू है, देय मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान से दो महीने की उपलब्धियों के बराबर राशि या 5,000 रु०, जो कम हो, का अंशदान काट लिया जाता है ।

2. चूँकि यह पारिवारिक पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा कदम के रूप में शुरू की गई है, अतः सावधानी से विचारोपरान्त राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है कि समय-समय पर यथासंशोधित पारिवारिक पेंशन योजना में मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान से अंशदान के लिए कोई कटौती नहीं की जाये ।

3. ये आदेश 22 सितम्बर, 1977 से प्रभावी होंगे । इन आदेशों के प्रति अधीनस्थ पदाधिकारियों को उनके मार्गदर्शन के लिए कृपया भेज दिया जाए ।

4. पटना उच्च न्यायालय, बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद् के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से तथा बिहार विधान सभा/परिषद् के अध्यक्ष/सभापति के परामर्श से अलग से आदेश निर्गत किये जाएँगे । [***वित्त विभाग का ज्ञापांक 2-9-32/77/4000 एफ०, दिनांक 13-3-1978]**

10.

***विषय : मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान में से दो महीने की उपलब्धियों की कटौती को समाप्त करने के फलस्वरूप परिवार के पेंशन योजना, 1964 में आने के लिए विकल्प देना ।**

ज्ञापांक पी०सी० 2-9/32/77-4000 वि०, दिनांक 13-3-1978 के द्वारा परिवार पेंशन योजना, 1964 तथा समय-समय पर संशोधन के अनुसार लाभ प्राप्त करने हेतु मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान से दो महीने की उपलब्धियों की कटौती को समाप्त कर दिया गया है। फलस्वरूप जो सरकारी कर्मचारी अभी तक उक्त योजना के अन्तर्गत परिवार पेंशन पाने के पक्ष में अपना विकल्प नहीं दिये हैं, उनको नये सिरे से विकल्प देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था। सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों को परिवार पेंशन योजना, 1964 में आने के लिए एक और विकल्प दिया जाये।

2. यह विकल्प उन सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुमान्य होगा जो 22-9-1977 के सेवा में अथवा उस तिथि को या बाद में सेवानिवृत्त हुए। विकल्प इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से छः महीने के अन्दर दे देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा। उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो 22-9-1977 को सेवा में थे, परन्तु जिनकी मृत्यु इन आदेशों के निर्गत होने के पहले हो गई हो, उनके परिवार को परिवार पेंशन योजना, 1964 के लाभ पाने के लिए अनुमति दे दी जाये। इसी प्रकार, यदि परिवार में नाबालिक बच्चे हों, तो उनकी ओर से उनके संरक्षक द्वारा अनुरोध किया जा सकता है।

3. प्रशासनिक प्राधिकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन आदेशों में निहित विषय-वस्तु से प्रशासनिक, नियन्त्रण के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों/कर्मचारियों इनमें जो छुट्टी पर हों, या बाह्य सेवा शर्तों पर हों को अवगत करा दिया जाये और उनसे विशिष्ट उत्तर प्राप्त करें कि क्या वे परिवार पेंशन योजना, 1964 के अन्तर्गत परिवार पेंशन पाने के लिए विकल्प देना चाहते हैं अथवा नहीं। **[*ज्ञाप सं० पी०सी० 2-9-28/78-10034-वि०, दिनांक 19-7-1978]**

11.

***विषय : राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना-पर्दानशीं महिलाओं के मामले में संयुक्त फोटो देने से छूट।**

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के अधीन पारिवारिक पेंशन की अदायगी के लिए प्रक्रिया विहित करने वाली वित्त विभाग का ज्ञापांक 1451-एफ०, दिनांक 19-2-1965 की कंडिका 1 (5) की ओर निर्देश करते हुए कहना है कि राज्य सरकार ने सरकारी सेवक द्वारा सेवा-निवृत्ति के समय प्रस्तुत किये जानेवाले संयुक्त फोटो से पर्दानशीं महिलाओं को मुक्त करने का निर्णय लिया है। **[*ज्ञापांक 1026/67-11034 एफ०, दिनांक 16-8-1967]**

12.

***विषय : राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना 1964 – दावों के निपटारे के सम्बन्ध में प्रक्रिया।**

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के सम्बन्ध में इस विभाग के ज्ञापांक पेन०–103/64/9505 एफ० 1, दिनांक 3 सितम्बर, 1964 के संदर्भ में राज्य सरकार ने योजना के अंतर्गत उद्भूत होने वाले दावों के विषय में अनुपालनार्थ निम्नलिखित प्रक्रिया विहित की है –

'परिवार' का विवरण प्रस्तुत करना

(1) इस योजना के लाभ के हकदार सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को योजना की कंडिका 6 की उपकंडिका (2) में यथापरिभाषित 'परिवार' का विवरण – जैसे सरकारी सेवक के साथ प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध के साथ उसकी जन्मतिथि, देना होगा। विवरण कार्यालय-प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा और सरकारी सेवक की सेवा-पुस्तिका में चिपकाया जायेगा। तदनन्तर सरकारी सेवक को उस विवरण को अद्यतन रखना होगा। सम्बद्ध सरकारी सेवक से जानकारी मिलने पर कार्यालय-प्रधान उस विवरण में समय-समय पर संवर्धन-परिवर्तन किया करेंगे।

(2) सभी राजपत्रित पदाधिकारी महालेखाकार, बिहार को अपने 'परिवार' का विवरण देंगे। ब्योरे को अद्यतन रखना उनकी जवाबदेही होगी। महालेखाकार, बिहार को इन संसूचनाओं की अभिस्वीकृति करनी होगी।

सेवा के दौरान मृत्यु के मामले

(3) सेवाकाल में पदाधिकारी की मृत्यु की सूचना मिलने पर प्रशासी पदाधिकारी मृतक के परिवार को अनुलग्नक-1 में यथाविहित पत्र भेजकर उससे पत्र में उल्लिलखित आवश्यक दस्तावेजों की माँग करेंगे ।

(4) पूर्वांकित उप-कंडिका (3) में उल्लिखित दस्तावेजों की प्राप्ति पर पेंशन स्वीकृति-प्राधिकारी अनुलग्नक-3 जैसा पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करेंगे और ये सभी दस्तावेज, सरकारी सेवक की सेवा-पुस्तिका के साथ उस सम्बद्ध अंकेक्षण पदाधिकारी को भेज दिये जायेंगे जो लाभार्थी को पेंशन भुगतान आदेश जारी करेंगे ।

सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु के मामले

(5) पेंशनलाभियों के विधवा/पति को पारिवारिक पेंशन की शीघ्र अदायगी सुविधाजनक करने के लिए पेंशन भुगतान आदेश को इस तरह से संशोधित कर दिया गया है, ताकि उसी पेंशन भुगतान आदेश, जिसके द्वारा पेंशन ली जा रही थी, में उसकी पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता भी अंकित की जा सके । तद्नुसार निर्णय लिया गया है कि पेंशन मंजूरी के आवेदन करते समय सरकारी सेवक अपने पत्नी/पति के साथ संयुक्त फोटो की तीन प्रतियाँ देंगे जिनमें से एक पेंशन-स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये जाने के बाद अब पेंशन भुगतान आदेश-पेंशनलाभी-भाग में चिपका दी जायेगी । पारिवारिक पेंशन की अनुमान्य राशि पेंशन भुगतान आदेश में अंकित रहेगी । कोषागार पदाधिकारी पेंशनलाभी के मृत्यु-प्रमाणपत्र और सम्बद्ध अंकेक्षण पदाधिकारी को संसूचित करने के अध्यधीन पारिवारिक पेंशन भुगतान करने वास्ते आवेदन-फारम (अनुलग्नक-2) की प्राप्ति करने के बाद विधवा/विधुर को पारिवारिक पेंशन देना प्रारंभ कर देंगे । यदि विधवा/विधुर न हो और पारिवारिक पेंशन प्राकृतिक संरक्षक द्वारा अवयस्क संतान को देय हो तो संतान की ओर से संरक्षक फोटो की दो प्रतियों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रशासी प्राधिकारियों को आवेदन करेंगे, साथ ही पहला पेंशन भुगतान आदेश प्रस्तुत करेंगे । ऐसे मामलों में नया पेंशन भुगतान आदेश जारी करना आवश्यक होगा ।

[*ज्ञापांक 1451 एफ०, दिनांक 19 फरवरी, 1965]

13.

***विषय : फौजदारी मुकदमा (Criminal case) के दौरान निलम्बित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशन/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान ।**

सरकारी सेवक जो फौजदारी मुकदमा के चलते निलम्बित हो और मुकदमा का अन्तिम फैसला होने के पूर्व ही मर जाते हैं, तो उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन, 1964 एवं मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान देय होगा या नहीं ।

2. सावधानीपूर्वक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है –

(क) सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को, 1964 के पारिवारिक पेंशन योजना के अन्तर्गत अनुमान्य पारिवारिक पेंशन देय होगा । मृत सरकारी सेवक के विरुद्ध की गयी विभागीय कार्यवाही, फौजदारी मुकदमा या अन्य अनुशासनिक कार्यवाही का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा ।

(ख) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान, सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, फौजदारी मुकदमा आदि के समाप्त होने के बाद एवं उसके आलोक में उपदान में कटौती करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने के पश्चात् ही मृत सरकारी सेवक के परिवार को किया जायेगा । अगर मृत सरकारी सेवक के जिम्मे सरकारी बकाया हो, तो उसकी वसूली उपदान की राशि से कर ली जायेगी । **[*वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी०सी०–11-1-13/75/11166, दिनांक 6-9-1975]**

14.

*** विषय : सरकारी कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 ।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन०–103/64-9505-एफ०, दिनांक 3 सितम्बर, 1964 में अंतर्विष्ट सरकारी कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं ।

(1) पारिवारिक पेंशन की मात्रा पर पेंशन-रूपान्तरण का प्रभाव ।

पेंशन-रूपांतरण का पारिवारिक पेंशन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पारिवारिक पेंशन की दर उस वेतन पर आधारित होती है, जो सरकारी सेवक अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले प्राप्त कर रहा था, न कि उसकी मंजूर पेंशन पर ।

(2) लाभार्थीहीन विधवा/विधुर के उपदान से दो महीने की उपलब्धियों की वसूली ।

निवर्तमान सरकारी सेवक जिन्हें पत्नी/पति या दत्तक संतान समेत अवयस्क संतान न हो, के उपदान से दो महीने के वेतन/उपलब्धियाँ नहीं काटी जायेंगी, जैसा अविवाहितों के मामले में होता है ।

(3) उन मामलों में पारिवारिक पेंशन का भुगतान जिनमें पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों और उनकी मृत्यु पर उनकी अवयस्क संतान को ।

योजना सरकारी सेवक/पेंशनभोगी को अपना वेतन या पेंशन लेने के अलावे पारिवारिक पेंशन लेने को निवारित नहीं करती है । पिता और माता, जो दोनों सरकारी कर्मचारी थे, की मृत्यु हो जाने पर अवयस्क संतान दो पारिवारिक पेंशन ले सकेंगे, जो कुल मिलाकर 150 रु० प्रतिमास होगा, बशर्ते दोनों कर्मचारी पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 से शासित थे ।

(4) पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 का उन सरकारी सेवकों पर लागू होना जो 31 मार्च, 1964 को सेवा में थे, किन्तु 1 अप्रैल, 1964 के प्रभाव से निवृत्त हुए ।

सरकारी सेवक, जो 31 मार्च, 1964 को सेवा में थे और 1ली अप्रैल, 1964 के प्रभाव से सेवानिवृत्त हो गये, योजना की कंडिका 8 की शर्त्तों के तहत् विकल्प दे सकते हैं और इस तरह योजना के लाभ वे उठा सकते हैं, बशर्त्ते वे इस योजना के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करें । जो व्यक्ति 31 मार्च, 1964 के बाद किन्तु विकल्प के प्रयोग के लिए अनुमत समय के पहले बिना विकल्प दिये काल-कवलित हो जायेंगे, उन्हें यदि हितकर होगा, नयी पारिवारिक पेंशन योजना का चयनीकृत मान लिया जायेगा ।

(5) पारिवारिक पेंशन-देयता के लिए सेवा-टूट अवधियों का विचारण ।

योजना की कंडिका 6 (1) में प्रयुक्त 'एक वर्ष सेवा' शब्द समूह में सेवा की टूटी अवधियाँ नहीं आतीं । इस प्रयोजन के लिए निरंतर-सेवा होनी चाहिए । **[*ज्ञापांक पेन०–130/64 पी० एण्ड 13662 एफ०, दिनांक 28-12-1964]**

15.

***विषय : उदारीकृत पेंशन नियमावली के अधीन वित्त विभाग के ज्ञापांक पी० 1-108/60-1852 एफ०, दिनांक 12-2-1960 की कंडिका 6 (1) की शर्त्तों के अनुसार पारिवारिक पेंशन का पुनः समंजन ।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक पी० 1-108/60-1852 एफ०, दिनांक 11-2-1960 की कंडिका 6 (1) उपबन्धित करती है कि राशि जो पहले स्वीकृत की जा चुकी थी या 1-4-1959 तक बाकी हो चुकी थी उन सब पारिवारिक पेंशन की उपलब्धता उपर्युक्त ज्ञाप में अंतर्विष्ट आदेश के अनुसार पुनः समंजित की जायेगी । इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त ज्ञाप की कंडिका 6 (1) में निर्गत आदेश के तहत वैसी पारिवारिक पेंशन भी, जो वित्त विभाग के संकल्प सं० एफ०-5-पी०ए०आर०-12/50-12548-एफ०, दिनांक 23-9-1950 की शर्त्तों के अनुसार स्वीकृत या बाकी हो चुकी थी और 1-4-1959 के पहले समाप्त हो चुकी थी, पुनरीक्षित की जायेगी और ज्ञाप दिनांकित 11-2-1960 में विनिर्दिष्ट तिथि तक जारी रखी जायेगी । उसी तरह, यदि अनवरत् या व्यपगत पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि का लाभ अनुमान्य है तो उसे भी मंजूर किया जाना चाहिए । तथापि, ऐसे मामलों में 1-4-1959 के पहले की पेंशन के लिए कोई बकाया अनुमान्य नहीं होगा । **[*वित्त विभाग का ज्ञापांक पेन०–1047/51/11923-एफ०, दिनांक 26-4-1961]**

प्रकरण 4 : पेंशन-प्रदायी सेवा

5. निचली सेवा के जो सरकारी सेवक (1) इन आदेशों के लागू होने की तारीख के बाद बिहार सरकार की सेवा में प्रविष्ट होंगे, अथवा (2) उस तारीख को या उसके पहले ऐसी सेवा में प्रविष्ट होने के बाद उक्त तारीख को बिहार सरकार के अधीन किसी स्थायी पेंशनी पद पर गहन या निलम्बित गहन नहीं रखते थे, उनके मामले में, न्यूनतम उम्र, जिसके बाद सेवा पेंशन के लिए गिनी जायेगी, 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गयी है ।

6. सरकारी सेवक के न्यूनतम पेंशन-प्रदायी उम्र को पहुँच जाने के बाद बिहार सरकार के अधीन की गयी लगातार अस्थायी सेवा को आधी अवधि पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जाएगी, यदि बाद में किसी पेंशनी

पद पर उसकी संपुष्टि हो जाए। किन्तु, यह लाभ असाधारण छुट्टी और किसी अस्थायी सेवा या उसके अंश, जो वर्तमान नियमों के अधीन पहले से ही पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिना जाना हो को कालावधियों के सम्बन्ध में अनुमत न होगा।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

***विषय : पेंशन प्रदायी सेवा की गणना में प्रयोजनार्थ आधे दिन का अगला पूरा दिन माना जाय या नहीं।**

1. प्रश्न उठाया गया है कि वित्त विभाग संकल्प सं० एफ०-वी०-पी०ए०आर०-12-50-12548-एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 की कंडिका 6 के उपबंधों के अधीन पेंशन-प्रदायी सेवा की गणना के प्रयोजनार्थ आधे दिन को अगला पूरा दिन माना जाये या नहीं।

2. उदार पेंशन-नियमावली, पेंशन-प्रदायी सेवा के पूरे वर्षों के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए जिस सरकारी सेवक ने 28 वर्ष 11 महीने और 29½ दिन की पेंशन-प्रदायी सेवा की हो, उसके मामले में उसकी पेंशन-प्रदायी सेवा, वर्तमान नियमों के अधीन 29 वर्ष गिनी जायेगी। ऐसे मामलों में असुविधा को दूर करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि आधे दिन का भिन्नांक, उदार पेंशनी-नियमावली के अधीन पेंशन प्रदायी सेवा की गणना में, अगला पूरा दिन माना जाएगा।

3. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय और बिहार विधान-सभा सचिवालय तथा बिहार विधान-परिषद् सचिवालय में काम करने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये आदेश, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श के बाद और विधान-सभा के अध्यक्ष तथा विधान-परिषद् के सभापति की सहमति से निकाले गए हैं।

[*वित्त विभाग ज्ञाप सं० पी०–1-1030/53-794-एफ०, दिनांक 19 जनवरी, 1954]

2.

***विषय : अंशदायी भविष्य निधि अंशदाता जो पेंशनी सेवा का चयन करते हैं और स्थायी रूप से उसमें अंतरित होते हैं, के सम्बन्ध में पेंशन के लिए सेवावधि की गणना।**

बिहार अंशदायी भविष्य निधि नियमावली के नियम 28 (1) (बी) (4) का निर्देश किया जाये जिसमें प्रावधान है कि उस निधि का अंशदाता जो राज्य सरकार के अधीन पेंशन-प्रदायी सेवा में स्थायी रूप में अंतरित होता है और वैसी पेंशन-प्रदायी सेवा के सम्बन्ध में पेंशन अर्जित करने का चयन करता है, उस अवधि के, जिसमें उसने निधि में अंशदान किया है, उतने भाग को पेंशन की गणना करवाने का हकदार होगा जो सरकार तय करेगी। व्यवहार में, पेंशन के लिए अंश-सेवावधि की गणना कुछ स्थापित सिद्धांतों के अनुसार की जाती है, किन्तु चूँकि इनकी जानकारी साधारणतया नहीं रहती है, सम्बद्ध पदाधिकारी बेरोकटोक विकल्प का प्रयोग करने में कुछ कठिनाई महसूस कर सकते हैं, जो उन्हें नियमानुसार तीन महीने के अन्दर करना होता है।

2. अत: निर्णय लिया गया है कि जो सिद्धांत उपर्युक्त प्रयोजन के लिये विगत सेवा की अवधि निर्धारण में अपनाया जाता है वह यह है कि केवल वही सेवा, जिसके दौरान किसी पदाधिकारी ने वस्तुत: अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान किया है, पेंशन-गणना के लिए अनुमत की जाती है और वह भी निम्नांकित सीमा तक –

(1) सम्पूर्ण स्थायी सेवा;

(2) सम्पूर्ण व्यवधान रहित अस्थायी/स्थानापन्न सेवा जिसके बाद उसी या अन्य पद पर संपुष्टि की गई हो।

3. वित्त विभाग के ज्ञापांक पी० 1-1030/54/354-एफ०, दिनांक 10 जनवरी, 1955 के तहत निर्गत आदेशों के स्थान पर ये आदेश जारी किये जाते हैं और 1 अगस्त, 1962 से प्रभावी होंगे। **[*वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन०–1011/63/5358-एफ०, दिनांक 7-5-1963]**

3.

***विषय : पेंशन एवं उपदान के निर्धारण हेतु अर्हक सेवा की गणना करने की नवीन पद्धति।**

वित्त विभाग के पत्रांक 12928 वि०, दिनांक 4 सितम्बर, 1962 में यह प्रावधान है कि पेंशन एवं उत्पादन के निर्धारण हेतु अर्हक सेवा की गणना करने में केवल छ: माह और उससे अधिक की सेवावधि को पूर्ण अर्द्ध वर्ष के रूप में परिगणित किया जाता है, और उसके आधार पर सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन एवं उपदान में वृद्धि की

जाती है । फलतः पेंशन एवं उपदान के निर्धारण हेतु छः माह से कम की कुल सेवावधि को अनदेखी कर दी जाती है, जिसके चलते सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक क्षति होती है ।

2. भारत सरकार के सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियमावली के नियम 49 (सी) और अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-निवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम 8 के उप-नियम (9) के अन्तर्गत वर्तमान में यह पद्धति प्रचलित है कि पेंशन एवं उपदान के लिए अर्हक सेवा की गणना करने में तीन माह या उससे अधिक की सेवावधि को पूर्ण अर्द्ध-वर्ष के रूप में परिगणित किया जाता है । उक्त के आलोक में सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं –

(क) पेंशन एवं उपदान की राशि के निर्धारण हेतु अर्हक सेवावधि की गणना करने में तीन माह और उससे ऊपर की सेवावधि को पूर्ण अर्द्ध-वर्ष के समतुल्य परिगणित किया जाये । इसका अभिप्राय होगा कि तीन माह या उसके अधिक की अर्हक सेवा को पूर्ण छमाही के रूप में एवं नौ महीने या उससे अधिक की अर्हक सेवा दूसरी पूर्ण छमाही के रूप में परिगणित की जायेगी ।

(ख) मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्र संख्या सी०एस० 1/101/88-460, दिनांक 1 मार्च, 1988 और वित्त विभाग के पत्रांक 3/एफ०-3-02/88-6287-वि० (2), दिनांक 17 सितम्बर, 1988 में निहित प्रावधानों को उस हद तक समाप्त किया जाता है जिस हद तक उसमें सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पूर्ण पेंशन एवं उपदान की सुविधा सुलभ कराने के प्रयोजन से अधिकतम तीन माह तक के लिये सेवा विस्तार स्वीकृत करने का प्रावधान है ।

(ग) वित्त विभाग का पत्रांक 12929 वि०, दिनांक 4 सितम्बर, 1962 इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से तद्नुसार संशोधित समझा जाये ।

(घ) यह निर्णय वैसे कार्मिकों के मामलों में प्रभावकारी होगा, जो इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होंगे ।

3. जहाँ तक इस आदेश को पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/परिषद् के कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/ अध्यक्ष बिहार विधान-सभा एवं सभापति बिहार विधान परिषद् की सहमति/परामर्श प्राप्त कर आदेश बाद में निर्गत किया जायेगा । [***संकल्प संख्या पी०सी० 1-9-6/87-1852-वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990**]

प्रकरण 5 : रूपान्तरण

7. बिहार पेंशन-नियमावली के अध्याय 12 के नियमों के अनुसार पेंशन रूपान्तरित करने की सुविधाएँ बनी रहेंगी, किन्तु रूपान्तरित की जा सकने वाली पेंशन की अधिकतम रकम प्रकरण 1 के अधीन मंजूर पेंशन की तिहाई तक सीमित होगी ।

प्रकरण 6 : अनुकम्पा-निधि

8. सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के कारण दरिद्रता में पड़े उनके परिवारों के साहाय्य के लिए, जैसा कि बिहार पेंशन-नियमावली के परिशिष्ट 2 में निर्दिष्ट है, अभिप्रेत बिहार अनुकम्पा-निधि, इन आदेशों के लागू होने की तारीख से, अर्थात् 20 जून, 1950 से न रह जाएगी ।

राज्य सरकार का निर्णय –

***विषय : अनुकम्पा निधि चालू करने के सम्बन्ध में ।**

राज्य सरकार ने, वित्त विभाग संकल्प सं० एफ०वी०-पी०ए०आर०-12-50-12548-एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 से संलग्न नियमावली के प्रकरण 6, कंडिका 8 में दिए गए आदेशों को अवक्रांत कर, निर्णय किया है कि बिहार अनुकम्पा-निधि चालू वित्तीय-वर्ष से उज्जीवित की जाएगी । बिहार अनुकम्पा-निधि, जो अब उज्जीवित हो चुकी है, 3,000 (तीन हजार) रुपये के संचेय अनुदान से बनेगी और एक वर्ष की बची हुई रकम, अगले वर्षों में उसी प्रकार के खर्च की रकम में जमा हो जायेगी । किन्तु, किसी एक वर्ष में मंजूर किए जाने वाले अनुदानों की अधिकतम सीमा 5,000 (पाँच हजार) रुपये से अधिक न होगी ।

2. जो सरकारी सेवक इस विभाग के उपर्युक्त संकल्प, तारीख 23 अगस्त, 1950 से संलग्न नियमावली के कारण 2 के अधीन उपदान के पात्र हैं, उनके परिवारों को बिहार अनुकम्पा-निधि से कोई परिदान न मिलेगा ।

प्रशासी–प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे अनुकम्पा–निधि से परिदान की सिफारिश करते समय इस बात को ध्यान में रखें और हर मामले में इसका उल्लेख करें कि नई पेंशन–योजना के अधीन उपदान अनुमान्य नहीं है ।

3. जहाँ तक उच्च–न्यायालय और विधान–सभा सचिवालय तथा विधान–परिषद् सचिवालय में काम करने वाले व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश, पटना उच्च–न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से और अध्यक्ष तथा सभापति से परामर्श के बाद निकाले गए हैं । **[*वित्त विभाग ज्ञाप संख्या बी०/पी०ए० आर०–103/51–6375–एफ०, दिनांक 22 मई, 1951]**

प्रकरण 7 : 1939 पूर्व प्रवेष्ठाओं को पसन्द का अधिकार

9. उत्कृष्ट सेवा के जिन सरकारी सेवकों को 31वीं अगस्त, 1939 को बिहार सरकार या किसी राज्य–सरकार के अधीन अथवा भारत–सरकार के अधीन किसी स्थायी पेंशनी पद पर गहन या निलम्बित गहन था और इन आदेशों के लागू होने की तारीख को बिहार सरकार के अधीन किसी स्थायी पेंशनरी पद पर गहन या निलम्बित गहन है, वे अपनी 'सूची' वर्तमान पेंशन नियमावली के अधीन रहना पसंद कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में वे 1 से 5 तक प्रकरणों में वर्णित किसी भी लाभ के पात्र न होंगे । इन आदेशों के निकलने के एक वर्ष के भीतर या सरकारी सेवक के सेवा से निवृत्त होने के पूर्व जो भी पहले हो, पसंद कर ली जाएगी, परन्तु जो सरकारी सेवक 20वीं जून, 1950 और 30वीं सितम्बर, 1950 के बीच निवृत्त हो चुके हों या होनेवाले हों, वे 31वीं अक्तूबर, 1950 तक अपनी पसन्द कर सकेंगे । जबतक ऐसा कोई सरकारी सेवक अपनी वर्तमान पेंशन–नियमावली के अधीन रहना पसन्द न करें, 1 से 5 तक प्रकरणों के उपबन्ध उस पर लागू होंगे । पसन्द लिखित रूप में की जायेगी और इसकी सूचना सम्बद्ध सरकारी सेवक, यदि वह अराजपत्रित हो, तो कार्यालय–प्रधान को और यदि वह राजपत्रित हो, तो महालेखापाल, बिहार को देगा । किसी अराजपत्रित सरकारी सेवक से घोषणा प्राप्त होने पर कार्यालय–प्रधान उसे प्रतिहस्ताक्षरित करेगा और सम्बद्ध सरकारी सेवक की सेवा–पुस्त में चिपका देगा । एक बार की गयी पसन्द अन्तिम होगी । समूची वर्तमान पेंशन–नियमावली के अधीन रहना पसन्द करने वाले सरकारी सेवक की जिम्मेवारी होगी कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि उसकी घोषणा कर प्राप्ति–स्वीकार यथास्थिति, महालेखापाल या कार्यालय–प्रधान कर दे और उसे सूचना मिल जाए कि सम्बद्ध प्राधिकारी ने उसे यथावत् अभिलिखित कर दिया है ।

[**समीक्षा :** पूर्व 1939 प्रविष्टियों द्वारा विकल्प दिए जाने से सम्बन्धित समय सीमा विस्तार आदि निर्गत निम्नलिखित सरकारी आदेश जो अब अप्रचलित हो गये हैं –

1. राज्य सरकार का आदेश सं० 5285 वि०, दिनांक 26-4-1951
2. राज्य सरकार का आदेश सं० 5795 वि०, दिनांक 5-5-1951
3. राज्य सरकार का आदेश सं० 13178 वि०, दिनांक 8-11-1951
4. राज्य सरकार का आदेश सं० 13890 वि०, दिनांक 28-11-1951
5. राज्य सरकार का आदेश सं० 13862 वि०, दिनांक 3-12-1952
6. राज्य सरकार का आदेश सं० 15267 वि०, दिनांक 27-12-1952
7. राज्य सरकार का आदेश सं० 5099 वि०, दिनांक 22-4-1954
8. केन्द्रीय सरकार का आदेश सं० M. OF. No. F. 19 (R) E 154, दिनांक 12-5-1954
9. राज्य सरकार का आदेश सं० 10999 वि०, दिनांक 20-9-1956
10. राज्य सरकार का आदेश सं० 155 वि०, दिनांक 17-2-1971
11. राज्य सरकार का आदेश सं० 4821 वि०, दिनांक 22-4-1976]

प्रकरण 8 : प्रकीर्ण

10. (1) सरकार को, 2 और 3 प्रकरणों के अधीन मंजूर उपदान या पेंशन से उन्हीं स्थितियों में वसूली करने का अधिकार होगा जिनमें बिहार पेंशन–नियमावली के नियम 43 (ख) के अधीन साधारण पेंशन से वसूली की जा सकती है ।

जो सरकारी सेवक 1ली सितम्बर, 1939 के पहले सेवा में प्रविष्ट हुए और जिन्होंने उपर्युक्त कंडिका 9 में निर्दिष्ट पसन्द न की उनके मामले में भी यह लागू होगा ।

(2) यदि सरकारी सेवक, कदाचार, दिवाले या अदक्षता के कारण बर्खास्त किया या हटाया गया हो, तो उसे 2 और 3 प्रकरणों के अधीन कोई उपदान या पेंशन न दी जायेगी । किन्तु, बिहार पेंशन-नियमावली के नियम 46 के अनुसार उन प्रकरणों के अधीन अनुकंपा-अनुदान दिए जा सकेंगे ।

(3) उपदान या पेंशन बिहार पेंशन-नियमावली के नियम 139 के उपबन्धों पर उचित विचार के बाद 2 और 3 प्रकरणों के अधीन मंजूर की जाएगी ।

(4) साधारण पेंशन की मंजूरी पर जो वर्तमान नियम लागू हैं, वे ही 2 और 3 प्रकरणों के अधीन मंजूर किए जानेवाले उपदान या पेंशन पर भी उस हद तक लागू होंगे, जिस हद तक वे उन आदेशों के उपबन्धों से असंगत न हों ।

11. ये आदेश उन सरकारी सेवकों पर भी लागू हों, जो इन आदेशों के लागू होने की तारीख को निवृत्ति- पूर्व छुट्टी पर हों । इन आदेशों की बातों को सभी सम्बद्ध व्यक्तियों और खासकर निवृत्ति-पूर्व छुट्टी पर गए, सरकारी सेवकों की दृष्टि में लाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए । बिहार पेंशन नियमावली के आवश्यक संशोधन यथासमय निकलेंगे ।

राज्य सरकार के निर्णय –

1.

*I. वित्त-विभागीय संकल्प सं० एफ०बी०-पी०ए०आर०-12/50-12548-एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 में दी गई नई पेंशन योजना के स्पष्टीकरण या निवृत्ति के लिए निम्न अनुदेश निकाले जाते हैं । वर्तमान अनुदेशों के अनुसार उसका निर्वचन 20वीं जून, 1950 से किया जाएगा –

(i) भारत के बाहर पेंशन और उपदान का भुगतान – **अमुद्रित ।**

(ii) भारत-सचिव (सेक्रटरी ऑफ स्टेट) के पदाधिकारियों पर नई पेंशन-योजना का लागू होना – **अमुद्रित ।**

(iii) छोटी पेंशनों में अस्थायी वृद्धियाँ – **अमुद्रित ।**

(iv) अपनी पेंशन के किसी अंश का रूपान्तरण करा चुकने वाले सरकारी सेवक के मामले में परिवार-पेंशनों की गणना – **अमुद्रित ।**

(v) अस्थायी सेवा में क्रम-भंग की क्षान्ति (माफी) – यदि अस्थायी सेवा लगातार हो, और बाद में किसी स्थायी पेंशनी पद पर संपुष्टि हो जाए तो वित्त-विभागीय संकल्प, दिनांक 23 अगस्त, 1950 से संलग्न नियमावली की कंडिका 6 के अधीन अस्थायी सेवा की आधी कालावधि पेंशन के लिए गिनी जाती है । यदि अस्थायी सेवा में क्रम-भंग हो तो सरकारी सेवक को उक्त संकल्प के अधीन अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ देने की दृष्टि से बिहार पेंशन-नियमावली के नियम 105 के अधीन क्रम-भंग क्षान्त (माफी) न होना चाहिए ।

(vi) पेंशन-प्रदायी सेवा में कमी की माफी – निर्दिष्ट संकल्प से संलग्न नियमावली की 2 (2) और 4 (1) की कंडिकाओं के अधीन, मृत्यु-उपदान और परिवार-पेंशन की पात्रता के लिए अपेक्षित न्यूनतम पेंशन-प्रदायी सेवा क्रमशः पाँच वर्ष और 25 वर्ष है । जहाँ पेंशन-प्रदायी सेवा, विहित न्यूनतम से कम हो, वहाँ बिहार पेंशन-नियमावली के नियम 106 के उपबंधों के अनुसार कभी क्षान्त (माफ) न होनी चाहिए । दूसरे मामलों में, इस नियम के अधीन दी गयी शक्तियों को इस तरह सीमित रखना चाहिए, कि यह लाभ केवल असमर्थता या क्षतिपूर्ति-पेंशन पर जाने वाले अल्प-वेतनभोगी कर्मचारियों को ही दिया जाए ।

टिप्पणी : वित्त विभागीय ज्ञाप सं० बी०सी०डी०आर०-560/51-6714-एफ०, दिनांक 31 मई, 1951 की कंडिका 1 (vi) में विहित है कि असमर्थता या क्षतिपूर्ति पेंशन पर जाने वाले "अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों" के मामले में, नई पेंशन योजना के अधीन पेंशन प्रदायी सेवा में कमी को कुछ परिस्थितियों में क्षान्त (माफ) किया जा सकता है । किन्तु "अल्प वेतनभोगी" पद की परिभाषा अभी तक नहीं हुई है और शंकाएँ उठायी गयी हैं कि किस कोटि के कर्मचारियों को यह छूट दी जा सकती है । तद्नुसार राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि इस प्रसंग में "अल्प वेतनभोगी" कर्मचारी पद का निर्वचन उन कर्मचारियों के अर्थ में होना चाहिए जिनका वेतन (वेतन के ढंग के सभी तत्वों सहित) निवृत्ति के समय 200 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं था या नहीं है ।

2. जहाँ तक इन आदेशों को उच्च न्यायालय और बिहार विधान सभा तथा बिहार विधान परिषद् सचिवालयों के कर्मचारियों पर लागू करने का प्रश्न है ये आदेश, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से और अध्यक्ष तथा सभापति से परामर्श के बाद निकाले गए हैं । [***वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी०-1-1015-54-415-एफ०आर०, दिनांक 28 जून, 1954 ।]**

(vii) *पेंशन के लिए आधी लगातार अस्थायी सेवा का गिना जाना – किसी सरकारी सेवक के न्यूनतम पेंशन प्रदायी उम्र को पहुँच जाने के बाद बिहार सरकार के अधीन उसके द्वारा की गयी लगातार अस्थायी सेवा की आधी अवधि, बाद में किसी पेंशनी पद पर संपुष्टि हो जाने पर, निर्दिष्ट संकल्प से संलग्न नियमावली की कंडिका 6 के अधीन पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जाएगी । ऐसे मामलों में "अस्थायी सेवा" का अर्थ होगा "बिहार सरकार के अधीन किसी अस्थायी पद पर स्थानापन्न और मौलिक सेवा, तथा किसी स्थायी पद पर स्थानापन्न सेवा" ।

2. जहाँ तक उच्च न्यायालय और बिहार विधान सभा सचिवालय तथा विधान परिषद् सचिवालय में काम करने वाले व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से और अध्यक्ष तथा सभापति से परामर्श के बाद निकाले गए हैं । [***वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी०सी० डी०आर०-506/51–6714-एफ०, दिनांक 31 मई, 1951 ।]**

2.

*राज्य सरकार ने उदार पेंशन नियमावली के संबंध में निम्न अनुदेश निकाले हैं –

1. घोषणाएँ – अमुद्रित ।

2. मनोनयन – (i) ज्योंही कोई सरकारी सेवक पाँच वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी कर ले, त्योंही वह उपर्युक्त 23 अगस्त, 1950 के वित्त विभागीय संकल्प से संलग्न नई पेंशन नियमावली के प्रकरण 2 की कंडिका 3 (2) के अधीन एक मनोनयन करेगा जिसमें वह एक या अनेक व्यक्तियों को उपदान लेने का अधिकार देगा और 25 वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी करनेवाला सरकारी सेवक उपर्युक्त नियमावली के प्रकरण 3 की कंडिका 4 (6) के अधीन फारम 'ङ' में एक मनोनयन करेगा जिसमें वह क्रम दिखाएगा, जिसके अनुसार सरकारी सेवक/पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के सदस्यों को पेंशन देय होगी ।

(ii) राजपत्रित सरकारी सेवक के मामले में, 23वीं अगस्त, 1950 के संकल्प की 3 (2) और 4 (6) कंडिकाओं के अधीन किया गया हरेक मनोनयन और दी गयी विखंडन की हरेक सूचना, उसके द्वारा महालेखापाल, बिहार को भेजी जाएगी ।

(iii) महालेखापाल, बिहार को मनोनयन या उसके विखंडन का प्राप्ति स्वीकार बराबर सम्बद्ध सरकारी सेवक के पास भेजना चाहिए ।

(iv) जब कोई राजपत्रित सरकारी सेवक, किसी दूसरे लेखा परीक्षा अंचल में स्थायी रूप से बदला जाए तब महालेखापाल, बिहार को मनोनयन पत्र निबंधित (रजिस्टर्ड) लिफाफे में नये लेखा-परीक्षा पदाधिकारी के पास भेजना चाहिए और उसकी पावती प्राप्त कर लेनी चाहिए । (वर्तमान पेंशन नियमावली आदि के अधीन रहने की) पसन्द की घोषणाएँ भेजने की जरूरत नहीं है, किन्तु पसन्द संबंधी विवरणों का उल्लेख, नये लेखा परीक्षा पदाधिकारी के पास भेजे गए बदली संबंधी कागज पत्रों में किया जाना चाहिए ।

3. सभी मामलों में, केवल स्थानीय राजपत्रित सरकारी सेवकों की घोषणाएँ, मनोनयन आदि, ही लेखा परीक्षा कार्यालय में भेजे जाएँ । स्थानापन्न राजपत्रित सरकारी सेवकों संबंधी कागज-पत्र, कार्यालय प्रधान के पास रहेंगे जहाँ सरकारी सेवक मौलिक रूप से स्थायी अराजपत्रित पद धारण करता हो ।

अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में, ये मनोनयन कार्यालय प्रधान द्वारा प्राप्त करेंगे । ये मनोनयन पत्र सेवा-पुस्तों में न चिपकाये जाएँगे बल्कि विभागीय पदाधिकारियों की निजी अभिरक्षा में रखे जायेंगे । जब पेंशन संबंधी कागज पत्र के साथ ये मनोनयन पत्र, महालेखापाल, बिहार को भेजे जाएँ, तब उसके कार्यालय में नहीं रखे जाएँगे, क्योंकि परिवार पेंशन के सभी दावों का सूत्रपात विभागीय पदाधिकारी के यहाँ से होना चाहिए और निवृत्ति की तारीख से पाँच वर्षों के भीतर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने पर जो परिवार पेंशन दी जाएगी उसके संबंध में यदि कोई वैधिक पहलू हो तो उसकी छानबीन विभागीय पदाधिकारी ही करेगा ।

टिप्पणी : वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार अराजपत्रित सरकारी सेवकों से संबंधित मूल मनोनयन पत्र पेंशन संबंधी कागज–पत्रों के साथ महालेखापाल, बिहार के पास भेजे जाते हैं, किन्तु इस आवागमन में मनोनयन पत्रों के खो जाने का भय बना रहता है । चूँकि मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान आदि के लिए मृत पदाधिकारियों के मनोनयन पत्र उनकी वसीयत के समान है इसलिए यह आवश्यक है कि वे खो न जाएँ, इसके लिए सभी सम्भव उपाय किए जाएँ क्योंकि यदि ये किसी तरह खो जायेंगे तो उनका प्रतिस्थापन या यदि कोई विवाद उठे, तो उसका कारगर निबटारा सम्भव न होगा ।

मृत्यु–सह–निवृत्ति उपदान और परिवार पेंशन के सभी दावों का सूत्रपात विभागीय पदाधिकारी करेंगे और वे ही अधिक पहलुओं की छानबीन तथा संबंधित दावों का निबटारा करेंगे । तद्नुसार निर्णय किया गया है कि सभी मामलों में अराजपत्रित सरकारी सेवकों से संबंधित मूल मनोनयन-पत्र, सम्बद्ध कार्यालय प्रधान रखेंगे और इस संबंध में दावों के सत्यापन के लिए तथा पेंशन, उपदान के भुगतान प्राधिकृत करने के लिए महालेखापाल चालू मूल मनोनयन पत्रों को कार्यालय प्रधानों द्वारा सही प्रमाणित प्रतियों पर, जो पेंशन-पत्रों से संलग्न रहेंगी, निर्भर करेंगे । [***वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी० 1-106/54–3623-एफ०, दिनांक 23 मार्च, 1954 ।**]

4. अमुद्रित ।

3.

*वित्त विभागीय संकल्प सं० एफ०भी०सी०ए०आर०-12150-12548-एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 से संलग्न नियमावली की 1 (1) और 2 (1) कंडिकाओं के अधीन मंजूर किए जाने वाले उपदान सरकारी सेवक के मालमता होंगे और उनके भुगतान के पहले उसकी मृत्यु हो जाने पर वे केवल साधारण उत्तराधिकार संबंधी सामान्य विधि के अधीन उसके वैध उत्तराधिकारियों को ही दिए जा सकेंगे । किन्तु 23वीं अगस्त, 1950 के संकल्प से संलग्न नियमावली की 2 (2) और 2 (4) कंडिकाएँ, सीधे यथास्थिति, सरकारी सेवक द्वारा मनोनीत व्यक्ति या उसके वैध उत्तराधिकारियों को फायदे का हकदार बनाती हैं और इन कंडिकाओं के अधीन मंजूर उपदान उन व्यक्तियों के मालमता होंगे जिनके पक्ष में मंजूरी मिली हो, न कि मृत सरकारी सेवक के ।

2. यह भी निर्णय लिया गया है कि मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान और परिवार-पेंशन की मंजूरी तथा भुगतान के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्न होगी –

मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान

(क) जबकि उपदान सरकारी सेवक को उसके निवृत्त होने पर देय हो – उपदान के लिये आवेदन उसी फारम में किया जायगा जिस फारम में पेंशन के लिये आवेदन किया जाता है, अर्थात् पेंशन फारम 4 में । इसके लिये उक्त फारम में निम्न परिवर्तन करने होंगे –

अमुद्रित ।

(ख) जबकि उपदान सेवा में रहते हुए सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके मनोनीत व्यक्ति या या वैध उत्तराधिकारियों को देय हो – यदि सरकारी सेवक ने विहित फारम में मनोनयन किया हो और वह कायम हो, तो कार्यालय प्रधान/कार्याध्यक्ष, सरकारी सेवक की मृत्यु-रिपोर्ट मिल जाने पर, पेंशन फारम 4 के दूसरे पृष्ठ में उसकी सेवाओं का विवरण तैयार करेगा । यदि कोई मनोनयन न हो या यदि मनोनयन कायम न हो, तो उपदान मृत व्यक्ति के वैध उत्तराधिकारियों को ही देय होगा और ऐसे मामलों में कार्यालय प्रधान कार्याध्यक्ष, वैध उत्तराधिकारियों से या की ओर से वैध प्राधिकार द्वारा समर्थित उपदान के निमित्त आवेदन मिल जाने पर ही सेवाओं का विवरण तैयार करेगा । भुगतान के लिये प्रस्तावित उपदान की रकम के बारे में सक्षम प्राधिकारी की अन्तिम सिफारिश के साथ सेवाओं का विवरण (और अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में, मनोनयन फारम के साथ उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का नाम और पता, जिसे या जिन्हें यह रकम देनी हो) सत्यापन के लिये महालेखापाल के पास भेजा जायेगा । सत्यापन का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने (और यदि मृत व्यक्ति राजपत्रित सरकारी सेवक हो, तो महालेखाकार से मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों के ब्योरे जान लेने) के बाद सक्षम प्राधिकारी, उपदान के भुगतान के लिये औपचारिक मंजूरी दे सकेगा । मंजूरी में, जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों को उपदान दिया जानेवाला हो, उनका नाम, पता और मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध तथा हरेक को चुकाई जानेवाली रकम का उल्लेख रहेगा । तब महालेखापाल, जिस तरह सामान्य भविष्य निधि की रकम का वितरण करता है, उसी तरह उन रकमों के वितरण की व्यवस्था करेगा ।

टिप्पणी 1 : मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान, मृत सरकारी सेवक के केवल वैध उत्तराधिकारियों को देय है, यदि कोई मनोनयन न हो या मनोनयन कायम न हो । ऐसे मामलों में दावेदारों को सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वैध प्राधिकार-पत्र पेंशन करना चाहिए ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, पत्र सं० एफ-24(27)-ई०वी० 53, दिनांक 18 नवम्बर, 1953 ।]

टिप्पणी 2 : अमुद्रित ।

(2) सरकारी विभागों (और कार्याध्यक्षों) से अनुरोध है कि वे अपने अधीन और अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में नियोजित सभी सरकारी सेवकों को सलाह दें कि वे अपने परिवारों के सदस्यों के हित में तुरंत विहित मनोनयन कर दें । सुझाव दिया जाता है कि वे कम वेतन पानेवाले कर्मचारियों और खासकर निचले सरकारी सेवकों को मनोनयन की परमावश्यकता और महत्व समझने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाये ।
[वित्त विभाग, ज्ञाप सं० सी०डी०आर०–503/52/10174 एफ०, दिनांक 3वीं सितम्बर, 1952 ।]

टिप्पणी 3 : (1) अमुद्रित ।

(2) अमुद्रित ।

(3) सरकारी विभागों (और कार्याध्यक्षों) से यह भी अनुरोध है कि वे इस बात के लिये विशेष प्रयास करें कि उनके अधीन और अधीनस्थ कार्यालयों में नियोजित सभी सरकारी सेवक अविलम्ब विहित मनोनयन कर ले । सुझाव है कि कम वेतन पानेवाले कर्मचारियों और खासकर निचले सरकारी सेवकों को मनोनयन करने की आवश्यकता और महत्व विशेष रूप से समझायी जाये, ताकि 31वीं दिसम्बर, 1954 के पहले सभी सरकारी सेवक मनोनयन कर लें ।

टिप्पणी 4 : (1) अमुद्रित ।

(2) अमुद्रित ।

(3) सरकारी विभागों (और कार्याध्यक्षों) से फिर अनुरोध किया जाता है कि वे अपने अधीन और अपने अधीनस्थ कार्यालयों के सभी सरकारी सेवकों पर और खासकर निचले सरकारी सेवकों पर, अवलिम्ब विहित मनोनयन कर लेने की आवश्यकता के सम्बन्ध में जोर डाले । **[वि०वि०, ज्ञाप सं० पी०-1-106/54-11225-एफ०, दिनांक 19 अक्टूबर, 1954 ।]**

टिप्पणी 5 : (1) वित्त विभागीय ज्ञाप सं० बी०सी०डी०आर०–506–51/11140–एफ०, दिनांक 7 सितम्बर, 1951 की कंडिका 2 की (ख) और (ग) उप कंडिकाओं में अनुदेश निकाले गये थे कि जिन मामलों में कोई मनोनयन न हो या किया गया मनोनयन कायम न हो, उसमें वित्त विभागीय संकल्प सं० बी०पी०ए०आर०–12/50–12548–एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 से संलग्न नियमावली की कंडिका 2 (4) के अधीन अनुमान्य मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान या अवशिष्ट उपदान, मृत व्यक्ति के केवल वैध उत्तराधिकारियों को ही देय होगा और ऐसे मामलों में कार्यालय-प्रधान/कार्याध्यक्ष वैध उत्तराधिकारियों से या की ओर से उपदान के लिये वैध प्राधिकार-पत्र द्वारा समर्थित आवेदन प्राप्त हो जाने पर ही सेवा विवरण तैयार करेंगे । इसी प्रकार उन मामलों में जहाँ मनोनीत व्यक्ति के न रहने पर 23वीं अगस्त, 1950 के वित्त विभागीय संकल्प से संलग्न नियमावली की कंडिका 4(5) में वर्णित किसी व्यक्ति को परिवार पेंशन देने का प्रश्न उठे, 7वीं सितम्बर, 1951 के वित्त विभागीय ज्ञाप की कंडिका 2 (ङ) में यह विहित किया गया था कि ऐसे व्यक्ति से विहित फारम में आवेदन मिल जाने पर कार्यालय-प्रधान/कार्याध्यक्ष अपेक्षित कार्रवाई करेंगे । इस तरह, वर्तमान आदेशों के अनुसार मृत्यु-सह-निवृत्ति अवशिष्ट उपदान के दावे का सूत्रपात मृत व्यक्ति के वैध उत्तराधिकारियों की ओर से होना चाहिये और परिवार पेंशन के दावे का सूत्रपात ऐसी पेंशन पाने के हकदार व्यक्ति की ओर से ।

(2) बताया गया है कि कुछ मामलों में संभव है कि हिताधिकारी, नई पेंशन-योजना के अधीन अनुमान्य लाभों से अवगत न हों और ऐसे मामले उठ सकते हैं जिनमें इन लाभों का दावा बिलकुल न किया जाये । राज्य सरकार इस बात को बहुत महत्वपूर्ण समझती है कि हिताधिकारियों को अपने अधिकारों से अवगत करा दिया जाये । ऐसा वस्तुतः हो, इसके लिये महालेखापाल, बिहार के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि किसी सरकारी सेवक के सम्बन्ध में मृत्यु रिपोर्ट मिल जाने पर, कार्यालय प्रधान/कार्याध्यक्ष जिस व्यक्ति को बिहार कोषागार संहिता के नियम 240 के अधीन मृत व्यक्ति का बकाया वेतन आदि, दिया जाये या देय हो, उसे अनुलग्न फारम में सूचना भेजेगा । किन्तु, किसी पेंशनभोगी के मामले में, मृत्यु रिपोर्ट मिल जाने पर, जिस व्यक्ति

को बिहार कोषागार संहिता के नियम 388 के अधीन बकाया पेंशन दी जाये या देय हो, उसे आवश्यक सूचना सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी भेजेगा । इसके साथ ही कोषागार पदाधिकारी, कार्यालय प्रधान/कार्याध्यक्ष को भी पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना, तब तक दी गयी पेंशन के विवरण के सहित भेजेगा, ताकि वह इस विषय पर आगे कार्रवाई कर सके ।

(3) सम्बद्ध पक्षों से, अपेक्षित वैध प्राधिकारी-पत्र द्वारा समर्थित, औपचारिक दावा प्राप्त हो जाने पर 7वीं सितम्बर, 1951 के वित्त विभागीय ज्ञाप में विहित सामान्य कार्रवाई करनी चाहिये ।

(4) जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय और बिहार विधान सभा सचिवालय तथा बिहार विधान परिषद सचिवालय में काम करने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये आदेश, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से और विधान सभा के अध्यक्ष तथा विधान परिषद् के सभापति से परामर्श के बाद निकाले गए हैं ।

फारम

श्री/श्रीमती/कुमारी .... को सूचित किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित वित्त विभागीय संकल्प सं० एफ-पी०ए०आर०-12-50-12548 एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 के अनुसार .... (पता) के स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी .... के आश्रितों को मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्ट उपदान/परिवार पेंशन देय है । अनुरोध है कि उनके वैध उत्तराधिकारी/परिवार के सदस्य मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्ट उपदान/परिवार पेंशन के निमित्त उत्तराधिकारी प्रमाण- पत्र द्वारा समर्पित/अनुलग्न फारम 'च' में औपचारिक दावा .... (मंजूरी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता के सामने आवश्यक कार्रवाई के लिये पेश करें ।**[वित्त विभाग ज्ञाप सं० पी०-1-106/54/377-एफ०आर०, दिनांक 22 जून, 1954 ।]**

टिप्पणी 6 : वित्त विभागीय ज्ञाप सं० पी० 1-106-54-11225-एफ०, दिनांक 19 अक्टूबर, 1954 में अन्तर्विष्ट आदेश, उन मामलों में भी आवश्यक परिवर्त्तन सहित लागू होंगे, जहाँ मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान का भुगतान किसी ऐसे पदाधिकारी के उत्तराधिकारियों को किया जानेवाला हो, जो निवृत्ति के बाद, किन्तु मृत्यु-सह-उपदान की रकम प्राप्त करने के पहले मर जाये ।

2. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय और बिहार विधान सभा सचिवालय तथा बिहार विधान परिषद् सचिवालय में काम करने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये आदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से और विधान सभा के अध्यक्ष तथा विधान परिषद् के सभापति से परामर्श के बाद निकाले गये हैं । **[वि०वि०, ज्ञाप सं० पी०-1-10 16/55-8789-एफ०, दिनांक 1 सितम्बर, 1955 ।]**

(ग) जबकि उपदान वित्त विभागीय संकल्प सं० एफ० वी०पी०ए०आर०-12-50-12548-एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 से संलग्न नियमावली की कंडिका 2 (4) के अधीन देय हो — ऐसे मामले में सरकारी सेवक की सेवा सत्यापित होगी और अन्य विषयों में उप कंडिका (ख) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाये ।

(घ) जबकि उपदान 5 वर्षों से अधिक पेंशन-प्रदायी सेवा करने के बाद 1ली सितम्बर, 1947 और 19वीं जून, 1950 के बीच सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को वित्त विभागीय संकल्प सं० एफ० वी०पी०ए०आर०-12/50-12548-एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 की कंडिका 2 के अधीन देय हो — ऐसे मामले में उपर्युक्त उप-कंडिका (ख) में विनिहित प्रक्रिया और वित्त विभाग, ज्ञाप सं० एफ० वी०पी०ए०आर०-12/50-एफ०आर०-574, दिनांक 12 सितम्बर, 1950 में निकाले गये अनुदेशों के अनुसार सेवा का सत्यापन तथा भुगतान करना होगा ।

[**समीक्षा** : 75% पेंशन/उपादान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि भुगतान हेतु एक अलग विपत्र पर कार्यालय प्रधान द्वारा निकासी की जाती है । लेकिन अब 75% के स्थान पर 100% राशि की निकासी की जाती है ।]

परिवार पेंशन

(ङ) अमुद्रित ।

प्रत्याशा भुगतान

(च) जिस सरकारी सेवक का मृत्यु-सह-निवत्ति उपदान भारत में देय हो, यदि वह उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार उपदान की रकम के अन्तिम रूप से निर्धारण और निबटारे के पहले निवृत्त होने वाला हो, तो

महालेखापाल उस उपदान की रकम की तीन–चौथाई के भुगतान की मंजूरी दे सकेगा जिसके बारे में अविलम्ब बहुत सावधानी से संक्षिप्त खोज–बीन के बाद उसे विश्वास हो कि सरकारी सेवक केवल अपनी स्थायी सेवा के आधार पर ही हकदार होगा। सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने पर, जो मनोनीत व्यक्ति या वैध उत्तराधिकारी सामान्य वैध प्राधिकार–पत्र पेश करें, उन्हें भी समुचित अनुपात में उपदान के ऐसे भुगतान के लिये प्राधिकृत किया जा सकेगा। सभी मामलों में मृत्यु–सह–निवृत्ति उपदान का प्रत्याशा भुगतान, पानेवाले फारम 'जी' में घोषणा लिख देने के बाद किया जाये।

3. जहाँ तक बिहार विधान–सभा सचिवालय और बिहार विधान–परिषद् सचिवालय में तथा उच्च न्यायालय के अधीन काम करनेवाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये आदेश विधान सभा के अध्यक्ष और विधान–परिषद् के सभापति से परामर्श करने के बाद तथा पटना उच्च–न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से निकाले गये हैं। [***वित्त विभाग, ज्ञाप सं० बी०/सी०डी०आर०–506/51–11140–एफ०, दिनांक 7 सितम्बर, 1951।]**

4.

*निम्न अनुदेश वित्त विभागीय संकल्प सं० एफ०–बी०पी०ए०आर०–12/50–12548–एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 में दी गयी नई पेंशन योजना के स्पष्टीकरण या निवृत्ति के लिये निकाले जाते हैं, जिसका निर्वचन 20वीं जून, 1950 से वर्तमान अनुदेशों के अर्थ में किया जायेगा।

(i) **पेंशन पद की परिभाषा** — जहाँ "पेंशन" पद "मृत्यु–सह–निवृत्ति उपदान" के प्रति–विपरीत प्रयुक्त हो, वहाँ छोड़कर "पेंशन" के अन्तर्गत "मृत्यु–सह–निवृत्ति उपदान" भी है;

(ii) **पेंशन के लिये लगातार अस्थायी सेवा की आधी कालावधि का गिना जाना** — 23वीं अगस्त, 1950 के संकल्प से संलग्न नियमावली की कंडिका 6 के अधीन, किसी सरकारी सेवक के न्यूनतम पेंशन–प्रदायी उम्र को पहुँच जाने के बाद बिहार सरकार के अधीन की गयी लगातार अस्थायी सेवा की आधी कालावधि, पेंशन–प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जायेगी, यदि बाद में किसी पेंशनी पद पर संपुष्टि हो गयी हो। इस रियायत के लिये बिहार सरकार के अधीन अस्थायी सेवा का अन्तिम अंश, जो संपुष्टि की तारीख के ठीक पहले हो और पेंशनी उम्र को पहुँचने की तारीख से सीमित हो, गिना जायेगा। इस कालावधि में, बिहार पेंशन नियमावली के 63 और 64 नियमों के अधीन पेंशन–प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जाने वाली कालावधियाँ और असाधारण छुट्टी की कालावधियाँ निकाल दी जायेगी। इसके बाद शेष अवधियों को जोड़ा जायेगा और इस कालावधि की आधी अवधि पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जायेगी। इस रियायत को देखते हुए, नई पेंशन–योजना द्वारा शासित व्यक्तियों को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 59 के अधीन कोई और रियायत न दी जायेगी।

टिप्पणी : जिस कालावधि में सम्बद्ध सरकारी सेवक ने परीक्ष्यमाण और स्थानापन्न लिपिक की दुहरी हैसियत से काम किया, उस कालावधि में, उसकी लगातार स्थानापन्न सेवा की आधी कालावधि को पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में गिनने के निमित्त, इस विभाग के ज्ञाप सं० बी०सी०डी०आर०–503/52–7276–एफ०, दिनांक 2 जुलाई, 1952 की कंडिका 1 के खंड (ii) के अधीन स्थानापन्न लिपिक के रूप में उसकी पेंशन प्रदायी हैसियत बिहार उड़ीसा कोषागार हस्तक (ट्रेजरी मैनुअल) की कंडिका 89 के अधीन परीक्ष्यमाण के रूप में उसके गैर–पेंशन प्रदायी हैसियत को अवक्रान्त कर देगी।

क्योंकि मुफस्सिल कार्यालयों में परीक्ष्यमाणों के ऐसे पद रखने का प्रयोजन ही यह है कि रिक्त पदों पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिये लोगों की व्यवस्था की जाये और यही कारण है कि उनके सम्बन्ध में बिहार–उड़ीसा कोषागार हस्तक की कंडिका 89 में अपवाद किया गया है। इस रियायत से उन्हें वंचित रखना उचित नहीं है, क्योंकि रिक्त पदों पर ऐसी स्थानापन्न नियुक्ति की संभावना तो मुफस्सिल कार्यालयों में परीक्ष्यमाणों के ऐसे पदों के उपबन्ध में ही अन्तर्निहित है। [***महालेखापाल, बिहार को वि०वि० का पत्र सं० पी०–1–1016/55–340–एफ०, दिनांक 9 जनवरी, 1956।]**

(iii) **पेंशनों का रूपान्तरण** — 23वीं अगस्त, 1950 के संकल्प से संलग्न नियमावली के प्रकरण 5 के अधीन पेंशन की अधिक से अधिक जितनी रकम रूपान्तरित की जा सकती है, उसके बारे में प्रतिबन्ध को छोड़कर, बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 12 के अन्य प्रतिबन्ध लागू रहेंगे।

(iv) **मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान** – 23वीं अगस्त, 1950 के संकल्प से संलग्न नियमावली की उप कंडिका 2 (4) में वर्णित अवशिष्ट उपदान केवल तभी अनुमान्य है जबकि सरकारी सेवक की मृत्यु उसकी निवृत्ति की तारीख से 5 वर्षों के भीतर हो जाये ।

(v) **पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिये आवेदन** -- जिस सेवा के लिये पेंशन या उपदान का दावा किया जाये, उसके बारे में, बिहार पेंशन नियमावली के नियम 193 के नीचे की टिप्पणी के अनुसार, हरेक पेंशनभोगी से पेंशन या उपदान न पाने का प्रमाण-पत्र अपेक्षित है । मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान योजना लागू हो जाने के कारण, ऐसे उपदान के पात्र व्यक्तियों की दशा में, प्रमाण-पत्र में पहली और दूसरी बार प्रयुक्त "उपदान" शब्द के बाद क्रमशः या मृत्यु-सह-निवृत्ति "उपदान" और मृत्यु-सह-निवृत्ति "उपदान" जोड़ दिये जायें ।

(vi) **मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिये मनोनयन** -- फारमों में केवल एक वैकल्पिक मनोनीत व्यक्ति के लिये उपबन्ध है और सरकारी सेवक मूल मनोनीत व्यक्ति के बदले अनेक वैकल्पिक मनोनीत व्यक्तियों को मनोनीत करने के लिये स्वतन्त्र नहीं है ।

(vii) वित्त विभागीय ज्ञाप सं० बी०/पी०ए०आर०-101/51-5285-एफ०, दिनांक 26 अप्रैल, 1951 की कंडिका 2 (ग) के अधीन पसन्द-कर्त्ताओं को देय मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के प्रयोजनार्थ "पेंशन प्रदायी सेवा" – **अमुद्रित । [*ज्ञाप सं० बी०/सी०डी०आर०-503/52- 7276-एफ०, दिनांक 2 जुलाई, 1952 ।]**

5.

*जब बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (सि०स०रे० का अनुच्छेद 470) की शर्तें पूरी हो जायें, तब मामले की परिस्थितियों के अनुसार मृत्यु-सह-निवृत्ति-अनुदान से या परिवार पेंशन से अथवा दोनों से कटौती की जा सकती है । **[*ज्ञाप सं० पी०-1-1017/53/12947-एफ०, दिनांक 27 अक्टूबर, 1953 ।]**

6.

***(i) अस्थायी सेवा पेंशन के लिए गिनी जायेगी**

नियमावली के प्रकरण 4 की कंडिका 6 की रियायत के प्रयोजनार्थ अस्थायी सेवा के अन्तर्गत, पेंशनी स्थापना के किसी अस्थायी पद पर की गयी सभी लगातार सेवा और पेंशनी स्थापना के किसी स्थायी पद पर की गयी स्थानापन्न सेवा भी है । किसी गैर-पेंशनी पद पर या किसी कर्मभारित स्थापना में अथवा आकस्मिकताओं से भुगतान वाले किसी पद पर की गयी अस्थायी सेवा या स्थानापन्न सेवा का कोई अंश, नई पेंशन योजना के अधीन पेंशन के लिये न गिना जायेगा । यदि ऐसी सेवा, पेंशनी स्थापना में की गई अस्थायी सेवा की दी कालावधियों के बीच या किसी पेंशनी स्थापना में अस्थायी सेवा और स्थायी सेवा की किसी कालावधि के बीच पड़ती हो, तो नई पेंशन योजना के प्रयोजनार्थ इससे सेवा को क्रम भंग न समझा जायेगा । ऐसे मामले में, पहली अस्थायी सेवा की आधी कालावधि नियमावली के प्रकरण 4 की कंडिका 6 के अनुसार पेंशन के लिए गिनी जायेगी, किन्तु गैर-पेंशनी स्थापना आदि में की गयी सेवा की वास्तविक कालावधि, पेंशन के लिए न गिनी जायेगी ।

(ii) इंग्लिस्तान (यू०के०) में प्रत्याशी--मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान का भुगतान –

अमुद्रित ।

(iii) परिवार की परिभाषा में दत्तक "संतान" का समावेश

नई पेंशन नियमावली के अधीन दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री, पुत्र या पुत्री मानी और [परिवार" की परिभाषा में सम्मिलित की जा सकेगी, जबकि महालेखापाल का, अथवा यदि महालेखापाल के मन में कुछ सन्देह हो, तो राज्य सरकार के विधि-परामर्शी का समाधान हो जाये कि सरकारी सेवक की स्वीय विधि के अधीन गोद लेना विधितः औरस संतान की हैसियत प्रदान करता है, न कि अन्यथा ।

टिप्पणी : वित्त विभागीय ज्ञाप सं० पी०-1-106/54/11-ई०आर०, दिनांक 10 मई, 1954 की कंडिका 1 (iii) में उपबन्धित है कि उदार पेंशन नियमावली के अधीन दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री परिवार की परिभाषा में सम्मिलित की जा सकती है, जबकि महालेखापाल का, अथवा यदि महालेखापाल के मन में कोई संदेह हो, तो राज्य सरकार के विधि-परामर्शी का समाधान हो जाये कि सरकारी सेवक की स्वीय विधि के अधीन गोद लेना विधितः औरस संतान की हैसियत प्रदान करता है, न कि अन्यथा ।

वित्त विभागीय संकल्प सं० एफ० वी०पी०ए०आर०-12/50-12548-ए०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 के साथ निकाली गई नियमावली के नियम 3 (8) के अधीन अराजपत्रित सरकारी सेवकों द्वारा किये गये मनोनयन कार्यालय प्रधान के पास भेजे जायेंगे जो उन्हें प्रतिहस्ताक्षरित करेगा और अपनी अभिरक्षा में रख लेगा। महालेखापाल के लिये यह संभव नहीं है कि वह अराजपत्रित सरकारी सेवकों द्वारा दत्तक संतान के लिये किये गये ऐसे मनोनयनों की जाँच करे। तद्नुसार, यह निर्णय किया गया है कि जहाँ तक अराजपत्रित सरकारी सेवकों का सम्बन्ध है, आवश्यक जाँच सम्बद्ध कार्यालय-प्रधान करेगा, जो सन्देह के मामले में, महालेखापाल से स्वच्छन्द सलाह कर सकेगा और महालेखापाल, यदि आवश्यक हो तो, विधि परामर्शी से परामर्श कर सकेगा।

2. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय और बिहार विधान-सभा सचिवालय तथा बिहार विधान-परिषद् सचिवालय में काम करने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये आदेश, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से और विधान सभा के अध्यक्ष तथा विधान परिषद् के सभापति के परामर्श के बाद निकाले गये हैं।

[*ज्ञाप सं० पी०-1-106/54-334-एफ०आर०, दिनांक 20 जून, 1955 ।]

(iv) मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए वैध प्राधिकार पत्र की जाँच

किसी मृत सरकारी सेवक या मृत पेंशनभोगी के वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को मृत्यु उपदान के रूप में देय किसी राशि के बारे में मंजूरी प्राधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि वह अपना समाधान कर ले कि भुगतान का दावा करने वाला/वाले व्यक्ति/व्यक्तिगण, वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारीगण है/हैं और आवश्यक उत्तराधिकारी जैसे कि मान्य उत्तराधिकार-प्रमाण-पत्र रखते हैं। मंजूरी प्राधिकारी से आवश्यक वैध, प्राधिकार-पत्र मिल जाने पर महालेखापाल, मामले में आगे कार्रवाई करने के पहले अपना समाधान कर लेगा कि वैध प्राधिकार-पत्र मंजूरी प्राधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में ही है। वितरण पदाधिकारी जिस व्यक्ति/जिन व्यक्तियों को भुगतान प्राधिकृत हो, केवल उसकी/उनकी पहचान के लिए ही जिम्मेवार होगा।

किसी मृत सरकारी सेवक को देय मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के बारे में किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र देने में न्यायालय आम तौर से चाहता है कि देय रकम ठीक-ठीक बतायी जाये। न्याय-शुल्क के निर्धारण के लिए यह आवश्यक है। ऐसी स्थिति में वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को देय मृत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान की ठीक-ठीक रकम, महालेखापाल से मालूम कर उसे/उन्हें सूचित कर देनी चाहिए।

(v) अंशतः निचली और अंशतः उत्कृष्ट कोटियों में की गई सेवा के लिए उपदान और पेंशन – अमुद्रित।

(vi) जो सरकारी सेवक सेवा में रहते हुए मर जाये, उसके सम्बन्ध में परिवार पेंशन – अमुद्रित।

7.

*बिहार पेंशन नियमावली में दिए गये क्षत सम्बन्धी और अन्य असाधारण नियमों के अधीन कोई परिदान उदार पेंशन नियमावली के अधीन अनुमान्य किसी लाभ के अतिरिक्त मंजूर किया जा सकता है। **[*पुलिस सहायक महानिरीक्षक को वित्त विभाग का पत्र सं० पी०-1-106/54-6412 वि०, दिनांक 2-6-1954 ।]**

8.

***विषय : मृत्यु-सह-निवृत्ति लाभ के प्रावधानों का उदारीकरण।**

तृतीय वेतन आयोग की अनुशंसा पर केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में राज्य के कर्मचारियों के मृत्यु-सह-निवृत्ति लाभ के प्रावधानों को उदार बनाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन था।

इस विषय पर भली-भाँति विचार करने के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मृत्यु-सह-निवृत्ति लाभ के विद्यमान प्रावधान निम्नांकित अनुसार रूपान्तरित किये जाएँ –

(ए) पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान

(i) विद्यमान नियमों के अनुसार पेंशन अर्जित करने के लिए अधिकतम अर्हताप्रदायी सेवा 30 पूर्ण छह मासिक अवधियाँ हैं और अनुमान्य पेंशन की अधिकतम राशि 2,100 रु० प्रतिवर्ष है। अब पेंशन अर्जित करने

के लिए अर्हता-प्रदायी सेवा बढ़ाकर 66 (छियासठ) पूर्ण छह मासिक अवधियाँ की जाती हैं और पेंशन की अधिकतम राशि अनुलग्नक में दी गई उपयुक्त राशि होगी ।

(ii) मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिए उदारीकृत पेंशन योजना की उपकंडिका (3) में यथाविहित उपलब्धियों का '15 गुना' की वर्तमान सीमा बढ़ाकर उपलब्धियों का '16½ गुना' कर दी जायेगी और 24,000 रु० की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 30,000 रु० कर दी जायेगी ।

(iii) उदारीकृत पेंशन योजना, 1950 की कंडिका 2 की उप-कंडिका (5) की शर्तों के अनुसार मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिए गणना की जानेवाली अधिकतम उपलब्धियाँ 1,800 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,500 रु० प्रतिमाह कर दी जायेगी ।

(iv) राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना की कंडिका 7 की शर्तों के अनुसार मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान से वसूलनीय 3,600 रु० के अधिकतम अंशदान को बढ़ाकर 5,000 रु० कर दिया जायेगा ।

(बी) पारिवारिक पेंशन

(i) वित्त विभागीय ज्ञापांक पेन० 103/64-9505 एफ०, दिनांक 3 सितम्बर, 1964 के तहत् 'पारिवारिक पेंशन योजना, 1964' के अधीन पारिवारिक पेंशन की दरें निम्नांकित प्रकार रूपान्तरित की जाती है –

सरकारी सेवक का वेतन	पारिवारिक पेंशन की मासिक राशि
(ए) 400 रु० से कम	वेतन का 30 प्रतिशत, न्यूनतम 60 रु० और अधिकतम 100 रु०
(बी) 400 रु० और उससे अधिक किन्तु 1,200 रु० से कम	वेतन का 15 प्रतिशत, न्यूनतम 100 रु० और अधिकतम 160 रु०
(सी) 1,200 रु० और उससे अधिक	वेतन का 12 प्रतिशत, न्यूनतम 160 रु० और अधिकतम 250 रु०

(ii) वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन०–101/66-9521 एफ०, दिनांक 5 दिसम्बर, 1966 और 22 जून, 1967 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की शर्तों के अनुसार निर्धारित बढ़ी हुई दरों पर अब पारिवारिक पेंशन राशि देय होगी –

(ए) सेवाकाल में सरकारी सेवक की मृत्यु की स्थिति में सात वर्षों तक या 65 वर्ष आयु प्राप्त करने तक यदि सरकारी सेवक जीवित रहा हो, जो भी अवधि कम हो ।

(बी) सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर बढ़ी हुई दर पर पेंशन उस तिथि तक जिसको मृत सरकारी सेवक, यदि जीवित रहा होता, 65 वर्ष की आयु प्राप्त करता या सात वर्षों तक, जो कम हो, देय होगी, किन्तु किसी भी हालत में सेवानिवृत्ति के समय सरकारी सेवक को स्वीकृत की गई पेंशन से अधिक नहीं होगी । तथापि यदि पूर्वोक्त उपकंडिका बी (1) के अधीन अनुमान्य पारिवारिक पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति के समय स्वीकृत पेंशन से अधिक होती हो तो इस उप-कंडिका में स्वीकृत पारिवारिक पेंशन राशि उस राशि से कम नहीं होगी । सेवानिवृत्ति के समय स्वीकृत पेंशन के अंतर्गत पेंशन का वह भाग भी होगा जो सेवानिवृत्त सरकारी सेवक मृत्यु के पहले लघुकृत (commute) किया होता ।

(iii) सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर उससे सम्बन्धित पारिवारिक पेंशन वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन०–103/64-9505, दिनांक 3 सितम्बर, 1964 की कंडिका 6 में यथापरिभाषित और उस सरकारी सेवक द्वारा सेवानिवृत्ति से पहले घोषित परिवार को देय होगी ।

(सी) **अशक्तता पेंशन** – जो सरकारी सेवक बिहार पेंशन नियमावली के अनुभाग 3 के अध्याय 6 और बिहार उदारीकृत पेंशन योजना, 1950 में अंतर्विष्ट प्रावधान की शर्तों के अनुसार अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी अशक्तता पेंशन राशि की गणना अनुलग्नक में दर्शायी गई दरों पर की जायेगी, परंतु अशक्तता पेंशन राशि ऊपर बी (1) में उल्लिखित पारिवारिक पेंशन राशि से कम नहीं होगी ।

2. ये आदेश उन राज्य सरकारी सेवकों पर लागू होंगे जो 1ली जनवरी, 1973 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं या जो आज के बाद सेवानिवृत्त होंगे । ये आदेश उन सरकारी सेवकों पर भी लागू होगा जो सेवाकाल के दौरान 31 दिसम्बर, 1972 को या उसके बाद कालकवलित हुए हैं या होंगे । [***बिहार राजपत्र, दिनांक 20–8–1975 में प्रकाशित संकल्प सं० 6796 एफ०, दिनांक 15–7–1975 ।]**

अनुबन्ध अमुद्रित ।

9.

***विषय : राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम राशि में वृद्धि ।**

वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 6796 एफ०, दिनांक 15–7–1975 के अनुसार मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा 30 (तीस) हजार रुपये तक प्रतिबन्धित थी । इस अधिकतम सीमा को बढ़ाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

2. राज्य सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् इस सीमा को 36 (छत्तीस) हजार रुपये तक बढ़ा देने हेतु निर्णय लिया गया है । यह आदेश दिनांक 31–1–1982 को या उसके बाद सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों के मामले में प्रभावकारी होगा । बिहार पेंशन नियमावली के नियम इस हद तक संशोधित समझा जाये । यथा समय संशोधन सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जायेगा ।

3. जो सरकारी सेवक उक्त तिथि को सेवानिवृत्त हुए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, के मामले में पुनरीक्षित उपदान सम्बन्धी प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा करें ।

4. जहाँ तक इस आदेश को उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/परिषद् के कर्मचारियों पर लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/परिषद् की सहमति/परामर्श प्राप्त कर बाद में आदेश निर्गत किया जायेगा । [***ज्ञाप संख्या पी०सी० 2–9–12/77/ 3254 वि०, दिनांक 21–4–1982 ।]**

10.

***विषय : राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम राशि में वृद्धि ।**

वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या 3254 वि०, दिनांक 21–4–1982 के अनुसार मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा 36 (छत्तीस) हजार रुपये तक प्रतिबन्धित थी । इस अधिकतम सीमा को बढ़ाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

2. राज्य सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् इस सीमा को 50 (पचास) हजार रुपये तक बढ़ा देने हेतु निर्णय लिया गया है । साथ ही उपदान की अनुमान्यता के लिए उपलब्धियों की अधिकतम सीमा 4,000 (चार हजार) रुपये करने का निर्णय लिया गया है ।

3. यह आदेश 31–3–1985 को या उसके बाद सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों के मामले में प्रभावकारी होगा । बिहार पेंशन नियमावली के सुसंगत नियम इस हद तक संशोधित समझा जाये । यथा समय संशोधन सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जायेगा ।

4. जो सरकारी सेवक उक्त तिथि को सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके मामले में पुनरीक्षित उपदान सम्बन्धी प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा करें ।

जहाँ तक इस आदेश को उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/परिषद् के सेवकों के लिए लागू करने का प्रश्न है, आवश्यक आदेश मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ परिषद् की सहमति/परामर्श प्राप्त कर बाद में निर्गत किया जायेगा । [***वित्त विभाग, ज्ञापांक 2–1–14/85–1 वि०, दिनांक 2–1–1986 ।]**

11.

***विषय : 31 मार्च, 1979 के पहले के राज्य सरकारी पेंशन–लाभियों पर उदारीकृत पेंशन सूत्र लागू होना ।**

राज्य सरकार ने अपने संकल्प सं० 7112 एफ०, दिनांक 4 सितम्बर, 1979 में 31 मार्च, 1979 को या उसके बाद की तिथि को सेवानिवृत्त हुए, अपने पेंशनलाभियों के लिए स्लैब पद्धति के आधार पर पेंशन गणना प्रारंभ की थी। स्लैब पद्धति के अनुसार इस उदारीकृत पेंशन सूत्र की दो मुख्य विशेषताएँ हैं – (1) अधिकतम 33 वर्षों की अर्हताप्रदायी सेवा की पेंशन के लिये आकलनीय औसत उपलब्धियों के प्रथम 1,000 रु० का 50 प्रतिशत, द्वितीय 500 रु० का 45 प्रतिशत और शेष राशि का 40 प्रतिशत की गणना की जायेगी और 33 वर्ष अर्हताप्रदायी सेवा से कम के लिए पेंशन अनुपातत: कम कर दी जायेगी; और (2) 33 वर्षों की अर्हताप्रदायी सेवा के लिए (अस्थायी वृद्धि समेत) पेंशन की उच्चतम सीमा 1,500 रु० प्रतिमाह होगी।

2. भारत सरकार ने अब उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर अपने उन पेंशनलाभियों तक उदारीकृत पेंशन सूत्र के लाभों का विस्तार कर दिया है जो 1ली अप्रैल, 1979 को उदारीकृत पेंशन नियमावली, 1950 के तहत् पेंशन प्राप्त करते थे।

अत: कुछ समय से राज्य सरकार के पेंशनलाभियों को भारत सरकार की प्रणाली पर पेंशन लाभ देने का प्रश्न विचाराधीन था। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद राज्य सरकार ने अब निम्नांकित निर्णय लिए हैं –

(i) निम्नांकित प्रकार के पेंशन में, उदारीकृत पेंशन सूत्र (स्लैब पद्धति) के लाभों को उन सभी पेंशनलाभियों तक विस्तृत किया जायेगा जो समय-समय पर यथासंशोधित उदारीकृत पेंशन नियमावली, 1950 के तहत् 1ली अप्रैल, 1971 को पेंशन प्राप्त करते थे –

(क) निवर्तमान पेंशन,

(ख) वार्धक्य पेंशन,

(ग) प्रतिपूर्ति पेंशन,

(घ) अशक्तता पेंशन।

(ii) जहाँ कहीं औसत उपलब्धियों की पहले 36 या 12 महीने की उपलब्धियों के आधार पर गणना की गई थी वहाँ सेवानिवृत्ति की तिथि के तुरंत पूर्ववर्ती 10 महीने के दौरान प्राप्त की गई औसत उपलब्धियों की गणना अनुमतेय होगी।

(iii) जिन मामलों में अर्हताप्रदायी सेवा की 30 वर्षों की उच्चतम सीमा के संदर्भ में पहले पेंशन निर्धारित की गई थी उनमें उदारीकृत पेंशन सूत्र के तहत् अर्हताप्रदायी सेवा की वास्तविक अवधि 33 वर्षों की उच्चतम सीमा के अध्यधीन, के संदर्भ में पेंशन निर्धारित की जायेगी।

3. यह भी निर्णय लिया गया है कि इन आदेशों के अनुसार बकाये की अदायगी 1ली अप्रैल, 1979 से की जायेगी। किन्तु 1ली अप्रैल, 1979 से 31 दिसम्बर, 1985 तक की अवधि के लिए पेंशन बकाये निम्नांकित अनुसार मुक्त किये जायेंगे –

(क) 500 रु० तक का बकाया दो त्रैमासिक किस्तों में मुक्त किया जायेगा।

(ख) 500 रु० से अधिक 2,000 रु० तक का बकाया चार त्रैमासिक किस्तों में मुक्त किया जायेगा।

(ग) 2,000 रु० से अधिक का बकाया आठ त्रैमासिक किस्तों में मुक्त किया जायेगा।

वैसे मामलों को छोड़कर जिनमें अल्पीकृत (कमूटेड) राशि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 640, दिनांक 8 मार्च, 1983 में निहित आदेश के अनुसार पुन:स्थापित की गई है, अन्य मामलों में अल्पीकृत राशि को काटकर पुनरीक्षित दर पर पेंशन की अदायगी 1ली जनवरी, 1986 के प्रभाव से की जायेगी।

जहाँ कहीं अनुमान्य हो, पेंशन की राहत इन आदेशों पर आधारित पुनरीक्षित पेंशन के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित की जायेगी। लेकिन पेंशन की अस्थायी वृद्धियाँ और राहत, जो पेंशनलाभियों को पहले ही 1ली अप्रैल, 1979 और 31 दिसम्बर, 1985 के बीच स्वीकृत की गई है, के सम्बन्ध में कोई पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। पेंशन, जैसा कि इस समय पुनरीक्षित है, पर अनुमान्य राहत 1ली, जनवरी, 1986 से समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंजूर की जायेगी।

4. इस पुनरीक्षण के फलस्वरूप प्रोद्भूत पेंशन की अतिरिक्त राशि के लिए कोई अल्पीकरण अनुमान्य नहीं होगा।

5. ये आदेश पूर्व में निर्धारित और अदा किये गये मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान को दुष्प्रभावित नहीं करेंगे।

6. इन आदेशों के आधार पर पारिवारिक पेंशन नहीं पुनरीक्षित की जायेगी क्योंकि वह स्लैब पद्धति पर नहीं तैयार की गई है। तथापि, कुछ निवर्तनोत्तर मृत्यु के मामलों में जहाँ पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर निवर्तमान-पेंशन तक सीमित होगी वहाँ इन आदेशों के आधार पर यथापुनरीक्षित निवर्तमान पेंशन के अनुसार पारिवारिक पेंशन में वृद्धि की जायेगी।

7. राज्य के कर्मचारी, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपने को 1ली अप्रैल, 1979 के पहले विलीन करवा लिया और पेंशन के एक-तिहाई रूपान्तरित मूल्य तथा पेंशन की एक-तिहाई अल्पीकरण के बाद शेष बची पेंशन राशि के रूपान्तरित मूल्य के बराबर अंतिम लाभ प्राप्त कर लिया है या प्राप्त करने का विकल्प दे दिया है, इन आदेशों के तहत् किसी लाभ के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि वे 1ली अप्रैल, 1979 को राज्य सरकार के पेंशनी नहीं थे। जिन मामलों में पेंशन का भाग ही रूपान्तरित किया गया है, उनमें इन आदेशों के अनुसार 1ली अप्रैल, 1979 के प्रभाव से पेंशन में वृद्धि की जायेगी।

8. उपर्युक्त निर्णयों के फलस्वरूप कुछ वैसे मामलों समेत, जिनमें तीन-चार दशक पूर्व पेंशन स्वीकृत की गई थी, बहुत सारे मामलों में पेंशन को फिर से रूपान्तरित करना आवश्यक होगा और भी, उनके सेवा अभिलेख और अन्य सुसंगत कागजात की आवश्यकता होगी। अनेक मामलों में सुसंगत अभिलेख तत्काल उपलब्ध नहीं होंगे और पेंशनी को समय पर लाभ नहीं मिल सकेगा। पेंशन की पुनर्गणना में देरी से बचने के लिये सम्बद्ध पेंशनलाभियों को कुछेक मान्यताओं पर विकसित किया गया तदर्थ सूत्र के आधार पर गणना की गई पुनरीक्षित पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार उन पेंशनलाभियों के सम्बन्ध में जिनकी पुनरीक्षित पेंशन 2,424 रु० तक की औसत उपलब्धियों पर तैयार करनी है, वर्तमान पेंशन की दर और सेवानिवृत्ति की विभिन्न तिथियों के संदर्भ में पुनरीक्षित पेंशन दर्शित करनेवाले तत्काल गणक अनुलग्न हैं (अनुलग्नक ए)।

9. यह भी निर्णय लिया गया है कि 2,424 रु० के ऊपर औसत उपलब्धियों वाले पेंशनलाभी (उनको छोड़कर जिनकी पेंशन 41 रु० से कम है) या तो उपर्युक्त कंडिका 8 में अंकित क्रमागत तदर्थ सूत्र पर आधारित पेंशन लेने का चुनाव करें या सेवा-अभिलेखों पर आधारित वास्तविक गणना के अनुसार पेंशन लें। इसके लिए प्रत्येक पेंशनलाभी को इस संकल्प के निर्गत की तिथि से छह महीने की अवधि के अन्दर दो विकल्पों में से एक के लिए विहित फारम में विकल्प देना आवश्यक है। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा जो निर्धारित समय के अन्दर विकल्प नहीं देंगे वे तत्काल गणक पर आधारित तदर्थ सूत्र के अनुसार पेंशन प्राप्त करने का कृत विकल्प माने जायेंगे।

10. कोषागार पदाधिकारियों को पेंशन की पुनर्गणना के लिये प्राधिकृत करने और तदर्थ सूत्र पर आधारित पेंशन प्राप्त करने के विकल्प देनेवाले पेंशनलाभियों को भुगतान करने के लिये प्राधिकृत करने का भी निर्णय लिया गया है।

जहाँ सेवा-अभिलेखों के संदर्भ में पेंशन-पुनरीक्षण के लिये विकल्प दिया गया है या जहाँ पेंशनलाभी विकल्प देने के उपयुक्त नहीं हैं वहाँ कोषागार पदाधिकारी सारे दस्तावेजों को महालेखाकार, बिहार को अग्रसारित कर देंगे।

पुनरीक्षित दर पर पेंशन की अदायगी तक पेंशनलाभी वर्तमान दर पर पेंशन निकालते रहेंगे, परन्तु उनकी पेंशन यथासमय पुनरीक्षित पेंशन के अध्यधीन होगी।

11. यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के जो पेंशनलाभी उदारीकृत पेंशन नियमावली, 1950 के आरंभ के पहले प्रवृत्त पेंशन लाभ के साथ सेवानिवृत्त हुए उन्हें भी उदारीकृत पेंशन सूत्र के लाभ दिये जायें, बशर्त्ते वैसे पेंशनलाभी नये सूत्र के तहत् पेंशन को अधिक लाभप्रद समझें। ऐसे मामलों में पेंशन को दस महीनों की वास्तविक औसत उपलब्धियों और वास्तविक अर्हताप्रदायी सेवा के आधार पर पेंशन का फिर से गणना करना आवश्यक होगा। स्वेच्छया कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है और मामलों पर फिर से विचार तभी किया जायेगा जब कोई पेंशनलाभी विशेष रूप से उदारीकृत पेंशन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होगा।

12. 1ली अप्रैल, 1979 जैसी पेंशन प्राप्त करने वाला पेंशनलाभी को सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी के पास विहित फारम में विधिवत् तैयार किया गया विकल्प के साथ विहित फारम में अपनी पेंशन की पुनर्गणना के लिए (आवेदन पत्र) देना होगा।

वैसे मामले में जिसमें पेंशनलाभी 1ली अप्रैल, 1979 की तारीख को जीवित था और बाद में दिवंगत हो गया, उसके विधिक उत्तराधिकारी भी 1ली अप्रैल, 1979 के प्रभाव से पेंशनलाभ की मृत्यु की तारीख तक जीवनपर्यंत बकाये पाने के हकदार होगा। इसके लिये भी विधिक उत्तराधिकारी सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकेंगे।

13. पेंशनलाभियों से पेंशन की पुनर्गणना के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोषागार पदाधिकारियों द्वारा की जानेवाली कार्रवाई के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया/अनुदेश इस संकल्प के अनुलग्नक 'बी' में अन्तर्विष्ट हैं।

14. यथास्थिति, सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार इस संकल्प की शर्तों के अनुसार 1ली अप्रैल, 1979 के प्रभाव से पेंशन की पुनर्गणना करके भुगतान प्राधिकृत कर सकते हैं।

कोषागार पदाधिकारी वास्तविक अदायगी करने में इस संकल्प की कंडिका 3 में अंतर्विष्ट प्रक्रिया अपनायेंगे।

15. पुनरीक्षित पेंशन की गणना करते समय अन्तरवर्त्ती उच्चतर रुपया तक पूर्णता देने को वित्त विभाग की परिपत्र सं० 15282 एफ०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में अंतर्विष्ट प्रावधान का पालन किया जायेगा।

16. स्पष्ट किया जाता है कि 31 मार्च, 1979 के पहले सेवानिवृत्त होनेवाले पेंशनलाभियों की पेंशन राहत उसी आवधिक अधिसीमा राशि की अध्यधीन होगी जो उस तारीख के बाद सेवानिवृत्त होनेवाले पेंशनलाभियों के लिए है।

17. पेंशनलाभियों को पुनरीक्षित पेंशन की अदायगी में विलम्ब से बचने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार कोषागार संहिता भाग I के नियम 344 (1) के तहत् बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के राज्य के भीतर उन पेंशनलाभियों को अदायगी की जायेगी जो तत्काल गणक के अनुसार, पुनरीक्षित पेंशन लेने का विकल्प देंगे।

कोषागार उन पेंशनलाभियों को कंडिका 8 और 9 में यथांतर्विष्ट पुनरीक्षित पेंशन देगा जो अनुलग्नक में संलग्न गणक के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन का विकल्प देंगे।

राज्य के बाहर पुनरीक्षित पेंशन की निकासी मात्र महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पर होगी।

सभी कोषागार पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है वे सम्बद्ध बैंकों को वैसे पेंशनलाभियों के बारे में जानकारी दे दें जो बैंक के माध्यम से अपनी पेंशन लेते हैं और तत्काल गणक में दर्शायी पुनरीक्षित दर पर पेंशन लेने का विकल्प देते हैं; सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी बैंक से आवश्यक पेंशन कागजात मँगाकर तत्काल-गणक में दर्शायी पुनरीक्षित दर के अनुसार पेंशन उपान्तरित कर देंगे और पुनरीक्षित दर के अनुसार अदायगी करने के लिए कागजात बैंकों को वापस कर देंगे।

महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि वह राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनलाभियों के सम्बद्ध में सम्बद्ध महालेखाकार को प्राधिकृत किये जाने सम्बन्धी संसूचना वित्त विभाग को अवश्य भेजें।

18. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय और बिहार विधान सभा/परिषद् में सेवा से निवृत्त पेंशनलाभियों का सम्बन्ध है, पटना उच्च न्यायालय, पटना के मुख्य न्यायाधीश/विधान सभाध्यक्ष/विधान परिषद् के सभापति से सहमति प्राप्त करने के बाद आवश्यक आदेश निर्गत किये जायेंगे।

19. बिहार पेंशन नियमावली को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। [***वित्त विभाग के संकल्प सं० 1618, दिनांक 6-5-1986 ।]**

आवेदन का प्रपत्र

(कण्डिका 12 में यथा प्रसंगित)

अमुद्रित।

अनुबन्ध–ख

1. **पुनरीक्षण**–सरकारी सेवकों के पेंशन सम्बन्धी मामले जिनमें पुनरीक्षण की आवश्यकता है तथा जिसमें पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है नीचे दिया जाता है –

वैसे मामले जिनमें पेंशन पुनरीक्षण की आवश्यकता है	वैसे पेंशनभोगी जो 30 मार्च, 1979 को या बाद में सेवानिवृत्त हुए और 1-4-1979 को जीवित थे	पेंशन जिसमें पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है
उस समय यदि पेंशनर जीवित है तो पेंशन का पुनरीक्षण (संबंधित) कोषागार पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा और बकाए का भुगतान यदि पेंशनर वित्त विभाग के पत्र संख्या 1618, दिनांक 6-5-1986 की कंडिका 9 के अनुसार विकल्प दिया हो, तो नीचे लिखे प्रकार के पेंशन के अनुक्रमणिका के अनुसार 1. निवृत्ति पेंशन 2. बुढ़ापा पेंशन 3. क्षतिपूरक पेंशन 4. अशक्तता पेंशन ।	यदि पेंशनर उस तिथि को जीवित नहीं है, तो उसके वैधिक उत्त-राधिकारी से सम्पूर्ण जीवन के बकाए के भुगतान हेतु, आवेदन पत्र प्राप्त कर महालेखाकार को अग्रसारित किया जायेगा ।	1. वैसे पेंशनभोगी जो 30-3-1979 को या उसके पहले सेवानिवृत्त हुए, लेकिन 1-4-1979 को जीवित नहीं थे । 2. वैसे पेंशनभोगी जो 31-3-1979 को या बाद में सेवानिवृत्त हुए । 3. पेंशन का प्रकार जिनका पुन-रीक्षण नहीं होना है – (क) तदर्थ/अनुग्रह पेंशन (ख) राजनीतिक पेंशन (ग) असाधारण पेंशन ।

2. विकल्प प्रपत्र – **अमुद्रित** ।

3. स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी द्वारा पुनरीक्षण हेतु परिकलन-फलक – **अमुद्रित** ।

4. **अमुद्रित** ।

5.1 रेडी रेकनर हेतु विकल्प – **अमुद्रित** ।

5.2 अभिश्रवों का अग्रसारण – **अमुद्रित** ।

5.3 **अमुद्रित** ।

6. **अमुद्रित** ।

7. **अमुद्रित** ।

खण्ड–ख – बकाए का परिकलन – परिकलन फलक की तैयारी

[**समीक्षा** : पेंशन के समायोजन हेतु वित्त विभाग के पत्र संख्या 1854 वि०, दिनांक 19-4-1990 स्वतः स्पष्ट है । वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्र सं० 3465, दिनांक 7-8-1990 तथा 7683, दिनांक 15-7-1973 में भी इसका उल्लेख है ।]

12.

***विषय : 31-3-1979 – पूर्व राज्य सरकारी पेंशनलाभियों को उदारीकृत पेंशन सूत्र का लागू होना ।**

राज्य सरकार ने वित्त विभाग की संकल्प संख्या 1618 एफ०, दिनांक 6-5-1986 के तहत् 31-3-1979 पूर्व के राज्य सरकारी पेंशनलाभियों को स्लैब पद्धति के अनुसार पेंशन गणना का लाभ प्रदान किया था । उपर्युक्त संकल्प की कंडिका 3 में यह भी निर्णय लिया गया था कि 1-4-1979 से 31-12-1985 तक के बीच पेंशन की अस्थायी वृद्धि और राहत पुनरीक्षित नहीं की जायेगी । इस वर्ग के पेंशनलाभियों को 1-1-1986 से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन पर राहत स्वीकृत की गई है ।

2. सावधानी से विचार करने के बाद राज्य सरकार ने संकल्प सं० 1618 एफ०, दिनांक 6 मई, 1986 की कंडिका 3 को आंशिक रूप से रूपान्तरित करते हुए 31-3-1979 पूर्व के 31-12-1979 तक के पेंशनलाभियों को अनुमान्य पुनरीक्षित पेंशन के आधार पर 1-4-1979 से 31-12-1985 की अवधि के लिए पेंशन में अस्थायी वृद्धि और महँगाई राहत का पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है । पूर्व में अदा की गई पेंशन की अस्थायी वृद्धि और राहत को समंजित करने के बाद पुनरीक्षित पेंशन की अस्थायी वृद्धि और राहत देय होंगी ।

3. उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप प्रोद्भूत बकाया का भुगतान 24 किस्तों में किया जायेगा । ऐसी पहली किस्त अगस्त, 1988 की पेंशन के साथ देय होगी । [***वित्त विभाग, संकल्प सं० पी०सी०-2-9-29/83-4709, दिनांक 30-8-1988 ।**]

13.

***विषय : पारिवारिक पेंशन के स्तर तक अशक्तता-पेंशन को बढ़ाने की स्वीकृति – बढ़ी हुई पेंशन पर राहत की अनुमान्यता-सीमा जिस हद तक बढ़ी हुई पेंशन का अल्पीकरण हो सकेगा ।**

वित्त विभाग की संकल्प संख्या 6796 एफ०, दिनांक 15 जुलाई, 1975 की कंडिका 1 की उपकंडिका (सी) के अनुसार अशक्तता पेंशन की राशि उक्त संकल्प की उपकंडिका बी (1) के तहत् अनुमान्य पारिवारिक पेंशन राशि से कम नहीं होगी । प्रश्न है कि यदि अशक्तता पेंशन की राशि उक्त संकल्प की कंडिका 1 की उप-कंडिका बी (1) के तहत् निर्धारित की गई पारिवारिक पेंशन राशि से कम पड़ती हो, तो उसे किस तरह बढ़ाई जायेगी । स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ अर्हता प्रदायी सेवा वर्षों और औसत उपलब्धियों के अनुसार कलित अशक्तता पेंशन की राशि उक्त संकल्प की उपकंडिका बी (1) के तहत् निर्धारित की गई पारिवारिक पेंशन से कम पड़ती हो वहाँ निम्नांकित दृष्टांतों के अनुसार अशक्तता पेंशन को पारिवारिक पेंशन के स्तर तक बढ़ा दिया जायेगा –

(1) अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक द्वारा ली गई उपलब्धियों के संदर्भ में संकल्प सं० 6796, दिनांक 15-7-1975 की उप कंडिका बी (1) के तहत् निर्धारित पारिवारिक पेंशन राशि ।	मानो	160 रु० प्रतिमास
(2) मूल अशक्तता पेंशन राशि, अर्थात् जो अर्हता प्रदायी सेवा-वर्षों और औसत उपलब्धियों के संदर्भ में निर्धारित की गई है ।	मानो	90 रु० प्रतिमास
(3) उपर्युक्त (2) की अशक्तता पेंशन राशि को उपर्युक्त (1) में दर्शायी राशि के स्तर तक लाने के लिए अनुमत यथार्थ पेंशन [अर्थात् उपर्युक्त (1) की राशि घटाव उपयुक्त (2) की राशि ।]	मानो	70 रु० प्रतिमास
(4) उपर्युक्त (2) और (3) में दर्शायी राशियों का योग जो अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप देय होगा ।	मानो	70 रु० प्रतिमास

पेंशन के रूपान्तरण के लिए केवल उपर्युक्त (2) में दर्शायी मूल अशक्तता पेंशन राशि की गणना की जायेगी । तथापि, उपर्युक्त (4) में दर्शायी राशि के आधार पर पेंशन में अस्थायी वृद्धि का निर्धारण होगा ।

2. इस ज्ञाप के प्रावधान उन सरकारी सेवकों को भी लागू होंगे जिन्हें और आगे सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ घोषित करते समय कोई वैसा पारिवारिक सदस्य नहीं था जो "समय-समय पर यथासंशोधित पारिवारिक पेंशन योजना, 1964" के अधीन पारिवारिक पेंशन लेने को उपयुक्त होगा ।

"समय-समय पर यथासंशोधित पारिवारिक पेंशन योजना, 1964" के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के अर्हता प्राप्त पारिवारिक सदस्यों को ज्ञाप सं० पेन०-103/64-9505 एफ०, दिनांक 3 सितम्बर, 1964 की कंडिका 5 (2) में परिभाषित किया गया है । [*** वित्त विभाग, ज्ञापांक पी०सी० 2-9-77/1831 एफ०, दिनांक 10-2-1978 ।**]

14.

***विषय : चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में पेंशनरी लाभ ।**

चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा यह अनुशंसा की गयी है कि जो भी सरकारी सेवक 10 वर्ष की पेंशन प्रदायी सेवा के पूर्व स्थायी रूप से लोक सेवा अथवा विशिष्ट सरकारी सेवा (पार्टिकुलर जॉब) के लिए शारीरिक

अथवा मानसिक रूप से असमर्थ हो, उन्हें असमर्थता पेंशन जो पारिवारिक पेंशन की अनुमान्य राशि से कम नहीं हो, बिहार पेंशन नियमावली के सुसंगत नियमों के अनुसार स्वीकृत किया जाये।

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जो सरकारी सेवक 10 वर्ष सेवा अवधि के पूर्व ही स्थायी रूप से लोक सेवा के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाये, उन्हें असमर्थता पेंशन स्वीकृत किया जाये। असमर्थता पेंशन की राशि किसी भी परिस्थिति में वित्त विभाग के संकल्प सं० 6796 वि०, दिनांक 15-7-1975 की कंडिका (सी) में अंकित प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक पेंशन योजना के अधीन अनुमान्य पेंशन की राशि से कम नहीं होगी। यह पेंशनरी लाभ उन सरकारी सेवकों को अनुमान्य होगा जो दिनांक 1-4-1981 को या उसके पश्चात् असमर्थ हो गये हों या होंगे।

3. वित्त विभाग की संकल्प संख्या 6667 वि०, दिनांक 20-7-1973 के प्रावधानों के अधीन किसी निम्नतर पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहा कोई सरकारी सेवक को यदि किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत किया जाता है, तो वह जिस पद पर प्रोन्नत किया जाता है उस पद पर कम वेतन पाता है, जब तक कि वह निम्नतर स्थानापन्न पद और उच्चतर स्थानापन्न पद दोनों मिलाकर तीन वर्षों की सेवा पूरी नहीं कर लेता है।

4. चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि उपर्युक्त संकल्प एवं बिहार सेवा संहिता के उक्त प्रावधान में निहित समय सीमा की शर्त्त को समाप्त किया जाये ताकि जो कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक तीन वर्ष पूर्व स्थानापन्न रूप से उच्चतर पद पर प्रोन्नत किये जाते हैं उन्हें अपने निम्नतर पद पर प्राप्त स्थानापन्न वेतन के आधार पर उच्चतर पद पर वेतन निर्धारित किया जाये, ताकि उन्हें पेंशन में घाटा नहीं हो।

5. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त कंडिका 4 से संबंधित कर्मचारियों के पेंशन की गणना हेतु इस प्रकार परिकल्पित उपलब्धि मानी जाये, जिससे कंडिका 3 में निर्देशित वित्त विभागीय संकल्प में अपेक्षित तीन वर्षों की सेवा पूरी करने संबंधी शर्त्त नहीं पूरी होने के कारण पेंशन में कोई घाटा नहीं हो। यह 1-10-1982 या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रभावी होगा।

6. पेंशन नियमावली तथा संकल्प संख्या 6667 वि०, दिनांक 20-7-1973 एवं बिहार सेवा संहिता के संगत उपबन्ध तद्नुसार संशोधित समझे जायेंगे।

7. जहाँ तक इस आदेश को उच्च न्यायालय, पटना विधान सभा/परिषद् के कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/परिषद् की सहमति/परामर्श प्राप्त कर बाद में आदेश निर्गत किया जायेगा। [***संकल्प संख्या पी०सी० 3 स्पेशल/82-1374 वि०, दिनांक 17-2-1983**]

15.

***विषय : दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के पेंशन के ढाँचे का योक्तिकीकरण।**

भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2/1//87 पी०आई०सी०/ दिनांक 16 अप्रैल, 1987 के जरिए दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के पेंशन के आधारभूत सिद्धान्त एवं ढाँचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित किया गया है। इस सम्बन्ध में फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था, जिसके फलस्वरूप इस कोटि के पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक को अनुमान्य पेंशन में परवर्त्ती कंडिकाओं के प्रावधानों के अनुसार संशोधन एवं परिवर्द्धन करने का निर्णय लिया गया है।

2.1 प्रभाव की तिथि – इस संकल्प में निहित पेंशन का पुनरीक्षित प्रावधान दिनांक 1 जनवरी, 1986 के प्रभाव से वैचारिक रूप से (नोशनली) लागू होंगे एवं उनका आर्थिक लाभ दिनांक 1 मार्च, 1989 के प्रभाव से ही देय होगा।

2.2 इस आदेश में प्रयुक्त "वर्तमान पेंशनधारक" अथवा "वर्तमान पारिवारिक पेंशनधारक" से दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान लेने वाले या हकदार व्यक्ति अभिप्रेत है। उक्त शब्दों की परिधि में दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान अभी तक शुरू नहीं

हुआ है, क्योंकि सम्बन्धित पेंशनभोगी कर्मचारी अभी तक जीवित है अथवा दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 तक जीवित थे।

2.3 इस आदेश के अन्तर्गत प्रयुक्त "वर्तमान पेंशन" से दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 को पेंशन की रूपान्तरित राशि सहित मूल पेंशन अभिप्रेत है।

2.4 इस आदेश में प्रयुक्त "वर्तमान पारिवारिक पेंशन" से बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 को देय मूल पारिवारिक पेंशन अभिप्रेत है।

2.5 इस आदेश में प्रयुक्त "वर्तमान महँगाई राहत" से वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4746 वि०, दिनांक 29 दिसम्बर, 1986 के जरिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 बिन्दु के आधार पर स्वीकृत महँगाई राहत अभिप्रेत है।

3.1 वर्तमान पेंशनधारकों के लिए अतिरिक्त राहत – राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणियों के वर्तमान पेंशनधारकों को निम्नलिखित दर पर अतिरिक्त राहत अनुमान्य होगी –

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1979 तक सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनके पेंशन की गणना करने में महँगाई भत्ते को वेतन में शामिल नहीं किया है।

(ख) पारिवारिक पेंशनभोगी।

(ग) असाधारण पेंशनभोगी।

500 रु० प्रतिमाह तक या उससे कम पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों के मामले में वर्तमान पेंशन तथा वर्तमान राहत के योग के 15 प्रतिशत के समतुल्य राशि अतिरिक्त राहत के रूप में अनुमान्य होगी, लेकिन यह राशि 75 रु० से कम नहीं होगी;

500 रु० प्रतिमाह से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनधारकों के मामले में अतिरिक्त राहत वर्तमान पेंशन के 95 प्रतिशत के समतुल्य राशि में से वर्तमान राहत अर्थात् 638 रु० घटाने के बाद आने वाली राशि के बराबर होगी। किन्तु यदि वह धन राशि ऋण (–) में हो तो 175 रु० से कम हो, तो अनुमान्य अतिरिक्त राहत न्यूनतम 175 रु० होगी।

3.2 (क) दिनांक 1 जनवरी, 1980 से दिनांक 31 मार्च, 1981 तक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिसके पेंशन के निर्धारण में महँगाई भत्ता को वेतन में शामिल किया गया हो;

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1981 के बाद सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिन्होंने चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं के बाद प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के पूर्व में प्रचलित वेतनमान में ही रहने का विकल्प दिया हो।

500 रु० प्रतिमाह तथा उससे कम पेंशन पाने वाले पेंशनधारकों के मामले में उनके वर्तमान पेंशन तथा वर्तमान राहत के योग के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि अतिरिक्त राहत के रूप में अनुमान्य होगी, किन्तु राशि 50 रु० से कम नहीं होगी।

500 रु० प्रतिमाह से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनधारकों के मामले में अतिरिक्त राहत उनके वर्तमान पेंशन के 80 प्रतिशत की दर से परिगणित राशि में से वर्तमान राहत यानि 538 रु० घटाकर आने वाली धनराशि के बराबर होगी। किन्तु यदि ऐसी धन राशि ऋण (–) में हो अथवा रु० 125 रु० से कम हो तो अनुमान्य अतिरिक्त राहत की राशि रु० 124 से कम नहीं होगी।

3.3 दिनांक 1 अप्रील, 1981 से दिनांक 30 मार्च, 1985 तक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिनका वेतन दिनांक 31 मार्च, 1981 तक सम्पूर्ण महँगाई भत्ते को वेतन में शामिल कर दिनांक 1 अप्रील, 1981 निर्धारित किया गया है। 500 रु० तथा उससे कम प्रतिमाह पेंशन पाने वाले पेंशनधारकों के मामले में अतिरिक्त राहत वर्तमान पेंशन तथा वर्तमान राहत के योग के 10 प्रतिशत के बराबर होगी एवं इसकी न्यूनतम राशि 50 रु० से कम नहीं होगी।

500 रु० से अधिक प्रतिमाह पेंशन पाने वाले पेंशनधारकों के मामले में अतिरिक्त राहत वर्तमान पेंशन के 50 प्रतिशत की दर से परिगणित राशि में से वर्तमान राहत यानी 338 रु० घटाने के बाद आने वाले राशि के बराबर होगी। किन्तु यदि राशि 85 रु० से कम हो या ऋण (–) में हो, तो अनुमान्य अतिरिक्त राहत न्यूनतम 85 रु० होगी।

3.4 दिनांक 31 मार्च, 1985 को अथवा उसके बाद दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 तक सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के मामले में उपर्युक्त कंडिका (3.1), (3.2) एवं (3.3) के अनुरूप अतिरिक्त राहत अनुमान्य नहीं होगी ।

3.5 यदि किसी मामले में गणना करने पर अतिरिक्त राहत की धन राशि पूर्ण रुपये भिन्नांक (फ्रैक्शन) में आती हो तो उसे वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 15282 वित्त, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के अनुरूप अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा ।

4. स्लैब सूत्र के बदले में औसत परिलब्धियों के 60 प्रतिशत की दर से पेंशन का पुनर्निर्धारण –

भारत सरकार के निर्णय को गौर करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान पेंशनभोगियों के मामले में, जिनके पेंशन की गणना पहले स्लैब सूत्र के आधार पर की गई थी, अब पेंशन का पुनर्निर्धारण औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से किया जाएगा । औसत परिलब्धि का तात्पर्य सेवानिवृत्ति के ठीक दस माह पूर्व की अवधि में प्राप्त परिलब्धियों के औसत से है । उक्त रीति से पुनर्निर्धारित पेंशन की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी । फिर भी इन मामलों में पेंशन प्रदायी सेवा मापदण्ड पूर्ववत् रहेगी । इस उपबन्ध के अधीन अथवा इसके पूर्व की कंडिका (3.1), (3.2) एवं (3.3) के अधीन जो अतिरिक्त पेंशन होगी, उसका लघुकरण नहीं किया जायेगा और न ही इसे पूर्ववर्त्ती कंडिका (3.1), (3.2) एवं (3.3) के अधीन जो अतिरिक्त पेंशन देय होगी, उसका लघुकरण नहीं किया जायेगा और न ही इसे पूर्ववर्त्ती कंडिका (3.1), (3.2) एवं (3.3) में स्वीकृत अतिरिक्त राहत की गणना हेतु वर्तमान पेंशन में शामिल किया जायेगा ।

5.1 पेंशन का समेकन (कनसोलिडेशन) – (क) वर्तमान पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन दिनांक 1 जनवरी, 1986 के प्रभाव से वैचारिक रूप में निम्नांकित धन राशि को सम्मिलित कर किया जायेगा –

(i) वर्तमान पेंशन/वर्तमान पारिवारिक पेंशन;
(ii) वर्तमान महँगाई राहत; तथा
(iii) उपर्युक्त कंडिका (3.1), (3.2) एवं (3.3) के अन्तर्गत अनुमान्य अतिरिक्त राहत तथा कंडिका (4) के अन्तर्गत स्वीकृत अतिरिक्त पेंशन ।

परन्तु उपर्युक्त प्रणाली के अनुसार समेकित पेंशन का वास्तविक भुगतान दिनांक 1 मार्च, 1989 के प्रभाव से ही होगा । इसका अभिप्राय यह है कि दिनांक 1 जनवरी, 1986 से दिनांक 28 फरवरी, 1989 की अवधि के लिए पेंशन के समेकन के आधार पर किसी प्रकार का बकाया देय नहीं होगा । इसके आधार पर पेंशन का मासिक/नियमित भुगतान करते समय समेकित पेंशन की राशि में से पेंशन की रूपान्तरित राशि घटा दी जायेगी, क्योंकि पेंशन की समेकित राशि में पेंशन की रूपान्तरित राशि भी शामिल है ।

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1985 से दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 तक सेवानिवृत्त पेंशनधारकों के मामले में यदि पूर्व में कोई वैयक्तिक पेंशन स्वीकृत हुआ है, तो वह वैयक्तिक पेंशन इस आदेश के निर्गत होने के बाद भी अनुमान्य होता रहेगा और इस वैयक्तिक पेंशन की उपर्युक्त कंडिका (5.1) के प्रयोजन हेतु पेंशन का भाग नहीं माना जायेगा ।

5.2 उपर्युक्त कंडिका (5.1) (क) के अनुसार समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन यदि 375 रु० प्रतिमाह से कम हो, तो उसे बढ़ाकर दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 375 रु० कर दिया जायेगा और उक्त तिथि से उनका पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 375 रु० ही होगा । एक से अधिक प्रकार के पेंशन पाने वाले पेंशनधारकों के मामले में 375 रु० की न्यूनतम सीमा सभी प्रकार के पेंशन के योग पर निर्धारित की जायेगी ।

5.3 सेवायोजित/पुनर्नियोजित पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक के मामले में अतिरिक्त राहत की गणना हेतु परिकल्पित (नोशनल) महँगाई राहत की उस राशि को आधार माना जायेगा, जो उन्हें सेवायोजित/पुनर्नियोजित नहीं रहने की स्थिति में अनुमान्य होती और उसी के आधार पर उपर्युक्त कंडिका 5.1 (क) के अधीन उनके पेंशन का समेकन किया जायेगा । दिनांक 1 जनवरी, 1986 से उनका वेतन उपर्युक्त कंडिका 5.1 (ख) के अनुसार समेकन पेंशन के परिप्रेक्ष्य में पुनर्निर्धारित किया जायेगा । चूँकि पुनरीक्षित पेंशन का आर्थिक लाभ दिनांक 1 मार्च, 1989 से दिया जा रहा है अतः दिनांक 1 जनवरी, 1986 से दिनांक 28 फरवरी, 1989 तक प्राप्त वेतन से इसकी कटौती नहीं की जायेगी, परन्तु दिनांक 1 मार्च, 1989 से उन्हें इसके आलोक में

पुनर्निर्धारित वेतन का ही भुगतान किया जायेगा। दिनांक 1 जनवरी, 1986 के उपरान्त होने वाली मूल्य वृद्धि के आधार पर पेंशनभोगियों को स्वीकृत महँगाई राहत सेवायोजित/पुनर्नियोजित रहने की अवधि में कर्मचारियों को अनुमान्य नहीं होगी।

5.4 (क) 500 रु० प्रतिमाह अथवा उससे कम वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के मामले में पेंशन के पुनरीक्षण हेतु सभी कोषागार पदाधिकारी/उप-कोषागार पदाधिकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्राधिकृत किया जाता है।

(ख) 500 रु० प्रतिमाह से अधिक वर्तमान पेंशन पाने वाले पेंशनधारकों के पेंशन का समेकन दो चरणों में किया जायेगा। प्रथम चरण में वर्तमान पेंशन, वर्तमान महँगाई राहत और उपर्युक्त कंडिका 3.1, 3.2 एवं 3.3 के अन्तर्गत अनुमान्य अतिरिक्त राहत की राशि जोड़कर आंशिक रूप से पेंशन का समेकन करने के लिये कोषागार पदाधिकारियों/उप-कोषागार पदाधिकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्राधिकृत किया जाता है।

5.5 द्वितीय चरण में उपर्युक्त कंडिका के अनुसार पेंशन की देय राशि के सम्बन्ध में पेंशन भुगतान पदाधिकारी को महालेखाकार द्वारा सूचना दी जायेगी। इसके लिये सम्बन्धित पेंशनर को किसी प्रकार का आवेदन-पत्र किसी भी स्तर पर देने की आवश्यकता नहीं होगी। पुनरीक्षित पेंशन के सम्बन्ध में महालेखाकार से सूचना प्राप्त होने पर पुनरीक्षित पेंशन और पूर्व में समेकित पेंशन के अन्तर की राशि का भुगतान पेंशन भुगतान प्राधिकारी द्वारा किया जाये। इसके लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

6.1 प्रचलित नियमों के अन्तर्गत सम्प्रति पारिवारिक पेंशन निम्नांकित दो दर पर अनुमान्य होता है –

(i) सामान्य दर;

(ii) वर्द्धित दर, जो सरकारी सेवक/पेंशनर की मृत्यु के बाद प्रथम सात वर्ष तक उसके जीवित रहने की स्थिति में उसकी 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि तक, दोनों में जो भी पहले हो, अनुमान्य होता है। इस आदेश के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन का समेकन निम्नवत् किया जाये –

(क) सामान्य दर वाले पारिवारिक पेंशन के मामलों में अतिरिक्त राहत कंडिका 3.1, 3.2 एवं 3.3 के अनुसार अनुमान्य होगा तथा उसका समेकन उपर्युक्त कंडिका 5.1 के अन्तर्गत किया जायेगा। समेकन के पश्चात् यदि पारिवारिक पेंशन 375 रु० से कम होगा, उसे 375 रु० कर दिया जायेगा।

(ख) वर्द्धित दर वाले पारिवारिक पेंशन के मामले में समेकन वर्द्धित दर तथा सामान्य पद पर अलग-अलग किया जायेगा, ताकि वर्द्धित दर पर पेंशन के भुगतान में कोई कठिनाई नहीं हो। अतिरिक्त राहत की गणना भी ऐसे मामलों में दोनों दर पर अलग-अलग की जायेगी। 375 रु० की न्यूनतम सीमा दोनों मामलों में अलग-अलग निर्धारित की जायेगी।

6.2 जिन मामलों में संबंधित पेंशनभोगी कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी, 1986 को जीवित थे और जिनके पेंशन भुगतान आदेश में सामान्य दर एवं वर्द्धित दर पर अनुमान्य पारिवारिक पेंशन की राशि अंकित है, उनमें पारिवारिक पेंशन का समेकन उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी द्वारा ही किया जायेगा और पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की दोनों दर का उल्लेख पेंशन भुगतान आदेश के दोनों अर्द्धभागों पर कर दिया जायेगा। पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षित दर से भुगतान सम्बन्धित पेंशनभोगी कर्मचारी की मृत्यु के बाद की तिथि से शुरू होगा।

7. (क) पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंशनधारकों के पुनरीक्षित पेंशन के भुगतान में विलम्ब न हो, इस हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग 1 के नियम 344 (1) को शिथिल कर बिना महालेखाकार के प्राधिकार पत्र के ही समेकित एवं आंशिक समेकित पेंशन का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। पेंशनधारक/ पारिवारिक पेंशन धारक द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा समेकित पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा।

(ख) राज्य के बाहर रहने वाले और पेंशन का भुगतान लेने वाले राज्य के पेंशनभोगी कर्मचारियों के समेकित पेंशन का भुगतान महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही किया जायेगा।

(ग) सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पेंशन का भुगतान लेनेवाले पेंशनभोगियों के मामले में सम्बन्धित बैंक की सभी शाखाओं को इस संकल्प के प्रावधानों के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन/आंशिक समेकन का संग्रगणक (रेडी रेकनर) के अनुसार भुगतान करने हेतु भेज दें। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य से बाहर पेंशन का भुगतान लेने वाले पेंशनभोगियों के प्रसंग में प्राधिकार पत्र अन्य राज्यों के महालेखाकार को अविलम्ब भेजने की व्यवस्था की जाये तथा उसकी एक प्रति इस विभाग को भी भेजी जाये।

8. इस संकल्प के प्रावधानों के निर्वाचन से सम्बन्धित विवाद/संविदा के समाधान करने हेतु केवल वित्त विभाग ही सक्षम है और वित्त विभाग द्वारा दी गई व्यवस्था ही अंतिम होगी। [***संकल्प संख्या 1854 वि०, दिनांक 19-4-1990**]

16.

***विषय : राज्य सरकार के सेवीवर्ग के पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा उपदान के प्रावधानों में फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से पुनरीक्षण।**

राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपदान आदि से सम्बन्धित मामलों पर भारत सरकार के कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगियों कल्याण मंत्रालय) के पत्रांक एफ 45/86/97 पी० एण्ड वी०डब्लू० (ए०) भाग 1, दिनांक 27 अक्टूबर, 1997 के आलोक में फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त, राज्य सरकार द्वारा अपने सेवीवर्ग के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों में, केन्द्र सरकार के तत्सम्बन्धी नियमों के अनुरूप, परवर्त्ती कंडिकाओं के अनुसार, पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है।

2. प्रभाव की तिथि –

(i) इस संकल्प में निहित पेंशन एवं उपदान के पुनरीक्षित प्रावधान वैसे सरकारी सेवकों में लागू होंगे, जो दिनांक 1 जनवरी, 1996 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं अथवा जिनकी मृत्यु दिनांक 1 जनवरी, 1996 को अथवा उसके बाद सेवाकाल में हुई हो। दिनांक 1 जनवरी, 1996 के प्रभाव से पेंशन का पुनरीक्षण केवल वैचारिक रूप से किया जायेगा एवं पेंशन पुनरीक्षण का आर्थिक लाभ दिनांक 1 अप्रैल, 1997 के प्रभाव से ही अनुमान्य होगा। इसका अर्थ यह है कि 1 जनवरी, 1996 से 31 मार्च, 1997 की अवधि के लिए किसी प्रकार का बकाया देय नहीं होगा।

(ii) उक्त कोटि के जिन मामलों में इस आदेश के निर्गत होने के पहले ही औपबंधिक पेंशन स्वीकृत हुआ हो, उसका पुनरीक्षण इस संकल्प में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। जिन मामलों में वित्त-विभाग के संकल्प संख्या 1853 वि०, दिनांक 19 अप्रैल, 1990 एवं अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व ही पेंशनादि की अन्तिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई हो, उनका भी पुनरीक्षण, वर्तमान आदेश के अनुसार किया जायेगा, बशर्ते कि इस प्रकार का पुनरीक्षण पेंशनभोगी के लिए लाभकारी हो।

3. परिलब्धियाँ –

(i) पेंशन हेतु परिलब्धियाँ—पेंशन की गणना हेतु परिलब्धियों से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 26(ए) (i) में उल्लिखित मूल वेतन सहित गत्यावरोध वेतनवृद्धि की राशि तथा ह्रासमान वैयक्तिक वेतन की राशि से अभिप्रेत है। जिसका भुगतान सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि को किया गया है। इस प्रकार, औसत परिलब्धियों का निर्धारण सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति के ठीक दस माह पूर्व की अवधि में प्राप्त परिलब्धियों के आधार पर किया जायेगा।

(ii) पारिवारिक पेंशन हेतु परिलब्धियाँ—पारिवारिक पेंशन की गणना हेतु परिलब्धियों से अभिप्रेत है, सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा सेवाकाल में मृत्यु की दशा में मृत्यु की तिथि को प्राप्त मूल वेतन (गत्यावरोध वेतन वृद्धि तथा ह्रासमान वैयक्तिक वेतन की राशि सहित, अगर अनुमान्य हो)।

(iii) उपदान की गणना हेतु परिलब्धियाँ—उपदान की गणना हेतु परिलब्धियों से अभिप्रेत है, सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु की दशा में मृत्यु की तिथि को प्राप्त मूल-वेतन (वृद्धिरोध वेतन वृद्धि और ह्रासमान वैयक्तिक वेतन की राशि सहित, अगर अनुमान्य हो) तथा उक्त तिथि को निर्धारित दर से अनुमान्य महँगाई भत्ते के योगफल की राशि।

4. पेंशन –

(i) पेंशन की दर–वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1853 वि०, दिनांक 19-4-1990 द्वारा यथा संशोधित पद्धति के अनुसार अब भी पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से की जायेगी । पेंशन प्रदायी सेवा के आधार पर पेंशन की राशि के निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ववत् रहेगी ।

(ii) पेंशन की राशि के निर्धारण में यह ध्यान रखा जायेगा कि सेवानिवृत्ति की तिथि को विभाग के जिस पद से सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हुआ हो, उस पद के लिए वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 660 वि०, दिनांक 8-2-1999 में स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान के प्रारंभिक वेतन की राशि के 50 प्रतिशत से पेंशन की राशि कम नहीं हो । 33 वर्षों से इन पेंशन प्रदायी सेवा की स्थिति में इस राशि का निर्धारण आनुपातिक रूप से किया जायेगा ।

(iii) पेंशन की स्वीकृति की निम्नतम राशि–पेंशन की न्यूनतम राशि 375 रुपये के स्थान पर 1,275 रुपये प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम राशि वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 660 (वि०), दिनांक 8-2-1999 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम वेतन की 50 प्रतिशत राशि होगी ।

(iv) वैसे सरकारी सेवक जो दिनांक 1 जनवरी, 1996 से 31 अक्टूबर, 1996 के बीच की तिथियों में सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा कतिपय कारणों से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, के 10 महीने की औसत परिलब्धियों की संगणना, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक का०स० 45/86/97 पें० एवं पें०क०भो०वि० (ए)० भाग 1, दिनांक 18 अक्टूबर, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधानों के अनुकूल निम्न प्रक्रियानुसार अनुमान्य होगी –

(क) दिनांक 1-1-1996 के पूर्व के महीनों में अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन के लिए परिलब्धियों की संगणना निम्नांकित के योगफल पर की जायेगी –

(i) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतनवृद्धि सहित यदि इस अवधि में स्वीकृत की गई हो),

(ii) अपुनरीक्षित वेतन पर 148 प्रतिशत/111 प्रतिशत/96 प्रतिशत की दर से अनुमान्य महँगाई भत्ता,

(iii) संगत महीनों में प्राप्त अपुनरीक्षित मूल वेतन पर अनुमान्य अंतरिम सहायता की प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि और,

(iv) अपुनरीक्षित मूल वेतनमान की 40 प्रतिशत की दर से 'फिटमेंट वेटेज' की राशि ।

(ख) दिनांक 1-1-1996 और उसके उपरान्त महीनों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान में अनुमान्य परिलब्धियों (अनुमान्य वैचारिक परिलब्धियाँ) उपर्युक्त 'क' एवं 'ख' के योगफल का दसवाँ भाग "औसत परिलब्धियों" की राशि होगी ।

सुविधा प्रदान करने हेतु इस संकल्प के अनुलग्नक 1 एवं अनुलग्नक 2 में औसत परिलब्धियों की संगणना के दो उदाहरण दर्शाये गये हैं ।

5. पारिवारिक पेंशन –

(i) वित्त विभाग की संकल्प संख्या 1853, दिनांक 19-4-1990 में अंगीकृत पद्धति को समाप्त करते हुए, अब सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा सेवाकाल में सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों की 3 प्रतिशत, पारिवारिक पेंशन की राशि होगी ।

(ii) पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि–पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 375 रुपये के स्थान पर 1,275 रुपये प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम राशि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 वि०, दिनांक 8-2-1999 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान की अधिकतम वेतन की 30 प्रतिशत राशि होगी ।

(iii) पारिवारिक पेंशन के निर्धारण में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सरकारी सेवक के पद के लिए निर्धारित नये वेतनमान के प्रारम्भिक वेतन के 30 प्रतिशत से कम पारिवारिक पेंशन की राशि नहीं होगी ।

(iv) पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु परिवार की परिभाषा–वित्त विभाग के ज्ञापांक 9505 वि०, दिनांक 3 अक्टूबर, 1964 द्वारा परिचालित बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1964 की कंडिका 7 की उपकंडिका (ii) का आंशिक संशोधन करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार द्वारा अपनाये गये वर्तमान नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु परिवार की परिभाषा में ...

(क) जीवित माता एवं पिता जो सरकारी सेवक पर पूर्णरूपेण आश्रित हों, को भी सम्मिलित किया जाए, बशर्ते कि सरकारी सेवक मृत्योपरान्त अपनी विधवा अथवा कोई सन्तान जीवित नहीं छोड़ गया हो, तथा माता-पिता की आय 2,550 रुपये से अधिक नहीं होगी, तथा

(ख) पुत्र/पुत्री जिसमें विधवा, परित्यक्ता पुत्री भी सम्मिलित हैं, को उनकी 25 वर्षों की आयु पूरी करने तक अथवा पुत्री के मामले में विवाह-पुनर्विवाह की तिथि तक जो भी पहले हो, को भी सम्मिलित किया जाये।

6. मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान –

(i) सेवानिवृत्ति उपदान–दिनांक 1-4-1997 को अथवा उसके बाद राज्य सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति उपदान की राशि वर्तमान सिद्धान्त की भाँति उसकी पेंशन प्रदायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की परिलब्धियों की एक-चौथाई (1/4) राशि होगी, जो परिलब्धियों के 16.5 गुणा से अधिक नहीं होगी। दिनांक 1-4-1997 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम राशि 3.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

(ii) मृत्यु उपदान–सरकारी सेवक के सरकारी सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की स्थिति में, पूर्व की भाँति, मृत्यु उपदान की गणना वित्त विभाग की संकल्प संख्या 1853, दिनांक 19-4-1990 की कंडिका 3 (iii) के अनुसार निम्नांकित रीति से की जाएगी –

क्रमांक	सेवा अवधि	उपदान की राशि
1.	एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दो गुणा
2.	एक वर्ष से अधिक पर 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों का छः गुणा
3.	5 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 गुणा
4.	बीस वर्ष या अधिक	पेंशन प्रदायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए परिलब्धियों का आधा जो परिलब्धियों के 33 गुणा से अधिक न हो। दिनांक 1-4-1997 अथवा उसके बाद सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में अधिकतम सीमा 3.50 लाख रुपये होगी।

7. पेंशन का रूपान्तरण –

(i) वित्त विभाग की संकल्प संख्या 1853 वि०, दिनांक 19-4-1990 की कंडिका 5 के प्रावधानों को आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1997 एवं उसके बाद सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के मामलों में, इस संकल्प की कंडिका 4(1) के अन्तर्गत 50 प्रतिशत की दर से निर्धारित पेंशन की अधिकतम 40 प्रतिशत के रूपान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है।

(ii) राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक, अपने पेंशन की वांछित राशि जो स्वीकृत पेंशन की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो का रूपान्तरण हेतु, आवेदन-पत्र, संशोधित नये पेंशन प्रपत्र 4 में मनोनयन पत्र के साथ उपस्थापित कर सकेंगे। ऐसे प्रत्येक मामले में महालेखाकार, बिहार, पेंशन भुगतान आदेश के साथ ही पेंशन की 40 प्रतिशत राशि अथवा पेंशन के आवेदित अंश के रूपान्तरित मूल का प्राधिकार पत्र निर्गत कर देंगे। यह प्रक्रिया आगामी वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी। अर्थात् दिनांक 1-4-2000 के प्रभाव से पेंशन रूपान्तरण हेतु नए पेंशन प्रपत्र संख्या 4 में आवेदित करना होगा। तबतक 40 प्रतिशत या उससे कम वांछित राशि के रूपान्तरण का कार्य पूर्व प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। सुलभ प्रसंग हेतु, दिनांक 1-4-2000 से प्रभावी नए संशोधित पेंशन प्रपत्र संख्या 4 का नमूना इस संकल्प के साथ संलग्न है।

(iii) दिनांक 1 अप्रैल, 1997 के पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिनका पेंशन रूपान्तरण वित्त विभाग की संकल्प संख्या 1853, दिनांक 19-4-1990 के प्रावधानों के तहत् किया है के मामले में निर्धारित पेंशन की प्रतिशत राशि से पूर्व में की गई रूपान्तरित पेंशन की राशि घटाकर शेष पेंशन की राशि के रूपान्तरण की अनुमति पेंशनधारियों को होगी। इसके लिए पेंशनधारियों को स्वास्थ्य परीक्षा कराना आवश्यक नहीं होगा चाहे पूर्व में उनके पेंशन का रूपान्तरण स्वास्थ्य परीक्षा के आधार पर ही किया गया हो अथवा बिना स्वास्थ्य परीक्षा कराये

हुआ हो । ऐसे प्रत्येक मामले में पेंशन भुगतान आदेश के साथ ही महालेखाकार अन्तर पेंशन के रूपान्तरित मूल्य का प्राधिकार पत्र भी निर्गत कर देंगे एवं पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान भी पेंशन की रूपान्तरित राशि के कटौती के बाद किया जाएगा ।

(iv) स्वास्थ्य परीक्षा के मामले आवेदन-पत्र स्वास्थ्य परीक्षा हेतु वित्त विभाग द्वारा सीधे सम्बन्धित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा । ऐसे मामलों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाता है ।

8. महँगाई राहत – राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को केन्द्रीय दर पर एवं केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार महँगाई राहत दिया जाए । भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों हेतु पुनरीक्षित/समेकित/पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर निम्नांकित दर से महँगाई राहत स्वीकृत की गई है –

क्रमांक	प्रभाव की तिथि	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर	
1.	1-1-1997	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का	8 प्रतिशत
2.	1-7-1997	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का	13 प्रतिशत
3.	1-1-1998	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का	16 प्रतिशत
4.	1-7-1998	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का	22 प्रतिशत
5.	1-1-1999	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का	32 प्रतिशत
6.	1-7-1999	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का	37 प्रतिशत

तदनुसार दिनांक 1 अप्रैल अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को इस आदेश के अनुसार निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर उपर्युक्त दर से महँगाई राहत देय होगा ।

9. दिनांक 1 जनवरी, 1996 से दिनांक 31 मार्च, 1997 तक सेवानिवृत्त हुए/होने वाले सरकारी सेवकों को यह विकल्प देने की सुविधा रहेगी कि इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व, प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत अपना पेंशन/उपदान प्राप्त कर सकते हैं ।

10. बकाये राशि का भुगतान – राज्य सरकार के पेंशनभोगी जो दिनांक 1 जनवरी, 1996 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिनके पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण पूर्व नियमों के अनुसार किया गया है, के बकाये राशि का भुगतान वित्त विभाग द्वारा दिनांक 1-4-1997 के बाद समय-समय पर निर्गत महँगाई राहत एवं अन्तरिम राहत से सम्बन्धित निर्गत संकल्पों द्वारा स्वीकृत दरों से भुगतान की गई राशि एवं पूर्व निर्धारित पेंशन की राशि को समंजित कर किया जायेगा ।

बकाए राशि का भुगतान तीन वार्षिक किस्तों में किया जाएगा । बकाए राशि की प्रथम किस्त का भुगतान जून, 2000 माह में, द्वितीय किस्त का जून, 2001 में एवं तृतीय किस्त का भुगतान जून, 2002 में किया जाएगा ।

11. महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि इस संकल्प में निहित प्रावधानों के आधार पर पेंशनभोगी कर्मचारियों के मामले में पुनरीक्षित पेंशन/पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन एवं सेवानिवृत्त/मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र यथाशीघ्र निर्गत करें । अन्य राज्यों में रहने वाले तथा अपने पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले इस राज्य के पेंशन/ पारिवारिक पेंशनधारकों को भी इस आदेश के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान करने हेतु अन्य राज्यों के महालेखाकारों को प्राधिकार निर्गत किया जाए तथा उसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाए । कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारियों से अनुरोध है कि पेंशन का भुगतान इस आदेश के अनुसार करने के लिए सम्बन्धित बैंकों को इस निर्णय से अवगत करा दें ।

12. इस आदेश के प्रावधानों अन्तर्गत गणना करने से यदि पेंशन, पारिवारिक पेंशन और महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है तो वित्त-विभाग के पत्रांक 15282, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में परिवर्तित किया जाएगा । उपदान और पेंशन की रूपान्तरित मूल्य की राशि पैसे में होने पर उसे निकटतम रुपये में पूर्णांकित कर अर्थात् 50 पैसे से कम पैसे को छोड़ते 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को पूर्ण रुपये में बदलकर भुगतान की जाएगी । **[*संकल्प सं० पी०सी०-01/99 11556 वि०पें०, दिनांक 22-12-1999]**

अनुलग्नक–1

औसत परिलब्धियों की संगणना हेतु

उदाहरण–1

1. अपुनरीक्षित वेतनमान — रु० 1640-60-2600-75-2900
2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660 दिनांक 8-2-1999 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान — रु० 5500-175-9000
3. सेवानिवृत्ति की तिथि — 31-1-1996
4. विगत वेतन वृद्धि की तिथि — 1-6-1995
5. अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन
   1. दिनांक 1-6-1995 के पूर्व — रु० 2825 प्रतिमाह
   2. दिनांक 1-6-1996 से — रु० 2900 प्रतिमाह
6. दिनांक 1-1-1996 को पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित वेतन — रु० 8825 प्रतिमाह
7. पेंशन प्रदायी सेवा — 33 वर्ष से अधिक
8. औसत परिलब्धियों की संगणना —

अवधि		अपुनरीक्षित	अनुमान्य	अनुमान्य	अनुमान्य	परिलब्धियाँ	कुल
से	तक	मूल वेतन	महँगाई भत्ता @ 148%	अंतरिम सहायता	फिटमेंट वेटेज @ 40%		परिलब्धियाँ
1-4-95	31-05-95	2825	4181	383	1130	8519×2	17038
1-6-95	31-12-95	2900	4292	390	1160	8742×7	61194
1-1-96	03-01-96	–	–	–	–	8825×1	8825
					योग 10 माह		87057

9. औसत परिलब्धियाँ — रु० 87057 – 10 = 8705.70
10. अनुमान्य पेंशन — रु० 8705.70 का 50 प्रतिशत 4352.85 = 4353
11. दिनांक 1-4-1987 के प्रभाव से भुगतेय पेंशन – रु० 4353 प्रतिमाह

अनुलग्नक–2

औसत परिलब्धियों की संगणना हेतु

उदाहरण–1

1. अपुनरीक्षित वेतनमान — रु० 1320-30-1560-40-2040
2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3435 दिनांक 8-6-1999 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान — रु० 4000-100-6000
3. सेवानिवृत्ति की तिथि — 31-1-1996
4. विगत वेतन वृद्धि की तिथि — 1-10-1995
5. अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन —
   1. दिनांक 1-10-1995 के पूर्व — रु० 1960 प्रतिमाह
   2. दिनांक 1-10-1995 से — रु० 2000 प्रतिमाह

6. दिनांक 1-1-1996 को पुनरीक्षित
वेतनमान में निर्धारित वेतन – रु० 6000 + 60 (R.P.P.) = 6060
7. पेंशनप्रदायी सेवा – 32 वर्ष, 4 माह और 25 दिन अर्थात् 32.5 वर्ष
8. औसत परिलब्धियों की संगणना –

अवधि		अपुनरीक्षित	अनुमान्य	अनुमान्य	अनुमान्य	परिलब्धियाँ	कुल
से	तक	मूल वेतन	महँगाई भत्ता @ 148%	अंतरिम सहायता	फिटमेंट वेटेज @ 40%		परिलब्धियाँ
1-6-'95	30-09-'95	1960	2901	296	784	5941×4	23764
1-1-'95	31-12-'95	2000	2960	300	800	6060×3	18180
1-1-'96	31-03-'96	–	–	–	–	6060×3	18180
					योग 10 माह		60124

9. औसत परिलब्धियाँ – रु० 60124 ÷ 10 = 6012.40
10. औसत परिलब्धियों की 50 प्रतिशत – रु० 3006.20
11. पेंशन – (3006.20 × 32.5) ÷ 33 = 2960.65 अर्थात् 2961
12. दिनांक 1-4-1997 के प्रभाव से भुगतेय पेंशन – रु० 2961 प्रतिमाह ।

17.

***विषय : दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन- भोगियों का वैचारिक रूप से वेतन का निर्धारण करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन ।**

भारत सरकार के कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगियों कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 45/86/97 पी० एण्ड पी०डब्लू० (ए०) भाग 3, दिनांक 10 फरवरी, 1998 के द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनभोगी/ पारिवारिक पेंशनभोगी के वेतन एवं पेंशन का वैचारिक रूप से निर्धारण करते हुए पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का समेकन किया गया है । इस विषय पर फिटमेंट कमिटी के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार के 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारकों के वेतन का वैचारिक रूप से निर्धारण करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था । सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के तत्सम्बन्धी प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन/ परिवर्द्धन हेतु परवर्त्ती कंडिकाओं के प्रावधानों के अनुसार करने का निर्णय लिया गया है ।

2. **प्रभाव की तिथि** – इस संकल्प के निहित प्रावधान दिनांक 1 जनवरी, 1996 के प्रभाव से वैचारिक **(Notional)** रूप से लागू होंगे तथा उनका आर्थिक लाभ दिनांक 1 अप्रैल, 1997 से देय होगा ।

3. दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनरों से अभिप्रेत है –

(1) सेवानिवृत्ति पेंशन — Retiring Pension
(2) वार्धक्य पेंशन — Superannuation Pension
(3) अनुकम्पा पेंशन — Compensation Pension
(4) अशक्तता पेंशन — Invalid Pension

4. वेतन का निर्धारण –

4.1 सरकारी सेवक का उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 1 जनवरी, 1986 तक का वैचारिक वेतन का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा निर्गत निम्नांकित आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा –

(क) तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर आधारित संकल्प संख्या 14636, दिनांक 30-11-1972 के परिशिष्ट 4 के नियमानुसार दिनांक 1-1-1971 से ...

(ख) चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर आधारित वित्त विभाग के संकल्प सं० 10770, दिनांक 31-12-1981 के पुनरीक्षित (iii) के अनुसार दिनांक 1-4-1981 से ...

(ग) पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति-सह-फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर आधारित वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6021, दिनांक 18-12-1989 के परिशिष्ट तीन के नियमानुसार ... 1-1-1986 से ...

4.2 सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति की तिथि को अथवा सेवाकाल में मृत्यु की तिथि को जिस पद, वेतनमान एवं वेतन के प्रक्रम पर थे, उस धारित पद का कंडिका 4.1 के क, ख एवं ग के द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन का वैचारिक रूप से निर्धारण किया जायेगा ।

4.3 दिनांक 1-1-1986 के प्रभाव से निर्धारित वैचारिक वेतन पर पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का निर्धारण आधारित होगा । अर्थात् दिनांक 1-1-1986 के प्रभाव से निर्धारित करते समय यह माना जायेगा कि मानो वे दिनांक 1-1-1986 से पेंशनधारक हैं ।

4.4 दिनांक 1-1-1986 को निर्धारित वैचारिक वेतन की 50 प्रतिशत राशि वैचारिक पेंशन की राशि होगी जो 33 वर्ष अथवा उससे अधिक पेंशन प्रदायी सेवा के लिए अनुमान्य होगा । 33 वर्षों से कम की पेंशन प्रदायी सेवा के लिए अनुपातिक आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जाएगा ।

4.5 दिनांक 1-1-1986 की वैचारिक पेंशन का दिनांक 1-1-196 को पेंशन का समेकन निम्नांकित रूप से किया जाएगा –

(i) वैचारिक पेंशन की राशि एवं

(ii) दिनांक 1-1-1996 को अनुमान्य 148/111/96 प्रतिशत महँगाई राहत तथा

(iii) अन्तरिम राहत की 50 रुपये की प्रथम किस्त

(iv) वैचारिक पेंशन का 10 प्रतिशत (न्यूनतम 50 रुपये) अन्तरिम राहत की द्वितीय किस्त और

(v) वैचारिक पेंशन का 40 प्रतिशत फिटमेंट वेटेज की राशि का योगफल समेकित पेंशन की राशि होगी, जिसका भुगतान दिनांक 1-4-1997 से प्रभावी होगा ।

5. पारिवारिक पेंशन – पारिवारिक पेंशन का समेकन दो चरणों में किया जाएगा ।

5.1 प्रथम चरण में कंडिका 4.4 की निर्धारित वैचारिक वेतन पर दिनांक 1-1-1986 के प्रभाव से वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1853, दिनांक 19-4-1990 के अनुसार वैचारिक पारिवारिक पेंशन की संगणना की जाएगी ।

5.2 उक्त वैचारिक पारिवारिक पेंशन पर उपर्युक्त कंडिका 4.4 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार आंशिक पारिवारिक पेंशन का दिनांक 1-1-1996 को निर्धारण किया जायेगा ।

5.3 दूसरे चरण में दिनांक 1-1-1986 को निर्धारित वैचारिक वेतन की 30 प्रतिशत राशि संगणित कर स्लैब पद्धति के अनुसार संगणित वैचारिक पारिवारिक पेंशन की राशि घटायी जाएगी । शेष राशि अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की राशि की राशि होगी ।

5.4 उपर्युक्त कंडिका 5.2 के अनुसार संगणित समेकित पारिवारिक पेंशन की राशि में अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की राशि जोड़ी जाएगी । योगफल की राशि अन्तिम समेकित पारिवारिक पेंशन की राशि होगी, जिसका भुगतान दिनांक 1-4-1997 से अनुमान्य होगा और इसी समेकित पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत की संगणना की जाएगी ।

5.5 समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की निर्धारण के क्रम में यह ध्यान रखा जाएगा कि जिस पद पर रहते हुए सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हुआ हो अथवा जिसपद पर रहते हुए उसकी मृत्यु हुई हो, उस पद के लिए वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660, दिनांक 8-2-1999 के द्वारा पुनरीक्षित स्वीकृत वेतनमान के प्रारम्भिक वेतन की 50 प्रतिशत राशि समेकित पेंशन के मामले में तथा 30 प्रतिशत राशि समेकित पारिवारिक पेंशन के मामले में, से कम नहीं हो ।

6. सामान्य प्रक्रिया –

6.1 अलग-अलग मामलों में वैचारिक वेतन के निर्धारण में भिन्नता होगी, विशेषकर वैसे सरकारी सेवक जो सन् 1950 या सन् 1960 के दशक में सेवानिवृत्त हुए हैं ।

6.2 संगणित वैचारिक वेतन की गणना पर आधारित पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो दिनांक 1-4-1997 से भुगतेय होगा, पर किसी भी प्रकार दिनांक 1-4-1997 के पूर्व का बकाए का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

6.3 समेकित पेंशन की बढ़ी हुई राशि पर पेंशन का रूपान्तरण अनुमान्य नहीं होगा, किन्तु पूर्व में लिए गए रूपान्तरित राशि की कटौती समेकित पेंशन से की जाती रहेगी ।

6.4 दिनांक 1-1-1986 को वैचारिक वेतन-निर्धारण के फलस्वरूप मृत्यु-सेवानिवृत्ति उपदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

6.5 विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार, बिहार का यह दायित्व होगा कि वे दिनांक 1-1-1996 के वैचारिक रूप से जिसका आर्थिक लाभ दिनांक 1-4-1997 से आदेय होगा, पुनरीक्षित पी०पी०ओ० निर्गत कर देंगे ।

7. आवेदन की प्रक्रिया –

7.1 सभी पूर्व 1986 के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को पेंशन के पुनर्निर्धारण हेतु निहित प्रपत्र की दो प्रतियों में पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी अथवा विभाग/कार्यालय जहाँ से वे सेवानिवृत्त हुए हैं, को इस आदेश के निर्गत होने के दस माह के अन्दर आवेदित करना होगा । जो उक्त समय-सीमा के अन्दर आवेदित नहीं कर सके तो यह मान लिया जाएगा कि वे वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन में ही रहना चाहते हैं । आपवादिक मामलों को छोड़कर जिसमें वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी । पेंशनरी से यह अपेक्षा की जाएगी कि आवेदन-पत्र (अनुलग्नक-1) में अपना पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेंगे ।

7.2 वैसे मामलों में जहाँ पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर दिनांक 1-1-1996 के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं वैसे मामलों में उनके वैध उत्तराधिकारी उनके जीवन काल के बकाया पाने के हकदार होंगे । इस हेतु भी विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान को आवेदित करना होगा ।

8. इस आदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निर्धारण के चलते निर्धारित समेकित पेंशन/पारिवारिक के भुगतान में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा और दिनांक 1-1-1996 के पूर्व के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के समेकित राशि का भुगतान कोषागारों/उप-कोषागारों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किया जाता रहेगा ।

9. पेंशन/पारिवारिक पेंशनर द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्र को पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी (विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष) उन कागजातों को जाँच कर 30 दिनों के अन्तर्गत वेतन का पुनर्निर्धारण कर पुनरीक्षित पी०पी०ओ० निर्गत करने हेतु महालेखाकार, बिहार को प्रेषित करेंगे । किसी भी परिस्थिति में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को उनके मूल पी०पी०ओ० को समर्पित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा ।

9.1 ऐसे मामलों में जहाँ विभाग या कार्यालय या तो समाप्त कर दिए गए अथवा उसका विलयन दूसरे विभाग में कर दिया गया हो, वैसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा निष्पादन किया जाएगा, जहाँ उक्त कार्यालय के विलयन के फलस्वरूप अभिलेखों का संधारण किया जाएगा ।

9.2 ऐसे मामलों में जहाँ कार्यालय प्रधान को अड़चन हो रही हो कि समय-समय पर पुनरीक्षित वेतनमान में किसी वेतनमान को मृत-घोषित (Defunct) कर दिया गया हो, तो उसी स्थिति में उसे पद के समान दूसरे वेतनमान में वित्त विभाग की सहमति से वेतन का निर्धारण किया जा सकता है ।

9.3 वैचारिक वेतन के समय-समय पर निर्धारण हेतु पुराने अभिलेखों की आवश्यकता पड़ेगी । जैसा कि विदित है बहुत से कार्यालयों/विभागों का इस लम्बे अन्तराल में समय- समय पर पुनर्गठन किया गया है । अतः बहुत सम्भावना है कि बहुत अनेक पेंशनर्स की सेवा-पुस्तक उपलब्ध नहीं हो सके । ऐसी स्थिति में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को उनके सेवानिवृत्ति को प्राप्त वेतन एवं वेतनमान से सम्बन्धित कागजातों की माँग की जा सकती है । तथापि कागजातों की सत्यता की जाँच प्रशासी विभाग द्वारा कर ली जाएगी ।

9.4 ऐसे मामलों में जहाँ विभागाध्यक्ष को यह लगे कि उनके द्वारा किए गए पूरे प्रयास के बावजूद (जिसमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का सम्पर्क भी सम्मिलित है) सन् 1971 के पूर्व के पेंशनरों के सम्बन्ध में कागजातों की अनुपलब्धता के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण नहीं किया जा सका है, वैसी स्थिति में दिनांक 1-1-1971 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर वैचारिक निर्धारण कर दिया जाएगा । तथापि सभी

पदाधिकारियों का यह प्रयास होना चाहिए कि सन् 1986 के पूर्व के पेंशनरों का वेतन/पेंशन के पुनर्निर्धारण में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े ।

9.5 वैसे सरकारी सेवक जो किसी सरकारी अथवा स्वशासी संस्थानों में स्थायी रूप से पद्युपित हो गये हों, के पेंशन का भी निर्धारण उपर्युक्त कंडिका के अनुसार किया जाएगा । ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ सरकारी सेवक ने 100 प्रतिशत टर्मिनल बेनेफिट की एक मुस्त राशि प्राप्त कर लिया हो ।

9.6 कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष यदि दो प्रतियों में प्राप्त पत्र हेतु यदि पेंशनर द्वारा प्राप्ति की रसीद की माँग की जाए तो प्राप्ति की रसीद भी देंगे ।

9.7 कार्यालय/प्रधान विभागाध्यक्ष द्वारा नाम/पी०पी०ओ० को प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा तथा निर्धारित 30 दिनों की समय–सीमा के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार को भेज दिया जायेगा ।

9.8 महालेखाकार, बिहार का यह दायित्व होगा कि 60 दिनों की निर्धारित समय–सीमा के अन्दर पुनरीक्षित पी०पी०ओ० निर्गत कर देंगे । पुनरीक्षित पी०पी०ओ० वर्तमान पी०पी०ओ० पर ही, निर्गत होगा और उसी माध्यम से संचारित होगा, जिस माध्यम से मूल पी०पी०ओ० संचारित हुआ था । इस प्राधिकार–पत्र को कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी द्वारा पेंशन पेमेंट ऑर्डर के दोनों अर्द्ध–भाग में चिपका दिया जाएगा । प्रत्येक मामले में विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान द्वारा निम्नांकित सूचना प्राप्त की जाएगी –

(i) पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति की तिथि

(ii) सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के समय

(क) धारित पदनाम (ख) वेतनमान (ग) वेतन प्रक्रम

(iii) पेंशनर का वेतन 1–1–1986 तक वेतन पुनरीक्षण समिति/फिटमेंट कमिटी के आलोक में कितनी बार पुनरीक्षित किया गया है ।

(iv) प्रत्येक पुनरीक्षण में स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान ।

(v) प्रत्येक चरण में वेतन निर्धारण की स्वीकृति फार्मूले पर वेतन का वैचारिक निर्धारण ।

[*संख्या पी०सी० 01/99-11557 वि०पें०, दिनांक 22-12-1999]

आवेदन–पत्र (दिनांक 1–1–1986 के पूर्व के सम्बन्ध में)

(वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या .... दिनांक .... के अनुसार)

सेवा में,

....

विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान

विषय : वित्त विभाग के संकल्प संख्या .... दिनांक .... के आलोक में दिनांक 1–1–1986 के पूर्व के पेंशन/पारिवारिक पेंशन धारकों का दिनांक 1–1–1996 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनर्निर्धारण ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या .... दिनांक .... में निहित प्रावधानों के अनुसार मेरे पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनर्निर्धारण करने की कृपा की जाय । वांछित विवरण निम्न प्रकार से हैं –

1. आवेदक का नाम –
2. पत्राचार का पता –
3. पेंशन की श्रेणी –
4. मृत सरकारी सेवक का नाम (पारिवारिक पेंशन के मामलों में) –
5. सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि –
6. पेंशन/पारिवारिक पेंशन की प्रभावी तिथि जबसे भुगतान हो रहा है –
7. पेंशन भुगतान आदेश संख्या –

8. सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को सरकारी सेवक का

(क) मूल वेतन – (ख) वेतनमान –

9. पेंशनधारक/मृत सरकारी सेवक के अन्तिम पदस्थापन के विभाग/कार्यालय का नाम एवं धारित पद –

10. कोषागार/उप कोषागार का नाम जहाँ महालेखाकार, बिहार द्वारा पुनरीक्षित पी०पी०ओ० भेजा गया जायेगा।

11. मामले के निराकरण हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण –

उदाहरण (I)

लिपिक

(i) तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 14636, दिनांक 20 नवम्बर, 1972 के परिशिष्ट (iv) के नियमानुसार वैचारिक वेतन-निर्धारण (दिनांक 1 जनवरी, 1971 से) –

1. विभाग/कार्यालय	... मुफस्सिल कार्यालय		
2. पद	... लिपिक		
3. धारित पद का वेतनमान	... रु० 105-3-123 ई०बी०-3-129-2- 145 ई०बी० 2-155		
4. वेतन वृद्धि की तिथि	...		
5. दिनांक 1 जनवरी, 1971 को परिलब्धि	1. मूल वेतन	रु०	117.00
	2. दिनांक 1 जनवरी, 1971 को जीवन-यापन भत्ता		88.00
	3. डिराइम्ड जीवन यापन भत्ता		2.33
		कुल	207.33
6. पुनरीक्षित वेतनमान	... रु० 220-4-240 ई०बी०-5-290 ई०बी० 5-3-315		
7. दिनांक 1 जनवरी, 1971 को अनुमानित		रु०	207.33
परिलब्धियाँ 15 प्रतिशत का जोड़ (न्यूनतम 30 रु० अधिकतम 60 रु०)		रु०	31.10
		कुल	238.43
8. समतुल्य प्रक्रम		रु०	240.00
9. दिनांक 1 जनवरी, 1971 को वैचारिक वेतन		रु०	240.00

(ii) चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 10770, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 के परिशिष्ट III के नियमानुसार दिनांक 1 अप्रैल, 1981 को वैचारिक वेतन का निर्धारण –

1. वर्तमान वेतनमान	... रु० 220-4-240-ई०बी०-5-290- ई०बी०-5-315		
दिनांक 31 मार्च, 1981 को वैचारिक वेतन		रु०	240.00
दिनांक 31 मार्च, 1981 को अनुमान्य जीवन यापन भत्ता, अतिरिक्त जीवन यापन भत्ता		रु०	224.00
		कुल	464.40
2. पुनरीक्षित वेतनमान	... रु० 580-10-620-15-770-ई०बी० 15-860		
3. दिनांक 1 अप्रैल, 1981 को अनुमान्य परिलब्धियाँ			
(i) वर्तमान परिलब्धि	...	रु०	464.40
(ii) 15 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का जोड़ (न्यूनतम 60 एवं अधिकतम 80 रु०)		रु०	69.66

पूर्व निर्धारित परिलब्धि	...	रु०	534.00
4. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्रक्रम	...	रु०	580.00
5. वैयक्तिक वेतन	...	रु०	0.00
6. पुनरीक्षित वेतनमान में दो वेतनवृद्धियों को जोड़कर निर्धारित वैचारिक वेतन	...	रु०	600.00
(i) वैचारिक मूल वेतन	...	रु०	600.00
(ii) ह्रासमान वैयक्तिक वेतन	...	रु०	0.00
		कुल	600.00

(III) पंचम वेतन पुनरीक्षण-सह-फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6021, दिनांक 18 दिसम्बर, 1989 के परिशिष्ट III के नियमानुसार दिनांक 1 जनवरी, 1986 से वैचारिक वेतन का निर्धारण –

1. वर्तमान वेतनमान	... रु० 580-10-620-15-770-ई०बी०- 15-860		
2. दिनांक 1 जनवरी, 1986 को वैचारिक वेतन		रु०	600.00
महँगाई भत्ता/अतिरिक्त महँगाई भत्ता/तदर्थ महँगाई भत्ता (दिनांक 1 जनवरी, 1986 को)		रु०	324.00
3. पुनरीक्षित वेतनमान	... रु० 1200-30-1800		
4. अनुमान्य परिलब्धियाँ	...	रु०	924.00
वैचारिक वेतन का 35 प्रतिशत	...	रु०	210.00
		कुल रु०	1,134.00
5. दिनांक 1 जनवरी, 1986 को पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्रक्रम बंचिंग	...	रु०	1,200
6. दिनांक 1 जनवरी, 1986 को वैचारिक वेतन		रु०	1,200
7. वैचारिक पेंशन	... रु० 1,200 प्रतिशत 2% = 600		
8. दिनांक 1 जनवरी, 1996 को वैचारिक पेंशन का समेकन वैचारिक पेंशन		रु०	600
(ii) 148/iii/96 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत		रु०	888
(iii) अन्तरिम सहायता-प्रथम किस्त		रु०	50
(iv) अन्तरिम सहायता की द्वितीय किस्त (पेंशन का 10 प्रतिशत)		रु०	60
(v) फिटमेंट वेटेज-40 प्रतिशत की दर से		रु०	240
9. समेकित पेंशन		रु०	1,838
10. पारिवारिक पेंशन 1,200 का 30 प्रतिशत		रु०	360
	न्यूनतम राशि	रु०	375
11. इस प्रकार 1 जनवरी, 1996 को पुनरीक्षित एवं 1 अप्रैल, 1997 से भुगतेय पुनरीक्षित समेकित पेंशन (पुनरीक्षित वेतनमान की प्रारम्भिक वेतन की 50 प्रतिशत राशि)।		रु०	2,000
12. पारिवारिक पेंशन		रु०	1,275

उदाहरण (II)

(उप समाहर्त्ता)

(I) चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 10770, दिनांक 31-12-1981 के परिशिष्ट III के नियमानुसार दिनांक 1-4-1981 को वैचारिक वेतन का निर्धारण –

1. विभाग/कार्यालय	–	मुफस्सिल कार्यालय
2. पद	–	उप समाहर्त्ता

3. धारित पद का वेतनमान 510-25-610-30-670-ई०बी०-30-910 ई०बी०-1155		
4. सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि	–	31-1-1981
5. (i) दिनांक 31-1-1981 को मूल वेतन	–	1155
(ii) महँगाई भत्ता/अतिरिक्त महँगाई भत्ता	–	640
		कुल–1795
6. पुनरीक्षित वेतनमान	–	1000-50-1700-ई०बी०-60-1820
7. दिनांक 1-4-1981 को परिलब्धियाँ	–	
(i) वर्तमान परिलब्धि	–	1795
(ii) अतिरिक्त राशि	–	80
(वर्तमान परिलब्धि का न्यूनतम 60 और अधिकतम 80)		
		कुल–1875
8. पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन प्रक्रम – 1820		
9. वैयक्तिक वेतन	–	55
10. दो वेतनवृद्धियों को जोड़कर वेतन प्रक्रम	–	1820
वैयक्तिक वेतन (60 + 60 + 55)		175
11. दिनांक 1-1-1981 को वैचारिक वेतन	–	1820
ह्रासमान वैयक्तिक वेतन	–	175
		कुल–1995

(II) पंचम वेतन पुनरीक्षण-सह-फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6021, दिनांक 18-12-1989 के परिशिष्ट III के नियमानुसार दिनांक 1-1-1986 के प्रभाव से वैचारिक वेतन का निर्धारण –

1. वर्तमान वेतनमान	–	1000-50-1700. ई०बी० 60-1820
2. वर्तमान परिलब्धि	–	
(i) मूल वैचारिक वेतन (ह्रासमान वैयक्तिक वेतन को छोड़कर)		1820
(ii) महँगाई भत्ता/अतिरिक्त महँगाई भत्ता/तदर्थ महँगाई भत्ता		810
		कुल–2630
3. पुनरीक्षित वेतनमान	–	2200-75-2800-100-4000
4. दिनांक 1-1-1986 को अनुमान्य वेतन	–	2630
वेतन का 35 प्रतिशत राशि	–	+ 637
(न्यूनतम 175 एवं अधिकतम 700)		
		कुल–3267
5. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्रक्रम		3300
बंचिंग –		शून्य
परिशिष्ट 3 कंडिका 5 के परन्तुक के अनुसार दो वेतन वृद्धियाँ		200
6. दिनांक 1-1-1986 को अनुमान्य वैचारिक वेतन		3500
7. वैचारिक पेंशन 3500 का 50 प्रतिशत	–	1750
दिनांक 1-1-1996 को पेंशन का पुनरीक्षण/समेकन –		
वैचारिक पेंशन		1750
महँगाई राहत (148 प्रतिशत की दर से)		2590
अन्तरिम राहत की प्रथम किस्त	–	50
अन्तरिम राहत की द्वितीय किस्त	–	175
फिटमेंट वेटेज (40 प्रतिशत की दर से)		700

12. कुल समेकित पेंशन	–	5265
13. पारिवारिक पेंशन		
वैचारिक वेतन का 15 प्रतिशत	–	3500 का 15 प्रतिशत रु० 525
(दिनांक 1-1-1986)	–	रु० 600 (न्यूनतम राशि)
14. दिनांक 1-1-1996 को वैचारिक पारिवारिक पेंशन की गणना पेंशन		रु० 600
148 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत	–	रु० 888
अन्तरिम राहत की प्रथम किस्त	–	रु० 50
अन्तरिम राहत की द्वितीय किस्त (पेंशन का 10 प्रतिशत की राशि)		रु० 60
फिटमेंट वेटेज 40 प्रतिशत की दर से	–	रु० 240
		कुल–रु० 1838.
15. अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन	–	
3500 का 30 प्रतिशत	–	रु० 1050
1050-600	–	रु० 450
अन्तिम समेकित पारिवारिक पेंशन 1838 + 450		रु० 2288
16. इस प्रकार दिनांक 1-1-1996 को पुनरीक्षित एवं दिनांक 1-4-1997		
को भुगतेय समेकित पेंशन	–	रु० 5265
समेकित पारिवारिक पेंशन	–	रु० 2288

उदाहरण (III)
(अवर सचिव)

(I) पंचम वेतन पुनरीक्षण-सह-फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6021, दिनांक 18 दिसम्बर, 1989 के परिशिष्ट III के नियमानुसार दिनांक 1 जनवरी, 1986 से वैचारिक पेंशन का निर्धारण –

1. विभाग/कार्यालय	–	राजस्व विभाग
2. पद/वेतन	–	अवर-सचिव – 2000
3. धारित पद का वेतनमान	–	रु० 1350-50-1700-ई०बी०-75-2000
3.1 सेवानिवृत्ति की तिथि	–	दिनांक 30 नवम्बर, 1985
समेकित पारिवारिक पेंशन	–	रु० 2288
4. दिनांक 1 जनवरी, 1986 को परिलब्धि –		
मूल वेतन	–	रु० 2000
महँगाई भत्ता/अतिरिक्त महँगाई भत्ता/तदर्थ महँगाई भत्ता		रु० 810
35 प्रतिशत की राशि	–	रु० 700
		रु० 3510
5. पुनरीक्षित वेतनमान	–	3000-100-3500-125-4500
दिनांक 1 जनवरी, 1986 का वैचारिक वेतन		रु० 3625
6. वैचारिक पेंशन – 3625 का 50 प्रतिशत		रु० 1812.50 = 1813
7. दिनांक 1 जनवरी, 1996 को समेकित पेंशन की गणना –		
वैचारिक पेंशन	–	रु० 1813
महँगाई राहत 111 प्रतिशत (न्यूनतम)	–	रु० 2590
अन्तरिम राहत की प्रथम किस्त	–	रु० 50
अन्तरिम राहत की द्वितीय किस्त	–	रु० 182
फिटमेंट वेटेज (40 % की दर से)	–	रु० 726
		रु० 5361

8. पारिवारिक पेंशन	–		
वैचारिक वेतन का 15 प्रतिशत	–	543.75 रु०	600
अर्थात् 3625 का 15 प्रतिशत	–	रु०	600
स्लैब पद्धति के अनुसार	–		
9. पारिवारिक पेंशन की गणना	–		
वैचारिक पारिवारिक पेंशन	–	रु०	600
महँगाई राहत	–	रु०	888
अंतरिम राहत (प्रथम किस्त)	–	रु०	50
अंतरिम राहत (द्वितीय किस्त)	–	रु०	60
फिटमेंट वेटेज	–	रु०	240
आंशिक समेकित पेंशन	–	रु०	1828
10. अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन			
3625 का 30 प्रतिशत	–	रु०	1088
अंतर की राशि रु० 1088-600	–	रु०	488
अंतिम समेकित पारिवारिक पेंशन 1828 + 488		रु०	2326
11. इस प्रकार समेकित पेंशन	–	रु०	5361
समेकित पारिवारिक पेंशन	–	रु०	2326
12. जो दिनांक 1 अप्रैल, 1997 से भुगतेय है			

18.

***विषय : 1 जनवरी, 1996 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनभोगी/ पारिवारिक पेंशनभोगी के पेंशन का समेकन/पुनरीक्षण।**

भारत सरकार के कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ० 45/86/97 पी० एण्ड पी०डब्लू० (ए०) पार्ट II, दिनांक 27 अक्टूबर, 1997 के द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1996 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के ढाँचे में दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इस विषय पर फिटमेंट कमिटी के प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनभोगी/ पारिवारिक पेंशनभोगी के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के ढाँचे में पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के तत्सम्बन्धी प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन एवं परिवर्द्धन परवर्त्ती कंडिकाओं के प्रावधानों के अनुसार करने का निर्णय लिया गया है।

2. प्रभाव की तिथि–

इस संकल्प में निहित प्रावधान दिनांक 1 जनवरी, 1996 के प्रभाव से वैचारिक रूप से लागू होंगे एवं उनका आर्थिक लाभ दिनांक 1 अप्रैल, 1997 के प्रभाव से ही देय होगा।

3. परिभाषा–इस आदेश में –

(i) वर्तमान पेंशन धारक अथवा "वर्तमान पारिवारिक पेंशन धारक" से दिनांक 31 दिसम्बर, 1995 को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले या हकदार पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी अभिप्रेत है।

(ii) इस आदेश के अन्तर्गत प्रयुक्त वर्तमान पेंशन से दिनांक 31 दिसम्बर, 1995 को पेंशन की रूपान्तरित राशि सहित मूल पेंशन अभिप्रेत है इसमें वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1853, दिनांक 19-4-1990 के प्रावधानों द्वारा निर्धारित पेंशन एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1854, दिनांक 19-4-1990 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित समेकित/पेंशन सम्मिलित है।

(iii) वर्तमान पारिवारिक पेंशन से बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 1995 को देय मूल पारिवारिक पेंशन से अभिप्रेत है। इसमें वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1853 एवं 1854, दिनांक 19-4-1990 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत पारिवारिक पेंशन और समेकित पारिवारिक पेंशन सम्मिलित है।

(iv) "वर्तमान महँगाई राहत" से वित्त विभाग के संकल्प संख्या 9745 वि०, दिनांक 28-8-1996 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1996 के प्रभाव से 148 प्रतिशत/111 प्रतिशत/ 96 प्रतिशत की दरों से स्वीकृत महँगाई राहत अभिप्रेत है।

(v) "अंतरिम राहत की प्रथम किस्त" से वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5081 वि०, दिनांक 22 मई, 1996 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1995 के प्रभाव से 50 रुपये प्रतिमाह की दर से स्वीकृत अंतरिम राहत अभिप्रेत है।

(vi) अंतरिम राहत के द्वितीय किस्त से वित्त विभाग की संकल्प संख्या 213 वि०, दिनांक 9-1-1998 के द्वारा दिनांक 1-4-1995 के प्रभाव से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 10 प्रतिशत (न्यूनतम 50 रुपये) की दर से प्रतिमाह स्वीकृत अन्तरिम राहत अभिप्रेत है।

4. पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का समेकन–

दिनांक 1 जनवरी, 1996 के पूर्व के वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन धारक के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का समेकन निम्नांकित धन राशियों के योगफल के आधार पर किया जायेगा –

(i) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि

(ii) अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता सूचकांक 1510 के आधार पर दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से दिनांक 1-1-1996 से 148 प्रतिशत/111 प्रतिशत/96 प्रतिशत की दर से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि

(iii) अन्तरिम राहत की प्रथम किस्त की राशि

(iv) पेंशन/पारिवारिक पेंशन की द्वितीय किस्त की राशि

(v) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन की 40 प्रतिशत राशि जो फिटमेंट वेटेज कहा जायेगा।

5. उपर्युक्त कंडिका 4 के अनुसार संगणित समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अन्तिम पूर्ण पेंशन/पारिवारिक पेंशन माना जायेगा। जिसकी न्यूनतम राशि 1,275 रुपये होगी। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 वि०, दिनांक 8-2-1999 के द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम वेतन की 50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत राशि क्रमशः पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की अधिकतम राशि होगी।

6. पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के संशोधन के क्रम में यह ध्यान दिया जायेगा कि जिस पद से वर्तमान पेंशन धारक सेवानिवृत्त हुआ हो, उस पद के लिए वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 वि०, दिनांक 8-2-1999 द्वारा स्वीकृत वेतनमान के प्रारंभिक वेतन की 50 प्रतिशत राशि पेंशन के मामले में तथा 30 प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशन के मामले में, से अन्तिम पूर्ण पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि कम नहीं हो। महालेखाकार द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर अन्तर की राशि को अन्तिम पूर्ण पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि को जोड़कर भुगतान-अनुमान्य होगा। इसके लिए सम्बन्धित वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन धारक को अलग से महालेखाकार को आवेदित करना होगा।

7. वैयक्तिक पेंशन–

वैसे पेंशनधारक जो दिनांक 31 मार्च, 1985 से 31 दिसम्बर, 1985 तक सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके वर्तमान पेंशन के साथ वैयक्तिक पेंशन भी अनुमान्य है। यह वैयक्तिक पेंशन उन्हें अलग घटक के रूप में भुगतान होता रहेगा और उसे उपर्युक्त प्रक्रियानुसार समेकित पेंशन में विलीन नहीं किया जायेगा।

8. **पारिवारिक पेंशन**–भारत सरकार के नियमों के अनुरूप सम्प्रति पारिवारिक पेंशन निम्नांकित दरों पर अनुमान्य होता है –

(i) सामान्य दर

(ii) वर्द्धित दर–जो सरकारी सेवक (पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद सात वर्षों तक अथवा उसके जीवित रहने की स्थिति में उसकी 65 वर्षों की आयु पूर्ण होने की तिथि तक, दोनों में से जो भी पहले हो अनुमान्य होता है, बशर्ते कि वर्द्धित दर की राशि सरकारी सेवक के निर्धारित पेंशन से अधिक नहीं हो।

अब यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा सेवाकाल में मृत्यु की तिथि को धारित पद का वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 वि०, दिनांक 8-2-1999 के द्वारा स्वीकृत वेतनमान के प्रारंभिक वेतन की 50 प्रतिशत अथवा पेंशनभोगी की दिनांक 1-1-1996 को पुनरीक्षित पेंशन, इनमें जो भी

कम हो, वर्द्धित पेंशन अनुमान्य होगा । इस आदेश के अन्तर्गत सामान्य दर और वर्द्धित दर के पारिवारिक पेंशन का समेकन अलग-अलग किया जायेगा, ताकि दोनों दरों पर पारिवारिक पेंशन के भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो । 1275 रुपये की न्यूनतम सीमा दोनों मामलों में अलग-अलग निर्धारित की जायेगी ।

9. अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन--

1. भारत सरकार, कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगियों कल्याण विभाग) के कार्यालय के ज्ञापांक 45/86/97 पी० एण्ड पी०डब्लू० (ए०) पार्ट IV, दिनांक 8 मई, 1998 द्वारा दिनांक 1-1-1986 से दिनांक 31-12-1995 तक सेवानिवृत्त हुए अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु होने वाले केन्द्रीय पेंशन धारकों/पारिवारिक पेंशन धारकों को समेकित पारिवारिक पेंशन के साथ अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है । भारत सरकार के उपर्युक्त दिनांक 8-5-1998 के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार के पारिवारिक पेंशन धारकों को भी अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है । तद्नुसार उन राज्य सरकार के सेवकों के संबंध में जो दिनांक 1-1-1986 से दिनांक 31-12-1995 तक सेवानिवृत्त हुए हैं, अथवा इस अवधि के अन्दर सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई हो तथा जिनका वेतन सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को 1,500 रुपये से अधिक नहीं था, उनके सम्बन्ध में पारिवारिक पेंशन का निर्धारण निम्नांकित प्रक्रियानुसार किया जायेगा --

(i) वर्तमान पारिवारिक पेंशन का समेकन उपर्युक्त कंडिका 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा जो दिनांक 1-1-1996 से प्रभावी होगा ।

(ii) सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को प्राप्त वेतन की 30 प्रतिशत की दर से पारिवारिक पेंशन की संगणना पुन: की जायेगी और स्लैब पद्धति के अनुसार संगणित पारिवारिक पेंशन जो अभी अनुमान्य है, तथा अन्तिम वेतन की 30 प्रतिशत राशि के अन्तर की गणना की जायेगी ।

(iii) स्लैब पद्धति से संगणित राशि और अन्तिम वेतन की 30 प्रतिशत की अन्तर की राशि अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की राशि होगी जिसे उपर्युक्त उप कंडिका (i) के अनुसार संगणित समेकित पारिवारिक पेंशन में जोड़ा जायेगा । दोनों राशियों की योगफल की राशि मूल पारिवारिक पेंशन की राशि होगी । जो निर्धारित सीमा के अन्दर होगी । जिस विभाग/कार्यालय से सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हुआ हो अथवा दिनांक 1-1-1986 को या उसके बाद सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उस विभाग/कार्यालय के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अथवा पेंशन स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वैसे सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में उपर्युक्त कंडिका में निहित प्रावधानों के तहत् पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान कर दे । पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु पेंशन की स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्त्ता को अपना मूल पेंशन भुगतान आदेश (पी०पी०ओ०) की प्रति उपस्थापित करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे । वर्तमान पेंशन भुगतानादेश संख्या के अन्तर्गत ही स्वीकृति निर्गत की जायेगी और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का भुगतानादेश पेंशन भुगतान करने वाले पदाधिकारी (कोषागार/उपकोषागार/राष्ट्रीयकृत बैंक) को उसी प्रकार संधारित की जायेगी जिस माध्यम से मूल पेंशन भुगतान आदेश (पी०पी०ओ०) निर्गत किया गया था । इस प्राधिकार पत्र को पेंशन भुगतान करने वाले पदाधिकारी द्वारा पेंशन भुगतानादेश (पी०पी०ओ०) के दोनों भाग में चिपका दिया जायेगा । प्रत्येक पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक जो आदेश में निहित प्रावधानों के तहत् पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण से लाभान्वित होने के पात्र हैं, उन्हें पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु अनुलग्नक--1 में दिये गये विहित प्रपत्र (दो प्रतियों में) अपने विभाग/कार्यालय के पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी के पास आवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा । जो पेंशन धारक/पारिवारिक पेंशन धारक इस संकल्प के निर्गम की तिथि से आठ माह की अवधि के अन्दर अपना आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो यह माना जायेगा कि उन्होंने वर्तमान पेंशन स्कीम में ही रहने का विकल्प दिया है । केवल आपवादिक मामलों में, जहाँ पेंशन स्वीकृत पदाधिकारी को यह समाधान हो कि पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु विलम्ब से आवेदन उपस्थापित करने के मामले को वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर शिथिल किया जा सकता है ।

10. इस कंडिका में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के निर्धारण के चलते निर्धारित समेकित पारिवारिक पेंशन के भुगतान में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा और कोषागारों द्वारा भुगतान किया जाता रहेगा ।

11. महँगाई राहत—राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि दिनांक 1-1-1996 के पूर्व राज्य सरकार के पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंशनधारकों को, केन्द्रीय दर पर और केन्द्रीय फार्मूला के अनुसार, दिनांक 1-4-1997 के प्रभाव से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पेंशन धारकों/पारिवारिक पेंशनधारकों को, निम्नांकित दर से महँगाई राहत स्वीकृत की गई है —

क्रमांक	प्रभाव की तिथि	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर	
1.	दिनांक 1-4-1997	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का	8 प्रतिशत
2.	दिनांक 1-7-1997	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का	13 प्रतिशत
3.	दिनांक 1-1-1998	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का	16 प्रतिशत
4.	दिनांक 1-7-1998	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का	22 प्रतिशत
5.	दिनांक 1-1-1999	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का	32 प्रतिशत
6.	दिनांक 1-7-1999	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का	37 प्रतिशत

तद्नुसार दिनांक 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त/सेवा में रहते हुए मृत्यु होने वाले राज्य सरकार के पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंशन धारकों को उपर्युक्त प्रभाव की तिथियों और दरों से, महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

12. बकाये राशि का भुगतान—(i) दिनांक 1-1-1996 के पूर्व के वर्तमान पेंशनधारकों/ पारिवारिक पेंशनधारकों को दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से इस आदेश की कंडिका 4 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का वैचारिक समेकन होने एवं दिनांक 1-4-1997 के प्रभाव से इस आदेश के प्रावधानों के अन्तर्गत भुगतान किये जाने के पूर्व की तिथि तक भुगतान की गई वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन को राशि महँगाई राहत की राशि और अन्तरिम राहत की राशि को समंजित करते हुए शेष राशि का भुगतान पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारक को किया जायेगा। बकाये राशि का भुगतान तीन वार्षिक किस्तों में किया जायेगा। बकाये राशि की प्रथम किस्त का भुगतान माह जून, 2000 में द्वितीय किस्त का जून, 2001 में एवं तृतीय किस्त का भुगतान जून, 2002 में किया जायेगा।

(ii) पेंशनधारक जिसकी मृत्यु दिनांक 1-1-1996 के पूर्व की तिथि अथवा बाद की तिथि को हुई हो और मृत्योपरान्त उसके परिवार के सदस्य को पारिवारिक पेंशन भुगतान किया जाता हो अथवा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हों, इस प्रकार के मृत पेंशन धारक के जीवनकालीन बकाया राशि का भुगतान पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पारिवारिक पेंशनधारक को, पेंशन भुगतान करनेवाले अधिकारी (कोषागार/उपकोषागार/ राष्ट्रीयकृत बैंक) द्वारा किया जायेगा। शेष मामलों में पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक के परिवार के सदस्य/सदस्यों को वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(iii) पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंशनधारकों के पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान में विलम्ब न हो, इस हेतु बिहार कोषागार संहिता के भाग I के नियम 344 (I) को शिथिल कर बिना महालेखाकार के प्राधिकार पत्र के ही समेकित पेंशन का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उपकोषागार/राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा समेकित पेंशन का भुगतान किया जायेगा।

(iv) दिनांक 1-1-1986 को अथवा उसके बाद दिनांक 1-1-1996 के पूर्व किसी तिथि को मृत्यु होनेवाले पारिवारिक पेंशनभोगी को भी कंडिका 4 के अनुसार समेकित पेंशन का भुगतान किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र की प्राप्ति के उपरान्त ही अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की राशि सम्मिलित कर पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा।

(v) राज्य के बाहर रहनेवाले और पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्राप्त करनेवाले इस राज्य के पेंशनधारक के समेकित/पारिवारिक पेंशन का भुगतान महालेखाकार बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही किया जायेगा।

(vi) सभी कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के मामलों में सम्बन्धित बैंकों की सभी शाखाओं को इस संकल्प के प्रावधानों के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन कर भुगतान करने हेतु भेज दें। पेंशन भुगतान करने वाले प्राधिकारियों को सुविधा प्रदान करने के अभिप्राय से वर्तमान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन

के समेकित पेंशन का सद्यगणक (रेडी रेकनर) संलग्न है। जिसके अनुसार समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्रतिमाह प्रारम्भ कर दिया जायेगा। फिर भी भुगतान करनेवाले पदाधिकारी का दायित्व होगा कि समेकित राशि की शुद्धता की जाँच अपने स्तर पर लें। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य से बाहर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों के प्रसंग में प्राधिकार पत्र अन्य राज्यों के महालेखाकारों को अविलम्ब भेजने की व्यवस्था की जाये तथा उसकी एक प्रति इस विभाग को भी भेजी जाये।

13. इस संकल्प के प्रावधानों से सम्बन्धित विवादों के समाधान करने हेतु केवल वित्त विभाग ही सक्षम है और वित्त विभाग द्वारा दिया गया परामर्श ही अन्तिम होगा। **[*वित्त विभाग, संकल्प संख्या पी०सी० 01/99-11558 वि०पें०, दिनांक 22-12-1999]**

अनुलग्नक–1

(अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन हेतु)

वित्त विभाग के संकल्प संख्या .... दिनांक .... की कंडिका .... संदर्भित

आवेदन प्रपत्र

(दो प्रतियों में उपस्थापित करें)

सेवा में,

....

(पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी)

विषय : वित्त विभाग के संकल्प संख्या .... दिनांक .... के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से पारिवारिक पेंशन का संशोधन–अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति।

महाशय,

वित्त विभाग के संकल्प संख्या .... दिनांक .... की कंडिका .... के प्रावधानों के अनुसार मेरे पेंशन भुगतान–1 आदेश संख्या (पी०पी०ओ०) (प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न) में अंकित पारिवारिक पेंशन के आधार पर अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने का प्रावधान है। वांछित विवरण निम्न प्रकार है –

1. आवेदक का नाम –
2. पत्राचार का पूरा पता –
3. स्वीकृत पेंशन की श्रेणी –
4. पारिवारिक पेंशन के मामले में पेंशनधारक/मृत पेंशनधारक का नाम –
5. सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि –
6. पेंशन/पारिवारिक पेंशन की प्रभावी तिथि जबसे भुगतान प्राप्त हो रहा है –
7. पेंशन भुगतान आदेश (पी०पी०ओ०) संख्या –
8. पेंशनधारक/मृत सरकारी सेवक के अन्तिम पदस्थापन के विभाग/कार्यालय का नाम एवं धारित पद –
9. सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को पेंशनधारक/मृत्यु की तिथि को पेंशनधारक/मृत सरकारी सेवक का मूल वेतन–

   (ख) वेतनमान
10. दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से अनुमान्य समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि –
11. स्लैब पद्धति द्वारा स्वीकृत पारिवारिक पेंशन की राशि –

    (पी०पी०ओ० में अंकित राशि)

    (i) वर्द्धित दर और अन्तिम भुगतान की तिथि –

    (ii) साधारण दर और प्रभावी तिथि

12. क्रमांक 9 में दिये गये मूल वेतन की 30 प्रतिशत राशि –

13. प्रस्तावित अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की राशि (12–11 (1)) –

14. वित्त विभाग की संकल्प संख्या 660, दिनांक 8-2-1999 के द्वारा सेवानिवृत्त पेंशन- भोगी/मृत सरकारी सेवक के लिए पुनरीक्षित वेतनमान –

15. पुनरीक्षित वेतनमान के प्रारंभिक वेतन के आधार पर अनुमान्य पेंशन की राशि –

16. कोषागार/उपकोषागार जिसके द्वारा/माध्यम से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो रहा है –

17. मामले के निराकरण हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण (यदि कोई हो) –

अनुरोध है कि सम्यक् जाँचोपरान्त स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को अनुशंसित करने की कृपा की जाये।

स्थान – विश्वासभाजन

दिनांक – पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक का हस्ताक्षर

उदाहरण–I

(पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि)

1.	धारक पद का वेतनमान	–	रु० 5100-150-5700-200-6300
2.	सेवानिवृत्ति की तिथि	–	31-7-1990
3.	पेंशन प्रदायी सेवा–33 वर्षों से अधिक		
	3 (1) सेवानिवृत्ति की तिथि/मृत्यु की तिथि को प्राप्त वेतन	–	रु० 6,300
4.	वर्तमान पेंशन	–	रु० 3,150
5.	समेकित पेंशन की गणना –		
	(i) वर्तमान पेंशन	–	रु० 3,150
	(ii) महँगाई राहत 96 प्रतिशत की दर से		रु० 3,330
	(iii) अन्तरिम राहत की प्रथम किस्त	–	रु० 50
	(iv) अन्तरिम राहत की द्वितीय किस्त	–	रु० 315
	(V) फिटमेंट वेटेज, 40 प्रतिशत की दर से		रु० 1,260
	योग –		रु० 8,105
6.	समेकित पेंशन	–	रु० 8,105
7.	उपर्युक्त वेतनमान के पद के लिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660 वि०, दिनांक 8-2-1999 के द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान रु० 16,400-450-20,000		
8.	पुनरीक्षित वेतनमान के प्रारम्भिक वेतन की 50 प्रतिशत राशि		रु० 8,200
9.	समेकित पेंशन का अन्तर रु० 8,200–रु० 8,105		रु० 95

टिप्पणी – (i) समेकित पेंशन रु० 8,105 का भुगतान दिनांक 1-4-1997 के प्रभाव से सम्बन्धित कोषागार/उपकोषागार/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा।

(ii) अन्तर की 95 रुपये की राशि को समेकित पेंशन में सम्मिलित करने हेतु पेंशनधारी द्वारा महालेखाकार बिहार को आवेदित करना होगा।

उदाहरण–II

(अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन हेतु)

1. धारक पद का वेतनमान – रु० 3,000-100-3,500-125-4,500
2. सेवानिवृत्ति की तिथि – 31-1-1990
3. सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को प्राप्त वेतन – रु० 3,100
4. स्लैब पद्धति के अनुसार अनुमान्य पारिवारिक पेंशन – रु० 600
5. वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन – रु० 600 × 2 = रु० 1,200

   (यदि पेंशन 1,200 रु० से कम हो तो पेंशन तक, जो पेंशन प्रदायी सेवा के समानुपातिक होगा या अन्तिम वेतन की 50 प्रतिशत राशि तक, जो भी कम हो)

6. समेकित पारिवारिक पेंशन –

		(क) सामान्य दर	वर्द्धित दर
(I) वर्तमान पेंशन	–	600	1,200
(II) दिनांक 1-1-1996 को अनुमान्य महँगाई राहत–148% की दर से	–	888	1,776
(III) अन्तरिम राहत की प्रथम किस्त	–	50	50
(IV) अन्तरिम राहत की द्वितीय किस्त (पेंशन की 10% की दर से)	–	60	120
(V) फिटमेंट वेटेज (40 प्रतिशत)	–	240	480
		1,838	3,626

7. उपर्युक्त क्रमांक 3 के वेतन की 30% राशि – रु० 930
8. वर्द्धित पर राशि – 1,550 (वेतन के 50 प्रतिशत तक ही सीमित है।)
9. अन्तर की राशि –
   (I) सामान्य दर – 930-600 रु० 300
   (II) वर्द्धित दर – 1,500-1,200 रु० 350
10. वित्त विभाग के संकल्प सं० 660 वि०, दिनांक 8-2-1999 के द्वारा धारक पद का स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान – 10,000-325-15,200
11. दिनांक 1-1-1990 को अनुमान्य किन्तु दिनांक 1-4-1997 से भुगतेय पारिवारिक पेंशन

    साधारण दर से – 1,838 + 330 रु० 2,168

    वर्द्धित दर से – 3,626 + 350 रु० 3,976

    (न्यूनतम राशि जिसका भुगतान किया जायेगा) 5,000 (अर्थात् वेतनमान के न्यूनतम का 50 प्रतिशत अथवा पेंशनभोगी की दिनांक 1-1-1996 को संशोधित पेंशन इनमें से जो भी कम हो।)

●

वित्त विभाग के संकल्प 11558 दिनांक 22-12-99 के अनुसार

दिनांक 1.1.96 से वैचारिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के उपरान्त दिनांक 1.4.97 से भुगतेय समेकित पेंशन तालिका

वर्तमान मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन Rs.	समेकित पेंशन की राशि Rs.	वर्तमान मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन Rs.	समेकित पेंशन की राशि Rs.	वर्तमान मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन Rs.	समेकित पेंशन की राशि Rs.	वर्तमान मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन Rs.	समेकित पेंशन की राशि Rs.	वर्तमान मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन Rs.	समेकित पेंशन की राशि Rs.
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
375 से		443	1,377	480	1,483	517	1,592	554	1,702
407 तक	1,275	444	1,380	481	1,486	518	1,595	555	1,705
408	1,276	445	1,382	482	1,489	519	1,598	556	1,708
409	1,279	446	1,386	483	1,492	520	1,600	557	1,711
410	1,281	447	1,388	484	1,495	521	1,605	558	1,714
411	1,285	448	1,392	485	1,497	522	1,607	559	1,717
412	1,287	449	1,394	486	1,501	523	1,611	560	1,719
413	1,291	450	1,396	487	1,503	524	1,613	561	1,724
414	1,293	451	1,400	488	1,507	525	1,615	562	1,726
415	1,296	452	1,402	489	1,509	526	1,619	563	1,730
416	1,299	453	1,406	490	1,512	527	1,621	564	1,732
417	1,302	454	1,408	491	1,515	528	1,625	565	1,735
418	1,305	455	1,411	492	1,518	529	1,627	566	1,738
419	1,308	456	1,414	493	1,521	530	1,630	567	1,741
420	1,310	457	1,417	494	1,524	531	1,634	568	1,744
421	1,314	458	1,420	495	1,526	532	1,637	569	1,747
422	1,316	459	1,423	496	1,530	533	1,640	570	1,749
423	1,320	460	1,425	497	1,532	534	1,643	571	1,754
424	1,322	461	1,429	498	1,536	535	1,645	572	1,756
425	1,324	462	1,431	499	1,538	536	1,649	573	1,760
426	1,328	463	1,435	500	1,540	537	1,651	574	1,762
427	1,330	464	1,437	501	1,545	538	1,655	575	1,764
428	1,334	465	1,440	502	1,547	539	1,657	576	1,768
429	1,336	466	1,443	503	1,551	540	1,660	577	1,770
430	1,339	467	1,446	504	1,553	541	1,664	578	1,774
431	1,342	468	1,449	505	1,556	542	1,667	579	1,776
432	1,345	469	1,452	506	1,559	543	1,670	580	1,779
433	1,348	470	1,454	507	1,562	544	1,673	581	1,783
434	1,351	471	1,458	508	1,565	545	1,675	582	1,786
435	1,353	472	1,460	509	1,568	546	1,679	583	1,789
436	1,357	473	1,464	510	1,570	547	1,681	584	1,792
437	1,359	474	1,466	511	1,575	548	1,685	585	1,794
438	1,363	475	1,468	512	1,577	549	1,687	586	1,798
439	1,365	476	1,472	513	1,581	550	1,689	587	1,800
440	1,368	477	1,474	514	1,583	551	1,694	588	1,804
441	1,371	478	1,478	515	1,586	552	1,696	589	1,806
442	1,374	479	1,480	516	1,589	553	1,700	590	1,809

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
591	1,813	637	1,949	683	2,087	729	2,223	775	2,360
592	1,816	638	1,953	684	2,090	730	2,226	776	2,364
593	1,819	639	1,955	685	2,092	731	2,230	777	2,366
594	1,822	640	1,958	686	2,096	732	2,233	778	2,370
595	1,824	641	1,962	687	2,098	733	2,236	779	2,372
596	1,828	642	1,965	688	2,102	734	2,239	780	2,375
597	1,830	643	1,968	689	2,104	735	2,241	781	2,379
598	1,834	644	1,971	690	2,107	736	2,245	782	2,382
599	1,836	645	1,973	691	2,111	737	2,247	783	2,385
600	1,838	646	1,977	692	2,114	738	2,251	784	2,388
601	1,843	647	1,979	693	2,117	739	2,253	785	2,390
602	1,845	648	1,983	694	2,120	740	2,256	786	2,394
603	1,849	649	1,985	695	2,122	741	2,260	787	2,396
604	1,851	650	1,987	696	2,126	742	2,263	788	2,400
605	1,854	651	1,992	697	2,128	743	2,266	789	2,402
606	1,857	652	1,994	698	2,132	744	2,269	790	2,405
607	1,860	653	1,998	699	2,134	745	2,271	791	2,409
608	1,863	654	2,000	700	2,136	746	2,275	792	2,412
609	1,866	655	2,003	701	2,141	747	2,277	793	2,415
610	1,868	656	2,006	702	2,143	748	2,281	794	2,418
611	1,873	657	2,009	703	2,147	749	2,283	795	2,420
612	1,875	658	2,012	704	2,149	750	2,285	796	2,424
613	1,879	659	2,015	705	2,152	751	2,290	797	2,426
614	1,881	660	2,017	706	2,155	752	2,292	798	2,430
615	1,884	661	2,022	707	2,158	753	2,296	799	2,432
616	1,887	662	2,024	708	2,161	754	2,298	800	2,434
617	1,890	663	2,028	709	2,164	755	2,301	801	2,439
618	1,893	664	2,030	710	2,166	756	2,304	802	2,441
619	1,896	665	2,033	711	2,171	757	2,307	803	2,445
620	1,898	666	2,036	712	2,173	758	2,310	804	2,447
621	1,903	667	2,039	713	2,177	759	2,313	805	2,450
622	1,905	668	2,042	714	2,179	760	2,315	806	2,453
623	1,909	669	2,045	715	2,182	761	2,320	807	2,456
624	1,911	670	2,047	716	2,185	762	2,322	808	2,459
625	1,913	671	2,052	717	2,188	763	2,326	809	2,462
626	1,917	672	2,054	718	2,191	764	2,328	810	2,464
627	1,919	673	2,058	719	2,194	765	2,331	811	2,469
628	1,923	674	2,060	720	2,196	766	2,334	812	2,471
629	1,925	675	2,062	721	2,201	767	2,337	813	2,475
630	1,928	676	2,066	722	2,203	768	2,340	814	2,477
631	1,932	677	2,068	723	2,207	769	2,343	815	2,480
632	1,935	678	2,072	724	2,209	770	2,345	816	2,483
633	1,938	679	2,074	725	2,211	771	2,350	817	2,486
634	1,941	680	2,077	726	2,215	772	2,352	818	2,489
635	1,943	681	2,081	727	2,217	773	2,356	819	2,492
636	1,947	682	2,084	728	2,221	774	2,358	820	2,494

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
821	2,499	867	2,635	913	2,773	959	2,909	1,005	3,046
822	2,501	868	2,638	914	2,775	960	2,911	1,006	3,049
823	2,505	869	2,641	915	2,778	961	2,916	1,007	3,052
824	2,507	870	2,643	916	2,781	962	2,918	1,008	3,055
825	2,509	871	2,648	917	2,784	963	2,822	1,009	3,058
826	2,513	872	2,650	918	2,787	964	2,924	1,010	3,060
827	2,515	873	2,654	919	2,790	965	2,927	1,011	3,065
828	2,519	874	2,656	920	2,792	966	2,930	1,012	3,067
829	2,521	875	2,658	921	2,797	967	2,933	1,013	3,071
830	2,524	876	2,662	922	2,799	968	2,936	1,014	3,073
831	2,528	877	2,664	923	2,803	969	2,939	1,015	3,076
832	2,531	878	2,668	924	2,805	970	2,941	1,016	3,079
833	2,534	879	2,670	925	2,807	971	2,946	1,017	3,082
834	2,537	880	2,673	926	2,811	972	2,948	1,018	3,085
835	2,539	881	2,677	927	2,813	973	2,952	1,019	3,088
836	2,543	882	2,680	928	2,817	974	2,854	1,020	3,090
837	2,545	883	2,683	929	2,819	975	2956	1,021	3,095
838	2,549	884	2,686	930	2,822	976	2,960	1,022	3,097
839	2,551	885	2,688	931	2,826	977	2,962	1,023	3,101
840	2,554	886	2,692	932	2,829	978	2,966	1,024	3,103
841	2,558	887	2,694	933	2,832	979	2,968	1,025	3,105
842	2,561	888	2,698	934	2,835	980	2,971	1,026	3,109
843	2,564	889	2,700	935	2,837	981	2,975	1,027	3,111
844	2,567	890	2,703	936	2,841	982	2,978	1,028	3,115
845	2,569	891	2,707	937	2,843	983	2,981	1,029	3,117
846	2,573	892	2,710	938	2,847	984	2,984	1,030	3,120
847	2,575	893	2,713	939	2,849	985	2,986	1,031	3,124
848	2,579	894	2,716	940	2,852	986	2,990	1,032	3,127
849	2,581	895	2,718	941	2,856	987	2,992	1,033	3,130
850	2,583	896	2,722	942	2,859	988	2,996	1,034	3,133
851	2,588	897	2,724	943	2,862	989	2,998	1,035	3,135
852	2,590	898	2,728	944	2,865	990	3,001	1,036	3,139
853	2,594	899	2,730	945	2,867	991	3,005	1,037	3,141
854	2,596	900	2,732	946	2,871	992	3,008	1,038	3,145
855	2,599	901	2,737	947	2,873	993	3,011	1,039	3,147
856	2,602	902	2,739	948	2,877	994	3,014	1,040	3,150
857	2,605	903	2,743	949	2,879	995	3,016	1,041	3,154
858	2,608	904	2,745	950	2,881	996	3,020	1,042	3,157
859	2,611	905	2,748	951	2,886	997	3,022	1,043	3,160
860	2,613	906	2,751	952	2,888	998	3,026	1,044	3,163
861	2,618	907	2,754	953	2,892	999	3,028	1,045	3,165
862	2,620	908	2,757	954	2,894	1,000	3,030	1,046	3,169
863	2,624	909	2,760	955	2,897	1,001	3,035	1,047	3,171
864	2,626	910	2,762	956	2,900	1,002	3,037	1,048	3,175
865	2,629	911	2,767	957	2,903	1,003	3,041	1,049	3,177
866	2,632	912	2,769	958	2,906	1,004	3,043	1,050	3,179

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1,051	3,184	1,097	3,320	1,143	3,458	1,189	3,594	1,235	3,731
1,052	3,186	1,098	3,324	1,144	3,461	1,190	3,597	1,236	3,735
1,053	3,190	1,099	3,326	1,145	3,463	1,191	3,601	1,237	3,737
1,054	3,192	1,100	3,328	1,146	3,467	1,192	3,604	1,238	3,741
1,055	3,195	1,101	3,333	1,147	3,469	1,193	3,607	1,239	3,743
1,056	3,198	1,102	3,335	1,148	3,473	1,194	3,610	1,240	3,746
1057	3,201	1,103	3,339	1,149	3,475	1,195	3,612	1,241	3,750
1,058	3,204	1,104	3,341	1,150	3,477	1,196	3,616	1,242	3,753
1,059	3,207	1,105	3,344	1,151	3,482	1,197	3,618	1,243	3,756
1,060	3,209	1,106	3,347	1,152	3,484	1,198	3,622	1,244	3,759
1,061	3,214	1,107	3,350	1,153	3,488	1,199	3,624	1,245	3,761
1,062	3,216	1,108	3,353	1,154	3,490	1,200	3,626	1,246	3,765
1,063	3,220	1,109	3,356	1,155	3,493	1,201	3,631	1,247	3,767
1,064	3,222	1,110	3,358	1,156	3,496	1,202	3,633	1,248	3,771
1,065	3,225	1,111	3,363	1,157	3,499	1,203	3,637	1,249	3,773
1,066	3,228	1,112	3,365	1,158	3,502	1,204	3,639	1,250	3,775
1,067	3,231	1,113	3,369	1,159	3,505	1,205	3,642	1,251	3,780
1,068	3,234	1,114	3,371	1,160	3,507	1,206	3,645	1,252	3,782
1,069	3,237	1,115	3,374	1,161	3,512	1,207	3,648	1,253	3,786
1,070	3,239	1,116	3,377	1,162	3,514	1,208	3,651	1,254	3,788
1,071	3,244	1,117	3,380	1,163	3,518	1,209	3,654	1,255	3,791
1,072	3,246	1,118	3,383	1,164	3,520	1,210	3,656	1,256	3,794
1,073	3,250	1,119	3,386	1,165	3,523	1,211	3,661	1,257	3,797
1,074	3,252	1,120	3,388	1,166	3,526	1,212	3,663	1,258	3,800
1,075	3,254	1,121	3,393	1,167	3,529	1,213	3,667	1,259	3,803
1,076	3,258	1,122	3,395	1,168	3,532	1,214	3,669	1,260	3,805
1,077	3,260	1,123	3,399	1,169	3,535	1,215	3,672	1,261	3,810
1,078	3,264	1,124	3,401	1,170	3,537	1,216	3,675	1,262	3,812
1,079	3,266	1,125	3,403	1,171	3,542	1,217	3,678	1,263	3,816
1,080	3,269	1,126	3,407	1,172	3,544	1,218	3,681	1,264	3,818
1,081	3,273	1,127	3,409	1,173	3,548	1,219	3,684	1,265	3,821
1,082	3,276	1,128	3,413	1,174	3,550	1,220	3,686	1,266	3,824
1,083	3,279	1,129	3,415	1,175	3,552	1,221	3,691	1,267	3,827
1,084	3,282	1,130	3,418	1,176	3,556	1,222	3,693	1,268	3,830
1,085	3,284	1,131	3,422	1,177	3,558	1,223	3,697	1,269	3,833
1,086	3,288	1,132	3,425	1,178	3,562	1,224	3,699	1,270	3,835
1,087	3,290	1,133	3,428	1,179	3,564	1,225	3,701	1,271	3,840
1,088	3,294	1,134	3,431	1,180	3,567	1,226	3,705	1,272	3,842
1,089	3,296	1,135	3,433	1,181	3,571	1,227	3,707	1,273	3,846
1,090	3,299	1,136	3,437	1,182	3,574	1,228	3,711	1,274	3,848
1,091	3,303	1,137	3,439	1,183	3,577	1,229	3,713	1,275	3,850
1,092	3,306	1,138	3,443	1,184	3,580	1,230	3,716	1,276	3,854
1,093	3,309	1,139	3,445	1,185	3,582	1,231	3,720	1,277	3,856
1,094	3,312	1,140	3,448	1,186	3,586	1,232	3,723	1,278	3,860
1,095	3,314	1,141	3,452	1,187	3,588	1,233	3,726	1,279	3,862
1,096	3,318	1,142	3,455	1,188	3,592	1,234	3,729	1,280	3,865

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1,281	3,869	1,327	4,005	1,373	4,144	1,419	4,280	1,465	4,417
1,282	3,872	1,328	4,009	1,374	4,146	1,420	4,282	1,466	4,420
1,283	3,875	1,329	4,011	1,375	4,148	1,421	4,287	1,467	4,423
1,284	3,878	1,330	4,014	1,376	4,152	1,422	4,289	1,468	4,426
1,285	3,880	1,331	4,018	1,377	4,154	1,423	4,293	1,469	4,429
1,286	3,884	1,332	4,021	1,378	4,158	1,424	4,295	1,470	4,431
1,287	3,886	1,333	4,024	1,379	4,160	1,425	4,297	1,471	4,436
1,288	3,890	1,334	4,027	1,380	4,163	1,426	4,301	1,472	4,438
1,289	3,892	1,335	4,029	1,381	4,167	1,427	4,303	1,473	4,442
1,290	3,895	1,336	4,033	1,382	4,170	1,428	4,307	1,474	4,444
1,291	3,899	1,337	4,035	1,383	4,173	1,429	4,309	1,475	4,446
1,292	3,902	1,338	4,039	1,384	4,176	1,430	4,312	1,476	4,450
1,293	3,905	1,339	4,041	1,385	4,178	1,431	4,316	1,477	4,452
1,294	3,908	1,340	4,044	1,386	4,182	1,432	4,319	1,478	4,456
1,295	3,910	1,341	4,048	1,387	4,184	1,433	4,322	1,479	4,458
1,296	3,914	1,342	4,051	1,388	4,188	1,434	4,325	1,480	4,461
1,297	3,916	1,343	4,054	1,389	4,190	1,435	4,327	1,481	4,465
1,298	3,920	1,344	4,057	1,390	4,193	1,436	4,331	1,482	4,468
1,299	3,922	1,345	4,059	1,391	4,197	1,437	4,333	1,483	4,471
1,300	3,924	1,346	4,063	1,392	4,200	1,438	4,337	1,484	4,474
1,301	3,929	1,347	4,065	1,393	4,203	1,439	4,339	1,485	4,476
1,302	3,931	1,348	4,069	1,394	4,206	1,440	4,342	1,486	4,480
1,303	3,935	1,349	4,071	1,395	4,208	1,441	4,346	1,487	4,482
1,304	3,937	1,350	4,073	1,396	4,212	1,442	4,349	1,488	4,486
1,305	3,940	1,351	4,078	1,397	4,214	1,443	4,352	1,489	4,488
1,306	3,943	1,352	4,080	1,398	4,218	1,444	4,355	1,490	4,491
1,307	3,946	1,353	4,084	1,399	4,220	1,445	4,357	1,491	4,495
1,308	3,949	1,354	4,086	1,400	4,222	1,446	4,361	1,492	4,498
1,309	3,952	1,355	4,089	1,401	4,227	1,447	4,363	1,493	4,501
1,310	3,954	1,356	4,092	1,402	4,229	1,448	4,367	1,494	4,504
1,311	3,959	1,357	4,095	1,403	4,233	1,449	4,369	1,495	4,506
1,312	3,961	1,358	4,098	1,404	4,235	1,450	4,371	1,496	4,510
1,313	3,965	1,359	4,101	1,405	4,238	1,451	4,376	1,497	4,512
1,314	3,967	1,360	4,103	1,406	4,241	1,452	4,378	1,498	4,516
1,315	3,970	1,361	4,108	1,407	4,244	1,453	4,382	1,499	4,518
1,316	3,973	1,362	4,110	1,408	4,247	1,454	4,384	1,500	4,520
1,317	3,976	1,363	4,114	1,409	4,250	1,455	4,387	1,501	4,525
1,318	3,979	1,364	4,116	1,410	4,252	1,456	4,390	1,502	4,527
1,319	3,982	1,365	4,119	1,411	4,257	1,457	4,393	1,503	4,531
1,320	3,984	1,366	4,122	1,412	4,259	1,458	4,396	1,504	4,533
1,321	3,989	1,367	4,125	1,413	4,263	1,459	4,399	1,505	4,536
1,322	3,991	1,368	4,128	1,414	4,265	1,460	4,401	1,506	4,539
1,323	3,995	1,369	4,131	1,415	4,268	1,461	4,406	1,507	4,542
1,324	3,997	1,370	4,133	1,416	4,271	1,462	4,408	1,508	4,545
1,325	3,999	1,371	4,138	1,417	4,274	1,463	4,412	1,509	4,548
1,326	4,003	1,372	4,140	1,418	4,277	1,464	4,414	1,510	4,550

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1,511	4,555	**1,557**	4,691	**1,603**	4,829	**1,649**	4,965	**1,695**	5,102
1,512	4,557	**1,558**	4,694	**1,604**	4,831	**1,650**	4,967	**1,696**	5,106
1,513	4,561	**1,559**	4,697	**1,605**	4,834	**1,651**	4,972	**1,697**	5,108
1,514	4,563	**1,560**	4,699	**1,606**	4,837	**1,652**	4,974	**1,698**	5,112
1,515	4,566	**1,561**	4,704	**1,607**	4,840	**1,653**	4,978	**1,699**	5,114
1,516	4,569	**1,562**	4,706	**1,608**	4,843	**1,654**	4,980	**1,700**	5,116
1,517	4,572	**1,563**	4,710	**1,609**	4,846	**1,655**	4,983	**1,701**	5,121
1,518	4,575	**1,564**	4,712	**1,610**	4,848	**1,656**	4,986	**1,702**	5,123
1,519	4,578	**1,565**	4,715	**1,611**	4,853	**1,657**	4,989	**1,703**	5,127
1,520	4,580	**1,566**	4,718	**1,612**	4,855	**1,658**	4,992	**1,704**	5,129
1,521	4,585	**1,567**	4,721	**1,613**	4,859	**1,659**	4,995	**1,705**	5,132
1,522	4,587	**1,568**	4,724	**1,614**	4,861	**1,660**	4,997	**1,706**	5,135
1,523	4,591	**1,569**	4,727	**1,615**	4,864	**1,661**	5,002	**1,707**	5,138
1,524	4,593	**1,570**	4,729	**1,616**	4,867	**1,662**	5,004	**1,708**	5,141
1,525	4,595	**1,571**	4,734	**1,617**	4,870	**1,663**	5,008	**1,709**	5,144
1,526	4,599	**1,572**	4,736	**1,618**	4,873	**1,664**	5,010	**1,710**	5,146
1,527	4,601	**1,573**	4,740	**1,619**	4,876	**1,665**	5,013	**1,711**	5,151
1,528	4,605	**1,574**	4,742	**1,620**	4,878	**1,666**	5,016	**1,712**	5,153
1,529	4,607	**1,575**	4,744	**1,621**	4,883	**1,667**	5,019	**1,713**	5,157
1,530	4,610	**1,576**	4,748	**1,622**	4,885	**1,668**	5,022	**1,714**	5,159
1,531	4,614	**1,577**	4,750	**1,623**	4,889	**1,669**	5,025	**1,715**	5,162
1,532	4,617	**1,578**	4,754	**1,624**	4,891	**1,670**	5,027	**1,716**	5,165
1,533	4,620	**1,579**	4,756	**1,625**	4,893	**1,671**	5,032	**1,717**	5,168
1,534	4,623	**1,580**	4,759	**1,626**	4,897	**1,672**	5,034	**1,718**	5,171
1,535	4,625	**1,581**	4,763	**1,627**	4,899	**1,673**	5,038	**1,719**	5,174
1,536	4,629	**1,582**	4,766	**1,628**	4,903	**1,674**	5,040	**1,720**	5,176
1,537	4,631	**1,583**	4,769	**1,629**	4,905	**1,675**	5,042	**1,721**	5,181
1,538	4,635	**1,584**	4,772	**1,630**	4,908	**1,676**	5,046	**1,722**	5,183
1,539	4,637	**1,585**	4,774	**1,631**	4,912	**1,677**	5,048	**1,723**	5,187
1,540	4,640	**1,586**	4,778	**1,632**	4,915	**1,678**	5,052	**1,724**	5,189
1,541	4,644	**1,587**	4,780	**1,633**	4,918	**1,679**	5,054	**1,725**	5191
1,542	4,647	**1,588**	4,784	**1,634**	4,921	**1,680**	5,057	**1,726**	5,195
1,543	4,650	**1,589**	4,786	**1,635**	4,923	**1,681**	5,061	**1,727**	5,197
1,544	4,653	**1,590**	4,789	**1,636**	4,927	**1,682**	5,064	**1,728**	5,201
1,545	4,655	**1,591**	4,793	**1,637**	4,929	**1,683**	5,067	**1,729**	5,203
1,546	4,659	**1,592**	4,796	**1,638**	4,933	**1,684**	5,070	**1,730**	5,206
1,547	4,661	**1,593**	4,799	**1,639**	4,935	**1,685**	5,072	**1,731**	5,210
1,548	4,665	**1,594**	4,802	**1,640**	4,938	**1,686**	5,076	**1,732**	5,213
1,549	4,667	**1,595**	4,804	**1,641**	4,942	**1,687**	5,078	**1,733**	5,216
1,550	4,669	**1,596**	4,808	**1,642**	4,945	**1,688**	5,082	**1,734**	5,219
1,551	4,674	**1,597**	4,810	**1,643**	4,948	**1,689**	5,084	**1,735**	5,221
1,552	4,676	**1,598**	4,814	**1,644**	4,951	**1,690**	5,087	**1,736**	5,225
1,553	4,680	**1,599**	4,816	**1,645**	4,953	**1,691**	5,091	**1,737**	5,227
1,554	4,682	**1,600**	4,818	**1,646**	4,957	**1,692**	5,094	**1,738**	5,231
1,555	4,685	**1,601**	4,823	**1,647**	4,959	**1,693**	5,097	**1,739**	5,233
1,556	4,688	**1,602**	4,825	**1,648**	4,963	**1,694**	5,100	**1,740**	5,236

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1,741	5,240	1,787	5,321	1,833	5,391	1,879	5,459	1,925	5,528
1,742	5,243	1,788	5,323	1,834	5,392	1,880	5,460	1,926	5,530
1,743	5,246	1,789	5,324	1,835	5,393	1,881	5,463	1,927	5,531
1,744	5,249	1,790	5,325	1,836	5,395	1,882	5,464	1,928	5,533
1,745	5,251	1,791	5,328	1,837	5,396	1,883	5,466	1,929	5,534
1,746	5,255	1,792	5,329	1,838	5,398	1,884	5,467	1,930	5,535
1,747	5,257	1,793	5,331	1,839	5,399	1,885	5,468	1,931	5,538
1,748	5,261	1,794	5,332	1,840	5,400	1,886	5,470	1,932	5,539
1,749	5,263	1,795	5,333	1,841	5,403	1,887	5,471	1,933	5,541
1,750	5,265	1,796	5,335	1,842	5,404	1,888	5,473	1,934	5,542
1,751	5,268	1,797	5,336	1,843	5,406	1,889	5,474	1,935	5,543
1,752	5,269	1,798	5,338	1,844	5,407	1,890	5,475	1,936	5,545
1,753	5,271	1,799	5,339	1,845	5,408	1,891	5,478	1,937	5,546
1,754	5,272	1,800	5,340	1,846	5,410	1,892	5,479	1,938	5,548
1,755	5,273	1,801	5,343	1,847	5,411	1,893	5,481	1,939	5,549
1,756	5,275	1802	5,344	1,848	5,413	1,894	5,482	1,940	5,550
1,757	5,276	1,803	5,346	1,849	5,414	1,895	5,483	1,941	5,553
1,758	5,278	1,804	5,347	1,850	5,415	1,896	5,485	1,942	5,554
1,759	5,279	1,805	5,348	1,851	5,418	1,897	5,486	1,943	5,556
1,760	5,280	1,806	5,350	1,852	5,419	1,898	5,488	1,944	5,557
1,761	5,283	1,807	5,351	1,853	5,421	1,899	5,489	1,945	5,558
1,762	5,284	1,808	5,353	1,854	5,422	1,900	5,490	1,946	5,560
1,763	5,286	1,809	5,354	1,855	5,423	1,901	5,493	1,947	5,561
1,764	5,287	1,810	5,355	1,856	5,425	1,902	5,494	1,948	5,563
1,765	5,288	1,811	5,358	1,857	5,426	1,903	5,496	1,949	5,564
1,766	5,290	1812	5,359	1,858	5,428	1,904	5,497	1,950	5,565
1,767	5,291	1,813	5,361	1,859	5,429	1,905	5,498	1,951	5,568
1,768	5,293	1,814	5,362	1,860	5,430	1,906	5,500	1,952	5,569
1,769	5,294	1,815	5,363	1,861	5,433	1,907	5,501	1,953	5,571
1,770	5,295	1,816	5,365	1,862	5,434	1,908	5,503	1,954	5,572
1,771	5,298	1,817	5,366	1,863	5,436	1,909	5,504	1,955	5,573
1,772	5,299	1,818	5,368	1,864	5,437	1,910	5,505	1,956	5,575
1,773	5,301	1,819	5,869	1,865	5,438	1,911	5,508	1,957	5,576
1,774	5,302	1,820	5,370	1,866	5,440	1,912	5,509	1,958	5,578
1,775	5,303	1,821	5,373	1,867	5,441	1,913	5,511	1,959	5,579
1,776	5,305	1,822	5,374	1,868	5,443	1,914	5,512	1,960	5,580
1,777	5,306	1,823	5,376	1,869	5,444	1,915	5,513	1,961	5,583
1,778	5,308	1,824	5,377	1,870	5,445	1,916	5,515	1,962	5,584
1,779	5,309	1,825	5,378	1,871	5,448	1,917	5,516	1,963	5,586
1,780	5,310	1,826	5,380	1,872	5,449	1,918	5,518	1,964	5,587
1,781	5,313	1,827	5,381	1,873	5,451	1,919	5,519	1,965	5,588
1,782	5,314	1,828	5,383	1,874	5,452	1,920	5,520	1,966	5,590
1,783	5,316	1,829	5,384	1,875	5,453	1,921	5,523	1,967	5,591
1,784	5,317	1,830	5,385	1,876	5,455	1,922	5,524	1,968	5,593
1,785	5,318	1,831	5,388	1,877	5,456	1,923	5,626	1,969	5,594
1,786	5,320	1,832	5,389	1,878	5,458	1,924	5,527	1,970	5,595

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1,971	5,598	**2,017**	5,666	**2,063**	5,736	**2,109**	5,804	**2,155**	5,873
1,972	5,599	**2,018**	5,668	**2,064**	5,737	**2,110**	5,805	**2,156**	5,875
1,973	5,601	**2,019**	5,669	**2,065**	5,738	**2,111**	5,808	**2,157**	5,876
1,974	5,602	**2,020**	5,670	**2,066**	5,740	**2,112**	5,809	**2,158**	5,878
1,975	5,603	**2,021**	5,673	**2,067**	5,741	**2,113**	5,811	**2,159**	5,879
1,976	5,605	**2,022**	5,674	**2,068**	5,743	**2,114**	5,812	**2,160**	5,880
1,977	5,606	**2,023**	5,676	**2,069**	5,744	**2,115**	5,813	**2,161**	5,883
1,978	5,608	**2,024**	5,677	**2,070**	5,745	**2,116**	5,815	**2,162**	5,884
1,979	5,609	**2,025**	5,678	**2,071**	5,748	**2,117**	5,816	**2,163**	5,886
1,980	5,610	**2,026**	5,680	**2,072**	5,749	**2,118**	5,818	**2,164**	5,887
1,981	5,613	**2,027**	5,681	**2,073**	5,751	**2,119**	5,819	**2,165**	5,888
1,982	5,614	**2,028**	5,683	**2,074**	5,752	**2,120**	5,820	**2,166**	5,890
1,983	5,616	**2,029**	5,684	**2,075**	5,753	**2,121**	5,823	**2,167**	5,891
1,984	5,617	**2,030**	5,685	**2,076**	5,755	**2,122**	5,824	**2,168**	5,893
1,985	5,618	**2,031**	5,688	**2,077**	5,756	**2,123**	5,826	**2,169**	5,894
1,986	5,620	**2,032**	5,689	**2,078**	5,758	**2,124**	5,827	**2,170**	5,895
1,987	5,621	**2,033**	5,691	**2,079**	5,759	**2,125**	5,828	**2,171**	5,898
1,988	5,623	**2,034**	5,692	**2,080**	5,760	**2,126**	5,830	**2,172**	5,899
1,989	5,624	**2,035**	5,693	**2,081**	5,763	**2,127**	5,831	**2,173**	5,901
1,990	5,625	**2,036**	5,695	**2,082**	5,764	**2,128**	5,833	**2,174**	5,902
1,991	5,628	**2,037**	5,696	**2,083**	5,766	**2,129**	5,834	**2,175**	5,903
1,992	5,629	**2,038**	5,698	**2,084**	5,767	**2,130**	5,835	**2,176**	5,905
1,993	5,631	**2,039**	5,699	**2,085**	5,768	**2,131**	5,838	**2,177**	5,906
1,994	5,632	**2,040**	5,700	**2,086**	5,770	**2,132**	5,839	**2,178**	5,908
1,995	5,633	**2,041**	5,703	**2,087**	5,771	**2,133**	5,841	**2,179**	5,909
1,996	5,635	**2,042**	5,704	**2,088**	5,773	**2,134**	5,842	**2,180**	5,910
1,997	5,636	**2,043**	5,706	**2,089**	5,774	**2,135**	5,843	**2,181**	5,913
1,998	5,638	**2,044**	5,707	**2,090**	5,775	**2,136**	5,845	**2,182**	5,914
1,999	5,639	**2,045**	5,708	**2,091**	5,778	**2,137**	5,846	**2,183**	5,916
2,000	5,640	**2,046**	5,710	**2,092**	5,779	**2,138**	5,848	**2,184**	5,917
2,001	5,643	**2,047**	5,711	**2,093**	5,781	**2,139**	5,849	**2,185**	5,918
2,002	5,644	**2,048**	5,713	**2,094**	5,782	**2,140**	5,850	**2,186**	5,920
2,003	5,646	**2,049**	5,714	**2,095**	5,783	**2,141**	5,853	**2,187**	5,921
2,004	5,647	**2,050**	5,715	**2,096**	5,785	**2,142**	5,854	**2,188**	5,923
2,005	5,648	**2,051**	5,718	**2,097**	5,786	**2,143**	5,856	**2,189**	5,924
2,006	5,650	**2,052**	5,719	**2,098**	5,788	**2,144**	5,857	**2,190**	5,925
2,007	5,651	**2,053**	5,721	**2,099**	5,789	**2,145**	5,858	**2,191**	5,928
2,008	5,653	**2,054**	5,722	**2,100**	5,790	**2,146**	5,860	**2,192**	5,929
2,009	5,654	**2,055**	5,723	**2,101**	5,793	**2,147**	5,861	**2,193**	5,931
2,010	5,655	**2,056**	5,725	**2,102**	5,794	**2,148**	5,863	**2,194**	5,932
2,011	5,658	**2,057**	5,726	**2,103**	5,796	**2,149**	5,864	**2,195**	5,933
2,012	5,659	**2,058**	5,728	**2,104**	5,797	**2,150**	5,865	**2,196**	5,935
2,013	5,661	**2,059**	5,729	**2,105**	5,798	**2,151**	5,868	**2,197**	5,936
2,014	5,662	**2,060**	5,730	**2,106**	5,800	**2,152**	5,869	**2,198**	5,938
2,015	5,663	**2,061**	5,733	**2,107**	5,801	**2,153**	5,871	**2,199**	5,939
2,016	5,665	**2,062**	5,734	**2,108**	5,803	**2,154**	5,872	**2,200**	5,940

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
2,201	5,943	2,247	6,011	2,293	6,081	2,339	6,156	2,385	6,276
2,202	5,944	2,248	6,013	2,294	6,082	2,340	6,158	2,386	6,279
2,203	5,946	2,249	6,014	2,295	6,083	2,341	6,162	2,387	6,281
2,204	5,947	2,250	6,015	2,296	6,085	2,342	6,164	2,388	6,284
2,205	5,948	2,251	6,018	2,297	6,086	2,343	6,167	2,389	6,286
2,206	5,950	2,252	6,019	2,298	6,088	2,344	6,169	2,390	6,288
2,207	5,951	2,253	6,021	2,299	6,089	2,345	6,171	2,391	6,293
2,208	5,953	2,254	6,022	2,300	6,090	2,346	6,175	2,392	6,295
2,209	5,954	2,255	6,023	2,301	6,093	2,347	6,177	2,393	6,298
2,210	5,955	2,256	6,025	2,302	6,094	2,348	6,180	2,394	6,300
2,211	5,958	2,257	6,026	2,303	6,096	2,349	6,182	2,395	6,302
2,212	5,959	2,258	6,028	2,304	6,097	2,350	6,184	2,396	6,305
2,213	5,961	2,259	6,029	2,305	6,098	2,351	6,188	2,397	6,307
2,214	5,962	2,260	6,030	2,306	6,100	2,352	6,190	2,398	6,310
2,215	5,963	2,261	6,033	2,307	6,101	2,353	6,193	2,399	6,312
2,216	5,965	2,262	6,034	2,308	6,103	2,354	6,195	2,400	6,314
2,217	5,966	2,263	6,036	2,309	6,104	2,355	6,198	2,401	6,319
2,218	5,968	2,264	6,037	2,310	6,105	2,356	6,201	2,402	6,321
2,219	5,969	2,265	6,038	2,311	6,108	2,357	6,203	2,403	6,324
2,220	5,970	2,266	6,040	2,312	6,109	2,358	6,206	2,404	6,326
2,221	5,973	2,267	6,041	2,313	6,111	2,359	6,208	2,405	6,328
2,222	5,974	2,268	6,043	2,314	6,112	2,360	6,210	2,406	6,331
2,223	5,976	2,269	6,044	2,315	6,113	2,361	6,124	2,407	6,333
2,224	5,977	2,270	6,045	2,316	6,115	2,362	6,216	2,408	6,336
2,225	5,978	2,271	6,048	2,317	6,116	2,363	6,219	2,409	6,338
2,226	5,980	2,272	6,049	2,318	6,118	2,364	6,222	2,410	6,341
2,227	5,981	2,273	6,051	2,319	6,119	2,365	6,224	2,411	6,345
2,228	5,983	2,274	6,052	2,320	6,120	2,366	6,227	2,412	6,347
2,229	5,984	2,275	6,053	2,321	6,123	2,367	6,229	2,413	6,350
2,230	5,985	2,276	6,055	2,322	6,124	2,368	6,232	2,414	6,352
2,231	5,988	2,277	6,056	2,323	6,126	2,369	6,234	2,415	6,354
2,232	5,989	2,278	6,058	2,324	6,127	2,370	6,236	2,416	6,357
2,233	5,991	2,279	6,059	2,325	6,128	2,371	6,240	2,417	6,359
2,234	5,992	2,280	6,060	2,326	6,130	2,372	6,242	2,418	6,362
2,235	5,993	2,281	6,063	2,327	6,131	2,373	6,246	2,419	6,365
2,236	5,995	2,282	6,064	2,328	6,133	2,374	6,248	2,420	6,367
2,237	5,996	2,283	6,066	2,329	6,134	2,375	6,250	2,421	6,371
2,238	5,998	2,284	6,067	2,330	6,135	2,376	6,253	2,422	6,373
2,239	5,999	2,285	6,068	2,331	6,138	2,377	6,255	2,423	6,376
2,240	6,000	2,286	6,070	2,332	6,139	2,378	6,258	2,424	6,378
2,241	6,003	2,287	6,071	2,333	6,141	2,379	6,260	2,425	6,380
2,242	6,004	2,288	6,073	2,334	6,143	2,380	6,262	2,426	6,383
2,243	6,006	2,289	6,074	2,335	6,145	2,381	6,266	2,427	6,385
2,244	6,007	2,290	6,075	2,336	6,148	2,382	6,269	2,428	6,389
2,245	6,008	2,291	6,078	2,337	6,151	2,383	6,272	2,429	6,391
2,246	6,010	2,292	6,079	2,338	6,154	2,384	6,274	2,430	6,393

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
2,431	6,397	2,477	6,516	2,523	6,637	2,569	6,756	2,615	6,876
2,432	6,399	2,478	6,519	2,524	6,639	2,570	6,758	2,616	6,879
2,433	6,402	2,479	6,521	2,525	6,641	2,571	6,762	2,617	6,881
2,434	6,404	2,480	6,523	2,526	6,644	2,572	6,764	2,618	6,884
2,435	6,406	2,481	6,527	2,527	6,646	2,573	6,768	2,619	6,887
2,436	6,409	2,482	6,530	2,528	6,650	2,574	6,770	2,620	6,889
2,437	6,412	2,483	6,533	2,529	6,652	2,575	6,772	2,621	6,893
2,438	6,415	2,484	6,535	2,530	6,654	2,576	6,775	2,622	6,895
2,439	6,417	2,485	6,537	2,531	6,658	2,577	6,777	2,623	6,898
2,440	6,419	2,486	6,540	2,532	6,660	2,578	6,780	2,624	6,900
2,441	6,423	2,487	6,542	2,533	6,663	2,579	6,782	2,625	6,902
2,442	6,425	2,488	6,545	2,534	6,665	2,580	6,784	2626	6,905
2,443	6,428	2,489	6,547	2,535	6,667	2,581	6,788	2,627	6,907
2,444	6,430	2,490	6,549	2,536	6,670	2,582	6,791	2,628	6,911
2,445	6,432	2,491	6,554	2,537	6,673	2,583	6,794	2,629	6,913
2,446	6,436	2,492	6,556	2,538	6,676	2,584	6,796	2,630	6,915
2,447	6,438	2,493	6,559	2,539	6,678	2,585	6,798	2,631	6,919
2,448	6,441	2,494	6,561	2,540	6,680	2,586	6,801	2,632	6,921
2,449	6,443	2,495	6,563	2541	6,684	2,587	6,803	2,633	6,924
2,450	6,445	2,496	6,566	2,542	6,686	2,588	6,806	2,634	6,926
2,451	6,449	2,497	6,568	2,543	6,689	2,589	6,808	2,635	6,928
2,452	6,451	2,498	6,571	2,544	6,691	2,590	6,810	2,636	6,931
2,453	6,454	2,499	6,573	2,545	6,693	2,591	6,815	2,637	6,934
2,454	6,456	2,500	6,575	2,546	6,697	2,592	6,817	2,638	6,937
2,455	6,459	2,501	6,580	2,547	6,699	2,593	6,820	2,639	6939
2,456	6,462	2,502	6,582	2,548	6,702	2,594	6,822	2,640	6,941
2,457	6,464	2,503	6,585	2,549	6,704	2,595	6,824	2,641	6,945
2,458	6,467	2,504	6,587	2,550	6,706	2,596	6,827	2,642	6,947
2,459	6,469	2,505	6,589	2,551	6,710	2,597	6,829	2,643	6,950
2,460	6,471	2,506	6,592	2,552	6,712	2,598	6,832	2,644	6,952
2,461	6,475	2,507	6,594	2,553	6,715	2,599	6,834	2,645	6,954
2,462	6,477	2,508	6,597	2,554	6,717	2,600	6,836	2,646	6,958
2,463	6,480	2,509	6,599	2,555	6,720	2,601	6,841	2,647	6,960
2,464	6,483	2,510	6,602	2,556	6,723	2,602	6,843	2,648	6,963
2,465	6,485	2,511	6,606	2,557	6,725	2,603	6,846	2,649	6,965
2,466	6,488	2,512	6,608	2,558	6,728	2,604	6,848	2,650	6,967
2,467	6,490	2,513	6,611	2,559	6,730	2,605	6,850	2,651	6,971
2,468	6,493	2,514	6,613	2,560	6,732	2,606	6,853	2,652	6,973
2,469	6,495	2,515	6,615	2,561	6,736	2,607	6,855	2,653	6,976
2,470	6,497	2,516	6,618	2,562	6,738	2,608	6,858	2,654	6,978
2,471	6,501	2,517	6,620	2,563	6,741	2,609	6,860	2,655	6,981
2,472	6,503	2,518	6,623	2,564	6,744	2,610	6,863	2,656	6,984
2,473	6,507	2,519	6,626	2,565	6,746	2,611	6,867	2,657	6,986
2,474	6,509	2,520	6,628	2,566	6,749	2,612	6,869	2,658	6,989
2,475	6,511	2,521	6,632	2,567	6,751	2,613	6,872	2,659	6,991
2,476	6,514	2,522	6,634	2,568	6,754	2,614	6,874	2,660	6,993

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
2,661	6,997	2,707	7,116	2,753	7,237	2,799	7,356	2,845	7,476
2,662	6,999	2,708	7,119	2,754	7,239	2,800	7,358	2,846	7,480
2,663	7,002	2,709	7,121	2,755	7,242	2,801	7,363	2,847	7,482
2,664	7,005	2,710	7,124	2,756	7,245	2,802	7,365	2,848	7,485
2,665	7,007	2,711	7,128	2,757	7,247	2,803	7,368	2,849	7,487
2,666	7,010	2,712	7,130	2,758	7,250	2,804	7,370	2,850	7,489
2,667	7,012	2,713	7,133	2,759	7,252	2,805	7,372	2,851	7,493
2,668	7,015	2,714	7,135	2,760	7,254	2,806	7,375	2,852	7,495
2,669	7,017	2,715	7,137	2,761	7,258	2,807	7,377	2,853	7,498
2,670	7,019	2,716	7,140	2,762	7,260	2,808	7,380	2,854	7,500
2,671	7,023	2,717	7,142	2,763	7,263	2,809	7,382	2,855	7,503
2,672	7,025	2,718	7,145	2,764	7,266	2,810	7,385	2,856	7,506
2,673	7,029	2,719	7,148	2,765	7,268	2,811	7,389	2,857	7,508
2,674	7,031	2,720	7,150	2,766	7,271	2,812	7,391	2,858	7,511
2,675	7,033	2,721	7,154	2,767	7,273	2,813	7,394	2,859	7,513
2,676	7,036	2,722	7,156	2,768	7,276	2,814	7,396	2,860	7,515
2,677	7,038	2,723	7,159	2,769	7,278	2,815	7,398	2,861	7,519
2,678	7,041	2,724	7,161	2,770	7,280	2,816	7,401	2,862	7,521
2,679	7,043	2,725	7,163	2,771	7,284	2,817	7,403	2,863	7,524
2,680	7,045	2,726	7,166	2,772	7,286	2,818	7,406	2,864	7,527
2,681	7,049	2,727	7,168	2,773	7,290	2,819	7,409	2865	7,529
2,682	7,052	2,728	7,172	2,774	7,292	2,820	7,411	2,866	7,532
2,683	7,055	2,729	7,174	2,775	7,294	2,821	7,415	2,867	7,534
2,684	7,057	2,730	7,176	2,776	7,297	2,822	7,417	2,868	7,537
2,685	7,059	2,731	7,180	2,777	7,299	2,823	7,420	2,869	7,539
2,686	7,062	2,732	7,182	2,778	7,302	2,824	7,422	2,870	7,541
2,687	7,064	2,733	7,185	2,779	7,304	2,825	7,424	2,871	7,545
2,688	7,067	2,734	7,187	2,780	7,306	2,826	7,427	2,872	7,547
2,689	7,069	2,735	7,189	2,781	7,310	2,827	7,429	2,873	7,551
2,690	7,071	2,736	7,192	2,782	7,313	2,828	7,433	2,874	7,553
2,691	7,076	2,737	7,195	2,783	7,316	2,829	7,435	2,875	7,555
2,692	7,078	2,738	7,198	2,784	7,318	2,830	7,437	2,876	7,558
2,693	7,081	2,739	7,200	2,785	7,320	2,831	7,441	2,877	7,560
2,694	7,083	2,740	7,202	2,786	7,323	2,832	7,443	2,878	7,563
2,695	7,085	2,741	7,206	2,787	7,325	2,833	7,446	2,879	7,565
2,696	7,088	2,742	7,208	2,788	7,328	2,834	7,448	2,880	7,567
2,697	7,090	2,743	7,211	2,789	7,330	2,835	7,450	2,881	7,571
2,698	7,093	2,744	7,213	2,790	7,332	2,836	7,453	2,882	7,574
2,699	7,095	2,745	7,215	2,791	7,337	2,837	7,456	2,883	7,577
2,700	7,097	2,746	7,219	2,792	7,339	2,838	7,459	2,884	7,579
2,701	7,102	2,747	7,221	2,793	7,342	2,839	7,461	2,885	7,581
2,702	7,104	2,748	7,224	2,794	7,344	2,840	7,463	2,886	7,584
2,703	7,107	2,749	7,226	2,795	7,346	2,841	7,667	2,887	7,586
2,704	7,109	2,750	7,228	2,796	7,349	2,842	7,469	2,888	7,589
2,705	7,111	2,751	7,232	2,797	7,351	2,843	7,472	2,889	7,591
2,706	7,114	2,752	7,234	2,798	7,354	2,844	7,474	2,890	7,593

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
2,891	7,598	2,937	7,717	2,983	7,838	3,029	7,924	3,075	7,993
2,892	7,600	2,938	7,720	2,984	7,840	3,030	7,925	3,076	7,995
2,893	7,603	2,939	7,722	2,985	7,842	3,031	7,928	3,077	7,996
2,894	7,605	2,940	7,724	2,986	7,845	3,032	7,929	3,078	7,998
2,895	7,607	2,941	7,728	2,987	7,847	3,033	7,931	3,079	7,999
2,896	7,610	2,942	7,730	2,988	7,850	3,034	7,932	3,080	8,000
2,897	7,612	2,943	7,733	2,989	7,852	3,035	7,933	3,081	8,003
2,898	7,615	2,944	7,735	2,990	7,854	3,036	7,935	3,082	8,004
2,899	7,617	2,945	7,737	2,991	7,859	3,037	7,936	3,083	8,006
2,900	7,619	2,946	7,741	2,992	7,861	3,038	7,938	3,084	8,007
2,901	7,624	2,947	7,743	2,993	7,864	3,039	7,939	3,085	8,008
2,902	7,626	2,948	7,746	2,994	7,866	3,040	7,940	3,086	8,010
2,903	7,629	2,949	7,748	2,995	7,868	3,041	7,943	3,087	8,011
2,904	7,631	2,950	7,750	2,996	7,871	3,042	7,944	3,088	8,013
2,905	7,633	2,951	7,754	2,997	7,873	3,043	7,946	3,089	8,014
2,906	7,636	2,952	7,756	2,998	7,876	3,044	7,947	3,090	8,015
2,907	7,638	2,953	7,759	2,999	7,878	3,045	7,948	3,091	8,018
2,908	7,641	2,954	7,761	3,000	7,880	3,046	7,950	3,092	8,019
2,909	7,643	2,955	7,764	3,001	7,883	3,047	7,951	3,093	8,021
2,910	7,646	2,956	7,767	3,002	7,884	3,048	7,953	3,094	8,022
2,911	7,650	2,957	7,769	3,003	7,886	3,049	7,954	3,095	8,023
2,912	7,652	2,958	7,772	3,004	7,887	3,050	7,955	3,096	8,025
2,913	7,655	2,959	7,774	3,005	7,888	3,051	7,958	3,097	8,026
2,914	7,657	2,960	7,776	3,006	7,890	3,052	7,960	3,098	8,028
2,915	7,659	2,961	7,780	3,007	7,891	3,053	7,961	3,099	8,029
2,916	7,662	2,962	7,782	3,008	7,893	3,054	7,962	3,100	8,030
2,917	7,664	2,963	7,785	3,009	7,894	3,055	7,963	3,101	8,033
2,918	7,667	2,964	7,788	3,010	7,895	3,056	7,965	3,102	8,034
2,919	7,670	2,965	7,790	3,011	7,898	3,057	7,966	3,103	8,036
2,920	7,672	2,966	7,793	3,012	7,899	3,058	7,968	3,104	8,037
2,921	7,676	2,967	7,795	3,013	7,901	3,059	7,969	3,105	8,038
2,922	7,678	2,968	7,798	3,014	7,902	3,060	7,970	3,106	8,040
2,923	7,681	2,969	7,800	3,015	7,903	3,061	7,973	3,107	8,041
2,924	7,683	2,970	7,802	3,016	7,905	3,062	7,974	3,108	8,043
2,925	7,685	2,971	7,806	3,017	7,906	3,063	7,976	3,109	8,044
2,926	7,688	2,972	7,808	3,018	7,908	3,064	7,977	3,110	8,045
2,927	7,690	2,973	7,812	3,019	7,909	3,065	7,978	3,111	8,048
2,928	7,694	2,974	7,814	3,020	7,910	3,066	7,980	3,112	8,049
2,929	7,696	2,975	7,816	3,021	7,913	3,067	7,981	3,113	8,051
2,930	7,698	2,976	7,819	3,022	7,914	3,068	7,983	3,114	8,052
2,931	7,702	2,977	7,821	3,023	7,916	3,069	7,984	3,115	8,053
2,932	7,704	2,978	7,824	3,024	7,917	3,070	7,985	3,116	8,055
2,933	7,707	2,979	7,826	3,025	7,918	3,071	7,988	3,117	8,056
2,934	7,709	2,980	7,828	3,026	7,920	3,072	7,989	3,118	8,058
2,935	7,711	2,981	7,832	3,027	7,921	3,073	7,991	3,119	8,059
2,936	7,714	2,982	7,835	3,028	7,923	3,074	7,992	3,120	8,060

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
3,121	8,063	3,167	8,131	3,213	8,201	3,259	8,269	3,305	8,338
3,122	8,064	3,168	8,133	3,214	8,202	3,260	8,270	3,306	8,340
3,123	8,066	3,169	8,134	3,215	8,203	3,261	8,273	3,307	8,341
3,124	8,067	3,170	8,135	3,216	8,205	3,262	8,274	3,308	8,343
3,125	8,068	3,171	8,138	3,217	8,206	3,263	8,276	3,309	8,344
3,126	8,070	3,172	8,139	3,218	8,208	3,264	8,277	3,310	8,345
3,127	8,071	3,173	8,141	3,219	8,209	3,265	8,278	3,311	8,348
3,128	8,073	3,174	8,142	3,220	8,210	3,266	8,278	3,312	8,349
3,129	8,074	3,175	8,143	3,221	8,213	3,267	8,280	3,313	8,351
3,130	8,075	3,176	8,145	3,222	8,214	3,268	8,281	3,314	8,352
3,131	8,078	3,177	8,146	3,223	8,216	3,269	8,283	3,315	8,353
3,132	8,080	3,178	8,148	3,224	8,217	3,270	8,284	3,316	8,355
3,133	8,081	3,179	8,149	3,225	8,218	3,271	8,285	3,317	8,356
3,134	8,082	3,180	8,150	3,226	8,220	3,272	8,288	3,318	8,358
3,135	8,083	3,181	8,153	3,227	8,221	3,273	8,289	3,319	8,359
3,136	8,085	3,182	8,154	3,228	8,223	3,274	8,291	3,320	8,360
3,137	8,086	3,183	8,156	3,229	8,224	3,275	8,292	3,321	8,363
3,138	8,088	3,184	8,157	3,230	8,225	3,276	8,293	3,322	8,364
3,139	8,089	3,185	8,158	3,231	8,228	3,277	8,295	3,323	8,366
3,140	8,090	3,186	8,160	3,232	8,229	3,278	8,296	3,324	8,367
3,141	8,093	3,187	8,161	3,233	8,231	3,279	8,299	3,325	8,368
3,142	8,094	3,188	8,163	3,234	8,232	3,280	8,300	3,326	8,370
3,143	8,096	3,189	8,164	3,235	8,233	3,281	8,303	3,327	8,371
3,144	8,097	3,190	8,165	3,236	8,235	3,282	8,304	3,328	8,373
3,145	8,098	3,191	8,168	3,237	8,236	3,283	8,306	3,329	8,374
3,146	8,100	3,192	8,169	3,238	8,238	3,284	8,307	3,330	8,375
3,147	8,101	3,193	8,171	3,239	8,239	3,285	8,308	3,331	8,378
3,148	8,103	3,194	8,172	3,240	8,240	3,286	8,310	3,332	8,379
3,149	8,104	3,195	8,173	3,241	8,243	3,287	8,311	3,333	8,381
3,150	8,105	3,196	8,175	3,242	8,244	3,288	8,313	3,334	8,382
3,151	8,108	3,197	8,176	3,243	8,246	3,289	8,314	3,335	8,383
3,152	8,109	3,198	8,178	3,244	8,247	3,290	8,315	3,336	8,385
3,153	8,111	3,199	8,179	3,245	8,248	3,291	8,318	3,337	8,386
3,154	8,112	3,200	8,180	3,246	8,250	3,292	8,319	3,338	8,388
3,155	8,113	3,201	8,183	3,247	8,251	3,293	8,321	3,339	8,389
3,156	8,115	3,202	8,184	3,248	8,253	3,294	8,322	3,340	8,390
3,157	8,116	3,203	8,186	3,249	8,254	3,295	8,323	3,341	8,393
3158	8,118	3,204	8,187	3,250	8,255	3,296	8,325	3,342	8,394
3,159	8,119	3,205	8,188	3,251	8,258	3,297	8,326	3,343	8,396
3,160	8,120	3,206	8,190	3,252	8,259	3,298	8;328	3,344	8,397
3,161	8,123	3,207	8,191	3,253	8,261	3,299	8,329	3,345	8,398
3,162	8,124	3,208	8,193	3,254	8,262	3,300	8,330	3,346	8,400
3,163	8,126	3,209	8,194	3,255	8,263	3,301	8,333	3,347	8,401
3,164	8,127	3,210	8,195	3,256	8,265	3,302	8,334	3,348	8,403
3,165	8,128	3,211	8,198	3,257	8,266	3,303	8,336	3,349	8,404
3,166	8,130	3,212	8,199	3,258	8,268	3,304	8,337	3,350	8,405

19.

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के नियमों के अधीन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों एवं असाधारण पेंशनभोगियों को राहत की मंजूरी ।**

राज्य सरकार नें पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० 1375 वि०, दिनांक 17-2-1983 के द्वारा दिनांक 1-10-1982 के प्रभाव से, संकल्प सं० 4366, दिनांक 10-12-1983 के द्वारा 1-10-1982 एवं 1-12-1982 के प्रभाव से, संकल्प सं० 522, दिनांक 7-3-1984 द्वारा 1-3-1983, 1-5-1983, दिनांक 1-7-1983 के प्रभाव से, संकल्प सं० 2875, दिनांक 10-10-1984 के द्वारा 1-8-1983, 1-10-1983 एवं 1-11-1983 के प्रभाव से, संकल्प सं० 6 दिनांक 8-1-1985 के द्वारा 1-1-1984, 1-2-1984, 1-4-1984, 1-6-1984 के प्रभाव से, संकल्प सं० 1715, दिनांक 17-5-1985 के द्वारा 1-8-1984, 1-11-1984 के प्रभाव से, संकल्प संख्या 4033, दिनांक 28-10-1985 के द्वारा 1-1-1985 के प्रभाव से संकल्प सं० 2961, दिनांक 18-8-1986 के द्वारा 1-5-1985 के प्रभाव से एवं संकल्प सं० 3254, दिनांक 11 सितम्बर, 1986 के द्वारा 1-8-1985 एवं 1-11-1985 के प्रभाव से पेंशन में राहत स्वीकृत किया गया था ।

2. भारत सरकार ने पुन: 1 जनवरी, 1986 के प्रभाव से पेंशन में राहत की दर में वृद्धि की है । पूर्व के निर्णय के आलोक में राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के निम्नांकित दर पर अतिरिक्त राहत स्वीकृत की जाती है –

(i) (क) ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिनकी पेंशन की गणना वेतन में महँगाई भत्ते को शामिल कर पेंशन का निर्धारण नहीं किया गया है, अर्थात् दिनांक 31-12-1979 तक सेवानिवृत्त कर्मचारी,

(ख) पारिवारिक पेंशनभोगी, एवं

(ग) असाधारण पेंशनभोगी ।

देय तिथि	प्रतिशत के आधार पर सहाय्य में वृद्धि	न्यूनतम प्रतिमाह रु०	अधिकतम प्रतिमाह रु०
1-1-1986 से आगे	125% से 127½%	128	638

(परन्तु किसी भी हालत में मौलिक पेंशन एवं राहत मिलाकर 1,938 रुपये से अधिक नहीं होगी ।)

(ii) (क) दिनांक 1-1-1980 से 31-3-1981 के बीच सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिनके पेंशन के निर्धारण में महँगाई भत्ते को शामिल किया गया हो, एवं

(ख) दिनांक 31-3-1981 के बाद सेवानिवृत्त ऐसे सरकारी सेवक जो चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं के बाद प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के पहले के अनुशंसित वेतन में ही बने रहने के विकल्प दिये हों –

देय तिथि	प्रतिशत के आधार पर सहाय्य में वृद्धि	न्यूनतम प्रतिमाह रु०	अधिकतम प्रतिमाह रु०
1-1-1986 से आगे	105% से 107½%	108	538

(परन्तु किसी भी हालत में मौलिक पेंशन एवं राहत मिलाकर 1,863 रुपये से अधिक नहीं होगी ।])

(iii) दिनांक 31-3-1981 तक के सम्पूर्ण महँगाई भत्ते को वेतन में शामिल कर जिन सरकारी सेवकों को दिनांक 1-4-1981 से वेतन निर्धारण किया गया हो, उन सेवकों को दिनांक 1-4-1981 को या बाद में सेवानिवृत्त होने पर निर्धारित पेंशन में देय राहत –

देय तिथि	प्रतिशत के आधार पर सहाय्य में वृद्धि	न्यूनतम प्रतिमाह रु०	अधिकतम प्रतिमाह रु०
1-1-1986 से आगे	65% से 67½%	68	338

(परन्तु किसी भी हालत में मौलिक पेंशन एवं राहत मिलाकर 1,838 रुपये से अधिक नहीं होगी ।)

(iv) दिनांक 31-3-1985 को या उसे बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को पेंशन में देय राहत –

(क) 31-3-1985 को या उसके बाद, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिनके पेंशन की गणना, पुनरीक्षित वेतन में तिथि 1-11-1984 तक स्वीकृत सम्पूर्ण महँगाई भत्ते को वेतन में शामिल कर पेंशन का निर्धारण किया गया हो, एवं

(ख) दिनांक 31-3-1985 को या बाद में सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी सेवक जिनके वेतन का पुनरीक्षण नहीं किया गया हो अथवा जो अपुनरीक्षित वेतनमान में ही बने रहने का विकल्प दिये हैं एवं जिनके पेंशन का निर्धारण 1-11-1984 तक स्वीकृत सम्पूर्ण महँगाई भत्ते को वेतन में शामिल कर किया गया हो –

देय तिथि	प्रतिशत के आधार पर सहाय्य में वृद्धि	न्यूनतम प्रतिमाह रु०	अधिकतम प्रतिमाह रु०
1-1-1986 से आगे	10% से 12½%	13	63

(दिनांक 31-3-1985 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में मासिक पेंशन एवं राहत मिलाकर राशि की कोई अधिसीमा नहीं होगी।)

3. देय पेंशन में राहत की गणना सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत मूल पेंशन अर्थात् लघुकरण के पूर्व प्राप्त पेंशन पर होगी। परन्तु उपर्युक्त, स्वीकृत पेंशन में राहत,पूर्व स्वीकृत पेंशन में सभी अस्थायी वृद्धियों को समंजित कर देय होगी। चूँकि पारिवारिक पेंशन के परिमाण (क्वानटम) में समय-समय पर परिवर्त्तन होता रहता है, इसलिए राहत की अनुमान्यता भी तद्नुसार परिवर्त्तित होती रहेगी।

4. संकल्प सं० 1375, दिनांक 17-2-1983; संकल्प सं० 4366, दिनांक 10-12-1983; संकल्प सं० 522, दिनांक 7-3-1984; संकल्प सं० 2875, दिनांक 10-10-1984; संकल्प सं० 6, दिनांक 8-1-1985 एवं संकल्प सं० 1715, दिनांक 17-5-1985; संकल्प सं० 4033, दिनांक 28-10-1985; संकल्प सं० 2961, दिनांक 18-8-1986; संकल्प सं० 3264, दिनांक 11-9-1986 में स्वीकृत राहत की अनुमान्यता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या 3591, दिनांक 14-9-1983 की कंडिका 3 में निहित स्पष्टीकरण यथा वित्त विभागीय पत्र संख्या 489, दिनांक 2-3-84 के द्वारा संशोधित वर्तमान आदेश द्वारा स्वीकृत राहत की अनुमान्यता के लिए भी लागू रहेगा।

5. प्रतिशत के आधार पर गणना करते समय राहत (अस्थायी वृद्धि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 15282 वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण रुपये में ही परिवर्त्तित होगी)।

6. पेंशन में उपर्युक्त राहत पुनर्नियोजन की अवधि को छोड़कर सभी असैनिक पेंशनभोगी कर्मचारियों को देय होगी जिनको कम्पेनसेशन पेंशन, सुपरऐनुएशन, रिटायरिंग तथा इनभैलिड पेंशन प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशनभोगियों को भी राहत की सुविधा मिलेगी।

7. पेंशनभोगियों को राहत भुगतान करने में विलम्ब के कारण बिहार कोषागार संहिता भाग 1 के नियम 344 (1) के अन्तर्गत राहत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार का भुगतान का आदेश राज्य सरकार के अन्तर्गत दिया जाता है। पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर उप-कोषागार राहत की राशि का भुगतान करेंगे।

राज्य के बाहर राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पर ही की जायेगी।

सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि ऐसे पेंशनर जो बैंक के माध्यम से पेंशन भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, उनसे सम्बन्धित सभी बैंकों को अवगत करा दें।

महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशनर राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं उनसे सम्बन्धित महालेखाकार को प्राधिकृत करने सम्बन्धी सूचना निश्चित रूप से वित्त विभाग को भी दी जाये।

8. दिनांक 1-1-1986 से संशोधित आधार पर पेंशन की भिन्न-भिन्न दरों पर स्वीकार्य राहत की राशि को दर्शानेवाला रेडी रेकनर संलग्न है। परन्तु राहत का भुगतान करते समय उपरोक्त कंडिका 4 में निहित प्रावधान का कठोरता से अनुपालन किया जाये। [***वित्त विभागीय संकल्प संख्या 4746 वि०, दिनांक 29-12-1986**]

(तालिका अमुद्रित)

20.

*** विषय : पेंशन के पुनरीक्षण/समेकन के फलस्वरूप उत्पन्न विसंगति का निराकरण ।**

राज्य सरकार को इस तथ्य की जानकारी मिली है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1853/वि० और संकल्प संख्या 1854/वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य के पेंशनभोगियों के पेंशन को पुनरीक्षित/समेकित करने के दौरान कतिपय मामलों में यह विसंगति उत्पन्न हुई कि पेंशन की नई नीति के तहत् पेंशन एवं महँगाई राहत के मद में आदेय कुल राशि 'स्लैब पद्धति' के अन्तर्गत पेंशन एवं महँगाई राहत के मद में अनुमान्य कुल राशि से कम होती जा रही है और पेंशनभोगी लाभान्वित होने की बजाय पेंशन में ह्रास के शिकार हो रहे हैं । उक्त विसंगति के निराकरण का प्रश्न कुछ दिन पूर्व से सरकार के विचाराधीन था ।

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अब यह निर्णय लिया गया है कि जिन पेंशनभोगियों के मामले में सरकार द्वारा प्रतिपादित पुनरीक्षित पेंशन नीति के तहत् महालेखाकार, बिहार द्वारा पुनरीक्षित/समेकित पेंशन के भुगतान हेतु पेंशन का भुगतान आदेश निर्गत किया गया है और इसके आधार पर जिनकी पेंशन में ह्रास हो रहा है, उन्हें यह वरणाधिकार (option) प्राप्त होगा कि वे दिनांक 1 मार्च, 1989 के बाद की किसी भी अवधि के लिए पूर्व में प्रचलित 'स्लैब पद्धति' के अन्तर्गत अपनी पेंशन एवं राहत का भुगतान प्राप्त करें, यदि वह तुलनात्मक दृष्टि से अधिक लाभप्रद हो और उसके बाद ऐसे पेंशनभोगी पुनरीक्षित पेंशन स्कीम के अन्तर्गत अपनी पेंशन की निकासी करने के अधिकारी हो जायेंगे, जब प्रचलित नीति के तहत् अनुमान्य राशि के चलते इन्हें आर्थिक क्षति नहीं होती हो । इसके लिए इस कोटि के प्रत्येक पेंशनभोगी को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1853 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 की प्रत्येक पेंशनभोगी को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1853 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 की कंडिका (16.1) के अन्तर्गत इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से छः माह के अन्दर अपना लिखित विकल्प संलग्न प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं पेंशन भुगतान करनेवाले प्राधिकारों तथा सम्बन्धित बैंक/कोषागार/उप-कोषागार को प्रस्तुत करना होगा । इस व्यवस्था के तहत् भुगतान करने हेतु महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी । वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1853 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 की कंडिका (6.1) में निहित प्रावधानों के विनियोग (Scope of application) को उक्त हद तक विस्तारित/संशोधित समझा जाये । एक बार दिया गया विकल्प सदा के लिए अन्तिम निर्णायक एवं अपरिवर्त्तनीय होगा ।

3. महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि अन्य राज्यों में रहते हुए अपनी पेंशन का भुगतान लेने वाले इस राज्य के पेंशनधारकों को भी इस आदेश के अनुसार सुविधा सुलभ कराने हेतु अन्य राज्यों के महालेखाकार को इस आदेश से यथाशीघ्र अवगत करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और उसकी सूचना इस विभाग को भी दें । कोषागार/उप-कोषागार/सम्बन्धित बैंक के प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित पेंशमभोगी से लिखित विकल्प पाते ही उनके विकल्प के आधार पर भुगतान करना शुरू कर दें ।

वित्त विभागीय संकल्प सं० 6230 वि०, दिनांक 23 अगस्त, 1991 के समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार दिये जाने वाले विकल्प का प्रपत्र –

मैं .... (पेंशनर का नाम) पी०पी०ओ० नम्बर .... का धारक, इसके जरिये अपना यह विकल्प जाहिर करता हूँ कि वित्त विभागीय संकल्प सं० 1853 एवं 1854 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 के तहत् पुनरीक्षित/समेकित पेंशन के प्रभाव में आने की तिथि अर्थात् 1 मार्च, 1989 के बाद भी अपनी पुनरीक्षित पेंशन वैयक्तिक पेंशन महँगाई राहत का भुगतान तब तक लेता रहूँगा, जबतक यह मेरे पुमरीक्षित पेंशन और महँगाई राहत के योग की तुलना में अधिक है । जिस तिथि से वित्त विभागीय संकल्प सं० 1853 एवं 1854, दिनांक 19 अप्रील, 1990 में प्रतिपादित पेंशन की नयी नीति के अन्तर्गत अनुमान्य पेंशन वैयक्तिक पेंशन और महँगाई राहत का योग अपुनरीक्षित पेंशन एवं राहत के योग की तुलना में मेरे लिए लाभकारी होगा, उस दिन से मैं पुनरीक्षित पेंशन और महँगाई राहत का भुगतान स्वीकार करूँगा । [***संकल्प संख्या 6230 वि०, दिनांक 23-8-1991**]

पेंशनर का हस्ताक्षर और तिथि

पूरा पता–

पी०पी०ओ० नम्बर

21.

***विषय : वित्त विभाग संकल्प,संख्या 1854 वि०, दिनांक 19-4-1990 के तहत् पेंशन के पुनरीक्षण/समेकन हेतु वांछित सूचनाएँ महालेखापाल को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।**

उपर्युक्त विषय पर मुझे कहने का निर्देश है कि वित्त विभाग की संकल्प संख्या 1854 वि०, दिनांक 19-4-1990 की कंडिका (5.5) में यह प्रावधान है कि उक्त परिपत्र की कण्डिका 4 के अनुसार पेंशनर को, पेंशन की अतिरिक्त राशि की पुनर्गणना हेतु किसी अधिक्रम (hierarchy) के सम्बद्ध कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं करना होगा । इस प्रकार का प्रावधान इस आशय से किया गया कि प्रक्रियात्मक औपचारिकता के निर्वहन में व्यर्थ समय न लगे और पेंशन का समेकन त्वरित गति से हो सके । इसके बावजूद भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह प्रतीत होता है कि कुछ सम्बद्ध सूचनाएँ पेंशन के त्वरित पुनरीक्षण समेकन हेतु पेंशनर से माँगना नितान्त जरूरी है ।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, महालेखापाल पटना को प्राधिकृत किया जाता है कि सम्बद्ध पेंशनर से आवश्यक सूचनाओं की परिपृच्छा करें ताकि पेंशन का समेकन त्वरित गति से हो सके । [***वि०वि०, सं०सं० 4858 वि०, दिनांक 14-11-1990**]

22.

***विषय : पहली जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को पेंशन के ढाँचे का यौक्तिकीकरण ।**

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प सं० पी०सी० 1-9-16/87-1854 वि०, दिनांक 19-4-1990 की कंडिका 6.1 (क) के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे कहना है कि इसमें परिवार पेंशन को समेकित करने के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त राहत की गणना कथित आदेश की कंडिका 3.1, 3.2 एवं 3.3 के प्रावधानों के अनुसार करने के प्रावधान निहित हैं । यह टंकण की भूल है और अब इसे संशोधित करते हुए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि परिवार पेंशन के समेकन के लिये अतिरिक्त राहत की गणना उक्त संकल्प की मात्र कंडिका 3.1 में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाये । उक्त संकल्प के अन्य प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे । [***पत्र संख्या पी०सी० 1-9-16/87/7638 वि०, दिनांक 15 जुलाई, 1993**]

23.

***विषय : राज्य के पेंशनभोगियों के पेंशन का पुनरीक्षण/समेकन के फलस्वरूप आदेय बकाये के भुगतान की किस्त प्रणाली का संशोधन ।**

वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3465 वि०, दिनांक 6 अगस्त, 1990 की अन्तिम कंडिका में यह निर्णय निरूपित है कि पेंशन के पुनरीक्षण/समेकन के फलस्वरूप दिनांक 1 मार्च, 1989 से दिनांक 31 मार्च, 1990 की अवधि के प्रसंग में आदेय बकाये का भुगतान आठ त्रैमासिक किस्तों में किया जाये और इनमें से पहली किस्त अप्रील, 1990 में भुगतेय होगी । सरकार को इस तथ्य की जानकारी मिली है कि दिवंगत पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी के मामले में उक्त प्रणाली के अनुसार बकाये का भुगतान होने के फलस्वरूप, उनके उत्तराधिकारी को अत्यन्त कठिनाई हो रही है ।

2. उक्त कठिनाई के परिहार हेतु अब निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 मार्च, 1989 को अथवा उसके बाद किन्तु बकाये को पूरी अथवा शेष राशि का भुगतान एक मुश्त में कर दिया जाये । वित्त विभागीय संकल्प सं० 3465 वि०, दिनांक 6 अगस्त, 1990 की अंतिम कंडिका को उक्त हद तक संशोधित समझा जाये ।

3. 'महालेखाकार' बिहार से अनुरोध है कि अन्य राज्यों में निवास करते हुए अपने पेंशन का भुगतान लेने वाले इस राज्य के दिवंगत पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी के उत्तराधिकारी को भी इस आदेश के अनुसार बकाए का भुगतान करने हेतु अन्य राज्यों के महालेखाकार को प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाये और इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाये । कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश के अनुसार बकाए का त्वरित भुगतान करने हेतु सम्बन्धित बैंक को इस निर्णय से अवगत करा दें । [***संख्या पी०सी० 1-9-16/87-6672 वि०, दिनांक 6-9-1991**]

24.

***विषय : फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के पेंशन-भोगियों को पेंशन के पुनरीक्षण समेकन विषयक् आदेशों से सम्बन्धित स्पष्टीकरण ।**

उपर्युक्त विषयक् आपके अर्द्ध-सरकारी पत्रांक डी०ए०जी०ए०–7/पेंशन-स्टेज 137, दिनांक 30 अप्रील, 1990 के परिशिष्ट 1 में उल्लिखित बिन्दुओं के प्रसंग में मुझे सही वस्तुस्थिति को परवर्त्ती कंडिकाओं के अनुसार स्पष्ट करने का निदेश हुआ है –

1. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1851 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 के विनियोग का विस्तार ।

(Scope of application)

दिनांक 1 जनवरी, 1986 के बाद के जो पेंशनभोगी वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1853 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 के प्रावधानों के तहत पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप अपनी वर्धित पेंशन के तृतीयांश का रूपान्तरण कराते हैं उनकी रूपान्तरित पेंशन के इस अंश का प्रत्यास्थापन (Restoration) सेवानिवृत्ति के बाद 15 वर्षों की अवधि पूर्ण होने पर अनुमान्य होगा, क्योंकि ये दोनों निर्णय पेंशन के पुनरीक्षण का और वर्द्धित पेंशन के रूपान्तरण कराने का नये है । इस संदर्भ में यह भी स्मरणीय है कि उक्त प्रयोजन के लिए 15 वर्षों की अवधि की गणना सेवानिवृत्ति की तिथि से केवल उन मामलों में की जायेगी, जिनमें पेंशन के भुगतान का और उसके रूपान्तरित मूल्य का प्राधिकार-पत्र सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक ही साथ उसी माह में प्राप्त हो जाये, जिस माह से उसे पेंशन आदेय होती है पर जिन मामलों में पेंशन भुगतान आदेश पहले ही निर्गत हुआ हो और पेंशन के रूपान्तरित मूल्य का प्राधिकार-पत्र बाद में निर्गत हुआ हो, जिसके चलते मूल पेंशन से पेंशन के रूपान्तरित अंश की कटौती पेंशन आदेय होनेवाले माह के बाद किसी माह से शुरू हो, उनमें 15 वर्ष की गणना कटौती शुरू होने की तिथि से की जाये ।

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1853 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 ।

(क) उक्त संकल्प की कंडिका 3 (iii) में प्रयुक्त "परिलब्धियाँ" से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 26 (ए) (i) में उल्लिखित केवल "मूल वेतन" ही अभिप्रेत है ।

(ख) मृत्यु उपदान की सुविधा कार्यभारित स्थापना में नियुक्त और उसी स्थापना में कार्यरत् रहने की अवधि में मृत कर्मचारियों को अनुमान्य नहीं है पर अस्थायी रूप से नियुक्त सरकारी सेवकों को यह अनुमान्य है ।

(ग) वित्त विभाग के उक्त संकल्प की कंडिका 4 के आधार पर राज्य के पेंशनभोगियों को दिनांक 1 मार्च, 1989 से दिनांक 30 जून, 1989 तक महँगाई राहत की अनुमान्यता के विषय पर राज्य सरकार का निर्णय वित्त विभाग के संकल्प संख्या पी०सी० 1-9-16/87-3465 वि०, दिनांक 7 अगस्त, 1990 के जरिये संसूचित किया जा चुका है ।

(घ) दिनांक 1 जनवरी, 1986 के बाद किन्तु दिनांक 1 मार्च, 1989 के पूर्व के पेंशनभोगियों के मामले में उक्त संकल्प की कंडिका 5 के तहत् वर्द्धित पेंशन के तृतीयांश का रूपान्तरण दिनांक 1 मार्च, 1989 को ही निरपेक्षतः सुनिश्चित (Absolute) माना जाये, अर्थात् उक्त तिथि को वे अपने वर्द्धित पेंशन के तृतीयांश के रूपान्तरित मूल्य का भुगतान पाने के हकदार हो जाते हैं ।

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1854 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 ।

उक्त संकल्प की कंडिका (4.5) में उल्लिखित वैसे पेंशनभोगी जिनकी पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह अथवा उसे कम इस कारण हुई है कि उनकी पेंशन प्रदायी सेवा ही 33 वर्षों से कम है, को यह विकल्प सुलभ होगा कि वे उक्त संकल्प की कंडिका (4) के अन्तर्गत अतिरिक्त पेंशन की राशि की गणना अपनी वास्तविक सेवा अवधि के आधार पर महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय से करा लें और उसके बाद समेकित पेंशन की निकासी करें अथवा उक्त संकल्प के साथ संलग्न सद्यःगणक (Ready Reckoner) के आधार पर ही अपनी समेकित पेंशन का भुगतान स्वीकार करते रहें ।[***संख्या पी०सी० 1-9-16/86/ 3467 वि०, दिनांक 7-8-1990**]

25.

***विषय : फिटमेन्ट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को पेंशन का समेकन ।**

फिटमेन्ट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा को गौर कर वित्त विभाग के संकल्प संख्या पी०सी० 1-9-16/87–1854 वि०, दिनांक 19-4-1990 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनभोगी/पारिवारिक

पेंशनभोगी को पेंशन के समेकन का निर्णय लिया गया है जिसमें वर्तमान पेंशन, वर्तमान महँगाई राहत, अतिरिक्त राहत और अतिरिक्त पेंशन की राशि शामिल है। इनमें से अतिरिक्त राहत की आदेयता के लिए राज्य के पेंशनभोगियों को चार कोटियों में विभक्त किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 1985 को अथवा उसके बाद दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 तक के पेंशनभोगी कोटि 4 में आते हैं जिनकी पेंशन के समेकन हेतु अतिरिक्त राहत नहीं देने का निर्णय वित्त विभाग के उक्त संकल्प की कंडिका 3, 4 में लिया गया। उक्त निर्णय लेते समय फिटमेन्ट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की यह अनुशंसा अनदेखी हो गई कि पेंशन के समेकन के प्रयोजनार्थ कोटि 3 एवं 4 के पेंशनरों की समेकित पेंशन की राशि कोटि 3 के पेंशनर (दिनांक 1 अप्रील, 1981 से दिनांक 30 मार्च, 1985 तक सेवानिवृत्त) की समेकित पेंशन से बहुत ही कम हो जाती है।

2. उक्त विषमता पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त कोटि 4 के पेंशनभोगियों को भी वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1854 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 की कंडिका 3, 4 का आंशिक संशोधन करते हुए पेंशन के समेकन हेतु अतिरिक्त राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। अतिरिक्त राहत की राशि सुनिश्चित करने के लिए कोटि 3 एवं कोटि 4 के समान वेतन पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का समेकन (वर्तमान पेंशन + वर्तमान राहत + अतिरिक्त राहत + अतिरिक्त पेंशन) क्रमश: इस विभाग के संकल्प संख्या 1854 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 की कंडिका 3.3 एवं 3.4 के अनुसार किया जाये और कोटि 4 के पेंशनर के मामले में उनकी समेकित पेंशन की राशि में पूर्व से स्वीकृत वैयक्तिक पेंशन की राशि भी शामिल कर दी जाये। इसके बाद कोटि 3 की समेकित पेंशन से कोटि 4 की समेकित पेंशन और वैयक्तिक पेंशन के योग को घटा दिया जाये और अन्तर की राशि कोटि 4 के पेंशनरों को अतिरिक्त राहत के रूप में स्वीकृत की जाये। उक्त प्रकार से अतिरिक्त राहत की राशि के सुनिश्चित हो जाने के बाद कोटि 4 के पेंशनर को पूर्व से स्वीकृत वैयक्तिक पेंशन वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1854 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 की कंडिका 5.1 (ख) के प्रावधानों के अनुसार मिलता रहेगा।

3. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1854 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 के साथ संलग्न सद्य:गणक में उक्त संकल्प की कंडिका 3.4 के अन्तर्गत आने वाले कोटि 4 के पेंशनरों को समेकित पेंशन की दी गई तालिका को रद्द किया जाता है। उक्त कंडिका में आने वाले कोटि 4 के पेंशनरों के लिये अलग से संशोधित सद्य:गणक इस संकल्प के साथ संलग्न है जिसमें 500 रु० तक प्रतिमाह पाने वाले पेंशनरों के मामले में अंतिम रूप से समेकित पेंशन की राशि का उल्लेख उनकी वर्तमाम पेंशन की राशि के सामने कर दिया गया है। इसके आधार पर उन्हें समेकित पेंशन का भुगतान कोषागार/उप-कोषागार/बैंक द्वारा किया जाये। वैसे पेंशनर, जिनकी पेंशन 500 रु० प्रतिमाह से अधिक है, के मामले में उनकी पेंशन की राशि के सामने आंशिक तौर पर समेकित पेंशन की राशि का उल्लेख किया गया है। अंतिम रूप से उनकी पेंशन का समेकन तब होगा जब महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा इस विभाग के संकल्प संख्या 1854 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 की कंडिका 4 के तहत् अतिरिक्त पेंशन की राशि कोषागार को सूचित की जायेगी। इस बीच उन्हें आंशिक तौर पर समेकित पेंशन और उस पर अनुमान्य महँगाई राहत का भुगतान कोषागार/उप-कोषागार/बैंक द्वारा किया जाये।

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या पी०सी० 1-98-16/87-1853 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 की कंडिका 4 का आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के फार्मूले एवं दर के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनरों को दिनांक 1 मार्च, 1989 से दिनांक 30 जून, 1989 की अवधि के लिए भी महँगाई राहत स्वीकृत की जायेगी अर्थात् दिनांक 1 मार्च, 1989 से उन्हें उसी दर से महँगाई राहत अनुमान्य होगी जिस दर से केन्द्र सरकार के पेंशनरों को दिनांक 1 जनवरी, 1989 से महँगाई राहत स्वीकृत की गई है। उक्त निर्णय के अनुसार महँगाई राहत का भुगतान करते समय वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4845 वि०, दिनांक 2 अगस्त, 1989 द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1989 से स्वीकृत महँगाई राहत की किस्त को समंजित कर लिया जायेगा। तद्नुसार महँगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

5. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1853 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 और संकल्प संख्या 1854 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990 के अनुसार पुनरीक्षित समेकित पेंशन का भुगतान दिनांक 1 मार्च, 1989 से किया जाता है। इस प्रसंग में अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 मार्च, 1989 से दिनांक 31 मार्च, 1990 की अवधि के बकाये का भुगतान आठ त्रैमासिक किस्तों में किया जाये, जिनमें से पहली किस्त अप्रील, 1990 में भुगतेय मासिक पेंशन के साथ शुरू होगी। इस हद तक उक्त संकल्पों को संशोधित किया जाता है। [***वित्त विभाग, संकल्प संख्या पी०सी० 1-9-16/87-3465 वि०, दिनांक 7-8-1990**]

●

अनुगणक

वित्त विभाग, संकल्प संख्या पी०सी० 1-9-16/87–3465 वि०, दिनांक 7-8-1990 की कण्डिका 2 के अनुसार

तालिका–जिसमें वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1854 वि०, दिनांक 19-4-1990 की कण्डिका (3.4) के अनुसार श्रेणी 4 के पेंशनभोगियों के वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन/समेकित पेंशन दिखलाया गया है तथा जो वित्त विभाग के पत्र संख्या 3465 वि०, दिनांक 7-8-1990 द्वारा संशोधित है –

वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन
299 तक	375	338	417	377	459	416	503
300	376	339	418	378	460	417	504
301	378	340	419	379	462	418	504
302	379	341	420	380	463	419	505
303	380	342	421	381	464	420	506
304	382	343	423	382	465	421	507
305	383	344	424	383	466	422	508
306	383	345	425	384	467	423	510
307	383	346	426	385	469	424	511
308	385	347	427	386	469	425	512
309	386	348	428	387	471	426	513
310	387	349	429	388	472	427	514
311	388	350	431	389	473	428	515
312	390	351	431	390	475	429	517
313	391	352	432	391	476	430	518
314	392	353	434	392	476	431	519
315	393	354	435	393	477	432	521
316	394	355	436	394	478	433	522
317	396	356	437	395	479	434	523
318	396	357	438	396	480	435	523
319	397	358	439	397	482	436	525
320	398	359	441	398	483	437	526
321	400	360	441	399	483	438	527
322	401	361	442	400	485	439	529
323	401	362	443	401	486	440	530
324	403	363	445	402	487	441	531
325	404	364	445	403	488	442	533
326	405	365	446	404	489	443	534
327	406	366	448	405	490	444	534
328	407	367	449	406	491	445	536
329	408	368	450	407	492	446	537
330	410	369	451	408	494	447	538
331	410	370	452	409	494	448	539
332	411	371	453	410	496	449	541
333	411	372	455	411	497	450	542
334	413	373	455	412	498	451	543
335	414	374	457	413	499	452	544
336	415	375	458	414	500	453	545
337	416	376	459	415	501	454	546

वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन
455	548	503	606	551	659	599	716
456	549	504	607	552	660	600	716
457	550	505	607	553	661	601	719
458	552	506	608	554	663	602	719
459	553	507	610	555	664	603	721
460	554	508	611	556	665	604	722
461	555	509	612	557	665	605	723
462	556	510	613	558	667	606	724
463	557	511	614	559	668	607	726
464	558	512	616	560	669	608	728
465	561	513	616	561	669	609	728
466	562	514	618	562	671	610	729
467	562	515	619	563	673	611	730
468	564	516	621	564	674	612	732
469	565	517	621	565	674	613	734
470	566	518	622	566	675	614	734
471	567	519	623	567	677	615	735
472	568	520	624	568	678	616	737
473	569	521	626	569	679	617	737
474	572	522	626	570	681	618	739
475	572	523	628	571	682	619	740
476	573	524	629	572	684	620	741
477	574	525	630	573	684	621	743
478	576	526	631	574	686	622	743
479	577	527	632	575	687	623	746
480	577	528	634	576	688	624	747
481	579	529	635	577	690	625	747
482	581	530	635	578	690	626	749
483	582	531	637	579	691	627	749
484	583	532	639	580	694	628	751
485	584	533	639	581	695	629	752
486	585	534	640	582	695	630	753
487	587	535	642	583	696	631	755
488	587	536	642	584	697	632	756
489	588	537	643	585	700	633	757
490	590	538	644	586	700	634	758
491	592	539	646	587	702	635	759
492	593	540	648	588	702	636	760
493	593	541	649	589	703	637	761
494	595	542	649	590	705	638	762
495	596	543	650	591	706	639	764
496	597	544	651	592	707	640	764
497	598	545	652	593	709	641	766
498	599	546	652	594	709	642	767
499	600	547	655	595	711	643	768
500	603	548	656	596	713	644	769
501	603	549	657	597	713	645	770
502	605	550	657	598	716	646	771

वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन
647	772	695	824	743	868	791	909
648	774	696	824	744	869	792	909
649	775	697	826	745	869	793	910
650	777	698	826	746	870	794	910
651	777	699	827	747	871	795	911
652	778	700	828	748	872	796	912
653	779	701	829	749	872	797	914
654	780	702	831	750	873	798	914
655	782	703	832	751	874	799	915
656	783	704	832	752	875	800	916
657	784	705	832	753	876	801	916
658	785	706	834	754	877	802	918
659	787	707	836	755	878	803	918
660	787	708	836	756	878	804	919
661	788	709	837	757	879	805	919
662	789	710	838	758	880	806	920
663	790	711	839	759	881	807	922
664	792	712	839	760	882	808	923
665	793	713	842	761	882	809	924
666	795	714	842	762	883	810	924
667	795	715	843	763	885	811	925
668	796	716	843	764	886	812	925
669	798	717	844	765	887	813	927
670	799	718	847	766	887	814	928
671	800	719	847	767	888	815	928
672	801	720	848	768	888	816	929
673	802	721	849	769	890	817	929
674	803	722	849	770	890	818	931
675	804	723	851	771	891	819	932
676	806	724	851	772	892	820	933
677	807	725	853	773	893	821	933
678	807	726	853	774	894	822	934
679	808	727	854	775	895	823	935
680	809	728	855	776	896	824	936
681	810	729	855	777	896	825	937
682	811	730	857	778	897	826	937
683	812	731	858	779	898	827	938
684	813	732	859	780	899	828	939
685	814	733	859	781	900	829	940
686	815	734	860	782	900	830	941
687	816	735	861	783	901	831	942
688	817	736	862	784	901	832	943
689	818	737	863	785	903	833	943
690	819	738	863	786	904	834	944
691	819	739	864	787	905	835	946
692	821	740	864	788	906	836	946
693	822	741	866	789	906	837	947
694	823	742	867	790	907	838	947

वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन
839	948	887	989	935	1,030	983	1,073
840	949	888	990	936	1,030	984	1,073
841	951	889	990	937	1,031	985	1,075
842	951	890	992	938	1,031	986	1,076
843	952	891	992	939	1,033	987	1,077
844	953	892	993	940	1,033	988	1,078
845	953	893	993	941	1,035	989	1,078
846	955	894	994	942	1,035	990	1,079
847	955	895	996	943	1,036	991	1,080
848	956	896	996	944	1,036	992	1,081
849	956	897	998	945	1,038	993	1,081
850	957	898	998	946	1,039	994	1,084
851	959	899	999	947	1,039	995	1,084
852	960	900	1,000	948	1,040	996	1,084
853	961	901	1,001	949	1,040	997	1,087
854	961	902	1,001	950	1,042	998	1,087
855	962	903	1,002	951	1,043	999	1,088
856	963	904	1,003	952	1,044	1,000	1,089
857	964	905	1,003	953	1,046	1,001	1,089
858	964	906	1,005	954	1,046	1,002	1,090
859	965	907	1,006	955	1,047	1,003	1,091
860	966	908	1,007	956	1,047	1,004	1,092
861	966	909	1,008	957	1,048	1,005	1,092
862	968	910	1,008	958	1,049	1,006	1,094
863	969	911	1,009	959	1,050	1,007	1,095
864	970	912	1,010	960	1,051	1,008	1,097
865	971	913	1,011	961	1,052	1,009	1,098
866	971	914	1,011	962	1,053	1,010	1,098
867	972	915	1,012	963	1,054	1,011	1,099
868	973	916	1,013	964	1,056	1,012	1,099
869	974	917	1,014	965	1,056	1,013	1,101
870	974	918	1,015	966	1,057	1,014	1,101
871	976	919	1,016	967	1,058	1,015	1,102
872	976	920	1,017	968	1,058	1,016	1,104
873	977	921	1,017	969	1,060	1,017	1,104
874	978	922	1,018	970	1,060	1,018	1,105
875	980	923	1,019	971	1,061	1,019	1,107
876	980	924	1,020	972	1,063	1,020	1,108
877	980	925	1,021	973	1,063	1,021	1,108
878	981	926	1,021	974	1,064	1,022	1,109
879	983	927	1,022	975	1,064	1,023	1,110
880	983	928	1,024	976	1,067	1,024	1,111
881	984	929	1,024	977	1,067	1,025	1,112
882	984	930	1,025	978	1,068	1,026	1,112
883	985	931	1,026	979	1,069	1,027	1,114
884	986	932	1,027	980	1,070	1,028	1,114
885	987	933	1,027	981	1,071	1,029	1,115
886	988	934	1,029	982	1,071	1,030	1,117

वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन
1,031	1,118	1,079	1,163	1,127	1,227	1,175	1,299
1,032	1,119	1,080	1,163	1,128	1,228	1,176	1,300
1,033	1,119	1,081	1,164	1,129	1,230	1,177	1,302
1,034	1,120	1,082	1,165	1,130	1,231	1,178	1,303
1,035	1,121	1,083	1,166	1,131	1,233	1,179	1,305
1,036	1,122	1,084	1,166	1,132	1,234	1,180	1,306
1,037	1,122	1,085	1,169	1,133	1,236	1,181	1,308
1,038	1,124	1,086	1,169	1,134	1,237	1,182	1,309
1,039	1,125	1,087	1,170	1,135	1,239	1,183	1,311
1,040	1,125	1,088	1,171	1,136	1,240	1,184	1,312
1,041	1,128	1,089	1,171	1,137	1,242	1,185	1,314
1,042	1,128	1,090	1,173	1,138	1,243	1,186	1,315
1,043	1,129	1,091	1,173	1,139	1,245	1,187	1,317
1,044	1,130	1,092	1,174	1,140	1,246	1,188	1,318
1,045	1,130	1,093	1,175	1,141	1,248	1,189	1,320
1,046	1,131	1,094	1,176	1,142	1,249	1,190	1,321
1,047	1,132	1,095	1,177	1,143	1,251	1,191	1,323
1,048	1,133	1,096	1,178	1,144	1,252	1,192	1,324
1,049	1,134	1,097	1,179	1,145	1,254	1,193	1,326
1,050	1,135	1,098	1,180	1,146	1,255	1,194	1,327
1,051	1,136	1,099	1,181	1,147	1,257	1,195	1,329
1,052	1,137	1,100	1,182	1,148	1,258	1,196	1,330
1,053	1,139	1,101	1,183	1,149	1,260	1,197	1,332
1,054	1,139	1,102	1,184	1,150	1,261	1,198	1,333
1,055	1,140	1,103	1,185	1,151	1,263	1,199	1,335
1,056	1,140	1,104	1,186	1,152	1,264	1,200	1,336
1,057	1,142	1,105	1,187	1,153	1,266	1,201	1,338
1,058	1,142	1,106	1,188	1,154	1,267	1,202	1,339
1,059	1,143	1,107	1,189	1,155	1,269	1,203	1,341
1,060	1,144	1,108	1,190	1,156	1,270	1,204	1,342
1,061	1,145	1,109	1,191	1,157	1,272	1,205	1,344
1,062	1,146	1,110	1,192	1,158	1,273	1,206	1,345
1,063	1,148	1,111	1,203	1,159	1,275	1,207	1,347
1,064	1,149	1,112	1,204	1,160	1,276	1,208	1,348
1,065	1,149	1,113	1,206	1,161	1,278	1,209	1,350
1,066	1,150	1,114	1,207	1,162	1,279	1,210	1,351
1,067	1,151	1,115	1,209	1,163	1,281	1,211	1,353
1,068	1,152	1,116	1,210	1,164	1,282	1,212	1,354
1,069	1,153	1,117	1,212	1,165	1,284	1,213	1,356
1,070	1,153	1,118	1,213	1,166	1,285	1,214	1,357
1,071	1,155	1,119	1,215	1,167	1,287	1,215	1,359
1,072	1,156	1,120	1,216	1,168	1,288	1,216	1,360
1,073	1,156	1,121	1,218	1,169	1,290	1,217	1,362
1,074	1,158	1,122	1,219	1,170	1,291	1,218	1,363
1,075	1,159	1,123	1,221	1,171	1,293	1,219	1,365
1,076	1,160	1,124	1,222	1,172	1,294	1,220	1,366
1,077	1,160	1,125	1,224	1,173	1,296	1,221	1,368
1,078	1,161	1,126	1,225	1,174	1,297	1,222	1,369

वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन
1,223	1,371	1,271	1,443	1,319	1,515	1,367	1,587
1,224	1,372	1,272	1,444	1,320	1,516	1,368	1,588
1,225	1,374	1,273	1,446	1,321	1,518	1,369	1,590
1,226	1,375	1,274	1,447	1,322	1,519	1,370	1,591
1,227	1,377	1,275	1,449	1,323	1,521	1,371	1,593
1,228	1,378	1,276	1,450	1,324	1,522	1,372	1,594
1,229	1,380	1,277	1,452	1,325	1,524	1,373	1,596
1,230	1,381	1,278	1,453	1,326	1,525	1,374	1,597
1,231	1,383	1,279	1,455	1,327	1,527	1,375	1,599
1,232	1,384	1,280	1,456	1,328	1,528	1,376	1,600
1,233	1,386	1,281	1,458	1,329	1,530	1,377	1,602
1,234	1,387	1,282	1,459	1,330	1,531	1,378	1,603
1,235	1,389	1,283	1,461	1,331	1,533	1,379	1,605
1,236	1,390	1,284	1,462	1,332	1,534	1,380	1,606
1,237	1,392	1,285	1,464	1,333	1,536	1,381	1,608
1,238	1,393	1,286	1,465	1,334	1,537	1,382	1,609
1,239	1,395	1,287	1,467	1,335	1,539	1,383	1,611
1,240	1,396	1,288	1,468	1,336	1,540	1,384	1,612
1,241	1,398	1,289	1,470	1,337	1,542	1,385	1,614
1,242	1,399	1,290	1,471	1,338	1,543	1,386	1,615
1,243	1,401	1,291	1,473	1,339	1,545	1,387	1,617
1,244	1,402	1,292	1,474	1,340	1,546	1,388	1,618
1,245	1,404	1,293	1,476	1,341	1,548	1,389	1,620
1,246	1,405	1,294	1,477	1,342	1,549	1,390	1,621
1,247	1,407	1,295	1,479	1,343	1,551	1,391	1,623
1,248	1,408	1,296	1,480	1,344	1,552	1,392	1,624
1,249	1,410	1,297	1,482	1,345	1,554	1,393	1,626
1,250	1,411	1,298	1,483	1,346	1,555	1,394	1,627
1,251	1,413	1,299	1,485	1,347	1,557	1,395	1,629
1,252	1,414	1,300	1,486	1,348	1,558	1,396	1,630
1,253	1,416	1,301	1,488	1,349	1,560	1,397	1,632
1,254	1,417	1,302	1,489	1,350	1,561	1,398	1,633
1,255	1,419	1,303	1,491	1,351	1,563	1,399	1,635
1,256	1,420	1,304	1,492	1,352	1,564	1,400	1,636
1,257	1,422	1,305	1,494	1,353	1,566	1,401	1,638
1,258	1,423	1,306	1,495	1,354	1,567	1,402	1,639
1,259	1,425	1,307	1,497	1,355	1,569	1,403	1,641
1,260	1,426	1,308	1,498	1,356	1,570	1,404	1,642
1,261	1,428	1,309	1,500	1,357	1,572	1,405	1,644
1,262	1,429	1,310	1,501	1,358	1,573	1,406	1,645
1,263	1,431	1,311	1,503	1,359	1,575	1,407	1,647
1,264	1,432	1,312	1,504	1,360	1,576	1,408	1,678
1,265	1,434	1,313	1,506	1,361	1,578	1,409	1,650
1,266	1,435	1,314	1,507	1,362	1,579	1,410	1,651
1,267	1,437	1,315	1,509	1,363	1,581	1,411	1,653
1,268	1,438	1,316	1,510	1,364	1,582	1,412	1,654
1,269	1,440	1,317	1,512	1,365	1,584	1,413	1,656
1,270	1,441	1,318	1,513	1,366	1,585	1,414	1,657

वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन
1,415	1,659	1,463	1,731	1,511	1,803	1,559	1,875
1,416	1,660	1,464	1,732	1,512	1,804	1,560	1,876
1,417	1,662	1,465	1,734	1,513	1,806	1,561	1,878
1,418	1,663	1,466	1,735	1,514	1,807	1,562	1,879
1,419	1,665	1,467	1,737	1,515	1,809	1,563	1,881
1,420	1,666	1,468	1,738	1,516	1,810	1,564	1,882
1,421	1,668	1,469	1,740	1,517	1,812	1,565	1,884
1,422	1,669	1,470	1,741	1,518	1,813	1,566	1,885
1,423	1,671	1,471	1,743	1,519	1,815	1,567	1,887
1,424	1,672	1,472	1,744	1,520	1,816	1,568	1,888
1,425	1,674	1,473	1,746	1,521	1,818	1,569	1,890
1,426	1,675	1,474	1,747	1,522	1,819	1,570	1,891
1,427	1,677	1,475	1,749	1,523	1,821	1,571	1,893
1,428	1,678	1,476	1,750	1,524	1,822	1,572	1,894
1,429	1,680	1,477	1,752	1,525	1,824	1,573	1,896
1,430	1,681	1,478	1,753	1,526	1,825	1,574	1,897
1,431	1,683	1,479	1,755	1,527	1,827	1,575	1,899
1,432	1,684	1,480	1,756	1,528	1,828	1,576	1,900
1,433	1,686	1,481	1,758	1,529	1,830	1,577	1,902
1,434	1,687	1,482	1,759	1,530	1,831	1,578	1,903
1,435	1,689	1,483	1,761	1,531	1,833	1,579	1,905
1,436	1,690	1,484	1,762	1,532	1,834	1,580	1,906
1,437	1,692	1,485	1,764	1,533	1,836	1,581	1,908
1,438	1,693	1,486	1,765	1,534	1,837	1,582	1,909
1,439	1,639	1,487	1,767	1,535	1,839	1,583	1,911
1,440	1,696	1,488	1,768	1,536	1,840	1,584	1,912
1,441	1,698	1,489	1,770	1,537	1,842	1,585	1,914
1,442	1,699	1,490	1,771	1,538	1,843	1,586	1,915
1,443	1,701	1,491	1,773	1,539	1,845	1,587	1,917
1,444	1,702	1,492	1,774	1,540	1,846	1,588	1,918
1,445	1,704	1,493	1,776	1,541	1,848	1,589	1,920
1,446	1,705	1,494	1,777	1,542	1,849	1,590	1,921
1,447	1,707	1,495	1,779	1,543	1,851	1,591	1,923
1,448	1,708	1,496	1,780	1,544	1,852	1,592	1,924
1,449	1,710	1,497	1,782	1,545	1,854	1,593	1,926
1,450	1,711	1,498	1,783	1,546	1,855	1,594	1,927
1,451	1,713	1,499	1,785	1,547	1,857	1,595	1,929
1,452	1,714	1,500	1,786	1,548	1,858	1,596	1,930
1,453	1,716	1,501	1,788	1,549	1,860	1,597	1,932
1,454	1,717	1,502	1,789	1,550	1,861	1,598	1,933
1,455	1,719	1,503	1,791	1,551	1,863	1,599	1,935
1,456	1,720	1,504	1,792	1,552	1,864	1,600	1,936
1,457	1,722	1,505	1,794	1,553	1,865	1,601	1,938
1,458	1,723	1,506	1,795	1,554	1,867	1,602	1,939
1,459	1,725	1,507	1,797	1,555	1,869	1,603	1,941
1,460	1,726	1,508	1,798	1,556	1,870	1,604	1,942
1,461	1,728	1,509	1,800	1,557	1,872	1,605	1,944
1,462	1,729	1,510	1,801	1,558	1,873	1,606	1,945

वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन	वर्तमान पेंशन	समेकित पेंशन
1,607	1,947	1,655	2,019	1,703	2,091	1,751	2,163
1,608	1,948	1,656	2,020	1,704	2,092	1,752	2,164
1,609	1,950	1,657	2,022	1,705	2,094	1,753	2,165
1,610	1,950	1,658	2,023	1,706	2,095	1,754	2,166
1,611	1,953	1,659	2,025	1,707	2,097	1;755	2,167
1,612	1,954	1,660	2,026	1,708	2,098	1,756	2,168
1,613	1,956	1,661	2,028	1,709	2,100	1,757	2,169
1,614	1,957	1,662	2,029	1,710	2,101	1,758	2,170
1,615	1,959	1,663	2,031	1,711	2,103	1,759	2,171
1,616	1,960	1,664	2,032	1,712	2,104	1,760	2,172
1,617	1,962	1,665	2,034	1,713	2,106	1,761	2,173
1,618	1,963	1,666	2,035	1,714	2,107	1,762	2,174
1,619	1,965	1,667	2,037	1,715	2,109	1,763	2,175
1,620	1,966	1,668	2,038	1,716	2,110	1,764	2,176
1,621	1,968	1,669	2,040	1,717	2,112	1,765	2,177
1,622	1,969	1,670	2,041	1,718	2,113	1,766	2,178
1,623	1,971	1,671	2,043	1,719	2,115	1,767	2,179
1,624	1,972	1,672	2,044	1,720	2,116	1,768	2,180
1,625	1,974	1,673	2,046	1,721	2,118	1,769	2,181
1,626	1,975	1,674	2,047	1,722	2,119	1,770	2,182
1,627	1,977	1,675	2,049	1,723	2,121	1,771	2,183
1,628	1,978	1,676	2,050	1,724	2,122	1,772	2,184
1,629	1,980	1,677	2,052	1,725	2,124	1,773	2,185
1,630	1,981	1,678	2,053	1,726	2,125	1,774	2,186
1,631	1,983	1,679	2,055	1,727	2,127	1,775	2,187
1,632	1,984	1,680	2,056	1,728	2,128	1,776	2,188
1,633	1,986	1,681	2,058	1,729	2,130	1,777	2,189
1,634	1,987	1,682	2,059	1,730	2,131		
1,635	1,989	1,683	2,061	1,731	2,133		
1,636	1,990	1,684	2,062	1,732	2,134		
1,637	1,992	1,685	2,064	1,733	2,136		
1,638	1,993	1,686	2,065	1,734	2,137		
1,639	1,995	1,687	2,067	1,735	2,139		
1,640	1,996	1,688	2,068	1,736	2,140		
1,641	1,998	1,689	2,070	1,737	2,142		
1,642	1,999	1,690	2,071	1,738	2,143		
1,643	2,001	1,691	2,073	1,739	2,145		
1,644	2,002	1,692	2,074	1,740	2,146		
1,645	2,004	1,693	2,076	1,741	2,148		
1,646	2,005	1,694	2,077	1,742	2,149		
1,647	2,007	1,695	2,079	1,743	2,151		
1,648	2,008	1,696	2,080	1,744	2,152		
1,649	2,010	1,697	2,082	1,745	2,154		
1,650	2,011	1,698	2,083	1,746	2,155		
1,651	2,013	1,699	2,085	1,747	2,157		
1,652	2,014	1,700	2,086	1,748	2,158		
1,653	2,016	1,701	2,088	1,749	2,160		
1,654	2,017	1,702	2,089	1,750	2,161		

फारम (क)

मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिए मनोनयन

(जबकि सरकारी सेवक को परिवार हो, और वह उसके एक सदस्य को मनोनीत करना चाहे ।)

मैं, इसके द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को, जो मेरे परिवार के सदस्य है, मनोनीत करता हूँ और मेरी मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा मंजूर कोई भी उपदान *[और कोई भी उपदान, जो सेवाकाल में तथा सेवानिवृत्त होने पर मृत्यु पर्यन्त बाकी रह गया, वह मेरी मृत्यु के बाद] प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ –

मनोनीत व्यक्ति का नाम और पता	सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध	उम्र	आकस्मिकता, जिसके घटने पर मनोनयन अमान्य हो जायेगा	उस व्यक्ति का नाम, पता और संबंध, जिसे सरकारी सेवक से पहले मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मनोनीत व्यक्ति को दिया गया अधिकार मिलेगा
1	2	3	4	5

ता० .... महीना .... सन् ....

स्थान .... सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

दो गवाह के हस्ताक्षर

1.

2.

(अराजपत्रित सरकारी सेवक के मामले में कार्यालय-प्रधान द्वारा भरा जाएगा ।)

नाम ....

पदनाम ....

कार्यालय ....

द्वारा मनोनयन

कार्यालय-प्रधान का हस्ताक्षर

तारीख ....

पदनाम ....

*[ ] लुप्त देखें, वित्त विभाग, ज्ञाप सं० भी०सी०डी०आर०-506/51–11140-वित्त, दिनांक 7 सितम्बर, 1951 और पुनः यथास्थापित, देखें, वित्त विभाग ज्ञाप सं० पी० 1-1010/57–17830-वित्त, दिनांक 18 दिसम्बर, 1957 (शुद्धि पत्र सं० 21, सन् 1958) ।

फारम (ख)

मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिये मनोनयन

(जबकि सरकारी सेवक को परिवार हो और वह उसके अनेक सदस्यों को मनोनीत करना चाहे ।)

मैं, इसके द्वारा, निम्नांकित व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मनोनीत करता हूँ और मेरी मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा मंजूर उपदान, नीचे उल्लिखित हद तक, *[और कोई भी उपदान, जो सेवाकाल में तथा सेवानिवृत्त होने पर मृत्यु पर्यन्त बाकी रह गया, वह मेरी मृत्यु के बाद] प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ –

मनोनीत व्यक्ति का नाम और पता	सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध	उम्र	हरेक को देय उपदान की रकम या** हिस्सा	आकस्मिकता, जिसके घटने पर मनोनयन अमान्य हो जायेगा	उस व्यक्ति का नाम, पता और संबंध, जिसे सरकारी सेवक से पहले मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, मनोनीत व्यक्ति को दिया गया अधिकार मिलेगा
1	2	3	4	5	6

ज्ञातव्य : सरकारी सेवक को अन्तिम प्रविष्टि के नीचे खाली जगह के आर-पार लकीर खींच देनी चाहिए, ताकि उसके हस्ताक्षर करने के बाद कोई नाम न जोड़ा जा सके ।

ता० .... महीना .... सन् ....

स्थान ....

दो गवाहों के हस्ताक्षर

1.

2. सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस स्तम्भ को इस तरह भरना चाहिये कि उपदान की पूरी रकम आ जाये ।

(अराजपत्रित सरकारी सेवक के मामले में कार्यालय-प्रधान द्वारा भरा जाएगा ।)

नाम ....

पदनाम ....

कार्यालय ....

द्वारा मनोनयन

कार्यालय-प्रधान का हस्ताक्षर

तारीख ....

पदनाम ....

*[ ] लुप्त देखें, वित्त विभाग, ज्ञाप सं० बी०सी०डी०आर०-506/51–11140–वित्त, दिनांक 7 सितम्बर, 1951 और पुनः यथास्थापित, देखें, वित्त विभाग ज्ञाप सं० पी० 1-1010/57–17830–वित्त, दिनांक 18 दिसम्बर, 1957 (शुद्धि पत्र सं० 21, सन् 1958) ।

**इस स्तम्भ को इस तरह भरा जाना चाहिए जिससे कि उपदान की समस्त राशि इसके भीतर आ जाये ।

फारम (ग)

मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिए मनोनयन

(जबकि सरकारी सेवक को परिवार न हो और वह एक व्यक्ति को मनोनीत करना चाहे ।)

चूँकि मुझे कोई परिवार नहीं है, इसलिये मैं इसके द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को मनोनीत करता हूँ और मेरी मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा मंजूर कोई भी उपदान *[और कोई भी उपदान, जो सेवाकाल में तथा सेवानिवृत्त होने पर मृत्यु पर्यन्त बाकी रह गया, वह मेरी मृत्यु के बाद] प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ –

मनोनीत व्यक्ति का नाम और पता	सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध	उम्र	आकस्मिकता, जिसके घटने पर मनोनयन अमान्य हो जायेगा	उस व्यक्ति का नाम, पता और संबंध जिसे, सरकारी सेवक से पहले मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, मनोनीत व्यक्ति को दिया गया अधिकार मिलेगा
1	2	3	4	5

ता० .... महीना .... सन् ....

स्थान .... सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

दो गवाह के हस्ताक्षर

1.

2.

(अराजपत्रित सरकारी सेवक के मामले में कार्यालय-प्रधान द्वारा भरा जाएगा ।)

नाम ....

पदनाम ....

कार्यालय ....

द्वारा मनोनयन

कार्यालय–प्रधान का हस्ताक्षर

तारीख ....

पदनाम ....

*[ ] लुप्त देखें, वित्त विभाग, ज्ञाप सं० बी०सी०डी०आर०-506/51–11140-वित्त, दिनांक 7 सितम्बर, 1951 और पुनः यथास्थापित, देखें, वित्त विभाग ज्ञाप सं० पी० 1-1010/57–17830-वित्त, दिनांक 18 दिसम्बर, 1957 (शुद्धि पत्र सं० 21, सन् 1958)।

फारम (घ)

मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिए मनोनयन

(जबकि सरकारी सेवक को परिवार न हो और वह अनेक व्यक्तियों को मनोनीत करना चाहे ।)

चूँकि मुझे कोई परिवार नहीं है, इसलिये मैं इसके द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को मनोनीत करता हूँ और मेरी मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा मंजूर उपदान, नीचे उल्लिखित हद तक *[और कोई भी उपदान, जो सेवाकाल में तथा सेवानिवृत्त होने पर मृत्यु पर्यन्त बाकी रह गया, वह मेरी मृत्यु के बाद नीचे उल्लिखित हद तक] प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ –

मनोनीत व्यक्तियों के नाम और पता	सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध	उम्र	हरेक को देय उपदान की रकम या** हिस्सा	आकस्मिकता, जिसके घटने पर मनोनयन अमान्य हो जायेगा	उस व्यक्ति का नाम, पता और संबंध, जिसे सरकारी सेवक से पहले मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मनोनीत व्यक्ति को दिया गया अधिकार मिलेगा
1	2	3	4	5	6

ध्यातव्य : पदाधिकारी को, अन्तिम प्रविष्टि के नीचे खाली जगह के आर-पार लकीर खींच देनी चाहिए, ताकि उसके हस्ताक्षर करने के बाद कोई नाम न जोड़ा जा सके ।

ता० .... महीना .... सन् ....

स्थान ....

दो गवाहों के हस्ताक्षर

1.

2. सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस स्तम्भ को इस तरह भरना चाहिये कि उपदान की पूरी रकम आ जाये ।

(अराजपत्रित सरकारी सेवक के मामले में कार्यालय-प्रधान द्वारा भरा जाएगा ।)

नाम ....

पदनाम ....

कार्यालय ....

द्वारा मनोनयन

कार्यालय-प्रधान का हस्ताक्षर

तारीख ....

पदनाम ....

*[ ] लुप्त देखें, वित्त विभाग, ज्ञाप सं० भी०सी०डी०आर०-506/51–11140-वित्त, दिनांक 7 सितम्बर, 1951 और पुनः यथास्थापित, देखें, वित्त विभाग ज्ञाप सं० पी० 1-1010/57–17830-वित्त, दिनांक 18 दिसम्बर, 1957 (शुद्धि पत्र सं० 21, सन् 1958) ।

**इस स्तम्भ को इस तरह भरा जाना चाहिए जिससे कि उपदान की समस्त राशि इसके भीतर आ जाये ।

फारम (ङ)

परिवार-पेंशन के लिये मनोनयन

मैं, इसके द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मनोनीत करता हूँ ताकि वे 25 वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी हो जाने के बाद मेरी मृत्यु होने पर सरकार द्वारा मंजूर परिवार-पेंशन निम्न क्रम में प्राप्त करें –

मनोनीत व्यक्तियों के नाम और पते	सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध	उम्र	विवाहित या अविवाहित
1	2	3	4

ध्यातव्य : सरकारी सेवक को अन्तिम प्रविष्टि के नीचे खाली जगह के आर-पार लकीर खींच देनी चाहिए ताकि उसके हस्ताक्षर करने के बाद नाम न जोड़ा जा सके ।

ता० .... महीना .... सन् ....

स्थान .... सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

दो गवाह के हस्ताक्षर

1.

2.

(अराजपत्रित सरकारी सेवक के मामले में कार्यालय-प्रधान द्वारा भरा जाएगा ।)

नाम ....

पदनाम ....

कार्यालय ....

द्वारा मनोनयन

कार्यालय-प्रधान का हस्ताक्षर

तारीख ....

पदनाम ....

फारम (च)

.... कार्यालय/विभाग के भूतपूर्व ....

स्व० श्री .... के परिवार के निमित्त परिवार-पेंशन के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम ....
2. मृत सरकारी सेवक/पेंशनभोगी के साथ सम्बन्ध ....
3. यदि मृत व्यक्ति पेंशनभोगी थे, तो निवृत्ति की तारीख ....
4. सरकारी सेवक/पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख ....
5. मनोनयन फारम – ङ में आवेदक का नाम, किस क्रम में है ....
6. मृत व्यक्ति के जीवित सम्बन्धियों के नाम और उम्र ....

नाम जन्म-दिन (ईस्वी सन् के अनुसार)

(क) विधवा पत्नी/पति ....

पुत्र ....

अविवाहित पुत्रियाँ ....

विधवा पुत्रियाँ ....

(ख) पिता ....

माता ....

भाई ....

अविवाहित बहनें ....

विधवा बहनें ....

7. जिस कोषागार/उपकोषागार से भुगतान चाहते हों, उसका नाम ....
8. स्वर्गीय .... की विधवा पत्नी/पुत्रों/पुत्रियों आदि ....

(i) जन्मदिन (ईस्वी सन् के अनुसार) ....

(ii) ऊँचाई ....

(iii) हाथ, चेहरे आदि पर कोई व्यक्तिगत चिह्न ....

(iv) हस्ताक्षर या बायें अँगूठे और अंगुलियों के निशान –

कनिष्ठ ....

अनामिका ....

मध्यमा ....

तर्जनी ....

अँगूठा ....

टिप्पणी : 1. परिवार-पेंशन के लिए आवेदन के साथ भेजे जानेवाले वर्णन-पत्र और हस्ताक्षर/अँगूठे तथा अंगुलियों के निशान, दो प्रतियों में और आवेदक जिस नगर, गाँव या परगने में रहता हो, वहाँ के दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अभिप्रमाणित होने चाहिए ।

टिप्पणी : 2. यदि आवेदक, मद 6 (ख) में वर्णित किसी कोटि का हो, तो उसे सरकारी सेवक/पेंशनभोगी पर निर्वाह के लिए आश्रित रहने का सबूत पेश करना चाहिए।

टिप्पणी : 3. यदि आवेदक सरकारी सेवक/पेंशनभोगी का अवयस्क (नाबालिग) भाई हो, तो मद 8 (i) का विवरण, उम्र प्रमाण-पत्र (मूल दो अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ) जिसमें आवेदक का जन्म-दिन दिखलाया रहे, द्वारा समर्थित होना चाहिए। आवश्यक सत्यापन के बाद मूल प्रमाण-पत्र आवेदक को वापस कर दिया जायेगा।

9. आवेदक का पूरा पता ....

(1) ....

(2) ....

द्वारा अभिप्रमाणित

गवाह –

(1) ....

(2) ....

फारम (छ)

जिस व्यक्ति को प्रत्याशा-मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान मंजूर हो, उनके द्वारा की जानेवाली घोषणा

चूँकि .... (अग्रिम मंजूर करने वाले सरकारी सेवक का पदनाम लिखें) ने, मुझे *(श्री . ... के मनोनीत व्यक्ति/वैध उत्तराधिकारी के नाते) देय मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की रकम नियत करने के लिए आवश्यक सरकारी जाँच पूरी होने की प्रत्याशा में .... रु० का अग्रिम कच्चे तौर पर देना मंजूर किया है, इसलिये मैं, इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि, इस अग्रिम को लेते हुए मैं पूरी तरह समझता हूँ कि मुझे देय मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान आवश्यक औपचारिक जाँच पूरी हो जाने पर, पुनरीक्षित किया जा सकेगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे पुनरीक्षण पर मैं इस आधार पर आपत्ति न करूँगा कि मुझे अभी दिया जाने वाला प्रत्याशा-मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान, अंतिम रूप से मुझे मंजूर होनेवाले मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान से अधिक है। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि अंतिम रूप से मंजूर होने वाले मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान से अधिक जो रकम अग्रिम के रूप में मुझे मिलेगी, उसे मैं लौटा दूँगा।

गवाह के हस्ताक्षर (पते के साथ)

1. ....
2. ....

हस्ताक्षर ....

पदनाम (यदि सरकारी सेवक हों) ....

....

स्थान ....

तारीख ....

* टिप्पणी : कोष्ठगत शब्द जहाँ लागू न हों, वहाँ न लिया जाये।

फारम (ज)

श्री/श्रीमति .... जो विभाग .... में

कार्यरत थे उनके परिवार हेतु मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति/अवशिष्ट उपदान के लिए आवेदन।

1. आवेदक का नाम
2. पेंशनर/मृत सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध
3. जन्मतिथि

4. सेवानिवृत्ति की तिथि, यदि मृतक पेंशनभोगी थे
5. सरकारी सेवक/पेंशनभोगी की जन्मतिथि
6. कोषागार का नाम जहाँ से भुगतान लेना चाहते हों
7. आवेदक का पूरा पता
8. आवेदक का हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान
9. [1] [अभिप्रमाणित किया गया]
   1.
   2.
10. साक्षी – नाम पूरा पता हस्ताक्षर

1. अभिप्रमाणीकरण उस क्षेत्र, इलाका, शहर या गाँव से दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए ।

अनुबन्ध–I

संख्या

बिहार सरकार

विभाग ....

तिथि ....

विषय : स्वर्गीय श्री/श्रीमती .... के परिवार को परिवार पेंशन का भुगतान ।

अधोहस्ताक्षरी को यह जानकर दुःख हुआ कि श्री/श्रीमती जो .... पदनाम .... की मृत्यु हो गई । मुझे आपको सूचित करने का निदेश है कि वित्त विभाग के ज्ञाप सं० 9505 वि०, दिनांक 3-9-1954 के प्रावधानों के अनुसार आप जीवनपर्यन्त परिवार पेंशन/बालिक होने तक के हकदार हैं ।

अतः आपको यह सुझाव दिया गया है कि निम्नलिखित कागजातों के साथ पेंशन स्वीकृति हेतु औपचारिक दावा संलग्न प्रपत्र में दाखिल करें ।

1. मृत्यु प्रमाण-पत्र
2. राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट आकार का फोटो
3. अभिभावक होने का प्रमाण-पत्र जहाँ पेंशन नाबालिग को देय हो

पदनाम

सेवा में,

श्री ....

....

अनुबन्ध–II

आवेदन-पत्र का प्रपत्र

(परिवार पेंशन योजना, 1964)

श्री/श्रीमती .... जो .... विभाग में कार्यरत थे के परिवार को परिवार पेंशन देने हेतु आवेदन ।

1. प्रार्थी का नाम
2. सरकारी सेवक/पेंशनर के साथ सम्बन्ध
3. सेवानिवृत्ति की तिथि यदि मृतक पेंशनर था

4. सरकारी सेवक/पेंशनर की जन्मतिथि
5. मृतक के जीवित बच्चों की उम्र और नाम –
   नाम .... जन्मतिथि (ई० सन् के अनुसार)
   विधवा/विधुर
   लड़के
   अविवाहित लड़कियाँ
6. कोषागार/उप-कोषागार का नाम जहाँ से भुगतान लेना चाहते हों
7. हस्ताक्षर या बाएँ अँगूठे का निशान (उनके मामले में जो अपना नाम लिखने में अयोग्य हों)
8. विवरणात्मक सूची .... विधवा/विधुर/नाबालिग बच्चा ....
   (i) जन्मतिथि (ई० सन् के अनुसार)
   (ii) ऊँचाई
   (iii) हाथ या चेहरा पर कोई व्यक्तिगत पहचान
   (iv) बाएँ अँगूठा और अँगुलियों के छाप

   कनिष्ठा अनामिका मध्य तर्जन अँगूठा

अनुबन्ध–III

परिवार पेंशन स्वीकृति हेतु प्रपत्र

1. सरकारी सेवक का नाम
2. पिता का नाम (महिला सरकारी सेवक के मामले में पति का नाम)
3. धर्म और राष्ट्रीयता
4. विभाग के नाम के साथ अंतिम नियुक्ति
5. सेवा प्रारम्भ की तिथि
6. सेवा समाप्ति की तिथि
7. सावधिक नियुक्ति धारित
8. पेंशन नियमावली विकल्पित/उपयुक्त
9. मृत्यु के पहले लगातार अर्हक सेवा की अवधि
10. (वित्त विभाग के पत्रांक 9505 वि० I, दिनांक 3-9-1964 की कण्डिका 4 के अनुसार वेतन)
11. परिवार पेंशन की स्वीकार्य राशि
12. तिथि जिस दिन से पेंशन प्रारम्भ होगी
13. भुगतान का स्थान (कोषागार या उप-कोषागार)

अधोहस्ताक्षरी मृतक श्री/श्रीमति .... के पेंशन संबंधी उपर्युक्त सूचनाओं एवं प्रविष्टियों के संतुष्ट होकर .... रुपये प्रतिमाह परिवार पेंशन जो श्री एवं श्रीमती .... को देय होगा, की स्वीकृति हेतु आदेश पारित करते हैं, जो नियमानुसार देय है और अंकेक्षण विभाग द्वारा स्वीकृति की जा सकती है ।

स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

●

टिप्पणी : विवरणात्मक तालिका (खण्ड-8) और बाएँ अँगूठा और अंगुलियों के निशान परिवार पेंशन के लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न दो प्रतियों में अलग-अलग किसी राजपत्रित पदाधिकारी या उस क्षेत्र/मोहल्ला/शहर के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित होनी चाहिए ।

पेंशन फारम–1

(देखें नियम 187)

आघात-पेंशन या उपदान के लिये आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. मूलवंश, सम्प्रदाय और जाति ....
4. निवास-स्थान (गाँव/नगर, डाकखाना, थाना और जिला) ....

....

5. वर्तमान या पिछला नियोजन ....

वर्ष महीना दिन

6. सेवा के आरम्भ की तारीख और स्थापना का नाम ....
7. सेवा की अवधि (क्रम-भंग सहित), जिसमें –

उत्कृष्ट सेवा ....

निचली सेवा ....

गैर-पेंशनी सेवा और क्रम-भंग ....

8. आघात का वर्गीकरण ....
9. आघात के समय वेतन ....
10. प्रस्तावित पेंशन या उपदान ....
11. आघात का स्थान ....
12. भुगतान की तारीख ....
13. विशेष अभ्युक्ति ....
14. ईश्वी सन् में आवेदक के जन्म की तारीख* ....
15. ऊँचाई ....
16. चिह्न (अँगूठे और अंगुलियों के निशान)–

अँगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
....	....	....	....	....

17. किस तारीख को आवेदक ने पेंशन के लिए आवेदन किया ....
18. आवेदक का हस्ताक्षर ....

कार्यालय-प्रधान का हस्ताक्षर

---

* यदि कोष्ठक मालूम न हो तो अपनी पूरी जानकारी और अनुमान के आधार पर

टिप्पणी : राजपत्रित सरकारी सेवकों तथा राज्य-सरकार द्वारा खास तौर से विमुक्त अन्य व्यक्तियों के मामले में, अँगूठे और अंगुलियों के निशान तथा ऊँचाई और शारीरिक चिह्न सम्बन्धी विवरण अपेक्षित नहीं है।

पेंशन फारम–2

(देखें नियम 187)

परिवार-पेंशन के लिए आवेदन-पत्र

पद-सम्बन्धी खास जोखिम या पद-सम्बन्धी जोखिम के फलस्वरूप पहुँचे आघात से मारे गये या मृत स्व० श्री क, ख, भूतपूर्व .... श्री क, ख के परिवार के लिये असाधारण पेंशन के निमित्त आवेदन।

.... द्वारा उपस्थापित

दावेदार का विवरण

1. नाम और निवास-स्थान (गाँव/नगर, डाकखाना, थाना और जिला) ....
2. उम्र ....
3. ऊँचाई ....
4. मूलवंश, जाति या जनजाति ....
5. पहचान के चिह्न ....
6. वर्तमान धंधा और आर्थिक स्थिति ....
7. मृत व्यक्ति के साथ सम्बन्ध ....

मृत व्यक्ति का विवरण –

8. नाम ....
9. धंधा और सेवा ....
10. सेवा की अवधि ....
11. मृत्यु के समय वेतन ....
12. किस तरह के आघात से मृत्यु हुई ....
13. प्रस्तावित पेंशन या उपदान की रकम ....
14. भुगतान का स्थान ....
15. किस तारीख से पेंशन आरम्भ होगी ....
16. अभ्युक्ति ....

मृत व्यक्ति के जीवित सम्बन्धियों के नाम और उम्र* –

नाम	ईस्वी सन् में जन्म की तारीख*
पुत्र–	
विधवायें–	
पुत्रियाँ–	
पिता–	
माता–	

* यदि ठीक-ठीक मालूम न हो, तो अपनी पूरी जानकारी और अनुमान के आधार पर लिखें।

टिप्पणी : यदि मृत व्यक्ति का कोई पुत्र, विधवा, पुत्री, पिता या माता जीवित न हो, तो ऐसे सम्बन्धियों के सम्मुख "कोई नहीं" या "मूल" लिख दें।

स्थान ....

तारीख ....

कार्यालय-प्रधान का हस्ताक्षर

पेंशन फारम–3

(देखें नियम 187)

आघात पर रिपोर्ट करने में चिकित्सक-बोर्ड के व्यवहार के लिए फारम

चिकित्सक-बोर्ड की कार्यवाही

(गोपनीय)

.... (आघात आदि का स्थान) में .... (आघात आदि की तरीख) को .... (नाम) को पहुँचे आघात/हुए रोग की वर्तमान दशा की जाँच और उस पर रिपोर्ट करने के लिए .... के आदेश से समवेत चिकित्सक–बोर्ड की कार्यवाही –

(क) संक्षेप में उन परिस्थितियों का उल्लेख करें, जिनमें आघात पहुँचा/रोग हुआ ....

(ख) सरकारी सेवक की वर्तमान दशा कैसी है ? ....

(ग) क्या सरकारी सेवक की वर्तमान हालत पूर्णत: आघात/रोग के कारण है ? यदि नहीं, तो इसके अन्य कौन–से कारण हो सकते हैं ? ....

(घ) रोग के मामले में किस तारीख से सरकारी सेवक असमर्थ प्रतीत होता है ? ....

निम्नलिखित प्रश्न पर बोर्ड की राय नीचे दी जाती है –

भाग–क

पहली जाँच

आघात की गंभीरता निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित करनी चाहिये और नीचे अभ्युक्ति–स्तम्भ में ब्योरा देना चाहिये –

हाँ नहीं

1. क्या आघात –
   - (i) (क) से एक आँख या एक अंग की हानि हुई है ? ....
     (ख) से एक से अधिक आँखों या अंगों की हानी हुई है ? ....
   - (ii) एक आँख या एक अंग की हानि से अधिक गहरा है ? ....
   - (iii) एक आँख या एक अंग की हानि के बराबर है ? ....
   - (iv) बहुत गहरा है [और स्थायी होने की संभावना] ? ....
   - (v) गहरा है और उसके स्थायी होने की संभावना है ? ....
   - (vi) [बहुत गहरा है या गहरा है, किन्तु उसके स्थायी होने की संभावना नहीं है ? ....
   - (vii) हल्का है किन्तु उसके स्थायी होने की संभावना है ? ....
2. आघात की तारीख से कितनी अवधि तक –
   - (क) सरकारी सेवक कर्त्तव्य के अयोग्य रहा है ? ....
   - (ख) सरकारी सेवक को कर्त्तव्य के अयोग्य रहने की संभावना है ? ....

अभ्युक्ति : यहाँ आवश्यकतानुसार उपर्युक्त वर्गीकरण का विस्तार किया जा सकता है या मुख्य आघात के अतिरिक्त आघातों का ब्योरा दिया जा सकता है।

भाग–ख

दूसरी या बाद की जाँच

यदि सरकारी सेवक की अशक्तता की मूल मात्रा में परिवर्तन हुआ है, तो उसे अब उपर्युक्त कोटियों में से किस कोटि में रखा जाना चाहिये ?

अभ्युक्ति : यहाँ आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ब्योरा दिये जा सकते हैं।

रिपोर्ट तैयार करने में चिकित्सक-बोर्ड द्वारा पालनीय अनुदेश

1. चिकित्सक-बोर्ड अपनी राय लिखने के पहले बराबर पूर्व चिकित्सक-बोर्ड की कार्यवाहियाँ और अपने सामने जाँच के लिये लाये गये सरकारी सेवक के बारे में पहले के सभी स्वास्थ्य-सम्बन्धी कागजपत्र देख ले।

2. यदि आघात एक से अधिक हो तो संख्यांकित कर उसका अलग-अलग विवरण दिया जाये। यदि यह समझा जाये कि यद्यपि अनेक आघात "गहरे" या "हल्के" हैं, फिर भी कुल मिलाकर एक बहुत गहरे आघात के बराबर है, तो दिये गये स्तम्भों में ऐसी राय लिखी जाये।

3. विहित फारम में प्रश्नों के उत्तर देने में चिकित्सक-बोर्ड अपने को पूर्णत: मामले के चिकित्सीय पहलू तक ही सीमित रखेगा और सरकारी सेवक के असमर्थिक बयानों तथा प्राप्य चिकित्सीय एवं लेख्यात्मक साक्ष्यों के बीच सावधानीपूर्वक प्रभेद करेगा।

4. बोर्ड न तो जाँचे गये सरकारी सेवक से और न अपनी रिपोर्ट में इस विषय में कोई राय जाहिर करेगा कि वह क्षतिपूर्ति का हकदार है या नहीं या उसकी रकम क्या होनी चाहिये और न सरकारी सेवक को यह बतायेगा कि आघात का वर्गीकरण किस तरह किया गया है।

पेंशन फारम–4 (i)

अनुसूची 53, फारम सं० 198

(बिहार पेंशन नियमावली के नियम 193, 194 और 199 देखें)

पेंशन या उपदान और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिए आवेदन (चार पृष्ठ)

पहला पृष्ठ

1. सरकारी सेवक का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. मूलवंश, धर्म और जाति ....
4. (क) निवास स्थान (गाँव/नगर, डाकघर, थाना और जिला) ....
   (ख) वर्तमान निवास स्थान (गाँव/नगर, डाकघर, थाना और जिला) ....
5. वर्तमान या पिछला नियोजन और स्थापना का नाम ....
6. सेवा के आरंभ की तारीख ....
7. सेवा-समाप्ति की तारीख ....
8. (क) सैनिक सेवा की कुल अवधि ....
   सैनिक सेवा की हर अवधि के आरंभ और समाप्ति की तारीख ....
   सैनिक सेवा के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की रकम और स्वरूप ....
   (ख) जिस सरकार के अधीन सेवा की गई है उसका नाम – नियोजन के क्रम में/हर मामले में ऐसे नियोजन की अवधि दिखाई जाए ....
9. सेवा की अवधि (क्रम-भंग सहित) ....
   जिसमें वर्ष महीना दिन
   उत्कृष्ट सेवा ....
   निचली सेवा ....
   गैर-पेंशनी क्रम-भंग ....
10. आवेदित पेंशन या उपदान का वर्ग और आवेदन का कारण* ....

11. (औसत) उपलब्धि या वेतन ....
12. प्रस्तावित पेंशन/सेवा-उपदान ....
13. प्रस्तावित मृत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान ....
14. किस तारीख से पेंशन आरंभ होगी ....
15. (क) प्रस्तावित परिवार-पेंशन ....
    (ख) यदि सरकारी सेवक निवृत्ति के बाद मर जाए तो प्रस्तावित मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान ....
    (ग) किस तारीख से परिवार-पेंशन आरंभ होगी ....
    (घ) किस तारीख से परिवार पेंशन बंद होगी ....
16. भुगतान का स्थान (सरकारी कोषागार या उप-कोषागार) ....
17. आवेदक का नाम ....
18. मृत सरकारी सेवक के साथ संबंध ....

*यदि आवेदन क्षतिपूर्ति, पेंशन या उपदान के लिए हो, तो स्थापना में किस तरह का परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप दावा उठ खड़ा हुआ – पूरी तरह लिखें।

19. (क) दावे के लिए अधिकार
    (ख) यदि मनोनयन किया गया था तो क्या मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान का/के आवेदक, मनोनीत व्यक्ति है/हैं ?
    (ग) यदि मनोनयन नहीं किया गया था तो परिवार-पेंशन का आवेदक वित्त विभागीय संकल्प सं० एफ०वी०पी०ए०आर०-12/50–12548-एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 की कंडिका (5) के अनुसार किस कोटि में आता है ?
20. ईस्वी सन् में आवेदक के जन्म की तारीख*
21. ऊँचाई**
22. चिह्न [2]

अँगूठे और अंगुलियों के निशान

(बायाँ हाथ)

अँगूठा – तर्जनी – मध्यमा – अनामिका – कनिष्ठ –

23. किस तारीख को आवेदक ने पेंशन या उपदान और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/परिवार-पेंशन के लिए आवेदन किया ?
24. आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय-प्रधान/कार्याध्यक्ष का हस्ताक्षर

*यदि ठीक-ठीक मालूम न हो, तो अपनी पूरी जानकारी या अनुमान के आधार पर लिखें।

**टिप्पणी : राजपत्रित सरकारी सेवकों और सरकार द्वारा खास तौर से विमुक्त अन्य व्यक्तियों के मामले में अँगूठे या अँगुलियों के निशान तथा ऊँचाई और शारीरिक चिह्न-सम्बन्धी विवरण अपेक्षित नहीं हैं।

जब सरकारी सेवक स्वयं आवेदक हो, तब मद सं० 17 से 19 तक काट दी जाएँ और दूसरे मामलों में मद सं० 16, 17 और 19 उसी तरह काट दी जाएँ।

[2] पेंशनभोगियों को अपने पेंशन-आवेदन के साथ पासपोर्ट आकार के फोटो की प्रमाणित प्रतियाँ भेजनी पड़ती हैं, उनसे सत्यापन के लिए बाएँ हाथ के अँगूठे और अंगुलियों के निशान अब न लिए जाएँ, यदि वे साक्षर हों और अंग्रेजी, हिन्दी या सरकारी स्थानीय भाषा में अपना नाम लिख सकते हों। जोड़ा गया, देखें, वित्त विभाग ज्ञाप सं० ए3-10113-57-10016-वित्त, ता० 27 जुलाई, 1957; (शुद्धि-पत्र सं० 64, दिनांक 28 मई, 1959)।

दूसरा पृष्ठ

.... का सेवा-वृत्त क्रम-भंग के साथ)

जन्म की तारीख ....

स्थापना	नियुक्ति (पद)	वेतन	मौलिक वेतन और स्थानापन्न वेतन के बीच अन्तर	आरंभ की तारीख	समाप्ति की तारीख	सेवा के रूप में गिनी अवधि	सेवा के रूप में न गिनी अवधि.	अभ्युक्ति	किस तरह सत्यापित	लेखा पदाधिकारी की अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(रु०)				वर्ष मास दिन	वर्ष मास दिन			सं०पी०आर० (राज्य) दि०... से... तक की सेवा सत्यापित की गई है।
						कुल सेवा अवधि।				सहायक लेखा पदाधिकारी।

तीसरा पृष्ठ

कार्यालय-प्रधान/कार्याध्यक्ष की अभ्युक्ति

1. सरकारी सेवक के चरित्र और पूर्व आचरण के संबंध में
2. किसी मुअत्तली या अवच्युति का स्पष्टीकरण
3. आवेदक द्वारा पहले प्राप्त किसी उपदान या पेंशन के संबंध में – (बिहार पेंशन नियमावली का अध्याय 8 देखें)।
4. कोई अन्य अभ्युक्ति
5. जिस सेवा का दावा किया गया है, वह सिद्ध है या नहीं और स्वीकृत की जाए या नहीं, इस विषय में कार्यालय-प्रधान/कार्याध्यक्ष की विशिष्ट राय।

   [बिहार पेंशन नियमावली के नियम 194 (i) और 197 (क) (ii) देखें।]

कार्यालय-प्रधान/कार्याध्यक्ष का हस्ताक्षर

6. पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान, जिसका दावा किया गया है, स्वीकृत की जाये या नहीं, इस विषय में मंजूरी-प्राधिकारी की अन्तिम सिफारिश [बिहार पेंशन नियमावली के नियम 195 (ग) और 199 देखें]।

मंजूरी प्राधिकारी का हस्ताक्षर

सं० पी०आर० (राज्य) .... दिनांक .... ईस्वी

महालेखापाल का प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि (निम्नलिखित अभ्युक्ति के अधीन रहते हुए*)

भूतपूर्व .... श्री .... की .... कोटियों में .... वर्ष .... महीने .... दिन की पेंशन-प्रदायी सेवा यथावत् सिद्ध हो चुकी है और बिहार पेंशन नियमावली के नियम .... तथा बिहार सरकार के वित्त विभागीय ज्ञाप सं० 5285-एफ०, दिनांक 26 अप्रैल, 1951 की कंडिका 2 (ग) – वित्त विभागीय संकल्प सं० एफ०वी०पी०ए० आर०-12/50-12548-एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 के अधीन .... पेंशन/सेवा उपदान परिवार पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान, जो प्रतिमास .... रु० तथा एकमुस्त .... रु० से अधिक न हो अनुमान्य है। गणना यथावत् सत्यापित हो चुकी है। पेंशन या उपदान .... पर भारितव्य है और पेंशन दिनांक .... से आरंभ होगी।

बिहार पेंशन नियमावली के 139 और 202 (1) नियमों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। चूँकि आवेदन की तारीख निवृत्ति की तारीख के बाद है, इसलिये पेंशन आवेदन की तारीख .... से या निवृत्ति की तारीख .... में, जैसा कि मंजूरी प्राधिकारी, बिहार पेंशन नियमावली के नियम 209 के अधीन निदेश दे, आरंभ होगी।

(यदि आवश्यक न हो, तो यह कंडिका काट दी जा सकती है।)

महालेखापाल

---

*ऐसे पदाधिकारियों के मामले में, जो बिहार पेंशन नियमावली के नियम 147 में प्राधिकृत अतिरिक्त पेंशन पाने के पात्र हों, प्रमाण-पत्र के सामान्य फारम में निम्न बातें जोड़ी जाएँ –

"उन्होंने तीन वर्षों .... वर्षों तक .... के रूप में सेवा की है और 1,000 रु०/ 1,500 रु० .... की विशेष अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं। माना जाता है कि उनकी सेवा इस रियायत के योग्य है।"

टिप्पणी : यदि पेंशन प्रदायी सेवा अधिकतम पेंशन पाने के लिये पर्याप्त सेवा से अधिक है, तो प्रमाण पत्र इस तरह होना चाहिये .... ".................... वर्षों से अधिक की .... यथावत् सिद्ध हो चुकी है।" (वर्ष संख्या वह दें, जो अधिकतम पेंशन उपार्जित करने के लिये अपेक्षित हो।)

चौथा पृष्ठ (सार-पत्र)

पेंशन या उपदान और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिये आवेदन

आवेदन की तारीख

सरकारी सेवक का नाम

आवेदक का नाम

नियुक्ति (पद)

पेंशन या उपदान का वर्ग

मंजूरी-प्राधिकारी

मंजूर पेंशन/परिवार पेंशन की रकम

मंजूर उपदान की रकम

मंजूर मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की रकम

आरंभ की तारीख

मंजूरी की तारीख

●

पेंशन फारम–5

(देखें नियम 222)

पेंशन भुगतान आदेश (मुख भाग)

वितरण पदाधिकारी के लिये।

इस आदेश पर प्रथम भुगतान हो जाने के बाद

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर के लिये स्थान ....

पेंशन का वर्ग और मंजूरी आदेश की तारीख	पेंशन संबंधी पहचान	ऊँचाई	जन्म की तारीख या लगभग तारीख	संप्रदाय	निवास स्थान (गाँव और परगना)	मासिक पेंशन की रकम
		फी०इ०				रु०

महालेखापाल का कार्यालय

सं० 19

सेवा में,

कोषागार पदाधिकारी

महोदय,

जबतक आगे कोई सूचना न दी जाये, जबतक हर महीने की समाप्ति पर कृपया (क) (ख) को .... के रूप में .... पेंशन की रकम .... रु० इस आदेश की अधकट्टी पेश करने पर और दावेदार से सामान्य रूप में उक्त रकम की रसीद लेकर चुका दें।

भुगतान .... से आरंभ होना चाहिए।

.... के कलक्टर की सेवा में –

महालेखापाल

पेंशनभोगी के लिये अधकट्टी

पेंशनभोगी का नाम ....

भार-शीर्षक ....

पेंशन का वर्ग और मंजूरी आदेश की तारीख	जन्म की तारीख या लगभग तारीख	संप्रदाय	निवास स्थान (गाँव और परगना)	मासिक पेंशन की रकम
				रु०

महालेखापाल का कार्यालय

सं० 19

सेवा में,

कोषागार पदाधिकारी

महोदय,

जबतक आगे कोई सूचना न दी जाये, जबतक हर महीने की समाप्ति पर कृपया (क) (ख) को .... पेंशन की रकम .... रु० के रूप में, यह आदेश और सामान्य रूप में रसीद पेश करने पर, चुका दें।

भुगतान .... से आरंभ होना चाहिए।

.... के कलक्टर की सेवा में –

महालेखापाल

टिप्पणी : 1. पेंशनभोगी के विरुद्ध किसी माँग के लिये लेनदार की प्रेरणा से भारत के किसी न्यायालय की आदेशिका के जरिये कोई पेंशन, जब्त, कुर्क या समपहृत न की जा सकेगी।

(धारा 2, अधिनियम 23, 1871)

टिप्पणी : 2. निम्न अपवादों को छोड़, इस आदेश के अधीन भुगतान केवल स्वयं पेंशनभोगी को ही किया जायेगा –

(क) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार ने खास तौर से छूट दे दी हो।

(ख) ऐसी महिलाएँ, जो बाहर निकलने की आदी न हों या ऐसे व्यक्ति जो बीमारी या शारीरिक दुर्बलता के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हो।

[उपर्युक्त (क) और (ख), दोनों मामलों में, भुगतान किसी जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारी या दूसरे जाने-माने और विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण-पत्र पेश करने पर ही, किया जाता है।

[नियम 357 से 359 और नियम 376, बिहार कोषागार संहिता (ट्रेजरी कोड)।]

(ग) कोई ऐसा व्यक्ति जो दंड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसिड्योर कोड के अधीन किसी श्रेणी के दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या निबंधन-अधिनियम (रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) के अधीन किसी निबंधक (रजिस्ट्रार) या उप-निबंधक (रजिस्ट्रार) या उप-निबंधक द्वारा या किसी पेंशन प्राप्त पदाधिकारी, जो निवृत्ति के पहले दंडाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करता था, द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण-पत्र भेजे।

[नियम 357 से 359 और नियम 376, बिहार कोषागार संहिता (ट्रेजरी कोड)।]

(घ), (क), (ख) और (ग) खंडों में निर्दिष्ट सभी मामलों में, वितरण पदाधिकारी वर्ष में कम-से-कम एक बार, जीवन प्रमाण-पत्र के अलावा, पेंशनभोगी के जीवित रहने का स्वतंत्र सबूत माँगेगा।

टिप्पणी : 1. पेंशनभोगी के विरुद्ध किसी माँग के लिये लेनदार की प्रेरणा से भारत के किसी न्यायालय की आदेशिका के जरिये कोई पेंशन, जब्त, कुर्क या समपहृत न की जा सकेगी।

(धारा 2, अधिनियम 23, 1871)

टिप्पणी : 2. निम्न अपवादों को छोड़, इस आदेश के अधीन भुगतान केवल स्वयं पेंशनभोगी को ही किया जायेगा –

(क) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार ने खास तौर से छूट दे दी हो।

(ख) ऐसी महिलाएँ, जो बाहर निकलने की आदी न हों या ऐसे व्यक्ति जो बीमारी या शारीरिक दुर्बलता के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हो।

[उपर्युक्त (क) और (ख), दोनों मामलों में, भुगतान किसी जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारी या दूसरे जाने-माने और विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण-पत्र पेश करने पर ही, किया जाता है।

[नियम 357 से 359 और नियम 376, बिहार कोषागार संहिता (ट्रेजरी कोड)।]

(ग) कोई ऐसा व्यक्ति जो दंड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसिड्योर कोड के अधीन किसी श्रेणी के दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या निबंधन-अधिनियम (रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) के अधीन किसी निबंधक (रजिस्ट्रार) या उप-निबंधक (रजिस्ट्रार) या उप-निबंधक द्वारा या किसी पेंशन प्राप्त पदाधिकारी, जो निवृत्ति के पहले दंडाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करता था, द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण-पत्र भेजे।

[नियम 357 से 359 और नियम 376, बिहार कोषागार संहिता (ट्रेजरी कोड)।]

(घ), (क), (ख) और (ग) खंडों में निर्दिष्ट सभी मामलों में, वितरण पदाधिकारी वर्ष में कम-से-कम एक बार, जीवन प्रमाण-पत्र के अलावा, पेंशनभोगी के जीवित रहने का स्वतंत्र सबूत माँगेगा।

टिप्पणी : 3. पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने पर उसका परिवार मृत्यु की तारीख की रिपोर्ट के साथ, आदेश को तुरंत जिला पदाधिकारी के पास लौटा देगा।

टिप्पणी : प्रत्यावर्त्तन–पेंशनर के आधे भाग तथा वितरक के आधे भाग के प्रपत्र को मुद्रित नहीं किया गया है।

पेंशन फारम–6

(देखें नियम 232)

औपनिवेशिक (पेंशन भुगतान) वारंट – अमुद्रित ।

पेंशन फारम–7

(देखें नियम 243)

असैनिक पेंशनरों का रूपान्तरण

भाग–1

आवेदन-पत्र

मैं .... अपनी प्रतिमास .... रु० .... पै० की पेंशन के कुछ अंश को रूपान्तरित कराना चाहता हूँ। मुझे पृष्ठ 3 पर उल्लिखित कामों में रूपान्तरित मूल्य का उपयोग करना है और विश्वास है कि रूपान्तरण से मुझे तथा मेरे परिवार को स्पष्ट और स्थायी लाभ होगा। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने नीचे उल्लिखित सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिये हैं।

तारीख .... हस्ताक्षर ....

स्थान .... पदनाम ....

पता ....

प्रश्न	उत्तर
1. आपके जन्म की तारीख क्या है ?	
2. (क) अपनी पेंशन का कितना अंश आप रूपान्तरित कराना चाहते हैं ?	
(ख) क्या आप अपनी पेंशन का कोई अंश रूपान्तरित करा चुके हैं, यदि हाँ, तो ब्योरा दें।	
3. आप आपके ऊपर कोई ऋण या दायिता है ? ब्योरा दें।	
4. क्या आपको पत्नी है ? आपके परिवार के जो व्यक्ति आप पर आश्रित हैं, उनकी उम्र और ब्योरा दें।	
5. पिछले वर्ष सभी स्रोतों से आपकी मासिक आय कितनी थी ? ब्योरा दें।	
6. क्या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिससे आपकी आयु कम हो जाने की संभावना हो ? यदि हाँ, तो वह कौन-सी है ?	
7. (क) आपके पेंशन भुगतान आदेश की संख्या क्या है ?	
(ख) आपके किस कोषागार से अपनी पेंशन पाते हैं ?	
(ग) आप किस वर्ग की पेंशन पाते हैं ? (बुढ़ापा पेंशन, निवृत्ति पेंशन, क्षतिपूर्ति पेंशन या असमर्थता पेंशन)।	
(घ) आपकी निवृत्ति की तारीख क्या है ?	
8. मंजूरी प्राधिकारी अपने विवेक से जो भी निर्णय करें, आप लगभग किस तारीख से रूपान्तरण चाहते हैं ? (देखें नियम 246, बिहार पेंशन नियमावली।)	
9. किस स्थान पर आप अपनी स्वास्थ्य-परीक्षा कराना पसंद करेंगे ?	

तारीख ....

स्थान .... हस्ताक्षर ....

जिस काम या जिन कामों में रूपान्तरण-मूल्य खर्च किया जायेगा, उनका, विवरण

टिप्पणी : आवेदक अपनी आर्थिक स्थिति, रूपान्तरण की आवश्यकता और उससे हानि का लाभ के बारे में पूरी जानकारी देगा। उदाहरणार्थ, यदि वह मकान बनाना या खरीदना चाहता हो, तो वह यह बताएगा कि मकान के लिए वह कितना किराया देता है, मकान बनाने के लिए वह जमीन ले चुका है या उसके लिए बातचीत कर चुका है आदि ऋण का वह पूरा ब्योरा देगा और अलग-अलग बताएगा कि हरेक की रकम क्या है और ब्याज दर क्या है तथा यथासंभव उनके समर्थन में लेख्यात्मक साक्ष्य (कागजी सबूत) पेश करेगा। आवेदक यह भी स्पष्ट करेगा कि रूपान्तरण से किस हद तक ब्याज की रकम आदि की बचत होगी। जहाँ कारबार करना उद्देश्य हो, वहाँ पूँजी-व्यय, चालन खर्च उस इलाके के कारबार के भविष्य तथा प्रत्याशित मुनाफे आदि का विवरण देना आवश्यक है।

काम या उद्देश्य	खर्च का ब्योरेवार अनुमान
1	2
1. मकान बनाना या खरीदना	
2. ऋण की चक्रौती	
3. सन्तान या आश्रितों की शिक्षा	
4. विवाह खर्च... ...	
5. कोई अन्य काम या उद्देश्य स्पष्ट लिखें	

स्थान ....

तारीख .... हस्ताक्षर ....

ज्ञाप संख्या .... वि०, पटना, दिनांक ....

1. बिहार के महालेखापाल की रिपोर्ट के लिए अग्रसारित।
2. राज्य सरकार ने कच्चे तौर पर .... की पेंशन में से .... रु० .... से अनधिक पेंशन की उतनी रकम जिससे रूपान्तरण होने पर लगभग .... रु० मिले। .... रु० की पेंशन के रूपान्तरण की अनुमति देने का निर्णय किया है।

महालेखाकार से अनुरोध किया जाता है कि वे इस फारम के भाग 2 में तदनुसार रिपोर्ट करें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अवर सचिव, वित्त विभाग

"रूपान्तरणीय पेंशन का अंश पूरे रुपये या रुपयों और 5 नए पैसे के घात में होना चाहिए। यह 1 अप्रील, 1957 से लागू होगा।"

(वित्त विभाग सं० पी०-1-2030/57 ... 11158-वित्त, दिनांक 20 अगस्त, 1957 और शुद्धि-पत्र सं० 46, दिनांक 13 नवम्बर, 1957)।

असैनिक पेंशनों का रूपान्तरण

भाग–2

ज्ञाप सं० .... राँची ....

वित्त विभाग के सचिव को अग्रसारित।

2. रूपान्तरण के लिए चिकित्सा-प्राधिकारी की सिफारिश मिलने पर निम्न एकमुश्त रकम देय होगी–

		रूपान्तरित होनेवाली मासिक पेंशन की रकम (रुपये)	रूपान्तरित मूल्य रूपान्तरित मूल्य (रुपये)
यदि रूपान्तरण आवेदक के अगले जन्मदिन के पहले ही पक्का हो जाये, जो .... को पड़ता है।	मामूली उम्र अपील .... वर्ष के आधार पर।		
	मामूली उम्र + (जोड़) 1 वर्ष, अर्थात् .... वर्ष के आधार पर।		

		रूपान्तरित होनेवाली मासिक पेंशन की रकम (रुपये)	रूपान्तरित मूल्य (रुपये)
	मामूली उम्र + 2 वर्ष अर्थात् .... वर्ष के आधार पर।		
जन्म की तारीख	मामूली उम्र + 3 वर्ष अर्थात् .... वर्ष के आधार पर।		
	मामूली उम्र + 5 वर्ष, अर्थात् .... वर्ष के आधार पर।		
यदि रूपान्तरण आवेदक के अगले जन्मदिन के बाद किन्तु उसके अनन्तर जन्मदिन के एक दिन पहले पक्का हो जाये।	मामूली उम्र अर्थात् .... वर्ष के आधार पर।		
	मामूली उम्र + (जोड़) 1 वर्ष, अर्थात् ... वर्ष के आधार पर।		
	मामूली उम्र + (जोड़) 2 वर्ष, अर्थात् ... वर्ष के आधार पर।		
	मामूली उम्र + 3 वर्ष, अर्थात् .... वर्ष के आधार पर।		
	मामूली उम्र + 4 वर्ष, अर्थात् .... वर्ष के आधार पर।		
	मामूली उम्र + 5 वर्ष, अर्थात्, ... वर्ष के आधार पर।		

3. देय रकम केन्द्रीय राजस्व और बिहार के राज्य राजस्व पर (........ के अनुपात में) भार होगी।

स्थान ....

तारीख .... सह-लेखापाल

भाग–3

ज्ञाप सं० .... दिनांक ....

पटना/राँची, ता० .... 19 .... ।

बिहार सरकार उपर्युक्त रूपान्तरण के लिये प्रशासनिक मंजूरी देती है। इस फार्म के भाग 2 की कंडिका 2 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेंशन फारम 8 में आवेदक के पास भेज दी गई है और उन्हें अधिक-

से-अधिक दिनांक .... 19 ...... (आज से तीन महीने के भीतर) तक में .... में चिकित्सक बोर्ड/असैनिक शल्य-चिकित्सक (सिविल सर्जन) के सामने उपस्थित होने का अनुदेश दे दिया गया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अवर सचिव, वित्त विभाग

ज्ञाप सं० .... वि०......................

पटना/राँची, ता० .... 19 .... ।

मूल पेंशन फारम 9* की दो प्रतियाँ [और अनुदेश में निर्दिष्ट स्वास्थ्य रिपोर्टों] के साथ ..... (तारीख) को चिकित्सक बोर्ड/................ के असैनिक शल्य-चिकित्सक (सिविल सर्जन) .... सरकार के महा शल्य-चिकित्सक के पास प्रेषित।

कृपया वे .... ** दिनांक .... [तक यथाशीघ्र .... में चिकित्सा-बोर्ड द्वारा आवेदक की स्वास्थ्य-परीक्षा के लिए व्यवस्था करें।

.... से यह भी अनुरोध है कि वे सीधे आवेदक को काफी समय पहले यह सूचित कर दें कि स्वास्थ्य-परीक्षा के लिये उन्हें कहाँ और कब उपस्थित होना है। आवेदक का वर्तमान पता निम्न है ...] ।

2. आवेदक की स्वास्थ्य परीक्षा करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे पूरे भरे पेंशन फारम 7 और 9 की मूल प्रतियाँ बिहार के महालेखापाल के पास, पूरे भरे पेंशन फारम 9 की प्रमाणित प्रतिलिपि राज्य सरकार के पास और पेंशन फारम 9 के भाग 3 की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदक के पास अविलम्ब भेज दें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अवर-सचिव, वित्त विभाग

---

* जहाँ आवश्यक हो, इसे छोड़ दें।
[+] केवल चिकित्सक-बोर्ड के लिये।

पेंशन फारम–8

(देखें नियम 250)

असैनिक पेंशनों का रूपान्तरण

भाग–1

रूपान्तरण के लिए चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश और इस फारम के भाग 2 में विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, निम्न एकमुश्त रकम देय होगी –

		रूपान्तरित होनेवाली मासिक पेंशन की रकम (रुपये)	रूपान्तरित मूल्य (रुपये)
यदि रूपान्तरण .... को पड़ने वाले आवेदक के अगले जन्मदिन के पहले ही पक्का हो	मामूली उम्र अर्थात् .... वर्ष के आधार पर। मामूली उम्र 1 वर्ष, अर्थात्,		

जाये, तो देय रकम।	.... वर्ष के आधार पर।
	मामूली उम्र 2 वर्ष, अर्थात् .... वर्ष के आधार पर।
जन्म की तारीख	मामूली उम्र 3 वर्ष, अर्थात् .... वर्ष के आधार पर।
	मामूली उम्र, 4 वर्ष, अर्थात् .... वर्ष के आधार पर।
	मामूली उम्र 5 वर्ष, अर्थात् .... वर्ष के आधार पर।
यदि रूपान्तरण आवेदक के अगले जन्मदिन के बाद, किन्तु उसके अनन्तर जन्मदिन के एक दिन पहले पक्का हो जाये, तो देय रकम।	मामूली उम्र 1 वर्ष, अर्थात्, ... वर्ष के आधार पर।
	मामूली उम्र 2 वर्ष, अर्थात् .... वर्ष के आधार पर।
	मामूली उम्र 3 वर्ष, अर्थात् .... वर्ष के आधार पर।
	मामूली उम्र, 4 वर्ष, अर्थात् .... वर्ष के आधार पर।
	मामूली उम्र 5 वर्ष, अर्थात् .... वर्ष के आधार पर।

स्थान ....
दिनांक ....

(हस्ताक्षरित)
महालेखापाल

भाग–2

ज्ञाप सं० .... वि० ....

पटना .... 19 .... ।

.... को पेंशन में से .... की पेंशन का एकमुश्त भुगतान के लिये रूपान्तरण, भाग 1 में दी गई महालेखापाल की रिपोर्ट के आधार पर, प्रशासनिक तौर से मंजूर किया जाता है। वर्तमान मूल्यों की तालिका में, जिसके आधार पर महालेखापाल की रिपोर्ट में गणना की गयी है, किसी समय भी हेरफेर हो सकता है। यदि रूपानतरण की प्रशासनिक मंजूरी की तारीख और रूपान्तरण के पक्के होने की तारीख के बीच किसी समय ऐसा हेरफेर हो, तो भुगतान परिवर्तित तालिका के अनुसार किया जायेगा, किन्तु यदि परिवर्तित तालिका आवेदक को पहले लागू तालिका से कम अनुकूल मालूम पड़े, तो आवेदक परिवर्तन की सूचना पाने की तारीख से 14 दिनों के भीतर लिखित सूचना भेजकर अपना आवेदन वापस ले सकता है। देय रकम वह होगी जो रूपान्तरण के पक्के होने की तारीख के बाद आवेदक के अगले जन्मदिन की उम्र के लिए उपयुक्त हो अथवा यदि चिकित्सा प्राधिकारी उस उम्र में कुछ और वर्ष को जोड़ने का निदेश दे, तो उसके फलस्वरूप मानी गई उम्र के उपयुक्त हो।

2. .... को निदेश दिया जाता है कि वे .... (आज से तीन महीने के भीतर) तक .... में चिकित्सक-बोर्ड / .... के असैनिक शल्य-चिकित्सक के सामने, स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उपस्थित हों तथा अनुलग्न पेंशन फारम 9 को हस्ताक्षर के सिवा, भाग 1 में अपेक्षित विवरण पूरा भर कर, साथ लायें।

[*3] से अनुरोध है कि वे स्वास्थ्य परीक्षा की व्यवस्था करें और आवेदक को सीधे काफी समय पहले सूचित कर दें कि उन्हें स्वास्थ्य परीक्षा के लिए कहाँ और कब उपस्थित होना है ।]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आवेदक का नाम और पता) अवर सचिव, वित्त विभाग

पेंशन फारम–9

(देखें नियम 250)

असैनिक पेंशनों का रूपान्तरण

.... (यहाँ चिकित्सा प्राधिकारी का उल्लेख करें) द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा

[1][भाग 1]

पेंशन के कुछ अंश के रूपान्तरण के लिए आवेदक का बयान

आवेदक .... (यहाँ चिकित्सा प्राधिकारी का उल्लेख करें) द्वारा अपनी परीक्षा के पहले यह फारम अवश्य भर दें और उस प्राधिकारी की उपस्थिति में अनुलग्न घोषणा पर हस्ताक्षर कर दें।

1. पूरा नाम (बड़े-बड़े साफ अक्षरों में)
2. जन्म स्थान
3. अपने परिवार से सम्बन्धित निम्न सूचनाएँ –

पिता की उम्र यदि जीवित है और उनके स्वास्थ्य की स्थिति	मृत्यु के समय पिता की उम्र एवं मृत्यु का कारण	भाइयों की संख्या उनके स्वास्थ्य की स्थिति	मृतक भाइयों की संख्या मृत्यु के समय उनकी उम्र और मृत्यु का कारण

*[ ] केवल चिकित्सक-बोर्ड वाले मामलों के लिये।

1. भाग 1 वित्त विभाग के पत्र सं० 6941, दिनांक 8-7-1965 द्वारा प्रतिस्थापित।

माता की उम्र यदि जीवित है और उनके स्वास्थ्य की स्थिति	मृत्यु के समय माता की उम्र एवं मृत्यु का कारण	बहनों की संख्या और उनकी उम्र तथा स्वास्थ्य की स्थिति	मृत बहनों की संख्या मृत्यु के समय उनकी उम्र और मृत्यु का कारण

आवेदक द्वारा घोषणा

(इस पर चिकित्सा-प्राधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया जायेगा)

मैं घोषित करता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि उपर्युक्त सभी उत्तर सही और सत्य हैं।

जहाँ तक मेरी जानकारी हैं, मैं चिकित्सा-प्राधिकारी के सामने अपने स्वास्थ्य और कार्यक्षमता के बारे में सभी बातें पूरी-पूरी प्रकट करूँगा।

मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जानबूझ कर झूठा बयान देने या संगत बात को छिपाने से मैं आवेदित रूपान्तरण से वंचित हो सकता हूँ और बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (क) के अधीन मेरी पेंशन रुक या छिन सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

.... की उपस्थिति में हस्ताक्षरित।　　दिनांक ....

चिकित्सा प्राधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम

दिनांक ....

भाग–2

(इसे स्वास्थ्य परीक्षा करनेवाले चिकित्सा प्राधिकारी भरेंगे)

1. प्रत्यक्ष उम्र
2. ऊँचाई
3. वजन
4. नाभि के पास उदर का घेरा
5. नाड़ी की चाल –
   (क) बैठने पर
   (ख) खड़े होने पर नाड़ी कैसी है ?
6. धमनियों की दशा कैसी है ?
7. रक्तचाप –
   (क) हृदय के सिकुड़ने पर (सिस्टोलिक)
   (ख) हृदय के फैलने पर (डाएस्टोलिक)
8. मुख्य अंगों के रोग का कोई लक्षण है –
   (क) हृदय
   (ख) फेफड़ा
   (ग) यकृत (जिगर)
   (घ) प्लीहा
   (ङ) ....
9. क्या मूत्र की रासायनिक परीक्षा में
   (i) श्वेति (अलबुमेन) या
   (ii) चीनी निकली है ? अपेक्षिक गुरुत्व लिखें।
10. क्या आवेदक का कोई विभंग (रप्चर) है ? यदि हाँ, तो किस तरह का और क्या वह कम हो सकता है ?
11. घाव आदि के दाग या पहचान के चिह्न बताएँ।
12. कोई अतिरिक्त जानकारी।

भाग–3

मैंने/हमने सावधानी से क ख .... की स्वास्थ्य-परीक्षा की है और मेरी/हमारी राय में उनकी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है/नहीं है और उनकी आयु औसत होने की आशा है ।/वे रूपान्तरण के योग्य पात्र नहीं हैं । अथवा (क्षीण जीवन की दशा में, जबकि रूपान्तरण उचित जँचे) "चूँकि क ख .... से ग्रस्त हैं, इसलिए रूपान्तरण के लिए उनकी उम्र अर्थात् अगले जन्मदिन को उनकी वास्तविक उम्र से .... वर्ष अधिक मानी जाए ।"

स्थान .... स्वास्थ्य परीक्षा करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी

दिनांक .... का हस्ताक्षर और पदनाम

पेंशन फारम–10

(स्वास्थ्य परीक्षा के बिना पेंशन रूपान्तरण हेतु विहित आवेदन-पत्र (वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पी०सी० 2-9-1/78-4019 वि०, दिनांक 14-3-1978 के अन्तर्गत ।)

सेवा में,

वित्त आयुक्त-सह-पदेन प्रमुख सचिव,
बिहार सरकार, वित्त विभाग, पटना
स्वास्थ्य परीक्षा के बिना पेंशन का रूपान्तरण

विषय :

1. स्पष्ट अक्षरों में नाम –
2. जन्मतिथि –
3. 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वार्धक्यता की तिथि –
4. वार्धक्यता के समय धारित पद का पदनाम तथा विभाग/कार्यालय का नाम –
5. स्वीकृत पेंशन की राशि तथा क्या वह औपबन्धिक है या अन्तिम –
6. पेंशन की श्रेणी –
7. कोषागार अथवा बैंक का नाम तथा लेखा संख्या जिससे पेंशन प्राप्त की जा रही है –
8. उप कोषागार अथवा बैंक का नाम जिससे रूपान्तरण मूल्य का भुगतान होगा –
9. पेंशन का भुगतान आदेश संख्या तथा तिथि, अगर निर्गत हुआ हो –
10. प्रस्तावित पेंशन के रूपान्तरण की राशि (पूर्ण रुपये में) –
11. रूपान्तरण का प्रयोजन –
12. पहले यदि पेंशन का रूपान्तरण करवाने सम्बन्धी कोई आवेदन पत्र दिया गया हो, तो उसका विवरण तथा क्या पहले कभी आज किसी चिकित्सा प्राधिकारी के सामने पेश हुए हैं अथवा नहीं –

हस्ताक्षर –

तिथि – पूरा डाक पता –

●

परिशिष्ट–6

पेंशन, ग्रेच्यूटी और उसके प्रभावकारी भुगतान की प्रतिक्रिया के सरलीकरण से सम्बन्धित राज्य सरकार के महत्वपूर्ण राज्यादेश

1.

***विषय : वार्धक्य पेंशन तथा मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण ।**

राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन की स्वीकृति तथा भुगतान की प्रक्रिया को त्वरित एवं सरलीकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था । सावधानीपूर्वक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने बिहार पेंशन नियमावली, कोषागार संहिता, सेवा संहिता तथा सुसंगत आदेशों में निम्नांकित संशोधन करने का निर्णय लिया है –

2. काम करने की समय–तालिका – वार्धक्य सेवानिवृत्ति के मामलों में पेंशन का भुगतान नियमतः सेवानिवृत्ति के एक माह बाद से ही प्रारम्भ हो जाना चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पेंशन मामले से सम्बन्धित कार्यालय प्रधान या अन्य उत्तरदायी प्राधिकारी या पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने वाले प्राधिकारी को पेंशन/उपदान प्राधिकृत करने की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने हेतु निम्नांकित समय–अनुसूची को पालन करना अनिवार्य है । सरकार का यह उद्देश्य है कि समय पर पेंशन मामले के लिए सभी प्रारम्भिक तथा प्रस्तुति कार्य बहुत पहले ही प्रारम्भ कर दिये जायें जिसमें प्रत्येक प्रक्रम एवं प्रक्रिया के लिये समुचित समय मिलें । प्रत्येक प्रक्रम के लिए निम्नांकित रूप से अलग–अलग समय–सीमा निर्धारित कर दी गई हैं –

(क) कार्यालय प्रधान या पेंशन कागजात प्रस्तुत करने से सम्बन्धित अन्य उत्तरदायी प्राधिकारी (अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में कार्यालय प्रधान एवं राजपत्रित पदाधिकारियों के मामले में महालेखाकार, बिहार) सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति तिथि के दो वर्ष पूर्व से ही पेंशन कागजात प्रस्तुत करने का कार्य प्रारम्भ करेंगे । इस प्रक्रम पर पेंशन की योग्यतागत सेवा का निर्धारण हेतु सभी आवश्यक सूचनायें एकत्रित करना मुख्य कार्य होगा । सेवापुस्त/अभिलेख में अधूरी प्रविष्टियों के चलते पेंशन मामलों के निष्पादन में अधिकतर विलम्ब होता है । अतएव इस प्रक्रम पर सेवापुस्त/अभिलेख की अधूरी प्रविष्टियों को दूर करने का सतत् प्रयास किया जाए । इस हेतु सेवापुस्त/अभिलेख का आद्योपान्त जाँच एवं अंकेक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पेंशन कागजात प्रस्तुत करने के लिए औपचारिकताओं की पूर्ति कर लेना है । किसी भी हालत में यह प्रक्रिया सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति तिथि के आठ माह पूर्व ही सम्पन्न होनी है ।

(ख) **दूसरे प्रक्रम में अर्थात् सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व, पेंशन कागजात प्रस्तुत करना, जैसे पेंशन प्रदायी सेवा की गणना तथा औसत उपलब्धियों का निर्धारण, प्रारम्भ कर देना चाहिये । इस प्रक्रम पर सेवापुस्त/अभिलेख में अगर किसी प्रकार की कमी हो तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए और प्रविष्टियों के आधार पर वित्त विभाग के परिपत्रांक 8739/वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 एवं 1690/वि०, दिनांक 9 फरवरी, 1978 के प्रावधानों के अधीन केवल सेवा के प्रारम्भ की तिथि एवं सेवानिवृत्ति की तिथि एवं सेवा लगातार तथा पेंशन प्रदायी है एतद् सम्बन्धी प्रमाण–पत्र अंकित कर देना ही यथेष्ट होगा । यह प्रमाण–पत्र अंकेक्षण को भी मान्य होगा ।**

(ग) **उपलब्धि**–वर्तमान में वित्त विभाग के परिपत्रांक 8739 वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 में निहित प्रावधान के अनुसार सेवानिवृत्ति के पूर्व 12 (बारह) माह में प्राप्त उपलब्धियों के औसत पर पेंशन की गणना की जाती है ।

अब यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन की गणना सेवानिवृत्ति की तिथि के विगत दस माह में प्राप्त उपलब्धियों के औसत पर की जायेगी । औसत उपलब्धियों की गणना केवल गणितिक नहीं है, बल्कि उसमें सम्मिलित होने वाले उपलब्धियों की शुद्धता की जाँच भी अंगीभूत है । दस माह की अवधि की प्रथम तिथि को उपलब्धियों की शुद्धता उस तिथि के पूर्व उपलब्धियों की शुद्धता पर निर्भर करता है । फिर भी पेंशन कागजात की प्रस्तुति से सम्बन्धित कार्यालय में या पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने वाले प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्धियों की शुद्धता की जाँच

सुदुरभूत से नहीं करना चाहिये, बल्कि जाँच की सीमा/अनिवार्यता के ध्यान में न्यूनतम होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में जाँच की अवधि सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व (बारह) माह से पीछे नहीं होनी चाहिए।

(घ) पेंशन प्रदायी सेवा, औसत उपलब्धियों तथा अनुमान्य पेंशन/उपदान निर्धारित करने की प्रक्रिया दो माह के अन्दर ही पूरी कर लेनी चाहिए और सेवानिवृत्ति तिथि के ठीक 6 माह पूर्व सभी पेंशन कागजात पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने से सम्बन्धित प्रभारी अर्थात् महालेखाकार के पास भेज देना चाहिए। वे पेंशन कागजों की आवश्यक जाँच के पश्चात् (जाँच उपर्युक्त उप-कंडिका (क) (ग) में निहित प्रावधानों तक सीमित रहेगी) ही सेवानिवृत्ति की तिथि के एक माह पूर्व ही पेंशन एवं मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपदान भुगतान आदेश निश्चित रूप से निर्गत कर देंगे।

(ङ) ऐसे मामलों में जहाँ सेवानिवृत्ति सामान्य अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व होती है – जैसे (i) असमर्थता के आधार पर, (ii) क्षतिपूर्ति पेंशन के रूप में, (iii) दंड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति तथा, (iv) कोई लोक उद्यम और स्वशासी निकाय में स्थायी रूप से विलीन हो जाने के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति आदि के मामले में सेवानिवृत्ति के पश्चात् 6 माह की अवधि के अन्दर निश्चित रूप से पेंशन/उपदान स्वीकृति करने की सभी औपचारिकताओं की पूर्ति कर देना है।

3. निलम्बन—अगर सेवापुस्त/अभिलेख में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 99 एवं 100 के प्रावधानों के अधीन निलम्बन अवधि को पेंशन हेतु गणना करने का स्पष्ट आदेश अंकित नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी उपेक्षा कर निलम्बन अवधि को पेंशन हेतु गणना कर दी जायेगी।

4. सेवा में टूट—सेवापुस्त/अभिलेख में कोई खास प्रतिकूल आदेश की प्रविष्टि के अभाव में, राज्य सरकार के अधीन की गई दो सेवाओं के टूट की अवधि (i) पद त्याग, (ii) सरकार द्वारा सेवा से विमुक्ति या हटा देने से अथवा (iii) हड़ताल में भाग लेने के कारण टूट को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की टूट के स्वत: क्षान्त समझा जायेगा एवं टूट को पूर्व की पहली सेवा पेंशन प्रदायी मानी जायेगी। परन्तु, टूट की अवधि को पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में गणना नहीं की जायेगी। यह प्रक्रिया राजपत्रित तथा अराजपत्रित सेवक के मामले के समरूप से लागू होगा।

5. प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा—(क) कुछ ऐसे मामले हैं, जिसमें बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति सरकारी सेवकों की सेवा शर्तों के अधीन अपनी पेंशन प्रदायी सेवा को चालू रखने के लिए पेंशन अंशदान का भुगतान करना उनकी जिम्मेदारी एवं दायित्व है। ऐसे मामलों में बाह्य सेवा की अवधि को पेंशन प्रदायी सेवा में गणना करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेना है कि उनसे पेंशन अंशदान की वसूली हो चुकी है, क्योंकि सम्बन्धित सरकारी सेवक के अंशदान प्राप्ति के पश्चात् ही पेंशन निर्धारण निर्भरशील है। फिर भी प्रशासनिक/अंकेक्षण कार्यालय में अंशदान प्राप्ति के सही रूप से लेखा संधारण नहीं रहने के फलस्वरूप सम्बन्धित सरकारी सेवकों को काफी कठिनाई होती है। इस प्रकार के मामलों में सरकारी सेवक से पेंशन अंशदान का भुगतान करने के सम्बन्ध में साधारण सूचना प्राप्त की जाये और उनके द्वारा यथासाध्य दिये गये साक्ष्य को प्रशासनिक प्राधिकार को मूल्यांकन एवं स्वीकार करने हेतु युक्तियुक्त उदारता (with reasonableness and accommodation) की भावना दर्शाना है न कि सेवा या लेखा अभिलेखों से सम्बन्धित औपचारिक साक्ष्य जिसका लेखा–जोखा का संधारण का उत्तरदायित्व सरकारी सेवक को कदाचित नहीं है, को कठोरता के साथ माँगने पर बल देना है।

(ख) जहाँ पर पेंशन अंशदान भुगतान करने का उत्तरदायित्व बाह्य नियोजन संस्था (Borrowing Organisation) पर हो, जहाँ अंशदान की वसूली नहीं की गई है या आंशिक रूप से की गयी है तथा अंशदान की वसूली सम्बन्धी लेखा का संधारण अपूर्ण हो तो सम्बन्धित प्राधिकारों को अलग से नियोजन संस्था से अंशदान की वसूली सम्बन्धी उचित कार्रवाई करनी है। इस प्रकार के अड़चनों के चलते पेंशन अनिष्पादित नहीं रहेगी।

(ग) सरकारी सेवक द्वारा बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति की दशा में प्राप्त वेतन को उनकी उपलब्धि के रूप में नहीं मानी जाती है। उक्त अवधि में अगर वे बाह्य सेवा में नहीं रहकर सरकार के अधीन जो वेतन प्राप्त करते अर्थात् काल्पनिक वेतन को उनके पेंशन की गणना के लिए उपलब्धि मानी जाती है। अत: प्रशासी विभाग चाहते तो इन सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति के अन्तिम दस महीने में प्रतिनियुक्त नहीं करें।

6. पेंशन की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अनुमोदित सेवा का सिद्धान्त – (क) यह प्राय: देखा गया है कि कार्यालय प्रधान या पेंशन स्वीकृति के सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदित सेवा के प्रसंग में पेंशन कागजात भेजने की प्रक्रिया के फलस्वरूप पेंशन मामले के निष्पादन में काफी विलम्ब हो जाता है यद्यपि अधिकांश मामलों में यह केवल औपचारिकता मात्र ही है। अत: यह निर्णय लिया जाता है कि पेंशन की प्रशासनिक स्वीकृति, जिसका उल्लेख बिहार पेंशन नियमावली एवं अन्य आदेशों में है, की आवश्यकता को समाप्त किया जाये। अब से पेंशन का निर्धारण मात्र नियमों के प्रावधानों के अधीन होगा और इस प्रयोजन हेतु पेंशन स्वीकृत करने के सक्षम प्राधिकारी (नियुक्ति प्राधिकारी) के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) फिर भी, बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139, जिसके अधीन किसी विशेष मामले या चरित्र असंतोषप्रद रहने पर सरकारी प्रक्रिया के पश्चात् पूर्ण पेंशन/उपदान नहीं स्वीकृत किया जाता है, अभिप्राय को समाप्त नहीं किया जा रहा है। इसका उपयोग चन्द आपवादिक मामलों के लिए है और इस प्रयोजन हेतु सभी पेंशन मामलों को पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के पास प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजना नहीं है, बदले में जब सेवानिवृत्ति के 8 (आठ) माह पूर्व पेंशन कागजात तैयार करते समय, कार्यालय प्रधान या पेंशन तैयार करने के पदाधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के पास इस आशय का एक जाँच-पत्र भेजेंगे कि अमुक मामले में क्या पूर्ण पेंशन से कटौती या कार्यवाही प्रारम्भ करने की इच्छा (Intention) है (इस कार्य हेतु पेंशन कागजात नहीं भेजना है)। इस जाँच-पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर, पेंशन कागजात तैयार करने वाले प्राधिकारी यह मान लेंगे कि पूर्ण पेंशन उपदान से कम स्वीकृत करने की मंशा नहीं है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन कागजात को तैयार कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने के प्राधिकारी महालेखाकार, बिहार के पास भेज देंगे। अगर, दूसरी ओर नियुक्ति प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि मामले में पूर्ण पेंशन/उपदान से कम स्वीकृत करना है तो बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के अधीन आवश्यक कार्रवाई करेंगे और यह प्रक्रिया पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने वाले प्राधिकारी के पास (महालेखाकार को), पेंशन कागजात भेजने की निर्धारित समय सीमा के अन्दर ही निश्चित रूप से पूरा हो जाना चाहिए, अर्थात् सेवानिवृत्ति तिथि के 6 (छ:) माह पूर्व।

(ग) जहाँ पेंशन कागजात तैयार करने का उत्तरदायित्व कार्यालय प्रधान से अन्यत्र पर है (जैसे राजपत्रित कर्मचारियों के मामले में महालेखाकार) उनका यह उत्तरदायित्व होगा (जहाँ) पेंशन मामला स्वयं कार्यालय प्रधान का हो तो उनसे (वरीय पदाधिकारी) की सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से अग्रिम सूचना प्राप्त कर ले कि अमुक मामले में पूर्व पेंशन/उपदान से कम देने की मंशा है या नहीं। जहाँ पर इस प्रकार की सूचना नहीं मिले तो पेंशन कागजात तैयर करने से सम्बन्धित प्राधिकारी यह मानते हुए कि पूर्व पेंशन उपदान स्वीकृत करना है, पेंशन मामले के निष्पादन हेतु कार्रवाई करेंगे।

7. पेंशन को रोक रखना या वापस लेना – (क) कंडिका 6 के निर्णय का प्रभाव बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 पर नहीं पड़ेगा जिसके अधीन पेंशन को रोकने या वापस लेने का शक्ति प्रदत्त है।

(ख) अगर सरकारी सेवक के विरुद्ध उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई फौजदारी मुकदमा, न्यायिक जाँच इत्यादि प्रारम्भ नहीं की गई तो उस स्थिति में किसी भी हालत में पेंशन रोकने का अधिकार पेंशन स्वीकृत प्राधिकारी को नहीं होगी। बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 एक स्टैच्युटरी नियम है अत: इसके प्रावधानों के विरुद्ध विभिन्न विभागों द्वारा पेंशन को रोकने के विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया को एवं निगरानी विभाग से स्वेच्छा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से सम्बन्धित परिपत्र को स्वत: रद्द समझा जाये।

(ग) जहाँ सरकारी सेवक की सेवा अवधि में प्रारम्भ की गयी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियाँ सेवानिवृत्ति की तिथि तक अन्तिम रूप से निष्पादित होने की सम्भावना न हो वहाँ वित्त विभाग के परिपत्रांक 9144/वि०, दिनांक 22-8-1974 एवं 11260 वि०, दिनांक 31-10-1974 के प्रावधानों के अधीन औपबंधिक पेंशन स्वीकृत करने की कार्रवाई की जाये जिससे सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवक को कठिनाई न हो। नीचे कंडिका 8 के (ग) में निहित प्रावधान इस कोटि के मामले में लागू नहीं होंगे। इस कोटि के मामले में औपबंधिक पेंशन की राशि नियमत: अनुमान्य पेंशन की अधिकतम राशि से कम होगी पर किसी भी स्थिति में 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(घ) उपर्युक्त कंडिका 2 (घ) के अधीन पेंशन कागजात/पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने वास्ते प्राधिकार के कार्यालय में अगर भेज दिया गया हो और इसी बीच कोई ऐसी स्थिति हो जिसका कुप्रभाव पेंशन की राशि पर पड़े तो इसकी सूचना अविलम्ब पेंशन/उपदान भुगतान आदेश निर्गत करने वाले पदाधिकारी के कार्यालय (महालेखाकार) को दे दिया जाये।

8. औपबंधिक पेंशन/उपदान – (क) ऊपर की कंडिका 2 में निर्धारित समय तालिका को कठोर रूप से पालन करना है फिर भी, यदि किसी विशेष परिस्थितिवश किसी मामले में पेंशन कागजात को पूरा करना असम्भव हो और उसे पेंशन भुगतान आदेश (पी०पी०ओ०) निर्गत करने वाले प्रभारी कार्यालय में समय सीमा के अन्दर भेजा नहीं जा सके या पेंशन कागजात विलम्ब से भेजे गये हों या उस कार्यालय द्वारा चन्द सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु लौटा दिया गया हो या सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि एक माह पूर्व पेंशन भुगतान आदेश निर्गत नहीं हो सका है, तो कार्यालय प्रधान द्वारा पेंशन/उपदान को औपबंधिक रूप में देय प्रथम माह में प्राधिकृत करने संबंधी आवश्यक कदम उठाया जाये। इस प्रयोजन हेतु कार्यालय में उपबन्ध अभिलेखों को व्यवहार में लाया जाये और आगे कार्यालय प्रधान सेवानिवृत्त सरकारी सेवक से कुल सेवा अवधि तथा गत दस माह में प्राप्त उपलब्धियों के सम्बन्ध में एक साधारण सूचना प्राप्त कर ले (सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि तथा सेवानिवृत्ति तिथि, अगर कोई टूट हो तो टूट सहित)। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से एक प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर ले कि जो सूचनाएँ दी गई हैं, वह उनकी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है। अगर दस माह में प्राप्त उपलब्धियों की सूचना पूर्ण रूप से न तो कार्यालय प्रधान और न सरकारी सेवक के पास उपलब्ध हो, तो अन्तिम प्राप्त उपलब्धियों (Last emolument) को औपबंधिक रूप में औसत उपलब्धि मान ली जायेगी एवं इस प्रकार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्यालय प्रधान 100 प्रतिशत पेंशन औपबंधिक रूप से स्वीकृत कर सकते हैं। मृत्यु-सह- सेवानिवृत्ति उपदान भी इसी आधार पर निर्धारित की जायेगी। अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में औपबंधिक पेंशन उपदान की निकासी एवं भुगतान कार्यालय प्रधान द्वारा की जायेगी। औपबंधिक उपदान भुगतान करने के पूर्व, सभी सरकारी बकाये जैसी लम्बी अवधि संबंधी अग्रिम का बकाया वेतन एवं भत्ता का अधिक भुगतान आदि तथा अन्य सरकारी बकाये को सामंजित कर लिया जायेगा। जहाँ पर किसी बकाया या सामंजन कराना नहीं हो, उपदान से 10 प्रतिशत या 1,000 रु० दोनों में जो भी कम हो काट कर रख लिया जायेगा जिससे अनिर्धारित बकाये तथा औपबंधिक रूप से अधिक भुगतान की गई पेंशन/उपदान की राशि का सामंजन हो सके।

(ख) वर्तमान नियम के अधीन, राजपत्रित सेवक के मामले में जहाँ पर पेंशन का अन्तिम निर्धारण नहीं हो गया हो, महालेखाकार द्वारा ही औपबन्धिक रूप में पेंशन का भुगतान आदेश प्राधिकृत किया जाता है। अब इस प्रावधान को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इन मामलों में अगर सेवानिवृत्ति तिथि के एक माह पूर्व महालेखाकार द्वारा अन्तिम पेंशन भुगतान आदेश निर्गत नहीं किया गया हो, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक द्वारा कार्यालय प्रधान से पेंशन/उपदान औपबन्धिक रूप में निकासी कर भुगतान करने की माँग की जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए ऊपर की उप-कंडिका (क) में उल्लेखित प्रक्रिया लागू होगी।

(ग) **दो वर्ष के बाद औपबन्धिक पेंशन को पूर्ण पेंशन होना** – औपबन्धिक पेंशन का यह अभिप्राय नहीं है कि सेवानिवृत्ति की तिथि के दो वर्ष बाद भी औपबन्धिक रूप से ही चलता रहेगा। अगर पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने वाले उत्तरदायी कार्यालय उस समय तक अंतिम रूप से निष्पादित नहीं कर देते हैं, तो औपबन्धिक पेंशन अन्तिम पेंशन का रूप धारण कर लेगा और महालेखाकार, बिहार को यह बाध्यकारी (Obligatory) हो जायेगा कि औपबन्धिक रूप में निर्धारित पेंशन/उपदान की राशि को ही अन्तिम पेंशन भुगतान के रूप में प्राधिकृत कर दें तथा ऊपर की उप-कंडिका (क) के अनुसार उपदान से की गई कटौती को नीचे कंडिका 9 एवं 10 के प्रावधानों के अधीन प्राधिकृत कर दें।

9. अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र – (क) औपबन्धिक भुगतान के पूर्व अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(ख) (i) राजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन कागजात तैयार करने का पूर्ण उत्तरदायित्व महालेखाकार की है। अतः वे स्वतः समय सीमा के अन्दर अर्थात् सेवानिवृत्ति की तिथि के दो वर्ष पूर्व सम्बन्धित कोषागार से सम्पर्क स्थापित कर निश्चित रूप से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के जिम्मे विभिन्न प्रकार के सरकारी बकाये का लेखा-जोखा अन्तिम रूप से कर ले जिससे अन्तिम प्रमाण-पत्र निर्गत करने में कोई कठिनाई न हो एवं वेतन

प्राप्त कर सेवानिवृत्ति के पश्चात् दूसरे माह से ही पेंशन/उपदान का भुगतान सम्भव हो जाये । अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर कोषागार को महालेखाकार से लेखा-जोखा के बारे में कोई सूचना प्राप्त न हो उस दशा में कोषागार पदाधिकारी स्वयं बिना दुविधा के निश्चित रूप से अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र निर्गत कर देंगे ।

(ii) कोषागार पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य रहेगा कि महालेखाकार से बकाये सम्बन्धी सूचना प्राप्त होते ही वे सम्बन्धित सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी तथा महालेखाकार को 6 माह पूर्व अवगत करा दें ।

(ग) अराजपत्रित सरकारी सेवकों तथा ऐसे राजपत्रित पदाधिकारी जिनका वेतन कार्यालय प्रधान द्वारा ही निकासी कर भुगतान किया जाता है के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ही अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्दर निश्चित रूप में निर्गत कर दिया जायेगा ।

(घ) अगर विशेष परिस्थिति में किसी मामले में अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं हो सके, उस दशा में उपदान के 10 (दस) प्रतिशत या 1,000 रु० (एक हजार रुपये) दोनों में जो कम हो, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र के लिए रोक रखा जाये । सेवानिवृत्ति के छ: माह के बाद किसी भी स्थिति में उपर्युक्त राशि का भुगतान स्थगित नहीं रहेगा ।

10. सरकारी बकाये का सामंजन – (क) सरकारी आवास सम्बन्धी बकाये–सरकारी आवास के किराये के सम्बन्ध में "माँग रहित प्रमाण-पत्र" निर्गत करने हेतु प्रचलित प्रावधान निम्नांकित संशोधन के साथ बने रहेंगे –

(i) राजपत्रित पदाधिकारी अपने वेतन विपत्र से आवास किराया की कटौती करते हैं । अत: लेखा संधारण के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी का ही यह कर्त्तव्य है कि लेखा-जोखा का संधारण सही-सही रूप से करें जिससे "माँग रहित प्रमाण-पत्र" निर्गत करने में कठिनाई न हो । फिर भी ऐसा देखा जाता है कि लेखा-जोखा सही रूप से नहीं रहने के फलस्वरूप "माँग रहित प्रमाण-पत्र" समय पर निर्गत नहीं होते हैं और पेंशन/उपदान के मामले के निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब होता है । अत: ऐसी स्थिति में सम्बन्धित राजपत्रित पदाधिकारी को सरकारी आवास के किराया की कटौती के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र (Affidavit) देना यथेष्ट होगा और इसकी मान्यता सरकार एवं महालेखाकार द्वारा दी जायेगी ।

(ii) जहाँ तक अराजपत्रित तथा ऐसे कतिपय राजपत्रित सेवक, जो अपने वेतन की निकासी नहीं करते हैं का प्रश्न है उनके निकासी तथा व्ययन पदाधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व 6 माह का लेखा- जोखा देखकर ही कि आवास किराया संबंधी आदेयता प्रमाण-पत्र देना यथेष्ट होगा ।

(ख) आवास को छोड़कर अन्य प्रकार के सभी बकाया–सेवानिवृत्ति की तिथि के दो वर्ष पूर्व जब पेंशन कागजात तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये उसी समय से अन्य सरकारी बकाये का मूल्यांकन भी प्रारम्भ कर दिया जाये, क्योंकि एक वर्ष चार माह के तुरन्त बाद वास्तविक पेंशन कागजात तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है और सभी सरकारी बकाये का मूल्यांकन करने का अल्प समय रह जाता है । सेवानिवृत्ति की तिथि के आठ माह पूर्व जैसे ही वे प्रक्रम आ जाता है तो बकाये की लेखा- जोखा के लिए सीमित अवधि के अभिलेखों की जाँच की जाये अर्थात् सेवानिवृत्ति की तिथि के दो वर्ष पूर्व से अधिक अवधि का कदाचित नहीं । इस प्रकार कार्यालय प्रधान या पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने से सम्बन्धित कार्यालय (महालेखाकार) को पेंशन/उपदान भुगतान आदेश अथवा औपबन्धिक पेंशन/उपदान भुगतान आदेश निर्गत करने के निर्धारित अवधि के पूर्व बकाये राशि विशेष कर लम्बे शर्तों पर स्वीकृत अग्रिम जैसे गृह-निर्माण या सवारी (Conveyance Allowance) अग्रिम, वेतन तथा भत्ता का अधिक भुगतान की राशि तथा अन्य बकाया का पता लगाने में सुविधा होगी । पेंशन कागजात में मृत्यु-सह- सेवानिवृत्ति उपदान या औपबन्धिक पेंशन/उपदान से वसूल करने की सम्पूर्ण राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है । अगर पेंशन कागजात महालेखाकार के पास भुगतान आदेश निर्गत करने हेतु भेज दिये गए हैं और बाद में सरकारी बकाये का पता चले तो उसकी सूचना उन्हें (महालेखाकार को) निश्चित रूप से अविलम्ब दे देना होगा । जिन मामले में वृहत् बकाये की वसूली नहीं करना हो, लेकिन अनिर्धारित बकाये की वसूली हेतु या अन्तिम भुगतान प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं होने की स्थिति में उपदान के 10 प्रतिशत या 1,000 रु० रोकी गयी राशि सेवानिवृत्ति के 6 माह बाद स्वत: भुगतान कर दिया जायेगा । औपबन्धिक उपदान भुगतान आदेश में या (या अन्तिम उपदान भुगतान आदेश में) कार्यालय प्रधान या महालेखाकार, बिहार

द्वारा रोकी गई राशि का स्पष्ट उल्लेख इस शर्त्त के साथ कर देना होगा कि अगर 6 माह के अन्दर में रोकी गई राशि को आगे समय तक रोक रखने की कोई सूचना नहीं मिले तो व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित कर्मचारी को स्वतः भुगतान कर देंगे । साथ-साथ पेंशनर की सूचना प्रति में भी इसका स्पष्ट उल्लेख रहेगा ।

11. अभिलेख संधारण प्रभारी प्राधिकारी के ऊपर उत्तरदायित्व – पेंशन मामले के त्वरित निष्पादन सेवा अभिलेख ठीक रूप से संधारण पर बहुत ही निर्भरशील है । अतः अभिलेख आदि संधारण करने से सम्बन्धित पदाधिकारी/कर्मचारी (राजपत्रित कर्मचारी के मामले में महालेखाकार) उसे उचित रूप से संधारण एवं अद्यतन रखने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे । अगर भविष्य में यह देखा जायेगा कि सेवा अभिलेख आदि का संधारण या अभिलेख उचित रूप से नहीं किया है जिसके चलते पेंशन मामले के निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न होगी उस स्थिति में सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ।

12. बैंक से पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में – वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6178, दिनांक 9 जुलाई, 1977 के अनुसार बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनायी गयी है । संकल्प की कंडिका 14 तथा अनुबन्ध 4 (i) में यह प्रावधान है कि वर्ष में माह नवम्बर में एक बार जो पेंशनर बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त करते हैं उससे स्वयं बैंक से पदाधिकारी के जीवित रहने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करना पड़ेगा । इस प्रावधान के चलते अशक्त पेंशनर को काफी कठिनाई होती है ।

इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि अशक्त पेंशनर के मामले में दूसरा व्यक्ति या पेंशनर जिनका बैंक में लेखा है अगर वह जीवित होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र दे देंगे तो सम्बन्धित पेंशनर को बैंक के पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जीवित रहने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

13. महालेखाकार से प्राधिकृत पेंशन/उपदान की सूचना के अभाव में कोषागार द्वारा भुगतान – पेंशन तथा उपदान सम्बन्धी प्राधिकार-पत्र कोषागार में उपलब्ध होने पर भी पेंशनर की प्रति जब तक उपलब्ध नहीं होती है एवं पेंशनर द्वारा उसे कोषागार को दाखिल नहीं किया जाता है तब तक पेंशनर को कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है । कोषागार संहिता के नियम 375(2) तथा 384 में इस प्रकार के प्रावधान रहने के कारण पेंशनर को कठिनाई होती है ।

अब यह निर्णय लिया गया है कि अगर कोषागार में महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत पेंशन/उपदान प्राधिकार-पत्र फोटो, टी छाप, हस्ताक्षर इत्यादि के साथ उपलब्ध रहे तो पेंशनर को सूचना प्रति प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाये । कोषागार पदाधिकारियों का यह कर्त्तव्य रहेगा कि पेंशनर के फोटो, हस्ताक्षर, टीप छाप आदि के आधार पर व्यक्तिगत पहचान पर जाँच कर लें एवं भुगतान कर दें क्योंकि विलम्ब की स्थिति में प्राधिकार-पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो जाती है एवं पुनः पेंशनर को नये सिरे से सूचना प्रति उपलब्ध करने में अत्यधिक समय एवं कठिनाई होती है ।

14. महालेखाकार द्वारा अराजपत्रित पद से राजपत्रित पद में प्रोन्नत/नियुक्त सेवक का सेवा अभिलेख संधारण – बिहार सेवा संहिता के नियम 287 एवं 296 के अनुसार अराजपत्रित पद से प्रोन्नत एवं नियुक्त होने पर सम्बन्धित पदाधिकारी का सेवापुस्त महालेखाकार के कार्यालय में भेज देने का प्रावधान है । इसका मुख्य अभिप्राय यह है कि महालेखाकार द्वारा अपने अंकेक्षण पंजी में सेवा इतिहास की सम्पूर्ण विवरणी दर्ज कर लिया जाये जिससे इस कोटि के पेंशन मामले के निष्पादन में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हो । इसके प्रतिपादन हेतु वित्त विभाग द्वारा महालेखाकार को सम्बोधित परिपत्रांक 8035/वि०, दिनांक 9 जुलाई, 1977 निर्गत किया गया था । पर इस पद्धति का प्रतिपालन नहीं होता है । फलस्वरूप सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन कागजात के साथ सेवा-पुस्ति की माँग पुनः होती है । इसके निराकरण के लिए यह निर्णय लिया गया है कि इस कोटि के पदाधिकारी की सेवा-पुस्त महालेखाकार के कार्यालय में प्रोन्नति/नियुक्ति की दशा में उपलब्ध होते ही अंकेक्षण पंजी में सेवा अवधि सम्बन्धी पूर्ण विवरणी अंकित कर इस हेतु एक प्रमाण-पत्र सेवा-पुस्त में अंकित कर दें तथा सेवा-पुस्त सम्बन्धित कार्यालय को लौटा दें एवं साथ-साथ सम्बन्धित पदाधिकारी को भी उस प्रमाण-पत्र की एक प्रति उपलब्ध करा दें ।

15. पेंशन लघुकरण – (क) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 240 (डी) के अन्तर्गत लघुकरण करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं । अब निर्णय लिया गया है कि पेंशन लघुकरण के लिए कोई शर्त्त की आवश्यकता नहीं हैं ।

(ख) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 246 के प्रावधानों के अधीन पेंशन लघुकरण के लिए महालेखाकार से जो प्रतिवेदन की माँग की जाती है उस प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है । यह निर्णय बिना स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण-पत्र के आधार पर एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के आधार पर दोनों प्रकार के मामले में लागू होगा ।

16. दक्षतावरोध पार करने के सम्बन्ध में — सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अगर दक्षतावरोध पार करने का आदेश सेवापुस्त में दर्ज नहीं हो या राजपत्रित पदाधिकारी के मामले में अधिसूचित नहीं हो और सम्बन्धित अराजपत्रित सेवक को दक्षतावरोध के स्तर के बाद भी वेतन वृद्धि मिलती गयी हो या एक उच्चतर वेतनमान के पद पर प्रोन्नति दी गयी हो एवं राजपत्रित पदाधिकारी के मामले में सम्बन्धित विभाग द्वारा (अधिसूचना निर्गत नहीं किया गया हो एवं) उच्चतर वेतनमान के पद पर प्रोन्नति दी गयी हो तो उन मामलों में यह समझा जाये कि दक्षतावरोध पार कराया गया है एवं इसके लिए विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं होगी । यह प्रक्रिया सेवानिवृत्त/मृत सेवक के पेंशन मामले के त्वरित निष्पादन हेतु अपनायी जाये ।

17. सैनिक/युद्ध सेवा की पेंशन हेतु गणना — अगर सैनिक/युद्ध सेवा गणना करने सम्बन्धित सभी कागजात (डिसचार्ज सर्टिफिकेट) सहित मौजूद हो तो महालेखाकार, बिहार नियमानुसार सैनिक/युद्ध सेवा को पेंशन गणना में शामिल कर लेंगे एवं उसके लिए अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

18. न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा — वर्तमान नियम के अनुसार स्थायी सरकारी सेवक/अस्थायी सरकारी सेवक के लिए क्रमश: न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा 10 एवं 15 वर्ष निर्धारित है । अब निर्णय लिया गया है कि दोनों श्रेणी के लिये 10 वर्ष की न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा मानी जायेगी ।

19. सेवा-पुस्त में जन्मतिथि का उल्लेख — अराजपत्रित सेवक की सेवा-पुस्त में जन्मतिथि अंक में अंकित की जाती है । अब इसे शब्दों में ही दर्ज किया जायेगा एवं उसके नीचे सम्बन्धित सेवक तथा कार्यालय प्रधान द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जायेगा कि उन्होंने जन्मतिथि सही पाया एवं सन्तुष्ट हैं ।

20. यह आदेश तिथि 31 मार्च, 1980 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के लिए लागू होगा । परन्तु, अभी जो पहले के पेंशन के मामले अनिष्पादित हैं, उन पर भी इस आदेश में केवल निहित प्रक्रिया लागू होगी ।

21. पेंशन नियमावली, कोषागार संहिता एवं बिहार सेवा संहिता के संगत उपबन्ध तदनुसार संशोधित समझे जायेंगे । [*वित्त विभाग, संकल्प सं० 3014 वि०, दिनांक 31-7-1980]

2.

***विषय : औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।**

सरकार को सूचना मिली है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3014, दिनांक 31-7-1980 की कंडिका 8 (ग) के सम्बन्ध में कहीं-कहीं यह संशय उत्पन्न हो गया है कि यदि औपबंधिक पेंशन को ही अंतिम पेंशन मान लिया जायेगा तो पेंशनभोगियों को हानि होगी । संकल्प संख्या 3014, दिनांक 31-7-1980 की कंडिका 8 (क) में यह स्पष्ट किया गया है कि किन मामलों में किसी अन्य कारणवश (यथा सेवापुस्ति या कागजातों के अभाव में) अंतिम पेंशन स्वीकृत करने में विलम्ब होता है तो कार्यालय प्रधान 100 प्रतिशत पेंशन औपबंधिक रूप से स्वीकृत कर सकते हैं । उक्त संकल्प की कंडिका 8 (ग) में उसी औपबंधिक पेंशन को दो वर्षों के बाद अंतिम पेंशन मामले की चर्चा की गयी है । इससे पेंशनभोगियों को कोई क्षति होने का प्रश्न नहीं है । जिन मामलों में 90 प्रतिशत (परिपत्र सं० 9144, दिनांक 22-8-1974) या 75 प्रतिशत (परिपत्र सं० 8739, दिनांक 13-7-1967), पेंशन औपबंधिक रूप से स्वीकृत किया जाता है और दो वर्षों के बाद भी अंतिम पेंशन स्वीकृत नहीं होने पर उसका विस्तार वित्त विभाग की सहमति से होने का प्रावधान है । अत: इस कारण भी आगे चलकर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अधिक क्षति होने का प्रश्न नहीं है ।

प्रसंगवश संकल्प संख्या 3014, दिनांक 31-7-1980 की कंडिकाओं की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाते हुए यह दुहराया जाता है कि इनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये जिसमें सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन स्वीकृत किया जा सके । इस सम्बन्ध में कारगर अनुश्रवण की व्यवस्था की जाये जिससे वांछित उद्देश्य की पूर्ति हो सके ।

अत: इसका अनुपालन निश्चित रूप से किया जाये । **[*वित्त विभाग, पत्र सं० पी०सी० 1-मिस 02-82/94/532 वि०, दिनांक 13-2-1995]**

3.

***विषय : सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपका ध्यान मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्र सं० 3/सी०एस०/एम०–304/91–3665, दिनांक 5–10–1993 एवं 2467, दिनांक 29–12–1995 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जिसके द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन उपदान तथा अनुमान्य अन्य सेवानिवृत्ति लाभ ससमय उपलब्ध कराने का निदेश निर्गत किये गये हैं तथा मुख्य सचिव द्वारा बैठकों में विभागीय सचिव का ध्यान इस बिन्दु पर आकृष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन/उपदान तथा अन्य अनुमान्य सेवानिवृत्त लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाये ।

2. महाधिवक्ता ने मुख्य सचिव को अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि पेंशन, उपदान एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ से सम्बन्धित विषयों पर विभाग/कार्यालय द्वारा अपेक्षित कार्रवाई ससमय नहीं की जा रही है। सी०डब्लू०जे०सी० नं० 4265/94 मो० रुक्मिनी देवी बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति संलग्न है ।

3. अनुरोध है कि सेवानिवृत्त अनुमान्य लाभ के बिन्दु पर स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेकर नियमित समीक्षा करें तथा सेवानिवृत्त अनुमान्य लाभ को निर्धारित समय सीमा के अन्दर निश्चित रूप से भुगतान कराना सुनिश्चित करें। [***बिहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, पत्र संख्या 3/सी०एस०/ एम०–701/93–943, दिनांक 6 अप्रैल, 1996**]

4.

Office of the Advocate General, Bihar, Patna

Patna High Court, Patna.

No. 3167 Patna, dated the 27th March, 1996

From,

Sri Rameshwar Prasad,

Advocate General, Bihar.

To,

The Chief Secretary, Bihar, Patna.

Ref. No. C.W.J.C. No. 4265èk94

Mostt. Rukmanni Devi Vs. State and others.

Copy of the order dated 29-2-1996 passed by Hon'ble Mr. Justice Radha Mohan Prasad in aforesaid case is being enclosed herewith for circulation as directed in paragraph 18 of the order for its strict compliance.

In the High Court of Judicature at Patna

C.W.J.C. No. 4265 of 1994

Mostt. Rukmani Devi Vs. The State of Bihar & others

This writ petition has been filed by the widow of Barrister Ram, who died in harness on 14-6-1974 while posted at Vijaipur Block in the district of Gopalganj, seeking a direction to the respondents to pay the family pension month to month alongwith other dues, for which she is entitled after the said demise of her husband besides other legal dues, for which her husband was entitled and not paid.

2. The petitioner being 'Mehtar' by caste is member of the scheduled caste. It is stated that her husband was put under suspension sometime in the year 1970-71 when he was working as a Circle Inspector under the State Service. A departmental proceeding was initiated against him, after conclusion of which

his suspension was revoked, but he was demoted to the post of a Karamchari. Thereafter he joined as Karamchari at Vijaipur block where after serving about a year, he died in harness on 14-6-1974. It is claimed that the petitioner met the respondents on a number of occasions and that she was assured of the payment, which remained to be paid but that has not been paid so far. Further, it is stated that the petitioner is an illiterate old widow facing acute hardships on account of non payment of the family pension and other legal dues of her late husband. She being not aware of all the dues payable to her late husband seeks indulgence of this court to direct the respondents to file statements in this regard as to the payments admissible to her late husband.

3. Despite service of two copies of the writ petition on the learned Advocate General appearing for the State of Bihar and its office namely, the District Magistrate, Gopalganj and the Circle Officer Vijaipur, Block (Respondent nos. 3 and 4) as also on the learned standing Counsel appearing for the Accountant General, Bihar on 3-5-1994 no counter affidavit has been filed on behalf of the respondent State, and its officers. By order dated 19-12-1995 four weeks time was granted to the learned counsel for the State to file counter affidavit to be affirmed by the District Magistrate, Gopalganj. Despite all these no counter affidavit has been filed on behalf of the State and its officers. Learned J.C. to G.P.I. States that despite instructions being sought from the respondents no instruction has been received from them so far.

4. However, a counter affidavit has been filed on behalf of the Accountant General, Bihar (respondent no. 2). In the said counter affidavit it is stated that in the absense of the details in the writ petition of referece of pension papers alongwith service book and sanction order for family pension and gratuity made to the office of the said respondent, the same could not be traced out. Hence letters have been sent to the concerned authority of the State Government vide letter no. pen-IC-194 dated 16-6-1994 and reminder that to also on 15-7-1994. In reply to the same the Establishment Dy. Collector, Gopalganj vide letter no. 127, dated 12-8-1994 sent a letter of Circle Officer, Vijaipur that pension papers could not be submitted in absence of service book and required papers. It is further stated that the office of the Accountant General has again required papers. It is further stated that the office of the Accountant General has again requested the Department vide letter no. pen 16-384, dated 20-10-1994 and subsequent reminder letter no. pen 16 434, dated 6-12-1994 to send the pension papers along with sanction order. True copies of the letters have been annexed as Annexure A.B.C.D. and E respectively to the counter affidavit. Similarly, it is stated that in absence of General Provident Fund Account no. in the writ application, the petition could not be checked in the office of the said respondent. Hence, the G.P.F. Account no. was also called for vide letter no. FD-CL-117, dated 15-6-1994 and in reply, the Circle Officer, Vijaipur, vide his letter no. 817, dated 5-8-1964 intimated that no G.P.F. Account number was alloted to the late husband of the petitioner.

5. I may re-iterate here that the husband of the petitioner died on 14-6-1974, but no action whatsoever appears to have been taken by any of the respondents during the last twenty years and when the petitioner was facing acute hardship on account of non-payment of the family pension and other legal dues, she was compelled to file this writ petition on 4-5-1994.

6. Every day I find that in most of the writ applications grievances are raised regarding non-payment of post retirement dues as well as other legal dues to the concerned Government servants andèkor to their legal heirs and representative and despite service of two copies of the writ application on learned Advocate General appearing for the State Government and its officers respondents, as per the rules of this Court, in which a provision was introduced for service of two copies of the writ application on the learned Advocate General in order to expedite disposal of the writ applications at the admission stage itself, no instruction is given by the respondents to the learned State Counsel and the matter has to be adjourned only for that purpose. Ultimately, even if in any case counter affidavit is filed, no plausible explanation is given for with-holdingèknon payment of the legal dues including post retiral dues of the Government servants and usually this court has to pass ordes only fixing time for action to be taken by the different authorities for final disposal of the claims. It appears that non-payment of the post retiral dues of the concerned government servants in this State in normal course has become an usual phenomenon, wich has unnecessarily increased the number of pendency of the cases in this court. In most of the cases no steps are taken until the Government servants or their legal heirs and representative file writ petition claiming payment of the legal dues including the post retiral dues and ultimately. It is found that only on account of inaction on the part of the State authorities sanction orders for payment of such dues are not issued without there being any valid jurisdiction.

7. The Supreme Court in the case of State of Kerala and others vs. M.P. Padnabhan Nair, reported in A.I.R. 1985 S.C. 356 realising the agony and harassment of the retired employees at the fag end of their life observed as follows—

> "Usually the delay occurs by reason of non production of the L.P.C. (Last pay certificate) and N.L.C. (No liability certificate) from the concerned Department but both these documents pertain to matters, records where of would be with the concerned Government Departments. Since the date of retirement of every Government servant is very much known in advance we fail to appreciate why the process of collecting the requisite information and issuance of these two documents should not be completed at least a week before the date of retirement so that the payment of gratuity, amount could be made to the Government servant on the date he retires or on the following day and pension at the expiry of the following month. The necessity for prompt payment of the reitrement dues to a Government servant immediately after his retirement can not be over emphasised and it would not be unreasonable to direct that the liability to pay penal interest on these dues at the current market rate sould commence at the expiry of two month from the date of retirement."

8. It was also held by the apex court in the said case that—

> "Pension and gratuity are no longer any bountry to be distributed by the Government to its employees on their retirement but have become under the decision of this court valuable rights and property in their hands."

9. It was also observed in said decision that the State Government may consider whether the erring official should or should not be directed to

compensate the Government the loss sustained by it by his culpable lapses and that such action if taken would help to generate in the official of the State Government a sense of duty towards the Government under whom they serve as also a sense of accountability to members of the public.

10. Earlier, I had requested the learned Advocate General to get this problem solved in consultation with the high ups in the State Government. The learned Advocate General informs today that he had discussed the matter with the Chief Secretary and the Chief Secretary has already issued instruction to all Heads of the concerned Departments that the process of calculation of post retiral dues of the Government servants must be started six months before the date of their retirement or immediately thereafter and necessary payment orderèksanction, order be also issued. But I do not find any improvement in disposal of such claims.

11. Would like to mention here that in many cases I have found that after the Government servant superannuates from the service, action is taken for recovery of sums alleged excess payment without following the law relating to it contained in Rule 43 (b) andèkor Rule 139 of the Bihar Pension Rules, 1950 which in my opinion is just a malafide attempt either to unnecessary harass the government servant or to cover up the laches on the part of the State authorities. Such decision should be avoided and only the action, which is permissible in law should be taken, otherwise the State Government must fix, the responsibility and punish the concerned officer, who is Ultimately found responsible or such malafide action being taken after the retirement of the Government Servant. The law regarding application of Rules 43 (b) and 139 of the Bihar Pension Rules, 1950 came up for consideration before the apex court in the case of State of Bihar Vs. Md. Idris and by a judgement and order passed in the said case reported in 1955 (2) PLJR 51 the apex court has settled issue. Thus in my opinion, in all such cases the concerned authorities must re-examine the claims of the concerned retired Government servant and dispose it of by a reasoned order.

12. Further I have found that in the garb of non-compliance of the formalities by the concerned Government servant or their legal heirs and representatives the payment of legal dues are withheld. In my opinion, that is also not a correct approach of the authorities in the State, which they only realise after their own retirement when they are also faced with similar situation. In the practice prevailing in the State all Government servants are aware that the details of various deductions made from their salary, which, under the rules are required to be communicated to the concerned Government servant are aware that the details of various deductions made from their salary, which, under the rules are required to be communicated to the concerned Government servant by the authorities concerned, are normally not supplied to them, thus, in my opinion, it is too much too except that the Government servant concerned and particularly after his legal heir and representative would be able to meet the said requirements. The entire records in regard to deductions made from the salary of the government servant towards G.P. Fund and other accounts andèkor advances given to them are maintained in the concerned departments of the State Govt. The date of retirement of every Government servant is also very much known in advance. Thus, I am unable to appreciate why the process of

collecting the requisite information and issuance of necessary sanction order should take years and the formalities be not completed before their date of retirement, so that the payment are made to Government servant on the date he retires, or, on the following day and pension at the expiry of the following months.

13. The other plea taken which I have noticed in many cases, specially by the Universities, Board, Zila Parishad, Corporations and other undertakings of the State Government is that the payment of such dues, specially post retiral dues could not be made due to paucity of funds. I am unable to appreciate how paucity of funds can be ground to deny the payment of the legitimate dues of the employees specially the post retiral dues, in which case, after retirement one has to discharge various liabilities, such as marriage of wards, arranging for their livelihood, constructing at least a shed to live in etc.

14. Having regard to the aforementioned facts and circumstances, as also so considering the large number of pendency of cases in regard to retirement benefit matter in this court, I am constrained to pass a general order that the concerned Government servants or their legal heirs and representatives should raise their claims afresh by filing representation in which they should give full details of their claim and also full address for communication hence forth before the concerned Head of Departments, who shall grant a receipt in token thereof. The heads of the respective departments shall get the entire claim filed before him examined through various concerned authorities including Director, Provident fundèkDistrict Provident fund officers and finally dispose them of by reasoned order dealing with each and every claim separately and shall also issue necessary sanction orderèkauthority slip for payment of admitted dues with statutory interest well as the interest as per various Government circularsèkdecisions taken in and that regard within a period of two months of the receipt of the claim.

15. It is made clear that the main responsibility for payment of all the admitted dues of the concerned government servants shall be of the heads of the concerned Department. In case of any dispute, in regard to any of claims, they shall assign reasons for not accepting the same and shall communicate to the concerned Government servantèkperson within the aforesaid time. If any of the formalities, such as filing of the indemnity bond or succession certificates etc, are to be completed by the claimant, then they must be communicated much before the expiry of the said period, so that the claimant may meet the said requirement and the delay in payment of the legitimate dues is avoided.

16. The Accountant General, Bihar, who is represented by Mrs. Renuka Sharma, learned standing Counsel, is directed to issue necessary authority slip within one month of the receipt of the sanction order from the concerned authority in the State Government.

17. It is further made clear that non-compliance of any part of the aforesaid directions by any of the concerned authorites would constitute contempt of this court and will be seriously viewed. This court may also consider to award heavy penal interest and costs besides imposition of punishment in the contempt proceeding against the concerned heads of DepartmentèkAccountant General, Bihar, which shall be realised from their pocket.

18. Let a copy of this order be given to the learned Advocate General for forwarding it to the Chief Secretary, who shall circulate it to all the heads of

departments for its strict compliance. The office is directed to send a copy of this order directly also to the Chief Secretary, Govt. of Bihar and as to the Director, G.P. Fund, Bihar for circulation and its strict compliance.

19. Let a copy of the this order be also given to Mrs. Renuka Sharma, learned standing Counsel for Union of India appearing for the Accountant General, Bihar and a copy of the same be also directly forwarded to the Accountant General, Bihar for its strict compliance.

20. The office is directed to prepare the required number of copies of this order for sending them to the aforementioned official authorities.

21. In the instant case, as it is submitted by Mr. Jainandan Singh, learned Addl. Standing Counsel for the Accountant General, Bihar that the Accountant General's office has not received the details of the sanction order. I direct that the petitioner should raised her claim before the concerned Head of Department and the concerned authorities will act in terms of the aforesaid general directions within the time fixed.

22. The writ application accordingly stands disposed of.

5.

***विषय : पेंशन मामलों का त्वरित निष्पादन ।**

बिहार पेंशन नियमावली का नियम 188 देखें । इसका उद्देश्य सरकारी सेवक को उसी तिथि से पेंशन–प्राप्ति का आरंभ सुनिश्चित करना है जिस तिथि को वह देय हो गई है । बावजूद इसके ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिनमें सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के बाद अब भी पेंशन मामले के अन्तिमीकरण और वास्तविक रूप से पेंशन स्वीकृति में काफी विलम्ब हो रहा है ।

2. पेंशन मामले के अंतिमीकरण में विलम्ब कम करने के एक और प्रयास के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक विभाग/अध्यक्षालय में किसी पदाधिकारी विशेष को सम्पर्क पदाधिकारी जैसा पदनामित किया जाए जो विभागीय अध्यक्षालय में सभी पेंशन–मामलों के सहेजने को उत्तरदायी होंगे और जिन्हें पेंशन अंतिमीकरण में विलम्ब सम्बन्धी सभी मामले प्रतिवेदित किये जायेंगे । उक्त पदाधिकारी के पास सभी पेंशन मामले सम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदन और उन पर प्रगति सम्बन्धी जानकारियाँ समय-समय पर भेजी जायेंगी । यदि आवश्यक होगा, वह महालेखाकार से पेंशन मामलों के त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महालेखाकार से सम्पर्क करेंगे और आवश्यक निदानात्मक कदम उठाये जाने के उद्देश्य से सम्बद्ध विभागीय सचिव को विलम्ब वाले विशेष मामले की जानकारी देंगे ।

3. विभागों से भी अनुरोध है कि वे अपने अधीन और स्वयं से संलग्न वैसे कार्यालयों में उक्त प्रयोजन के लिए उपयुक्त पदाधिकारियों को तत्समान पदनामित करने के प्रश्न की समीक्षा करेंगे जिन कार्यालयों की स्थापना बड़ी है और जिनमें पेंशन मामलों के अन्तिमीकरण में विलम्ब की संभावना है । तत्प्रयोजनार्थ इस प्रकार पदनामित पदाधिकारी उन स्थापनाओं के पेंशन मामलों के त्वरित निष्पादन और सम्बद्ध प्रशासी विभाग के सम्पर्क पदाधिकारी को (सूचना देने) के उत्तरदायी होंगे ।

4. वित्त विभाग को प्रसन्नता होगी यदि उपर्युक्त व्यवस्था के अमल में आने के छह महीने बाद सरकारी विभाग व्यवस्था के कारगर होने के सम्बन्ध में अपना विचार हमें भेजेंगे ।

5. सम्पर्क पदाधिकारी के पदनाम से अभिहित होनेवाले पदाधिकारियों के नाम महालेखाकार, बिहार और वित्त विभाग को भी संसूचित कर दिये जायें । [*ज्ञापांक 228 एफ०आर०, दिनांक 5-8-1958]

6.

***विषय : पेंशन मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब को भ्रष्टाचार मानकर कड़ी–से–कड़ी सजा देने के सम्बन्ध में ।**

प्राय: सरकार को देखने में यह आ रहा है कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1070–वि०, दिनांक 23 जनवरी, 1974 में निहित सेवा से निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन कागजात तैयार करने के सम्बन्ध में

आदेशों की उपेक्षा बहुत से कार्यालयों द्वारा की जा रही है । महालेखाकार, बिहार के पेंशन से सम्बन्धित आपत्तियों के निबटारे में भी इन कार्यालयों द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है । निर्धारित समय पर औपबन्धित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति नहीं होने तथा पेंशन कागजात महालेखाकार, बिहार को नहीं भेजे जाने के कारण सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/मृत सरकारी सेवकों के परिवारों को अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है । संक्षेप में, अभी भी बहुत से कार्यालयों द्वारा पेंशन मामले के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है एवं सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है ।

2. मंत्री परिषद् ने दिनांक 10 मई, 1974 की विशेष बैठक में कार्य निष्पादन में विलम्ब के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया है –

"कार्य निष्पादन से अनावश्यक विलम्ब को भ्रष्टाचार मानकर तद्नुसार कड़ी-से-कड़ी सजा दी जाये ।"

3. उपरोक्त निर्णय के सन्दर्भ में यह कहना है कि पेंशन मामलों के सम्बन्ध में भी ऐसी शंका होती है कि भ्रष्टाचार के कारण ही बहुत मामलों में इसके निष्पादन में विलम्ब किया जाता है एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं मृत सरकारी सेवकों के परिवारों को परेशान किया जाता है । अतः यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब को भी भ्रष्टाचार माना जाये तथा इसके लिए उत्तरदायी सरकारी सेवकों को कड़ी-से-कड़ी सजा देने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जाये ।

4. इस आदेश को कृपया आवश्यक समझा जाये एवं अपने विभाग/कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को इससे निश्चित रूप से अवगत कराया जाये जिससे पेंशन मामलों के विलम्ब के परिणाम के सम्बन्ध में कुछ भी गलतफहमी नहीं रह जाये । इस प्रसंग में, आपका ध्यान मुख्य सचिव के परिपत्र संख्या 5232 वि०, दिनांक 23 मई, 1974 की कण्डिका 6 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है । [***ज्ञाप संख्या 10804 वि०, दिनांक 9-10-1973]**

7.

*विषय : **सभी तरह की पेंशन (पारिवारिक पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान समेत) की विलम्ब से अदायगी पर ब्याज की अदायगी ।**

पेंशन मामलों के निष्पादन में विलम्ब को रोकने के लिये अब तक किये गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद सरकार यह जानकार दुःखी है कि विलम्ब का अबतक पूरा-पूरा अन्त नहीं हुआ है और परिणामस्वरूप पेंशनलाभियों और मृत सरकारी सेवकों के परिवारों को वित्तीय कष्ट और मौद्रिक हानि झेलनी पड़ती है । उपर्युक्त स्थितियों के दृष्टिकोण से और कष्ट झेलनेवालों को ब्याज के रूप में प्रतिपूर्ति करने की वांछनीयता पर विचार करते हुए तथा विलम्ब के उत्तरदायी सरकारी सेवकों के लिए वित्तीय दंड का विधान करते हुए राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिये हैं –

(ए) सब तरह की पेंशन (पारिवारिक पेंशन समेत) और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के विलम्बित भुगतान पर, जबसे पेंशन/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान बाकी होता है, उसके तीन महीना बाद से 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज उस महीना के पूर्ववर्ती महीना के अन्त तक की अवधि के लिए देय होगा जिस महीना में अंतिम पेंशन की अदायगी वस्तुतः आरंभ होगी और/या मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की अदायगी वस्तुतः की जायेगी । ब्याज उन्हीं मामलों में देय होगा जिनमें यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो जायेगा कि पेंशन/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की अदायगी में देर प्रशासनिक चूक या सेवानिवृत्त सरकारी सेवक या मृत सरकारी सेवक के परिवार के नियंत्रण के परे कारणों से हुई । वित्त विभाग के परामर्श से सम्बद्ध प्रशासी विभाग द्वारा ब्याज-अदायगी के प्रत्येक मामले पर विचार किया जायेगा, और ब्याज-अदायगी को सरकारी आदेश से प्राधिकृत किया जाना अनिवार्य होगा । उन सभी मामलों में जिनमें ब्याज अदा किया जायेगा, ब्याज की पूरी राशि उन सरकारी सेवकों से वसूल की जायेगी जो विलम्ब के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(बी) सरकारी सेवक, जो निलम्बन में हैं या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही या जाँच का समापन उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि को नहीं हुआ है, केवल औपबन्धिक पेंशन के लिए प्राधिकृत हैं; देखें वित्त विभाग का ज्ञापांक 9144 एफ०, दिनांक 22-8-1974 । इस परिपत्र के अनुसार कार्यवाही के समापन और तदुपरान्त अंतिम आदेश निर्गत होने तक ऐसे मामलों में अंतिम पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान नहीं दिये जायेंगे । अतः ऐसे मामलों में अंतिम पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान, यदि कार्यवाही की समाप्ति पर सक्षम

प्राधिकारी द्वारा निकाला जाना अनुमत किया गया हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किये जाने की तिथि को बाकी समझा जायेगा, और यदि अंतिमीकरण के तीन महीने के तुरंत बाद अदा नहीं किया जायेगा तो ब्याज अनुमत किया जायेगा।

(सी) तथापि ब्याज की अदायगी उन पेंशन/उपदान के बकाये की अदायगी के मामलों को लागू नहीं होगी जो सरकारी सेवक की निवृत्ति/मृत्यु के बाद उपलब्धियों की बढ़ोत्तरी या उनकी निवृत्ति/मृत्यु की तिथि के पूर्व के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली के उदारीकरण के परिणामस्वरूप बाकी आयेगी।

2. ये आदेश उन मामलों में प्रभावी होंगे जिनमें सरकारी सेवक की निवृत्ति/मृत्यु इन आदेशों के निर्गत होने की तिथि को या उसके बाद हुई हो। उन सरकारी सेवकों के मामले भी इन आदेशों से आच्छादित होंगे जिनकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु इस तिथि के पहले हुई हो बशर्ते उनके मामलों में पेंशन/उपदान की अदायगी इन आदेशों के निर्गम की तिथि से तीन महीने के अन्दर नहीं हुई हो, परन्तु ऐसे मामलों में इस तिथि के बाद केवल तीन महीने से ब्याज देय होगा। [***ज्ञापांक पी०सी०-2-1-16/79/3155, दिनांक 7-11-1981**]

8.

***विषय : पेंशन मामलों का त्वरित निष्पादन – सेवा-पुस्तिका में प्रविष्टियाँ दर्ज करना – सेवा का सत्यापन।**

कहना है कि बिहार वित्तीय नियमावली, खण्ड 1 के नियम 101 के तहत् वर्ष के आरंभ में एक निश्चित समय पर कार्यालय प्रधान सेवा-पुस्तिकाओं के सत्यापन का कार्य शुरू करेंगे और अपना समाधान करने के बाद कि प्रत्येक सेवा-पुस्तिका में सम्बद्ध सरकारी सेवक की सेवायें सही-सही दर्ज हैं, निम्नांकित फारम में अपने हस्ताक्षर सहित प्रमाण-पत्र अभिलिखित करेंगे –

"(अभिलेख जिससे सत्यापन किया जा रहा है) – की सहायता से (दिनांक) – तक सेवा सत्यापित की गई।"

यदि उपर्युक्त नियम में विहित प्रमाण-पत्र से भिन्न (प्रमाण-पत्र) सेवा-पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा तो पेंशन-दावे के विस्तार में विलम्ब की संभावना होगी।

2. अतः अनुरोध है कि बिहार वित्तीय नियमावली, खण्ड 1 के नियम 101 में विहित प्रक्रिया के ठीक-ठीक अनुपालन के लिए सम्बद्ध प्राधिकारियों पर कृपया जोर दिया जाए। [***ज्ञापांक पेन-1015/64- 6885 एफ०, दिनांक 18-6-1964**]

9.

***विषय : सरकारी आवासीय आवास के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवक से किराये और अन्य बकाये की वसूली – लेखा-निबटारे के लिए प्रतिभू-बंधपत्र का प्रावधान।**

राज्य सरकार को देखने में आया है कि सरकारी सेवकों के पेंशन मामलों के अन्तिमीकरण में विलम्ब सामान्यतः सरकारी आवासीय आवासों के सम्बन्ध में किराये और अन्य बकाये के गैर-निबटारे के कारण होता है। वर्तमान किराया प्रक्रिया में बिहार सेवा संहिता की परिशिष्ट 8 के नियम 11 (बी) के अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवक एक विनिर्दिष्ट अवधि तक सरकारी निवास को कब्जाकृत रखने के हकदार हैं। उनके अंतिम लेखा का तभी निबटारा होता है जब निवास वस्तुतः खाली कर दिया जाता है, सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा सभी बकाये किराया और अन्य अदायगियाँ वसूल कर दी जाती हैं और "बेबाकी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह वर्तमान नियम उस व्यक्ति को जो शीघ्र निवृत्ति पर जानेवाला है कुछ हद तक कठिनाई में डाल देता है क्योंकि लेखा के निबटारा और तदुपरान्त पेंशन की अदायगी में काफी विलम्ब होता है।

2. पेंशन के अंतिमीकरण में मकान-किराया के अलावे अन्य सरकारी बकाये जैसे वेतन, भत्ते या छुट्टी वेतन की अधिक निकासी वाहन, गृह-निर्माण या अन्य प्रयोजन तथा कई अन्य बकायों की गैर-अदायगियाँ जिनकी ठीक-ठीक राशियों का निर्धारण उस वक्त तक नहीं होता है, विलम्ब की वजहें होती हैं।

यदि वैसा कोई बकाया किसी वजह से अनिर्धारित और गैर वसूल रह गया हो तो निम्नांकित तरीकों में से कोई अपनाया जा सकेगा।

(1) निवर्तमान सरकारी सेवक को किसी उपयुक्त स्थायी सरकारी सेवक का प्रतिभू देने को कहा जा सकेगा। यदि उसके द्वारा दिया गया प्रतिभू प्रतिग्राह्य पाया जाए तो उसके वेतनादि के अंतिम दावा और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के निर्गम पर उसकी पेंशन या उपदान की अदायगी नहीं रोकी जाए।

प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने वाला बन्ध-पत्रक एक फारम अनुलग्न है।

(2) यदि निवर्तमान सरकारी सेवक प्रतिभू देने को असमर्थ या अनिच्छुक हो तो उनसे उपयुक्त नकद जमा लिया जा सकेगा या उपदान की उतनी राशि मात्रा जो पर्याप्त समझी जाए, बाकी पड़े बकाये के निर्धारण और समंजन तक रोक रखी जा सकेगी।

ऐसे सभी मामलों में तीन महीने के भीतर बाकी पड़ी राशियों के निबटाये जाने के लिए प्रयास किये जायें जिससे प्रतिभू की मुक्ति और सरकारी सेवक को देय राशियों की अदायगी में अनुचित विलम्ब न हो।

3. अतः अनुरोध है कि जब यह अनुमान लगाया जा सके कि सम्बद्ध कार्यपालक अभियंता से "बेबाकी प्रमाण-पत्र" के अभाव में पेंशन मामले का अंतिमीकरण में विलम्ब होगा तो अविकल रूप से उपर्युक्त प्रक्रिया अपनायी जाए।

बंध-पत्र का फारम

बिहार सरकार जो एतदुपरांत 'सरकार' से अभिहित हैं और जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती होंगे, के द्वारा कार्यपालक अभियंता/नगर निगम से 'बेबाकी प्रमाण-पत्र' के प्रस्तुतीकरण के बगैर श्री/श्रीमती .... के अंतिम लेखा निपटाने को सहमत होने के प्रतिफल के रूप में मैं .... एतद् द्वारा सभी तरह की हानि और क्षति के प्रति जो सरकार द्वारा उक्त श्री किसी निवास के आवंटित रहने के कारण भविष्य में समय-समय पर आवंटित किये जाने के कारण, उक्त निवास रिक्त हालत में सरकार को सौंपे जाने तक कारित होगी, प्रतिभू (जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत मेरे वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती होंगे) होता हूँ।

मैं एतद्द्वारा उस किसी राशि के लिये भी प्रतिभू होता हूँ जो उक्त श्री/श्रीमती .... से सरकार को वेतन, भत्ते, छुट्टी वेतन, वाहनों, गृह-निर्माण या अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम रूप में अधिक अदायगी राशियाँ जो सरकार द्वारा उक्त श्री/श्रीमती .... की ओर से सरकार द्वारा दी गई गारंटी के अधीन या उसके सम्बन्ध में दी जायेंगी या देय होगी या जो कुछ भी सरकार के अन्य बकाये हों।

मेरे द्वारा वचनबद्ध किया गया उत्तरदायित्व उक्त श्री/श्रीमती .... को सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया किसी अवधि-विस्तार या छूट के कारण नहीं सम्पन्न होगा और सरकार को बिना गारंटी को प्रभावित किये पूरी स्वतंत्रता होगी कि वह उक्त श्री/श्रीमती .... के प्रति किसी समय या समय-समय पर स्वयं द्वारा प्रयोज्य शक्तियों का या तो इस्तेमाल करे या उनसे बाज आए और मैं इस गारंटी के तहत् दायित्व से, सरकार द्वारा उपर्युक्त विषयों के सम्बन्ध में स्वतंत्रता के प्रयोग के चलते या सरकार की ओर से किसी अन्य प्रविरति, कार्य या कार्रवाई के चलते या उक्त श्री/श्रीमती .... के प्रति सरकार किसी अनुग्रह के चलते या अन्य किसी भी बात या चीज जो, यदि यह प्रावधान न होता, प्रतिभू सम्बन्धी विधि के अधीन मुझे इस तरह के दायित्व से मुक्त करने जैसा प्रभावकारी हुआ होता, के चलते मुक्त नहीं होऊँगा।

यह गारंटी प्रभावी रहेगी –

(1) जबतक कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त श्री .... के पक्ष में "बेबाकी प्रमाण-पत्र" न दिया जाए,

(2) जबतक उस कार्यालय का प्रधान जिसमें उक्त श्री/श्रीमती .... अंतिमतः नियुक्त थे/थीं और यदि वह राजपत्रित सरकारी सेवक बिल फारम पर वेतन और भत्ते निकाल रहे थे/रही थीं तो अंकेक्षण पदाधिकारी इस आशय का प्रमाण-पत्र न दें कि उक्त श्री/श्रीमती .... से सरकार को अब कुछ भी देय नहीं है, और

(3) जबतक .... नगर निगम द्वारा उक्त श्री/श्रीमती .... के पक्ष में जल और विद्युत शुल्क विषयक् बकायों जिसके लिए सरकार ने उक्त श्री/श्रीमती .... की ओर से गारंटी दी थी, के सम्बन्ध में, "बेबाकी प्रमाण-पत्र" न दे।

सरकार इस लिखित पर लगनेवाला स्टाम्प-शुल्क वहन करेगी। ....

प्रतिभू के हस्ताक्षर

आज दिनांक .... को .... (स्थान) पर उक्त प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त।

उपस्थिति में –

1. हस्ताक्षर –

पता और पेशा –

[*ज्ञापांक पेन-1018/63-10290 एफ० 1, दिनांक 22-9-1961]

10.

***विषय : पेंशन और उपदान के लम्बित मामले।**

पेंशन मामलों के निष्पादन को त्वरित करने के लिए महालेखाकार, बिहार ने सुझाव दिया है कि उनके कार्यालय में लम्बित पड़े पेंशन मामलों/उपदान मामलों के त्रैमासिक विवरण उन्हें अधिकतम एक महीना के भीतर प्रस्तुत किये जायें। विवरण में उन पत्रों के ब्योरे दिये जायें जिनके साथ पेंशन/उपदान की अनुमान्यता पर रिपोर्ट के लिए पेंशन कागजात महालेखाकार, बिहार को भेजे गए या उन पत्रों के ब्योरे जिनमें पेंशन/उपदान की स्वीकृति के लिए पेंशन कागजात उन्हें भेजे गये। अत: अनुरोध है कि प्रत्येक वर्ष 30 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर को समाप्त हुए त्रिमासों के लिए प्रत्येक विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित विवरण क्रमश: 30 अप्रैल, 31 जुलाई, 31 अक्तूबर और 31 जनवरी तक उनको भेजे जायें। उक्त विवरण की एक-एक प्रति वित्त विभाग और नियुक्ति विभाग (मंत्रिमंडल प्रशाखा) को भी भेजी जाए।

2. महालेखाकार, बिहार कार्यालय में लम्बित पड़े पेंशन मामलों के त्रैमासिक विवरणों के साथ प्रत्येक विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में लम्बित अन्य मामलों का विवरण भी वित्त विभाग और नियुक्ति विभाग (मंत्रिमंडल प्रशाखा) को उपर्युक्त तिथियों तक भेजा जाये। **[*ज्ञापांक एम०टी०जी० 120/53-ए०सी०एस०-1145, दिनांक 25-2-1954]**

11.

***विषय : पेंशन मामलों के त्वरित निष्पादन के लिये बेबाकी (नो डिमाण्ड) प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतिकरण।**

विद्यमान प्रक्रिया में प्रत्येक निवर्तमान सरकारी सेवक के सम्बन्ध में बेबाकी प्रमाण-पत्र देना होता है कि उसके जिम्मे सरकार का कोई बकाया नहीं है। वर्तमान निर्देशों में यह भी उपबन्ध है कि 'बेबाकी प्रमाण-पत्र' न देने की स्थिति में सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान किया जा सकेगा यदि निवर्तमान पदाधिकारी उपयुक्त स्थायी सरकारी सेवक को प्रतिभू बनावें या उपयुक्त नकद जमा दें या उपदान के अंश को रोक रखे जाने की सहमति दें। तथापि, पाया गया है कि इन उक्त प्रावधानों के बावजूद भी पेंशन मामलों के अंतिमीकरण में निरपवाद रूप से विलम्ब हो रहा है और निवर्तमान सरकारी सेवक घोर कष्ट झेल रहे हैं।

2. अत: राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के बाद से एक वर्ष के अन्दर कोई दावा नहीं पेश किया जाए तो यह पूर्वकल्पना की जाये कि सरकारी सेवक के विरुद्ध सरकार का कोई दावा नहीं है।

जहाँ तक सरकारी आवास के सम्बन्ध में मकान-भाड़ा बकाया का सम्बन्ध है, एक वर्ष की अवधि पदाधिकारी की सेवा-निवृत्ति की तिथि से या सरकारी आवास खाली करने की तिथि से, जो भी बाद की हो, समझी जाये। इस अवधि की समाप्ति के बाद जमा, प्रतिभू-बंधपत्र या सरकारी बकाये के लिए रोका गया उपदान मुक्त कर दिया जाये। किन्तु बकाये यों ही वसूल नहीं हो जायेंगे और इन्हें विधिक प्रक्रिया से वसूल किये जायें।

3. सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति से पहले 'बेबाकी प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने को सुनिश्चित बनाने के लिए निम्नांकित प्रक्रिया विहित की जाती है –

(i) सम्बद्ध कार्यपालक अभियंता प्रत्येक वर्ष जुलाई में सभी सरकारी सेवकों (राजपत्रित और अराजपत्रित) के सम्बन्ध में बकाये की एक सूची बनायेंगे और राजपत्रित पदाधिकारियों की स्थिति में, पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को तथा अराजपत्रित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में, कार्यालय प्रधान को भेजेंगे।

पेंशन-स्वीकृति-प्राधिकारी सामान्य स्वीकृति जारी करते समय यह सूची देखेंगे।

(ii) कार्यालय प्रधान प्रत्येक वर्ष जनवरी में उन सभी अराजपत्रित सरकारी सेवकों की सूची बनायेंगे जो उनके अधीन हैं और 18 महीने के भीतर निवृत्त होने वाले हैं । [*ज्ञापांक पेन–1021/68/13313-एफ०, दिनांक 4-12-1968]

12.

***विषय : सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवकों से सरकारी आवसीय निवास के सम्बन्ध में किराया, अन्य बकाए की वसूली ।**

उक्त विषयक् इस विभाग के ज्ञापांक 10290 एफ० 1, दिनांक 22 सितम्बर, 1953 का निर्देश करते हुए कहना है कि ऊपर में निर्देशित इस विभाग के ज्ञाप में सुझाई गई प्रक्रिया, यानी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक द्वारा प्रतिभू-बंधपत्र का निष्पादन का मूल उद्देश्य सरकारी सेवक की उस कठिनाई को कम करना है जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किराए और अन्य बकाए के गैर निबटारे की वजह से उठानी पड़ती है तथा उन्हें पेंशन मामले के अंतिमीकरण में होनेवाले विलम्ब से बचाना है ।

तथापि सर्वाधिक उचित तो यह होगा कि सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले सम्बद्ध सरकारी सेवक से बाकी पड़े सभी बकायों को निश्चित करके वसूल कर लिया जाए । जहाँ राजपत्रित सरकारी सेवक का सम्बन्ध है, ऐसा कर पाना सर्वथा संभव है यदि सेवक काफी पहले सम्बद्ध कार्यपालक अभियंता या अन्य किराया अधिकारी को निर्देशित करके स्वयं द्वारा उस अवधि विशेष, यथा छह महीने, पहले के लिये जबकि वे अपने आवंटित सरकारी आवास को खाली करेंगे, देय किराया राशि निश्चित करवाने के लिये कदम उठायें । उसके बाद पदाधिकारी अपने वेतन-विपत्र से तद्नुसार आवश्यक कटौती करेंगे और महालेखाकार कार्यालय को पूर्वांकेक्षण के लिए अंतिम वेतन-विपत्र, उसमें से बाकी पड़े किसी किराया के अतिशेष की कटौती करते हुए और पौर्विक वेतन-विपत्रों के टी०वी० नम्बर और तिथि अंकित करते हुए जिनमें उसने कार्यपालक अभियंता के निर्देशों के अनुसार कटौती की है, समर्पित करेंगे । इस तरह अंतिम वेतन-विपत्र का त्वरित निष्पादन और फलस्वरूप पेंशन भुगतान का तुरंत अंतिमीकरण हो सकेगा ।

जबकि महालेखाकार कार्यालय सम्बद्ध पदाधिकारियों को यथावश्यक करने को स्मार देगा और कार्यपालक अभियंता को सम्बद्ध पेंशनलाभी और साथ-साथ उसके कार्यालय को जानकारी देने के लिए अनुरोध करेगा, यह उनके अपने ही हित में होगा कि वे काफी पहले अपने तरफ से कार्यपालक अभियंता के स्तर पर इस पर काम करवावें और वह भी हर हाल में उस समय के कम-से-कम छह महीना पहले जब वे अपने दखलकार सरकारी क्वार्टर को खाली करना चाहते हैं ।

अत: सरकार के विभागों/अध्यक्षालयों से अनुरोध है कि वे अपने अधीन सभी राजपत्रित सरकारी सेवकों को तद्नुसार निर्देश देंगे । [*ज्ञापांक पेन–1018/63-10291 एफ० (1), दिनांक 22-9-1964]

13.

***विषय : पेंशन मामलों के निस्तार हेतु मकान किराया सम्बन्धी बकाए चुकती प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) का दाखिल करना ।**

मकान के सम्बन्ध में माँग रहित प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के कारण निवृत्त कर्मचारियों के ग्रेच्युटी का अन्तिम भुगतान करने में बहुत विलम्ब होता है । अत: महालेखाकार, बिहार के परामर्श को निभाते हुए उपर्युक्त विषयक् वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन 1021/68-13313, दिनांक 4-12-1968 की कंडिका 2 का आंशिक रूप में संशोधन करते हुए यह कहना है कि सरकारी मकान के बकाए के सम्बन्ध में सरकार ने यह निर्णय किया है कि अब सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से ही एक वर्ष की अवधि की गणना की जायेगी । एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर जमा की गई राशि या प्रतिभू बन्धक (सिक्युरिटी बॉंड) या ग्रेच्यूटी से रोकी गई राशि को मुक्त (रिलीज) कर दिया जायेगा । लेकिन इसके कारण बकाया स्वयं व्यपगत (लैप्स) नहीं होगा और उसकी वसूली कानूनी प्रक्रिया से की जायेगी ।

2. अत: सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर ही सरकारी मकान के किराया सम्बन्धी माँग रहित प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) या बकाया किराया के सम्बन्ध में जो माँग हो उसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को अवश्य दी जाये । [*वित्त विभाग, ज्ञाप सं० 1037-1393 वि०, दिनांक 9-2-1973]

14.

***विषय : पेंशन मामलों के निस्तार हेतु मकान किराया सम्बन्धी बकाया चुकती प्रमाण पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) को दाखिल करना ।**

मकान किराया सम्बन्धी बकाया-चुकती प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) दाखिल करने के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के पत्रांक पेन-1021/68-13313 वि०, दिनांक 4-12-1968 एवं पेन 1037/70-1393 वि०, दिनांक 9-2-1973 के द्वारा आदेश निर्गत किए जा चुके हैं फिर भी समय पर मकान किराया सम्बन्धी बकाया चुकती प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण-विभाग द्वारा निर्गत नहीं होने के कारण पेंशन मामलों के निष्पादन में काफी विलंब होता है, फलस्वरूप सेवानिवृत्त सरकारी सेवक एवं उनके परिवार के सदस्यों को काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है । यह भी उल्लेखनीय है कि निवृत्ति के पूर्व जो सरकारी सेवक आवास छोड़ देते हैं या भाड़े के मकान में रहते हैं या अपने मकान में रहते हैं उन्हें भी मकान किराया बकाए-चुकती-प्रमाण पत्र दाखिल करने का शिकार बनना पड़ता है ।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति की तिथि के दो वर्ष पूर्व सरकारी आवास छोड़ देते हैं अथवा सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पहले से ही अपने मकान में या भाड़े के मकान में रहते हों उन्हें लोक निर्माण विभाग के मकान किराया सम्बन्धी बकाए चुकती प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) दाखिल नहीं करना पड़ेगा । इन सरकारी सेवकों के पेंशन कागजात एवं अन्तिम वेतन विपत्र, पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी सरकारी आवास में नहीं रहने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाण-पत्र के साथ स्वीकृति देते हुए महालेखाकार के कार्यालय को भेज देंगे ।

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... (सेवानिवृत्त होने वाले सेवक का नाम एवं पदनाम) सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पहले से ही आवासों में नहीं रहते हैं ।

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम

3. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो सरकारी सेवक निवृत्ति के पूर्व दो वर्ष या उससे अधिक अवधि तक बिना किराए के सरकारी भवन में (रेन्ट फ्री क्वार्टर) में थे उन्हें भी "नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट" देना नहीं होगा । उनके सम्बन्ध में भी पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी पेंशन कागजात के साथ एक प्रमाण-पत्र देंगे कि सम्बन्धित सरकारी सेवक दो वर्ष या उससे अधिक अवधि से रेन्ट-फ्री क्वार्टर में रहते थे ।

4. यद्यपि सरकार ने उपरोक्त मामलों में (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) नहीं देने का निर्णय लिया है फिर भी इसके कारण पुराने मकान किराए सम्बन्धी बकाए राशि स्वयं व्यक्तिगत (लैप्स) नहीं हो जायेगा, बल्कि वसूली के लिए पूरी कार्रवाई की जाएगी । पेंशन की स्वीकृति देते समय पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी निवृत्ति प्राप्त सरकारी सेवक से एक प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर लेंगे कि उन्हें सरकारी आवास के किराए के सम्बन्ध में कुछ भी बकाया राशि नहीं देनी है । अगर किसी प्रकार का बकाया है तो उसकी वसूली करने की व्यवस्था वे करेंगे । यदि आवश्यक हो तो उक्त रकम की वसूली निवृत्ति प्राप्त सरकारी सेवक को मिलने वाली ग्रेच्यूटी से की जायेगी ।

5. यह आदेश 1ली अप्रैल, 1975 से प्रभावकारी होंगे, अर्थात् जो सरकारी सेवक उक्त तिथि या बाद की तिथि से सेवानिवृत्त होंगे उन्हें (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) नहीं प्रस्तुत करना होगा, बशर्ते कि वे दो वर्ष या उसके पहले से ही सरकारी आवास में नहीं रहते थे या रेन्ट-फ्री भवन में रहते थे । **[*वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी०सी० 11-40-07/75/207 वि०, दिनांक 1-4-1975]**

15.

***विषय : पेंशन मामले के निस्तार हेतु मकान किराये सम्बन्धी बकाए प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) को दाखिल करना ।**

मकान किराया सम्बन्धी अदेयता प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) दाखिल करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग ज्ञापांक पेन-1021/68-13313 वि०, दिनांक 4-2-1968 एवं पेन 1037/70-1393 वि०, दिनांक 9-2-1973 तथा पी०सी० 11-40-37/75-2471 वि०, दिनांक 1-4-1975 सभी परिपत्रों की प्रतिलिपि (संलग्न है) के द्वारा आदेश निर्गत किए जा चुके हैं, फिर भी समय पर मकान के किराया सम्बन्धी अदेयता

प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) सम्बद्ध कार्यपालक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत नहीं होने के फलस्वरूप पेंशन मामलों के निष्पादन में काफी विलम्ब होता है एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अदेयता प्रमाण-पत्र (नो डिमाण्ड सर्टिफिकेट) निर्गत करने में विलम्ब का एक मुख्य कारण यह भी है कि कार्यपालक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में मकान के किराए की कटौती सम्बन्धी अभिलेख अद्यतन नहीं रहते हैं, यद्यपि सरकारी आवास में रहने वाले सरकारी सेवकों के वेतन किराए की कटौती नियमित रूप में ही होती रहती है। सरकार को यह सूचना मिली है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के विरुद्ध मकान किराए के बकाए की अधिकतम राशि दिखलायी जाती है और सत्यता की जाँच के लिए आद्योपान्त टी०भी० नम्बर की माँग की जाती है जिसको प्राप्त करना सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के लिए कठिन समस्या बन जाती है।

2. सावधानीपूर्वक उपरोक्त समस्या पर विचारोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है —

(क) सरकारी आवास भवन के किराये सम्बन्ध "रिकार्ड" ठीक से तथा पूर्णरूप से अद्यतन रखने की पूरी जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यपालक अभियन्ता की होती है एवं इसके लिए वे समुचित व्यवस्था करें।

(ख) सामान्यत: कार्यपालक अभियन्ता अपने "रिकार्ड" के आधार पर सम्बन्धित राजपत्रित पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति की सूचना प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर ही उनके द्वारा सरकारी मकान के लिए जमा किए गए किराए के सम्बन्ध में 'नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट' निर्गत कर देंगे। यदि किसी विशेष मामले में 'नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट' निर्गत करने में कुछ कठिनाई हो तो संबंधित राजपत्रित पदाधिकारी से निवृत्ति के पिछले दो वर्षों में जमा किए गए किराए के सम्बन्ध में वेतन विपत्र का टी०भी० नं० माँगा जा सकता है या स्वयं सम्बद्ध राजपत्रित पदाधिकारी दाखिल कर सकते हैं। परन्तु किसी भी हालत में उक्त पदाधिकारी से दो साल के पहले का टी०भी० नम्बर देने का अनुरोध नहीं किया जाएगा।

(ग) अराजपत्रित सरकारी सेवक जो निवृत्ति के पहले सरकारी मकान में रहते थे उन्हें लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से पेंशन तथा अन्तिम वेतन के अंकेक्षण के लिए 'नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट' देना आवश्यक नहीं होगा। इनके मामले में सम्बन्धित अराजपत्रित सेवक के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अथवा कार्यालय प्रधान द्वारा यह प्रमाण-पत्र दिया जाएगा कि सम्बन्धित सरकारी सेवक से नियमित रूप से सरकारी मकान का किराया वसूल किया गया है एवं उन्हें कुछ भी किराए की राशि नहीं देनी है। ऐसे भी कुछ राजपत्रित सरकारी सेवक हैं जो स्वयं कोषागार से वेतन की निकासी नहीं करते हैं उनके मामले में भी अराजपत्रित सरकारी सेवक के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

3. कंडिका 2 में बतायी गयी प्रक्रिया को लागू करने के फलस्वरूप सरकारी सेवक के जिम्मे देय बकायी राशि किसी भी हालत में स्वत: व्यपगत (लैप्स) नहीं होगी एवं आवश्यक जाँच के बाद इसकी वसूली के लिए नियमानुसार या वैध प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

4. यह आदेश लोक निर्माण विभाग की सहमति से निर्गत किया जाता है। 'नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट' के चलते जितने भी मामले लम्बित हैं उनका इसके अनुसार शीघ्र निस्तार किया जाये।

5. लोक निर्माण विभाग से यह अनुरोध किया जाता है कि सभी कार्यपालक अभियंताओं को, ऊपर में दिए गए आदेशों से आवश्यक कार्रवाई हेतु अवगत कराया जाये। [***वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी०सी० 10-4032/75-8871 वि०, दिनांक 5-9-1975**]

16.

***विषय : पेंशन स्वीकृति के आवेदन-पत्र के निष्पादन में विलम्ब।**

पेंशन या उपदान की मंजूरी के पहले सेवा के सत्यापन में विलम्ब से बचने के लिए इस विभाग के ज्ञापांक 15562 एफ०, दिनांक 5 दिसम्बर, 1963 के क्रम में निम्नांकित और निर्देश जारी किये जाते हैं —

1. सेवानिवृत्ति से एक पूरा महीना पहले सभी राजपत्रित पदाधिकारी (अपने निजी मामलों में) और सभी कार्यालय-प्रधान (अपने कार्यालय में सेवारत् अराजपत्रित सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में) कार्यपालक अभियंता को उन्हें तत्परतापूर्वक रिपोर्ट (महालेखाकार, बिहार को उसकी एक प्रति प्रेषित करने के साथ) भेजने का अनुरोध करेंगे जिसमें उक्त सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि तक उसके द्वारा सरकारी निवास के सम्बन्ध में उससे

सरकार को किराया, कर, आदि के रूप में बाकी राशि का उल्लेख होगा। उन्हें अपने अन्तिम वेतन-विपत्र में (विशेषकर राजपत्रित पदाधिकारी होने की स्थिति में), और अपने पेंशन आवेदन-पत्र में (राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी सेवक होने पर प्रत्येक स्थिति में) स्वयं द्वारा अथवा अंकेक्षण द्वारा पता की गई कोई भी राशि जो किसी भी मद में जैसे मकान-किराया, किसी तरह के अग्रिम का बकाया, अतिशेष और किसी तरह की अधिक निकासी, उनसे सरकार को बाकी पड़ी हो, के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न करने को कहा जाना चाहिये ताकि सभी बकाये यथासंभव उनके अंतिम वेतन-विपत्र से वसूला जा सके, और यदि पूरी वसूली अनुध्यात नहीं हो तो वे निवर्तमान सरकारी सेवक के पेंशन आवेदन-पत्र के साथ उनका इस आशय का सहमति-पत्र संलग्न करेंगे जिसमें पेंशन या उपदान से वसूली करने की उनकी सहमति होगी।

2. ज्योंही कोई अस्थायी पद स्थायी किया जायेगा, उस कार्यालय का प्रधान जिससे वह पद संलग्न होगा, उन सभी व्यक्तियों की सूची या सूचियाँ तैयार करेंगे जिन्होंने अस्थायी पद धारण किया है – अवधि के पूरे ब्योरे के साथ और बिहार पेंशन नियमावली के नियम 63 के अधीन पेंशन प्रदायी सेवा के सत्यापन और प्रतिग्रहण के लिए उसे या उन सबको (सेवा-पुस्तिका समेत, यदि मामला अराजपत्रित सरकारी सेवक का हो) महालेखाकार, बिहार को अग्रसारित करेंगे। सत्यापन के बाद महालेखाकार, बिहार सेवा-पुस्तिका में उपयुक्त प्रमाण-पत्र अंकित करेंगे या सेवा-इतिवृत्त में उक्त तथ्य को सन्निविष्ट करेंगे। प्रमाण-पत्र निम्न प्रारूप में होगा –

"श्री .... द्वारा .... की अवधियों में धारित पद राज्यादेश सं० .... दिनांक .... के तहत दिनांक .... के प्रभाव से स्थायी कर दिया गया और तदनुसार श्री .... द्वारा की गई सेवा बिहार पेंशन नियमावली के नियम .... के अधीन (पेंशन) प्रदायी हो गई।"

प्रथम वार्षिक विवरणिका में कार्यालय-प्रधान इस तथ्य को दर्ज करेंगे।

3. ऊपर दी गई प्रक्रिया के तहत केवल वे ही पद आयेंगे जो भविष्य में स्थायी किये जायेंगे। पूर्व के मामलों के सम्बन्ध में सेवा-जाँच का कार्यक्रम शुरू किया जायेगा और बिहार पेंशन नियमावली के नियम 63 के अधीन पेंशन गणना के लिए अस्थायी सेवावधि निर्धारित करने के मद्देनजर आयु-अवरोही-क्रम को अधिमानता दी जायेगी। **[*ज्ञापांक पी०सी०1022/53-2566-एफ०, दिनांक 27 फरवरी, 1956]**

17.

***विषय : पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपदान से सम्बन्धित प्रपत्रों को सभी विभागों/कार्यालयों में उपलब्ध रखने के सम्बन्ध में।**

अन्य सरकारी प्रपत्रों की भाँति पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपदान से सम्बन्धित सभी प्रपत्र विभागों/कार्यालयों को अपने यहाँ उपलब्ध रखना है। उन्हें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि हाल में पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपदान के शीघ्र निष्पादन के सम्बन्ध में वित्त विभाग ने जितने भी परिपत्र, आदेश आदि निर्गत किए हैं, वे सरकार की इसी नीति के कारण निर्गत किए गए हैं जिससे सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं मृत सरकारी सेवकों के परिवार को अधिक-से-अधिक राहत मिल सके तथा उन्हें अधिक-से-अधिक सुविधा प्राप्त हो सके।

2. इसके बावजूद भी प्रायः ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ विभागों/कार्यालयों द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/मृत सरकारी सेवकों के परिवार को पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपदान सम्बन्धी प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं जिसका परिणाम यह होता है कि सुदूर मुफस्सिल कार्यालयों से भी लोगों को वित्त विभाग में प्रपत्र लेने के लिए आना पड़ता है। सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/मृत सरकारी सेवकों के परिवार को महज प्रपत्र की उपलब्धि के लिए यदि इस प्रकार की परेशानी उठानी पड़ेगी तो उन्हें सहूलियत एवं राहत देने सम्बन्धी सरकार की नीति का मूल उद्देश्य ही लोप हो जाएगा।

3. अतः यह अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रपत्र जिनकी सूची संलग्न है पर्याप्त मात्रा में अपने विभाग/ कार्यालय में उपलब्ध रखने का कष्ट करें। पेंशन सम्बन्धी फार्म-4 जो अनुसूचित प्रपत्र हैं उसे 'प्रेस एवं प्रपत्र, गया' से मँगवा कर उपलब्ध रखें। अन्य जो अनुसूचित प्रपत्र हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में रोनियो करवा लें। कार्यालयों द्वारा उपरोक्त प्रपत्रों को उपलब्ध रखने के सम्बन्ध में एक आवश्यक बात यह कहनी है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपदान सम्बन्धी प्रपत्रों को केवल पेंशन स्वीकृति प्राधिकारियों के कार्यालयों को ही उपलब्ध नहीं रखना है, वरन् प्रखण्ड स्तर के कार्यालयों में भी इन प्रपत्रों का होना आवश्यक है।

4. इसे कृपया अत्यावश्यक समझा जाये तथा सरकार के इस आदेश से सभी अन्तर्गत कार्यालयों को भी अवगत कराया जाये एवं उनसे इसका निश्चित रूप से पालन करवाया जाये । वित्त विभाग की पेंशन पार्टी मुफ्फसिल कार्यालयों (तत्काल जिला स्तर तक) में पेंशन मामलों के निष्पादन की प्रगति देखने एवं पेंशन की समीक्षा करने जाया करती है । अब पेंशन के निष्पादन में पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपदान सम्बन्धी प्रपत्र उपलब्ध रखे जा रहे हैं या नहीं ?

5. सरकार आश्वस्त होना चाहती है कि सभी विभागों/कार्यालयों द्वारा प्रपत्र उपलब्ध रखे जा रहे हैं अथवा नहीं । अत: कृपया वित्त विभाग को सूचित किया जाये कि उनके विभाग/कार्यालय द्वारा प्रपत्र उपलब्ध रखे जा रहे हैं/अन्तर्गत के सभी कार्यालयों को भी प्रपत्र अविलम्ब उपलब्ध कर लेने का आदेश दिया जाये तथा उन्हें आदेश दिया जाये कि प्रपत्र को उपलब्ध रखे जा रहे हैं इससे वित्त विभाग को सीधे अवगत कराने का कष्ट करें ।

(क) पेंशन एवं मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान से सम्बन्धित प्रपत्र –

1. पेंशन प्रपत्र – 4 (अनुसूचित) ।
2. एनेक्सर–ए ।
3. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 193 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित प्रपत्र ।
4. परिवारों की सूची से सम्बन्धित प्रपत्र ।
5. स्पेसीमेन सिगनेचर से सम्बन्धित प्रपत्र ।
6. मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की गणना से सम्बन्धित प्रपत्र ।
7. पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की गणना से सम्बन्धित प्रपत्र ।
8. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 204 ए के अन्तर्गत घोषणा-पत्र (केवल राजपत्रित पदाधिकारी के लिए)
9. फार्म 'जी' का घोषणा-पत्र (केवल राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए) ।
10. वित्त विभाग के पत्रांक 3654 वि०, दिनांक 30-5-1981 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र ।
11. पेंशन एवं मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की औपचारिक स्वीकृति से सम्बन्धित प्रपत्र ।

(ख) पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान से सम्बन्धित प्रपत्र –

इसके लिए सभी प्रपत्र ऊपर के जैसे ही रहेंगे । केवल क्रम संख्या (2) में एनेक्सर–ए के बदले एनेक्सर–बी रहेगा तथा क्रम सं० 11 में उपरोक्त प्रपत्र के बदले पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की औपचारिक स्वीकृति से सम्बन्धित प्रपत्र रहेगा । इसके अतिरिक्त दो निम्नलिखित प्रपत्र रहेंगे –

(1) एनेक्सर–2 (2), एनेक्सर–3 । **[*वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या 1-1-29/74/11865 वि०, दिनांक 12-11-1974]**

18.

*विषय : पेंशन के लिए आवेदन-पत्र का निष्पादन और स्वीकृति में विलम्ब ।

बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 10 का निर्देश करते हुए कहना है कि उस अध्याय में अंतर्विष्ट नियमों का निर्माण पेंशन के आवेदन-पत्र और पेंशन-स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया में तेजी लाने, सरकारी सेवक का वेतन से पेंशन पर सीधे चल जाने को सुनिश्चित करने और उसकी पेंशन और/या उपदान-राशि का निर्धारण और संसूचन उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक कर दिये जाने के लिये किया गया था । देखने को आया है कि उन नियमों के उपबन्धों और पेंशन-मामलों के सत्वर निष्पादन के लिए गत समय-समय पर निर्गत निर्देशों के बावजूद सुदीर्घ विलम्ब अब भी हो रहा है और ये विलम्ब इस कारण हो रहे हैं कि सम्बद्ध प्राधिकारी अधिकतम मामलों में पेंशन-केसों को पर्याप्त अधिमान्यता नहीं देते । यह भी देखने को मिला है कि अंकेक्षण कार्यालय में जाँच के लिए प्राप्त हुए पेंशन-कागजात में अनुक त्रुटियाँ होती हैं जो उत्तरदायी पदाधिकारी द्वारा नहीं हुई होतीं यदि वे सुसंगत नियमों से अवगत हुए होते । जो पेंशन-कागजात अंकेक्षण कार्यालय को भेजे जाते हैं उन्हें हर प्रकार से पूर्ण बनाया जाना चाहिए ताकि समुचित पूर्णता और अधिक जानकारी के लिए जब तब लौटाये जाने की विवशता से बचा जा सके ।

2. पेंशन या उपदान के निर्गम में विलम्ब सम्बन्धित शिकायतों के कारणों के परिहार के लिए अनुरोध है कि पेंशन मामलों के संव्यवहार के लिये उत्तरदायी सभी पदाधिकारियों को जारी किये जाने वाले निर्देश इस आशय के होने चाहिए कि पेंशन मामलों को यथासंभव अधिकाधिक अधिमानता दी जाए। सरकार उन विलम्ब के मामलों को कठोरता से लेगी जो भविष्य में उद्भूत होंगे। पेंशन मामलों के संव्यवहार में जब कभी आपराधिक विलम्ब होगा, दोषी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

3. मेरा यह भी आग्रह है कि उन सरकारी सेवकों के विषय में, जो पेंशन या उपदान के हकदार हैं, किन्तु जिनके मामले में पेंशन या उपदान अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है, अनुलग्न फारम में त्रैमासिक रिपोर्ट भेजी जाए। पहली रिपोर्ट जो इस विभाग को आगामी अप्रैल तक पहुँच जानी चाहिए, में सरकारी सेवकों की मृत्यु या सेवानिवृत्ति के वे मामले होंगे जो 31 दिसम्बर, 1952 तक उद्भूत हुए हों। दूसरी रिपोर्ट, जो जुलाई में होगी, उन मामलों से सम्बन्धित होगी जो मार्च के अन्त तक उद्भूत होंगे और क्रमशः।

टिप्पणी : 1. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाए कि पेंशन सम्बन्धी मामले सभी स्तर पर शीघ्र निबटाये जाते हैं।

टिप्पणी : 2. जहाँ तक सरकारी विभागों में मामले के निष्पादन का सम्बन्ध है, उपर्युक्त कंडिका 3 में उल्लिखित रिपोर्ट वित्त विभाग को भेज दी जाये। [***ज्ञापांक 3169 एफ०, दिनांक 12 मार्च, 1953**]

19.

***विषय : पेंशन मामलों का त्वरित निष्पादन।**

उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग तथा मुख्य सचिव द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये निर्देशों के बावजूद अत्यधिक विलम्ब के उदाहरण सरकार के सामने आते रहते हैं। अतः इन सभी निर्देशों को संकलित करना आवश्यक हो गया है जो सुलभ निर्देशिका का काम करे और जिसके पालन से, आशा है भविष्य में पेंशन-मामलों का सत्वर और तत्काल निष्पादन सुनिश्चित हो सकेगा।

2. सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 189 और 190 की शुद्धि-पत्रों और वित्त विभाग के ज्ञापांक 1013/55-2090 एफ०, दिनांक 15 फरवरी, 1956 पर ध्यान देना चाहिए। सभी सरकारी सेवकों को प्रभावशाली ढंग से बता देना चाहिये कि वे अपने निजी हित में अपनी पूर्वानुमानित निवृत्ति की तिथि से एक वर्ष (अब 18 माह) पहले अपनी पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन-पत्र समर्पित कर दें। आवेदन पत्र की प्राप्ति के तुरंत बाद सेवा विवरण, आदि की तैयारी भी आरंभ कर दी जाए।

3. पेंशन की द्रुततर स्वीकृति में विलम्ब इस कारण से होता है कि सम्बद्ध प्राधिकारी बिहार पेंशन नियमावली के नियम 64 के अधीन पेंशन-प्रदायी सेवावधि के सत्यापन और बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित या प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के सम्बन्ध में बाह्य सेवा अंशदान की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं। सभी सम्बद्ध व्यक्तियों का ध्यान वित्त विभाग के ज्ञापांक पी० 4-1013/33-4085, दिनांक 29 मार्च, 1956 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

4. वित्त विभाग के ज्ञापांक पी० 1-1022/55-2566 एफ०, दिनांक 27 फरवरी, 1954 की कंडिका 2 और ज्ञापांक पी० 1-103/55-1694 एफ०, दिनांक 14 फरवरी, 1955 में अन्तर्विष्ट निर्देशों के अनुसार बिहार पेंशन नियमावली के नियम 63 (2) के तहत् पेंशन प्रदायी सेवावधि के सत्यापन के लिये त्वरित कार्रवाई आवश्यक है।

5. महालेखाकार, बिहार के परामर्श से वित्त विभाग द्वारा रचित और वित्त विभाग के ज्ञापांक 15462 एफ०, दिनांक 15 दिसम्बर, 1953 के प्रचारित प्रश्नावली में बताई गई रूपरेखा के अनुरूप प्रत्येक पेंशन मामला पूर्णतः तैयार किया जाना आवश्यक है, और विधिवत् उत्तरित और अग्रसारण पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रश्नावली की एक प्रति, पेंशन कागजात के साथ महालेखाकार, बिहार को भेजा जाना आवश्यक है। महालेखाकार बिहार ने रिपोर्ट भेजी है कि प्रश्नावली की छानबीन पर पता लगा है कि वास्तविक तथ्य सुसंगत प्रश्न के प्रति लिखित उत्तर से बहुधा मेल नहीं खाते और इस वजह से अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है और फलतः पेंशन कागजात के अन्तिमीकरण में देरी होती है। अतः अधिक सावधानी और शुद्धता से प्रश्नावली उत्तरित करना आवश्यक है।

6. लोक निर्माण विभाग के सम्बद्ध कार्यपालक अभियंताओं को, सरकारी सेवक की निवृत्ति से बिल्कुल एक महीना पहले, उनकी निवृत्ति की आसन्न तिथियों की जानकारी देकर गृह-कर, आदि के सबब बकाय

सम्बन्धी प्रतिवेदन के लिए अनुरोध किया जाना आवश्यक है । सरकारी सेवकों को भी, यदि राजपत्रित हों, तो अपने अंतिम वेतन–विपत्र के साथ, और अराजपत्रित हों, तो पेंशन आवेदन–पत्र के साथ सरकारी बाकीदारी के सम्बन्ध में आवश्यक ब्योरे देना चाहिए । सभी का ध्यान वित्त विभाग के ज्ञापांक पी० 1-1920/54-2566 एफ०, दिनांक 27 फरवरी, 1954 की ओर आकर्षित किया जाये ।

7. चूँकि सरकारी सेवकों से इन राशियों (अर्थात् छुट्टी वेतन के वेतन भत्ते के अधिनिर्गम या कबूल की गई या प्रत्यक्ष बकाये जैसे गृह–किराया, पोस्टल जीवन बीमा प्रीमियम, विभिन्न अग्रिमों के बाकी अतिशेष, इत्यादि) को सरकारी सेवक के पेंशन से नहीं वसूला जा सकता, अतः पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन बाकी पड़ी राशियों की ओर सम्बद्ध सरकारी सेवक का अविलम्ब ध्यान जाए ताकि उनका पेंशन मामला इसके चलते नहीं रुके । इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के पत्रांक 6664 एफ०, दिनांक 30 मई, 1951 की कंडिका 3 की ओर ध्यान दिया जाए ।

8. देखने को आया है कि किसी पदाधिकारी से बाकी पड़े मकान–किराया, आदि के सम्बन्ध में पथ और भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंताओं से माँगी गई जानकारी प्रायः काफी देरी से और वह भी बारंबार स्मार–पत्र भेजने के बाद उपलब्ध होती है । अतः लोक निर्माण विभागों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यपालक अभियंताओं को भविष्य में तत्परतापूर्वक जानकारी देने का निर्देश दें ।

9. यह भी देखने को आया है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का पेंशन–अंतिमीकरण में विलम्ब का एक दूसरा कारण यह है कि विहित वेतनमान में उनका वेतन निर्धारण ठीक (नहीं) किया गया है और अंकेक्षण कार्यालय में उस गलती का पता बाद में लगता है जब पेंशन कागजात वहाँ पहुँचते हैं । सेवानिवृत्त हो रहे या होनेवाले अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में अंकेक्षण पदाधिकारी द्वारा इसकी जाँच ठीक समय से कर ली जानी चाहिए, ताकि पेंशन मंजूर करने के साथ विलम्ब न हो ।

10. यह भी देखा गया है कि बहुत सारे मामलों में, पेंशन मामले तैयार करते समय विहित नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता । पेंशन–कागजात के साथ अपेक्षित प्रमाण–पत्र और दस्तावेज भी कुछ में नहीं दिये जाते । स्पष्ट है कि जिन्हें पेंशन मामलों के कार्य सौंपे गए वे या तो पेंशन नियमों से सुपरिचित नहीं है या पूर्वांकित कंडिका 5 में निर्देशित प्रश्नावली में बताई गई रीति से मामला तैयार करने में समुचित सतर्कता नहीं बरतते । अतः सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य को अधिकाधिक सावधानी से करें ।

11. एक ओर पेंशन कागजात में गलतियों से बचने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाना अनिवार्य है तो दूसरी ओर पेंशन मामले के निबटारे के प्रत्येक स्तर पर विलम्ब कम करने का हमेशा प्रयत्न करना है ।

12. पेंशन मामला हमेशा अंकेक्षण कार्यालय को समय पर दिया जाए, ताकि सरकारी सेवक वेतन से पेंशन पर लौटें, जैसा नियम 188 में अनुध्यात है ।

13. सेवा–सत्यापन का कार्य निरंतर हाथ में लिया जाए और सम्बद्ध सरकारी सेवक आवेदन–पत्र की प्रतीक्षा किये बिना काफी पहले सम्पन्न कर लिया जाए ।

14. महालेखाकार, बिहार द्वारा की गई आपत्ति पर तत्परता से काम किया जाए और आपत्ति प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर वे मामले आपत्ति ज्ञापन के साथ अनिवार्य रूप से लौटा दिये जायें ।

15. महालेखाकार, बिहार से सरकारी सेवक को अनुमान्य पेंशन और अनुदान–राशि से संबंधित प्रतिवेदन की प्राप्ति पर पेंशन और अनुदान तुरंत स्वीकृत किये जायें । वित्त विभागीय पत्रांक 6664 एफ०, दिनांक 30 मई, 1951 में अंतर्विष्ट निर्देशों पर भी ध्यान दिया जाए जिनसे पता चलेगा कि सभी मामलों में औपचारिक स्वीकृति दी जानी आवश्यक है ।

16. सभी कार्यालय-प्रधानों/पदाधिकारियों को फिर से यह स्मरण दिलाना है कि यह देखना उनकी जवाबदेही है कि उनके कार्यालयों में पेंशन मामलों का अनावश्यक विलम्ब न हो । समुचित रोकथाम करने और पेंशन मामलों का हर स्तर पर निष्पादन सम्बन्धी विलम्ब से बचने को समर्थ होने के लिए उन्हें चाहिए कि वे अपने कार्यालयों में लम्बित पेंशन मामलों के दो मासिक विवरण मंगवाया करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन मामलों पर समय-समय से सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों और विद्यमान नियमों के अनुसार काम हो रहा है । जहाँ कहीं विलम्ब का पता लगे, उत्तरदायित्व निर्धारण करने और दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों को दंड देने की तुरंत कार्रवाई की जाए ।

17. इस विभाग के ज्ञापांक 1145 और 4728 क्रमश: दिनांकित 28 फरवरी, 1954 और 2 अगस्त, 1955 में यथाविहित मंत्रिमंडल सचिवालय, वित्त विभाग और महालेखाकार बिहार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन और विवरण ठीक निश्चित तिथियों पर प्रस्तुत किये जाने का काम जारी रखा जाए। [***ज्ञापांक लेख/पी० 2-1028/55-8321, दिनांक 21-9-1956]**

20.

***विषय : पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण ।**

महालेखाकार द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि उनके कार्यालय में प्राप्त अधिकतर पेंशन मामले अपूर्ण रहते हैं और सम्बद्ध प्रशासी विभागों द्वारा पेंशन-कागजात के साथ आवश्यक दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किये जाते हैं, फलस्वरूप पेंशन मामले विभाग को लौटाना पड़ता है और इस तरह उनके निबटारे में अनावश्यक विलम्ब होता है।

2. अत: पेंशन-मामलों के त्वरित निबटारे के लिए महालेखाकार, बिहार के परामर्श से निर्णय लिया गया है कि पेंशन कागजात महालेखाकार को (संलग्न) अग्रसारण-पत्र के साथ भेजे जायें तथा पेंशन-कागजात के साथ उस पत्र में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारियाँ भी भेजी जायें। [***ज्ञापांक पेन०-1024/69/ 5060 एफ०, दिनांक 6-1-1969]**

[अग्रसारण पत्र]

सं० .... दिनांक ....

प्रेषक,

....

....

सेवा में,

महालेखाकार, (ए०ई०) II बिहार, पटना 800 001

विषय : श्री .... सेवानिवृत्त .... का पेंशन मामला ।

महाशय,

मैं इसके साथ श्री .... सेवानिवृत्त .... के पेंशन कागजात साथ-साथ निम्नांकित दस्तावेज/जानकारी उनकी पेंशनादि विषयक् हकदारी पर प्रतिवेदन और आवश्यक प्राधिकार के निर्गम के लिए भेज रहा हूँ।

विश्वासभाजन

....

1. पेंशन फारम 4 में समुचित ढंग से भरा हुआ आवेदन-पत्र ।
2. सेवा-पुस्तिका सही ढंग से पूरी की हुई, विशेषकर निम्नांकित जानकारियों के साथ –
   (क) संपुष्टि की तिथि या स्थायी पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि,
   (ख) पेंशन प्रदायी सेवा की प्रथम तिथि का सत्यापन-प्रमाणपत्र और सेवा की अंतिम तिथि,
   (ग) वित्त विभाग द्वारा विधिवत् जाँचा हुआ (पुन: स्थापन वेतनमान में) वेतन निर्धारण विवरण और सेवा पुस्तिका में वेतन-निर्धारण के अनुसार विधिवत् उपांतरित वेतन-स्थिति,
   (ङ) सेवा-विस्तार का आदेश, यदि हो,
   (च) यदि सेवा के अंतिम तीन वर्षों के दौरान उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति हुई है तो उस पर संपुष्टि की तिथि/बतायें कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 151 (एफ) की शर्तें पूरी की गई हैं या नहीं ।
3. क्या निवृत्ति की तिथि तक सेवा निरंतर है ? यदि नहीं, तो टूट की अवधि और कारण बतायें ।
4. उपलब्धियों की औसत पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की गणना का ज्ञापन ।

5. (क) वित्त विभागीय ज्ञापांक 642 एफ०, दिनांक 14-11-1964 में विहित फारम की सामान्य शर्तें के अनुसार पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की स्वीकृति ।
   (ख) यदि पारिवारिक पेंशन है तो वि०वि० ज्ञापांक 1451, दिनांक 19-2-1965 एफ० के अनुलग्नक 3 में स्वीकृति ।
6. वि०वि० पत्रांक 8739 एफ०, दिनांक 13-7-1967 के उपबन्धों के अनुसार मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान (दर और अवधि), बताते हुए औपबन्धिक पेंशन की अदायगी के ब्योरे दर्शित करनेवाला विवरण ।
7. पारिवारिक सदस्यों की जन्मतिथि, सम्बन्ध और विवाहित पुत्रियाँ रहने पर उनकी विवाह-तिथि दर्शाती, कार्यालय प्रधान द्वारा सत्यापित सूची ।
8. (क) विधिवत् अभिप्रमाणित हस्ताक्षर नमूने की दो प्रति ।
   (ख) विधिवत् अभिप्रमाणित बायें हाथ के अंगूठा और अंगुलियों के निशान वाली दो प्रति ।
   (ग) विधिवत् अभिप्रमाणित पत्नी/पति के संयुक्त छाया-चित्र की तीन प्रतियाँ और पेंशन-स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एक प्रति (अन्य मामले में विधिवत् अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट माप के छायाचित्र) ।
9. यदि पेंशन कागजात सेवानिवृत्ति के बाद दिये गये हों, तो अंतिम वेतन-प्रमाण पत्र ।
10. अवयस्क के दावे की स्थिति में, वि०वि० ज्ञापांक 3798 एफ०, दिनांक 17-4-1975 के अनुसार नियुक्त वास्तविक संरक्षक (मुस्लिम कर्मचारी की स्थिति में) प्रतिपूरक बंधपत्र और उपयुक्त प्रतिभू प्राप्त हुए हैं या नहीं ।
11. वि०वि० ज्ञापांक 1451 एफ०, दिनांक 19-3-1965 का अनुलग्नक 2 (पारिवारिक पेंशन की स्थिति में) ।
12. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 193 और वि०वि० अधिसूचना सं० 10629 एफ०, दिनांक 16-9-1964 में यथापेक्षित पेंशनलाभी की घोषणा ।
13. नियम 128 में विहित फारम में अशक्तता प्रमाण-पत्र (यदि अशक्तता पेंशन का दावा है) ।

21.

***विषय : पेंशन मामलों के शीघ्र निष्पादन में विलम्ब के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई ।**

निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन एवं ग्रेच्यूटी के सम्बन्ध में, पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा की जाने वाली अग्रिम कार्रवाई से सम्बन्धित वित्त विभाग के पत्र संख्या 1017-वि०, दिनांक 23 जनवरी, 1974 के प्रसंग में कहना है कि पेंशन मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए सरकार काफी सचेष्ट एवं प्रयत्नशील है । पेंशन मामलों में किसी भी स्तर पर विलम्ब को सरकार बर्दाश्त करना नहीं चाहती है, इसलिए यह आवश्यक है कि वित्त विभाग के उपरोक्त पत्र में निहित आदेश का पूर्णरूप से पालन किया जाये ।

2. इस सम्बन्ध में, विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि सरकारी सेवकों की सूची बनाना, सेवा-पुस्तिका को अद्यतन करना, नये वेतनमान में वेतन का निर्धारण तथा सेवा का सत्यापन करने का कार्य जैसा कि उपरोक्त आदेश में उल्लिखित है सरकारी सेवक की निवृत्ति के 18 माह से 12 माह के पूर्व संपन्न कर लेना अत्यन्त आवश्यक है । साथ ही "नो डिमाण्ड सर्टिफिकेट" पेंशन कागजात की तैयारी से सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्रवाइयाँ सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के 12 माह से 6 माह पूर्व तक सम्पन्न होना भी अत्यन्त आवश्यक है । महालेखाकार, बिहार को पेंशन कागजात भेजते समय वित्त विभाग द्वारा विहित जाँच-पत्र के अनुसार इसकी पूर्णरूप से जाँच कर ली जाये तब ही इसे महालेखाकार, बिहार को भेजा जाये जिससे महालेखाकार, बिहार कार्यालय द्वारा कोई आपत्ति करने की गुंजाइश ही नहीं रहे । वित्त विभाग के उपरोक्त आदेश में यह निश्चित रूप से निदेशित है कि अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में पहले नियमानुसार 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्यूटी की स्वीकृति देकर ही पेंशन कागजात महालेखाकार, बिहार को भेजे जायें । अत: इसका पालन यथेष्ट सतर्कता के साथ किया जाये । औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्यूटी की स्वीकृति एवं सेवा-पुस्त में उसकी प्रविष्टि वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 4163, दिनांक 7 मई, 1974 में निर्धारित प्रपत्र में की जाये ।

3. वित्त विभाग में प्राप्त लम्बित पेंशन मामलों के त्रैमासिक प्रतिवेदनों को देखने से ज्ञात होता है कि बहुत से निवृत्ति प्राप्त सरकारी सेवकों के मामले में बिना औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी को नियमानुसार स्वीकृति दिये ही पेंशन कागजात महालेखाकार, बिहार को भेज दिये जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को औपबन्धिक पेंशन या अन्तिम पेंशन का भुगतान नहीं हो पाता है जिससे उन्हें अवर्णनीय कष्टों को सहना पड़ता है। इस सम्बन्ध में, मुझे यह कहना है कि इस प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिये एवं प्रत्येक अराजपत्रित सरकारी सेवक के पेंशन मामलों में औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी स्वीकृत करने के बाद ही महालेखाकार, बिहार को पेंशन कागजात भेजे जायें। इस नियम एवं प्रक्रिया की अवहेलना एक गम्भीर अनियमितता समझी जायेगी एवं भविष्य में, इसके लिये उत्तरदायी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी जायेगी।

4. वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या 1436-वि०, दिनांक 15 फरवरी, 1974 के अनुसार सरकार ने मृत अराजपत्रित सरकारी सेवक के परिवार को भी 2 वर्षों के लिए 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी औपबन्धिक रूप से भुगतान करने का आदेश दिया है। अतः पारिवारिक पेंशन के कागजात महालेखाकार, बिहार को भेजने के पूर्व ऐसे मृत सरकारी सेवकों के परिवार को दो वर्ष के लिये औपबन्धिक रूप से 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन एवं 75 प्रतिशत ग्रेच्युटी की स्वीकृति दे दी जाये। औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी की स्वीकृति एवं सेवा-पुस्त में उसकी प्रविष्टि वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 4063, दिनांक 7 मई, 1974 में निर्धारित प्रपत्र में की जाये। इस आदेश की अवहेलना को भी घोर अनियमितता समझा जायेगा। अतः ऐसे मामलों में भी अनियमितता की कृपया पूर्णरूप से जाँच करें तथा उत्तरदायी सरकारी सेवक के विरुद्ध कण्डिका 3 में बतायी गयी कार्रवाई की जाये।

5. बहुधा यह पाया जाता है कि महालेखाकार, बिहार द्वारा पेंशन मामलों में की गई आपत्तियों का निराकरण करने में कार्यालयों द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जाता है। अतः निदेश दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के मामले में आपत्तियों के निराकरण कर एक माह के अन्दर महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में लौटाने की पूर्ण जिम्मेवारी उस विभाग/कार्यालय की होगी जहाँ महालेखाकार, बिहार, पटना के द्वारा पेंशन कागजात लौटाये जाते हैं। इस समय सीमा (टाइम लिमिट) का अनुपालन कड़ाई से होना चाहिए।

6. संक्षेप में, किसी भी हालत में पेंशन मामलों के निष्पादन में विलम्ब नहीं होना चाहिये, परन्तु राज्य सरकार के स्पष्ट निदेश के बावजूद भी यदि कोई भी सरकारी सेवक पेंशन मामलों के विस्तार में अहेतुक विलम्ब करते हैं तो उन पर तुरन्त विभागीय कार्यवाही की जाये एवं यदि आवश्यक हो तो उनको सेवा से निलम्बित भी कर दिया जाये। परन्तु, सरकार को यह आशा है कि पेंशनर की दयनीय स्थिति देखते हुए प्रत्येक सरकारी सेवक, पेंशन मामले के तुरन्त निस्तार के लिए यथा साध्य प्रयास करेंगे एवं सामान्यतः कथित कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी, सरकार का आदेश से आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया जाये, ताकि इस विलम्ब के परिणाम के सम्बन्ध में कुछ भी गलतफहमी नहीं रह जाये। **[*वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या 11-1-04/4-5232 वि०, दिनांक 23-5-1974]**

22.

***विषय : पेंशन/उपदान मामलों के निष्पादन में विलम्ब।**

मुख्य सचिव के ज्ञापांक एम०टी०जी० 120/53-ए०सी०एस०–1145, दिनांक 25 फरवरी, 1954 का निर्देश करते हुए कहना है कि महालेखाकार, बिहार ने बताया है कि उक्त ज्ञाप के निर्देशों में विहित सर्वथा अनुकूल ढंग से लम्बित पेंशन और उपदान मामलों के त्रैमासिक प्रतिवेदन उन्हें नहीं दिये जा रहे हैं। सूचियों में प्रायः उन मामलों को भी अंतर्विष्ट कर दिया जाता है जो उस वक्त अधीनस्थ कार्यालयों में निर्माणाधीन रहते हैं और महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजे गये हैं। और भी, महालेखाकार, बिहार को भेजी गई सूचियों में पेंशन–मामलों की नवीनतम स्थिति नहीं दिखाई जाती साथ ही, उनमें उन मामलों को भी उनके ही कार्यालय में लम्बित दिखा दिया जाता है जिनमें पेंशन सम्बन्धी स्वत्व की रिपोर्ट की जा चुकी है।

2. अतः अनुरोध है कि अब से लम्बित पड़े पेंशन और उपदान मामलों की सूची उपर्युक्त मुख्य सचिव के ज्ञाप में दिये गये निर्देशों के सर्वथा अनुसार ही बनाई जाए और उसमें केवल वे ही मामले दर्शित किये जायें जो महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजे गये और वहाँ लम्बित हैं। महालेखाकार, बिहार को उनके कार्यालय में लम्बित पड़े मामलों में तत्पर कार्रवाई करने को समर्थ बनाने के लिए, अनुरोध है कि अब से विवरणिकायें तीन

श्रेणियों में तीन अलग-अलग पन्नों पर – प्रत्येक श्रेणी के लिए एक अलग पन्ना, नीचे दर्शाए गए अनुसार तैयार की जाये –

(1) मामले जिनमें महालेखाकार, बिहार द्वारा प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट नहीं निर्गत किये गए हैं ।

(2) मामले जिनमें प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट निर्गत किये गए हैं और स्वीकृति प्रदान की गई है, किन्तु जो भुगतान प्रमाण-पत्र के निर्गम के लिए महालेखाकार, बिहार के कार्यालय में लम्बित है ।

(3) मामले जिनमें वेतन-निर्धारण के लिए पत्राचार चल रहा है ।

3. पुनः अनुरोध है कि महालेखाकार, बिहार के पास ऐसा विवरण दो प्रतियों में भेजा जाए जिसके दाहिने उपान्त में महालेखाकार, बिहार के कार्यालय द्वारा अभ्युक्तियाँ लिखने को पर्याप्त स्थान हो, तथा जिनमें से एक प्रति विभाग को लौटाया जा सके । यह उनके कार्यालय को विवरण की दूसरी प्रति पर कार्रवाई नोट करके उसे तत्परता से लौटाने को समर्थ करेगा । इस पद्धति से सब ओर पत्राचार करने में कमी आयेगी ।

4. इन श्रेणियों में से किसी एक में आने वाले मामले निम्नांकित फारम में वर्णित किये जा सकेंगे –

पेंशनलाभी का नाम और पदनाम	पत्र की संख्या और तिथि और प्राधिकारी जिसने भेजा	निवृत्ति या मृत्यु की तिथि	महालेखाकार, बिहार द्वारा की गई कार्रवाई

5. अनुरोध है कि जानकारी और मार्गदर्शन के लिए इन विस्तृत निर्देशों को प्रत्येक विभाग के प्रशासी नियंत्रणाधीन सभी अध्यक्षालयों, प्रवृत्ति को संसूचित कर दिया जाये, साथ ही उन्हें जोर देकर बता दिया जाए कि इनका कठोरता और सावधानी से अनुपालन आवश्यक है ।

6. महालेखाकार, बिहार को भेजे गए विवरण और मुख्य सचिव के पत्र सं० एम०टी०जी० 120/53-ए०सी०एस०–1145, दिनांक 25 फरवरी, 1954 की कंडिका 2 में उल्लिखित अन्य लम्बित पेंशन/उपदान मामलों के विवरण की प्रतियाँ वित्त विभाग और नियुक्ति विभाग (मंत्रिमंडल प्रशाखा) को प्रायिक तौर से भेजी जायें । **[*ज्ञापांक ए०सी०एस०/पी० 2-1013/55–4728, दिनांक 2-8-1955]**

23.

***विषय : सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ ससमय भुगतान करने के सम्बन्ध में ।**

ऐसा देखा गया है कि प्रशासी विभागों द्वारा ससमय कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण राज्य के सरकारी सेवकों को उनकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी काफी समय तक उनके पेंशन, ग्रेच्यूटी, ग्रुप बीमा आदि का भुगतान नहीं किया जाता है । पिछली हड़ताल में भी विभिन्न कर्मचारी संघों ने इस कठिनाई की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था ।

2. ऐसी परिस्थितियों में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने जायज दावों के लिए भी काफी दौड़-धूप करनी पड़ती है । इससे एक ओर तो सरकारी कर्मचारियों में क्षोभ की भावना उत्पन्न होती है एवं दूसरी ओर सरकारी कार्यों की दक्षता पर से भी विश्वास घटने लगता है जिससे सरकार की छवि धूमिल होती है । दिनांक 9-2-1992 को राज्य सरकार एवं शिक्षक पदाधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के साथ एक समझौता भी हुआ था जिसमें सरकार इस मुद्दे पर सिद्धान्ततः सहमत हुई थी ।

3. अतः प्रयास यह किया जाना चाहिए कि सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व से ही आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाये, ताकि सरकारी कर्मचारियों को ससमय सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान किया जा सके । यदि सभी प्रशासी विभागों एवं कार्यालयों द्वारा रुचि लेकर एवं अपनी आवश्यक जिम्मेदारी समझते हुए कार्रवाई की जाये तो कोई कारण नहीं है कि सेवानिवृत्ति का लाभ सरकारी कर्मचारियों को ससमय प्राप्त नहीं हो जाये ।

4. सरकार की यह दृढ़ मंशा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्यूटी, ग्रुप बीमा, भविष्य निधि आदि का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि को ही दिया जाना चाहिए । इसके लिए सभी प्रशासी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों के प्रधानों द्वारा आवश्यक कार्रवाई निश्चित रूप से की जानी चाहिए ताकि इसका अनुपालन हो सके ।

5. इसके लिए निदेशित किया जाता है कि सभी विभागीय सचिव, सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रधान प्रत्येक तीन माह पर अपने यहाँ से सभी मामलों की समीक्षा निश्चित रूप से करेंगे। समीक्षा के क्रम में सेवानिवृत्ति के उपरान्त दिये जाने वाले लाभों के सम्बन्ध में जो भी कठिनाई पायी जा रही है या जो भी अग्रिम कार्रवाई अपेक्षित है, उनका निराकरण एवं समाधान किया जाए। त्रैमासिक समीक्षा का प्रतिवेदन मुख्य सचिव कोषांग एवं वित्त विभाग को भी प्रेषित किया जाए। [*पत्र संख्या पी०आर०ई०-1- 04/92–1922 वि०, दिनांक 31-3-1992]

24.

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के तहत् पेंशन एवं उपदान की स्वीकृति हेतु सरकार के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में अधोहस्ताक्षरी को इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद पेंशन एवं उपदान स्वीकृत नहीं होने तथा कतिपय अन्य कारणों से इसकी अन्तिम स्वीकृति में विलम्ब होने पर न्यायालय में मुकदमा दायर करते हैं। यह एक ठोस यथार्थ है कि ऐसे मामलों में प्रासंगिक नियमों के पक्ष में होने के बावजूद राज्य सरकार की हार इसलिए हो जाती है कि मुकदमों में प्रशासी विभाग द्वारा या तो ससमय प्रतिशपथ-पत्र दायर नहीं किया जाता है अथवा प्रतिशपथ-पत्र बिना वित्त विभाग को दिखाये हुए ही दायर कर दिया जाता है, जिसमें नियम की सही वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। अपील दायर करने की कार्रवाई भी त्वरित गति से नहीं की जाती है। उक्त सभी स्थितियाँ अवांछित है, क्योंकि हर हालत में इसका फलाफल होता है कि राज्य सरकार को पेंशन एवं उपदान की राशि के अलावे ब्याज का भुगतान करने को विवश होना पड़ता है।

2. अतः अनुरोध है कि राज्य सरकार के विरुद्ध दायर किये गए पेंशन सम्बन्धी सभी मामलों में वांछित कार्रवाई सही समय पर करने, ससमय प्रतिशपथ-पत्र दायर करने एवं दायर करने के पूर्व उसे वित्त विभाग से अनिवार्यतः दिखा लेने की व्यवस्था कृपया अपने स्तर पर सुनिश्चित की जाये। इसे कारगर एवं अचूक बनाने के लिए प्रत्येक विभाग अपने यहाँ संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के एक पदाधिकारी को उनके सामान्य कार्यों के अतिरिक्त ऐसे मुकदमों में कार्रवाई करने के लिए भी उत्तरदायी बनाया जाये और ऐसे पदाधिकारी के नाम एवं पदनाम की सूचना कृपया वित्त विभाग को अवश्य दी जाये। इसे कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। [*ज्ञाप सं० पी०सी० 1-2-25/90/1554, दिनांक 23-2-1991]

25.

***विषय : पेंशन सम्बन्धी विषयों का त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि आप सभी को सम्बोधित महालेखाकार, बिहार के पत्रांक पेंशन-1-जी०–223, दिनांक 17-6-1996 में आपलोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि पटना उच्च न्यायालय ने पेंशन कागजातों के अग्रसारण हेतु विभागीय स्तर पर दो माह की समय-सीमा तथा महालेखाकार के लिए एक माह की समय-सीमा निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त एक चेकस्लीप भी निर्धारित की गई है तथा 31-12-1996 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूचना भी माँगी गई है।

2. महालेखाकार के द्वारा यह भी सूचना दी गई है अनेक मामलों में सम्बन्धित विभागों द्वारा सेवानिवृत्त/मृत्यु से प्रभावित कर्मियों के सम्बन्ध में (छः) माह की अवधि के बाद भी प्रसंगाधीन कागजातों को प्रेषित नहीं किया जाता है अथवा सम्बन्धित कागजात नियमों के अनुरूप तैयार नहीं किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप त्रुटियों के निराकरण में लम्बा समय निकल जाता है और प्राधिकार-प्रपत्र निर्गत करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

3. मुख्य सचिव द्वारा परिपत्र संख्या 24, दिनांक 4-1-1996 के द्वारा पेंशन सम्बन्धी विषयों के त्वरित निष्पादन हेतु यथोचित निर्देश निर्गत किए गए हैं। फिर भी, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों के निष्पादन में अपेक्षित तत्परता की कमी के कारण आए दिन सरकार को आलोचना एवं न्यायिक कार्यवाहियों का सामना करना पड़ता है।

4. अतः अनुरोध है कि महालेखाकार के उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र में निहित मार्गदर्शन का अनुसरण कर मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों से सम्बन्धित विषयों पर त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही, यह अनुरोध भी है कि प्रत्येक 6 (छः) माह में सेवानिवृत्त होने वाले सेवकों के सम्बन्ध में संलग्न प्रपत्र में सूचना महालेखाकार एवं वित्त विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाये।

सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सूचना

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम	पद एवं वेतनमान	वेतन	जन्म तिथि	सरकारी सेवा में पद-ग्रहण की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	कार्यालय का नाम एवं पता जहाँ से सेवानिवृत्त होनेवाले हैं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[*पत्र संख्या पी०सी०-1-मिस०-37/96/10361-वि०, दिनांक 12-9-1996]

26.

***विषय : पेंशन के पुनरीक्षण समेकन के फलस्वरूप उत्पन्न विसंगति का निराकरण ।**

राज्य सरकार को इस तथ्य की जानकारी मिली है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1853/वि० एवं संकल्प संख्या 1854/वि०, दिनांक 19-4-1990 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य के पेंशनभोगियों को पेंशन को पुनरीक्षित/समेकित करने के दौरान कतिपय मामलों में यह विसंगति उत्पन्न हुई कि पेंशन की नई नीति के तहत् पेंशन एवं महँगाई राहत के मद में आदेय कुछ राशि "स्लैब पद्धति" के अन्तर्गत पेंशन एवं महँगाई राहत के मद में अनुमान्य कुल राशि से कम हो जा रही है और पेंशनभोगी लाभान्वित होने के बजाय पेंशन में ह्रास के शिकार हो रहे हैं । उक्त विसंगति के निराकरण का प्रश्न कुछ दिन पूर्व से सरकार के विचाराधीन था ।

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अब यह निर्णय लिया गया है कि जिन पेंशनभोगियों के मामले में सरकार द्वारा प्रतिपादित पुनरीक्षित पेंशननीति के तहत् महालेखाकार, बिहार द्वारा पुनरीक्षित समेकित पेंशन के भुगतान हेतु पेंशन भुगतान आदेश निर्गत किया गया है और इसके आधार पर जिनको पेंशन में ह्रास हो रहा है, उन्हें यह वरणाधिकार (Option) प्राप्त होगा कि वे दिनांक 1-3-1989 के बाद की किसी भी अवधि के लिए पूर्व में प्रचलित "स्लैब पद्धति" के अन्तर्गत अपनी पेंशन एवं राहत का भुगतान प्राप्त करें, यदि वह तुलनात्मक दृष्टि से अधिक लाभप्रद हो और उसके बाद ऐसे पेंशनभोगी पुनरीक्षित पेंशन स्कीम के अन्तर्गत अपनी पेंशन की निकासी करने के अधिकारी हो जाएँगे, जब प्रचलित नीति के तहत् अनुमान्य राशि के चलते इन्हें आर्थिक क्षति नहीं होता हो । इसके लिए इस कोटि के प्रत्येक पेंशनभोगी को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1853/वि०, दिनांक 19-4-1990 की कंडिका (16.1) के अन्तर्गत इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से छः माह के अन्दर अपना लिखित विकल्प संलग्न प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं पेंशन भुगतान करने वाले प्राधिकारों यथा सम्बन्धित बैंक/कोषागार/ उप-कोषागार को प्रस्तुत करना होगा । इस व्यवस्था के तहत् भुगतान करने हेतु महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी । वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1853/वि०, दिनांक 19-4-1990 की कंडिका (6.1) में निहित प्रावधानों के विनियोग (Scope of application) को उक्त हद तक विस्तारित/संशोधित समझा जाये । एक बार दिया गया विकल्प सदा के लिये निर्णायक एवं अपरिवर्तनीय होगा ।

3. महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि अन्य राज्यों में रहते हुए अपनी पेंशन का भुगतान लेने वाले इस राज्य के पेंशनधारकों को भी इस आदेश के अनुसार सुविधा सुलभ कराने हेतु अन्य राज्यों के महालेखाकार को इस आदेश से यथाशीघ्र अवगत करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और इसकी सूचना इस विभाग को भी दें । कोषागार/उप-कोषागार/सम्बन्धित बैंक के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि सम्बन्धित पेंशनभोगी से लिखित विकल्प पाते ही उनके विकल्प के आधार पर भुगतान करना शुरू कर दें । [***संकल्प संख्या 6230 वि०, दिनांक 23-8-1991**]

27.

***विषय : सेवानिवृत्ति के बाद के पति/पत्नी (Post-retiral Spouses) को पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के सम्बन्ध में ।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में अधोहस्ताक्षरी को यह कहना है कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 9505 वि०, दिनांक 3-9-1964 की कंडिका 7 (ii) की टिप्पणी (2) के अनुसार सेवानिृत्ति के उपरान्त शादी

होने पर ऐसे पति/पत्नी को एतद् सम्बन्धी भारत सरकार के नियम के अनुरूप पारिवारिक पेंशन अनुमान्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के ज्ञाप संख्या 1/87/89 पी० एण्ड पी०डब्लू० (सी०), दिनांक 30-10-1990 के द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया है कि अब सेवानिवृत्ति के बाद शादी होने पर ऐसे पति/पत्नी को भी पारिवारिक पेंशन सुलभ कराया गया है।

2. भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 9505/वि०, दिनांक 3-10-1964 की कंडिका 7 (ii) की टिप्पणी (2) को विलोपित करते हुए निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद बने पति/पत्नी को परिवार पेंशन योजना, 1964 में शामिल करते हुए पेंशनभोगी की मृत्यु के उपरान्त पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जाये।

3. सेवानिवृत्ति के पश्चात् हुए विवाह से उत्पन्न संतान भी पारिवारिक पेंशन की सुविधा के पात्र होंगे। ऐसे संतानों में यदि कोई विकलांग हो, अथवा शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण जीविकोपार्जन में असमर्थ हो तो वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 1884 वि०, दिनांक 29-3-1975 में निहित शर्तों के अनुसार आजीवन पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा।

4. उपर्युक्त निर्णय निर्गम की तिथि से प्रभावी होगा, परन्तु पूर्व में सेवानिवृत्त इस कोटि के पति/पत्नी में से पात्र पति अथवा पत्नी प्रभाव की तिथि को जीवित हो, तो उन्हें भी पारिवारिक पेंशन देय होगा। प्रभाव की तिथि के पश्चात् मृत पात्र पति-पत्नी के वैध उत्तराधिकारी भी मात्र पति-पत्नी की मृत्यु की तिथि तक के बकाया के हकदार होंगे। [***वि०वि० ज्ञाप संख्या पी०सी०-1-मिस०-32/90/9961 वि०, दिनांक 3-9-1996**]

28.

***विषय : 31-3-1979 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों को उदारीकृत पेंशन फार्मूला का लाभ दिया जाना।**

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्रांक पेन०-1-1343, दिनांक 20-11-1986 के प्रसंग में कहना है कि 31-3-1979 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों के मामले में वास्तविक गणना के अनुसार पेंशन के पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया पर विचार किया गया एवं सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया –

(i) राजपत्रित पदाधिकारी वास्तविक गणना के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने नाम के साथ अपने सेवानिवृत्ति के समय का पदनाम एवं जिस कार्यालय एवं जिलों से वे सेवानिवृत्त हुए थे, उसका उल्लेख आवेदन में करेंगे।

(ii) जहाँ पेंशन के सेवा-अभिलेख के प्रसंग में वास्तविक गणना के आधार पर पेंशन का पुनरीक्षण चाहेंगे, वैसे मामले को पेंशनर विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र कार्यालय प्रधान को देंगे, जहाँ से वे सेवानिवृत्त हुए थे, सीधे कोषागार पदाधिकारी को समर्पित नहीं करेंगे।

(iii) सम्बन्धित कार्यालय प्रधान पेंशनर से प्राप्त आवेदन को कोषागार पदाधिकारी (जहाँ से पेंशन निकासी होती है) के पास सेवा-पुस्त/सेवा-अभिलेख के साथ भेजेंगे। यदि सेवा-पुस्त एवं सेवा-अभिलेख, कार्यालय प्रधान के पास उपलब्ध नहीं हो, तो वैसे मामले में कार्यालय प्रधान एक प्रमाण-पत्र देंगे जिसमें पेंशनर की जन्मतिथि पेंशन प्रदायी सेवा प्रारम्भ की तिथि, सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने की तिथि एवं सेवानिवृत्ति के पूर्व 10 माह में प्राप्त वेतन का उल्लेख हो एवं जो कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख से जाँच लिया गया हो।

(iv) सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी द्वारा आवेदन में प्रविष्टियों की जाँच कर आवेदन-पत्र को सेवा-पुस्ति/सेवा-अभिलेख के साथ महालेखाकार को अग्रसारित किया जायेगा।

(2) उपरोक्त प्रक्रिया की कंडिका ii, iii, एवं iv अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए एवं वैसे राजपत्रित पदाधिकारी जिनके वेतन एवं भत्ते की निकासी कार्यालय प्रधान द्वारा स्थापना विपत्र में की जाती है के मामले में लागू होगा। वैसे राजपत्रित पदाधिकारी जिनका सेवा-अभिलेख महालेखाकार द्वारा रखा जाता है, वे अपना आवेदन-पत्र सीधे कोषागार पदाधिकारी को भेजेंगे जो उसे महालेखाकार को आवश्यक कार्रवाई के बाद अग्रसारित करेंगे। [***वित्त विभाग, पत्र संख्या 421 वि०, दिनांक 6-3-1987**]

29.

***विषय : चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में पेंशनरी लाभ।**

चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि जो भी सरकारी सेवक 10 वर्ष की पेंशन-प्रदायी सेवा के पूर्व स्थायी रूप से लोक सेवा के अथवा विशिष्ट सरकारी सेवा (पार्टिकुलर जॉब) के लिए शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असमर्थ हों, उन्हें असमर्थता पेंशन जो पारिवारिक पेंशन की अनुमान्य राशि से कम हो, बिहार पेंशन नियमावली के सुसंगत नियमों के अनुसार स्वीकृत किया जाये।

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जो सरकारी सेवक 10 वर्ष सेवा-अवधि के पूर्व ही स्थायी रूप से लोक सेवा के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जायें, उन्हें असमर्थता पेंशन स्वीकृत किया जाये। असमर्थता पेंशन की राशि किसी भी परिस्थिति में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6796 वि०, दिनांक 15-7-1975 की कंडिका (सी) में अंकित प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक पेंशन योजना के अधीन अनुमान्य पेंशन की राशि से कम नहीं होगी। यह पेंशनरी लाभ उन सरकारी सेवकों को अनुमान्य होगा जो दिनांक 1-1-1981 को या उनके पश्चात् असमर्थ हो गये हों या होंगे।

3. वित्त विभाग की संकल्प संख्या 6667 वि०, दिनांक 20-7-1973 के प्रावधानों के अधीन किसी निम्नतर पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहा कोई सरकारी सेवक को यदि उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत किया जाता है, तो वह जिस पद पर प्रोन्नत किया जाता है, उस पद पर कम वेतन पाता है, जब तक कि वह निम्नतर स्थानापन्न पद और उच्चतर स्थानापन्न पद दोनों मिलाकर तीन वर्षों की सेवा पूरी नहीं कर लेता है।

4. चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि उपर्युक्त संकल्प एवं बिहार सेवा संहिता के उक्त प्रावधान में निहित समय-सीमा की शर्त्त को समाप्त किया जाये, ताकि जो कर्मचारी अपनी सेवा-निवृत्ति के ठीक तीन वर्ष पूर्व स्थानापन्न रूप से उच्चतर पद पर प्रोन्नत किये जाते हैं, उन्हें अपने निम्नतर पद पर प्राप्त स्थानापन्न वेतन के आधार पर उच्चतर पद पर वेतन निर्धारित किया जाये, ताकि उन्हें पेंशन में घाटा नहीं हो।

5. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त कंडिका 4 से सम्बन्धित कर्मचारियों के पेंशन की गणना हेतु इस प्रकार परिकल्पित उपलब्धि मानी जाये, जिससे कंडिका 3 में निर्देशित वित्त विभागीय संकल्प में अपेक्षित तीन वर्षों की सेवा पूरी करने सम्बन्धी शर्त्त नहीं पूरी होने के कारण पेंशन में कोई घाटा नहीं हो। यह 1-10-1982 या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रभावी होगा।

6. पेंशन नियमावली तथा पत्र संख्या 6667 वि०, दिनांक 20-7-1973 एवं बिहार सेवा संहिता के संगत उपबन्ध तद्नुसार संशोधित समझे जायेंगे। [***संकल्प संख्या 1376 वि०, दिनांक 17-2-1983**]

30.

***विषय : केन्द्र/अन्य राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा हेतु पेंशन एवं उपदान के भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण।**

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार मुझे कहना है कि कई बार केन्द्र/ अन्य राज्य के सरकारी कर्मचारी कुछ अवधि तक वहाँ सेवा करने के बाद नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप राज्य सरकार की सेवा में सदा के लिए आ जाते हैं अथवा राज्य सरकार के ही कर्मचारी कुछ अवधि के लिए सेवा करने के बाद केन्द्र/अन्य राज्य सरकार के अधीन सदा के लिए चले जाते हैं। ऐसे मामले में प्रचलित व्यवस्था के तहत् समानुपातिक पेंशन के भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। इधर हाल में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक 14 (5)/86 टी०ए० 1029, दिनांक 9-10-1986 की कंडिका 2 (बी) में वित्तीय व्यय का वहन केन्द्र अथवा उन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा जिनके अधीन सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कार्यरत् रहे हों।

2. उक्त निर्णय के सन्दर्भ में वैसे मामले में वित्त विभाग की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है, जिनके द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारी कुछ समय तक यहाँ सेवा करने के बाद नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र/अन्य राज्य सरकार के अधीन सदा के लिए चले जाते हैं एवं वहीं से सेवानिवृत्त भी होते हैं और राज्य सरकार के अधीन उनके द्वारा की गई सेवा को पेंशन एवं उपदान की गणना हेतु अर्हक सेवा के रूप में परिगणित करने का प्रस्ताव हो, क्योंकि ऐसे मामलों में भारत सरकार के निर्णयानुसार राज्य सरकार को कोई वित्तीय व्यय वहन

नहीं करना है। ऐसे मामलों में सम्बद्ध विभाग को उनकी सेवा अवधि के सत्यापनार्थ एवं प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता है और इसमें अन्य तथ्यों के अतिरिक्त इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख रहना अनिवार्य है कि राज्य सरकार की सेवा छोड़ते समय पेंशनरी लाभ के मद में कुछ भुगतान हुआ है या नहीं।

3. फिर भी वैसे मामलों में वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य होगी जिनमें भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार के कर्मचारी कुछ दिनों की सेवा के बाद इस राज्य सरकार की सेवा में आ गए हों। उनकी पूर्व सेवा को पेंशन के लिए परिगणित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। [***पत्र संख्या पी०सी० 2-01-11/89/ 1399 वि०, दिनांक 19-3-1990]**

31.

***विषय : वित्त विभागीय संख्या 6796/वि०, दिनांक 15-7-1975 में निहित उदारीकृत पेंशन का फार्मूला का लाभ दिनांक 1-1-1973 के पूर्व सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सुलभ कराने के सम्बन्ध में।**

राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6796/वि०, दिनांक 15 जुलाई, 1975 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1973 से अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के पेंशन और उपदान की गणना में संशोधन कर पेंशन प्रदायी सेवा अवधि को छमाही तथा उपदान की अधिसीमा उपलब्धियों का 16½ गुणा किया गया था।

2. माननीय पटना उच्च न्यायालय ने समादेश याचिका सी०डब्लू०जे०सी०–1032/1993 में यह अभिमत व्यक्त किया है कि वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प की कंडिका (2) में निहित अपच्छेद की तिथि 1-1-1973 असंवैधानिक है जो पेंशनभोगियों के बीच एक कृत्रिम विभेद की स्थिति उत्पन्न करता है तथा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि उक्त अपच्छेदन की तिथि को समाप्त करते हुए उपर्युक्त संकल्प में निहित सभी लाभ 1 जनवरी, 1973 के पूर्व सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए भी विस्तारित की जाये।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प संख्या 6796/वि०, दिनांक 15-7-1975 की कंडिका (2) में निहित अपच्छेदन की तिथि 1-1-1973 को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर, यथा संकल्प संख्या 7112 वि०, दिनांक 4-9-1979, संख्या 1618, दिनांक 6-5-1986 एवं संख्या 1854-वि०, दिनांक 19-4-1990 के माध्यम से निर्गत आदेशों के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति/वार्द्धक्य/क्षतिपूरक/असमर्थता पेंशनभोगियों के पुनर्निर्धारित, पुनरीक्षित और समेकित पेंशन पर, यथास्थिति, पेंशन में अस्थायी वृद्धि एवं महँगाई राहत का लाभ भी प्राप्त हो सके।

4. महालेखाकार, बिहार इस संकल्प में निहित संशोधन के आधार पर पुनर्गणना कर पेंशनभोगियों के पेंशन/पुनरीक्षित पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र यथाशीघ्र निर्गत करेंगे। पेंशनभोगियों को पूर्व में अस्थाई वृद्धि और महँगाई राहत के मद में भुगतान की गई राशि के सामंजन के पश्चात् ही बकाया राशि का भुगतान महालेखाकार से प्राप्त प्राधिकार के आधार पर संबंधित कोषागार/उपकोषागार/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा एकमुस्त में किया जायेगा।

5. वैसे पेंशनभोगी जो 1 जनवरी, 1973 को जीवित थे, परन्तु बाद में उनकी मृत्यु हो गई, वैध उत्तराधिकारी पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि तक के बकाया राशि पाने के हकदार होंगे। [***वित्त विभाग, सं० 10731 वि०, दिनांक 18-9-1996]**

32.

स्लैब पद्धति से पेंशन गणना की सुविधा

***विषय : तिथि 31-3-1979 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों की स्लैब पद्धति से पेंशन गणना की सुविधा।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1618, दिनांक 6-5-1986 की कण्डिका 3 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह स्पष्ट करना है कि पुनरीक्षित पेंशन का लाभ तिथि 1-4-1979 से दी गई है, परन्तु पुनरीक्षित पेंशन पर अस्थायी वृद्धि एवं राहत को पुनरीक्षित करने की सुविधा प्रदान नहीं की गयी है। कहने का तात्पर्य यह है कि बढ़े हुए दर पर पेंशन एवं राहत का लाभ 1-1-1986 से मिलेगा।

राज्य सरकार ने पेंशनरों को 1-5-1985, 1-8-1985 एवं 1-11-1985 के प्रभाव से पेंशन में राहत की दर में वृद्धि की है । यह राहत इस कोटि के पेंशनरों को अपुनरीक्षित पेंशनर (पुराने दर पर प्राप्त पेंशन) पर देय होगा । कृपया तदनुसार भुगतान की व्यवस्था करें । [*ज्ञाप सं० 392 वि०, दिनांक 4-3-1987]

33.

***विषय : लापता सरकारी सेवक/पेंशनर के आश्रितों को सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति की नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण ।**

.... निदेशानुसार यह कहना है कि सरकार के समक्ष सेवानिवृत्ति लाभ यथा-पारिवारिक पेंशन एवं उपदान आदि के भुगतान के लिए ऐसे मामले यदाकदा आते रहे हैं जिनमें सरकारी सेवक/पेंशनभोगी अचानक गायब हो गये हैं अथवा जिनका कुछ पता ही नहीं चलता है । ऐसे मामले में सम्प्रति व्यक्तिगत गुण-दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जाता है । सामान्य स्थिति में लापता होने की तिथि से सात वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् ही उन व्यक्तियों को मृत समझा जाता है और तभी सेवानिवृत्ति लाभ देने का प्रश्न उठता है । यह सिद्धान्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 108 पर आधारित है, जिसमें यह प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति के जीवित होने या मृत होने के प्रश्न पर निर्णय लेने हों और यह प्रमाणित किया जाता है कि उसके जीवित रहने की दशा में जिन लोगों से नैसर्गिक तौर पर उस लापता सरकारी सेवक/पेंशनभोगी के विषय में सुनने-जानने की उम्मीद की जा सकती है उन लोगों ने भी विगत सात वर्षों में कुछ नहीं सुना है, तो उसके जीवित रहने का प्रमाणित करने का दायित्व उन पर चला जाता है, जो ऐसा दावा करते हैं ।

2. सरकार के समक्ष यह प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन था कि सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं करने से उक्त कोटि के सरकारी सेवक/पेंशनभोगी के आश्रित परिवार को गंभीर आर्थिक संकट उठाना पड़ता है और नियमानुमोदित लाभ की स्वीकृति में अत्यधिक समय भी लगता है । सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा ऐसे मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया एवं शर्त्तों का अनुपालन करते हुए वैसे सरकारी सेवक/पेंशनर के आश्रित परिवार को निवृत्ति लाभ की स्वीकृति हेतु प्रशासी विभाग को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया है –

(i) यदि सम्बन्धित सरकारी पेंशनर के आश्रित परिवार द्वारा निकटवर्ती थाने में उसके लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई हो और पुलिस थाने में उसके लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई हो और पुलिस प्रतिवेदन से यह प्रमाणित होता हो कि सभी संभव प्रयास एवं खोजबीन के बावजूद उसके लापता होने की बात सही है, तो सर्वप्रथम सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में दिये गये नामांकन-पत्र के आधार पर उसके आश्रित परिवार को बकाये वेतन, भविष्य निधि खाते में संचित राशि और अव्यवहृत छुट्टी के बदले में छुट्टी वेतन के समतुल्य नगद राशि का भुगतान तुरन्त किया जाये, जिसके लिये किसी न्यूनतम अवधि का पूरा होना जरूरी नहीं है ।

(ii) सम्बन्धित सरकारी सेवक/पेंशनर के लापता होने की तिथि से एक वर्ष बाद उसके परिवार के पात्र सदस्य अथवा मनोनीत व्यक्ति से पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिये विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर संगत नियमों के अनतर्गत दावे की जाँच के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

(iii) इन सभी मदों में भुगतान करने के पूर्व परिवार के पात्र सदस्य अथवा मनोनीत व्यक्ति से इस आशय का क्षतिपूरण बंध-पत्र (Indemnity Bond) निश्चय रूप से प्राप्त कर लिया जाये कि लापता सरकारी सेवक/पेंशनर के पता चल जाने एवं अपने बकाये की माँग करने पर पूर्व में भुगतान की गई राशि समंजित करने के बाद ही राशि का भुगतान किया जायेगा ।

(iv) कर्मचारी/पदाधिकारी के जिम्मे सरकारी बकाये की वसूली, उसे आदेय अव्यवहृत छुट्टी के बदले वेतन के समतुल्य राशि, बकाया वेतन एवं भत्ते और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि से करने के उपरान्त ही शेष राशि की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

3. कृपया अपने अधीनस्थ सभी कार्यालय को इससे अवगत करा दिया जाये । [*पत्र संख्या सं०पी०-107-12/88/1083/वि०, दिनांक 24-2-1990]

परिशिष्ट–7

सेवावधि में मृत सरकारी सेवकों परिवारों को तुरन्त राहत देने की योजना

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

***विषय : सेवावधि में मृत अराजपत्रित सरकारी सेवकों के परिवारों को तुरंत राहत देने की योजना ।**

सेवाकाल में मृत अराजपत्रित सरकारी सेवकों के परिवारों को तुरंत राहत पहुँचाने के प्रश्न पर विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निम्नांकित आदेश निर्गत किये हैं –

(1) अर्हता – स्थायी या अस्थायी नियोजन में रहनेवाले सभी अराजपत्रित सरकारी सेवक (आकस्मिक और दैनिक पारिश्रमिक पर कर्मियों को छोड़कर) जो सेवाकाल के दौरान (कर्त्तव्य पर या वेतन सहित अथवा वेतनरहित छुट्टी पर कालकवलित होंगे के परिवार राहत के उपयुक्त होंगे ।)

(2) (ए) राहत राशि–मृतक के तीन महीने के वेतन तक या 500 रु०, जो कम हो, के अग्रिम के रूप में राहत दी जायेगी ।

(बी) अग्रिम का समंजन–मृतक के वेतन बकाया, मृत्यु–सह–निवृत्ति उपदान, भविष्य निधि जमा या मृतक को देय किसी अन्य अदायगी के प्रति अग्रिम का समंजन किया जायेगा और यह समंजन यथाशीघ्र किया जायेगा और हर हालत में मंजूरी से छह महीने के अन्दर ।

जहाँ अग्रिम का इस प्रकार समंजन इस कारण नहीं हो सकेगा कि यह नियमाधीन मृतक को देय अदायगियों से अधिक है वहाँ समंजित किये जाने से बची रकम को अवसूलनीय अंकित कर प्रकीर्ण/सरकार के विशेष आदेश के तहत् बट्टे–खाते में डाला जाये अवसूलनीय अस्थायी ऋण के नामे डाल दिया जायेगा ।

(3) लाभार्थी – उदारीकृत पेंशन नियमावली के लाभ की अर्हता रखनेवाले सरकारी सेवकों के मामला में अदायगी केवल उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों को या अन्यथा (अर्थात् नामांकन नहीं हो तो) मृत्यु–सह–निवृत्ति उपदान पाने की अर्हता रखनेवालों को उसी अनुपात में की जायेगी जिसके वे हकदार हैं । उन मामलों में जिनमें सरकारी सेवक उदारीकृत पेंशन नियमावली के लाभ पाने की अर्हता नहीं रखते लेकिन अंशदायी भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि के अंशदाता हैं, उनके द्वारा नामित व्यक्ति या व्यक्तियों को उसी अनुपात में अदायगी की जायेगी जिसके वे नामांकन में हकदार हैं । वैसे इस मामले में जिसमें नामांकन नहीं हो और परिवार की, अंशदायी भविष्य निधि नियमावली के नियम 25 (1) (बी) या सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 31 (1) (बी) के अधीन राशि प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को यथास्थिति अदायगी की जायेगी, और वैसे मामलों में जहाँ परिवार न हो वहाँ भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के अनुसार राशि पाने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को अदायगी की जायेगी ।

5 वर्षों से कम अर्हता प्रदायी सेवावाले अस्थायी सरकारी सेवकों के मामले में इस विभाग के ज्ञापांक पेन०–1030/61–12929 एफ०, दिनांक 4-9-1962 के अधीन मृत्यु-उपदान की अर्हता रखनेवाले व्यक्ति या व्यक्तियों को अदायगी की जायेगी ।

सभी मामलों में अदायगी करने के पहले सम्बद्ध व्यक्ति या व्यक्तियों से वचनबद्धता ली जायेगी कि वह/वे उसे/उन्हें अंतिम रूप से देय यथासंशोधित आदेश दिनांकित 4-9-1962 के अधीन मृत्यु–सह–निवृत्ति उपदान या अंशदायी भविष्य निधि राशि या भविष्य निधि राशि या मृत्यु-उपदान से राशि की कटौती कर दिये जाने को सहमत है/हैं ।

(4) लेखाशीर्ष – इस आदेश के तहत् की गई अदायगी को "टी–जमा और अग्रिम ब्याज रहित भाग 3 अग्रिम विभागीय अग्रिम सिविल अग्रिम–ओ०बी०ए०" के नामे डाल दिया जायेगा ।

विभागाध्यक्ष/कार्यालय-प्रधान द्वारा अंकेक्षण पदाधिकारी को भेजी जाने वाली संसूचना में निम्नांकित ब्योरे रहेंगे –

(1) कर्मी (अराजपत्रित) का काम

(2) पदनाम और कार्यालय जहाँ व्यक्ति अंत में काम करता था

(3) अंतिम वेतन जो लिया गया (स्थायी या स्थानापन्न)

(4) स्वीकृत अग्रिम राशि

(5) प्रापक का नाम।

(5) समयानुसार भुगतान – चूँकि महत्वपूर्ण यह है कि समय पर राहत पहुँचायी जाये, इसलिए विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान को इस वास्ते अग्रदाय या उनके पास उपलब्ध अन्य संसाधनों का प्रयोग करने की शक्ति सौंपी जाये। यदि भुगतान पूरा करने के लिए पर्याप्त अग्रदाय या अन्य संसाधन न हो, तो कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष, बिहार कोषागार संहिता भाग 1 के नियम 612 में यथोपबन्धित टी०सी० फारम 76 में साधारण रसीद पर कोषागार से राशि निकाल लेंगे। इस मद में अदायगी की जानकारी अंकेक्षण कार्यालय को मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान और अन्य समान अदायगियों सम्बन्धी कागजों के साथ अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में दी जायेगी। जिन मामलों में अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है उनमें अग्रिम अदायगी की जानकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी को, माँग प्रमाण-पत्र में या पेंशन आवेदन की कंडिका 3 में पेंशन कागजात अग्रसारित करने वाला पत्र में दी जायेगी। **[*वित्त विभाग, ज्ञापांक पेन०-1053/65- 14265 एफ०, दिनांक 5-12-1966]**

2.

***विषय : सेवाकाल में कालकवलित होने वाले राजपत्रित सरकारी सेवकों के परिवारों को तत्काल राहत देने का प्रश्न।**

सेवाकाल में कालकवलित होने वाले राजपत्रित सरकारी सेवकों के परिवारों को तत्काल राहत देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है और उसने निम्नांकित निर्णय लिये हैं –

(1) अर्हता – स्थायी या अस्थायी नियोजन में रहने वाले सभी राजपत्रित सरकारी सेवक, जो सेवाकाल के दौरान कालकवलित होंगे के परिवार राहत के उपयुक्त होंगे बशर्त्ते उनका परिवार मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान या निवृत्ति उपदान के हकदार हों।

(2) राहत राशि – मृत सरकारी सेवक के तीन महीने के वेतन तक या 2,000 रु० (दो हजार रुपए), जो कम हो, मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान से अग्रिम स्वरूप राहत राशि दी जायेगी। अस्थायी राजपत्रित सरकारी सेवकों के परिवार भी उसी दर पर राहत के हकदार होंगे, किन्तु शर्त्त यह होगी कि किसी भी स्थिति में अग्रिम-राशि नियमों के तहत् अनुमान्य मृत्यु-उपदान से अधिक नहीं हो।

(3) अग्रिम का समंजन – मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान से स्वीकृत किया गया अग्रिम मृत सरकारी सेवक के परिवार को देय मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान के प्रति समंजित किया जायेगा।

(4) लाभार्थी – अदायगी केवल सम्बद्ध सरकारी सेवक द्वारा नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों को या अन्यथा (अर्थात् नामांकन नहीं हो तो) मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान पाने की अर्हता रखने वाले को उसी अनुपात में की जायेगी जिसके वे हकदार हैं।

सभी मामलों में सम्बद्ध व्यक्ति या व्यक्तियों से लिखित वचनबद्धता ली जायेगी कि वह/वे उसे/उन्हें अंतिम रूप से देय मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान या उपदान से उक्त राशि कटाने को सहमत हैं।

(5) लेखाशीर्ष – इस आदेश के तहत् की गई अदायगी को "टी० जमा और अग्रिम भाग 3–ब्याज रहित अग्रिम–विभागीय अग्रिम–सिविल अग्रिम–अन्य आपत्तियाँ–पुस्तक अग्रिम" के नामे डाल दिया जायेगा। विभागाध्यक्ष/कार्यालय-प्रधान द्वारा अंकेक्षण पदाधिकारी को भेजी जाने वाली संसूचना में निम्नांकित ब्योरे रहेंगे –

(i) राजपत्रित पदाधिकारी (मृतक) का नाम और पदनाम –

(ii) कार्यालय का नाम जहाँ व्यक्ति अंत में काम करता था –

(iii) अंतिम वेतन (स्थायी और स्थानापन्न) जो लिया गया था –

(iv) स्वीकृत अग्रिम राशि –

(v) प्रापक का नाम और मृत सरकारी सेवक से उसका सम्बन्ध –

(vi) महालेखाकार, बिहार अग्रिम के समंजन और निक्षेप शीर्ष में देयता की भरपाई के लिए जवाबदेह होंगे।

(6) समय पर अदायगी – विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान बिहार कोषागार संहिता, भाग I के नियम 612 में यथोपबन्धित टी०सी० फारम सं० 76 में साधारण रसीद पर कोषागार से अग्रिम राशि की निकासी करेंगे। अग्रिम अदायगी सम्बन्धी बातों का उल्लेख अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में किया जायेगा और मृत्यु- सह-निवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान सम्बन्धी कागजात के साथ अंकेक्षण कार्यालय को भेज दिया जायेगा। जिन मामलों में वेतन प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करना है, उनमें अग्रिम अदायगी सम्बन्धी बातों का उल्लेख माँग प्रमाण-पत्र या प्रयोज्य पेंशन के पृष्ठ 3पर या अंकेक्षण पदाधिकारी को पेंशन कागजात के अग्रसारण- पत्र में किया जायेगा।

[*ज्ञापांक पेन०-8031/69/12603-एफ०, दिनांक 4-9-1969]

3.

***विषय : सेवाकाल में मृत्यु होने पर चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवकों के परिवारों को सहायता देने का प्रावधान।**

निम्न वेतनभोगी सरकारी सेवकों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार की वित्तीय स्थिति अत्यन्त दयनीय हो जाती है एवं इसके कारण परिवार को बहुत क्लेश सहना पड़ता है। इस श्रेणी के मृत सरकारी सेवकों के परिवार को वित्तीय सहायता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था। इस विषय पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि निम्न वेतनभोगी सरकारी सेवकों की मृत्यु होने पर इनके परिवार का निम्नांकित शर्तों के अधीन सहायता दी जाये।

(1) सेवाकाल में सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को अनुग्रह अनुदान के रूप में 3,000/- (तीन हजार रु०) की एकमुस्त रकम दी जायेगी। यह सुविधा सभी चतुर्थ वर्ग के सेवकों, जिनमें रेगुलर स्थापना में स्थानान्तरित वर्कचार्जड एवं आकस्मिक भृत्य, फायरमैन, पुलिस के सिपाही तथा जेल वार्डन भी सम्मिलित होंगे, को प्रदान की जायेगी।

(2) राशि की स्वीकृति एवं उसका भुगतान कार्यालय प्रधान द्वारा सरकारी सेवकों की मृत्यु की सूचना होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर कर दिया जायेगा। प्रत्येक कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत किए गए हरेक स्वीकृत्यादेश की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से महालेखाकार, पटना/राँची, प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग (पेंशन शाखा) को सूचनार्थ भेज दी जायेगी।

(3) इस अनुदान की राशि से किसी भी सरकारी बकाये की वसूली नहीं होगी। परन्तु, सरकारी बकाये की वसूली पेंशन तथा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान से पूर्ववत् की जायेगी।

(4) इस योजना के प्रयोजनार्थ परिवार के अन्तर्गत सरकारी सेवक के निम्नांकित सम्बन्धी होंगे –

(क) पुरुष सरकारी सेवक के मामले में, पत्नी।

(ख) महिला सरकारी सेवक के मामले में, पति।

(ग) नाबालिग पुत्र।

(घ) अविवाहिता नाबालिग पुत्रियाँ।

टिप्पणी : (ग) और (घ) के अन्तर्गत वैध रूप से गोद ली गयी सन्तान (Adopted sonèkdaughter) भी होंगे। नाबालिग पुत्र एवं नाबालिग पुत्रियों को उनके अभिभावक के माध्यम से अनुदान दिया जायेगा।

(5) अनुदान का भुगतान बजट शीर्ष "265–अन्य प्रशासनिक सेवायें अन्य व्यय–विविध तथा आकस्मिक बजट व्यय–अन्य आकस्मिक बजट व्यय–अन्य आकस्मिक व्यय–अनुग्रह अनुदान" से होगा। प्रत्येक कार्यालय प्रधान जो अभी अन्य कोई शीर्ष के अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हैं उन्हें राशि की

निकासी के लिए उपर्युक्त शीर्ष के अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है। यदि किसी कार्यालय से कार्यालय प्रधान को किसी शीर्ष के अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित नहीं किया है तो उनकी जगह उस कार्यालय के वर्तमान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को इस रकम की निकासी के लिए प्राधिकृत किया जाता है। इस राशि की निकासी मिसलेनियस बिल फारम में की जायेगी। व्यय के लिए आवश्यक उपबन्ध वित्त विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के बजट में किया जायेगा।

(6) इस अनुदान की निकासी के लिए वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पी०सी० 11-40-12/75–6768 वि०, दिनांक 6-6-1975 के शर्तों के अनुसार महालेखाकार, बिहार का प्राधिकार-पत्र आवश्यक नहीं है।

(7) यह आदेश तिथि 15-8-1976 से लागू होगा।

(8) राशि के भुगतान के सम्बन्ध में अगर कोई शंका उत्पन्न हो, तो ऐसी स्थिति में वित्त विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाये। **[*वित्त विभाग के ज्ञापांक सं० पी०सी०-1-1-23/76/10268, दिनांक 17-8-1976]**

4.

***विषय : सेवाकाल में मृत्यु होने पर चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवकों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 10268, दिनांक 17-8-1976 में प्रावधान रखा गया है कि चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को कतिपय शर्तों के अधीन रु० 3,000 अनुदान स्वीकृत किया जाये। यह अनुदान पुरुष सरकारी सेवक के मामले में पत्नी एवं महिला सरकारी सेवक के मामले में पति को स्वीकृत होता है।

इस संदर्भ में प्रश्न उठा है कि पति और पत्नी यदि दोनों ही सरकारी सेवक हों, तो उनमें एक की मृत्यु होने पर जीवित सरकारी सेवक को उपरोक्त संकल्प के प्रावधान के अनुसार अनुदान मिलेगा अथवा नहीं ?

सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने निर्णय लिया है कि पति और पत्नी यदि दोनों ही सरकारी सेवक हों तथा उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो उपरोक्त संकल्प के अनुदान जीवित सरकारी सेवक को स्वीकृत किया जायेगा। **[*वित्त विभाग, ज्ञापांक पी०सी० 2-2-04/77–4380, दिनांक 20-4-1977]**

5.

***विषय : सेवाकाल में मृत्यु होने पर चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवकों के परिवार को तीन हजार रुपये अनुग्रह अनुदान देने की सुविधा पुनः चालू करने के सम्बन्ध में।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 10268, दिनांक 17-8-1976 के द्वारा सेवाकाल में मृत्यु होने पर चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवकों के परिवार को एकमुस्त तीन हजार रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान था। परन्तु, वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4765, दिनांक 29-4-1981 के द्वारा दिनांक 1-4-1981 के प्रभाव से उपर्युक्त सुविधा को समाप्त कर दी गयी थी। फलस्वरूप सरकार के इस निर्णय से अल्प वेतनभोगी चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवकों के बीच असंतोष की भावना व्याप्त हो गयी।

अतः भलीभाँति विचार करने के पश्चात् सरकार द्वारा पुनः निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1-4-1981 के प्रभाव से ही वित्त विभाग के संकल्प संख्या 10268, दिनांक 17-8-1976 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत तीन हजार रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में पूर्व की भाँति देय होगी।

वर्णित संकल्प संख्या 4765, दिनांक 29-4-1981 को रद्द कर दिया जाता है। **[*पत्र संख्या 10852 वि०, दिनांक 22 सितम्बर, 1981]**

परिशिष्ट–8

राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के पेंशन से सम्बन्धित राज्यादेश

1.

***विषय : राजकीयकृत प्राथमिक तथा मध्य विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों के पेंशन के सम्बन्ध में ।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक् वरीय उप-महालेखाकार श्री मोहिन्द्रा के अर्द्धसरकारी पत्रांक पेन-5 डी०ओ० 464, दिनांक 12-9-1977 के प्रसंग में मुझे यह कहना है कि यह सत्य है कि बिहार गैर-सरकारी विद्यालय (नियंत्रण ग्रहण) तृतीय अध्यादेश 1976 की धारा 7(2) के अनुसार राज्य सरकार को अध्यादेश के प्रयोजनार्थ संगत नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त है । लेकिन अभी तक अपेक्षित नियम नहीं बनाया जा सका है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपेक्षित नियम नहीं बनाने के कारण राजकीयकृत प्राथमिक/मध्य विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षक/कर्मचारी के पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान नहीं रोका जा सकता है, चूँकि उक्त अध्यादेश की धारा 4(2) में यह प्रावधान है कि राजकीयकृत विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षक/कर्मचारी की वही सेवा शर्त्त अथवा पदावधि, पारिश्रमिक सेवा शर्त्त एवं निबंधन रहेंगे, जब तक कि राज्य सरकार इन विषयों पर सम्यक् परिवर्तन न कर दे । इस धारा के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार अपेक्षित नियम के अभाव में सरकारी संकल्प संख्या 887, दिनांक 9-3-1976 के माध्यम से पदावधि की अवधि 58 साल की आयु का निर्णय लिया गया है एवं दिनांक 31-3-1976 को 58 वर्ष अथवा अधिक आयु प्राप्त शिक्षक एवं तत्पश्चात् 58 साल की आयु प्राप्त शिक्षक को, सेवानिवृत्त होने एवं उन्हें पेंशन देने का निर्णय लिया गया है । वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर विभागीय राज्यादेश संख्या 1069, दिनांक 23-6-1977 के माध्यम से भी महालेखाकार को सूचित किया जा चुका है कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के राजकीयकरण के फलस्वरूप उपर्युक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की भाँति दिनांक 1-4-1949 से की गई सेवा के आधार पर सरकारी सेवकों की भाँति पेंशन/उपदान प्राप्त होगा । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अपेक्षित नियम के अभाव में भी राष्ट्रीयकृत विद्यालय के शिक्षक/ कर्मचारी का पेंशन/उपदान रोका नहीं जा सकता है ।

2. वरीय उप-महालेखाकार, बिहार द्वारा उठायी गयी दूसरी बिन्दु अर्थात् सामान्य भविष्य निधि के लेखा के संधारण के प्रश्न के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयकृत विद्यालयों के शिक्षक/ कर्मचारी निम्नांकित तीन श्रेणी में बाँटे जा सकते हैं –

(i) ऐसे शिक्षक/कर्मचारी जो दिनांक 31-3-1976 को 58 वर्ष अथवा इससे अधिक साल की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हुए हैं ।

(ii) दिनांक 1-4-1976 एवं तत्पश्चात् 58 साल की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त शिक्षक/कर्मचारी ।

(iii) ऐसे शिक्षक/कर्मचारी जो अभी भी कार्यरत् हैं ।

प्रथम श्रेणी के शिक्षक/कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि के सदस्य बन ही नहीं सके । अनुमानतः ऐसे शिक्षक/कर्मचारी के पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान के मामले लगभग 4 हजार से अधिक होंगे । आप सहमत होंगे कि इन शिक्षकों के पेंशन मामले को सामान्य भविष्य निधि के संधारण के निर्णय तक रोक रखने का कोई भी औचित्य नहीं है ।

द्वितीय श्रेणी के शिक्षक/कर्मचारी के पेंशन मामले को भी रोक रखना वांछनीय नहीं प्रतीत होता है, चूँकि उनके भविष्य निधि के लेखा संधारण स्थानीय जिला शिक्षा अधीक्षक के स्तर पर किया जा रहा है । मात्र, भविष्य निधि के लेखा संधारण केन्द्रीयकृत करने के मामले ही राज्य सरकार के सक्रिय विचार में हैं जिसके सम्बन्ध में निर्णय यथाशीघ्र लेने का प्रयास किया जा रहा है ।

तृतीय श्रेणी के शिक्षक/कर्मचारी के पेंशन मामले का प्रश्न अभी नहीं उठता है ।

3. तृतीय बिन्दु यह है कि राष्ट्रीयकृत विद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारी के लेखा में 1-4-1949 से दी गयी सरकारी अंशदान की राशि को पृथक् (सेप्रेशन) कर समुचित अंकेक्षण के पश्चात् कोषागार में जमा करने का – इस सम्बन्ध में यह कहना उचित होगा कि पृथक्करण वास्तव में स्थानीय पदाधिकारी अर्थात् जिला शिक्षा

अधीक्षक के द्वारा ही होना चाहिए । वस्तुस्थिति यह है कि ऐसे कार्य जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा किए गए हैं एवं उनके द्वारा उक्त अवधि में दी गई सरकारी अंशदान की राशि कोषागार में जमा भी कर दी गई है जिसके लिए महालेखाकार के कार्यालय में भेजे गए पेंशन मामलों के साथ संलग्न सेवा–पुस्तिका में प्रमाण–पत्र भी अंकित किया गया है कि सरकारी अंशदान की राशि सेवानिवृत्त शिक्षक/ कर्मचारी के भविष्य निधि से निकालकर कोषागार में जमा किया गया है । अंकेक्षण के सम्बन्ध में वरीय उप–महालेखाकार द्वारा सुझाव दिया गया है कि अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा होना चाहिए । इस सम्बन्ध में तत्काल निर्णय लेना सम्भव नहीं होता है, चूँकि जिला शिक्षा कोष एवं नगरपालिका शिक्षा कोष की अवशेष राशि का अंकेक्षण सरकार के सक्रिय विचार में हैं । विभागीय मंतव्य में यह उचित प्रतीत होता है कि इन कोषों के अवशेष राशि के अंकेक्षण के साथ–साथ राष्ट्रीयकृत शिक्षक/कर्मचारी में से पेंशन प्रदायी शिक्षक/कर्मचारी के भविष्य निधि से सरकारी अंशदान के पृथक राशि का अंकेक्षण वांछनीय प्रतीत होता है । इस कार्य के पूरा होने तक पेंशन पाने वाले शिक्षक/कर्मचारी के पेंशन रोकने का कोई भी औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

विभाग का सुझाव होगा कि जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा किये गये पृथक् कार्य एवं पृथक की गई राशि को कोषागार में जमा करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र पर उपदान की राशि से 10 प्रतिशत तत्काल रोके रखा जा सकता है जो अपेक्षित अंकेक्षण के उपरान्त भुगतान किया जा सकता है ।

वरीय उप–महालेखाकार द्वारा उठाया गया चतुर्थ प्रश्न यह है कि प्रत्येक शिक्षक/कर्मचारी के भविष्य निधि से पृथक् की गई सरकारी अंशदान की राशि अलग–अलग चालान से कोषागार में जमा की जाए । यह सम्भव नहीं प्रतीत होता है, चूँकि अधिकांश मामले में ऐसी पृथक् की गयी राशि समेकित रूप से कोषागार में जमा कर दी जा चुकी है, जिला शिक्षा अधीक्षक को निदेश दिया जा चुका है कि पृथक् की गई राशि के जमा करने का प्रमाण-पत्र चालान नम्बर एवं तिथि के साथ सेवा–पुस्त में अंकित करने के पश्चात् ही पेंशन कागजात महालेखाकार को भेजा जाए । इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीयकृत शिक्षकों की संख्या लगभग 1 लाख 75 हजार होगी जिसके कारण भी पृथक्-पृथक् करने की पद्धति सम्भव नहीं प्रतीत होती है । यदि महालेखाकार द्वारा यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पृथक्-पृथक् ही जमा होनी चाहिए, तब यह पद्धति भविष्य में अपनायी जा सकती है ।

पंचम बिन्दु इस आशय का है कि अध्यायदेश की धारा 4 की उपधारा 3 के प्रावधान के अनुसार स्थानीय निकायों के प्रतिनियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी से विकल्प लेना आवश्यक है कि वे राष्ट्रीयकृत होकर शिक्षा विभाग में रहना चाहेंगे अथवा अपना पैतृक स्थापना में जाना चाहेंगे । इस सम्बन्ध में आपका ध्यान सरकारी आदेश संख्या 129, दिनांक 15-1-1977 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि ऐसे कर्मचारी से विकल्प लेने के लिए सरकारी आदेश पहले ही निर्गत कर दिया गया है । ऐसा समझा जाता है कि ऐसे कर्मचारियों के सम्भवत: एक प्रतिशत से भी कम मामले पेंशन स्वीकृति हेतु महालेखाकार को भेजे गये होंगे । यदि ऐसे मामले में जिसमें विकल्प नहीं लिया गया है, तत्काल इस आपत्ति के साथ विभाग के सम्बद्ध कार्यालयों को लौटा दिया जा सकता है । अन्य मामलों को इसके लिए रोक रखना उचित नहीं है ।

वरीय उप-महालेखाकार द्वारा उठायी गई एक दूसरी बिन्दु जो आय–व्ययक शीर्षक से सम्बन्धित हैं, के सम्बन्ध में यह कहना है कि राष्ट्रीयकृत विद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षक/कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी मानकर सरकारी कर्मचारियों की भाँति पेंशन आदि की सुविधाएँ देने का निर्णय लिया गया है । अत: इनके पेंशन/उपदान आदि का भुगतान उसी आय-व्ययक शीर्षक से होना है जिससे राज्य सरकार के पदाधिकारी/कर्मचारी को भुगतान किया जाता है । इन राष्ट्रीयकृत सरकारी सेवकों के लिए अलग आय–व्ययक शीर्षक बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

उपर्युक्त परिस्थिति में वरीय उप–महालेखाकार के सुझाव कि इन कर्मचारियों की अंतिम निर्णय तक औपबंधिक पेंशन/उपदान नहीं दिया जाए, से सरकार सहमत नहीं है, चूँकि उपर्युक्त निर्णयों के अनुसार राज्य सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए पेंशन आदि देने का निर्णय ले चुकी है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में पेंशन/उपदान का आवश्यक भुगतान आदेश यथाशीघ्र निर्गत करने का कष्ट करें । ज्ञातव्य है कि सरकारी निर्णय के अनुसार राज्य के प्राथमिक मध्य विद्यालयों के लगभग

5,000 शिक्षक/कर्मचारी दिनांक 1-4-1976 से सेवानिवृत्त करा दिये गये हैं, किन्तु उनके पेंशन/उपदान के मामले लम्बित हैं। ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों के पेंशन/उपदान के मामले में हो रहे विलम्ब के लिए राज्य सरकार की बड़ी आलोचना होती है। अत: इस मामले में विशेष अभिरुचि लेकर इसका निस्तार शीघ्रता से कराने का कष्ट करें। उपर्युक्त सविस्तार स्पष्टीकरण के बावजूद यदि महालेखाकार किसी बिन्दु पर विचार-विमर्श करना चाहेंगे, तो कृपया श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह, विशेष पदाधिकारी-सह- संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग जिनका दूरभाष संख्या 21541 है, से सम्पर्क स्थापित कर विचार-विमर्श की व्यवस्था कर लेने का कष्ट कर सकते हैं। [*पत्रांक क्यू/टी 806/77 शि० 2348, दिनांक 26-12-1977]

2.

***विषय : राजकीयकरण के फलस्वरूप सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन मामलों के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक् तत्कालीन शिक्षा आयुक्त, बिहार को सम्बोधित आपके पत्रांक पी०आर० 111-डी०ओ०-टेल-409, दिनांक 26-7-1976 के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि राजकीयकरण के फलस्वरूप प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है –

1. सरकारी संकल्प संख्या 4426, दिनांक 31-8-1974 की कंडिका 4 (घ) के अनुसार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के राजकीयकरण के फलस्वरूप ऐसे शिक्षकों, जिनकी आयु तिथि 31-3-1976 को 58 वर्ष या उससे अधिक हो गयी है, तिथि 1-4-1976 से सेवानिवृत्त हो जाएँगे एवं उनको सरकारी कर्मचारी की भाँति 1-4-1949 से की गई सेवा के आधार पर सरकारी सेवकों की भाँति पेंशन उपदान प्राप्य होगा। वैसे शिक्षक जो 1-4-1976 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें त्रिविध लाभ योजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त होगा।

2. राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के राजकीयकरण के फलस्वरूप तिथि 1-4-1976 से सेवानिवृत्त ऐसे शिक्षक, जिनका वेतन राजकीय राजस्व से नहीं, बल्कि जिला शिक्षा कोष, लोक अथवा म्युनिसिपल फंड से भुगतान होता था, के पेंशन के मामले में बिहार पेंशन नियमावली के मुख्य रूप से नियम 60 एवं 79 को शिथिल किया जाता है।

3. राजकीयकरण के फलस्वरूप सेवानिवृत्त ऐसे शिक्षक जिन्हें 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 62 वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्त मानने का आदेश है, के पेंशन के मामले में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 161 (बी) के अन्तर्गत सरकार द्वारा यह स्वीकृति दी जाती है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन की अवधि में ऐसे शिक्षक उसी स्तर पर वेतन प्राप्त करेंगे जिस स्तर पर पुनर्नियोजन के ठीक पहले प्राप्त कर रहे थे एवं वेतन वृद्धि भी उन्हें सामान्य नियमों के अनुसार अनुमान्य होगी। पुनर्नियोजन की सम्पूर्ण अवधि में उनके पेंशन तथा उपदान की राशि का भुगतान पूर्ण रूप से स्थगित रहेगा। फलत: पुनर्नियुक्ति की अवधि में नियम 161 (ब) के अन्तर्गत कोई वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

4. ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों के वेतन निर्धारण की सम्पुष्टि वित्त विभाग से कराने का जहाँ तक प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि जिन मामलों में तिथि 1-1-1971 के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण उस वेतनमान के प्रारम्भिक स्तर पर ही सक्षम नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, उन मामलों में वित्त विभाग वेतन (वेतन निर्धारण) शाखा से सम्पुष्टि कराने की आवश्यकता नहीं है। नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किया गया वेतन निर्धारण ही अन्तिम होगा। जहाँ वेतनमान के प्रारम्भिक स्तर से ऊपर के स्तर पर वेतन निर्धारण किया गया है, अथवा होता है, वैसे मामले में वेतन निर्धारण की सम्पुष्टि वित्त विभाग (वेतन निर्धारण शाखा) द्वारा यथावत् सरकारी कर्मचारी की भाँति की जाएगी।

5. राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि राजकीयकृत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के वैसे शिक्षक जो तिथि 1-4-1976 तथा उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा होंगे, उन्हें सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी की भाँति बिहार पेंशन नियमावली के नियमों के अधीन सभी प्रकार की पेंशन सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

6. ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन/ उपदान की स्वीकृति देने वाले सक्षम पदाधिकारी नियमानुसार सम्बन्धित नियुक्ति पदाधिकारी होंगे।

7. ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन के मामले में अंशदायी भविष्य निधि में जमा रकम से सरकारी अंशदान (सूद सहित) के वापस करने सम्बन्धी प्रमाण सम्बन्धित सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा-पुस्तिका में पेंशन स्वीकृति करने वाले सक्षम पदाधिकारी के द्वारा अंकित किया जाएगा।

अत: आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार राजकीयकरण के फलस्वरूप सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन के मामलों का निस्तार शीघ्रता से किया जाए। [*पत्रांक क्यू/टी 806/77 शि० 1069, दिनांक 23-6-1977]

3.

***विषय : सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक् वित्त विभागीय ज्ञापांक पी०सी० 11-40-1/74-3349 वि०, दिनांक 2-4-1978 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहना है कि समाचार पत्रों एवं अभ्यावेदनों के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि पेंशन मामलों के अन्तिम रूप से निष्पादन करने में काफी विलम्ब होता है जिससे सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को अत्यधिक आर्थिक कठिनाई होती है। प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के स्वीकृत औपबन्धिक पेंशन की अवधि समाप्त हो जाने तक भी अनेक पेंशन के मामलों में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं हो पाता है।

अत: आपसे अनुरोध है कि ऐसे पेंशन मामले जिसमें आपके स्तर से सामान्य स्वीकृत्यादेश निर्गत कर दिया गया हो और महालेखाकार, बिहार के स्तर पर अन्तिम भुगतान आदेश निर्गत के लिए लम्बित हों, वैसे मामले में आप कृपया वित्त विभागीय ज्ञापांक 3349, दिनांक 2-4-1974 में दिए गए निदेश के अनुसार कार्रवाई करें, ताकि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को अनावश्यक आर्थिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़े। आपसे यह भी कहना है कि यदि कोई मामला त्रुटि निराकरण हेतु महालेखाकार से इस परिपत्र के अनुसार कार्रवाई करने के पूर्व लौट आवे, तब वैसे मामले में 75% औपबन्धिक पेंशन की अवधि विस्तार कर पेंशन मामला पुन: महालेखाकार को शीघ्र भेजा जाए। [***पत्रांक क्यू०/टी० 806/77 शि० 1899, दिनांक 12-9-1978**]

4.

***विषय : अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भाँति भविष्य निधि, पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) एवं ग्रेच्यूटी की सुविधा देने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की भाँति भविष्य निधि पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) एवं ग्रेच्यूटी की सुविधा उपलब्ध करने के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षक संघ की माँग राज्य सरकार के विचाराधीन थी। राज्य सरकार ने उनकी माँग पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद उन्हें वर्तमान त्रिविध लाभ योजना के स्थान पर सरकारी कर्मचारियों की भाँति, भविष्य निधि, पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) ग्रेच्यूटी की सुविधा देने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि –

(1) उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष की जगह 58 वर्ष हो।

(2) अंशदायी भविष्य निधि के स्थान पर, सामान्य भविष्य निधि की सुविधा मिलेगी।

(3) राजकीय कर्मचारियों की तरह भविष्य निधि, पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) एवं ग्रेच्यूटी की सुविधा दिनांक 1-4-1978 एवं उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध होगी।

(4) नयी योजना को स्वीकार करने के लिए सम्बन्धित शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 31-12-1978 तक ऑप्शन देने की छूट रहेगी।

(5) जो शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्तमान त्रिविध लाभ योजना के अन्तर्गत रहना चाहते हैं, वे वर्तमान नियमों के अनुसार 62 वर्ष की उम्र तक सेवा में रह सकेंगे।

2. राज्य सरकार के उपर्युक्त निर्णय का आशय यह हुआ कि जो शिक्षक अथवा शिक्षकेत्तर कर्मचारी दिनांक 31-12-1978 तक 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुकेंगे यदि वे वर्तमान त्रिविधि लाभ योजना के स्थान पर सरकारी कर्मचारियों की भाँति सामान्य भविष्य निधि पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) एवं ग्रेच्यूटी की योजना स्वीकार करते हैं तो वे उक्त तिथि को सेवा से निवृत्त हो जाएँगे। यदि उक्त तिथि को वे सेवानिवृत्त नहीं होते तो यह समझा जाएगा कि वे वर्तमान त्रिविध लाभ योजना के अन्तर्गत ही रहना चाहते हैं। उसी तरह जो शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी नयी योजना को स्वीकार करते हैं वे 31-12-1978 के बाद 58वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त हो जाएँगे।

3. आपसे अनुरोध है कि इसकी सूचना सभी शिक्षकों एवं सम्बन्धित कर्मचारियों को अविलम्ब दे दें, जिससे निर्धारित अवधि के भीतर उन्हें अपना ऑप्शन सुनिश्चित कररने में कठिनाई नहीं हो। [***पत्रांक क्यू पी 2-04/71 शि० 4018, दिनांक 29-11-1978]**.

5.

***विषय : अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भाँति भविष्य निधि, पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) एवं उपदान की सुविधा देने के सम्बन्ध में।**

पढ़ा गया – शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या – 3431, दिनांक 4-9-1968 एवं राज्यादेश संख्या 4018, दिनांक 29-11-1978।

बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों (स्वत्वधारक माध्यमिक विद्यालयों को छोड़कर) के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को राज्य सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 3431, दिनांक 4-9-1964 के द्वारा प्रसारित त्रिविध लाभ योजना के नियमान्तर्गत अंशदायी भविष्य निधि एवं पेंशन की सुविधा अभी प्राप्त है। इन विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सामान्य भविष्य निधि पेंशन (पारिवारिक पेंशन, सहित) एवं उपदान की सुविधा देने का प्रश्न कुछ अर्से से सरकार के विचाराधीन था। सभी पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार के उपरान्त राज्य सरकार ने बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों (स्वत्वधारक माध्यमिक विद्यालयों को छोड़कर) के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को त्रिविध लाभ योजना के स्थान पर सरकारी कर्मचारियों की भाँति सामान्य भविष्य निधि, पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) एवं उपदान की सुविधा दिनांक 1-4-1978 से प्रदान करने का निर्णय लिया है। उस हद तक बिहार पेंशन नियमावली के नियम 58, 60 तथा 79 को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है।

2. इस योजना के अन्तर्गत पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) एवं उपदान के वे ही नियम होंगे जो सरकारी सेवकों के लिए है। जहाँ तक भविष्य निधि का प्रश्न है प्रशासनिक सुविधा, मितव्ययिता एवं कार्यदक्षता की दृष्टि से सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए लागू प्रचलित भविष्य निधि नियमावली इस संकल्प की कंडिका 11 के प्रावधानों के अधीन लागू रहेगी।

3. बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (स्वत्वधारक माध्यमिक विद्यालयों को छोड़कर) के ऐसे शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारी दिनांक 1-4-1978 अथवा उनके बाद की किसी तिथि को सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा होने वाले हैं और जिन्होंने राज्य सरकार, शिक्षा विभाग के पत्रांक 4018, दिनांक 29-11-1978 के सन्दर्भ में पुरानी सेवा शर्त्तों के साथ अधिसूचना संख्या 3431, दिनांक 4-9-1964 के द्वारा प्रसारित त्रिविध लाभ योजना की नियमावली के अन्तर्गत रहने का ऑप्शन दिनांक 31-12-1978 तक नहीं दिया है, इस नई योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि, पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) एवं उपदान पाने के हकदार होंगे। इन विद्यालयों में दिनांक 1-4-1978 और उसके बाद की तिथि से नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी अनिवार्य रूप से इस योजना के अन्तर्गत आएँगे।

4. मान्यता प्राप्त अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 1-4-1978 के पूर्व से नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी, जिन्होंने शिक्षा विभाग के आदेश संख्या 4018, दिनांक 29-11-1978 के अनुसार पुरानी सेवा शर्त्तों के साथ अधिसूचना संख्या 3431, दिनांक 4-9-1964 में स्वीकृत त्रिविध लाभ योजना नियमावली के

अन्तर्गत रहने का ऑप्शन दिनांक 31-12-1978 तक नहीं दिया है, उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष होगी । परन्तु दिनांक 1-4-1978 को जिनकी आयु 58 वर्ष से अधिक हो गयी थी यदि उन्होंने इस नियमावली के अन्तर्गत सामान्य भविष्य निधि, पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) एवं उपदान की सुविधा स्वीकार की है और दिनांक 31-12-1978 या उसके पूर्व की तिथि को सेवानिवृत्त हो गए हैं उन्हें यह सुविधा सेवानिवृत्ति की तिथि की सेवा अवधि के आधार पर अनुमान्य होगी । ऐसे मामले में सेवानिवृत्ति की तिथि को 58 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि को उनकी सेवा का विस्तार माना जाएगा ।

5. मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की भाँति नियुक्ति की तिथि से की गई सेवा के आधार पर सरकारी सेवकों की भाँति पेंशन/उपदान प्राप्त होगा ।

6. दिनांक 1-4-1978 के पूर्व नियुक्त ऐसे शिक्षक एवं लिपिक जो अधिसूचना संख्या 3431, दिनांक 4-9-1964 के द्वारा स्वीकृत त्रिविध लाभ योजना के अन्तर्गत वर्तमान सेवा शर्तों के साथ 62 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का ऑप्शन शिक्षा विभाग के पत्रांक 4018, दिनांक 29-11-1978 के अनुसार दिनांक 31-12-1978 तक दिया है, उन्हें पुनः ऑप्शन बदलने की छूट नहीं होगी ।

7. शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पेंशन एवं उपदान का भुगतान महालेखाकार बिहार द्वारा उनके सेवा अभिलेखों की जाँच के आधार पर अधिकृत किया जाएगा । उनके पेंशन एवं उपदान का भुगतान उस रीति से अधिकृत किया जायेगा जिस रीति से राज्य सरकार के कर्मचारियों को किया जाता है ।

8. जिला शिक्षा पदाधिकारी उसके कार्यान्वयन के लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे ।

9. चूँकि पेंशन एवं उपदान के दावे शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के क्रमबद्ध सेवा अभिलेखों के आधार पर निर्धारित किए जाएँगे, अतः उसके लिए अधोलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी –

(क) इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित प्रत्येक कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका के लिए निर्धारित प्रपत्र में रखी जाएगी । प्राचार्य/प्रधानाध्यापक की सेवा-पुस्तिका का संधारण बालकों के विद्यालय के मामले में अवर प्रमण्डल शिक्षा पदाधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी द्वारा और बालिकाओं के विद्यालय के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षिका द्वारा किया जाएगा । सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका का संधारण विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा । नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका नियुक्ति के तुरन्त बाद खोली जाएगी और संधारण पदाधिकारी द्वारा उसकी प्रविष्टियाँ अद्यतन रखी जाएगी । प्रत्येक संधारण पदाधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर और कार्यालय मुहर के साथ प्रविष्टियों को अभिप्रमाणित किया जाएगा ।

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार सेवा-पुस्तिका की प्रविष्टियों का सत्यापन किया जाएगा । बालक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका का सत्यापन अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी द्वारा तथा बालिका विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षिका द्वारा किया जाएगा ।

(ग) सेवा-पुस्तिका में अंकित वेतनमान एवं वेतन और भत्ते जो समय-समय पर भुगतान हुए हैं वे ही होंगे जो सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों के लिए स्वीकृत होंगे और शिक्षकों के मामले में बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित होंगे ।

10. जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने क्षेत्र के मान्यता प्राप्त अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों (स्वत्वधारक माध्यमिक विद्यालयों को छोड़कर) के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) एवं उपदान स्वीकृत करने हेतु सक्षम पदाधिकारी होंगे ।

11. इस नयी योजना के अन्तर्गत सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि का खाता पोस्टल सेविंग्स बैंक में जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुमति से खोला जाएगा । बिहार भविष्य निधि नियमावली के नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी अथवा स्थायी अग्रिम स्वीकृत करने और खाते से अन्तिम भुगतान की निकासी करने का आदेश देने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी सक्षम होंगे । मान्यता प्राप्त अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों में (स्वत्वधारक माध्यमिक विद्यालय को छोड़कर) के शिक्षकों एवं

शिक्षकेत्तर कर्मचारियों, जिन्होंने इस नियमावली के अन्तर्गत रहना स्वीकार किया है, के भविष्य निधि संधारण के मामले में बिहार भविष्य निधि नियमावली के नियम इस हद तक संशोधित माने जाएँगे ।

12. शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पेंशन एवं उपदान के दावे के निष्पादन एवं विलम्ब की संभावना को दूर करने हेतु सेवा-पुस्तिका की प्रारम्भिक जाँच आदि काम सेवानिवृत्ति के 18 माह पूर्व से आरम्भ किया जाएगा ।

इस योजना से लाभान्वित होने वाले शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि में प्रबंध समितियों का जमा अंशदान सूद सहित सरकारी खजाने में आय व्ययक् शीर्षक 077 पेंशनों और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान और वसूलियों में इस आदेश के निर्गत होने के एक वर्ष के भीतर जमा कर दिया जाएगा । अंशदायी भविष्य निधि एवं सूद की राशि की शुद्धता का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा और इसका प्रमाण-पत्र सेवा-पुस्तिका में अंकित किया जाएगा । उन्हें पेंशन एवं उपदान की स्वीकृति तभी दी जा सकेगी जब इनके द्वारा प्रबंध समिति का जमा अंशदान सूद समेत सरकारी कोष में जमा कर दिया जाता है तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टि सक्षम पदाधिकारी द्वारा उनकी सेवा-पुस्तिका में अंकित कर दी जाती है ।

14. पेंशन ग्रेच्यूटी आदि के कागजात तैयार करने के लिए वही नियम एवं प्रपत्र लागू होंगे जो सरकारी कर्मचारियों के पेंशनादि स्वीकृत करने हेतु लागू है । सरकारी कर्मचारियों एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पेंशन फार्म में भिन्नता कायम रखने के लिए अधीक्षक सरकारी मुद्रणालय, गया उन कर्मचारियों की पेंशन का फार्म नारंगी रंग के कागज में छापेंगे । जब तक उनके लिए नारंगी रंग के कागज का पेंशन फार्म मुद्रित नहीं हो जाता है, तब तक सरकारी कर्मचारियों के लिए विहित पेंशन फार्म का उपयोग किया जाएगा और उस पर अराजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी के लिए मुहर लगा दी जाएगी ।

15. इस योजना के लेखा एवं अंकेक्षण का भार महालेखाकार, बिहार पर होगा ।

16. पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) एवं ग्रेच्यूटी के भुगतान का व्यय निम्नलिखित आय व्ययक शीर्षक के अन्तर्गत विकलनीय होगा –

(क) पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) – "266 पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ–राज्य सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों का पेंशन – अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का पेंशन ।"

(ख) ग्रेच्यूटी – 266 पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ – उपदान अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का उपदान ।

17. वित्त विभाग का परामर्श लेकर यह संकल्प निर्गत किया जा रहा है । **[*संकल्प संख्या 1775, दिनांक 30-8-1980]**

6.

***विषय : अराजकीय उच्च विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की भाँति पेंशन देने के सम्बन्ध में ।**

प्रसंग : शिक्षा विभाग का संकल्प संख्या 1775, दिनांक 30-8-1980 का स्पष्टीकरण ।

कई जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से पूछा गया है कि 62 वर्ष की आयु पूरी कर जो शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचारी 1-4-1978 एवं 31-12-1978 के बीच में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें त्रिविध लाभ योजना में पेंशन देय होगा या उपरोक्त संकल्प के अनुसार सरकारी सेवकों की भाँति । कई जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संकल्प के निर्गत होने के बाद भी इस श्रेणी के सेवानिवृत्त शिक्षकों को त्रिविध लाभ योजना में पेंशन स्वीकृत कर रहे हैं ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार ने अराजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी सेवक की भाँति पेंशन 1-4-1978 से देने का निर्णय लिया है । इसके पूर्व शिक्षकों को त्रिविध लाभ योजना में पेंशन देय था और 62 वर्ष की आयु पूरा कर ही सेवानिवृत्त होते थे । शिक्षकों से ऑप्शन प्रथम बार राज्यादेश संख्या 4018, दिनांक 29-11-1978 के द्वारा माँगा गया । अतः 1-4-1978 और 31-12-1978 के बीच 62 वर्ष की आयु पूरा कर सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को ऑप्शन देने का अवसर नहीं मिला । इस बिन्दु पर निर्णय संकल्प की कंडिका 3 एवं 4 में निहित है । उसे कृपया ध्यान से पढ़ें ।

3. सारांश यही है कि इस कोटि में सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी सेवक की भाँति पेंशन देय होगा और इस पेंशन की गणना 58 वर्ष की आयु के वेतन पर होगा। 58 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्ति की तिथि तक की गई सेवा विस्तार समझा जाएगा।

4. अतः आपसे पुनः आग्रह है कि 1-4-1978 से 31-12-1978 की अवधि में सेवानिवृत्त शिक्षकों को अगर पेंशन त्रिविध लाभ योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ तो उसे उपरोक्त संकल्प के आलोक में रिभाइज करने की व्यवस्था करें। **[*पत्रांक एच/व 8-0631/78 शि० 1732, दिनांक 5-8-1981]**

7.

***विषय : पेंशन/उपदान एवं पेंशन कम्युटेशन से सम्बन्धित निर्णय।**

सेवानिवृत्ति के लाभों यथा पेंशन/उपादान एवं पेंशन कम्युटेशन अव्यवहृत अवकाश के बदले समतुल्य राशि पुनरीक्षित पेंशन/उपादान त्वरित निष्पादन के सम्बन्ध में हमलोगों का ध्यान बराबर जाता रहा है। सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवानिवृत्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी जानेवाली सुविधा के भुगतान के सन्दर्भ में दो बातें स्पष्ट रूप से प्रकाश में आयी है।

पहला, इस कार्यालय में यह अनुभव किया गया कि पेंशन के मामले में सेवानिवृत्ति की तिथि से छह महीने या उसके बाद और बहुत से मामले में लम्बे विलम्ब से महालेखाकार कार्यालय को अग्रेषित किये जाते हैं। दूसरा, इन मामलों को समय पर और सही ढंग से नियमावलियों के प्रावधान के अनुसार तैयार नहीं किया जाता है। फलस्वरूप परिहार्य पत्राचार इस कार्यालय एवं राज्य सरकार से होता है। इसमें देर होती है और पेंशनभोगियों को कठिनाई होती है।

हमलोगों ने इस मामले को अनेक बार राज्य सरकार के सम्मुख उठाया है। हाल ही में दिसम्बर, 1995 में महालेखाकार ने मुख्य सचिव से व्यक्तिगत रूप से भेंट की और वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया गया है।

उन्हें महालेखाकार ने मामलों में पाये गये त्रुटियों खामियों के सारांश की एक संक्षिप्त टिप्पणी भी अग्रेषित की। मुख्य सचिव ने इस मामले पर गम्भीरता से ध्यान दिया और उन्होंने एक परिपत्र पत्रांक 24, दिनांक 4-1-1996 सभी सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्गत किया जिसमें त्वरित गति से पेंशन के मामले को तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया है और उन्हें महालेखाकार के कार्यालय का समय पर एवं सही ढंग से भेजने पर बल दिया है।

हाल ही में माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार (प्रेस प्रति संलग्न) सभी विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार को दो महीना/एक महीना एवं पेंशन के मामले का निष्पादन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

अतः यह अनिवार्य है कि आपका विभाग पेंशन के मामले को आवश्यक सावधानी एवं तत्परता से तैयार करें और उन्हें हमलोगों को अग्रेषित करें जिससे हमलोग निर्धारित समय में प्राधिकार पत्रों को निर्गत कर सकें एवं पेंशनभोगियों को परिहार्य कठिनाई से रक्षा कर सकें।

इसके अतिरिक्त यह आपके लिये परमावश्यक होगा कि अनावश्यक पत्राचार और समय की बर्बादी को दूर करने के लिए मामले को पूर्ण एवं सही ढंग से तैयार किया जाये। हालाँकि बिहार पेंशन नियमावली पेंशन के मामलों को तैयार करने के सन्दर्भ में स्वतः स्पष्ट है, सामान्य रूप से देखी जाने वाली त्रुटियों पर आधारित एक जाँच सूची (संलग्न एनेक्चर-ए) तैयार की गयी है।

विभागों के द्वारा इसके सही ढंग से इस्तेमाल के मामले को अनावश्यक रूप से लौटाने और पत्राचार की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है।

यह अति लाभप्रद होगा कि आप इस कार्यालय के द्वारा किये गये पत्राचार पर उचित ध्यान दें, जिससे कि विलम्ब से पेंशनभोगियों को कठिनाई न हो सके एवं न्यायालय में मामले न उठें जिसमें राज्य सरकार और इस कार्यालय को संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया जाये।

हमलोगों को खुशी होगी यदि आप वर्तमान एनेक्स्चर-बी में 31-12-1996 तक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सूचना 15-7-1996 तक दें, ताकि हमलोग इस कार्यालय में मामलों की प्राप्ति की जाँच एवं

त्वरित गति से समय पर निष्पादन कर सकें । तत्पश्चात् इसी प्रकार अर्द्धवार्षिक अवधि की सूचना हमलोगों को क्रमशः हर वर्ष 1 जनवरी/1 जुलाई को भेजें ।

1. क्या पेंशन प्रपत्र पूर्णरूपेण एवं सही रूप में सेवा-पुस्ति में प्रविष्टि एवं अन्य सम्बन्धित तथ्यों के आधार पर भरा गया है ?

2. क्या सेवा-पुस्त में सम्बन्धित विद्यालयों की आंशिक एवं पूर्ण प्रस्वीकृति की तिथि आदेश संख्या एवं दिनांक के साथ प्रविष्टि कर दी गयी है एवं इसका सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी या अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया है ?

3. क्या सभी विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति के अनुमोदन की प्रविष्टि सेवा-पुस्त में की गयी है एवं उसका सत्यापन सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया गया है ?

4. यदि विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति विद्यालयों की आंशिक प्रस्वीकृति के पश्चात् एवं पूर्ण प्रस्वीकृति के पूर्व हुई है तो क्या सक्षम पदाधिकारी द्वारा सेवा-पुस्त प्रमाण-पत्र अंकित किया गया है कि उनकी नियुक्ति आंशिक प्रस्वीकृति में स्वीकृति पद के विरुद्ध की गयी है ।

5. क्या उक्त प्रस्वीकृत विद्यालयों से त्याग-पत्र देकर दूसरे प्रस्वीकृत विद्यालय में योगदान के फलस्वरूप सेवा में हुई टूट की क्षान्ति बिहार सरकार, संकल्प संख्या 636, दिनांक 18-7-1992 के आलोक में होने का प्रमाण-पत्र पदाधिकारी के सत्यापन के साथ सेवा-पुस्त में अंकित है ?

6. क्या सभी सम्बन्धित विद्यालयों की सेवा-पुस्त में प्रबंध समिति द्वारा शिक्षक के अंशदायी भविष्य निधि में दिये गये अंशदान का सूद के साथ सरकारी खजाने में वापसी का प्रमाण-पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सत्यापन के साथ अंकित है ?

7. क्या बिहार सरकार, मानव संसाधन विभाग के संकल्प संख्या 636, दिनांक 18-7-1992 में अंकित प्रावधानों के अनुपालन के पश्चात् उसी अनुरूप पायी गयी पेंशन प्रदायी सेवा पर एवं उपादान की स्वीकृति की गयी है ?

8. क्या कालबद्ध प्रोन्नति में सभी बुनियादी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है ?

9. क्या विद्यालयों की आंशिक एवं पूर्ण प्रस्वीकृति के आधार पर पूर्णरूपेण नियमित एवं स्थापित सेवा आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति दी गयी है ?

10. क्या नियमानुसार 1-1-1986 से लागू नये वेतनमान में निर्धारित वेतन का अनुमोदन वित्त विभाग जिला लेखा पदाधिकारी द्वारा किया गया है, अल्पसंख्यक विद्यालयों के मामले में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा ।
[*सं० 233, दिनांक 17-6-1996 महालेखाकार कार्यालय]

8.

***विषय : शिक्षकों के सेवानिवृत्त के पश्चात् इनका पेंशन के मामले के निष्पादन के लिए पेंशन अदालतों की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार का पत्र एवं पेंशन अदालत की स्थापना ।**

उपर्युक्त विषयक् महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हक) 11, बिहार के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या पेन 1 सी० 0255, दिनांक 4-7-1996 की प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए निदेशानुसार मुझे कहना है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन उपादान सम्बन्धी आवेदन महालेखाकार, बिहार को भेजने में पत्र में अंकित निर्देश का पूर्णतः पालन किया जाये, ताकि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को उनके द्वारा पेंशन उपदान सम्बन्धी आवेदन प्रस्तुत करने पर उसका निस्तार समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित किया जा सके । पत्र में निहित निर्देश एवं समय सीमा के पालन में सभी स्तर पर सतर्कता बरती जाये । **[*सं० 2032 वि०, दिनांक 14-9-1996]**

●

परिशिष्ट–9

विविध महत्वपूर्ण राज्यादेश

1.

***Regarding—Permanent Transfer of Government servant to Government Companies/Corporations—grant of retirement benefits.**

The State Government have had under consideration the question whether a Government servant, who is deputed or transferred to service under the body corporate owned or controlled by Government or whose services are lent to such a body, should in the event of permanent absorption in service to that body, be allowed any retirement benefits in respect of his previous pensionable service rendered under Government and if so, to what extent and in which form. After careful consideration, the State Government have been pleased to decide that in such a case, subject to what is stated in paragraph 2 below, an amount equal to what Government would have contributed had the officer been on Contributory Provident Fund terms under Government, together with simple interest thereon at two percent for the period of his pensionable service under Government may be, credited to his Contributory Provident Fund Account with the autonomous body, as an opening balance on the date of permanent absorption and Government's liability in respect of the officer's pensionable service under them treated as extinguished by this payment. The rate of Government Contributions shall be 6/1/4% (six & onefourth percent) of emoluments to the Government servant concerned.

2. The aforesaid decision will apply, however, only where the permanent transfer from Government service to an autonomous body is in the public interest and the transfer is to a Government or quasi-Government Corporation and not to a private institution. In all other cases, Government will not accept any liability to pay any retirement benefits for the period of service rendered by the officer before his transfer.

3. The concession may not be claimed as a matter of right but may be sanctioned at the discretion of Government in individual cases where it is merited.

[*Vide F.D. Memo No. Pen–1050/62/15445-F, dated 5-12-1962]

2.

***Subject—Permanent transfer of Government servants to Government Companies/Corporation—Grant of retirement benefits.**

State Government have further reviewed the retirement benefits allowed to Government servants permanently absorbed in Public Sector Undertakings set up by the Government of India or by the State Government and in supersession of all earlier orders have been pleased to decide as follows—

(A) Circumstances under which permanent absorption may be permitted.

Government servants on deputation to Public-Sector Undertaking can be allowed to be absorbed on a permanent basis in public interest. The transfer from Government service will be permitted only in case of transfer to a Public Sector Undertaking. In all other cases Government will not accept any liability to pay any retirement benefits for the period of service rendered by the officer

under Government before his transfer. A Government servant who is permitted to be absorbed in a public sector undertaking will be deemed to have retired from Government service from the date of his permanent absorption in the Public Undertaking.

(B) Pensionary benefits.

(i) A Permanent Government servant on absorption in Public Under-taking will be eligible for a pro-rata pension and Death-cum-retirement Gratuity based on the length of his qualifying service under Govt. till the date of absorption. The pension will be calculated on the basis of average emoluments for one year preceding the date of absorption and the Death-cum-Retirement Gratuity based on the length of his qualifying service under Govt. till the date of absorption. The pension will be calculated on the basis of average emoluments for one year preceding the date of absorption and the Death-cum-Retirement Gratuity on the basis of the emoluments drawn immediately before absorption.

In cases where a Government servant at time of absorption, has less than 10 years service and is not entitled to pension, the question of proportionate pension will not arise; he is only eligible to proportionate service gratuity in lieu of pension and to Death-cum-Retirement Gratuity based on length of service.

(ii) The amount of pension/gratuity and Death-cum-Retirement gratuity will be worked out on the basis of rules inforce at the time of permanent absorption of the Government servant concerned and he will be given his pension/gratuity Death-cum-retirement Gratuity immediately on absorption in the Public Undertaking. Such a Government servant will, however, be required to give an undertaking that in the event of his service with the Public Undertaking terminating at the instance either of the employer or of the employee within a period of two years from the date of his retirement from Government service and permanent absorption in the Public Undertaking the approval of the State Government shall be obtained by him before he takes up any private employment.

(iii) Whatever pensionary benefits earned by a Government servant prior to his absorption will be allowed to him in addition to the pay he would get under the Public Undertaking.

(iv) Such a Government servant will have the option either—

(a) to receive the monthly pension and Death-cum-Retirement Gratuity already worked out under the usual Government arrangement.

Or

(b) to receive the gratuity and a lump sum amount in lieu of pension worked with reference to commutation tables obtaining on the date from which the pro-rata pension, gratuity etc., is disbursable.

The above option will have to be exercised in writing within a period of six months from the date of permanent absorption and communicated by the Government servant concerned to the undertaking as well as to the Accountant-General, Bihar and the parent office concerned. A Government servant who opts for (a) above will also be entitled to the benefit of commutation of pension in accordance with the rules of the State Government. Where no option is exercised within the prescribed period, the Government servant concerned will be governed by (b) above.

(v) Government would not accept any liability for family pension in case of Government servants permanently absorbed in Public Undertaking.

(vi) Any further liberalisation of pension rules decided upon by Government after permanent absorption of a Government servant in Public Undertaking would not be extended to him.

(C) Provident Fund.

The amount of subscriptions, together with interest thereon standing in the Provident Fund Account of a Government servant opting for service under an Undertaking may, if he so desires, be transferred to his new Provident Fund Account under the Undertaking provided the concerned Undertaking also agrees to such a transfer. If, however, the concerned Undertaking does not operate a Provident Fund, the amount in question should be refunded to the subscriber. A Government servant covered by a Government Contributory Provident Fund will also be allowed, if he so desires, to carry forward the corpus of the amount, including, Government Contributions of his new Provident Fund Account under Undertaking. Once such transfer of Provident fund balance has taken place, the Government servant concerned will be governed by the Provident Fund Rules of the concerned undertaking and not by the Provident Fund Rules of the State Government.

(D) Earned Leave.

The Public Undertaking concerned should in the event of the absorption of the deputationist would take over the liability in regard to leave on average pay/earned leave that the Government servant concerned has to his credit at the time of leaving Governmet service, and in return the State Government should pay to the Undertaking a lump sum equal to leave salary for the leave on Average Pay/Earned leave due to the Government servant on the date of his permanent absorption in the Public Undertaking while issuing final orders for absorption of the Government servant in the Undertaking. Any unpaid leave salary contribution by the Pubic Undertaking should be adjusted against the lump sum payable by the State Government in respect of leave on Average Pay/Earned Leave of the Government servant concerned.

2. The above orders would be effective from the date of issue of the order and would cover the cases of Government servants who are serving under the Public Undertaking on the said date.

3. In so far as person serving in the Patna High Court, the Bihar Legislative Assembly Secretariat and the Bihar Legislative Council Secretariat are concerned, separate orders will be issued after obtaining the concurrence of the Chief Justice of Patna High Court, and Speaker of the Bihar Legislative Assembly and the Chairman of the Bihar Legislative Council.

4. All cases regarding permanent absorption of Government servant in Public Undertaking may be disposed of in the light of decisions communicated above.

[*Vide Memo No. Pen–1044/70/1950-F, dated 18-2-1974]

3.

***Subject—Permanent transfer of Government servant to Government Companies/Corporations-Grant of retirement benefits.**

It is to invite a reference to Finance Department Memo No. P.C.–Pen—1044/70/1950 F, dated 18th February, 1974 on the above subject and to clarify as follows—

(i) All orders relating to the permanent transfer of Government servants to Government Companies/Corporations and the grant of retirement benefits to them should be issued by the Administrative Department in consultation with the Finance Department.

(ii) There should be no restrospective absorption of employees initially sent on deputation to such a Company/Corporation as it may lead to a claim for refund or non-payment of leave/pension contribution which cannot be withheld or refunded under the existing rules.

(iii) As has already been indicated in the Finance Department Memo No. 1950 F, dated the 18th February, 1974 referred to above, all cases of absorption of Government servants on a permanent basis in public undertaking should be examined keeping in view the public interest involved. In the cases of a Government servant who is elected for appointment in an autonomous body (including public undertakings) on the basis of his own application, the transfer should not be deemed to be in the public interest and Government will not accept any liability to pay any retirement benefits or for carry forward of leave for the period of service rendered under Government. **[*Vide F.D. Memo No. PC. 11-40-55/75–5190 F, dated 30-4-1976]**

4.

***विषय : सरकारी सेवकों की दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन की आदेयता के संबंध में ।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–पेन–103/64-9505/वि०, दिनांक 3–10–1964 की कंडिका 7 (iii) की टिप्पणी (i) के अनुसार किसी मृत सरकारी सेवक की एक से अधिक विधवाएँ जीवित हो तो भारत सरकार के एतद् संबंधी नियमानुसार पारिवारिक पेंशन उनके बीच बराबर–बराबर देय है तथा एक विधवा की मृत्यु के उपरान्त पारिवारिक पेंशन का उक्त भाग उसके नाबालिग संतान को अनुमान्य है । भारत सरकार के पत्रांक–सी० एण्ड ए० जी०–211/ऑडिट–1/ 13–86, दिनांक 4–3–1987 के द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन अनुमान्य नहीं है ।

2. भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या - 9505/वि०, दिनांक 3–10–1964 की कंडिका 7 (iii) की टिप्पणी (i) को विलोपित करते हुए निर्णय लिया गया है कि एक पत्नी के जीवनकाल में दूसरा विवाह करने पर दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगा, परन्तु दूसरी पत्नी से उत्पन्न नाबालिग संतान को पूर्व नियमानुसार पारिवारिक पेंशन की सुविधा देय होगी ।

3. उपर्युक्त संशोधन आदेश के निर्गम की तिथि से प्रभावी होगा परन्तु जिन मामलों में पारिवारिक पेंशन की सुविधा पहले प्रदान की जा चुकी है, उनकी पुन: समीक्षा कर भुगतान रोकने अथवा पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली की कार्रवाई नहीं की जायेगी। पूर्व के अनिर्णीत मामलों पर इस संशोधन के अनुसार ही निर्णय लिया जायेगा । **[*ज्ञाप संख्या पी०सी०–1–मिस–41/92/10,059/ वि०, दिनांक 6–9–1996 की प्रतिलिपि ।]**

5.

***विषय : मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के प्रयोजनार्थ महँगाई भत्ते की एक भाग को महँगाई वेतन के रूप में गणना करने तथा उपादान की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने के सम्बन्ध में ।**

भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापांक 7–1–1995 पी० एण्ड पी०डब्लू०एफ०, दिनांक 14–7–1995 के द्वारा यह निर्णय लिया है कि दिनांक 1–7–1995 को अथवा उसके पश्चात् जो केन्द्र सरकार के कर्मी सेवानिवृत्त

हुए हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो गई है, को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1201.66 से जुड़े महँगाई भत्ते के एक भाग को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान की गणना के प्रयोजनार्थ महँगाई वेतन के रूप में गिना जायेगा। यह महँगाई वेतन केवल सेवानिवृत्ति उपादान एवं मृत्यु उपादान के प्रयोजन हेतु परिलब्धियों की गणना के लिए गिना जायेगा। साथ ही उपादान की अधिकतम सीमा को पुनरीक्षित कर 2.50 लाख रुपये कर दिया गया है। राज्यकर्मियों के द्वारा उपयुक्त आशय की सुविधा प्रदान करने की माँग की जाती रही है।

2. अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1-4-1997 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त/मृत राज्य सरकार के कर्मियों के मृत्यु-सह-उपादान के प्रयोजनार्थ महँगाई वेतन की गणना निम्नांकित रीति से की जायेगी –

	वेतन श्रेणी	महँगाई वेतन माने जाने वाले महँगाई भत्ता का एक भाग
1	2	3
(क)	रु० 3,500 तक मासिक मूल वेतन	वेतन का 97 प्रतिशत
(ख)	रु० 3,500 से अधिक किन्तु रु० 4,000 तक मासिक मूल वेतन	वेतन का 73 प्रतिशत नयूनतम रु० 3,385
(ग)	रु० 4,000 से अधिक मासिक मूल वेतन	वेतन का 66 प्रतिशत न्यूनतम रु० 4,380

3. उपर्युक्त दरों में वित्त विभाग के द्वारा पूर्व में निर्गत ज्ञापांक 2318, दिनांक 16-5-1995 के अन्तर्गत मूल वेतन का 20 प्रतिशत को महँगाई वेतन में शामिल माना जायेगा।

4. किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए इसकी गणना नहीं की जायेगी।

5. उपर्युक्त महँगाई वेतन को पारिवारिक पेंशन के लिए वेतन नहीं माना जायेगा।

6. ठेके पर नियुक्त या ऐसे निवृत्त वेतन पाने वाले कर्मचारी जिन्हें महँगाई भत्ता देय नहीं है, उन्हें यह लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

7. राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्ति-सह-सेवानिवृत्ति उपादान की वर्तमान अधिसीमा 1.00 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये (परिलब्धियों का 16½ गुणा अथवा 2.50 लाख रुपये, जो कम हो) कर दिया गया है। यह दिनांक 1-4-1997 के प्रभाव से लागू माना जायेगा।

8. जहाँ तक बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना उच्च न्यायालय के कर्मियों को यह लाभ देने का प्रश्न है इसके सम्बन्ध में अध्यक्ष बिहार विधान सभा/सभापति बिहार विधान परिषद् एवं मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना का अनुमोदन प्राप्त कर इस सम्बन्ध में आदेश निर्गत किया जायेगा।

[*संकल्प ज्ञापांक 4159 वि०, दिनांक 5-5-1998]

6.

***विषय : पेंशन सम्बन्धी विषयों का त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सेवानिवृत्ति लाभों का त्वरित निष्पादन नहीं होने के चलते उच्च न्यायालय में पेंशन सम्बन्धी मुकदमों की भरमार हो गई है तथा अधिकांश न्यायादेशों में पेंशन/उपादान तथा भविष्य निधि में जमा राशि के भुगतान के अतिरिक्त दण्डात्मक दर से सूद एवं मुकदमा खर्च के भुगतान का निदेश भी न्यायपालिका द्वारा दिया जा रहा है जिसके अनुपालन में बाध्यत: सरकार को पर्याप्त राशि का भुगतान करना पड़ता है। कई मामलों की समीक्षा में ऐसा पाया गया है कि विलम्ब के मूल में सरकारी सेवक का आचरण होता है, परन्तु फिर भी समय पर प्रशासनिक कार्रवाई पूर्ण नहीं होने के चलते सरकार को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है।

2. पेंशन सम्बन्धी प्रक्रिया के सरलीकरण और त्वरित निष्पादन के सम्बन्ध में सरकार के द्वारा कई परिपत्र पूर्व में भी निर्गत किए गए हैं। परन्तु, इसके बावजूद पेंशनी लाभों के निष्पादन में विलम्ब हो रहा है और न्यायालयों में मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं।

3. समीक्षा में पाया गया है कि समय पर पेंशनरी मामलों का निष्पादन नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं –

(1) प्रोन्नति/वरीयता निर्धारण का लम्बित होना।
(2) कालबद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि लम्बित होना।
(3) वेतन निर्धारण लम्बित होना।
(4) विभागीय कार्यवाही का लम्बित होना।
(5) अग्रिमों की वसूली लम्बित होना।
(6) गलत कालबद्ध प्रोन्नति या वेतन के आधार पर भुगतान की गई राशि की वसूली।
(7) सेवा में टूट का विनियमन लम्बित होना।
(8) सेवा का सत्यापन लम्बित होना।
(9) भविष्य निधि लेखा का सत्यापन न होना।
(10) वरीयता/प्रोन्नति का न्यायालय में मुकदमा।
(11) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा समय पर अपेक्षित कार्रवाई में रुचि न लेना।
(12) पूर्व की सेवा को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए जोड़ना, लम्बित होना।
(13) सेवानिवृत्ति लाभ देने की कार्रवाई ससमय प्रारम्भ नहीं करना।

4. उपर्युक्त में से अधिकांश कारण ऐसे हैं कि जिनके निवारण के लिए सेवानिवृत्ति तक प्रतीक्षा किए जाने का कोई कारण नहीं है। वस्तुतः अगर गहराई में जाएँ तो पेंशनरी लाभों के निष्पादन में विलम्ब का मुख्य कारण विभिन्न स्तरों पर संवेदनशीलता की कमी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलाई और गैर-जवाबदेही है।

5. यह कहने की जरूरत नहीं है कि कार्यालय के दिनानुदिन के काम जैसे सेवा सत्यापन, प्रोन्नति, अग्रिमों की स्वीकृति व वसूली, विभागीय कार्यवाही का निष्पादन जैसे कार्य वित्तीय नियमों के अनुसार और समयबद्धता के साथ हों, तो सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान में जटिलताएँ कम हो जाएँगी और विलम्ब की सम्भावना नहीं रहेगी।

6. बहुत मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ प्रशासी विभागों को निर्णय लेने की शक्तियाँ विकेन्द्रित हैं और जहाँ बिहार सेवा संहिता/बिहार पेंशन नियमावली आदि के प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट हैं, वैसे भी मामले वित्त विभाग/विधि विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में परामर्श के लिए भेज दिए जाते हैं। ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि ठोस और नियमपरक निर्णय लेने के लिए ऐसा किया गया है, परन्तु कई मामलों के तथ्यों को देखकर ऐसी धारणा बनती है कि कई बार ऐसा टालने के निमित्त किया जाता है। यह प्रवृत्ति सचिवालय एवं सम्बद्ध विभागों के स्तर पर ज्यादा है। अतः विभागों के उच्च स्तर के पदाधिकारियों के स्तर पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि वैसे ही मामले परामर्श के लिए भेजे जाएँ जो नियमों से आच्छादित नहीं हो, या जिनमें नियमों की अस्पष्टता हो या नियमों में विरोधाभास हो या नियमों से भिन्न/विपरीत कोई न्याय निर्णय हुआ हो।

7. सेवानिवृत्ति लाभों पर ससमय निर्णय हो, इसके लिए निम्न प्रकार से कार्रवाई की जाए –

(i) सभी कार्यालय प्रधान, जहाँ सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की जानी है, सेवानिवृत्ति के 18 माह पूर्व ही कार्रवाई प्रारम्भ कर दें। सभी कार्यालय प्रधान अपनी अध्यक्षता में सम्बद्ध अधीनस्थ पदाधिकारियों का एक सेल का गठन करेंगे जो सेवानिवृत्ति के सभी मामलों को लगातार अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित कराएगी कि किसी कर्मी को सेवानिवृत्ति की तिथि को नियमानुसार सारी सेवानिवृत्ति लाभ मिल जाए। अगले 18 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले सभी अधीनस्थ कर्मचारियों की सूची सम्बन्धित नियंत्री पदाधिकारी और विभागाध्यक्षों के स्तर पर संधारित की जाएँ।

(ii) वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को विकास कार्यों आदि के लिए वैसा कोई अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जाए, जिसकी वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई बाद में हो सकती है।

(iii) हर मामले में विस्तृत समीक्षा कर वैसे विषयों की पहचान कर ली जाए, जो ससमय सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति में बाधा डाल सकते हैं।

(iv) लम्बित विषयों के निष्पादन हेतु सम्बन्धित पदाधिकारियों (जैसे भविष्य निधि पदाधिकारी या विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी या जिला लेखा पदाधिकारी) को सेवानिवृत्ति की तिथि का

उल्लेख करते हुए अर्द्धसरकारी पत्र लिखकर एक समय-सीमा निर्धारित कर मामले का निष्पादन करने का अनुरोध कर दें।

(V) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी से निर्धारित तिथि पर आवेदन प्राप्त कर लिया जाए, रुचि न लेने वाले कर्मचारी का वेतन रोक कर भी आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त करने की जवाबदेही कार्यालय प्रधान की होगी।

(vi) सम्बन्धित कर्मचारी की लम्बित भविष्य निधि की कटौती – विवरणी भविष्य निधि कोषांग में भेजकर एक निर्धारित समय-सीमा में अद्यतन लेखा की माँग की जाए और समय पर प्राप्त न होने पर सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/निदेशक, भविष्य निधि को इसकी सूचना दी जाए।

8. सचिवालय स्तर पर परामर्श हेतु भेजी जाने वाली ऐसी सँचिकाओं के ऊपर और पृष्ठांकन करते समय सेवानिवृत्ति की तिथि स्पष्ट तौर पर अंकित कर दी जाए, ताकि सम्बन्धित पदाधिकारी/कर्मचारी को यह बिल्कुल स्पष्ट हो कि संचिका का निष्पादन त्वरित गति से किया जाना है।

उपर्युक्त कार्रवाई से, विलम्ब की स्थिति में, जिम्मेदारी निर्धारित करने और भुगतेय सूद की वसूली दोषी व्यक्ति से वसूल करने में आसानी होगी।

9. सेवानिवृत्ति लाभ सभी कर्मियों को नियमानुसार ससमय प्राप्त हो जाए इसके लिए उच्च स्तर पर भी लम्बित मामलों की लगातार समीक्षा आवश्यक है। इस ध्येय से विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित सेल का गठन किया जाए –

(i) कार्यालय प्रधान के अन्तर्गत गठित होने वाले सेल की चर्चा कंडिका 7 (प) में की जा चुकी है।

(ii) जिला पदाधिकारी अपनी अध्यक्षता में एक समिति गठित करेंगे जिसमें जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी यथा – आरक्षी अधीक्षक, असैनिक शल्य चिकित्सक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं कार्य विभागों के कार्यपालक अभियन्ता इत्यादि सदस्य रहेंगे। इस समिति में जिला लेखा पदाधिकारी तथा जिला भविष्य निधि पदाधिकारी भी अनिवार्य रूप से सदस्य होंगे। इस समिति का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक माह समीक्षा कर सुनिश्चित करवायेंगे कि जिला में जितने सरकारी कर्मी निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले हैं उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ स्वीकृत करने की सम्पूर्ण कार्रवाई सम्बन्धित कार्यरत् प्रधान के द्वारा कर ली गयी है। जिला स्तरीय समिति, जिला भविष्य निधि कोषांग से आँकड़ों का कम्प्यूटरीकृत उपयोग कर पूरे जिले के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तिथि आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं।

(iii) प्रमण्डलीय आयुक्त अपने कार्यालय में एक सेल का गठन करेंगे जो कम से कम अपर समाहर्त्ता पदाधिकारी की अध्यक्षता में होगा तथा जिसमें प्रमण्डलीय स्तर के अन्य विभागों के पदाधिकारी सदस्य होंगे।

(iv) विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर एक सेल का गठन करें जिसमें सेवानिवृत्ति लाभ से सम्बन्धित अन्य पदाधिकारी सदस्य होंगे। इसमें पदाधिकारी विशेष को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने, उन्हें समय पर सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति तथा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा।

10. प्रमण्डलीय आयुक्त तथा जिला पदाधिकारी के स्तर पर होने वाली त्रैमासिक/मासिक बैठकों में ऐसे सभी मामलों की, और जरूरत पड़ने पर, बड़े विभागों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की अलग से भी समीक्षा की जाए। उसी प्रकार नियंत्री पदाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण/भ्रमण के दौरान भी इसकी समीक्षा की जाए। विभागीय सचिव/विभागाध्यक्षों के स्तर पर होने वाली मासिक बैठकों में सभी लम्बित मामलों पर विचार किया जाए जो समय पर सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति और भुगतान में बाधा डाल सकते हैं। इसके निस्तार के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया जाए और यह स्मरण भी दिलाया जाए कि पेंशनरी लाभों पर सूद भुगतान किए जाने की स्थिति में उसकी वसूली दोषी पदाधिकारी/कर्मचारियों से किए जाने का सरकारी निर्णय है।

11. विभिन्न स्तरों पर सेल द्वारा समीक्षा का आधार सिर्फ आँकड़े न हों (कि कितने मामले निष्पादित किए गए) वरन् उनका उद्देश्य समस्या और उसके निदान की पहचान कर उसे चिह्नित करना है। यह तभी होगा, जब हर स्तर पर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार सूची संधारित हो। जहाँ भी कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध हो, उसका पूरा उपयोग इस वर्ष के लिए किया जाए।

12. सेल/समिति का गठन किए जाने की सूचना सम्बन्धित पदाधिकारियों के नाम के साथ पत्र पाने के पन्द्रह दिनों के अन्दर दी जाए साथ ही सेवानिवृत्ति तिथिवार कर्मचारियों की सूची की पंजी संधारित करने और मोनिटरिंग के लिए की गयी व्यवस्था की सूचना वित्त विभाग (पेंशन शाखा) को दी जाए। किसी भी परिस्थिति में इस परिपत्र को अधीनस्थ पदाधिकारियों को परिचालित नहीं किया जाए, बल्कि इसके आधार पर अपना एक्शन प्लान और निर्देश-पत्र निर्गत किया जाए और उसकी प्रति भी वित्त विभाग (पेंशन शाखा) को दी जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। [***पत्र संख्या पी०सी० विविध 12/99-8042 वि०पें०, दिनांक 30-8-1999**]

7.

***विषय : चिकित्सकों के पेंशन एवं उपादान के निर्धारण की प्रक्रिया में परिवर्तन।**

वित्त विभाग द्वारा निर्गत राज्यादेश संख्या 7082, दिनांक 9-6-1976 के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि तिथि 1 जनवरी, 1976 से प्रैक्टिसिंग एवं नन-प्रैक्टिसिंग दोनों कोटि के चिकित्सकों को उनके द्वारा प्राप्त ग्रॉस-पे (Gross-Pay) के आधार पर ही पेंशन आदि की गणना की जाए, पर इस आदेश के चलते दिनांक 1 अप्रैल, 1964 से दिनांक 31-12-1975 की अवधि में सेवानिवृत्त प्रैक्टीसिंग चिकित्सक उपर्युक्त लाभ से वंचित हो गये। एकरूपता की दृष्टि से इस विषमता को दूर करना उचित जँचता है, क्योंकि वैधानिक अड़चनों की सम्भावना है।

अतः पुनः सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने उक्त परिपत्र को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया है कि ग्रॉस-पे (Gross-Pay) पर सभी चिकित्सकों को प्रैक्टीसिंग एवं नन-प्रैक्टीसिंग पेंशन आदि की गणना करने की सुविधा दिनांक 1-4-1964 से दी जाये।

उपर्युक्त निर्णयक के आलोक में दिनांक 1-4-1964 से दिनांक 31-12-1975 की अवधि में सेवानिवृत्त/मृत प्रैक्टीसिंग चिकित्सकों के पेंशन उपादान के मामलों को पुनरीक्षित करें। [***पत्र सं० 1252 वि०, दिनांक 10-5-1980**]

8.

***विषय : 31-3-1979 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों को उदारीकृत पेंशन फार्मूला का लाभ दिया जाना।**

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्रांक पेन-1-1343, दिनांक 20-11-1986 के प्रसंग में कहना है कि 31-3-1979 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों के मामले में वास्तविक निर्णय लिया गया —

(i) राजपत्रित पदाधिकारी वास्तविक गणना के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने नाम के साथ अपने सेवानिवृत्ति के समय का पदनाम एवं जिस कार्यालय एवं जिलों जहाँ से वे सेवानिवृत्त हुए थे उसका उल्लेख आवेदन में करेंगे।

(ii) जहाँ पेंशनर के सेवा-अभिलेख के प्रसंग में वास्तविक गणना के आधार पर पेंशन का पुनरीक्षण चाहेंगे, वैसे मामले को पेंशनर विहित प्रपत्र में, आवेदन-पत्र कार्यालय प्रधान को देंगे, जहाँ से वे सेवानिवृत्त हुए थे, सीधे कोषागार पदाधिकारी को समर्पित नहीं करेंगे।

(iii) सम्बन्धित कार्यालय प्रधान पेंशनर से प्राप्त आवेदन को कोषागार पदाधिकारी (जहाँ से पेंशन निकासी होती है) के पास सेवा-पुस्त/सेवा-अभिलेख के साथ भेजेंगे। यदि सेवा-पुस्त एवं सेवा-अभिलेख, कार्यालय प्रधान के पास उपलब्ध नहीं हो, तो वैसे मामले में कार्यालय प्रधान एक प्रमाण-पत्र देंगे जिसमें पेंशनरों की जन्म तिथि, पेंशन प्रदायी सेवा प्रारम्भ की तिथि, सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने की तिथि एवं सेवानिवृत्ति के पूर्व 10 माह में प्राप्त वेतन का उल्लेख हो एवं जो कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख से जाँच लिया गया हो।

(iv) सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी द्वारा आवेदन में प्रविष्टियों की जाँच कर आवेदन-पत्र को सेवा-पुस्ति/सेवा-अभिलेख के साथ महालेखाकार को अग्रसारित किया जायेगा।

2. उपरोक्त प्रक्रिया की कण्डिका (ii), (iii) एवं (iv) अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए एवं वैसे राजपत्रित पदाधिकारी जिनके वेतन एवं भत्ते की निकासी कार्यालय प्रधान द्वारा स्थापना विपत्र में की जाती है, के मामले में लागू होगा। वैसे राजपत्रित पदाधिकारी जिनका सेवा-अभिलेख महालेखाकार द्वारा रखा जाता है, वे अपना

आवेदन-पत्र सीधे कोषागार पदाधिकारी को भेजेंगे जो उसे महालेखाकार को आवश्यक कार्रवाई के बाद अग्रसारित करेंगे । [*पत्र संख्या 421, दिनांक 6-3-1987]

9.

***विषय : फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में पेंशन/पारिवारिक पेंशन या दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से पुनरीक्षण/समेकन के फलस्वरूप दिनांक 1-4-1997 से बकाये राशि के भुगतान के सम्बन्ध में ।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक् वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, दिनांक 22-12-1999 एवं 11558, दिनांक 22-12-1999 का कृपया स्मरण किया जाये । उक्त संकल्पों में यह प्रावधान किया गया है कि बकाये राशि का भुगतान तीन वार्षिक किस्तों से किया जाये । किस्तों में संशोधन हेतु राज्य के पेंशनधारियों के निरन्तर माँग पर वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1431, दिनांक 7-3-2000 के द्वारा बकाये राशि का भुगतान तीन वार्षिक किस्तों में किया जाये । किस्तों में संशोधन हेतु राज्य के पेंशनधारियों के निरन्तर माँग पर वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1431, दिनांक 7-3-2000 के द्वारा बकाये राशि का भुगतान दो वार्षिक किस्तों में करने हेतु आदेश निर्गत किया गया ।

राज्य सरकार को ऐसी जानकारी मिली है कि कदाचित महालेखाकार, बिहार द्वारा पेंशन रूपान्तरण एवं उपदान के बकाये राशि से सम्बन्धित एक मुश्त भुगतान हेतु प्राधिकार-पत्र निर्गत किया जा रहा है जबकि पेंशन रूपान्तरण एवं उपदान का भुगतान भी किस्तों में किया जाना है । यदि ऐसी स्थिति है, तो निस्संदेह राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

अत: भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाये कि पेंशन रूपांतरण एवं उपदान के बकाये राशि के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प के अनुरूप ही भुगतान की कार्रवाई की जाये । [*पत्र संख्या पी०सी०-1-01/99/3863, दिनांक 23-5-2000]

10.

***विषय : फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से पुनरीक्षण/समेकन के फलस्वरूप दिनांक 1-4-1997 से देय बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में ।**

इस विभाग के पत्र संख्या 1431, दिनांक 7-3-2000 के द्वारा इस आशय का संशोधन किया गया था कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि का भुगतान तीन वार्षिक किस्तों की बजाय दो समान वार्षिक किस्तों में जून, 2000 तथा अप्रैल, 2001 में किया जायेगा । विभाग के पत्र संख्या 3863, दिनांक 23-5-2000 के द्वारा इस आशय का स्पष्टीकरण भी निर्गत किया गया है कि किस्तों में भुगतान का निर्णय मासिक पेंशन के अलावा पेंशन रूपान्तरण एवं उपदान के बकाया राशि पर भी लागू है ।

इस क्रम में निदेशानुसार यह भी स्पष्ट करना है कि पेंशन रूपान्तरण के फलस्वरूप पेंशन की राशि में जो कटौती होती है वह भी दो चरणों में बकाये राशि के भुगतान के माह और वर्ष के अनुसार की जायेगी । तद्नुसार, पेंशन की काटी गई राशि का प्रत्यस्थापन भी 15 वर्षों के बाद दो चरणों में किया जायेगा ।

दो किस्तों में भुगतान की तिथि पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि वित्तीय प्रबन्धन की दृष्टि से बकाया राशि की द्वितीय किस्त का भुगतान अप्रैल, 2001 की बजाय जून, 2001 में देय होगा । [*पत्र संख्या पी०सी० 1-01/99/4547, दिनांक 8 जून, 2000]

11.

***विषय : 1-1-1996 के प्रभाव से पेंशन का पुनरीक्षण – बकाया भुगतान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।**

इस विभाग के संकल्प 11556, 11557 तथा 11558, दिनांक 22-12-1999 के द्वारा पेंशन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये हैं । बाद में पत्रांक 3863, दिनांक 23-5-2000 द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि बकाया राशि का किस्तों में भुगतान न सिर्फ पेंशन के बकाया राशि के लिए

वरन् पेंशन रूपान्तरण एवं उपदान के बकाया भुगतान के लिए भी लागू है। पत्रांक 4547, दिनांक 8-6-2000 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि दो किस्तों में पेंशन रूपान्तरण की राशि के भुगतान के चलते पेंशन की काटी गई राशि का प्रत्यस्थापन भी 15 वर्षों के बाद दो चरणों में किया जायेगा। साथ ही यह निर्णय संसूचित किया गया कि बकाया राशि का भुगतान दो समान वार्षिक किस्तों में जून, 2000 तथा 2001 में देय होगा। वित्त विभाग के पत्रांक 4548, दिनांक 8-6-2000 के द्वारा यह स्पष्टीकरण भी निर्गत किया गया कि 31-12-1995 को सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्हें 1-1-1996 से पेंशन देय है के पेंशन का समेकन संकल्प संख्या 11558, दिनांक 22-12-1999 के अनुसार किया जाएगा और कोषागारों तथा बैंकों के द्वारा रेडी रेकनर के अनुसार पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की समेकित राशि का भुगतान किया जायेगा।

उक्त निर्णय के क्रम में कुछ कोषागार पदाधिकारियों द्वारा निम्नांकित पृच्छाएँ की गई हैं –

(1) 1-1-1986 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों के पेंशन का समेकन बैंकों तथा कोषागारों के द्वारा किया जायेगा या नहीं ?

उन्हें पुनरीक्षित पेंशन की राशि का भुगतान महालेखाकार से प्राधिकार-पत्र के बिना किया जायेगा या नहीं ?

(2) कोषागारों तथा बैंकों के द्वारा बकाया राशि का भुगतान महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र के बिना किया जायेगा अथवा नहीं ?

(3) किस्तों में उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की बकाया राशि का भुगतान 1-4-1997 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनधारकों के मामले में लागू है अथवा नहीं ?

(4) जिन मामलों में महालेखाकार द्वारा उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की बकाया राशि के एक मुश्त भुगतान करने का प्राधिकार-पत्र पूर्व में निर्गत है उन मामलों में भुगतान किया जाए अथवा नहीं ?

उपर्युक्त प्रथम पृच्छा के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्ति के सभी मामलों में सम्बन्धित कोषागारों तथा बैंकों के द्वारा संकल्प संख्या 11558 के साथ संलग्न रेडी रेकनर के अनुसार पेंशन का समेकन और महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की प्रतीक्षा किए बिना पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान किया जाना है, चाहे सेवानिवृत्ति 1-1-1986 के पूर्व ही क्यों न हुई हो।

2. जहाँ तक बकाया पेंशन के भुगतान का प्रश्न है जिस प्रकार रेडी रेकनर के आधार पर पेंशन का समेकन और पुनरीक्षण कोषागारों तथा बैंकों के द्वारा बिना महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र के कर दिया जाना है। महालेखाकार का प्राधिकार-पत्र प्राप्त होने पर भुगतान की गई राशि का समायोजन कर ही अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, का भुगतान किया जाएगा।

3. तृतीय पृच्छा के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि दो किस्तों में बकाया राशि के भुगतान की शर्त्त दिसम्बर, 1999 के पूर्व सेवानिवृत्ति के वैसे सभी मामलों में है जिनमें एक बार उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की राशि स्वीकृत हो गई हो और पेंशन पुनरीक्षण के आदेश के चलते दुबारा अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी गई है। 1-4-1997 के बाद सेवानिवृत्त वैसे पेंशनधारी जिन्हें पूर्व में उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की राशि स्वीकृत नहीं हुई है उनके मामले में बकाया भुगतान का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उपदान तथा पेंशन रूपान्तरण की राशि की स्वीकृति नए आदेशों के तहत् होगी।

4. जहाँ तक चौथी पृच्छा का प्रश्न है, महालेखाकार द्वारा निर्गत प्राधिकार-पत्र के अनुसार ही भुगतान किया जाए अर्थात् जिन मामलों में उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त करने का प्राधिकार-पत्र निर्गत हो गया है उनमें तद्नुसार ही भुगतान कर दिया जाए। परन्तु, जहाँ तक पेंशन पुनरीक्षण की बकाया राशि के भुगतान का प्रश्न है, तीन किस्तों में भुगतान के मूल निर्णय में इस संशोधन के बाद की बकाया का भुगतान दो किस्तों में हो; जून, 2001 में दूसरी किस्त का भुगतान करते समय शेष दो-तिहाई राशि का भुगतान बिना संशोधित प्राधिकार-पत्र की प्रतीक्षा किए कोषागारों तथा बैंकों द्वारा कर दिया जाए।

अनुरोध है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार भुगतान की कार्रवाई की जाए, ताकि पेंशनरों को कोई कठिनाई न हो। **[*पत्र संख्या पी०सी० 01/99-6469, दिनांक 26 जुलाई, 2000]**

12.

***विषय : वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11557, दिनांक 22-12-1999 एवं संकल्प संख्या 11558, दिनांक 22-12-1999 में अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन हेतु आवेदन-पत्र दाखिल करने की समय-सीमा के सम्बन्ध में ।**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्देशानुसार कहना है कि राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11557, दिनांक 22-12-1999 की कंडिका 7(1) के अनुसार संकल्प निर्गम की तिथि से 10 माह के अन्तर्गत एवं संकल्प संख्या 11558, दिनांक 22-12-1999 की **कंडिका 9 (111)** के अनुसार संकल्प निर्गत की तिथि से 8 माह के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्यालय/विभाग में आवेदित करने का प्रावधान है ।

किन्तु ऐसा देखने में आ रहा है कि सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले पेंशन/पारिवारिक पेंशन धारकों द्वारा अभी तक आवेदन–पत्र सम्बन्धित कार्यालय/विभाग को भेजा नहीं जा सका है, क्योंकि सम्बन्धित सूचना उन्हें विलम्ब से प्राप्त हुई है ।

अत: सम्यक् विचारोपरान्त अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित कार्यालय/विभाग में भेजने का निर्धारित समय-सीमा की अवधि दिनांक 31-3-2001 तक बढ़ाई गई है । इस प्रकार वैसे पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारी, जो अभी तक अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन हेतु आवेदित नहीं कर सके हैं, वे दिनांक 31-3-2001 तक सम्बन्धित कार्यालय/विभाग में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । [***पत्र संख्या पी०सी०-01/99–8960/वि०, दिनांक 28-9-2000**]

13.

***विषय : पेंशन के दायित्वों के बँटवारा के सम्बन्ध में ।**

आप अवगत हैं कि बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 53 के साथ पठित अनुसूची 8 में पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के दायित्वों के दोनों उत्तरावर्ती राज्यों के बीच विभाजन की व्यवस्था है । राज्य के विभाजन की तिथि अर्थात् 15-11-2000 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों हेतु उक्त तिथि के बाद उत्तरावर्ती बिहार तथा झारखण्ड के कोषागारों से जितनी राशि का प्रत्येक वर्ष भुगतान होता है, उसे दोनों राज्यों के बीच उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को कार्यरत् कर्मियों के अनुपात में की जाने की व्यवस्था है । अत: यह आवश्यक है कि 31 मार्च को उत्तरावर्ती बिहार में कार्यरत् कर्मियों की संख्या की सही–सही गणना की जाये ।

2. कर्मियों की गणना हेतु प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी से यह अपेक्षित होगा कि वे अपने अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को यह निर्देश दे दें कि फरवरी तथा मार्च महीने के वेतन विपत्र को कोषागार की निकासी हेतु भेजते वक्त विपत्र के साथ एक प्रपत्र संलग्न करें जिसमें निम्नलिखित सूचना अनिवार्य रूप से अंकित हो –

(i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम –
(ii) मुख्य शीर्ष जिससे निकासी की जा रही है –
(iii) लघु शीर्ष जिससे निकासी की जा रही है –
(iv) उप-शीर्ष जिससे निकासी की जा रही है –
(v) कर्मियों की संख्या जिनके लिए सामान्यत: इस एकल विपत्र से वेतन निकासी की जाती है ।
(vi) कर्मियों की संख्या जिनके लिए इस विपत्र द्वारा इस माह निकासी हो रही है ।

3. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से यह अपेक्षित होगा कि कोषागार को विपत्र भेजते हुए ऊपर विहित प्रपत्र में सूचना को अंकित करने के साथ ही साथ उक्त प्रपत्र में सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी (सचिव/विभागाध्यक्ष) को भी उपलब्ध करा दें । नियंत्री पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से प्राप्त सूचना को मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्षवार संकलित कर कर्मियों की संख्या वित्त विभाग को 30 अप्रैल तक उपलब्ध करायेंगे । नियंत्री पदाधिकारियों से यह अनुरोध होगा कि कर्मियों की संख्या शीर्षवार प्रतिवेदित करते वक्त वित्त विभाग को 2001–2002 की बजट बनाते वक्त प्रतिवेदित उपशीर्षवार कार्यरत् बल की सहायता कतई न लें, क्योंकि यदि उन आँकड़ों में त्रुटि है तो ऐसा करने से उनकी पुनरावृत्ति हो जायेगी ।

4. कर्मियों की संख्या इंगित करते वक्त यह भी ध्यान में रखना होगा कि इनमें वैसे कर्मियों को न जोड़ा जाये जो कार्यभारित स्थापना, श्रम पुस्त अथवा दैनिक मजदूरी पर कार्यरत् हैं। अनुदानित संस्थानों के कर्मियों की संख्या को भी नहीं जोड़ा जाना है।

5. वैसे पदाधिकारी जो अपने वेतन की निकासी स्वयं करते हैं, को भी यह निर्देश दिया जाये कि वे अपने वेतन विपत्र के साथ विहित प्रपत्र में सूचना अंकित करेंगे। स्पष्टतः ऐसे पदाधिकारियों के सन्दर्भ में प्रपत्र की उप-कंडिका (v) एवं (vi) में संख्या एक प्रतिवेदित होगा।

6. अनुरोध होगा कि अपने अधीन सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के सम्बन्ध में तुरन्त निर्देश निर्गत करने की कृपा की जाये, ताकि समय पर उत्तरावर्ती बिहार में कार्यरत् कर्मियों की संख्या का संकलन किया जा सके। यह भी उल्लेख है कि राज्य के सभी कोषागारों/उपकोषागारों को इस परिपत्र तथा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि फरवरी एवं मार्च महीने के वेतन विपत्र बिना उपर्युक्त प्रपत्र में अंकित सूचना के पारित न किये जाएँ। [*पत्र संख्या एम 4-109/2000/806 वि० (2), दिनांक 9-2-2001]

14.

***विषय : बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आलोक में पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति एवं भुगतान के सम्बन्ध में।**

जैसा आप अवगत हैं, बिहार राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के मद में भुगतान की गयी राशि के दायित्व का वितरण दोनों उत्तरावर्ती राज्यों के बीच किया जाना है। दायित्व के विभाजन की व्यवस्था बिहार पुनर्गठन अधिनियम की 8वीं अनुसूची में अंकित है। जैसा कि आपको जानकारी होगी, अधिनियम की उक्त अनुसूची में वैसे पेंशन जो राज्य के विभाजन के पूर्व ही सेवानिवृत्त हुए थे तथा वैसे पेंशनर जो राज्य के विभाजन के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए होंगे, को भुगतेय पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्व-वितरण के सम्बन्ध में अलग-अलग व्यवस्था है। जहाँ पूर्व से सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को भुगतान की गयी राशि का विभाजन उत्तरावर्ती बिहार एवं झारखण्ड में कर्मियों की संख्या के अनुपात पर किया जाना है, वहीं राज्य के विभाजन के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सन्दर्भ में उनके द्वारा अविभाजित बिहार के लिए की गयी सेवा से उत्पन्न दायित्व को दोनों राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में बाँटने की बात कही गयी है।

2. पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्व के विभाजन का उत्तरदायित्व महालेखाकार को दिया गया है। महालेखाकार इस सन्दर्भ में अपने कर्त्तव्यों का भलीभाँति निर्वहन कर सकें इसके लिए यह आवश्यक है कि राज्य के विभाजन के पूर्व से सेवानिवृत्त कर्मी तथा राज्य के विभाजन के पश्चात् सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मी के निमित्त भुगतान की गयी राशि के आँकड़े अलग-अलग रखे जायें। इसे सुनिश्चित करने के लिए 2001-2002 की बजट में अलग उपशीर्ष की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए, मुख्य शीर्ष-2071-पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ को उप मुख्य शीर्ष 01-असैनिक लघु शीर्ष-101 अधिवर्षता सेवानिवृत्ति भत्ते के अन्तर्गत अब दो उप-शीर्ष हैं। पहला उप-शीर्ष 15-11-2000 के पूर्व पेंशनभोगियों को भुगतान हेतु है, जबकि दूसरा उप-शीर्ष उत्तरावर्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों की पेंशन भुगतान हेतु है। इस प्रकार उपदान, पारिवारिक पेंशन तथा उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान हेतु भी राज्य के विभाजन के पूर्व तथा विभाजन के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों के लिए राशि के भुगतान हेतु अलग-अलग उपशीर्ष की व्यवस्था की गई है। इस पत्र के साथ दो विवरणियाँ संलग्न हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य के विभाजन के पूर्व तथा राज्य के विभाजन के बाद के पेंशनभोगियों की पेंशन/ सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किन उप-शीर्षों से होना है। विवरणी-1 अविभाजित बिहार से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के सन्दर्भ में है, जबकि विवरणी-2 उत्तरावर्ती बिहार से सेवानिवृत्त हुए तथा होने वाले पेंशनरों के सन्दर्भ में है।

3. अनुरोध होगा कि अब इस वित्तीय वर्ष (2001-2002) से भुगतान होने वाली पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों की राशि को (इंगित) संगत उप-शीर्ष से ही विकलित किया जाए।

विवरणी-1

मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के अन्तर्गत 15-11-2000 के पूर्व के पेंशन-भोगियों के लिए राशि का उपबन्ध निम्नांकित मदों के सामने अंकित उपमुख्य/लघु तथा उपशीर्ष तथा इकाइयों के अंतर्गत राशि के भुगतान की व्यवस्था की जानी है।

पेंशन का भुगतान : सामान्य उप-मुख्य शीर्ष-01-असैनिक ।
लघु शीर्ष-101-अधिवर्षता सेवानिवृत्ति भत्ते ।
उप-शीर्ष 15-11-2000 के पूर्व के पेंशन पाने वालों का भुगतान ।

पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया का भुगतान : उप-मुख्य शीर्ष-01-असैनिक ।
लघु शीर्ष-101-अधिवर्षता सेवानिवृत्ति भत्ते ।
उप-शीर्ष 15-11-2000 के पूर्व के पेंशन पाने वालों को पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया पेंशन का भुगतान ।

पेंशनों का रूपान्तरित मूल्य : उप-मुख्य शीर्ष-01-असैनिक ।
लघु शीर्ष-102-पेंशनों का रूपान्तरित मूल्य ।
उप-शीर्ष 15-11-2000 के पूर्व के पेंशनर्स के बकाये रूपान्तरित मूल्य का भुगतान ।

उपदान : उप-मुख्य शीर्ष-01-असैनिक ।
लघु शीर्ष-104-उपदान-अन्य उपदान ।
उप-शीर्ष 15-11-2000 के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भुगतान ।

पारिवारिक पेंशन : उप-मुख्य शीर्ष-01-असैनिक ।
लघु शीर्ष-105-पारिवारिक पेंशन ।
उप-शीर्ष पारिवारिक पेंशन ।

भुगतेय उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि : उप-मुख्य शीर्ष-01-असैनिक ।
लघु शीर्ष-115-सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी/पदाधिकारी को भुगतेय उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि ।
उप-शीर्ष 14-11-2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी/पदाधिकारी को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि ।

विवरणी–2

मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के अन्तर्गत "उत्तरावर्ती बिहार" दिनांक 15-11-2000 तथा इसके बाद के पेंशनभोगियों के लिए राशि का उपबन्ध निम्नांकित मदों के सामने अंकित उप मुख्य/लघु तथा उप शीर्ष तथा इकाइयों के अन्तर्गत राशि के भुगतान की व्यवस्था की जानी है ।

पेंशन का भुगतान : सामान्य उप-मुख्य शीर्ष-01-असैनिक ।
लघु शीर्ष-101-अधिवर्षता सेवानिवृत्ति भत्ते ।
उप-शीर्ष उत्तरावर्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों को पेंशन का भुगतान ।

पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया का भुगतान : उप-मुख्य शीर्ष-01-असैनिक ।
लघु शीर्ष-101-अधिवर्षता सेवानिवृत्ति भत्ते ।
उप-शीर्ष उत्तरावर्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों का पेंशन भुगतान ।

पेंशनों का रूपान्तरित मूल्य : उप-मुख्य शीर्ष-01-असैनिक ।
लघु शीर्ष-102-अधिवर्षता सेवानिवृत्ति भत्ते ।

	उप-शीर्ष उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों को महँगाई राहत का भुगतान ।
उपदान	: उप-मुख्य शीर्ष-01-असैनिक । लघु शीर्ष-104-उपदान । उप-शीर्ष उत्तरवर्ती बिहार से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का भुगतान ।
पारिवारिक पेंशन	: उप-मुख्य शीर्ष-01-असैनिक । लघु शीर्ष-105-पारिवारिक पेंशन । उप शीर्ष-उत्तरवर्ती बिहार से सेवानिवृत्त/पारिवारिक पेंशन का भुगतान ।
भुगतेय उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि	: उप-मुख्य शीर्ष-01-असैनिक । लघु शीर्ष-115-सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी/पदाधिकारी को भुगतेय उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि । उप शीर्ष-उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि ।

[*पत्र संख्या एम-4-3/2001-2689 वि० 2, दिनांक 25-4-2001]

15.

***एल०पी०ए० 396/2000 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम देवेन्द्र कुमार मिश्रा में पारित माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश की प्रमाणित प्रति का परिचालन ।**

निदेशानुसार उपर्युक्त एल०पी०ए० में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जाती है ।

In the High Court of Judicature at Patna

L.P.A. 396 of 2000

The State of Bihar & Ors. Vrs. Devendra Kumar Mishra

For the Appellants	: Mr. Ram Priya Charan Singh, J.C. to A.A.G.II.\
for the Respondent	: Mr. Ebrahim Kabir.
For the intervenor Respondent	: Mr. T.P. Singh & Mr. S. Kumar Singh & Mr. Harendra Pratap Singh.

7. 12-1-2001—This appeal has been preferred on behalf of the State of Bihar against the order dated 15-9-1999 in C.W.J.C. No. 9782 of 1998, whereby the writ petition was allowed with a direction to treat the date of birth of the respondent (Writ petitioner) as 31st December, 1940.

2. In this case there is a delay in filing the appeal, therefore, a petition under section 5 of the Limitation Act was filed for condonation of the delay. Learned counsel appearing on behalf of the respondent veherhentally opposed the petition and contended that the appellants are required to show sufficient and good cause for condonation of each day delay, failing which the appeal is fit to be dismissed as time barred. In support of the contention, learned counsel also relied upon a decision of this court in the case of *Bihar State Electricity Board, Patna, through its Chairman and others Vs. Baxi S.R.P. Sinha, Advocate and another,* 1999 (1) P.L.J.R. 60 and yet another decision of the Supreme Court in the case of *State of Haryana Vs. Chandra Mani and others,* A.I.R. 1996 S.C. 1623.

3. True it is in order to get the delay condoned, it should be necessary for the appellant to show sufficient cause. But in view of the Law laid down by the Apex Court in the case of *Collector, Land Acquisition, Anantnag and another Vs. Most. Katiji and other,* A.I.R. 1987, S.C. 1353, a court should always adopt liberal approach. "Sufficient Cause" implied by the legislature under the Limitation Act is adequately elastic to enable a court to apply the law in a meaningful manner for the ends of justice, therefore, in a case it appears essential for the ends of justice to go to the merit of the case, it would be proper for a court to adopt liberal approach. We, therefore, keeping in mind this aspect of the matter and also the important question involved in this case are inclined to condone the delay.

4. Now turning to the merit of the case as would appear that the respondent was initially appointed as matriculate constable on 1st January, 1950 and later promoted up to the rank of Sub Inspector of Police. The year of birth of respondent in the service book was recorded as 1940 hence on completing the service tenure he superannuated with effect from 1st July, 1998, on getting the letter of superannuation the respondent, however, made a representation for the correction of date of birth. In the representation it was alleged that the respondent had signed the service book in good faith and in fact he had no knowledge prior to communication of the letter of retirement, regarding the entry about the year of birth in the service book. The representation of respondent was rejected on the ground that he had full knowledge about the year of birth as recorded in the service and no attempt or objection was ever made during whole of the service tenure for correction.

5. On behalf of the State it was pointed out that the respondent being a literate, person had signed the service book, therefore, had full knowledge about the year of birth as recorded therein. That apart even at the time of P.T.C. examination or promotions to the rank of A.S.I. and S.I. no such grievance was made.

6. In the counter affidavit it was further pointed out that in view of the provisions of Rule 97 (1) of the Bihar Financial Rules (hereinafter referred to as the 'Rules'), if a Government servant is unable to state his exact date of birth, but can state the year or year and respectively may be treated as the date of birth. Since in the service book of the respondent the year of birth was recorded as 1940 his retirement will take effect from 1st July, 1998.

7. The contention of the State was, however, rejected holding that having regard to the well settled views the benefit of such uncertainty must go in favour of the weaker side or the person who is going to be effected. Thus in a case where only the year of birth is mentioned, the authorites will have no option but to treat the last date of the year i.e. 31st December, as the date of birth. Having regard to such a view Rule 97 (1) of the Rules as pointed out above was held to be irrational and, therefore, should not sustain.

8. In the back drop of the facts noticed above, solitary question thus emerges whether in a case where only the year of birth has been mentioned in the service book, the date of retirement shall be the last date of the year i.e. 31st December, or 1st July. As per Rule 97 (1) of the Rules, it would appear, if a Government servant is unable to state his exact date of birth and only states the year, or year and month of birth, 1st July or the 16th of the month respectively be treated as

his date of birth. A provision identical to the aforesaid was also available under rule 233 (iii) of the Board Misc. Rules, 1947 to the effect that in a case where the date of birth is not known and only the year is mentioned, 1st of July of the year shall be treated to be the date of birth.

9. It was pointed out on behalf of the State that exactly in a similar case where the year of birth of another Police Officer was mentioned as 1940 in the service book, a Bench of this Court in the case of *Ambika Sharma Vs. The State of Bihar* C.W.J.C. No. 10037 of 1998 by the judgment dated 31-3-1999 after considering the relevant provisions of Rule 233 (iii) of the Board Misc. Rules held that 30th June of the year will be treated as his date of birth, hence the date of superannuation as 1st July. Learned Advocate General therefore, contended that having regard to the views expressed above with respect to another Police Officer it was not proper for another Hon'ble Judge to take a different view declaring the statutory rule irrational and thereby directing the Government to treat 31st of December as the date of superannuation.

10. In our view, there appears force in the submission made on behalf of the appellant. Undisputedly another court of a concurrent jurisdiction having examined identical provisions of the Board Misc. Rules with respect to another Police Officer had already held in clear terms that in a case where only the year of birth is mentioned, 30th of June of the year should be treated the date of birth and, therefore, the date of retirement is to take effect with effect from 1st of July. In that case also year of birth of the Police Officer in the service book was mentioned as 1940 and, therefore, his date of retirement was treated as 1st July, 1998 so as in the present case.

11. Apart from what has been noticed above the Rule 233 (iii) of the Board Misc. Rules and Rule 97 (1) of the Bihar Financial Rules are exactly identical. There is no dispute regarding the intention of the legislature in prescribing such a provision and a mode to decide the dispute. Therefore, if as per provisions of statutory Rule, 1st of July is to be treated as date of retirement, it would not be proper for a court of law to give a different meaning. True it is, a statutory provision must be so construed, if possible, that absurdity and mischief can be avoided. In a case where plain interpretation of the statutory provision produces absurd and unjust, which could never be the intention of the legislature, the court may modify the language so as to achieve the obvious intention of the legislature and produce rational construction. But it would not be proper to make interpretation of the Rule in such a manner, which legislature had not intended, Therefore, keeping in mind this aspect of the matter, in our view, there appears no justificable reason to declare Rule 97 (1) of the Rules irrational and unsustainable.

12. There is no doubt that in appropriate cases, where appreciating the dispute raised on behalf of the employee date of birth can be ascertained on the basis of the opinion of the Medical Board or evidence and documents, if produced at the proper time. Therefore, there are cases where this Court had no doubt to hold that end of the year should be treated as the date of birth.

13. In the instant case the respondent before entering the service as matriculate constable had already passed the matriculation examination. But inspite of that he got the year of birth recorded as 1940, instead of the actual

date of birth and did not produce the matriculation certificate at that time or through out his service career. That apart even the order sheet of the court of the writ petition would reveal that inspite of specific direction, the respondent did not produce the matriculation certificate in proof of his date of birth.

14. Apart from what has been noticed above, the Apex Court in catena of cases has held that application for alteration of recorded date of birth is to be made within a reasonable time, if there is no statutory rule. The date of entry in any case should not be permitted to be challenged by the Government servant at the fag end of his service. Reference in this regard can be usefully made to the case of *State of T.N. Vs. T.M. Benugopalan* [1996 (4) S.C.C. 302] and yet another decision in the case of *Union of India Vs. C. Rama Swamy and others,* 1997 (4) S.C.C. 647. In the case before us as noticed above, the writ petitioner had entered the service in the year 1959, as a matriculate constable and no objection whatsoever was ever raised through out his service career, regarding the entry of date of birth as 1940. It was only when a communication was made about his retirement in the year 1998, he made a representation. Therefore, this is also one of the reasons to reject his claim for correction of the date of birth.

15. On behalf of the respondent-writ petitioner a reference was however made to an order of this Court in CWJC No. 6271 of 1998, wherein the order of transfer of the concerned employee recorded in the service book as 1940 was directed to be treated as 31-12-1940. It was pointed out that L.P.A. 261 of 2000 filed against that order was ultimately dismissed.

16. In our view, from a bare reference to the above orders either in the writ petition or the order passed in appeal, it would appear that no consideration was given nor any question was raised with regard to the criteria prescribed under Rule 97 (1) of the Bihar Financial Rules or the provisions of the Bihar Boards Miscellaneous Rules. That apart, we have already noticed that in appropriate cases, the Court to avoid undue hardship and injustice if any, can disagree with the report of the Medical board or the decision of the Government. In the instant case, we have already noticed that the writ petitioner although had passed the matriculation prior to entering in service as back as in the year 1959 but deliberately did not produce the matriculation certificate till whole of his service tenure. It has also been noticed that from a bare reference to the order sheet of the writ petition, it would appear that sufficient indulgence was granted to the writ petitioner to produce the matriculation certificate. Therefore, this is also one of the reasons due to which the writ petition was fit to be dismissed.

17. In the result, for the reasons stated above there is no option but to allow the appeal and quash the impugned order holding that the date of superannuation of the respondent shall be treated as 1st July, 1998. However, in the facts and circumstances of the case, there shall be no order as to costs.

16.

***विषय : पेंशन कागजातों के साथ बकाया रहित प्रमाण-पत्र संलग्न करने के सम्बन्ध में ।**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि अराजपत्रित सरकारी सेवकों को स्वीकृत दीर्घकालीन अग्रिमों यथा गृह-निर्माण अग्रिम, मोटर कार अग्रिम, विवाह अग्रिम की वसूली की पूर्ण जवाबदेही प्रशासी विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान की है । उनमें से ऐसे कर्मचारी जो प्रोन्नत होकर राजपत्रित राज्य सेवक की मूल कोटि में सेवानिवृत्त होते हैं, उनके सम्बन्ध में भी वसूली का दायित्व प्रशासी विभाग का ही बना रहता है । पेंशन कागजातों के साथ बकाया रहित प्रमाण-पत्र नहीं रहने से पेंशन के निर्धारण में अनावश्यक विलम्ब होता है ।

अत: अनुरोध है कि पेंशन स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र के साथ ही बकाया रहित प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाये। इसके अनुपालन हेतु समुचित निर्देश अधीनस्थ पदाधिकारियों को दिया जाये। [***पत्र संख्या पी०सी०-विविध-12 वि०/पें० 1278, दिनांक 3-3-2000**]

17.

***विषय : औपबन्धिक पेंशन हेतु कोडिंग प्रणाली के सम्बन्ध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि औपबन्धिक पेंशन हेतु कोडिंग प्रणाली से सम्बन्धित वित्त विभाग परिपत्रसंख्या 4210, दिनांक 4-7-1998 एवं 10102, दिनांक 4-11-1999 में राजस्व पर्षद् का स्थायी कोड आवंटन नहीं किया जा सका था।

अत: राजस्व पर्षद् को स्थायी कोड 58 आवंटित किया जाता है। [***पत्र संख्या पी०सी०-विविध-12/98/1009 वि०, दिनांक 21-2-2000**]

18.

***विषय : दो वर्षों से अधिक की अवधि से प्राप्त करने वाले औपबन्धिक पेंशन पर लगी रोक के सम्बन्ध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक 7609, दिनांक 25-6-1997 एवं पत्रांक 1212, दिनांक 25-11-1991 के द्वारा दो वर्षों से अधिक की अवधि से प्राप्त करने वाले औपबन्धिक पेंशन के भुगतान पर रोक लगा दी गयी है, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे० सं० 117/98 कामता प्रसाद बनाम बिहार सरकार एवं अन्य से उत्पन्न आई०ए० 4567/98 में दिनांक 30-6-1998 को पारित न्यायादेश में दो वर्षों से अधिक की अवधि से औपबन्धिक पेंशन भुगतान पर लगी रोक को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

अतएव माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में वैसे पेंशनर जिनका दो वर्षों से अधिक की अवधि के लिए औपबन्धिक पेंशन के भुगतान पर रोक लगा दी गई है, को तात्कालिक प्रभाव से मामले के अन्तिम निष्पादन तक स्थगित किया जाता है। [***पत्र संख्या पी०सी०-विविध 48/97/4311 वि०, दिनांक 6-8-1998**]

19.

***विषय : सेवानिवृत्ति लाभों का त्वरित स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

सेवानिवृत्ति लाभों की ससमय स्वीकृति संसूचित कराने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों/विभागाध्यक्षों/कार्यालय प्रधानों द्वारा किस प्रकार कार्य योजना बनाई जाए। इस सम्बन्ध में विस्तृत निदेश पत्रांक 8042, दिनांक 30-8-1999 द्वारा दिया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्रवाई किये जाने पर सभी सेवानिवृत्त या सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को समय पर सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति तथा भुगतान होने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद कतिपय मामलों में ऐसा पाया जा रहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तिथि के बहुत दिनों बाद भी सभी लाभों की स्वीकृति से सम्बन्धित आदेश निर्गत नहीं किए जाते जिसके चलते उन्हें तो कठिनाई होती ही है माननीय उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवकों का भी दायित्व है कि वे समय पर अपना आवेदन पूर्ण सूचनाओं के साथ समर्पित करें। उदाहरण के लिए पेंशन की स्वीकृति हेतु निवृत्ति के 6 माह पूर्व ही आवेदन दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक विभिन्न नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार समय पर अपना आवेदन समर्पित नहीं करते तो उसके चलते हुए विलम्ब को एक हद तक समझा जा सकता है। परन्तु समय पर आवेदन दाखिल करने और उनके उस माध्यम से सक्षम पदाधिकारी तक पहुँच जाने के बावजूद समय पर स्वीकृत नहीं किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे मामलों में यदि स्वीकृति के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर विवाद रहित सेवानिवृत्ति लाभों से सम्बन्धित स्वीकृत्यादेश

निर्गत नहीं किये जाते हैं तो यह उनका व्यक्तिगत दायित्व होगा और इसके लिए वे प्रशासनिक कार्रवाई के भागी होंगे और यदि न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में कोई दण्ड सूद लगाया जाता है, तो उसके भुगतान के भी भागी होंगे ।

अत: आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए । कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए । **[*पत्र सं० पी०सी० विविध 12/99–1678 वि० (2), दिनांक 21 मार्च, 2001]**

20.

***विषय : अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान के निमित्त सम्बन्धित शीर्ष के सम्बन्ध में ।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पदाधिकारियों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि का भुगतान वर्तमान में उसी/मुख्य/उप मुख्य/उप शीर्षादि से करने की व्यवस्था है जिस मुख्य/उप मुख्य/लघु/उप शीर्षादि से सेवानिवृत्ति के पूर्व वेतन आदि प्राप्त करते थे । वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2561, दिनांक 17-4-1998 में ऐसे मामलों में भुगतान के लिए आवंटन की अनिवार्यता नहीं है । वर्तमान व्यवस्था में सम्बन्धित शीर्ष में पर्याप्त उपबन्ध नहीं रहने पर ऐसे भुगतान से अधिकाई व्यय की सम्भावना बनी रहती है ।

2. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्रांक 2 (1) 98/टी०एस०/208, दिनांक 14-1-1999 द्वारा सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पदाधिकारियों को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श के आलोक में मुख्यशीर्ष 2071–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ–01-असैनिक-115 छुट्टी नगदीकरण लाभों के अन्तर्गत उप शीर्ष खोलकर तथा उनके लिए उक्त उप शीर्ष में बजट का उपबन्ध कर व्यय करने का निदेश अपने मंत्रालयों के लिए दिया है । (पत्र की प्रति संलग्न) ।

3. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत सरकार में अपनाई जा रही व्यवस्था की भाँति ही वित्तीय वर्ष 2001-2002 के प्रभाव से 15-1-2000 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के छुट्टी नगदीकरण के लाभ की स्वीकृति मुख्यशीर्ष–2071 पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ–01–सिविल–115 निम्नांकित उप-शीर्ष के अन्तर्गत दी जाये –

मुख्यशीर्ष–2071 पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ

उप मुख्यशीर्ष–01–असैनिक

लघु शीर्ष–115 सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पदाधिकारियों को भुगतेय अवकाश के समतुल्य राशि

उप शीर्ष–0001–वेतन एवं जीवन-यापन भत्ता ।

4. जहाँ तक 15-11-2000 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों का प्रश्न है भुगतान निम्नांकित उपशीर्ष से किया जाये –

मुख्यशीर्ष–2071–पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ

उप मुख्यशीर्ष–01–असैनिक

लघु शीर्ष–115 सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पदाधिकारियों को भुगतेय अवकाश के समतुल्य राशि

उप शीर्ष–0002–15-11-2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी/पदाधिकारी को भुगतेय अव्यवहृत अवकाश के समतुल्य राशि ।

अनुरोध है कि अव्यवहृत अवकाश के समतुल्य राशि का भुगतान उपर्युक्त के अनुसार ही किया जाये । वित्त विभाग के पत्रांक 2561 (वि०) 2, दिनांक 17-4-1998 की कंडिका 6 (ड) के प्रावधान के अनुसार इसके लिए अलग से आवंटन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

[*पत्र संख्या ए०/ई०/4 (ले०)–4/2000–1275 वि० (2), दिनांक 2 मार्च, 2001]

21.

***विषय : सेवाकाल में आरम्भ की गयी विभागीय कार्रवाई को सरकारी सेवक के सेवानिवृत्त होने के बाद चालू रखने के सम्बन्ध में ।**

निदेशानुसार मुझे आपका ध्यान बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त नियम में यह प्रावधान है कि किसी सरकारी सेवक ने अपने सेवाकाल में लापरवाही एवं कदाचार के कारण यदि सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचाई हो तो उनके सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् उनकी पेंशन की राशि का कोई भाग अस्थायी तौर पर अथवा एक निश्चित अवधि के लिए रोकी जा सकती है । साथ ही उक्त नियम 43 (बी) के बाद परन्तुक में यह भी प्रावधान है कि सेवानिवृत्ति के बाद किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध किसी ऐसी घटना के सम्बन्ध में विभागीय कार्रवाई आरम्भ न की जाये जो ऐसी कार्रवाई के आरम्भ किये जाने के 4 वर्ष पूर्व घटित हुई हो ।

2. सरकार के समक्ष ऐसे दृष्टान्त आये हैं कि सेवाकाल में साधारण तथ्यों के आधार पर आरम्भ की गयी विभागीय कार्रवाई सेवानिवृत्ति के बाद भी चालू रखी जाती है जिसके चलते सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को उसके निष्पादन तक पेंशन नहीं मिल पाता जिससे उन्हें काफी आर्थिक कठिनाई हो जाती है ।

3. अत: मुझे अनुरोध करना है कि सेवाकाल में ऐसे आरोपों के सम्बन्ध में प्रारम्भ की गई वही विभागीय कार्रवाई उनके सेवानिवृत्ति के बाद चालू रखी जाये प्रथम द्रष्टया एवं घोर कदाचार की कोटि में आते हैं अथवा यह विश्वास करने का यथेष्ट कारण हो कि उन्होंने अपने कदाचार या लापरवाही द्वारा सरकार को वित्तीय क्षति पहुँचाई है जिसके लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ब) के अधीन कार्रवाई की जानी चाहिए ।

यदि इन दोनों में कोई शर्त्त पूरी नहीं होती हो तो विभागीय कार्रवाई को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् चालू रखने का औचित्य नहीं है । ऐसी स्थिति में आदेय पेंशन का 75% का भुगतान अनिवार्य रूप से कर दिया जाये । उसकी भविष्य निधि की राशि का भी भुगतान तुरन्त कर दिया जाना चाहिए । परन्तु, उपादान का भुगतान तभी किया जाये जब इस बिन्दु अन्तिम निर्णय हो जाये कि उनके विरुद्ध चलाई गई विभागीय कार्रवाई को आगे चलाई जाये या नहीं ।

कृपया इस आदेश से अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को अवगत करा दें । [***कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पत्र संख्या 3/आर-1-108/39 का०–20233, दिनांक 8-11-1978**]

22.

***विषय : सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रथम द्रष्टया आरोपों के सही पाने के उपरान्त उनकी सेवा सम्पुष्टि, प्रोन्नति, पेंशन इत्यादि के अवरुद्ध रहने की समय-सीमा का निर्धारण ।**

कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 4512, दिनांक 12-3-1979 (प्रतिलिपि संलग्न) में इस बात का प्रावधान है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त आरोप यदि प्रथम द्रष्टया सही पाये जाते हैं तो सम्बन्धित सरकारी सेवक की प्रोन्नति, सेवा–सम्पुष्टि, दक्षतावरोध एवं पेंशन के मामलों पर विचार रुका रहेगा ।

2. कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 1981 में संकल्प संख्या 7225, दिनांक 6-6-1981 (प्रतिलिपि संलग्न) जारी कर एक बार फिर से स्पष्ट किया गया कि सेवा-सम्पुष्टि/दक्षतावरोध के मामलों में किन आरोपों को प्रथम द्रष्टया प्रमाणित समझा जायेगा ।

3. कार्मिक विभाग परिपत्र संख्या 18326, दिनांक 17-9-1978 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा यह अनुदेश निर्गत किया गया था कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 (1) के अन्तर्गत किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध नोटिस जारी किये जाने के बाद उक्त आरोपों की उस पदाधिकारी के विरुद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित समझा जायेगा और आरोप के अन्तिम, निष्पादन तक आरोपित पदाधिकारी के दक्षतावरोध, सेवा–सम्पुष्टि, प्रोन्नति एवं पेंशन के मामले अवरुद्ध रहेंगे ।

4. उक्त प्रावधान में स्पष्ट है कि जहाँ आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित नहीं है वहाँ सरकारी सेवकों के सेवा–सम्पुष्टि, दक्षतावरोध, प्रोन्नति, पेंशन इत्यादि मामलों पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा । किन्तु, जहाँ आरोप प्रथम

द्रष्ट्या प्रमाणित नहीं हैं, वैसे मामलों में कितनी अवधि तक सम्बन्धित सरकारी सेवक की सेवा–सम्पुष्टि, दक्षतावरोध, प्रोन्नति, पेंशन इत्यादि का मामला अवरुद्ध रहेगा, इस बिन्दु पर अभी तक कोई स्पष्ट सरकारी अनुदेश निर्गत नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में सरकारी सेवकों की सेवा–सम्पुष्टि, दक्षतावरोध, प्रोन्नति एवं पेंशन के मामले लम्बित हैं।

5. वर्णित स्थिति पर सरकार ने गम्भीरता पूर्वक विचार कर अब यह निर्णय लिया कि प्रथम द्रष्ट्या आरोपों में अन्तिम निष्पादन के लिये तीन वर्ष आठ महीने की समय–सीमा निर्धारित की जाये। इन तीन वर्ष आठ महीने की समय–सीमा की गणना उन आठ महीनों की अवधि के साथ की जाये जिसका उल्लेख कार्मिक विभाग परिपत्र संख्या 4512, दिनांक 12-3-1979 की कंडिका 3 में है। अत: यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आरोप–पत्र प्राप्त हो और उसका निष्पादन तीन वर्ष आठ महीने की अवधि में न हो सके तो सम्बन्धित पदाधिकारी को तदर्थ रूप से सेवा–सम्पुष्टि, प्रोन्नति आदि का लाभ इस शर्त्त के साथ दिया जाये कि भविष्य में आरोपों के अन्तिम रूप से निष्पादन होने के फलस्वरूप प्रोन्नति, दक्षतावरोध, पेंशन आदि के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गए उक्त तदर्थ आदेश को रूपान्तरित किया जायेगा।

उपर्युक्त समय–सीमा सभी मामलों में लागू होगी, चाहे सम्बन्धित मामला प्रशासनिक विभाग में लम्बित हो या निगरानी विभाग में या लोकायुक्त के यहाँ लम्बित हो;'

परन्तु उपर्युक्त समय–सीमा के अन्तर्गत ऐसे मामले नहीं आयेंगे जहाँ सरकारी सेवकों के विरुद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, बिहार एवं उड़ीसा सबोर्डिनेट (डिसीप्लीन एवं अपील) नियमावली, अथवा बोर्ड :*ीर्ण नियमावली के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही का गठन किया जा चुका है या उनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा लम्बित है। **[*संकल्प संख्या का०–14933, दिनांक 7-12-1985]**

23.

***विषय : सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रथम द्रष्ट्या आरोपों के सही पाये जाने के उपरान्त उनकी सेवा सम्पुष्टि, दक्षतावरोध, प्रोन्नति, पेंशन इत्यादि के अवरुद्ध रहने की समय–सीमा का निर्धारण।**

उपरोक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 14933, दिनांक 7-12-1984 को संशोधित किए जाने के क्रम में उक्त संकल्प की प्रथम 4 कंडिकाओं को यथावत् निम्न प्रकार से रखा गया है –

1. कार्मिक विभाग के संकल्प 4512, दिनांक 12 मार्च, 1979 में इस बात का प्रावधान है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त आरोप यदि प्रथम द्रष्ट्या सही पाये जाते हैं तो सम्बन्धित सरकारी सेवक की प्रोन्नति, सेवा सम्पुष्टि, दक्षतारोध एवं पेंशन के मामलों पर विचार रुका रहेगा।

2. कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 1981 में संकल्प सं० 7225, दिनांक 6 जून, 1981 जारी कर एक बार फिर से स्पष्ट किया गया कि सेवा सम्पुष्टि/दक्षतावरोध के मामलों में किन आरोपों को कब प्रथम द्रष्ट्या प्रमाणित समझा जायेगा।

3. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 18326, दिनांक 17 सितम्बर, 1978 द्वारा यह अनुदेश निर्गत किया गया था कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 (1) के अन्तर्गत किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध नोटि जारी किये जाने के बाद उक्त आरोपों को उस पदाधिकारी के विरुद्ध प्रथम द्रष्ट्या प्रमाणित समझा जायेगा और आरोप के अन्तिम निष्पादन तक आरोपित पदाधिकारी के दक्षतावरोध, सेवा–सम्पुष्टि, प्रोन्नति एवं पेंशन के मामले अवरुद्ध रहेंगे।

4. उक्त प्रावधान में स्पष्ट है कि जहाँ आरोप प्रथम द्रष्ट्या प्रमाणित नहीं है, वहाँ सरकारी सेवकों की सेवा–सम्पुष्टि, दक्षतावरोध, प्रोन्नति, पेंशन इत्यादि मामलों पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।

-------------x-------------x-------------x-------------

उक्त संकल्प की 5वीं कंडिका निम्नवत् थी –

"वर्णित स्थिति पर सरकार ने गम्भीरतापूर्वक विचार कर अब यह निर्णय लिया है कि प्रथम द्रष्ट्या प्रमाणित आरोपों के अन्तिम निष्पादनार्थ तीन वर्ष आठ महीने की समय–सीमा निर्धारित की जाये। इन तीन वर्ष आठ

महीने की समय-सीमा की गणना उन आठ महीनों की अवधि के साथ की जाये जिसका उल्लेख कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 45/2, दिनांक 12 मार्च, 1979 की कंडिका 3 में है। अतः यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आरोप-पत्र प्राप्त हो और उसका निष्पादन तीन वर्ष आठ महीने की अवधि में न हो सके, तो सम्बन्धित पदाधिकारी को तदर्थ रूप से सेवा-सम्पुष्टि, दक्षतावरोध, प्रोन्नति, पेंशन आदि का लाभ इस शर्त्त के साथ दिया जाये कि भविष्य में आरोपों के अन्तिम रूप में निष्पादन होने के फलस्वरूप सम्बन्धित सरकारी सेवक को कोई दंड दिये जाने पर तदनुसार उनकी सेवा-सम्पुष्टि, प्रोन्नति, दक्षतावरोध पेंशन आदि के सम्बन्ध में पूर्व में दिये उक्त तदर्थ आदेश को रूपान्तरित किया जायेगा।

परन्तु उपर्युक्त समय-सीमा के अन्तर्गत ऐसे मामले नहीं आएँगे जहाँ सरकारी सेवकों के विरुद्ध असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली, बिहार एवं उड़ीसा सबोर्डिनेट सर्विसेज (डिसीप्लीन एवं अपील) नियमावली अथवा बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही का गठन किया जा चुका है या उनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा लम्बित है।

5. उपर्युक्त कंडिका को अब निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है –

5. (क) सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप को प्रथम द्रष्ट्या प्रमाणित माने जाने से सम्बन्धित आदेश की तिथि से दो वर्ष के अन्दर यदि आरोप का अन्तिम निष्पादन नहीं हो पाता है तो दो वर्ष के बाद सम्बन्धित सरकारी सेवक को तदर्थ रूप से सेवा-सम्पुष्टि, दक्षतावरोध पार करना, प्रोन्नति, पेंशन आदि का लाभ इस शर्त्त के साथ दिया जायेगा कि भविष्य में आरोपों के अन्तिम रूप से निष्पादन होने के फलस्वरूप सम्बन्धित सरकारी सेवकों को कोई दंड दिये जाने पर तदनुसार उनकी सम्पुष्टि आदि के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये उक्त तदर्थ आदेश को रूपान्तरित किया जायेगा। एतद् सम्बन्धी एक अन्डरटेकिंग भी सरकारी सेवक से प्रोन्नति देने के पूर्व लिया जायेगा।

(ख) जिन मामलों में विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश हुआ हो, वैसे मामलों में विभागीय कार्यवाही चलाने से सम्बन्धित आदेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि में विभागीय कार्यवाही का अन्तिम निष्पादन न होने पर ऊपर कंडिका (क) में उल्लिखित शर्त्त के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

(ग) परन्तु यदि आरोपित सरकारी सेवक की उदासीनता अथवा लापरवाही के कारण निष्पादन की अवधि दो वर्ष से अधिक लग जाती है, तो यह सुविधा सम्बन्धित सरकारी सेवक को प्राप्त नहीं होगी।

(घ) जिन मामलों में फौजदारी मुकदमा दायर किया गया हो, उसमें वर्तमान (इस संकल्प के निर्गत होने से पूर्व की) व्यवस्था लागू रहेगी।

-------------x-------------x-------------x-------------

इसके अतिरिक्त उक्त संकल्प में निम्नांकित 4 नई कंडिकाएँ शामिल की गई हैं –

6. विभागीय कार्यवाही शुरू होने के पश्चात् विभागों द्वारा जाँच के क्रम में की जाने वाली सभी कार्यवाहियों में आवश्यक तत्परता साधारणतः नहीं दिखाई जाती है और जाँच पदाधिकारी के समक्ष सरकारी पक्ष को बहुत कनीय स्तर के पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि आरोपित सरकारी सेवक अपनी ओर से काफी तत्परता दिखाते हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

7. विभागीय जाँच के लिए जो भी पदाधिकारी नियुक्त किये जाते हैं, उनमें यह भावना होती है कि उन्हें किसी महत्वहीन पद पर नियुक्त किया गया है और इस नियुक्ति का मतलब यह है कि सरकार ने उनकी एक दंड के रूप में नियुक्ति की है। जबकि यह समझना आधारहीन है।

8. जहाँ तक राज्य सरकार की ओर से विभागीय जाँच आयुक्त के समक्ष केस प्रस्तुत करने का प्रश्न है, उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि जिस पदाधिकारी की नियुक्ति प्रस्तुतिकरण के लिये की जाती है, उसका पद-स्तर उप-सचिव के नीचे का न रहे।

9. उपर्युक्त कंडिका 5 में उल्लिखित समय-सीमा सभी मामलों में लागू होगी, चाहे सम्बन्धित मामला प्रशासी विभाग में लम्बित हो या निगरानी विभाग में या लोकायुक्त के यहाँ लम्बित हो। [*ज्ञाप संख्या 3/आर1-308/84-का०-9146, दिनांक 12-7-1991]

24.

***विषय : राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अन्तरिम राहत की स्वीकृति ।**

राज्य सरकार के पत्रांक 4294, दिनांक 25-8-1995 के द्वारा राज्य सेविवर्ग को दिनांक 1-4-1994 के प्रभाव से 100 रु० प्रतिमाह की दर से एवं पत्रांक 4352, दिनांक 2-8-1997 के द्वारा दिनांक 1-4-1997 के प्रभाव से मूल वेतन का 10 प्रतिशत की दर से अन्तरिम सहायता की स्वीकृति प्रदान की है ।

2. राज्य सरकार ने पुन: विचारोपरान्त अपने पत्रांक 5897, दिनांक 3-12-1997 के द्वारा दिनांक 1-4-1995 से 31-3-1997 तक की अवधि के लिए मूल वेतन का 10 प्रतिशत न्यूनतम 100 रु० अन्तरिम राहत की स्वीकृति प्रदान की है ।

3. राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी अपने सेविवर्ग के अनुरूप पत्रांक 5082, दिनांक 22-5-1996 के द्वारा दिनांक 1-4-1995 से 50 रु० प्रतिमाह अन्तरिम राहत स्वीकृति की गई है ।

अत: राज्य सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को पूर्व में स्वीकृत अन्तरिम राहत के अतिरिक्त राज्य सरकार के सेविवर्ग के मामले में लिए गये निर्णय के अनुरूप दिनांक 1-4-1995 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 10 प्रतिशत न्यूनतम 50 रु० अन्तरिम राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया है ।

4. अन्तरिम राहत पर महँगाई राहत अनुमान्य नहीं होगा । अत: अन्तरिम राहत को एक अलग घटक के रूप में दर्शाया जाय ।

5. केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा उनके अधीन किसी निगम/कम्पनी/निकाय आदि में पुर्ननियोजन/नियोजन अथवा स्थायी प्रन्युपण की स्थिति में पुन: नियोजन/नियोजन की अवधि के लिए पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगी को पूर्व में निर्गत पत्रांक 5081, दिनांक 22-5-1996 की भाँति अन्तरिम राहत अनुमान्य नहीं होगा ।

6. पेंशन भोगियों को अन्तरिम राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 334(i) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है । पेंशनर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी राहत की राशि का भुगतान करेंगे । सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करनेवाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए सम्बन्धित सभी बैंकों को इस संकल्प की प्रति भेज दें ।

7. राज्य के बाहर राहत की निकासी केवल महालेखाकार बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इस हेतु महालेखाकार बिहार से अनुरोध है कि जो पेंशन भोगी राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करते हैं, उनसे सम्बन्धित महालेखाकार को अविलम्ब प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

[*संकल्प संख्या पी०सी०-1 मिस०-24/95/213-वि०, दिनांक 9-1-1998]

25.

***विषय : 1-1-1996 के प्रभाव से पेंशन का पुनरीक्षण-बकाया भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण ।**

इस विभाग के संकल्प 11556, 11557 तथा 11558, दिनांक 22-12-1999 के द्वारा पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में आदेश निर्गत किये गये हैं । बाद में पत्रांक 3863, दिनांक 23-5-2000 द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि बकाया राशि का किस्तों में भुगतान न सिर्फ पेंशन के बकाया राशि के लिए वरन् पेंशन रूपान्तरण एवं उपदान के बकाया भुगतान के लिए भी लागू है । पत्रांक 4547, दिनांक 8-6-2000 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि दो किस्तों में पेंशन रूपान्तरण की राशि के भुगतान के चलते पेंशन की काटी गई राशि का प्रत्यास्थापन भी 15 वर्षों के बाद दो चरणों में किया जायेगा । साथ ही यह निर्णय संसूचित किया गया कि बकाया राशि का भुगतान दो समान वार्षिक किस्तों में जून, 2000 तथा 2001 में देय होगा । वित्त विभाग के पत्रांक 4548, दिनांक 8-6-2000 के द्वारा यह स्पष्टीकरण भी निर्गत किया गया कि 31-12-1995 को सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्हें 1-1-1996 से पेंशन देय है के पेंशन का समेकन संकल्प संख्या 11558, दिनांक

22-12-1999 के अनुसार किया जाएगा और कोषागारों तथा बैंकों के रेडी रेकनर के अनुसार पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की समेकित राशि का भुगतान किया जायेगा ।

उक्त निर्णय के क्रम में कुछ कोषागार पदाधिकारियों द्वारा निम्नांकित पृच्छाएँ की गई हैं –

(1) 1-1-1986 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों के पेंशन का समेकन बैंकों तथा कोषागारों के द्वारा किया जायेगा या नहीं ?

उन्हें पुनरीक्षित पेंशन की राशि का भुगतान महालेखाकार से प्राधिकार-पत्र प्राप्ति के बिना किया जायेगा या नहीं ?

(2) कोषागारों तथा बैंकों द्वारा बकाया राशि का भुगतान महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र के बिना किया जायेगा अथवा नहीं ?

(3) किस्तों में उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की बकाया राशि का भुगतान 1-4-1997 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनधारकों के मामले में लागू है अथवा नहीं ?

(4) जिन मामलों में महालेखाकार द्वारा उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण का बकाया राशि के एक मुस्त भुगतान करने का प्राधिकार-पत्र पूर्व में निर्गत है उन मामलों में भुंगतान किया जाए अथवा नहीं ?

उपर्युक्त प्रथम पृच्छा के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्ति के सभी मामलों में संबंधित कोषागारों तथा बैंकों के द्वारा संकल्प संख्या 11558 के साथ संलग्न रेडी रेकनर के अनुसार पेंशन का समेकन और महालेखाकार के प्राधिकार- पत्र की प्रतीक्षा किए बिना पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान किया जाना है, चाहे सेवानिवृत्ति 1-1-1986 के पूर्व ही क्यों न हुई हो ।

2. जहाँ तक बकाया पेंशन के भुगतान का प्रश्न है जिस प्रकार रेडी रेकनर के आधार पर पेंशन का समेकन और पुनरीक्षण कोषागारों तथा बैंकों के द्वारा किया जाना है उसके अनुसार देय बकाया पेंशन का भुगतान दो किस्तों में संबंधित कोषागारों तथा बैंकों के द्वारा बिना महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र के कर दिया जाना है । महालेखाकार का प्राधिकार-पत्र प्राप्त होने पर भुगतान की गई राशि का समायोजन कर ही अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, का भुगतान किया जाएगा ।

3. तृतीय पृच्छा के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि दो किस्तों में बकाया राशि के भुगतान की शर्त दिसम्बर, 1999 के पूर्व सेवानिवृत्ति के वैसे सभी मामलों में है जिनमें एक बार उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की राशि स्वीकृत हो गई हो और पेंशन पुनरीक्षण के आदेश के चलते दुबारा अतिरिक्त राशि की स्वीकृति की गई है । 1-4-1997 के बाद सेवानिवृत्त वैसे पेंशनधारी जिन्हें पूर्व में उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की राशि स्वीकृत नहीं हुई है उनके मामले में बकाया भुगतान का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उपदान तथा पेंशन रूपान्तरण की राशि की स्वीकृति नए आदेशों के तहत होगी ।

4. जहाँ तक चौथी पृच्छा का प्रश्न है, महालेखाकार द्वारा निर्मित प्राधिकार-पत्र के अनुसार ही भुगतान किया जाए, अर्थात् जिन मामलों में उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की बकाया राशि का भुगतान एक मुस्त करने का प्राधिकार-पत्र निर्गत हो गया हो, उनमें तद्नुसार ही भुगतान कर दिया जाये । परन्तु जहाँ तक पेंशन पुनरीक्षण की बकाया राशि के भुगतान का प्रश्न है, तीन किस्तों में भुगतान के मूल निर्णय में इस संशोधन के बाद की बकाया का भुगतान दो किस्तों में हो, जून, 2001 में दूसरी किस्त का भुगतान करते समय शेष दो-तिहाई राशि का भुगतान बिना संशोधित प्राधिकार-पत्र की प्रतीक्षा किए कोषागारों तथा बैंकों द्वारा कर दिया जाए ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार भुगतान की कार्रवाई की जाए, ताकि पेंशनरों को कोई कठिनाई न हो । [***पत्र संख्या पी०सी० 01/99-6469, दिनांक 26-7-2000**]

26.

***विषय : वर्ष, 2001 में सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में ।**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के समय पर सेवानिवृत्ति लाभ प्रोन्नत नहीं होने के कारण सरकार को माननीय उच्च न्यायालय में अनेक अवमानना वाद का सामना करना पड़ रहा है । यद्यपि सेवानिवृत्ति लाभ के ससमय भुगतान के लिए सरकार द्वारा अनेक दिशा-निर्देश

जारी किए गए हैं । मुख्य सचिव द्वारा भी हाल में यह निदेश जारी किया गया है कि पदाधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के लिए सरकार द्वारा अनेक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं । मुख्य सचिव द्वारा भी हाल में यह निर्देश जारी किया गया है कि पदाधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व से ही कार्रवाई प्रारम्भ की जाए, ताकि सेवानिवृत्ति के समय उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ का भुगतान तुरंत हो जाए ।

अनुरोध है कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेश एवं पेंशन नियमावली में निहित प्रावधानों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित किया जाए । साथ ही वर्ष 2001 में सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विषय में सम्बन्धित सूचना निम्नलिखित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए । [***बिहार सरकार, जल संसाधन (लघु सिंचाई) विभाग, पत्र संख्या न०प्र० (ल०सिं०) अरा० स्था०–10/2001/295, दिनांक 16-2-2001**]

प्रपत्र

क्र०सं०	पदाधिकारी/ कर्मचारी का नाम	धारित पद	किस आदेश सं०/दिनांक द्वारा इनकी सेवा नलकूप प्रभाग में ली गई	जन्म तिथि	सेवा-निवृत्ति की तिथि	वेतनमान एवं वेतन
1	2	3	4	5	6	7

27.

***विषय : वित्त विभाग के संकल्प सं० 11557, दिनांक 22-12-1999 के अनुसार आनुपातिक पेंशन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में ।**

संदर्भ–आपका पत्रांक 39, दिनांक 10-4-2000 ।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभाग के ज्ञापांक 1950, दिनांक 18-2-1974 के द्वारा सरकारी सेवा से हस्तांतरित होकर स्वशासी निकायों/ सार्वजनिक उपक्रमों में स्थायी रूप से अन्तर्लीन सेवकों के पेंशन लाभों के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रावधान किए गए थे –

(1) वैसे सरकारी सेवक को सरकार के अधीन की गई सेवा के आधार पर आनुपातिक पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान देय होगा । मासिक पेंशन के विकल्प के तौर पर वह रूपान्तरित राशि भी एक मुस्त प्राप्त कर सकता है ।

(2) पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगा ।

(3) सरकारी सेवक के सार्वजनिक उपक्रम में स्थायी रूप से अन्तर्लीन हो जाने के बाद सरकार द्वारा पेंशन नियमों को अधिक उदार बनाने के निर्णय का लाभ उस सेवक को नहीं मिलेगा ।

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ०एन० 45/86/97-पी० एण्ड पी०डब्लू० (ए०)-खंड-II, दिनांक 27-10-1997 द्वारा पंचम वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने सम्बन्धी निर्गत प्रावधानों का अनुसरण करते हुए वित्त विभाग के संकल्प सं० 11557, दिनांक 22-12-1999 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी सरकारी उपक्रम अथवा स्वशासी संस्थान में स्थायी रूप से प्रच्यूषित (absorbed) सरकारी सेवक के आनुपातिक पेंशन का भी पुनरीक्षण उक्त संकल्प में किए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

उक्त संशोधन के फलस्वरूप, उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित कोटि के पेंशनरों को देय, आनुपातिक पेंशन का पुनरीक्षण/समेकन किया जाएगा, परन्तु

1. उन सरकारी सेवकों को कोई लाभ देय नहीं होगा, जिन्होंने एक मुस्त रूपान्तरित रकम का विकल्प अपनाया हो, और

2. पारिवारिक पेंशन का कोई दायित्व सरकार नहीं लेगी ।

अनुरोध है कि तद्नुसार आनुपातिक पेंशन के पुनरीक्षण की कार्रवाई 1-1-1996 से वैचारिक रूप से और 1-4-1997 से वास्तविक रूप से, की जाए । श्री गिरीन्द्र मोहन मिश्र, सेवानिवृत्त सह-अधिष्ठाता-सह-प्राचार्य, तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली, समस्तीपुर के मामले में भी तद्नुसार अविलम्ब कार्रवाई की जाए । [*पत्र संख्या पी०सी०-1-15/2001-4209, दिनांक 21-6-2001]

28.

***विषय : कर्त्तव्य के दौरान उग्रवादी हिंसा में मारे गये राज्य सरकार के सभी स्तर के पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह-अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में ।**

उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रण करने के सक्रिय अभियान में पुलिसकर्मियों का उच्च मनोबल बनाये रखने के उद्देश्य से उग्रवादी हिंसा में मारे जाने वाले राज्य सरकार के सभी स्तर आरक्षी कर्मियों के आश्रित को दिए जाने वाले अनुग्रह अनुदान की राशि के पुनरीक्षण का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

2. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5508, दिनांक 5-5-1997 का आंशिक रूप से संशोधन करते हुए कर्त्तव्य के दौरान केवल उग्रवादी हिंसा में मारे जाने वाले राज्य सरकार के सभी स्तर के आरक्षी कर्मियों के आश्रित को दस लाख रुपयों का अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाए । [*संकल्प सं० पी०सी०-7976, दिनांक 23-11-2001]

29.

***विषय : पेंशनभोगियों को 100 रुपये चिकित्सा भत्ता स्वरूप देय होने के सम्बन्ध में ।**

बिहार पेंशनर समाज द्वारा चिकित्सा सुविधा के लिए दायर की गई रिट याचिका सं० 7991/95 में पटना उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को न्याय निदेश दिया कि राज्य सरकार के पेंशनरों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा के क्रम में बाहर से क्रय की गई औषधियों के मूल्य की प्रतिपूर्ति की यथोचित व्यवस्था से सम्बन्धित एक योजना बनाई जाए ।

2. राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के अनुरूप सेवाशर्त्त निर्धारित करने के सैद्धांतिक निर्णय के क्रम में राज्य के पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन था । केन्द्र सरकार में सेवानिवृत्त कर्मियों को विहित शुल्क जमा कराकर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । पंचम वेतन आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार द्वारा उन क्षेत्रों के पेंशनरों के लिए, जो केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना [Central Government Health Scheme (C.G.H.S.)] से आच्छादित नहीं है, के लिए एक सौ रुपये की दर से चिकित्सा भत्ता की स्वीकृति दी गई है ।

3. राज्य सरकार के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अनुरूप अस्पताल की संरचना नहीं है; केन्द्र सरकार में भी इसकी उपलब्धता बड़े शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है । राज्य सरकार के पेंशनर राज्य के अन्तर्गत दूरस्थ गाँवों में और राज्य के बाहर भी देश के अन्य राज्यों में रहते हैं । ऐसी स्थिति में पेंशनरों के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की प्रभावी व्यवस्था करने में प्रशासनिक और व्यवहारिक जटिलताएँ हैं जिनका संतोषजनक निवारण अत्यंत कठिन है । राज्य सरकार का यह भी अभिमत है कि पेंशनर, समाज के अन्य वर्गों की तरह, बीमा कम्पनियों की स्कीमों के तहत् प्रीमियम जमा कर चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकते हैं; उनकी प्रतिनिधि संस्था-बिहार पेंशनर समाज भी इस तरह की सामूहिक व्यवस्था पर अपेक्षाकृत कम व्यय में यह सुविधा अपने सदस्यों को दिला सकता है ।

उल्लिखित न्यायादेश के अनुपालनार्थ, केन्द्र सरकार में लागू की गई व्यवस्था एवं उसके कार्यान्वयन में प्रशासनिक और व्यावहारिक जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, सम्यक् विचारोपरान्त, राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को रु० 100 (एक सौ रुपये) मात्र प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है ।

5. यह आदेश दिनांक 1-6-2001 (एक जून दो हजार एक) से प्रभावी होगा । [*बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग, ज्ञापांक 14/एम०-6-03/96 5308 (4), दिनांक 24-7-2001]

30.

***विषय : राज्य सरकार के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त अनुग्रह अनुदान की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में ।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 10263, दिनांक 17-8-1976 में प्रावधान है कि चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को कतिपय शर्तों के साथ रुपये 3,000 (रुपये तीन हजार) अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाये ।

2. केन्द्र सरकार में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त अनुग्रह अनुदान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । राज्यकर्मियों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660 वि०(2), दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से केन्द्रीय दर पर पुनरीक्षित वेतनमान केन्द्रीय सेवा शर्तों के साथ स्वीकृत किया गया है । इस क्रम में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त अनुग्रह अनुदान दिये जाने से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सुविधा को जारी रखने अथवा समाप्त करने का प्रश्न सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

3. सम्यक् रूप से विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि यद्यपि केन्द्र सरकार में यह सुविधा नहीं है, परन्तु यह विशेष सुविधा केवल निम्न वेतनभोगी सरकारी सेवक को सरकार की ओर से अनुकम्पा के रूप में ही रही है । अतएव अपवाद स्वरूप इस सुविधा को जारी रखा जाये । **[*पत्र सं० एस०वी०-7ए-92/99/6761 (पें०) 1 वि०, दिनांक 27-9-2001]**

31.

***विषय : बिहार सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 100 (एक सौ) रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता स्वीकृति के सम्बन्ध में ।**

संदर्भ : स्वास्थ्य विभाग का संकल्प सं० 4665, दिनांक 2-7-2001 ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के उपर्युक्त संकल्प द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को दिनांक 1-6-2001 के प्रभाव से 100 (एक सौ) रुपये मात्र प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता की स्वीकृति सम्बन्धी निर्णय को संसूचित किया गया है; उक्त संकल्प की प्रतिलिपि सभी कोषागारों को ज्ञापांक 5308, दिनांक 24-7-2001 के द्वारा दी गयी है ।

2. उक्त संकल्प की वैधता और उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में पेंशनर समाज एवं राज्य के विभिन्न कोषागारों द्वारा कतिपय पृच्छाएँ की गयी हैं एवं वित्त विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है । इस दुविधा के चलते कई कोषागारों/बैंकों द्वारा पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता का भुगतान अभी प्रारंभ नहीं किया गया है ।

3. एतद् द्वारा, पेंशनरों को एक सौ रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता के निर्णय को संपुष्ट करते हुए विभिन्न पृच्छाओं को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है –

(i) चिकित्सा भत्ता का भुगतान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशन धारकों को होगा ।

(ii) चिकित्सा भत्ता उन्हीं पेंशनरों/पारिवारिक पेंशन धारकों को देय होगा, जो केन्द्र सरकार की सी०जी०एच०एस० सुविधा से वंचित हों या जिनके लिए कोई चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की अन्य कोई सुविधा विशिष्ट प्रावधान के तहत् स्वीकृत नहीं किया गया हो ।

टिप्पणी : उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों द्वारा इस आशय का घोषणा-पत्र देने पर, की वे सी०जी०एच०एस० की सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं, चिकित्सा भत्ता की सुविधा दी जायेगी ।

(iii) पुनर्नियोजन/नियोजन अवधि में पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगी को चिकित्सा भत्ता देय नहीं होगा ।

(iv) पुनर्नियोजन/नियोजन अवधि समाप्ति के पश्चात् दो पेंशन प्राप्त करने की स्थिति में तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन में किसी एक पर चिकित्सा भत्ता देय होगा, अर्थात् एक से अधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने वाले किसी व्यक्ति को एक ही यानी कुल एक सौ रुपये चिकित्सा भत्ता देय होगा ।

(V) बिहार राज्य की सीमा में रहने वाले पेंशनभोगियों को चिकित्सा भत्ता का भुगतान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड के प्राधिकार के बिना ही कोषागारों तथा बैंकों के द्वारा किया जा सकेगा। राज्य के बाहर चिकित्सा भत्ता का भुगतान महालेखाकार के प्राधिकार पत्र के आधार पर देय होगा।

अनुरोध है कि बैंकों से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को चिकित्सा भत्ता का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित बैंकों को निदेश दिया जाये। [***पत्रांक पी०सी०-54/ 01-912 पें०वि०, दिनांक 16-2-2002**]

32.

***विषय : सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति एवं अनुश्रवण की पुनरीक्षित व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में।**

1. सरकार के समक्ष पेंशन नियमावली के प्रावधानों तथा पूर्व में निर्गत परिपत्रों की समीक्षा कर नई प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था। एम०ए० नं० 285/ 2001 में पटना उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में पेंशन संबंधी विषयों के त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन की मोनिटरिंग हेतु संकल्प संख्या 122, दिनांक 20-1-2002 द्वारा वित्त विभाग के अंतर्गत एक पेंशन कोषांग का गठन किया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा, सम्यक् विचारोपरान्त, सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति लाभों के त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की गयी है –

(I) पेंशन की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान वैसे सभी कर्मियों का डाटा-बेस निर्माण कर संधारित करेंगे, जिनको पेंशन स्वीकृत करने हेतु वे उत्तरदायी है। यह कार्य अभियान चलाकर छः माह में पूर्ण कर लिया गया। उनके स्तर पर, हर समय यह सूचना उपलब्ध होनी चाहिए कि अगले तीन वर्षों में कौन-कौन कर्मी सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(II) विभागीय सचिव, विभागाध्यक्ष तथा कार्यालय प्रधान उपर्युक्त कार्य के लिए एक 'नोड्ल पदाधिकारी' मनोनीत करेंगे; छोटे कार्यालयों में कार्यालय प्रधान स्वयं 'नोड्ल पदाधिकारी' होंगे।

(III) (क) सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व उपर्युक्त उप-कंडिका (I) में वर्णित सक्षम प्राधिकार के स्तर से संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी को एक नोटिस निर्गत की जाएगी जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए उनसे 60 दिनों के अंदर वेतन भुगतान का बकाया, वेतन निर्धारण और उसकी संपुष्टि, कालबद्ध प्रोन्नति की संपुष्टि, अवकाश स्वीकृति, पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के विनियमन, विभागीय कार्यवाही का निष्पादन, भविष्य निधि लेखा, अग्रिम का समायोजन तथा पूर्व की पेंशन प्रदायी सेवा जोड़े जाने के सम्बन्ध में लंबित दावे, यदि कोई हों, के निपटारे के लिए अभ्यावेदन की माँग की जायेगी।

नोटिस में सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व पेंशन आवेदन समर्पित करने का भी उल्लेख किया जाएगा। उक्त आदेश में यह निर्देश भी शामिल होगा कि उक्त तिथि के बाद किसी भी प्रकार का अग्रिम (यात्रा अग्रिम एवं छोटे आकस्मिकता अग्रिम को छोड़कर) उक्त पदाधिकारी/कर्मचारी को स्वीकृत नहीं किया जायेगा। नोटिस निर्बंधित डाक द्वारा अथवा पीउन बुक द्वारा प्राप्त कराया जायेगा; प्राप्ति रसीद अनिवार्य तौर पर संधारित की जायेगी। नोटिस का प्रारूप संलग्न है।

(ख) विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान द्वारा संबंधित कर्मी की सेवापुस्ति अद्यतन करने/कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी और तीन माह में सेवापुस्ति अद्यतन करा लिया जायेगा;

(ग) लंबित विभागीय कार्यवाही या अन्य अनुशासनिक कार्यवाही का निष्पादन अगले छः माह में कराने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा;

(घ) अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं पर कार्रवाई/निष्पादन की प्रगति की समीक्षा माह में एक निश्चित दिन अवश्य की जायेगी और अपेक्षित निर्णय अभ्यावेदन प्राप्त के छः माह के अंदर ले लिया जाए।

3. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी द्वारा पेंशन का आवेदन सभी कागजातों और पूर्ण सूचनाओं के साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के समक्ष दिया जायेगा। जो उसकी प्रविष्टियों की जाँच कर और उनकी सेवा अवधि/अग्रिम आदि से संबंधित सभी संगत सूचनाओं को अंकित कर पेंशन स्वीकृति हेतु/पेंशन कागजात महालेखाकार

को भेजने हेतु सक्षम पदाधिकारी के पास अभ्यावेदन भेजेंगे । पेंशन आवेदन की एक प्रति पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी को भेजी जायेगी, जहाँ से नोटिस प्राप्त हुई हो ।

4. पेंशन सम्बन्धी आवेदन प्राप्त हो जाने के बाद सक्षम प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे समय पर सभी सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति के क्रम में आने वाली सभी त्रुटियों/बाधाओं यथा सेवा सत्यापन, कालबद्ध प्रोन्नतियों की संपुष्टि, वेतन निर्धारण की जाँच तथा संपुष्टि, बकाया की वसूली, आरोप संबंधी विषय के निष्पादन, भविष्य निधि लेखा का अद्यतनीकरण, यदि अब भी लंबित रह गया हो, का निराकरण छः माह के अंदर करायेंगे ।

5. पेंशन आवेदन प्राप्त के छः माह में पेंशन की स्वीकृति कर उसे महालेखाकार को भेज दिया जाये और भविष्य निधि में जमा राशि की स्वीकृति का आदेश सम्बन्धित भविष्य निधि कोषांग को भेज दिया जाये ।

6. प्रत्येक कार्यालय में माह के अंतिम दिन एक औपचारिक बैठक कर उक्त तिथि को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को सभी सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति से सम्बन्धित कागजात और जहाँ सम्भव हो (जैसे भविष्य निधि, ग्रुप बीमा, अर्जित अवकाश के समतुल्य राशि का भुगतान) बैंक ड्राफ्ट के भुगतान की प्रथा प्रारंभ की जाये ।

7. इस निर्णय के कार्यान्वयन का अनुश्रवण वित्त विभाग के अंतर्गत गठित पेंशन कोषांग द्वारा किया जायेगा ।

8. पेंशन की स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत संकल्प/परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

बिहार सरकार

विभाग

प्रेषक,

....

....

(पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी)

सेवा में,

....

....

(सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी)

विषय : सेवानिवृत्ति के पूर्व सभी लंबित दावों के निष्पादन के लिये अभ्यावेदन देने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि आप दिनांक .... को सेवानिवृत्त होने वाले हैं ।

2. अगर निम्नांकित विषयों पर आपका कोई भी मामला/दावा लंबित हो, तो अपना विस्तृत अभ्यावेदन, दो प्रतियों में (एक उचित माध्यम से और एक सीधे अधोहस्ताक्षरी को) संगत कागजात के साथ पत्र निर्गत होने के 60 दिनों के अंदर समर्पित करें –

(1) वेतन भुगतान या अन्य कोई बकाया

(2) वेतन निर्धारण और उसकी संपुष्टि

(3) कालबद्ध प्रोन्नति की संपुष्टि

(4) पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि का विनियमन

(5) अवकाश की स्वीकृति

(6) विभागीय कार्यवाही

(7) भविष्य निधि लेखा को अद्यतन करना

(8) अग्रिम का समायोजन

(9) वर्तमान सेवा में पूर्व की पेंशन प्रदायी सेवा को सेवानिवृत्ति लाभ हेतु जोड़ने की स्वीकृति

3. उपर्युक्त विषयों पर सक्षम प्राधिकार को पूर्व में समर्पित आवेदन/अभ्यावेदन की प्रति अवश्य संलग्न की जाए। यदि किसी बिन्दु पर अब तक अभ्यावेदन/आवेदन नहीं दिया गया हो, तो तत्काल सक्षम प्राधिकार, जहाँ से उस मामले का निस्तार अपेक्षित है, को आवेदन भेजकर उसकी प्रतिलिपि दी जाये। उक्त निर्धारित तिथि तक अभ्यावेदन नहीं प्राप्त होने पर यह माना जाएगा कि आपका कोई मामला लंबित नहीं है या आपको उस सम्बन्ध में अपना कोई पक्ष नहीं रखना है और उपलब्ध कागजात के आधार पर निर्णय लेकर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

4. एतद् द्वारा आगाह किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व (यानी दिनांक .... तक) अपना पेंशन आवेदन सम्बन्धित पदाधिकारी के पास जमा कर दिया जाये और उसकी अग्रिम प्रति अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाये। पेंशन आवेदन समर्पित करने में जितने दिनों का विलम्ब होगा, पेंशन की स्वीकृति में उतना विलम्ब होने की स्थिति में एतत् आधार पर किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5. इस नोटिस की प्राप्ति के बाद आप कोई दीर्घकालीन अग्रिम या स्कीम कार्यान्वयन के लिए अग्रिम प्राप्त नहीं करेंगे।

(पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी)

[*सं०सं० पी०सी०-72/2002-2426, दिनांक 22-5-2002]

33.

*विषय : दिनांक 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों के 1-1-1996 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन की राशि के निर्धारण के लिए वित्त विभागीय संकल्प सं० 11558, दिनांक 22-12-1999 की कंडिका 4 में निम्नांकित राशियों को जोड़ने का प्रावधान किया गया है –

(i) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि।

(ii) 1-1-1996 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि।

(iii) अंतरिम राहत की प्रथम किस्त।

(iv) अंतरिम राहत की दूसरी किस्त।

(v) फिटमेंट वेटेज अर्थात् वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत।

2. उपर्युक्त संकल्प की कंडिका 6 में प्रावधान किया गया है कि उपर्युक्त कंडिका 1 में वर्णित फार्मूला के आधार पर निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि को धारित पद के लिए वित्त विभाग के संकल्प सं० 660, दिनांक 8-2-1999 द्वारा स्वीकृत वेतनमान के प्रारंभिक वेतन के क्रमशः 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत राशि से कम नहीं होगी, अर्थात् यदि उपर्युक्त कंडिका 1 के अनुसार निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रारंभिक वेतन के 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत से कम होता हो, तो उसे उपर्युक्त सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

3. सरकार के समक्ष कतिपय वैसे पदों के मामले आये हैं जो पहले अस्थायी रूप से स्वीकृत थे तथा बाद में समाप्त हो गये, जिसके कारण उन पदों का पुनरीक्षित वेतनमान वित्त विभागीय संकल्प सं० 660, दिनांक 8-2-1999 द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। इस कोटि के पद से सेवानिवृत्त पेंशनधारक के लिए न्यूनतम पेंशन निर्धारण की दृष्टि से स्वीकृत वेतनमान क्या माना जाये, यह विषय सरकार के विचाराधीन था।

4. सम्यक् विचारोपरान्त निदेशानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशनधारक जिस अस्थायी पद से सेवानिवृत्त हुआ हो, यदि वह पद तत्समय संबंधित संवर्ग का उच्चतम सोपान का पद हो और यदि वह पद अब अस्तित्व में नहीं रह गया हो, तो वैसे पेंशनधारकों को उपर्युक्त कंडिका 1 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित

पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि वर्तमान में उस संवर्ग के उच्चतम सोपान के पद के लिए स्वीकृत वेतनमान के निम्नतम प्रक्रम के 50 प्रतिशत राशि पेंशन के मामले में तथा 30 प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशन के मामले में, से कम नहीं होना चाहिए । यदि समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि उपर्युक्त अधिसीमा से कम होती हो, तो शेष अंतर की राशि जोड़कर पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की राशि अनुमान्य होगी ।[***पत्रांक वि० (27) पें-18/2003-297/वि०, दिनांक 31-1-2003]**

34.

***विषय : वित्त विभाग के संकल्प सं० 11557, दिनांक 22-12-1999 के अनुसार आनुपातिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में ।**

संदर्भ : आपका पत्रांक 39, दिनांक 10-4-2000 ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभाग के ज्ञापांक 1950, दिनांक 18-2-1974 के द्वारा सरकारी सेवा से हस्तांतरित होकर स्वशासी निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों में स्थायी रूप से अन्तर्लीन सेवकों के पेंशन लाभों के संबंध में निम्नांकित प्रावधान किए गए थे –

(1) वैसे सरकारी सेवक को सरकार के अधीन की गई सेवा के आधार पर आनुपातिक पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान देय होगा । मासिक पेंशन के विकल्प के तौर पर वह रूपान्तरित राशि भी एकमुस्त प्राप्त कर सकता है ।

(2) पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगा ।

(3) सरकारी सेवक के सार्वजनिक उपक्रम में स्थायी रूप से अन्तर्लीन हो जाने के बाद सरकार द्वारा पेंशन नियमों को अधिक उदार बनाने के निर्णय का लाभ उस सेवक को नहीं मिलेगा ।

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ०एन० 45/86/97-पी० एंड पी०डब्लू०(ए०)- खंड II, दिनांक 27-10-1997 द्वारा पंचम वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने संबंधी निर्गत प्रावधानों का अनुसरण करते हुए वित्त विभाग के संकल्प सं० 11557, दिनांक 22-12-1999 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी सरकारी उपक्रम अथवा स्वशासी संस्थान में स्थायी रूप से प्रच्यूषित (absorbed) सरकारी सेवक के आनुपातिक पेंशन का भी पुनरीक्षण उक्त संकल्प में किए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

उक्त संशोधन के फलस्वरूप, उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित कोटि के पेंशनरों को देय, आनुपातिक पेंशन का पुनरीक्षण/समेकन किया जाएगा, परन्तु

1. उन सरकारी सेवकों को कोई लाभ देय नहीं होगा जिन्होंने एक मुख्य रूपान्तरित रकम का विकल्प अपनाया हो, और

2. पारिवारिक पेंशन का कोई दायित्व सरकार नहीं लेगी ।

अनुरोध है कि तद्नुसार आनुपातिक पेंशन के पुनरीक्षण की कार्रवाई 1-1-1996 से वैचारिक रूप से और 1-4-1997 से वास्तविक रूप से, की जाए । श्री गिरीन्द्र मोहन मिश्र, सेवानिवृत्त-सह-अधिष्ठाता-सह-प्राचार्य, तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली, समस्तीपुर के मामले में भी तद्नुसार अविलंब कार्रवाई की जाए ।[***पत्र संख्या पी०सी०-1-15/2001-4209, दिनांक 21-6-2001]**

35.

***विषय : पेंशन कागजात महालेखाकार को अग्रसारित करते समय बिना स्वास्थ्य परीक्षा के पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प सं० 11556, दिनांक 22-12-1999 के साथ संलग्न पेंशन प्रपत्र 4 में पेंशन रूपान्तरण के लिए भी प्रपत्र संलग्न किया गया है । उक्त संकल्प की कंडिका 7 के अनुसार पेंशन का रूपान्तरण चाहने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पेंशन प्रपत्र के साथ ही समर्पित करना है ।

पेंशन रूपान्तरण के प्रपत्र में स्वीकृति स्तम्भ अंकित नहीं किया जा सका था, जिसके कारण महालेखाकार द्वारा पेंशन रूपान्तरण राशि के प्राधिकार पत्र निर्गत करने में कठिनाई हो रही है ।

अत: निर्णय लिया गया है कि पेंशन रूपान्तरण के आवेदन प्रपत्र के नीचे पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा रूपान्तरण की राशि की स्वीकृति सम्बन्धी स्तम्भ भी जोड़ा जाये । संशोधित प्रपत्र के साथ ही प्रशासी विभाग द्वारा पेंशन के रूपान्तरण की राशि स्वीकृत कर महालेखाकार को भेजा जायेगा ।

APPLICATION FOR COMMUTATION OF PENSION

[As per F.D. Resolution No. 11556, dated 22-12-1999 & Letter No. 3378, dated 29-7-2002]

1. Name of the Govt. servant (in Block Letters) ....
   ....
2. Father's/Husband's Name ....
3. Designation ....
4. Name of Office/Department ....
5. Date of Birth ....
6. Date of retirement ....
7. Fraction Pension proposed to be commuted ....
   (Restricted to 40% of the sanctioned pension) ....
8. Treasury/Sub-Treasury ....from which pension is to be drawn
9. Postal Address ....

Date ....   Signature of retiring Govt. servant

NOMINATION FORM

Nomination of commutation of pension

I .... (Name of the Pensioner in Capital Letters) do hereby nominate the person named below for receipt of the commuted value in event of my death as per F.D. Resolution No. 11556, dated 22-12-1999.

Name and address of the nominee	Relationship with the retired Govt. Servant person	If nominee is minor		
		Date of Birth	Name and address of person who may received the said commuted value during the nominee's minority	Relationship with the person
1	2	3	4	5

Place

Date

Witness Signature Signature (or thumbs impression)

Name and Address Address

Sanction Order

Sanctioned Rs. .... being commuted value of pension Rs. .... of Sri/Smt. .... without medical examination.

Signature of the Head of office

(Office Stamp)

[*पत्रांक पी०सी०–01/99-3378 पे०, दिनांक 29 जुलाई, 2002]

36.

***विषय : पेंशन कागजात महालेखाकार को अग्रसारित करते समय बिना स्वास्थ्य परीक्षा के पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, दिनांक 22-12-1999 के साथ संलग्न पेंशन प्रपत्र 4 में पेंशन रूपान्तरण के लिए भी प्रपत्र संलग्न किया गया है । उक्त संकल्प की कंडिका 7 के अनुसार पेंशन का रूपान्तरण चाहने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पेंशन आवेदन के साथ ही समर्पित करना है ।

2. पूर्व में पेंशन आवेदन के लिए परिचालित प्रपत्र में पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति सम्बन्धी कंडिका अंकित नहीं की जा सकी थी । वित्त विभाग के पत्रांक 3378, दिनांक 29-7-2002 द्वारा उक्त प्रपत्र परिचालित करते हुए यह अनुरोध किया गया था कि उक्त प्रपत्र में पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति सम्बन्धी कंडिका जोड़कर ही महालेखाकार को भेजा जाये ।

3. महालेखाकार कार्यालय ने अपने पत्रांक पेन-1-1520, दिनांक 27-9-2002 द्वारा यह जानकारी दी है कि प्राय: प्रशासी विभाग/स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा बिना पेंशन रूपान्तरण की राशि की स्वीकृति के ही पेंशन रूपान्तरण आवेदन को पेंशन प्रपत्र के साथ संलग्न कर उनके कार्यालय को अग्रसारित किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप महालेखाकार द्वारा पेंशन रूपान्तरण का प्राधिकार पत्र निर्गत करना संभव नहीं हो पा रहा है ।

4. अत: अनुरोध है कि वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 3378, दिनांक 29-7-2002 का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाये एवं पेंशन रूपान्तरण की राशि की स्वीकृति के साथ ही पेंशन आवेदन का अग्रसारण महालेखाकार को किया जाये । **[*वि०वि०, पत्रांक पी०सी० 01/99/4483, दिनांक 25 नवम्बर, 2002]**

37.

***विषय : स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन का नियमित भुगतान करने के संबंध में ।**

ऐसी जानकारी मिली है कि राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को नियमित रूप से स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो पाता है साथ ही सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मर्यादित व्यवहार नहीं किया जाता है जिससे उनकी भावना को ठेस पहुँचती है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन का भुगतान यथा समय किया जाना सुनिश्चित किया जाये । साथ ही उनके साथ पूर्ण सम्मान के साथ मर्यादित व्यवहार किया जाये । **[*वित्त विभाग, संचिका संख्या को०प्र०/22/2002/9457 वि० (2), दिनांक 23-11-2002]**

38.

***विषय : सरकारी सेवकों द्वारा बिना हिन्दी टिप्पणी प्रारूपण की परीक्षा उत्तीर्ण किए वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने तथा पेंशनादि लाभ प्राप्त करने के संबंध में ।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार द्वारा सूचित किया गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा पेंशन के ऐसे मामले महालेखाकार कार्यालय को अग्रसारित किए जाते हैं जिसमें सरकारी सेवक को बिना हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण की परीक्षा उत्तीर्ण हुए ही वेतन वृद्धियाँ दी जाती रही तथा उसके आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन-निर्धारण एवं सत्यापन होता रहा । महालेखाकार द्वारा आपत्ति करने पर संबंधित विभाग द्वारा वेतन का नियमन कर अधिक भुगतान की गई राशि को सेवांत लाभ से समायोजित करने का निदेश दिया जाता है ।

2. हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण परीक्षा नियमावली, 1968 में यह प्रावधान है कि –

(i) प्रत्येक सरकारी सेवक (चतुर्थ वर्ग से भिन्न) जिसे अपने कर्त्तव्य सम्पादन के दौरान हिन्दी लिखने एवं पढ़ने की जरूरत होती है, को हिन्दी लिखने-पढ़ने की परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा अन्यथा वार्षिक वेतन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी, किन्तु यदि संबंधित कर्मी हिन्दी के साथ प्रवेशिकोत्तीर्ण होगा तो उसे हिन्दी पढ़ने-लिखने की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा । तथा;

(ii) प्रत्येक सरकारी सेवक को जिसे अपने कर्त्तव्य सम्पादन के दौरान टिप्पण-प्रारूपण लिखने की जरूरत होती है उसे हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण परीक्षा पास होना अनिवार्य है, अन्यथा वेतन-वृद्धि की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है ।

3. उपर्युक्त नियमों के आलोक में चतुर्थ वर्ग के कर्मियों को छोड़कर शेष सभी कर्मियों को हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण परीक्षा अथवा हिन्दी लिखने-पढ़ने की परीक्षा उत्तीर्ण हुए बिना वार्षिक वेतन-वृद्धि की स्वीकृति नहीं दी जा सकती । यदि उक्त परीक्षा उत्तीर्ण हुए बिना वेतनवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है तो उसे अनियमित माना जाना चाहिए ।

4. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि उपर्युक्त कंडिका 2 (i) के प्रावधान के आलोक में शिक्षकों, दिनचर्या लिपिकों, टंककों जैसे पदों पर नियुक्त कर्मी जिनकी नियुक्ति की योग्यता प्रवेशिका या उससे उच्चतर है, को हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण परीक्षा से विमुक्ति प्रदान की गई है क्योंकि उक्त कोटि के कर्मियों को टिप्पणी लिखने अथवा प्रारूप देने की जरूरत नहीं होती ।

5. यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं कि किसी संवर्ग के मूल कोटि के पदधारकों को हिन्दी टिप्पणी-प्रारूपण की आवश्यकता न होती हो, किन्तु अगले पद पर प्रोन्नति होने पर उन्हें टिप्पण-प्रारूपण की आवश्यकता होती है । ऐसी स्थितियों में प्रोन्नति होने पर उन्हें टिप्पण-प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो जाता है । उदाहरण के लिए शिक्षकों को हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता नहीं है; किन्तु प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति होने पर यह उनके लिए बाध्यकारी हो जाता है ।

6. एक स्थिति यह भी होती है कि विभिन्न सेवा-संवर्गों के लिए विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही वेतन वृद्धियों की स्वीकृति दी जाती है । सीधे नियुक्त व्यक्तियों को आम-तौर पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हुए बिना वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति नहीं दी जाती, किन्तु प्रोन्नति से आये कर्मियों के मामले में भ्रमवश या अन्य कारणों से वेतनवृद्धि यथावत् मिलते चला जाता हो । इसके दो कारण हो सकते हैं –

(क) 50 वर्ष की आयु के पश्चात् विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधी प्रावधान रहने के कारण वैसे कर्मी जिनकी प्रोन्नति 50 वर्ष की आयु के बाद होती है, उनके मामले में यह मान लिया जाता है कि उन्हें विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना है; तथा

(ख) भूतापेक्षी प्रभाव से प्रोन्नति होने पर वेतन-निर्धारण के क्रम में वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत कर दी जाती हो ।

स्थितियाँ जो भी हो, किन्तु नियम की अनदेखी कर वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत कर दिए जाने से संबंधित कर्मी को अनियमित रूप में लाभ तो मिलता ही है तथा राजकोष की क्षति भी होती है ।

7. उपर्युक्त स्थिति पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् निर्णय लिया गया है कि यदि किसी मामले में वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत कर दी गई हों तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् यह ज्ञात होता हो कि दी गई वेतनवृद्धियाँ अनियमित थीं, तो ऐसी स्थिति में पेंशन की गणना के लिए भूल सुधार करते हुए वेतन का पुनर्निर्धारण इस प्रकार किया जाए जैसे बिना वेतनवृद्धि स्वीकृत हुए वेतन अनुमान्य होता, अर्थात् परिकल्पित रूप में बिना वेतनवृद्धि के जो वेतन सेवानिवृत्ति की तिथि को अनुमान्य होना चाहिए उसे पुनर्निर्धारित करते हुए उसके आधार पर ही पेंशन एवं उपादान की गणना की जानी चाहिए । सभी कार्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ कर्मियों की सेवापुस्ति की जाँच कर सेवापुस्ति में यह प्रमाण-पत्र अंकित कर देंगे कि सेवापुस्ति की जाँच की गई है तथा स्वीकृत वेतनवृद्धि एवं निर्धारित वेतन नियमों एवं सरकारी निर्णयों के आलोक में है । यह निर्णय सी०डब्लू०जे०सी० संख्या--10900/1999 छट्टु सिंह बनाम बिहार सरकार के मामले में दिनांक 18-9-2001 को पारित न्यायादेश के अनुरूप है ।

एतद् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में यदि इस प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिए संबंधित कार्यालय प्रधान दोषी माने जायेंगे तथा अनियमित रूप से नियम के विरुद्ध वेतनवृद्धियों की स्वीकृति/वेतन निर्धारण से जितनी अधिक राशि का भुगतान होता है उसकी वसूली कार्यालय प्रधान/स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी से की जाएगी ।

8. इन अनियमितताओं की जाँच वेतन-निर्धारण को सत्यापित करने वाले लेखा पदाधिकारियों को भी करना है । वेतन सत्यापन के क्रम में स्वीकृत वेतनवृद्धियों एवं वेतन- निर्धारण से संबंधित आँकड़ों का सूक्ष्म परीक्षण भी सत्यापन करने वाले पदाधिकारियों को करना है । यदि वह अपने दायित्वों का निर्वहन उचित रूप में करें तो इस प्रकार की अनियमितता पर काबू पाया जा सकता है । यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि गलत रूप से स्वीकृत वेतनवृद्धियों/वेतन निर्धारण को लेखा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिया गया है तो सत्यापन करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी । **[*पत्रांक 3 एम 1-49/2002–4048 वि० (2), दिनांक 3-6-2003]**

39.

***विषय : सरकारी सेवक की सेवा-निवृत्ति/मृत्यु के बाद पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों की त्वरित स्वीकृति के संबंध में ।**

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि सरकार के समक्ष कई ऐसे दृष्टान्त आये हैं जिनमें सरकारी सेवक की सेवा-निवृत्ति/मृत्यु के बाद लम्बी अवधि तक सेवान्त लाभों की स्वीकृति एवं भुगतान नहीं किया गया है । सरकार की यह नीति एवं मंशा रही है कि सरकारी सेवक की सेवा-निवृत्ति के तुरत बाद ही उन्हें सभी सेवान्त लाभों का भुगतान हो जाय और अगले माह से नियमित पेंशन का भुगतान भी प्रारम्भ हो जाए ।

वित्त विभाग के ज्ञापांक-पेन/103/67-8739 वि०, दिनांक 13-7-1967 द्वारा सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया है कि पेंशन के लिए राजपत्रित या अराजपत्रित सरकारी सेवक को कोई औपचारिक आवेदन-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु, अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में कार्यालय प्रधान फार्म-4 में आवेदन-पत्र तैयार करके सभी आवश्यक कागजातों के साथ महालेखाकार को भेजेंगे । राजपत्रित सेवक के पेंशन कागजात महालेखाकार द्वारा प्रथमत: तैयार किया जाएगा ।

पेंशन की स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में वित्त विभाग की संकल्प संख्या 3014, दिनांक 31-7-1980 द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन निर्गत किये गये हैं । उक्त संकल्प में यह अपेक्षा की गयी है कि सेवानिवृत्ति के मामले में पेंशन का भुगतान नियमत: सेवानिवृत्ति के एक माह बाद से ही प्रारम्भ हो जाना चाहिए । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पेंशन मामलों से संबंधित उत्तरदायी पदाधिकारी (अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में कार्यालय प्रधान एवं राजपत्रित पदाधिकारियों के मामले में महालेखाकार) सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति तिथि

के दो वर्ष पूर्व से ही पेंशन कागजात तैयार करने का कार्य प्रारम्भ करेंगे । इस प्रक्रम में कार्य पेंशन के लिए अर्हक सेवा के निर्धारण एवं सेवा पुस्त का अद्यतनीकरण का कार्य पूरा करता है । यह प्रक्रिया सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि के 8 माह पूर्व ही सम्पन्न होनी है । दूसरे प्रक्रम में सेवा निवृत्ति के ठीक 8 माह पूर्व से पेंशन प्रदायी सेवा तथा औसत उपलब्धियों की गणना प्रारम्भ कर देनी चाहिए ।

उपर्युक्त प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के एक माह पूर्व ही पेंशन की स्वीकृति के कागजात महालेखाकार को भेज दिए जाने चाहिए । इसी प्रकार अन्य सेवान्त लाभों की स्वीकृति हेतु सभी प्रक्रियाएँ सेवानिवृत्ति के एक माह पूर्व पूरी कर लेनी चाहिए ताकि सेवा निवृत्ति के एक माह के अन्दर सरकारी सेवक को सभी सेवान्त लाभ प्राप्त हो जाएं और पेंशन का नियमित भुगतान अगले माह से प्रारम्भ हो जाए ।

इसी प्रकार सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के वेतन से कटौती कर भविष्य निधि लेखा में जमा राशि तथा भविष्य निधि लेखा से निकासी की गई राशि का सत्यापित विवरण भी संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा संबंधित भविष्य निधि कार्यालय को ससमय उपलब्ध करा दी जाय । सरकार की सूचना में ऐसे दृष्टांत भी आए है कि सेवा निवृत्त प्राथमिक शिक्षक को कई पोस्ट ऑफिस चेक के माध्यम से भविष्य निधि में जमा राशि का अधिक भुगतान जिला शिक्षक अधीक्षक द्वारा किया गया है जिससे सेवा निवृत्त सरकारी सेवक को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा है । अत: यह सुनिश्चित किया जाय कि सरकारी सेवकों को उनकी भविष्य निधि लेखा में जमा राशि का अन्तिम भुगतान एक मुस्त किया जाय ।

दिनांक 20-2-2003 एवं 21-5-2003 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठकों में भी सभी विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों और प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश दिये गये हैं कि वे सेवान्त लाभों के सभी लंबित मामलों का निष्पादन त्वरित रूप से करें ।

विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालय प्रधानों एवं पेंशन कागजात अग्रसारित करने वाले एवं पेंशन स्वीकृत करने वाले क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दें कि वे सुनिश्चित करें कि सेवा निवृत्त कर्मियों के पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की स्वीकृति की सभी औपचारिकताओं को सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के एक माह पूर्व पूरा कर लें और यह सुनिश्चित करें कि सेवानिवृत्ति के एक माह के अन्दर सभी सेवान्त लाभों का भुगतान सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को निश्चित रूप से करा दिया जाय । यदि सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के एक माह के अन्दर उन्हें देय सेवान्त लाभों की स्वीकृति नहीं होती है तो सरकार के निदेश का अनुपालन न करने वाले पदाधिकारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाये । [***पत्र संख्या 5411/वि० (2), दिनांक 19-7-2003**]

40.

***विषय : पब्लिक सेक्टर बैंक के माध्यम से पेंशन का भुगतान अन्य राज्यों के पेंशनरों को तथा राज्य के पेंशनरों जो उन राज्यों में निवास करते हैं उन्हें द्विपक्षीय आधार पर करने के सम्बन्ध में ।**

इस राज्य के सिविल पेंशनरों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा जुलाई. 1977 से प्रभावी है । इस राज्य के सिविल पेंशनर जो दूसरे राज्य में निवास कर रहे हैं तथा दूसरे राज्य के सिविल पेंशनर जो इस राज्य में निवास कर रहे हैं, उन्हें निवास कर रहे राज्य में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है । उनके द्वारा यह माँग की जाती रही है कि उन्हें भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा उपलब्ध करायी जाय । यह मामला सरकार के विचाराधीन था तथा उसपर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिन राज्य सरकारों द्वारा द्विपक्षीय आधार पर इस राज्य के सिविल पेंशनरों को जो उनके राज्य में निवास करते हैं, को उनके राज्य के लिए चयनित पब्लिक सेक्टर बैंकों से पेंशन भुगतान की सुविधा देगी । उनके सिविल पेंशन से इस राज्य के लिए चयनित पब्लिक सेक्टर बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा उपलब्ध की जायेगी । कोषागारों से पेंशन भुगतान के मामले में द्विपक्षीय आधार पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध है ।

2. उक्त निर्णय के अनुसार इस राज्य के पब्लिक सेक्टर बैंक के माध्यम से पेंशन भुगतान नियमावली को संशोधित करते हुए उक्त नियमावली के नियम 2 के बाद निम्नांकित नया नियम 2 (क) जोड़ा जा रहा है –

[1][**नया नियम 2 (क)**–इस राज्य में निवास कर रहे अन्य राज्यों के सिविल पेंशनरों को द्विपक्षीय आधार पर इस राज्य के लिए चयनित सरकारी क्षेत्र के बैंकों से पेंशन का भुगतान निम्नांकित शर्तों के साथ प्रभावी होगा –

(क) उन्हीं सरकारी क्षेत्र के बैंकों से पेंशन का भुगतान किया जायेगा जो इस राज्य के लिये चयन किये गये हैं।

(ख) कोषागार से सरकारी क्षेत्र के बैंकों से पेंशन प्राप्त करने हेतु स्थानान्तरण की वही प्रक्रिया होगी जो इस राज्य की स्कीम में व्यवस्था है।

(ग) दूसरे राज्य के पेंशनरों को किये गये पेंशन भुगतान उसी राज्य के नाम के समक्ष दर्शाया जायेगा। परन्तु आरंभिक रूप से राशि इस राज्य के नकद अवशेष में ही डेबिट होगा।

(घ) दूसरे राज्यों के पेंशनरों को किये गये भुगतान का संकलन जिला कोषागारों से प्राप्त पेमेन्ट स्क्रौल के आधार पर महालेखाकार बिहार द्वारा किया जायगा। महालेखाकार, बिहार को इस तरह किये गये भुगतान की राशि को सम्बन्धित राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस सम्बन्ध में एक दूसरे राज्यों के बीच समंजन की वर्त्तमान प्रक्रिया लागू होगी। [***संकल्प ज्ञापांक 2710 वि० (2), दिनांक 15-5-1991]**

41.

***विषय : सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन कागजात उनकी सेवानिवृत्ति के छ: माह पहले महालेखाकार को उपलब्ध कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक् महालेखाकार के अर्द्ध-सरकारी पत्रांक पेन-1जी-2133, दिनांक 6-11-2003 (प्रतिलिपि संलग्न) के प्रसंग में कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3014, दिनांक 31-7-1980 में पेंशन की स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन निर्गत किए गये हैं।

उक्त के आलोक में पेंशन संबंधी उत्तरदायी पदाधिकारी सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति तिथि के दो वर्ष पूर्व से ही पेंशन का कागजात तैयार करने का कार्य प्रारम्भ करेंगे जिसमें पेंशन के लिये अर्हक सेवा के निर्धारण एवं सेवा पुस्त के अद्यतन करने का कार्य पूरा करना है। यह प्रक्रिया सरकारी सेवक की सेवानिवृति की तिथि के आठ माह पूर्व ही सम्पन्न होनी चाहिए। परन्तु, महालेखाकार द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि प्रासंगिक संकल्प में निहित निर्देशों का अनुपालन बहुत सारे पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा नहीं की जा रही है। साथ ही वित्त विभाग के संकल्प सं० 2426, दिनांक 22-5-2002 में भी पेंशनादि मामलों के त्वरित एवं ससमय निष्पादन हेतु निर्देश दिए गए हैं जिसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराये गए हैं।

अनुरोध है कि उक्त प्रावधान का अक्षरश: भुगतान कर पेंशन स्वीकृति के साथ सेवानिवृत्त कर्मियों एवं छ: माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के पेंशन कागजात का अग्रसारण महालेखाकार को दिया जाना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय। [***वित्त विभाग, पत्र संख्या पें०को०-95/03/4968, दिनांक 3-12-2003]**

●

1. बिहार सरकार वित्त विभाग "संकल्प" ज्ञापांक 2710 वि० (2), दिनांक 15-5-1991 द्वारा अन्त: स्थापित।

42.

***विषय : कार्यभारित कर्मचारीगण को नियमितिकरण के पश्चात् उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में ।**

सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यभारित स्थापना में कर्मचारियों की नियुक्ति की गई । राज्य सरकार द्वारा ऐसे कार्यभारित कर्मियों को नियमित स्थापना में लेकर पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधाएं दी जाने लगी । तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे कर्मियों को सुविधाओं में उत्तरोत्तर विभिन्न परिपत्रों द्वारा वृद्धि की गई—

1. लोक निर्माण विभाग के आदेश संख्या 13327 दिनांक 29-6-1971 द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि दस वर्षों से अधिक लगातार कार्यरत कार्यभारित कर्मचारियों को उस विभाग की नियमित स्थापना में लिया जाय तथा पेंशन सहित सभी सुविधाएं दी जाय । परन्तु पेंशन की अनुमान्यता के लिए न्यूनतम दस वर्ष की सेवा अनिवार्य थी तथा पेंशन की गणना हेतु कार्यभारित सेवा की गणना नहीं की जाती थी ।

2. वित्त विभाग के परिपत्र 3425 दिनांक 31-3-1976 द्वारा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि वैसे, कार्यभारित कर्मी जो दिनांक 1-4-1971 एवं बाद में नियमित स्थापना में लिए गए हो तथा जिनकी नियमित सेवा 10 वर्षों से कम हो, की न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी करने के लिए जितनी अवधि कम हो, उतनी अवधि दिनांक 1-4-1971 के पूर्व के कार्यभारित सेवा की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जाय । पारिवारिक पेंशन में भी यदि कुल नियमित सेवा एक वर्ष से कम हो, तो उस कमी को कार्यभारित सेवा से उतनी अवधि लेकर पूरी कर ली जाय ।

3. पुनः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 505 दिनांक 6-3-1978 द्वारा इसे और उदार बनाया गया । राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि वैसे कार्यभारित कर्मी, जो दस वर्षों से कम कार्यभारित सेवा में रहकर दिनांक 1-4-1978 अथवा उसके बाद नियमित स्थापना में आये हों तथा नियमित स्थापना से सेवा निवृत्ति के समय न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा (स्थायी सेवा होने पर 10 वर्ष तथा अस्थायी होने पर 15 वर्ष) पूरी नहीं कर पाये हों, को भी पेंशन प्रदायी सेवा में कर्मी के तुल्य कार्यभारित सेवा जोड़कर पेंशन प्रदायी सेवा पूरी करने की सुविधा दी जाय जिससे उन्हें पेंशन/उपादान देय हो सके । साथ ही नियमित स्थापना में आने के बाद न्यूनतम पारिवारिक पेंशन प्रदायी सेवा एक वर्ष पूरी करने के पूर्व उनकी मृत्यु हो जाती है तो एक वर्ष पूरी करने में जो कमी रह जाती है उससे कार्यभारित सेवा को जोड़कर उन्हें पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति दी जायेगी ।

4. पुनः उपरोक्त परिपत्र को वित्त विभाग के परिपत्र सं० 3058, दिनांक 22-10-1984 के द्वारा और अधिक उदार बनाया गया । इसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्य विभागों के अधीन कार्यरत सभी कार्यभारित सेवक जिन्होंने एक ही पद पर पांच वर्षों की संतोषजनक लगातार सेवा पूरी कर ली है, उन्हें नियमित स्थापना में लिया जाय ।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1503 दिनांक 27-3-1987 में प्रावधान किया गया कि—

(i) ऐसे कार्यभारित कर्मचारी जिनको वर्त्तमान अनुदेशों के अधीन पेंशन एवं उपादान अनुमान्य होता है उनके द्वारा कार्यभारित स्थापना में बिताई गई पूरी सेवावधि को शामिल करते हुए पेंशन एवं उपदान के लिए अर्हक अवधि की गणना की जायगी ।

(ii) नियमित स्थापना में आने के पश्चात् कार्यभारित सेवावृद्धि को जोड़ते हुए संबंधित कर्मचारियों को प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।

6. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कतिपय वाद ऐसे कर्मियों के सेवोत्तर लाभ के प्रसंग में विचाराधीन है, जिन कर्मियों की सेवा नियमित स्थापना में परिपत्र होने के पूर्व या तो पदधारक की सेवानिवृति हो गई अथवा पदधारी की मृत्यु हो गई । वर्त्तमान उपबंधों के अधीन ऐसे कर्मियों को कोई पेंशनरी लाभ देय नहीं है ।

7. न्यायाधीन मामलों के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वार इस मामले पर पुनः समुचित विचार किया गया । सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा पाया गया है कि मूल उपबंधों को संशोधित कर राज्य सरकार ने कार्यभारित स्थापना के कर्मियों के संबंध में नियमों को उदारीकृत करते हुए अधिक सुविधायें अनुमान्य की हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में गुरुत्तर विकास हुआ है एवं यह कि नियमों को और अधिक उदारीकृत किये जाने का औचित्य स्थापित नहीं होता है । तद्नुसार, जैसा कि वर्त्तमान में उपलब्ध है, किसी कार्यभारित स्थापना के अधीन कार्यरत कर्मी की सेवा का निमित्त स्थापना में समायोजन के पूर्व संबंधित कर्मी की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु हो जाने पर

उन्हें पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन अनुमान्य नहीं होगा । [*पत्रांक वित्त (27) पें०को०-91/04-1393 दिनांक 31-3-2004]

43.

***विषय : पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों के त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के संबंध में ।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की स्वीकृति/भुगतान समय पर नहीं होने के कारण माननीय पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर हो रही हैं और माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण अवमाननावाद भी दायर हो रहे हैं । पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की त्वरित स्वीकृति/भुगतान को सुनिश्चित करने एवं लम्बित मामलों के निष्पादन की स्थिति के नियमित अनुश्रवण के उद्देश्य से वित्त विभाग में एक पेंशन कोषांग का गठन किया गया है । पेंशन कोषांग के प्रभारी संयुक्त सचिव द्वारा प्रत्येक माह सभी विभागों के नोड्ल पदाधिकारियों के साथ विभागों के लम्बित पेंशन मामलों की समीक्षा की जाती है ।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्य सचिव, एस०एन० विश्वास के हस्ताक्षर से पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों के लम्बित मामलों के निष्पादन हेतु एक परिपत्र सं० 8042, दिनांक 30-8-1999 निर्गत किया गया था जिसमें सेवान्त लाभों के मामलों के त्वरित निष्पादन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं ।

प्रासंगिक पत्र के अनुसार पेंशन के मामले सामान्यत: निम्नांकित कारणों से लम्बित रहते हैं—

1. प्रोन्नति/वरीयता निर्धारण का लम्बित होना ।
2. कालबद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि लम्बित होना ।
3. वेतन निर्धारण लम्बित होना ।
4. विभागीय कार्यवाही का लम्बित होना ।
5. गलत कालबद्ध प्रोन्नति या वेतन निर्धारण के आधार पर भुगतान की गई राशि की वसूली ।
6. सेवा में टूट का विनियमन लम्बित होना ।
7. अग्रिमों की वसूली लम्बित होना ।
8. सेवा का सत्यापन लम्बित होना ।
9. भविष्य निधि लेखा का सत्यापन न होना ।
10. वरीयता/प्रोन्नति का न्यायालय में मुकदमा ।
11. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा समय पर अपेक्षित कार्रवाई में रुचि न लेना ।
12. पूर्व की सेवा को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए जोड़ना ।
13. सेवानिवृत्ति लाभ देने की कार्रवाई ससमय प्रारम्भ नहीं करना ।

2. सेवापुस्त/अभिलेख में कोई खास प्रतिकूल आदेश की प्रविष्टि के अभाव में राज्य सरकार के अधीन की गई दो सेवाओं के बीच टूट की अवधि (i) पदत्याग (ii) सरकार द्वारा सेवा से विमुक्ति या हटा देने से अथवा (iii) हड़ताल में भाग लेने के कारण टूट को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की टूट स्वत: क्षान्त समझी जायेगी एवं टूट के पहले की सेवा पेंशन प्रदायी मानी जायेगी । परन्तु टूट की अवधि की पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में गणना नहीं की जायेगी । यह प्रक्रिया राजपत्रित तथा अराजपत्रित सेवक के मामले में समरूप से लागू होगी ।

3. वित्त विभाग में द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि सेवा टूट की अवधि के विनियमन एवं वेतन निर्धारण के लम्बित मामलों का निष्पादन अभियान चलाकर कालबद्ध रूप से कराया जायगा ।

4. यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मी के विरुद्ध आरोप लम्बित है तो मात्र इसके आधार पर उनके पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की स्वीकृति रोकी नहीं जायगी । परन्तु पेंशन औपबंधिक रूप से स्वीकृत किया जायेगा ।

5. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी के अन्तर्गत कार्यवाही चलते रहने के बावजूद सेवानिवृत्त कर्मी को वित्त विभाग के पत्रांक 9144, दिनांक 22-8-1974 के अनुसार 75 प्रतिशत औपबंधिक पेंशन स्वीकृत किया जायेगा । वित्त विभाग के संकल्प सं० 3014, दिनांक 31-7-1980 की कंडिका 7 (ग) द्वारा औपबंधिक पेंशन की राशि 90 प्रतिशत कर दी गई है । किन्तु, ऐसे औपबंधिक पेंशन के किसी अंश का रूपान्तरण नहीं किया जायेगा ।

6. सभी आयुक्त एवं सचिव/विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय एवं जिला स्तर के अन्य विभागों के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा उनके स्तर पर प्रतिमाह पेंशन-सह-भविष्य

निधि अदालत का आयोजन किया जाय। पेंशन-सह-भविष्य निधि अदालत की तिथि का व्यापक प्रचार किया जाय और जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों के मामले लम्बित हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर उन्हें विशेष पेंशन अदालत में आमंत्रित किया जाय।

पेंशन एवं भविष्य निधि अदालत की कार्यवाही की प्रति वित्त विभाग के पेंशन कोषांग को प्रत्येक माह उपलब्ध करायी जाय।

7. प्रत्येक विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों के लम्बित पेंशन एवं सेवान्त लाभों के निष्पादन की समीक्षा प्रत्येक माह नियमित रूप से करेंगे और लम्बित मामलों का निष्पादन करायेंगे।

समीक्षा बैठक में विभागीय कार्यवाही के लम्बित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु कार्रवाई की जायगी।

मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही मुख्य सचिव को उपलब्ध कराई जायगी।

8. जो आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय एवं जिला स्तर के अन्य विभागों के पदाधिकारी अपने स्तर पर प्रत्येक माह पेंशन एवं भविष्य निधि अदालत का आयोजन नहीं करेंगे और अदालत की कार्यवाही प्रति वित्त विभाग के पेंशन कोषांग को उपलब्ध नहीं करायेंगे, उन्हें सरकार की अप्रसन्नता संसूचित की जायगी और उनकी चरित्र पुस्ति में इसकी प्रविष्टि की जायगी।

9. जो विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में लम्बित पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों के निष्पादन की समीक्षा कर समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्य सचिव को उपलब्ध नहीं करायेंगे, उन्हें भी सरकार की अप्रसन्नता संसूचित की जायगी।

10. पेंशन स्वीकृत करने, पेंशन कागजात महालेखाकार को अग्रसारित करने, अन्य सेवान्त लाभ स्वीकृत करने की शक्ति जिन सक्षम पदाधिकारियों को प्रदत्त है, उनका यह दायित्व होगा कि वे निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत उनका निष्पादन करें।

11. संबंधित कार्यालय प्रधानों/पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारियों को एक आम सूचना द्वारा यह सूचित किया जाय कि वे समय पर पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों का निष्पादन करें। तीन माह के बाद उन्हें अपने वेतन विपत्र के साथ यह प्रमाण- पत्र देना होगा कि उनके कार्यालय में पेंशन/अन्य सेवान्त लाभों की स्वीकृति का कोई मामला लम्बित नहीं है। अगर उनके कार्यालय में कोई मामला लम्बित है, तो उसके लम्बित होने का कारण जो पेंशन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार उचित है, वेतन विपत्र के साथ अंकित करना होगा अन्यथा उनका वेतन विपत्र कोषागार द्वारा पारित नहीं किया जायेगा। इस प्रकार का प्रमाण-पत्र कार्यालय प्रधान के कार्यालय में पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों के मामलों के प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी/प्रधान लिपिक एवं कार्यवाहक सहायक/लिपिक को देना होगा अन्यथा उनके वेतन का भी भुगतान नहीं होगा।

12. प्रत्येक शनिवार को अपराह्न 4.00 बजे मुख्य सचिव/अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो-सह- आयुक्त एवं सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में लम्बित पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों के निष्पादन की भी समीक्षा नियमित रूप से की जायगी। [***पत्र संख्या वि० (27) 154/2004-3089, दिनांक 23 अगस्त, 2004**]

44.

*विषय : पेंशन एवं अन्य-सेवान्त लाभों के त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3089 दिनांक 30-8-2004 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सेवा निवृत्ति के पश्चात् कतिपय कर्मियों के द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि का मामला वित्त विभाग की सहमति हेतु नहीं भेजें जाने के कारण संबंधित कर्मियों के पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों का निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है।

2. ज्ञातव्य है कि दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से कालबद्ध प्रोन्नति योजना समाप्त की जा चुकी है तथा अब इससे संबंधित मामलों को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

3. अतएव अनुरोध है कि द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि हेतु जितने भी लंबित मामले है,उन सभी मामलों को विशेष अभियान चलाकर अंतिम रूप से तीन माह के अन्दर वित्त विभाग से सम्पुष्टि करा ली जाय।

[*पत्र संख्या 3 ए-9-विविध-20/2004/7267/वि० (2), पटना, दिनांक 6-10-2004]

45.

[Copy of Government of India Ministry of Personal, P.G. and Pensions, Department of Personal and Training, No. 28/43/2004-SRS 29-3-05, dated the March, 2005]

1. The State Advisory Committee, Bihar is in the process of allocation of State Service Personal between the successor States of Bihar/Jharkhand. In the meantime, Government of Jharkhand has raised the age of superannuation from 58 to 60 years vide their notification dated 26-10-2004 whereas the Govt. of Bihar has raised the age of superannuation for its employees vide its notification on 24-3-2004.

2. Keeping in view the overall situation. the matter has been examined and the undersigned is directed to advise that

(a) Those personal who are posted in the State of Jharkhand and have attained the age of 58 years between 26-10-2004 and 23-3-2005 have been allocated to the State of Bihar, will be treated as superannuated on the day of attaining the age of 58 years and they will get their persionary/retiral benefits from the successor State of Bihar;

(b) Those personal who are posted in Bihar and have attained the age of 58 years on or after 26-10-2004 and have retired but allocated to the successor State of Jharkhand will resume their duty/post in the State of Jharkhand and they will get salary from State of Jharkhand w.e.f. the date of assuming the charge and their service will be counted in continuity for the purpose of pensionary/retiral benefits but they will not get any salary for the period of for which they have not worked due to their retirement in the State of Bihar; and

(c) all those personal who have completed 58 years of age on or after 26-10-2004 may be provisionally relieved to the respective successor State as recommended in the Revised Final Allocation List pending their final allocation by the Central Government if no representation has been received against their proposed allocation;

It is requested that the action taken in the matter may kindly be intimated to the Central Government immediately.

46.

***विषय : पूर्व सेवा की परिगणना पेंशन प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन दिये जाने हेतु समय-सीमा का निर्धारण।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में पेंशन प्रयोजनार्थ पूर्व सेवा की गणना के संबंध में बिहार पेंशन नियमावली एवं बिहार सेवा संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि पेंशन प्रयोजन हेतु पूर्व सेवा की गणना के लिये आवेदन-पत्र सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल एवं सेवानिवृत्ति के बाद भी प्राप्त होते रहते हैं। विलम्ब से आवेदन प्राप्त होने तथा अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण उक्त प्रस्ताव पर विचार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं उनके निष्पादन में भी विलम्ब होता है तथा उनके पेंशनादि लाभ के भुगतान में भी अनावश्यक विलम्ब होता है।

उक्त आलोक में पेंशन प्रयोजनार्थ पूर्व सेवा की गणना हेतु आवेदन दिये जाने के संबंध में समय-सीमा निर्धारण का प्रस्ताव विचाराधीन था ताकि उक्त मामले का निष्पादन ससमय किया जा सके।

राज्य सरकार द्वारा भली-भाँति विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी कर्मचारी यदि एक सेवा से दूसरी सेवा में जाते हैं और पूर्व की सेवा पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणना की इच्छा रखते हैं तो उक्त कार्य हेतु

संबंधित कर्मी द्वारा दूसरी सेवा में जाने की तिथि 10 (दस) वर्षों के अंदर संबंधित विभाग को आवेदन देना आवश्यक होगा। 10 (दस) वर्षों के बाद पूर्व सेवा की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ किये जाने संबंधी प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायगा।

वैसे पुराने कर्मचारी/पदाधिकारी जिन्होंने पूर्व सेवा की पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणना करते हुए आवेदन अपने प्रशासी विभाग को उपलब्ध नहीं कराया है उनके लिये विशेष व्यवस्था की जाती है कि ऐसे कर्मी इस परिपत्र के निर्गत की तिथि से दो वर्ष के अंदर अपने पूर्व सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणना हेतु आवेदन प्रशासी विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जायेगी।

यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। **[*पत्र संख्या वि० (27) पें०को०-62/05 1191 वि० 12, दिनांक 1-6-2005]**

47.

***विषय : पेंशन एवं भविष्य निधि राशि के त्वरित भुगतान हेतु दिनांक 19-2-2005 को मेगा स्पेशल लोक अदालत के आयोजन के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक् सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से प्राप्त पत्र संख्या 581, दिनांक 13-12-2004 की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एवं प्राधिकार के एक्जीक्यूटीव चेयरमैन के द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन एवं भविष्य निधि के लेखा से अंतिम निकासी लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु दिनांक 19-2-2005 को मेगा स्पेशल लोक अदालत के आयोजन की तिथि निर्धारित की गयी है।

प्रस्तावित मेगा स्पेशल लोक अदालत में निष्पादित होने वाले मामलों की सूची 15 दिनों के अंदर माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उपस्थापित करना है।

अतः अनुरोध है कि वांछित सूची इस संवाद की प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर डा० आर०एस० सिंह, संयुक्त सचिव, प्रभारी पेंशन कोषागार, वित्त विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। **[*पत्र संख्या वि० (2) पें०को०-1/2004-8764/वि० (2), दिनांक 21-12-2004]**

48.

[Copy of Bihar State Legal Services Authority, Letter No. 581, dated 13th December, 2004. From, Member Secretary. To, The Commissioner, Department of Personnel, Government of Bihar, Patna/The Commissioner, Department of Finance, Government of Bihar, Patna/The Director, State Provident Fund, Bihar, Patna/The District Provident Fund Officer, Patna/ The District & Sessions Judge, Patna.]

I am directed to inform that the Hon'ble Acting Chief Justice and Executive Chairman of the Authority has been pleased to fix 19th February, 2005 to hold Mega Special Lok Adalat for disposal of Pension and Provident Fund related cases in big way in order to provide quick relief to the retired persons. The Senior Hon'ble Judges of the Supreme Court are likely to grace the occassion.

I am therefore, directed to request you to submit a list of cases which could be settled in the proposed Mega Special Lok Adalat. The list must be submitted within 15 days for placing before the Hon'ble Acting Chief Justice and Executive Chairman. A meeting of the concerned officers with the Hon'ble Chief Justice shall follow soon.

It must be treated as urgent.

49.

***विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को दिनांक 1-1-2005 से पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई राहत का विलय मूल पेंशन में करने के संबंध में।**

भारत सरकार के पत्र सं० एफ० नं० 105/1/2004-आई०सी०, दिनांक 1-3-2004 द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशन भोगियों को प्राप्त पेंशन के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) के बराबर महँगाई राशि का विलय पेंशन में करने का निर्णय लिया गया है ।

2. भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मी के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई राहत की राशि को पेंशन में विलय करने का निर्णय राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

3. उपर्युक्त विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की भाँति राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मी के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई राहत की राशि को दिनांक 1-1-2005 के प्रभाव से पेंशन में विलय करने का निर्णय लिया है ।

4. उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई राहत की राशि को महँगाई पेंशन के रूप में निम्न रूपेण अलग से दर्शाया जाएगा –

मूल पेंशन
महँगाई पेंशन
(मूल पेंशन का 50 प्रतिशत)
योग

5. महँगाई पेंशन की राशि को मूल पेंशन में जोड़ने पर प्राप्त परिलब्धि के आधार पर महँगाई राहत अनुमान्य होगी ।

6. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 1-1-2005 से 31-10-2005 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों को पेंशन निर्धारण में कोई हानि नहीं हो उनके मामले में औसत परिलब्धि की गणना हेतु विशेष व्यवस्था के रूप में मूल वेतन के 50 (पचास) प्रतिशत के बराबर महँगाई भत्ता की राशि को दिनांक 1-1-2005 से पूर्व प्राप्त मूल वेतन में वैचारिक रूप से जोड़ा जायेगा । परिणाम स्वरूप महँगाई पेंशन का भाग केवल दिनांक 31-12-2004 तक राज्य सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के लिए लागू होगा ।

7. दिनांक 1-1-2005 से मौजूदा मूल पेंशन का 50 (पचास) प्रतिशत के बराबर महँगाई राहत का विलय मूल पेंशन में करने संबंधी निर्णय के फलस्वरूप इसका लाभ प्राप्त करने वाले पेंशन धारियों को दिनांक 1-1-2005 के प्रभाव से मूल पेंशन एवं महँगाई पेंशन का 14 (चौदह) प्रतिशत ही महँगाई राहत देय होगा ।

8. पेंशन भोगियों को इस महँगाई पेंशन के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, भाग 1 के नियम 344(1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही पेंशन के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलों में दिया जाता है साथ ही, कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करनेवाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिये वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर महँगाई पेंशन की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिये महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब महँगाई पेंशन भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

9. जहाँ तक इस आदेश को उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के सेवा निवृत्त कर्मियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की सहमति के पश्चात् संबंधित सचिवालय/कार्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा । [***संकल्प संख्या वि० (27) पे०को०-158/04/775, दिनांक 11-4-2005**]

50.

***विषय : दिनांक 1-9-2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए नयी अंशदायी पेंशन योजना ।**

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयों के आलोक में सम्प्रति राज्यकर्मियों को केन्द्र सरकार के कर्मियों के अनुरूप वेतनमान, भत्ता, सेवानिवृत्ति की आयु आदि की सुविधायें अनुमान्य हैं ।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय प्रभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 05/07/2003 ई०सी०वी०, दिनांक 22-12-2003 द्वारा भारत सरकार के अधीन दिनांक 1-1-2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए वर्तमान में प्रचलित पेंशन योजना के स्थान पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है । फलस्वरूप भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के लिए प्रख्यापित अंशदायी पेंशन योजना के सदृश्य राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 1-9-2005 के प्रभाव से अंशदायी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसका नाम **"बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005"** होगा ।

3. इस संकल्प में निहित प्रावधान वैसे सरकारी सेवकों के मामले में लागू होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन दिनांक 1-9-2005 को या उसके बाद हुई हो, परन्तु उक्त प्रावधान संविदा, लोक उपक्रमों एवं स्वायत्त संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मियों, दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों तथा पुनर्नियुक्त कर्मियों पर लागू नहीं होंगे ।

4. दिनांक 1-9-2005 या उसके बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्त कर्मियों के मासिक वेतन विपत्र से मूल वेतन + अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के योग की 10 (दस) प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में कटौती की जायेगी तथा उतनी ही राशि नियोक्ता अर्थात् राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दी जायेगी ।

5. योजनान्तर्गत संबंधित कर्मियों के अंशदान की कटौती उनके योगदान के अगले माह से प्रारम्भ होगी, अर्थात् यदि सितम्बर, 2005 में किसी ने योगदान किया हो तो अंशदान की कटौती अक्टूबर, 2005 के विपत्र से प्रारम्भ होगी ।

6. योजना प्रवृत्त होने की तिथि 1-9-2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मामलों में वर्तमान में लागू सामान्य भविष्य निधि तथा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात् सामान्य भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की कटौती नहीं की जायेगी ।

7. योजनान्तर्गत अंशदान की कटौती तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये अंशदान संबंधी लेखा का संधारण तत्काल भविष्यनिधि निदेशालय/कार्यालय द्वारा किया जायेगा तथा भविष्य निधि निदेशालय/कार्यालय द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना के अधीन अंशदान की कटौती के लिए एक लेखा संख्या आवंटित की जायेगी ।

8. नई पेंशन योजनान्तर्गत संबंधित कर्मी की सेवानिवृत्ति के समय सेवाकाल में संचित निधि की 40 (चालीस) प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से वार्षिकी खरीदने (आई०आर०डी०ए० नियंत्रित जीवन बीमा कम्पनी से) के लिए कटौती कर ली जायेगी जिससे सरकारी कर्मचारी तथा उस पर आश्रित उसके माता-पिता तथा पति/पत्नी के जीवन काल हेतु पेंशन की व्यवस्था की जायेगी तथा शेष 60 (साठ) प्रतिशत राशि एक मुश्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को भुगतान कर दी जायेगी ।

9. इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अलग से विस्तृत आदेश निर्गत किये जा रहे हैं ।

10. अब तक पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण गठित नहीं हो जाता है, तबतक कटौती तथा अंशदान की राशि लोक लेखा में रखी जायेगी तथा इस पर सामान्य भविष्य निधि की दर से ब्याज देय होगा ।

11. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत बोर्ड, निगम/शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय आदि जहाँ राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति पेंशन की सुविधा उपलब्ध है, को इस नई अंशदायी पेंशन योजना को अनिवार्य रूप से लागू किये जाने हेतु निदेशित किया जाता है । [***संकल्प संख्या वि० (27) पे०को०-53/04-1964, दिनांक 31-8-2005**]

51.

***विषय : दिनांक 1-9-2005 या उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों पर प्रभावी नई अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31-8-2005 द्वारा दिनांक 1-9-2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए **"बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005"** लागू की गयी है । उक्त संकल्प की कंडिका 9 में यह उल्लेख किया गया है कि इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अलग से विस्तृत आदेश निर्गत किया जाएगा । उक्त क्रम में इस योजना को लागू करने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है—

1. दिनांक 1-9-2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए इस योजना में शामिल होना अनिवार्य है। इन कर्मियों के मासिक वेतन से मूल वेतन तथा अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के योग की 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में कटौती की जाएगी। राज्य सरकार इतनी ही राशि अंशदान के रूप में उपलब्ध करायेगी।

2. यह अंशदान गैर आहरण पेंशन निधि में जमा होगा।

3. सरकारी सेवक के 60 वर्ष की वार्धक्य सेवानिवृत्ति के समय सेवाकाल में संचित निधि से 40 प्रतिशत राशि आई०डी०आर०ए० नियंत्रित जीवन बीमा कम्पनी से वार्षिक (Annuity) खरीदने के लिए कटौती कर ली जाएगी जिससे सरकारी कर्मचारी तथा उन पर आश्रित उनके माता-पिता तथा पति-पत्नी के जीवन काल हेतु पेंशन व्यवस्था की जाएगी तथा शेष 60 प्रतिशत राशि एकमुश्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को भुगतान कर दी जाएगी।

4. जो सरकारी सेवक वार्धक्य सेवानिवृत्ति के पूर्व किसी कारण से सरकारी सेवा से अलग हो जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें संचित निधि की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी तथा ऐसे कर्मियों को पेंशनादि की सुविधा देय नहीं होगी।

5. इस निधि के रख-रखाव हेतु एक केन्द्रीयकृत रख-रखाव तथा लेखाकरण (सी०आर०ए०) आधार ढाँचा तथा पेंशन निधि प्रबंधक होंगे। जो स्कीम की तीन श्रेणियों यथा (क), (ख) तथा (ग) को पेश करेंगे। विकल्प 'क' के अन्तर्गत निवेश मुख्यत: नियत ब्याज वाले इन्स्ट्रूमेंट (Instruments) तथा कुछ निवेश हिस्सा पूँजी में होगा। विकल्प 'ख' में निवेश मुख्यत: हिस्सा पूँजी में होगा, तथा विकल्प 'ग' में हिस्सा पूँजी तथा नियत ब्याज वाले इन्स्ट्रूमेंट (Instruments) में लगभग बराबर-बराबर निवेश होगा। प्रत्येक कर्मचारी इन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपना सकेगा।

6. भागीदार कम्पनियाँ (पी०एफ०एम०) तथा सी०आर०ए० उपर्युक्त तीनों विकल्पों के सम्बन्ध में आसानी से समय में आनेवाली जानकारियाँ देंगी, ताकि कोई भी कर्मी समुचित विकल्प का प्रयोग करते हुए यह निश्चित कर सके कि उसे कौन-सी स्कीम का चयन करना है।

7. जबतक इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीयकृत रख-रखाव तथा लेखाकरण (सी०आर०ए०) तथा पेंशन निधि प्रबन्धक (पी०एफ०एम०) की नियमित व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन इस योजना से सम्बंधित सभी अभिलेखों तथा लेखा का संधारण करेंगे।

8. सरकारी सेवक के प्रभार ग्रहण करने के तत्काल बाद सरकारी सेवक को उनका नाम, पदनाम, वेतनमान, जन्मतिथि नामित व्यक्ति का नाम तथा उससे सम्बन्ध आदि के बारे में सूचना परिशिष्ट 1 में तीन प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में देनी होगी। इस योजना से आच्छादित होनेवाली सभी सरकारी सेवकों से इन सूचनाओं को प्राप्त कर इसे सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय/निदेशालय में भेजने की जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रधान की होगी। प्रत्येक माह राज्य सरकार की सेवा में योगदान देने वाले सभी कर्मियों की समेकित सूचना सम्बन्धित कार्यालय प्रधान द्वारा परिशिष्ट 2 में निर्धारित प्रपत्र में दी जायेगी जिसके साथ परिशिष्ट 1 की मूल प्रति भी संलग्न होगी। परिशिष्ट 1 की मूल प्रति को भविष्य निधि कार्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। यह सूचना प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भविष्य निधि निदेशालय/सम्बन्धित कार्यालय को देनी अनिवार्य होगी।

9. उपर्युक्त परिशिष्ट 2 प्राप्त होने के उपरान्त भविष्य निधि निदेशालय/कार्यालय सम्बन्धित कर्मी को 12 अंकों की एक स्थायी पेंशन लेखा संख्या आवंटित करेगा। 12 अंकों में से प्रथम 4 अंक उस पंचांग वर्ष को दर्शायेंगे जिसमें सरकारी सेवक के द्वारा योगदान किया गया है। उसके बाद अगला एक अंक सरकारी कर्मियों को इंगित करेगा तथा इस कॉलम में "1" अंक अंकित किया जाएगा। उक्त के बाद का 2 अंक सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय का वह कोड होगा जिसे संलग्न परिशिष्ट 3 में अंकित किया गया है और अन्तिम 5 अंक सम्बन्धित पंचांग वर्ष में नियुक्त सरकारी कर्मियों की क्रमिक संख्या होगी जिसे भविष्य निधि कार्यालय द्वारा आवंटित किया जाएगा।

10. स्थायी पेंशन लेखा संख्या का प्रारूप निम्न प्रकार होगा—

पंचांग वर्ष				असैनिक	भविष्य निधि कार्यालय का कोड		कर्मियों की क्रमिक संख्या				

स्थायी पेंशन लेखा संख्या आवंटित करने के सम्बन्ध में परिशिष्ट 4 में उदाहरण दिया गया है जिससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जायेगी ।

11. नव नियुक्त कर्मियों के मासिक वेतन विपत्र में मूल वेतन एवं अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के योग के 10 प्रतिशत राशि की कटौती होगी । कटौती उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार वर्तमान में भविष्य निधि के लिए की जाती है । इसके लिए वेतन विपत्र के साथ अनुसूची दो प्रतियों में संलग्न करनी होगी जिसे कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र भुगतान के उपरान्त सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय को भेजा जाएगा ।

12. राज्य सरकार अपने अंशदान के रूप में वेतन एवं जीवन यापन भत्ता के योग पर ही 10 प्रतिशत राशि उपलब्ध करायेगी । यह राशि मुख्य शीर्ष "2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ", उप मुख्य शीर्ष "01—सिविल", लघु शीर्ष "800—अन्य व्यय", उप शीर्ष "0001—अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य का अंशदान" से भुगतेय होगी ।

13. इस योजना से आच्छादित होने वाले कर्मियों के लिये दो मासिक वेतन विपत्र साथ-साथ प्रस्तुत किये जायेंगे जिसमें एक विपत्र वर्तमान के मासिक वेतन विपत्र के अनुरूप होगा तथा इसमें उस शीर्ष का उल्लेख होगा जिससे सरकारी सेवक का वेतन निकलता है । इसके लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत आवंटन उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा । दूसरा मासिक वेतन विपत्र राज्य सरकार द्वारा दिये जानेवाले अंशदान का होगा जिसकी निकासी उपर्युक्त कंडिका 12 में उल्लिखित शीर्ष से होगी तथा इसके लिये आवंटन की आवश्यकता नहीं होगी ।

14. मासिक वेतन विपत्र तथा अंशदायी योगदान के लिए दोनों विपत्रों के साथ दो-दो प्रतियों में सम्बन्धित अनुसूची संलग्न की जायेगी । यह उसी प्रकार संलग्न की जायेगी जिस प्रकार भविष्य निधि के लिए अनुसूचियाँ संलग्न की जाती है । इसमें नियमित मासिक वेतन विपत्र के साथ जो अनुसूची संलग्न होंगी उसका प्रारूप परिशिष्ट 5 (क) पर तथा राज्य सरकार द्वारा दिये जानेवाले अंशदान से सम्बन्धित अनुसूची विपत्र के साथ परिशिष्ट 5 (ख) पर देखी जा सकती है ।

15. दोनों मासिक वेतन विपत्रों को कोषागार द्वारा एक साथ पारित किया जाएगा तथा विपत्र की निकासी/समायोजन के उपरान्त उसके साथ संलग्न अनुसूचियों को भविष्य निधि निदेशालय/सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय को ठीक उसी प्रकार भेजा जाएगा जिस प्रकार वर्तमान में भविष्य निधि से कटौती से सम्बन्धित अनुसूचियाँ भेजी जाती हैं ।

16. भविष्य निधि कार्यालय का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे सम्बन्धित कर्मियों का लेखा संधारण करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उनके वेतन तथा अनुमान्य महँगाई भत्ता के योग के 10 प्रतिशत से अधिक या कम राशि की कटौती नहीं की गयी हो तथा राज्य सरकार का अंशदान भी इसी के अनुरूप हो । यदि किसी मामले में इससे भिन्न तथ्य प्रकाश में आता है, तो उसे तुरन्त सम्बन्धित कोषागार के ध्यान में लाया जाएगा जो इस सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे ।

17. बकाया वेतन एवं जीवन यापन भत्ता की निकासी में भी यह व्यवस्था लागू रहेगी अर्थात् इसमें भी 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी तथा उतनी ही राशि, राज्य सरकार के अंशदान के रूप में दी जाएगी ।

18. यदि 10 प्रतिशत की राशि की गणना करने पर उक्त राशि 50 पैसे या उससे अधिक हो तो उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और यदि वह 50 पैसे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा ।

19. उपर्युक्त कंडिका 7 में वर्णित नियमित व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती है तब तक इस मद में जमा राशि पर भी उक्त अवधि में भविष्य निधि में जमा राशि पर देय ब्याज दर देय होगा ।

20. भविष्य निधि निदेशालय/सम्बन्धित कार्यालय द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से कटौती की गयी राशि तथा राज्य सरकार द्वारा अंशदान की राशि का लेखा प्रत्येक वर्ष के अन्त में सम्बन्धित कार्यालय प्रधान को उपलब्ध कराया जाएगा जो अपने अभिलेखों से भी इसका मिलान कर लेंगे तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मी को उपलब्ध करा देंगे । यदि भविष्य निधि कार्यालय तथा कार्यालय प्रधान के आँकड़ों में किसी प्रकार का अन्तर हो, तो इसका मिलान तुरन्त किया जाएगा ।

21. नवनियुक्त स्वयं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को भी दो अलग-अलग वेतन विपत्र इस संकल्प के प्रावधानों के प्रावधान के अनुसार प्रस्तुत करना होगा ।

22. राज्य कर्मियों के अंशदान की कटौती को मुख्य शीर्ष "8011—बीमा तथा पेंशन निधि", लघु शीर्ष "106—अन्य बीमा तथा पेंशन निधियाँ", उप शीर्ष "0002—बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005 में राज्य कर्मियों का अंशदान" में जमा किया जाएगा एवं राज्य सरकार के अंशदान को मुख्य शीर्ष "8011—बीमा तथा पेंशन निधि, लघु शीर्ष "106—अन्य बीमा तथा पेंशन निधि", उप शीर्ष "0002— बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005 में राज्य सरकार के अंशदान" में जमा किया जाएगा ।

23. इस योजनान्तर्गत आच्छादित कर्मियों के लिए भविष्य निधि की योजना लागू नहीं होगी, अर्थात् उनके वेतन से सामान्य भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी ।

24. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय आदि, जहाँ राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति पेंशन की सुविधा उपलब्ध है, में इस नई अंशदायी पेंशन योजना को लागू करने के लिए निदेशित किया गया है । इनके सम्बन्ध में इस योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के बारे में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा । [***संकल्प संख्या वि० (27) पें०को०–53/04-2469, दिनांक 16-11-2005**]

परिशिष्ट 1

(सरकारी कर्मी द्वारा भरा जाएगा)

1. सरकारी सेवक का नाम—
2. पिता/पति का नाम—
3. पदनाम—
4. विभाग/कार्यालय का नाम—
5. जन्म तिथि—
6. सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि—
7. वेतनमान—
8. मूल वेतन—
9. पेंशन निधि के अन्तर्गत मनोनयन

क्रम संख्या	मनोनीत व्यक्ति का नाम	उम्र	भुगतान के प्रतिशत का अंश	सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध

दिनांक

हस्ताक्षर के दो गवाह — सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

1.

2.

दिनांक— — प्रतिहस्ताक्षरित

स्थान— — कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर

परिशिष्ट 2

कार्यालय का नाम एवं पता— माह एवं वर्ष—

क्रम संख्या	सरकारी सेवक का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	वेतनमान	मूल वेतन	जन्म तिथि
1	2	3	4	5	6	7

नियुक्ति तिथि	भविष्य निधि कार्यालय द्वारा 12 अंक का आवंटित स्थायी पेंशन लेखा संख्या	पेंशन लेखा के अन्तर्गत संचित निधि हेतु आश्रित के मनोनयन का विवरण			
		मनोनीत व्यक्ति/ व्यक्तियों के नाम एवं पते	मनोनीत व्यक्ति की उम्र	सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध	भुगतान का प्रतिशत
8	9	10	11	12	13

दिनांक— कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट 3

राज्य बीमा एवं भविष्य निधि के इकाई कार्यालय/जिला कार्यालय की सूची

क्रम संख्या	भविष्य निधि कार्यालय का स्थान	कोड नं०	क्रम संख्या	भविष्य निधि कार्यालय का स्थान	कोड नं०
1.	भविष्य निधि निदेशालय, पटना	01	21.	सारण (छपरा)	21
2.	पटना	02	22.	सिवान	22
3.	भोजपुर, आरा	03	23.	गोपालगंज	23
4.	बक्सर	04	24.	मुजफ्फरपुर	24
5.	रोहतास, सासाराम	05	25.	सीतामढ़ी	25
6.	कैमूर (भभुआ)	06	26.	शिवहर	26
7.	नालन्दा, बिहार शरीफ	07	27.	वैशाली (हाजीपुर)	27
8.	गया	08	28.	पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	28
9.	औरंगाबाद	09	29.	प० चम्पारण (बेतिया)	29
10.	नवादा	10	30.	मधुबनी	30
11.	जहानाबाद	11	31.	दरभंगा	31
12.	अरवल	12	32.	समस्तीपुर	32
13.	मुंगेर	13	33.	सहरसा	33
14.	लखीसराय	14.	34.	सुपौल	34
15.	शेखपुरा	15	35.	मधेपुरा	35
16.	जमुई	16	36.	पूर्णिया	36
17.	खगड़िया	17	37.	अररिया	37
18.	बेगुसराय	18	38.	किशनगंज	38
19.	भागलपुर	19	39.	कटिहार	39
20.	बांका	20			

परिशिष्ट 4

स्थायी पेंशन लेखा संख्या आवंटित करने हेतु

उदाहरण 1

1. राज्य-स्तरीय सेवा में माह सितम्बर, 2005 में नियुक्त कर्मी का स्थायी पेंशन लेखा संख्या जो भविष्य निधि निदेशालय द्वारा निम्न प्रकार आवंटित किया जाएगा—

पंचांग वर्ष				असैनिक	भविष्य निधि कार्यालय का कोड		कर्मियों की क्रमिक संख्या				
2	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	1

उदाहरण 2

क्षेत्रीय कार्यालय तथा कटिहार जिला के अन्तर्गत कोई पंचायत सेवक या राजस्व कर्मचारी के पद पर माह सितम्बर, 2005 में योगदान करता है, तो उसका स्थायी पेंशन लेखा सं० कटिहार जिला भविष्य निधि कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार आवंटित किया जाएगा—

पंचांग वर्ष				असैनिक	भविष्य निधि कार्यालय का कोड		कर्मियों की क्रमिक संख्या				
2	0	0	5	1	3	9	0	0	0	0	1

नोट—अन्तिम 5 अंक उस वर्ष में नियुक्त कर्मियों की संख्या है । भविष्य निधि कार्यालयों को जैसे-जैसे आवेदन प्राप्त होंगे, उनके द्वारा वैसे-वैसे इन्हें भरा जायेगा । उदाहरण के तौर पर यदि कटिहार जिले में विभिन्न कार्यालयों में 100 कर्मियों की नियुक्ति वर्ष 2005 में होती है तो सभी के लिये प्रथम 7 अंक समान रहेंगे तथा अंतिम 5 अंक 00001 से 00100 तक अंकित किये जायेंगे ।

परिशिष्ट 5 (क)

नई अंशदान पेंशन योजना, 2005 के तहत् राज्यकर्मियों द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की अनुसूची

मुख्य शीर्ष— उपमुख्य शीर्ष— उपशीर्ष—

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम/पदनाम	स्थायी पेंशन लेखा संख्या	मूल वेतन	महँगाई वेतन
1	2	3	4	5
	कुल योग			

महँगाई भत्ता	योग (कालम 4 + 5 + 6)	अंशदान (कालम 7 का 10 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
6	7	8	9

कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट 5 (ख)

नई अंशदान पेंशन योजना, 2005 के तहत् राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की अनुसूची

मुख्य शीर्ष— उपमुख्य शीर्ष— उपशीर्ष—

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम/पदनाम	स्थायी पेंशन लेखा संख्या	मूल वेतन	महँगाई वेतन
1	2	3	4	5
	कुल योग			

महँगाई भत्ता	योग (कालम 4 + 5 + 6)	राज्यांश (कालम 7 का 10 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
6	7	8	9

कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

52.

सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या 3ए-7-म०-01/2005-1500 वि० (2), दिनांक 24-3-2005 की प्रतिलिपि ।]

विषय : राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के सम्बन्ध में ।

बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के अनुसार राज्य सरकार के अधीन कार्यस्थ सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित है ।

2. राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवकों को केन्द्रीय वेतनमान, सेवाशर्त एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में अनुशंसा देने हेतु गठित फिटमेंट कमिटी द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की अनुशंसा की गई थी ।

3. फिटमेंट कमिटी की उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

4. उपर्युक्त विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है ।

5. उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति उस माह की अन्तिम तिथि को होगी जिस माह से सम्बन्धित सरकारी सेवक 60 वर्ष की आयु पूरा कर लेते हैं, किन्तु किसी माह की पहली तिथि को जिनकी जन्म तिथि है, वे उसके ठीक पहले माह के अन्तिम तिथि को सेवानिवृत्त होंगे ।

6. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

7. बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के संशोधन की कार्रवाई अलग से की जाएगी ।

53.

अवकाश के नकदीकरण की सीमा 300 दिन

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या 3/एम2-5-1/99 खंड 1829 वि० (2), दिनांक 7-4-2005 की प्रतिलिपि ।]

विषय : राज्य के सरकारी सेवक को देय उपार्जित अवकाश के संचयन एवं अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की सीमा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन करने के सम्बन्ध में ।

सरकारी सेवकों को उपार्जित अवकाश की संचयन सीमा 180 दिनों से बढ़ाकर 240 दिन करने का निर्णय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 326, दिनांक 27-1-1987 द्वारा संसूचित किया गया था ।

2. राज्य कर्मियों के लिए केन्द्रीय वेतनमान एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में अनुशंसा देने के लिए गठित फिटमेंट कमिटी द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों को उपार्जित अवकाश के संचयन सीमा केन्द्र के भाँति 240 दिनों से बढ़ाकर 300 दिन करने की अनुशंसा की गयी है ।

3. फिटमेंट कमिटी की उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में उपार्जित अवकाश के संचयन सीमा 240 दिनों से बढ़ाकर 300 दिन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।

4. फिटमेंट कमिटी की उपर्युक्त अनुशंसा पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त राज्य सरकार ने उपार्जित अवकाश के संचयन सीमा को दिनांक 1-4-2005 के प्रभाव से 300 दिन करने का निर्णय लिया है ।

5. अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के संचयन सीमा 300 दिन किए जाने के फलस्वरूप सेवा निवृत्ति के समय अव्यवहृत अधिकतम 300 दिनों के उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि नकद रूप में भुगतान किया जाएगा।

6. उपार्जित अवकाश के संचयन सीमा में वृद्धि के निर्णय के फलस्वरूप दिनांक 1-4-2005 के पश्चात् 240 दिनों से अधिक अवधि की गणना 1-4-2005 के बाद अर्जित अवकाश के आधार पर की जाएगी तथा यदि किसी कर्मी को दिनांक 31-3-2005 तक अधिकतम 240 दिनों से कम अर्जित अवकाश देय है तो दिनांक 31-3-2005 को देय अर्जित अवकाश में आगे अर्जित होने वाले अवकाश जोड़कर अर्जित अवकाश अनुमान्य किये जाएँगे।

7. एतद् सम्बन्धी पूर्व के सभी आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

8. बिहार सेवा संहिता के संगत नियमों में संशोधन की कार्रवाई अलग से की जाएगी।

54.

वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन प्राप्ति की सीमा अवधि का विस्तार

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञपांक वि० (27) पें०को०-82/06/1764/वे०, दिनांक 26-9-2006 की प्रतिलिपि।]

विषय : वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन प्राप्ति की सीमा अवधि विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

वित्त विभाग के पत्रांक 9251, दिनांक 5-12-2006 के तहत् यह प्रावधान है कि यदि सेवा के दौरान सरकार कर्मी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को मृत्यु की तिथि से सात वर्षों तक या कर्मी की वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु यदि वह जीवित होता तक, जो भी पहले हो, वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमान्य होगा। संकल्प संख्या 6796, दिनांक 15-7-1975 द्वारा उक्त प्रावधान को सरलीकृत कर सेवानिवृत्ति के बाद मृत कर्मियों को भी शामिल करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि सेवाकाल/सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु की तिथि से सात वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, तक किया जाएगा।

2. केन्द्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के उपरान्त बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन भुगतान की अवधि 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष, जो भी पहले हो, तक का प्रावधान किया गया है।

3. बिहार सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि 60 वर्ष किये जाने के बाद भारत सरकार के उक्त प्रावधानों के आलोक में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त वित्त विभाग के ज्ञापांक 9251, दिनांक 5-12-1966 में निहित प्रावधानों के अनुसार वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन दिये जाने हेतु संकल्प सं० 6796, दिनांक 15-7-1975 की कंडिका II की उप-कंडिका 'ए' एवं 'बी' का निम्न रूप में संशोधित किया जाता है—

"सेवा काल में/सेवानिवृत्ति के बाद कर्मी की मृत्यु होने पर सात वर्षों तक या मृतक के 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी कम हो, बढ़े दर पर पारिवारिक पेंशन देय होगा। सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने की स्थिति में बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन किसी भी स्थिति में मृत सरकारी सेवक को अनुमान्य पेंशन से अधिक नहीं होगा।"

एतद् सम्बन्धी पूर्व में सभी आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

झारखंड सरकार द्वारा निर्गत राज्यादेश

1.

***विषय : पेंशन संबंधी विषयों का त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के संबंध में ।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सेवा निवृत्ति लाभों का त्वरित निष्पादन नहीं होने के चलते उच्च न्यायालय में पेंशन संबंधी मुकदमों की भरमार हो गई है तथा अधिकांश न्यायादेशों में पेंशन/उपदान तथा भविष्यि-निधि में जमा राशि के भुगतान के अतिरिक्त दण्डात्मक दर से सूद एवं मुकदमा खर्च के भुगतान का निदेश भी न्यायपालिका द्वारा किया जा रहा है जिसके अनुपालन में वाध्यत: सरकार को पर्याप्त राशि को भुगतान करना पड़ता है । कई मामलों की समीक्षा में ऐसा पाया गया है कि विलम्ब के मूल में सरकारी सेवक का आचरण होता है, परन्तु फिर भी समय पर प्रशासनिक कार्रवाई पूर्ण नहीं होने के चलते सरकार को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है ।

2. पेंशन संबंधी प्रक्रिया के सरलीकरण और त्वरित निष्पादन के संबंध में सरकार के द्वारा कई परिपत्र पूर्व में भी निर्गत किये गए हैं । परन्तु इसके बावजूद पेंशनी लाभों के निष्पादन में विलम्ब हो रहा है और न्यायालयों में मुकदमें बढ़ते जा रहे हैं ।

3. समीक्षा में पाया गया है कि समय पर पेंशनरी मामलों का निष्पादन नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं—

1. प्रोन्नति/वरीयता निर्धारण का लंबित होना ।
2. कालबद्ध प्रोन्नति की संपुष्टि लंबित होना ।
3. वेतन निर्धारण लंबित होना ।
4. विभागीय कार्यवाही का लंबित होना ।
5. अग्रिमों की वसूली लंबित होना ।
6. गलत कालवद्ध प्रोन्नति या वेतन के आधार पर भुगतान की गई राशि की वसूली ।
7. सेवा में टूट का विनियमन लंबित होना ।
8. सेवा का सत्यापन लंबित होना ।
9. भविष्यि-निधि लेखा का सत्यापन न होना ।
10. वरीयता/प्रोन्नति का न्यायालय में मुकदमा ।
11. सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा समय पर अपेक्षित कार्रवाई में रूचि न लेना ।
12. पूर्व की सेवा को सेवा निवृत्त लाभों के लिये जोड़ना लंबित होना ।
13. सेवा निवृत्ति लाभ देने की कार्रवाई ससमय प्रारम्भ नहीं होगा ।

4. उपर्युक्त में से अधिकांश कारण ऐसे हैं कि जिनके निवारण के लिये सेवा निवृत्ति तक प्रतीक्षा किये जाने का कोई कारण नहीं है । वस्तुत: अगर गहराई में जायें तो पेंशनरी लाभों के निष्पादन में विलम्ब का मुख्य कारण विभिन्न स्तरों पर संवेदन शीलता की कमी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलाई और गैर-जवाबदेही है ।

5. यह कहने की जरूरत नहीं है कि कार्यालय के दिनानुदिन के काम जैसे सेवा सत्यापन, प्रोन्नति, अग्रिमों की स्वीकृति व वसूली विभागीय कार्यवाही का निष्पादन जैसे कार्य वित्तीय नियम के अनुसार और समयबद्धता के साथ हो तो सेवा निवृत्त लाभों के भुगतान में जटिलतायें कम हो जायेंगी और विलम्ब की संभावना नहीं रहेगी ।

6. बहुत मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ प्रशासी विभागों का निर्णय लेने की शक्तियाँ विकेन्द्रित हैं और जहां बिहार सेवा संहिता/बिहार पेंशन नियमावली आदि के प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट हैं वैसे भी मामले वित्त विभाग/विधि विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में परामर्श के लिये भेज दिये जाते हैं । ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि ठोस और नियम पर के निर्णय लेने के लिये ऐसा किया गया है परन्तु कई मामलों में तथ्यों को देखकर ऐसी धारणा बनती है कि कई बार ऐसा टालने के निमित्त किया जाता है । यह प्रवृत्ति सचिवालय एवं संबद्ध विभागों के स्तर पर ज्यादा है । अत: विभागों के उच्च स्तर के पदाधिकारियों के स्तर पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि वैसे ही मामले में परामर्श लिये भेजे जायें जो नियमों से आच्छादित नहीं हो या जिनमें नियमों का अस्पष्टता हो या नियमों में विरोधाभास हो या नियमों से भिन्न/विपरीत कोई न्याय निर्णय हुआ हो ।

7. सेवा निवृत्ति लाभों पर ससमय निर्णय हो इसके लिये निम्न प्रकार से कार्रवाई की जाय—(i) सभी कार्यालय प्रधान, जहां सेवा निवृत्ति लाभों की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की जानी है सेवा निवृत्ति के 18 माह पूर्व ही कार्रवाई प्रारम्भ कर दें । सभी कार्यालय प्रधान अपनी अध्यक्षता में संबंद्ध अधीनस्थ पदाधिकारियों का एक सेल को गठन करेंगे जो सेवा निवृत्ति के सभी मामलों को लगातार अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करायेगी कि किसी कर्मी की सेवा निवृत्ति की तिथि को नियमानुसार सारी सेवा निवृत्ति लाभ मिल जाय । अगले 18 माह के अन्दर सेवा निवृत्ति होने वाले सभी अधीनस्थ कर्मचारियों का सूची संबंधित नियंत्री पदाधिकारी और विभागाध्यक्षों के स्तर पर संधारित की जाय ।

(ii) वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को विकास कार्यों आदि के लिए वैसा कोई अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जाय जिसकी वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई बाद में हो सकती है ।

(iii) हर मामले में विस्तृत समीक्षा कर वैसे विषयों को पहचान कर ली जाय जो ससमय सेवा निवृत्ति लाभों की स्वीकृति में बाधा डाल सकते हैं ।

(iv) लंबित विषयों के निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों भविष्य-निधि पदाधिकारी या विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी या जिला लेखा पदाधिकारी को सेवा निवृत्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अर्द्ध-सरकारी पत्र लिखकर एक समय सीमा निर्धारित कर मामले का निष्पादन करने का अनुरोध कर दें ।

(v) सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी से निर्धारित तिथि पर आवेदन प्राप्त कर लिया जाय, रूचि न लेने वाले कर्मचारी का वेतन रोक कर भी आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त करने की जवाबदेही कार्यालय प्रधान की होगी ।

(vi) संबंधित कर्मचारी की लंबित भविष्य-निधि की कटौती विवरणी भविष्यि-निधि कोषांग में भेजकर एक निर्धारित समय सीमा में अद्यतन लेखा की मांग की जाय और समय पर प्राप्त न होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, भविष्यि-निधि को इसकी सूचना दी जाय ।

8. सचिवालय स्तर पर परामर्श हेतु भेजी जाने वाली ऐसी संचिकाओं के उपर और पृष्ठांकन करते समय सेवा निवृत्ति की तिथि स्पष्ट तौर पर अंकित कर दी जाय ताकि संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को यह बिल्कुल स्पष्ट हो कि संचिका का निष्पादन त्वरित गति से किया जाना है ।

उपर्युक्त कार्रवाई से विलम्ब की स्थिति में जिम्मेदारी निर्धारित करने और भुगतेय सूद की वसूली दोषी व्यक्ति से वसूल करने में आसानी होगी ।

9. सेवा निवृत्ति लाभ सभी कर्मियों को नियमानुसार ससमय प्राप्त हो जाय इसके लिये उच्च स्तर पर भी लंबित मामलों की लगातार समीक्षा आवश्यक है । इस ध्येय से विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित सेल का गठन किया जाय—

(1) कार्यालय प्रधान के अंतर्गत गठित होने वाले सेल की चर्चा कंडिका 7 (i) में की जा चुकी है ।

(2) जिला पदाधिकारी अपनी अध्यक्षता में एक समिति गठित करेंगे जिसमें जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी यथा अधीक्षक असैनिक, शल्य चिकित्सक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंता इत्यादि सदस्य रहेंगे । इस समिति में जिला लेखा पदाधिकारी तथा जिला भविष्य-निधि पदाधिकारी भी अनिवार्य रूप से सदस्य होंगे । इस समिति का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक माह समीक्षा कर सुनिश्चित करवायेंगे कि जिला में जितने सरकारी कर्मी निकट भविष्य में सेवा निवृत्ति होने वाले हैं उन्हें सेवा निवृत्ति लाभ स्वीकृत करने की संपूर्ण कार्रवाई संबंधित कार्यरत प्रधान के द्वारा कर ली गई है । जिला स्तरीय समिति जिला भविष्य-निधि कोषांग से आंकड़ों का कम्प्यूट्रीकृत उपयोग कर पूरे जिले के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की तिथि आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं ।

(3) प्रमंडलीय आयुक्त अपने कार्यालय में एक सेल का गठन करेंगे जो कम-से-कम अपर समाहर्त्ता पदाधिकारी की अध्यक्षता में होगा तथा जिसमें प्रमंडलीय स्तर के अन्य विभागों के पदाधिकारी सदस्य होंगे ।

(4) विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर एक सेल का गठन करेंगे जिसमें सेवा निवृत्ति लाभ से संबंधित अन्य पदाधिकारी सदस्य होंगे । इसमें पदाधिकारी विशेष को सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों

की सूची तैयार करने उन्हें समय पर सेवानिवृत्त लाभों की स्वीकृति तथा भुगतान सुनिश्चित करने के लिये जवाबदेह बनाया जायेगा ।

10. प्रमंडलीय आयुक्त तथा जिला पदाधिकारी के स्तर पर होने वाली त्रैमासिक/मासिक बैठकों में ऐसे सभी मामलों की ओर जरूरत पड़ने पर बड़े विभागों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की अलग से भी समीक्षा की जाय । उसी प्रकार नियंत्री पदाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण/भ्रमण के दौरान भी इसकी समीक्षा की जाय । विभागीय सचिव/विभागाध्यक्षों के स्तर पर होनेवाली मासिक बैठकों में सभी लंबित मामलों पर विचार किया जाय जो समय पर सेवा निवृत्त लाभों की स्वीकृति और भुगतान में बाधा डाल सकते हैं । इसके निस्तार के लिये समय सीमा निर्धारित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया जाय और यह स्मरण भी दिलाया जाय कि पेंशनरी लाभों पर सूद भुगतान किये जाने की स्थिति में उसकी वसूली दोषी पदाधिकारी/कर्मचारियों से किये जाने का सरकारी निर्णय है ।

11. विभिन्न स्तरों पर सेल द्वारा समीक्षा का आधार सिर्फ आंकड़े न हों । (कि कितने मामले निष्पादित किये गये) वरन् उनका उद्देश्य समस्या और उसके निदान को पहचान कर उसे चिन्हित करना है । यह तभी होगा जब हर स्तर पर कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की तिथि के अनुसार सूची संधारित हो । जहां भी कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध हो उसका पूरा उपयोग इस वर्ष के लिये किया जाय ।

12. सेल/समिति का गठन किये जाने की सूचना संबंधित पदाधिकारियों के नाम के साथ पत्र पाने के पन्द्रह दिनों के अन्दर दी जाय, साथ ही सेवा निवृत्ति तिथिवार कर्मचारियों की सूची की पंजी संधारित करने और मोनिटरिंग के लिये की गई व्यवस्था की सूचना वित्त विभाग (पेंशन शाखा) को दी जाय । किसी भी परिस्थिति में इस परिपत्र को अधीनस्थ पदाधिकारियों को परिचालित नहीं किया जाय बल्कि इसके आधार पर अपना एक्शन प्लान और निर्देश पत्र निर्गत किया जाय और उसकी प्रति भी वित्त विभाग (पेंशन शाखा) को दी जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय । [***पत्र संख्या पी०सी० विविध 12/99/8042, दिनांक 30-8-1999**]

2.

***विषय : सेवा निवृत्ति के उपरान्त पेंशन प्रपत्रों के अग्रसारण के सम्बन्ध में ।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 15-11-2000 को झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात् ही झारखंड राज्य के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मियों के पेंशन प्राधिकार-पत्र निर्गत हेतु पटना स्थित महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा रहा है । महालेखाकार, बिहार, पटना ने अपने अर्द्ध-सरकारी पत्र सं०-पेन-1 जी०-2308 दिनांक 8-1-2003 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 1 फरवरी, 2003 से झारखंड राज्य के अराजपत्रित सेवा निवृत्त कर्मियों के मामले का निष्पादन प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हक), बिहार एवं झारखंड, राँची द्वारा की जायेगी किन्तु दिनांक 31-1-2003 तक झारखंड राज्य के पेंशनधारियों से संबंधित प्राप्त मामलों का निष्पादन पटना स्थित महालेखाकार कार्यालय द्वारा की जायेगी ।

अत: अनुरोध है कि दिनांक 1-2-2003 से झारखंड राज्य के सेवा निवृत्त अराजपत्रित कर्मियों के पेंशन मामले निष्पादन से संबंधित सभी कागजात अभिलेख सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), बिहार एवं झारखंड राँची को पृष्ठांकित किया जाय तथा एतद् संबंधी सूचना अपने अधीनस्थ कार्यालय को भी देने की कृपा की जाय । [***पत्र संख्या वि० पेन-10/04/2004-39 वि०, राँची, दिनांक 24-1-2003**]

3.

***विषय : पेंशन दायित्वों के निर्वहन एवं विभाजन हेतु वांछित सूचना के संबंध में ।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, झारखंड, राँची के पत्र संख्या 206, दिनांक 10-6-2003, स्मार पत्र सं० 260/वि०पे०, दिनांक 3-7-2003, 405, दिनांक 18-11-2003, 320, दिनांक 1-9-2003 तथा 419/वि०पे०, दिनांक 24-11-2003 द्वारा पेंशनधारियों से संबंधित दोनों राज्यों यथा बिहार एवं झारखंड के बीच पेंशन दायित्वों के निर्वहन एवं विभाजन हेतु सूचना महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, किन्तु कोषागार पदाधिकारी, चक्रधरपुर, मधुपुर तथा बेरमों (तेनुघाट) को छोड़कर शेष सभी कोषागारों द्वारा आज तक वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को कोई सूचना नहीं प्रेषित की गयी है, जो खेद का विषय है ।

विदित हो कि पेंशनधारियों के दायित्वों के बंटवारे के क्रम में वांछित आंकड़े यथा झारखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के पूर्व आपके कोषागारों एवं बैंकों से पेंशनधारियों की संख्या, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त तक उनकी संख्या एवं होनेवाले व्यय की वास्तविकी की जानकारी कोषागारों द्वारा ही संभव है, किन्तु इतने महत्त्वपूर्ण विषय की अनदेखी कदापि उचित नहीं है ।

ज्ञातव्य हो कि दोनों राज्यों के पेंशन दायित्वों के विभाजन के क्रम में दोनों राज्यों के वित्त आयुक्तों एवं मुख्य सचिवों की बैठक में इस विन्दु पर भी सहमति बनी है कि 14-11-2000 के पूर्ण सेवा-निवृत्त कर्मियों के पेंशन दायित्वों को दिनांक 31-3-2001 को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर दोनों राज्यों के बीच विभाजन की कार्रवाई हो ।

अत: पुन: अनुरोध है कि वित्त विभाग के पत्र संख्या 206/वि०पे०, दिनांक 10-6-2003 तथा 419/वि०पे०, दिनांक 24-11-2003 द्वारा वांछित सूचनाओं को अवलिम्ब महालेखाकार को उपलब्ध कराने के साथ-साथ वित्त प्रशाखा 5 को विशेष दूत से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय । [***पत्र० संख्या०-वि०प्र० 10-126/03/458 वि० 5 राँची दिनांक 16-2-2003**]

4.

*विषय : सेवा निवृत्त कर्मियों के पेंशन संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के संबंध में ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुझे कहना है कि झारखंड राज्य पेंशनर समाज, राँची द्वारा कतिपय सुविधाएँ यथा प्रत्येक जिला समाहरणालय में पदस्थापित उपायुक्तों की अध्यक्षता में "पेंशनर अदालत का गठन' उनकी कठिनाईयों के त्वरित निष्पादन हेतु समाहरणालय स्तर पर शिकायत निवारण तथा अनुश्रवण कोषांग का गठन करने तथा समाहरणालय परिसर के कोषागार के समीप पेंशनभोगियों के बैठने हेतु एक शेड तथा सुलभ शौचालय की व्यवस्था हेतु अनुरोध किया है ।"

2. आये दिन पेंशनधारियों के समस्याओं के ससमय निवारण नहीं होने के कारण मुकदमों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है तथा अधिकांश न्यायादेशों में पेंशन/उपादान एवं अन्य पावनाओं पर दण्डात्मक दर से ब्याज एवं न्यायालीय खर्च सहित भुगतान के आदेश पारित किए जाते हैं, जिसे राज्य सरकार को अनावश्यक रूप से अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है ।

3. पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं त्वरित निष्पादन के संबंध में मुख्य सचिव स्तर से कई परिपत्र निर्गत हुए हैं । इसी क्रम में बिहार सरकार वित्त विभाग पत्र संख्या पी०सी० विविध-12/99-8042 वि०पेन०, दिनांक 30-8-1999 जिसके द्वारा पेंशन भुगतान के विलम्ब से संभावित कारणों के साथ-साथ समस्याओं के निराकरण के भी मार्गदर्शन दिए गए हैं, परिपत्र की प्रति संलग्न ।

4. अत: अनुरोध है कि उल्लेखित परिपत्र के अनुसार कोषांग/समिति का गठन किए जाने की सूचना संबंधित पदाधिकारियों के नाम, पदनाम के साथ पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर दी जाय, साथ ही सेवा निवृत्ति तिथिवार कर्मचारियों की सूची की पंजी संधारित करने एवं अनुश्रवण के लिए की गयी व्यवस्था के साथ-साथ अपना एक्शन प्लान और निर्देश भी निर्गत किए जायं तथा उसकी प्रति वित्त विभाग (पेंशन शाखा) को दी जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

अनु० वित्त विभाग के पत्र सं० 8042 । [***पत्र० संख्या०-वि०प्रे० 10-01/01/(खंड) 11 वि० दिनांक 24-02-2003**]

5.

[भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशनर और पेंशन-भोगी कल्याण विभाग सं० 45/86/97-पी और पी डब्ल्यू (ए) भाग-III, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली 110003, दिनांक 15 मार्च, 2003 ।]

कार्यालय ज्ञापन

विषय : पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए सरकारी निर्णयों का कार्यान्वयन 1986 से पूर्व और बाद के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशन भोगियों इत्यादि की पेंशन का संशोधन-पेंशन/कुटुम्ब पेंशन में संशोधन हेतु आवेदन जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाना ।

मुझे इस विभाग के समसंख्यक दिनांक 26-3-2003 के 1986 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुम्ब पेंशन में संशोधन हेतु आवेदन जमा करने की तारीख को 30-9-2003 तक बढ़ाने संबंधी कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है । इस विभाग को आवेदन जमा कराने की 30-9-2003 की तारीख को और आगे बढ़ाने संबंधी कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इस विभाग ने मामले पर विचार करके यह निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के शोधन हेतु आवेदन जमा करने की तारीख को 30-9-2004 तक बढ़ा दिया जाए तथापित रक्षा सिविलियन पेंशनभोगियों को विनियमित करने वाले आदेशों को रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाएगा ।

2. इस प्रकार यह भी निर्णय लिया गया है कि इस विभाग के दिनांक 8-5-1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या सं० (1) सं० 45/86/97-पी और पी डब्लू (ए) भाग-1 के साथ पठित दिनांक 30-11-1998 और दिनांक 17-12-1998 के संदर्भ में इन कार्यालय ज्ञापनों में समाविष्ट पेंशनभोगियों के द्वारा पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के संशोधन हेतु आवेदन जमा करने की तारीख को 30-9-2004 तक बढ़ा दिया जाए ।

3. कृषि इत्यादि मंत्रालयों से अनुरोध है कि इन आदेशों की विषय-वस्तु को विभागाध्यक्षों/लेखा नियंत्रणों, वेतन तथा लेखा अधिकारियों और उनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में प्राथमिकता से लाएं । सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारियों से इन आदेशों को पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों के हितार्थ नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने का अनुरोध किया जाता है ।

6.

***विषय : झारखंड राज्य के सेवा निवृत्त कर्मियों के पेंशन संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के संबंध में ।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक् वित्त विभाग तथा मुख्य सचिव स्तर से समय-समय पर पेंशनादि मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु अनेकों पत्र निर्गत किए गए हैं, के बावजूद अत्यधिक विलंब के साथ पेंशनादि के स्वीकृति के उदाहरण हैं । आप अवगत हैं कि सेवा निवृत्त कर्मियों के पेंशनादि मामलों के ससमय निराकरण नहीं होने के कारण, जहाँ एक ओर घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर बाध्य होकर न्यायालयों में याचिकाएँ दायर होती रहती हैं, जिसके कारण विभागीय पदाधिकारियों को काफी समय न्यायालय वादों से उत्पन्न स्थिति के निपटारा में लगता है, जिससे किए जाने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य भी बाधित होती है । इतना ही नहीं पेंशनादि के विलम्ब आदि की स्थिति में अधिकांश न्यायादेशों में दंडात्मक दर से ब्याज एवं न्यायालीय खर्च सहित भुगतान के भी आदेश पारित किये जाते हैं, जिससे राज्य सरकार को अनावश्यक रूप से अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है ।

एतद् प्रसंग में महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्र सं० 213 दिनांक 6-11-2003 जिसके द्वारा सेवा निवृत्ति के छः माह पूर्व महालेखाकार कार्यालय में कागजातों को पृष्ठांकित किये जाने का अनुरोध किया गया है ताकि पेंशन का निपटान ससमय हो जाय । उपर्युक्त के क्रम में झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 188 एवं 189 स्वतः स्पष्ट है कि सरकारी सेवकों के पेंशनादि की स्वीकृति संबंधी कार्रवाई 18 माह पूर्व की जाय तथा सेवा निवृत्ति कर्मी के पेंशन का भुगतान उसी तिथि से सुनिश्चित की जाय जिस तिथि से देय होती है । विषयांकित मामले से संबंधित वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 79/वि० पेन, दिनांक 24-2-2003 द्वारा संभावित विलम्ब के कारण एवं उनके निराकरण संबंधी मार्गदर्शन के साथ-साथ विभाग स्तर पर लंबित पेंशनादि एवं त्वरित निष्पादन हेतु विभागीय स्तर पर एक्शन प्लान बनाने हेतु अनुरोध भी किया गया है ।

अतएव अनुरोध है कि पेंशन संबंधी कागजात 6 माह पूर्व महालेखाकार कार्यालय को निश्चित रूप से भेज दिया जाए ताकि सरकार की मंशा के आलोक में ससमय पेंशनादि का भुगतान संभव हो सके ।[***पत्र संख्या०-वि०प्रे० 10-71/2001/434 वि० (5) राँची दिनांक 8-12-2003**]

7.

***विषय : महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त माह जनवरी एवं फरवरी, 2004 अन्तर्गत निर्गत पी०पी०ओ० सूची के सत्यापन के संबंध में ।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुझे कहना है कि महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड, पटना के पत्र संख्या पेन-1-जेन-3473, दिनांक 24-3-2004 द्वारा माह जनवरी एवं फरवरी, 2004 अन्तर्गत सेवा-निवृत्त पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों के निर्गत पेंशन भुगतानादेश की सूची प्राप्त हुई है, जिसे संलग्न कर आवश्यक सत्यापन हेतु भेजा जा रहा है।

अत: अनुरोध है कि संलग्न सूची के आधार पर सत्यापन की कार्रवाई संबंधित कोषागार पदाधिकारियों द्वारा कराया जाय तथा सत्यापन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने की स्थिति में इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड वीरचन्द पटेल पथ, के साथ-साथ वित्त विभाग, झारखण्ड राँची को भी देने की कृपा की जाय।
[*पत्र संख्या वि०पे०-10-34/02-237 वि०, (5) राँची, दिनांक 3-6-2004]

8.

***विषय : राज्य के पेंशनभोगियों को दिनांक 1-4-2004 में मौजूदा पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई राहत का विलय मूल पेंशन में करने के संबंध में।**

भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या एफ० नं०-105-1/2004-आई०सी०ए० नई दिल्ली दिनांक 1-3-2004 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के संबंध में यह निर्णय लिया है कि दिनांक 1-4-2004 से मौजूदा पेंशन के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) के बराबर महँगाई भत्ते/राहत का विलय मूल पेंशन में किया जाएगा तथा उसे महँगाई पेंशन के रूप में अलग से दर्शाया जाएगा।

2. फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में राज्य के पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11556, 11557 एवं 11558, दिनांक 22-12-1999 के द्वारा पेंशन का पुनरीक्षण/सम्मेलन का लाभ दिनांक 1-1-1996 से दिया गया है। पेंशनभोगियों को भी केन्द्र के पेंशनभोगियों की भाँति समय-समय पर महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। वित्त विभाग, झारखंड के संकल्प संख्या 404/वि० 5, दिनांक 13-11-2003 एवं 257/वि० 5, दिनांक 23-6-2004 के द्वारा पेंशनभोगियों को भी सक्रिय सरकारी सेवकों की भाँति क्रमश: दिनांक 1-7-2003 से 59 प्रतिशत एवं 1-1-2004 से 61 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. भारत सरकार के पत्र संख्या एफ०एन०-105/1/2004-आई०सी०, दिनांक 1-3-2004 के निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 1-4-2004 से मौजूदा पेंशन के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) के बराबर महँगाई राहत का विलय मूल पेंशन में किया जायगा तथा इसे महँगाई पेंशन के रूप में अलग से दर्शाया जायगा।

4. यह सुनिश्चित करने के लिये कि दिनांक 1-4-2004 से 31-1-2005 के बीच सेवा निवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों को पेंशन निर्धारण में कोई हानि नहीं हो, उनके मामले में विशेष व्यवस्था के रूप में मूल वेतन से 50 (पचास) प्रतिशत के बराबर महँगाई भत्ता को दिनांक 1-4-2004 से पूर्व उनके द्वारा प्राप्त मूल वेतन के संबंध में पेंशन परिकलन के प्रयोजन हेतु मूल वेतन के रूप में माना जायगा। परिणाम स्वरूप महँगाई पेंशन का भाग केवल दिनांक 31-3-2004 तक राज्य सरकार से सेवा निवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों के लिये लागू होगा।

5. राज्य के पेंशनभोगियों को भारत सरकार के पत्र संख्या एफ०एन०-105/1/2004-आई०सी० दिनांक 1-3-2004 में वर्णित शर्तों एवं बंधेजों के अधीन दिनांक 1-4-2004 को मौजूदा मूल पेंशन के 50 (पचास) प्रतिशत के बराबर महँगाई राहत का विलय मूल पेंशन में विलय किया जाय।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 257 वि०-5, दिनांक 23-6-2004 के द्वारा दिनांक 1-1-2004 के प्रभाव से पेंशन धारियों को मूल पेंशन का 61 प्रतिशत महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है। दिनांक 1-4-2004 से मौजूदा मूल पेंशन का 50 (पचास) प्रतिशत के बराबर महँगाई राहत का विलय मूल पेंशन में करने संबंधी निर्णय के फलस्वरूप इसका लाभ प्राप्त करने वाले पेंशनधारियों को दिनांक 1-4-2004 के प्रभाव से मूल पेंशन एवं महँगाई पेंशन का 11 (ग्यारह) प्रतिशत ही महँगाई राहत देय होगा।

7. ऐसे पेंशनभोगी जो टेन्टेटिव रूप से बिहार राज्य के लिये आवंटित हैं, को बिहार सरकार की सहमति प्राप्त कर इसका लाभ देय होगा। **[*ज्ञापांक 280 वि० संकल्प, राँची, दिनांक 14-7-2004]**

APPENDIX–10

SOME IMPORTANT CASE-LAW

Pension and gratuity are valuable rights. Gratuity should be paid on the day of retirement or on the following. Pension should be paid at the expiry of the following month. In the event of delay in payment, Government is liable to pay interest at market rate commencing from expiry of two months from the date of retirement. *State of Kerala Vs. M. Padmanabhan Nair*, 1985 PLJR (SC) 17.

Pension is property within meaning of Art. 19 (1) (f) and 31 (1) of the Constitution. *Deoki Nandan Prasad Vs. State of Bihar*, 1971 PLJR 458.

Bar of writ against civil court under the Act does not stand as bar in the way of writ of *mandamus*. *ibid*.

Circular No. Pen–1024/69/11779F, dt. 12-8-1969 is also applicable to an employee who retired from Bihar State Road Transport Corporation. *Nikhil Krishna Aikat Vs. State of Bihar*, 1995 (2) PLJR 408.

Rule 5—Court settling the controversy about the payment of pension to pensioner in an earlier writ. Direction made for computation and payment along with interest. Deoki Nandan Prasad Vs. State of Bihar, 1983 PLJR (SC) 96.

Rule 26—The pension to be fixed on the basis of presumptive pay he would have drawn in his parent department, if he was not confirmed in the deputation post. Rabindra Nath Mandal Vs. State of Bihar, 1998 (2) PLJR 323.

Rules 27 and 43 (b) read with Rule 35 of Bihar Service Code, 1952—Rule 27 of Pension Rules and Rule 35 of Bihar Service Code speak of "pension" including "gratuity"—ordinarily the term "pension" includes gratuity except when it is used in contradistinction to gratuity. Gratuity can be withheld by State Government under Rule 43 (b) of Pension Rules. Ram Bahadur Sinha Vs. State of Bihar, 1994 (2) PLJR 724.

Rule 43 authorises the continuance of a departmental proceedings initiated prior to the date of superannuation and passing of an order of punishment for the recovery from the pension even after the officer has retired. Jagdhari Roy Vs. State of Bihar, 1968 PLJR 634.

Gratuity (Rule 43)—Circular No. 3014, dated 31-7-1980 mandating to release entire gratuity within six months of retirement. No period of limitation provided in the rule to complete a departmental proceeding. Circular has to be subservient to the statutory rule and cannot have an independent role. Deena Nath Prasad Vs. State of Bihar, 1986 PLJR 405.

Rule 43 (b)—State can withhold part of the pension amount after the retirement of concerned employee till the finality of the criminal proceeding, as chargesheet was submitted in criminal case while the petitioner was in service. State liable to pay the rest in terms of the appropriate Govt. Circular within two months subject to the final decision in criminal proceeding. Lakshmi Shankar Prasad Vs. State of Bihar, 1999 (3) PLJR 654.

Rules 43 (a) and (b)—Withholding and curtailment of pension and gratuity of retired employee pursuant to ex-*parte* enquiry (after superannuation). No departmental proceeding ever initiated before retirement. It is settled that service of charge-sheet follows the decision to initiate disciplinary proceedings. It does not preclude or coincide with that decision. A departmental proceeding initiated

under Rule 55 of CSS (CCA) Rules before retirement can continue even after retirement for the purpose of taking action u/r 43 of Pension Rules and not that even calling for an explanation will suffice for taking action u/r 43 without initiating a proceeding in terms of proviso to Rule 43 (b)—direction given to clear the payments. *Rajnity Jha Vs. State of Bihar*, 2000 (2) PLJR 845.

Rule 43—Show cause against dereliction of duty served on petitioner while he was in service and he superannuated from service after nine years. By an order, State Government converting the departmental proceeding to one u/r 43 (b). Where departmental proceedings had already been started while an employee was in service, even if he superannuated on attaining the age of superannuation the enquiry may be continued u/r 43 for the limited purpose of taking such action as provided under the said rules even after such superannuation and for that purpose no specific or express order of the Government is necessary. Plea that no charge was framed against the petitioner or issued to him nor he was placed under suspension and therefore rule 43 is not attracted is not tenable because a proceeding u/r 55A is a proceeding for minor penalty which was required to be disposed of on the basis of a representation. No specific charges are required to be framed and proved in a departmental proceeding with respect to minor penalty. The order passed by the State Government converting the departmental proceeding u/r 43 (b) was as a measure of abundant precaution. The same, however, is converted by automatic operation of law without any formal order. Therefore, order of conversion by the order does not render the conversion of proceeding bad in law. *State of Bihar Vs. Bipin Bihari Prasad*, 2000 (4) PLJR 459.

Rule 43—Deduction of pension a penalty, departmental enquiry to be conducted in accordance with the procedure prescribed. Giving of notice at the employee's home address even though employee had before then communicated with the department and had given his present address is not adequate service of notice and decision taken to deduct 50% of the pension because there was no reply within the stipulated period in the notice is also not valid. *Shanti Devi Vs. State of Bihar*, 2000 (4) PLJR 340.

Rule 43 (b)—Limitation of four years in the rules applies in cases of proceeding initiated after superannuation and not which had started and remained pending while an employee was in service. *State of Bihar Vs. Bipin Bihari Prasad*, 2000 (4) PLJR 459.

Rule 43 (b)—No penal order u/r 43 (b) can be passed for withholding/ curtailing of pension or part thereof, more than four years before institution of such proceeding. In case where proceeding is instituted after retirement, it must be in respect of an event which took place within four years before institution of the said proceeding and not of an earlier period. After retirement, all ex-employees belong to a common class of retired employees, who are entitled for retiral benefits in accordance with law. No classification can be made except on valid ground having a nexus to achieve some object. No distinction is permissible on the ground of institution of proceeding before or after retirement. *Ram Awadhesh Sharma Vs. State of Bihar*, 2000 (4) PLJR 83.

Rule 43 (b)—A departmental proceeding can continue only if an order is passed to this effect before retirement of the Government servant otherwise the departmental proceeding would be deemed to have terminated on the retirement of the Government servant. *Bholan Choudhary Vs. State of Bihar*, 2000 (1) PLJR 186.

Rule 43 (b)—An order to withhold or reduce pension to be passed by the State Government after consultation with the BPSC. Where it was not done and even though violation of Bihar Government Servant Conduct Rules was recorded confirming misconduct but such misconduct did not cause any pecuniary loss to the State, such order has to be set aside. Matter remitted to State for taking fresh decision u/r 43 (b). *Sahdeo Sahu Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 123.

Rule 43 (b)—Where the departmental proceeding initiated while the employee was in service was not converted into a proceeding u/r 43 (b), and the employee retires, no order of punishment on the basis of proceeding while he was in service can be imposed. *Syed Shafique Mohsin Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 163.

Rule 43 (b)—Pension includes gratuity also. *Rebati Raman Kanth Vs. Chairman, B.S.E.B.,* 2000 (1) PLJR 192.

Rule 43 (b)—Merely because a judicial proceeding is pending against the Government servant his pension and gratuity cannot be withheld if the event is before four years of institution of the said proceeding. Direction to pay remaining retiral benefits with 10% interest. *ibid.*

Rule 43 (b)—The provision of this rule is for punishing a Government servant, who has done a wrong, in a different way because after retirment penalties, major or minor, cannot be imposed upon him which could have been imposed under Classification, Control and Appeal rules, had he been in service. *Shambhu Saran Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 665 (FB).

Rule 43 (b)—Safeguards—misuse of power under the rule so that no undue harassment is caused to the Government servant after retirement. But there is no question of any such harassment where a departmental proceeding is pending against the Government servant at the time of his retirment. *ibid.*

Rule 43 (b)—A departmental proceeding pending may continue after his retirement. No specific or express order of the Government to this effect is necessary. *ibid.*

Rule 43 (b)—Government is empowered to withhold pension and gratuity alone and not provident fund, unutilised leave, group insurance etc. In view of the Government decision provisional pension and provisional gratuity are payable during the pendency of the proceeding. *Laxman Prasad Tiwary Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 1061.

Rule 43 (b)—Petitioner placed under suspension but subsequently suspension order was revoked and he was allowed to superannuate. Serving of charges on him after retirement without obtaining sanction of the State Government is not valid. After the retirement of the Government servant, the relationship of master and servant comes to an end and the Government can initiate departmental proceedings only in terms of rule 43 (b). Withholding of pension and retiral benefits not justified—cost awarded. *Kartik Prasad Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 809.

Rule 43 (b)—In absence of a specific order in this regard by the Government in case where the Government servant superannuated referred for consideration by a larger bench. *Laxman Prasad Tiwary Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 1061.

Rule 43 (b)—Pension dues including gratuity of an employee cannot be withheld without finding of guilt u/r 43 (b). *Kumud Ranjan Tiwari Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 99.

Rule 43 (b)—Power to withhold or withdraw pension in case of proved misconduct of conviction. *Sur Bihari Mandal Vs. State of Bihar*, 2000 (1) PLJR 870.

Rule 43 (b)—Departmental proceeding initiated against the petitioner few days before his superannuation but charges served on him just after superannuation. Specific order under the order of Governor passed continuing the said proceeding for the purpose of action to be taken u/r 43 (b). Therefore, the departmental proceedings had been initiated against him while he was in service. *State of Bihar Vs. Man Bahadur Mahto*, 2000 (2) PLJR 765.

Rule 43 (b)—No express order is necessary to continue the departmental proceeding after superannuation. *Ibid.*

Rule 43 (b)—These rules provided for continuation or initiation of departmental proceeding after the superannuation of the Government servant for the limited purpose of rule 43 (b) and are quite different from the rules providing for punishment to a Government servant held guilty after a departmental proceeding while in service. It is not necessary for the Government to extend the services of such a person under rule 73 of Bihar Service Code. Though, after superannuation such a person goes beyond the disciplinary jurisdiction of the State Government but he can certainly be dealt with u/r 43 (b). *Ibid.*

Rule 43 (b), Clause (a) (ii) of proviso—Withholding of part pension/gratuity. Neither Government resolution initiating departmental enquiry issued to the incumbent nor reasons recorded holding the petitioner guilty of the charges. Departmental proceeding if not instituted while the Government servant was on duty either before retirement or during re-employment can be instituted only in respect of an event which took place not more than four years before the institution of such proceedings. Moreover, an order initiating departmental enquiry must be speaking one and not cryptic. Facts being different, departmental enquiry and consequent punishment stand vitiated. *Dr. Mithilesh Kumar Sharma Vs. State of Bihar*, 2000 (3) PLJR 604.

Rule 43 (b)—Actual service of notice ordinarily is not a necessary concomitant of its issuance. Merely because the statute implies that an order issued should also be served on the person, for whom it is meant, does not necessarily mean that the two words should be read as synonyms or interchangeable. Therefore, expiry of four years period, starting from the date of event, has to be reckoned with reference to the date of "issue" of the memo of charges and it is not necessary that the memo should also be served within that period itself. *Sudheshwar Nath Vs. State of Bihar*, 2000 (3), PLJR 49.

Rule 43 (b)—The departmental proceeding shall be deemed to have been instituted when the charges framed, against the pensioner, are issued to him or, if the Government servant has been placed under suspension from an earlier date, on such date. Therefore, where no enquiry was ever conducted and only on the basis of the explanation furnished by the Government servant, a decision was taken to curtail his pension u/r 43 (b), such an order cannot be sustained. *State of Bihar Vs. Serajuddin Ahmed*, 2000 (3) PLJR 150.

Rule 43 (b)—Where a disciplinary proceeding has already been started, even if the delinquent superannuates the enquiry may be continued for the limited purpose of taking such action as provided u/r 43 (b), even after such superannuation and for that purpose no specific or express order of the Government is necessary. *Ganauri Rajak Vs. State of Bihar*, 2000 (3) PLJR 234.

Rule 43 (b), Provisio (c)—Consultation with Commission is must for Government in assessing the guilt or otherwise of the delinquent officer as well as suitability of the penalty to the imposed—omission of, or irregularity in, such consultation, does not give rise to any cause of action, the aggrieved officer has no remedy in a court of law, nor any relief under Articles 32 and 226 of Constitution can be granted. Article 311 is not controlled by Article 320 (3). *State of Bihar Vs. Bipin Bihari Prasad,* 2000 (4) PLJR 459.

Rule 43 (b) and (c)—Non-compliance of the requirement in clause (c) does not invalidate the proceedings ending with the final order of the Government. non-consultation with the Commission cannot be said to vitiate the order passed by the Government under clause (b). *Shambhu Nath Bhagat Vs. State of Bihar,* 2000 (2) PLJR 394.

Rule 43 (b)—While in service petitioner was served with show cause which he replied but thereafter neither any criminal nor departmental proceeding launched by authorities. Such direction cannot be termed as having been passed u/r 43 (b) as it was without affording an opportunity of hearing. Moreover, the allegation that he placed orders for purchase of materials exceeding his pecuniary jurisdiction might be a case of dereliction of duty and not causing any loss to the State Government. *Amod Ranjan Sinha Vs. State of Bihar,* 1999 (3) PLJR 496.

Rule 43 (b)—No provision contained u/r 43 (b) from which it can be inferred that the proceeding initiated before retirement of a govt. servant can be deemed to be continuing and order can be passed in the said proceeding imposing punishment against the employee concerned even after his retirement, akin to Rule 9 (2) of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. *Andrika Prasad Singh Vs. State of Bihar,* 1999 (3) PLJR 500.

Section 43 (b)—Departmental Proceedings initiated but no final order passed before retirement of the employee. 43 (b) (a) provided the cause of action for such proceeding did not take place more than four years before the institution of such proceeding. There cannot be any automatic continuance of the proceeding in absence of specific provision to that effect. Since no order passed in terms of 43 (b) and charges relate to the period of beyond four years, hence the State is directed to release the pensionary benefit etc. along with statutory interest besides other interest. *ibid.*

Rule 43 (b) is in *pari materia* to rule 9 (1) of Central Civil Service Pension Rules—There can be no automatic continuation of departmental proceeding under Bihar Rules like Central Rules, *Sachchidanand Singh Vs. State of Bihar,* 1999 (3) PLJR 513.

Rule 43 (b)—There is no justification to withhold pension and gratuity due to criminal proceeding after the criminal case is dropped and the employee concerned is acquitted. *Devendra Nath Tripathi Vs. State of Bihar,* 1999 (3) PLJR 645.

Rule 43 (b)—State cannot withhold a pension or any part of it till such time an order is pased u/r 43 (b). *Bajrang Deo Narain Sinha Vs. State of Bihar,* 1999 (3) PLJR 949.

Rule 43 (b)—Proceeding can be initiated against the retired employee provided the event under scrutiny took place not more than four years of the initiation of such proceeding. *Man Bahadur Mahto Vs. State of Bihar,* 1999 (3) PLJR 327.

Rule 43 (b)—Employee dying in course of employment and if there is any dues on official record against him, it may be described as dues out of simple accounting. Such dues may be adjusted without resorting to procedure of Rule 43 (b). *Chandri Devi Vs. State of Bihar*, 1999 (2) PLJR 372.

Rule 43 (b)—Applicable only to the cases where a departmental or judicial proceeding is either pending or has to be initiated on account of gross misconduct or on account of causing pecuniary loss to the Government. *ibid.*

Rule 43 (b)—Where there is death of an employee while in service and there is any disputed claim based on misconduct etc. against him, the State like an ordinary person will obtain decree from a competent court to its dues. It cannot usurp to itself the power of deciding its own claim against the deceased employee or his family. *ibid.*

Rule 43 (b)—Retiral benefits can be withheld on initiating departmental proceedings under the Rules and Act on the grounds of pendency of criminal case instituted after retirement for embezzlement. Direction issued to pay retiral benefits within specified period with statutory interest. *Raman Prasad Vs. State of Bihar*, 1999 (2) PLJR 388.

Rule 43 (b)—Proviso to this rule is attracted only where no departmental proceeding was instituted before the superannuation of the delinquent or within four years after superannuation. Where the delinquent was already under suspension, which was later revoked and the departmental proceeding was initiated before his superannuation, he cannot claim protection of this rule. Under this rule a departmental proceeding shall be deemed to have been instituted when the charges are issued to him or, if he was placed under suspension from an earlier date on such date. *Dr. Shyam Nand Singh Vs. State of Bihar*, 1999 (1) PLJR 766.

Rule 43 (b)—Authorities are fully competent to withhold and/or forfeit portion or whole of the pensionary amount to compensate the loss caused to the government. *Faiyaz Ahmad Vs. State of Bihar*, 1999 (1) PLJR 289.

Rule 43 (b)—is applicable to Bihar State Electricity Board's employees except those specifically exempted by the Board from time to time. *Braj Kishore Prasad Shrivastava Vs. Bihar State Electricity Board through its Chairman*, 1998 (2) PLJR 744.

Rule 43 (b)—Order issued to continue disciplinary proceeding initiated 9/10 years back even after the superannuation of the Government servant illegal, arbitrary and without jurisdiction. *Md. Wakil Vs. State of Bihar*, 1997 (2) PLJR 933.

Rule 43 (b)— Departmental proceeding against employee for misappropriation on the day he superannuated. Provisional pension of employee sanctioned by Board by withholding 10% pension, gratuity, amounts due towards Group Saving Scheme, leave encashment etc. as temporary measure subject to decision in disciplinary proceedings. It is open for Board to make good loss caused to it by employee if found responsible by making recovery from amounts due towards above account. Board justified in withholding payment. *Birendra Kumar Verma Vs. Bihar State Electricity Board*, 1996 (2) PLJR 702.

Rule 43 (b)—Time limit prescribed under Rule 43 (b) for instituting proceeding for recovery of money allegedly due to State Government provides bar after expiry of time limit. *Sachchida Nand Verma Vs. State oof Bihar*, 1996 (2) PLJR 421.

Rule 43 (a), (b) and Resolution No. 3014F, dated 31-7-1980 of the Finance Department, Government of Bihar—An authority has no power to stop pension and gratuity of a Government Servant if no departmental proceeding has been instituted against him or if there have not been any judicial proceedings pending against him on the date of retirement. Order to pay gratuity and final provision with 12% interest *per annum* w.e.f. date of superannuation because undue delay was made in payment of the same. *Dr. Jyotindra Sahay Vs. State of Bihar*, 1991 (1) PLJR 637.

Rule 43 (b)—Pension or any part of it not to be withheld without following the provisions of Rule 43 (b). *Ram Vilas Mishra Vs. State of Bihar*, 1993 (1) PLJR 437.

Rule 43 (b)—Empowering to withhold or withdraw whole or part of the pension. However, such order can be passed only after affording opportunity of hearing. *Basishtha Prasad Sinha Vs. State of Bihar*, 1993 (1) PLJR 605.

Rule 43 (b)—BSEB ordering that retirement benefits, payable to superannuated Accounts Officer of BSEB be not be paid. The provisions of Rule 43 (b) are applicable to employees of BSEB. Retirement benefits can be withheld only if the superannuated employee is found guilty of misconduct which has resulted in financial loss to BSEB. Merely because a criminal case is pending against concerned employee can not justify withholding of retirement benefits without passing specific orders therefor. BSEB directed to pay retirement benefits to petitioner within a period of ten weeks. *Bali Ram Thakur Vs. BSEB*, 1995 (2) PLJR 609.

Rules 43 and 139—Curtailment of pension on the ground of non-passing of requisite exmination. *Ganesh Prasad Vs. State of Bihar*, 2000 (1) PLJR 623.

Rules 43 and 139—Scope quite different—There is no question of applicability of rule 139 if rule 43 is attracted. *Shambhu Saran Vs. State of Bihar*, 2000 (1) PLJR 665 (FB).

Rules 43 (b) and 139—Government can withhold the pension of a superannuated employee only in terms of Rule 43 (b). On conjoint reading of the provisions contained in Rules 43 (b) and 139 (a) and (b), no action in terms of Rule 43 (b) is permissible against the Government servant. Therefore, withholding of remaining amount of pension is not valid where no action has been taken against the petitioner u/r 43 (b). *Madhusudan Mandal Vs. State of Bihar*, 2000 (2) PLJR 816.

Rules 43 (b) and 139—It is necessary to pass a specific order u/r 43 (b) for continuance of departmental proceeding, because otherwise the proceeding will meet its natural death on account of his retirement and his ceasing to be in service. After retirement the relationship of master and servant ceases and no order to the detriment of the employee can be passed unless rules specifically provide for it. Power u/r 43 (b) can be exercised subject to conditions laid down therein and cannot be invoked in absence of any specific order passed before retirement of the employee to continue the departmental proceedings. Power u/r 139 can be exercised in revision over the decision of the subordinate authority if the State Government is satisfied that service of the employee concerned was not thoroughly satisfactory or there was proof of grave misconduct on his part while in service. However such power is to be exercised after giving an opportunity of hearing to the employee and within three years. However, on the ground of past misconduct a proceeding can be initiated u/r 139 without complying

with requirement of rule 43 (b), but it can be only with such misconduct which might have taken place within four years of initiation of such proceeding. *Sachchidanand Singh Vs. State of Bihar*, 1999 (3) PLJR 513.

Rules 43 (b) and 139—Authority not to pass specific order in case where the proceeding was dropped by virtue of a judicial order which was re-opened pursuant to direction of the order and the said proceeding culminated in the passing of order of dismissal but in the meanwhile the delinquent employee superannuated. Since the proceeding was initiated well within four years, the case not covered by proviso (ii) of rule 43 (b). *Bindeshwari Choudhary Vs. State of Bihar*, 1999 (1) PLJR 75.

Rules 43 (b) and 139 (a) and (b)—When pension is reduced on the ground of unsatisfactory service, recourse to rule 43 (b) not necessary. *Serajuddin Ahmad Vs. State of Bihar*, 1998 (3) PLJR 28.

Rules 43 (b) and 139—No notice u/r 139 is necessary where the proceeding had been continuing while the petitioner was in service. Continuation of such proceeding even after superannuation of petitioner from service is not violation of rule 43 (b) even if four year's period has crossed because it is not a fresh proceeding. *Ramchandra Jha Vs. State of Bihar*, 1998 (1) PLJR 376.

Rules 43 (b) and 139 (b)—A retired government servant can be found guilty of grave misconduct during his service career pursuant to the departmental proceeding within four years of the initiation of such departmental proceeding against him. State has no power to invoke these rules after four years. *Ram Lakhan Singh Vs. State of Bihar*, 1996 (1) PLJR 516.

Rules 43 and 139—Retiral benefits—The High Court deprecating attitude of State Government. *Mostt. Rukmini Devi Vs. State of Bihar*, 1996 (2) PLJR 348.

Rules 43 and 139—Practice of making recoveries from retiral dues much against rules deprecated. *ibid.*

Rules 43 (b) and 139—Initiation of fresh departmental proceeding against retired Government servant on ground of misconduct while still in service. Retired Government servant also asked to show cause why 70% of pension should not be withheld during pendency of departmental proceeding. Where earlier departmental proceeding in respect of alleged misconduct had been quashed by the High Court, the initiation of a fresh departmental proceeding and withholding of part of pension already sanctioned cannot be ordered after more than three years of date of retirement. Initiation of fresh departmental proceeding after expiry of more than three years (from date of sanctioning of pension) is barred by Rule 43 (b) proviso (a) (ii). *State of Bihar Vs. Mohd. Idris Ansari*, 1995 (2) PLJR (SC) 51.

Rules 43 (b) and 139—Rule 43 (b) r/w Rule 139 empowers State Government to reduce the amount of pension or deny payment of entire pension. Directions given for payment of fifty percent of pension till final disposal of pending proceedings against the Government servant. *State of Bihar Vs. Narasimha Sundram*, 1994 (1) PLJR (SC) 101.

Rules 43 (b) and 139—Departmental Proceeding initiated after six months of superannuation from Government service. Rule 139 provides that if the service of a Government servant, who has superannuated, has not been thoroughly satisfactory, the Authority sanctioning the pension should make such reduction in the amount as it thinks proper. However, Rule 139 (c) makes it clear that the State Government may revise the order relating to pension passed by subordinate

authorities under their control, if they are satisfied that past service of pensioner was not thoroughly satisfactory or that there was proof of grave misconduct on his part while in service. Proof of grave misconduct is required. Such grave misconduct may either be proved before a court of law or even in a departmental proceeding. Otherwise order of reduction of pension under rule 139 is wholly unjustified. *Md. Idris Ansari Vs. State of Bihar*, 1994 (1) PLJR 809.

Rules 43 and 139—Imposition of penalty of reduction of pension payable on account of order passed. Rule 139 not applicable where there is no material on records of case to substantiate the findings of Disciplinary Authority. *Shamsul Bari Vs. State of Bihar*, 1992 (2) PLJR 233.

Rules 43 and 139—Departmental Proceedings for causing loss to the government by negligence or fraud of the government servant can be instituted for recovery of the loss after his retirement out of the pension payable save with the sanction of the State Government. Such power must be used with care, caution and sparingly. Any such proceeding has to be concluded at its earliest and the Government servant should not be exposed in the fall of his life to costly and unending litigation. He shall be entitled to travelling expenses. Reduction can be made in pension if the service of the government servant had not been thoroughly satisfactory. *Deena Nath Prasad Vs. State of Bihar*, 1986 PLJR 405.

Rules 43 and 143—Executive order in conflict with statutory provisions cannot be sustained. Executive orders are meant to fill the gaps or supplement the statutory provisions. No adverse finding whatsoever, either in departmental or judicial proceeding against the petitioner. Withheld pensionary benefit directed to be released within two weeks. *Satyendra Narain Sinha Vs. State of Bihar*, 1999 (3) PLJR 939.

Rule 45 (e)—Pension is not admissible when a Government servant serves under an agreement which contains no stipulation regarding pension, unless the Provincial Government specially authorise him to count such service towards pension. The agreement should be so worded as to preserve inviolate the indefeasible right of Provincial Government to modify the rules from time to time at their discretion so that no claim may arise to the benefits of rules as they stood on the date when the agreement was executed. Only such *dafadars* who superannuated after 1-1-1990 are entitled to pension. *Ramnandan Singh Vs. State of Bihar*, 2000 (3) PLJR 55.

Rules 45, 58, 59, 61 and 63—These rules so read clearly show that intendment is not to carve but to extend the pensionary benefit. The approach in extending the benefit of pension for the service rendered is liberal. Therefore, any kind of service rendered in non-gazetted capacity shall qualify for pension. *Upendra Prasad Vs. State of Bihar*, 1995 (2) PLJR 822.

Rule 46—Petitioner not found to be absent from duty continuously for five years, could not be held guilty of misconduct or inefficient in service. *Deoki Nandan Prasad Vs. State of Bihar*, 1971 PLJR 458.

Rule 46—Petitioner's pension withheld because of termination of service (SEVA SAMAPT KI JATI HAI)—*seva samapti* means termination of service and not removal or dismissal. Pension in such cases cannot be withheld. *Raghunandan Mishra Vs. State of Bihar*, 1985 PLJR 446.

Rules 46 and 101—Discharge from service will also entail forfeiture of past service like dismissal or removal if the order is for misconduct. In a case of misconduct it is the employer's prerogative either to hold enquiry and dismiss

the employee or discharge him and pay all retrenchment benefits. Cases of discharge/termination simpliciter on account of exigencies of service will not be covered by rule 46 or 101. *Ram Lakhan Singh Vs. BSEB,* 2000 (3) PLJR 337.

Rules 46 and 101 (a)—Special leave petition dismissed on 15-12-1978 on undertaking of the counsel for the State that State would make payment of amount of pension. No payment made even after four years. Application for contempt of court. New plea raised by State that no pension is payable because of Rules 46 and 101 (a). Such plea cannot be sustained. Word "due" explained. *Krishna Prasad Singh Vs. State of Bihar,* 1983 PLJR (SC) 13.

Rules 101—Resignation of the public service entails forfeiture of past service. *Dr. Ram Bashishth Choudhary Vs. State of Bihar,* 2000 (3) PLJR 387.

Rule 101 (a) and (b)—In case of allegation of any misconduct, initiation of any proceeding or insolvency or inefficiency or failure to pass a prescribed examination, the authorities cannot forfeit the past service to deprive any person of his retirement benefits. *Tapan Kumar Chatterjee Vs. State of Bihar,* 1998 (1) PLJR 707.

Rule 105—Condonation of break in service of a Government servant. Benefit of aforementioned policy decision of the State Government is available only to such Government servants who have rendered atleast two years service prior to the break in service. *Sajed Karar Haider Vs. State of Bihar,* 1988 PLJR 980.

Rules 136 and 151—Pension and retiral benefits of the employees of Bihar State Housing Board to be calculated under Bihar Pension Rules and on the basis of last pay drawn. *Giridhar Prasad Singh Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 942.

Rules 136 and 151—Government servant superannuating while working on deputation in Housing Board. Entitled to draw pension on basis of last pay drawn on promotional post if he had been promoted according to rules while on deputation. *State of Bihar Vs. Smt. Shiv Rani Devi,* 1998 (1) PLJR 409.

Rule 139—State authority competent to forfeit the pension amount provided the pension has been fixed initially by the Subordinate authority. Unless the pension amount has been so fixed the State Government cannot withhold 20% of the pension. *Chandra Dhan Singh Vs. State of Bihar,* 1999 (1) PLJR 135.

Rule 139—Reduction of pension by 10% after the expiry of two years from the date of retirement is illegal. *Bhuneshwar Singh Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 435.

Rule 139—Where the departmental proceedings had been initiated while the incumbent was in service, he can be proceeded against after his superannuation. Authorities cannot impose punishment without considering the show cause reply of the incumbent and therefore awarding of punishment of nullifying the pension and gratuity at zero is not valid. *Nawal Kumar Sinha Vs. State of Bihar,* 2000 (4) PLJR 296.

Rules 139 (a) and (b)—Sanctioning authority is empowered to sanction a pension or reduce the same if the service of the employee has not been thoroughly satisfactory. No limitation has been prescribed for reduction of pension at the time of initial sanction, which is to be granted on the basis of service record. State Government, except in a case where it is the sanctioning authority, has otherwise no right to withhold/curtail pension if already sanctioned by the competent authority. U/r 139 (c), such curtailment can be made by the State by

way of revisional power, subject to a limitation of three years to be counted from the date of sanction. U/r 43 (b), four years limitation has been prescribed to be counted from the date of institution of proceedings. *Ram Awadhesh Sharma Vs. State of Bihar,* 2000 (4) PLJR 83.

Rules 139 (a) and (b) r/w Rule 43 (b)—U/r 139 (b), the sanctioning authority is empowered to forfeit/reduce pension only if the incumbent's service has not been thoroughly satisfactory. Findings recorded by Inquiring Officer in a departmental proceeding which had not attained finality, is not proper. In the post-retirement phase, any order to initiate departmental proceeding must qualify the rider of four years as envisaged u/r 43 (b). Power u/r 139 cannot be invoked on the basis of a dead proceeding. *Udai Shankar Prasad Vs. State of Bihar,* 2000 (4) PLJR 135.

Rules 139 (a), 43 (a) and 43 (b)—An employee as a matter of course is not entitled to full pension, which is payable subject to certain riders. While past record, including conduct is a factor for grant of full pension u/r 139 (b), future good conduct is an implied condition of every grant of a pension u/r 43 (a). rule 43 (b) empowers the State to withhold or withdraw pension or a part of it, for misconduct causing pecuniary loss to public exchequer, while the incumbent was in service but where final decision can be taken only on enquiry after his retirement. Substantive Rule 43 (b) includes both departmental or judicial proceeding whether started while in service or after retirement. Power to initiate departmental/judicial proceeding after retirement is vested with the State and not to any other authority. A departmental proceeding initiated against an employee while in service can be treated to be a proceeding u/r 43 (b) and may proceed even after retirement and for that purpose no specific or express order of the Government in necessary. *Ram Awadhesh Sharma Vs. State of Bihar,* 2000 (4) PLJR 83.

Rule 139—rule 139 cannot be read in isolation which would nullify the effect of Rule 43 which empowers to withhold or withdraw the amount of pension or any part thereof, permanently or for specified period when the pensioner is found guilty in judicial and departmental proceeding and not otherwise. Rule 139 (a) has to be read in context to its sub-rule (b) which do not empower to cut the pension. *Satyendra Narain Sinha Vs. State of Bihar,* 1999 (3) PLJR 939.

Rule 139 (b)—The provision has been incorporated where a pensioner may not have been held guilty of grave misconduct or of having caused pecuniary loss to the Government but yet his service record itself is sufficient to draw an irresistible conclusion that his service had not been thoroughly satisfactory. Reduction of pension in such cases is not only permissible but desirable also so that the government servant remains active and faithful during service period. However, power u/r 139 (b) must be exercised carefully. Power under this rule cannot replace the power to withhold or withdraw pension u/r 43 (b) otherwise protection given to a pensioner u/r 43 (b) will become meaningless and superfluous. *Kamla Sharan Singh Vs. State of Bihar,* 1999 (2) PLJR 294.

Rules 139 (b) and (c)—In absence of any communication of the finding of grave misconduct against the employee, order for reduction of 5% pension and gratuity under this rule is not valid and conclusive rather discriminatory. *ibid.*

Rule 139 (c)—Power being a revisional power and use of the word "satisfy" shows that there must be objective satisfaction on the basis of relevant and cogent materials and proof of misconduct have been found in appropriate departmental or judicial proceeding in accordance with Service rules and Pension rules. *ibid.*

Rule 139—Decision taken by a authority for reduction of pension is a *quasi* judicial decision. An authority cannot exercise unfettered discretion based on its subjective satisfaction. Exercise of such power has to be reasonable, just and fair and in consonance with principles of natural justice. *Ram Anugrah Narain Vs. State of Bihar*, 1998 (3) PLJR 95.

Rule 139—This rule does not specify any requirement of hearing, giving oral hearing must be read into it as an inbuilt content of fairness in action. A mere opportunity of showing cause, though not specified in the rules, is not enough to meet the requirement of a fair procedure. *Ibid.*

Rule 161—Applies to such State Government servant who resigned and joined University service and were absorbed there. Therefore while the amount of proportionate pension is not reduced, the amount of pay and pension together should not exceed the amount of substantive pay last drawn. *Ibid.*

Rule 161 (b)—Government servant sent on deputation to Rajendra Agricultural University resigned and joined University services from where he retired—liability for payment of pension. *State of Bihar Vs. B.S. Mathur*, 1996 (1) PLJR (SC) 69.

Rule 161 (b)—High Court Judge on re-employment unconditionally, claiming parity of emoluments with those of his previous employment. Rule is not a bar. *Bhubneshwar Dhari Vs. State of Bihar*, 1986 PLJR 1.

Rule 184—There are no *pari materia* provisions in the Bihar Pension Rules at par with Central Civil Service (Pension) Rules, 1972, laying down payment of extraordinary pension to dependants of incumbents dying on duty equal to the pay last drawn. The only provision is for appointment of the widow of the deceased on compassionate ground, or on her recommendation, of the dependant of the deceased as per Government circular. *Smt. Bindhya Basini Mishra Vs. State of Bihar*, 2000 (3) PLJR 131.

Rule 184 r/w Memo No. Pen.–1042/69/3484, dt. 28-4-1970 and Memo No. Pen.–1055/70/9271F, dt. 28-9-1970—Benefits in terms of extra ordinary pension contained in Chapter IX of the Bihar Pension Rules and admissible to the parents of the deceased Govt. Servant as per the provision of the said Govt. Instructions. As per provision contained in Memo dt. 28-9-1970, a gratuity equal to one half of that which would have otherwise been admissible to a widow under the Wound and Extraordinary Pension has been made admissible to the parents of the deceased Government Servant without reference to dependence on the deceased Govt. Servant or pecuniary need, in absence of widow and children. Since the deceased Government Servant in the present case died unmarried, thus the said benefit has to go to the parents. Cost of Rs. 20,000 imposed along with directions to pay entire dues with 18% interest. *Ram Swarup Mahto Vs. State of Bihar*, 2000 (1) PLJR 564.

Rule 186 (2) (iii)—Family Pension is payable in case of an unmarried daughter or minor sister, until marriage or until she attains the age of 21 years, whichever be earlier. Material facts and claim undisputed and uncontroverted. Payment to be made alongwith arrears, interest and cost. *Ruchi Kumar Vs. State of Bihar*, 2000 (2) PLJR 830.

Appendix V, clause 3 (a)—Nomination in favour of wife and children is a valid nomination where the Government Servant has a family. Therefore, pension cannot be withheld on the ground that a nomination existed in favour of some other relation. Not justified for the sanctioning authority to demand a succession

certificate. Direction to pay retiral dues with penal interest and cost. *Gayatri Devi Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 872.

Appendix, 5 Annexure 4, Clause 3 (2)—Nomination can only exist in favour of members of family except nephew, petitioner (widow) entitled to claim amount of gratuity. *Gulabo Devi Vs. State of Bihar,* 2000 (1) PLJR 171.

Appendix 5—Claim for pension by a Government employee on deputation to Electricity Board since 1950. Direction given to represent before the Government which is to dispose it of by a speaking order. *Bihar State Electricity Board Vs. Akhil Krishna Mitra,* 1997 (2) PLJR (SC) 37.

Family Pension Scheme, 1964—Para 7—No reason not to follow law of survivorship as per personal law and law of succession. Any limitation under scheme debarring surviving widow or minor children from getting full pension is disciminatory and *ultra vires* Article 14 of Constitution. *Shanta Sinha Vs. State of Bihar,* 1997 (1) PLJR 416.

Rule 43 (b)—From the expression used under clause (a) of rule 43 (b), it is clear that a departmental enquiry, if initiated before superannuation may continue even after superannuation. No punishment under C.C.A. Rules can be imposed after superannuation, but punishment of withholding of pension may be imposed. Period of four years prescribed in rule 43 (b) is a safeguard for such government employees against whom no departmental proceeding was initiated during service. No specific order necessary to continue a pending proceeding after superannuation. *State of Bihar Vs. Bhima Nand Jha,* 2001 (1) PLJR 59.

Rule 43 (b)—Period of four years in this rule applies only in a case of departmental proceeding initiated after retirement of the Government servant for a pending proceeding no limitation is necessary. The period of four years is a safeguard to protect Government servants from harassment. *State of Bihar Vs. Ram Awadhesh Sharma,* 2001 (1) PLJR, 152.

Rule 43 (b)—Proviso (a) (iii)—Procedure for conducting pending departmental proceeding after the retirement. Similar procedure applicable to a proceeding on which an order of dismissal from service may be made. It cannot be said that such proceeding does not empower the disciplinary authority to pass the final order since the right to withhold a part of pension vests in the State Government and hence the final order in the disciplinary proceeding to be passed by the State Government. *Balmiki Rajak Vs. State of Bihar,* 2001 (1) PLJR, 714.

Rules 43 and 139—Proceeding initiated during the service period of Government servant concluded after his superannuation. Proceedings held violative of principles of natural justice by the single judge in earlier writ and quashed. In view of serious allegation of misconduct, the matter has to be remitted to State Government to decide the matter afresh even though quashing a proceedings by the single judge is upheld. *State of Bihar Vs. Ram Awadhesh Sharma,* 2001 (1) PLJR, 152.

Rule 101—Resignation or dismissal for misconduct, insolvency, inefficiency not due to age or failure to pass departmental examination only entails forfeiture of past service. Husband of the widow was absent from duty without leave for a period of five years. Past service not to be forfeited for the purpose of computation of pensionary benefits. *Smt. Saraswati Devi Vs. State of Bihar,* 2001 (1) PLJR 434.

Rule 43—Pension rules are applicable to the Bihar State Electricity Board's employees except those who are specifically exempted. *Radhika Raman Prasad Sinha Vs. B.S.E.B.*, 2002 (1) PLJR 259.

Rule 43—Employee retired on 30-6-1996—Proceeding initiated on 24-2-1998 with respect to omission and commission of misconduct for the period August, 1992 to October, 1994. A proceeding can be initiated against a retired employee but for an event which took place within the period of four years from the date of initiation of the proceedings. Entire proceeding cannot be held as illegal, rather the proceeding for the events within four years is legal and the authority had power to initiate such proceeding even after retirement for the purpose of reduction in the retirement benefit. *Radhika Raman Prasad Sinha Vs. B.S.E.B.*, 2002 (1) PLJR 259.

Rule 144—If a person has not completed 10 years of service, he is entitled for gratuity but calculation is to be made as per Rule 144 itself. *Dularchand Paswan Vs. State of Bihar*, 2002 (1) PLJR, 540.

Rule 43 (b)—10% of pension and full gratuity withdheld due to pendency of CBI enquiry against the employee allegedly involved in M.S.D. scam. Principle already settled in similar matters that the pension cannot be withheld. Direction issued to the State to sanction and pay full pension which will be subject to revision by the competent authority depending upon the outcome of CBI enquiry and the proceeding under Rule 43 (b). However in the matter regarding payment of gratuity, action of the State held not to be arbitrary. Where the allegation involve financial irregularity and loss to government, it may not be possible for the State to recover the loss if entire gratuity is paid to the concerned employee. Direction issued to conclude the proceeding within one year and if the petitioner does not co-operate then the authorities may proceed *ex-parte* till then the State may withhold the gratuity. *Dr. Kashi Nath Prasad Vs. State of Bihar*, 2003 (2) PLJR 335.

Rule 43 (b)—C.B.I. inquiry pending—Enquiry not resulted in a complaint or a charge sheet to a criminal court cannot be said a judicial proceeding as contemplated u/r 43 (b) is pending. *Dr. Kashi Nath Prasad Vs. State of Bihar*, 2003 (2) PLJR, 335.

Rule 59—Services rendered by petitioners as Extra Clerk till the date of their appointment as temporary clerk should be treated as qualifying service for the purpose of pension and pensionary benefits. *Rajendra Lal Das Vs. State of Bihar*, 2003 (2) PLJR 504.

Rule 43 (b)—Initiation of departmental proceeding a rider in respect of an event which took place not more than four years before the institution of such proceedings. Event was beyond the period of four years but the period when the event came into light was within the period the proceeding initiated. When time limit is prescribed in respect of an event in a statute it has to reckon from the date of its knowledge unless contrary intent is pointed in the statute or by necessary implication. Any other view would lead to disastrous consequence. Four years time held to be reckoned from the date of the knowledge of the event by the competent authority. *Ashok Kumar Mishra Vs. State of Bihar*, 2003 (1) PLJR, 172.

●

Rule 43(b)—Reduction in pension to the extent of 25% per month, forfeiture of entire gratuity and order for recovery of losses caused to Government. Losses caused to Government by petitioner stood determined in a duly constituted enquiry. Impugned order not violative of provisions of Rule 43(b). *Ram Narayan Renu Vs. State of Bihar,* 2006 (1) PLJR 300.

Rule 186—Rule 186(ii) contemplates payment of family pension to minor son until he attains the age of 18 years and not 25 years. Brother of petitioner beyond 18 years of age, question of any family pension to him does not arise. *Mithlesh Kr. Singh Vs. State of Bihar,* 2006 (1) PLJR 420.

Rules 136, 151—Petitioner, a State Government employee, retired while serving State Housing Board on deputation. Petitioner's pension fixed by State Government on the basis of notional pay in UDC Grade, which he would have drawn on being continued in Government service during the period of deputation with Housing Board. State Government directed to fix the pension and pensionary benefits in the light of pay drawn. *State of Bihar Vs. Ram Tawakya Singh,* 2006 (1) PLJR 476 (FB).

Rules 43(b), 139—Action under Rule 43 (b) can be taken on the basis of a duly constituted departmental proceeding or a judicial proceeding. But, such a protection is not available to a retired employee if action is intended under Rule 139 and action can be taken on the basis of representation. If the employee retired before a proceeding under Rule 55A of CCA Rules could be concluded, then the same by automatic operation of law will be deemed to have been converted into one under Rule 139 of Pension rules. *Anand Mohan Tripathi Vs. Bihar State Electricity Board,* 2005 (4) PLJR 7.

Rule 43—Petitioner in receipt of order of proceeding drawn against him in terms of Rule 43(b). A proceeding was initiated against the petitioner during his service tenure but petitioner refused to receive the charges. At no point of time, petitioner prayed to drop the proceeding and consequently, present proceeding was drawn up after his superannuation. Petitioner instructed to file his explanation before the authorities. *Rajeshwar Pandey Vs. State of Bihar,* 2005 (4) PLJR 77.

Rule 43—Bar to initiate proceeding. Retired Government servant can be found guilty of grave misconduct during his service career pursuant to departmental proceedings conducted against him even after his retirement but such proceeding could be initiated in connection with only such misconduct which might have taken place within four years of initiation of such proceeding. *Virendra Kr. Srivastava Vs. State of Bihar,* 2005 (4) PLJR 393.

Rule 43(b)—No fresh order is required to be drawn for initiation of the proceeding under Rule 43(b) in case a proceeding had already been initiated before retirement of the delinquent. However, it is mandatory for the respondents to give an opportunity to the delinquent to explain as to why the proposed action should not be taken against him. No opportunity whatsoever was given to petitioner before passing the impugned order. Impugned order quashed. *Satyendra Pd. Sharma Vs. State of Bihar,* 2005 (4) PLJR 486.

Rule 43—A proceeding initiated under Rule 55A of CCA Rules, 1930 is a departmental enquiry and will be treated as instituted for the purpose of Rule 43(b). Conversion of such a proceeding into a proceeding under Rule 43(b)

does not suffer from any legal infirmity and order of its continuance is a valid order. *Chitranjan Prasad Vs. State of Bihar,* 2005 (4) PLJR 510.

Departmental proceeding, if not instituted while the Government servant was on duty either before retirement or during re-employment, shall be conducted by such authority and at such place or places as the State Government may direct and in accordance with the procedure applicable to proceedings on which an order of dismissal from service may be made. If the proceeding was not pending from before and a fresh proceeding is started then procedure applicable to proceedings where order of dismissal from service is to be made, has to be followed. *Ibid.*

Rule 139—Power under rule 139 would not be exercised without giving the pensioner concerned a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to his pension. Government took the action clearly behind the back of petitioner and simply acting on the basis of certain reports and materials on record. Such action of Government was in complete breach of principles of natural justice as also the express provision of Rule 39. *P.K. Indira Kurup Vs. State of Bihar,* 2005 (4) PLJR 660.

Rule 43—Once an employee is retired and no proceeding was initiated against him till he was in service and if subsequently it is detected that pecuniary loss has been caused to Government by him, proceeding under rule 43(b) can be initiated against him. In case pension has already been fixed, proceeding under Rule 139(a) should be initiated against him and only on conclusion of the proceeding, total or part pension can be withheld. *Shivajee Jha Vs. State of Bihar,* 2005 (3) PLJR 28.

Rule 58—Appointment on sanctioned post with service duly regularised. No indication made during service period that appointment was for a specified period. At the fag end of service petitioner informed of termination on account of end of Educational programme. Petitioner by that time had already spent qualifying pensionable period of service. In such circumstances, it cannot be said that there is any application of Rule 45A and service of petitioner is not pensionable under Rules 58 and 59 of Pension rules. Direction to pay all retiral benefits. *Ram Chandra Jha Vs. State of Bihar,* 2005 (3) PLJR 63.

Rule 58—Qualifying pensionable service. Denial of pension due to alleged breaks in service. First absence from duty treated as leave and salary paid for the said period. For second absence period application for grant of leave pending. Petitioner had already completed his qualifying pensionable service. Impugned order denying benefit of pension quashed. *Ibid.*

Rule 43—Denial of pension on the ground of alleged financial irregularities. Show cause notice issued much after four years of date of alleged irregularities as well as the date of superannuation. No action is now possible on account of lapse of time as it is hit by the bar of limitation engrafted in Rule 43(b). *Dr. Brajendra Kr. Sinha Vs. State of Bihar,* 2005 (3) PLJR 108.

Rule 43—Statute does not provide withholding of pension, either in full or in part, until such time the guilt is proved. Full pension to be paid alongwith interest and benefit of commutation of pension. However, grant of full pension will not prevent the State from withholding a part or full of the pension in the event the guilt is proved in departmental/criminal proceeding. *S.Z.H. Jafri Vs. State of Bihar,* 2005 (3) PLJR 166.

Rule 135—Retiring pension. Rule 135 contemplates a bilateral act of tendering of resignation and acceptance of the same. In absence of any such resignation, employee would not be entitled to the benefit of retiring pension for having completed the qualified service of not less than 25 years. Any delay on part of respondents in communicating the acceptance cannot enure to their benefit. *Ramshreshtha Sinha Vs. State of Bihar,* 2005 (3) PLJR 174.

Rule 43—Proceeding under Rule 43(b) will be deemed to be initiated from the date when memo of charge is issued in favour of delinquent and not from the date explanation for the allegations is asked for. Any order under Rule 43(b) can be passed subject to the rider that such departmental proceeding shall have to be in respect of misconduct which took place not more than four years before the initiation of such proceeding. *Sukdeo Narain Verma Vs. State of Bihar,* 2005 (3) PLJR 591. *See also : Asha Sinha Vs. State of Bihar,* 2005 (1) PLJR 68.

Rule 43—In case in a pending enquiry under Rule 55, evidence is complete and the delinquent thereafter superannuates, the same set of evidence is used in subsequent proceeding in terms of rule 43(b). Charges levelled against petitioner were never substantiated nor any reasonable opportunity was given to petitioner to lead his evidence. Impugned order withholding pensionary benefits quashed. *Dr. Shyama Nand Singh Vs. State of Bihar,* 2005 (2) PLJR 625.

Rules 43, 139--Any proceeding which is initiated under rule 43(b) or Rule 139(a), must proceed as provided in Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1930. *Sharda Prasad Sinha Vs. BSEB,* 2005 (2) PLJR 634.

Rule 139—Limitation period for curtailment of pension. After sanction of pension in favour of retired employee revisional power under rule 139(a) is to be exercised within three years from the date of sanction. For curtailment of pension already sanctioned, it is essential that there must be proof of grave misconduct on part of retired employee during his service tenure. *Sharda Prasad Sinha Vs. BSEB,* 2005 (2) PLJR 634.

Rule 43—On superannuation of a Government employee, all the pending departmental proceedings would come to an end unless the pending proceedings are converted into proceedings under Rule 43(b). *Dr. (Capt.) Dev Nandan Pd. Sinha Vs. State of Bihar,* 2005 (1) PLJR 353.

Rule 104—The moment the tenure of a person who was appointed for a fixed period came to an end, the relationship of master and servant came to an end. Period of breakage would be a period under removal or discharge and such period cannot be condoned for the purpose of making the service continuous. *Krishna Mohan Jha Vs. State of Bihar,* 2005 (1) PLJR 427.

Rule 43—Recovery sought to be made from retiral benefits on account of alleged deficient completion of construction work during service period. No such proceeding in terms of Rule 43(b) instituted nor any judicial proceeding pending in Court. A period of more than four years having lapsed since petitioner's retirement, such a proceeding cannot now be initiated. Recovery of amount from retiral benefits impermissible. *Jagdish Chandra Singh Vs. State of Bihar,* 2005 (1) PLJR 513.

Rule 43—Recovery sought to be made from the death-cum-retiral dues payable to the employee's widow after lapse of ten years. Such recovery is not

permissible without taking recourse to the provisions of rule 43(b) and only if the case is covered by the rider clause. *Shanti Choubey Vs. State of Bihar,* 2004 (4) PLJR 236.

Rule 59—Rule 59 entitles an employee to pension after fifteen years even in temporary service. A Government servant who has seen continuous service virtually has a birth right to claim pension from the State. Getting an employee out of a Government department and putting him in a public sector undertaking is not his fault. Pension to be paid with interest. *Nankhu Pd. Singh Vs. State of Bihar,* 2004 (3) PLJR 769.

Rule 58—Services of petitioner and others were transferred from State Government and merged with Corporation (Bihar State Food and Civil Supply Corporation). Since then petitioner ceased to be a Government servant. In view of Rule 58, petitioner is not entitled for pensionary benefits. *Madhu Mangal Tiwary Vs. State of Bihar,* 2004 (3) PLJR 716.

Rule 43—For deduction/recovery from pension, a proceeding under Rule 43(b) is not required in all and every cases. *Smt. Bachchi Devi Vs. State of Bihar,* 2004 (3) PLJR 826.

Rule 43 (b)—It is mistaken impression that the rule is only confined to cases of pecuniary loss to the Government. It is only one of the circumstances justifying reduction of pension the rule takes in its sweep casee on account of grave misconduct established in a departmental proceedings. *Tripurari Sharan Singh Vs. State of Bihar,* 2006 (2) PLJR 11.

The fact that because the employee was inefficient during the service tenure, but had been tolerated and had not been compulsorily retired, it can not be said after his retirement that there was no good conduct on the part of employee in question. The provisions of rule 43 (b) cannot be applied. *Rambilash Pathak Vs. State of Bihar,* 2006 (2) PLJR 457.

Minister, in view of the punishment of petitioner's superior on the same charges in departmental proceeding, directed to impose punishment on the petitioner. Punishment on petitioner's superior is quashed by High Court and affirmed by Supreme Court. In view of the above fact the punishment of forfeiture of 50% pension quashed. *Ram Kumar Lal Vs. State of Bihar,* 2006 (2) PLJR 58.

Appellant suspended before, 12 years of retirement, the proceeding deemed to be initiated from that date and continued. The case was covered by explanation to rule 43 (b) and petitioner liable to departmental action despite embargo with regard to limitation of four years after retirement. *Raj Kishore Singh Vs. State of Bihar,* 2006 (4) PLJR 71.

Rule 43 (b) permits a pending disciplinary proceeding to be converted into a proceeding u/r 43 (b) but the delinquent must be made aware that such steps are being taken. *Devendra Pd. Sinha Vs. State of Bihar,* 2006 (4) PLJR 230.

Recourse of Rule 43 (b) can only be taken provided there is a finding of guilt or loss caused to the Government. Pending of proceeding u/s 43 (b) would not *ipso facto* authorize or permit the authorities to withhold any part of pension or gratuity. The direction is issued to make the payment of full pension to the petitioner but commutatiion of pension is not allowed at this stage. *Rajendra Mishra Vs. State of Bihar,* 2007 (1) PLJR 738.

Rule 43 (b) (c) is not mandatory in nature and its non-compliance does not vitiate the punishment imposed. *Ram Yatan Prasad Vs. State of Bihar*, 2007 (1) PLJR 314.

Rule 43 (b) of the Bihar Pension Rules authorises stoppage of pension in full or part in the event a pensioner has caused any pecuniary loss to the Government by misconduct or negligence during his service rendered not more than four years before the institution of proceedings for inflicting on order under the said rules. *Mostt. Rabiya Khatoon Vs. State of Bihar*, 2007 (2) PLJR 12.

Forfeiture of leave salary and gratuity as punishment is illegal and not acceptable as it is violative of principles of proportionality. *Rajendra Pd. Singh Vs. Bihar State Road Transport Corporation*, 2007 (3) PLJR 626.

A person who has been put under suspension prior to his superannuation, there is no necessity of sanction of Government or application of clause a (ii) of the proviso to Rule 43 (b) for proceeding against him. *Dr. A.A. Mallick Vs. State of Bihar*, 2007 (3) PLJR 321.

Punishment of reduction in pension. Where the direction is given to settle the payment of pension payable to delinquent, that does not mean court had determined what was the payable pension of the delinquent. It was left to the employer to determine payable pension and once delinquent is found to be entitled to his pension less than what he would have been otherwise entitled to for the order u/r 43B, no irregularity or illegality committed in reducing the pension. No interference required in elaborate judgment of Single Judge. *Gaya Prasad Vs. Bihar State Electricity Board*, 2007 (Supp.) PLJR 197.

Withholding of 50% pension for one year. On charges of forging signature of Executive Magistrate while posted in his office. Punishment imposed only on presumption that petitioner was custodian of record. No finding or charge with regard to pecuniary loss caused to Government. Punishment order quashed. Since no charge of misappropriation made, given liberty to file representation for payment of full pension and other dues. *Ram Sigasan Rai Vs. State of Bihar*, 2007 (4) PLJR 278.

A person who is discharged from the service for misconduct is not entitled for pension. *Smt. Phul Sunder Devi Vs. State of Bihar*, 2006 (3) PLJR 20.

Rule 139—Reduction in pension permissible only when services during service tenure found to be unsatisfactory. State is no obliged to give full pension to an employee who earned either poor or average confidential reports during substantial part of his career which established unsatisfactory service. Action u/r 139 without establishing unsatisfactory services is victimization. *Prabhu Nath Singh Vs. State of Bihar, 2006 (3) PLJR 618.*

Rule 189—Rule 189 aims at to obviate avoidable delay in settlement of the claim for pension and to ensure that the Government servant may not retire under misapprehension that he has earned pension which is subsequently found to be inadmissible. It is necessary for the Government servant to apply in advance the claim of pension with material particulars. It cannot be said that it was not necessary on part of the retire to apply for claim of pension. *Mohan Lal Singh Vs. State of Bihar*, 2007 (3) PLJR 38.